रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062021-227424
CG-DL-E-09062021-227424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2029] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943
No. 2029] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISHTHA 19, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2189(अ).—केंद्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत वर्ष 2041 के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली मुख्य योजना-2041 (दि.मु.यो.-2041) के रूप में दिल्ली मुख्य योजना (दि.मु.यो.) में निम्नलिखित व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। ड्राफ्ट दि.मु.यो.-2041 के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिन की अवधि** के अंदर वेबपोर्टलः http://online.dda.org.in/MPD2041 द्वारा भेज सकते हैं अथवा आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी-ब्लॉक , विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी लिखें, जो पठनीय हो।

दिल्ली मुख्य योजना-2041 के बारे में

दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी) एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें वर्तमान स्थिति का आकलन करके और यह दिशा-निर्देशित करते हुए कि वांछित विकास कैसे प्राप्त करें, दिल्ली का विकास करने के बारे में बताया गया है। इस मुख्य योजना (मास्टर योजना) के लिए मुख्य एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण है। योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना दिल्ली के विकास से जुड़ी सभी एजेंसियों की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग, सेवा प्रदाता, भूस्वामी एजेंसियां, विनियामक और अन्य स्थानीय निकाय इत्यादि शामिल हैं।

दिल्ली की पहली मुख्य योजना (मास्टर योजना) को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत 1962 में प्रख्यापित किया गया था। इसके बाद मास्टर योजना 2001 और 2021 बनाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक योजना संबंधित पिछले योजना-दस्तावेज के व्यापक संशोधन के रूप में है। ये योजना 20 वर्षों की भावी अवधियों के लिए तैयार किए गए थे और इन्होंने दिल्ली के नियोजित विकास के लिए एक समग्र फ्रेमवर्क प्रदान किया।

दिल्ली मुख्य योजना-2041 एक 'कार्यनीतिक' और 'समर्थकारी' फ्रेमवर्क है जो पिछले प्लानों के कार्यान्वयन से लिए गए सबक के आधार पर शहर के भावी विकास को निर्देशित करने के लिए बनाया गया है।

दिल्ली मुख्य योजना 2041 दस्तावेज़ की संरचना

योजना दस्तावेज़ को इस प्रकार बनाया गया है कि उसे विभिन्न जन-प्रचार माध्यमों से सार्वजनिक डोमेन में साझा किया जा सकता है और दस्तावेज़ में जोड़ने या संशोधित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक अध्याय के लिए दस्तावेज के सामने सुलभ संदर्भ के लिए एक कोड दिया गया हैः उदाहरण के लिए एचसीपी-1 'सार्वजनिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन' नामक शीर्षक के अध्याय का सूचक है। योजना में नीचे दिए गए अनुसार दो खंड शामिल हैं:

- **वॉल्यूम 1: विज़न 2041 और समर्थकारी नीतिगत फ्रेमवर्क** में वर्तमान समय में दिल्ली, इसकी वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति, वर्ष 2041 के लिए जनसंख्या के पूर्वानुमान और अन्य विभिन्न अनुमानों का बृहद-अवलोकन करने वाला एक परिचय शामिल है। इस खंड में दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी) -2041 के विज़न, लक्ष्य और उद्देश्य दिए गए हैं। इसके अलावा, इस खंड में छह भाग हैं जिनमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था (व्यापार और वाणिज्य थोक व्यापार, उद्योग और सरकारी कार्यालय शामिल हैं), परिवहन और गतिशीलता, धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक स्थलों, आश्रय और सामाजिक ढांचे और भौतिक अवसंरचना की मुख्य नीतियाँ शामिल की गई हैं।
- **वॉल्यूम 2: स्थानिक विकास कार्यनीति और कार्य योजना** तीन भागों में विभाजित है। पहले भाग में सभी प्रमुख कार्यनीतियाँ और विस्तृत प्रावधान, दिल्ली के भावी स्थानिक विकास को निर्देशित करने के लिए विशिष्ट मानदंड हैं जो शहर में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड विकास-कार्य (लैंड पूलिंग एरिया, हरित विकास क्षेत्र, नियोजित और अनियोजित क्षेत्रों के पुनःसुधार, पारगमन-उन्मुख विकास, कार्यनीतिक उत्थान आदि) दोनों को कवर करते हैं।
- दूसरे भाग में मास्टर योजना के लिए योजना-निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क का प्रावधान है जिसमें आवधिक समीक्षा करने और त्रुटि-सुधार की सुविधा देने के लिए कार्यान्वयन ढांचे की व्यवस्था सहित प्रगति की निगरानी करने के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक तय किए गए हैं। तीसरे भाग में विभिन्न प्रकार के विकास-कार्य के लिए विस्तृत विकास नियंत्रण मानदंड और शहरी डिजाइन दिशानिर्देश शामिल हैं।

नोट: *कोई भी नया विकास / परियोजना / पुनर्निर्माण / परिवर्धन / परिवर्तन आदि जो **एमपीडी-2041** की अधिसूचना के बाद सामने आते हैं, इस की नीतियों और मानदंडों का पालन करेंगे। अधिसूचना के समय चल रही किसी भी परियोजना (निर्माणाधीन) को पिछले योजना अर्थात एमपीडी-2021 के मानदंडों के अनुसार निर्मित करने की अनुमति दी जाएगी। जिन परियोजनाओं का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, वे लागू मास्टर योजना के अनुसार अपनी योजनाओं को संशोधित करेंगे और इसके लिए आवश्यक समय दिया जाएगा।*

नोटः

निम्नलिखित पब्लिक डोमेन में हैं और सार्वजनिक आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इनमें बाद में कोई संशोधन होने पर मु.दि.यो.-2041 में उपयुक्त ढंग से शामिल कर लिया जाएगा।

- हरित विकास क्षेत्र के लिए नीति
- अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मानदण्ड
- बहुस्तरीय कार पार्किंग के लिए मानदण्ड

विषय-सूची

वॉल्यूम 1

- **परिचय**

1. **दिल्ली विजन 2041 (V1)**

खंड 1: पर्यावरण

2. प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूढना (ENV1)
3. ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना (ENV2)

खंड 2: अर्थव्यवस्था

4. आर्थिक उत्पादन के स्थान (ECO)

खंड 3: धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक स्थल

5. सार्वजनिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन करना (HCP1)
6. दिल्ली की धरोहर का प्रबंधन (HCP2)

खंड 4: आश्रय और सामाजिक अवसंरचना

7. आश्रय के लिए कार्य नीति बनाना (SSI1)
8. सामाजिक अवसंरचना का प्रावधान (SSI2)

खंड 5: परिवहन और गतिशीलता

9. कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना में सुधार (MOB1)
10. साझा गतिशीलता की दिशा में स्थानांतरण (MOB2)
11. दिल्ली को पैदल चलने और साइकिल चलाने के अनुकूल बनाना (MOB3)
12. दिल्ली में पार्किंग प्रबंधन (MOB4)

खंड 6: भौतिक अवसंरचना

13. दिल्ली को जल सुरक्षित बनाना: जल, अपशिष्ट जल और जल निकासी (INF1)
14. ठोस अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन (INF2)
15. विद्युत, गैस, दूरसंचार और डिजिटल अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का प्रावधान (INF3)
16. आपदा की तैयारी एवं प्रतिरोधकता (INF4)

वॉल्यूम 2 स्थानिक विकास और योजना निगरानी हेतु फ्रेमवर्क

खंड 7: स्थानिक विकास फ्रेमवर्क

17. लैंड पूलिंग के माध्यम से नए क्षेत्रों का विकास (DEV1)
18. हरित विकास क्षेत्र में विकास (DEV2)
19. शहरी पुनरूद्धार (DEV3)
20. पारगमन उन्मुख विकास (DEV4)

खंड 8: योजना की निगरानी और मूल्यांकन

21. निगरानी फ्रेमवर्क (PME)

खंड 9: विकास कोड और विकास नियंत्रण मानदंड

22. विकास नियंत्रण मानदंड (DCN)

संक्षिप्तियों की सूची
शब्दावली
अनुलग्नक

** हिंदी अनुवाद में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर मूल अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

वॉल्यूम 1

विज़न 2041

और

नीति फ्रेमवर्क को सक्षम बनाना

परिचय

दिल्ली मुख्य योजना - 2041 भारत की स्वतन्त्रता के 75वें वर्ष के समय में ही जारी किया गया है। भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इसका विकास-पथ अधिकाधिक उन शहरों द्वारा परिभाषित किया जा रहा है जिनका सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत का योगदान है। सरकार ने 2014 में योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करके शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे समावेशी, भागीदारी और संपोषणीय दृष्टिकोण अपनाकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कई राष्ट्रीय शहरी मिशन शुरू किए गए हैं। फोकस क्षेत्र में भारतीय शहरों में सभी शहरी मुद्दों को कवर किया गया हैं जैसे आवास, शहरी सेवाएं, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट विकास, गतिशीलता, कचरा प्रबंधन, धरोहर, डिजिटल सक्षमता, और अन्य बातों के साथ साथ जल सुरक्षा इत्यादि। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कई मानक, मानदंड, मॉडल नीतियां और रूपरेखाएं लाई है, जिन्हें शहरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए अपनाया और संदर्भित किया जा सकता है, जैसे कि, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' अथवा 'क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क'। शहरी पुनःसुधार पर, विशेष रूप से अनियोजित और असुरक्षित क्षेत्रों के पुनःसुधार तथा लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर विशेष जोर दिया गया है।

दिल्ली हमेशा से भारत में प्रदर्शन-योग्य शहर रही है जिसने देश भर के कस्बों और शहरों में नीतियों और परियोजनाओं को प्रेरित किया है। एमपीडी-2041 पूर्णतः राष्ट्रीय स्तर की शहरी नीतियों के अनुरूप है और आने वाले वर्षों में शहरी आधारिक संरचना तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। दिल्ली नए विचारों की क्यारी है और यह शहर विकास का केंद्र बना रहेगा और 'नए शहरी भारत' का चेहरा होगा। इस योजना की कार्यनीतियाँ विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में देश भर से लिए गए अनुभवों पर आधारित हैं।

दिल्ली की वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति: दिल्ली विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी, फलता-फूलता शहरी केंद्र होने के साथ-साथ दुनिया का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसकी अद्वितीय सांस्कृतिक संपदा है। भारत की राजधानी के रूप में, यह राष्ट्रीय सरकार का केन्द्र है और इसके साथ ही संघ राज्यक्षेत्र के रूप में कार्य करता है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीटी) के रूप में इसे एक विशेष दर्जा भी दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में कई स्थानीय निकाय हैं जो अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में काम करते हैं। हालांकि इस अनूठी शासन संरचना के कारण संस्थागत जटिलता पैदा होती है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समस्या भी आती है, फिर भी ये शहर को एक बेजोड़ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व भी देता है।

दिल्ली काफी महत्वपूर्ण है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती मेगासिटी में से एक है और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी निष्पादक और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दिल्ली दुनिया के अग्रणी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में से भी एक है। यह भारत और एशिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों में से एक है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम लॉजिस्टिक्स और व्यापार केंद्र है। दिल्ली को इस क्षमता का निर्माण करने और प्रदूषण, डिग्रेडेड पर्यावरण, भीड़भाड़, सुरक्षा की कमी और असमान जीवनयापन स्थितियों जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मुद्दे इसकी बाजार-क्षमता के लिए और वैश्विक बाजार को आकर्षित करने की दिशा में एक खतरा हैं।

दिल्ली को दुनिया के महान ऐतिहासिक शहरों में भी गिना जाता है, जहां भवनों और स्मारक तथा तीन विश्व धरोहर स्थल और एक जीवंत चारदीवारी शहर भी है, जो केंद्रीय व्यापार जिले का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली एशिया के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है और यमुना के किनारे स्थित एक शहर है। दिल्ली निर्मित और प्राकृतिक धरोहर के मामले में भी सुसंपन्न है और इसकी अनूठी संपदा को देखते हुए इसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र बनाने की क्षमता का पता लगाने की आवश्यकता है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) (लगभग 55,083 वर्ग किमी क्षेत्र) के मध्य में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चार महत्वपूर्ण शहरों से घिरी हुई है। यह शहरी समूह उत्तर भारत के लिए उपभोग और वितरण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7-8% हिस्सा है, जिसमें दिल्ली का योगदान 50% से अधिक है। वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में निवेश में 95% की वृद्धि हुई है। दिल्ली निर्बाध संपर्क व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण प्रमुख पुनर्वितरण केंद्र है। भविष्य में, वितरण और पुनः वितरण के कार्य दिल्ली से स्थानांतरित होकर शीघ्र बनने वाले समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और नोड्स में जा सकते हैं। हालांकि, दिल्ली शहर कारोबार, व्यापार और डिजिटल लॉजिस्टिक्स के लिए तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के प्रधान संचालक के रूप में अपना आर्थिक प्रभुत्व बनाए रखेगा।

केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) एकल सामाजिक-आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा शामिल हैं जो एक दूसरे पर मजबूत निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। दिल्ली मेट्रो पूरे सीएनसीआर को सेवाएं देती है और इसका एक बड़ा हिस्सा अंतर-शहर यात्राओं का है और जल्द आने वाली क्षेत्रीय रैपिड रेल शहर की सीमाओं को और भी कम कर देगी। इस तरह की मजबूत कनेक्टिविटी के चलते, कार्यस्थल और निवास स्थान के बारे में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों के लिए दूरी अब कोई बड़ा कारक नहीं रहा है। दिल्ली शहर को अपनी भावी भूमिका के लिए एक ऐसे शहर के रूप में योजना बनाने की आवश्यकता है जो मनोरंजन, कार्य, निवास या अल्प प्रवास के अनेक विकल्प प्रदान करता है। ऐसा दिल्ली की अनूठी और विशिष्ट संपदाओं और विशेषताओं को विकसित करके किया जा सकता है ताकि एक वैश्विक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में इसका आकर्षण बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा शहर है, जो लगभग 1486.5 वर्ग किमी में फैला है। इसमें 367 गाँव हैं, जिनमें से अधिकांश को शहरी घोषित किया गया है। 11 जिले, 33 तहसील/सब-डिवीजन, 272 वार्ड और पांच स्थानीय निकाय हैं जो सिविक प्रशासन का संचालन करते हैं नामतः नॉर्थ डीएमसी, साउथ डीएमसी, ईस्ट डीएमसी, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और कैंटोनमेंट बोर्ड। योजना और प्रबंधन में आसानी के लिए दिल्ली को 18 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

दिल्ली की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, जनसंख्या अनुमान और विकास संबंधी जरूरतें: रोजगार, उच्च शिक्षा और निवास के मामले में दिल्ली एक अत्यधिक पसंदीदा शहर है। दिल्ली की जनसंख्या पिछले सात दशकों से उच्च दर पर बढ़ी है। 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-1991, 1991-01 और 2001-11 की भारत की जनगणना के अनुसार, एनसीटी दिल्ली ने क्रमशः 52.44%, 52.91%, 52.98%, 51.45%, 47.03% और 21.20%, की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की। प्राकृतिक वृद्धि और प्रवासन दोनों के संदर्भ में वृद्धि दर पिछले दो दशकों में कम हुई है। हालाँकि, सम्पूर्ण अर्थ में, एनसीटी दिल्ली में भारत की आबादी का लगभग 1.39% है और यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है।

दिल्ली एक बहु-सांस्कृतिक, महानगरीय शहर है जहां देश में दूसरी सबसे बड़ी आप्रवासी आबादी रहती है। जनगणना 2011 में लगभग 2.26 मिलियन प्रवासियों को दर्ज किया गया जो दिल्ली में 0-9 वर्षों से निवास कर रहे थे। हालांकि, पिछले दशक (2001-11) में, दिल्ली में कुल प्रवास कम हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (2018-19) यह बताती है कि काफी आप्रवासी पड़ोसी राज्यों से थे और गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद आदि के विकास और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए रोजगार संवर्धन कार्यक्रमों ने दिल्ली में प्रवास को कम करने में योगदान दिया है। हालांकि, प्रवासियों की पूर्ण संख्या काफी अधिक है और आवास, सुविधाओं और रोजगार के विकल्पों की व्यवस्था करने के लिए उनके प्रोफाइल की एक व्यापक समझ, प्रवास के उद्देश्य और अवधि को जानना भी महत्वपूर्ण है।

भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के ठीक बाद दिल्ली में आबादी में भारी वृद्धि हुई। शहर के मूल निवासियों के अलावा कई परिवारों ने दिल्ली में ठिकाना बनाया और कई अन्य लोग समय बीतने के साथ सरकारी नौकरियों और अन्य अवसरों के लिए यहां चले आए। वर्तमान में, दिल्ली की आबादी के एक बड़े हिस्से की कुछ जड़ें इसी शहर में हैं, जिसमें एक पूरी पीढ़ी शामिल है जो यहां पैदा हुई और यहीं उसने परवरिश पाई। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, 30.3% आबादी 15-30 वर्ष की आयु वर्ग की है, जिससे दिल्ली दुनिया के सबसे अधिक युवा आबादी वाले शहरों में से एक बन गई है। उच्च साक्षरता दर (86.2%) के साथ, दिल्ली में 15-59 वर्ष की आयु के बीच लगभग 1.1 मिलियन लोगों का एक बड़ा शिक्षित कार्यबल है (2011)। यह प्रतिभा को रोक रखने के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों और स्थान की व्यवस्था करने तथा शहर एवं देश के लिए एक कुशल कार्यबल बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

दिल्ली का कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, हालांकि दोनों में पिछले एक दशक से सुधार देखा गया है। हालांकि पिछले दशक से कार्यशील आयु वाली महिलाओं की आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी है लेकिन महिला श्रम भागीदारी दर पुरुष कार्यबल की तुलना में पाँच गुना कम सिर्फ 14.3% है। इस शहर को कार्यबल में अधिक महिलाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह कार्य सुरक्षित और महिला अनुकूल सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और पर्याप्त बाल देखभाल सुविधाएं देने वाले कार्यस्थलों की व्यवस्था करके किया जाना होगा। दिल्ली में महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है इससे उम्मीद की जा सकती है भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, लिंग अनुपात में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

दिल्ली की 30% के करीब आबादी में 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे और युवा शामिल हैं, जो दिल्ली को अधिक बाल अनुकूल शहर बनाने की आवश्यकता दर्शाता है। विश्व स्तर पर, बच्चों का समग्र प्रारंभिक विकास जीवन की अच्छी गुणवत्ता का सूचक होने के रूप में सर्वोपरि माना जाता है, जो बच्चों के स्वस्थ और सकारात्मक वयस्क बनने के लिए जरूरी है। इसलिए इस शहर में सभी आयु वर्ग और क्षमताओं के बच्चों के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है।

दिल्ली अत्यधिक शहरीकृत है। 1901 के 53% की तुलना में 2011 में 97% से अधिक आबादी शहरी थी। वर्तमान में, ज्यादातर लोग मुख्यतः शहर के मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी भाग में निवास और कार्य करते हैं। 2021-41 की योजना-अवधि में, शहर के पश्चिमी और उत्तरी परिधि को बड़े पैमाने पर विकास के लिए निर्धारित किया गया है। जनसंख्या का घनत्व 1991 के 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से बढ़कर 2011 में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया है। शहर भर में घनत्व अलग-अलग हैं और कम घनत्व वाले इलाकों को अत्यधिक घनत्व वाले अनियोजित क्षेत्रों के निकट बसाया गया है जिसके चलते शहर में पुनःसुधार के लिए एक अति विस्तृत-व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता है।

विभिन्न मापदंडों के अनुसार विकास मान्यताओं के आधार पर वर्ष 2041 में दिल्ली की जनसंख्या उच्च, मध्यम और निम्न विकास परिदृश्यों के अनुसार क्रमशः 30.9 मिलियन, 29.1 मिलियन और 27.8 मिलियन होना अनुमानित है। पिछले दो दशकों में विकास दर में गिरावट के कारण के तौर पर, मध्यम विकास परिदृश्य (29.1 मिलियन) को सबसे अधिक संभावित अनुमान के रूप में अपनाया गया है। इसके लिए जब भी जनसंख्या को अद्यतन किया जाए मध्य-मार्ग में पुनः नाप-जोख की आवश्यकता होगी। तालिका 1 में पांच-वर्षीय विकास अनुमानों को दिखाया गया है:

दिल्ली के लिए पांच-वर्षीय विकास अनुमान

वर्ष	पुरुष (मिलियन में)	महिला (मिलियन में)	कुल (मिलियन में)
2021 (आधार वर्ष)	11	9.5	20.6
2026	12.2	10.4	22.6
2031	13.4	11.4	24.8
2036	14.6	12.3	26.9
2041	15.9	13.3	29.2

शहर की जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल में दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों की संभावना है। कार्यशील आयु (आयु वर्ग-25-60 वर्ष) के व्यक्तियों के अनुपात में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने और इस मानव-आबादी द्वारा प्रस्तुत संभावित आर्थिक लाभों का दोहन करने की आवश्यकता का संकेत देता है। यह विश्लेषण 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि को भी इंगित करता है। इस तरह यह इस योजना में बुजुर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने की आवश्यकता को भी इंगित करता है।

पिछले योजना में अनुमान लगाया गया था कि 50% जनसंख्या वृद्धि प्रवासन के कारण होगी। मौजूदा आबादी की बढ़ती जरूरतों और भूमि की ऊंची कीमतों के कारण शहर में अनियोजित बस्तियों का विकास हुआ है। मौजूदा योजना अवधि के

दौरान प्रवासन से जनसंख्या में 41% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, जो ऐसे नए प्रकार आवासों को बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो विभिन्न आय वर्गों और विभिन्न कार्यकाल संबंधी आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा कर सके।

दिल्ली के लिए आधारभूत (बेसलाइन) मूल्यांकन : वर्तमान स्थिति को समझने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के तहत व्याप्त अंतराल का आकलन करने के लिए, एमपीडी-2041 के लिए सभी संबंधित हितधारक एजेंसियों को शामिल करते हुए एक व्यापक बेसलाइन बनाई गई थी। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से डेटा इकट्ठा किया गया था और परिवहन, पहुंच, अर्थव्यवस्था, धरोहर और अनियोजित बस्तियों के लिए अध्ययन किए गए थे। लगभग 200 विशेषज्ञों ने दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों और विकास के पहलुओं के संबंध में जानकारी दी। इस बेसलाइन कवायद में सभी कोर एजेंसियां और केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के विभाग शामिल थे। बेसलाइन तथा पृष्ठभूमि के अध्ययन के साथ-साथ प्रवृत्तियों और शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों (एसडब्ल्यूओटी) के विस्तृत विश्लेषण से इस शहर से जुड़े प्रमुख सरोकारों के बारे में पता चला। इन सबकी पुष्टि नागरिकों, हितधारकों और विशेषज्ञों, जिन्होंने योजना तैयार करने के दौरान सार्वजनिक विचार-विमर्श में भाग लिया और केन्द्रित सामूहिक चर्चा में भाग लिया, से प्राप्त विचारों के आधार पर की गई।

योजना तैयार करते समय दिल्ली के लोगों को शामिल करके उनकी राय, विचार और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ऐसा सीएसओ, आरडब्ल्यूए संघों, बाजार संघों, पेशेवर निकायों, सार्वजनिक अभियानों आदि के साथ भागीदारी करके तथा लोगों के साथ सीधे संपर्क करके किया गया। सितंबर से नवंबर 2020 तक समर्पित ऑनलाइन सार्वजनिक परामर्श आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं, दिव्यांगजन, पेशेवर लोगों, महिला संबंधी मुद्दों पर काम करने वाले एनजीओ, अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों, व्यापारियों, उद्योग के प्रतिनिधियों आदि के साथ सत्र आयोजित किए गए। इन परामर्शों, केन्द्रित सामूहिक चर्चाओं, ऑनलाइन वेब पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से, एक शहर-व्यापी आउटरीच का प्रयास किया गया जिसमें प्रतिभागियों से 5000 से अधिक विज़न स्टेटमेंट प्राप्त किए गए थे।

बेसलाइन के अंतर्गत, पिछले मास्टर प्लानों की समीक्षा की गई थी ताकि दिल्ली के विकास-की दिशा का पता लगाया जा सके। एमपीडी-2021 की विस्तार से समीक्षा की गई जिससे इसके कार्यान्वयन से अनुभव प्राप्त किए जा सकें। 2021 के मास्टर योजना में विकास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया ताकि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी चुनौतियों को दूर किया जा सके और भूमि समेकन और विकास की प्रक्रिया को कार्य दक्ष बनाया जा सके। इसमें लैंड पूलिंग, मिश्रित-उपयोग विकास-कार्य, पारगमन-उन्मुख विकास आदि जैसे कई नए सिद्धांतों को भी शुरु किया गया। एमपीडी 2041 पिछले योजना के इन नवीन प्रतिमानों पर आधारित है और इसमें 'कार्यनीतिक' और 'समर्थकारी' फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए उपयुक्त नीतियां बनाई गई हैं जो शहर के भावी विकास का पोषण कर सकता है।

अपने आकार की अधिकांश मेगासिटीज की तरह दिल्ली की भी अपनी क्षमता और अवसर है लेकिन ये अवसर अवहनीय शहरी स्वरूप, निर्मित पर्यावरण के क्षरण, भूमि उपयोग और परिवहन के बीच असंतुलित स्थिति के मुद्दों के कारण कम हो जाते हैं जिसके कारण अवहनीय गतिशीलता पैटर्न, अनियोजित विकास का प्रसार, स्थान और वर्गों में नागरिक सेवाओं तक पहुँच में अंतर पैदा होता है और एक ऐसा विकास पैटर्न उभरता है जो प्राकृतिक वातावरण के साथ मेल नहीं खाता। 2041 की योजनाबद्ध रूपरेखा में इन मुद्दों का एक समग्र तरीके से समाधान करने का प्रयास किया गया है, जो दिल्ली की अंतर्निहित शक्तियों और अनुकूल अवसरों पर आधारित है ताकि शहर की वास्तविक क्षमता का लाभ उठाया जा सके। बेसलाइनिंग और सार्वजनिक परामर्श करने के साथ-साथ जनसंख्या, संसाधन उपलब्धता और आर्थिक विकास के अनुमानों के विश्लेषण से निम्नलिखित कुछ क्षेत्रों का पता चला है जिन पर फोकस किया जाना हैं:

मास्टर योजना के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र

i. **पर्यावरणः** यह शहर काफी हरा-भरा है लेकिन इस हरियाली का वितरण असमान है। कई स्थानों पर हरियाली की गुणवत्ता में भी सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा, दिल्ली लगातार अत्यधिक वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त है। यमुना भी बुरी तरह प्रदूषित है। इससे न केवल पर्यावरणीय संपदा और स्थानीय जैव विविधता को खतरा है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य को भी खतरा है।

ii. **पानीः** दिल्ली जल-अभाव वाला शहर है और फिर भी, यह संसाधन प्रणालीगत हानि, संरक्षण और पुनः उपयोग की कार्यनीति की कमी के कारण बर्बाद हो जाता है। इससे दिल्ली की विकास संभावनाओं के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए पानी की बुनियादी जरूरतों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

iii. **महत्वपूर्ण संसाधनः** दिल्ली में बिजली की खपत और कचरे के उत्पादन को कम करने की आवश्यकता है, ये दोनों ही देश में सबसे अधिक खराब स्थितियां हैं। हमें कचरे का पुनर्चक्रण और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करने के प्रयास करने होंगे।

iv. **गतिशीलताः** शहर में अच्छा सार्वजनिक परिवहन-तंत्र उपलब्ध है, लेकिन यहां बड़ी संख्या में निजी वाहन हैं जो भीड़, अनियोजित पार्किंग, वायु प्रदूषण आदि का कारण हैं। नागरिकों विशेष रूप से दिव्यांगजन, बुजुर्गों और बच्चों के लिए गतिशीलता में सुधार लाने के लिए गंतव्य स्थान तक कनेक्टिविटी और पैदल चलने एवं साइकिल चलाने के लिए अवसंरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।

v. **आवासः** शहर में भूमि की ऊंची कीमतों के कारण आवास की जरूरतों और आवास की आपूर्ति के बीच एक असंतुलन पैदा हो गया है। दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा अनियोजित है जहां अनधिकृत कालोनियां अपना मकान देने के साथ-साथ किराये के मकान देने के कम महंगे विकल्प देकर आवास की आवश्यकता को पूरा करती है। निर्माण की खराब गुणवत्ता और उच्च निर्मित घनत्व के कारण, ये विकास कार्य असुरक्षित हैं। नए प्रकार के तथा भिन्न भिन्न कार्यकाल के आवास बनाने की आवश्यकता है।

vi. **निर्मित पर्यावरण और सार्वजनिक स्थानः** शहर में सुविधाएं और खुले स्थान जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ अपर्याप्त हो गए हैं। कई क्षेत्रों में मौजूदा निर्मित स्टॉक पुराना और जीर्ण है। सार्वजनिक स्थलों को सब के लिए सुलभ और सुरक्षित बनाना होगा। इसलिए, शहर में कुछ क्षेत्रों की अवरुद्ध क्षमता को उजागर करने के लिए पुनःसुधार के साथ-साथ कार्यनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

vii. **धरोहर संपदाः** दिल्ली एक सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ बड़ी संख्या में धरोहर संपदा है। ऐतिहासिक संपदा और संरचनाओं के क्षरण और नुकसान को रोकने के लिए इस संपदा के संरक्षण और उनके अनुकूली पुन: उपयोग को बढ़ावा दिया जाना होगा।

viii. **संवेदनशीलताः** दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र चार में आती है और आग लगने एवं बाढ़ से जुड़ी भूकंप की घटनाओं के उच्च जोखिम-क्षेत्र में है। ऊंची ऊंची इमारतों, और मकान की खराब गुणवत्ता और आयु इस असुरक्षा को और भी बढ़ाती है। कोविड-19 महामारी ने विकेंद्रीकृत अवसंरचना वाली स्वतः पूर्ण और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों को बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

ix. **आर्थिक क्षमताः** दिल्ली को एक आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिका और क्षमता का पूरी तरह से दोहन करना है। विशिष्ट स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा फोकस क्षेत्र हैं। उद्यमियों के लिए अवसर और अच्छी कार्यशील परिस्थितियां सृजित करने के अलावा, विभिन्न प्रकार के लचीले और साझा स्थान की व्यवस्था करके स्वच्छ उत्पादन, स्टार्ट-अप, नवाचार और साइबर इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा। आर्थिक क्षमता- विशेष क्षेत्रों जैसे कि विशिष्ट स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पर्यटन और एम आई सी ई आधुनिक लॉजिस्टिक और विशेषीकृत व्यापार को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

x. **निगरानी और मूल्यांकनः** बहु-एजेंसी समन्वय के साथ शहर के स्तर पर एक साझा डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता है तथा एकीकृत निगरानी प्रोटोकॉल स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे शहर और विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इस शहर और योजना के लिए यह आवश्यक है ताकि हो रही प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन संभव हो पाए और परिवर्तन के अनुसार ढलें एवं त्रुटि सुधार किया जा सके। स्तरीय विकास करने के लिए सभी एजेंसियों और हितधारकों को सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है।

--- x --- x ---- x --- x ---

1.0 दिल्ली विज़न 2041

1.1 विज़न 2041

1.1.1 विज़न है- **"दिल्ली को सतत, रहने योग्य और जीवंत बनाना"**

1.1.2 योजना अवधि में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा:

1.1.2.1 **लक्ष्य 1 (G1):** पर्यावरणीय दृष्टि से संपोषणीय शहर का निर्माण जो अपने नागरिकों के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सके और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सह सके।

1.1.2.2 **लक्ष्य 2 (G2):** भविष्य के लिए तैयार शहर का विकास हो जो कुशल गतिशीलता तंत्र के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता, सस्ता और रहने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करे।

1.1.2.3 **लक्ष्य 3 (G3):** आर्थिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक गतिशील स्थान के रूप में उभरना।

1.1.3 योजना में विविधता को भी स्वीकार किया गया है और यह एक समावेशी शहर बनाने की दिशा में काम करता है जहां सभी को सुविधाएं और अवसर प्राप्त हों।

1.2 2041 के लिए उद्देश्य

1.2.1 यह विजन और लक्ष्य 6 उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे:

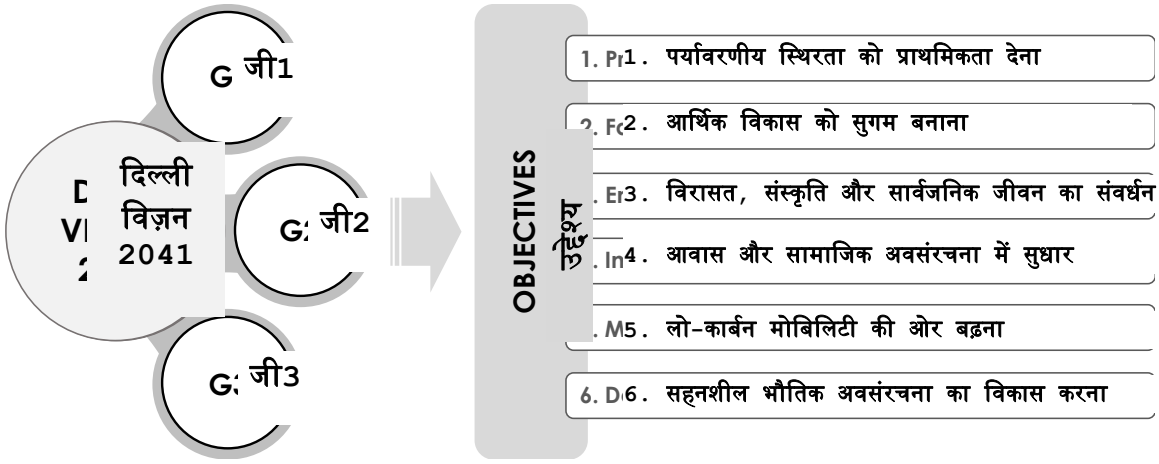

1.2.1.1 **उद्देश्य 1: पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना -** दिल्ली के विकास के लिए पर्यावरणीय मुद्दों तथा प्राकृतिक संपदाओं के कायाकल्प, प्रदूषण को कम करने, निर्मित वातावरण को हरा-भरा करने, शहरी खेती जैसी हरित कार्यकलापो की सहायता करने और प्राकृतिक एवं नियोजित खुले स्थानों के विविध रूप बनाने को प्राथमिकता देना ।

1.2.1.2 **उद्देश्य 2: आर्थिक विकास को सुगम बनाना** - एनसीआर के साथ संबंध सुनिश्चित करते हुए, समग्र निवेश माहौल में सुधार और अनेक प्रकार के कार्य और कार्यस्थलों को सपोर्ट करते हुए स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, दिल्ली के लिए एक अद्वितीय आर्थिक भूमिका निभाना।

1.2.1.3 **उद्देश्य 3: धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन का संवर्धन** – धरोहर और सांस्कृतिक संरचनाओं की सुरक्षा और उनका संवर्धन करना, मजबूत आर्थिक संबंध बनाना तथा सांस्कृतिक अनुभव, पर्यटन एवं सक्रिय सार्वजनिक जीवन के लिए अवसर पैदा करना।

1.2.1.4 **उद्देश्य 4: आवास और सामाजिक अवसंरचना में सुधार** - विभिन्न आय वर्ग और समूह के लोगों की विभिन्न प्रकार की आवास मांगों को पूरा करने के लिए पुरानी निर्मित संरचनाओं के पुनःसुधार को बढ़ावा देना, शहर के घने क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे की माँगों को पूरा करना, और पुरानी इमारतों को सुधारना और पैदल चलने योग्य मिश्रित-उपयोग वाले इलाकों को बढ़ावा देना।

1.2.1.5 **उद्देश्य 5: लो-कार्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देना -** सार्वजनिक परिवहन और साझा परिवहन साधनों का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, घरों और नौकरियों को जन-परिवहन के करीब लाना, वाहनों की भीड़ को कम करना और गतिशीलता के कुशल, सस्ते और हरित विकल्प प्रदान करना।

1.2.1.5 **उद्देश्य 6: सहनशील भौतिक अवसंरचना का विकास करना -** पानी और ऊर्जा जैसे संसाधनों के उपयोग के लिए एक विवेकशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, पर्याप्त और निर्बाध सेवाओं की सुविधा प्रदान करना ताकि यह शहर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तैयार हो और आघातों एवं आपदाओं को सह सके।

1.2.2 यह मास्टर योजना की समर्थकारी नीतिगत फ्रेमवर्क है। विकास कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए इन 6 उद्देश्यों के लिए एक अलग नीति क्षेत्र स्थापित किया गया है। मास्टर योजना की सभी नीतियाँ, स्थानिक विकास कार्यनीतियां और विकास नियंत्रण मानदंड विभिन्न प्रोत्साहन/उपकरण, विनियामक प्रावधान और मार्गदर्शी रूपरेखा बनाने के लिए तैयार किए गए है।

1.2.3 इन 6 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एमपीडी 41 में शामिल प्रमुख विशेषताओं का सारांश:

तालिका 1.0: एमपीडी 2041 की मुख्य विशेषताएँ

समूह	विशेषता	अध्याय संदर्भ
पर्यावरण (उद्देश्य 1)	ग्रीन और ब्लू सम्पदा (प्राकृतिक और नियोजित) को ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रीट करने के लिए व्यापक रूपरेखा बनाना ताकि बेहतर निरंतरता सुनिश्चित हो सके और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कार्यनीतियां।	ENV1, ENV2
	सार्वजनिक इंटरफेस के साथ प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा और संवर्धन	ENV2
	प्राकृतिक नालों के आस-पास नए शहरी स्तर की संपदा-ग्रीनवे, अप्रयुक्त स्थलों और बंजर भूमि को ग्रीन-ब्लू संपदा के रूप में फिर से तैयार करना	ENV2
	योजना स्वीकृति के लिए भूखंडों/भवनों को हरा बनाना और ग्रीन-ब्लू फैक्टर (जीबीएफ) की शुरुआत	ENV2
	पार्कों का सुधार और विशेष क्षमताओं वाले पार्कों के लिए प्रावधान	ENV2
	हरित अर्थव्यवस्थाओं के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित ग्रीन डेवलेपमेंट एरिया।	ENV2, DEV2
अर्थव्यवस्था (उद्देश्य 2)	स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन	ECO
	कार्यनीतिक औद्योगिक संपदा और डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को ज्ञान, वित्त, सेवाओं, संस्कृति या रचनात्मक उद्योगों में परिवर्तन को बढ़ावा देना	ECO
	सेवायुक्त अपार्टमेंट, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास, स्टार्ट-अप हब, साझा कार्यस्थल, ई-कॉमर्स, आदि जैसी सहायक सुविधाओं के लिए सरल मानदंड	ECO

	पुनःसुधार के लिए प्रोत्साहन देकर कार्य-केंद्रों का आधुनिकीकरण	ECO
	शहर के प्रवेश बिंदुओं के आतिथ्य, संभारिकी और माल ढुलाई, स्वास्थ्य और शिक्षा हब के रूप में बढ़ावा देना	ECO, DEV3
	कचरा निपटान -कर्मी, घरेलू उद्योग, सड़क पर सामान बेचने वालों सहित अन्य असंगठित कार्यकलापों के लिए सहायता	ECO
धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन (उद्देश्य 3)	धरोहर क्षेत्र, पुरातात्विक पार्क और सांस्कृतिक परिसरों के रूप में सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान	HCP2
	पहचान किए गए क्षेत्रों और सांस्कृतिक परिसरों के भीतर संरक्षण, पुनःसुधार और अनुकूल पुन: उपयोग के लिए प्रावधान	HCP2
	धरोहर टीडीआर (TDR) की शुरुआत	HCP2
	सक्रिय फ्रंटेज, चौक और प्लाजा, सड़क सुधार, सार्वजनिक स्थलों पर पैदल चलने योग्य स्थान बनाने की योजनाओं का कार्यान्वयन और सुरक्षा	HCP1
आश्रय (शेल्टर) और सामाजिक अवसंरचना (उद्देश्य 4)	नियोजित और अनियोजित क्षेत्रों का पुनःसुधार	SSI1, DEV3
	किराये की आवास व्यवस्था, छोटे मकानों और सस्ते आवास (विशेष रूप से विशाल परिवहन तंत्र के करीब) को बढ़ावा देना	SSI1
	कार्य या शिक्षा केंद्रों के करीब कोंडोमिनियम, हॉस्टल, छात्र हेतु आवास, कामगार आवास आदि की व्यवस्था	SSI1
	नए उपयोगों और भावी जरूरतों के लिए सामाजिक अवसंरचना हेतु मानदंडों और श्रेणियों का सरलीकरण। उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए मिश्रित उपयोग, वर्टिकल मिक्सिंग और बहु-सुविधा वाले प्लॉट	SSI2
	घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सुविधा-एफएआर और मानदंडों की कम संख्या जैसे उपायों की शुरुआत	SSI2, DEV3
गतिशीलता (उद्देश्य 5)	गतिशीलता के प्रबंधन के लिए एकीकृत संस्थागत ढांचा	MOB1
	जन परिवहन के अनुरूप पारगमन उन्मुख विकास	MOB2, DEV4
	कार्यनीतिक गतिशीलता के गलियारों की पहचान।	MOB1
	पैदल चलने और साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना।	MOB3
	इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य हरित गतिशीलता के विकल्पों को मुख्यधारा में लाने को प्रोत्साहित करना	MOB1
	सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्थान चिह्नित करने, पार्किंग और पार्किंग प्रबंधन के अनुसार भिन्न भिन्न पार्किंग मानदंड	MOB4
	मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन (मल्टी-मोडल हब के विकास सहित) और यात्रा शुरू करने के स्थान से लेकर गंतव्य स्थान तक कनेक्टिविटी की सुविधा	MOB2, MOB3
भौतिक अवसंरचना (उद्देश्य 6)	दीर्घकालीन जल सुरक्षा के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन और वर्षा जल प्रबंधन के लिए संयुक्त नीति)	INF1
	जलापूर्ति मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना	INF1
	अपशिष्ट जल उपचार का विकेंद्रीकरण, कचरे की रि-साइकलिंग और री-साइकिल किए गए पानी और ठोस अपशिष्ट के अधिकतम पुन: उपयोग के	INF1, INF2

	लिए मानदंड	
	स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग	INF3
	सामुदायिक स्तर पर जल संचयन और भूमिगत जल की पुनर्भरण सुविधाओं की व्यवस्था	INF1
	हरित भवनों को बढ़ावा देना	DEV1-4
	डिजिटल और दूरसंचार अवसंरचना की व्यवस्था	INF3
	आपदा प्रबंधन (भूकंप, आग और बाढ़)	INF4

1.3 एमपीडी-41 के लिए अपनाए गए प्रमुख निर्देश

1.3.1 इस शहर के भावी विकास का पोषण करने और विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन में आसानी और लचीलापन लाने के लिए 5 प्रमुख दिशा-निर्देशों को कार्यनीतिक रूप दिया गया है।

1.3.2 **समग्र स्थानिक विकास::** इस योजना में एकीकृत स्थानिक विकास कार्यनीति का प्रावधान किया गया है जिसमें घनत्व के परिवर्तनीय वितरण और एफएआर शामिल हैं जो शहरी केंद्र से निकटता, पर्यावरणीय भेद्यता, विशाल सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, और यहाँ रहने, काम करने, मनोरंजन एवं जन जीवन के भावी केंद्र के रूप में अनुकूल संभावनाओं जैसे कारकों पर आधारित हैं। प्रस्तावित विकास स्पेक्ट्रम नीचे दिया गया है:

अधिक एफएआर मध्य/उच्च घनत्व पारगमन उन्मुख विकास योजनाएं केन्द्रीय व्यवसाय जिला नियोजित तथा अनियोजित क्षेत्रों के लिए शहरी पुनः सुधार योजनाएं	**मध्य एफएआर / मध्य घनत्व** लैंड पूलिंग के माध्यम से नए क्षेत्रों का विकास
प्रतिबंधित विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र	**निम्न एफएआर निम्न घनत्व** हरित विकास के लिए निर्धारित क्षेत्रों के अंदर विकास

1.3.3 **विकास के लिए कार्यनीतिक दृष्टिकोण**: इस योजना में कुछ कार्यनीतिक विकास केंद्रों/कॉरीडोर की पहचान की गई है जहां उच्च एफएआर आदि जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। यह भावी विकास के संभावित केंद्रों में लक्षित निवेश करने में सहायक होगा और पानी जैसे सीमित संसाधनों पर दबाव को कम करेगा। हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का कार्यान्वयन इस दृष्टिकोण में सहायक होगा जो कार्यनीतिक और आवश्यक अवसंरचना वाले क्षेत्रों/गलियारों के भीतर शहर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त अप्रयुक्त एफएआर को केंद्रित करते हुए संभव होगा।

1.3.4 **स्थान/भूमि के सर्वोत्तम उपयोग के लिए मिश्रित उपयोग विकास**: इस योजना में एकल-कार्यात्मक भूमि उपयोग योजना से हटकर मिश्रित उपयोग अपनाने का एक बड़ा बदलाव किया गया है। भूमि-आधारित वितरण से हटकर निर्मित स्थान आधारित दृष्टिकोण विकसित हुआ है जिसमें शहर भर में संगत उपयोगों के मिश्रण और सह-अवस्थिति की व्यवस्था होगी और जहां भवनों के भीतर वर्टिकल मिश्रित उपयोग भी शामिल होगा। यह

मौजूदा क्षेत्रों के भीतर सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा। मिश्रित उपयोग के विकास से यात्रा दूरी में कमी आएगी, जीवंत और सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र सुनिश्चित हो पाएंगे।

1.3.5 **विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी**: इस योजना में विभिन्न हितधारकों की संयुक्त कार्रवाई (पूलिंग, विलयन, संयुक्त योजना और निष्पादन) से निजी क्षेत्र के नेतृत्व में किए जाने वाले विकास को बढ़ावा दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक बदलाव है जहां नए क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ पुराने ब्राउनफील्ड क्षेत्रों के उत्थान को निजी पहल से लागू किया जाएगा।

1.3.6 **केपीआई-आधारित योजना की निगरानी**: इस योजना में एक मजबूत निगरानी ढांचा प्रदान किया गया है जो 20 प्रमुख निष्पादन संकेतकों के माध्यम से शहरी स्तर के बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति का जायज़ा लेना सुसाध्य करेगी। इससे निगरानी का फोकस परिसंपत्तियों के निर्माण से हटकर प्रभावों के आकलन पर आ जाएगा। उदाहरणार्थ संस्थापित किए गए एसटीपी की निगरानी के बजाय, यह योजना जलाशयों में प्रदूषण की स्थिति का आकलन करेगा। इससे कार्यनीतियों और कार्रवाइयों के लिए समय-समय पर त्रुटि-सुधार भी संभव हो पाएगा। (देखें: पीएमई)

खंड 1

पर्यावरण

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

दिल्ली शहर का एक अद्वितीय पर्यावरणीय परिदृश्य है। एक ओर तो यमुना नदी, अरावली रिज, जलाशयों, जंगलों आदि के रूप में प्रचुर और विविध पर्यावरणीय संपदा है; और दूसरी ओर, यह शहर लगातार पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझता है।

पर्यावरणीय संपदा – ग्रीन एंड ब्लू

इस शहर ने हरियाली बढ़ाने में तेजी से प्रगति की है जो पिछले दो दशकों में, 2001 के 150 वर्ग किमी. से बढ़कर 2017 में 300 वर्ग किमी. तक लगभग दोगुनी हो गई है। इस समय, यह प्राकृतिक और नियोजित हरियाली के साथ देश के सबसे हरे शहरों में शामिल है। वन विभाग, जीएनसीटीडी के अनुसार, लगभग 20% भूमि क्षेत्र हरित कवर के तहत है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के वर्गीकरण के आधार पर, दिल्ली में तीन प्रकार के वन हैं। रिज लगभग 7784 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक आरक्षित वन है जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली का लगभग 5.2% हिस्सा बैठता है। रिज को मुख्य योजना में एक क्षेत्रीय पार्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां बहुत सीमित विकास-कार्य और गतिविधियों की अनुमति दी गई हैं। दूसरी श्रेणी में 26 संरक्षित वन शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1658 हेक्टेयर है। तीसरा, 40 अवर्गीकृत वन (लगभग 1090 हेक्टेयर) जिन्हें वन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा शहरी वनों (सिटी फॉरेस्ट) के रूप में बनाए रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, 18,000 से अधिक पार्क और उद्यान हैं, जो शहर के हरित अनुपात को बढ़ाते हैं और कुल खुले क्षेत्र एवं हरित स्थानों का कुल क्षेत्र 30% के करीब तक ले जाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए, डीडीए ने विभिन्न क्षेत्रों में सात समर्पित जैव विविधता पार्क विकसित किए हैं जो शहरी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं।

दिल्ली में हरित संपदा (ग्रीन एसेट) का वितरण असमान है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में इसकी पैठ असमान है। कुछ ऐसे घने क्षेत्रों में हरियाली की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जहाँ प्रति व्यक्ति हरियाली देश में सबसे कम है। चिंता का एक और क्षेत्र हरियाली की गुणवत्ता है, क्योंकि प्राकृतिक हरियाली के क्षेत्र आक्रामक और विदेशी प्रजातियों के पेड़ों से घिरे होते हैं जो भूमि को अपघटित करते हैं; और इसलिए, इनके स्थान पर देशी पेड़ लगाए जाने चाहिए।

दिल्ली में नीली संपदा (ब्लू एसेट) भी प्रचुर है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यमुना नदी है जिसका शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। शहर में 4000 से अधिक प्राकृतिक और निर्मित नाले हैं, जिनमें से 200 प्राकृतिक नाले नजफगढ़, ट्रांस यमुना और बारापुल्ला के तीन जल निकासी बेसिन में फैले हुए हैं। दिल्ली पार्क और गार्डन सोसायटी के अनुसार दिल्ली में झीलों, तलैया और तालाबों के रूप में 900 से अधिक जलाशय हैं। हालांकि, अतिक्रमण, प्रदूषण और जलाशयों के प्राकृतिक रूप से सूखने के कारण पिछले एक दशक में नीली संपदा का क्षेत्र कम हो गया है। नीली संपदा का कायाकल्प करना शहर में प्रमुख आवश्यक कार्यों में से एक है।

पर्यावरणीय प्रदूषण

दिल्ली के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण पूरे वर्ष में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा इसकी भौगोलिक सीमाओं के बाहर से आता है, जिसका अर्थ है कि क्षेत्रीय स्तर की कार्रवाई की जानी आवश्यक होगी। घरेलू (शहर के भीतर) पीएम 2.5 प्रदूषण गर्मियों और सर्दियों के दौरान क्रमशः 26% और 36% है, जिसमें से 45% धूल की वजह से है (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय)। यह निर्माण गतिविधियों के दौरान धूल प्रबंधन की आवश्यकता और घने वन आवरण को बढ़ाने को रेखांकित करता है। दिल्ली में कुल वायु प्रदूषण का 20% परिवहन क्षेत्र से आता है। शेष वायु प्रदूषण घरों, कचरा जलाने, उद्योग और डीजल जनरेटर सेट से उत्सर्जित होता है।

यमुना और अन्य जलाशयों में जल प्रदूषण के परिणामस्वरूप जलीय जीवन का लोप हो गया है और जल पारिस्थितिकी अस्त-व्यस्त हो गई है। दिल्ली में वज़ीराबाद से ओखला तक यमुना का 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा, जो नदी की लंबाई का 2% से कम है, नदी में प्रदूषण के लगभग 70% के लिए जिम्मेदार है। बारहमासी नदी होने के बावजूद, यमुना में शुष्क मौसम में वज़ीराबाद से आगे की ओर कोई ताजा जल प्रवाह नहीं है। नदी में हो रहे जल-प्रवाह में नालों के माध्यम से बहने वाला उपचारित और अनुपचारित अपशिष्ट जल शामिल हैं जो नदी में गिरता है। साहिबाबाद, शाहदरा, इंद्रापुरी, और तेहखंड नालों सहित जो 24 मुख्य नाले नदी में अधिकांश प्रदूषित बहिर्वाह के लिए जिम्मेदार हैं, उन नालों की निगरानी डीपीसीसी द्वारा की जाती है। नदी के प्रदूषण को रोकने की कार्यनीतियों में बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण या प्रदूषणकारी गतिविधि से पारिस्थितिक क्षति और बाढ़ के जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।

शोर का स्तर डीपीसीसी द्वारा निगरानी किए गए सभी स्थानों पर दिन और रात दोनों के दौरान निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है। 2017 में वर्ल्डवाइड हियरिंग इंडेक्स द्वारा दिल्ली को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शोर करने वाला शहर माना गया था।

शहर के विभिन्न स्थानों पर वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और सरकार द्वारा प्रदूषण, जो जन स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, को दूर करने के लिए कई कार्यनीतियों को अपनाया जा रहा है। एक

स्वच्छ, स्वस्थकर और समृद्धशाली प्राकृतिक वातावरण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने, शहर को प्रतिरोधक बनाने और निवासियों को अधिक रहने योग्य और टिकाऊ आवास प्रदान करने में मदद करेगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय और राज्य कानून और विनियम के साथ दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा मजबूत है। नियमों का कड़ाई से प्रवर्तन को सुनिश्चित करने, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने, मात्रा, गुणवत्ता और पहुंच के मामले में दिल्ली के ग्रीन-ब्लू हिस्से को बढ़ाने हेतु तैयार की जाने वाली रणनीतियों का मिश्रण, दिल्ली की समृद्ध और विविध पारिस्थितिकीय धरोहर की रक्षा करेगा और इनके पोषण के लिए एक सक्षम वातावरण बनाएगा।

इस भाग में निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं:

ENV1: **प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूंढना**
ENV2: **ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना**

2.0 प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूंढना

अध्याय कोड
ENV1

2.1.1 वायु और जल प्रदूषण का बड़ा भौगोलिक प्रभाव पड़ता है। इन मुद्दों को व्यापक रूप से सुलझाने के लिए बहु-राज्य स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर, सदस्य राज्यों को क्षेत्रीय योजना के और पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण होगा तथा प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक कार्यों को शुरू करना होगा।

2.1.2 इसी प्रकार, यह सुनिश्चित करके कि कोई गैर-संसाधित अपशिष्ट जल और औद्योगिक अपशिष्ट जल जलाशयों में नहीं छोड़ा जाता है जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है, संबंधित राज्य सरकारों को प्रदूषण को कम करने की दिशा में यमुना नदी में पर्याप्त पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखना चाहिए।

2.1.3 संबंधित राज्य सरकारों को बायोमास जलने, प्रदूषणकारी उद्योगों, वाहनों के उत्सर्जन, ईंट-भट्टे, कोयला आधारित बिजली संयंत्र आदि जैसे प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित विनियमों और मानकों का पालन करना चाहिए।

2.1.4 दिल्ली को प्रदूषण के आंतरिक स्रोतों की समस्या का समाधान करने और जन-स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को कम करने की आवश्यकता है। प्रदूषण के कारण और इसके शमन के उपायों का जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के साथ निकट संबंध है इसीलिए अधिकांश कार्यनीतियां इन दोनों क्षेत्रों के लिए सह-लाभ प्रदान करेंगी। पर्यावरणीय मापदंडों में दीर्घकालिक सुधार के लिए बेहतर हरित आवरण हेतु और स्वच्छ उद्योगों, कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों, सतत आवाजाही, हरित भवनों आदि को बढ़ावा देने के लिए अनेक सहायक कार्यनीतियों की आवश्यकता होगी। यह अध्याय निम्नलिखित के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है:-

i. स्थानीय स्रोतों से वायु, जल और ध्वनि का कम प्रदूषण
ii. जलवायु-संबंधी मुद्दों के प्रभावों का सामना करने की क्षमता में सुधार

2.2 बेहतर हरियाली के लिए कार्यनीतियाँ

2.2.1 ग्रीन एंड ब्लू संपदा हवा, शोर, पानी के साथ-साथ मिट्टी के प्रदूषण को भी सोख सकती है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है जैसे वर्षा के पैटर्न को विनियमित करना, शहरी गर्मी और बाढ़ को कम करना आदि। दिल्ली की ग्रीन-ब्लू अवसंरचना में सुधार लाने के लिए व्यापक कार्यनीतियां और कार्रवाइयां **ENV**2 में वर्णित हैं। इसके अलावा, दिल्ली की परिधि पर हरित बफर बनाए रखने और क्षेत्रीय स्तर के प्रदूषण सिंक बनाने की कार्यनीतियों का वर्णन DEV2 में किया गया है।

2.3 स्वच्छ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना

2.3.1 **अनुलग्नक** 1 **में दी गई सूची के अनुसार** प्रदूषणकारी उद्योगों को दिल्ली के भीतर प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संबंधित प्राधिकारियों के निर्देशों के आधार पर, सूची को समय-समय पर जीएनसीटीडी और डीडीए द्वारा अद्यतन किया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा एक संयुक्त कार्य योजना विकसित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानांतरित कर दिया जाए या उनके स्थान पर अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएं। गैर-प्रदूषणकारी आर्थिक गतिविधियां, जैसे कि सेवा उद्योग और स्वच्छ विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा जैसाकि **ईसीओ** में वर्णित है।

2.4 वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना

2.4.1 इस शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण का बड़ा योगदान है। दैनिक वाहनों की यात्रा की संख्या को कम करने और सार्वजनिक परिवहन एवं सक्रिय यात्रा मोड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्यनीति MOB**2 और** MOB**3 में दी गई है।** मुख्य कार्यनीतियों में ये शामिल हैं:

i) कार्यस्थलों एवं घरों को परिवहन नेटवर्क के करीब लाकर औसत यात्रा लंबाई को कम करने के लिए और मिश्रित-उपयोग और ट्रांज़िट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) को अपनाना।

ii) सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सुधार करना और प्रोत्साहित करना, बहु-मोडल हब का निर्माण और विनियामक उपाय जैसे कि कंजेशन प्राइसिंग आदि करना।

iii) पैदल चलने, साइकिल चलाने और इलैक्ट्रिक वाहनों के अवसंरचना (ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार करके हरित आवा-जाही और सक्रिय यात्रा साधनों को बढ़ावा देना।

iv) सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ आईपीटी और अन्य साझा साधनों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देकर हरित ईंधन अपनाना।

2.5 अन्य कार्यनीतियाँ

2.5.1 जलाशयों और भूमिगत जल के प्रदूषण को प्राथमिकता देकर समाधान किया जाएगा:

i) यमुना नदी और विभिन्न प्राकृतिक नालों, झीलों और बावलियों के संबंध में जल गुणवत्ता में सुधार करने का कार्य शुरू किया जाएगा जिसे आसपास के विकास-कार्य से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्ट जल के बहिर्वाह पर रोक लगाकर किया जाएगा। सम्बन्धित एजेंसियां इस बारे में परियोजना कार्रवाई को लागू करेंगी।

ii) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी) के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि जहाँ तक व्यवहार्य हो, प्राकृतिक गैर-मशीनीकृत प्रणालियों का उपयोग करके मौजूदा प्रदूषकों को समयबद्ध तरीके से हटाया जाए।

iii) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा प्रयोज्य प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के अनुसार पूरे नाले की समय-समय पर जल-गुणवत्ता के संबंध में निगरानी की जाएगी।

2.5.2 ठोस अपशिष्ट के गैर-विनियमित डंपिग और निपटान से भूमि और जल प्रदूषण होता है, इन्हें निम्नलिखित कार्यनीतियों द्वारा विनियमित किया जाएगा **(देखें**: INF2):

i) शहर की किसी भी पर्यावरणीय संपदा में ठोस और तरल कचरे की डंपिंग को संबंधित एजेंसियों द्वारा सख्ती से निषिद्ध किया जाएगा और दंडित किया जाएगा।

ii) स्रोत बिंदु पर कचरे का पृथक्करण किया जाएगा।

iii) स्थानीय निकाय खुले क्षेत्रों में आयोजित बड़े सार्वजनिक समारोहों और त्यौहारों में उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए एक तंत्र विकसित करेंगे।

iv) कचरे के पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग प्रथाओं को विभिन्न विकास योजनाओं का हिस्सा बनाकर मुख्यधारा में लाया जाएगा।

2.5.3 देशज पीएम 2.5 का 45% धूल के कारण है। निर्माण उद्योग इस मुद्दे का समाधान करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। यह देखते हुए कि काफी भवन निर्माण कार्य लैंड पूलिंग क्षेत्रों में और पुनःसुधार परियोजनाओं के अंतर्गत किए जाने की संभावना है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

i) सभी विकास परियोजनाएं निर्माण सामग्री और सीएंडडी कचरे को संभालने में धूल कम करने के उपायों का कड़ाई से अनुपालन करेंगी। सीपीसीबी अथवा किसी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार धूल प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेंगी। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण स्थलों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

2.5.4 निम्नलिखित शमन उपाय शहर भर में अपनाए जाएंगे और शहर में चिह्नित प्रदूषण, बाढ़ या तापन के मुख्य स्थानों (हॉटस्पॉट) के भीतर प्राथमिकता के आधार पर लागू किए जाएंगे:

i) जहां भी संभव हो, वहां फुटपाथ, सड़कों और छतों का निर्माण/ लेपन उच्च प्रकाशानुपात (एलबीडो) वाली हल्के रंग की सामग्री के साथ किया जाएगा। यह स्थानीय तापमान को 3-5 डिग्री तक कम कर सकता है।

ii) सड़क भाग में वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उपयुक्त पेड़ और बफर शामिल होंगे। जल-भराव को कम करने के लिए सतत शहरी जल निकासी घटकों जैसे जैव-झुरमुट (बायोस्वेल), रेन गार्डेन आदि (फ्लाईओवर के नीचे अवशिष्ट क्षेत्रों सहित) को भी शामिल किया जाएगा।

iii) पेड़ों और पौधों की मूल प्रजातियां जो प्रदूषण फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें हरियाली बढ़ाने की विभिन्न पहलों में शामिल किया जाएगा। मियावाकी वन, स्मॉग अवशोषण टॉवर और अन्य तकनीकी समाधान भी प्रदूषण के मुख्य स्थानों में प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाए जा सकते है।

iv) उच्च ग्रीन-ब्लू कारक (जीबीएफ) मान अर्थात चिरकालिक प्रदूषण स्थान (क्रोनिक पॉल्यूशन हॉटस्पॉट) के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में भावी विकास के लिए उच्चतर हरियाली-अपेक्षाएं निर्धारित की जा सकती है। इसी तरह, शहर में बाढ़ के हॉटस्पॉट् के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में तल कवरेज को सीमित किया जा सकता है और सोखने वाली सतह संबंधी अपेक्षाओं को बढ़ाया जा सकता है।

v) सभी नए विकास-कार्यों में अस्पताल, स्कूल, वृद्धाश्रम आदि जैसी सुविधाएं तेज़ गति वाले यातायात गलियारों से दूर निर्मित किए जाएंगे।

vi) ध्वनि प्रदूषण कार्य योजना जीएनसीटीडी द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम (2000) या सरकार द्वारा सुझाए गए किसी अन्य मार्गदर्शन ढांचे के आधार पर तैयार और कार्यान्वित की जा सकती है। शहर में ध्वनि प्रदूषण निगरानी केंद्रों की संख्या और प्रसार को बढ़ाया जा सकता है और ध्वनि प्रदूषण केंद्रों में तत्काल राहत के लिए शोर में कमी के उपयुक्त उपाय (वृक्षारोपण या शोर अवरोध) किए जा सकते हैं।

2.5.5 डीपीसीसी द्वारा पर्यावरणीय मापदंडों पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत निगरानी ढांचा स्थापित किया जा सकता है:

i) इस तरह की निगरानी से एकत्र किए गए डेटा को नियमित रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर प्रकाशित किया जाएगा ताकि इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वायु प्रदूषण और शोर के स्तर जैसे मापदंडों, हरित क्षेत्रों और जलाशयों आदि में ठोस और तरल कचरे की अवैध डंपिंग पर सूचना अनेकानेक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। यह डेटा मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्राप्त साक्ष्यों में सहायक हो सकता है और प्रदूषण के स्रोतों और अपेक्षित कार्रवाई की एक सूक्ष्म स्थानिक समझ दे सकता है।

2.5.6 प्रदूषण के प्रबंधन में नागरिक और अन्य हितधारक स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी संबंधित एजेंसियां जागरूकता बढ़ाने के लिए और पर्याप्त और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगी ताकि हितधारकों को कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में शामिल किया जा सके।

--- x --- x ---- x --- x ---

अध्याय कोड
ENV2

3.0 ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना

3.1.1 दिल्ली देश के सबसे हरे शहरों में से एक है जहां अरावली रिज, यमुना, वनों, धाराओं, नालों, झीलों और आर्द्रभूमि तथा साथ ही मानव निर्मित संपदा जैसे पार्क, *मैदान*, तालाब, *बावलियों* आदि के रूप में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक 'ग्रीन सम्पदा' और 'ब्लू सम्पदा' विद्यमान है। समस्त 'ग्रीन एंड ब्लू सम्पदा' और उनका अंतःसंबंधित नेटवर्क शहर की एक आवश्यक बुनियादी ढांचा परत है जो नागरिकों को आनंद के लिए खुली जगह प्रदान करता है और जैव विविधता, लघु जलवायु-क्षेत्र (माइक्रोक्लाइमेट) एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए बड़े नेटवर्क लाभ भी देता है। मुख्य योजना में इस शहर में 'ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर' के एकीकृत प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा दी गई है जिसमें वृद्धि की परिकल्पना की गई है:

i) प्राकृतिक ग्रीन-ब्लू सम्पदा के तहत आने वाले कुल क्षेत्र।
ii) शहर में नई परियोजनाओं के अंतर्गत नियोजित हरित स्थान।

3.1.2 प्लान अवधि में निम्नलिखित चार-आयामी दृष्टिकोण लागू किया जाएगा, जिसमें मौजूदा प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित और संवर्धित करने, शहरी-स्तर पर नई संपदाएँ बनाने और निर्मित पर्यावरण के भीतर ग्रीन-ब्लू अनुपात में वृद्धि करने के सम्मिलित प्रयास होंगे। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगेः

i) पर्यावरणीय – प्रति व्यक्ति अधिक हरियाली, समृद्ध जैव विविधता, कम तापन और बाढ़, प्रदूषण में कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर प्रतिरोधकता;

ii) स्वास्थ्य - रहने का स्वच्छ वातावरण, सक्रिय जीवन शैली, बीमारियों और रोगों (मानसिक स्वास्थ्य सहित) का कम बोझ और जीवन की गुणवत्ता में सुधार;

iii) सामाजिक-सांस्कृतिक – अधिक पर्यावरणीय जागरूकता और प्रकृति के साथ लोगों का घनिष्ठ संबंध, आराम, शारीरिक और सामाजिक गतिविधि के लिए स्थानों की उपलब्धता;

iv) आर्थिक - निवेश गंतव्य के रूप में अधिक आकर्षण, बेहतर उत्पादकता, स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च, शहरी खेती जैसी हरित अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना आदि।

3.2 प्राकृतिक ग्रीन एंड ब्लू सम्पदा का संरक्षण और सुधार

3.2.1 शहर में कई प्राकृतिक संपदाएं जैसे नदी, रिज, नाले और जलाशय पहले से ही संबंधित एजेंसियों द्वारा 'संरक्षित' या 'आरक्षित' क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए गए हैं।

i) 'खंड 3.5.1 में वर्णित ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटाबेस के लिए जीएनसीटीडी और स्थानीय निकायों द्वारा डीडीए को परिसीमन सीमाओं के साथ 'पर्यावरण संरक्षण के तहत क्षेत्र' प्रदान किया जाएगा। यमुना के मामले में, परिसीमन में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिदेशित 25 वर्ष में 1 बाढ़ प्रभावित मैदान या किसी अन्य मानदंड को शामिल किया जाएगा।

ii) ऐसे स्थलों के भीतर केवल सीमित विकास की अनुमति दी जाएगी (**देखें**: DCN)।

3.2.2 ऐसे स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक कार्यनीतियों को लागू किया जाएगा।

क) **चारदीवारी की सुरक्षा**: संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्धारित बाड़ या चारदीवारी का निर्माण करके अथवा पैदल/साइकिल पथ की व्यवस्था करके।

i) चारदीवारी के विकल्प के रूप में पर्यावरण-अनुकूल सामग्री / तकनीक जैसे कि वनस्पति के साथ अर्थ-बर्मिंग का यथासंभव उपयोग करना;

ii) ऐसे स्थानों पर बाड़/दीवारें बनाने से बचा जाएगा जहां सीमाएं स्पष्टत: सड़कों, बंध या प्राकृतिक रूपों द्वारा सीमांकित हों।

ख) **संपदा की गुणवत्ता में सुधार:**

i) आक्रामक और विदेशी प्रजातियों के ऐसे पेड़ों की वृद्धि पर रोक लगाना जो भूमि क्षरण करते हैं या जल पारिस्थितिकी को खराब करते हैं। इनके स्थान पर स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों को रखा जाएगा जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है और/या प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी हैं तथा जो जलाशयों की स्थिति को बहाल करने के लिए उपयुक्त जलीय प्रजातियां हैं।

ii) चिह्नित क्षेत्रों में व्यवहार्यता के अनुसार वनरोपण और वृक्ष प्रत्यारोपण शुरू किया जा सकता है; यह सुनिश्चित करते हुए कि देशी प्रजातियां क्षेत्र और मिट्टी की विशेषताओं के अनुकूल हैं।

iii) सभी पर्यावरणीय संपदाओं की स्थिति की समय-समय पर निगरानी की जाएगी और संबंधित एजेंसियों द्वारा संपदाओं को प्रदूषण-मुक्त रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे और यदि कोई कमी हो, तो उन्हें दूर किया जाएगा।

iv) यमुना और अरावली रिज के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जैव विविधता को बढ़ाना।

v) दिल्ली जल बोर्ड, आईएंडएफसी और अन्य संबंधित एजेंसियां शहर में नदी और झीलों की कायाकल्प-प्रक्रिया को लागू करेंगी। दिल्ली जल बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार, पर्याप्त मात्रा में उपचारित अपशिष्ट जल को नदी में डिस्चार्ज किया जाए ताकि निर्धारित पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखा जा सके और उपचारित अपशिष्ट जल को झील/जलाशय की कायाकल्प परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

ग) **प्रकृति के साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ाना**: प्राकृतिक पर्यावरण को खतरे में डाले बिना विकसित मनोरंजन स्थलों तक सार्वजनिक पहुँच की अनुमति दी जाएगी।

i) विशिष्ट क्षेत्रों और मार्गों को 'इंटरेक्टिव जोन' के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

ii) इन क्षेत्रों के भीतर सक्रिय/निष्क्रिय मनोरंजन, व्यायाम/ योग, प्रकृति कक्षाएं, पर्यावरण अनुसंधान, पिकनिक, शिविर, जैव विविधता पर्यटन आदि जैसे अस्थायी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। शौचालय, पेयजल फव्वारे, विश्राम स्थल, आगंतुक सूचना केंद्र आदि जैसी सुविधाएं, जहां भी आवश्यक/संभव हो, प्रदान की जाएंगी।

iii) पारिस्थितिक दृष्टि से किसी भी महत्वपूर्ण/संवेदनशील विशेषताओं वाले या क्षेत्रों (चट्टानी बहिर्वाह, जलाशय, नीड़न क्षेत्र आदि) में जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2.3 **यमुना और उसके बाढ़ के मैदानों के कायाकल्प के लिए विशेष पहल**: किसी भी नदी शहर की तरह, दिल्ली का इतिहास और सांस्कृतिक लोकाचार यमुना और इसके बाढ़-मैदानों से जुड़ा हुआ है। दि.वि.प्रा. द्वारा तैयार और संचालित व्यापक नदी विकास योजना एक बहु-एजेंसी पहल होगी जो केवल सीमित विकास-कार्य के साथ बाढ़-मैदानों के संरक्षण का मार्गदर्शन करेगी।

i) नदी के समस्त किनारे के साथ-साथ जहां भी संभव हो, 300 मीटर चौड़ा हरित बफर बनाया जा सकता है। जंगली घास या अन्य उपयुक्त वनस्पति भू-आवरण नदी के किनारे से 25-30 मीटर तक लगाया जाएगा और इस ग्रीन बेल्ट के अलावा भी पेड़ लगाए जा सकते है।

ii) नदी-जन जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा सार्वजनिक उपयोग के लिए तटबंधों के साथ-साथ 75-100 मीटर चौड़े हरित-पथ विकसित करके किया जाएगा जिसमें नदी के पास साइकिल चलाने और पैदल चलने के रास्ते तथा निष्क्रिय गतिविधियों के लिए अन्य स्थानों की व्यवस्था करके किया जाएगा। बाढ़-मैदानों में किसी भी स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। (देखें: **DCN**)

iii) सामाजिक-सांसकृतिक गतिविधियों की केवल विशेष रूप से चिह्नित स्थानों में ही अनुमति दी जाएगी। बाढ़ के मैदानों में कृषि-कार्य की अनुमति देने के लिए विशिष्ट स्थानों की पहचान की जा सकती है। नदी पर इन गतिविधियों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को उचित विनियमन द्वारा कम किया जाएगा जैसेकि पूजा सामग्री के निपटान, मूर्तियों के विसर्जन, उर्वरकों के उपयोग, कचरा निपटान आदि के संबंध में विनियमन। केवल घाट जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में सीमित निर्माण की अनुमति दी जाएगी। अवैध निर्माण, बाढ़-मैदानों और नदी में सीवेज या मलबा डालने को रोकने के लिए वास्तविक तौर पर और सीसीटीवी निगरानी द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नदी में अनुपचारित सीवेज/अपशिष्ट जल निकासी की अनुमति नहीं होगी। (देखें: **INF1**)

iv) पारिस्थितिक-तंत्र (इको-सिस्टम) का पुनरुद्धार मौजूदा आर्द्र भूमि (वेटलैंड) की गाद निकालकर और उन्हें बाढ़ का पानी ग्रहण करने के लिए तैयार करके तथा नए वेटलैंड विकसित करके एवं भंडारण बेसिनों में मौजूदा गड्ढों को और गहरा करके किया जाएगा।

v) संबंधित एजेंसियां यमुना और इसके बाढ़ के मैदानों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों और मीडिया का उपयोग करेंगी।

3.2.4 **पर्यावरणीय-सांस्कृतिक संपदाओं का संरक्षण:** दिल्ली में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जो ग्रीन एंड ब्लू संपदा के भीतर या निकट स्थित हैं। पुरातत्व पार्क ऐसी पर्यावरणीय-सांस्कृतिक संपदा का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। ऐसी पर्यावरण-सांस्कृतिक संपदा को संरक्षित और विकसित करने के लिए सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजनाएं (सीआरएमपी) तैयार की जानी चाहिए। संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐतिहासिक उद्यानों, जल संरचनाओं (बावली, कुएं, तालाब) इत्यादि के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया जाना चाहिए जल-तंत्र और जलभर (एक्वीफायर) के साथ खो चुके संबंध फिर से कायम किए जाने चाहिए। **(देखें:** HCP2**)**

3.2.5 **दिल्ली के पेड़ों की रक्षा**: संबंधित एजेंसियों द्वारा उनके अपने क्षेत्रों के लिए एक वृक्ष निर्देशिका (ट्री डायरेक्टरी) तैयार की जाएगी जिसमें अद्वितीय वृक्ष गलियारे या परिसर, विरासत वृक्ष, उच्च कार्बन भंडारण के परिसर और अधिग्रहण दरों आदि को चिह्नित किया जाएगा। ऐसे पेड़ों/पेड़ों के समूहों को स्वदेशी वृक्षों के रोपण के संदर्भ में संरक्षित और नियंत्रित किया जाएगा और सांस्कृतिक पथ/ प्राकृतिक पथ आदि के साथ एकीकृत किया जाएगा।

3.2.6 **निकटवर्ती विकास-कार्य के प्रभाव को कम करने के उपाय**: पर्यावरण संरक्षण के तहत क्षेत्रों से सटी परियोजनाओं पर निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः

i) नालों या जलाशयों के साथ स्थित सभी ग्रीनफील्ड और पुनरुद्धार परियोजनाएं नाले/जलाशय के किनारे से 10 मीटर का न्यूनतम अनिवार्य बफर बनाए रखेंगी। यदि संभव हो तो स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा जमीनी स्थिति देखते हुए अधिक चौड़ा बफर अनिवार्य किया जा सकता है। भूस्वामी शेष भूखंड में पूरे एफएआर का उपभोग कर सकते हैं। बफ़र के लिए भूमि प्रदान करने के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, यदि बफर छोड़ने के बाद शेष भूखंड विकास-कार्य के लिए बेकार हो जाए।

ii) 'पर्यावरण संरक्षण के तहत क्षेत्रों' अथवा उनके बफर में निकटवर्ती विकास-कार्य से आने वाले निर्माण अपशिष्ट या सीवेज/ अपशिष्ट जल की डंपिंग को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा।

iii) भवनों की दिशा इस तरह से तय की जाए कि वे ग्रीन एंड ब्लू संपदा के सामने हों तथा बालकनियों, खिड़कियों, पैदल यात्री के प्रवेश-स्थलों, भू-तल पर व्यावसायिक या सार्वजनिक अहाते आदि के रूप में कार्यशील अग्रभाग बनाए रखा जाए। किसी भी सार्वजनिक स्थान संबंधी अनिवार्य अपेक्षाएं जिन्हें परियोजनाओं के अंतर्गत पूरा किया जाना होता है, का जलाशयों के साथ-साथ सार्वजनिक सैरगाह या पार्कों के रूप में भी प्रदान की जा सकता है।

iv) पर्यावरण संरक्षण के तहत क्षेत्रों के निकट नई परियोजनाओं (निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन (ईआईए) करना अनिवार्य होगा।

3.3 नई ग्रीन-ब्लू संपदा का निर्माण

3.3.1 **शहर की परिधि पर 'हरित विकास'**: हरित पट्टी के गांवों के लिए हरित विकास क्षेत्र नीति (ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी) प्रस्तावित की गई है और इसमें सीमित विकास की अनुमति दी गई है तथा भूमि के पर्याप्त हिस्से को वन क्षेत्र और हरित आवरण बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। है। **(देखें:** DEV2**)**

3.3.2 **शहरी स्तर के हरित गलियारों के रूप में नालों के साथ-साथ हरे बफर (देखें**: DCN**):**

i) नालों के साथ-साथ ऐसी भूमि की पहचान की जाएगी जिसे प्राकृतिक हरे बफर के रूप में बनाए रखा जा सकता है। इस भूमि में सभी नियोजित और अनियोजित क्षेत्रों में स्क्रब भूमि, मौजूदा बफर या बाढ़ के मैदान अथवा खाली सरकारी भूमि शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सभी नई परियोजनाएँ ऐसे बफर की व्यवस्था करेंगी।

ii) संबंधित एजेंसियां नालों के किनारे विकसित किए गए पैदल और साइकलिंग पथ के ज़रिए जुड़ी ग्रीन-ब्लू संपदाओं का शहर-व्यापी नेटवर्क बनाने के लिए ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर का निर्माण करेंगी **(देखें:** MOB3)। नालों के पानी को साफ किया जाएगा और सीवेज या अपशिष्ट जल के बहिर्वाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए उसी स्थान पर जल-उपचार किया जाएगा।.

iii) प्राकृतिक हरे बफ़र को जैव जल निकासी, भूजल पुनर्भरण स्थल के ज़रिए या बाढ़ के पानी को सोखने के स्पंज आदि के रूप में जल-आधारित पारिस्थितिकी के लिए आर्द्रभूमि और दलदल के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन स्थानों पर जहां बफ़र काफी विस्तृत हैं, वहाँ उन्हें पार्क, योग करने के लिए स्थान, दौड़-भाग वाले खेल (बिना औपचारिक बैठने की व्यवस्था के), खुले स्थान पर प्रदर्शनियां, नाटक इत्यादि और वनस्पति-वाटिका, सामुदायिक उद्यान, नौका विहार, रेस्तरां आदि के रूप में सक्रिय सार्वजनिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। विरासत पथ (हेरिटेज ट्रेल) को ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

3.3.3 कम प्रयुक्त स्थलों और बंजर भूमि को ग्रीन-ब्लू संपदा के रूप में फिर से नया रूप देना:

i) ऐसे स्थल जैसे बंद लैंडफिल, बंद ताप विद्युत संयंत्र में ऐश-डाइक, छोड़ दी गई खदान और खान आदि स्थलों में विषाक्तता, मिट्टी की अस्थिर प्रकृति की समस्याएं होती हैं। इन्हें व्यवहार्यता के अनुसार जैव विविधता पार्कों, इको-पार्कों, जलाशयों, आदि में परिवर्तित किया जा सकता है।

ii) संबंधित एजेंसियों द्वारा लैंडफिल पर लेगसी कचरे के प्रसंस्करण/पुन:नवीकरण, औद्योगिक संरचनाओं की निर्मितियों के नए उपयोग और अनुकूली पुन: उपयोग जैसी अपव्यय न करने वाली कार्यनीतियों को अपनाया जा सकता है।

3.3.4 अन्य पहलः

i) **नियोजित हरियाली का प्रावधान**: लैंड पूलिंग क्षेत्रों में, मौजूदा उद्यानों, आर्द्रभूमि, निचले इलाकों को सार्वजनिक पार्कों और जलभर पुनर्भरण तालाबों के विकास के लिए शामिल किया जाएगा ताकि जल निकासी पैटर्न को बनाए रखा जा सके। प्लान द्वारा निर्धारित पुन:सुधार और टीओडी योजनाओं के ज़रिए भी अनिवार्यत: सार्वजनिक हरियाली की जानी होगी। भवनों के भीतर विभिन्न प्रकार के ऊर्ध्व मिश्रित उपयोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि पार्कों और खुले क्षेत्रों के लिए अधिक भूमि मुक्त की जा सके। **(देखें**: DCN)

ii) **सक्रिय मनोरंजन और खेल सुविधाओं का प्रावधान**: खेल सुविधाओं की व्यवस्था ऐसे सुलभ स्थानों पर की जानी आवश्यक है जो सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने और साइकिल चलाने के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़े हुए हों। नई खेल सुविधाएं जैसे स्टेडियम, जिला खेल परिसर, खेल के मैदान, बहुउद्देश्यीय मैदान आदि का निर्माण निवासियों के बीच स्वस्थ जीवन और सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पैरालम्पिक्स सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा खेलों में सक्रिय प्रतिभागिता करने के लिए खिलाड़ियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा।

iii) **विशेष हरियाली परियोजनाएं**: सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा निवासियों के लिए जैव-विविधता पार्क, मनोरंजन पार्क, बच्चों के साहसिक खेलकूद के मैदान, नर्सरी आदि जैसे मनोरंजन के कई विकल्प देने की विशेष परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

iv) **रिचार्जिंग एक्वीफायर्स**: दि.वि.प्रा. और दिल्ली जल बोर्ड उपचारित जल के उपयोग से कृत्रिम जलाशय बनाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण करने के लिए परियोजनाएँ शुरू करेंगे।

v) **सभी क्षमताओं वाले पार्क**: शहर भर में सभी-क्षमता वाले पार्क बनाए जाएंगे, जो अलग से भूमि निर्धारित करके अथवा मौजूदा पार्कों को रेट्रोफिट करके किया जाएगा। इन पार्कों को विशेष रूप से दिव्यांगजन, बुजुर्गों, और देखभाल करने वाले के साथ आए बच्चों एवं शिशुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेलने और मनोरंजक गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

3.4 निर्मित संरचना में ग्रीन-ब्लू सुविधाएं बढ़ाना

3.4.1 स्थानीय स्तर के मौजूदा पार्कों और अन्य नियोजित हरित क्षेत्रों को स्थानीय निकायों/डीडीए या आरडब्ल्यूए/एमटीए (मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन), समुदाय आदि द्वारा निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्रवाई करके सुधारा जाएगाः

क) **जल संवेदी शहरी डिजाइन**

i) वर्ष-जल की निकासी को पार्कों के भू-दृश्य निर्माण और डिजाइन में एकीकृत किया जाएगा ताकि वे वर्षा जल संचयन तंत्र के रूप में कार्य कर सकें।

ii) जल न सोखने वाली पक्की सतह के स्थान पर अर्ध-प्रवेश्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा ताकि भूजल पुनर्भरण और स्थानीय तापन में कमी हो सके।

iii) बड़े पार्कों (सामुदायिक स्तर और इससे ऊपर) में, उस क्षेत्र/इलाके के लिए अपशिष्ट जल उपचार की विकेंद्रीकृत सुविधाओं को भू-दृश्य डिजाइन में एकीकृत किया जा सकता है और उपचारित पानी का उपयोग बागवानी के लिए या भूजल पुनर्भरण झीलों के लिए किया जा सकता है। खाद बनाने के लिए समर्पित स्थान भी प्रदान किया जा सकता है।

ख) **पार्कों की कार्यक्षमता में सुधार**

i) दि.वि.प्रा./स्थानीय निकायों द्वारा बड़े पार्कों (सामुदायिक स्तर और इससे ऊपर) के लिए या पार्कों के समूह के लिए समर्पित वृक्षारोपण कार्यनीति बनाई जाएगी ताकि वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके, तापन को कम किया जा सके, आरामदायक लघु जलवायु-क्षेत्र बनाया जा सके और मनोरंजन के लिए छाया-युक्त क्षेत्र बनाए जा सकें।

ii) बड़े पार्कों में भोजनालयों, पुस्तकालयों/पढ़ने के क्षेत्रों, बाहरी प्रदर्शन, प्रदर्शनियों, योग और साधना, बच्चों के लिए साहसिक पथ आदि जैसी गतिविधियां करने के लिए विनियमित तरीके से अनुमति दी जा सकती है। **(देखें**: DCN)

3.4.2 **सार्वजनिक क्षेत्रों की हरियाली:**

i) दि.वि.प्रा. और स्थानीय निकायों सहित सभी संबंधित एजेंसियां, 18 मी. और उससे अधिक के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) सड़कों पर हरियाली सुनिश्चित करेंगी। इस तरह की सड़कों को छाया

देने वाले उपयुक्त सदाबहार पेड़ लगाकर और बैठने के लिए तैयार किए गए क्षेत्रों, हरे-भरे प्लाज़ा, नालों के किनारे जैव-झुरमुटों (बायो-स्वाल) आदि का निर्माण करके एक आरामदायक लघु जलवायु क्षेत्र (माइक्रॉक्लाइमेट) बनाने के लिए किया जा सकता है। पुलों और फुट ओवर ब्रिज पर भी खंभे, छत, पैरापेट आदि पर हरियाली के तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह की हरियाली को प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा जहां वॉक प्लान लागू किए जा रहे हैं **(देखें:** MOB3)।

ii) सभी सतह वाले पार्किंग स्थलों में 80% क्षेत्र में सतह जल सोखने वाली या जल सोखने वाली खड़ंज होगी। जहां भी संभव हो, ऐसी जगहों पर नियमित अंतराल पर पेड़ लगाए जाएंगे।

iii) संबंधित एजेंसियां फ्लाईओवरों के नीचे, पानी की पाइपलाइनों के साथ भूमि पर, कच्ची सड़कों पर बचे स्थानों पर भूदृश्य-निर्माण और वृक्षारोपण करेंगी। यदि व्यवहार्य हो तो इनमें से कुछ का उपयोग जनता द्वारा किया जा सकता है।

3.4.3 **हरा-भरा करने को प्रोत्साहित करना**: भूखंड के भूमि उपयोग पर ध्यान न देते हुए खाली निजी/सार्वजनिक भूमि पर शहरी खेती, सामुदायिक उद्यान आदि जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। समस्त उपयोग परिसरों के भीतर जैड-खेती/ऊर्ध्वाधर खेती भी एक अनुमत गतिविधि होगी। स्थानीय निकाय और डीडीए ऐसी गतिविधियां करने के लिए समुदायों / आरडब्ल्यूए / स्कूलों / अन्य हितधारकों को उपयुक्त दिशानिर्देश और क्षमता निर्माण दे सकते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली समस्त खाली भूमि पर अनिवार्यत: जंगली घास उगाने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा।

3.4.4 **भवनों और स्थलों के लिए ग्रीन-ब्लू कारक(जीबीएफ)**: यूबीबीएल के अनुसार विकास-कार्यों के लिए ग्रीन रेटिंग अनिवार्य होगी ताकि मैकेनिकल हीटिंग/कूलिंग से होने वाली ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके और प्रदूषण को घटाया जा सके। इसके अतिरिक्त, भूखंडों/भवनों के भीतर छत पर बगीचों, टैरेस गार्डन, हरित दीवारों, भू-दृश्य और/या पानी सोखने वाली जमीन, आदि के रूप में ग्रीन-ब्लू विशेषताओं को सभी विकास परियोजनाओं में प्रोत्साहित किया जाएगा।

i) ग्रीन-ब्लू कारक (ग्रीन-ब्लू फैक्टर) (जीबीएफ) सभी नई परियोजनाओं और विकास-कार्यों पर लागू होगा। इसकी गणना स्थल और बिल्डिंग डिजाइन में निर्धारित विशिष्ट ग्रीन-ब्लू विशेषताओं के निर्धारित भारांश (वेटेज) को मिलाकर की जाती है।

ii) स्थानीय निकायों द्वारा न्यूनतम जीबीएफ प्राप्त करने और मौजूदा इमारतों पर इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन दिए जा सकते हैं।

iii) सभी नई परियोजनाओं और विकास-कार्यों को प्लान द्वारा निर्धारित जीबीएफ का न्यूनतम मान प्राप्त करना होगा।

iv) जीबीएफ की गणना प्लॉट स्तर पर की जाएगी और इसे सभी भवन और नक्शा संबंधी स्वीकृतियों के लिए एक शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा।

3.5 ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन

3.5.1 सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा दिल्ली स्थानिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत ग्रीन-ब्लू अवसंरचना (ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर) का एक डेटाबेस बनाकर रखा जाएगा तथा मौजूदा और संभावित स्थलों की मैपिंग की जाएगी।

i) डेटाबेस **अनुलग्नक** 2 पर दी गई ग्रीन एंड ब्लू संपदा के टाइपोलॉजिकल वर्गीकरण पर आधारित होगा और इसे डीडीए की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

ii) अनुसंधान और भावी योजना हेतु एक समृद्ध संसाधन तैयार करने के लिए समय के साथ-साथ जल विज्ञान, स्थलाकृति, संबंधित जैव विविधता आदि जैसी जानकारी भी जोड़ी जा सकती हैं। वृक्ष निर्देशिका को भी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है।

iii) एक डेटा-शेयरिंग प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाएगा कि सभी संबंधित एजेंसियां डेटाबेस को प्रासंगिक और अद्यतन रखने के लिए वास्तविक समय या तत्काल आधार पर अथवा आवधिक रूप से डेटा प्रदान करती रहें (जैसे जीबीएफ के साथ निर्माण और स्कीम संबंधी स्वीकृतियां तथा सार्वजनिक हरित क्षेत्र, वनीकरण, नए पार्क का निर्माण आदि)। यह डेटा बेसलाइन को सेट करने, नई पहल की योजना बनाने और उसे ट्रैक करने तथा ग्रीन-ब्लू संपदाओं की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव का आकलन करने में मदद करेगा।

3.5.2 ग्रीन-ब्लू संपदाओं की सुरक्षा और संवर्धन इस प्लान की प्राथमिकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित एजेंसियां अपने स्वयं के संसाधनों को एक तरफ रखें और हरियाली बढ़ाने की पहल करने के लिए वित्तपोषण के अन्य नवीन तंत्रों का पता लगाएं। इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित हरित कोश (ग्रीन फंड) भी बनाया जा सकता है।

3.5.3 संबंधित एजेंसियां नागरिकों और हितधारक समूहों की ग्रीन-ब्लू संपदाओं के संरक्षण और सुधार में भूमिका निभाने और सामुदायिक स्वामित्व पैदा करने तथा इन साझा संसाधनों और शहरी सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करने में मदद करेंगी।

--- x --- x ---- x --- x ---

खंड 2
अर्थव्यवस्था

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

दिल्ली विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों में से एक है। यह शहर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में छठा सबसे बड़ा योगदानकर्ता (7.1%) है यह जीडीपी की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 4% अधिक बैठती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक मूलाधार के रूप में कार्य करती है, जो इस क्षेत्र की जीडीपी के 50% से अधिक का योगदान देता है। यह शहर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है जिसके राष्ट्रीय और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के साथ मजबूत संबंध हैं।

दिल्ली प्रमुख स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के रूप में उभरी है, जहां उच्च साक्षरता स्तर (86.2%), युवा आबादी (2041 में औसत आयु लगभग 35 वर्ष होने की संभावना है) और कार्यशील आयु वाली आबादी का एक बड़ा अनुपात रहता है (कुल कार्यशील जनसंख्या 2017-18 में 6.28 मिलियन थी और 2040-41 में इसके बढ़कर 10.7 मिलियन होने की उम्मीद है)। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकीय साक्षरता और पहुंच, रचनात्मकता, प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता तथा औसत शिक्षा के स्तर संबंधी सभी सूचकांकों के संदर्भ में, दिल्ली सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान पर है (एमपीआई रिपोर्ट)। यह स्थिति नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता को इंगित करती है ताकि इस मानव आबादी द्वारा सृजित आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके।

दिल्ली में खुदरा, थोक और भंडारण केंद्र शहर भर में फैले हुए हैं। देश की राजधानी होने के नाते यह सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं का केंद्र है, जहाँ विभिन्न राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं। यह प्रमुख एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ), यात्रा और आतिथ्य व्यवसाय का गंतव्य-स्थल है। इस शहर एक विशाल सांस्कृतिक पूंजी भी है जिससे सांस्कृतिक (पर्यटन, यात्रा, एफएंडबी, आदि) और रचनात्मक (मीडिया, डिजाइन, कला आदि) उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाभ उठाया जा सकता है। दिल्ली ने एशियाई खेलों (1982) और राष्ट्रमंडल खेलों (2010) जैसे बड़े आयोजनों की भी मेजबानी की है।

दिल्ली शहर प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है जहां 33 योजनाबद्ध औद्योगिक एस्टेट, चार फ्लैटिड फैक्ट्री क्लस्टर, 1.75 लाख सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (90% से अधिक सूक्ष्म उद्यम) और 23 अधिसूचित गैर-अनुरूप औद्योगिक समूह हैं। ये उद्योग तथा घरेलू उद्योग कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कामगारों के लिए रोजगार पैदा करते आ रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में पैमाने के स्तर पर विखंडन हुआ है और कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा लघु और सूक्ष्म उद्योगों एवं घरेलू उद्योगों में कार्यरत है। पिछले दो दशकों में, दिल्ली में तृतीयक क्षेत्र की ओर झुकाव देखा गया है। दिल्ली की लगभग 83% आय तृतीयक क्षेत्र से आती है और लगभग 15% द्वितीयक क्षेत्र (एनएसएस 2015-16, पीएलएफएस (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) 2017-18) से सृजित होती है।

प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए, पर्यावरण-अनुकूल स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं जैसेकि आईटी/आईटीईएस, ज्ञान-आधारित और हाई-टेक उद्योगों, उद्यमी कार्यकलाप, रियल्टी बाजारों, पर्यटन, आतिथ्य, संभार-तंत्र, परिवहन, संचार, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा और उच्च शिक्षा की ओर रुख करने पर विचार किया गया है। विशेषकर, आईटी उद्योग का विकास होने और इसे नीतिगत सहायता मिलने की उम्मीद है।

आर्थिक विकास संबंधी नीतियों को रोजगार प्रदान करने वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों तथा असंगठित अर्थव्यवस्थाओं को सहायता देने की दिशा में मोड़ा जा सकता है जबकि अपेक्षाकृत स्वच्छ, प्रदूषण न करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को अपनाना सुनिश्चित किया जा सकता है। लैंड पूलिंग और अन्य विकास नीतियों को कार्यान्वयन से 2041 तक निर्माण क्षेत्र में कार्यबल तीन गुना होने की आशा की जा सकती है। टीओडी नीति और मजबूत क्षेत्रीय परस्पर निर्भरता से परिवहन व्यापार और खुदरा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

कई पूर्ववर्ती औद्योगिक स्थल स्वच्छ, सेवा, ज्ञान, वित्त और मनोरंजन-उन्मुख कार्यों के समूहों में रूपांतरित होने के दौर से गुजर रहे हैं। इसके कारण वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के बीच की सीमाएं धूमिल हो गई हैं, और ऐसे एकांगी-कार्यात्मक क्षेत्रों के विविधीकरण और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। तकनीकी नवाचार जैसे ऐप-आधारित सेवाएं, गोदाम से घर तक सामग्री पहुँचाने वाला मॉडल; दूरदराज क्षेत्रों में रहकर काम/ घर से काम करना आदि कार्य स्थलों और संबंधित आवश्यकताओं का स्वरूप और रूप बदल रहे हैं। अगले 3 वर्षों में को-वर्किंग स्थलों की मांग तीन गुना होने की संभावना है और बड़े उद्यमों के लिए मांग मध्यावधि से दीर्घ-अवधि में बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली की जीडीपी में डेटा-समर्थित प्रौद्योगिकियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बेहतर डिजिटल और दूरसंचार की अवसंरचना नई और विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं के विकास को बढ़ावा देगी।

शहर के भीतर माल-ढुलाई से जुड़ी भीड़-भाड़ को कम करने के लिए थोक और भंडारण गतिविधियों को शहर के केंद्र से हटाकर बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करना दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। हालांकि इनमें से खतरनाक पदार्थ से जुड़े कार्यकलाप शहर से बाहर जा चुके हैं, कुछ अन्य गतिविधियाँ अभी भी चल रही हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र दिल्ली का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो दिल्ली के लगभग 70% कर्मचारियों को रोजगार देता है। कार्यस्थलों की गुणवत्ता और इस क्षेत्र के लिए अवसरों में सुधार लाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के भीतर, महिला कार्य-भागीदारी में वृद्धि हुई है। जन सुविधाओं, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य के साथ-साथ शिशु देखभाल इत्यादि के लिए स्थान की व्यवस्था किए जाने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा पहलें की जानी होंगी ताकि योजना-अवधि में कर्मचारियों का कौशल स्तर उन्नत किया जाना सुनिश्चित किया जा सके जिससे अनौपचारिक कार्यबल के लिए उभरती औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में अधिकाधिक आत्मसात होने के बेहतर अवसर पैदा हो सकें।

इस अध्याय में आर्थिक उत्पादन अर्थात् व्यापार और वाणिज्य, थोक, उद्योग, सेवा और अनौपचारिक क्षेत्र के मौजूदा स्थानों के उन्नयन, नए आर्थिक केन्द्रों के विकास के लिए कार्यनीति निरूपित की गई है जो अपेक्षाकृत स्वच्छ और विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं को अपनाने की दिशा में बढ़ने तथा आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करती है:

ECO: **आर्थिक उत्पादन के स्थान**

अध्याय कोड
ECO

4.0 आर्थिक उत्पादन के स्थान

4.1.1 यह मुख्य योजना दिल्ली की आर्थिक क्षमता से लाभ उठाने के लिए एक उपयुक्त परिवश प्रदान करता ह आर विभिन्न प्रकार के कार्य एवं कार्यस्थल की व्याख्या करता है ताकि बड़े पैमाने पर जनता के लिए अवसर पैदा हों। इसका उद्देश्य औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आर्थिक क्रियाकलापों (समावेशी अर्थव्यवस्था) की सहायता करके, प्रदूषण पैदा न करने वाली और पर्यावरण-अनुकूल क्रियाकलापों (स्वच्छ अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देकर और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर संतुलित आर्थिक विकास करना है जो क्षेत्रीय संदर्भ में इस शहर के लिए एक अनूठी भूमिका स्थापित करने में मदद करेगा (विशिष्ट अर्थव्यवस्था)।

4.1.2 योजना की कार्यनीतियाँ निम्नलिखित की सुविधा प्रदान करेंगी:

i) अधिक निवेश और अधिक मूल्य वाले कारोबार एवं सेवाओं के महत्वपूर्ण केंद्रों का निर्माण
ii) वर्तमान आर्थिक केंद्रों का सर्वोत्तम उपयोग
iii) अनियोजित आर्थिक कार्यकलापों का अनुमोदित स्थलों और/या उपयोग की तरफ स्थानांतरण
iv) अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बेहतर सुविधाएं

4.2 आर्थिक केंद्रों के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए दृष्टिकोण

4.2.1 **स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना**: यह प्लान मौजूदा मुख्य आर्थिक क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, थोक और वेयरहाऊसिंग, संभार-तंत्र, विनिर्माण, सरकारी कार्यालयों, बैंकिंग और वित्त में सुधार लाने, स्वच्छ अर्थव्यवस्था अपनाने और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।

i. **ज्ञान और साइबर अर्थव्यवस्था**: साइबर अर्थव्यवस्था, उच्च तकनीक वाले रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्ञान और नवाचार, अनुसंधान और विकास, आदि।

ii. **एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां), सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था:** एमआईसीई (MICE) यात्रा और आतिथ्य के लिए विश्व स्तर के केंद्र, आदि पर्यटन, डिजाइन और फैशन, प्रकाशन, एफ एंड बी, मीडिया, दृश्य / प्रदर्शन कला, आदि।

iii. **स्वास्थ्य और शिक्षा:** तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा अनुसंधान और विकास, जैव-तकनीक, फार्मा अनुसंधान, उच्च शिक्षा, आदि।

iv. **हरित अर्थव्यवस्था:** शहरी खेती, बागवानी, सोलर फार्म, थीम पार्क आदि।

v. **सर्कुलर अर्थव्यवस्था:** पुनर्चक्रण और मरम्मत अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग, पुनर्चक्रित सी एंड डी अपशिष्ट उत्पाद (जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स (ईंटें), पुनः प्राप्त डामर फुटपाथ आदि), मल कीचड़ का पुनर्चक्रण, ई-कचरे, प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण, आदि।

4.2.2 **महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रों को बढ़ावा देना**: शहरी स्तर पर आर्थिक केन्द्रों के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। बेहतर सार्वजनिक परिवहन पहुंच, पैदल यात्री कनेक्टिविटी और सार्वजनिक स्थलों के निर्माण के लिए समग्र योजना बनाई जाएगी।

क) टीओडी नोड

निर्धारित ट्रांज़िट स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को प्रबल मिश्रित-उपयोग मिलन-स्थल (नोड) के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्हें उन्नत प्रौद्योगिकी, संभार-तंत्र, आतिथ्य, स्वास्थ्य और शिक्षा समूहों के रूप में विकसित किया जा सकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं के लिए दिल्ली पर क्षेत्रीय निर्भरता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

ख) बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट (बीपीडी)

i) आर्थिक विकास के लिए अधिक क्षमता वाले मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों, जिला केंद्रों और संस्थागत क्षेत्रों या किसी अन्य क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उन्हें डीडीए द्वारा ऐसे बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट (बीपीडी) के रूप में अधिसूचित किया जाएगा जिनके कार्य साइबर हब, क्लीन-टेक इनोवेशन क्लस्टर, मीडिया और डिजाइन क्लस्टर, मेडी-सिटी, एजु-सिटी, एमआईसीई हब, आधुनिक लॉजिस्टिक हब आदि जैसे हों।

ii) बीपीडी का न्यूनतम नियोजन क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होगा और इनका विकास सुधार योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

ग) ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए)

जीडीए को ग्रीन डेवलपमेंट स्कीम के प्रावधानों के अनुसार हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनॉमी) के हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

4.2.3 **एकांगी कार्यात्मक आर्थिक केन्द्रों का विविधीकरण और पुनःसुधार:** इस प्लान से आर्थिक केंद्रों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा ताकि शहर में फलते-फूलते मिश्रित रोजगार स्थलों का निर्माण करने और अपेक्षाकृत स्वच्छ, तृतीयक क्षेत्र के कार्यकलापों की दिशा में जा सकें। इसमें सहायक कार्य जैसे कि आतिथ्य, कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के हॉस्टल, किराये के आवास और सेवा-युक्त अपार्टमेंट, आराम और मनोरंजन के लिए स्थान, सार्वजनिक स्थल आदि शामिल होंगे।

4.2.4 मौजूदा आर्थिक केंद्रों का भी पुनः सुधार करके और परिवहन सुविधा, सार्वजनिक स्थान, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करके उन्नयन किया जाएगा।

4.2.5 **कार्य-स्थलों के नए रूपों का निर्माण:**

ई-कॉमर्स के लिए छोटे भांडागार, स्टार्ट-अप इकोनॉमी के लिए को-वर्किंग स्पेस आदि के रूप में विकेंद्रीकृत कार्य-स्थलों के शानदार नेटवर्क की सुविधा होगी। इसके अलावा, श्रमिकों के लिए सहायक सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से, यह योजना कार्य के उभरते हुए नए रूपों को बढ़ावा देगी, जैसे कि प्लेटफॉर्म और गिग अर्थव्यवस्था आदि।

4.2.6 **रात्रिकालीन कार्यकलापों (एनटीई) को बढ़ावा देना:**

i) मॉडल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज) एक्ट 2015 के माध्यम से "24 घंटे कार्यरत शहर" की अवधारणा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर एनटीई नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ii) पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के लिए रात में निरंतर कार्य करने, सांस्कृतिक गतिविधि और मनोरंजन के लिए मिलन-स्थलों (नोड), इलाकों या सर्किट की पहचान की जाएगी।

iii) इस प्रकार जीवंत एवं सक्रिय नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलने से शहर में कार्य स्थलों का उपयोग होने और सुरक्षा की स्थिति बेहतर होने से आर्थिक आय में सुधार होगा।

4.2.7 **अनौपचारिक क्षेत्र की सहायता करना:** इस प्लान में अनौपचारिक क्रियाकलापों की सहायता करने के लिए पर्याप्त स्थल मानदंड और सुविधाएं है।

4.3 व्यापार एवं वाणिज्य

4.3.1 **मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर (एमसीसी)/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी):** कनॉट प्लेस और उसके विस्तार वाले क्षेत्रों, वाल्ड सिटी और करोल बाग में स्थित वाणिज्यिक क्षेत्रों ने परंपरागत रूप से सीबीडी की भूमिका निभाई है और यहाँ वाणिज्यिक गतिविधियों, कार्यालयों, व्यवसायों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं की बहुलता बरकरार है। सीबीडी क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्रत्येक का अनूठा स्वरूप, विशिष्ट गतिविधियों की बहुलता और भावी विकास की संभावना होती है।

4.3.1.1 शहर के वाणिज्यिक मूलाधार को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्र-आधारित सुधार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

क) कनॉट प्लेस (सीपी) और सीपी एक्सटेंशन प्रतिष्ठित हब है और इसकी विशेषता ऐतिहासिक और विख्यात इमारतें, कार्यालयों, आतिथ्य, मनोरंजन, खुदरा और व्यावसायिक गतिविधियों का विविध मिला-जुला रूप है। धरोहर में मिली इमारतों और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के लिए एकीकृत सुधार योजना तैयार की जाएगी। मौजूदा ले-आउट योजना के अनुसार भूखंडों का वही आकार रखा जाएगा और कोई भी उप-विभाजन अनुमत नहीं होगा।

ख) मंडी हाउस सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा है जहां सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, राज्य भवन आदि स्थित हैं। क्षेत्र के संस्थागत स्वरूप को बनाए रखा जाना चाहिए और इसका संवर्धन किया जाना चाहिए।

ग) प्रगति मैदान ने प्रमुख प्रदर्शनी और एक्सपो-सेंटर के रूप में काम करने की अपनी क्षमता के कारण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया है। इस क्षेत्र के चल रहे पुनर्विकास के चलते यह उम्मीद है कि यह एमआईसीई (MICE) हब के रूप में उभरेगा। क्षेत्र में अस्थायी आवास, आतिथ्य, पार्किंग और सार्वजनिक स्थलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

घ) इंद्रप्रस्थ एस्टेट सरकारी कार्यालयों और संस्थानों का एक सक्रिय केंद्र है। इस क्षेत्र को संस्थागत हब के रूप में बनाए रखा जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रैफिक भीड़ का समाधान करने, सार्वजनिक स्थान को बढ़ाने और पार्किंग का प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक सुधार योजना तैयार की जानी चाहिए।

ङ) शाहजहानाबाद (वाल्ड सिटी) एक हेरिटेज जोन है जहां बड़ी संख्या में धरोहर इमारतें हैं। थोक कारोबार से जुड़ी गतिविधियों को स्थानांतरित किया जाएगा और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक/खुदरा कारोबार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी सुधार और जीर्णोद्धार HCP2 और DEV3 के प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे।

च) वाल्ड सिटी के बाहर के क्षेत्र जिसमें पहाड़गंज, सदर बाज़ार, आज़ाद मार्केट, बाड़ा हिंदू राव आदि क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के लिए पुनः सुधार की योजना तैयार की जाएगी। विशिष्ट आर्थिक गतिविधियाँ जैसे आतिथ्य जिले, वेयरहाऊसिंग और थोक कारोबार के लिए वैकल्पिक स्थल आदि की योजना बनाई जा सकती है। योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पारंपरिक बाज़ारों या सांस्कृतिक महत्व के अन्य क्षेत्रों को चिह्नित और संरक्षित किया जाएगा।

छ) करोल बाग में प्लॉटिड आवासीय इलाकों के साथ-साथ वाणिज्यिक क्षेत्रों का मिला-जुला रूप है। ऐसे क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण करने के लिए एकीकृत सुधार योजना तैयार की जाएगी जहां प्लॉट-निर्माण के स्वरूप को संरक्षित करने की आवश्यकता है और जहां पुनःसुधार योजनाओं की अनुमति दी जा सकती है।

4.3.1.2 ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन की व्यापक योजना, टहलने की व्यवस्था में सुधार और साइकल सर्किट बनाने तथा एनटीई (नाइट टाइम इकोनॉमी) को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करके कार्यान्वित की जाएगी।

4.3.1.3 बिल्ट-टू-एज फ्रंटेज को क्षेत्र की व्यापक सुधार योजना के हिस्से के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और जहां भी व्यवहार्य हो लागू किया जाना चाहिए।

4.3.2 योजनाबद्ध वाणिज्यिक क्षेत्रों का श्रेणीकरण

विकसित किए गए योजनाबद्ध वाणिज्यिक क्षेत्रों का श्रेणीकरण निम्नानुसार हैः

i) **डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स (डीसी)** इन्हें उप-सीबीडी बनाने की योजना बनाई गई है ताकि विविध वित्तीय सेवाओं, खुदरा व्यवसाय, कार्यालय, मनोरंजन, आईटी/आईटीईएस, आतिथ्य, साझा और संबंधित उपयोगों की व्यवस्था की जा सके। सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के निकट स्थित जिला केंद्रों को टीओडी (TOD) नोड्स के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा सकता है।

ii) **कम्युनिटी सेंटर्स (सीसी)** खुदरा और फुरसत के समय में की जाने वाली खरीदारी, आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालय स्थानों, थिएटरों आदि के लिए व्यवस्था करते हैं और सामुदायिक स्तर पर लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

iii) **लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) और कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर (सीएससी)** में खुदरा स्टोर और व्यक्तिगत सेवा प्रतिष्ठान होते हैं जो बार-बार होने वाली जरूरतों को पूरा करते हैं। सभी आवासीय क्षेत्रों के निकट सुविधाजनक स्थानों में ऐसे प्रतिष्ठानों की आवश्यकता होती है और ये स्थल समस्त आवासीय उपयोग के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं।

iv) लैंड पूलिंग क्षेत्रों में, वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास DEV1 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा।

4.3.3 **1962-पूर्व वाणिज्यिक क्षेत्रः** एमपीडी-1962 की अधिसूचना से पहले जिन आवासीय क्षेत्रों और सड़कों/हिस्सों को वाणिज्यिक क्षेत्रों/सड़कों के रूप में घोषित किया गया है अथवा जहां एमपीडी-1962 में वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, ऐसा उपयोग एमपीडी-1962 में स्वीकार्य सीमा तक जारी रखा जाएगा। आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पहले से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को भी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यधीन अनुमत किया गया है।

1962 से पहले विकसित किए गए क्षेत्र जो दिल्ली के मास्टर प्लान में शामिल नहीं थे जहां व्यावसायिक गतिविधियों की बहुलता है, डीसीएन के अनुसार (दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यधीन) मिश्रित उपयोग के रूप में जारी रह सकते हैं। ऐसे क्षेत्र DEV3 के प्रावधानों के अनुसार पुनः सुधार का कार्य भी कर सकते हैं।

4.3.4 **अन्य वाणिज्यिक केंद्रः** अन्य वाणिज्यिक केंद्रों में अधिसूचित गैर-श्रेणीकरण वाणिज्यिक केंद्र (एनएचसीसी), शॉप-कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स (दुकान-सह-आवास भूखंड/दुकान भूखंड) शामिल हैं जिन्हें बाद में कम्युनिटी सेंटर्स (सीसी)/लोकल शॉपिंग सेंटर्स (एलएससी)/कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स (सीएससी) और अन्य मौजूदा दुकान-सह-आवास भूखंडों के रूप में नामित किया गया है। ये क्षेत्र मानदंडों के अनुसार शासित होंगे और पुनःसुधार DEV3 के अनुसार होगा।

4.3.5 **वाणिज्यिक सड़कें/मिश्रित उपयोग सड़कें:** मिश्रित-उपयोग वाली सड़कों या वाणिज्यिक सड़कों के रूप में किसी भी नई अधिसूचना की अनुमति नहीं होगी। आवासीय क्षेत्रों के भीतर गैर-आवासीय उपयोग की अनुमति डीसीएन (DCN) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। स्थानीय निकाय/एमटीए मौजूदा सड़कों पर यातायात प्रबंधन, पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों के सुधार की योजना तैयार करेंगे। स्थानीय निकायों द्वारा 9 मीटर से कम मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की सड़कों को केवल पैदल चलने के लिए निर्धारित करने पर विचार किया जाएगा।

4.3.6 **सेवा बाजारः** सभी आर्थिक केंद्र डीसीएन में निर्धारित किए अनुसार, कम बिक्री वाले कारोबार की सहायता करने के लिए और फलों एवं सब्जियों, सर्विस एवं रिपेयर कबाड़ और स्क्रैप सामग्री (कबाड़ी), हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप आदि के लिए बड़े क्षेत्र में फैली दुकानों हेतु ऐसी सुविधाओं के लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं।

4.4 आतिथ्य

4.4.1 दिल्ली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और फुरसत के क्षणों में आनंददायक कार्यकलाप, खेल और व्यवसाय के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रही है जहां होटल सुविधाओं, जिनमें विभिन्न आर्थिक वर्गों के लिए बजट होटल, गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस, धर्मशाला, होटल और सर्विसिंग अपार्टमेंट शामिल हैं, की आवश्यकता होती है।

4.4.2 आवासीय क्षेत्रों में निम्नलिखित की अनुमति होगीः

4.4.2.1 आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग के अंतर्गत धर्मशाला, बजट होटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी), बोर्डिंग लॉजिंग सुविधाओं की अनुमति होगी।

4.4.2.2 निम्नलिखित के अंतर्गत होटल/सर्विस्ड अपार्टमेंट की अनुमति दी गई है:

i) सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं जैसे कि सम्मेलन केंद्र, सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र, आदि।

ii) औद्योगिक और थोक उपयोग क्षेत्रों में वाणिज्यिक केंद्र, और

iii) परिवहन नोड्स (आईएसबीटी, बस डिपो/टर्मिनल, बहु-मोडल हब, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, एकीकृत फ्रेट परिसर)।

4.4.2.3 औद्योगिक और थोक कारोबार उपयोग क्षेत्रों में 30 मी. मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पहुंच वाले भूखंडों के उपयोग परिवर्तन से होटल निर्मित किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में अधिकतम ग्राऊंड कवरेज और एफएआर लागू मानदंडों/स्वीकृत निर्माण योजनाओं के अनुसार होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में उस उपयोग-जोन के अनुमेय जमीनी कवरेज और एफएआर से अधिक नहीं होगा।

4.5 थोक व्यापार

4.5.1 दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा उपभोग केंद्र है। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के चलते यह प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है। डिजिटल विकास होने के चलते, ई-कॉमर्स एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभरा है जिसके लिए नए तरह के वेयरहाऊसिंग सेवाओं की आवश्यकता है। डीएफसी और डीएमआईसी जैसे माल ढुलाई के उभरते क्षेत्रीय अवसंरचना के कारण वितरण केंद्र के रूप में दिल्ली की प्रधानता कम होने और थोक व्यापार एवं वेयरहाऊसिंग (वेयरहाउसिंग) के मौजूदा रूपों में परिवर्तन होने की संभावना है।

4.5.2 मौजूदा थोक बाजारों और आईएफसी को DEV3 के प्रावधानों के अनुसार पुनः सुधार करने की अनुमति होगी। इससे भावी जरुरतों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण की सुविधा होगी और क्षमता विस्तार होगा।

4.5.3 लैंड पूलिंग क्षेत्रों और जीडीए के लिए थोक और वेयरहाऊसिंग संबंधी आवश्यकताओं को आईएफसी के भीतर पूरा किया जाएगा। मंडियों, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज को विशिष्ट मानदंडों के अनुसार उन्हें जीडीए के भीतर विकसित करने की अनुमति दी जाएगी (देखेः DEV2)।

4.5.4 30 मी. मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) से सीधे पहुंच की सुविधा वाले 1 हेक्टेयर और उससे अधिक के भूखंडों पर बने गोदामों को डीसीएन के अनुसार खुदरा गतिविधि करने की अनुमति होगी ताकि बिग बॉक्स खुदरा कारोबार का विकास किया जा सके।

4.5.5 माल-ढुलाई और संभारिकी के लिए परिचालन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद आईएफसी में वेयरहाऊसिंग, गोदामों और थोक कारोबार इकाइयों एवं अन्य गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।

4.5.6 औद्योगिक उपयोग जोन के भीतर औद्योगिक भूखंडों को रूपांतरित करके भांडागार बनाने की अनुमति डीसीएन के अनुसार दी जाएगी।

4.5.7 पुराने शहर के भीतर चल रही सभी वेयरहाऊसिंग गतिविधियों और थोक भंडारण को 10 वर्ष की अवधि में औद्योगिक क्षेत्रों, आईएफसी अथवा थोक बाजारों जैसे अनुकूल क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

संबंधित स्थानीय निकाय / जीएनसीटीडी इस तरह के स्थानांतरण को आसान बनाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू कर सकता है।

4.5.8 पुराने शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे सदर बाजार में पुनः सुधार हेतु वेयरहाऊसिंग और होटल जैसे उपयोग की अनुमति दी जाएगी ताकि पुराने शहर के व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

4.5.9 **अनियोजित/गैर-अनुरूप गोदाम समूहः** दिल्ली में गोदामों/भण्डारण के कई अनियोजित क्लस्टर विकसित हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों का नियमितीकरण और नियोजित पुनः सुधार DEV3 के अनुसार होगा और 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। जो समूह इसमें शामिल नहीं होते है, उन्हें चिह्नित औद्योगिक क्षेत्रों, आईएफसी अथवा थोक बाजारों में अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा।

4.6 उद्योग

4.6.1 दिल्ली में मौजूदा नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची अनुबंध **3** में दी गई है। ऐसे क्षेत्रों का पुनःसुधार **DEV**3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा। डीएसआईआईडीसी/स्थानीय उद्योग संघों द्वारा पार्किंग, सार्वजनिक स्थान, हरियाली और सीईटीपी जैसी सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए ऐसे मौजूदा क्षेत्रों को भी लिया जा सकता है।

4.6.2 ग्रुप हाउसिंग, पीएसपी, वाणिज्यिक और वेयरहाऊसिंग उपयोग में रूपांतरित करने की अनुमति डीसीएन में दिए गए विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। ज्ञान आधारीत उद्योगों और व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों में परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी ताकी उद्योग और शिक्षा अकादमियों के बीच सामंजस्य हो सके। नए प्रकार के बिग बॉक्स रिटेल की सुविधा भी होगी।

4.6.3 औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप और नवाचार क्लस्टर निर्मित करने की सुविधा देने के लिए, औद्योगिक भूखंडों पर बिना किसी उपयोग-परिवर्तन के, एफएआर के 10% तक को-वर्किंग स्थान निर्मित करने की अनुमति दी जाएगी।

4.6.4 नए औद्योगिक क्षेत्रों (डीएसआईआईडीसी द्वारा विकास के लिए प्रस्तावित और/अथवा लैंड पूलिंग क्षेत्रों में विकसित) को स्वच्छ उद्योग के हब के रूप में विकसित किया जाएगा जैसे कि बिजनेस पार्क, टेक-पार्क और साइबर हब, नॉलेज, आरएंडडी, सांस्कृतिक उद्योग/मीडिया क्लस्टर।

4.6.5 निषिद्ध श्रेणी के तहत सूचीबद्ध उद्योगों को दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जैसाकि अनुबंध 1 में निर्धारित किया गया है। निषिद्ध श्रेणी के तहत किन्ही भी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करना होगा या 5 वर्ष की अवधि के भीतर स्वच्छ विनिर्माण/उत्पादन कार्य शुरू करना आवश्यक होगा।

4.6.6 बंगला ज़ोन (नई दिल्ली और सिविल लाइंस), रिज, रिवर बेड (जोन-ओ), जलाशयों, नहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, सुरक्षित/ संरक्षित वन, को-ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी,

डीडीए हाउसिंग, जनता फ्लैट्स को छोड़कर ग्रुप हाउसिंग, सरकारी फ्लैट / बंगले / नियोक्ता-प्रदत्त आवास आदि में किसी औद्योगिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.6.7 **1962 से पहले के औद्योगिक क्षेत्रः** 1962 से पहले के औद्योगिक क्षेत्र या जहाँ एमपीडी-1962 में औद्योगिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त पर, एमपीडी-1962 में स्वीकार्य हद तक प्रचालन जारी रखेंगे। ऐसे क्षेत्रों का कोई भी पुनःसुधार DEV3 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

4.6.8 **घरेलू उद्योगः** घरेलू उद्योगों को डीसीएन के प्रावधानों के अनुसार आवासीय परिसर से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। अनुमत घरेलू उद्योगों की सूची अनुलग्नक 4 और 5 में दी गई है।

4.6.9 **अनियोजित/गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रः** दिल्ली में कई अनियोजित औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गए हैं। ऐसे क्षेत्रों का नियमितीकरण और नियोजित पुनःसुधार DEV3 के अनुसार होगा और 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। जो समूह इसमें शामिल नहीं होते, उन्हें चिन्हित क्षेत्रों में अनिवार्यतः स्थानांतरित किया जाएगा।

4.7 सरकारी कार्यालय

4.7.1 दिल्ली में भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और स्थानीय निकायों के कार्यालय स्थित हैं। अधिकतर कार्यालय और न्यायालय परिसर स्वतंत्रता के ठीक बाद स्थापित किए गए थे और उन्होंने भू-संपत्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। यह क्षेत्र शहर के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्था और रोजगार पैदा करने का स्रोत रहेगा।

4.7.2 मौजूदा सरकारी भूमि का सर्वोत्तम उपयोग DEV3 के प्रावधानों के अनुसार पुनःसुधार करके किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आधुनिक बहुमंजिला कार्यालय परिसरों का निर्माण हो सकेगा जिसमें पर्याप्त सुविधाएं हों जैसे कि कर्मचारी-आवास, वाणिज्यिक सुविधाएं आदि।

4.7.3 लैंड पूलिंग क्षेत्रों में, सरकारी कार्यालयों और न्यायालय परिसरों को यथासंभव एकीकृत कार्यालय परिसर के रूप में और एमआरटीएस कॉरीडोर के आसपास विकसित किया जाएगा।

4.7.4 वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय समूहों और न्यायालय परिसरों के निर्माण की भी अनुमति दी जाएगी। टीओडी परियोजनाएं व्यावसायिक घटक के भीतर ही और स्टेशन विकास के अंतर्गत ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं जिनसे बेहतर जन-परिवहन संपर्क उपलब्ध हो सकेगा।

4.7.5 सरकारी कार्यालयों और न्यायालय परिसरों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता-प्राप्त एटीए (एक्टिव ट्रेवल एरियाज) के रूप में माना जाएगा (देखें: MOB3)। जहां भी संभव हो, स्टैक पार्किंग का प्रावधान किया जाएगा।

4.8 अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

4.8.1 अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयाँ अपने आप को वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्रों के पास अवस्थित करती हैं, जैसे कि थोक, गोदाम, पीएसपी सुविधाएं, कार्यालय और परिवहन केंद्र जो महत्वपूर्ण सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। इन पर निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगेः

i) अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों को उपयुक्त स्थान देने के लिए डीसीएन के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न भूखंडों/ले-आउट प्लान के जरिये बिक्री-कारोबार (वेंडिंग) क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे। ऐसी इकाइयों का प्रावधान भवन योजनाओं/ ले-आउट प्लान के अनुमोदन के समय सुनिश्चित किया जाएगा।

ii) जहां भी व्यवहार्य हो, अनौपचारिक गतिविधियों को समूहबद्ध करने को बढ़ावा दिया जाएगा और उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण करके इसमें सुविधा दी जाएगी। इस तरह के क्लस्टर साप्ताहिक बाजारों की तरह अस्थायी हो सकते हैं या अधिक स्थायी रूप ले सकते हैं जैसेकि तह-बाजारी व्यवस्था या थीम-आधारित हाट। स्थानीय निकाय ऐसे समूहों (क्लस्टर) के लिए उपयुक्त स्थलों का पता लगाएंगे।

iii) स्ट्रीट डिजाइन विनियमों के अनुसार, सड़क सुधार के साथ-साथ नई सड़कों के निर्माण में बहु-उपयोगिता जोन भी शामिल होंगे ताकि अनौपचारिक गतिविधियों को स्थान दिया जा सके। चिह्नित सक्रिय यात्रा क्षेत्रों के लिए तैयार योजनाओं में बिक्री (वेंडिंग) और कोई बिक्री नहीं (नो वेंडिंग) वाले क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से सीमा निर्धारित की जाएगी (देखें: MOB3)।

iv) बिक्री कारोबार करने के लिए सभी निर्दिष्ट स्थानों पर जन-सुविधाएं (पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, पोशाक बदलने के कमरे, शिशु देखरेख सुविधाएं) और ठोस कचरे की निपटान व्यवस्था की सुविधाएं दी जाएंगी।

4.8.2 यदि व्यवहार्य होगा तो अनधिकृत कॉलोनियों, शहरी गांवों और मलिन बस्तियों के पुनःसुधार अथवा सुधार के अंतर्गत बहु उपयोगी सामुदायिक कार्य केंद्रों/कार्य स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। (देखें: DEV3)

--- x --- x ---- x --- x ---

खंड 3
धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक स्थल

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

निर्मित धरोहर: दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है, और इतिहास में यहां बहुत-सी बस्तियां रही है। यहां बहुत-सारी धरोहर संपत्तियां हैं और विश्व की मूल्यवान धरोहरों के बहुल क्षेत्र हैं एवं एक विशेष मूलावशेषों का प्रदेश है जहां संस्कृति और धरोहर, जनमानस की गतिविधियों से एकीकृत है।

दिल्ली में विश्व धरोहर स्थल, केंद्र संरक्षित स्मारक, राज्य संरक्षित स्मारक हैं और अन्य स्थानीय सूचीबद्ध धरोहर और गैर-सूचीबद्ध धरोहर संपत्तियां हैं; इनमें से कुछ धरोहर भवन और राष्ट्रीय महत्व के अवशेष अब विलुप्त हो गए हैं और अब इनका पता लगाया जाना संभव नहीं है। स्थानीय निकायों द्वारा अधिसूचित अधिकांश धरोहर भवन निजी स्वामित्व में हैं और अधिभोगी इनका सक्रिय उपयोग कर रहे हैं। मरम्मत न किए जाने, असंगत उपयोग और संपत्ति के पूर्ण/आंशिक असंवेदी पुनर्निर्माण के कारण इनमें से कई भवनों को गंभीर खतरा है। सभी धरोहर संपत्तियों का तत्काल संरक्षण और निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

दिल्ली की निर्मित धरोहर मुख्य रूप से यमुना और रिज के बीच बने त्रिकोण में जोन ए, सी, डी, और एफ में केंद्रित है। इनमें से कई शहर का अनूठा सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने योग्य हैं। इनमें से कई प्राकृतिक संपदाओं जैसे जल स्रोतों और जंगलों से जुड़ी हुई हैं, जिनसे एकीकृत योजना के अवसर दिखाई देते हैं। इनमें से कई ऐतिहासिक क्षेत्रों में आज मिश्रित उपयोग पैटर्न वाली घनी बस्तियां हैं और इनमें वाणिज्यिक गतिविधियां हो रही हैं और अतिक्रमण की समस्याएं हो रही हैं तथा हैरीटेज सम्पदा को नजरअंदाज किया जा रहा है जैसे शाहजहानाबाद, निज़ामुद्दीन, महरौली, तुगलकाबाद, जहाँपनाह, हौज़ खास और लुटियन्स दिल्ली जहां दिल्ली के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक हैं।

दिल्ली को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अनुकूली पुन: उपयोग जैसे उपायों से अनूठे सांस्कृतिक और सार्वजनिक स्थलों को समृद्ध करने के लिए इस सुदृढ़ सांस्कृतिक पूंजी का उपयोग करने की कार्यनीति बनानी होगी। हालाँकि, कुछ शहरी गाँवों में ऐसे स्थलों के पास कई बुटिक प्रतिष्ठान, कलाकार स्टूडियो और अन्य रचनात्मक इकोनोमीज स्थापित किए गए है और सांस्कृतिक उत्सव, फूड वॉक, हेरिटेज वॉक आदि जैसी पहलें उभर कर सामने आई हैं, लेकिन इन सभी गतिविधियों की प्रकृति एक व्यवस्थित तरीके से पर्यटन और धरोहर के अनुभव को बढ़ाने से जुड़ी होने के बजाय छिटपुट ही हैं। धरोहर संपत्ति के अलावा, दिल्ली में लैंडमार्क भवन (बेकार पड़े औद्योगिक स्थल/ विद्युत संयत्र) भी हैं। ऐसी संपत्तियों को शहर की आधुनिक और औद्योगिक धरोहर के स्वरूप में स्वीकार किए जाने और उन्हें संरक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

दिल्ली में सार्वजनिक स्थल: इस शहर में बहुत-सारे सार्वजनिक स्थल हैं जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं। ये गतिविधि स्थल और नेटवर्क के रूप में हैं जिनसे दिल्ली में जनजीवन और भी अधिक जीवंत हो जाता है। दिल्ली की सार्वजनिक स्थलों की टाइपोलोजी बहुत विविध हैं, इसमें प्रतिष्ठित शहर स्तरीय हब, पार्क और इंडिया गेट, सीपी में सेंट्रल पार्क और नेहरू पार्क जैसे खुले स्थान से लेकर बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं, चारदीवारी शहर के पारंपरिक / ऐतिहासिक बाज़ार, दिल्ली-हाट, जैसी थीम साइट मार्केट जैसे जनपथ स्ट्रीट, संसद मार्ग पर एम्पोरिया क्षेत्र, और स्थानीय पार्क, चौक और सड़कें हैं। इनके अतिरिक्त, रचनात्मक कलाओं के मंडी हाउस जैसे विभिन्न स्थान, जलाशय, यमुना बाढ़ के मैदान और धरोहर संपत्ति की बहुलता वाले क्षेत्र स्वयं इस शहर के सांस्कृतिक और सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

सभी सार्वजनिक स्थलों और स्थानों को सभी उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुरक्षित, अधिक समावेशी और जीवंत बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है।

दिल्ली के लिए (i) लैंडमार्कों, प्रतिष्ठित स्थानों और विजुअल कॉरिडार जो सार्वजनिक अनुभव को बेहतर करने के लिए शहर की पहचान हैं, और (ii) जनसुविधाओं में सुधार और संस्थापना के लिए क्षेत्रों/सड़कों, की पहचान करने के लिए सार्वजनिक स्थलों की सूची बनाने की आवश्यकता है।
इस खंड में शहर की धरोहर को संरक्षित करने और उसका लाभ लेने और निम्नलिखित दो अध्यायों में शहर के सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने की कार्यनीतियां निर्धारित की गई है:

एचसीपी1 - सार्वजनिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन करना
एचसीपी1 – दिल्ली की धरोहर का प्रबंधन

अध्याय कोड
HCP1

5.0 सार्वजनिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन करना

5.1.1 योजना का उद्देश्य, इस शहर में जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्थलों से जुड़ी अवसंरचना की सुरक्षा, अतिक्रमण और इसके अभाव के मुद्दों का भलीभांति समाधान करना है। इससे बेहतर पदयात्रा, सार्वजनिक जीवन, सामाजिक जुड़ाव, स्वास्थ्य, रचनात्मकता और स्थानीय व्यवसायों, खुदरा, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के योजना के सभी तीन लक्ष्यों के असंख्य लाभ मिलेंगे।

5.1.2 'सार्वजनिक क्षेत्र' शब्द को एक अनिवार्य शहरी साझा स्थान माना जाता है जिनमें उस शहर में साझा सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं जो सभी के हैं और सभी के लिए सुलभ हैं। इस योजना में तीन तत्वों अर्थात सड़कों, सार्वजनिक और निजी प्लाजा / चौराहों, पार्क और खुले स्थानों पर विशेष फ़ोकस करते हुए निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

i) पूरे शहर में भलीभांति डिजाइन किए गए, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों की बेहतर उपलब्धता और अनुभव।
ii) बेहतर मार्ग-स्तरीय गतिविधि और सुरक्षा वाले भवनों और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच बेहतर इंटरफ़ेस।

5.2 सार्वजनिक जीवन के लिए शहर स्तरीय हब और नेटवर्क को समृद्ध बनाना

5.2.1 शहर में सार्वजनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति बड़े, प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्रों और ऐसे लैंडमार्कों को समृद्ध बनाना है जो इस शहर की छवि का अंग हैं। जबकि योजना में कुछ नए अवसरों की पहचान की गई है जो सृजित किए जा सकते हैं, ऐसे कई क्षेत्र पहले से ही शहर में मौजूद हैं और विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियों की सहायता के लिए इनमें बेहतर सुविधाओं और डिजाइन के माध्यम से सुधार करने की आवश्यकता होगी।

5.2.2 **शहरी केंद्र:** शहर स्तरीय हब की निम्नलिखित टाइपोलोजी को प्राथमिकता के आधार पर विकसित/उन्नत किया जाएगा:

i) **सार्वजनिक तटीय नगरभाग (पब्लिक वाटरफ्रंट):** योजना में यमुना बाढ़ के क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पुनरूद्धार और नालों के बफर के साथ-साथ हरे-भरे मार्गों का निर्माण करने की कार्यनीति बनाने के प्रावधान दिए गए हैं। इससे उन क्षेत्रों में जल निकायों के साथ-साथ संवेदनशीलता से बनाए गए नए सार्वजनिक स्थलों को प्रोत्साहन मिलेगा जो पहले उपेक्षित थे। **(देखें: ईएनवी2; एमओबी3)**

ii) **शहरी जंगल:** दिल्ली में आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों के अंतर्गत बड़ा क्षेत्र है, जो नागरिकों को एक सक्रिय जीवन शैली और प्रकृति से जुड़ाव का उत्कृष्ट स्थान प्रदान कर सकते हैं। संबंधित भू-स्वामी एजेंसियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण तक पहुँच प्रदान करने के लिए, 'इंटरएक्टिव जोन' की पहचान और उनका विकास करेंगी। इस योजना अवधि के दौरान, खदानों, लैंडफिल, राख डाइक्स आदि जैसी साइटों को पार्कों और प्राकृतिक हैबिटेट्स के रूप में भी पुन: उपयोग में लाया जाएगा। **(देखें: ईएनवी 2)**

iii) **सांस्कृतिक हॉट स्पॉट:** शाहजहानाबाद, सेंट्रल विस्टा और इंडिया गेट लॉन, कनॉट प्लेस, हौज खास, महरौली आदि जैसे सांस्कृतिक हॉट स्पॉट अत्यधिक पब्लिक गतिविधि के स्थान हैं जो स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के साथ-साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। गहन सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों वाले अन्य विशिष्ट केंद्रों की पहचान की जाएगी (उदाहरण के लिए मंडी हाउस, लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया और कला परिसर, दिल्ली हाट, दस्तकार हाट, आदि)। ऐसे स्थलों में और उसके आसपास सार्वजनिक क्षेत्र को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

iv) **ट्रांजिट हॉटस्पॉट:** दुनिया भर में प्रतिष्ठित हवाई अड्डे और ट्रांजिट स्टेशन, शहरों की सार्वजनिक स्मृति और सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस योजना में मिश्रित उपयोग और सार्वजनिक गतिविधि के हब के रूप में और ऐसे दर्शनीय लैंडमार्कों के सृजनार्थ ट्रांजिट नोड्स के विकास का प्रावधान है। **(देखें: एमओबी2 तथा डीईवी4)**

v) **बाज़ार स्थान:** लोग विशेष उत्पादों और अनुभवों के लिए दिल्ली के कई अलग-अलग बाजारों से जुड़े होते हैं। इन बाजारों में जिला केंद्र और सामुदायिक केंद्र सहित बाजार शामिल है जो बेहतर शॉपिंग अनुभव के लिए पैदल घूमन-फिरने वाले स्थानों सहित सक्रिय आवाजाही वाले जिले बन सकते हैं। **(देखें: एमओबी3)**

vi) **मनोरंजन हब:** विभिन्न हरित मनोरंजनात्मक हब, प्रदर्शनी और कांसर्ट स्थान, सप्ताहांत गंतव्य स्थल, थीम पार्क आदि का विकास हरित विकास क्षेत्र (जी.डी.ए.) में प्रत्याशित है, जिससे शहर-स्तरीय सार्वजनिक स्थलों की सूची में वृद्धि होगी। **(देखें: डीईवी2)**

5.2.3 **शहर स्तरीय सर्किट:** सार्वजनिक स्थल नेटवर्क एक सुरक्षित और जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति होते हैं। इस योजना में दिल्ली में हरित कॉरिडोर, धरोहर और सांस्कृतिक सर्किट अथवा अस्थायी उत्सव सर्किट बनाने के लिए बहुत-से अवसरों की पहचान की गई है। संभावित सर्किट की एक सांकेतिक सूची **अनुलग्नक 6** में दी गई है। पदयात्रा, विश्राम करने और सामाजिक सम्पर्क की जन सुविधाओं में सुधार, सांस्कृतिक और/ या रचनात्मक इकोनोमीज और थीम वाले कार्यक्रमों आदि को सुकर बनाने के लिए इस तरह के सर्किट का काम शुरू किया जाएगा। **(देखें: एचसीपी2; एमओबी 3)**

5.2.4 **नाइटलाइफ सर्किट (एनसी):** सुरक्षा में सुधार, अलग-अलग गतिविधियों से जाम में कमी, विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थानों का ईष्टतम उपयोग करना और औपचारिक एवं अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्पादकता में सुधार करने के लिए नाइट टाइम इकोनोमीज (एनटीई) और सक्रिय रात्रि जीवन महत्वपूर्ण हैं।

i) सांस्कृतिक उपक्षेत्रों जैसे मार्ग या क्षेत्र, धरोहर संपत्तियों की बहुलता वाले क्षेत्र, केंद्रीय व्यापार जिले में क्षेत्र आदि जो एक जीवंत नाइटलाइफ है, वर्तमान में नाइटलाइफ सर्किट (एनसी) के प्राथमिकता वाले नोड होंगे।

ii) स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां, एनसी की पहचान करेंगी और होटल, रेस्तरां, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों, मनोरंजन, खेल सुविधाओं, खुदरा स्टोर इत्यादि के लिए विनिर्दिष्टियों के अनुसार रात्रि में कार्य करने के लिए विस्तारित समय की अनुमति देंगी।

iii) संबंधित एजेंसियां, पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसान पहुंच को सुगम बनाने के लिए चिह्नित एनसी में संयुक्त रूप से काम करेंगी। रात के समय कम आवृत्ति के साथ विशेष मेट्रो लाइनों और बस मार्गों को प्रचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।

iv) चिन्हित एनसी के साथ-साथ सभी नए निर्माण/पुनर्विकास को सक्रिय फ्रंटेज सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

v) संबंधित एजेंसियां, एनसी को बढावा देने के लिए मौसमी या सांस्कृतिक उत्सवों, थीम्ड नाईट वॉक आदि का आयोजन करने के लिए कलाकारों के समूहों, सांस्कृतिक समूहों, निवासी समूहों, युवा समूहों, बाजार और विक्रेता संघों और साप्ताहिक बाजारों आदि के साथ सहयोग कर सकती हैं।

5.2.5 संबंधित एजेंसियों द्वारा विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक स्थल सुधार के वित्तपोषण के नवीन तंत्र, सार्वजनिक स्थलों को अल्पकालिक पट्टे पर देने, सीएसआर निधि के उपयोग आदि की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

5.3 स्थानीय सार्वजनिक स्थलों में सुधार करना

5.3.1 **स्ट्रीट पर सार्वजनिक जीवन:** दिल्ली में कुल भूमि के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से पर सड़कें बनी हैं और शहर में सार्वजनिक स्थल का सबसे सर्वव्यापी रूप है। योजना में लोगों के लिए इस क्षमता का लाभ उठाने और स्ट्रीट को जन-स्थल के रूप में पुनः बनाने पर फोकस किया गया है।

i) **अनुलग्नक 7** में स्ट्रीट डिजाइन विनियमों के अनुसार, पर्याप्त सड़क अवसंरचना, छाया, और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ बाधा रहित वातावरण प्रदान कर पूरे शहर में पैदल चलने (वॉकेविलिटी) को सुविधाजनक बनाया जाएगा।

ii) खण्ड 5.3.2 के अनुसार स्ट्रीट वेंडिंग जोन, सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं तक पहुंच, पैदल यात्री क्रॉसिंग और पब्लिक प्लाजा जैसे अवसरों का सृजन कर सड़कों पर सार्वजनिक जीवन में और अधिक सुधार किया जा सकता है।

5.3.2 **पब्लिक प्लाज़ा:** प्लाज़ा में पड़ोस के चौक और नुक्कड से लेकर संस्थागत फोरकोर्ट, शहर के चौक (सिटी स्क्वायर) और पियाज़ा तक आते हैं, और ये आवाजाही नेटवर्क के साथ-साथ महत्वपूर्ण ठहराव बिंदु होते हैं।

5.3.2.1 शहर में निम्न प्रकार के प्लाजा को प्रोत्साहित किया जाएगा:

i) स्टैंडअलोन प्लाज़ा- ये इमारतों के फोरकोट्स के रूप में हो सकते हैं, और भूमि के स्तर के साथ-साथ उससे ऊंचे स्तर पर भी हो सकते हैं।

ii) गलियों के किनारे कॉर्नर प्लाजा इन्हें गलियों के किनारें पर बनाया जा सकता है। प्लॉट के छोर अथवा भवन छोर को उभारा जा सकता है अथवा पीछे किया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है जिससे व्यावसायिक/सांस्थानिक उपयोग के फैलाव हेतु कॉर्नर प्लाजा तैयार हो सकें।

iii) मिड-स्ट्रीट प्लाज़ा- ये भूखंड की रेखाओं अथवा भवन के किनारों को रिसेस करके, विशेषकर सार्वजनिक भवनों के सामने बनाये जा सकतें हैं।

5.3.2.2 प्लाजा को विभिन्न प्रकार के विकास के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार सभी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड लेआउट/स्कीमों में लेआउट प्लान के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध किया जाएगा।

5.3.2.3 यदि पब्लिक प्लाजा के विकास के लिए भूखंड क्षेत्र दिया जाता है, शेष भूखंड में ऐसे क्षेत्र के लिए एफएआर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

5.3.2.4 सार्वजनिक आवाजाही की सुगमता और स्पिलओवर क्षेत्र का काम करने के लिए, प्लाजा को भूमि पर, कॉनकॉर्स पर अथवा ऊंचे स्तरों पर सभी पारगमन स्टेशन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

5.3.2.5 पब्लिक प्लाजा द्वार रहित रहेंगे और आम जनता के लिए हर समय खुले रहेंगे।

5.3.3 **गतिविधि प्रोग्रामिंग:** गतिविधि-सृजक उपयोगों के माध्यम से उपयुक्त प्रोग्रामिंग, सड़क की निगरानी के साथ जीवंत और सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्वजनिक क्षेत्रों और आसपास के भवनों के बीच मजबूत संबंधों को निम्नलिखित से बढ़ावा दिया जाएगा:

5.3.3.1 **सरल मिश्रित उपयोग और वर्टिकल मिक्सिंग के लिए मानदंड,** जैसाकि योजना में प्रस्तावित किए गए हैं, ये भूखंडों/भवनों के भीतर गतिविधियों के मिश्रण को बढ़ावा देते हैं जिसके परिणामस्वरूप ये क्षेत्र दिन के दौरान लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक भंडार, रिटेल, डाकघर आदि जैसे सार्वजनिक उपयोग अनिवार्य रूप से निचले तल पर रखा जाए ताकि सड़क से इन तक सुगमता से पहुंचा जा सके।

5.3.3.2 **सक्रिय फ्रंटेज:** पुनरूद्धार परियोजनाओं के भाग के रूप में (देखें डीईवी 3), 18 मीटर अथवा उससे अधिक आरओडब्ल्यू वाली सड़कों के साथ-साथ कुछ प्रतिशत आर्कड्स, कोलोनेड्स, शॉपफ्रंट्स, पैदल यात्री प्रवेश/निकास, प्लाजा, एक्सेस पॉइंट्स, पारदर्शी शॉप विंडो आदि के रूप में सक्रिय फ्रंटेज का कुछ प्रतिशत रखा जाएगा। ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में, ऐसे सक्रिय फ्रंटेज कम से कम 24 मी. की सड़क के किनारे-किनारे होंगे। लागू मानदंडों के अनुसार इन किनारों के साथ भवन बिल्ट-टू-एज होंगे। उन स्थानों पर जहां चारदीवारी की अनुमति है, सड़क के साथ दृश्य संपर्क बनाए रखने का ध्यान रखा जाना चाहिए (अनुलग्नक 7)।

5.3.3.3 एमयूजेड, सबवे और पब्लिक/प्राइवेट प्लाज़ा को कियोस्क, अनौपचारिक वेंडिंग, पब्लिक आर्ट, परफॉर्मेंस आदि के साथ डिजाइन किया जाएगा। आकर्षक प्ले एलिमेंट्स, वॉटर फीचर्स, स्ट्रीट फ़र्नीचर, चार्जिंग पॉइंट्स, रीडिंग कॉर्नर आदि से सार्वजनिक स्थलों की गुणवत्ता काफी अधिक बढ़ सकती है, जिससे आवाजाही वाले गलियारों के आस-पास कुछ देरे ठहरने के लिए स्थान उपलब्ध होता है।

5.3.4 **स्थानीय पार्क:** विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्तरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड में पार्कों, हरित क्षेत्रों और खुले स्थानों को वर्गीकृत किया जाएगा। स्कूलों या अन्य पब्लिक संस्थानों के भीतर मैदानों का स्कूल की समयावधि के बाद सामुदायिक पार्कों के रूप में बहु-प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

5.3.5 **निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थल (पीओपीएस):** इस योजना में ऐसे पीओपीएस के विकास को बढ़ावा दिया गया है जो निजी संपत्ति बने रहेंगे और जिनका रख-रखाव इसके स्वामी/डेवलपर द्वारा किया जाएगा, लेकिन जहां विनियमित अवधि के दौरान भूमितल पर अथवा इससे ऊंचे स्तरों पर भवन के भीतर खुले स्थान तक पहुंच प्रदान की जाती है।

i) इन स्थानों को एफएआर से मुक्त माना जाएगा। डेवलपर्स को ऐसे क्षेत्रों के आसपास गतिविधि सृजक उपयोगों में लाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन निर्दिष्ट पब्लिक क्षेत्र के भीतर किसी कियोस्क या व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) ऐसे स्थान व्यावसायिक उपयोग के लिए डेवलपर्स द्वारा बनाए गए स्पिल ओवर स्थान या निजी खुले स्थानों के अतिरिक्त होंगे। इससे खुले स्थान की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी इसलिए भूस्वामियों/डेवलपर्स द्वारा इसे अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा।

5.4 सार्वजनिक स्थलों में सुधार के लिए अन्य हस्तक्षेप

5.4.1 सभी सार्वजनिक स्थलों पर अग्नि सुरक्षा के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे और संबंधित प्राधिकरण द्वारा किसी भी आपदा की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले सभी एकत्र होने वाले स्थानों और पब्लिक भवनों के निकट निकासी क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।

5.4.2 **पब्लिक आर्ट:** सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी पब्लिक आर्ट संस्थापनाओं और स्ट्रीट परफॉर्मेन्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि उपयोगकर्ताओं को असुविधा नहीं हो रही है, खाली पड़े स्थानों जैसे सबवे क्रासिंग और फ्लाईओवर के नीचे के स्थान को ऐसे हस्तक्षेपों के माध्यम उपयोग में लाया जा सकता है। डीयूएसी द्वारा तैयार की गई लोक कला नीति के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

5.4.3 नागरिक और अन्य हितधारक, पहुँच, सुरक्षा और रोशनी, विशिष्ट उपयोगकर्ता समूहों की जरूरतों, आदि के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्रों के नियमित जांच जैसी पहलों और इन्हें संबंधित एजेंसियों से साझा करके सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। संबंधित एजेंसियां भी एक्टिव ट्रैवल और अन्य स्मार्ट एप्लीकेशन्स के भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र उपयोगकर्ता सर्वेक्षणों को एकीकृत करके जनता का अभिमत प्राप्त कर सकती हैं।

--- x --- x ---- x --- x ---

अध्याय कोड
HCP2

6.0 दिल्ली की धरोहर का प्रबंधन

6.1.1 'धरोहर' में ऐतिहासिक और संबंधित सांस्कृतिक महत्व के मूर्त तत्व (स्मारक, भवन, सड़क, उद्यान आदि) के साथ-साथ अमूर्त तत्व (उत्सव, पारंपरिक शिल्प उत्पाद, कला रूप आदि) आते हैं। इस योजना में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है और निम्नलिखित तरीके से इसमें धरोहर संपत्तियों के साथ-साथ सांस्कृतिक केंद्रों में सुधार की परिकल्पना की गई है:

i) धरोहर संपत्तियों के संरक्षण और/अथवा अनुकूली पुन: उपयोग।

ii) ऐतिहासिक क्षेत्रों में अवसंरचना, जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक जीवंतता के प्रावधान।

6.2 धरोहर संपत्ति का संरक्षण

6.2.1 सभी धरोहर संपत्तियों की अविस्थति संबंधित एजेंसियों के पास होती है, इन्हें जीआईएस- आधारित दिल्ली स्पेटियल सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा। उनकी स्थिति का आकलन करने और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में धरोहर संपत्ति की सूची अद्यतन की जाएगी।

6.2.2 राष्ट्रीय और राज्य संरक्षित स्मारकों, भवनों और विनियमित एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर किसी भी विकास का संरक्षण और प्रबंधन, संबंधित अधिनियमों/कानूनों के अनुसार होगा। स्थानीय समुदाय के साथ विचार-विमर्श करके प्रत्येक क्षेत्र/स्थल की अवसंरचना अद्यतन करने/विजिटर सुविधाओं आदि सहित व्यापक सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना बनाई और कार्यान्वित की जाएगी।

6.2.3 प्राधिकरण विरासत/सांस्कृतिक मूल्य के किनी भवनों/भवनों के समूह तथा पुरानी मार्केट, 1962 से पूर्व की संरचनाओं, अलग-थलग पड़े परिसरों जैसे की जामा मस्जिद के निकटवर्ती स्कूल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, कश्मीरी गेट पर चर्च, ओल्ड हिंदू कम्पलैक्स आदि पर म्यूनिसिपल कार्यालयों को चिन्हित कर सकता है जहां मामला दर मामला आधार पर समग्र संरक्षण संरचना के अंदर परिवर्धन/परिवर्तन किए जाएंगे।

6.2.4 इन धरोहर भवनों के स्वामी, जो स्थानीय निकाय द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं, इन संपत्तियों का संरक्षण और संवेदनशील उपयोग/पुन: उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन ले सकते हैं:

i) भवन के ग्रेड के आधार पर इन भवनों में फेर-बदल की अनुमति दी जाएगी।

ii) खण्ड 6.2.4 के अनुसार संरचनाओं के अनुकूल पुन: उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

iii) खण्ड 6.2.5 के अनुसार, अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।

iv) खण्ड 6.2.6 के अनुसार स्थानीय निकायों और संबंधित एजेंसियों द्वारा समर्थकारी प्रावधान।

6.2.5 **अनुकूली पुन: उपयोग:** स्थानीय निकायों द्वारा पहचाने गए विरासत भवनों में से अधिकांश निजी स्वामित्व वाले हैं और अधिभोगियों द्वारा इनका सक्रिय उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भवनों में, संघटक स्वामियों को इन भवनों का संरक्षण करने और ऐतिहासिक संदर्भ के अनुरूप ऐसी परिसंपत्तियों का अनुकूल उपयोग / पुन: उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विरासत भवनों में किसी भी नए संगत उपयोग की अनुमति दी जाएगी जैसाकि स्थानीय निकायों द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसके लिए अलग विनियम बनाए जाएंगे।

i) उन विरासत भवनों में, जहां अनुकूली पुन: उपयोग की योजना बनाई जा रही है, मापन के लिए यूबीबीएल के प्रावधानों के अनिवार्य पालन पर जोर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये भवन और संरचनाएं पहले ही बन चुकी हैं।

ii) साइट के भीतर, खुले क्षेत्रों में अनौपचारिक बाजार, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि गतिविधियों के लिए अस्थायी संरचनाओं का निर्माण स्थानीय निकायों और दिल्ली अग्निशमन सेवा, जहां लागू हो, की अनुमति के अध्यधीन होगा।

6.2.6 **हेरिटेज टीडीआर:** स्थानीय निकायों द्वारा अधिसूचित धरोहर इमारतों के मालिकों को विकास के अधिकारों के नुकसान की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। अप्रयुक्त एफएआर की गणना संबंधित भूमि उपयोग पर अनुमत एफएआर का उपयोग करके की जाएगी। स्वामी, धरोहर संपत्ति को इसकी धरोहर प्रकृति एवं संरचना में संरक्षित करने एवं बनाए रखने के लिए 20 अतिरिक्त एफएआर के पात्र भी होंगे।

i) टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) के रूप में कुल एफएआर (अप्रयुक्त और प्रोत्साहन), प्रदान किया जाएगा जिसका पहचाने गए टीडीआर प्राप्त क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। **(देखें: डीसीएन)**

ii) दि.वि.प्रा. द्वारा टीडीआर प्रमाणपत्र; संपत्ति की उपयुक्त मरम्मत और सुधार किए जाने और संबंधित एजेंसियों से प्रासंगिक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लेने के बाद ही जारी किया जाएगा।

iii) स्थानीय निकाय/संबंधित एजेंसी, प्रतिबद्ध मरम्मत और रखरखाव न किए जाने या भवन के धरोहर मूल्य को क्षति पहुंचने के मामले में शास्ति प्रभारित करेगी।

6.2.7 **अन्य समर्थकारी प्रावधान:**

i) स्थानीय निकाय, धरोहर प्रकोष्ठ स्थापित करें जो विरासत संपत्ति का प्रबंधन करेंगे, उनके रख-रखाव की स्थिति की निगरानी करेंगे, सांस्कृतिक उपक्षेत्र का निर्धारण करेंगे, पूरक आर्थिक/सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, समारोह के आयोजन, वॉक आदि को बढ़ावा देंगे, अनुकूली पुन: उपयोग परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाएंगे और इन पहलों में मदद के लिए एक धरोहर निधि स्थापित करेंगे। ये धरोहर प्रकोष्ठ अन्य लैंडमार्क, आधुनिक और औद्योगिक धरोहर भवनों/भवनों के हिस्सों/स्थलों की पहचान कर सकते हैं।

ii) संबंधित एजेंसियां धरोहर संपत्तियों के स्वामियों को अपनी विरासत संरचनाओं के संरक्षण में सुविधा प्रदान करेंगी। प्रत्येक एजेंसी एक पोर्टल विकसित करेगी जिसमें धरोहर संरचनाओं की सूची, धरोहर भवनों में विशेषज्ञता वाले पैनलबद्ध तकनीकी विशेषज्ञों, कलाकारों, कार्यकारी एजेंसियों की सूची, चलाई जा रही परियोजनाओं, पहचाने गए संभावित निवेशकों आदि से संबंधित सूचना दी गई हो।

iii) संबंधित एजेंसियां शिक्षा और संवेदीकरण के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित भी करेंगी और स्थानीय निकायों/ संबंधित एजेंसी द्वारा किए जाने वाले हेरिटेज वॉक जैसी पहलों का समर्थन करेंगी।

iv) धरोहर संपत्तियों को अपनाने / उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए सीएसआर निधियन को बढ़ावा दिया जाए।

6.3 शहर में धरोहर और सांस्कृतिक समूह

6.3.1 शहर में तीन प्रकार की धरोहर / सांस्कृतिक समूहों की पहचान की जाती है,

i) **धरोहर क्षेत्र:** धरोहर क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसमें योजना द्वारा ऐतिहासिक या सौंदर्यपरक रूप से या भौतिक विकास आदि से जुडे भवनों, संरचनाओं, समूहों या कॉम्पलैक्सों की महत्वपूर्ण बहुलता, लिंकेज अथवा निरंतरता है। निम्नलिखित क्षेत्रों की धरोहर क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है:

क) शाहजहानाबाद चारदीवारी शहर

ख) लुटियन बंगला क्षेत्र (एलबीजेड)

यथा सूचीबद्ध अनुलग्नक 8, धरोहर का भाग होना चाहिए

ii) **सांस्कृतिक उपक्षेत्र:** सांस्कृतिक उपक्षेत्र, एक परिभाषित क्षेत्र में एक दूसरे से मार्गों द्वारा अथवा आसंजक निर्मित रूप में जुडी वास्तुशिल्प, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सहबद्ध मूल्यों वाली मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की अलग-अलग विरासत की बहुलता को दर्शाता है। ये उपक्षेत्र धरोहर जोन से अलग-अलग भी हो सकते हैं अथवा धरोहर जोन का हिस्सा भी हो सकते हैं। अनुलग्नक 8, सांस्कृतिक उपक्षेत्रों की सांकेतिक सूची है।

iii) **पुरातत्व पार्क:** पुरातत्व पार्क, धरोहर संसाधनों और ऐसे संसाधन से युक्त भूमि वाला क्षेत्र होता है, जिसमें पर्यटकों के लिए आकर्षण के तौर पर महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त, जनता के लिए एक व्याख्यात्मक और शैक्षिक संसाधन बनने की क्षमता होती है। पुरातात्विक पार्कों को रूप, डिजाइन, सामग्री और पदार्थ, उपयोग और प्रकार्य, परंपरा और आकर्षण के तकनीक, अवस्थिति और परिवेश, भाव और अनुभव और अन्य आंतरिक एवं बाह्य कारकों जैसे अनिवार्य पहलुओं के मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। दिल्ली में निर्दिष्ट पुरातत्व पार्क हैं:

क) महरौली पुरातत्व पार्क
ख) तुगलकाबाद पुरातत्व पार्क
ग) सुल्तान गढ़ी पुरातत्व पार्क
घ) इंद्रप्रस्थ पुरातत्व पार्क
ङ) उत्तरी रिज पुरातत्व पार्क

उपरोक्त सूची सांकेतिक है और संबंधित एजेंसियों द्वारा और अधिक धरोहर जोन, सांस्कृतिक उपक्षेत्रों, पुरातत्व पार्कों को जोड़ा जा सकता है।

6.4 धरोहर क्षेत्रों और सांस्कृतिक उपक्षेत्रों के लिए कार्यनीतियाँ

6.4.1 **शाहजहांनाबाद एक सांस्कृतिक उद्यम केंद्र के रूप में:** चारदीवारी शहर, शहर का ऐतिहासिक रूप से मूल और व्यापारिक केंद्र है, जो मूर्त और अमूर्त, दोनों धरोहरों से समृद्ध है। यहां बहुत-सी अधिसूचित धरोहर संपत्तियों के अतिरिक्त, विश्व धरोहर स्थल लाल किला स्थित है। इसकी अनूठी संरचना में *कटरा,* बाज़ार, ऐतिहासिक बाज़ार, सड़कें और विस्टा के साथ-साथ त्यौहार, कविता, पारंपरिक शिल्प उत्पाद, भोजन और वस्त्र इत्यादि जैसे अमूर्त सांस्कृतिक अनुभव शामिल हैं, जो दिल्ली की विशेषता हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में कई चुनौतियां भी हैं जैसेकि निरंतर थोक व्यापार, भंडारण और प्रदूषण/खतरनाक आर्थिक गतिविधियां, और माल की आवाजाही के कारण यातायात जाम, भवनों का जीर्ण-शीर्ण होना, अवसंरचना का अभाव और तदर्थ एवं गैर संवेदनशील रूपांतरण जिससे निर्मित संरचना विरूपित होती है। योजना अवधि के दौरान क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक बहु-एजेंसी समन्वित पहल शुरू की जाएगी:

क) 2 वर्षों के अंदर चारदीवारी शहर के भीतर सभी सांस्कृतिक उपक्षेत्रों की रूपरेखा बना ली जाएगी। एसआरडीसी/संबंधित स्थानीय निकाय खंड 6.4.3 के अनुसार, ऐसे सभी उपक्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार और कार्यान्वित करेगा। खण्ड 6.2.3-6.2.6 के अनुसार, धरोहर भवनों के मालिकों को संरक्षण/अनुकूली पुन: उपयोग के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।

ख) स्थानीय निकाय सभी प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली सड़कों की पहचान करते हुए क्षेत्रों के लिए एक योजना तैयार करेगा। माल लाने-ले जाने की सभी हानिकारक उद्योगों और जोखिमपूर्ण व्यापारों, गोदामों और थोक गतिविधि को 10 वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र से हटा दिया जाएगा और शहर में निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लाजपत राय मार्केट जैसी

पुरानी मार्केट को पूर्ववर्ती योजनाओं में यथा निर्धारित के अनुसार रखा जाएगा। मौजूदा गतिविधियोँ को खुदरा रूप में जारी रखा जा सकता है। पुराने शहर से जुड़ी और स्थानीय निकाय द्वारा पहचानी गई अंतर्संबद्ध खुदरा गतिविधि के समूहन और संकुलन को बढ़ावा दिया जाएगा।

ग) इस क्षेत्र को कलाकार स्टूडियो, प्रदर्शन स्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, कैफे, संगीत स्थल, सह-कार्य स्थान, शिल्प केंद्र, होटल जैसे उपयोग सांस्कृतिक उद्यम केंद्र के रूप में विकसित करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्लॉटो में बी एंड बी सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी और न्यूनतम 6 मीटर सड़क से इसकी पहुंच दी जाएगी, चाहे भूमि का उपयोग कुछ भी क्यों न हो। **(देखें: डीईवी3)**

घ) शाहजहानाबाद का फाइन ग्रेन फैबरिक और स्ट्रीट मोरफोलोजी इसकी प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है और इसे बरकरार रखा जाएगा। इसलिए, समूह आवास टाइपोलोजी और स्टिल्ट पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, एकीकृत क्षेत्र में सुधार और उत्थान के प्रयोजनार्थ बड़े क्षेत्रों के पुनर्गठन (जैसेकि सब-जोन स्तर) की अनुमति दी जाएगी। चारदीवारी शहर के अंदर सभी पुनरुद्धार, दिए गए विशिष्ट विकास और शहरी डिजाइन नियंत्रण के अनुसार होंगे। **(देखें: डीसीएन)**

ङ) चारदीवारी वाला शहर, शहर में नाइट लाइफ सर्किट के लिए एक केन्द्र है। **(देखें: एचसीपी1)**

च) स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित एजेंसियां, निम्नलिखित क्षेत्र सुधार पहलों में सहायता करेंगे / इन्हें कार्यान्वित करेंगे।

i) चारदीवारी शहर के लिए वाहनों की आवाजाही के मार्गों, पदयात्रा क्षेत्रों और सड़कों, एनएमटी मार्गों, सर्विस वाहनों की सीमा और समय-सारणी, निवासियों और पर्यटकों के लिए साझा पार्किंग क्षेत्रों की पहचान कर एक यातायात प्रबंधन योजना और मेट्रो स्टेशनों के आसपास यात्री आवाजाही योजनाएं लागू की जाएगी, जो चारदीवारी शहर के लिए कारगर हों।

ii) क्षेत्र में सक्रिय यात्रा को बढ़ावा दिया जाएगा और यह पैदल चलने, साइकिल चलाने, पीबीएस आदि की सुविधाएं प्रदान के लिए यह एक अधिमानत: एटीडी होगी। **(देखें: एमओबी3)**

iii) एमएलसीपी के निर्माण के लिए चारदीवारी शहर में और अधिक खुले स्थान नहीं लिए जाएंगे क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत-सारे मेट्रो स्टेशन क्षेत्र आस-पास स्थित हैं। किसी भी मौजूदा सतही सार्वजनिक पार्किंग स्थल को पूर्ववत बरकरार रखा जाएगा। सभी सांविधिक स्वीकृतियां ली जाएंगी।

iv) निवासियों और हितधारकों के परामर्श से आपात स्थिति के दौरान निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाने के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं और सेवाओं एवं सुविधाओं और उपयोगिताओं की संस्थापना या सुधार की आवश्यकता आधारित व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाने के लिए कटरा, बाज़ारों आदि के लिए क्षेत्र स्तरीय योजना तैयार की जाएगी।

v) आग के जोखिम को बढ़ाने वाले ओवरहेड तारों के ढेर को उचित तकनीकी समाधानों के माध्यम से ठीक किया जाएगा **(देखें: आईएनएफ4)।**

6.4.2 **लुटियन बंगला क्षेत्र:** इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालय, संग्रहालय, कला दीर्घाओं और बंगलों, जो सरकारी निवास का काम करते हैं, सहित केंद्र सरकार के स्थल शामिल हैं। एलबीजैड की अपनी एक अनूठी विशिष्टता है जिसमें बड़े वृक्षों वाले एवेन्यू, सेंट्रल विस्टा, गोलचक्कर, बड़े निजी और सार्वजनिक उद्यान और कॉलोनियल वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

i) लुटियन बंगला क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए, संबंधित एजेंसी द्वारा इसकी धरोहर महत्ता और सौंदर्य प्रकृति से समझौता किए बिना, विकास-उन्मुखी मानदंड तैयार किए जाएंगे।

6.4.3 **सांस्कृतिक उपक्षेत्रों के लिए प्रावधान:** निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

i) स्थानीय निकाय द्वारा सूचीबद्ध सांस्कृतिक उपक्षेत्रों की सीमाओं की रूपरेखा (इस प्रयोजनार्थ बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर) बनाई जाएगी और क्षेत्रीय योजनाओं में निरूपण किया जाएगा

ii) स्थानीय निकाय / संबंधित एजेंसी द्वारा शहरी डिज़ाइन और बिल्ट फॉर्म नियंत्रण शामिल करते हुए प्रत्येक उपक्षेत्र हेतु सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना (सीआरएमपी) तैयार की जाएगी। जहां भी संभव हो, उपक्षेत्र में भू-स्तर पर मुख्य सड़कों के साथ-साथ सक्रिय फ्रंटेज को प्रोत्साहित किया जाएगा। उपक्षेत्रों के अंदर सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

iii) इन क्षेत्रों के मार्ग और सड़क नेटवर्क को जो उपक्षेत्र का एक भाग हैं, पीबीएस और एनएमवी जैसी सुविधाओं में सुधार और इनके विकास के लिए वरियता प्राप्त एटीडी माना जाएगा।

iv) विभिन्न धरोहरों संपत्तियों या उपक्षेत्रों को जोडने वाले प्राकृतिक नालों के साथ हरित कोरिडोर को पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ इको-सांस्कृतिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।

v) उपक्षेत्रों में धरोहर मार्गों/वॉक को प्रोत्साहित किया जाएगा। जीवंतता बढ़ाने के लिए इन मार्गों को नाइट लाइफ सर्किट एवं सांस्कृतिक समारोह के साथ एकीकृत किया जाए। **(देखें: एचसीपी1)**

6.4.4 **पुरातात्विक पार्कों के लिए प्रावधान:** प्राकृतिक धरोहरों के बीच निर्मित धरोहरों के संरक्षण पर जोर देते हुए सीआरएमपी तैयार किया जाएगा। योजना में सभी संभावित संसाधनों जैसे ऐतिहासिक संरचनाओं, उद्यानों, बागों, खुले जलाशयों, सीढीयुक्त कुओं, बावलियों आदि की पहचान की जाएगी और इस स्थल के संवेदनशील विकास के लिए अपेक्षित विशिष्ट शहरी डिजाइन नियंत्रण उपलब्ध कराए जाएंगे।

i) पुरातत्व पार्कों में निष्क्रिय अवकाश गतिविधियों वाले पर्यटक केंद्र बनने की क्षमता है। इन स्थलों का प्राकृतिक ऐतिहासिक परिवेश को संवेदनशील भूदृश्य डिजाइन द्वारा संरक्षित किया जाएगा

ii) रेस्तरां / कैफे, पुस्तकालय, कियोस्क, व्याख्या/ प्रदर्शनी / प्रशिक्षण केंद्रों, पर्यटक सूचना केंद्रों, स्मारिका भंडार और सार्वजनिक सुविधाओं की मानदंडों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

iii) सीआरएमपी में पहचान की गई संरचनाओं का अनुकूली पुन: उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार किया जा सकता है।

iv) समारोह, कार्यक्रमों, कृषक बाजारों, प्रदर्शनियों आदि के आयोजनार्थ सीमित अवधि के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से निर्मित अस्थायी संरचनाओं (स्वीकृति की शर्त पर) की अनुमति दी जा सकती है। अस्थायी पब्लिक आर्ट और संस्थापनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

--- x --- x ---- x --- x ---

खंड 4

आश्रय

और

सामाजिक अवसंरचना

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

आवास:

दिल्ली में भूमि और आवास के विकास पर पर्याप्त सीमा तक सीमित निजी भागीदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का विशेषाधिकार रहा है। ऐसी प्रक्रियाओं ने आवास की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बनाकर नहीं रखा। शहर में भूमि की उच्च लागत के कारण आवास भी पहुँच से बाहर हो गए हैं। दिल्ली के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, जीएनसीटीडी, 2018-19 के अनुसार, 85% आबादी को सस्ते आवास विकल्पों की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी आवासीय आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) और मलिन बस्तियों का प्रसार हुआ है और वर्तमान के शहरी गाँव सघन हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी जनसँख्या का लगभग 10.8% शहर के कुल क्षेत्र के 0.5% पर कब्ज़ा करके बनायी गयी झुग्गियों में रहती थी। ऐसे क्षेत्र निर्मित आवास की खराब गुणवत्ता, अपर्याप्त सेवाओं, सुख-सुविधाओं और खुले स्थानों की कमी और यहां तक कि आग, भूकंप और अन्य आपदाओं की स्थिति में उच्च जोखिम उठाकर आपदा की गंभीरता को कम करने के लिए सुगम्य मार्ग की कमी से ग्रसित रहते हैं।

इन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2019 के माध्यम से मान्यताप्राप्त यूसी के निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इस शहर के कुछ क्षेत्रों की आबादी को पूरा करने के लिए समुचित अवसंरचना के प्रावधान के बिना विकसित किया गया है।वर्तमान दृष्टिकोण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ, आवासीय स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करता है। मलिन बस्तियों के सुधार के लिए, मूल स्थान पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे निष्कासन का डर कम हो जाएगा। संरचनात्मक गुणवत्ता के साथ समझौता करने के अतिरिक्त, आवासीय स्टॉक भी भीड़भाड़ वाला होता है, जिसमें 60% से अधिक परिवारों (5 सदस्यों का परिवार) के पास एक या दो कमरों की आवासीय इकाइयां होती है। यह परिवार के सदस्यों की उत्पादकता, समग्र कल्याण और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। आवासीय मांगों के आकलनों में इसका ध्यान रखा गया है।

लगभग 28.4% परिवार किराये के आवास में रहते हैं (जनगणना, 2011) और अनुमान है कि यह संख्या पिछले दशक में बढ़ गयी होगी। 32.3% जनसँख्या प्रवासी है (दिल्ली का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, जीएनसीटीडी, 2018-19) और वे आने-जाने की कम लागत के कारण किराये के आवास को प्राथमिकता देते हैं। इस किराये की आवास के अधिकांश मांग को अनियोजित बस्तियों द्वारा पूरा किया जा रहा है, जिसमें स्वामित्व की असुरक्षा और रहने की स्थितियों के साथ समझौता करने के मुद्दे सम्मिलित हैं। सस्ते आवास, किराये के आवास, छात्रावासों, स्टूडियो अपार्टमेंटों, सर्विस्ड अपार्टमेंटों, डॉरमेटरीज, आदि के माध्यम से छात्रों, एकल कामकाजी पुरुषों और महिलाओं, प्रवासियों आदि की आवास आवश्यकताओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास आवासीय स्टॉक (सार्वजनिक और निजी दोनों) का एक बड़ा भाग है, जिस पर किसी का कब्ज़ा नहीं है और/या बिका हुआ नहीं है। दिल्ली में 11% घर (निवास और निवास के साथ अन्य उपयोगों के रूप में प्रयुक्त मकानों सहित) रिक्त हैं (जनगणना, 2011)। किराये के विकल्पों के माध्यम से ऐसे स्टॉक को उपयोग किये जाने की क्षमता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आवास के क्षेत्रीय विकास कार्यों; विशेषकर सस्ते आवासीय वर्ग में दिल्ली की आश्रय आवश्यकताओं की पूर्ति करना जारी रखा जाएगा, जहाँ भूमि की लागत में अंतर दिए गए। इस अंतर-निर्भरता को दिल्ली में आवासीय विकास कार्य के लिए स्वामित्व के विकल्पों और प्रारूप वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए रणनीतियों में निहित किये जाने की आवश्यकता है।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, दिल्ली (2011-2041) की आवासीय मांग का अनुमान 34.5 लाख आवासीय इकाइयों का है, जिसमें एक औसत परिवार का आकार 4.5 व्यक्तियों का माना गया है। आवासीय बैकलॉग, जनसँख्या में वृद्धि, बेघर जनसँख्या , वर्तमान आवासीय इकाइयों में भीड़भाड़ के स्तर के कारण उत्पन्न आवास की मांग, वर्तमान स्टॉक (अप्रचलन) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवासीय मांग की गणना की गई है जिसके लिए शहर में रिक्त आवासीय स्टॉक की अदलाबदली और उपलब्धता की आवश्यकता होगी। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आँकड़ों की कमी के कारण 2011 के बाद किसी भी आवासीय स्टॉक में किसी प्रकार के बदलाव की गणना नहीं की गयी है। इसलिए, जनगणना 2021 के माध्यम से उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अनुमानों की पुनर्गणना बाद के योजना समीक्षाओं के दौरान करनी होगी।

सामाजिक अवसंरचना:

दिल्ली की एक सुदृढ़ अवसंरचना है जो अपने निवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक जरुरतों को पूरा करती है और इस क्षेत्र के जिला/जोनल दोनों स्तरों पर / उप जोनल स्तरों और नेबरहुड स्तर पर सुविधाएं प्रदान करती है।

इस खंड के निम्नलिखित अध्यायों में आवास और सामाजिक अवसंरचनाओं के प्रावधान में सुधार करने के लिए कार्यनीतियां निर्धारित की गई हैं।

SSI1: आश्रय के लिए कार्यनीति बनाना

SSI2: सामाजिक अवसंरचना का प्रावधान

अध्याय कोड
SSI1

7.0 आश्रय के लिए कार्यनीति बनाना

7.1.1 यह योजना, योजना की अवधि में अनुमानित आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह वर्तमान क्षेत्रों के उत्थान और ग्रीनफील्ड स्थलों के नियोजित विकास के माध्यम से नए आवासीय स्टॉक के निर्माण के साथ –साथ मौजूदा आवासीय स्टॉक दोनों में सुधार की सुविधा प्रदान करती है। यह शहर के अनियोजित क्षेत्रों की चुनौतियों और विशिष्ट आवश्यकताओं का भी समाधान करती है।

7.1.2 योजना की कार्यनीतियाँ निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेंगी:

i) सस्ते किराया आवास आदि प्रदान करके आवास विकल्पों की उन्नत उपलब्धता

ii) पुराने और अनियोजित क्षेत्रों में बढ़ा हुआ निर्मित पर्यावरण, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता

7.2 आवास की आपूर्ति में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण

7.2.1 दिल्ली में भविष्य की आवास आपूर्ति को निम्नलिखित के माध्यम से पूरा किया जाएगाः

i) लैंड पूलिंग के मॉडल का उपयोग करके शहर के ग्रीनफ़ील्ड क्षेत्रों में सेक्टरों का बड़े पैमाने पर विकास। चिह्नित भूमि पूलिंग क्षेत्रों में 17-20 लाख आवासीय इकाइयों को विकसित करने की क्षमता है; (देखें: डीईवी1)

ii) हरित विकास क्षेत्र के अन्दर कम घनत्व और कम एफएआर आवासीय क्षेत्रों का विकास (देखें: डीईवी2)।

iii) सघनता के माध्यम से मौजूदा स्टॉक में सुधार और नई इकाइयों के सृजन दोनो के अनुसार विद्यमान क्षेत्रों का पुररूद्धार (देखें डीईवी 3)।

iv) प्लॉटो के पुनर्निर्माण के एक भाग के रूप में बढ़े हुए अनुमेय आवासीय एफएआर का उपयोग (एमपीडी-62 के बाद से आवासीय एफएआर दोगुना हो गया है) भी पर्याप्त योगदान करेगा।

7.2.2 योजना अवधि के दौरान आवासीय विकास/पुनर्विकास का नेतृत्व करने वाले निजी क्षेत्र के साथ, आपूर्ति परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव की परिकल्पना की गई है। सार्वजनिक एजेंसियाँ 'सुविधाप्रदाता' की भूमिका निभाएंगी और उपयुक्त नियामक वातावरण के माध्यम से कार्य प्रक्रिया की सुगमता को सुनिश्चित करेंगी।

7.2.3 सभी आवासीय क्षेत्रों का विकास पैदल दूरी के अंतर्गत, अपेक्षित स्थानीय सुविधाओं के साथ संपूर्ण पड़ोस के रूप में किया जाएगा। ऐसी सुविधाएँ आवासीय ले आउट के एक भाग के रूप में प्रदान की जाएंगी।

7.2.4 सभी आय समूहों में प्रवासी जनसँख्या की आवासीय आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए, शहर के अंदर किराये और सस्ते आवास को बढ़ावा दिया जाएगा; विशेषकर पारगमन के निकटवर्ती क्षेत्रों में। टीओडी के लिए सार्वजनिक परियोजनाएं या बड़े स्तर पर विशेष रूप से इस तरह के किराये के सस्ते आवासीय विकल्पों के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। निजी क्षेत्र को किराये पर आवास प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव भी दिया जाएगा।

7.2.5 भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, 40-60 वर्ग मीटर के छोटे आकार के आवासीय इकाइयों के विकास को सुनिश्चित करते हुए आवास की आपूर्ति को अधिकतम किया जाएगा।

7.3 नए विकास क्षेत्रों में आवास

7.3.1 लैंड पूलिंग क्षेत्रों में विकास कई आवासीय टाइपोलॉजी का निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। किराये के आवास (सस्ते किराये के आवास सहित) के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। सेक्टर स्तर पर, छोटे आवासीय प्रारूप बनाने के लिए शुद्ध आवासीय एफएआर का 25% उपयोग में लाया जाएगा।

7.3.2 कम सघनता वाले आवासीय प्लॉटो (एलडीआरपी) पर, कम सघनता वाली आवासीय इकाइयों, सेवानिवृत्त गृह, बुजुर्गों और विशेष जरुरतों वाले व्यक्तियों के लिए सहायक आवास की आवासीय टाइपोलॉजी की अनुमति प्रदान की जाएगी।

7.4 विद्यमान के नियोजित आवासीय क्षेत्रों का पुनरूद्धार:

7.4.1 नए आवास का निर्माण करने के लिए शहरी भूमि के सर्वोत्तम उपयोग को सक्षम बनाएगा और आवास की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और प्रत्येक क्षेत्र को, नागरिक सुविधाओं तक न्यायसंगत पहुँच और मनोरंजनात्मक स्थलों के साथ, स्थिति के अनुरूप ढलने वाले आत्मनिर्भर पड़ोस में परिवर्तित किया जाएगा।

7.4.2 सभी नियोजित आवासीय क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले आवास और स्लम पुनर्वास योजनाओं के अतिरिक्त के लिए पुनरूद्धार प्राथमिक रूप से एक निजी क्षेत्र से जुडी पहल होगी। भूखंडों का एकीकरण और एफएआर से जुड़े प्रोत्साहन राशियों की अनुमति दी जाएगी।

7.4.3 समूह आवास योजनाओं का एक भाग रूप होगा और ऐसी परियोजनाएं एमपीडी प्रावधानों के अनुसार सस्ते आवास उपलब्ध कराएँगी।

7.5 विद्यमान के अनियोजित आवासीय क्षेत्रों का पुनरूद्धार

7.5.1 **अनधिकृत कॉलोनियाँ (यूसी'):** यूसी' का डीईवी3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। बस्ती के सभी भागों को एम्बुलेंस और फायर टेंडर, जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए सुलभ बनाने हेतु बस्ती स्तर पर सुधार किये जाने की आवश्यकता होगी।.

i) क्षेत्रों के एकीकरण और संयुक्त पुनरूद्धार को सुगम बनाने के लिए मानदंडों में उपयुक्त प्रोत्साहन और छूट प्रदान की जाएगी।

ii) यह देखते हुए कि इन क्षेत्रों में आवासीय सघनता अधिक है, इसलिए शहरी के मानदंडों के अनुसार, सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविधा (एमेनिटी) एफएआर एक प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जा सकता है।

7.5.2 सम्बंधित एजेंसियाँ और भूस्वामी यूसी के आगे के विकास और किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण की गतिविधि को रोकने के लिए लैंड पूलिंग क्षेत्रों, जीडीए और शहर के अन्य खाली पड़ी भूमि के अंतर्गत अपनी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

7.5.3 **शहरी गाँव:** शहरी गाँव शहर के अन्दर अनियोजित विकास के अलग क्षेत्र (आइलैण्ड) के रूप में उभरे हैं। उनके पास यूसी के समान मुद्दे हैं और वे किराये के आवास के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे हैं। कई शहरी गाँवों का महत्त्व विरासत से जुड़ा हुआ है और इनको और संरक्षण नीतियों के मिश्रण की आवश्यकता होगी। शहरी गाँवों के विकास और पुनर्सुधार के लिए विशेष विनियम इस योजना की अधिसूचना के दो वर्षों के अंदर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाएंगे।

7.6 शहरी गरीबों के लिए आवास

7.6.1 मान्य स्थलों पर स्थित स्लम/जेजे समूहों को स्वस्थाने स्लम पुनर्वास या क्षेत्र सुधार स्कीमों के माध्यम से सुधारा जाएगा। अंतर्निहित स्थल के अमान्य होने की स्थिति में ही स्थान परिवर्तन पर विचार किया जाएगा ।

7.6.2 **पुनर्वास कॉलोनियाँ:** पुनर्वास कालोनियों को सुगम्यता के मुद्दे, पर्याप्त सेवाओं की कमी और निर्माण की खराब गुणवत्ता और जीर्ण-शीर्ण होने का सामना करना पड़ रहा है। इन कॉलोनियों को डीईवी3 के प्रावधानों के अनुसार पुनरूद्धार किया जाएगा।

7.7 रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित करना:

7.7.1 दुनिया भर के महानगर निवासियों और प्रवासियों को प्रवास अवधि की सुविधा भौगोलिक गतिशीलता और सामर्थ्य (लो एंट्री एण्ड एक्जिट कोस्ट) प्रदान करने वाले एक विविध किराये के आवास स्टॉक को बनाकर रखते हैं। शहर के विकसित भागों में भूमि की उच्च लागत को देखते हुए यह विभिन्न आय समूहों को उनके कार्यस्थलों के निकट आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे यात्रा की दूरी कम हो सके।

7.7.2 सार्वजनिक एजेंसियाँ किराये के आवास के रूप में अपनी आवास सूचियों का अनुपात तैयार करेंगी। यह विभिन्न स्वरुप में हो सकते हैं, जैसे कि सर्विस्ड अपार्टमेंट, डॉर्मिटरी आदि। किराये के विकल्पों का मिश्रण, जैसे कि नियंत्रित किरायों के साथ सस्त किराये, बाजार के किराये की इकाइयों, रेंट टू ओन मॉडल का पता लगाया जा सकता है। सार्वजनिक एजेंसियाँ ऐसी संपत्ति का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने अनबिके/खाली सार्वजनिक आवास स्टॉक को किराये के बाजार में ले जाने पर भी विचार कर सकती हैं।

7.7.3 **अफोर्डेबल पब्लिक रेंटल हाउसिंग (एपीआरएच):** डीडीए और अन्य संबंधित सार्वजनिक एजेंसियाँ किराये के सस्ते घर की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए गतिविधि केंद्रों (औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षिक केंद्रों आदि) के निकट स्थित सार्वजनिक भूमि पर समर्पित एपीआरएच परियोजनाओं को आरंभ कर सकती हैं।

7.7.4 समूह आवास परियोजनाओं के एक भाग के रूप में बड़ी संख्या में बनाई गई ईडब्ल्यूएस की आवासीय इकाइयाँ किराये के सस्ते आवासीय स्टॉक की उपलब्धता में सुधार लाने के अवसर प्रदान करती हैं। इसे सुकर बनाने के लिए उपयुक्त मॉडल का पता लगाया जाए।सरकारी एजेंसियों की नियोक्ता आवास परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ईडब्ल्यूएस आवास के प्रावधान से छूट दी जा सकती है।

7.7.5 इस तरह के किराये की संपत्ति के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए, सार्वजनिक एजेंसियाँ किराया प्रबंधन एजेंसियों और आवास संग्रहकर्ताओं की सेवाएं ले सकती हैं। उपलब्धता, स्थान, किराया आदि के बारे में जानकारी देने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा।

7.7.6 रेंटल हाउसिंग या अन्य गैर-स्वामित्व वाले प्रारूपों, जैसे कि सर्विस्ड अपार्टमेंट, श्रमिक आवास, आदि को लागू करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:

i) औद्योगिक क्षेत्र और भाण्डागार/माल परिसर 15% अतिरिक्त एफएआर का उपयोग करके वहनीय रेंटल हाउसिंग इकाइयों का विकास करेंगे।

ii) समूह आवास परियोजनाओं के एक भाग के रूप में रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii) शहर में सभी ग्रीनफील्ड, पुनर्निर्माण और परियोजनाओं में रेंटल हाउसिंग को अनुमति और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7.7.7 रेंटल हाउसिंग हेतु परिवेश को सक्षम बनाकर प्रचलित किराया अधिनियमों/कानूनों/नियमों के संशोधन द्वारा और बेहतर बनाया जाएगा।

--- x --- x ---- x --- x ---

8.0 सामाजिक अवसंरचना का प्रावधान

अध्याय कोड
SSI2

8.1.1 सामाजिक अवसंरचना में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं, सुरक्षा और संरक्षा अवसंरचना, संचार, वितरण की सुविधाओं और अन्य कार्यों सहित सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है। सामाजिक अवसंरचना का नियोजन, विकास और वितरण कई सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। यह योजना उच्च गुणवत्ता वाली सामाजिक अवसंरचना की उपयुक्तता और सुलभता को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

8.1.2 योजना की कार्यनीतियाँ निम्न सुविधाएँ प्रदान करेंगी:

i) सामाजिक अवसंरचना की बेहतर उपलब्धता और पहुंच

ii) बदलती आवश्यकताओं के अनुसार, नए उपयोगों/कार्यों को शुरू करने के लिए बढ़ा हुआ लचीलापन

8.2 सामाजिक अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मुख्य कार्यनीतियाँ

8.2.1 सामाजिक अवसंरचना के लिए उपलब्ध भूमि/स्थान का सर्वोत्तम उपयोग:

i) सामाजिक सुविधाओं को वर्टिकल मिक्सिंग के माध्यम से निर्मित क्षेत्र के एक भाग के रूप में विकसित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाता है। इससे उन क्षेत्रों में सुविधाएं निर्मित करने में सहायता मिलेगी, जहां पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

ii) स्थानीय स्तर की सुविधायुक्त प्लॉटो को 'बहु-सुविधायुक्त प्लॉटो' के रूप में माना जाएगा जिनका उपयोग आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल सुविधाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे प्लॉटो को कई उपयोगों को समायोजित करने के लिए एफएआर बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

iii) सहायक उपयोगों के लिए पीएसपी साइटों को एफएआर के एक भाग का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इससे उपलब्ध सामुदायिक सुविधाओं, जैसे कि बहुउद्देशीय हॉल, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्रों आदि के बेहतर उपयोग में सहायता मिलेगी ।

यह कार्यनीति सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान को सुनिश्चित करेगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और विकेंद्रीकृत, आत्मनिर्भर क्षेत्र सुगम बनेंगे।

8.2.2 मौजूदा सुविधाओं का संरक्षण और संवर्धन

i) सुविधाओं में सुधार को सुगम बनाने हेतु योजना क्षेत्र के अंदर सुविधायुक्त प्लॉटो को सम्मिलित करने के लिए पुनरूद्धार योजनाओं की अनुमति दी जाएगी।डीई को नए डिजाइन के मानदंडों के अनुसार समान या अधिक सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

ii) अनावश्यक / अविकसित / अप्रयुक्त सामाजिक अवसंरचना प्लॉटो को अन्य पीएसपी उपयोगों की ओर विस्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पीएसपी भूमि के सीमित संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

8.2.3 सभी के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना

8.2.3.1 बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विशेष क्षमता वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले परिवारों को डीसीएन के अनुसार सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

8.2.3.2 सभी नई सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं को सभी तक पहुँचाने और उपयोग की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए विकसित/डिज़ाइन किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सुविधाओं को पुनःसंयोजित किया जा सकता है।

8.2.3.3 पीएसपी सुविधाओं का निर्माण अपर्याप्त रूप से अनियोजित क्षेत्रों में भी निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा:

i) प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सामाजिक अवसंरचना के लिए प्लॉट क्षेत्र, सेट-बैक आदि/निर्मित क्षेत्र के लिए घटाए गए मानदंड।

ii) अनियोजित क्षेत्रों के लिए पुनरूद्धार योजना के अनुमेय एफएआर के अतिरिक्त, एफएआर की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। ऐसे एफएआर का उपयोग अनिवार्य सुविधाओं के विकास के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

8.3 सामाजिक अवसंरचना का अनुक्रम

8.3.1 इस योजना में सामाजिक अवसंरचना के वर्गीकरण से जुड़ी निम्नलिखित जनसंख्या का प्रावधान है :

i) **स्थानीय स्तर:** स्थानीय जनसँख्या की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 10,000 की जनसँख्या में सुविधाओं का पर्याप्त रूप से वितरण किया जाएगा।

ii) **सामुदायिक स्तरः** सामुदायिक स्तर की सामाजिक अवसंरचना 1 लाख तक की जनसंख्या को सेवाएँ प्रदान करेगी।

iii) **उप-शहरी स्तरः** बड़ी स्तर की सुविधाएँ 5 लाख तक की जनसँख्या को सेवाएँ प्रदान करेगी और इनका वितरण उप-शहरी स्तर पर किया जाएगा।

iv) **शहरी स्तरः** शहरी स्तर की सामाजिक अवसंरचना शहर के साथ-साथ इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगी।

8.4 विभिन्न प्रकार की सामाजिक अवसंरचना और सुविधाएँ

8.4.1 स्वास्थ्य देखभाल

8.4.1.1 स्वास्थ्य सेवाओं में उभरती आवश्यकताओं का समाधान निम्नानुसार पर्याप्त सुविधाओं के प्रावधान द्वारा किया जाएगा:

i) सामान्य, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति और सहायक चिकित्सा सेवा।

ii) बुजुर्गों, दिव्यांगो के लिए और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए देखभाल की सुविधा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सुविधाएं, नशामुक्ति केंद्र/नशामुक्ति पुनर्वास केंद्र, देखभाल केंद्र आदि।

iii) तृतीयक स्वास्थ्य सेवा और संबंधित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का समूह

8.4.2 शिक्षा

8.4.2.1 शिक्षा सुविधाओं के विकास के लिए दो दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं:

i) सभी क्षेत्रों में स्कूल स्तर की शिक्षा की उपलब्धता / पहुंच को सुनिश्चित करना ।

ii) रोजगार, उभरते आर्थिक सेक्टरों और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए कौशल विकास अवसरों सहित उच्च शिक्षा का एकीकरण करना

iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग बालकों एवं व्यक्तियों या विशेष जरुरतों वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना।

iv) शिशुओं और बच्चों को संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा और बाल देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था करने और उनके परिवारों और कार्यशील महिलाओं को सहायता प्रदान करने पर विशेष बल देना।

8.4.2.2 दिल्ली के सभी नए और समावेशी (विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं से सम्बंधित) स्कूलों को एकीकृत किया जाएगा (अर्थात् प्री-प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्तर तक)। विशेष जरुरतों वाले बच्चों के लिए स्कूलों की अनुमति स्टैंड अलोन सुविधा के रूप में दी जाएगी।

8.4.2.3 दिल्ली के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों के रूप में उभर रहे उच्च शिक्षा एवं ज्ञान उद्योग को औद्योगिक क्षेत्रों, बीपीडी और टीओडी के अन्तर्गत बढ़ावा दिया जाएगा।

8.4.3 **सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएँ**

8.4.3.1 एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिल्ली की विशिष्टता को सुदृढ़ करने के लिए, इस योजना में नए गंतव्यों (सम्मेलन/व्याख्यान केंद्र, थियेटर, संग्रहालय, आदि) को निर्मित करने के साथ-साथ, नए अनुभव (सांस्कृतिक प्रवृत्ति, आर्थिक केन्द्रों, आदि) प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

8.4.3.2 इस तरह के शहरी स्तर के सामाजिक-सांस्कृतिक उपयोगों को पुरातात्विक उद्यानों और प्राकृतिक नालों के साथ-साथ, हरित बफर के एक भाग के रूप में अनुमति प्रदान की जाएगी। हरित विकास क्षेत्र में बड़े प्रारूप के प्रदर्शन स्थलों और सम्मेलनों के सुविधाओं की अनुमति भी दी जाएगी।

8.4.3.3 स्थानीय स्तर की सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं को विभिन्न आवश्यकताओं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, परिवारों, आदि की सेवा के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। बहुउद्देश्यीय स्थलों में कौशल विकास केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों/सभा स्थलों/ पुस्तकालयों / बाल देखभाल की सुविधाओं आदि की स्थानीय आवश्यकताओं को समायोजित किया जाएगा।

8.4.4 **बचाव और सुरक्षा अवसंरचना**

8.4.4.1 कानून एवं व्यवस्था और अपराधों एवं दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ, आपातकालीन सेवाओं को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कई एजेंसियों के पास है, जैसे कि दिल्ली अग्निशमन सेवा,

दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऐसी सुविधाओं को शहर भर में उचित रूप से वितरित किये जाने की आवश्यकता है, तदानुसार स्थानीय और उप-शहरी/शहरी स्तर पर ऐसी सुविधाओं के विकेंद्रीकरण की संस्तुति की गयी है

8.4.4.2 प्रशिक्षण सुविधाओं / सुरक्षा कैंप, परेड ग्राउंड, आदि; जिन्हें बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, का शहरी स्तर की अवसंरचना के एक भाग के रूप में भी प्रस्ताव किया गया है।

8.4.5 डाक और दूरसंचार सुविधाएँ

8.4.5.1 पिछले दो दशकों के दौरान, डाक एवं दूरसंचार अवसंरचना बड़े पैमाने पर परिवर्तित हो गयी है। संबंधित विभाग/एजेंसियां, आबंटित भूमि/निर्मित स्थान के वर्तमान उपयोग का आकलन करेंगे और भूमि का बेहतर उपयोग करने के लिए संभावनाओं का पता लगाएंगे।

8.4.6 वितरण संबंधी सुविधाएं

8.4.6.1 स्थानीय स्तर पर दूध, फल, सब्जी जैसी सुविधाएं दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताएँ हैं। इसके अतिरिक्त, आस पास के क्षेत्रों में पीडीएस सुविधाएं /उचित दर दुकानें उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

8.4.6.2 घरेलु उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले पीएनजी, एलपीजी और अन्य ईंधनों आदि की आपूर्ति के लिए उप-शहरी और शहरी स्तर की सुविधाओं की अनुकूल उपयोग के क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी।

8.4.7 श्मशान-कब्रिस्तान-सिमेट्री की सुविधाएँ:

8.4.7.1 इस श्रेणी के अंतर्गत, सुविधाओं का प्रावधान विभिन्न धार्मिक समूहों की आवश्यकताओं पर आधारित है। यह योजना इस तरह की सुविधाओं को अधिक पर्यावरण-संवेदनशील (गैस से प्रज्वलित / विद्युत् / पर्यावरण अनुकूल श्मशान सुविधाएँ) बनाने के लिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसे समायोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराता है। पशुओं को दफनाने के लिए अलग से भूमि निर्धारित की जानी चाहिए।

8.4.8 सार्वजनिक सुविधाएँ

8.4.8.1 यूबीबीएल में निर्धारित और केंद्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों पर परामर्शदात्री प्रावधान (2018) के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। इस तरह की सुविधाएँ बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों की जरूरतों के अनुकूल होंगी और इनमें बाल देखभाल सुविधाओं वाले क्षेत्रों को भी स्थान दिया जाएगा।

8.4.8.2 सार्वजनिक सुविधाएँ उपयोग के सभी क्षेत्रों में स्वीकार्य होंगी और सड़कों की अवस्थापना में किये गए सुधारों के एक भाग के रूप में भी सुधार किया जाएगा.

8.4.9 अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

8.4.9.1 अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, जैसे कि धार्मिक सुविधाएं, देखभाल केंद्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, सुधारात्मक / उपचारात्मक सुविधाएँ (किशोर सुधार गृह, देखरेख केंद्र, बंदी गृह की सुविधाएं आदि) योजना के अनुसार प्रदान की जाएगी।

--- x --- x ---- x --- x ---

खंड 5

परिवहन और गतिशीलता

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

दिल्ली आवास, रोजगार, उच्चतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के मामले में आसपास के शहरों (गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद) के साथ मजबूत क्षेत्रीय निर्भरता के साथ एनसीआर का केंद्र है। यहां दैनिक आधार पर बड़े पैमाने पर लोगों और वस्तुओं की क्षेत्रीय आवाजाही होती है, जिसके परिणामस्वरूप शहर की मौजूदा परिवहन अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। समीपवर्ती शहरी केंद्रों में नए विकास और एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी), जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (पश्चिमी) और अमृतसर कोलकाता (पूर्वी), समर्पित भाड़ा कॉरिडोर आदि के रूप में आगामी क्षेत्रीय अवसंरचना से आगंतुकों और माल की आवाजाही के पैटर्न पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और इन्हें शहर के लिए परिवहन कार्यनीतियों में शामिल करने की आवश्यकता है।

मेट्रो की शुरुआत से सीएनसीआर शहर और अधिक निकट आ गए हैं। हालांकि, सीएनसीआर के अंदर लोगों की आवाजाही में मेट्रो की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद, दिल्ली के अंदर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सड़कें जाम, अत्यधिक यातायात प्रवाह और अत्यधिक विलंब एवं सड़कों पर कतारों की ओर संकेत करती हैं।

दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (2019-20) के अनुसार, हालांकि वाहन की बिक्री की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 4.4% तक आधी हो गई है फिर भी दिल्ली में प्रति हजार जनसंख्या पर वाहनों की संख्या 2005-06 में 317 से बढ़कर 2019-20 में दोगुनी से अधिक 643 हो गई है। अन्य मुद्दों में, वाहनों की संख्या में वृद्धि पार्किंग की बढ़ती मांग में प्रकट हुई है। पार्किंग मांग प्रबंधन पर समान बल देते हुए पार्किंग कार्यनीतियों के मुद्दों को संबोधित किया जाना है।

दिल्ली में दैनिक सक्रिय यात्रा (पैदल चलना और साइकिल चलाना) ट्रिप का अत्यधिक बड़ा हिस्सा है, जो कुल ट्रिप का 42 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले एक दशक में, पदयात्रा की हिस्सेदारी में नगण्य वृद्धि ही देखी गई है और साइकिल से यात्राओं में लगभग एक तिहाई की कमी आई है। दिल्ली की अधिकांश सड़कें असमान सड़क स्थल वितरण और पर्याप्त अवसंरचना न होने के कारण पदयात्रियों और साइकिल चलाने के लिए अनुकूल नहीं हैं। 2018 में, दिल्ली में आधे से अधिक घातक सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्री और साइकिल चालक शामिल थे। दिल्ली में सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरी

Modal Split of Motorised Trips

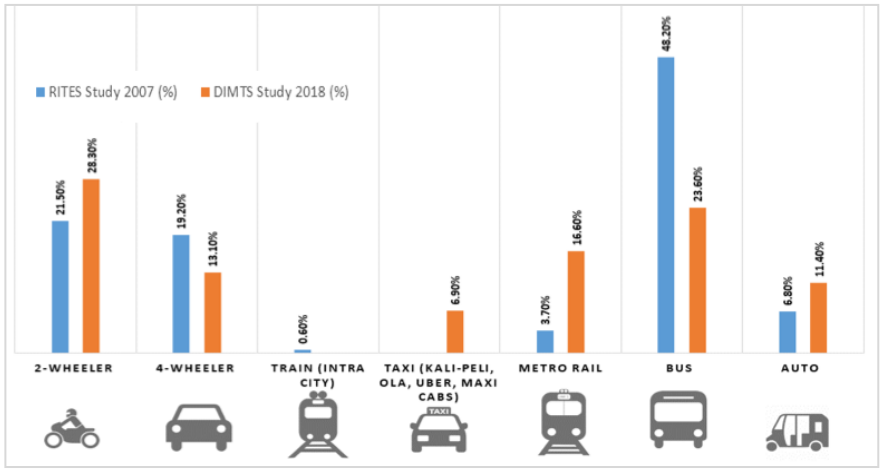

है और एक सुरक्षित पदयात्रा और साइकिल चलाने योग्य वातावरण बनाने के उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

दिल्ली में मेट्रो, रिंग रेल और बस सेवाओं के रूप में एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है। अंतःशहर में यात्राओं के अलावा, मेट्रो में पर्याप्त दूरी तक क्षेत्रीय यात्राएं भी की जाती है और येलो, ब्लू और रेड लाइनों पर सर्वाधिक यात्री दर्ज किए गए हैं जो दिल्ली को क्रमशः गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद के पड़ोसी शहरों से जोड़ती है। सस्ती कीमत और नेटवर्क कवरेज के कारण बसें सार्वजनिक परिवहन का पसंदीदा और सर्वाधिक पहुंच के अंदर वाला तरीका हैं। माल को लाने- ले जाने के लिए दिल्ली की विरासत अवसंरचना के एक हिस्से, रिंग रेल का उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान में इसकी संभावित यात्री सवारों के केवल 50% का संचालन किया जा रहा है। जबकि रिंग रेल माल परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लगभग 20,000 ट्रकों को दिल्ली की सड़कों से दूर रखता है, लोगों के आवागमन में इसकी भूमिका के बारे में फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

गतिशीलता के नए रुझान बताते हैं कि लोग ऐप-आधारित गतिशीलता विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि इससे गतिशीलता का लचीलापन मिलता है और अपनी कार का विकल्प मिलता है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से पूरक इन साझा गतिशीलता विकल्पों के उभरने से धीरे-धीरे यात्रियों के निजी स्वामित्व वाले वाहन के उपयोग से साझा या सार्वजनिक परिवहन उन्मुख गतिशीलता विकल्पों की ओर परिवर्तन आ रहा है।

दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को संस्थागत स्तर, स्थानिक स्तर और प्रणाली स्तर पर आगे एकीकृत किए जाने; यात्रियों को एक सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है। एक बड़े जनादेश, स्थानिक एकीकरण (भूमि उपयोग और परिवहन एकीकरण, मल्टी मोडल एकीकरण, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, आदि) के माध्यम से संस्थागत एकीकरण को समर्थ बनाया जा सकता है और प्रणाली एकीकरण (बस मार्ग युक्तिकरण, बेहतर यातायात प्रबंधन आदि के लिए टिकटिंग, कमांड और नियंत्रण केंद्र सहित इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियां आदि) की शुरुआत की गई है, लेकिन इसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

आगामी हाई स्पीड रेल (एचएसआर) कॉरिडोर, क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आर.आर.टी.एस.), बाईपास / पेरिफेरल सड़कों आदि का निर्माण क्षेत्रीय गतिशीलता को पुनर्भाषित करेगा और दिल्ली का जाम समाप्त होगा।

इसके अतिरिक्त, टीओडी नीति में दिल्ली को कार्यनीतिक क्षेत्रों का पुनर्विकास करने और नीतियों को मजबूत करने और सार्वजनिक परिवहन पहुंच में सुधार करने के एक अनूठे अवसर की व्यवस्था है। जीएनसीटीडी की इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी दिल्ली में हरित गतिशीलता विकल्पों को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। भविष्य में गतिशीलता रुझान विद्युतीकरण, साझा गतिशीलता, मांग पर गतिशीलता और स्वायत्तता की ओर प्रवृत्त होंगे; इसलिए, दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह परिवहन के निर्माण से अलग यात्रा की मांग के प्रबंधन के लिए स्वयं को तैयार करे। दिल्ली में लैण्ड पूलिंग क्षेत्रों से भी इन क्षेत्रों में आगामी बड़े पारगमन नेटवर्क के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार का अवसर प्राप्त होगा।

आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में 1.58 की औसत प्रति व्यक्ति यात्रा दर से प्रतिदिन 46.2 मिलियन यात्राएं (पैदल यात्रा को छोड़कर) किए जाने का अनुमान है। यात्राओं की कुल संख्या का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर लगाया गया है:

- 2041 तक 50% आबादी पारगमन प्रभाव क्षेत्रों के अंदर रहने लगेगी। इन क्षेत्रों में मिश्रित-उपयोग विकास से यात्रा करने की आवश्यकता कम हो जाएगी और पारगमन मोड की निकटता से सार्वजनिक परिवहन (पीटी) की ओर एक परिवर्तन करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- आने वाले 20 वर्ष तक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र की ओर अधिक अंतरण न को देखते हुए घर से काम कर रहा होगा।

2041 तक, योजना में दिल्ली के 80:20 के एक मोडल विभाजन को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है जो जनता और साझा परिवहन के पक्ष में है। इसमें प्रतिवर्ष सार्वजनिक और साझे परिवहन साधनों में 1% वृद्धि तथा निजी वाहन ट्रिपों में एक समान कमी की आवश्यकता होगी।

इस खंड में, समग्र रूप से परिवहन प्रणाली की दक्षता में सुधार करने के लिए समन्वित नियोजन और गतिशीलता पहल के निष्पादन की रूपरेखा वाले निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं। इसमें क्षेत्रीय और स्थानीय कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना सुधारने, साझा मोड के पक्ष में समर्थकारी मोडल परिवर्तन, पदयात्रा और साइकिल चलाने की सुविधाओं को बेहतर करने, पार्किंग की आवश्यकताओं का इष्टतम उपयोग करने और बेहतर पार्किंग प्रबंधन को सुकर बनाने की विभिन्न कार्यनीतियां दी गई हैं:

MOB 1: कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना (ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) में सुधार

MOB 2: निजी से साझा गतिशीलता में स्थानांतरण

MOB 3: दिल्ली को पैदल चलने योग्य और साइकिल चलाने के अनुकूल बनाना

MOB 4: दिल्ली में पार्किंग का प्रबंधन

9.0 कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना में सुधार

अध्याय कोड
MOB 1

9.1.1 दिल्ली के गतिशीलता नेटवर्क में निरंतर विकास और आसपास के शहरी केंद्रों तथा आगामी क्षेत्रीय परिवहन और क्षेत्रीय अवसंरचना में नए विकास के लिए प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है जिससे शहर के यात्रियों और माल की आवाजाही का पैटर्न प्रभावित होता है। शहर को नव शहरीकृत क्षेत्रों में पहुंच प्रदान करने के लिए आंतरिक चुनौतियों, भीड़भाड़ कम करने, अल्प-उपयोगी परिवहन अवसंरचना को पुनर्जीवित करने, पदयात्रा एवं साइकिल चलाने आदि पता लगाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में गतिशीलता के रुझानों में स्वच्छ ईंधन का अधिक उपयोग करना, यातायात और पार्किंग प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से उन्नत पारगमन प्रणाली और कृत्रिम बुद्धि की विशेषता होगी। शहर में ऐसे परिवर्तनकारी परिवर्तन करने और कुशल एवं टिकाऊ गतिशीलता समाधानों के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है।

9.1.2 इस अध्याय में प्रस्तुत क्षेत्रीय और शहर स्तरीय कार्यनीतियों में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

i) अंतर-शहर और अंतरा-शहर यात्री और माल ढुलाई आवाजाही में वृद्धि।
ii) परिवहन के साथ जुड़ी भूमि संपत्ति का बेहतर उपयोग।
iii) स्मार्ट और हरित गतिशीलता समाधान की ओर पर्याप्त प्रवास

9.2 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार

9.2.1 **रेल:** रेलवे, पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों नामत: नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला के माध्यम से दिल्ली को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। मौजूदा रेलवे स्टेशनों के स्टेशन पुनर्विकास से स्टेशन क्षेत्रों के आसपास बहु-विधिक यातायात प्रवाह और यात्री आवाजाही में सुधार होगा। रेलवे स्टेशनों और समीपवर्ती आईएसबीटी, बस टर्मिनलों, मेट्रो या आरआरटीएस स्टेशनों आदि के बीच बहु-विध पारगमन केंद्र के रूप में अंत: परिवर्तन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इन टर्मिनलों पर बेहतर पारगमन और यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहचान किए गए स्थलों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास के ओवर स्टेशन विकास नियंत्रणों की अनुमति दी जा रही है। (देखें: DEV3)

9.2.2 **हवाई अड्डा:** इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पालम हवाई अड्डे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई यात्री आवागमन की जरूरतें पूरी होती हैं। इस हवाई अड्डे से वार्षिक 67.3 मिलियन यात्री सफर करते हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ यात्री और माल यातायात को आईजीआई हवाई अड्डे से उस हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया जाएगा। इन दो हवाईअड्डों, दिल्ली और जेवर में नए हवाई अड्डे के बीच कनेक्टिविटी को सड़क आधारित और मेट्रो आधारित कनेक्टिविटी के माध्यम से मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

9.2.3 **मास रैपिड रेल:** एनसीआर शहरों की कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो के कार्यनीतिक कॉरिडोर बनाए जाए। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शहर में विभिन्न प्रवेश बिंदुओं को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और आर्थिक गतिविधियों, आवास और अन्य सेवाओं के लिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के बीच मजबूत इंटरलिंक्स को सुदृढ़ करेगा। दिल्ली के अंदर आरआरटीएस स्टेशन मौजूदा रेलवे टर्मिनलों / स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और आईएसबीटी की निकटता में स्थित हैं और यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए सीधे इंटरचेंज सुविधाएं हैं। जहाँ भी संभव हो ऐसे स्टेशनों को मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब के रूप में अन्य स्थानीय मास ट्रांजिट स्टेशनों के साथ एकीकृत किया जाना है।(देखें: MOB 2)

अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी केंद्रों का कार्य करते हैं। इन नोड्स को जहां भी संभव हो, अन्य पारगमन स्टेशनों जैसेकि बहुविध पारगमन केंद्र वाली अंत:परिवर्तन सुविधाएं सृजित कर बेहतर बनाने की जरूरत है। (देखें: MOB 2)। आईएसबीटी के भविष्य के सभी प्रस्तावों को अधिमानतः राष्ट्रीय राजमार्गों पर शहर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवस्थित किया जाएगा जहां शहर के बाकी हिस्सों के साथ मजबूत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी होगी।

9.3 एकीकृत गतिशीलता प्रबंधन के लिए संस्थागत रुपरेखा

9.3.1 एक कुशल शहरी परिवहन प्रणाली के लिए सभी नियोजन स्तरों, कार्यान्वयन और शहर और क्षेत्रीय स्तर के दिन-प्रतिदिन के संचालन पर उच्च स्तरीय समन्वयन अपेक्षित है। पिछली योजना में इस उद्देश्य के लिए **एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए)** की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इस योजना में इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है और यह भी सिफारिश की गई है कि ऐसे प्राधिकरण के निर्माण की संभावना की समयबद्ध तरीके से जांच की जानी चाहिए।

9.3.2 ऐसे समय तक जब तक यूएमटीए का गठन नहीं किया जाता है, जीएनसीटीडी के तहत एक अंतरिम समन्वय समिति की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी परिवहन एजेंसियों / विभागों, यातायात पुलिस और स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व हो। यूटीटीआईपीईसी (यूटीपैक) इस समिति को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

9.3.3 यूएमटीए/समन्वय समिति, 'व्यापक एप्रोच' सुनिश्चित करती है और इसने गतिशीलता प्रबंधन के प्रति 'वृद्धिशील दृष्टिकोण' अपनाया है एवं बहु-एजेंसी प्राथमिकताओं और निवेशों पर फोकस किया है। इसमें संयुक्त कार्यवाही के लिए एक सामान्य निधि और प्लैटफार्म बनाना शामिल होगा।

9.3.4 यूटीएमए/ समन्वय समिति, व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) को शुरू करने और कार्यान्वित करने, विभिन्न एजेंसियों की परियोजनाओं और कार्यों के समन्वय और स्मार्ट समाधान अपनाने के लिए विभिन्न बहु-एजेंसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी।

9.4 व्यापक गतिशीलता योजना

9.4.1 शहरी परिवहन की दक्षता विभिन्न सड़क-आधारित, रेल-आधारित, मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) और पदयात्रा/ साइकिल चालन प्रणालियों के बीच सहज एकीकरण पर अत्यधिक निर्भर है। शहरी परिवहन के सभी स्तरों और तरीकों में प्रणालीगत एकीकरण प्राप्त करने हेतु दिल्ली के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) तैयार की जाएगी। सीएमपी को एमपीडी 2041 के प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा और इसमें 'कम कार्बन गतिशीलता की ओर परिवर्तन' के रूपांतरकारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विस्तृत रूपरेखा दी जाएगी।

9.5 कार्यनीतिक परिवहन कॉरिडोर

9.5.1 महत्वपमर्ण क्षेत्रीय गंतव्यों को/से उच्च गति की कनेक्टिविटी को बेहतर और शहर के अंदर जाम (विशेष रूप से क्षेत्रीय यातायात के कारण) कम करने के लिए, इस योजना अवधि में कार्यान्वित किए जाने के लिए

निम्नलिखित कार्यनीतिक परिवहन कॉरिडोर की पहचान की गई थी। ये कॉरिडोर मौजूदा/प्रस्तावित प्रमुख सड़क एलाइनमेंट के कार्यनीतिक लिंक या उनका विस्तार होंगे जैसा कि नीचे दिया गया हैं:

तालिका 9.0: कार्यनीतिक लिंक और उनके लाभ

प्रस्तावित लिंक	लाभ
कार्यनीतिक लिंक 1 यूईआर II का उत्तरी विस्तार (टिकरी कलां बॉर्डर - रोहिणी - बवाना - नरेला - रमजानपुर), गाजियाबाद में लोनी-बागपत एक्सप्रेसवे तक विस्तारित	○ शहरी माल यातायात पैदा करने वाले स्थानों को जोड़कर माल की आवाजाही को सुकर बनाना, जो यूईआर II (नरेला, बहादुरगढ़ आईएफसी, नरेला आईएफसी, बहादुरगढ़ और कंझावाला (प्रस्तावित), बवाना औद्योगिक क्षेत्र और डीएसआईडीसी नरेला में औद्योगिक बेल्ट) के सन्निकट हैं और साथ ही लोनी आईसीडी, हिंडन एयरपोर्ट और दादरी आईसीडी जैसी समान ट्रांस-रिवर सुविधाएं। ○ दिल्ली (नरेला, रोहिणी, आदि) और गाजियाबाद (ट्रोनिका सिटी और राजनगर) में आवासीय क्षेत्रों के बीच रोजगार केंद्रों (दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र) के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना। गाजियाबाद में आवासीय क्षेत्रों में बेहतर पहुंच दिल्ली में सस्ते आवास की मांग पूरी करेगी। ○ सोनीपत को गाजियाबाद (सोनीपत - नरेला - कुंडली-अलीपुर-लोनी-शाहदरा) से जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करके एनएच-1 (जीटी रोड), आउटर रिंग रोड, सिग्नेचर ब्रिज और वज़ीराबाद ब्रिज को जामरहित करना।
कार्यनीतिक लिंक 2 यूईआर II का दक्षिणी विस्तार (द्वारका से तुगलकाबाद तक), नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक विस्तरित (स्थल व्यवहार्यता के अनुसार)	○ कन्वेंशन सेंटर द्वारका को आईजीआई के कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल, और उसके बाद तुगलकाबाद माल टर्मिनल और रेलवे स्टेशन से जोड़कर दिल्ली में माल ढुलाई को आसान बनाना। इस मार्ग को नोएडा (दादरी आईएफसी, नोएडा एसईजैड और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक क्षेत्रों) में समान सुविधाओं से जोड़ने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है। ○ आईजीआई हवाई अड्डे की जेवर / नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधी कनेक्टिविटी स्थापित करना ○ ग्रेटर नोएडा को आईजीआई एयरपोर्ट से जोडने के लिए वैकल्पिक मार्ग (ग्रेटर नोएडा-नोएडा-आईजीआई एयरपोर्ट) प्रदान करके और फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले यातायात को मोड़कर एनएच-2, कालिंदी कुंज ब्रिज और डीएनडी फ्लाईओवर के जाम को कम करना।
कार्यनीतिक लिंक 3 बहादुरगढ़ से बिजवासन तक (टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन - झड़ौदा कलां - डासना बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन - नजफगढ़ - छावला - द्वारका सेक्टर -22 मेट्रो स्टेशन - बिजवासन रेलवे स्टेशन), ढुंढेरा और गुरुग्राम सेक्टर -18 (उद्योग विहार) के माध्यम से हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक विस्तारित	○ दिल्ली के साथ गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों और आगामी बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना। ○ द्वारका सेक्टर-22 मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज के माध्यम से बहादुरगढ़ और गुरुग्राम से आईजीआई हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिविटी स्थापित करना। ○ दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम भाग और गुरुग्राम सेक्टर -18 (उद्योग विहार) में प्रस्तावित आरआरटीएस स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना। ○ द्वारका से बिजवासन रेलवे स्टेशन, लैंड पूलिंग ज़ोन और गुरुग्राम तक पहुँच में सुधार

9.5.2 ये लिंक पड़ोसी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एलाइनमेंटस / स्ट्रेच विकसित करने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय पर निर्भर करते हैं और इन्हें प्राथमिकता कॉरिडोर परियोजना की तरह माना जाएगा और पूर्ण लिंक का विकास अंतर-राज्य समझौतों के माध्यम से किया जाएगा।

9.5.3 इस कार्यनीतिक लिंक का विकास यात्रियों और माल की आवाजाही की सुविधा के लिए पारगमन-प्राथमिकता कॉरिडोर के रूप में किया जाएगा।

9.5.4 शहर से आवागमन को सुगम बनाने वाले किसी भी नये सड़क-आधारित ऐसे ट्रांस-सिटी कनेक्टर को हतोत्साहित किया जाएगा जो पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उपयोग के लिए गैर-प्रोत्साहक होते हैं और इससे शहर के अंदर जाम होगा। उच्च गति ट्रांस-सिटी कॉरिडोर को व्यवहार्यता के अनुसार विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर पारगमन प्रणाली की अनुमति दी जाएगी।

9.6 अंतः शहर (इंट्रा-सिटी) रोड नेटवर्क का विकास और सुधार

9.6.1 दिल्ली को अनुक्रम सड़क नेटवर्क से एक रिंग-रेडियल पैटर्न पर नियोजित किया गया है। मोटे तौर पर, सड़क नेटवर्क को क्षेत्रीय, इंट्रा-सिटी और स्थानीय यातायात के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्नलिखित अनुक्रम सड़कों का अनुसरण किया जाएगा:

i) **राष्ट्रीय राजमार्ग** (60-90 मीटर आरओडब्ल्यू): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दिल्ली से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास , चौड़ीकरण, सुधार करते समय स्ट्रीट डिज़ाइन विनियम (देखें: अनुलग्नक 7) को शामिल करना चाहिए। शहर के अंदर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली बॉर्डर तक नियंत्रित होंगे और शहर की सड़कों के डिजाइन विनियमों का पालन करेंगी।

ii) **मुख्य सड़कें** [30-60 मीटर मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू)]: मुख्य सड़कों से शहर को लंबी दूरी की गतिशीलता मिलती है जिससे शहर के हिस्से एक -दूसरे से जुडते हैं, सभी प्रकार का भारी यातायात संचालित होता है। 24 मी. से अधिक मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) वाली मौजूदा सड़कें, जो जमीन पर मुख्य सड़कों का कार्य कर रही हैं, आवाजाही बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक सुधारों के साथ जारी रखा जा सकता है।

iii) **कलेक्टर सड़कें** (12-30 मीटर आरओडब्ल्यू): कलेक्टर सड़कों से स्थानीय क्षेत्रों के बीच संपर्क प्राप्त होता है और ये स्थानीय सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ती हैं। वास्तव में कलेक्टर सड़कों का काम करने वाली 12 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाली वर्तमान सड़कों को आवागमन में वृद्धि के लिए आवश्यक सुधार के साथ जारी रखा जा सकता है।

iv) **स्थानीय सड़कें** (आरओडब्ल्यू <12 मी.): ये 12 मी. या उससे कम के आरओडब्ल्यू वाली स्थानीय उपयोग के लिए वांछित सड़कें होती हैं। ऐसी सड़कों को धीमी गति से चलने वाले ट्रैफिक (ट्रैफिक को धीमा करने के उपायों से), पैदल यात्री या एनएमटी प्राथमिकता वाली सड़कों के मिश्रण के रूप में या पूरी तरह से पैदल यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।

9.6.2 सभी नई सड़कों को स्ट्रीट डिजाइन विनियम (देखें: अनुलग्नक 7) के अनुसार विकसित किया जाएगा। जहां तक संभव हो, विनियमों में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा सड़कों को भी बेहतर बनाया जाएगा।

9.6.3 सभी श्रेणियों की सड़कों को मुख्य योजना में प्रस्तावित पूर्ण क्रॉस-सेक्शन या अनुमोदित लेआउट प्लान के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा।

i) जहां भी संभव हो, कलेक्टर और स्थानीय सड़कों से सभी बाधाओं को हटाया जाएगा और मानकों तथा स्ट्रीट डिजाइन विनियमों के अनुसार विकसित किया जाएगा।

ii) सड़क पार्किंग द्वारा पैदल रास्ते का अतिक्रमण कम करने और सड़क क्षमता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र स्तरीय पार्किंग प्रबंधन (देखें: MOB4) को ध्यान में रखा जाएगा।

9.6.4 सभी नई मुख्य सड़कों (एनएच, यूईआर, आदि सहित) में आरओडब्ल्यू के भाग के रूप में मल्टी-मोडल उच्च क्षमता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए स्थान शामिल होंगे। ट्रांजिट स्टेशनों की अधिक संख्या को शामिल करने के लिए प्लाजा और खुले स्थानों को शामिल किया जाएगा। जहाँ व्यवहार्य होगा वहाँ मौजूदा और नए सड़क मार्गों में मार्गाधिकार में विभिन्न सेवाओं के लिए उपयोगिता नालियों के प्रावधान के लिए स्थान रखा जाएगा।

9.6.5 दिल्ली में शहरी सड़कों की सड़क सुरक्षा ऑडिट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विज़न के अनुरूप होनी चाहिए ताकि पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए एक सुरक्षित यात्रा वातावरण का सृजन हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां विस्तृत रूप से MOB3 में दी गई हैं।

9.7 शहर-स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का संवर्द्धन

9.7.1 नेटवर्क एकीकरण, दिल्ली के लिए एक स्थायी और आवश्यकता-अनुरूप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने की कुंजी होगी। सभी सार्वजनिक परिवहन मोड के नेटवर्क की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी ताकि वे एक पूरक तरीके में परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक एकल प्रणाली के रूप में संचालन करें। सीएमपी के तहत एकीकृत नेटवर्क नियोजन और रूट युक्तिकरण की योजना बनाई जानी चाहिए और संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित तरीके से कार्यान्वित की जाएंगी। पदयात्रा, साइकिल चलाने और मांग-आधारित टिकाऊ साझा परिवहन मोड (ई-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, साइकिल-रिक्शा, आदि) के माध्यम से सबसे समीपस्थ और अंतिम-छोर तक कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.7.2 **मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम:** मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को 5,000 से अधिक व्यक्ति पीक ऑवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक (पीएचपीडीटी) की क्षमता वाली समर्पित अधिकृत मार्ग वाली किसी भी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

9.7.3 बस प्रणाली द्वारा समर्थित दिल्ली मेट्रो प्रमुख एमआरटीएस बनाएगी। आगामी आरआरटीएस नेटवर्क अंतः शहर यात्राओं में भी सहायक होगा। यह आशा है कि चरण IV और चरण V का काम पूरा हो जाने के बाद, जिसका काम अभी चल रहा है, शहर का 50% से अधिक विकसित क्षेत्र (लैंड पूलिंग क्षेत्रों और हरित विकास क्षेत्रों को छोड़कर) मेट्रो स्टेशनों से पैदल दूरी के अंदर होगा। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार करके (देखें: MOB3) और सार्वजनिक परिवहन की क्षमता में सुधार के लिए सुझाई गई पहल को लागू करके से इस व्यापक अवसंरचना की यात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है (देखें: MOB2)।

9.7.4 एमआरटीएस के अन्य रूप जैसे मेट्रो लाइट / मेट्रो नियो या एलआरटी सिस्टम, बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी) प्रणाली या कोई अन्य प्रणाली, जो खण्ड 9.7.2 में दी गई परिभाषा को पूरा करती है, को रेल-आधारित एमआरटीएस में मदद के लिए विशिष्ट साइट संदर्भ, अनुमानित यात्री आदि के अनुसार विकसित किया जाएगा।

9.7.5 अगली योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यनीतिक एमआरटीएस कॉरिडोर को विकसित किया जाना चाहिए:

i) मेट्रो कॉरिडोर का बवाना औद्योगिक क्षेत्र, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, डीडीए द्वारा नरेला में विकसित आवासीय क्षेत्र और कुंडली में प्रस्तावित आरआरटीएस स्टेशन को जोड़ते हुए रिठाला मेट्रो स्टेशन (रेड लाइन) से नरेला तक विस्तार करना।

ii) मेट्रो कॉरिडोर का द्वारका मेट्रो स्टेशन से होते हुए ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन (ग्रे लाइन) से नजफगढ-दौराला रोड तक विस्तार और इसके अतिरिक्त, झज्जर में एम्स परिसर तक विस्तार करना। प्रस्तावित लिंक से ब्लू लाइन से द्वारका मेट्रो स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट के मार्ग से जोन एल (लैंड पूलिंग क्षेत्र) और नजफगढ़ के बीच सीधे कनेक्टिविटी होगी। इससे दिल्ली के नागरिकों को झज्जर में नये एम्स परिसर तक पहुंच भी प्राप्त होगी।

9.7.6 लैंड पूलिंग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पारगमन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, एक वृद्धिमान एप्रोच कार्यान्वित की जाएगी। इन क्षेत्रों से शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को सहज बनाने के लिए क्षेत्रों के विकास के दौरान बीआरटी सिस्टम या हाई स्पीड बस मार्गों का कार्यान्वयन किया जाएगा। विशिष्ट कॉरिडोर के साथ-साथ मेट्रो रेल प्रणालियां लागू की जा सकती है। सभी लैंड पूलिंग क्षेत्रों में ट्रंक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एमआरटीएस के विकास के लिए यूईआर-II को विशेष रूप से लक्षित किया जाएगा।

9.7.7 **बस प्रणाली:** उच्च गुणवत्ता वाली सड़क-आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने, अपर्याप्त रूप से सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए बस प्रणाली के बड़े आउटरीच को आसान बनाया जाएगा, साथ ही एमआरटीएस प्रणालियों के लिए फीडर के रूप में भी कार्य किया जाएगा।

i) मेट्रो/ आरआरटीएस स्टेशनों से जोड़ने के लिए बस मार्गों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और साथ ही, कम सार्वजनिक परिवहन पहुँच स्तर वाले क्षेत्रों में बेहतर, अधिक बार सेवाएं प्रदान की जाएंगी (देखें: MOB2)।

ii) संबंधित एजेंसियों को योजना बनानी चाहिए और उन क्षेत्रों के लिए विशेष फीडर बस सेवाओं (आरटीवी, मेट्रो फीडर, आदि) का संचालन करना चाहिए, जहां सिटी बस सेवा कम है और जब सेक्टर विकसित होते हैं, तब लैंड पूलिंग क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेष मार्गों को संचालित करना चाहिए।

iii) सेवा स्तरों में सुधार के लिए गुणवत्ता में सुधार पहल (सूचना प्रणाली, संबद्ध अवसंरचना जैसे बस शेल्टर, बसों का ओ एंड एम, विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष सेवाओं को शामिल करना, प्रीमियम मार्ग आदि) को अपनाया जा सकता है (देखें: MOB2)।

9.8 परिवहन अवसंरचना का पुनरूद्धार

9.8.1 **रिंग रेल** दिल्ली की एक विरासत में मिली अवसंरचना है और यह माल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, यात्री सवारियां कम हैं। इसकी सवारियों की पहुंच बढ़ाने के लिए पब्लिक प्लाजा का सृजन कर, पदयात्रा करने व साइकिल चलाने की अवसंरचना प्रदान कर और उचित साइनेज लगाकर प्रमुख हॉल्ट स्टेशनों के लिए सुधारों को कार्यान्वित किया जा सकता है। मौजूदा मेट्रो स्टेशनों वाले रिंग रेल स्टेशनों को एकीकृत करने के लिए अंतर-परिवर्तनीय सुविधाओं की योजना बनाई जा सकती है। रिंग रेल एलाइनमेंट दिल्ली के धरोहर क्षेत्रों, पारिस्थितिक संपत्ति के क्षेत्रों तथा कई वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ता है, पर्यटकों की आवाजाही के लिए एक विशेष हॉप-ऑन और हॉप-ऑफ सेवा पर विचार किया जा सकता है।

9.8.2 दिल्ली में अल्प प्रयुक्त परिवहन विशेषता/ संरचनाओं और भूमि से इन संपत्तियों/ भूमि का ईष्टतम उपयोग करने और गैर-किराया बॉक्स राजस्व अधिकतम करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। निम्नलिखित कार्यनीतियों को लागू किया जाएगाः

i) बस डिपो और टर्मिनलों का व्यावसायिक या सुविधा विकास के साथ-साथ बहु-स्तरीय बस पार्किंग सुविधाओं के रूप में आधुनिकीकरण तथा मुद्रीकरण किया जाएगा; (देखें: डीसीएन)। इससे डिपो और टर्मिनलों की पार्किंग क्षमता बढ़ जाएगी और साथ ही भूमि का मूल्य बढ जाएगा। सरकारी बसों की पार्किंग के साथ-साथ पब्लिक पार्किंग के विकास के लिए बस टर्मिनलों और डिपो का उपयोग किया जाना चाहिए, विशिष्ट परियोजना स्थलों के लिए निजी बसों की खोज करनी चाहिए।

9.8.3 टीओडी के अनुसार रेलवे / मेट्रो / आरआरटीएस स्टेशनों और डिपो में ओवर स्टेशन और ओवर-ट्रैक विकास की अनुमति दी जाएगी। (देखें: DEV4)।

9.9 माल ढुलाई संभार तंत्र और वितरण नेटवर्क

9.9.1 माल ढुलाई दिल्ली के शहरी यातायात का एक बड़ा हिस्सा है और इसकी पर्यावरणीय काफी लागत है। पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से शहर की सड़कों का उपयोग कर माल ढुलाई यातायात में काफी अधिक कमी आने की आशा है। डिजिटल प्रगति और ई-कॉमर्स के उद्भव से, शहर में संभार तंत्र और माल भंडारण सुविधाओं की अधिक मांग के साथ-साथ माल-भाडे की मांग में वृद्धि का अनुमान है।

9.9.2 दिल्ली के लिए सीएमपी में शहर की सड़कों से जाम को कम करने, माल ढुलाई एवं शहर में संभार तंत्र और भाण्डागार केंद्रों में सुधार करने के लिए माल ढुलाई के लिए योजना और विस्तृत कार्यनीतियां मुहैया करेगा। सीएमपी में रेल आधारित परिवहन (रेल / रिंग रेल अवसंरचना का लाभ उठाते हुए) के माध्यम से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने और कार्यात्मक योजना 2031 के तहत एनसीआरपीबी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय आईएफसी के साथ कुशल इंटरलिंक्स विकसित करने के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

9.9.3 आईएफसी/आईसीडी प्रमुख रोजगार केंद्र हैं जहां काफी अधिक लोग आते हैं। सीएमपी शहर के बाकी हिस्सों के साथ ऐसी सुविधाओं की कनेक्टिविटी (सार्वजनिक परिवहन सहित) में सुधार के लिए विशिष्ट सिफारिशें करेगा।

9.9.4 नए एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी) को विभिन्न संभार तंत्र, भाण्डागारण और माल ढुलाई संबंधी जरूरतों को एकीकृत करके बहु- कार्यात्मक स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। पुनरूद्धार के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से मौजूदा आईएफसी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा (देखें: DEV3)। नया आईएफसी, यदि कोई हो, अधिमानतः राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर अवस्थित होगा और शहर के माल ढुलाई वितरण नेटवर्क के साथ जुडा होगा।

9.9.5 सहायक ई-कॉमर्स वितरण नेटवर्क: ई-कॉमर्स के उद्भव के कारण, स्थानीय स्तर पर 'भाण्डागार से घर' वितरण और माल भंडारण नेटवर्क की एक नई परत की आवश्यकता है। ई-कॉमर्स के संगठित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, थोक बाजारों, आईएफसी और औद्योगिक क्षेत्रों में भाण्डागारण सुविधाओं, वितरण केंद्रों आदि जैसे उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इन सुविधाओं शहर के अंदर एक हब-एंड-स्पोक नेटवर्क स्थापित होगा और माल भाडा वितरण में वाहन से तय किलो मीटर सफर ईष्टतम होगा। अंतिम छोर तक वितरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों/एनएमवी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.10 इलेक्ट्रिक–गतिशीलता

9.10.1 दिल्ली में ई-मोबिलिटी गति पकड रही है और परिकल्पना है कि नीतिगत आश्रय, प्रोत्साहन और अवसंरचनागत प्रावधानों से, अंतत: जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों पर ई-वाहन आधिपत्य जमा लेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों को लागू किया जाएगा:

i) विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, सड़क पर पार्किंग क्षेत्रों और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना उपलब्ध करायी जाएगी। ई-वाहनों की बाजार में हिस्सेदारी में प्रवृत्तियों के आधार और ग्रिड ब्लॉक में अनुमानित यातायात के आधार पर इसे वृद्धि के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। चार्जिंग उपकरण के डिजाइन का मानकीकरण न होने से, सभी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर कई चार्जर मॉडल वाले कियोस्क उपलब्ध होंगे।

ii) ईंधन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पार्किंग, रेलवे पार्किंग क्षेत्र, अधिकृत सड़क पर पार्किंग या अन्य सरकारी स्वामित्व वाली पार्किंग पर ईवी चार्जिंग अवसंरचना लगाई जाएगी। सभी नए ईंधन स्टेशनों के आवंटन में विद्युत चार्जिंग अवसंरचना के लिए आवंटित स्थान अनिवार्य होगा।

iii) संबंधित एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और कुशल बैटरी रिसाइकलिंग ईको सिस्टम के लिए प्रावधान किया जाएगा।

iv) संबंधित एजेंसियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अलग / अनन्य बैटरी रिसाइकलिंग केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि प्रदान की जाएगी।

9.11 स्मार्ट परिवहन के लिए कुशल परिवहन प्रणालियाँ

9.11.1 कुशल परिवहन प्रणाली (आईटीएस) में डाटा रिपॉजिटरी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा ताकि यह शहर में विभिन्न परिवहन मोड / प्रणालियों के बीच कुशलता और समन्वय को बेहतर बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभा सके।

i) दिल्ली के लिए एक मोबिलिटी डाटा रिपॉजिटरी (एमडीआर) स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ यातायात की मात्रा और ओ-डी ट्रेंड्स, दुर्घटना हॉटस्पॉट, भीड़भाड़, माल यातायात आदि से संबंधित विश्वसनीय और सटीक डेटा एक एकीकृत ढांचे में उपलब्ध किए जा सकें। विभिन्न पारगमन एजेंसियों से एकत्र डाटा का मानकीकरण किया जाएगा और सर्वेक्षण एवं सूचना के माध्यम से इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

ii) आईटीएस के माध्यम से स्मार्ट समाधान से संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने, सार्वजनिक परिवहन फ्लीट संचालन के गतिशील और कुशल प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान तकनीकों का उपयोग करने और यात्रियों को रियल टाइम जानकारी प्रदान करने, परिवहन प्रणालियों का समुत्थान बढ़ाने के लिए रियल-टाइम डाटा का उपयोग किया जा सकेगा।

iii) स्रोत से गंतव्य तक निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करके आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन इत्यादि) की पूर्व-चेतावनी और प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए आईटीएस का उपयोग करना।

--- x --- x ---- x --- x ---

अध्याय कोड
MOB2

10.0 साझा गतिशीलता की दिशा में स्थानांतरण

10.1.1 योजना अवधि का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य दिल्ली के व्यापक सार्वजनिक और साझा परिवहन संरचना और तंत्र का निर्माण करना है और अपने नागरिकों की 'कुशल' गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है। इसलिए दो-गुनी दक्षता का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात (i) मूल स्थान से गंतव्य तक (बिंदु

दर बिंदु गतिशीलता) यात्रा करने के लिए अपेक्षित समय और प्रयास को कम करना और (ii) यह सुनिश्चित करना कि यात्रा कम कार्बन फुट-प्रिंट (सुगम गतिशीलता) के साथ पूरी हो। इसे परिवहन के साझा साधनों का उपयोग करते हुए अधिक लोगों को स्थानांतरित करके प्राप्त किया जाएगा जिसमें सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस और रेल के साथ-साथ, मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन, ऐप-आधारित सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। कार्यनीतियाँ, जैसे कि पारगमन-उन्मुख विकास, गैर-निजी परिवहन सेवा स्तरों को उन्नत करना और निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए कठोर नियामक उपायों को निम्नलिखित परिकल्पना करते हुए लागू किया जाएगाः

i) शहर में कुल मोटर चालित यात्राओं के अनुपात के रूप में निजी परिवहन का कम किया हुआ हिस्सा।

ii) प्रति व्यक्ति मोटर चालित यात्राओं की औसत संख्या, औसत यात्रा समय और औसत यात्रा की दूरी के अनुसार शहर में यात्री के आवागमन की बेहतर कार्य क्षमता।

10.2 भूमि उपयोग और परिवहन के बीच सामंजस्य

10.2.1 यह योजना सार्वजनिक परिवहन बिंदुओं, जैसे कि मेट्रो और रेलवे स्टेशनों, मल्टी-मोडल हब, प्रमुख बस टर्मिनलों, आदि के निकटवर्ती घरों, नौकरियों और उपलब्ध सुविधाओं के सघनता और इनके मिश्रण का सर्वोच्च उपयोग करके भूमि उपयोग और परिवहन के एकीकरण को प्रोत्साहित करेगी। पारगमन स्थानों तक बेहतर पहुँच बनाने के साथ, इस तरह का विकास अधिक लोगों को अपनी दैनिक यात्रा की आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

10.2.2 भूमि उपयोग और परिवहन एकीकरण निम्नलिखित कार्यनीतियों के माध्यम से लागू किया जाएगा:

i) **टीओडी नोड्स में गहन मिश्रित उपयोग विकास:** टीओडी नोड्स (देखें: डीईवी4) के रूप में संदर्भित चुनिंदा कार्यनीतिक पारगमन स्टेशनों का विकास एफएआर के उच्चतम मानदंडों और अनुमेय मिश्रित उपयोग के साथ किया जाएगा। ये मानदंड केवल एक चिह्नित प्रभाव क्षेत्र (500-800 मी. की अनुमानित परिधि) के अन्दर लागू होंगे, जिसकी योजना वॉकेबिलिटी और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए बनायी जाएगी। टीओडी नोड्स में आईएसबीटी, प्रमुख रेलवे और आरआरटीएस स्टेशनों, मेट्रो इंटरचेंज और अन्य चुनिंदा स्टेशनों जैसे चयनित प्रमुख परिवहन जंक्शन सम्मिलित होंगे, जिन्हें भविष्य के आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में उनकी क्षमता के लिए पहचाना जाएगा।.

ii) **पारगमन प्रभाव क्षेत्र में पुनरूद्धार योजनाएँ:** शहर भर में टीओडी सिद्धांतों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, ना केवल चुनिंदा टीओडी नोड्स पर, बल्कि सभी पुनरुत्थान परियोजनाओं के लिए अन्य सभी पारगमन स्टेशनों के 500 मीटर परिधि के अंतर्गत, मिश्रित उपयोग, पार्किंग, ग्राउण्ड कवरेज और किनारे तक निर्मित (बिल्ट टू एज) सक्रिय अग्र-भाग के लिए विशिष्ट मानदंड की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह की परियोजनाओं के लिए अनुमेय एफएआर और अन्य मानदंड दिल्ली की पुनरुत्थान नीति के अनुसार होंगे। यह योजना अवसंरचना पर बल देने वाले अतिरिक्त एफएआर / निर्मित स्थल के बिना जीवंत और सक्रिय स्टेशन क्षेत्रों के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करेगी। (देखें: डीईवी3)

iii) **नए हाई स्पीड ट्रांजिट कॉरिडोर (यूईआर) के साथ, टीडीआर प्राप्त करने वाले क्षेत्र:** लैंड पूलिंग क्षेत्रों (देखें: डीईवी1) में, शहरी विस्तार सड़कों (यूईआर) के साथ, उच्च एफएआर की एकाग्रता की अनुमति देने वाले किसी क्षेत्र में लचीले स्थान और अधिकृत एफएआर के लोडिंग की अनुमति दी जाएगी।

10.2.3 इन सभी पारगमन उन्मुख विकास की रूपरेखा पूरे शहर में सुरक्षित, चलने योग्य और जीवंत क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए सघन सड़क तंत्रों, बेहतर सार्वजनिक क्षेत्रों और सक्रिय सार्वजनिक अग्र-भागों को सुनिश्चित करने हेतु बनायी जाएगी।

10.3 सार्वजनिक परिवहन एवं साझा परिवहन साधनों में सुधार करना

10.3.1 लोगों को परिवहन के सार्वजनिक या साझा माध्यमों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कार्यनीति सेवा के कुशल स्तर से जुड़ी उनकी विश्वसनीयता और सुगम्यता में सुधार करना है। हालांकि, साझा परिवहन माध्यमों में सुधार बड़े स्तर पर निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाना जारी रखा जाएगा, तथापि सार्वजनिक परिवहन में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

10.3.2 **सार्वजनिक परिवहन का सुगम्यता स्तर:** सार्वजनिक परिवहन के सुगम्यता स्तर (पीटीएएल) के विस्तृत विश्लेषण को शहर के लिए अपनाया जाएगा। समय-समय पर इसे अद्यतन और अधिसूचित करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा संचालन किया जाएगा। पीटीएएल मैपिंग सार्वजनिक परिवहन की पहुँच का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करेगी और स्थानिक रूप से उच्च-सुगम्यता वाले क्षेत्रों को निम्न सुगम्यता वाले क्षेत्रों से पृथक कर देगी। इसके विश्लेषण में बसों, मेट्रो रेल और उनकी फीडर सेवाओं के अतिरिक्त, ग्रामीण सेवा, ऑटोरिक्शा, मैक्सी कैब, आरटीवी इत्यादि जैसे अनुबंधित आईपीटी मोड सहित, सभी साझा माध्यम सम्मिलित होंगे। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, सम्पूर्ण शहर को पीटीएएल की निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

तालिका 10.0: पीटीएएल श्रेणी

पीटीएएल	**एक्सेस इंडेक्स रेंज**	
0 (निकृष्ट)		0 - 2
1		2 -3
2		3 – 5.5
3		5.5 - 7
4		7 – 8.5
5		8.5 - 12
6		12 - 20
7		20 - 30
8 (सबसे अच्छा)		30 और ऊपर

i) सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में सभी भावी सुधार और क्षेत्र के सुधार के प्रस्ताव इस मूल्यांकन पर आधारित होंगे। दिल्ली के सीएमपी (देखें: MOB1) में 2041 तक शहर के सभी क्षेत्रों में की कम से कम पीटीएएल 4 ग्रेड अर्जित करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप सम्मिलित होगा।

ii) यह विश्लेषण उच्च पीटीएएल मूल्यों और उच्च सघनता वाले, परन्तु कम सार्वजनिक परिवहन यात्रियों वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान कर सकता है। यह दि.वि.प्रा./स्थानीय निकायों

और संबंधित पारगमन एजेंसियों द्वारा किराया युक्तिकरण, बेहतर सुगम्यता, कार्यनीतिक विकास आदि के रूप में आगे की कार्रवाई को सुगम बना सकता है।

10.3.3 **किराए को युक्तिसंगत बनाना:** कम और मध्यम दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए अक्सर शहर से बाहर की यात्राओं, उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में बढ़ी हुई सवारियों और किराए को युक्तिसंगत बनाने पर संबंधित एजेंसी द्वारा विचार किया जा सकता है।

10.3.4 **एक्सप्रेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट:** डीटीसी और एमआरटीएस एजेंसियाँ एक्सप्रेस रूट की योजना पर विचार करेंगी, जो उच्च फुटफॉल स्टेशनों / गंतव्यों को इस तरह से जोड़ती है कि यात्रा के दौरान स्टॉप/ हाल्ट स्टेशनों की संख्या कम हो जाए और यात्रा के समय का बेहतर ढंग से उपयोग हो सके। (देखें: MOB1)

10.3.5 **प्रीमियम बस सेवाएँ:** सुविधा (पहुँच और विश्वसनीयता में सुगमता) और आराम (जलवायु विषयक आराम और सुविधाओं की गुणवत्ता) कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग निजी परिवहन का उपयोग करना जारी रखते हैं। प्रीमियम बस सेवा संचालन को शहर के उन चिह्नित उच्च आवृत्ति वाले मार्गों में खोजे जाने की आवश्यकता है जो घरों को कार्यस्थलों के साथ जोड़ते हों। इनकी रूपरेखा नियमित निर्धारित-मार्गों, शटल सेवाओं के साथ-साथ ऑन डिमांट ऐप-आधारित सेवाओं के मिश्रण के रूप में बनायी जा सकती है।

10.3.6 **विशेष सेवाएं:** इस योजना का लक्ष्य रात के समय की अर्थव्यवस्थाओं को उच्च आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ रात के समय जीवंत और सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों की उपलब्धता में वृद्धि करना है। डीएमआरसी और डीटीसी को पूरे शहर में विशिष्ट निर्धारित मार्गों और तंत्रों के साथ तथा व्यवहार्यता के अनुसार विशेष अवसरों एवं त्यौहारों के लिए कम आवृत्ति वाली रात्रिकालीन सेवाओं को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10.3.7 **बस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार:**

i) दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) द्वारा बस के आश्रय-स्थलों का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक सुगम्यता की विशिष्टताएँ, दृश्य-श्रवण सार्वजनिक सूचना प्रणाली, सीसीटीवी, आपात स्थिति के लिए संकट बटन, वॉटर कियोस्क और सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल हैं।

ii) मार्गों, समय सारिणी, आगमन समय, यात्रा समय, कनेक्शनों, घटनाओं, विलंबों, किराए और छूट की जानकारी प्रदान करने के लिए एक विश्वसनीय और वास्तविक समय की यात्री सूचना प्रणाली (पीआईएस) को लागू किया जाना चाहिए।

10.4 एकीकृत बहु-मोडल परिवहन प्रणाली (मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम)

10.4.1 मूल स्थान एवं गंतव्य के बीच यात्रियों की यात्रा में यात्रा के एक या कई साधन सम्मिलित हो सकते हैं। यह योजना पूरी यात्रा के दौरान सभी नागरिकों के लिए निर्बाध और कुशल बिंदु-दर-बिंदु गतिशीलता को सुगम बनाएगा।

10.4.2 विभिन्न साधनों में नेटवर्क एकीकरण इस तरह की निर्बाध कनेक्टिविटी को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। व्यापक गतिशीलता योजना के एक भाग के रूप में एक एकीकृत बहु-मोडल परिवहन कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए जो विभिन्न साधनों के लिए समय, आवृत्ति और मार्गों को सुसंगत करने हेतु संस्तुति प्रदान करती हो। बहु-मोडल परिवहन केंद्र (एमएमटीएच) का विकास एमएमआई कार्यनीतियों को लागू करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहलू होगा। (देखें: MOB1)

10.4.3 **मल्टी-मोडल परिवहन केंद्र (एमएमटीएच):**

दिल्ली में कई उच्च फ्रुटफ़ॉल ट्रांजिट नोड्स के पास एक ही स्थान पर कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, आरआरटीएस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन। इन्हें मल्टी-मोडल पारगमन केंद्र (एमएमटीएच) के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका संदर्भ पूर्ववर्ती योजना में मेट्रोपॉलिटन पैसेंजर टर्मिनल या इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल के रूप में दिया गया है जो डीईवी4 के अनुसार विकास मानदंडों के लिए पात्रता रखते हैं।

i) यूएमटीए/समन्वय समिति एमएमटीएच परियोजनाओं के समन्वित नियोजन और निष्पादन के लिए सभी संबंधित पारगमन एजेंसियों को एक साथ लाने के लिए उत्तरदायी होंगी। सभी साधनों में सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त एमएमटीएच-स्तरीय लेआउट योजना तैयार की जाएगी। एजेंसियां अपनी भूमि को समाहित करके संयुक्त उपक्रम भी चला सकते हैं जहां पर कई साधनों को एक ही भवन या परिसर में एकीकृत किया जा सकता है। (देखें: MOB1)

ii) रेलवे पटरियों, सड़कों, नालों आदि जैसी सुविधाओं से पृथक किए गए गैर-सन्निहित भू-खण्डों के मामले में, स्काईवॉक, सबवे आदि जैसे कनेक्टर्स का उपयोग करने वाले भवनों के एकीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते विभिन्न साधनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित स्वीकृति बनाई रखी गयी हो। (देखें: डीईवी4)।

iii) सभी एमएमटीएच परियोजनाओं का विशेष फोकस पहली और अंतिम मील की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की दिशा में भी होगा। इस तरह के सभी इंटरफेस को रिटेल, वेंडिंग जोन, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे शौचालय और पेयजल फाउंटेन, आदि की समुचित प्रावधानों के माध्यम से अच्छी तरह से प्रज्वलित, सुरक्षित और जीवंत रखा जाएगा।

iv) परिवहन नेटवर्क का केंद्र बिंदु होने के नाते, एमएमटीएच के पास मिश्रित उपयोग के विकास के लिए हब के रूप में उच्च क्षमता होगी।

v) आनंद विहार-कड़कड़डूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन-सराय काले खां नामक तीन स्थानों को मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब (एमएमटीएच) के रूप में विकसित किया जाएगा। दि.वि.प्रा. या अन्य संबंधित एजेंसियाँ भविष्य में एमएमटीएच के रूप में विकसित किए जाने वाले अन्य ऐसे स्थानों की पहचान कर सकती हैं।

10.4.4 **सभी स्टेशनों पर मल्टी मोडल इंटीग्रेशन (एमएमआई):** दिल्ली में पारगमन स्टेशनों (मेट्रो, आरआरटीएस, रेलवे स्टेशन, रिंग रेल) और प्रमुख बस टर्मिनलों पर विभिन्न साधनों में सहज एकीकरण को सुगम बनाया जाए।

i) एमएमआई योजनाओ को, पैदल यात्री / साइकिल चलाने की सुविधाओं सहित कुशल यातायात और यात्री फैलाव के लिए संबंधित पारगमन एजेंसियों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।

ii) सभी स्थानों पर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी:

क) प्रत्येक ऊंचाई बिंदु के 100 मीटर के अन्दर: पैदल यात्री स्पिल ओवर प्लाजा, विक्रय क्षेत्र, साइकिल पार्किंग और रेंटिंग स्टेशन।

ख) ऊँचाई बिन्दुओं के केन्द्रक के 300 मी. तक: बस स्टॉप, आईपीटी स्टैंड, निजी कारों के लिए पिक-अप/ड्रॉप लोकेशन या ऑन-डिमांड आईपीटी।

ग) ऊंचाई बिन्दुओं के केन्द्रक के 500 मी तक: एसएसआई2 और सड़क डिजाइन विनियमों में दिए गए मानदंडों के अनुसार, सार्वजनिक पार्किंग स्थल (पार्क एण्ड राइड की सुविधाएँ) और सार्वजनिक सुविधाएं। विभिन्न साधनों के लिए पार्किंग स्थल उपयोगकर्ता के प्रोफ़ाइल और संलग्न गतिविधियाँ/भूमि उपयोग पर आधारित होंगी। उदाहरण के लिए, शैक्षिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के निकटवर्ती मेट्रो स्टेशनों में साइकिलों और दो पहिया वाहनों के लिए अधिक ईसीएस आवंटित होंगे।

iii) संबंधित भू-स्वामी एजेंसियों द्वारा एमएमआई योजना को लागू करने के लिए समुचित भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

iv) सभी नए पारगमन स्टेशनों और एमएमटीएच के लिए, एमएमआई का नियोजन और क्रियान्वन डिजाइन के एक भाग के रूप में किया जाएगा।

10.4.5 **एमएमआई को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप:**

i) एक साधन से दूसरे साधन की ओर सहज स्थानांतरण करने के लिए विभिन्न साधनों का ऐप-आधारित एकीकरण महत्त्वपूर्ण होगा। परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी उपलब्ध मार्गों के विकल्पों, उपलब्ध साधनों और उनके संबद्ध किराए, आवृत्ति, अनुमानित यात्रा समय, आदि की वास्तविक समय की जानकारी को सम्मिलित करते हुए एक स्मार्ट मोबिलिटी ऐप विकसित कर सकता है। स्मार्ट मोबिलिटी ऐप को शहर के लिए विकसित आईटीएमएस के साथ एकीकृत किया जाएगा (देखें: MOB1)।

ii) रेलवे और बस परिवहन जैसे प्रमुख साधनों को सम्मिलित करते हुए, एक एकीकृत टिकटिंग प्रणाली या स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड का क्रियान्वन किया जाएगा। एकीकरण के लिए, आईपीटी, ऑन-डिमांड कैब आदि जैसे अन्य साझा साधनों पर भी विचार किया जा सकता है।

iii) विभिन्न निजी सेवा प्रदाताओं और पारगमन एजेंसियों के बीच साझेदारी की मांग करते हुए एक सामान्य किराया प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा सकती है। इससे उन उपयोगकर्ताओं को और अधिक प्रोत्साहन राशि और किराए में छूट की सुविधा मिल सकती है जो एक परिवहन साधन से दूसरे परिवहन साधन की ओर जाते हैं।

10.5 निजी परिवहन को हतोत्साहित करना

10.5.1 परिवहन के निजी साधनों को हतोत्साहित किये जाने पर केंद्रित कठिन नियामक कार्यनीतियों के साथ साझा तौर-तरीकों के उपयोग को बढ़ाने पर लक्षित विभिन्न क़दमों को पूरक बनाना महत्त्वपूर्ण होगा। यह

योजना निम्नलिखित तीन प्रमुख कार्यनीतियों का प्रस्ताव देती है, जिनका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग पर अंकुश लगाना है।

10.5.2 **कंजेसन प्राइसिंग:** ट्रैफिक पुलिस के परामर्श से सड़कों का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियाँ शहर के विशिष्ट क्षेत्रों को कंजेशन प्राइसिंग क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेंगी। इनमें सम्मिलित हो सकती है: टीओडी नोड्स (देखें: डीईवी4), व्यापार प्रोत्साहन (देखें: डीईवी3), चारदीवारी शहर विरासत जोन (देखें: एचसीपी2) और सीबीडी (देखें: ईसीओ)। आरएफआईडी टैगिंग आदि के रूप में तकनीक का उपयोग संबंधित एजेंसियों द्वारा कंजेशन प्राइसिंग के प्रबंधन के लिए भी किया जा सकता है।

10.5.3 **पार्किंग मांग का प्रबंधन:** कार्य स्थलों, मनोरंजन या सांस्कृतिक केन्द्रों, बाजारों आदि में सार्वजनिक पार्किंग की उपलब्धता पर रोक निजी यात्राओं के लिए एक प्रमुख बाधा बन सकती है। पार्किंग नियमों को कड़ाई से लागू करने के साथ निम्नलिखित कार्यनीतियों का क्रियान्वन एक मांग प्रबंधन उपकरण के रूप में पार्किंग का उपयोग करते हुए किया जाएगा:

i) किसी क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक पार्किंग (ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट) की आपूर्ति उसके सार्वजनिक परिवहन सुगम्यता स्तर (पीटीएएल) के साथ जुड़ी होगी। उच्च पीटीएएल वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्किंग की आपूर्ति कम होगी (देखें: MOB4)।

ii) पार्किंग शुल्क का उपयोग निजी परिवहन उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। व्यस्त और अव्यस्त अवधि के दौरान, ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए डायनेमिक प्राइसिंग (उच्च पार्किंग शुल्क के माध्यम से) का उपयोग उच्च पीटीएएल और/या उच्च वाहनों के फुटफॉल के साथ कम भीड़ वाले क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।

iii) **पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को प्राथमिकता देना:** ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय करके सम्बंधित एजेंसियाँ 'केवल यात्रियों के लिए' क्षेत्रों के रूप में उच्च पीटीएएल स्तरों के साथ, भारी आवाजाही वाले विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि पर्यटक आकर्षण केंद्र, बाजार आदि की पहचान करेंगी। विशिष्ट समय अवधि के लिए सड़कों को पूरी तरह से पैदल यात्रियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए सामरिक शहरीकरण उपायो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि समग्र यातायात आवाजाही बाधित न हो सके। (देखें: MOB3)

--- x --- x ---- x --- x ---

11.0 दिल्ली को पैदल चलने और साइकिल चलाने के अनुकूल बनाना

अध्याय कोड
MOB3

11.1.1 दिल्ली की उच्च सक्रिय यात्रा संभावना का लाभ सक्रिय यात्रा चुनने वाले लोगों द्वारा उठाये जाने की आवश्यकता है, जो ना केवल एक किफायती गतिशीलता के विकल्प के रूप में होगी, बल्कि एक ऐसे रूप में भी होगी जो व्यक्तियों और शहर के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित हो और स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय लाभों में वृद्धि करें।

11.1.2 वर्तमान नेटवर्क को शहर में ग्रीन-ब्लू नेटवर्कों (देखें: ईएनवी2) का उपयोग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक सक्रिय यात्रा मार्गों के रूप में सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है, जिसे छोटी और लंबी दूरियों के लिए पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित नेटवर्क बनाकर और सक्रिय यात्रा के लाभों के बारे में जन-जागरूकता को बढ़ा कर किया जा सकता है। सक्रिय यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यनीतियों का कार्यान्वयन निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगा:

i) सक्रिय यात्रा के विकल्पों और अवसरों के साथ प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित गतिशीलता तक पहुंच में वृद्धि।

ii) दिल्ली में सक्रिय यात्रा (पैदल चलना और साइकिल चलाना) के अनुपात में वृद्धि।

11.2 सक्रिय यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क (स्ट्रीट) डिजाइन

11.2.1 सक्रिय यात्रा को शहरी पर्यावरण की रूपरेखा बनाकर प्रोत्साहित किया जाएगा जहाँ पर अधिक लोग इसे 'गंतव्य यात्रा', अर्थात कार्यस्थल, स्कूल, उपासनास्थल, दुकान, थियेटर, सार्वजनिक परिवहन आदि के साथ-साथ, 'मनोरंजनात्मक यात्रा', अर्थात आराम या व्यायाम दोनों के लिए एक पसंदीदा साधन के रूप में चुनते हैं।

11.2.2 पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों के लिए बाधा-मुक्त आवाजाही को प्राथमिकता देकर सक्रिय यात्रा के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करके सभी आयु वर्गों और क्षमताओँ वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क स्थान के समान वितरण और सुरक्षित गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों को डिजाइन किया जाएगा। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए वर्तमान सड़कों को संवर्धित रूप में पुनःसंयोजित किया जाएगा। पैदल यात्री मार्गों / फुटपाथों को नए विकास क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

11.2.3 निम्नलिखित मुख्य घटकों को सड़कों के अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी नए सड़क अवसंरचना डिजाइन के एक भाग के रूप में और वर्तमान सड़कों में सुधार करने के लिए सम्मिलित किया जाएगा:

11.2.3.1 अपेक्षाकृत छोटे और आरामदायक मार्ग प्रदान करने के लिए अवरोध रहित और अनवरत एनएमटी नेटवर्क अवसंरचना, जैसे कि फुटपाथ, साइकिल ट्रैक आदि का प्रावधान किया जाएगा।

11.2.3.2 सक्रिय यात्रा विशेषताओं के पैटर्न के अनुसार, मोटर चालित वाहनों के साथ पैदल चलने वालों या साइकिल चालकों के टकराने के बिंदुओं को निम्नलिखित अवसंरचना के प्रावधानों के माध्यम से कम किया जाएगा:

i) जहां तक संभव हो, पैदल और साइकिल क्रॉसिंग एट-ग्रेड होगी। कैरिजवेज में यातायात की गति को कम करने वाले तत्व सम्मिलित होंगे।

ii) सुरक्षित और जीवंत पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए सबवे या फुट ओवर ब्रिजों को व्यावसायिक गतिविधि, लोक कला, सड़क प्रदर्शन आदि के माध्यम से क्रॉस-प्रोग्राम्ड किया जाएगा।

iii) पैदल चलने वालों, व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों और साइकिल चालकों के लिए सुगम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ग्रेड सेपरेटिड क्रासिंगों पर पैदल चलने वालों के लिए सिग्नलों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी । पेलिकन क्रॉसिंग प्रणाली को विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए स्कूलों और अन्य प्रमुख पैदल यात्री क्रॉसिंगों के पास स्थापित किया जाएगा।

11.2.3.3 स्ट्रीट फ़र्नीचर, अर्थात बेंच और बैठने की अन्य व्यवस्था, कचरे के डिब्बे, साइनेज, सार्वजनिक उपयोगिताएं, जैसे कि विश्राम-कक्ष, शिशु देखभाल कक्ष, चेंजिंग रूम और नियमित दूरी के अंतरालों पर पेयजल की टोंटी आदि का प्रावधान किया जाएगा।

11.2.3.4 बहु-उपयोगिता जोन का निर्धारण और उसका स्थान निर्धारण किया जाएगा ताकि स्ट्रीट वेंडर्स और किओस्क, लोक कला के स्थान और अन्य सावर्जनिक गतिविधियों को समायोजित किया जा सके जिससे स्ट्रीट लाईफ और गतिविधि के लिए सक्रिय और सौंदर्यपूर्ण आकर्षक स्थल बनाए जा सके।

11.2.3.5 पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए दिन के समय बेहतर छाया और रात के समय प्रकाश की व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगीः

i) उपयुक्त छाया प्रदान करने वाले और देशी प्रजातियों के प्रदूषण को निस्पंद करने वाले वृक्षों और अन्य भूदृश्य तत्वों के साथ-साथ, प्रदूषण-मुक्त विशेषताएँ, जैसे कि पानी सोखने वाली सतह, बायो-स्वैल आदि।

ii) सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सड़क लाइटनिंग और प्रकाश-व्यवस्था। व्यापक प्रकाश के अतिरिक्त, पैदल चलने वालों के लिए स्तरीय प्रकाश व्यवस्था की प्राथमिकता का समावेश।

iii) इंटर-मोडल शिफ्टों में वृद्धि करने के लिए साइकिल पार्किंग के साथ बस शेल्टर, निजी वाहनों के लिए पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ बे, टैक्सी और आईपीटी।

11.2.4 सभी पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों संबंधी अवसंरचनाएं और सड़कों का सुधार सड़क डिजाइन विनियम (देखें: अनुलग्नक 7) में निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों पर आधारित होंगे। बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच को सुगम बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए बाधा मुक्त निर्मित पर्यावरण 2016 के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और स्थल मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11.3 सक्रिय यात्रा क्षेत्र (एटीए) और वॉक प्लान

11.3.1 सक्रिय यात्रा क्षेत्रों की पहचान संबंधित एजेंसियों द्वारा शहर में उच्च गतिविधि केंद्रों के आसपास की जाएगी और पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों संबंधी अवसंरचना में सुधार लाने के लिए इन क्षेत्रों में वॉक प्लान तैयार किया जाएगा और उसका कार्यान्वन किया जाएगा।

11.3.2 किसी विशिष्ट गंतव्य नोड, जैसे कि धरोहर परिसर, बाज़ार, वर्तमान आवासीय कॉलोनी आदि के आसपास, 400-500 मीटर (5-10 मिनट की पैदल दूरी) के दायरे के अन्दर स्थित कम से कम एक क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा। वॉक प्लान के अंतर्गत, क्षेत्र का वास्तविक परिसीमन पेड-शेड और/या वांछित लाइनों पर आधारित होगा। संबंधित एजेंसियाँ यातायात प्रबंधन, एमएमआई, स्टेशन फैलाव (डिस्पर्सल) योजनाएँ आदि के लिए अपनी योजनाओं के साथ इन योजनाओं को एकीकृत करेंगी।

11.3.3 लैंड-पूलिंग क्षेत्रों के अंतर्गत, सभी नए विकास/परियोजनाओं, टीओडी और पुनरूद्धार योजनाओं, अन्य विशेष परियोजनाओं को एटीए के रूप में माना जाएगा और लेआउट के अनुमोदन के लिए वॉक योजनाओं की तैयारी की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी।

11.3.4 आंशिक या पूर्ण पैदल यात्रा के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा गहन खुदरा व्यावसायिक गतिविधि या अपवादस्वरूप रूप से उच्च पैदल यात्री आवाजाही, साप्ताहिक बाज़ार और नाइट इकोनोमी के लिए चिन्हित क्षेत्रों के साथ विद्यमान क्षेत्रों की पहचान एटीए के रूप में की जा सकती है (देखें: ईसीओ और एचसीपी1)।

11.3.5 वॉक प्लान को स्थानीय निकायों या आरडब्ल्यूए और अन्य हितधारकों द्वारा मौजूदा आवासीय कॉलोनियों, बाजारों आदि के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये क्षेत्र पार्किंग प्रबंधन क्षेत्रों या ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर/ नेटवर्क का निर्माण करने के लिए किसी प्रस्ताव के साथ लिंक किए जायेंगे।

11.3.6 शहर भर के नेटवर्कों का अनवरत निर्माण करने के लिए सभी एटीए को प्रमुख सड़कों (समर्पित साइकिल ट्रैकों और फुटपाथों सहित) के साथ जोड़ा जाएगा।

11.3.7 वॉकेबिलिटी विनियमों में वॉक प्लान के लिए चिह्नित क्षेत्रों का विकास और क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

11.3.8 संबंधित एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उन एटीए की पहचान की जा सकती है जिसके लिए वॉक प्लान को तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।

11.4 शहर स्तरीय सक्रिय यात्रा नेटवर्क्स

11.4.1 30 मी. से अधिक आरओडब्ल्यू की सड़कों के लिए लगातार सक्रिय यात्रा नेटवर्क स्थापित किये जायेंगे। साइकिल सवारों, पैदल यात्रियों के वर्तमान या प्रत्याशित उच्च भाग वाले कुछ चिह्नित मार्गों और विभिन्न गतिविधि केंद्रों को जोड़ने वाले उन मार्गों का विकास कार्यनीतिक सक्रिय यात्रा गलियारों के रूप में किया जाएगा।

11.4.2 **साइकलिंग राजमार्ग:** शहर भर में लंबी दूरी की सक्रिय यात्रा को सुगम बनाने के लिए कुछ गलियारों को साइकिल राजमार्ग के रूप में चिह्नित और विकसित किया जाएगा।

11.4.3 **ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर**: ये पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए विशिष्ट मार्ग हैं जिन्हें प्राकृतिक नालों और यमुना नदी (देखें: ईएनवी2) के साथ शहर स्तर पर समर्पित गलियारों के रूप में बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, इन गलियारों के आसपास सांस्कृतिक केन्द्रों या कार्यनीतिक

सक्रिय गलियारों को जोड़ने वाले ये गलियारे पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को छोटे मार्ग उपलब्ध कराएँगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

11.5 सक्रिय यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कार्यनीतियाँ

11.5.1 **सुनियोजित शहरीकरण:** कार्यान्वयन एजेंसियां गलियों को आरक्षित करके और सड़कों के फैलाव को पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाकर पैदल चलने वालों और एनएमटी गतिविधि को प्राथमिकता देने के लिए सड़क के एक भाग को अस्थायी रूप से पुनःसंयोजित करने हेतु, सुनियोजित शहरीकरण या पॉप-अप शहरीकरण का प्रयोग कर सकते हैं । यह संस्तुति की जाती है कि पैदल यात्रियों और/या साइकिल चालकों संबंधी अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सभी प्रस्तावों की व्यवहार्यता का परीक्षण स्थायी प्रकृति के सड़कों के पुनःसंयोजन कार्यों से पूर्व जमीन पर कर लेना चाहिए।

11.5.2 **सूक्ष्म-गतिशीलता:** बैटरी चालित ई-बाईक्स और अन्य प्रदूषण-मुक्त गतिशीलता के विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बुजुर्गों और चलने में तकलीफ वाले व्यक्तियों के लिए एटीए और कार्यनीतिक सक्रिय गलियारों में ऐसे वाहनों के लिए पार्किंग प्रावधान और पीबीएस प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

11.5.3 **नागरिकों का जुड़ाव:** सभी संबंधित विभाग / एजेंसियाँ सक्रिय यात्रा इंटरवेन्शन्स के लिए आम सहमति के निर्माण को बढ़ावा देने और यात्रा के दौरान व्यवहार में बदलाव को प्रेरित करने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं और योजनाओं के लिए जागरूकता अभियानों और सार्वजनिक जुड़ाव की कार्यनीतियों की रूपरेखा बना सकती हैं।

i) संबंधित एजेंसियाँ, स्थानीय निकाय आदि सक्रिय यात्रा, यातायात नियमों, विनियमों और जुर्माना, पैदल यात्री प्रथम सिद्धांत, आदि के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों सहित, विभिन्न नागरिक समूहों के लिए समर्पित अभियान चला सकती हैं।

ii) बीमारी फैलने या महामारी के समय सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय यात्रा को गतिशीलता विकल्प के रूप में भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

11.5.4 **सक्रिय यात्रा के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) को प्रयोग में लाना:** प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग सक्रिय यात्रा को प्रभावी रूप से सक्षम बना सकती है और पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के अनुभव और सुरक्षा को बढ़ा सकती है:

i) पैदल चलने और साइकिल चलाने हेतु मार्गों, यात्राओं, मैराथन, हरे-भरे रास्ते, विरासत के चिह्न, सार्वजनिक सुविधा स्थल, वास्तविक समय की उपलब्धता के साथ पीबीएस, लोकप्रिय गंतव्यों / भोजनालयों और आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा स्मार्ट एप्लिकेशन विकसित किए जाएंगे। लोगों के लिए पैदल चलने योग्य और साइकिल चलाने योग्य मार्गों और क्षेत्रों तथा रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों का आंकलन करने के लिए विशेष एप्लीकेशन विकसित किए जा सकते हैं;

ii) नागरिकों को वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने हेतु व्यापक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आकलन के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर स्मार्ट सेंसर स्थापित किए जा सकते हैं;

iii) ऊर्जा उत्पन्न करने वाली टाइलों का उपयोग फुटपाथों और पक्के क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। ऊर्जा (सौर ऊर्जा के साथ युग्मित) का उपयोग स्ट्रीट लाइटों को प्रकाशित करने के साथ-साथ बैठने या आराम करने वाले स्थानों के निकट मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चार्जिंग पॉइंट प्रदान करने के लिए किया जा सकता है;

iv) पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की सुरक्षा, यातायात नियमों की अनुपालना और स्ट्रीट फर्नीचर की तोड़फोड़ को रोकने के लिए अत्याधुनिक निगरानी तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है ।

--- x --- x ---- x --- x ---

अध्याय कोड
MOB4

12.0 दिल्ली में पार्किंग प्रबंधन

12.1.1 कम कार्बन मात्रा वाले परिवहन साधनों से आवाजाही करना दिल्ली के लिए एक [illegible] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण और राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 के अनुरूप तथा भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, पार्किंग कार्यनीति में मौजूदा पार्किंग की मांग प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें पार्किंग सुविधाओं को पुन:संगठित किया जाएगा और उनके उपयोग को बढ़ाया जाएगा। पार्किंग के प्रबंधन के लिए पार्किंग के नियमों और विनियमों का सख्त अनुपालन आवश्यक होगा और इससे सार्वजनिक परिवहन और साझा परिवहन साधनों के पक्ष में परिवर्तन को प्रेरणा मिलेगी। मास्टर प्लान की पार्किंग कार्यनीति में सार्वजनिक और निजी पार्किंग की उपयुक्त उपलब्धता की परिकल्पना की गई है, जिसे सार्वजनिक परिवहन और साझा परिवहन साधनों की उपलब्धता के स्तर और पार्किंग की उपलब्धता के साथ व्यवस्थित किया जाता है।

12.2 शहर-व्यापी पार्किंग कार्यनीति के लिए दिशानिर्देश:

निम्नलिखित दिशानिर्देश और कार्यनीतियां शहर में पार्किंग की समग्र व्यवस्था को निर्देशित करेंगी:

i. **'उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान' का सिद्धांत**: सभी व्यक्तिगत मोटर वाहनों (पीएमवी) (एनएमटी को छोड़कर) के उपयोगकर्ताओं को अधिकृत पार्किंग सुविधाओं/स्थानों/सड़कों के उपयोग के लिए भुगतान करना होगा।

ii. **पार्किंग की उपलब्धता को युक्तिसंगत बनाना**: किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर (सड़क-पर और सड़क से इतर) (ऑन-स्ट्रीट और ऑफ-स्ट्रीट) सार्वजनिक पार्किंग की उपलब्धता और एक उपयोग परिसर के अंदर ईसीएस संबंधी मानदंडों को सार्वजनिक परिवहन पहुंच स्तर (पीटीएएल) और पार्किंग के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अनुसार युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

iii. **पार्किंग का मूल्य निर्धारण**: पार्किंग शुल्क का उपयोग, ऑन-स्ट्रीट पार्किंग की मांग को कम करने और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग (विशेष रूप से-मल्टी लैवल कार पार्किंग-एमएलसीपी) के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। भीड़भाड़ संबंधी मूल्य निर्धारण (कंजेशन प्राइसिंग) (अधिक पार्किंग शुल्क लगाकर) का उपयोग अधिक सार्वजनिक परिवहन (पीटी) की पहुंच वाले और/या अधिक वाहनों की संख्या वाले क्षेत्रों (व्यावसायिक क्षेत्रों, मिश्रित-उपयोग सड़कों, कार्य केंद्रों आदि) की भीड़ को कम करने में किया जाएगा।

iv. **पार्किंग का अधिकतम उपयोग**: पार्किंग स्थानों को साझा संसाधन मानकर पार्किंग सुविधाओं और कैप्टिव समतुल्य कार स्थान(ईसीएस) का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। पार्किंग की मांग की व्यवस्था करने और पार्किंग कारोबार को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपयोगों के लिए अंतरकालिक व्यस्त घंटों का भी पता लगाया जा सकता है। मैकेनाइज्ड स्टैक पार्किंग का उपयोग करके ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों की पार्किंग क्षमता बढ़ाई जा सकती है

v. **सभी परिवहन साधनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था**: शहर में पार्किंग की आपूर्ति हेतु न केवल पीएमवी के लिए पार्किंग मांग पर बल्कि अन्य साधन जैसेकि उपयोगी सेवाओं वाले और आपातकालीन वाहन, साझा साधन (आईपीटी, फीडर मोड, आदि) माल वाहन, साइकिल आदि के लिए पार्किंग मांग पर भी विचार किया जाएगा।

12.3 पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजना (पीएमएपी)

12.3.1 किसी क्षेत्र/इलाके में पार्किंग की उपलब्धता और/अथवा प्रबंधन के लिए दिल्ली पार्किंग स्थल के रखरखाव और प्रबंधन नियम, 2019 के अनुरूप एक व्यापक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

12.3.2 पार्किंग प्रबंधन क्षेत्रों (पीएमए) का मांग प्रबंधन, उपलब्ध पार्किंग को विनियमित करने और इससे जुड़ी आर्थिक लागत को कम करने हेतु पार्किंग संबंधित हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने के लिए परिसीमांकन किया जाएगा। पीएमए की पहचान और परिसीमन संबंधित निकायों द्वारा स्थानीय निवासियों, बाजार संघों, ट्रैफिक पुलिस, जीएनसीटीडी के परिवहन विभाग आदि से परामर्श करके किया जाएगा।

12.3.3 पार्किंग प्रबंधन क्षेत्रों के लिए पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजनाएं (पीएमएपी) तैयार की जाएंगी। इन योजनाओं में पार्किंग प्रबंधन के लिए कार्यनीतियाँ, पार्किंग प्रभार, आईटीएस अनुप्रयोग और योजना का प्रवर्तन शामिल होंगे।

12.3.4 सरकार द्वारा निर्दिष्ट पीएमए के लिए, जीएनसीटीडी का परिवहन विभाग सड़क-स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों और स्थानीय हितधारकों से परामर्श करके पीएमएपी तैयार करने के लिए मुख्य एजेंसी होगा। पीएमए के परिसीमन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए विशेषज्ञ/परामर्शी फर्म/संस्थाओं को नियोजित किया जा सकता है, साथ ही साथ, आरडब्ल्यूए, बाज़ार संघ, परिवहन प्रचालक और/या व्यापार संघ इत्यादि एक चिन्हित क्षेत्र के लिए पीएमएपी की तैयारी कर सकते हैं।

12.3.5 बीपीडी, टीओडी, आदि जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों के लिए, पीएमएपी को उनकी संबंधित सुधार योजनाओं, पुनरूद्धार योजनाओं, आईजैडपी आदि के साथ एकीकृत किया जाएगा।

12.4 सार्वजनिक पार्किंग का प्रबंधन

12.4.1 सार्वजनिक पार्किंग में सभी अधिकृत ऑन-स्ट्रीट और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग शामिल होती हैं, जिसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग -एमएलसीपी) शामिल है और जो शहर भर के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय निकायों/निजी संस्थाओं द्वारा तथा स्टेशनों के पास परिवहन एजेंसियों द्वारा मुहैया करवाई जाती है। उच्च सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता स्तर (पीटीएएल) और ट्रैफिक की भीड़ वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्किंग की उपलब्धता को बहुत अधिक पार्किंग शुल्क के माध्यम से विनियमित किया जाएगा और व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।

12.4.2 समस्त सार्वजनिक पार्किंग को निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा और दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग-सुविधा नि:शुल्क होगी।

12.4.3 खुले क्षेत्रों (टॉट-लॉट, पार्क, खेल के मैदान) और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (नदियां, झीलें, बाढ़ के मैदान, जंगल, रिज आदि) या सार्वजनिक लाभ के साथ किसी अन्य प्रकार के खुले स्थान का उपयोग पार्किंग (सतह / भूमिगत / बहु-स्तरीय) के विकास के लिए नहीं किया जाएगा।

12.4.4 सार्वजनिक पार्किंग के लिए पार्किंग शुल्क बदलता रहेगा तथा शहर भर में और अलग-अलग समय पर परिवर्तनशील दरें लागू होंगी ताकि पार्किंग की मांग को स्थानिक रूप से बांटा जा सके। संबंधित एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिक गतिविधि और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अन्य स्थानों से अधिक शुल्क लगाया जाए। हरित ईंधन वाले वाहनों के लिए इन शुल्कों पर छूट (सब्सिडी) दी जा सकती है।

12.4.4.1 दिल्ली के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुसार गंभीर प्रदूषण के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पार्किंग शुल्क अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है -पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

12.4.5 **ऑन-स्ट्रीट (सड़क पर) पार्किंग का प्रावधान**

i) ऑन-स्ट्रीट पार्किंग इस तरह प्रदान की जाएगी कि यह पैदल चलने वालों और वाहनों के संचलन में बाधा न बने। 'पार्किंग' और 'नो-पार्किंग' क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित किए जाएंगे तथा ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को उपयुक्त साइनेज और फुटपाथ चिह्नों का उपयोग करके दिखाया जाएगा। स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, कोणीय/लंबवत पार्किंग की तुलना में समानांतर ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को तरजीह दी जाएगी।

ii) ऑन-स्ट्रीट पार्किंग, अस्पतालों और स्कूलों, सरकारी कार्यालयों इत्यादि जैसे अधिक आवाजाही वाले स्थानों के निकट उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसे प्लाटों के अंदर पर्याप्त पिक अप/ड्रॉप ऑफ की व्यवस्था की जाएगी।

iii) ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के सभी स्थानों पर दो-पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए उचित स्थान-आवंटन किया जाएगा।

iv) व्यक्तिगत मोटर वाहनों के लिए ऑन-स्ट्रीट सार्वजनिक पार्किंग निम्नलिखित स्थानों पर प्रदान नहीं की जाएगी:

क) 12 मी. से कम और 60 मी. से अधिक मार्गाधिकार वाली सड़कों पर। अनियोजित क्षेत्रों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है।

ख) किसी भी ट्रांजिट स्टेशन/हब जैसे मेट्रो स्टेशन, आरआरटीएस स्टेशन, उपनगरीय रेल स्टेशन, आईएसबीटी आदि से 250 मीटर की दूरी तक।

ग) पूरी तरह पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित सड़कों पर।

घ) आग के खतरों से बचने के लिए फ्लाईओवर और ओवरपास के नीचे।

v) मौजूदा एमएलसीपी से 1000 मीटर की दूरी के अंदर ऑन-स्ट्रीट सार्वजनिक पार्किंग को हतोत्साहित किया जाएगा और इस पर लगा शुल्क एमएलसीपी से अधिक होगा।

vi) **आवासीय क्षेत्रों में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग**: इसका उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में समस्त ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को धीरे-धीरे समाप्त करना है और इस स्थान को सार्वजनिक साझे स्थान के रूप में पुनः प्राप्त करना है, इलाके को सुरक्षित और अधिक जीवंत बनाना है। आवासीय क्षेत्रों के पुनरूद्धार से संपत्ति परिसर के अंदर पार्किंग का पुनर्गठन और पार्किंग की जरूरतों को समायोजित किया जा सकेगा। ऑन-स्ट्रीट आवासीय पार्किंग को विनियमित करने के लिए निम्नानुसार एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है:

क) आवासीय कॉलोनियों/इलाकों के लिए, आरडब्ल्यूए पार्किंग की मांग का आकलन करने के बाद ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के लिए क्षेत्रों को चिह्नित करने हेतु पीएमएपी तैयार कर सकते हैं। स्टैक पार्किंग के उपयोग से पार्किंग की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है।

ख) स्थानीय निकाय किसी क्षेत्र के निवासियों/आरडब्ल्यूए को सार्वजनिक ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थान के उपयोग के लिए पार्किंग परमिट को पट्टे पर देने की प्रणाली पर विचार कर सकते हैं।

ग) नए वाहनों के पंजीकरण को वाहन-मालिक के पास पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जोड़ने की नीति पर भी विचार किया जा सकता है।

12.4.6 **ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग का प्रावधानः**

ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग की सुविधा मुख्यत: दुकानदार, ऑफिस जाने वाले व्यक्तियों, सार्वजनिक परिवहन के उपयोगकर्ता, आदि जैसे उपयोगकर्ताओं की लंबी अवधि तक पार्किंग करने की जरूरत को पूरा करती है। जहाँ भी संभव हो, ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग समाधान (सतह पार्किंग, छत पार्किंग, स्टैक पार्किंग, बहु-स्तरीय कार पार्किंग और भूमिगत पार्किंग) अपनाए जाएंगे।

क) ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग की सुविधा विकसित करने में बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी लगती है और यह विकास कार्य सभी संबंधित एजेंसियों/हितधारकों से परामर्श करके और आम सहमति से ही किया जाएगा। इसे पीपीपी आधार पर विकसित किया जा सकता है।

ख) ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग क्षेत्र/सुविधा अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों इत्यादि जैसे अधिक आवाजाही वाले स्थानों के निकट उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पार्किंग की जरूरत को पूरा किया जा सके। जहां भी संभव हो, ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग क्षेत्र/सुविधा के निकट स्थित भवनों के लिए सीधी पहुँच प्रदान की जाएगी।

ग) ऑफ स्ट्रीट पार्किंग ई-बाईक्स और साइकिल युक्त पीबीएस और आईपीटी तथा टैक्सी के लिए पार्किंग जैसी सुविधाओं से सम्पन्न हो सकती है।

अधिसूचित टीओडी नोड के मामले में, ऑफ-स्ट्रीट सार्वजनिक पार्किंग सुविधा अधिमानत: गहन विकास क्षेत्र के बाहर 'पार्क एंड राइड' की सुविधा के रूप में दी जाएगी।

घ) एमएलसीपी के निर्माण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, सकल तल क्षेत्र का 25% तक व्यावसायिक / कार्यालय स्थान के लिए उपयोग किया जाएगा। अनुमेय व्यावसायिक / कार्यालय स्थान से उत्पन्न पार्किंग की मांग एमएलसीपी के कुल समतुल्य कार स्थान (ईसीएस) के 25% तक सीमित होगी।

ङ) सतह पार्किंग के तहत क्षेत्र का 80% हिस्सा पानी सोखने वाली सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

12.5 निजी पार्किंग का प्रबंधन

12.5.1 निजी पार्किंग निजी स्वामित्वाधीन संपत्तियों के परिसर में की जाती है। यह पार्किंग मानकों के अनुसार होती है जो प्रत्येक उपयोग परिसर के लिए निर्धारित है (देखें: डीसीएन)। पार्किंग मानक को समतुल्य कार स्थान (ईसीएस) के रूप में निर्धारित किया गया है और इसमें सभी प्रकार के वाहनों अर्थात कार, स्कूटर, साइकिल, हल्के और भारी व्यावसायिक वाहन, बस आदि के लिए पार्किंग शामिल है।

12.5.2 डीसीएन में निर्धारित पार्किंग मानदंड, निम्नलिखित शर्तों के अधीन युक्तिसंगत बनाए जाएंगे:

i) यदि कोई संपत्ति किसी एमएलसीपी के 500 मीटर के दायरे में स्थित है, तो उस परिसर/संपत्ति के लिए पार्किंग संबंधी आवश्यकता (ईसीएस) 10 प्रतिशत कम कर दी जाएगी। यह विशेष रूप से आवासीय संपत्तियों पर लागू नहीं होगा (अर्थात यह व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली सड़कों पर लागू होगा)। एमएलसीपी कटौती के लिए, प्लाट क्षेत्र का कम से कम 50% हिस्सा निर्धारित दूरी के अंदर आएगा।

ii) सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता स्तर (पीटीएएल) मूल्य के आधार पर, डीसीएन के अनुसार पार्किंग मानदंड निम्नलिखित लागू प्रतिशत कटौती के अनुसार कम किए जाएंगे:

तालिका 12.0: पीटीएएल के अनुसार पार्किंग मानदंड में प्रतिशत कटौती

पीटीएएल	उपलब्धता सूचकांक रेंज		आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	पीएसपी
0 (निकृष्ट)		0 – 2	0	0	0	0
1		2 -3	0	0	0	0
2		3 – 5.5	10	5	5	10
3		5.5 – 7	20	10	10	20
4		7 – 8.5	20	20	20	20
5		8.5 – 12	20	20	20	30
6		12 – 20	20	30	30	30
7		20 – 30	30	30	30	30
8		30 और उससे ऊपर	30	30	30	30

क) पीटीएएल कटौती प्लॉट के उपलब्धता सूचकांक रेंज (एक्सेस इंडेक्स रेंज) के अनुसार होगी।

ख) बहुल उपलब्धता सूचकांक रेंज में आने वाले प्लॉटों के लिए, प्लॉट पर अधिकतम क्षेत्र के उपलब्धता सूचकांक रेंज की कटौतियाँ लागू होगी।

12.5.3 अधिसूचित टीओडी नोड के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के लिए, टीओडी नीति के अनुसार ईसीएस मानदंड लागू होंगे। (देखें: डीईवी 4)

12.6 अन्य परिवहन-साधनों के लिए पार्किंग का नियमन

12.6.1 माल वाहन: माल की आवाजाही थोक बाजारों की अवस्थिति, उत्पाद/ मद के प्रकार, मौजूदा वितरण प्रणाली आदि से निकटता से जुड़ी हुई है। संबंधित स्थानीय निकायों/एजेंसियों द्वारा माल वाहनों की पार्किंग के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों, आईएफसी, आईसीडी आदि के पास पर्याप्त क्षेत्र की पहचान की जाएगी। प्रतिबंधित प्रवेश समय के दौरान, माल/माल-ढुलाई वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था टोल गेट/प्लाजा के बाहर की जाएगी।

i) ई-कॉमर्स के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की पार्किंग संबंधित ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा वेयरहाउसिंग और वितरण सुविधा-केंद्र में प्रदान की जाएगी।

12.6.2 साझे परिवहन साधन (मोड): सभी अधिकृत पार्किंग क्षेत्रों में आईपीटी, निजी बसें, टैक्सी आदि जैसे साझा मोड की पार्किंग को प्राथमिकता दी जा सकती है।

i) सभी एमएमआई योजनाएं साझे परिवहन साधन की छोटी अवधि की पार्किंग के लिए और ड्रॉप-ऑफ एवं पिक-अप क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रावधान करेंगी।

12.6.3 बसें: सभी बसों को उनके निर्धारित डिपो में पार्क किया जाएगा। यदि इन बस डिपो की क्षमता मौजूदा या भावी मांग के लिए अपर्याप्त है, तो इन डिपो को बहु-स्तरीय पार्किंग में परिवर्तित किया जा सकता है। अंतरराज्यीय बसों के लिए, आईएसबीटी के अंदर पर्याप्त निष्क्रिय पार्किंग प्रावधान किया जाएगा।

12.6.4 स्कूल परिवहन: दिल्ली के अधिकतर स्कूलों में अपने परिसर के अंदर स्कूल परिवहन (बसों और वैन) की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इन वाहनों को सड़कों के कैरिजवे पर पार्क किया जाता है, जिससे वाहनों की भीड़-भाड़ हो जाती है और बच्चों के लिए असुरक्षित स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है:

i) सभी मौजूदा और नए स्कूल अपने परिसर के अंदर स्कूल परिवहन के पिक-अप, ड्रॉप-ऑफ और पार्किंग के लिए स्थान प्रदान करेंगे।

12.7 चारदीवारी शहर (वाल्ड सिटी) में पार्किंग

12.7.1 संबंधित स्थानीय निकाय चारदीवारी शहर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीएमएपी तैयार करेंगे ताकि भीड़ का कुछ समाधान हो सके, पैदल चलने वालों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके और मोटर चालित वाहनों की आवाजाही कुछ सड़कों/क्षेत्रों तक सीमित की जा सके।

12.8 स्मार्ट पार्किंग स्थल प्रबंधन

12.8.1 उपयोगकर्ताओं को ऑन-स्ट्रीट और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग सुविधाओं की क्षमता और अधिभोग, निकटतम उपलब्ध पार्किंग स्थल(लों) और शुल्क की वास्तविक समय में तत्काल जानकारी देने के लिए स्मार्ट एप विकसित किए जा सकते है। सभी ऑफ-स्ट्रीट सुविधाएं पार्किंग स्थलों की उपलब्धता दिखाने के लिए अपने प्रवेश द्वारों पर डिजिटल डिस्प्ले करेंगी।

12.8.2 ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म एक साझा संसाधन के रूप में पार्किंग (निजी स्वामित्व वाली पार्किंग स्थानों सहित) के उपयोग की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं।

12.8.3 शहर भर में कई कबाड़ वाहनों को पार्क किया/छोड़ दिया जाता है, और वे सड़क के किनारे की अपर्याप्त जगह घेर लेते हैं। स्थानीय निकाय और ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे वाहनों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर कबाड़घर ले जाया जाए।

--- x --- x ---- x --- x ---

खंड 6

भौतिक अवसंरचना

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

जल आपूर्तिः

दिल्ली में जल आपूर्ति एवं वितरण को प्रमुख तौर पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी के तहत आने वाले क्षेत्रों में, डीजेबी पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति करता है, जबकि एनडीएमसी और दिल्ली छावनी वितरण का प्रबंधन करता है। वितरण प्रणाली द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले क्षेत्रों में, डीजेबी टैंकर सेवा के माध्यम से पानी की आपूर्ति करता है।

दिल्ली एक पानी की कमी वाला शहर है, और जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि पानी की बेकार खपत एवं पानी की प्रणालीगत हानि के कारण भी उपलब्ध जल संसाधनों पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। भूजल स्तर में निरंतर गिरावट देखी गई है, यमुना नदी में भारी प्रदूषण और पूरी दिल्ली में अक्सर जलभराव के उदाहरण देखने को मिले हैं। झीलें और अन्य जल निकाय, पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, वर्षा जल के अधिकांश हिस्से का संचयन नहीं किया जाता है, सीमित सीवरेज नेटवर्क उत्पन्न अपशिष्ट जल के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, और शोधित अपशिष्ट जल का न्यूनतम पुनःउपयोग किया जाता है। चूंकि दिल्ली मीठे पानी के लिए मुख्य रूप से बाहरी स्रोतों पर निर्भर है, मांग में निरंतर वृद्धि से भविष्य में आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। शहर की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ दीर्घकालिक संभावनाएं हैं, जिनकी खोज अंतर-राज्य समझौतों के माध्यम से कच्चे पानी की प्राप्ति हेतु संबंधित प्राधिकरणों द्वारा की जा सकती है। दिल्ली तेजी से लगातार पानी की कमी के चिंताजनक स्तर की ओर बढ़ रही है और दिल्ली में जल सुरक्षा की प्राप्ति हेतु वर्तमान आपूर्ति-उन्मुख जल प्रबंधन दृष्टिकोण को फिर से नियोजित करने की आवश्यकता है।

स्थिरता के दृष्टिकोण से दिल्ली के लिए जल सुरक्षा, जल और जल से संबंधित पर्यावरणीय सेवाओं का कार्य होगी। दिल्ली के लिए एक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन (आईयूडब्लूएम) दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जहां शहरी जल चक्र में जल-संबद्ध-आधारिक संरचना' रखने के लिए जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन और बरसाती जल निकासी को आपस में जोड़ा जाएगा। सतही जल, वर्षा जल, अपशिष्ट जल और भूजल यहाँ पानी के चार पहुँच बिंदु माने जाते हैं, जिन्हें एक साथ प्रबंधित करना होता है। मुख्य फोकस सतही जल और भूजल पर कम से कम निर्भर होने और दिल्ली के भविष्य की पानी की जरूरतों के लिए पानी के गैर-पारंपरिक स्रोतों की संभावना को पहचानना है। सतही जल और भूजल पर निर्भरता को कम करने और दिल्ली की भविष्य की पानी की जरूरतों के लिए पानी के गैर-पारंपरिक स्रोतों की क्षमता को साकार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एकीकृत शहरी जल प्रबंधन दृष्टिकोण, कुशल जल उपयोग को अधिकतम करता है।

दिल्ली की अनुमानित जल की मांग इस प्रकार है:

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	माँग मानदंड* (जीपीसीडी)	सभी स्रोतों से उपलब्धता (एमजीडी)	कुल मांग (एमजीडी)	कमी (एमजीडी)
2020	19	60	935	1140	141
2041	29.1	60	-	1746	-
2041	29.1	50	-	1455	-

*इसमें घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक मांग शामिल है और अग्नि शमन सेवाओं की मांग भी शामिल हैं।

हालांकि, दिल्ली में कच्चे पानी की सीमित उपलब्धता के कारण, डीजेबी का लक्ष्य घरेलू उपयोग के लिए पीने योग्य पानी की मांग को युक्तिसंगत बनना है, जिसे धीरे-धीरे 50 जीपीसीडी (225 एलपीसीडी) तक कम करने की आवश्यकता है, तथा वांछित गुणवत्ता वाले गैर-पीने योग्य पानी का उपयोग गैर-पीने योग्य प्रयोजनों के लिए पूरक है। औद्योगिक और बागवानी/उद्यानिकी/कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की मांग को वांछित गुणवत्ता मानकों वाले पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट से पूरा किया जाना चाहिए। 50 जीपीसीडी की दर से 29.1 मिलियन की अनुमानित आबादी के लिए पीने के पानी की मांग 1455 एमजीडी के लगभग होती है।

अपशिष्ट जल प्रबंधनः

दिल्ली में, अपशिष्ट जल का प्रबंधन सीवेज वितरण नेटवर्क प्रणाली और सेप्टिक टैंक के रूप में ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली दोनों द्वारा किया जाता है। डीजेबी स्वच्छता नेटवर्क की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अपशिष्ट जल का संग्रहण, शोधन और निपटान शामिल है। अनुमानतः दिल्ली के 45 प्रतिशत हिस्से में सीवेज प्रणाली नहीं है और शेष क्षेत्र से उत्पन्न सीवेज, कई सतही नालों के माध्यम से बहकर नदी में चला जाता है। हालांकि, नियोजित क्षेत्रों के अलावा, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में भी सीवर लाइनों का विस्तार कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली और अन्य कीचड़ (स्लज) प्रबंधन प्रणालियों की भी योजना बनाई है, ताकि नालों में अशोधित सीवरेज को डंप होने से रोका जा सके। ऐसे क्षेत्रों में जहां सीवर लाइन बिछाना संभव नहीं है वहां डीजेबी, नदी में बहने से पहले 242 एमजीडी अशोधित बहिस्राव को रोकता है और इसे शोधित करने के लक्ष्य के साथ इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट (आईएसपी) की एक समानांतर प्रणाली के माध्यम से 108 उप-नालों से अशोधित बहिस्राव को एकत्र करने की योजना बना रहा है।

बढ़ती आबादी और पानी की मांग में बढ़ोतरी के साथ, वर्ष 2041 तक कुल अपशिष्ट जल के लगभग 1200 एमजीडी होने की उम्मीद है। मौजूदा शोधन क्षमता लगभग 597 एमजीडी है जिसे पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना है, तथा प्लॉट/स्कीम स्तर पर विकेंद्रीकृत शोधन के लिए कार्यनीतियों को लागू करके केन्द्रीकृत शोधन प्रणाली पर भार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पानी की आपूर्ति-मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए शोधित अपशिष्ट जल का शोधन और पुनःउपयोग भी एक संभावित अवसर है।

जलनिकासीः दिल्ली की जलनिकासी की संरचना को अरावली तलहटी और इससे जुड़े विस्तारों द्वारा एक बड़े पैमाने पर परिभाषित किया गया है। इन प्रभावों के तहत, पश्चिम में अधिक ऊंचाई से पूर्व में यमुना की ओर एक पूर्वी बरसाती जल की गतिविधि को इंगित किया गया है। दिल्ली को छह जलनिकासी जोनों (क्षेत्रों) में सीमांकित किया गया है, नामतः (i) उत्तरी (नॉर्थ) जोन, (ii) पश्चिमी जोन, (iii) सेंट्रल उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी जोन, (iv) सेंट्रल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जोन, (v) पूर्वी जोन, और (vi) दक्षिण जोन। ग्यारह विभिन्न एजेंसियां नामतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारिक संरचना विकास निगम, दिल्ली छावनी, नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और यूपी सिंचाई, दिल्ली के संपूर्ण शहरी विस्तार से निकलने वाले बरसाती जल प्रवाह की स्वयं व्यवस्था करते हैं और इसका प्रबंधन करते हैं, जो कि लगभग 426.55 किमी की प्राकृतिक जल निकासी लाइनों और लगभग 3,311.54 किमी वाले मानवनिर्मित बरसाती जल नालों के माध्यम से प्रवाहित होती है।

शहर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को कम करने के लिए, बरसाती जलनिकासी के बुनियादी ढांचे को कुशल बनाया जाना है। इसलिए, अकुशल जलनिकासी की अवसंरचना को दूर करने के लिए सुधारात्मक स्थानिक कार्यनीतियों को लागू करना और कम लागत वाले बाढ़-रोकथाम के उपायों को लागू करना उचित है, जैसे कि जलनिकायों का पुनर्नवीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु पार्कों का उपयोग करना आदि। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट और सीवेज का प्रबंध करने की आवश्यकता है, ताकि बरसाती जल का प्रवाह अवरूद्ध न हो सके।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.):

दिल्ली में ठोस अपशिष्ट सृजन की प्रवृत्ति पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का प्रबंधन स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों ने दिल्ली को 12 जोन में वर्गीकृत किया है। गैर-नगरीय अपशिष्ट/कचरे में ई-अपशिष्ट (ई-वेस्ट) (बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी अपशिष्ट), बायोमेडिकल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और निर्माण व ढहाए गए निर्माण (सीएंडडी) अपशिष्ट शामिल हैं। दिल्ली में गैर-नगरीय अपशिष्ट को उसके प्रबंधन की निगरानी के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा प्राधिकृत इकाइयों में प्रोसेस (प्रसंस्कृत) किया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु पृथक नियमों को अधिसूचित किया है, जिन्हें कड़ाई से लागू किया जाएगा।

दिल्ली में, अपशिष्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) है। शहर में उत्पन्न होने वाले एमएसडब्ल्यू का लगभग 55% हिस्सा 3 सेनेटरी लैंडफिल साइट्स (एसएलएफ) में डाला जाता है। दिल्ली की न्यून एसडब्ल्यूएम दक्षता, यहां होने वाले कम अपशिष्ट पृथक्करण और निम्न पुनःचक्रण (प्रसंस्करण) दक्षता का परिणाम है। प्रति व्यक्ति अपशिष्ट सृजन की वर्तमान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, शहर में उत्पन्न नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) की कुल मात्रा वर्ष 2041 तक 12,350 टीपीडी से बढ़कर 18,915 टीपीडी होने का अनुमान है।

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	उत्पन्न एमएसडब्ल्यू (@650 ग्राम/प्रति व्यक्ति)	संगृहीत अपशिष्ट (टीपीडी)	वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता (टीपीडी)	लैंडफिल के लिए भेजा गया अपशिष्ट (टीपीडी)
2020	19	12,350	10,500 (85% कार्यक्षमता)	45%	4,725
2041	29.1	18,915	-	-	-

क्र.सं.	सुविधा	स्थान	क्षमता	इनके द्वारा प्रबंधित
1.	कंपोस्टिंग प्लांट्स	1. ओखला	200 टीपीडी	आईएल एवं एफएस
		2. बवाना	700 टीपीडी	डीएमएसडब्ल्यूएसएल के माध्यम से नॉर्थ डीएमसी
2.	ऊर्जा संयंत्रों के लिए अपशिष्ट	1. बवाना	1500 टीपीडी	नॉर्थ डीएमसी
		2. ओखला	1800 टीपीडी	एसडीएमसी

		3. गाजीपुर	1300 टीपीडी	ईडीएमसी
3.	सीएंडडी प्रोसेसिंग प्लांट्स	1. बुराड़ी	2000 टीपीडी	नॉर्थ डीएमसी
		2. शास्त्री पार्क	500 टीपीडी	ईडीएमसी
		3. रानीखेड़ा	150 टीपीडी	डीएमआरसी
4.	लैंडफिल	1. भलस्वा	70 एकड़	नॉर्थ डीएमसी
		2. गाजीपुर	70 एकड़	ईडीएमसी
		3. ओखला	46 एकड़	एसडीएमसी

नगर निगम, अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आधारिक संरचना का विहंगावलोकन निम्नानुसार हैः

लैंडफिल साइटें पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भर चुकी हैं, जिसका प्रभाव शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आधारिक संरचनाओं पर पड़ेगा। प्रति व्यक्ति अपशिष्ट सृजन को कम करने, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण क्षमता में बढ़ोतरी करके और विकेंद्रीकृत प्रबंधन के लिए कार्यनीतियों पर ध्यान दिया जाएगा।

विद्युत आपूर्ति, संचार एवं गैस अवसंरचनाः

विद्युत आपूर्ति का दिल्ली में चार विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत प्रबंधन किया जाता है - उत्पादन, होल्डिंग (धारण), ट्रांसमिशन और वितरण। दिल्ली में वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1561 यूनिट प्रति वर्ष से अधिक रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1122 यूनिट है। दिल्ली के बिजली उपयोग पैटर्न के वर्गीकरण के अनुसार यह खपत घरेलू उपयोग के लिए 52% है, इसके बाद वाणिज्यिक उपयोग के लिए 26%, औद्योगिक उपयोग के लिए 12%, तथा अन्य उपयोगों के लिए 10% (कृषि/लैंडस्केप रखरखाव/परिवहन अवसंरचना रखरखाव आदि) है। दिल्ली की अधिकतम मांग पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है, जो शहर की आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में बिजली पारेषण नेटवर्क में चार 400 केवी और छत्तीस 220 केवी सबस्टेशन शामिल हैं। मौजूदा नेटवर्क में दिल्ली की परिधि के चारों ओर 400 केवी रिंग शामिल है, जो पूरे शहर में फैले 220 केवी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में दिल्ली में सालाना बिजली खपत 30,197 एमयूएस है। कुल इंस्टाल्ड क्षमता 7479.01 एमडब्ल्यू है और कुल इंस्टाल्ड क्षमता में से 78% बिजली खरीदी जाती है, जबकि शेष 22% इंस्टाल्ड क्षमता दिल्ली के भीतर है। मौजूदा इंस्टाल्ड क्षमता का कम्पोजिशन कोयला (59%), गैस (28%), हाइड्रो (10%) और सौर (3%) जैसे उत्पादन स्रोतों द्वारा संचालित है।

रिन्यूऐबल परचेज ऑबलिगेशन (आरपीओ), और साथ ही राज्य स्तरीय सौर नीति 2016 के माध्यम से अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति, वर्ष 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 20% बिजली की खपत को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। एमएनआरई द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में दिल्ली को वर्ष 2041 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी बिजली की खपत लगभग 50.5%[1] प्रतिशत तक पूरी करनी है। विद्युत विभाग द्वारा इंगित

[1] *वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा इंस्टाल्ड क्षमता के एमएनआरई, भारत सरकार के लक्ष्य अनुमान के आधार पर।*

किए गए रुझानों के अनुसार, वर्ष 2041 तक बिजली की खपत की मांग 63,389 एमयू तक पहुंचने का अनुमान है। अधिकतम मांग क्रमशः तिगुनी और 19,070 मेगावाट तक बढ़ने की संभावना है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कुल इंस्टाल्ड क्षमता को भी 21,930 मेगावाट (अनुमानित अधिकतम मांग के लगभग 15%) तक दो गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	बिजली की खपत की मांग (एमयू)	अधिकतम मांग (एमडब्ल्यू)	कुल मिलाकर इंस्टाल्ड क्षमता (एमडब्ल्यू)
2019	19	33,082	7,409	7,901
2031	24.7	47,167*	12,269 **	14,110
2041	29.1	63,389 *	19,070 **	21,930

*बिजली की खपत वृद्धि दर को 3 प्रतिशत मानकर

डिजिटल अवसंरचना और सेवाएं दिल्ली के विकास के लिए मुख्य शक्ति के रूप में तेजी से उभर रही हैं। आईसीटी और इंटरनेट के व्यापक रूप से फैले उपयोग ने महत्वपूर्ण रूप से ज्यादातर ऐप-आधारित अर्थव्यवस्था और सेवाओं को संचालित किया है। सार्वजनिक एजेंसियों के अलावा, निजी क्षेत्र इस शहर की सेवा में एक बड़ी भूमिका निभाता है। दिल्ली को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 और भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (टेलीग्राम राइट ऑफ वे रूल्स 2016) के अनुपालन में अपने दूरसंचार संबंधी आधारिक संरचनात्मक ढांचे और लक्ष्यों को संरेखित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2019 में, दिल्ली में **57** मिलियन टेलीकॉम कनेक्शन थे, जिसमें से 54 मिलियन वायरलेस कनेक्शन्स हैं जो निजी और सरकारी एजेंसियों, दोनों द्वारा प्रदान किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र (एमटीएनएल) में वायरलाइन कनेक्शन का लगभग 46% हिस्सा और वायरलेस कनेक्शन का केवल 4.3% हिस्सा है। दिल्ली के एनसीटी की कुल टेली-घनत्व देश के लिए समग्र टेली-घनत्व के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर के औसत 254.49 से काफी अधिक है जो 91.64 है। दिल्ली में करीब 32 मिलियन इंटरनेट ग्राहक हैं जो दूरसंचार टावरों के व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित हैं, जिनमें से अधिकांश निजी तौर पर प्रबंधित हैं|

गैस अवसंरचनाः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए नेटवर्क बिछाने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) प्राधिकृत और जिम्मेदार है। प्राकृतिक गैस का व्यापक रूप से परिवहन क्षेत्र द्वारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों द्वारा पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) के रूप में और उद्योगों द्वारा आर-एलएनजी आपूर्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न रूपों में प्राकृतिक गैसों के उपयोग से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आएगी। दिल्ली के कुल घरों का लगभग 25% पाइप्ड गैस नेटवर्क द्वारा जुड़ा हुआ है। हालांकि, 50% से अधिक दिल्ली, एनसीटी को आईजीएल द्वारा पीएनजी नेटवर्क में वृद्धि के लिए तकनीकी रूप से अयोग्य चिन्हित माना गया है।

वर्ष 2030 तक, केन्द्र सरकार का लक्ष्य भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है इस प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6% से 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में दिल्ली पीएनजी और सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर अधिक जोर देगी, और प्रदूषणकारी ईंधन के उपयोग को बढ़ावा नहीं देगी। आईजीएल प्रोजेक्शन से पता चलता है कि दिल्ली को वर्ष 2025 तक अनुमानित 7.32 एमएमएससीएमडी गैस की मात्रा की आवश्यकता होगी, और इस मांग को पूरा करने के लिए वर्ष **2025** तक 110 नए सीएनजी स्टेशनों को स्थापित करने की योजना है।

आपदा की तैयारी एवं प्रतिरोधकताः दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आता है, और यह भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ आग, औद्योगिक और रासायनिक खतरों, बाढ़, इमारत ढहने, सड़क दुर्घटनाओं, जल जमाव आदि जैसी मानव-प्रेरित आपदाओं के प्रति भी बेहद संवेदनशील है।

यमुना और नजफगढ़ ड्रेन-सिस्टम में बाढ़ के कारण पिछले कुछ समय से इस शहर को विभिन्न परिमाणों की बाढ़ का सामना करना पड़ा है। यमुना ने पिछले 35 वर्षों के दौरान अपने खतरे के स्तर (204.83 मीटर पर निर्धारित) को छब्बीस बार पार किया। 1900 के बाद से, दिल्ली ने 1995, 2010 और 2013 में हाल की बाढ़ों सहित नौ बड़ी बाढ़ों का अनुभव किया है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में विगत पांच वर्षों के दौरान 75,000 आग लगने की घटनाएं हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप 1,500 से अधिक जानें गईं, 7,600 से अधिक लोग घायल हुए और 176 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इन घटनाओं में पांच प्रमुख, पच्चीस गंभीर और निन्यानवे मध्यम आग शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान, दिल्ली में जेजे कॉलोनियों में आग की घटनाओं की संख्या में 49% की वृद्धि देखी गई है और इनमें से 70% से अधिक मामले बिजली के कारणों (मुख्य रूप से शॉर्ट-सर्किटिंग) से उत्पन्न होने का अनुमान है। दिल्ली में अधिकांश बिल्डिंग स्टॉक की विशेषता उन इमारतों की है जो बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज का पालन न करने के कारण असुरक्षित हैं। दिल्ली में आग की घटनाओं के मुख्य कारणों के रूप में गैस रिसाव और बिजली की खराबी की पहचान की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा तैयार 'दिल्ली आपदा प्रबंधन योजना' (डीडीएमपी) ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु दिल्ली में संवेदनशील क्षेत्रों, कालोनियों, बस्तियों की पहचान की है और उन्हें सूचीबद्ध किया है, साथ ही इसने संरचनात्मक सुरक्षा, आग सुरक्षा, बिजली सुरक्षा इत्यादि के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट की भी सिफारिश की है, जिसका संचालन स्थानीय निकायों और संबंधित एजेंसियों द्वारा दिल्ली के लिए आपदा संबंधी तैयारियां करने के लिए किया जाएगा।

आगामी बीस वर्षों में, दिल्ली की आधारिक संरचना एक अप्रत्याशित दबाव का सामना करेगी और इसलिए इसे उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी और प्रघात और तनाव के प्रति प्रतिरोधक, दोनों होना चाहिए। इसलिए, मुख्य ध्यान मजबूत और प्रतिरोधी आधारिक संरचना सेवाओं के प्रावधान का करते हुए एक स्थायी और संसाधन-कुशल वातावरण तैयार करना है।

इस खंड में जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्थायी और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, मजबूत डिजिटल, संचार और गैस आधारित अवसंरचना, आपदा तैयारी तथा दिल्ली की प्रतिरोधकता हेतु निम्नलिखित चार अध्यायों में कार्यनीतियां दी गई हैं :

INF1 - दिल्ली को जल सुरक्षित बनाना: जल, अपशिष्ट जल और जल निकासी

INF2 - ठोस अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना

INF3 - बिजली, गैस और दूरसंचार-डिजिटल अवसंरचना

INF4 - आपदा की तैयारी एवं प्रतिरोधकता

13.0 दिल्ली को जल सुरक्षित बनानाः जल, अपशिष्ट जल और जल निकासी

अध्याय कोड
INF1

13.1.1 दिल्ली की विकास क्षमता यहां पानी की उपलब्धता से जुड़ी हुई है। यह शहर पानी के बाहरी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर है, और उपलब्ध पानी की मात्रा भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए, दीर्घकालिक तौर पर जल सुरक्षा प्राप्त करना सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जिसमें निम्नलिखित की परिकल्पना की गई हैः

i) पर्याप्त मात्रा में पानी की निरंतर उपलब्धता, जो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है,

ii) बाढ़ के प्रति बेहतर प्रतिरोधकता।

13.1.2 यह योजना एक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन दृष्टिकोण का समर्थन करती है, और तीन प्रमुख जल-संबंधित आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्रों में परस्पर एक-दूसरे से जुड़ी कार्य नीतियां प्रदान करती है, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी। हालांकि इस दृष्टिकोण के तहत इन्टरवेंशन से यह शहर जल सुरक्षित होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, वहीं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस शहर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर-राज्यीय करारों के माध्यम से कच्चे पानी की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

13.2 मीठे पानी की मांग को कम करना

13.2.1 दिल्ली जल बोर्ड सेवा योजना के अनुसार, मीठे पानी की आपूर्ति को केवल पीने योग्य उपयोग के लिए निर्धारित करके और तर्कसंगत बनाते हुए पानी की आपूर्ति के लिए प्रति-व्यक्ति मानदंड को 60 जीपीसीडी से 50 तक कम किया जाएगा। नए विकास में पानी की इस आपूर्ति को और कम किया जाएगा। इस क्रम में कमी को लागू करने के लिए मांग प्रबंधन कार्यनीतियों को इस अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है।

13.2.2 **पानी की कमी को दूर करने हेतु जल आपूर्ति युक्तिसंगत बनानाः** इस योजना की विभिन्न नीतियों के तहत नए विकास में जल आपूर्ति को जल संसाधनों पर अतिरिक्त तनाव/दबाव को कम करने के लिए नियंत्रित किया जाएगाः

i) पानी की मांग के संदर्भ में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के भीतर विकास स्थायी होगा, और जल संरक्षण सुविधाओं को सेक्टर लेआउट और भवन डिजाइन में अंतर्निर्मित किया जाएगा। लैंड पूलिंग क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति 40 जीपीसीडी तक सीमित रहेगी (देखें: डीईवी1)।

ii) हरित विकास क्षेत्रों में पानी की मांग की पूर्ति ज्यादातर शोधित अपशिष्ट जल से किए जाने का अनुमान है। (देखें: डीईवी2)

iii) पुनरूद्धार योजनाओं और टीओडी योजनाओं को मौजूदा आवश्यकता से अधिक पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी, सिवाए इस योजना के भीतर किसी खाली जमीन/नों, जिसके लिए 50 जीपीसीडी की दर से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति प्रदान की जाएगी।

13.2.3 **गैर-पीने योग्य उपयोगों हेतु शोधित अपशिष्ट जलः** अपशिष्ट जल के 100% शोधन और अधिकतम पुनःउपयोग को मौजूदा विकास में बढ़ावा दिया जाएगा, और इसे नए विकास में अनिवार्य किया जाएगाः

i) यूबीबीएल के अनुसार न्यूनतम सीमा से अधिक डिस्चार्ज के साथ, दोहरी पाइपिंग युक्त विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट शोधन जल प्रणाली किसी भी नए विकास/परियोजना के अनुमोदन के लिए अनिवार्य होगी।

ii) हरित विकास क्षेत्र में, सभी प्लॉट/जीडीए योजनाओं के लिए अलग-अलग या साझा विकेंद्रीकृत शोधन इकाइयों को संस्थापित करना अनिवार्य होगा, भले ही इसके डिस्चार्ज की मात्रा कितनी भी हो।

iii) विकेंद्रीकृत शोधन इकाइयों को एकल या कई भवनों/प्लाटों के लिए, या योजना/सेक्टर लेआउट के लिए एक साझा सुविधा के रूप में संस्थापित किया जा सकता है। केवल ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए निर्मित की गई संरचनाएं एफएआर और ग्राउंड कवर आवश्यकताओं से मुक्त होंगी।

iv) साझा सिस्टम प्लॉटिड विकास अथवा इमारतों के समूह के लिए भी एक क्लस्टर स्तर पर संस्थापित किए जा सकते हैं।

v) यूबीबीएल के अनुसार पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए और रिसाइकिल किए गए पानी के लिए अलग-अलग पाइपों के साथ शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग करने के प्रावधान सभी नए विकास के लिए अनिवार्य होंगे।

vi) पानी का कोई भी नया कनेक्शन प्रदान करने से पहले दोहरी पाइपिंग का प्रावधान किया जाएगा।

vii) यूबीबीएल द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर डिस्चार्ज वाले सभी मौजूदा सरकारी, पीएसपी और वाणिज्यिक भवन/प्लॉट (स्थानीय स्तर की सुविधाओं को छोड़कर), विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और दोहरी पाइपिंग के लिए समयबद्ध तरीके से व्यवहार्यता के अनुसार इसमें परिवर्तित होंगे।

viii) डीजेबी मौजूदा आवासीय उपभोक्ताओं को जल पुनर्चक्रण सुविधाओं में परिवर्तित होने की सुविधा दे सकता है।

13.2.4 **कम पानी की खपत वाले प्लंबिंग फिक्सचर्सः** पानी की बचत (संरक्षण) के लिए यूबीबीएल द्वारा निर्धारित कम पानी की खपत वाले प्लंबिंग फिक्सचर्स स्थापित करना, निम्नलिखित विकासों के लिए अनिवार्य होगाः

i) सभी नए विकासों और पुनरूद्धार परियोजनाओं के लिए।

ii) सभी मौजूदा सरकारी, व्यावसायिक और पीएसपी भवनों/प्लॉट (स्थानीय सुविधाओं को छोड़कर) के लिए।

13.2.5 सभी संबंधित एजेंसियां दीर्घकालिक जल स्थिरता हेतु नागरिकों और विभिन्न हितधारकों को पानी के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

13.3 शहर में उत्पन्न अपशिष्ट जल का बड़ी मात्रा में पुनःउपयोग

13.3.1 दिल्ली जल बोर्ड और संबंधित एजेंसियाँ शहर में उत्पन्न सभी प्रकार के अपशिष्ट जल का शोधन सुनिश्चित करेगी, क्योंकि केवल अपशिष्ट जल को ही नालों या जलनिकायों में प्रवाहित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए शोधन क्षमता में वृद्धि, अनसिवर्ड क्षेत्रों के बेहतर कवरेज के माध्यम से अपशिष्ट जल का अधिकतम संग्रह, इंटरसेप्टर सीवरों की स्थापना, और अन्य उपयुक्त तरीकों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।

13.3.2 दिल्ली जल बोर्ड अधिकतम पुनःउपयोग हेतु शोधित अपशिष्ट जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, और अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग को बढ़ाने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार करेगी, जिसमें अधिक संख्या में निम्नलिखित उपयोग शामिल होंगेः

i) समय-समय पर प्राधिकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय प्रवाह की आवश्यकताओं के अनुसार, नदी में शोधित पानी को छोड़ना।

ii) शहर की विभिन्न झीलों और जल निकायों में पानी की गुणवत्ता का पुनर्नवीकरण और निरंतर रखरखाव।

iii) प्राकृतिक नालों, जैव विविधता पार्कों और लैंड पूलिंग क्षेत्रों के साथ यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों में एक्वीफर रिचार्ज तालाबों और झीलों को विकसित करके शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग से भूजल पुनर्भरण।

iv) बागवानी, सिंचाई, बस/मेट्रो/रेल के डिब्बों और वाहनों की सफाई, सड़क की सफाई आदि के लिए तथा जहाँ तक संभव हो, अग्निशमन और निर्माण कार्यों के लिए शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग। जीडीए में विकास के लिए भी पुनर्चक्रित पानी का भारी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। (देखें: डीईवी2) औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग करना अनिवार्य होगा, पीने योग्य पानी के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

13.4 बरसाती जल के प्रतिधारण को बढ़ाना

13.4.1 एक अन्य महत्वपूर्ण इंटरवेंशन बरसाती जल के अपवाह को कम करना है, और वर्षा जल का चाहे तो सीधे ही भंडारण के माध्यम से अथवा भूजल पुनर्भरण के माध्यम से अधिकतम उपयोग करना है।

13.4.2 निम्नलिखित कार्यनीतियों को लागू किया जाएगाः

i) सभी नए विकासों में बड़े पार्क और खुले स्थान, निचले इलाकों में स्थित होंगे, ताकि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पुनर्भरण को सुनिश्चित किया जा सके और निर्माण को रोका जा सके।

ii) ग्रीनफील्ड या रीजनरेशन लेआउट योजनाओं में सामान्य साझा पुनर्भरण आधारभूत संरचना के रूप में वर्षाजल का संचयन किया जाएगा।

iii) बागवानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बरसाती जल के सीधे उपयोग हेतु बड़े पैमाने पर स्टोरेज (भंडारण) का निर्माण करने के लिए जीडीए के भीतर विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

iv) सभी नए लेआउट योजनाओं और क्षेत्र सुधार परियोजनाओं हेतु जल संवेदनशील शहरी डिजाइन (डब्ल्यूएसयूडी) सिद्धांतों को अपनाकर शहर भर में पानी सोखने वाली सतहों का सुधार। बायोस्वेल्स, वेजीटेटेड फिल्टर, पानी सोखने वाले बरसाती जल नाले, वर्षा उद्यान, अर्ध-पानी सोखने वाली फुटपाथ और सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र आदि जैसे अवयवों को सार्वजनिक क्षेत्रों में जमीन की स्थिति के अनुसार अपनाया जाएगा। (देखें: ईएनवी1 और एचसीपी1)

v) नए क्षेत्रों में बरसाती जल के नेटवर्क की डिजाइन यह सुनिश्चित करेगी कि बरसाती जल का कम से कम एक पर्याप्त हिस्सा मौजूदा/उपयुक्त भूजल पुनर्भरण स्थलों में निर्देशित/प्रवाहित किया जाए।

vi) कुछ स्थानों में जैव-जलनिकासी का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि नदियों, प्राकृतिक नालों और झीलों के लिए बफर्स डिजाइन की जा सके और मानसून के दौरान शहर के लिए प्राकृतिक स्पंज का निर्माण हो सके। (देखें: ईएनवी2)

13.4.3 भूजल पुनर्भरण के लिए कार्यनीतियां भूजल निकासी हेतु कठोर विनियमनों द्वारा पूरक होगी। दिल्ली जल बोर्ड में पंजीकृत नलकूपों के अलावा अन्य बोरवेल से निकासी को अवैध माना जाएगा।

13.5 जल प्रणालियों की दक्षता में सुधार

13.5.1 दिल्ली की जल उपलब्धता और मांग प्रबंधन कार्यनीतियों को इसकी कई प्रणालियों में सुधार लाकर बढ़ाया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को कम करना, 24X7 निरंतर पानी की आपूर्ति और स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को अपनाना।

ii) अनियोजित/अनधिकृत कॉलोनियों में अलग-अलग व्यक्तियों, परिवारों को मीटरीकृत पानी के कनेक्शन प्रदान करना।

iii) पानी के गैर-जिम्मेदार इस्तेमाल को रोकने के लिए टेलिस्कोपिक मूल्य निर्धारण पद्धति का उपयोग लागू करना।

iv) अधिक आबादी वाली कॉलोनियों में जहां सीवरेज नेटवर्क को लागू किया जाना संभव नहीं है, डीजेबी ऐसे स्थानों में सेप्टिक टैंक की आवधिक सफाई और मल कीचड़ प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा। मौजूदा एसटीपी का उपयोग मलीय गाद के शोधन के लिए किया जा सकता है, और डीजेबी एसटीपी में मलीय गाद के स्थानांतरण और शोधन हेतु एक तंत्र स्थापित करेगा। अपशिष्ट जल शोधन के उप-उत्पादों का प्रसंस्करण के उपरान्त उपयुक्त शोधन किया जाएगा, और सड़क निर्माण या किसी अन्य उपयुक्त उपयोग के लिए इन्हें पुनर्चकृत (री-साइकिल) किया जाएगा।

--- x --- x ---- x --- x ---

अध्याय कोड
INF2

14.0 ठोस अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन

14.1.1 सतत विकास के प्रति दिल्ली की प्रतिबद्धता बहुत हद तक अपने संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट का कुशल प्रबंधन करने की क्षमता पर निर्भर है। यह शहर पर्यावरण के लिहाज से वहनीय तरीके से जितने अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर सकता है, उससे कहीं अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। इस अंतर को पाटने की आवश्यकता है ताकि "अपव्यय कम--संसाधन अधिक" की दिशा में बढ़ा जा सके। स्थायी और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों को अपनाने के लिए एक सामान्य कार्यनीतिक ढांचे की परिकल्पना की गई है:

i) अपशिष्ट के काफी बड़े हिस्से का स्थानीय स्तर पर प्रबंधन हो

ii) अपशिष्ट की अधिक मात्रा संसाधन के रूप में प्राप्त हो

iii) अपशिष्ट को कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ संसाधित और निपटाया जाए

14.1.2 इस अध्याय में दिल्ली में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के दोनों रूपों अर्थात नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) और नगरपालिका-इतर अपशिष्ट के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने पर चर्चा की गई है।

14.2 नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का स्थानीय रूप से प्रबंधन

14.2.1 नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का प्रबंधन संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किया जाता है। स्थानीय निकाय मास्टर प्लान की सिफारिशों के अतिरिक्त एसडब्ल्यूएम-2016 दिशानिर्देशों (और उसके बाद कोई संशोधन) के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करेंगे।

14.2.2 जहां अपशिष्ट उत्पन्न होता है, वहाँ निकटतम स्थान पर अपशिष्ट का प्रबंधन करने के अनेक लाभ होते हैं, जैसेकि स्रोत/इलाके में ही अपशिष्ट की छँटाई पर बेहतर नियंत्रण, स्थानीय रूप से सक्रिय अनौपचारिक अपशिष्ट

कर्मियों का बेहतर एकीकरण, स्थानीय समुदायों और आरडब्ल्यूए, एमटीए आदि से जुड़ना तथा पुनःप्रयोग एवं पुनर्नवीकरण की चल अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करना।

14.2.3 'न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र' (एमडब्ल्यूएल) निर्मित करना

i) ऐसे इलाके (आवासीय क्षेत्र, हाउसिंग सोसायटी, कॉलोनियां, अपार्टमेंट, बाजार, आदि) जहां सभी गीले एमएसडब्ल्यू को पर्यावरण-अनुकूल समाधान जैसे कम्पोस्ट खाद बनाकर, बायो-मिथेनेशन आदि अपनाकर उनकी चारदीवारी के भीतर प्रबंधित किया जाता है, उन्हें न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र (एमएसडब्ल्यू) कहा जाएगा।

ii) न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न पुनर्नवीकृत किए जा सकने वाले नगरपालिका के सूखे ठोस अपशिष्ट को उस इलाके में अथवा उस इलाके के निकट स्थित मैटीरियल रिकवरी सुविधा-केंद्र (एमआरएफ) या प्रसंस्करण संयंत्रों में भेजा जाएगा। नगरपालिका-इतर समस्त अपशिष्ट यानी ई-अपशिष्ट (बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी अपशिष्ट), बायो-मेडिकल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और निर्माण और ढ़हाए गए निर्माण का (सीएंडडी) अपशिष्ट आदि, सरकारी प्राधिकृत प्रसंस्करण केंद्रों को भेजा जाएगा। केवल अक्रिय अपशिष्ट, यदि कोई हो, केंद्रीकृत लैंडफिल स्थलों पर निपटाया जाएगा।

iii) लैंड पूलिंग, पुनरूद्धार योजनाओं या हरित विकास क्षेत्रों के भीतर आने वाले समस्त नए निर्माण को न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र (एमडब्ल्यूएल) के रूप में विकसित किया जाएगा। (देखें डीईवी1, डीईवी2, डीईवी3)

iv) सभी स्थानीय निकाय आरडब्ल्यूए, एमटीए तथा स्थानीय अनौपचारिक अपशिष्ट-कर्मियों और ट्रांसपोर्टरों आदि से जुड़कर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मौजूदा इलाकों को न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र (एमडब्ल्यूएल) में रूपांतरित करने का कार्य करेंगे।

14.2.4 न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र (एमडब्ल्यूएल) का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां लागू की जाएंगी:

i) आरडब्ल्यूए/एमटीए और स्थानीय समुदाय संबंधित एजेंसियों से परामर्श करके गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बड़े पार्कों (निकटवर्ती पार्क और अनुक्रम से ऊपर) के कुछ हिस्से को खाद, जैव-मीथेन या पर्यावरण-अनुकूल किसी नए समाधान के लिए समर्पित कर सकते हैं।

ii) बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पैदा करने वाली विशाल भू-सम्पत्तियां (होटल, रेस्तरां, मॉल, आदि) से प्राप्त गीला अपशिष्ट परिसर के भीतर ही स्रोत पर संसाधित और अलग किया जाएगा किया जाएगा या अधिकृत खाद संयंत्रों में ले जाया जाएगा।

iii) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि अनियोजित बस्तियों (जेजे क्लस्टर सहित) में अपशिष्ट को उसके उत्पन्न होने के स्थल के निकट एकत्रित और प्रबंधित एवं शोधित किया जाए। निवासियों/आरडब्ल्यूए के परामर्श से अपशिष्ट के स्थानीय शोधन के लिए स्थलों की पहचान की जाएगी।

iv) दीर्घकालिक व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लक्ष्य को साधने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्थानीय निकाय स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं और गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ आदि के साथ सहयोग कर सकते हैं।

14.2.5 **अपशिष्ट संबंधी अवसंरचना को नया रूप देना:** स्थानीय निकाय एमएसडब्ल्यू की अधिकतम मात्रा का प्रबंधन करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों का सर्वोत्तम विधि से उपयोग करेंगे।

i) ढलाव जिनमें पर्याप्त जगह और क्षमता है, वे स्थानीय स्तर पर मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज (एमआरएफ) के रूप में कार्य करेंगे और ये अपशिष्ट की छंटनी और पुनर्नवीकरण वाली वस्तुओं की प्राप्ति के लिए स्थान उपलब्ध कराएंगे।

ii) लैंड पूलिंग क्षेत्रों में, पृथक मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज (एमआरएफ) के लिए प्रावधान किया जाएगा।

iii) स्थानीय निकायों या आरडब्ल्यूए द्वारा स्थानीय कचरा बीनने वालों और 'कबाड़ी वाले' को एमडब्ल्यूएल विकसित करने और कागज, कांच, धातु और प्लास्टिक के लिए मौजूदा रीसाइक्लिंग नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए लगाया जा सकता है।

iv) परिवहन किए जा रहे कचरे की मात्रा में कमी के साथ, स्थानीय निकाय अन्य उद्देश्यों के लिए परिवहन वाहनों का उपयोग बढ़ा सकते हैं।

14.3 एमएसडब्ल्यू के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना

14.3.1 एमएसडब्ल्यू के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगेः

i) अपशिष्ट-निपटान के लिए लैंडफिल पर दिल्ली की निर्भरता काफी कम की जाएगा। मौजूदा लैंडफिल स्थलों का विकास करके हरित/मनोरंजन के क्षेत्रों के रूप में अधिकाधिक प्रयोग शुरू किया जाना है। इन स्थलों पर लेगसी अपशिष्ट को लीगेसी वेस्ट के निपटान के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देश 2019 (पुराने एमएसडब्ल्यू) के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बचाया जा सकता है।

ii) राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (एनआरईपी)-2019 द्वारा अनुशंसित प्रोत्साहन/हतोत्साहन दिल्ली के लिए उपयुक्त रूप से अपनाया जाएगा।

iii) दिल्ली में कोई नया लैंडफिल स्थल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन के आधार पर निपटान के सभी अनुमेय तंत्रों का पता लगाया जाएगा। कोई भी नया लैंडफिल (यदि प्रस्तावित हो) अक्रिय अपशिष्ट के निपटान के लिए अनिवार्यतः स्वच्छ लैंडफिलिंग तकनीकें अपनाएगा।

iv) स्थानीय निकायों और निजी एजेंसियों को भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीकों का पता लगाने और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

v) सार्वजनिक क्षेत्रों में कूड़ा-करकट और जल निकायों, पार्कों, हरित क्षेत्रों और खुली भूमि में कूड़ा फेंकना सख्त वर्जित होगा।

14.4 गैर-नगरपालिका अपशिष्ट का प्रबंधन

14.4.1 नगरपालिका-इतर अपशिष्ट जैसे ई-अपशिष्ट (बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी अपशिष्ट, आदि), बायो-मेडिकल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट तथा निर्माण और ढ़हाए गए निर्माण के अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों(2016) का कड़ाई से अनुपालन करके किया जाएगा। इस तरह के अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त अधिकृत सुविधाओं की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगीः

i) मेडिकल अपशिष्ट और सामान्य बायो-मेडिकल अपशिष्ट की शोधन सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) आवश्यकतानुसार प्रदान की जानी चाहिए।

ii) आईटी/आईटीईएस और अन्य डिजिटल-अर्थव्यवस्थाओं, ई-वाहनों जैसी नई प्रौद्योगिकियों के आने से, ई-अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है, तदनुसार निपटान के लिए प्रावधान किया जाना होगा।

iii) अधिकृत निर्माण और ढ़हाए गए निर्माण (सीएंडडी) संबंधी अपशिष्ट के प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी और जहाँ भी व्यवहार्य होगा, नए प्रसंस्करण संयंत्रों की व्यवस्था की जा सकती है।

14.5 अपशिष्ट का संसाधन के रूप में सर्वोत्तम उपयोग

14.5.1 अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल सभी एजेंसियां कम करने, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण (सर्कुलर अर्थव्यवस्था) के सिद्धांतों को अपनाएंगी, कचरे को एक संसाधन के रूप में मानें और अपशिष्ट से संबंधित उद्योगों के विकास के लिए एक वातावरण की सुविधा प्रदान करें।

i) निर्माण और ढ़हाए गए निर्माण (सीएंडडी) संबंधी अपशिष्ट नियम-2016 के अनुसार सीएंडडी पुनर्नवीकृत उत्पादों का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। सभी पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए स्थल पर उत्पन्न सीएंडडी अपशिष्ट का पुन:उपयोग और सभी नई विकास परियोजनाओं में पुनर्नवीकृत सीएंडडी उत्पादों का उपयोग यथासंभव अनिवार्य किया जाना होगा।

ii) जैविक विधि से अपघटित अपशिष्ट की खाद बनाने के लिए अधिसूचित हरित विकास क्षेत्र (जीडीए) में बड़े पैमाने पर खाद बनाने वाले फार्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस खाद का उपयोग जीडीए के भीतर या शहर के बाकी हिस्सों में विभिन्न हरित कार्यों के लिए किया जा सकता है।

iii) दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में 'अपशिष्ट से कमाई' (waste to wealth) के इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने वाले पुनर्नवीकृत अपशिष्ट उत्पादों और खाद को संबंधित एजेंसियों द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है।

--- x --- x ---- x --- x ---

15.0 विद्युत, गैस, दूरसंचार और डिजिटल अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का प्रावधान

अध्याय कोड
INF3

15.1.1 दिल्ली को विश्व स्तरीय डिजिटल नेटवर्क बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और एक स्थायी शहर बनने और अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है:

i) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग बढ़ाना।

ii) सम्पूर्ण शहर में सुदृढ़ और अनुकूलनीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनैक्टिविटी।

iii) विद्युत और गैस के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर।

15.2 नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और विद्युत का दक्षतापूर्ण उपभोग

15.2.1 ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक स्रोतों से हटकर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को सक्षम बनाने की एक योजना विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

15.2.2 दिल्ली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की एक योजना तैयार किये जाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रेखांकित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यनीतियों और परियोजनाओं के साथ-साथ, दिल्ली के अन्दर संभावित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों का पता लगाएगा।

15.2.3 दिल्ली के पास सौर ऊर्जा के उत्पादन की अत्यधिक क्षमता है, इसलिए दिल्ली में सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित नीतियों को अपनाया जा सकता है:

i) दिल्ली के "कृषि और सौर प्रतिष्ठान योजना" के अनुरुप, 'हरित विकास क्षेत्र' में सौर फार्म को प्रोत्साहित किया जाएगा। अपनी कृषि भूमियों पर सौर प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु भू-स्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत खरीद अनुबंध आधारित मॉडल को अपनाया जा सकता है। (देखें: डीईवी2)

ii) दिल्ली में कई नहर हैं जिनका उपयोग व्यवहारिकता के अनुसार सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए किया जा सकता है। नहर के स्वामित्व वाली एजेंसियाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस क्षमता का लाभ उठा सकते हैं।

iii) दिल्ली सौर नीति 2016 और नेट मीटरिंग विनियम, 2014 के अनुसार, सरकारी भवनों और संस्थागत परिसरों जिनके छत का क्षेत्रफल 500 वर्ग मी. से अधिक हो, में सौर पीवी'ज की स्थापना की जाए।

iv) एयरपोर्टों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्य एवं शहरी स्तर के बस अड्डों/डिपो, स्टेडियमों आदि जैसे बड़े स्तर की सार्वजनिक सुविधाएँ सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी अधिकतर विद्युत आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर पूरा कर सकते हैं।

v) किसी भी अतिरिक्त बिजली उत्पादन को (साइट पर आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद) ग्रिड में फीड किया जा सकता है,

15.2.4 भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों को अपनाया जा सकता है:

i) सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों के लिए सौर आधारित एलईडी प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाए। इनका कार्यान्वन संबंधित एजेंसियों द्वारा वाक प्लान्स और एमएमआई जैसी क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के एक भाग के रूप में किया जाएगा।

ii) सभी प्लॉटों जिनके छत का क्षेत्रफल 100 मीटर से अधिक हो, में सौर पीवी की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा और सौर ऊर्जा की सहायता से परिचालित होने वाले जल तापन

प्रणाली को यूबीबीएल के अनुसार प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी नए निर्माणों में इसकी स्थापना को अनिवार्य किया जाए और भवनों की अनुमति देने के साथ इसे लिंक किया जाए।

iii) डिस्कॉम्स सभी नए निर्माणों में अनिवार्य रूप से, तथा सभी मौजूदा भवनों में स्मार्ट मीटर की स्थापना चरणबद्ध तरीके से करेगा।

iv) डीईआरसी द्वारा पीक समय के दौरान सौर ऊर्जा के संवर्धित उपयोग को प्रोत्साहित करने, विद्युत के अधिकतम भार को कम करने और प्रणाली की दक्षता को सुधारने के लिए विद्युत आपूर्ति के भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया जा सकता है।

15.2.5 मॉड्यूलर स्टार रेटिंग वाले विद्युतीय उपकरणों और इलेक्ट्रिकल फिक्स्चरों को उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए भवनों में अनिवार्य किया जाए।

15.2.6 यूबीबीएल और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2018 के अनुसार, थर्मली कम्फर्टेबल और ऊर्जा सक्षम भवनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। परियोजनाओं की योजना और रूपरेखा बनाते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाना चाहिए:

i) जलवायु विज्ञान, वायु प्रवाह, जल निकासी, निकटवर्ती जलाशय की उपस्थिति।

ii) सभी नए विकास कार्यों के लिए प्लॉटों के अंतर्गत ग्रीन ब्लू ग्रीन विशेषताओं का विकास (देखें: ईएनवी2)।

iii) विद्यमान भवनों को उनके थर्मल कंफर्ट को बढ़ाने के लिए पुनःसंयोजित किया जा सकता है। पुनःसंयोजन में शेडिंग, वेंटिलेशन, इंसुलेशन आदि के प्रावधान को सम्मिलित किया जा सकता है।

15.2.7 सभी संबंधित एजेंसियां पीक लोड डिमांड के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रणनीति अपना सकती हैं:

i. मिश्रित उपयोग को बढ़ावा देना,

ii. चुनिंदा व्यावसायिक/मनोरंजन स्थलों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दें और रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें।

iii. खेल और अन्य आयोजनों आदि की बड़ी सार्वजनिक स्क्रीनिंग की स्थापना करना।

iv. साझा हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की व्यवहार्यता की जांच करें

v. रात्रि पार्किंग और ईवी चार्जिंग के लिए खाली कार्यालय भवन/स्कूल आदि का उपयोग करें।

vi. पीक आवर्स के दौरान ईवी बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा दें और केवल नॉन-पीक आवर्स के दौरान ईवी चार्जिंग की अनुमति दें।

15.2.8 सौर पैनलों के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों को बताते हुए निर्माण समुदाय और अंतिम उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां और विभाग, डिस्कॉम्स, ईईएंडआरईएम और बीईई जागरूकता अभियान चलाएं।

15.3 डिजिटल रूप से सक्षम और कनेक्टिड शहर

15.3.1 दिल्ली के प्रभावशाली शहरी प्रबंधन के लिए 5जी एवं इससे उन्नत नेटवर्क, सम्पूर्ण शहर में फाइबर विस्तार और आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) के साथ, शहरी डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा आदि जैसे उच्चतर सेवा स्तरों को समर्थन देने के लिए दिल्ली को समुचित बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

15.3.2 डिजिटलीकरण के बढ़े हुए स्तर के साथ, डाटा संग्रहण, सर्वर प्रबंधन आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डाटा केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है। ऐसे डाटा केन्द्रों को मानदंडों के अनुसार, सार्वजनिक और/या निजी एजेंसियों द्वारा विकसित किया जा सकता है।

15.3.3 स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी शहरी प्रबंधन, विशेष रूप से यातायात, सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया आदि के लिए प्रमुख चालकों के रूप में डिजिटल रूप से एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

15.3.4 इन्टरनेट की गति और सेवाओं की विश्वसनीयता के परिपेक्ष्य में, फाइबर-ऑप्टिक्स के माध्यम से कनेक्टिविटी को अधिक सक्षम माना जाता है। एनडीसीपी 2018 का "फाइबर प्रथम पहल" और आरओडब्लू नीति 2016 के विनियम, दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन को सुगम बनाएंगे। ऑप्टिक फाइबर का क्रियान्वन राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सामूहिक मॉडलों के माध्यम से होगा, जैसा कि साझा किये गए दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के लिए अपेक्षित है।

15.3.5 सीसीटीवी कैमरों, वायु प्रदुषण को नियंत्रित करने वाले सेंसरों, दूरसंचार ऐन्टेना, वाई-फाई हॉटस्पॉट/माइक्रोसेल्स, सौर प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस और सन्देश भेजने वाली प्रणालियों, आपातकालीन कॉल बॉक्स आदि सहित, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्मार्ट पोल स्थापित किये जा सकते हैं जिनका संयोजन शहरी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों के साथ किया जा सकता है

15.4 विद्युत और गैस आपूर्ति की अवसंरचना में सुधार लाना

15.4.1 विद्युत आधारिक संरचना:

i) प्रस्तावित मास्टर प्लान की सड़कों के आरओडब्लू के अंतर्गत, मेजर ट्रांसमिशन नेटवर्क की योजना व्यवहारिकता के अनुसार बनायी जाएगी और सीईए द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, ओवरहैड और अंडर ग्राऊंड ट्रांसमिशन लाइन्स के सुरक्षा मानदंडों का अनुसरण किया जाएगा।

ii) दिल्ली में सभी नए सब-स्टेशनों को व्यवहारिकता के अनुसार गैस इंसुलेटेड उप-केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि परंपरागत एयर इंसुलेटेड उप-केन्द्रों की तुलना में अनुमानतः 50% कम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है।

iii) सभी नए 11 केवी विद्युत् लाइनों को तकनीकी और वित्तीय व्यवहारिकता के अनुसार, लैंड पूलिंग क्षेत्रों के रोड क्रॉस-सेक्शनों के अंतर्गत, भूमिगत रूप से एकीकृत किया जाए।

15.4.2 डिजिटल और दूरसंचार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) अवसंरचनाः

i) ऑप्टिक फाइबर एक सार्वजनिक उपयोगिता है और इसके लिए व्यवहारिकता के अनुसार 12 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्लू) और अधिक के सभी सड़क सेक्शनों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ भी संभव हो, 12 मीटर से कम की सड़कों पर ऑप्टिक फाइबर के तार सड़क सेक्शन के अन्दर बिछाया जाएगा या मौजूदा स्थितियों के अनुसार पुनःसंयोजित किया जाएगा।

ii) सभी नए भवनों एवं विकास कार्यों में दूरसंचार संस्थापनों और एशोसिएटिड अंतर-निर्माण समाधानों को बढ़ावा दिया जाए।

15.4.3 गैस अवसंरचनाः

i) भविष्य में गैस पाइपलाइनों को 12 मीटर और अधिक के मार्गाधिकार (आरओडब्लू) के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा।

ii) घरेलू स्तर पर पाइप्ड गैस कनेक्शनों की व्यवस्था को सभी नए भवनों और विकास कार्यों के लिए बढ़ावा दिया जाए।

--- x --- x ---- x --- x ---

16.0 आपदा की तैयारी एवं प्रतिरोधकता

अध्याय कोड
INF4

16.1.1 दिल्ली को एक ऐसी प्रतिरोधक प्रणाली का विकास करने की जरूरत है, जो अप्रत्याशित आपदाओं, झटके, क्रॉनिक स्ट्रेस की घटनाओं को सह सके, कार्रवाई कर सके, अनुकूल हो सके और ठीक हो सके। किसी भी अन्य मेगाशहर की तरह, दिल्ली भी विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव, भूकंप, आग, बाढ़, बीमारी के प्रकोप, महामारी और अन्य खतरे।

16.1.2 दिल्ली में इस तरह के जोखिमों का प्रभाव तब कई गुना बढ़ जाता है, जब उन्हें आंतरिक समस्याओं से जुड़ जाते है, जैसे कि बड़ी संख्या में घनी अनियोजित क्षेत्र आबादी जिसमें कमजोर या खराब भवनों के स्टॉक होते हैं और वे अधिक सघन होते हैं। यह दिल्ली के एक बड़े हिस्से को आपदाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसी भी घटना के समय, जान और माल के बड़े नुकसान की संभावना होती है।

16.1.3 यह योजना आपदा शमन और तैयारियों पर राज्य और राष्ट्रीय विनियमों के अनुरूप है और जोखिम को कम करने और संवेदनशीलता को कम करने के संदर्भ में तीन-आयामी दृष्टिकोण अपनाती हैः यह प्रभाव को कम करने, साथ ही प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे तथा प्रणालियों का अत्याधुनिक निर्माण करके आपदाओं पर कार्रवाई करने के लिए, और नागरिकों को जागरूक करके तैयार की जा रही है। दिल्ली निम्नलिखित के लिए प्रयास करके भविष्य के लिए तैयार और प्रतिरोधक बनेगीः

i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता- खासकर भूकंप के प्रति।

ii) आग और शहरी बाढ़ की गंभीरता को कम करना।

iii) सभी प्रकार की आपदाओं और जोखिमों के संबंध में कार्रवाई करने की बेहतर क्षमता।

16.2 प्राकृतिक आपदाओं हेतु प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण और तैयारी

16.2.1 **भूकंपीय गंभीरता को कम करनाः** दिल्ली राष्ट्रीय भूकंपीय क्षेत्र IV और V में स्थित है, जिसमें भूकंप "अत्यधिक क्षति" पैदा कर सकते है। यह शहर दो फॉल्ट लाइन्स, अर्थात मथुरा और दिल्ली-मुरादाबाद पर अवस्थित है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिककार्य (डीडीएमए) ने दिल्ली हेतु भूकंपीय माइक्रो-जोनीककार्य योजना तैयार की है, और एक उच्च, मध्यम और कम जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है। गंभीरता को कम करने और भूकंप से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों को अपनाया जा सकता हैः

i) शहर भर में समर्पित संरचनात्मक लेखापरीक्षा की जाए, और दिल्ली में सभी भवनों को डीडीएमए और संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित समर्पित प्रोटोकॉल/लों के अनुसार इस लेखापरीक्षा से गुजरना होगा।

ii) संरचनात्मक/सुरक्षा लेखापरीक्षा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, को उच्च जोखिम वाले जोनों, संवेदनशील लोकेलिटी, अत्यधिक आवा-जाही वाले सार्वजनिक भवनों, रिस्पोंस

यूनिट वाले भवनों (अग्नि शमन, पुलिस, समेकित नियंत्रण केन्द्रों इत्यादि), और आवश्यक आधारिक संरचनाओं में प्राथमिकता दी जाए।

iii) सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल में प्रक्रिया का विवकार्य और लेखापरीक्षा के लिए मापदंड, लेखापरीक्षा की आवृत्ति, और भवनों को मजबूत करने और पुनःसंयोजन के लिए जानकारी दी जाएगी।

iv) भवनों और अवसंरचना के मामले में, जिसके लिए लेखापरीक्षा द्वारा सुदृढ़ीकार्य और पुनःसंयोजन की सिफारिश की गई है, उनमें अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

v) यूबीबीएल के अनुसार, सभी नए भवनों और संरचनाओं की संरचनात्मक डिजाइन में भूकंपीय अनुरूप भवनों हेतु दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

vi) बेस आइसोलेशन, हाइड्रोलिक डैम्पेनर्स और अन्य ऐसी संरचनात्मक विशिष्टताओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा अपनाया जा सकता है, जिससे परिवहन, जल, ईंधन आदि संबंधी महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, भूकंपीय रूप से प्रतिरोधक संरचना बन सकें।

vii) संबंधित एजेंसियां ऐसे क्षेत्रों/अवस्थितियों की पहचान कर सकती हैं जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अत्यधिक नुकसान के खतरे मे हैं। ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पुनःसंयोजन अथवा पुनर्विकास करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रस्तावित पुनरूद्धार योजनाओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा अन्य परियोजनाओं की तुलना में प्राथमिकता दी जा सकती है।

16.3 अन्य आपदाओं से जोखिम कम करना

16.3.1 **आग लगने के जोखिम में कमीः** औद्योगिक, व्यावसायिक इकाइयों और घनी आबादी वाली बस्तियों में, घर में आग लगने की संभावनाएं अधिक होती हैं। शहर में आग लगने के जोखिमों को कम करने के लिएः

i) ऐसे सभी भवनो को जहां अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री वाले कार्य होते हैं, वहां अग्निशमन विभाग से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए, और सुरक्षा सावधानियां बरती जानी चाहिए। इस प्रकार के उपयोगों को आवासीय या पीएसपी कार्यों के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) बिजली के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जीएनसीटीडी द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को ईवी बैटरी के भंडाकार्य, चार्जिंग, उपयोग और निपटान के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ और अधिक मजबूत किए जाने जरूरत है, क्योंकि इनसे आग लगने के संभावित खतरे हैं।

iii) जिन स्थानों में फायर टेंडर नहीं पहुंच सकते हैं, उन स्थानों में दिल्ली फायर सर्विसेज, मोबाइल फायर हाइड्रेंट और अन्य अत्याधुनिक अग्निशमन गियर के उपयोग को अपना सकती हैं।

iv) डीडीएमए और संबंधित एजेंसियों द्वारा 'आग के लिए संवेदनशील' के रूप में पहचान की गई इमारतों को यूबीबीएल और दिल्ली अग्निशमन सेवाओं के मानदंडों के अनुसार आग की रोकथाम और शमन उपायों के साथ फिर से लगाया जाएगा।

v) विद्युत विभाग, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित एजेंसियां, भवनों में विद्युत दोषों से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करेंगी। विशेष रूप से चारदीवारी वाले शहर, शहरी गांवों और अन्य घने क्षेत्रों में गलियों में खुले तारों और केबलों की देखभाल करके क्षेत्र स्तर की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

16.3.2 **शहरी बाढ़ और जलभराव की घटनाओं में कमीः** तेजी से शहरीककार्य के काकार्य, दिल्ली में शहरी बाढ़ और जलभराव की आवृत्ति और तीव्रता लगातार बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण यह और खराब होने की संभावना है। हरित-आवकार्य और जल के प्रति संवेदनशील शहरी विकास को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई जाएंगीः

i) नालों की गाद निकालने और गाद के नियमित निपटान के साथ सभी प्राकृतिक और मानवनिर्मित नालों को अवरोधों और अतिक्रमणों से मुक्त रखा जाएगा।

ii) स्थानीय निकाय आईएंडएफसी विभाग के ड्रेनेज मास्टर प्लान में यथा निर्धारित, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कुछ पार्क और उद्यानों को चिह्नित कर सकते हैं, जिनका उपयोग बाढ़ निरोध सिंक के रूप में किया जा सकता है।

iii) यमुना बाढ़ के मैदान में बड़े पैमाने पर बरसात के पानी को रोकने की परियोजनाओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा बाढ़ नियंत्रण और आपूर्ति बढ़ाने के लिए ताजे पानी का संग्रह करने के दोहरे उद्देश्य के साथ शुरू किया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं कड़े पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और नदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी।

16.3.3 वैश्विक महामारियों के जोखिम को कम करनाः

i) प्लॉटों के भीतर मिश्रित उपयोग के विकास और संगत उपयोगों की वर्टिकल मिक्सिंग को शहर में बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें सभी सेवाओं, कार्य केंद्रों और घरों की उपलब्धता की सुविधा होगी जो एक-दूसरे के आसपास हैं। इन्हें आवश्यकता के अनुसार आत्मनिर्भर आइसोलेशन जोन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

ii) विकेंद्रीकृत कार्यक्षेत्रों को सह-कार्य स्थलों, झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के भीतर साझा कार्यक्षेत्रों और घर-आधारित कार्यों के लिए समर्थन आदि के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।इसके अतिरिक्त आम सामुदायिक स्थानों को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आपात स्थिति के समय शरण स्थल, सझा रसोई, क्वारंटाइन स्थान आदि उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जा सके।

iii) बड़े हरित क्षेत्रों का विकास, खुले क्षेत्रों का अनिवार्य निर्माण, नए विकास क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थल तथा प्लाजा, और नियोजित पुनरूद्धार के माध्यम से निर्मित सघनता को कम करना जैसे कार्य, ऐसी वैश्विक महामारियों के दौरान सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं को सपोर्ट करेंगे, साथ ही सामान्य समय के दौरान वे एक सक्रिय सार्वजनिक स्थान भी होंगे।

iv) आवास इकाइयों के भीतर भीड़ को कम करने और शहर में प्रवासी के लिए आवास की सुविधा देने के लिए, गरीबों के लिए पर्याप्त किफायती किराये या स्वामित्व वाले आवास, श्रमिकों के आवास, महिलाओं और पुरुषों के लिए होस्टल आदि विकल्पों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

v) यह योजना बहु-सुविधा प्लॉटों (विशेष रूप से घनी आबादी वाले अनियोजित क्षेत्रों में) के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है जिनका उपयोग अस्थायी रूप से किया जा सकता है, और आपदा के समय भी अन्य सरकारी सुविधाओं के साथ-साथ इनका उपयोग किया जा सकता है।

vi) बेहतर आवास डिजाइन और हरित-श्रेणीकृत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम पर निर्भरता कम हो सके, जो वायु-जनित महामारियों के दौरान खतरा उत्पन्न करते हैं।

16.4 आपदाओं और जोखिमों के प्रति प्रभावी कार्रवाई का प्रबंधन

16.4.1 किसी आपदा या अप्रत्याशित घटना के समय प्रभावी कार्रवाई करने के लिए डीडीएमए एक अत्याधुनिक आईसीटी सक्षम दिल्ली डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (डीडीआरएफ) की स्थापना कर सकता है। इस फोर्स को सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ-साथ अस्पतालों, सीएसओ आदि द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। यह फोर्स नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन कार्य करेगा, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को प्राप्त और ट्रांसमिट करेगा, घटना के समय पालन किए जाने वाले सभी आवश्यक प्रोटोकॉल अभिसरित करेगा और सभी प्रतिक्रिया प्रणालियों को सक्रिय करेगा।

i) विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए, दिल्ली के लिए एक आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित किया जाएगा।

ii) सभी सेवाप्रदाता एजेंसियां आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं और दिशानिर्देश तैयार करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपदा के दौरान इन आवश्यक सेवाओं के वितकार्य पर कम से कम प्रभाव पड़े।

iii) सभी इलाकों में निवासियों के लिए विशिष्ट निकासी स्थान और शकार्य स्थल तय किए जाएंगे, विशेष तौर पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में।

क) निकासी स्थान खुले आकाश वाले क्षेत्र होंगे, जहाँ लोग किसी घटना के समय इकट्ठा हो सकते हैं, जैसे कि आग, भूकंप आदि। ये स्थान पार्क, बहुउद्देश्यीय मैदान, अन्य खुले स्थान आदि हो सकते हैं।

ख) आरडब्लयूए/स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित कोई भी आंतरिक स्थान शकार्य स्थल हो सकते हैं जहां संक्रामक बीमारियों के प्रकोप के दौरान अस्वस्थ/बीमार निवासियों को वैकल्पिक रहने के स्थान प्रदान किए जा सकें। ऐसे स्थान सार्वजनिक सुविधा के तौर पर सुलभ होने चाहिए।

iv) डीडीएमए एक आपदा-उपरान्त पुनर्वास कार्यनीति भी विकसित करेगा। जीएनसीटीडी के सभी विभाग, स्थानीय निकाय और डीडीए दिल्ली के आपदा जोखिम के नियमित मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली विकसित करेंगे।

--- x --- x ---- x --- x ---

वॉल्यूम 2

स्थानिक विकास
और
योजना निगरानी
हेतु फ्रेमवर्क

खंड 7

स्थानिक विकास
फ्रेमवर्क

अध्याय कोड
DEV1

17.0 लैंड पूलिंग के माध्यम से नए क्षेत्रों का विकास

17.1.1 लैंड पूलिंग दिल्ली के शहरी विकास हेतु एक नया प्रतिमान है, जिसमें निजी क्षेत्र भूमि संग्रहण और भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना के विकास में सक्रिय भूमिका अदा करेगा। भूमि स्वामी अथवा भू-स्वामियों के समूह निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार विकास हेतु भूखण्डों को पूल करेंगे, जिससे वे अपने आपको विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाएंगे। किसी क्षेत्र के समेकित नियोजन के लिए सड़कों, उपयोगिताओं, हरित क्षेत्रों और अन्य आधारिक संरचना के विकास हेतु अपेक्षित भूमि अनुमोदित/अधिसूचित योजना के अनुसार विकास हेतु दि.वि.प्रा. और सेवा प्रदाता एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह अपेक्षा की जा रही है कि ये क्षेत्र विश्वस्तरीय, 'स्मार्ट' और स्थायी नेबरहुड सेक्टर और जोन होंगे जिनको जल, ऊर्जा और अन्य अवसंरचना की उपलब्धता के अनुसार नियोजित और निष्पादित किया जाएगा।

17.1.2 इस संबंध में विनियम ऐसी भूमि के विकास और इसकी प्रक्रिया हेतु विस्तारपूर्वक विवरण प्रदान करते हैं।

17.2 अनुप्रयोज्यता

17.2.1 यह नीति निम्नलिखित को छोड़कर दि.वि.प्रा./सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित चिन्हित किए गए लैंड पूलिंग क्षेत्रों में ला गू होगीः

i) हरित विकास क्षेत्र;

ii) अनधिकृत कॉलोनियों के अंतर्गत भूमि (जिन्हें अभी नियमित किया जाना है);

iii) निर्मित लाल डोरा क्षेत्र (आबादी), गांवों के अधिसूचित विस्तारित किए गए लाल डोरा क्षेत्र;

iv) मुकदमबाजी वाली भूमि, जिसमें मामले के निपटान होने तक अधिग्रहण की कार्यवाही के अधीन भूमि शामिल है;

v) ऐसी भूमि जिनके लिए दि.वि.प्रा. अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है अथवा इस नीति और इन विनियमों की अधिसूचना के समय किसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा विकास हेतु योजना को अनुमोदित किया गया है;

vi) अधिसूचित वनों/सरकारी भूमि (जिसका उपयोग अनिर्धारित है) के अंतर्गत भूमि और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कोई अन्य योजना, जिसके लिए इन विनियमों की अधिसचूना के समय अधिनियम की धारा 11(ए) के अंतर्गत भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रक्रियाधीन है;

vii) पूर्व विद्यमान संस्थाएं जिन पर नियमितिकरण हेतु विचार किया गया है अथवा अभी भी सरकार द्वारा जाँच के अधीन है;

viii) सड़कों, प्राकृतिक नालों, प्राकृतिक जलाशयों, विरासत स्थलों, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग, रेलवे एवं हवाई अड्डे के अंतर्गत आने वाली भूमि;

17.2.2 यदि किसी भूस्वामी के पास उपर्युक्त उपखंड (ii) और (vii) के अंतर्गत सूचीबद्ध भूमि है और वे भूमि नीति के अधीन भागीदार बनना चाहते हैं, तो उन्हें भागीदारी की अपनी इच्छा व्यक्त करने से पूर्व सभी बाधाओं को दूर करना होगा।

17.2.3 खंड 17.2.1 में उल्लिखित भूमि के अतिरिक्त शेष बची हुई सभी भूमि "विकास योग्य क्षेत्र" कहलाएगी और इसे पूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

17.3 मार्गदर्शी सिद्धांत

17.3.1 लैंड पूलिंग, निरूपित सेक्टरों (विनियमों में यथा परिभाषित) के आधार पर की जाएगी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में आवश्यक संशोधन दि.मु.यो. के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित सेक्टर प्लान के आधार पर होंगे।

17.3.2 चिन्हित किए गए लैंड पूलिंग क्षेत्रों में भूमि के किसी भी आकार के साथ भूस्वामी पंजीकरण कर सकते हैं और विनियमों में निर्दिष्ट आवेदन प्रक्रिया के अनुसार भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।

17.3.3 सेक्टर के अंदर विकास योग्य क्षेत्र की बाधामुक्त, न्यूनतम 70% समीपस्थ भूमि, सेक्टर को विकास योग्य बनाने के लिए पूल की जानी अपेक्षित है। इससे किसी सेक्टर में नियोजन, सेवा प्रदायगी और भूमि का उप-विभाजन/साझेदारी सुनिश्चित हो सकेगा। जब किसी सेक्टर में यह न्यूनतम समीपस्थता हासिल कर ली जाएगी तो दि.वि.प्रा. उस क्षेत्र के समीपस्थ भूमि का भाग बनने वाले सभी संघटक भू-स्वामियों को कंसोर्टियम बनाने के लिए सूचित करेगा। किसी सेक्टर में आने वाले 2 हेक्टेयर और उससे अधिक के अलग भू-भाग, जो 70% समीपस्थ भूमि का हिस्सा नहीं है, वे भी कंसोर्टियम का भाग बनने हेतु पात्र होंगे बशर्ते वे सेक्टर ले-आउट के साथ एकीकृत हो सकते हो।

17.3.4 पूल की गई भूमि में से कंसोर्टियम 60% अपने पास रखेंगे और शेष 40% इस योजना के मानदंड़ों के अनुसार शहर स्तरीय भौतिक अवसरंचना, मनोरंजनात्मक, औद्योगिक और सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक (पीएसपी) सुविधाओं के विकास हेतु दि.वि.प्रा./सेवाप्रदाता एजेंसियों को अपेक्षित होने पर अभ्यर्पित करने के लिए दि.वि.प्रा. की ओर से रखेंगे। प्रत्येक भू-स्वामी ऐसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु पूल की गई भूमि क्षेत्र की आनुपातिक भूमि अभ्यर्पित करेगा।

17.3.5 कंसोर्टियम द्वारा 60% भूमि का उपयोग आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं तथा भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा।

17.3.6 कंसोर्टियम विकसित भूमि / निर्मित स्थान के पुनर्वितरण अथवा "कार्यान्वयन योजना" के एक हिस्से के रूप में उचित आदान-प्रदान के किसी अन्य रूप के लिए आपसी तौर पर एक फार्मूला निर्धारित करेगा और इस फार्मूले को सभी भू-स्वामियों की सहमति से दि.वि.प्रा. को सूचित करेगा।

17.3.7 कंसोर्टियम द्वारा 60% भूमि का अंतिम रूप में विकास आवश्यक अनुमोदन की प्राप्ति के उपरान्त ही आरंभ किया जाएगा। 60% भूमि का विकास भी अलग उप-परियोजनाओं के रूप में उन भू-स्वामियों/भू-स्वामियों के समूह द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने अलग विकासकर्ता संस्था (डीई) के रूप में कार्य करने का विकल्प लिया हो और यह तभी होगा जब कंसोर्टियम द्वारा समग्र एकीकृत

योजना पूरी कर ली गई हो और सभी समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हों। विकासकर्ता संस्था (डीई) हो सकते हैं, जोः-

i) कोई व्यक्तिगत भू-स्वामी जिसने न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि को जोड़कर सेक्टर में भूमि के एक अथवा अधिक प्लॉटों को पूल किया है;

ii) भू-स्वामियों का समूह जिन्होने सामूहिक रूप से न्यूनतम 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोड़कर एक अथवा एक से अधिक प्लॉट पूल किए हों, और विकास करने के लिए वैध और कानूनी रूप से लागू करार के माध्यम से समूह बनाया हो;

iii) कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार के माध्यम से न्यूनतम 2 हेक्टेयर तक के एक अथवा अधिक भूखण्ड पूल करने वाले भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था (विकासकर्ता/व्यवसाय/कार्पोरेट संस्था)।

विकास के लिए भूमि का पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु 2 हेक्टेयर की सीमा निर्धारित की गई है।

17.3.8 दि.मु.यो. के अनुसार नए विकास क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त आवास का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

17.3.9 शहर स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए वास्तविक लागत को कवर करने हेतु पूल की गई संपूर्ण भूमि पर बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी) लागू होगा।

17.3.10ऐसे क्षेत्र में प्लॉट, जो पूल किए बगैर बने रहते हैं, उन्हें बाद के चरण में विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः

i) प्रस्तावित लेआउट योजना की पहुंच और अन्य प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के संबंध में व्यवहार्यता।

ii) शहर स्तर की अवसंरचना/सुविधाओं हेतु 45% अथवा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए अनुसार भूमि उपलब्ध करना।

iii) अवसंरचना और सेवाओं के लिए अद्यतन तौर पर लागू ईडीसी का भुगतान करना।

17.4 दि.वि.प्रा. और/अथवा सरकार की भूमिका

17.4.1 नीति का सुचारू एवं निष्पक्ष तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

17.4.2 शहर स्तरीय भौतिक अवसंरचना, मनोरंजनात्मक, औद्योगिक और सार्वजनिक / अर्ध सार्वजनिक (पीएसपी) सुविधाओं की व्यवस्था हेतु दि.वि.प्रा. और सेवाप्रदाता एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में सेक्टर की सीमाओं का परिसीमन करना और समग्र योजना तैयार करना।

17.4.3 आवेदन, सत्यापन, अनुमोदन, लाइसेंस आदि हेतु समयबद्ध तरीके से एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से विकासकर्ता संस्था / कंसोर्टियम द्वारा योजना एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करना, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

17.4.4 सेवाप्रदाता एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से जल-आपूर्ति, सीवरेज, जल-निकासी, बिजली, परिवहन आदि के लिए प्रासंगिक अवसंरचना की व्यवस्था की समग्र तौर पर निगरानी करना।.

17.4.5 कोई भूमि जिसका लैंड पूलिंग के अंतर्गत प्रस्ताव नहीं किया गया हो, और जो किसी सेक्टर में नीति को लागू करने के लिए अपेक्षित हो, उनका कानून के अनुसार अधिग्रहण करना। ऐसे अधिग्रहण की लागत को विकासकर्ता संस्था/कंसोर्टियम द्वारा वहन किया जाएगा।

17.5 विकासकर्ता संस्था (डीई)/कंसोर्टियम की भूमिका

17.5.1 निर्धारित मानदंडो और दिशानिर्देशों के तहत लैंड पूलिंग के अनुसार क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत योजना, सेवा प्रदायगी तथा भूमि के उपविभाजन/साझेदारी हेतु अथवा किसी अन्य परिभाषित कार्य के लिए संघटक भू-स्वामियों का एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा।

17.5.2 खंड 17.3.6 के अनुसार सभी संघटक भू-स्वामियों के अनुमोदन से लागू योजना का विकास किया जाएगा तथा अंतिम रूप दिया जाएगा।

17.5.3 सभी डीई/भू-स्वामियों को शामिल करते हुए एक प्ररामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से योजना के प्रावधानों के अनुसार 60% भूमि हेतु लेआउट योजना और विस्तृत साइट प्लान तैयार करना।

17.5.4 जब कभी आवश्यक हो, दि.वि.प्रा./सेवाप्रदाता एजेंसियों को सुपुर्द की जाने वाली भूमि (अतिक्रमण से मुक्त) की निगरानी का कार्य करना ।

17.5.5 एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से तथा विनियामकों में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवाओं को विकसित करने की लागत हेतु दि.वि.प्रा. और सेवाप्रदाता एजेंसियों को बाह्य विकास प्रभारों (ईडीसी) का समय पर भुगतान करना। ईडीसी का भुगतान पूल की गई पूरी भूमि पर देय होगा।

17.5.6 दि.वि.प्रा. द्वारा स्थापित एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से लेआउट प्लान, विस्तृत साइट प्लान एवं अन्य ड्राइंगो हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।

17.5.7 भूमि के उस भाग में आने वाली यथा आवश्यक मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाओं के प्रावधान सहित सभी आंतरिक सड़कों तथा अन्य संबंधित अवसंरचना, जैसे जल आपूर्ति लाइनों, विद्युत आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, सीवेज शोधन संयंत्र और पार्किंग का समयबद्ध विकास करना।

17.5.8 जब तक कि प्रस्तावित क्षेत्र के रखरखाव का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय को नहीं सौंपा जाता, तब तक अनुमोदित लेआउट प्लान के अनुसार खुले स्थानों, सड़कों और सेवाओं जैसी सभी स्थानीय स्तरीय सुविधाओं को शामिल करते हुए संपूर्ण विकास का समयबद्ध विकास एवं रखरखाव करना। स्थानीय निकाय को सेवाएं सौंपने के समय यदि प्रभारों में किसी प्रकार की विसंगति हो तो उसका वहन विकासकर्ता संस्था/कन्सोर्टियम द्वारा किया जाएगा।

17.5.9 निर्मित स्थान/भूमि के हिस्से का संघटक भू-स्वामियों/डीई को समयबद्ध हस्तांतरण, जैसा कि कार्यान्वयन में आपसी तौर पर सहमति की गई हो।

17.5.10 इस योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आवास घटक के तहत निर्दिष्ट निर्मित स्थान/आवासीय इकाइयों का विकास सुनिश्चित करना। ईडब्ल्यूएस आवास स्टॉक की बिक्री और निपटान योजना के अनुसार किया जाएगा।

17.5.11 दि.वि.प्रा. द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य हेतु विधिवत अर्जित भूमि के अधिग्रहण की लागत का वहन करना, जिससे कि जोनों और क्षेत्रों में जहां लैंड पूलिंग नीति लागू हो वहां अवसंरचना के नियोजित विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

17.6 विकास के मानदंड

17.6.1 विकास हेतु निम्नलिखित शर्तें लागू होंगीः

i) प्रत्येक क्षेत्र में पूल की गई भूमि का न्यूनतम 40% शहर स्तरीय अवसंरचना तथा अन्य उपयोगों (जब भी अपेक्षित हो दि.वि.प्रा. और सेवा प्रदाता एजेंसियों को अभ्यर्पित) के लिए आरक्षित होगा। सेक्टर में औद्योगिक और पीएसपी भूमि उपयोग (संदर्भ तालिका 17.1) का दि.वि.प्रा. के हिस्से को शहर/क्षेत्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आसन्न क्षेत्रों के साथ क्लब करने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक सेक्टर में पूल की गई भूमि का अधिकतम 60% हिस्सा विकास हेतु विकासकर्ता संस्था/कन्सोर्टियम के लिए उपलब्ध होगा। भूमि उपयोगों का वितरण निम्न प्रकार होगाः

तालिका 17.1 लैंड पूलिंग क्षेत्रों में भूमि उपयोगों का वितरण

भूमि उपयोग	पूल की गई भूमि का क्षेत्र	
	न्यूनतम 40%*	अधिकतम 60%
सकल आवासीय	--	53%
व्यावसायिक	--	5%
औद्योगिक	4%	--
मनोरंजनात्मक	16%	--
पीएसपी	8%	2%
सड़के और परिचालन	12%	--

* प्रत्येक क्षेत्र में 40% भूमि का उपयोग किसी भी उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। दि.वि.प्रा. के लिए किसी विशेष क्षेत्र में भूमि के एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं होगी। हालाँकि, जोन का कुल प्रतिशत उपर्युक्त तालिका के अनुसार होगा।

17.6.2 सकल आवासीय क्षेत्रों का विभाजन एवं सुविधाओं का प्रावधान योजना में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगा। लेआउट प्लान में चिन्हित आसपास की आंतरिक सड़कें / अवसंरचना / सेवाएं (जल आपूर्ति लाइनें, विद्युत आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, एसटीपी, इत्यादि) के प्रावधान हेतु भूमि की आवश्यकताएं सभी भू-स्वामियों / विकासकर्ता संस्थाओं द्वारा समान रूप से पूरी की जाएंगी।

17.6.3 किसी सेक्टर में सकल आवासीय उपयोग (53%) के अंदर स्थानीय स्तर की स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं के लिए निर्धारित 50% प्लॉटों को दि.वि.प्रा. को सरकारी एजेंसियों/विभागों को आबंटन हेतु लौटाया जाएगा।

17.6.4 शहर स्तरीय पीएसपी प्लॉट के साथ-साथ व्यावसायिक प्लॉट के समामेलन और उप-विभाजन की अनुमति दी जाएगी। योजना के अनुसार न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताएं, किसी भी उपयोग परिसर के विकास के लिए लागू होंगी। विकासकर्ता संस्था / कन्सोर्टियम, भवन के अंदर उपयोगों के वर्टिकल मिश्रण (आवासीय, व्यावसायिक, पीएसपी और औद्योगिक) को प्राप्त करने के लिए नए तरीकों का उपयोग भी कर सकता है।

17.7 अतिरिक्त विकास नियंत्रण

17.7.1 सेक्टर स्तर पर लागू एफएआर में भिन्नताः

i) सेक्टर स्तर पर विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए निर्धारित एफएआर सीमा की गणना, नीचे दी गई तालिका के अनुसार की जाएगीः

तालिका 17.2 सेक्टर स्तर पर विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु एफएआर सीमा

क्र.सं.	**भूमि उपयोग**	**एफएआर**	**एफएआर के अनुसार निर्माण किए जाने वाला कुल क्षेत्र***
1	आवासीय	200	200 x कुल आवासीय भूमि *(कुल आवासीय भूमि, सकल आवासीय भूमि का अधिकतम 55% होना चाहिए, जिस पर खंड 17.7.4 और 17.7.5 के अनुसार लेआउट और प्लॉट स्तर नियंत्रण को पूरा करने पर समूह आवास और प्लॉटिड आवास टाइपोलॉजी के मिश्रण की अनुमति होगी।)**[क]***
2	व्यावसायिक	150	पूल की गई भूमि का 150 x 5% **[ख]**
3	पीएसपी	225	पूल की गई भूमि का 225 x 10% **[ग]**
4	औद्योगिक	200	पूल की गई भूमि का 200 x 4% **[घ]**
			सेक्टर स्तर पर **एफएआर के अनुसार कुल क्षेत्र जिसका निर्माण किया जा सकता है** [योग]**= क + ख + ग + घ**

***नोटः**

क) इसके अलावा, अधिकतम स्वीकार्य आवासीय एफएआर के अतिरिक्त 15 प्रतिशत की अनिवार्य एफएआर, केवल ईडब्ल्यूएस आवास के प्रावधान के लिए डीई/कंसोर्टियम को उपलब्ध होगा। ईडब्ल्यूएस आवश्यकताओं की पूरे अनुमेय आवासीय एफएआर हेतु गणना की जानी चाहिए (चाहे आवास टाइपोलॉजी कैसी भी हो);

ख) सामाजिक अवसंरचना और उपयोगिताओं (सकल आवासीय घटक के तहत प्रदान किए जाने वाले स्थानीय स्तर तक) हेतु अनुमेय एफएआर की गणना दि.मु.यो. के जनसंख्या मानदंडों के आधार पर आवासीय एफएआर के अतिरिक्त की जाएगी;

ग) कंसोर्टियम/डीई और दि.वि.प्रा. के बीच पीएसपी भूमि उपयोग का वितरण, तालिका 17.2 के अनुसार होगा। पीएसपी के प्लॉट प्रचलित महायोजना के अनुसार एफएआर का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि सेक्टर में कुल पीएसपी एफएआर ऊपर उल्लिखित (ग) और टीडीआर, यदि लागू हो, से अधिक नहीं हो ।

ii) एक सेक्टर के लिए कुल लागू एफएआर से अधिक के बिना एफएआर लोडिंग अलग-अलग प्लॉटों में भिन्न हो सकती है, केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां टीडीआर का उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत उच्च एफएआर का उपयोग प्रमुख सड़कों के साथ, पहचान किए गए ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास, अथवा अन्य पहचान किए गए स्थानों पर किया जा सकता है।

iii) यदि साइट की दशाओं या नियोजन संबंधी विचारों के कारण कंसोर्टियम को 60% भूमि की वापसी में कमी/भिन्नता पायी जाती है, तो कंसोर्टियम/डीई को अपने संबंधित एफएआर का उपयोग करने की अनुमति होगी।

iv) ग्राम सभा भूमि को क्षेत्र के लिए समग्र लेआउट प्लान में एकीकृत किया जाएगा। ऐसी भूमि का उपयोग निम्नानुसार होगाः

17.7.1.1 दि.वि.प्रा. लैंड पूलिंग में विकासकर्ता संस्था के रूप में भाग ले सकता है; (विकासयोग्य क्षेत्र का हिस्सा)

17.7.1.2 दि.वि.प्रा. संबंधित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं/कमी को पूरा करने के लिए ऐसी भूमि विकसित कर सकता है। ऐसे मामलों में, उन्हें तालिका 2 के अनुसार एफएआर की गणना के लिए पूल की गई भूमि का हिस्सा नहीं माना जाएगा, और मानदंडों के अनुसार विभिन्न उपयोग परिसरों के लिए विकसित किया जाएगा। (विकासयोग्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं)

17.7.2 लागू एफएआर में भिन्नता को निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से अनुमति दी जाएगीः

i) सेक्टरों के अंदर भूमि उपयोग का आदान-प्रदानः

17.7.2.1 कंसोर्टियम के लिए - अपने हिस्से के तहत सेक्टर-स्तरीय व्यावसायिक और/अथवा पीएसपी क्षेत्र को इसके कुल क्षेत्र में समान कमी करते हुए प्रत्येक को 30% तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे आवासीय एफएआर के अनुसार निर्मित किया जा सकता है।

17.7.2.2 दि.वि.प्रा. के लिए, अपने हिस्से के तहत सेक्टर-स्तरीय पीएसपी और औद्योगिक क्षेत्र के बीच 30% तक के आदान-प्रदान की अनुमति दी जाएगी;

ii) टीडीआर के उपयोग को केवल चिन्हित टीडीआर प्राप्ति क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी।

17.7.3 मिश्रित उपयोग /वर्टिकल मिक्सिंगः

i) प्लॉटों और इमारतों के भीतर वर्टिकल मिक्सिंग (वीएम) की अनुमति दी जाएगी, ताकि भवन टाइपोलॉजी और हब में मिश्रित उपयोग को सक्षम बनाया जा सके, नवाचारी हरित लेआउट का निर्माण किया जा सके और पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके। वर्टिकल मिक्सिंग के लिए उपयोगों का नियंत्रण और मिश्रण निम्नानुसार होगाः

17.7.3.1 सेक्टर लेआउट योजना में चिह्नित किए गए अनुमोदित वर्टिकल मिक्सिंग प्लॉटों में मिश्रित उपयोग/वर्टिकल मिक्सिंग की अनुमति दी जाएगी, जहां ऐसे प्लॉटों पर समग्र एफएआर 400 से अधिक नहीं होना चाहिए।

17.7.3.2 लोडिंग नीचे दिये गए उप खंड-(छ) के अनुसार एक ही भूमि उपयोग अथवा चिन्हित किए जाने वाले अनुकूल भूमि उपयोग/गों के रूप में हो सकती है।

17.7.3.3 किसी भी अनुपात में, किसी प्लॉट के भीतर अलग-अलग इमारतों के रूप में, या इमारतों के भीतर तल की वर्टिकल मिक्सिंग अथवा दोनों में किसी भी अनुपात में चिह्नित किए गए उपयोग के मिश्रण की अनुमति होगी।

17.7.3.4 चिन्हित किए गए प्लॉट के भीतर खुली जगह, सुविधाएं, पार्किंग, प्रवेश/निकास और सेवा कोर आदि के संबंध में आवश्यकताएँ योजना अथवा लागू नियमों के मानदंडों के अनुसार होंगी।

17.7.3.5 प्रत्येक उपयोग के लिए पृथक प्रवेश/निकास और सर्विस कोर की व्यवस्था की जाएगी। टीडीआर के उपयोग के कारण अतिरिक्त आवश्यकता, यदि कोई है, को उसी प्लॉट के अंदर पूरी तरह से पूरा किया जाएगा।

17.7.3.6 मनोरंजनात्मक पार्कों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधा, विश्वविद्यालय परिसरों, उपयोगिताओं, ईंधन स्टेशनों और किसी भी प्रकार की सुधार / दंडात्मक सुविधाओं के मिश्रण / वर्टिकल मिक्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17.7.3.7 मिश्रण को केवल निम्न प्रकार से संगत उपयोगों के लिए ही अनुमति दी जाएगीः

- केवल गैर-विनिर्माण उद्योग जैसे सेवा उद्योग (आईटी/आईटीईएस, बीपीओ / केपीओ, आदि), पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स, और गैर-प्रदूषणकारी एमएसएमई इकाइयों को पीएसपी और कॉमर्स के साथ मिलाया जा सकता है।
- स्कूलों को केवल आवासीय उपयोग परिसर के साथ मिलाया जा सकता है। अन्य शैक्षणिक संस्थानों को स्वच्छ उद्योगों, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, के साथ जोड़ा जा सकता है।

17.7.3.8 वर्टिकल मिक्सिंग के उपयोग के कारण अधिशेष भूमि (यदि कोई है) का उपयोग सक्रिय हरित क्षेत्र, जैसे शहरी खेती, नर्सरी, बागानों के लिए किया जाएगा।

17.7.4 लैंड पूलिंग सेक्टरों में लेआउट नियंत्रण

i) लेआउट प्लान निम्नलिखित को इंगित करेगाः

क) योजना के अनुसार उपयोग जोनों/उपयोग परिसरों को,

ख) डीई/कंसोर्टियम को लौटाए गए पुनर्वितरित प्लॉटों को, और

ग) वर्टिकल मिक्सिंग प्लॉट, मिश्रित उपयोग और सेक्टर स्तर पर सभी व्यक्तिगत पुनर्वितरित प्लॉटों के लिए संबंधित एफएआर।

ii) आवासीय, व्यावसायिक और पीएसपी तथा औद्योगिक भूमि के उपयोग और वर्टिकल मिक्सिंग प्लॉट के तहत आने वाले विभिन्न उपयोग परिसरों हेतु लागू एफएआर और अन्य नियंत्रण, खंड 17.7.5 में निर्धारित प्लॉट स्तरीय नियंत्रण के अनुसार होंगे, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्लॉटों के लिए संचयी क्षेत्र जो निर्मित किया जा सकता है, वह खंड 17.1.1 में निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक नहीं हो, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां टीडीआर का उपयोग किया जा रहा है।

iii) ऐसे पृथक भूमि पार्सल, जिसका आकार 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक है को सेक्टर के लेआउट प्लान में शामिल करने के लिए न्यूनतम 18 मीटर आरओडब्ल्यू की पहुंच होगी।

iv) ईडब्ल्यूएस ब्लॉक आवश्यकताओं को डीई द्वारा व्यक्तिगत तौर पर पूरा किया जाएगा अथवा एक पृथक क्षेत्र/क्षेत्रों के रूप में समेकित आधार पर अधिमानतः पारगमन (ट्रांजिट) स्टेशनों के आसपास विकसित किया जाएगा।

v) खंड 7.1 के अनुसार सेक्टर में कम से कम 15% आवासीय एफएआर का उपयोग 40 - 60 वर्गमीटर के छोटे आकार की आवासीय इकाइयों के विकास के लिए किया जाएगा।

vi) योजना के मानदंडों के अनुसार अथवा ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों में, अलग-अलग प्लॉटों के रूप में स्थानीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जहां ऐसी सुविधाएं समूह आवास प्लॉटों के भीतर हैं, वहां:

17.7.4.1 सुविधाओं हेतु एफएआर 200 के आवासीय एफएआर के अतिरिक्त होगा।

17.7.4.2 महायोजना के अनुसार इस तरह की सुविधाओं हेतु कोई भी आवश्यक खुली जगह, प्लॉट के अंदर प्रदान की जाएगी।

vii) सड़क लेआउट

क) सेक्टर रोड नेटवर्क योजना के सड़क पदानुक्रम और स्ट्रीट डिजाइन विनियमों को शामिल करेगा। साइकिल चलाने और पैदल चलने की सुविधाओं का नेटवर्क अनिवार्य आवश्यकता होगी। सभी प्रमुख सड़कों (24 मीटर और उससे अधिक) को ट्रंक सेवाओं को समायोजित करने के लिए भूमिगत उपयोगिता डक्टस प्रदान की जाएंगी।

ख) कलेक्टर सड़कों के तहत क्षेत्र का कम से कम 50% क्षेत्र न्यूनतम 24 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के साथ विकसित किया जाएगा।

ग) मौजूदा राजस्व सड़कों और फिरनी सड़कों को, जो एक सेक्टर के भीतर प्रमुख आवाजाही गलियारों के रूप में कार्य करते हैं, सुधार किया और/अथवा चौड़ा किया जाएगा और यदि संभव हो तो सेक्टर लेआउट में एकीकृत किया जाएगा।

घ) 24 मी आरओडब्ल्यू की सड़कों पर सीधे वाहनों के प्रवेश अथवा पार्किंग प्रवेश/निकास से बचा जाएगा, और लेआउट के हिस्से के रूप में एक वैकल्पिक वाहन प्रवेश को विकसित किया जाएगा।

ङ) नया विकास अनुमोदित अथवा निर्मित योजनाबद्ध विकास के मौजूदा गतिविधि नेटवर्क के साथ निरंतरता बनाए रखेगा।

viii) बफरः अन्य सभी अनिवार्य बफर आवश्यकताओं के अलावा, कंसोर्टियम/डीई और सार्वजनिक एजेंसियां, डीसीएन के अनुसार प्रमुख प्राकृतिक नालों के साथ बफर बनाए रखेंगे।

क) ऐसे बफर्स का उपयोग विभिन्न पदानुक्रमों के पार्कों को विकसित करने के लिए किया जाएगा, अथवा किनारों को पैदल चलने/साइकिल चलाने हेतु सड़कें प्रदान करने के उद्देश्य से संरक्षित किया जाएगा।

ख) प्राकृतिक नालों के बफर के किनारों पर स्थित इमारतें बफर की ओर का सामना करते हुए, बाल्कनियों, खिड़कियों, पैदल प्रवेश, फ्रंट-शाप, प्लाजा आदि के रूप में सक्रिय अग्रभाग बनाए रखेंगी।

ix) सार्वजनिक प्लाजाः सार्वजनिक स्थानों की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए लेआउट में विभिन्न पैमानों के सार्वजनिक प्लाजा शामिल किए जाएंगे। प्लाजा के विकास को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगाः

क) न्यूनतम 2000 वर्गमी. के सार्वजनिक प्लाजा, सेक्टर लेआउट प्लान के हिस्से के रूप में परस्पर जुड़ने वाली सड़कों के सभी प्रमुख चौराहों पर नियोजित किए जाएंगे।

ख) सभी मास ट्रांजिट स्टेशन यात्रियों के अधिप्लाव (स्लिपओवर) हेतु और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए प्लॉट क्षेत्र के 20% को एक एकल खुली पहुंच वाले सार्वजनिक प्लाजा के रूप में प्रदान करेंगे।

ग) 1 हेक्टेयर से ऊपर के आकार के सभी प्लॉटों में प्लॉट क्षेत्र के 10% को मिड-स्ट्रीट या कॉर्नर पब्लिक प्लाजा के रूप में भी प्रदान किया जाएगा। प्लॉटों के अंदर दिए गए ऐसे प्लाजा के तहत क्षेत्र के लिए एफएआर, शेष प्लॉट पर लोड किया जाएगा।

x) सक्रिय फ्रंटेजः

क) 24 मीटर आरओडब्ल्यू अथवा वाली सभी सड़कों पर सक्रिय फ्रंटेज का अनुरक्षण किया जाएगा।

ख) भवन के किनारों के 70% हेतु बिल्ट-टू-एज विकास सहित 3 मी. सेटबैक को हरित क्षेत्र और वृक्षारोपण के साथ बनाए रखा जाएगा। फ्रंटेज का कम से कम 50% आर्केड्स,

कोलोनेड्स, शॉप-फ्रन्ट्स, पैदल यात्री प्रवेश, प्लाजा आदि का उपयोग करते हुए ग्राउंड/पोडियम फ्लोर पर सक्रिय रखा जाएगा।

ग) ये अनिवार्यताएं केवल व्यावसायिक, औद्योगिक और पीएसपी प्लॉटों के साथ साथ वर्टिकल मिक्सिंग प्लॉटों पर लागू होंगी;

xi) स्थिरता विशेषताएं:

क) लैंड पूलिंग क्षेत्रों के भीतर सभी परियोजनाएं अनिवार्य 0.2 के ग्रीन ब्लू फैक्टर को हासिल करेंगी (देखें डीसीएन)।

ख) सेक्टर में भौतिक अवसंरचना निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगीः

- शोधित अपशिष्ट जल का 100% शोधन एवं अधिकतम पुनःउपयोग।
- हरित-अपशिष्ट को अलग करना और 100% पुनःउपयोग;
- सौर ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों के माध्यम से सेक्टर की 10% ऊर्जा की मांग को पूरा करना;
- लागू मानदंडों के अनुसार सीधे पुनः उपयोग और भूजल पुनर्भरण हेतु बरसाती जल का अधिकतम प्रतिधारण।

इन स्थिरता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई क्षेत्र/योजनाएँ एक साथ लाई जा सकती हैं।

17.7.5 **प्लॉट** एवं भवन नियंत्रण

i) नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के प्लॉटों के लिए निम्नलिखित नियंत्रण लागू होंगेः

	नियंत्रण	**आवासीय प्लॉट - प्लाटिड आवास**	**आवासीय प्लॉट - समूह आवास**	**पीएसपी/व्यावसायिक/औद्योगिक प्लॉट**	**वीएम प्लॉट**
1	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	- 5000 वर्गमीटर न्यूनतम भूमि पर केवल क्लस्टर विकास की अनुमति* - प्लॉटों के आकार 100-300 वर्गमीटर के बीच होंगे - ईडब्ल्यूएस इकाइयों को अलग-अलग ब्लॉक के रूप में, क्लस्टर के भीतर या अन्य डीई के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाना है	3000 वर्ग मी.	विभिन्न उपयोग परिसरों के लिए योजना के मानदंडों के अनुसार	5000 वर्ग मी.
2	अधिकतम एफएआर	दि.मु.यो. के अनुसार, बशर्ते क्लस्टर हेतु समग्र एफएआर (अर्थात 200) से अधिक नहीं हो**	200	विभिन्न उपयोग परिसरों के लिए मानदंडों के अनुसार	400
3	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	दि.मु.यो. के अनुसार	33% तक	विभिन्न उपयोग परिसरों के लिए मानदंडों के अनुसार	50% तक
4	अनिवार्य	- 18 मी और उससे	कम से कम एक	विभिन्न उपयोग परिसरों के	- कम से कम

	सड़क पहुंच	अधिक के आरओडब्ल्यू पर अनुमेय नहीं है - समग्र क्लस्टर के पास न्यूनतम 12 मी. सड़क से पहुंच होगी। व्यक्तिगत प्लॉटों को 9 मी सड़क से पहुंच प्रदान की जा सकती है।	तरफ 18 मी आरओडब्ल्यू	लिए योजना के मानदंडों के अनुसार	एक तरफ 24 मीटर या उससे अधिक की कलेक्टर सड़क - 12 मी. आरओडब्ल्यू से अनिवार्य वैकल्पिक पहुंच
5	सेटबैक्स	दि.मु.यो. के अनुसार	1. संबंधित भूमि उपयोगों के विभिन्न प्लॉटों के आकार के लिए दि.मु.यो. के अनुसार। 2. 24 मी. आरओडब्ल्यू और उससे ऊपर के प्लॉट हेतु फ्रंट सेटबैक खंड 17.7.4(x) के अनुसार होगा। 3. साइड और रियर सेटबैक भवन निर्माण उपविधि / एनबीसी के अनुसार ऊंचाई और वेंटिलेशन की आवश्यकताओं के अधीन होंगे।		

*सभी सुविधाएं, स्थानीय पहुंच मार्ग और ठोस अपशिष्ट तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु विकेंद्रीकृत अवसंरचना, क्लस्टर विकास के अंदर समायोजित की जाएंगी।

**यदि किसी प्लॉट के लिए गणना किया गया क्षेत्र निम्न श्रेणी के अनुमत प्लॉट क्षेत्र से कम है, तो निम्न श्रेणी के अधिकतम निर्मित क्षेत्र को अनुमति दी जाएगी।

--- x --- x ---- x --- x ---

अध्याय कोड
DEV2

18.0 हरित विकास क्षेत्र में विकास

18.1.1 हरित विकास क्षेत्र (जीडीए) नीति में दिल्ली के निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास के लिए प्रावधान किया गया है:

i) हरित पट्टी- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ, जहां तक संभव हो, एक परिधीय राजस्व ग्राम सीमा की गहराई तक भूमि।

ii) कम सघन आवासीय क्षेत्र (एलडीआरए) – गांवों का वह क्षेत्र जिसे कम घनत्व वाले विकास और फार्महाउस की बहुलता वाले क्षेत्र के कारण अधिसूचित किया गया हो, जिसे कम घनत्व का आवासीय प्लॉट या एलडीआरपी कहा जाता है।

18.1.2 यह नीति 'हरित विकास' को प्रोत्साहित करेगी, कम एफएआर और बड़े वनीय और भू-दृश्य वाले क्षेत्र जिसकी विशेषता होगी ताकिः

i) हरित जीवन-शैली और मनोरंजन के लिए शहरी स्तर के केंद्रों के निर्माण को प्रोत्साहन मिल सके, ग्रीन-जाब्स का सृजन और अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण हो सके,

ii) खाद्य और अन्य प्राकृतिक उपज के भरपूर उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके और बागवानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

iii) एक क्षेत्रीय पर्यावरणीय बफर बनाना, वायु प्रदूषण, शहरी तापन के प्रभावों को कम करना, वर्षा का पूर्वानुमान लगाने में सुधार लाना और मरुस्थलीकरण के खतरे का मुकाबला करना।

18.2 अनुप्रयोज्यता

18.2.1 जीडीए के फैलाव और सीमा में हरित पट्टी और एलडीआरए के रूप में अधिसूचित गांवों के क्षेत्र शामिल होंगे। हालांकि, जीडीए का फैलाव और सीमा जमीन पर किए गए वास्तविक परिसीमन के आधार पर भिन्न हो सकती है।

18.2.2 सभी मौजूदा और भावी विकास को जीडीए के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा, जो हरित पट्टी और एलडीआरए के लिए पहले के प्रावधानों को अधिक्रमित करेंगे।

18.2.3 यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होगी:

i) अनधिकृत कालोनियों के अंतर्गत भूमि (जिन्हें अभी नियमित किया जाना है);

ii) मुकदमेबाज़ी वाली भूमि जिसमें अधिग्रहण की कार्यवाही वाली भूमि भी शामिल है, जब तक मामले का निपटान नहीं हो जाता;

iii) लाल डोरा क्षेत्रों (आबादी) में निर्मित भू-खंड, गांवों के अधिसूचित विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र;

iv) ऐसी भूमि जहां जीडीए विनियमों की अधिसूचना के समय, दि.वि.प्रा. या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए हैं या जहां किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा योजना को विकास के लिए अनुमोदित किया गया है;

v) ऐसी भूमि / संपत्ति जहां सरकार या दि.वि.प्रा. या स्थानीय निकायों के पक्ष में परिसर से बेदखली / खाली करने के लिए अदालत का आदेश जारी किया गया है;

vi) ऐसी भूमि जो समय-समय पर संशोधित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित स्मारक/क्षेत्र में आती है;

vii) अधिसूचित वन/सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत आने वाली ऐसी भूमि, जिसके लिए जीडीए विनियमों की अधिसूचना के समय भू-उपयोग में परिवर्तन की कार्रवाई अधिनियम की धारा 11 (ए) के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है;

viii) पहले से मौजूद संस्थान जिन्हें नियमितीकरण के लिए मंजूरी दी गई है या उन पर विचार किया जा रहा है या अभी भी सरकार द्वारा जांच की जा रही है;

ix) अनुमोदित और अधिसूचित बुनियादी ढांचे के मार्गाधिकार के भीतर आने वाली भूमि जैसे कि मौजूदा / प्रस्तावित महायोजना सड़कें, मुख्य ट्रंक जल आपूर्ति और सीवेज लाइनें, एचटी लाइनें, परिवहन और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे;

x) प्राकृतिक नालों, प्राकृतिक जलाशयों, धरोहर स्थलों, बाढ़ और सिंचाई विभाग, रेलवे और हवाई अड्डे के अंतर्गत भूमि;

xi) अधिसूचित वन भूमि या क्षेत्रीय पार्क क्षेत्र में आने वाले फार्महाउस (क्षेत्रीय पार्क में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए 07.02.2007 तक स्वीकृत फार्महाउस को छोड़कर, इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन)।

उपर्युक्त खण्ड (i) और (ii) के अंतर्गत सूचीबद्ध भूमि के भूस्वामी भूमि से सभी बाधाओं को हटाने के बाद ही इस नीति के अंतर्गत भाग ले सकते हैं।

18.3 मार्गदर्शक सिद्धांत

18.3.1 ये सिद्धान्त हरित विकास के लिए प्रस्तावित उपयोगों/ कार्यकलाप/मिश्रित गतिविधियों के लिए अनुमेय उपयोग, कार्यकलाप/ मिश्रित गतिविधियों और एफएआर को परिभाषित करने वाले एक व्यापक ढांचे का प्रावधान करते हैं। इन उपयोगों/कार्यकलाप के मिश्रित रूप की अनुमति होगी।

18.3.2 भू-स्वामियों को भूमि का आर्थिक मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्यावरणीय रूप से सतत विकास का विकल्प देते हैं।

18.3.3 जीडीए के भीतर और आसपास के क्षेत्रों के वास्तविक और प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का प्रावधान करते हैं।

18.3.4 जीडीए के भीतर अनुमत गतिविधियाँ, निर्धारित एफएआर और अनिवार्य वनीय क्षेत्र के अनुसार होंगी।

18.3.5 जीडीए में हरित विकास के तीन ग्रेड की अनुमति खंड 18.4.1 के अनुसार दी जाएगी।

18.3.6 जीडीए के भीतर भूमि का विकास वैयक्तिक प्लॉटों पर या विभिन्न भूमि मालिकों द्वारा पूल किए गए बड़े योजना क्षेत्रों पर निजी पहल के माध्यम से होगा।

18.3.7 ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर को निम्नानुसार विकसित किया जाएगा:

i) दि.वि.प्रा./सेवा प्रदाता एजेंसियां (एसपीए) भूस्वामियों द्वारा बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी) अदा किए जाने के बाद बुनियादी ढाँचा विकसित कर सकती हैं।

ii) निजी संस्था दि.वि.प्रा./सेवा प्रदाता एजेंसियों (एसपीए) द्वारा अनुमोदित योजना के आधार पर बुनियादी ढांचे का विकास कर सकती है।

18.4 अनुप्रयोज्य मानदंड

18.4.1 विकास के निम्नलिखित ग्रेड को अनुमति दी जाएगी:

तालिका 18.0: जीडीए में अनुमत विकास की श्रेणियां

	श्रेणी - 1	श्रेणी – 2	श्रेणी - 3
क. अनुमेयता			
1. न्यूनतम भूमि क्षेत्र	न्यूनतम 600 वर्ग मी.	4000 वर्ग मी.	10,000 वर्ग मी. (1 हेक्टेयर)
2. न्यूनतम पहुंच मार्ग	6 मी. मार्गाधिकार	प्लॉट तक पहुँच 12 मीटर मार्गाधिकार से होनी चाहिए जो प्लॉट की परिधि के कम से कम 15% के समतुल्य एक	प्लॉट तक पहुँच कम से कम 30 मीटर मार्गाधिकार से होनी चाहिए जो प्लॉट की परिधि के कम से कम 15%

		निरंतर लंबाई की हो;	के समतुल्य एक निरंतर लंबाई की हो;
3. हरित रेटिंग*	आवश्यक नहीं	समस्त योजना जीआरआईएचए 3 या समतुल्य की न्यूनतम हरित रेटिंग का अनुपालन करे	समस्त योजना जीआरआईएचए 3 या समकक्ष की न्यूनतम हरित रेटिंग का अनुपालन करे
4. अनुमत गतिविधियाँ	• कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, वानिकी • स्मृति वन, कब्रिस्तान, सिमेट्री, और श्मशान • कंपोस्टिंग सुविधा • प्राकृतिक अपशिष्ट जल शोधन सुविधा • सौर क्षेत्र और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापनाएं	• फार्महाउस • खुले बाजार / मंडी (जैसे किसानों का बाजार, हस्तकला या प्रयुक्त माल बाजार) • जूलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर • खेल सुविधाएँ • प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण सुविधाएँ • स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सा सुविधाओं सहित) • रिजॉर्ट्स, मोटल और क्लब • भंडारण सुविधाएँ, शोरूम और मरम्मत कार्यशालाओं / सेवा केंद्रों की 18 मीटर मार्गाधिकार और उससे ऊपर को अनुमति दी जाएगी। • ग्रीन हाउस • ग्रेड 1 के अंतर्गत यथा-निर्धारित एफएआर के साथ सभी ग्रेड 1 उपयोगों को अनुमति • पशुपालन • सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएँ	• उच्च शिक्षा परिसर (व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित) • साइबर और ज्ञान उद्योग, अनुसंधान और विकास जैसे गैर-प्रदूषणकारी कार्य केंद्र, • एग्रो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज • ग्रीन हाउस • कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र • कॉन्सर्ट स्पेस, स्टेडियम**, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, संग्रहालय, आर्ट गैलरी • मनोरंजन पार्क (वाटर पार्क को छोड़कर जिसे जीडीए के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी)। • ग्रेड 1 के अंतर्गत यथा-निर्धारित एफएआर के साथ सभी ग्रेड 1 और 2 उपयोगों को अनुमति।

ख. विकास नियंत्रण मानदंड

1. अनुमेय एफएआर	एफएआर: 5 (किसी भी आकार की भूमि पर निर्मित क्षेत्र के न्यूनतम 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 200 वर्ग मीटर पर)	एफएआर: 20 (अतिरिक्त खरीद योग्य 10 एफएआर के साथ)	एफएआर: 60 (अतिरिक्त खरीद योग्य 20 एफएआर के साथ)
2. अधिकतम भूमि कवरेज	5%	10%	20%
3. अनिवार्य वनीय क्षेत्र	आवश्यक नहीं	प्लॉट क्षेत्र का 15%	प्लॉट क्षेत्र का 45%
4. सेटबैक***	सभी साइडों पर 3 मीटर सेटबैक	10 मीटर अग्र सेटबैक और शेष पार्श्वों पर 5 मीटर सेटबैक। इसमें खंड 18.5.1(iv) के अनुसार छूट दी जा सकती है।	सभी साइडों पर 10 मीटर सेटबैक
5. बेसमेंट	अनुमति नहीं	अनुमेय एफएआर के भीतर केवल निर्मित संरचनाओं के तहत अनुमति दी गई है	अनुमत एफएआर के भीतर केवल निर्मित संरचनाओं के तहत अनुमति दी गई है
6. पार्किंग प्रावधान****	• सतह पार्किंग के लिए प्लॉट क्षेत्र का 5% हिस्सा रखा जाना है (कच्चा रखा जाना है)	• सतह पार्किंग के लिए प्लॉट क्षेत्र का 10% हिस्सा रखा जाना है (कच्चा रखा जाना है)	• सतह पार्किंग के लिए प्लॉट क्षेत्र का 10% हिस्सा रखा जाना है (कच्चा रखा जाना है)
7. पक्की सतह	• तल कवरेज का उपयोग करने के बाद पक्की सतह प्लॉट क्षेत्र की 5% से अधिक नहीं होगी। • 50% क्षेत्र में उपयोग करने के लिए जल शोषक फ़र्श सामग्री।		

* ग्रेड 2 और 3 के विकास में भी दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य हरित मानदंडों का पालन किया जाएगा।

**स्टेडियमों को अधिकतम एफएआर 40 की अनुमति होगी।

***राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ पड़ने वाले सभी निर्माण ढांचे एनएचएआई मानदंडों का पालन करेंगे।

**** आयोजनों/सभाओं के लिए प्रस्तावित प्लॉटों के मामले को छोड़कर, जिसमें स्थानीय निकाय की नीति के अनुसार न्यूनतम पार्किंग आवश्यकताएं होंगी।

18.4.2 अनुकूल मिश्रित कार्यकलाप को अनुमति दी गई है बशर्ते खंड 18.4.1 के अनुसार अनुमेय एफएआर और पहुँच की शर्तें पूरी की जाएं।

18.4.3 सभी विकास निर्धारित हरित रेटिंग का अनुपालन करेंगे और इन मानदंडों के किसी भी उल्लंघन को दंडित किया जाएगा। जीडीए की सभी योजनाओं को अनिवार्य जीबीएफ (जीबीएफ) 0.4 हासिल करना होगा। निर्धारित जीबीएफ से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

18.4.4 सभी ग्रेडों के तहत ग्रीनहाउस, सौर क्षेत्र और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापना क्षेत्रों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इन संस्थापना क्षेत्रों के अंतर्गत कुल क्षेत्र प्लॉट के 30% से अधिक नहीं हो (यथाप्रयोज्य अनिवार्य वनीय क्षेत्र को छोड़कर)।

18.4.5 अनुमेय एफएआर के अधिकतम 20% का उपयोग छोटी दुकानों, रेस्तरां या कार्यालय जैसी सहायक सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। (संदर्भ: डीसीएन)

18.4.6 सभी योजनाओं को पारिस्थितिक रूप से आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में निम्नानुसार डिजाइन किया जाएगा:

i) अपशिष्ट जल का 100% विकेंद्रीकृत शोधन और अधिकतम पुनः उपयोग।

ii) सभी हरित अपशिष्ट और जानवरों के अपशिष्ट का स्थल पर 100% प्रसंस्करण।

iii) स्थल पर (ऑन-साइट) ऊर्जा आवश्यकताओं के 30% हिस्से को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जाना।

iv) भू-दृश्य और शहरी डिजाइन के भाग के रूप में अनिवार्य वर्षा जल संचयन, कच्चे प्राकृतिक (अनलाइंड) भंडारण तालाबों और जलाशयों के द्वारा अधिकतम वर्षा-जल को स्थल पर ही रोकना।

v) खाद बनाने और पुनः चक्रण की इन सुविधाओं को साझा सुविधाओं के रूप में विकसित किया जा सकता है।

18.4.7 निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी:

i) किसी भी प्रविष्टि या प्रवेश शुल्क, किराए की उगाही करना;

ii) कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए किराये/पट्टे के मॉडल के लिए विकल्प का विकल्प;

iii) फार्महाउस या थीम फार्मिंग क्लस्टर आदि के रूप में भूमि को उप-विभाजित करना और प्लॉट की बिक्री करना/पट्टे पर देना;

iv) कृषि, वानिकी या भूमि से प्राप्त अन्य उपज का व्यावसायिक रूप से उपयोग करना।

18.4.8 विकास के ग्रेड में परिवर्तन की अनुमति है, बशर्ते खंड 18.4.1 के अनुसार सभी शर्तें पूरी हों। अनिवार्य वनीय क्षेत्र को ग्रेड परिवर्तन के अनुसार बढ़ाया जाएगा। हालांकि, किसी भी स्थिति में एक निश्चित ग्रेड के तहत अनुमोदित होने के बाद यह क्षेत्र कम नहीं किया जाएगा।

18.4.9 दि.वि.प्रा. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे निचले इलाकों, भूजल पुनर्भरण के लिए संभावित स्थल, उच्च वृक्ष घनत्व के मौजूदा क्षेत्र आदि) की पहचान करेगा, जहां केवल ग्रेड 1 के विकास की अनुमति होगी।

i) ऐसे भू-स्वामियों को टीडीआर के रूप में मुआवजा दिया जाएगा जिसका उपयोग चिन्हित प्राप्ति-क्षेत्रों के भीतर किया जा सकता है।

ii) यदि प्लॉट का एक हिस्सा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका उपयोग अनिवार्य वनीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। शेष

प्लॉट का उपयोग खंड 18.4.1 के अनुसार किसी भी ग्रेड की गतिविधि के लिए किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, प्रतिपूरक टीडीआर केवल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए दिया जाएगा।

iii) सार्वजनिक सभा, आयोजनों और समारोहों के मानदंड संबंधित स्थानीय निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

18.5 फार्महाउस के लिए विशेष शर्तें

18.5.1 फार्महाउस के विकास के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होंगी:

i) नए फार्महाउस को एकल (स्टैंडअलोन) प्लॉट या फार्महाउस क्लस्टर के रूप में अनुमति दी जाएगी। न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार पर स्टैंडअलोन प्लॉटों की अनुमति दी जाएगी। फार्महाउस क्लस्टर में, आंतरिक सड़कें 9 मीटर मार्गाधिकार की होंगी, क्लस्टर तक पहुंच 12 मीटर मार्गाधिकार से होनी चाहिए।

ii) 9 मीटर की न्यूनतम पहुंच वाली निजी भूमि पर निर्मित मौजूदा फार्महाउस को (इस नीति की अधिसूचना की तारीख तक) ग्रेड 2 के अंतर्गत नियमित किया जाएगा।

iii) जहां मार्गाधिकार 9 मीटर से कम है, वहां सड़क के आसपास सभी भूस्वामी पहुंच संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए भूमि प्रदान करेंगे, हालांकि मूल प्लाट के अनुसार अनुमेय एफएआर लागू होगा। यदि यह संभव नहीं है, तो आपातकालीन वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निर्माण उप-विधि (यूबीबीएल)/आईआरसी में दिए गए उपयुक्त न्यूनतम सड़क ज्यामिति के साथ न्यूनतम 6 मीटर मार्गाधिकार प्रदान किया जाएगा।

iv) मौजूदा फार्महाउस जो ग्रेड 2 के विकास के लिए सेटबैक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, वे अग्रभाग पर और कम से कम 5 मीटर के किसी एक पार्श्व पर सेटबैक प्रदान करेंगे।

18.5.2 सभी फार्महाउस पर विकास के लिए अन्य प्रयोज्य मानक:

i) फार्महाउस प्लॉट (चाहे स्टैंडअलोन या क्लस्टर का हिस्सा हो) के लिए निर्मित अधिकतम क्षेत्र, 3000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा, चाहे प्लॉट का आकार कुछ भी हो।

ii) निर्मित संरचनाओं की ऊंचाई 12 मीटर से अधिक नहीं होगी।

iii) मौजूदा फार्महाउसों में ऐसे बेसमेंट जो अनुमत एफएआर से अधिक हैं, को अनुमत अधिकतम ग्राउंड कवरेज के अपेक्षित नियमितीकरण शुल्क के भुगतान करने पर नियमित किया जाएगा।

iv) अनुमेय एफएआर के अलावा, सामुदायिक सेवा कर्मियों के लिए प्रति 4000 वर्गमीटर भूमि क्षेत्र पर प्रत्येक 30 वर्ग मीटर की 2 आवास इकाइयों (प्रति फार्महाउस प्लॉट पर ऐसी अधिकतम 5 आवास इकाइयां) की अनुमति दी जाएगी।

v) यूबीबीएल के अनुसार चारदीवारी अथवा प्रवेश द्वार के निकट अधिकतम 20 वर्ग मीटर की निगरानी गार्ड इकाई की अनुमति होगी जो एफएआर और सेटबैक मानदंडों से मुक्त होगी ।

vi) न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार की स्वतंत्र पहुंच के साथ 4000 वर्गमीटर से कम के प्लॉटों का उप-विभाजन नहीं किया जाएगा।

18.6 जीडीए में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की व्यवस्था

18.6.1 दि.वि.प्रा., सेवा प्रदाता एजेंसियों (SPA) के साथ समन्वय करके जीआईएस आधारित एकीकृत जीडीए योजना (आईजीपी) तैयार करेगा। आईजीपी निम्नलिखित निर्देशों वाली एक स्ट्रक्चर योजना होगी (जिसमें कोई पूर्व-निर्धारित भूमि उपयोग नहीं है):

i) छोड़े गए क्षेत्र (जैसा कि इस नीति के विनियमों में दिया गया है);

ii) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र;

iii) मुख्य पहुंच सड़कें जो जीडीए तक कनेक्टिविटी मुहैया करेंगी। इसमें सभी महायोजना, क्षेत्रीय योजना सड़कें और कोई भी स्थानीय या राजस्व सड़कें शामिल होंगी।

18.6.2 हरित विकास क्षेत्र से गुजरने वाली महायोजना और क्षेत्रीय योजना सड़कों के संरेखण का पालन किया जाएगा।

18.6.3 जीडीए से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा क्षेत्रीय सड़कों का विकास किया जाएगा। ऐसी सड़कों के लिए भूमि की आवश्यकता को पूलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाएगा जैसा कि जीडीए विनियमों में विस्तृत रूप से बताया गया है और इसके लिए टीडीआर जैसे उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं।

18.6.4 भूस्वामी स्थानीय जरूरतों के अनुसार सामाजिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं जैसे पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, सब-स्टेशन, टेलीकॉम टॉवर आदि के लिए भूमि प्रदान करेंगे। विशेष सुविधा के लिए निर्दिष्ट मानदंडों, जिनमें सड़क तक पहुँच की शर्तें, सेटबैक आदि शामिल हैं, का पालन करने की आवश्यकता है। ऐसी सभी सुविधाओं को महायोजना में दी गई अनुमति के अनुसार और अधिसूचित जीडीए विनियमों के अनुसार जीडीए में स्थित किसी भी भूमि पर विकसित किया जा सकता है।

18.6.5 पानी, विद्युत और दूरसंचार के लिए ट्रंक अवसंरचना का निर्माण इस नीति के विनियमों के अनुसार होगा।

--- x --- x ---- x --- x ---

अध्याय कोड
DEV3

19.0 शहरी पुनरूद्धार

19.1.1 दिल्ली में वर्ष 1940 से 1970 के बीच बड़ी संख्या में क्षेत्रों का विकास हुआ, जिसके परि ी निर्मित संरचनाओं का एक स्टॉक बना हुआ है। इनमें से कई क्षेत्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिन्हें पुनरूद्धार की आवश्यकता है और इनका इष्टतम उपयोग किया जा सकता है। इन क्षेत्रों की अलग-अलग विशेषताएं, आवश्यकताएं, क्षमताएं और बाधाएं हैं, जो पूरे शहर भर में पुनरूद्धार के लिए एक सूक्ष्म व सटीक रणनीति की जरूरत पर बल देती हैं।

19.1.2 इस कार्यनीति का उद्देश्य पुराने और असुरक्षित इमारतों के स्टॉक को नवीनीकृत करने और इन क्षेत्रों में रहने और काम करने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजन और डिजाइन उपकरण के रूप में पुनरूद्धार का उपयोग करना है। यह उनकी अंतर्निहित क्षमता को प्रकट करते हुए, भौतिक और सामाजिक

बुनियादी ढांचे के प्रावधान के साथ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पुनरुद्धार, सार्वजनिक क्षेत्र का संवर्धन तथा चुनिंदा क्षेत्रों में कार्यनीतिक विकास की सुविधा भी प्रदान करेगा।

19.2 मार्गदर्शक सिद्धांत

19.2.1 नियोजित आवासीय परिवेश और आर्थिक केंद्रों से लेकर घने अनियोजित क्षेत्रों तक विभिन्न संदर्भों पर ध्यान देने के लिए **सूक्ष्म संरचना**।

19.2.2 किसी क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए साधनों के मिश्रण का उपयोग करने के विकल्प के साथ **लचीली संरचना** अर्थात् रेट्रोफिटिंग, पुनर्निर्माण अथवा पूर्ण/आंशिक पुनर्विकास, बशर्ते कि संरचनात्मक सुरक्षा, सतत सेवाएं, और चलने की बेहतर सुविधा की आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो। मौजूदा अच्छी गुणवत्ता के निर्मित स्टॉक का पुनःउपयोग निर्माण के लिए एक स्थायी सर्कुलर इकोनोमी दृष्टिकोण है।

19.2.3 **पुनरूद्धार हेतु एकीकृत सरंचना** जो एकीकृत योजना को प्राप्त करने के लिए, अच्छी तरह से आनुपातिक खुले स्थानों का निर्माण करने, सड़क नेटवर्क में सुधार करने, पैदल चलने योग्य और सतत स्थल डिज़ाइन के लिए प्लॉटों के समामेलन और पुनर्गठन की अनुमति देता है।

19.2.4 **सार्वजनिक परिणामों से जुड़ी प्रोत्साहनात्मक संरचना** जो इस शर्त पर उच्च एफएआर या छूटप्रद मानदंड/शुल्क जैसे प्रोत्साहन प्रदान करता है कि परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करेगी, उदाहरण के लिए नए सार्वजनिक स्थान और पार्क का निर्माण, सतत विकास आदि।

19.2.5 शहर के उच्च संभावित क्षेत्रों के मूल्य को उजागर करने और उच्चतर एफ.ए.आर., घनत्व और पब्लिक ट्रांजिट नोड्स तथा नेटवर्क के समीप केंद्रित मिश्रित उपयोगों के साथ दीर्घकालिक (25-30 वर्ष) अवधि में बेहतर शहरी रूप को प्राप्त करने हेतु और **कार्यनीतिक** केंद्रों के विकास की सुविधा प्रदान करना।

19.3 अनुप्रयोज्यता

19.3.1 यह **नीति** निम्नलिखित को छोड़कर सभी मौजूदा विकसित क्षेत्रों पर लागू होगीः

i) प्राकृतिक हरित क्षेत्र और जलाशय, नाले और बफर तथा पर्यावरणीय संरक्षण के लिए पहचाने गए किसी भी अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।
ii) जोन 'ओ'
iii) हरित विकास क्षेत्र
iv) लैंड पूलिंग क्षेत्र
v) टीओडी नोड्स
vi) स्मारक निषिद्ध क्षेत्र एवं अधिसूचित विरासत स्थल/प्लॉट
vii) सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र (उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दि.वि.प्रा. के लेआउट प्लान के अनुसार)
viii) लुटियन्स बंगलो जोन (एनडीएमसी, एलएंडडीओ की लेआउट योजनाओं के अनुसार)
ix) दूतावास / डिप्लोमैटिक एन्क्लेव / विदेशी मिशन

19.3.2 योजना की अधिसूचना के 6 महीने के भीतर पुनरूद्धार के लिए **विनियम** तैयार और अधिसूचित किए जाएंगे।

19.4 प्लॉट स्तर पर पुनर्निर्माण

19.4.1 दिल्ली में, विरासत भवनों और अवैध संरचनाओं को छोड़कर सभी इमारतों को लागू विकास नियंत्रण मानदंडों के अनुसार एकल प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति है। रीजेनरेशन एफएआर भूखंड स्तर पर अनुमत नहीं होगा पुनर्निर्माण केवल उन भूखंडों के लिए उपलब्ध होगा जो इस नीति की शर्तों को पूरा करते हैं (खंड 19.5 के अनुसार रीजेनरेशन योजना की तैयारी सहित)।

19.4.2 निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार प्लॉट स्तर पर केवल निम्नलिखित टाइपोलॉजी को पुनर्निर्माण अथवा परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी:

19.4.2.1 **प्लॉटिड आवासीय विकास** को दि.मु.यो. के अनुसार प्लॉटिड आवास हेतु प्रचलित एफएआर का उपयोग करके एकल प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

i) छोटे आकार के प्लॉटों को केवल 64 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में समामेलित किया जा सकता है।

19.4.2.2 **मिश्रित उपयोग स्ट्रीट/व्यावसायिक स्ट्रीट:** आवासीय विकास के मानदंडों के अनुसार प्लॉट-स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति होगी।

i) सड़क के साथ प्लॉटों की एक पंक्ति के रैखिक समामेलन की अनुमति होगी, बशर्ते कि एकल प्लॉट 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हों। मार्ग के साथ लगातार क्रमबद्ध सक्रिय फ्रंटैज को बनाए रखा जाएगा। इस तरह की योजनाएं प्लॉट के भीतर पार्किंग आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी।

ii) अनुमत एफएआर में से 10% अतिरिक्त एफएआर स्टैक पार्किंग के लिए प्रदान किया जाएगा।

19.4.2.3 **गैर-पदानुक्रमिक व्यावसायिक केंद्र/नामित सीसी/नामित एलएससी/नामित सीएससी/दुकान-एवं-निवास भूखंडः** को अनुमेय प्लॉटिड आवासीय एफएआर के अनुसार प्लॉट-स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

i) अनुमेय ग्राउंड कवरेज मौजूदा संरचना के फुटप्रिंट, सर्कुलेशन स्पेस और खुले स्थल के अनुसार होगा।

ii) साझा दीवारों वाली दुकानों में, संपत्ति के मालिक परस्पर सहमत हो सकते हैं और ब्लॉक अथवा सड़क स्तर पर पुनर्निर्माण कर सकते हैं।

iii) अधिकतम दो परस्पर जुड़े प्लॉटों / संपत्तियों को समामेलित किया जा सकता है।

19.4.2.4 **शाहजहांनाबाद में गैर-विरासत भवनों वाले प्लॉटों** को प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी:

i) परंपरागत समरूपता और गलियों के विन्यास को संरक्षित किया जाएगा। पुनर्संरचना के बगैर मौजूदा प्रचलन पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए।

ii) आवासीय प्लॉट आवास के लिए मानदंडों के अनुसार प्लॉट एफएआर के लिए पात्र होंगे और अधिकतम अनुमेय ऊंचाई 12 मी. होगी। प्लॉट जो अनुमेय एफएआर का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे टीडीआर के लिए पात्र होंगे।

iii) प्लॉट स्तर पर मौजूदा बेसमेंट भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसी भी भवन में किसी नए बेसमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iv) अनुमेय ग्राउंड कवरेज मौजूदा कवरेज के समान होगा।

v) बिल्ट-टू-एज फ्रंटेज को पहुंच सड़कों के साथ बनाए रखा जाएगा और चारदीवारी शहर विरासत (वाल्ड सिटी हेरिटेज) जोन में किसी स्टिल्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vi) अनिवार्य ईसीएस मानदंड चारदीवारी शहर विरासत क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, और केवल निवासियों को अल्पतम पार्किंग की अनुमति दी जाएगी।

vii) गैर-विरासत संरचनाओं वाले अधिकतम 2 प्लॉटों को ही समामेलन की अनुमति होगी।

viii) भूतल पर स्थानीय स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी। पूरे भवन में खुदरा, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग और लॉजिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं, मरम्मत की दुकानें, रेस्तरां आदि की अनुमति दी जाएगी, यदि न्यूनतम 6 मीटर सड़क से पहुँच उपलब्ध है।

ix) सामाजिक सुविधाओं हेतु मानदंड खंड 19.10.4.2 के अनुसार होंगे।

x) ऐसे किसी भी बाहर की तरफ उभार/छज्जे/बाल्कनी को अनुमति नहीं दी जाएगी जो 6मी चौड़ाई से कम की सड़क की तरफ खुलते हों।

19.4.2.5 विशिष्ट भवन और शहरी डिजाइन नियंत्रणों के साथ एकीकृत रीजेनरेशन योजनाएं करोल बाग में विशेष क्षेत्रों, चारदीवारी शहर के बाहर के क्षेत्र और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पहचाने गए किसी भी अन्य क्षेत्रों के लिए मामला दर मामला आधार पर विकसित की जाएंगी।

19.4.2.6 जेजे पुनर्स्थापन कॉलोनियाँ :

i) प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण हेतु अधिकतम 64 वर्ग मीटर तक की अनुमति प्लॉट के समामेलन के साथ दी जाएगी।

ii) झुग्गी पुनर्स्थापन के मानदंडों के अनुसार एक जे.जे. पुनर्स्थापन कॉलोनी के तहत पूरे क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार योजना की अनुमति दी जाएगी।

19.5 पुनरूद्धार योजनाएं

19.5.1 व्यापक नियोजन के लिए बड़े क्षेत्र को कवर करने वाली पुनरूद्धार योजनाएं (आरपी) तैयार की जाएंगी। इसके उपरान्त, एकल या एकाधिक प्लॉटों के लिए अलग-अलग पुनरूद्धार योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जाएंगी।

19.5.2 पुनरूद्धार योजनाएं, पहुंच और सर्कुलेशन प्रदान करने के लिए, लगभग 500 मी. सी/सी की दर से 18-24 मी. सड़कों के सार्वजनिक रोड ग्रिड/नेटवर्क का निर्धारण करेंगी। पुनरूद्धार योजनाओं में अतिरिक्त ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

19.5.3 पुनरूद्धार योजनाओं को दि.वि.प्रा. अथवा किसी विकासकर्त्ता संस्था (डीई) द्वारा तैयार किया जा सकता है जो पुनरूद्धार योजनाओं को हाथ में लेने के लिए इच्छुक हो। डीई द्वारा इस प्रकार तैयार पुनरूद्धार योजनाओं को दि.वि.प्रा. अथवा स्थानीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता है। डीई किसी विशेष क्षेत्र जहां एक से अधिक पुनरूद्धार योजनाओं की पहचान की गई है, के लिए पुनरूद्धार योजनाएं तैयार करने हेतु दि.वि.प्रा. से भी संपर्क कर सकते हैं।

19.5.4 पुनरूद्धार योजनाओं को न्यूनतम 4 हेक्टेयर के क्षेत्र के लिए अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया जा सकता है जिसकी सुस्पष्ट चारदीवारी हो।

19.5.4.1 किसी मौजूदा स्वीकृत लेआउट योजना की पुनरूद्धार योजना अथवा किसी पॉकेट/ब्लॉक/अन्य सब-डिवीजन जिसमें सुस्पष्ट सीमाएं हैं, पर विचार किया जाएगा। एक लम्बे छोर के साथ न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार से सीधी पहुंच इसके लिए अनिवार्य है। उदाहरण के लिए एक ग्रूप हाउसिंग कॉलोनी में कोई पॉकेट या सेक्टर अथवा किसी औद्योगिक लेआउट का एक सब-डिवीजन।

19.5.4.2 एलएससी, सीसी, डीसी और एकीकृत कार्यालय परिसर के लिए पुनरूद्धार योजनाओं को पूरे अनुमोदित लेआउट के लिए तैयार किया जाएगा।

19.5.5 पुनरूद्धार योजनाओं के अनुमोदन पर, आरपी के भीतर छोटे क्षेत्र निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, एकल पुनरूद्धार योजनाओं हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं:

19.5.5.1 न्यूनतम निर्धारित पहुंच शर्तों को पूरा किया जाता है।

19.5.5.2 पुनरूद्धार योजनाओं को खाली भूमि पर अनुमति नहीं दी जाएगी। योजना क्षेत्र पर कम से कम 50% संचयी एफएआर (निर्माण के समय अनुमेय) पुनरूद्धार हेतु योजना प्रस्तुत करते समय निर्मित किया जाना चाहिए। यह शर्त कार्यनीतिक क्षेत्रों अर्थात टीओडी स्कीमों, व्यवसाय संवर्धन जिलों अथवा योजना द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कार्यनीतिक क्षेत्र पर लागू नहीं होगी।

19.5.6 सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं को अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाओं के अनुसार सभी पुनरूद्धार योजनाओं में प्रदान किया जाएगा।

19.6 नियोजित लेआउट में पुनरूद्धार योजनाओं हेतु मानदंड

19.6.1 पुनरूद्धार योजनाओं में न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार सड़क से पहुँच होगी। उसी सकल भूमि उपयोग वाले प्लॉटों के लिए ही समामेलन की अनुमति होगी। पूरी योजना क्षेत्र के लिए प्लॉटों का पुनर्गठन किया जा सकता है।

19.6.1.1 खंड 19.2.2 के अनुसार सभी योजनाओं को पुनरूद्धार हेतु कार्यनीतियों के मिश्रण का उपयोग करने की अनुमति होगी।

19.6.1.2 सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे सड़कें, खुली जगह, नाले आदि को एकीकृत योजना के लिए शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि सार्वजनिक सड़कें 18 मी. मार्गाधिकार से कम हों, और 5 मी. से कम चौड़ाई वाले सार्वजनिक नाले हों, और सार्वजनिक पार्क 'टॉट-लॉट्स' से बड़े आकार के नहीं हों और इससे आसपास के प्लॉटों तक पहुंच में कोई बाधा नहीं हो। ऐसे क्षेत्रों पर अनुमेय एफएआर और ग्राउंड कवरेज की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

19.6.1.3 प्लॉटों के पुनर्गठन की अनुमति होगी। मौजूदा सड़कों और खुले स्थानों के पुनःसंयोजन की अनुमति होगी, बशर्ते किः

i) पुनःसंयोजित किए गए लेआउट, सड़कों और खुले स्थानों के तहत समान या अधिक क्षेत्र प्रदान करते हों। जिन क्षेत्रों में सड़कों का ठीक-ठाक नेटवर्क पहले से मौजूद है, उसे यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए।

ii) सार्वजनिक पार्कों और सड़कों के पुनर्गठन के लिए संबंधित सार्वजनिक एजेंसियों से विधिवत अनुमोदन लेना होगा। पुनर्गठित सार्वजनिक क्षेत्रों को संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को सौंप

दिया जाएगा, और यह जनता के लिए खुला रहेगा। इससे मौजूदा पेड़ों का शून्य अथवा न्यूनतम क्षति होगी।

19.6.1.4 पुनरूद्धार योजनाओं को मौजूदा आवश्यकता से अधिक और अतिरिक्त जल आपूर्ति नहीं मिलेगी, सिवाय रिक्त भूमि वाली योजनाओं को छोड़कर, जिनके लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति मामला-दर-मामला आधार पर की जा सकती है। पानी की अतिरिक्त आवश्यकता को पानी के पुनर्चक्रण और वर्षा जल के संचयन/एकत्रीकरण द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

19.6.2 किसी पुनरूद्धार योजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र 3000 वर्गमीटर होगा। इसमें सहकारी समूह आवासीय समितियों के लिए 2000 वर्ग मीटर और औद्योगिक प्लॉटों के लिए 1000 वर्गमीटर की छूट दी जाएगी।

19.6.3 निम्नलिखित खंडों में विभाजित पुनरूद्धार एफएआर, पुनरूद्धार योजनाओं पर लागू होगा।

क्र.सं.	**प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर की गणना हेतु कारक**	**विकास का मापन (कम से कम 3000 वर्ग मी. लेकिन 1 हेक्टेयर से कम)***	**विकास का मापन (कम से कम 1 हेक्टेयर लेकिन 4 हेक्टेयर से कम)**	**विकास का मापन (4 हेक्टेयर तथा उससे ऊपर)**
1	**सामान्य पुनरूद्धार कारक** (सभी पुनरूद्धार योजनाओं हेतु उपलब्ध)	1.1X**	1.15X	1.2X
2	**सतत शहरी सेवाएं (एसयूएस) कारक** (नीचे दिए गए 2ए और 2बी आवश्यकताओं को लागू करने हेतु उपलब्ध अतिरिक्त एफएआर)			
2A	ग्रीन रेटिंग***	0.15X (यदि प्लैटिनम/5 ग्रीन रेटिंग प्राप्त है)		
2B	20% सार्वजनिक खुले हरित क्षेत्र	लागू नहीं	0.05X	
3	**आयु कारक** (अतिरिक्त एफएआर केवल उन्ही योजनाओं के लिए उपलब्ध जिनमें 50% इमारतें 40 वर्ष से अधिक पुरानी हैं)	0.1X		
अधिकतम प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर		**1.35X**	**1.45X**	**1.5X**

* औद्योगिक और सहकारी समूह आवास प्लॉटों के लिए न्यूनतम योजना क्षेत्र खंड 19.6.2 के अनुसार होगा।

**X पुनरूद्धार योजना में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक प्लॉट हेतु वर्तमान अनुमेय एफएआर को दर्शाता है।

***समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी ग्रीन रेटिंग प्रणाली।

19.6.4 पुनरूद्धार योजनाओं में निम्नलिखित लागू होंगेः

19.6.4.1 योजना के भीतर विभिन्न परिसरों को डीसीएन के अनुसार अतिरिक्त उपयोग की अनुमति होगी।

19.6.4.2 = योजना के मानदंडों के अनुसार पुनरूद्धार योजना के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले ईडब्ल्यूएस आवास प्रदान किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस एफएआर, आवासीय एफएआर के अतिरिक्त होगा, जिसकी योजना

में अधिकतम अनुमेय आवासीय एफएआर के 15% के रूप में गणना की जाएगी। ईडब्ल्यूएस आवास की आवश्यकता को योजना के भीतर एक पृथक व अच्छी तरह से डिजाइन क्षेत्र के रूप में पूरा किया जाएगा, जिसमें निम्न/मध्य-वृद्धि, उच्च घनत्व निर्मित स्वरूप, सार्वजनिक हरित स्थल के उपयोग और सामाजिक सुविधाएं शामिल होंगी।

19.6.4.3 3000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र की योजनाओं के लिए, किसी वैकल्पिक स्थल पर निर्धारित ईडब्ल्यूएस आवास के सामूहिक प्रावधान का विकल्प भी खोजा जा सकता है।

19.6.4.4 योजना क्षेत्र का 10% स्थान अनिवार्य रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए एक समेकित हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसे स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को सौंप दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र वाली योजनाओं में, इस आवश्यकता को एक से अधिक भूखंड प्रदान करते हुए पूरा किया जा सकता है, जो कि समुदाय के लिए सार्वजनिक स्थल के रूप में उपयोग करने योग्य हो और जिसमें कम से कम एक भूखंड 1,000 वर्गमीटर का हो।

19.6.4.5 सभी पुनरूद्धार योजनाएं 0.2 का जीबीएफ कारक प्राप्त करेंगी। (देखें: डीसीएन)

19.6.4.6 नालों अथवा जलाशयों के साथ स्थित सभी योजनाएं, ईएनवी2 के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य बफर्स और भवन अभिविन्यास बनाए रखेंगी।

19.6.4.7 1 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले प्लॉटों की सभी योजनाएं, एचसीपी1 के अनुसार सार्वजनिक प्लाजा प्रदान करेंगी। प्रमुख सड़कों पर कॉर्नर प्लॉट, अनिवार्य रूप से कॉर्नर प्लाजा की सुविधा प्रदान करेंगे।

19.6.4.8 18 मीटर और उससे अधिक मार्गाधिकार वाली सभी सड़कों पर सक्रिय फ्रंटेज रखा जाएगा।

i) 70% भवनों के किनारों पर 3 मीटर का एक सेटबैक बिल्ट-टू-एज विकास के रूप में बनाए रखा जाएगा। इस तरह के बिल्ट-टू-एज फ्रंटेज का कम से कम 50% आर्केड्स, कोलोनेड्स, शॉप-फ्रन्ट्स, पैदल यात्री प्रवेश, प्लाजा आदि का उपयोग करते हुए ग्राउंड/पोडियम फ्लोर पर सक्रिय रखा जाएगा। आवासीय योजनाएँ कम से कम 20% सक्रिय फ्रंटेज बनाए रखेंगी।

ii) भवनों को 10 मी. अथवा दो मंजिलों की उंचाई तक रखा जाएगा।

19.6.5 आवासीय योजनाओं के मामले में:

19.6.5.1 योजना में स्थानीय स्तर की सुविधाओं (सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को छोड़कर) को संबंधित एजेंसियों के अनुमोदन के साथ शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, योजना में इसी प्रकार की समकक्ष सुविधाओं और क्षेत्र/यथानुपातिक आधार पर मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

19.6.5.2 अतिरिक्त स्थानीय सुविधाओं के प्रावधान के लिए कम से कम 5% स्वीकृत एफएआर का उपयोग किया जाएगा। 4 हेक्टेयर या उससे अधिक आकार वाली योजनाएं प्रचलित मानदंडों के अनुसार शहर स्तर की पीएसपी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पात्र होंगी।

19.6.5.3 एफएआर का 5% व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है (जैसा कि सीएससी और एलएससी में अनुमेय है)।

19.6.5.4 इस तरह के पीएसपी और व्यावसायिक उपयोग, जैसा कि खंड 19.6.5.2 और 19.6.5.3 में दिया गया है, ऊर्ध्वाधर मिश्रण के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं।

19.6.5.5 योजना क्षेत्र (सहकारी समूह आवास समितियों के मामले में भी, जिसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज द्वारा संबंधित विनियमों/अधिनियमों में संशोधन किया जा सकता है) में आवास इकाइयों की संख्या में वृद्धि की अनुमति दी जाएगी।

19.6.6 पारगमन स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में रीजेनरेशन योजनाओं के मामले में (टीओडी नोड्स के रूप में घोषित को छोड़कर), निम्नलिखित की अनुमति होगी:

19.6.6.1 ग्राउंड कवरेज अधिकतम 50% तक

19.6.6.2 टीओडी योजनाओं में लागू पार्किंग मानदंड

19.6.6.3 आवासीय योजनाएं पीएसपी सुविधाओं के प्रावधान के लिए अनुमेय एफएआर के 10% तक का उपयोग कर सकती हैं

19.7 कार्यनीतिक पुनरूद्धार

19.7.1 व्यवसाय प्रोत्साहन जिले (बीपीडी) को कार्यनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। बीपीडी के रूप में पहचाने गए पूरे क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार योजना तैयार की जाएगी।

19.7.2 **बीपीडी के भीतर योजनाओं को** खंड 19.6.1 और 19.6.4 के अनुसार विकसित किया जाएगा, उच्च पुनरूद्धार एफएआर को ऐसी योजनाओं के लिए निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान किया जाएगाः

क्र.सं.	**प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर की गणना हेतु कारक**	**विकास का मापन (कम से कम 5000 वर्ग मी. लेकिन 1 हेक्टेयर से कम)**	**विकास का मापन (कम से कम 1 हेक्टेयर लेकिन 4 हेक्टेयर से कम)**	**विकास का मापन (4 हेक्टेयर तथा उससे ऊपर)**
1	**बेस पुनरूद्धार कारक** (बीपीडी के साथ सभी पुनरूद्धार योजनाओं हेतु उपलब्ध)	1.2X*	1.3X	1.4X
2	**सतत शहरी सेवाएं (एसयूएस) कारक** (नीचे दिए गए 2ए और 2बी आवश्यकताओं को लागू करने हेतु उपलब्ध अतिरिक्त एफएआर)			
2A	ग्रीन रेटिंग	0.15X (यदि प्लैटिनम/5 ग्रीन रेटिंग प्राप्त है)		
2B	20% सार्वजनिक खुले हरित क्षेत्र	लागू नहीं	0.05X	
3	**उपयोग संवर्धन (यूएसपी) कारक** (केवल गैर आवासीय उपयोगों को लागू करने के लिए ही अतिरिक्त एफएआर उपलब्ध)	0.2X	0.2X	0.2X
अधिकतम प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर		**1.55X**	**1.7X**	**1.8X**

*X 'आधार एफएआर' को दर्शाता है, अर्थात पुनरूद्धार योजनाओं में शामिल किए जा रहे प्रत्येक प्लॉट के लिए वर्तमान अनुमेय एफएआर।

7.3 बीपीडी के भीतर योजनाओं को योजना स्तर पर अधिकतम 275 एफएआर, और टीडीआर के रूप में अतिरिक्त 25 एफएआर की अनुमति होगी।

19.8 अविकसित निजी भूखंडो का एकीकरण

19.8.1 दिल्ली में कुछ निजी स्वामित्व वाली भूमि पॉकेट्स/खंड हैं, जो कई कारणों से अब तक नियोजित विकास के दायरे से बाहर रहे हैं, जैसे अधिग्रहण की अनधिसूचना, अधिग्रहण से बहिष्कार, कानूनी अतिक्रमण आदि। ऐसी भूमि पॉकेट्स का नियोजित विकास "निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम बनाने हेतु विनियम" के अनुसार होगा।

19.9 अनियोजित क्षेत्रों का पुनरूद्धार

19.9.1 दिल्लीवासियों की एक बड़ी आबादी भवनों की खराब स्थिति, अपर्याप्त पहुंच (विशेषकर आपात स्थिति के दौरान), और अपर्याप्त भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की विशेषता वाले अनियोजित और/अथवा अनधिकृत क्षेत्रों में रहती है और काम करती है। हालांकि, ये क्षेत्र उच्च घनत्व, मिश्रण-उपयोग के केन्द्र के रूप में उभरे हैं, जो आवास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए किफायती विकल्प प्रदान करते हैं। कई धरोहर शहरी गांव भी नवीनतम खुदरा और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाओं के केंद्र के रूप में अपने आप को फिर से उभार रहे हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों, अवसंरचना और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए इस क्षमता को पुनःसुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

19.9.2 शहर में अनियोजित क्षेत्रों के चार व्यापक प्रकारों की पहचान की गई है। प्रत्येक प्रकार के लिए पुनरूद्धार के प्रावधान प्रदान किए गए हैं:

i) अनधिकृत कालोनियां (यूसी), जिनमें नियमित की गईं अनधिकृत कालोनियां और नियमितीकरण के लिए चिह्नित की गई कालोनियां शामिल हैं। (19.10)

ii) शहर में अधिसूचित लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों सहित शहरी गांव (खंड 19.10.6 देखें)

iii) स्लम और जेजे क्लस्टर (खंड 19.11 देखें)

iv) असंगत औद्योगिक क्षेत्र (खंड 19.12 देखें)

v) असंगत गोदाम क्लस्टर (खंड 19.13 देखें)

19.10 यूसी का पुनरूद्धार

19.10.1 यूसी/पार्ट यूसी में निम्नलिखित प्रकार से सुधार किया जाएगाः

i) संबंधित भूमि अथवा संपत्ति के मालिक अथवा आरडब्ल्यूए एक पुनरूद्धार योजना के साथ आगे आ सकते हैं। ऐसी योजनाओं को लेआउट और निर्माण मंजूरी हेतु स्वतंत्र लेआउट के रूप में माना जाएगा, और नियमित लेआउट के साथ अथवा इसके बगैर इन्हें किसी भी अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) में प्रस्तावित किया जा सकता है।

ii) विनियमों के अनुसार यूसी अपने मौजूदा लेआउट के नियमितीकरण के लिए वैकल्पिक रूप से आवेदन कर सकती हैं। एक बार लेआउट स्वीकृत हो जाने के बाद, एकल भूमि / संपत्ति के मालिक निर्माण योजना की मंजूरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

19.10.2 **अनधिकृत कॉलोनी (यूसी) पुनरूद्धार योजनाएं:** यूसी/पार्ट यूसी जो यूसी पुनरूद्धार योजना को लागू करना चाहती है वह एक विकासकर्ता संस्था (डीई) के रूप में सामने आएगी और संबंधित विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एक योजना प्रस्तुत करेगी। इस हेतु निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः

19.10.2.1 इस योजना क्षेत्र में 12 मीटर मार्गाधिकार (योजना की परिधि के कम से कम 15% के लिए) की मौजूदा सड़क से सीधी पहुंच होगी। इस मानदंड को सड़क को चौडा करने के लिए क्षेत्र प्रदान करके पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि इस योजना में एक पूरी सड़क को शामिल किया जाए, जो कम से कम एक तरफ से न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से जुड़ती हो।

19.10.2.2 चार प्रकार की योजनाओं को प्रस्तावित किया जा सकता हैः

i) स्तर 1: 2,000 - 3,000 वर्गमीटर समेकित भूमि क्षेत्र

ii) स्तर 2: 3,000 - 5,000 वर्गमीटर समेकित भूमि क्षेत्र

iii) स्तर 3: 5,000 - 10,000 वर्गमीटर समेकित भूमि क्षेत्र

iv) स्तर 4: 10,000 वर्गमीटर से अधिक समेकित भूमि क्षेत्र

19.10.2.3 सड़कों के विकास अथवा उन्हें चौडा करने के लिए निर्धारित सेटबैक्स का एक बड़ा हिस्सा उपयोग किया जाएगा। यह न केवल यूसी के भीतर पहुंच में सुधार करेगा, बल्कि न्यूनतम पहुंच की शर्त को पूरा करके, अनियोजित क्षेत्रों को यूसी पुनरूद्धार योजनाओं के साथ आगे आने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस प्रकार, जब भी आवश्यकता होगी, सार्वजनिक सड़कों के लिए सभी भूमि संबंधित स्थानीय निकाय को सौंप दी जाएगी।

19.10.2.4 डीई यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना नियमित आकार और सीमा में है। सड़क के साथ प्लॉटों की एकल पंक्ति के रैखिक समामेलन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि एकल प्लॉट 750 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्र में न हों।

19.10.2.5 दो या अधिक समीपवर्ती यूसी/पार्ट यूसी को एकल यूसी पुनरूद्धार योजना के तहत लाया जा सकता है। एक योजना में यूसी की सीमा के बाहर का अतिरिक्त क्षेत्र भी शामिल हो सकता है, यदि दोनों तरफ की भूमि/संपत्ति के मालिक इसे एकीकृत तरीके से नियोजित करने हेतु सहमत हों। यह अतिरिक्त क्षेत्र, योजना क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं होगा, और एफएआर की गणना के लिए इस क्षेत्र पर भूमि उपयोग के अनुसार दि.मु.यो. मानदंड लागू होंगे।

19.10.2.6 एकीकृत योजना के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सड़क, खुली जगह, नाले आदि को स्तर 3-4 योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं के तहत क्षेत्र को न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा एफएआर, तथा ग्राउंड कवरेज की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को अंतिम लेआउट के हिस्से के रूप में पुनःसंयोजित किया जा सकता है, बशर्ते कि खंड 19.4.5 में उल्लिखित सभी सामान्य शर्तों का पालन किया जाए।

19.10.3 अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) में पुनरूद्धार योजनाओं हेतु एफएआरः

19.10.3.1 किसी अनधिकृत कॉलोनी पुनरूद्धार योजना के लिए एफएआर की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अनुमेय एफएआर*
175 तक	350
175 से 250 तक	300
250 से 750 तक	250
750 से 1500 तक	225
1500 तथा इससे अधिक	200

*यदि किसी प्लॉट के लिए गणना किया गया क्षेत्र, इस हेतु निर्धारित निम्न श्रेणी क्षेत्र से कम है तो ऐसे प्लॉट के लिए निम्न श्रेणी के अधिकतम निर्मित क्षेत्र को अनुमति दी जाएगी।

19.10.3.2 यूसी में सुविधाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए, एक विशेष सुविधा एफएआर, प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर के रूप में उपलब्ध होगाः

अनधिकृत कॉलानी पुनरूद्धार योजना का स्तर	सुविधा एफएआर	विनियामक शर्तें
स्तर 1	20	माध्यमिक स्कूलों और शहर-स्तरीय सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी ।
स्तर 2	30	
स्तर 3	40	सभी पीएसपी उपयोग की अनुमति होगी, बशर्ते कि खुली जगह की आवश्यकताएं पूरी की गई हों। शहर स्तर की सुविधाओं हेतु अलग प्रवेश/निकास तथा सर्विस कोर प्रदान किया जाएगा।
स्तर 4	50	

19.10.3.3 अनुमेय योजना एफएआर सभी संघटक भूमि खंडों के एफएआर का योग होगा, जिसमें अतिरिक्त एफएआर के साथ सुविधा एफएआर के रूप में अतिरिक्त एफएआर शामिल होगा।

19.10.3.4 सभी योजनाओं के लिए भूमि का आधार उपयोग आवासीय होगा।

i) जबकि दि.मु.यो. के मानक 200 एफ.ए.आर. को आधार एफएआर माना जाएगा और यह किसी भी नियमितीकरण शुल्क से मुक्त होगा, सभी अतिरिक्त योजना स्तर एफएआर को दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित दरों पर डीई को खरीदना होगा। इस तरह के शुल्क डीई द्वारा बनाए गए 60 वर्गमीटर के प्रत्येक सस्ते किराये की आवास इकाई के लिए माफ किए जाएंगे, और 15 वर्षों की अवधि के लिए विनियमित किराए पर इन्हें बनाए रखा जाएगा। ऐसी संपत्तियाँ एक सार्वजनिक किराये की आवास सूची का हिस्सा होंगी, और इस तरह की संपत्तियों के सभी किराये के लेनदेन को इस उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा सृजित एक पोर्टल के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

ii) अंतिम योजना एफएआर का 5% स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक और पीएसपी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। डीई के पास इस तरह की सुविधाओं के लिए 15% तक के एफएआर का उपयोग करने का विकल्प होगा।

19.10.4 अनधिकृत कॉलोनियों में पुनरूद्धार योजनाओं हेतु अन्य विकास मानदंडः

19.10.4.1 निम्नलिखित अन्य विकास मानदंड लागू होंगेः

मानदंड	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
ग्राउंड कवरेज	50% तक	50% तक	40% तक	40% तक
छोर की स्थिति के अनुसार	- 12 मी. और इससे अधिक के मार्गाधिकार पर 2 मी.			

न्यूनतम सेटबैक*	- 12 मी. से कम मार्गाधिकार से पहुंच पर साइडों पर 4.5 मीटर - विद्यमान निर्मित क्षेत्र से जुडे सभी साइडों पर 6 मीटर			
सार्वजनिक स्थल**	एक ही प्लॉट के रूप में 10%	एक ही प्लॉट के रूप में 10%	सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्लॉट के रूप में 10% जिसमें कम से कम 500 वर्गमीटर का एक प्लॉट शामिल हो।	सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्लॉट के रूप में 10% जिसमें कम से कम 1000 वर्गमीटर का एक प्लॉट शामिल हो।
पार्किंग	1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर।			
सामाजिक आधारिक संरचना हेतु भूमि***	-	1 से 3 किमी के दायरे में पहले से मौजूद मौजूदा उपलब्ध आधारिक संरचना के आधार पर 5% से 15%		

*सेटबैक को हर समय बाधा रहित रखा जाएगा और आवश्यकता होने पर सड़क को चौडा करने /निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा

**इसमें न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार से पहुंच होगी और इसे स्थानीय निकाय को अंतरित किया जाएगा। स्थानीय निकाय आवश्यकता के अनुसार पार्कों, प्लाजा अथवा उपयोगिताओं की स्थापना के लिए ऐसे सार्वजनिक स्थान का उपयोग कर सकते हैं।

***इसे न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार से पहुंच के साथ एक समेकित भूखंड के रूप में प्रदान किया जाएगा, और स्थानीय निकाय को अंतरित किया जाएगा। स्थानीय निकाय स्कूलों या बहु-सुविधा (स्वास्थ्य सुविधाएं, सामुदायिक हॉल, बस्ती विकस केंद्र, पुलिस पोस्ट, चाइल्ड-केयर सेंटर, प्रारंभिक शिक्षा केंद्र, छोटे पैमाने पर गैर-प्रदूषणकारी आर्थिक गतिविधियाँ, सामुदायिक ग्रीन-वेस्ट रीसाइक्लिंग, ढलाव अथवा सामग्री प्राप्ति केंद्र, अनौपचारिक बाजार आदि को मिलाकर) केंद्रों के प्रावधान के लिए भूमि का उपयोग कर सकते हैं ।

19.10.4.2 यूसी पुनरूद्धार योजनाओं के हिस्से के रूप में, सामाजिक आधारिक संरचना के प्रावधान के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः

सुविधा*	**पृथक प्लॉट पर निर्मित सुविधाएं**			**ऊर्ध्वाधर मिश्रण के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं**	
	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर)	**एफए आर**	**ग्राउंड कवरेज (%)**	**न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर)**	**अतिरिक्त शर्तें**
प्राथमिक स्कूल	800	120	30	960	खुले स्थल की आवश्यकताओं को पूरा करना।
सीनियर सेकेंडरी स्कूल	2000	150	35	3000	खुले स्थल की आवश्यकताओं को पूरा करना।

कोई अन्य स्थानीय सुविधा	बहु सुविधा सेंटर के रूप में 500 - 1000	120	30	600	अधिकतम 50 बिस्तरों वाली सुविधा (60 वर्गमीटर प्रति बिस्तर की दर से) के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार किया जा सकता है।

19.10.4.3 एक बार पुनरूद्धार योजना का अनुमोदन हो जाने के उपरान्त, स्तर 4 योजनाओं के मामले में न्यूनतम 3,000 वर्गमीटर के छोटे ब्लॉक के लिए कार्यान्वयन की अनुमति दी जा सकती है।

19.10.5 मौजूदा यूसी की लेआउट योजना का अनुमोदन विनियमों के अनुसार होगा।

19.10.5.1 एक बार लेआउट प्लान को मंजूरी मिल जाने के बाद, एकल प्लॉट-लेवल बिल्डिंग प्लान स्वीकृतियों हेतु आवेदन संबंधित स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

19.10.5.2 सभी स्वीकृत प्लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। हालांकि, ऐसे यूसी के भीतर स्थानीय स्तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित की अनुमति होगीः

i) खंड 19.2.12 में उपरोक्त वर्णित उर्ध्वाधर मिश्रण के मानदंडों के अनुसार, 100 वर्गमीटर या उससे अधिक और 9मी. मार्गाधिकार के अंतर्गत आने वाले प्लॉटों को स्थानीय स्तर की सुविधाओं (सेकेंडरी स्कूलों को छोड़कर) के लिए आवासीय एफएआर का 100% तक उपयोग करने की अनुमति होगी।

ii) न्यूनतम 6 मीटर मार्गाधिकार के साथ पहुंच वाले सभी प्लॉटों पर 5% तक व्यावसायिक कार्यों की अनुमति होगी।

iii) इस तरह के उपयोगों को 'जहां है' वहां अनुमोदन के भाग के साथ-साथ प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण के रूप में अनुमति दी जाएगी।

19.10.6 **समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियां:** समृद्ध यूसी, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित है, निर्धारित मानदंडों के अनुसार लेआउट योजना अनुमोदन और पुनरूद्धार योजनाओं के विकास के लिए पात्र होंगे।

19.11 स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास योजनाएं

19.11.1 निम्नलिखित मानदंड स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास योजनाओं के लिए लागू होंगे।

19.11.1.1 2000 वर्गमीटर (न्यूनतम 9मी. मार्गाधिकार पर) के न्यूनतम आकार वाले समूह आवास मानदंडों की अनुमति होगी। भूमि के आवासीय घटक पर अधिकतम 900 डीयू/हेक्टेयर सघनता की अनुमति होगी।

19.11.1.2 चिन्हित लाभार्थियों (प्रति डीयू 25-40 वर्गमीटर की दर से) को आवास प्रदान करने के लिए न्यूनतम 60% स्थल का उपयोग किया जाएगा, और अधिकतम 40% लाभकारी घटक होगा।

19.11.1.3 योजना को समग्र रूप से 400 के अधिकतम एफएआर के साथ लाभकारी भूमि के आवासीय घटक पर समग्र तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए। मिश्रित उपयोगों वाली भूमि के लाभकारी घटक पर 300 का एफएआर लागू होगा।

19.11.1.4 परियोजना/योजना के तहत समायोजित जनसंख्या के अनुसार, स्थानीय सुविधाओं को आवासीय एफएआर के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा। अधिभोगी परिवारों की आजीविका को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, आवासीय घटक के अनुमेय एफएआर का 10% अनिवार्य रूप से व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसी सुविधाओं को ऊर्ध्वाधर मिश्रण के भाग के रूप में समायोजित किया जा सकता है। सर्विस फ्लोर को सामुदायिक कार्य केंद्रों के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वहां कोई स्थायी संरचनाएं/फिक्चर्स नहीं बनाए गए हों।

19.11.1.5 सामुदायिक केंद्रों (न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार वाली परियोजनाएं) और जिला केन्द्रों (30 मी. या उससे अधिक की मार्गाधिकार वाली परियोजनाओं) में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी।

19.11.1.6 साझा पार्किंग 0.5 ईसीएस प्रति 100 वर्गमीटर के तल क्षेत्र में आवासीय घटक के लिए प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है। लाभकारी उद्देश्यों के लिए संगत प्रासंगिक भूमि उपयोग के अनुसार लागू होगी।

19.11.1.7 निजी भागीदारों के लिए पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करते हुए, इस तरह की योजनाओं के सामाजिक विकास के उद्देश्यों की प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के लिए टीडीआर और/अथवा व्यवहार्यता गैप फंडिंग जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्र का उपयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कई योजनाओं को एक साथ विलय करने की संभावना की भी जांच की जा सकती है।

19.11.1.8 विशिष्ट स्थितियों में समग्र व्यापक योजना बनाने के लिए आसपास में जेजे साइटों के साथ बिखरे हुए भूखंडो को एक साथ मिलाने की आवश्यकता हो सकती है।

19.12 अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरूद्धार

19.12.1 नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने पुनर्विकास के लिए असंगत क्षेत्रों में औद्योगिक संकेन्द्रण के कलस्टरों को अधिसूचित किया है (अनुलग्नक 9)। ऐसे समूहों में 70% से अधिक प्लॉटों में औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं।

19.12.2 पुनर्विकास प्रक्रिया में सड़कों को चौडा करने, सेवाओं को मुहैया कराने, खुली जगह के विकास, पार्किंग आदि के लिए पुनर्विकास योजना तैयार करना शामिल है।

19.12.3 व्यावहारिक रूप में, ये क्षेत्र सेवाओं के संदर्भ में कम हैं, और पर्यावरण को खतरे में अधिक डालते हैं। ऐसे क्षेत्रों के पुनर्विकास को स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के आधार पर करने की आवश्यकता है, स्वामियों/उद्यमियों की भागीदारी के साथ आवश्यक बुनियादी ढाँचे के प्रावधान के बारे में उद्योगों के प्रकारों को एक व्यवस्थित तरीके से अनुमति दी जा सकती है, जो स्थानिक नियोजन मानदंडों और पर्यावरण से संबंधित शर्तों के संदर्भ में हो।

19.12.4 मौजूदा वास्तविकताओं, साथ ही साथ नियोजित विकास की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, असंगत क्षेत्रों में औद्योगिक संकेन्द्रण के क्लस्टरों के पुनर्विकास के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगेः

i) असंगत कलस्टरों के औद्योगिक संकेन्द्रण के न्यूनतम 4 हेक्टेयर में फैले समवर्ती क्षेत्र के लिए, जिसमें औद्योगिक गतिविधि/उपयोग के तहत क्लस्टर के भीतर 70% से अधिक प्लॉट हैं, उन्हें वास्तविक सर्वेक्षणों के आधार पर पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह के क्लस्टरों की अधिसूचना के बाद, पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकाय/भूमि का स्वामित्व रखने वाली एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी।

ii) क्लस्टर की कम से कम 18 मीटर की मार्गाधिकार सड़क से सीधी पहुंच होनी चाहिए।

iii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं के विकास, पार्किंग और रखरखाव की तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सोसाइटी और ऐसी किसी अन्य संस्था का गठन करना अनिवार्य होगा।

iv) डीपीसीसी से केवल अनापत्ति प्राप्तकर्ता अनुमेय उद्योगों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

v) पुनर्विकास के लिए प्लॉटों के समामेलन और पुनर्गठन की अनुमति होगी।

vi) सभी इकाइयों को सांविधिक मंजूरी प्राप्त करनी होगी। औद्योगिक इकाइयों के अलग-अलग बिजली कनेक्शन होंगे।

vii) अन्य शर्तों में शामिल हैं:

क. लगभग 10% क्षेत्र को सर्कुलेशन/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।

ख. लगभग 10% अर्ध-प्रवेशयोग्य सतह को पार्किंग और लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए रखा जाना चाहिए।

ग. क्लस्टर क्षेत्र का लगभग 8% पार्क/हरित क्षेत्रों के लिए आरक्षित होना चाहिए।

घ. मानदंडों के अनुसार सीईटीपी, उप-स्टेशनों, पंप हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस पोस्ट आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं के लिए कुल क्षेत्र का लगभग 10% आरक्षित होना चाहिए।

ङ. लगभग 3% क्षेत्र व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमेय होगा।

च. दिल्ली जल बोर्ड/सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी (जहां भी आवश्यक हो) द्वारा पंपिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल रिचार्जिंग/वर्षा जल संचयन के लिए आवश्यकता के अनुसार पानी की आपूर्ति की योजना बनाना और जल निकासी योजना तैयार करना।

छ. 100 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉटों की न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार तक पहुंच होनी चाहिए; और 100 वर्गमीटर से कम के प्लॉटों की न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार तक पहुंच होनी चाहिए।

ज. सामान्य पार्किंग 60 वर्गमीटर से नीचे के प्लॉटों के लिए प्रदान की जानी चाहिए और लेआउट योजना में इसे निर्धारित किया जाना चाहिए, जबकि पार्किंग और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए,

न्यूनतम 3 मीटर के फ्रंट सेटबैक को 60 वर्गमीटर से ऊपर के प्लॉटों हेतु बिना चार दीवारी के प्रदान किया जाएगा।

झ. वैकल्पिक तौर पर, सोसायटी डीसीएन में निर्धारित भूमि वितरण के आधार पर लेआउट योजना/पुनर्विकास योजना तैयार करने के विकल्प को अपना सकती है।

viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदंड यथा निर्धारित लागू होंगे। जमीनी स्थितियों के आधार पर, दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति 10% तक की छूट मापदंडों में दे सकती है।

नोटः *12.4.7 (ए, बी, सी, डी) में उल्लिखित ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो औद्योगिक क्लस्टर के भीतर अथवा आसपास के क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता की शर्त के आधार पर हैं।*

19.12.5 पुनरूद्धार कार्य सोसाइटी द्वारा स्वेच्छा से, अथवा संबंधित स्थानीय निकाय/एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। यदि एजेंसियां पुनर्विकास का कार्य करती हैं, तो वे प्रत्यक्ष तौर पर एकल उद्योगों से प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन, बढ़ी हुई एफएआर और भूमि (जहां भी लागू हो) में परिवर्तन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान संबंधित एजेंसी को करना होगा।

19.12.6 योजना की अधिसूचना के 2 वर्ष की अवधि के भीतर पुनरूद्धार योजना तैयार की जाएगी। योजना के अनुमोदन के बाद योजना 3 वर्ष की समयावधि के भीतर पूरी की जाएगी। क्लस्टर, जो निर्दिष्ट समय-अवधि के भीतर पुनर्विकास प्रस्तावों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें अन्य संगत औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना होगा, और असंगत क्लस्टरों में कार्य करने वाली इकाइयों को बंद करना होगा। ऐसे मामलों में, लाइसेंसिंग प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग की मंजूरी प्राप्त किए बिना, औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस नवीनीकरण/जारी नहीं करेगा। भूमि उपयोग की मंजूरी लिए बिना, असंगत क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

19.12.7 निम्नलिखित क्षेत्र औद्योगिक क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए पात्र नहीं होंगेः बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइंस), रिज, रिवर बेड (जोन-ओ), जलाशयों के साथ लगे क्षेत्र, नहर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण और विरासत क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित वन, दि.वि.प्रा. फ्लैट्स, सहकारी समूह आवासीय सोसायटी, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि, और इनसे सटे अन्य क्षेत्र।

19.13 असंगत क्षेत्रों में गोदाम क्लस्टरों के पुनर्विकास हेतु मानदंड

19.13.1 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष खंड) द्वितीय अधिनियम-2011 में "ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित स्कूलों, औषधालयों, धार्मिक संस्थानों, सांस्कृतिक संस्थानों, भंडार, वेयरहॉउस और कृषि इन्पुट अथवा उपज (डेयरी और मुर्गी पालन सहित) के लिए उपयोग किए जाने वाले गोदामों के बारे में व्यवस्थित तौर पर प्रबंधन हेतु नीति अथवा योजना और मौजूदा गोदाम समूहों, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, के पुनर्विकास हेतु दिशा-निर्देश (गैर-कृषि वस्तुओं के भंडारण हेतु)" का भी प्रावधान है।

19.13.2 दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में गोदाम, खाद्यान्न, पत्थर और अन्य सामान के गोदाम अस्तित्व में आए हैं जो पूर्ववर्ती दि.मु.यो. में नहीं थे जैसे कि गांव का लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा आदि। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष खंड) अधिनियम 2007 को वर्ष 2023 तक नीति का निर्माण करने हेतु विस्तारित किया गया है। निम्नलिखित मानदंड स्टैंड अलोन एवं गोदाम क्लस्टर के लिए लागू होंगे।

i) स्टैंड अलोन गोदामः स्टैंड अलोन गोदाम प्लॉट, जो बड़े क्लस्टरों का हिस्सा नहीं बनते हैं, निम्नलिखित शर्तों के साथ शासित होंगे।

ii) स्टैंड-अलोन गोदामों (गैर प्रदूषणकारी/गैर खतरनाक सामग्री के भंडारण) को न्यूनतम 30 मीटर मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) पर अनुमति दी जाएगी।

iii) ग्राम अबादी (लालडोरा क्षेत्र) और विस्तारित लालडोरा क्षेत्रों में गैर-प्रदूषणकारी/गैर-खतरनाक सामग्रियों के भंडारण गोदामों की अनुमति दी जाएगीः

क) 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट के आकार के साथ 9 मीटर मार्गाधिकार (राजस्व विभाग द्वारा सड़क को परिभाषित/अनुमोदित किए जाने के मामले में 7.5 मी।)

ख) 300 वर्गमीटर से अधिक आकार के प्लॉट हेतु 12 मी मार्गाधिकार।

iv) इन गोदामों को प्लॉट के भीतर पार्किंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से एनओसी प्राप्त की गई हो।

v) प्लॉट के भीतर वाहनों पर लोडिंग/अनलोडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

vi) स्टैंड अलोन गोदामों के मालिकों को निश्चित समय-अवधि हेतु योजनाओं की मंजूरी लेनी होगी। असंगत क्षेत्रों में आने वाले प्लॉटों के मालिकों और 30 मीटर से कम मार्गाधिकार पर स्थित मौजूदा गोदामों को दिनांक 31.12.2023 तक अन्य संगत क्षेत्रों/गोदाम क्लस्टरों में स्थानांतरित करना होगा। असंगत क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे गोदामों को उपरोक्त समय-अवधि के भीतर बंद करना होगा।

19.13.3 असंगत गोदाम क्लस्टरः वास्तविक सर्वेक्षणों के आधार पर, पहचान किए गए क्षेत्र का पुनरूद्धार के लिए गोदाम/वेयरहाउसिंग गतिविधियों के असंगत क्लस्टरों पर विचार किया जा सकता है, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर के सन्निहित क्षेत्र में अवस्थित है और जिनमें क्लस्टरों के भीतर प्लॉटों का 55% से अधिक संकेन्द्रण है।

19.13.4 स्थानीय निकायों/रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह के समूहों की अधिसूचना के बाद, पुनरूद्धार योजना को सोसाइटी (भूमि मालिकों द्वारा गठित) द्वारा निम्नलिखित मानदंडों/शर्तों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, और उसके बाद संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

i) क्लस्टर में न्यूनतम 30 मीटर मार्गाधिकार की सड़क से सीधी पहुंच होनी चाहिए।

ii) पुनरूद्धार योजना/योजना तैयार करने, सेवाओं के विकास, पार्किंग और रखरखाव, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन की सुविधाओं हेतु समूह अथवा सोसाइटी का गठन अनिवार्य होगा।

iii) योजना क्षेत्र के अंतर्गत पुनरूद्धार हेतु प्लॉटों के समामेलन और पुनर्गठन की अनुमति होगी।

iv) गोदामों के मालिकों को जहां भी आवश्यक हो, संबंधित एजेंसियों से अपेक्षित सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सोसाइटी द्वारा पुनरूद्धार के लिए लेआउट योजना की मंजूरी प्राप्त करने के उपरान्त, स्थानीय निकाय से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर, पहचान किए गए समूहों को भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए प्रक्रियागत किया जाएगा।

v) अन्य शर्तों में शामिल होंगेः

क. लगभग 10% क्षेत्र को सर्कुलेशन / सड़कों / सर्विस लेन के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।

ख. लगभग 10% अर्ध-प्रवेशयोग्य सतह को साझे पार्किंग, स्थिर पार्किंग, और लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए रखा जाना चाहिए।

ग. मानदंडों के अनुसार, संबंधित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के लिए लगभग 10% क्षेत्र को आरक्षित किया जाना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, फायर स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सर्विसिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, और अनौपचारिक बाजार क्षेत्र आदि के लिए।

घ. दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (जहां भी आवश्यक हो) द्वारा पंपिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन और जल निकासी योजना के साथ जलापूर्ति हेतु योजना तैयार करना।

ङ. लगभग 8% क्षेत्र को पार्क/हरित क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।

च. प्लॉट के भीतर ईएसएस, भूमिगत जल भंडारण टैंक, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर ताप/प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी उपयोगी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

छ. योजना के अंतर्गत सभी प्लॉटों का न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार से सीधी पहुंच होनी चाहिए।

ज. अन्य प्रावधान / विकास नियंत्रण यथा निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार लागू होंगे।

नोटः उपरोक्त v) (ए, बी, सी, ई) में उल्लिखित इन सुविधाओं हेतु भूमि की उपलब्धता के अधीन गोदाम क्लस्टर के भीतर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र पर विचार किया जाएगा।

vi) सरकार द्वारा समय-समय पर (जहां भी लागू हो) निर्दिष्ट किए गए अपेक्षित परिवर्तन शुल्क और किसी अन्य शुल्क का भुगतान संबंधित प्राधिकारी को करना होगा।

vii) एकल क्लस्टरों की पुनरूद्धार योजनाएं सोसाइटी द्वारा तैयार की जानी चाहिए, और उसके बाद संबंधित स्थानीय प्राधिकरण/एमसीडी द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। योजनाओं के अनुमोदन की तारीख से तीन साल के भीतर पुनर्विकास को पूरा किया जाना चाहिए।

viii) क्लस्टर, जो उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट समय-अवधि के भीतर पुनर्विकास प्रस्तावों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें अन्य संगत औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना होगा, और असंगत क्लस्टरों में कार्य करने वाले ऐसे गोदामों को बंद करना होगा। ऐसे मामलों में, लाइसेंसिंग प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग की मंजूरी प्राप्त किए बिना, ऐसे गोदामों को लाइसेंस नवीनीकरण/जारी नहीं करेगा। इसके

अतिरिक्त भूमि उपयोग की मंजूरी प्राप्त किए बिना, असंगत क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

19.13.5 अन्य शर्तें

19.13.5.1 यूबीबीएल 2016 की तालिका 3.2 के अनुसार जोखिम आधारित वर्गीकरण को शामिल करने वाले गोदाम प्लॉट हेतु विकास नियंत्रण मानदंड निम्नानुसार होंगेः

प्लॉट का आकार (वर्ग मीटर में)	**अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)**	**अधिकतम एफएआर**	**अधिकतम ऊंचाई**	**पार्किंग**
500 तक	70	140	15 मी. से नीचे	300 वर्गमीटर तक के प्लॉटों के मामले में साझा पार्किंग प्रदान की जाएगी। 300 वर्ग मीटर से ऊपर के प्लॉटों हेतु 3 ईसीएस/ 100 वर्गमीटर का तल क्षेत्र।
500 से ऊपर - 2000	60	120	15 मी. से नीचे	
2000 से ऊपर - 10,000 तक	50	100	15 मी. से नीचे	
10,000 से ऊपर	40	80	15 मी. से नीचे	

टिप्पणियां:

1. जहां कहीं भी भवन निर्माण विनियम विभिन्न श्रेणियों के प्लॉटों के लिए प्रदान किए गए हैं, वहां कवर किया गया क्षेत्र और तल क्षेत्र किसी भी स्थिति में निचली श्रेणी में प्लॉटों के सबसे बड़े आकार के लिए क्रमशः अनुमेय कवर क्षेत्र और तल क्षेत्र से कम नहीं होगा।
2. यूबीबीएल 2016 और दिल्ली अग्नि शमन सेवा अधिनियम के अनुसार जोखिम आधारित वर्गीकरण पर आधारित अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए।
3. साझे पार्किंग को 300 वर्गमीटर आकार तक के प्लॉटों के लिए प्रदान किया जाएगा, और पार्किंग और लोडिंग/अनलोडिंग प्रयोजनों के उपयोग हेतु चारदीवारी के बिना फ्रंट सेटबैक प्रदान किया जाएगा।
4. 300 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉटों के लिए मालिकों द्वारा उनके प्लॉटों के भीतर पार्किंग और लोडिंग/अनलोडिंग के प्रावधान किए जाएंगे।
5. बेसमेंट का प्रावधान/उपयोग दि.मु.यो.-2021 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगा।
6. सांविधिक निकायों से मजूंरी के अधीन गोदाम परिसर के भीतर गोदाम गतिविधि से संबंधित कार्यक्षेत्र/कार्यालय (अनुमेय एफएआर के 25% से अधिक नहीं) हेतु एक स्थायी संरचना की अनुमति दी जाएगी, जो धूल और प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था की शर्त के साथ होगी।

19.13.5.2 शेष प्लॉट मालिकों को दि.मु.यो./यूबीबीएल/नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, और सभी सांविधिक निकायों से मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने के बाद, मौजूदा उपयोग के साथ जारी रखने अथवा गोदामों में परिवर्तन अथवा किसी भी अनुमेय उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

19.13.5.3 इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सभी पुनरूद्धार योजनाएं, सभी सांविधिक प्रावधानों और महायोजना की शर्तों/यूबीबीएल 2016 के अनुरूप होंगी।

19.13.5.4 संबंधित स्थानीय निकाय और हितधारक निर्धारित शुल्कों/प्रभारों की वसूली के लिए प्रणाली तैयार करने का कार्य करेंगे।

19.13.5.5 सड़क को चौडा करने के लिए भूमि के प्रत्यार्पण/सरेंडर के मामले में, मूल प्लॉट का एफएआर अनुमेय होगा।

19.13.5.6 इन विनियमों के कार्यान्वयन को स्थानीय निकाय द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल मार्गदर्शिका के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें ऐसी परियोजनाओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) शामिल हैं।

19.13.5.7 निम्नलिखित क्षेत्र गोदाम क्लस्टरों के पुनरूद्धार योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगेः बंगला क्षेत्र (नई दिल्ली और सिविल लाइंस), रिज, रिवर बेड (जोन-ओ), जलाशयों के साथ लगे क्षेत्र, नहर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण और विरासत क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित वन, दि.वि.प्रा. फ्लैट्स, सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि, और इनसे सटे अन्य क्षेत्र।

--- x --- x ---- x --- x ---

20.0 पारगमन उन्मुख विकास

अध्याय कोड
DEV4 4

20.1.1 पारगमन उन्मुख विकास [ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी)] एक अभिनव शहरी परिप्रेक्ष्य है जिसमें सार्वजनिक पारगमन के मौजूदा और आगामी बुनियादी ढांचे तथा संबद्ध उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या के माध्यम से लाभ प्राप्त करना शामिल है जिससे निरंतर आवा-जाही की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और सुसंबद्ध मिश्रित-उपयोग विकास द्वारा भूमि का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

20.1.2 दिल्ली में टीओडी दृष्टिकोण लोगों और नौकरियों को बड़े पैमाने पर पारगमन तंत्र के करीब लाने में मदद करेगा तथा इसके परिणामस्वरूप शहर में भूमि उपयोग और परिवहन के बीच बहुत आवश्यक एकीकरण संभव हो सकेगा। इससे ट्रांजिट स्टेशनों के प्रभाव क्षेत्रों में सुसंबद्ध, चलने योग्य, मिश्रित-उपयोग के विकास कार्य हो सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य बदलाव है जो संभवत: सार्वजनिक पारगमन की सवारियों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, वाहनों की भीड़ को कम कर सकता है और दीर्घकालिक संदर्भ में ग्रीनहाउस उत्सर्जन और प्रदूषण को कम कर सकता है।

20.1.3 टीओडी, शहर में अवरुद्ध आर्थिक क्षमता और भूमि मूल्यों को बेहतर बनाने की भी एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है। यह कार्यनीति सार्वजनिक क्षेत्र में योजनाबद्ध गहन उपयोग और कार्यकलाप शुरू करके, नए बुनियादी ढांचे के प्रसार और सुधार के ज़रिए शहर में चुनिंदा नोड/क्षेत्रों के विकास/पुनःसुधार को संभव बनाएगी। यह शहर को सार्वजनिक पारगमन के बुनियादी ढांचे - मेट्रो रेल, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) आदि में किए जा रहे बड़े पैमाने पर निवेश से लाभ कमाने का मौका देगी। ऐसा अनुकूल रूप से अवस्थित पारगमन नोड के आसपास पुराने आवास स्टॉक में सुधार करने के साथ-साथ नए आवास स्टॉक और आर्थिक केंद्रों का निर्माण करके तथा लाभ कमाने के अवसरों को खोलकर किया जाएगा।

20.1.4 दिल्ली के लिए टीओडी पॉलिसी के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख परिणामों को लक्षित किया जाएगा।

20.1.4.1 **अनुकूल घनत्व और उपयोग और कार्यकलाप का विविधीकरण**: यह उच्च एफएआर मानदंडों और सुसंबद्ध मिश्रित उपयोग के विकास से सुगम होगा जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा और हरित भवनों तथा पर्यावरण संरक्षण के मानदंडों को लागू किया जाएगा। इस तरह के दृष्टिकोण से सार्वजनिक पारगमन प्रणालियों के निकट कार्यकलाप और नौकरियों के उच्च घनत्व का सर्वोत्तम मिश्रित रूप सामने आएगा, इन क्षेत्रों की विकास क्षमता में वृद्धि हो सकेगी और लाभ कमाने की सुविधा होगी।

20.1.4.2 **वर्धित आवाजाही :**

i) पैदल यात्री और गैर मोटरीकृत परिवहन (एनएमटी) अनुकूल वातावरण - यातायात प्रबंधन योजनाओं, सड़क-सुधार, पैदल यात्री और एनएमटी मार्गों के बेहतरीन नेटवर्क का निर्माण और सीमित एवं महंगी सार्वजनिक पार्किंग जैसी विभिन्न कार्यनीतियों द्वारा पैदल चलने वालों और गैर मोटरीकृत परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

ii) परिवहन के विभिन्न साधनों के एकीकरण, पैदल चलने की स्थिति को बेहतर करने और अंतिम मील कनेक्टिविटी के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के पक्ष में साधन-परिवर्तन ।

20.1.4.3 **बेहतर सार्वजनिक क्षेत्रः** सभी आयु वर्गों के लिए एक जीवंत और सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण जिसमें बाधा रहित सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा हो जो सार्वजनिक प्लाजा और खुले / हरे-भरे स्थानों, बहु-उपयोगिता क्षेत्रों, सार्वजनिक कला के लिए स्थान आदि बनाने के लिए जगह बनाने की कार्यनीतियों से हासिल की गई हो।

20.1.4.4 **बहु-साधन एकीकरण:** रेल और सड़क-आधारित प्रणालियों का एकीकरण जिसमें मेट्रो, रेल/रैपिड रेल, बस/बीआरटीएस और मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) शामिल हो सकते हैं तथा जिसमें फीडर सेवाओं, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और निजी मोड तथा गैर मोटरीकृत परिवहन शामिल हैं जैसे साइकिल-रिक्शा, साइकिल, पैदल यात्री, आदि।

20.2 नीति की अनुप्रयोज्यता

20.2.1 दि.वि.प्रा., टीओडी नोड की पहचान करेगा और प्रत्येक टीओडी नोड के लिए परिसीमित टीओडी योजना क्षेत्र को दिखाने वाले मानचित्र जारी करेगा। टीओडी नीति केवल ऐसे टीओडी नोड के प्रभाव क्षेत्रों में ही लागू होगी। यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होगी अथवा जैसा भी दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए:

i) नालियों, प्राकृतिक जलाशयों, अधिसूचित वन, किसी भी अन्य पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्रों की भूमि ।

ii) ज़ोन 'ओ' और बफ़र।

iii) हरित विकास क्षेत्र।

iv) लैंड पूलिंग नीति के अंतर्गत अधिसूचित गांव।

v) स्मारक निषिद्ध क्षेत्र ।

vi) सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र (उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दि.वि.प्रा. के ले-आउट प्लान के अनुसार) ।

vii) लुटियन्स बंगला जोन, चाणक्यपुरी (जोन-डी के उप-जोन डी-13 के अनुसार) ।

viii) चारदीवारी शहर ।

ix) दूतावास / डिप्लोमैटिक एन्क्लेव / विदेशी मिशनों के अंतर्गत भूमि ।

x) अनधिकृत कॉलोनियां ।

20.3 मार्गदर्शक सिद्धांत

20.3.1 यह फ्रेमवर्क एफएआर हेतु उच्चतर मानदंड और मिश्रित उपयोग प्रदान करेंगे। इस तरह के विकास-कार्यों के प्रभावों का प्रबंधन करने और अवसर बढ़ाने के लिए, इस नीति को अधिक विकास क्षमता वाले चुनिंदा टीओडी नोड में युक्तिपूर्वक लागू किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप संपोषणीयता के सिद्धांतों के अनुसार विकसित किए गए सुनियोजित विकास केंद्र शहर के लिए भावी आर्थिक संचालकों और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित होने में सक्षम हो पाएंगे।

20.3.2 दि.वि.प्रा. इस शहर में विभिन्न ट्रांजिट नोड की विकास क्षमता का तेजी से आकलन करेगा और उनके कार्यनीतिक महत्व एवं कार्यान्वयन में आसानी के आधार पर सीमित संख्या में टीओडी नोड की पहचान करेगा।

20.3.2.1 इस तरह के ट्रांजिट नोड मेट्रो रेल, रेलवे, आरआरटीएस या किसी भी ऐसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के आस-पास होंगे, जो एक समर्पित कैरिजवे के साथ 5,000 या अधिक का व्यस्ततम घंटा प्रति दिशा यातायात (पीएचपीडीटी) ले जाने की क्षमता रखती हैं।

20.3.2.2 इन महत्वपूर्ण नोड की पहचान निम्नलिखित व्यापक विचारों के आधार पर की जाएगी:

i) नोड में वे स्थल होंगे जिन्हें आसानी से टीओडी स्कीम (न्यूनतम 8 हेक्टेयर मिलाकर) के रूप में तत्काल शुरू किया जा सकता है, जैसे कि खाली या कम प्रयोग में लाई जा रही सरकारी जमीन, सरकारी आवास, वाणिज्यिक केंद्र, औद्योगिक एस्टेट आदि। ऐसे स्थलों की उपलब्धता से सुनिश्चित होगा कि प्रेरक परियोजनाओं (ट्रिगर प्रोजेक्ट) को प्राथमिकता पर शुरू किया जा सकता है ताकि अन्य परियोजनाओं को नोड में आने के लिए आवश्यक प्रेरणा दी जा सके।

ii) उनके पास ग्रीन फील्ड और/अथवा कम घनत्व वाले ब्राउन फील्ड का अच्छा खासा मिला-जुला रूप होगा;

iii) उनकी अवस्थिति सामरिक होगी - या तो शहर के लिए आर्थिक / सांस्कृतिक केंद्र के रूप में या शहर में अल्प-विकसित क्षेत्रों के विकास / पुनःसुधार के लिए संभावित प्रेरणा के रूप में।

iv) वे जलापूर्ति, सीवरेज आदि जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

20.3.3 इसके अतिरिक्त, और अधिक टीओडी नोड पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब घटक भूमि/संपत्ति के मालिकों द्वारा पर्याप्त रुचि व्यक्त की गई हो, अर्थात, एकल या एकाधिक टीओडी योजनाओं के रूप में कम से कम 8 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव हो। दि.वि.प्रा. के समक्ष एक संयुक्त आवेदन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i)टीओडी योजना/ओं के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्तावित स्थल दिखाने वाला मानचित्र,

ii)टीओडी योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के स्थान और क्षेत्रफल के विवरण के साथ भू-स्वामियों की सूची,

iii)सभी संबन्धित भूमि और संपत्ति स्वामियों से सहमति-पत्र।

दि.वि.प्रा. ऐसे प्रस्तावों की जांच करेगा और इन्हें नीति के अंतर्गत शामिल करने के लिए ऐसे नोड पर विचार कर सकता है।

20.3.4 दि.वि.प्रा. / डीई संबंधित टीओडी नोड के परिसीमित टीओडी नियोजित क्षेत्र के लिए एक आईजेडपी (IZP) तैयार करेगा। डीई द्वारा तैयार आईज़ेडपी अनुमोदन के लिए दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया जाएगा। दि.वि.प्रा. आईज़ेडपी की तैयारी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता फर्म/संस्थान नियुक्त कर सकता है।

20.3.4.1 यदि दो या दो से अधिक टीओडी नोड, अतिव्याप्ति (ओवरलैप) करने वाले टीओडी योजना क्षेत्रों के निकट हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए एकीकृत आईजेडपी के रूप में योजना बनाई जाएगी।

20.3.4.2 आईजेडपी उस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किसी भी अन्य योजनाओं या स्कीमों को एकीकृत करेगा, जैसे कि चलने की क्षमता बढ़ाने की योजनाएं, सड़क सुधार, पार्किंग प्रबंधन, क्षेत्र योजनाएँ आदि। संबन्धित परिवहन एजेंसियों द्वारा आईजेडपी तैयार करते समय परिवहन स्टेशनों के आसपास प्रस्तावित मल्टी-मोडल एकीकरण (एमएमआई) और स्टेशन क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

20.3.4.3 क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईजेडपी को समय के साथ-साथ अद्यतन/संशोधित (यथा अपेक्षित) किया जा सकता है ताकि विकास गतिविधि के कारण हुए परिवर्तन परिलक्षित हो सकें।

20.3.5 संबंधित प्रभाव क्षेत्र के भीतर समस्त भूमि और संपत्तियां इस नीति के मानदंडों के अनुसार विकास करने के लिए पात्र होंगी, बशर्ते वे प्रयोज्यता के अनुसार टीओडी योजनाएं शुरू करने की अपेक्षाओं को पूरा करें। इच्छुक भू-स्वामी विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार टीओडी योजना तैयार करके विकासकर्ता संस्था (डीई) के रूप में आवेदन कर सकते हैं।

20.3.6 हालांकि टीओडी नीति के अंतर्गत भागीदारी स्वैच्छिक है, इस नीति के विकास नियंत्रण मानदंड का लाभ केवल अनुमोदित टीओडी योजनाओं के माध्यम से भाग लेकर उठाया जा सकता है। टीओडी नोड के भीतर, घटक भूमि / संपत्ति स्वामी जो टीओडी पॉलिसी में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें टीओडी लाभों को ध्यान में रखे बिना अनुमेय एफएआर के अनुसार अपने मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण / परिवर्धन / परिवर्तन करने की अनुमति होगी। वे दि.वि.प्रा. की किन्हीं अन्य नीतियों के मानदंडों का लाभ उठाने के लिए भी पात्र नहीं होंगे, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा जाए।

20.4 टीओडी योजनाएँ

20.4.1 टीओडी योजनाओं को पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

20.4.1.1 टीओडी योजना में न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होना चाहिए। टीओडी योजनाएँ टीओडी नोड के गहन विकास क्षेत्र में पूरी तरह या आंशिक रूप से शामिल हो सकती हैं। किसी भी स्थिति में -

i) योजना क्षेत्र का कम से कम 25% हिस्सा गहन विकास क्षेत्र में आएगा।

ii) संपूर्ण योजना क्षेत्र टीओडी योजना क्षेत्र के अंतर्गत आएगा।

20.4.1.2 टीओडी योजना 18 मीटर के न्यूनतम मार्गाधिकार मौजूदा सड़क से पहुँच योग्य होनी चाहिए जो योजना की परिधि के कम से कम 15% के समतुल्य अबाध लंबाई की हो।

20.4.2 आवासीय क्षेत्र और इलाके के स्तर के पीएसपी (सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और पार्कों को छोड़कर) के लिए निर्धारित प्लॉट को टीओडी स्कीमों में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि अंतर्निहित जमीन डीई/ डीई के घटक भू-स्वामियों की हो। ऐसे मामलों में, योजना में उसी प्रकार की और उसी क्षेत्र की समतुल्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये सुविधाएं इस नीति के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य पीएसपी अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

20.4.3 सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सड़क, खुली जगह, नालियों आदि को एकीकृत योजना के प्रयोजनार्थ टीओडी योजना में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं:

20.4.3.1 सार्वजनिक सड़कें (18 मीटर से कम मार्गाधिकार)

20.4.3.2 सार्वजनिक नालियां (5 मीटर की चौड़ाई से अधिक नहीं)

20.4.3.3 सार्वजनिक पार्क (योजना के अनुसार छोटे बच्चों के खेल के मैदान की खुली जगह के क्रम से अधिक नहीं)

हालांकि, ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत क्षेत्र पर अनुमेय एफएआर / ग्राउंड कवरेज की गणना के लिए न्यूनतम योजना क्षेत्र की अपेक्षा को पूरा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

20.4.4 सभी टीओडी योजनाओं के लिए प्लॉटों का समामेलन और पुनर्गठन (आवासीय क्षेत्र और इलाके के पीएसपी सहित) की अनुमति दी जाएगी। टीओडी योजना क्षेत्र के भीतर मौजूदा सड़कों और खुली जगहों के पुनर्विन्यास की अनुमति होगी, बशर्ते कि:

20.4.4.1 पुनः विन्यास किए गए ले-आउट में सड़कों और खुले स्थानों में बराबर अथवा अधिक क्षेत्र प्रदान किया जाए। जिन क्षेत्रों में पैदल चलने वालों की आवाजाही के लिए सड़कों का ठीक-ठाक नेटवर्क पहले से मौजूद है, वहाँ तक इसे यथासंभव संरक्षित किया जाएगा।

20.4.4.2 सार्वजनिक पार्कों और सड़कों के मामले में संबंधित सार्वजनिक एजेंसियों से विधिवत अनुमोदन प्राप्त किया गया हो। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्रों को संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को सौंप दिया जाएगा और हर समय जनता के लिए खुला रखा जाएगा।

20.4.4.3 मौजूदा पेड़ों को कम से कम नुकसान हो।

20.4.4.4 खंड 20.4.3.3 के अनुसार मौजूदा सार्वजनिक पार्कों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों (यदि कोई हो) को संरक्षित किया जाएगा और उनकी गणना योजना की न्यूनतम हरित सार्वजनिक स्थान संबंधी अपेक्षा के प्रति नहीं की जाएगी।

20.4.5 ब्राउन फील्ड स्थलों के मामले में, इस नीति के अंतर्गत आवासीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि की अनुमति दी जाएगी (सहकारी समूह आवास समितियों के मामले में भी, जिसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज द्वारा संगत विनियमों/अधिनियमों में संशोधन किया जा सकता है)। हालांकि टीओडी स्कीम में मौजूदा आवासीय इकाइयों की संख्या को कम करने की अनुमति नहीं होगी।

20.4.6 टीओडी योजनाओं के अंतर्गत विकास-कार्य में नए विकास-कार्य, आंशिक/पूर्ण पुनर्निर्माण और मौजूदा संरचनाओं के आंशिक/पूर्ण रेट्रोफिटिंग का मिला-जुला रूप हो सकता है।

20.4.7 टीओडी योजनाओं में विभिन्न भूमि उपयोगों/उपयोग परिसरों के अंतर्गत प्लॉट शामिल हो सकते हैं। टीओडी योजना में प्रत्येक प्लॉट के लिए अनुमेय मिश्रित उपयोग निर्धारित भूमि-उपयोग/उपयोग परिसर पर निर्भर करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:

तालिका 20.1: टीओडी में मिश्रित उपयोग/एफएआर का वितरण

जेडडीपी/ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि उपयोग/प्लॉट का उपयोग परिसर	अनुमेय मिश्रित उपयोग (टीओडी योजना में एफएआर का वितरण)			
	आवासीय उपयोग के लिए एफएआर का न्यूनतम %	व्यावसायिक उपयोग के लिए एफएआर का न्यूनतम %	पीएसपी और/अथवा अन्य उपयोगी सेवाओं के लिए एफएआर का न्यूनतम %	अन्य उपयोग
आवासीय	50%	10%	20%	अन्य उपयोग* 20% तक की अनुमति है।
व्यावसायिक	30%	50%	10%	अन्य उपयोग* 10% तक की अनुमति है।
औद्योगिक	30%	10%	10%	शेष 50% एफएआर औद्योगिक उपयोग के लिए है।
सरकारी	30%	10%	10%	शेष 50% एफएआर किसी भी सरकारी उपयोग के लिए हो सकता है।
परिवहन	30%	10%	10%	शेष 50% एफएआर का उपयोग परिवहन सुविधाओं के लिए सभी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद किसी भी* प्रयोजन के लिए हो सकता है
पीएसपी (खंड 20.4.2 के अनुसार केवल आवासीय और आस-पड़ोस के स्तर पर पीएसपी प्लॉटों की अनुमति है)	ऐसे प्लॉटों के लिए एफएआर का उपयोग टीओडी योजना में पूरी तरह पीएसपी और/अथवा जन-उपयोगिताओं के लिए किया जाएगा।			

** इस शेष एफएआर का उपयोग परियोजना की आवश्यकता के अनुसार आवासीय, व्यावसायिक और पीएसपी के मिश्रित रूप में किसी भी अनुपात में किया जा सकता है।*

20.4.8 अधिसूचित मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक सड़कों के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्लॉट, जो टीओडी योजना का हिस्सा हैं, को तालिका 20.1 में 'आवासीय' के लिए निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा।

20.4.9 टीओडी योजना में प्रत्येक घटक के लिए एफएआर और मिश्रित उपयोग की अलग-अलग गणना की जाएगी। टीओडी योजना के लिए समग्र मिश्रित उपयोग प्रत्येक घटक प्लॉट के लिए परिकलित मिश्रित उपयोग का कुल योग होगा। डीई के पास डिजाइन को ध्यान में रखते हुए पूरे पुनर्गठित योजना क्षेत्र पर ऐसे समग्र मिश्रित

उपयोग का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होगी। निर्धारित मिश्रित उपयोग को भवनों के भीतर उपयोग के ऊर्ध्वाधर मिश्रित उपयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि:

20.4.9.1 केवल गैर-विनिर्माण उद्योग (सेवा उद्योग जैसे आईटी / आईटीईएस, बीपीओ/केपीओ आदि) और गैर-प्रदूषणकारी एमएसएमई इकाइयां ही आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग जैसे अन्य उपयोगों के साथ जोड़ी जाएँ।

20.4.9.2 शैक्षणिक संस्थानों, आंगनवाड़ियों, शिशुगृह, वृद्धाश्रम आदि को अस्पतालों, दंड संस्थानों जैसे कि सुधार गृह, जेल, या विनिर्माण और/या भण्डारण केन्द्रों के साथ न जोड़ा जाए।

20.4.9.3 उपर्युक्त सुविधाओं को अनिवार्यत: निचली मंज़िलों पर निर्मित किया जाना चाहिए, अधिमानतः टीओडी योजना के खुले स्थानों तक पहुंच की सुविधा के साथ ।

20.4.9.4 प्रचलित यूबीबीएल की वैधानिक अपेक्षा का अनुपालन करते हुए उपयोगों के ऊर्ध्वाधर मिश्रण वाले भवनों में आवश्यक अलग प्रवेश-स्थल/निकास और सर्विस कोर प्रदान करना होगा।

20.4.10 टीओडी योजना के अंतर्गत परिवहन भूमि के उपयोग के अंतर्गत आने वाले प्लॉटों के लिए, एफएआर, भूमि कवरेज, न्यूनतम योजना क्षेत्र और मिश्रित उपयोग की गणना के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा:

20.4.10.1 ट्रांज़िट स्टेशनों के प्लेटफार्मों का क्षेत्र जिसमें केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई तक पटरियों के नीचे की भूमि होगी।

20.4.10.2 डिपो के मामले में, परिचालन क्षेत्र जिसमें ऐसे प्लॉटों के भीतर पटरियों के नीचे की भूमि होगी।

इन क्षेत्रों में ओवर स्टेशन और ओवर ट्रैक विकास कार्य की अनुमति होगी। ओवर स्टेशन का विकास कार्य प्लेटफॉर्म की लंबाई तक सीमित होगा।

20.4.11 व्यावसायिक एफएआर का उपयोग सामुदायिक केंद्र (टीओडी योजनाओं में 18 से 30 मीटर के मार्गाधिकार के साथ) और जिला केंद्रों (टीओडी योजनाओं में 30 मीटर या उससे अधिक के मार्गाधिकार के साथ) में अनुमेय कार्यकलाप करने के लिए किया जा सकता है।

20.4.12 डीई टीओडी योजना ले-आउट के भाग के रूप में निम्नलिखित अनिवार्य सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्था करेगा:

20.4.12.1 हरित सार्वजनिक स्थल:

i) समामेलित प्लॉट का 20% क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग के लिए हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। डीई इसे छोटे टुकड़ों (पार्सल) के रूप में डिजाइन और विकसित करेगा जो सार्वजनिक स्थल के रूप में समुदाय के लिए उपयोगी हो तथा कम से कम एक टुकड़ा 2000 वर्ग मीटर का होना चाहिए। इस तरह के हरित स्थान को गेट-मुक्त रखा जाएगा, कम से कम एक तरफ से एक मार्गाधिकार (18 मीटर या उससे अधिक) से सीधे पहुंच-सुविधा हो और रखरखाव के लिए संबंधित स्थानीय निकाय को सौंपा जाएगा। ऐसे हरित स्थल पर किसी पार्किंग या बेसमेंट की अनुमति नहीं होगी।

ii) डीई द्वारा अधिभोगियों के अनन्य उपयोग के लिए अतिरिक्त 10% हरित स्थल/मनोरंजक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसमें प्लाज़ा, बच्चों के खेल के स्थान, हरित स्थल, बगीचा, साझे क्षेत्र आदि शामिल हो सकते हैं, जो बेसमेंट, पोडियम, टैरेस आदि पर भी दिए जा सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए गए पोडियम क्षेत्र को ग्राउंड कवरेज की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

iii) परिवहन भूमि उपयोग के मामले में, जहां पटरियों के नीचे बड़े क्षेत्र वाली टीओडी योजनाओं में जमीनी स्तर पर हरित सार्वजनिक स्थल बनाना संभव नहीं है, इस अपेक्षा को पोडियम स्तर के सार्वजनिक हरित स्थल बनाकर पूरा किया जा सकता है। इस तरह के हरित स्थल का रखरखाव संबंधित परिवहन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

20.4.12.2 सार्वजनिक सड़क नेटवर्कः डीई टीओडी योजना के भीतर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग के लिए अतिरिक्त सड़कों / गलियों का निर्माण करेगा।

i) सड़क नेटवर्क की योजना लगभग 250 मीटर सी/सी के वाहन मार्ग नेटवर्क के साथ और लगभग 100 मीटर सी/सी के पैदल यात्री नेटवर्क के साथ बनाई जाएगी।

ii) जमीनी परिस्थितियों के आधार पर, इसमें अधिकतम 10% तक की छूट दी जा सकती है।

20.4.13 शहर स्तर के पीएसपी प्लॉट (सामुदायिक या क्षेत्रीय पीएसपी और माध्यमिक स्कूल) किसी भी टीओडी योजना का हिस्सा नहीं हो सकते। हालांकि, टीओडी नोड में बढ़ी हुई आबादी को सेवा देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पीएसपी सुविधाओं हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए, टीओडी योजना क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से शामिल ऐसे किसी भी पीएसपी प्लॉट (1 हे. से अधिक या समकक्ष) को स्टैंड-अलोन टीओडी योजनाओं के रूप में आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की योजनाएं मौजूदा अनुमेय एफएआर के 1.5 गुना तक अतिरिक्त एफएआर प्राप्त कर सकती हैं, जो अधिकतम 500 तक होगी। निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी:

20.4.13.1 मिश्रित उपयोग मानदंड ऐसे स्थलों पर लागू नहीं होंगे, और मौजूदा उपयोग- आधार बरकरार रखा जाएगा।

20.4.13.2 स्कूल के प्लॉटों के मामले में, खेल के मैदान के अंतर्गत मौजूदा क्षेत्र को उसी प्लॉट के भीतर बनाए रखा जाएगा या बढ़ाया जाएगा।

20.4.13.3 निकटवर्ती सड़क का मार्गाधिकार 30 मी. से कम नहीं होगा।

20.4.14 दो टीओडी नोड में आने वाली टीओडी योजनाओं (जहां ऐसे टीओडी नोड के प्रभाव क्षेत्र समीप और निकटवर्ती हैं) के संबंध में अनुमोदन के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे इस नीति के अंतर्गत अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।

20.4.15 स्टेशन क्षेत्र विकास अथवा मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब के विकास के लिए कई परिवहन एजेंसियों के बीच संयुक्त उद्यम शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। इस तरह की परियोजनाओं को विभिन्न परिवहन सेवाओं के बीच एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और यात्रियों की सहज आवाजाही के लिए एक ही भवन/परिसर के हिस्से के रूप में डिज़ाइन किया जा सकता है। जहां भी संभव हो, टीओडी योजना के विकास और बड़े परिवहन स्टेशनों के बीच, सम्मिलन स्तर का एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, और उसकी लागत डीई द्वारा वहन की जाएगी।

20.4.16 डीई टीओडी विनियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास-कार्य करेगा।

20.5 टीओडी योजनाओं के लिए विकास नियंत्रण मानदंड

20.5.1 इस नीति के विकास नियंत्रण मानदंड सभी टीओडी योजनाओं पर लागू होंगे और प्लान के अंतर्गत किसी भी अन्य नीति/प्रावधानों के साथ मतभेद के मामले में प्रभावी होंगे। टीओडी योजनाओं के अंतर्गत विकास-कार्य नए विकास, मौजूदा संरचनाओं के आंशिक/पूर्ण पुनर्निर्माण और आंशिक/पूर्ण रेट्रोफिटिंग का मिला-जुला रूप हो

सकता है। इस संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यनीति डीई द्वारा टीओडी योजना के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाएगी और विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित की जाएगी।

20.5.2 **एफएआर**

20.5.2.1 टीओडी योजना के लिए एफएआर की गणना सभी घटक प्लॉटों के लिए एफएआर गणना के योग के रूप में की जाएगी। प्रत्येक घटक प्लॉट के लिए एफएआर पात्रता की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

i) एफएआर प्लॉट पर मौजूदा अनुमेय एफएआर का 1.5 गुना या 300 होगा, जो भी अधिक हो।

ii) टीओडी योजनाओं में शामिल किसी भी प्लॉट के लिए अधिकतम एफएआर सीमा 500 होगी।

iii) 4 हेक्टे. और उससे अधिक के क्षेत्र वाली बड़ी टीओडी योजनाएं, जहां 30 मी. मार्गाधिकार वाली सड़कों से सीधी पहुंच हो, सभी घटक प्लॉटों पर 500 के एफएआर के लिए पात्र होंगी, यदि व्यवहार्य हो।

20.5.2.2 हालांकि संपूर्ण पात्र एफएआर का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है, सभी टीओडी योजनाओं द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:

i) न्यूनतम एफएआर का उपयोग प्रत्येक प्लॉट के लिए मौजूदा अनुमेय एफएआर के समतुल्य हो।

ii) मिश्रित उपयोग के समग्र अनुपात को हमेशा बनाए रखा जाए।

20.5.2.3 ऐसी टीओडी योजनाओं के मामले में, जिनमें मौजूदा सर्विस लेन/सार्वजनिक सड़कें/सार्वजनिक नालियां/सार्वजनिक पार्क आदि शामिल हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि को एफएआर की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

20.5.2.4 विकास-कार्य के हिस्से के रूप में दी गई कोई भी सार्वजनिक सुविधा जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, पुल इत्यादि एफएआर से मुक्त होगी, इस शर्त के अध्यधीन कि उनका रखरखाव डीई द्वारा नियमित रूप से किया जाए और दिन भर जनता के लिए खुली और सुलभ रहें, ऐसा न होने पर संबंधित स्थानीय निकाय उसका अधिग्रहण कर लेगा।

20.5.2.5 ऐसी टीओडी योजनाएं जो ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों के कारण अनुमेय एफएआर का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अग्नि सुरक्षा अपेक्षा के अध्यधीन और हरित सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत बनाए रखे जाने वाले क्षेत्र को कम किए बिना ग्राउंड कवरेज और सेटबैक में छूट दी जा सकती है।

20.5.2.6 30 मीटर और अधिक के मार्गाधिकार से सीधी पहुंच वाली बड़ी टीओडी योजनाओं (4 हेक्टेयर या उससे अधिक) को टीडीआर प्राप्त क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा और डीसीएन के अनुसार टीडीआर का उपयोग किया जाएगा।

20.5.3 **आवासीय इकाइयों का आकार**

20.5.3.1 टीओडी योजना के भीतर मौजूदा आवासीय इकाइयों को समायोजित करने के लिए आवासीय इकाइयों के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

20.5.3.2 टीओडी योजनाओं के भीतर किफायती और गैर-स्वामित्व वाले आवास (किराये के आवास, छात्रों के लिए मकान और छात्रावास) को प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे

i) मौजूदा आवास इकाइयों की संख्या को समायोजित करने के बाद, शेष आवासीय एफएआर का 60 वर्ग मीटर तक के आकार की आवासीय इकाइयों का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

ii) यदि टीओडी योजना में ऐसे प्लॉट शामिल हैं जहां कोई मौजूदा आवासीय विकास-कार्य नहीं हुआ है, वहाँ आवासीय एफएआर के कम से कम 50% का उपयोग 80 वर्ग मीटर तक के आकार की आवासीय इकाइयों को निर्मित करने के लिए किया जाएगा।

iii) यदि टीओडी योजनाओं में मौजूदा निर्मित और खाली प्लॉटों का मिलाजुला रूप है, तो टीओडी स्कीम में आवास इकाइयों का अंतिम मिश्रित रूप उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार यथानुपात आधार पर तय किया जाएगा।

20.5.4 **ग्राउंड कवरेज और सेटबैक:** सेटबैक और ग्राउंड कवरेज संबंधी मानदंड योजना क्षेत्र के लिए पुनर्गठित प्लान के अंतर्गत संपूर्ण टीओडी योजना सीमा पर लागू होंगे।

20.5.4.1 अधिकतम 40% ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।

20.5.4.2 निम्नलिखित सेटबैक बनाए रखे जाएंगे:

तालिका 20.2: टीओडी स्कीमों में सेटबैक

प्लॉट के छोर का प्रकार	**सेटबैक**
18 मी. और अधिक के मार्गाधिकार वाली सार्वजनिक सड़क	• कोई सेटबैक नहीं। • बिल्डिंग लाइन का कम से कम 90% छोर तक निर्मित होगा।
18 मी. मार्गाधिकार से कम वाली सड़कें या स्थल का छोर जिसके सामने पार्क, प्राकृतिक नाले, जंगल, आदि है। समीपवर्ती प्लॉट के साथ साझा छोर ।	• 6 मी का सेटबैक। • सार्वजनिक आवाजाही के लिए सेटबैक को हर समय अनवरुद्ध रखा जाएगा। • शोर में कमी के लिए वृक्षारोपण और अग्नि हाइड्रेंट जैसी जन- उपयोगिताओं की अनुमति दी जाएगी।

20.5.4.3 सक्रिय अग्रभाग में आर्केड, कोलोनेड, शॉपफ्रंट, पैदल यात्री प्रवेश स्थल / निकास, प्लाज़ा, एक्सेस पॉइंट, पारदर्शी खिड़कियां आदि शामिल हैं।

i) 18 मी. के मार्गाधिकार वाली सड़कों के साथ अग्रभाग का कम से कम 50% और अन्य सभी सड़कों (सार्वजनिक सड़कों सहित) के साथ कम से कम 10% अग्रभाग को सक्रिय अग्रभाग के रूप में रूप में बनाए रखा जाएगा।

ii) छोर तक बनाए गए भवनों में से आगे निकले किसी हिस्से को बढ़ाने (बालकनियां, तिरपाल आदि) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii) सभी वाहन साइड स्ट्रीट से प्रवेश करेंगे। ऐसे स्थलों के मामले में, जहां कोई साइड स्ट्रीट उपलब्ध नहीं है, वहाँ टीओडी योजना के हिस्से के रूप में 12 मीटर मार्गाधिकार वाली कम से कम एक सड़क बनाई जानी होगी।

iv) व्यावसायिक अग्रभाग का भूतल स्तर पर कम से कम 50% पारदर्शी (अन-टिंटेड) अग्रभाग होगा। आवासीय अग्रभाग में बालकनियां/ बरामदे और सक्रिय स्थल होंगे जिनका मुख सार्वजनिक मार्गाधिकार की ओर होगा।

v) सभी पार्किंग संरचनाओं/पोडियम या स्टिल्ट का भू-तल मुख्य सड़कों की ओर सक्रिय अग्रभाग के साथ निर्मित होना चाहिए।

vi) 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई अथवा दो मंजिल से अधिक की ऊंचाई के सभी भवनों को 10 मीटर तक कम किया जा सकता है। पर्याप्त प्रकाश और खुली हवा के लिए आवश्यक अन्य किसी भी ऐसी व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा।

20.5.5 **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवास**: डीई प्लान के मानदंडों के अनुसार टीओडी योजना के भीतर अच्छे ईडब्ल्यूएस आवास निर्मित करेगा। ईडब्ल्यूएस का एफएआर आवासीय एफएआर के अतिरिक्त होगा जो योजना में अधिकतम स्वीकार्य आवासीय एफएआर के 15% के रूप में परिकलित किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आवास की अपेक्षा को योजना के भीतर एक पृथक सु-अभिकल्पित क्षेत्र के रूप में पूरा किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक हरित क्षेत्र और सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता के साथ कम/मध्य-ऊंचाई, उच्च घनत्व वाला निर्माण होगा।

20.5.6 **पार्किंग:**

20.5.6.1 टीओडी योजनाएं कवर किए गए प्रति 100 वर्ग मीटर में एक कार के समतुल्य स्थान (ईसीएस) मुहैया करेंगी जहां पार्किंग क्षेत्र का 5% हिस्सा अनिवार्यत: साइकिल और व्हीलचेयर के लिए निर्धारित होगा।

20.5.6.2 डीई टीओडी योजनाओं के भीतर सभी पार्किंग सुविधाओं का कम से कम 50% हिस्सा 'सार्वजनिक पार्किंग' सुविधा के रूप में देगा।

20.5.6.3 पार्किंग क्षेत्र का कम से कम 10% हिस्सा निर्धारित नीति / यूबीबीएल के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट से लैस होगा।

20.5.7 **अन्य नियंत्रण**

20.5.7.1 **भवन-निर्माण संबंधी अन्य नियंत्रण:**

i) भवन डिजाइन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी आवास इकाइयों में प्राकृतिक वेंटिलेशन हो और कम से कम एक रहने योग्य कमरे में सूर्य का सीधा प्रकाश प्राप्त हो।

ii) जहां इमारतें बड़े ट्रांजिट स्टेशनों के निकट हैं वहाँ शोर में कमी करने के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे:

20.5.7.2 **विभिन्न उपयोग परिसरों का अवस्थिति :**

i) पीएसपी और व्यावसायिक उपयोग निचली मंजिलों पर स्थित होंगे जहां पर्याप्त सार्वजनिक अग्रभाग दिया जाएगा।

ii) बच्चों के लिए क्रेच (बाल देखभाल केन्द्र), डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं टीओडी योजना के हिस्से के रूप में प्रदान की जाएंगी। इस तरह की सुविधाएं योजना के भीतर बनाई गई सार्वजनिक सड़क पर होंगी जहां योजना के अंदर नियोजित सार्वजनिक हरित क्षेत्र भी सुलभ होगा।

20.5.7.3 **टीओडी योजना के भीतर सार्वजनिक सड़कों संबंधी मानदंड:**

i) सभी नई सड़कें (स्ट्रीट फर्नीचर, प्रकाश और रोशनी और सार्वजनिक सुविधाएं) स्ट्रीट डिजाइन विनियम (अनुलग्नक 7) के अनुसार होंगी और एमएमआई के किसी भी प्रस्ताव के साथ पूरी तरह से एकीकृत होंगी, पैदल चलने और साइकिल चलाने के संबंध में टीओडी नोड के लिए आईज़ेडपी के अनुसार बनाई जाएंगी।

ii) सार्वजनिक सुविधाओं के डिजाइन में पृथक चाइल्ड केयर रूम, साइकिल चालकों के लिए कपड़े बदलने के लिए स्थान और पीने के पानी की व्यवस्था शामिल होगी।

iii) नेटवर्क के साथ प्रत्येक 100 मीटर के अंतराल पर साइकिल पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। इनकी गणना ईसीएस की अनिवार्य अपेक्षा के रूप में की जा सकती है।

iv) टीओडी योजनाओं के भीतर सार्वजनिक सड़क नेटवर्क को आंशिक रूप से वॉकवे, पुल या बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से कवर किया जा सकता है, बशर्ते कि:

- कवर की गई लंबाई नेटवर्क की कुल लंबाई के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो।
- ऐसे वॉकवे, पुल या बिल्डिंग ब्लॉक की ऊंचाई सड़क के उच्चतम बिंदु के भाग से स्पष्ट रुप से 8 मीटर ऊपर हों।

v) ऐसी टीओडी योजनाएं जिनमें योजना क्षेत्र के भीतर मेट्रो स्टेशन शामिल हैं, वे जमीन पर या समतल स्तर पर सभाओं/अधिक भीड़ के लिए पैदल यात्री प्लाज़ा बनाएंगे, जैसा भी व्यवहार्य हो। इस तरह की योजनाओं के डिजाइन में आईपीटी, बसों, निजी वाहनों के लिए ड्रॉप-ऑफ आदि के लिए बहु-मोडल एकीकरण सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।

vi) सड़क नेटवर्क को हर समय सड़क के किनारों पर उपयुक्त सार्वजनिक गतिविधि प्रोग्रामिंग के ज़रिए सक्रिय रखा जाएगा जैसे कि वेंडिंग ज़ोन, प्लाज़ा, दुकानें, रेस्तरां, खुली जगह, आदि।

20.5.7.4 **वहनीयता विशेषताएँ:**

i) टीओडी योजनाएं, दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित सभी हरित मानदंडों को योजना की मंजूरी के समय पूरा करेंगी। एक स्कीम के भीतर हरित और सार्वजनिक स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि जहां तक संभव हो ग्रीन-ब्लू और सार्वजनिक स्थल नेटवर्क बनाया जा सके।

ii) प्रत्येक टीओडी योजना निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- अपशिष्ट जल का 100% उपचार और अधिकतम पुन:उपयोग;
- हरित अपशिष्ट की 100% छंटाई और उसका पुन:उपयोग;
- ऊर्जा की कम से कम 10% मांग को सौर-ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जाना चाहिए।
- वर्षा जल को लागू मानदंडों के अनुसार प्रत्यक्ष पुन: उपयोग और भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए प्रयोग में लाना।
- सतह वाली पार्किंग और खुले मैदानों पर केवल पारगम्य सामग्रियों का उपयोग किया जाए।

अनेक योजनाएं/डीई इन वहनीयता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं।

20.5.7.5 **सार्वभौमिक बाधा-रहित पहुँच** - टीओडी योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित सभी सार्वजनिक स्थल, सड़कें, हरित सार्वजनिक स्थल, पार्किंग क्षेत्र, भवन आदि और आईज़ेडपी के अनुमोदन के अनुसार शुरु किए गए सभी क्षेत्र सुधार कार्यों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा-रहित सार्वभौमिक पहुँच के वातावरण हेतु तैयार किए गए सुमेलित दिशानिर्देश और स्थान मानक के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा।

--- x --- x ---- x --- x ---

खंड 8

योजना निगरानी और मूल्यांकन

21.0 निगरानी फ्रेमवर्क

अध्याय कोड
PME

21.1.1 शहरी विकास को दिशा देने के लिए महायोजना एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। योजना की कार्यनीतियों का बदलती जरूरतों के अनुसार ढलना और उनके समनुरूप होना और यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि शहर के विकास के लिए पहचाने गए विज़न और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रावधान प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें। इसके लिए प्रमुख निष्पादन संकेतकों, समय-सीमा और कार्य-बिंदुओं का समय-समय पर जायजा लेने के लिए एक मजबूत निगरानी फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी।

21.1.2 महायोजना की विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की वास्तविक धरातल पर हुई प्रगति की सतत निगरानी की जाएगी, जिससे डाटा प्राप्ति और विश्लेषण में लगने वाला समय कम होगा। हर पांच वर्ष में विस्तृत समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो महायोजना को संशोधित भी किया जाएगा।

21.1.3 इस प्रकार के गतिशील फ्रेमवर्क को बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से सुदृढ बनाया जाएगा:

i) **केपीआई आधारित मूल्यांकनः** योजना की प्रभावशीलता को मापने के लिए विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) वाले एक मूल्यांकन फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया जा रहा है। केपीआई शहर के संबंध में बड़े परिणामों को मापने पर केंद्रित है और लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में सुधार करने में सहायक होंगे।

ii) **बहु-एजेंसी समन्वय:** इसमें अनेक संबंधित एजेंसियों के सदस्यों सहित विभिन्न समन्वय समितियां शामिल होंगी। ये समितियाँ कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेंगी, अंतर-एजेंसी समन्वय को सुसाध्य बनाएंगी और बाधाएं आने पर (यदि कोई हो) उनका समाधान करेंगी।

iii) **डाटा साझा करना और प्रबंधन:** संबंधित निगरानी एजेंसियों द्वारा डाटा साझा करने की प्रक्रिया, विवरण और आवधिकता तय करने के लिए एक डाटा प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा ताकि योजना निगरानी के लिए आवश्यक डाटा की तुलना की जा सके।

iv) **समर्पित निगरानी इकाई**: योजना की प्रगति की निगरानी के लिए दि.वि.प्रा. में एक अंतःअनुशासनिक टीम का गठन किया जाएगा।

v) **कार्यान्वयन सहायताः** समुचित कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न स्थानिक नीतियों (देखें: भाग 7) के कार्यान्वयन से जुड़ी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकल खिड़की प्रणालियों, मजबूत शिकायत प्रबंधन फ्रेमवर्क और वास्तविक समय में ट्रैकिंग करके सुव्यवस्थित किया जाएगा। विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी।

21.2 मूल्यांकन फ्रेमवर्क

21.2.1 योजना अवधि के लिए निर्धारित विज़न और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में दिल्ली द्वारा की गई प्रगति को निम्नलिखित प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआर) से मापा जाएगा:

i) स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी
ii) जल प्रदूषण नियंत्रण
iii) हरित क्षेत्र में वृद्धि
iv) जलाशयों का पुनरूद्धार
v) बाढ़ जोखिम में कमी
vi) अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग
vii) भूजल संवर्धन
viii) लैंडफिल दबाव को कम करना
ix) अपशिष्ट का संपन्नता में परिवर्तन
x) कुल ऊर्जा उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा
xi) भूकंपीय अनुपालन
xii) आग लगने की घटनाओं से सुरक्षा
xiii) नए आवास स्टॉक में छोटे आकार के आवास का हिस्सा
xiv) स्लम पुनर्वास
xv) सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की ओर बढ़ना
xvi) इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाना
xvii) मानव विकास सूचकांक
xviii) विरासत संरक्षण
xix) सार्वजनिक सड़कों की जीवंतता
xx) कार्यबल में महिला भागीदारी

21.2.2 इन संकेतकों का विवरण अनुलग्नक 11 में दिया गया है।

21.2.3 ये संकेतक महायोजना के लक्ष्यों से जुड़े तीन प्रमुख सूचकांकों में योगदान करेंगे:

21.2.3.1 **पर्यावरणीय संपोषणीयता सूचकांक**: जो योजना के लक्ष्य 1 (जी1) के अनुरूप है,

21.2.3.2 **निर्मित पर्यावरण सूचकांक**: जो योजना के लक्ष्य 2 (जी2) के अनुरूप है,

21.2.3.3 **शहर जीवंतता-सूचकांक (सिटी वाइटलिटी इंडेक्स)**: जो योजना के लक्ष्य 3 (जी3) के अनुरूप है।

21.2.4 केपीआई निम्नानुसार इन सूचकांकों की गणना में सहायता करेगा:

21.2.4.1 दस महत्वपूर्ण केपीआई पर्यावरणीय संपोषणीयता सूचकांक में योगदान करते हैं। ये हैं— *स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी; जल प्रदूषण नियंत्रण; हरित क्षेत्र में वृद्धि; जलाशयों का पुनरुद्धार; बाढ़ जोखिम में कमी; अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग; भूजल संवर्धन; लैंडफिल दबाव को कम करना; अपशिष्ट का संपन्नता में परिवर्तन; और कुल ऊर्जा-उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा। इसके अतिरिक्त, दो अन्त:संबन्धित (क्रॉस-कटिंग) केपीआई, अर्थात् सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की ओर बढ़ना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना भी इस सूचकांक में योगदान करते हैं।*

21.2.4.2 छह महत्वपूर्ण केपीआई निर्मित पर्यावरण सूचकांक में योगदान करते हैं। ये हैं—*भूकंपीय अनुपालन; आग लगने की घटनाओं से सुरक्षा; नए आवास स्टॉक में छोटे आकार के आवास का हिस्सा; स्लम पुनर्वास; सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की ओर बढ़ना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना।* इसके अतिरिक्त, बाढ़ जोखिम में कमी के रूप में अन्तःसंबन्धित (क्रॉस-कटिंग) परिवर्तनीय कारक भी इस सूचकांक में योगदान देता है।

21.2.4.3 चार महत्वपूर्ण केपीआई शहर की जीवंतता-सूचकांक (सिटी विटैलिटी इंडेक्स) में योगदान करते हैं। ये हैं- *मानव विकास सूचकांक, विरासत संरक्षण, सार्वजनिक सड़कों की जीवंतता और कार्यबल में महिला भागीदारी।*

21.2.4.4 योजना के कार्यान्वयन में शहर की समग्र प्रगति का आकलन करने के लिए एक व्यापक **दिल्ली निवास-योग्यता सूचकांक (Liveability Index)** भी विकसित किया जाएगा। यह सभी 20 संकेतकों के संबंध में हुई प्रगति का उपयोग करके आकलित किया जाएगा।

21.2.4.5 सभी केपीआई मात्रात्मक हैं, और 2021-41 के बीच प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए वांछित लक्ष्यों से तुलना करके इनका आकलन किया जाएगा। खण्ड 21.3 में इंगित तीन समन्वय समितियां योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के भीतर इन वांछित लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। विभिन्न संबंधित विभागों/एजेंसियों के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

21.3 बहु-एजेंसी समन्वय फ्रेमवर्क

21.3.1 तीन निगरानी समितियां नामतः पर्यावरणीय संपोषणीयता समिति (ईएस-सीओएम), निर्मित पर्यावरण समिति (बीई-सीओएम) और शहर जीवंतता समिति (सीवी-सीओएम) गठित की जाएंगी जो योजना के तीन लक्ष्यों के संबंध में की गई प्रगति की निगरानी करेंगी। इन समितियों में संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे और उनकी अध्यक्षता दि.वि.प्रा. के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी।

21.3.1.1 पर्यावरणीय संपोषणीयता समिति (ईएस-सीओएम), अध्याय ईएनवी1, ईएनवी2, आईएनएफ1, आईएनएफ2, आईएनएफ3, आईएनएफ4, में कार्रवाई योग्य मदों में की गई प्रगति की निगरानी करेगी और पर्यावरणीय संपोषणीयता सूचकांक से संबंधित केपीआई का जायजा लेगी।

21.3.1.2 निर्मित पर्यावरण समिति (बीई-सीओएम) अध्याय एसएस1, एसएस2, एमओबी1, एमओबी2, एमओबी3, एमओबी4 में कार्रवाई योग्य मदों में की गई प्रगति की निगरानी करेगी और निर्मित पर्यावरण सूचकांक से संबंधित केपीआई का जायजा लेगी।

21.3.1.3 शहर जीवंतता समिति (सीवी-सीओएम) अध्याय ईसीओ, एचसीपी1, एचसीपी2 में कार्रवाई योग्य मदों में की गई प्रगति की निगरानी करेगी और शहर जीवंतता-सूचकांक से संबंधित केपीआई का जायजा लेगी।

21.3.2 इन समितियों के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए ईएस-सीओएम, बीई-सीओएम और सीवी-सीओएम के अंतर्गत उप-समितियों का गठन किया जा सकता है। यह समितियां संबंधित एजेंसियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए विस्तृत कार्य योजना और विशेष परियोजनाएं तैयार करने का निर्देश भी दे सकती हैं।

21.3.3 प्रत्येक निगरानी समिति द्वारा एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो योजना के वास्तविक धरातल पर हुए कार्यान्वयन के संबंध में यथास्थिति को उजागर करेगी और आवश्यकतानुसार सुधार के लिए उपाय सुझाएगी।

21.3.4 तीनों निगरानी समितियाँ दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त-शीर्ष समीक्षा समिति को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करेंगी। शीर्ष समिति वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करेगी, समन्वय सहायता करेगी और आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन का सुझाव देगी।

21.3.5 विभिन्न एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किन्हीं चुनौतीपूर्ण कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा करने, रोड मैप की समीक्षा करने और समग्र प्रगति एवं भविष्य की योजनाओं और परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा एक वार्षिक बहु-एजेंसी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है।

21.4 डाटा साझा करना और प्रबंधन

21.4.1 शीर्ष समीक्षा समिति उन मुख्य डाटा बिंदुओं की सूची को अंतिम रूप देगी जिन्हें केपीआई के आकलन के लिए समय-समय पर प्रत्येक एजेंसी द्वारा निगरानी और साझा करने की आवश्यकता होती है। सभी संबंधित एजेंसियों के लिए एक औपचारिक डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल स्थापित किया जाएगा जिसमें डाटा बिंदुओं, मैट्रिक्स और मानकीकृत इकाइयों, डाटा कैप्चर करने के लिए स्रोत और तरीके, रिपोर्टिंग की आवधिकता आदि को दर्शाया जाएगा। संबंधित एजेंसियों द्वारा इसका अनिवार्यतः पालन किया जाएगा।

21.4.2 दि.वि.प्रा. संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रत्येक केपीआई से संबंधित डाटा अपलोड करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित करेगा, जिसे संबंधित केपीआई की निगरानी करने वाली समितियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

21.5 दि.वि.प्रा. में योजना निगरानी और समीक्षा इकाई

21.5.1 दि.वि.प्रा. में एक समर्पित योजना निगरानी और समीक्षा इकाई (पीएमआरयू) स्थापित की जाएगी जिसमें योजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न सहायक कार्यों को पूरा करने के लिए पेशेवरों की एक अंतःअनुशासनिक टीम शामिल होगी।

21.5.2 पीएमआरयू निम्नलिखित निर्देशात्मक कार्य करेगा:

i) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर डाटा बैंक का विकास करना।

ii) प्राप्त/संकलित आंकड़ों के आधार पर वार्षिक समीक्षा रिपोर्टें तैयार करना।

iii) महायोजना (दिल्ली स्थानिक सूचना प्रणाली) के जीआईएस डाटाबेस की प्रबंध-व्यवस्था करना, जिसमें विभिन्न एजेंसियों से तत्काल प्राप्त जानकारी (रियल टाइम इनपुट) के साथ डाटाबेस को अद्यतन करना, जमीनी सर्वेक्षण, सीएलयू आदि शामिल हैं।

iv) खंड 21.6.2 के अनुसार दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित ऑनलाइन नागरिक पोर्टल का प्रबंधन करना।

v) अनेकानेक विषयों से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियों, मुद्दों और चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करना अथवा करवाना।

vi) शीर्ष समीक्षा समिति के लिए एक तकनीकी सहायता इकाई के रूप में कार्य करना।

21.6 कार्यान्वयन सहायता

21.6.1 दि.वि.प्रा. योजना की विभिन्न स्थानिक विकास नीतियों (संदर्भः भाग 7) के सुचारू कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन एकल खिड़की तंत्र स्थापित करेगा। यह पोर्टल आवेदन करने, योजनाओं में भाग लेने, अनुमोदन की स्थिति पर नज़र रखने आदि के लिए एक स्थान पर उपलब्ध सुविधा के रूप में कार्य करेगा।

21.6.2 दि.वि.प्रा. नियमित आधार पर जानकारी प्रदान करने के लिए तथा साथ ही नागरिकों द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक ऑनलाइन नागरिक पोर्टल भी तैयार करेगा और उसे बरकरार रखेगा। एक ऑनलाइन डैशबोर्ड भी पोर्टल के भीतर शामिल किया जा सकता है जिसमें डाटा के तत्काल (रीयल टाइम) विश्लेषण और महत्वपूर्ण चरण/उपलब्धियों पर रिपोर्टिंग शामिल हो।

21.6.3 दि.वि.प्रा. और अन्य सरकारी एजेंसियां शहर के नियोजित और अनियोजित दोनों क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र सुधार परियोजनाओं की संकल्पना तैयार करने, डिजाइन बनाने और निष्पादन के लिए हितधारक समूहों जैसे आरडब्ल्यूए, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन या सिविल सोसाइटी संगठनों को तकनीकी सहायता और आरंभिक सहायता प्रदान कर सकती हैं।

21.6.4 दि.वि.प्रा. और अन्य सरकारी एजेंसियां, वास्तविक स्तर पर योजना कार्यान्वयन के प्रभावों को समझने और उनका आकलन करने; फीडबैक प्राप्त करने और राय जानने; शहर के लिए नियोजित विभिन्न परियोजनाओं और पहल पर सुझाव प्राप्त करने तथा सिटिजन-ड्रिवन इनोवेशन हेतु अवसर और मार्ग प्रदान करने के लिए विभिन्न नागरिक समूहों और हितधारकों जैसे महिलाएँ, युवा आदि के साथ निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।

21.6.5 दि.वि.प्रा. सरल रूप में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और आईईसी सामग्री तैयार करेगा, सामुदायिक कार्य द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सुधार, निर्मित वातावरण को हरा-भरा करने आदि जैसे विषयों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और इस तरह की सामग्री को अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराएगा।

--- x --- x ---- x --- x --- x ---

खंड 9

विकास कोड और विकास नियंत्रण मानदंड

अध्याय कोड
DCN

22.0 विकास नियंत्रण मानदंड

विकास नियंत्रण मानदंड विशेष प्रावधान है जो योजना में निहित भूमि उपयोग प्लान और नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत विकास को नियंत्रित करते हैं। यह सभी प्लॉटो/ एकीकृत स्कीमों/क्षेत्रों पर लागू होते हैं और इसमें सभी स्थलों पर समुचित विकास को प्रोत्साहित करके निर्मित और प्राकृतिक वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के परिकल्पना है।
कोई भी विकास, विस्तार, उपयोग रूपांतरण नवीन अथवाविद्यमान, उपयोग परिवर्तन, साइट परिवर्तन स्थानांतरण, पुननिर्माण तथा अन्य कोई भवन अथवा अन्य संरचना इन मानदंडों द्वारा शासित होंगी।

22.1 दिल्ली 2041 के लिए भूमि उपयोग योजना

22.1.1 दिल्ली मुख्य योजना-2041 (एमपीडी-2041) के लिए भूमि उपयोग प्लान को जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) प्लेटफॉर्म पर भूमि/साइट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिल्ली को 18 नियोजन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आधार मानचित्र में, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि के उपयोग, जोनल सीमाओं से संबंधित अतिव्यापी मुद्दों, मौजूदा/प्रस्तावित सड़कों की निरंतरता, वास्तविक साइट की स्थिति के अनुसार भूमि के वास्तविक आकार और आकृति का उपयोग/उपयोग क्षेत्रों का सुधार, आंचलिक योजना की सीमाओं को परिष्कृत करना आदि मास्टर प्लान में हल किए गए और शामिल किए गए हैं।

22.1.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मैपिंग को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण सहित अनधिकृत विकास का पता लगाने और रोकने के लिए भूमि की स्थिति के संबंध में मूल्यवान डेटा शामिल होगा और यह हरित क्षेत्रों के संरक्षण को सुविधा प्रदान करेगा।

22.1.3 विकास को नियंत्रित करने के लिए, विकास संहिता में 27 उपयोग जोन में क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन उपयोग जोनों को आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक, परिवहन, उपयोगिता, सरकारी, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं और ग्रीन बेल्ट तथा जलाशय जैसे भूमि उपयोग की नौ श्रेणियों में प्रमुख तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इन उपयोग जोनों में विकास, नियमों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि विकास संहिता और संबंधित अध्यायों में निर्दिष्ट किया गया है।

22.2 जोनल विकास योजनाएँ

22.2.1 मुख्य योजना 2041 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 18 योजना जोनों (डिवीजनों) में विभाजित किया गया है, जिन्हें 'ए' से 'पी' (जोन 'आई' को छोड़कर) तक निर्दिष्ट किया गया है।

22.2.2 जोनल योजनाएं लेआउट योजना और मास्टर प्लान के बीच कड़ी के रूप में कार्य करेंगी। विभिन्न उपयोग परिसरों को इंगित करने वाली विकास योजनाएं और लेआउट योजनाएं, मास्टर प्लान / जोनल योजनाओं के अनुरूप होंगी।

22.2.3 किसी भी क्षेत्र की जोनल योजना के अभाव में, मुख्य योजना के प्रावधानों के अनुसार विकास किया जाएगा। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार मुख्य योजना में भूमि उपयोग / संशोधन के बिना किसी भी शहरी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जोनवार अनुमानित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 22.1: जोन वार क्षेत्र

क्र.सं.	जोन	जोन का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	ए	चारदीवारी शहर + चारदीवारी शहर के अतिरिक्तक्त (ओडब्ल्यूसी)	540.65+628.42=1169.07
2	बी	सिटी एक्सटेंशन (करोल बाग)	2317.05
3	सी	सिविल लाइन	3991.73
4	डी	नई दिल्ली	6657.30
5	ई	ट्रांस यमुना	8567.96
6	एफ	दक्षिणी दिल्ली-I	11088.82
7	जी	पश्चिमी दिल्ली-I	12311.22
8	एच	उत्तर पश्चिमी दिल्ली-I	5452.84
9	जे	दक्षिणी दिल्ली-II	15519.67
10	के-I	पश्चिमी दिल्ली-II	6461.91
11	के-II	द्वारका	5708.44
12	एल	पश्चिमी दिल्ली-III	22108.97
13	एम	उत्तर पश्चिमी दिल्ली-II	5594.68
14	एन	उत्तर पश्चिमी दिल्ली-III	14015
15	ओ-I*	यमुना जोन (सक्रिय बाढ़ निर्मित क्षेत्र)	6295.00
16	ओ-II*	नियंत्रित (रीवर फ्रंट)	3638.36
17	पी-I	नरेला	9623.26
18	पी-II	उत्तरी दिल्ली	8128.92

टिप्पणी: *उपरोक्त क्षेत्र अनुमानित हैं और जीआईएस के अनुसार हैं। प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ जोन का पुनःपरिसीमन और रिजोनिंग किया जा सकता है।

22.3 भूमि उपयोग और उपयोग जोन

22.3.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को नौ (9) भूमि उपयोग श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसा कि तालिका 22.2 में वर्णित है। प्रत्येक भूमि उपयोग श्रेणी को उपयोग जोनों की संख्या प्रदान की गई है, जिसे आगे उपयोग परिसरों की आवश्यक संख्या में उप-विभाजित किया जाएगा। उपयोग जोनो में से कोई भी एक या एक से अधिक स्थानों पर अवस्थित हो सकते हैं, जैसा कि भूमि उपयोग योजना में निर्दिष्ट किया गया है। उपयोग जोनों के विभिन्न पॉकेट्स की सीमाओं को भूमि उपयोग योजना में परिभाषित किया गया है।

तालिका 22.2: भूमि उपयोग और उपयोग जोन

क्र.सं.	भूमि उपयोग		
1	आवासीय	आरडी*	आवासीय क्षेत्र
		आरएफ	विदेशी मिशन
2	व्यावसायिक	सी1	खुदरा खरीदारी, सामान्य व्यापार और व्यवसाय, डिस्ट्रिक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, गैर-श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केंद्र
		सी2	थोक और भांडागारण, कोल्ड स्टोरेज और तेल डिपो
		सी3	होटल
3	औद्योगिक	एम1	विनिर्माण, सेवा उद्योग और मरम्मत उद्योग
4	मनोरंजन	पी1	क्षेत्रीय पार्क
		पी2	सिटी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क, सामुदायिक पार्क, बहुउद्देश्यीय मैदान
		पी3	ऐतिहासिक स्मारक / पुरातत्व पार्क
		पी4	ग्रीन बफर
		पी5	खेल सुविधाएं / परिसर
5	परिवहन	टी1	एयरपोर्ट
		टी2	टर्मिनल / डिपो - रेल / एमआरटीएस / बस / ट्रक, यार्ड
		टी3	सर्कुलेशन - रेल / एमआरटीएस / रोड / आरआरटीएस / हाई स्पीड रेल
6	उपयोगिता	यू1	पानी (ट्रीटमेंट प्लांट आदि)
		यू2	सीवरेज (ट्रीटमेंट प्लांट आदि)
		यू3	बिजली (पावर हाउस, सब-स्टेशन आदि)
		यू4	ठोस अपशिष्ट (उपचार, आदि)
		यू5	नाली
		यू6	अन्य उपयोगिताएँ
7	सरकारी	जी1	प्रेसीडेंट एस्टेट और संसद भवन
		जी2	सरकारी कार्यालय परिसर / न्यायालय / पीएसयू
		जी3	सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग)
8	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	पीएस1	स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय केंद्र, कॉलेज, सामाजिक - सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिसर / केंद्र, पुलिस / पुलिस मुख्यालय / पुलिस लाइंस, फायर स्टेशन / आपदा प्रबंधन केंद्र, धार्मिक, दफन भूमि / कब्रिस्तान / श्मशान
		पीएस2	ट्रांसमिशन साइट / केंद्र
9	ग्रीन बेल्ट और जलाशय	ए1	ग्रीन बेल्ट
		ए2	नदी जोन (सक्रिय बाढ़ क्षेत्र) जलाशय और प्राकृतिक नाले

नोटः

1. *जैसा कि राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित है, ग्राम आबादी (लाल डोरा/फिरनी) और विस्तारित लाल डोरा का भूमि उपयोग, जो किसी भी उपयोग जोन में अवस्थित हो, आवासीय है।
2. भूमि उपयोग योजना में मिश्रित उपयोग जोन में एक से अधिक उपयोग जोन शामिल हो सकते हैं।

22.4 स्थानिक विकास

22.4.1 ग्रीन फील्ड और ब्राउनफील्ड क्षेत्रों के लिए स्थानिक विकास को विशेष स्थानिक विकास नीति (डी ई वी 1,2,3,4) के द्वारा शासित किया जाएगा।

22.4.2 योजना व्यवसाय प्रोत्साहन जिलो (बीपीडी), पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी), लैंडपूलिंग क्षेत्र, हरित विकास क्षेत्र आदि जैसे ओवर ले लोनों की पहचान करती है। ये जोन स्थानिक विकास नीति में निर्दिष्ट किए गए लागू मानदंडों के अनुसार विशेष प्रकार के विकास को सुदृढ़ करेगी।

22.5 योजनाओं की स्वीकृति

22.5.1 लेआउट योजना/साइट योजना और भवन योजना को स्थानीय निकायों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

22.5.2 कवरेज / एफएआर की सीमा से यौगिक विचलन हेतु अनुमेय कवरेज और एफएआर के 5% की सीमा तक जुर्माना लगाने के बाद प्राधिकरण / स्थानीय निकाय(यों) को सशक्त किया जाएगा, जो पूरा होने/अधिभोग प्रमाणपत्र पर विचार करते समय भवनों/परिसरों में अधिकतम 13.5 वर्गमीटर की शर्त के अधीन होगा। समूह आवास योजनाओं और सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं में, अनुमेय एफएआर से उपर 5% एफएआर, पूरा होने / अधिभोग प्रमाण पत्र पर विचार करने के समय प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा संयोजित किया जा सकता है।

22.5.3 जहां कही आवश्यक हो, दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति चिन्हित किए गए अनुसार लेआउट योजनाओं, व्यापक/एकीकृत योजनाओं और पुनर्सृजन योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करेगी। तकनीकी समिति को विकास संगठनों/स्थानीय निकायों से योजनाएं आमंत्रित करने हेतु और जहां भी आवश्यक हो, निर्देश/सिफारिशें देने के लिए सशक्त किया जाएगा। पुरानी पुनर्विकास योजनाओं को पुनर्सृजन योजनाओं के नाम से जाना जाएगा।

22.5.4 उपयोग परिसर की अवस्थिति, सीमाओं और प्रमुख उपयोग में किसी भी परिवर्तन को विधिवत अनुमोदित किया जाएगा और लेआउट योजना में शामिल किया जाएगा।

22.5.5 प्राधिकरण अथवा कानून के अनुसार किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित लेआउट योजना, विधिवत अनुमोदित योजना मानी जाएगी। कोई ऐसा क्षेत्र जिसके संबंध में कोई स्वीकृत लेआउट योजना नहीं है, वह मास्टर प्लान/जोनल विकास योजना के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

22.5.6 सभी लेआउट योजनाओं/एकीकृत योजनाओं से संबंधित सेवा योजना सभी भौतिक अधोसंरचनाओं के प्रावधान के लिए, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी आदि, नगरपालिका नियमावलियों / सेवा प्रदाता एजेंसी के अनुरूप होंगे।

22.5.7 जहाँ मुख्य योजना/जोनल योजना, अथवा कोई अन्य विनियमों द्वारा भूमि उपयोग रूपांतरण को परिसर स्तर पर सक्षम किया जाता है, वहां सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए रूपांतरण शुल्क / अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।

22.5.8 स्थानिक विकास के मामले में, योजना और अनुमोदन के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र इस संबंध में लागू नीति के अनुसार होगा।

22.5.9 ले आउट और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के लिए विभिन्न नीतियों के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट अपेक्षित प्लान आवश्यक रूप से जरूरी होंगें।

22.5.10 आवासीय उपयोग जोन के अंतर्गत अपेक्षित सामाजिक अवसंरचना के प्रावधान 10000 जनसंख्या के नगर स्तरीय मानदंडों द्वारा शासित होंगे।

22.6 सुविधाओं की श्रेणी

उचित और सुनियोजित विकास के प्रयोजन के लिए स्थानीय स्तर से शहरी स्तर तक की रेंज की विकास श्रेणियों के विभिन्न स्तर तक अनिवार्य और सहायक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी। सभी अपेक्षित सुविधाओं के लिए योजना मानक निम्न प्रकार से हैः-

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
स्थानीय स्तर पॉप: 10000 तक	**बिना बेड के स्वास्थ्य सेवाएं**	1 @ 10,000	न्यूनतम 800 वर्ग मीटर	√	
	लर्निंग सेंटर / क्रेच	1 @ 10,000	न्यूनतम 500 वर्ग मीटर	√	
	स्कूल (टाईप-I)	1 @ 10,000	रेंज - 2000-4000 वर्ग मीटर	√	
	स्कूल (टाईप-II)	1 @ 10,000	न्यूनतम 4000-8000 वर्ग मीटर	√	
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा(टाईप-I)	1 @ 10,000	रेंज 800 – 2000 वर्ग मीटर	√	
	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाईप-I)	2 @ 10,000	न्यूनतम 400 वर्ग मीटर	√	
	स्थानीय स्तर खेल क्षेत्र	1 @ 10,000	न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर	√	
	यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 25 वर्ग मीटर		
	पुलिस चौकी	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 150 वर्ग मीटर	√	

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
	पीएंडटी सुविधा (टाईप-I)	आवश्यकता अनुसार		√	
	मिल्क बूथ/ मिल्क, फल एवं सब्जी बूथ /दिल्ली दुग्ध आपूर्ति बूथB/ फेयर प्राइस शॉप	1 @ 5,000	संबंधित विभाग के मानक डिजाइन के अनुसार	√	
	टॉट लॉट	40 @ 10,000	न्यूनतम 125 वर्ग मीटर	√	
	स्थानीय स्तर पार्क	1 @ 10,000	न्यूनतम 1 हे.	√	
	थ्री व्हीलर और टेक्सी स्टेंड	1 @ 10,000	न्यूनतम 400 वर्ग मीटर	√	
	बस टर्मिनल	1 @ 10,000	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	सुविधा बाजार केंद्र	1 @ 5,000	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	स्थानीय बाजार केंद्र	1 @ 10,000	न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर	√	
	सर्विस मार्केट	1 @ 10,000	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	√
	अनौपचारिक सेक्टर मार्केट	1 @ 10,000	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
सामुदायिक स्तर पॉप : तक 1 लाख	**बिना बेड के स्वास्थ्य सेवाएं (पशु चिकित्सा)**	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 300 वर्ग मीटर	√	
	स्वास्थ्य सुविधा (लघु)	6 @ 1 लाख	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	अस्पताल	3 @ 1 लाख	रेंज-0.2 से 1.5 हेक्ट.	√	√
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा(टाईप-II)	2 @ 1 लाख	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	पुलिस चौकी	1 @ 1 लाख	अधिकतम 2500 वर्ग मीटर	√	
	अग्निशमन पोस्ट	1 @ 1 लाख	अधिकतम 2500 वर्ग मीटर	√	
	रैन बसेरा	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 100 वर्ग मीटर	√	
	सामुदायिक खेल केंद्र	1 @ 1 लाख	रेज- 1.0 to 3.0 हेक्ट.	√	
	सामुदायिक पार्क	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 3.5 हेक्ट.		√
	सामुदायिक बहुउद्देशीय मैदान	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 2.0 हेक्ट.	√	√
	बुकिंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम	आवश्यकता अनुसार	न्यूनतम 600 वर्ग मीटर (पीईएसओ के लागू मानकों के प्रावधानों के अनुसार)	√	
	बस टर्मिनल	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	बसों, एलएमवी,	2 @ 1 लाख	न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर	√	

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
	आईपीटी आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्पेस				
	सामुदायिक केंद्र	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 2.0 हेक्ट.	√	√
उप-शहरी स्तर पॉप: 5 लाख तक	अस्पताल	3 ~~2~~ @ 5 लाख	न्यूनतम 1.5 हेक्ट.	√	√
	डी-एडिक्शन/ रीहैबिलेशन केंद्र	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	
	पशु चिकित्सा अस्पताल	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	
	विशेष स्कूल	4 @ 5 लाख	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	
	अनुसंधान एवं विकास केंद्र	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर	√	√
	संस्थान	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर	√	√
	कॉलेज	2 @ 5 लाख	As per UGC/ AICTE Norms		√
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाईप-III)	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर		√
	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाईप-II)	5 @ 5 लाख	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	जिला खेल केंद्र	1 @ 5 लाख	रेंज - 3.0 to 10.0 हेक्ट.		√
	पुलिस स्टेशन	2 @ 5 लाख	अधिकतम 1.0 हेक्ट.	√	√
	अग्निशमन स्टेशन	2 @ 5 लाख	अधिकतम 1.0 हेक्ट.	√	√
	आपदा प्रबंधन इकाई	1 @ 5 लाख	रेंज - 0.5 to 1.0 हेक्ट.		√
	शमशान घाट	1 @ 5 लाख	न्यूनतम-5000 वर्ग मीटर	~~√~~	
	इनेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम	1 @ 5 लाख	न्यूनतम-5000 वर्ग मीटर		√
	जिला पार्क	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 25 हेक्ट.		√
	जिला बहुद्देशीय मैदान	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 4.0 हेक्ट.		√
	बस टर्मिनल	1 ~~2~~ @ 5 लाख	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	√
	बस डिपो	1@ 5 लाख	न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर	√	√
	ईंधन स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	डीसीएन के अनुसार	√	
	जिला केंद्र	1@ 5 लाख	न्यूनतम 10 हेक्ट.	√	√
शहर स्तर	मेडिकल कॉलेज	आवश्यकता अनुसार	भारतीय चिकित्सा परिषद् और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्		√

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
			मानदंड		
	पशु चिकित्सा संस्थान	आवश्यकता अनुसार	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् / मंत्रालय मानदंड		√
	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित यूनिवर्सिटी कैम्पस	आवश्यकता अनुसार	यूजीसी /एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार		√
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाईप-IV)*	आवश्यकता अनुसार		√	
	शहर स्तर के खेलः शहर स्तर के खेलः प्रादेशिक खेल केंद्र *	1 @ 10 लाख और उससे अधिक	न्यूनतम 10 हेक्ट.		√
	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाईप-III)	आवश्यकता अनुसार	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	√
	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाईप-IV)	आवश्यकता अनुसार			√
	जिला न्यायालय	1 @ 50 लाख	न्यूनतम 2 हेक्ट.		√
	पुलिस लाइंस	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 1 हेक्ट.		√
	जिला पुलिस कार्यालय एवं बटालियन	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 1 हेक्ट.		√
	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	पुलिस फायरिंग रेंज	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	पुलिस कैम्प	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	आपदा प्रबंधन केंद्र	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	पीएंडटी सुविधा (टाईप-II)	2 @ 20 लाख	न्यूनतम 2500 वर्ग मीटर		
	पीएंडटी सुविधा (टाईप-III)	आवश्यकता अनुसार			√
	कब्रिस्तान	1 @ 10 लाख	न्यूनतम 1 हेक्ट.		√
	सिमेटरी	1 @ 10 लाख	न्यूनतम 1 हेक्ट.		√
	पशुओं के लिए कब्रिस्तान	1@ 10 लाख	न्यूनतम-2000 वर्ग मीटर		√

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
	सिटी पार्क	2@10 लाख	न्यूनतम 40 हेक्ट.		√
	सिटी बहुद्देशीय मैदान	1@10 लाख	न्यूनतम 8.0 हेक्ट.		√
	बस डिपो	आवश्यकता अनुसार			√
	ईंधन स्टेशन	आवश्यकता अनुसार		√	
	आईएसबीटी	आवश्यकता अनुसार	न्यूनतम 10 हेक्ट.		√
	Wholesale	1@ 10 लाख	न्यूनतम 8.0 हेक्ट.		√
* लैंड पूलिंग एरिया में 200 हेक्ट. तक आरक्षित रखा जाए, जहां तक संभव हो					
उपयोगिताएं					
जल आपूर्ति और सैनिटाइजेसन					
स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	एलओपी	जेडडीपी
एनए	सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी)				
	एसटीपी (एसपीएस एवं ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी तक (22.7 एमएलडी) क्षमता	आवश्यकता अनुसार	650 वर्ग मीटर /एमएलडी		
	एसटीपी (एसपीएस एवं ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी से अधिक क्षमता (22.7 एमएलडी)	आवश्यकता अनुसार	1,100 वर्ग मीटर /एमएलडी	√	√
	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस)	आवश्यकता अनुसार	50 वर्ग मीटर		
	निस्सारण पम्पिंग स्टेशन (ईपीएस)	आवश्यकता अनुसार	50 वर्ग मीटर		
	जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)				
	डब्ल्यूटीपी - 80 एमजीडी (363 एमएलडी)	आवश्यकता अनुसार	300 वर्ग मीटर /एमएलडी	√	√
	डब्ल्यूटीपी - 40 एमजीडी (182 एमएलडी)	आवश्यकता अनुसार	400 वर्ग मीटर /एमएलडी	√	√
	बूसटर पम्पिंग स्टेशन के साथ भूमिगत जलाशय				
	5 एमएल क्षमता	आवश्यकता अनुसार	700 वर्ग मीटर /एमएल	√	
	50 एमएल क्षमता	आवश्यकता अनुसार	600 वर्ग मीटर /एमएल	√	

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
स्थानीय स्तर	**अपशिष्ट को अलग करने के लिए क्षेत्र और उपयोगिता वाहनों की पार्किंग (*पहले: डलाव*)**	1 @ 10,000	200 वर्ग मीटर	√	
उप-शहर स्तर	**सामग्री रिक्करी सुविधा (सेमी-ऑटोमेटिक): 200 टीपीडी**	1 @ 5 लाख	6,000 - 8,000 वर्ग मीटर	√	
शहर स्तर	**सामग्री रिक्करी सुविधा (ऑटोमेटिक) : > 10,000 टीपीडी**	1@ > 20 लाख	10,000 - 20,000 वर्ग मीटर	√	√
Power					
स्थानीय स्तर	**इलेक्ट्रिक सब-सटेशन 11 केवी**	1 @ 10,000	40 वर्ग मीटर	√	
सामुदायिक स्तर	**इलेक्ट्रिक सब-सटेशन 66 केवी**	2 @ 1 लाख	2,500-4,000 वर्ग मीटर	√	
उप-शहर स्तर	**इलेक्ट्रिक सब-सटेशन 220 केवी**	1 @ 5 लाख	7,000-10,000 वर्ग मीटर	√	
शहर स्तर	**इलेक्ट्रिक सब-सटेशन 400 केवी**	1 @ 20	4.0 हेक्ट.	√	√

22.7 निर्दिष्ट उपयोग जोन एवं उपयोग परिसर

22.7.1 प्रत्येक उपयोग जोन में कई उपयोग परिसर शामिल होते हैं जो अपने आप में विशिष्ट होते हैं। उपयोग परिसर में संगत गतिविधियां शामिल होती हैं और इन्हें स्टैंडअलोन भूखंडों (प्रत्येक उपयोग परिसर के लिए निर्धारित) के रूप में अथवा एकीकृत/व्यापक योजनाओं (जैसे डिस्ट्रिक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर आदि) के रूप में विकसित किया जा सकता है।

i. प्रत्येक उपयोग परिसरों को विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियों को करने अनुमति होगी।
ii. लेआउट प्लान में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक उपयोग परिसर की अवस्थिति और सीमाएं अनुरूप होंगी।
iii. उपयोग परिसरों की अवस्थिति, सीमाओं और प्रमुख उपयोग में किसी भी परिवर्तन, जिस भी कारणों से हो और विधिवत अनुमोदित होने, को लेआउट योजना में शामिल किया जाएगा।

22.8 आवासीय

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.3: उपयोग परिसर और परिभाषाएं आवासीय:

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	ग्रुप हाउसिंग	कोई परिसर जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर (झुग्गी/जेजे पुनर्वास क्षेत्र/विशेष क्षेत्र/ग्राम (लाल डोरा/फिरनी)/विस्तारित लाल डोरा के लिए 200 वर्गमीटर) से कम नहीं है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, सुविधा की दुकानें, सार्वजनिक उपयोगिता आदि, के साथ आवासीय फ्लैट शामिल हैं।
2	प्लॉटेड हाउसिंग*	एक या एक से अधिक आवास इकाई(यों) के लिए परिसर, जिसमें एक या एक से अधिक मुख्य भवन ब्लॉक और गैराज तथा सेवा पर्सनल के लिए अन्य सहायक ब्लॉक हो सकते हैं।
3	स्टूडियो अपार्टमेंट	कारपेट एरिया** 40-60 वर्गमीटर प्रति इकाई के साथ आवासीय फ्लैट्स हेतु परिसर।
4	धर्मशाला या इसके अनुरूप	लघु अवधि के लिए अस्थायी आवास प्रदान करने वाले परिसर।
5	राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह	राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मेहमानों हेतु ट्रांज़िट आवास प्रदान करने वाले सरकारी स्वामित्व के परिसर।
6	अफोर्डेबल सार्वजनिक किराये के मकान	आवासीय फ्लैट के साथ अस्थायी आवास सुविधाओं वाले परिसर, और भोजन की सुविधाओं अथवा इसके बिना सामान्य सुविधाओं के साथ शयनगृह वाले परिसर।
7	स्लम पुनर्वास योजना	झुग्गी क्षेत्र पुनर्बसावट/पुनर्वास के हिस्से के रूप में लाभार्थियों हेतु प्रदान किए गए आवासीय फ्लैटों का परिसर।
8	होस्टल	कोई परिसर जिसमें कमरों के रूप में आवासीय आवास प्रदान किया जाता है।
9	रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)	बिना किसी शुल्क या टोकन शुल्क के व्यक्तियों को रात्रि आवास प्रदान करने की सुविधा वाले परिसर। यह स्थानीय सरकार या स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा संचालित हो सकते हैं।***
10	गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस	लघु अवधि के लिए अस्थायी आवास प्रदान करने वाले परिसर।
11	कम घनत्व वाले आवासीय भूखंड	शहरी विस्तार में मौजूदा फार्म हाउस जिन्हें नीति के अनुसार और नए कम घनत्व वाले आवासीय भूखंडों के रूप में नियमित किया गया हो, हरित विकास क्षेत्र के रूप में अनुमति दी जा सकती है।
12	विदेशी मिशन	विदेशी मिशन के लिए परिसर।

नोटः

1. *वर्ष 1962 के पूर्व भूखंड के तौर पर निर्धारित किए गए दो-मंजिला फ्लैट्स को आवासीय भूखंड माना जाएगा।
2. *आवासीय भूखंड/फ्लैट में बिस्तर और नाश्ता आवास प्रदान करना एक अनुमेय गतिविधि हो सकती है, यदि यह समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार / जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित योजना के तहत पंजीकृत है।
3. **रेरा (आरईआरए) के अनुसार कारपेट एरिया की परिभाषा ।
4. ***जैसा कि भूमि की एक सीमा है, इसलिए आवासीय और पीएसपी भूखंडों में बहुउद्देशीय सुविधाओं के निर्माण हेतु भूमि का इष्टतम तथा बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। रेलवे, स्वास्थ्य, उद्योग, डीटीसी, पुलिस जैसी संबंधित एजेंसियों द्वारा रेलवे टर्मिनलों, बस टर्मिनलों, थोक/खुदरा बाजारों, फ्रेट कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशनों आदि के अंदर मौजूदा भवनों में और नए प्रस्तावित निर्माणों आदि में, जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो, रैन बसेरों का

निर्माण किया जाना चाहिए, तथा इन रैन बसेरों में उपयुक्त□ संशोधनों के साथ-साथ नवीन अवधारणाओं को अपनाकर, जैसे कि भूतल पर व्यावसायिक स्थानों के साथ एकीकृत परिसर हो सकते हैं और प्रथम मंजिल पर रैन बसेरा।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.4: उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियां: आवासीय

क्र.सं.	उपयोग जोन	आवासीय क्षेत्र (आरडी)					
	उपयोग परिसर / अनुमेय गतिविधियां	1	2	3	4	5	6
		ग्रुप हाउसिंग	प्लॉटेड हाउसिंग	स्टूडियो अपार्टमेंट	धर्मशाला या इसके समान	राज्य भवन/ राज्य अतिथि गृह	अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग
1	आवास (प्लॉटेड)		✓				
2	आवासीय (फ्लैट)	✓		✓			✓
3	खुदरा दुकानें, (20 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के साथ भूतल पर)	✓		✓	✓		✓
4	मिश्रित उपयोग गतिविधि	✓	✓				
5	सोसायटी कार्यालय / पंजीकृत आरडब्ल्यूए कार्यालय	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	सामुदायिक कक्ष / बस्ती विकास केंद्र	✓		✓			✓
7	क्रेच / डे केयर सेंटर / आंगनवाड़ी	✓	✓	✓			✓
8	वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष	✓		✓			✓
9	मनोरंजन क्लब / हॉल	✓		✓			✓
10	स्विमिंग पूल	✓		✓			
11	धार्मिक	✓		✓			✓
12	शयनागार						✓
13	अतिथि कक्ष					✓	
14	भोजन क्षेत्र			✓	✓	✓	✓

	(विशेष क्षेत्रों को छोड़कर)						
15	वॉच और वार्ड निवास (20 वर्गमीटर)	✓		✓	✓	✓	✓
16	कॉन्फ्रेंस हॉल और संबंधित सुविधाएं					✓	
17	सरकारी कार्यालय					✓	
18	सोविनियर शॉप					✓	
19	रेस्टोरेंट					✓	
20	एटीएम	✓			✓	✓	
21	स्टाफ आवासीय आवास					✓	
22	गैराज		✓				
23	उचित मूल्य की दुकान						✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.5: ग्रुप हाउसिंग

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
ग्रुप हाउसिंग	3000 वर्ग मी.	33.33% (मौजूदा डीयू में शेष बचे एफएआर को प्राप्त करने के लिए परिवर्धन/परिवर्तन के मामले में, ग्राउंड कवरेज को 40% तक अनुमति दी जाएगी।)	200	18	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग तथा अन्य सांविधिक निकायों से अनापत्ति की शर्त पर)

अन्य नियंत्रण

i. घनत्व की ऊपरी सीमा को लचीली आवास इकाई आकारों के साथ 200 डीयू/हेक्टेयर (900 पीपीएच) के रूप में लिया जाएगा, ताकि भूमि का इष्टतम उपयोग हो सके। केंद्र सरकार दि.वि.प्रा. के परामर्श से सार्वजनिक आवास और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए घनत्व और अन्य मानदंडों को शिथिल कर सकती है।

ii. विशेष क्षेत्र/गाँव (लाल डोरा / फिरनी) / विस्तारित लाल डोरा/अनधिकृत कॉलोनियां में समूह आवास भूखंड, न्यूनतम 7.5 मार्गाधिकार सड़कों के साथ 2000 वर्गमीटर की होंगी। ये भूखंड के अंदर पार्किंग आवश्यकताओं की पूर्ति और

ट्रैफिक पुलिस विभाग और जीएनसीटीडी की दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति की शर्तों के अधीन होंगी। इस तरह के भूखंडों को इन क्षेत्रों के विकास / लेआउट योजनाओं में समूह आवास भूखंडों के रूप में इन्हें शामिल करते हुए बाद में तैयार किया जाएगा, यदि ऐसी योजनाएं पहले से ही अनुमोदित नहीं हैं।

iii. 400 वर्गमीटर को अथवा अनुमेय एफएआर के 6% की दर से अतिरिक्त फ्लोर क्षेत्र, जो भी कम हो अनुमति दी जाएगी, को सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे सामुदायिक / मनोरंजन हॉल, क्रेच / डे केयर, लाइब्रेरी, वाचनालय, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष/क्लब और सोसाइटी कार्यालय को पूरा करने के लिए एफएआर से मुक्त करते हुए अनुमति दी जाएगी।

iv. कम-उंचाई उच्च घनत्व वाले आवास को प्राप्त करने के लिए 40% तक के ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।

v. विकासकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित एफएआर (200 से अधिक अनुमेय एफएआर और 200 डीयूएस/हे. का घनत्व) का न्यूनतम 15% समुदाय-सेवा कार्मिकों / ईडब्ल्यूएस और निम्न श्रेणी के लिए निर्मित किया गया है। इस तरह के फ्लैटों में न्यूनतम 32 वर्गमीटर का कारपेट क्षेत्र होगा। इन ईडब्ल्यूएस डीयू के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगीः

क. ईडब्ल्यूएस हाउसिंग स्टॉक का 50% विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा अनुरक्षित रखा जाएगा और अपार्टमेंट मालिकों, तथा केवल समूह आवास के निवासियों/मालिकों के लिए काम कर रहे सामुदायिक सेवा कार्मिकों (सीएसपी) को बाजार दरों पर दिया जाएगा। इन्हें संबंधित समूह आवास स्थलों/परिसरों अथवा इससे सटे स्थान पर डीई द्वारा विकसित किया जाएगा।

ख. ईडब्ल्यूएस आवास उद्देश्य के लिए डीई द्वारा विकसित आवास इकाइयों के शेष बचे 50% को स्थानीय निकायों द्वारा दि.वि.प्रा. की नीति के अनुसार चिन्हित किए गए पात्र लाभार्थियों को बेचे जाएंगे। इन्हें डीई द्वारा समीपवर्ती किसी वैकल्पिक स्थल पर विकसित किया जा सकता है।

ग. इस अलग आवास पॉकेट के लिए डीई द्वारा सभी आवश्यक पार्किंग, व्यावसायिक और पीएसपी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

घ. जैसा कि सरकार/दि.वि.प्रा. द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया गया है, डीई द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस आवास घटक गुणवत्ता आश्वासन जांच की शर्त के अधीन होगा। इस घटक का अंतिम तौर पर सौंपा जाना/अधिग्रहण करना, गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त के अधीन होगा।

ङ. दि.वि.प्रा./स्थानीय निकायों द्वारा दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित दरों पर लाभान्वित पात्र लाभार्थियों को निर्धारित भूमि और ईडब्ल्यूएस आवास घटक को बेचने/हस्तांतरित करने के बाद ही संभावित खरीदारों को निर्धारित दर पर अपने हिस्से/स्वामित्व के तहत बिक्री योग्य घटक का वास्तविक हस्तांतरण/लेनदेन करने की अनुमति दी जाएगी।

vi. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी अभिकरणों के नियोक्ता आवास को सामुदायिक सेवा पर्सनल / ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के लिए एफएआर अथवा आवास इकाइयों की आवश्यताओं का पालन करना अनिवार्य नहीं है।

तालिका 22.6: प्लॉटेड हाउसिंग

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)		अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	डीयू की अधिकतम सं.	ऊँचाई (मी.)
प्लॉटेड हाउसिंग	1	50 तक	90*	350	3	15 मीटर (स्टिल्ट के बिना) 17.5 मीटर (स्टिल्ट के साथ) व्यक्तिगत भूखंड के लिए अग्निशमन विभाग से निकासी के अधीन
	2	50 से ऊपर 100 तक	90*	350	4	
	3	100 से ऊपर 250 तक	75**	300**	4	
	4	250 से 500 के ऊपर तक	75	225	6	
	5	500 से ऊपर 750 तक	60	225	6	
	6	750 से ऊपर 1000 तक	50	200	9	
	7	1000 से ऊपर 1500 तक	50	200	9	
	8	1500 से ऊपर 2250 तक	50	200	12	
	9	2250 से ऊपर 3000 तक	50	200	15	
	10	3000 से ऊपर 3750 तक	50	200	18	
	111	3750 से ऊपर	50	200	21	

अन्य नियंत्रण

i. घनत्व की गणनाओं के उद्देश्य से आवास इकाई में 4.5 व्यक्तियों को समायोजित करने और सेवकों के निवास में 2.25 व्यक्तियों को समायोजित करने पर विचार किया जाएगा।

ii. संबंधित स्थानीय निकाय निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा:

क) वर्ग गज से वर्गमीटर तक के क्षेत्र के रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले भूखंड के आकार में 2% तक के अंतर की अनदेखी करने हेतु ।

ख) *भूखंड के आकार की पूर्ववर्ती श्रेणी के लिए लागू 100% भूमि आवृत्त क्षेत्र के मानदंड, निर्माण के नियमितीकरण के लिए सक्षम होंगे, जो दिनांक: 22.09.06 को अधिसूचित शुल्कों के भुगतान पर पहले से ही विद्यमान हैं।

ग) **100 से 175 वर्गमीटर के बीच के आकार के भूखंड से सम्बंधित 100% भूमि आवृत्त क्षेत्र और 350 एफएआर दिनांक: 22.09.06 को अधिसूचित शुल्कों के भुगतान पर पहले से विद्यमान निर्माण के नियमितीकरण के लिए सक्षम होंगे।

iii. आवासीय भूखंड का न्यूनतम आकार 32 वर्ग मीटर होगा।

iv. आवास इकाइयों की अतिरिक्त संख्या नागरिक अवस्थापना के संवर्द्धन के लिए लेवी के भुगतान के अधीन होगा।

v. किसी भी भूखंड में कुल भूमि आवृत्त क्षेत्र और अनुमेय एफएआर अगली पूर्ववर्ती श्रेणी में सबसे बड़े भूखंड के अनुमेय एफएआर से कम होगा।

vi. भवन की अधिकतम ऊँचाई बिना स्टिल्ट पार्किंग वाले भूखंडों में 15 मी. और स्टिल्ट पार्किंग वाले भूखंडों में 17.5 मी. होगी। ऐसे आवासीय भवन को गगनचुम्बी भवन नहीं माना जाएगा। अग्नि और जीवन सुरक्षा की आवश्यकताओं के उद्देश्य से, अग्निशमन विभाग की स्वीकृति व्यक्तिगत भवन स्वामी द्वारा प्राप्त की जाएगी।

vii. भूखंडों के उपविभाजन की अनुमति नहीं दी जाती। हालाँकि, अगर एक आवासीय भूखंड में एक से अधिक भवन है,

तो ऐसे सभी भवनों के निर्मित क्षेत्र और भूमि आवृत्त क्षेत्र का योग, उस भूखंड में अनुमेय निर्मित क्षेत्र और भूमि आवृत्त क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।

viii. दो भूखंडों जिनका अधिकतम योग 64 वर्गमीटर होगा, के एकीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाएगी:

क) स्थानीय निकाय लेआउट योजना को एक साथ संशोधित करेगा।

ख) अधिकतम भूमि आवृत्त क्षेत्र, सेटबैक, पार्किंग, आवास इकाईयाँ आदि एकीकृत भूखंड के आकार के लिए होंगे।

ग) दो व्यक्तिगत भूखंडों के मामले में अनुमेय अधिकतम एफएआर अनुमेय एफएआर से कम नहीं होगा।

ix. यदि मेजेनाइन फ्लोर का निर्माण किया जाता है, तो इसकी गिनती एफएआर में की जाएगी।

x. 100 वर्गमीटर से 750 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए स्टिल्ट का प्रावधान अनिवार्य होगा। 750 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों के लिए, एमपीडी के मानदंडों के अनुसार, पार्किंग/ ईसीएस प्राप्त करने के लिए सेटबैक / स्टिल्ट में पार्किंग प्रदान की जाएगी। यदि भवन का निर्माण आवास के लिए अनुपयुक्त ऊँचाई (2.4 मी. से कम) के स्टिल्ट क्षेत्र के साथ किया जाता है जिसका उपयोग पार्किंग के लिए किया जाएगा तो ऐसे स्टिल्ट क्षेत्र को एफएआर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, परन्तु भवन की ऊँचाई के लिए इसकी गणना की जाएगी।

xi. स्वीकृत लेआउट योजना के अनुसार, सर्वेंट क्वार्टर की संख्या उपलब्ध करायी जाएगी और निर्धारित ऊँचाई के अन्दर इनका निर्माण किया जाएगा। हालांकि, यदि गैराज ब्लॉक का विलय मुख्य भवन के साथ कर दिया जाता है, तो मुख्य भवन के एक भाग के रूप में अलग से किसी सर्वेंट क्वार्टर ब्लॉक या सर्वेंट क्वार्टर की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अनुमेय भूमि आवृत्त क्षेत्र के एफएआर के अंतर्गत आवास इकाई के एक भाग के रूप में सर्वेंट रूप के प्रावधान की अनुमति दी जाएगी।

xii. निर्धारित ऊँचाई प्रतिबन्ध के साथ अनुमेय एफएआर के अंतर्गत, आवासीय इकाई के एक भाग के रूप में सर्वेंट रूम का प्रावधान (खाना पकाने का स्थान, बरामदा, स्नानागार और शौचालय की विशेषताओं के साथ, 11 वर्गमीटर से अधिक के फर्श क्षेत्र) की अनुमति दी जाएगी। सर्वेंट क्वार्टर का अधिकतम आकार 25 वर्गमीटर होगा। यदि यह आकार में बड़ा है, तो सर्वेंट क्वार्टर की गणना पूर्ण आवास इकाई के रूप में घनत्व में की जाएगी।

xiii. *मानक योजनाएं:* प्राधिकरण द्वारा अभिकल्पित और अनुमोदित मानक भवनों की कई योजनाएं हैं। जब भी लागू हो, ऐसी योजनाओं का संचालित होना जारी रहेगा। ऐसी योजनाओं को उपयुक्त विकास नियंत्रणों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

xiv. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और निम्नलिखित को छोड़कर अतिरिक्त निर्माण या ऊँचाई के नियमितीकरण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व इन्हें हटा दिया जाएगा:

क) प्रक्षेपों (बाहर निकले हुए भाग) / छज्जे / ढके हुए छज्जे के निर्मित भाग जो भूमि तल से 3 मी. की ऊँचाई से 1 मी. अधिक तक, दिनांक: 07.02.2007 से पूर्व विद्यमान था, को अनियोजित क्षेत्रों (विशेष क्षेत्र, ग्राम की जनसँख्या और अनाधिकृत नियमित कालोनियों सहित) और पुनर्वास कॉलोनियों में 1962 से पूर्व के कॉलोनियों (ए एवं बी श्रेणी को छोड़कर) के 24 मी. मार्गाधिकार से कम की सड़कों पर 175 वर्गमीटर तक के आकार वाले भूखंडों को नियमित किया जाएगा। भू-स्वामियों / कब्जाधारकों को एक न्यायसंगत समयावधि के अन्दर संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र और अग्नि निकासी प्राप्त करनी होगी, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। ऐसे प्रक्षेपों / निर्मित भागों को एफएआर में गिना जाएगा और अनुमेय एफएआर के अतिरिक्त, एफएआर के मामले में ऐसे एफएआर को उचित शुल्क के भुगतान की शर्त पर नियमित किया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ख) संबंधित स्थानीय निकाय नियमित किये जाने वाले ऐसे सभी प्रक्षेपों का एक सर्वेक्षण करेगा और नियमितीकरण के लिए सर्वेक्षण करेगा और कब्जाधारकों/ भूस्वामियों और सूची में ऐसे प्रक्षेपों के समावेशन / बहिष्करण के लिए जनता के किसी भी प्रतिनिधि से प्राप्त आपत्तियों के लिए पब्लिक डोमेन में ऐसी सूची उपलब्ध करेगा और उसके उपरांत इस सूची को लिखित में प्राप्त ऐसे आपत्तियों पर सोच-विचार के बाद एक माह की अवधि के अन्दर अंतिम रूप दिया जाएगा।

xv. अतिरिक्त एफएआर और / या ऊँचाई की स्वीकृति या नियमितीकरण की मांग करने वाला प्रत्येक आवेदक किसी

संरचनात्मक अभियंता से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। जहां पर इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या भवन को अन्यथा संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है, तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एक न्यायसंगत निर्धारित अवधि के अन्दर संरचनात्मक त्रुटि को ठीक करने के लिए भूस्वामी को औपचारिक नोटिस दिया जाएगा, ऐसा करने में असफल होने पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा और भूस्वामी या स्थानीय निकाय द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।

xvi. न्यूनतम सेटबैक्स निम्नांकित तालिका के अनुसार होंगे:

तालिका 22.7: आवासीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम सेटबैक मानदंड-प्लॉटिड हाउसिंग

क्र.सं.	**प्लॉट का आकार** (वर्गमीटर)	**न्यूनतम सेटबैक (मीटर में)**			
		सामने	**पीछे**	**साइड 1**	**साइड 2**
1	100 से नीचे	0	0	0	0
2	101 से 250 तक	3	0	0	0
3	251 से 500 तक	3	3	3	0
4	501 से 2000 तक	6	3	3	3
5	2001 और 10000 तक	9	6	6	6
□	10000 से ऊपर	15	9	9	9

क. यदि अनुमेय भूमि आवृत्त क्षेत्र किसी भूखंड में उपरोक्त सेटबैक्स के साथ अर्जित नहीं किया जाता है, तो पूर्ववर्ती श्रेणी के सेटबैक्स की अनुमति दी जा सकती है।

ख. 50 वर्गमीटर से 100 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल वाले आवासीय भूखंडों में न्यूनतम 2मी. X 2मी. खुला आंगन / सर्विस डॉक्टर प्रदान की जाएगी।

तालिका 22.8: स्टूडियो अपार्टमेंट

उपयोग परिसर	**न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र**	**अधिकतम ग्राउंड कवरेज**	**एफएआर**	**न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)**	**ऊँचाई (मी.)**
स्टूडियो अपार्टमेंट	2000 वर्ग मी.	33.33%	200	12	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से निकासी के अधीन)

अन्य नियंत्रण

i. फ्लैट का अधिकतम कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर होगा।

ii. 400 वर्गमीटर या अनुमेय एफएआर के 6% के दर पर जो भी कम हो, अतिरिक्त फर्श क्षेत्र को एफएआर से मुक्त होने की अनुमति दी जाएगी जो समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे कि समुदाय/ मनोरंजन हॉल, शिशु गृह, पुस्तकालय, वाचनालय, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष/ क्लब और समिति कार्यालय।

तालिका 22.9: धर्मशाला

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
धर्मशाला	500 वर्ग मी.	30%	120		15

तालिका 22.10: राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह	--	50%	200	--	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से निकासी के अधीन)

अन्य नियंत्रण

i. ज़ोन-डी के सब-ज़ोन डी -13 के मामले में, अधिकतम ऊँचाई 26 मी. से अधिक नहीं होगी (अग्नि और अन्य वैधानिक/ संरक्षा निकासी जिसकी आवश्यकता समय-समय पर पड़ सकती है)।

तालिका 22.11: अफोर्डेबल सार्वजनिक किराए के मकान

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
अफोर्डेबल सार्वजनिक किराए के मकान (एपीआरएच)	2000 वर्ग मी.	33.33%	200	12	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से निकासी के अधीन)

अन्य नियंत्रण

i. 400 वर्गमीटर के अतिरिक्त तल क्षेत्रफल या अनुमेय एफएआर के 6% के दर पर, जो भी कम हो, को एफएआर मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि सामुदाय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके जैसे कि सामुदायिक/ मनोरंजनात्मक हॉल, क्रेच/ डे केयर, भण्डारण सुविधाएँ और सोसायटी कार्यालय।

ii. सरकारी निकायों सहित, एपीआरएच का निर्माण, संचालन और रखरखाव किसी भी संस्था द्वारा किया जा सकता है या फिर भारत सरकार के एआरएचसी योजना के मॉडल-1 (मौजूदा सरकारी वित्त पोषित रिक्त घरों को रियायत अनुबंध के माध्यम से अफोर्डेबल किराये के आवास में परिवर्तित करना) के अनुसार, इसे संचालन और रखरखाव के लिए किसी रियायतकर्ता (निजी संस्थाओं) को सौंपा जा सकता हैं।

iii. अफोर्डेबल किराए का आवास (एआरएच) पीपीपी आधार (मॉडल II) पर हो सकता है।

   क. इस मॉडल के माध्यम से निर्मित एआरएच में सभी सामान्य सुविधाओं सहित, आवासीय इकाई (प्रत्येक एक/ दो शयनकक्ष के लिए क्रमशः 32/60 वर्गमीटर का कारपेट क्षेत्र) और 4/6 बेड की डोरमेट्री (10 वर्गमीटर का कारपेट क्षेत्र तक, प्रति बिस्तर के लिए) का सम्मिश्रण सम्मिलित होगा।

ख. एआरएच के एकल परियोजना में कम से कम 40 डीयू (दो शयनकक्ष/ एक शयनकक्ष) या समकक्ष डॉर्मिटरी बिस्तर होंगे (32 वर्गमीटर क्षेत्र तक के 1 शयनकक्ष इकाई को 3 डॉरमेटरी बिस्तरों के समकक्ष माना जाता है)।

ग. निजी / सार्वजनिक संस्थाओं को एक / दो शयनकक्ष और डॉर्मिटरीज (4/6 इकाईयों) के किसी भी तरह का संयोजन करने के लिए उदार होना होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के परिसरों का उपयोग शहरी प्रवासी / गरीब या ईडब्ल्यूएस / एलआईजी श्रेणी के लिए किया जाता है और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लाइसेंस की अधिकतम अवधि का प्रावधान किया गया है।

iv. परिसर में अनुमेय एफएआर के 10% तक के व्यावसायिक घटक की अनुमति दी जा सकती है जिसे संस्था द्वारा किराए पर दिया या बेचा जा सकता है।.

v. एआरएच के सभी निवासी आवासीय कॉम्प्लेक्स के स्वामी द्वारा उनको प्रदान किए गए लाइसेंस के अधिकारों के आधार पर घरों पर कब्जा ले सकते हैं।

vi. ऐसे लाइसेंसों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

vii. लाइसेंस दस्तावेज का नवीनीकरण अधिकतम कार्यकाल से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

viii. एक एआरएच कॉम्प्लेक्स में, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के स्वामी का यह दायित्व होगा कि:

(क) वह किसी भी निवासी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए उस पर कोई प्रीमियम नहीं लगाएगा।

(ख) किसी भी निवासी को उसके लाइसेंस का पुनः निष्पादन करके लाइसेंस के अधिकतम कार्यकाल से अधिक घर / कॉम्प्लेक्स में रहने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

ix. एआरएच के संबंध में रूपरेखाएँ अफोर्डेबल किराये के आवासीय कॉम्प्लेक्सों के लिए जारी संचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे, जैसा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया गया है।

x. ऐसे मामले में जहां पर दिशानिर्देशों में प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं, दि.वि.प्रा. / प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन, अलग विकास नियंत्रण मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

तालिका 22.12: स्लम पुनर्वास

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
स्लम पुनर्वास	2000 वर्ग मी.*	पुनर्वास परियोजना के डिजाइन में लचीलेपन के लिए भूमि आवृत्त क्षेत्र (सेटबैक्स को छोड़कर) पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।	400	9	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन)

अन्य नियंत्रण

1. (*) सार्वजनिक आवास के मामले में, दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति न्यूनतम भूखंड के आकार में 10% की छूट दे सकती है।
2. झुग्गी पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं (स्थल-विशिष्ट छूट को आवश्यकतानुसार अपनाया जा सकता है):
   i. स्लम और जेजे क्लस्टर (स्व-स्थाने उन्नयन / पुनर्वास / स्लम और जेजे क्लस्टर्स का पुनर्विकास, पुनर्वास कॉलोनियां) और ईडब्ल्यूएस सार्वजनिक आवास योजनाओं के घनत्व की अधिकतम सीमा 900 डीयू / प्रति हेक्टेयर होना चाहिए।

ii. स्लम/जेजे कलस्टर के पुनर्वास के लिए भूमि क्षेत्र निर्धारित भूमि विमुद्रीकरण के माध्यम से पीपीपी मॉडल के आधार पर स्लम पुनर्वास विनियम / नीति के अनुसार लिया जाएगा। स्लम पुनर्वास योजना के लिए भूमि क्षेत्र का न्यूनतम आवासीय घटक 60% और लाभकारी उपयोग के लिए अधिकतम क्षेत्र 40% होना चाहिए।

iii. इस योजना की रूपरेखा भूमि के आवासीय घटक (लाभार्थी अर्थात् 60%) पर अधिकतम 400 एफएआर के साथ संयुक्त रूप से बनायी जाएगी। भूमि के लाभकारी घटक पर अधिकतम 300 एफएआर भूमि का उपयोग होने के बाद भी लागू होगा।

iv. दि.मु.यो. के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी उपयोग / उपयोगों के मिश्रण को लाभकारी घटक में अनुमति दी जाएगी। यदि डीई उपयोगों के सम्मिश्रण का प्रस्ताव देता है, तो पार्किंग और विकास नियंत्रण के मानदंड प्रत्येक उपयोग के लिए प्रयुक्त एफएआर पर यथानुपात आधार पर लागू होंगे।

v. व्यावसायिक विकास के लिए अनुमेय आवासीय एफएआर के 10% का उपयोग एक एकीकृत योजना के रूप में किया जाएगा। इस एफएआर के उपयोग के लिए किसी भी पृथक भूखंड का सीमांकन नहीं किया जाएगा।

vi. उपरोक्त के अतिरिक्त, घर आधारित आर्थिक गतिविधियों (एमपीडी मानदंडों के अनुसार घरेलू उद्योग) के लिए 10% अनुमेय आवासीय एफएआर की अनुमति सामुदायिक कार्य स्थलों के विकास के लिए दी जा सकती है।

vii. विशिष्ट स्थितियों में एक समग्र व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक ही स्थल के अन्दर फैले हुए कब्जाधारकों को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। 2000 वर्गमीटर से छोटे भूखंडों पर मलिन एवं झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर को उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार यथावत पुनर्वास किये जाने के स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

viii. एक क्लस्टर में डीयू के बीच आकस्मिक रिक्त स्थान निर्मित करने के लिए विभिन्न तलों पर भवनों को रिसेस्ड किया जा सकता है।

ix. योजनाओं में उन हरित क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जहाँ पर एक बड़ा केंद्रीय हरित / खुला स्थान निर्मित करना संभव नहीं है, छोटे हरित क्षेत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

x. योजनाओं को संबंधित निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

xi. योजनाएं / डिजाइन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल होनी चाहिए।

xii. सामाजिक और भौतिक अवस्थापना के मानदंड डीसीएन के अनुसार होंगे।

तालिका 22.13: छात्रावास

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
छात्रावास	500	30	120	--	15

अन्य नियंत्रण

i. ये मानदंड मिश्रित उपयोग के अंतर्गत, छात्रावासों के लिए लागू नहीं होंगे।

ii. कामकाजी पुरूष-महिला छात्रावासों के लिए मानदंड " अन्य सामुदायिक सुविधाओं" के अंतर्ग प्रावधानों के अनुसार होंगे।

तालिका *22.14:* रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)	100	60	200	--	26

तालिका *22.15:* गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस	500	30	120	--	15
अन्य नियंत्रण i. ये मानक मिश्रित उपयोग के अंतर्गत, अतिथि-गृह के लिए लागू नहीं होंगे।					

तालिका *22.16:* कम सघनता वाले आवासीय भूखंड

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
कम घनत्व वाले आवासीय भूखंड	ग्रीन डेवलमेंट क्षेत्र के अनुसार				

तालिका *22.17:* फॉरेन मिशन (आरएफ)

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
फॉरेन मिशन	--	25%	75	--	15
अन्य नियंत्रण i. भूखंड क्षेत्र के 50% की अधिकतम सीमा के लिए भवन के आवरण रेखा तक बेसमेंट की अनुमति दी जाएगी। बेसमेंट क्षेत्र, यदि पार्किंग और सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, की गणना एफएआर में नहीं की जाएगी। ii. अनुमोदित ले-आउट प्लान के भाग के रूप में निम्नलिखित उपयोग परिसरों को फॉरेन मिशन उप-उपयोग जोन में अनुमति दी जाएगी: फॉरेन मिशन, आवास (मिशन कम्रचारियों के लिए), अतिथि गृह, स्थानीय बाजार, बैंक, मनोरंजनात्मक क्लब, हेल्थ सेंटर-अस्पताल, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र डिस्पेंसरी, एकीकृत आवासीय स्कूल,					

सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र, पुलिस चौकी, दमकल केंद्र, डाक एवं तार कार्यालय ।

आवासीय उपयोग क्षेत्र से संबंधित अन्य नियंत्रण

1. मानदंडों के अनुसार, सामुदायिक और स्थानीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन सुविधाओं के प्रावधान के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:
   i. इन सुविधाओं को न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार वाले आंतरिक सड़कों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, बशर्ते ऐसा निर्दिष्ट किया गया हो। संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धि का आकलन करने के लिए अवस्थापना के विकास का निरीक्षण किया जाना चाहिए।
   ii. पार्किंग की आवश्यकताएं पार्किंग मानदंडों के अनुसार होंगी।
   iii. क्लस्टर स्तर पर कुल लॉट का न्यूनतम आकार 125 वर्गमीटर होगा।
   iv. कॉमन पार्किंग स्पेस और खेल के मैदान को साझा करने की सुविधा के लिए क्लस्टर के रूप में स्कूलों और आंगनवाड़ियों के लिए स्थान लेआउट प्लान में बनाया जाना चाहिए।
   v. भौतिक अवसंरचना, अर्थात् भूमिगत टंकी, सीवरेज-पंपिंग प्रणाली, वर्षाजल संचयन, दोहरी पाइप प्रणाली, अपशिष्ट पृथक्करण क्षेत्र, विद्युत उप-केंद्र, खंभे पर स्थापित इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, विकेन्द्रीकृत मल-सीवरेज शोधन मानदंडों के अनुसार बनाए जाने चाहिए।
2. सुरक्षा आवश्यकताओं सहित, संचरण प्रणाली से संबंधित आवासीय नेबरहुड की योजना को बीआईएस मानकों या संबंधित एजेंसियों के मानदंडों के अनुसार शासित किया जाएगा।
3. नेबरहुड के लिए अनुकूल भूदृश्यांकन योजनाओं को पार्कों और सड़क किनारे वृक्षारोपण आदि के विकास के लिए तैयार किया जाएगा।
4. योजनाएँ/ डिजाइन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल होना चाहिए।
5. सभी योजनाओं, ले-आउट और योजनाओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
6. बेसमेंट, यदि निर्मित किया गया हो और इसका उपयोग केवल पार्किंग, जनसुविधाओं और सेवाओं के लिए किया गया हो, तो उसकी गणना एफएआर में नहीं की जाएगी।
7. स्टिल्ट्स: यदि भवन का निर्माण गैर-निवास योग्य/ निर्धारित ऊँचाई के स्टिल्ट क्षेत्र के साथ किया जाता है और पार्किंग, भूदृश्यांकन आदि के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, तो स्टिल्ट फ्लोर को एफएआर में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता नहीं है और ऊँचाई के लिए इसकी गणना की जाएगी।
8. फायर टेंडर के अनिवार्य आवागमन वाले सड़क पर पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. अतिरिक्त एफएआर पर शुल्क समय-समय पर सरकार के अनुमोदन के साथ अधिसूचित दरों पर लगाया जाएगा।
10. संबद्ध विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसार विशेष मामलों में निम्न (ओअर) मानदंड अपनाए जाएंगे।

22.9 व्यावसायिक

22.8.1 सामान्य व्यापार और व्यवसाय

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका *22.18:* उपयोग परिसर एवं परिभाषा - व्यवसाय

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	रिटेल शॉप	उपभोक्ता को वस्तुओं की सीधी बिक्री करने की एक ऐसी दुकान जिसमें आवश्यक भंडारण स्थान भी है।
2.	रिपेयर शॉप	घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ऑटोमोबाइल, साइकिल आदि की मरम्मत के लिए खुदरा दुकान जैसी ही शॉप।
3.	पर्सनल सर्विस शॉप	खुदरा दुकान जैसी ही दुकान जहां दर्जी, नाई आदि पर्सनल सेवाएं दी जाती हैं।
4.	वेंडिंग बूथ/ कियोस्क	बूथ के रूप में एक दुकान जहां यांत्रिक उपकरणों की मदद से या अन्यथा किसी तरीके से दैनिक जरूरतों के सामान की बिक्री की जाए।
5.	सुविधा शॉपिंग सेंटर	आवासीय क्षेत्र में ऐसी दुकानों का समूह जो लगभग 5,000 व्यक्तियों की आबादी को सेवा दे रहा हो।
6.	लोकल शॉपिंग सेंटर	आवासीय क्षेत्र में ऐसी दुकानों का समूह जो 10,000 व्यक्तियों की आबादी को सेवा प्रदान कर रहा हो।
7.	कार्यालय	कार्यालय आदि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान।
8.	बैंक	बैंकिंग कार्य और संचालन करने के लिए बैंकिंग कार्यालय परिसर।
9.	मोटर गैराज और वर्कशॉप	ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग और मरम्मत हेतु परिसर।
10.	सिनेमा / सिनेप्लेक्स / मल्टीप्लेक्स	फिल्मों और चित्रों के प्रसारण की सुविधाओं वाला परिसर और जहां दर्शकों को बिठाने के लिए कवर्ड स्थान हो।
11.	रेस्टोरेंट	ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की सुविधाओं के साथ व्यावसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों को खिलाने की भी सुविधा हो। यहाँ बैठने की व्यवस्था के लिए छतदार या खुली जगह या दोनों सुविधाएं हो सकती हैं।
12.	व्यावसायिक गतिविधियाँ	व्यावसायिक गतिविधियां का अर्थ वे गतिविधियां होगा जिनमें व्यावसायिक कौशल के आधार पर सेवाएं शामिल हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, इंजीनियर, टाउन प्लानर, मीडिया प्रोफेशनल और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल और आहार विशेषज्ञ / पोषण विशेषज्ञ।
13.	साप्ताहिक बाजार	ऐसा क्षेत्र जिसे बाजार के रूप में अनौपचारिक दुकान प्रतिष्ठानों के समूह द्वारा सप्ताह में एक बार उपयोग में लाया जाता है। ये बाजार सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट किए जाते हैं।
14.	अनौपचारिक क्षेत्र इकाई	खुदरा/सेवा इकाई, स्थिर अथवा चलती-फिरती, छत के बिना काम करना जिनमें सड़क के किनारे छोटे खोखे शामिल हैं। फेरी वाला (स्ट्रीट वेंडर) - ऐसा व्यक्ति जो बिना स्थायी निर्मित संरचना के लेकिन अस्थायी स्थैतिक संरचना या चलते फिरते स्टॉल (या हेड लोड) की मदद से जनता को सामान या सेवाओं की बिक्री करता है।

नोट: छोटी शॉप: अधिकतम 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की शॉप जो रिटेल और व्यकितगत सेवा संबंधी व्यापार और कार्य में हो जिसमें बिल्डिंग मैटेरियल की रिटेल शॉप, ऑटोमोबाइल की रिपोयर शॉप/वर्कशॉप, टायर रीसोलिंग और री-ट्रीडिंग, और बैटरी चार्जिंग, स्टोरेज, गोदाम तथा वेयरहाउसिंग, जंक शॉप (पेपर और ग्लास वेस्ट को छोड़कर), शराब की दुकान, प्रिंटिंग, रंगाई एवं वर्निशिंग।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका *22.19 :* उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियां - व्यावसायिक

क्र.सं.	उपयोग जोन	आरडी				सी1			
	उपयोग परिसर / अनुमेय गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8
		सुविधा बाजार (सीएससी)	लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी)	सर्विस मार्किट	अनौपचारिक बाजार	कम्युनिटी सेंटर (सीसी)	एनएचसी	डिस्ट्रिक सेंटर / उप सीबीडी / उप शहर स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र	एम सीसी
1.	रिटेल शॉप	✓	✓	छोटी दुकानें	छोटी दुकानें	✓	✓	✓	✓
2.	मिल्क बूथ, फल और	✓	✓			✓	✓	✓	✓
3.	औषधियों और दवाओं के स्टॉकिस्ट एवं डीलर		✓			✓	✓	✓	✓
4.	उचित मूल्य की दुकान	✓	✓						
5.	मरम्मत / सेवा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	पर्सनल सर्विस शॉप	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	कार्यालय	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
8.	स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय		✓	✓	✓	✓		✓	✓

9.	सम्मेलन की सुविधा					✓		✓	✓
10.	सिनेमा, सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स		✓			✓		✓	✓
11.	होटल					✓		✓	✓
12.	गेस्ट हाउस		✓			✓		✓	✓
13.	सर्विस अपार्टमेंट					✓		✓	✓
14.	रेस्टोरेंट	✓	✓			✓	✓	✓	✓
15.	बैंक्वेट हॉल					✓		✓	✓
16.	सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ / मनोरंजन क्लब /					✓	✓	✓	✓
17.	कोचिंग सेंटर / प्रशिक्षण संस्थान		✓			✓	✓	✓	✓
18.	पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट।					✓	✓	✓	✓
19.	पेट्रोल पंप / सीएनजी स्टेशन					✓		✓	✓
20.	बस टर्मिनल							✓	✓
21.	बहु-स्तरीय पार्किंग					✓	✓		✓
22.	सेवा बाजार, मोटर गैराज और कार्यशाला			✓	✓	✓	✓	✓	✓
23.	बैंक	✓	✓			✓	✓	✓	✓
24.	एटीएम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25.	अनौपचारिक क्षेत्र इकाई	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26.	नर्सिंग होम / प्रसूति गृह आदि।		✓			✓		✓	✓
27.	औषधालय, क्लिनिकल लैब,		✓			✓		✓	✓
28.	क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक	✓	✓			✓	✓	✓	✓

29.	पाथ लैब, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी		✓			✓		✓	✓
30.	स्पा, जिम और सैलून	✓	✓			✓	✓	✓	✓
31.	संग्रहालय / आर्ट गैलरी					✓		✓	✓
32.	क्रेच / डे केयर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[1] नियंत्रण और सुरक्षा संबंधी विचारों के अध्यधीन

नोटः

i. जन-उपयोगी सेवाएँ, सार्वजनिक सुविधाओं को मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

ii. मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर, डिस्ट्रिक सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग की अनिवार्य अपेक्षा को मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण से पूरा किया जाएगा।

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका *22.20 :* व्यावसायिक

क्र.सं.	**उपयोग परिसर**	**सं.**	**न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर) / यूनिट**	**अधिकतम ग्राउंड कवरेज**	**एफएआर**	**न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)**	**ऊँचाई**
क. स्थानीय 10,000 तक जनसंख्या							
1	सुविधा शॉपिंग सेंटर (सीएससी)	2	1000	50%	100	12	एनआर
2	लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी)	1	3000	50%	100	18	एनआर
	अन्य नियंत्रणः i. व्यावसायिक केंद्रों की एकीकृत योजनाओं के मामले में, समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अपेक्षित प्रभार के भुगतान के अध्यधीन, व्यावसायिक केंद्रों के संबंधित पदानुक्रम के अनुमत उपयोग के लिए भूखंडों के समामेलन और उप-विभाजन की अनुमति है। ii. एलएससी में केवल एट्रियम निर्मित करने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। iii. यदि एट्रियम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।						
3	सेवा बाजार	1	2000	50%	100	18 मी.	एनआर
4	अनौपचारिक क्षेत्र बाजार	1	1000	50%	40	18 मी.	एनआर

एलएससी / सीएससी के अप्रयुक्त स्थलों के लगभग 10% को सेवा बाजारों में परिवर्तित किया जा सकता है।

क्र.सं.	उपयोग जोन	सं.	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर) / यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई
व्यावसायिक केंद्र							
सामुदायिक जनसंख्या 1,00,000							
1	कम्युनिटी सेंटर (सीसी)	1	20,000	50%	125	30 मी.	एनआर
	एलएससी में केवल एट्रियम निर्मित करने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि एट्रियम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।						
उप-शहर जनसंख्या 5,00,000							
1	डिस्ट्रिक सेंटर (डीसी) / उप-केंद्रीय व्यापार जिला / उप-शहरी स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र	1	10 हेक्टेयर	50%	150	30 मी.	एनआर
i.	एलएससी में केवल एट्रियम निर्मित करने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि एट्रियम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।						
ii	सर्विस मार्केट और/अथवा अनौपचारिक मार्केट के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउण्ड कवरेज की अनुमति होगी।						
शहर जनसंख्या 20,00,000							
मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर / सीबीडी							
1	**कमर्शियल प्लॉट: रिटेल एवं कॉमर्स मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर अर्थात् कनॉट प्लेस और उसका एक्सटेंशन**			25%	150	मौजूदा रूप में	एनआर
	अन्य नियंत्रण i. भूखंड का आकार व्यावसायिक क्षेत्र के लेआउट में निर्धारित किए अनुसार होगा, कनॉट प्लेस और उसके विस्तार क्षेत्र में भूखंड का कोई भी उप-विभाजन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ii. विकास संबंधी नियंत्रण स्थानीय निकाय द्वारा क्षेत्र की व्यापक योजना के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। क. कनॉट प्लेस के मामले में, मौजूदा ऊँचाई बनाए रखी जाएगी और आनुपातिक ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर एफएआर हासिल किया जा सकता है।						

	ख. कनॉट प्लेस के मध्य(इनर) सर्कल में किसी भी बेसमेंट की अनुमति नहीं होगी। ग. अनिवार्य वास्तुकला नियंत्रण लागू होंगे। iii. व्यापक योजनाओं के अंतर्गत विकसित किए गए भूखंडों के लिए, अनुमत एफएआर वैध पट्टा विलेख के अनुसार होगा।						
2	**फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन में व्यावसायिक परिसर**	-	-	25%	150	मौजूदा रूप में	एनआर
	i. ग्राउंड कवरेज और एफएआर की गणना वर्तमान में उपलब्ध भूखंडों के क्षेत्र पर की जाएगी। ii. इस क्षेत्र को व्यापक योजना के आधार पर विकसित किया जाएगा।						
कोई अन्य व्यावसायिक केंद्र							
1	गैर-श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केंद्र (एनएचसीसी)	-	-	50%	125	-	एनआर
2	जिसमें रेलवे / एमआरटीएस स्टेशन / आईएसबीटी के साथ व्यावसायिक घटक शामिल हैं	3 हेक्टेयर तक		25%	100	एनआर	
	सांविधिक मंजूरी के अध्यधीन। विकास संबंधी नियंत्रण अनुमोदित योजना के अध्यधीन भिन्न-भिन्न हो सकते है।						
3	आसफ अली रोड़ (दिल्ली गेट-अजमेरी गेट योजना में व्यावसायिक पट्टी के रूप में दिखाया गया क्षेत्र)	-	-	80%	200	18 मी.	20
	सेटबैक अनिवार्य नहीं हैं। पुनर्निर्माण के मामले में पार्किंग के लिए स्टिल्ट निर्मित किए जाएंगे।						
4	मौजूदा अस्थायी सिनेमा (एक या उससे अधिक सिनेमा हॉल में न्यूनतम 300 सीटें)		1200 वर्गमीटर-4000 वर्गमीटर यदि किसी सिनेमा के पास अधिक भूमि है, तो शेष क्षेत्र को हरा-भरा रखा जाएगा।	50% एमपीडी के अनुसार न्यूनतम सेटबैक के अध्यधीन पालन किया जाएगा।	क. 100 अधिकतम 3000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के अध्यधीन। ख. यदि प्लॉट का आकार इससे अधिक है और यह 24 मी. के मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) और	18 मी.	15 मी.

					उससे अधिक पर स्थित है, तो अधिकतम एफएआर 4000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।		
	क. नए अस्थायी सिनेमाघर निर्मित करने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि पहले से मौजूद अस्थायी सिनेमाघरों को निर्धारित शर्तों के अनुसार स्थायी आधार पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। ख. 300 सीटों की क्षमता वाले सिनेमा हॉल के लिए आवश्यक स्थान को छोड़कर व्यावसायिक गतिविधियां अनुमेय होंगे। व्यावसायिक स्थान लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) के लिए यथानुमत गतिविधियां के लिए ही दिया जाएगा। ग. सिनेमा, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम और अन्य सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करेगा। तदनुसार मल्टीप्लेक्स की अनुमति दी जाएगी। घ. भूमि उपयोग रूपांतरण प्रभार, एफएआर प्रभार, बेहतरी प्रभार और अन्य प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुसार लगाए जाएंगे। ङ. सरकारी भूमि पर चल रहा अस्थायी सिनेमा नहीं रहेगा। च. ऐसे मामलों में अतिरिक्त भूमि यदि किसी बड़े सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, तो उन्हें अधिगृहीत किया जाएगा और उसे संबंधित स्थानीय एजेंसियों द्वारा मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा। छ. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित भूखंड क्षेत्रों के भीतर पर्याप्त पार्किंग सुविधा प्रदान की जाए। ज. स्थानीय निकाय और लाइसेंसिंग प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंस का नवीकरण करने से पहले उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया जाए। झ. व्यक्तिगत मामलों पर उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।						
	किसी भी अन्य व्यावसायिक केंद्र के लिए अन्य नियंत्रण i. सांविधिक मंजूरी के अध्यधीन। विकास संबंधी नियंत्रण अनुमोदित योजना के अध्यधीन भिन्न-भिन्न हो सकते है।						

अन्य नियंत्रण

i. अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपान्तरण प्रभार, बेहतरी प्रभार/बाहरी विकास प्रभार आदि समय-समय पर सरकार द्वारा तय किए अनुसार लगाए जाएंगे।

ii. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जीएनसीटीडी के अग्निशमन विभाग की मंजूरी के अध्यधीन कोई प्रतिबंध नहीं।

iii. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊँचाई संबंधी प्रतिबंध के किसी भी मामले में, स्थल पर वर्धित एफएआर हासिल करने के लिए 40% के बजाय 50% तक ग्राउंड कवरेज अनुमेय होगा।

iv. एनआर - कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अध्यधीन।

v. एफएआरः 30 मी. मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) से कम पर 325 एफएआर मानदंड अथवा 30 मी मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) से अधिक पर 375 एफएआर मानदंड और 40% ग्राउंड कवरेज इन सब पर लागू होगा (I) उन होटलों पर जिनमें कमर्शियल सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, डिस्ट्रिक सेंटर/उप-केंद्रीय व्यापार ज़िला/उप-नगर स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र और मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एलबीजेड क्षेत्र सिविल लाइंस बंग्लो क्षेत्र में स्थित को छोडकर और धरोहर संरचनाओं पर स्थित होटल भूखंड शामिल हैं और (II) होटल-सह-व्यावसायिक भूखंडों पर। यह खंड 4.4 में उल्लिखित होटलों की सभी श्रेणियों पर लागू होगा। कमर्शियल सेंटरों और मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ-साथ होटल-सह-कमर्शियल प्लॉट के लिए एफएआर, जहां एफएआर का आवंटन मूल पट्टे की शर्तों के अनुसार होगा और यह उस सीमा तक स्वत: बढ़ाए गए माने जाएंगे, केवल इस प्रयोजनार्थ यदि उपलब्ध नहीं हो।

vi. जन-उपयोगी सेवाओं जैसे कि भूमिगत जल भंडारण टैंक, छत पर जल संचयन प्रणाली, अलग-अलग सूखे और गीले डस्टबिन, डाक-सुपुर्दगी काउंटर आदि की व्यवस्था भूखंड के भीतर ही की जानी हैं। सभी होटलों, रेस्तरां, ऑटो वर्कशॉप, अस्पताल, अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र आदि को ठोस कचरा निपटान और प्राथमिक अपशिष्ट शोधन की व्यवस्था करनी होगी।

vii. 5000 वर्गमीटर या अधिक के फ्लोर एरिया वाले व्यक्तिगत भूखंड में भूखंड के भीतर ईएसएस और जनरेटर की व्यवस्था करनी होगी। उन्हें बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के समय ऊर्जा की खपत/ऑडिट जमा करना होगा।

viii. जहां भी पार्किंग भूखंड/बेसमेंट के भीतर प्रदान की जाती है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा उसका निगमीकरण/अधिग्रहण किया जा सकता है।

ix. जहां भी मौजूदा व्यावसायिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए एक व्यापक योजना की तैयारी करना आवश्यक होता है, वह कार्य स्वयं पट्टाधारी/मालिकों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जा सकता है और अनुमोदन के लिए भूमि-स्वामी एजेंसी/ योजना प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां भी एफएआर में किसी वृद्धि को मंजूरी दी जाती है, वह लाभार्थियों से उचित प्रभार वसूलने के अध्यधीन होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर के लिए, विकास संबंधी नियंत्रण अनुमोदित नियंत्रण योजना के अनुसार होंगे।

x. व्यावसायिक केंद्रों की एकीकृत योजनाओं के मामले में, भूखंडों का समामेलन और उप-विभाजन अनुमत गतिविधियां के लिए अनुमेय किया गया है, जिनका वर्णन व्यावसायिक केंद्रों के संबंधित पदानुक्रम की तालिका में दिया गया है जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अपेक्षित प्रभार के भुगतान के अध्यधीन होंगे।

कोई अन्य व्यावसायिक केंद्र	
दुकान एवं निवास भूखंड / दुकान भूखंड	
i)	दुकान-एवं-निवास परिसर (दुकान-सह-निवास भूखंड/दुकान भूखंड) जिन्हें बाद में सीसी/एलएससी/सीएससी के रूप में नामित किया गया है, (जैसाकि शहरी स्थानीय निकायों/जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्रीय विकास योजनाओं में पहले से ही चिह्नित किया/दर्शाया गया है) को निम्नलिखित शर्तों पर स्थानीय शॉपिंग सेंटर में गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी जाएगी: क. ऐसे प्लॉट का एफएआर आवासीय विकास-प्लॉट के संबंधित आकार के लिए निर्धारित किए गए अथवा पट्टा विलेख / हस्तांतरण विलेख / बिक्री विलेख / आवंटन शर्तों में निर्धारित, जो भी अधिक हो, किए अनुसार होगा। हालाँकि, यदि मौजूदा भवन में कुल एफएआर 100 वर्गमीटर से अधिक और 250 वर्गमीटर तक के आकार के प्लॉट पर अनुमेय एफएआर से अधिक है, तो ऐसे अतिरिक्त एफएआर (अधिकतम 350 एफएआर तक) की अनुमति सरकार के अनुमोदन के अनुसार निर्धारित पेनलटी प्रभार का भुगतान करने के अध्यधीन दी जाएगी।

	ख. अतिरिक्त एफएआर की अनुमति यथा प्रयोज्य अतिरिक्त एफएआर प्रभार के भुगतान करने पर दी जाएगी। ग. "आवासीय" से बदलकर "व्यावसायिक" करने के लिए रूपांतरण प्रभार का भुगतान सरकार के अनुमोदन से यथानिर्धारित अनुसार किया जाएगा। घ. एलएससी, सीएससी और दुकान भूखंड जो पहले से ही व्यावसायिक उपयोग क्षेत्र के तहत हैं, उन्हें किसी भी रूपांतरण प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा। ङ. उपर्युक्त श्रेणी के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दुकान भूखंडों में, जहां पहले से ही स्वीकृत लेआउट योजनाओं/पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/बिक्री विलेख से कोई विचलन नहीं किया गया है, को किसी भी अतिरिक्त प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा।
ii)	अन्य मौजूदा दुकान-एवं-निवास भूखंडों को भी आवासीय प्लॉट में किए गए विकास के एफएआर के साथ मूल अनुमत उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। प्रयोज्य प्रभार का भुगतान करने के बाद ऊपरी मंजिलों को व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किया जा सकता है।
iii)	ऐसे दुकान-एवं-निवास भूखंडों/परिसरों में बेसमेंट की अनुमति दी जाएगी जहां मिश्रित उपयोग विनियमों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अध्याधीन, बाद में सीसी/ एलएससी/सीएससी के रूप में नामित किया गया हो। यदि बेसमेंट के इस तरह के उपयोग से भूखंड पर अनुमेय एफएआर अधिक हो जाता है, तो इस तरह का अतिरिक्त एफएआर सरकार के अनुमोदन से निर्धारित प्रयोज्य प्रभार के भुगतान के अधीन होंगे।
iv)	उपर्युक्त सभी मामलों में, मालिक किसी भी परिवर्धन / परिवर्तन / नए निर्माण / रूपांतरण के लिए संबंधित स्थानीय निकाय से निर्माण की उप-विधियों, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में, सभी सांविधिक स्वीकृतियों के अध्याधीन संशोधित निर्माण योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा।
v)	पार्किंग संबंधी प्रावधान आवासीय प्लॉट के विकास-कार्य के लिए प्रचलित मानदंडों के अनुसार और तालिका 22.46 में निर्धारित किए अनुसार होंगे। वन-टाइम पार्किंग प्रभार का भुगतान सरकार के अनुमोदन के अनुसार निर्धारित प्रभार के भुगतान के अध्याधीन या तो तत्काल भुगतान के रूप में किया जाएगा अथवा अधिकतम चार किस्तों में किया जाएगा।
vi)	पार्किंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संबंधित स्थानीय निकाय संबंधित व्यापारियों / प्रतिष्ठानों / आरडब्ल्यूए के साथ साझा / कॉमन पार्किंगकी व्यवस्था करने के लिए भूमि की पहचान और विकास-कार्य करेंगे। सार्वजनिक पार्किंग के प्रावधान के लिए योजना क्षेत्र के भीतर 5% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।
vii)	पार्किंग को बढ़ावा देने के लिए, भूखंड के मालिक को कम से कम 1000 वर्ग मीटर के भूखंड के आकार के भूखंडों को समामेलित करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि समामेलित भूखंड पर अतिरिक्त पार्किंग सुविधा दी जा सके। ऐसे भूखंड रूपांतरण प्रभार में 50% की छूट के हकदार होंगे।
viii)	यदि आसपास के क्षेत्र में कोई पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित स्थानीय निकाय ऐसे क्षेत्रों को खरीदारी हेतु पैदल चलने की सड़कों/क्षेत्रों के रूप में घोषित कर सकता है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण इन क्षेत्रों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित करेगा।

घ. अनौपचारिक क्षेत्र

विभिन्न उपयोग जोन के योजनाबद्ध विकास में शामिल किए जाने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के बाजार निम्नानुसार हैं:

तालिका 22.21: अनौपचारिक क्षेत्र की व्यापार इकाइयों के लिए मानदंड

क्र.सं.	उपयोग जोन / उपयोग परिसर	अनौपचारिक दुकानों (शॉप) / यूनिटों की संख्या
i)	खुदरा व्यापार: मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर, डिस्ट्रिक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, सुविधा शॉपिंग सेंटर,	प्रति 10 औपचारिक दुकानों के लिए 3 से 4 यूनिट (अनौपचारिक बाजार / सर्विस मार्केट घटकों में प्रदान की जाएं)
ii)	सरकारी और व्यावसायिक कार्यालय	प्रति 1000 कर्मचारियों के लिए 5 से 6 यूनिट
iii)	थोक व्यापार और फ्रेट (माल भाड़ा) परिसर	प्रति 10 औपचारिक दुकानों के लिए 3 से 4 यूनिट
iv)	अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र	प्रति 100 बेड के लिए 3 से 4 यूनिट
v)	बस टर्मिनल	दो बस बे के लिए 1 यूनिट
vi)	पार्क डिस्ट्रिक पार्क नेबरहुड पार्क	प्रत्येक मुख्य प्रवेश पर 8 से 10 यूनिट 2 से 3 यूनिट
vii)	आवासीय	1 इकाई / 1000 आबादी
viii)	औद्योगिक	प्रति 1000 कर्मचारियों के लिए 5 से 6 यूनिट
ix)	रेलवे टर्मिनस / एमआरटीएस स्टेशन	परियोजना की तैयारी के समय सर्वेक्षण पर आधारित होना।

22.9.2 थोक, वेयरहाउसिंग

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका *22.22 :* उपयोग परिसर एवं परिभाषा – थोक, वेयरहाउसिंग

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	थोक	एक ऐसा परिसर जहां से माल और वस्तुएं खुदरा विक्रेताओं को बेची और वितरित की जाती हैं। परिसर में भंडारण और गोदाम, माल-लदान और माल-उतराई की सुविधाएं शामिल हैं।

2	वेयरहाउसिंग / भंडारण / गोदाम / कोल्ड स्टोरेज	एक ऐसा परिसर जहां से माल और वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है।
3	एकीकृत फ्रेट परिसर	क्षेत्रयी और अंत: शहरी माल की आवाजाही के लिए और शहर में विशेषीकृत बाजारों के साथ इंटरलिंक की सुविधाएं प्रदान करने के लिए परिसर। इस परिसर में भंडारण सुविधाएं, सर्विसिंग, माल वाहनों के लिए निष्क्रिय पार्किंग और अन्य संबंध कार्य शामिल हैं)

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका *22.23* : उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां – थोक, वेयरहाउसिंग

क्र.सं.	उपयोग जोन	सी2		
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3
		एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स	थोक / सब सिटी / मार्केट	वेयरहाउसिंग / भंडारण / गोदाम
1	थोक की दुकान	✓	✓	✓
2	वेयरहाउसिंग	✓	✓	✓
3	गोदाम और भंडारण की दुकानें	✓	✓	गैर-प्रदूषणकारी / गैर-खतरनाक सामग्रियों का भंडारण
4	कार्यालय	✓	✓	✓
5	रिटेल शॉप (पर्सनल सेवा की दुकान सहित)		✓	✓
6	रेस्टोरेंट	✓	✓	✓
7	मरम्मत / सेवा / मोटर गैराज और वर्कशॉप (अधिकतम 10% एफएआर)	✓	✓	✓
	(4 से 7 - 25% तक एफएआर)			
8	रैन बसेरा	✓	✓	
9	150 वर्गमीटर तक सीमा चौकी, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम (अधिकतम 25 वर्गमीटर), फायर पोस्ट।	✓	✓	
10	फ्यूल स्टेशन (ईंधन स्टेशन)	✓	✓	
11	बस टर्मिनल	✓	✓	
12	बहु-स्तरीय पार्किंग	✓	✓	
13	बैंक	✓	✓	

14	एटीएम	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.24 थोक, वेयरहाउसिंग

क्र.सं. #	उपयोग जोन	सं.	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर) / यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	मार्गाधिकार (मी.) (न्यूनतम)	ऊँचाई (अधिकतम)
1	**एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स**		आवश्यकता अनुसार	40%	100	30	एनआर
2	**थोक**		8 हेक्टेयर	40%	100	30	एनआर
3	**वेयरहाउसिंग / गोदाम / भंडारण / कोल्ड स्टोरेज**						
			500 तक	70	140	18	15
			501-2000	60	120	18	15
			2001-10000	50	100	18	15
			10,000 से ऊपर	40	80	24	15

अन्य लागू शर्तें:

विनिर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त, सभी भूखंडों/एकीकृत योजनाओं पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

i. 30 मी. मार्गाधिकार से सीधी पहुंच वाले 1 हेक्टे और उससे अतिधक आकार के प्लॉटों पर बिग-बॉक्स रिटेल के रूप में वेयरहाऊस विकसित किए जा सकते हैं। ऐसे प्लॉटों पर सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित प्रभारोंकका भुगतान करने पर अनुमेय एफ ए आर के 50% तक में रिटेल कार्य करने की अनुमति होगी।

ii. जन-उपयोगी सेवाएँ, सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएंगी।

iii. ऊँचाई का निर्धारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एएसआई, दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डीएफएस), अन्य संबंधित प्राधिकरण और सांविधिक निकायों से प्राप्त मंजूरी के अध्यधीन होगा।

iv. परिवहन विकास नियंत्रण मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पार्किंग निर्धारित की जाएगी। जहां कहीं पार्किंग भूखंड/बेसमेंट के भीतर प्रदान की जाती है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो वहां प्राधिकरण द्वारा उसका निगमीकरण / अधिग्रहण किया जा सकता है। 300 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखंडों के मामले में कॉमन पार्किंग सुविधा दी जा सकती है।

v. स्टैक पार्किंग के लिए 5% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज प्रदान किया जाएगा।

vi. 500 वर्ग मीटर और इससे अधिक आकार के भूखंडों के मामले में, ई.एस.एस, भूमिगत जल भंडारण टैंक, छत पर जल संचयन प्रणाली, अलग-अलग सूखे और गीले डस्टबिन, सौर हीटिंग/ प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी जन-उपयोगी सेवाएं भूखंड के भीतर प्रदान की जाएंगी।

vii. अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपांतरण प्रभार, एफएआर प्रभार, बेटरमेंट लेवी और अन्य प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित आधार पर लगाए जाएंगे।

viii. व्यक्तिगत भूखंड जो किसी विस्तृत / एकीकृत विकास योजना का भाग नहीं है के मामले में विकास नियंत्रण पहले से अनुमोदित योजना/लेआउट प्लान के अनुसार होगा।

22.9.3 होटल (सी3)

क. उपयोग परिसर - परिभाषा

तालिका *22.25 :* उपयोग परिसर एवं परिभाषा – होटल

क्र.सं. #	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	होटल	ऐसा परिसर जहां अल्प/दीर्घकालिक आधार पर कम से कम 10 व्यक्तियों के ठहरने के लिए कमरे और 15 या उससे आधिक व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था हो। इस परिसर में बैंक्वेट (भोज-कक्ष), कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, डिस्कोथेक शामिल हो सकते हैं। होटल धरोहर वर्गीकरण वाला हो और उनका वर्गीकरण 3 स्टार वाले होटल से ऊंचा हो।
2	बजट होटल	मिड सेगमेंट होटल (अर्थात् 1-3 स्टार)
3	सर्विस अपार्टमेंट	ऐसा परिसर जो भोजन बनाने की सुविधा के साथ पूरी तरह से सुसज्जित, सर्विसड (सेवित) और स्वत: पूर्ण हो तथा जिसे अल्पकालिक या दीर्घकालिक रूप से व्यक्तियों, परिवार या कॉर्पोरेट आवास के लिए उपयोग किया जाता है। परिसर में सम्मेलन सुविधाएं और कार्यालय स्थान भी शामिल हो सकते हैं।
4	मोटल	लॉजिंग और नि:शुल्क पार्किंग सुविधाएं प्रदान करने वाले परिसर, विशेष रूप से सड़क के किनारे होटल जिसमें बाहरी पार्किंग क्षेत्र सटे कमरे हों।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका *22.26 :* उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां – होटल

क्र.सं.	उपयोग जोन	सी3

#	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3
		होटल	बजट होटल	सर्विस अपार्टमेंट
1.	सर्विस अपार्टमेंट	✓	✓	✓
2.	अतिथि कक्ष	✓	✓	✓
3.	अतिथि सुइट	✓	✓	✓
4.	बैंक्वेट	✓		
5.	सम्मेलन सुविधा			
6.	रेस्टोरेंट	✓	✓	✓
7.	स्विमिंग पूल	✓		✓
8.	हेल्थ क्लब	✓		
9.	फूड कोर्ट	✓		
10.	डिस्कोथेक	✓		
11.	कार्यालय	✓	✓	✓
12.	खुदरा और सर्विस शॉप	✓		
13.	भोजन और संबंधित सुविधाएं	✓	✓	
14.	वॉच एंड वार्ड (20 वर्गमीटर तक)	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका *22.27 :* होटल

क्र. सं. #	उपयोग जोन	सं.	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर) / यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	मार्गाधिकार (मी.) (न्यूनतम)	ऊँचाई
1	होटल (होटल भूखंडों सहित)		– -	40%	क. 30 मी. मार्गाधिकार से कम - 325 ख. 30 मी. और उससे ऊपर	12 मी.	एनआर

					मार्गाधिकार - 375		
2	बजट होटल		1200		100		
3	सर्विस अपार्टमेंट		200	30%	225	18 मी.	एनआर
	उपर्युक्त (1, 2 और 3 के लिए) अन्य नियंत्रण i) एफएआर का अधिकतम 20% व्यावसायिक कार्यालयों, खुदरा और सेवा दुकानों के लिए उपयोग किया जा सकता है।						
3	मोटल	-		40%	175	30	एनआर
	i. अधिकतम 175 एफएआर, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 550 (अ) दिनांक 16-06-1995 तथा भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 04-03-2002 को जारी मोटल दिशानिर्देशों के अनुरूप 07-02-2007 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत योजना में बताए गए भूखंड क्षेत्र पर अनुमेय होगा। ii. स्थल पर वर्धित एफएआर हासिल करने के लिए 40% के बजाय 50% तक ग्राउंड कवरेज अनुमेय होगा, यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से ऊँचाई संबंधी कोई प्रतिबंध हो। iii. अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपान्तरण प्रभार, बेटरमेंट लेवी/बाहरी विकास प्रभार आदि समय-समय पर सरकार द्वारा तय किए अनुसार लगाए जाएंगे। iv. मोटल के सामने कम से कम 30 मीटर का मार्गाधिकार होगा (यदि सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, तो इसे मोटल क्षेत्र से बाहर सुरक्षित रखा जाना चाहिए)। v. अन्य मानदंड और अनुमेय गतिविधियां वही होंगे जो होटल के उपयोग परिसर पर लागू हैं। vi. पानी, बिजली की आपूर्ति, सीवरेज, जल-निकासी, ट्रैफिक की आवाजाही, पर्याप्त मार्गाधिकार वाली सड़क को जोड़ने का प्रावधान और इस तरह की अन्य बुनियादी सुविधाएं मालिक द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर तब तक प्रदान की जाएंगी जब तक कि उन्हें सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाती है। मोटल मालिक को संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई मांग के अनुसार पर्याप्त मार्गाधिकार की सड़क को जोड़ने की व्यवस्था करने के साथ-साथ बाहरी विकास प्रभार का भुगतान भी करना होगा।						

अन्य लागू शर्तें:

विनिर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त, सभी व्यावसायिक भूखंडों/एकीकृत योजनाओं पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

i. जन-उपयोगी सेवाएँ, सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएंगी।

ii. अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपांतरण प्रभार, एफएआर प्रभार, बेटरमेंट लेवी और अन्य प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित/निर्धारित/ अधिसूचित किए अनुसार लगाए जाएंगे।

iii. एट्रिअम के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि एट्रियम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।

iv. अतिरिक्त एफएआर का लाभ उठाने के लिए, भवन-निर्माण योजना में संशोधन के मामले में, होटल अतिरिक्त एफएआर का लाभ तभी उठा सकता है, जब भूखंड के भीतर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो।

v. 30 मी. मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) से कम पर 325 एफएआर मानदंड अथवा 30 मी. मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) या उस से अधिक पर 375 एफएआर मानदंड और 40% ग्राउंड कवरेज इन सब पर लागू होगा

क. होटलों पर जिनमें व्यावसायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, डिस्ट्रिक सेंटर/उप-केंद्रीय व्यापार जिला/उप-नगर स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र और मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एलबीजेड क्षेत्र में स्थित को छोड़कर, सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र और धरोहर संरचनाओं पर स्थित होटल भूखंड शामिल हैं और

ख. होटल-एवं-व्यावसायिक भूखंड।

यह होटलों की सभी श्रेणियों के लिए लागू होगा। व्यावसायिक केन्द्रों और मेट्रोपोलिटन सिटी सेंटरों /सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ होटल एवं व्यावसायिक भूखंडों के लिए एफएआर, जहां एफएआर का अनुपात मूल पट्टा शर्त्तों के अनुसार होगा और यदि इस प्रयोजन के लिए एफएआर उपलब्ध नहीं है, तो यह स्वतः ही उस सीमा तक बढ़ जाएगा।

vi. ऐसे होटलों के संबंध में जहां भवन-निर्माण योजनाएं 27.1.2006 से पहले मंजूर की गई हैं, वहाँ 100 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया के लिए 3 ईसीएस का पार्किंग मानक केवल अतिरिक्त एफएआर हेतु लागू होगा, जिसे दि.मु.यो. -2021 में संशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जाएगा। ऐसे होटलों के संबंध में जहां 27.1.2006 को या उसके बाद भवन-निर्माण योजनाएं मंजूर की गई हैं, वहाँ 100 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया के लिए 3 ईसीएस का पार्किंग मानक पूरे भूखंड पर लागू होगा।

vii. होटल और मोटल में कचरे के स्थायी प्रबंधन की जिम्मेदारी मालिक की होगी और कुल प्रदूषण डिसचार्ज शून्य होना चाहिए।

viii. मोटल के कचरे के निपटान में आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा अर्थात ठोस अपशिष्ट का खाद-योग्य और गैर खाद-योग्य कचरे में पृथक्करण करना खाद बनाने योग्य कचरे को स्थानीय खाद के गड्ढों में जमा किया जाना चाहिए; खाद न बनाए जा सकने वाले कचरे को प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अध्यधीन मोटल द्वारा बनाए गए इंसीनेटर में नष्ट किया जाना चाहिए।

ix. संशोधित भवन-निर्माण योजनाएं, भवन निर्माण उप-विधियों के तहत मंजूरी के लिए स्थानीय निकायों अर्थात संबंधित नगर निकाय/दिविप्रा को, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत की जाएंगी।

x. ऊँचाई का निर्धारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एएसआई, दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डीएफएस), अन्य संबंधित प्राधिकरण और सांविधिक निकायों से मंजूरी के अध्यधीन होगा।

xi. खंड 22.12.1 के अनुसार न्यूनतम पार्किंग को चिन्हित किया जाएगा। जहां कहीं भी पार्किंग भूखंड/बेसमेंट के भीतर प्रदान की जाती है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा उसका निगमीकरण/ अधिग्रहण किया जा सकता है।

22.10 उद्योग

22.10.1 योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्र

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषा

तालिका *22.28 :* उपयोग परिसर एवं परिभाषा – उद्योग

क्र.सं. #	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	औद्योगिक भूखंड	औद्योगिक गतिविधियों का परिसर ऐसा परिसर है जहां जोखिमरहित, प्रदूषणरहित गतिविधियां की जाती है।

2.	औद्योगिक फ्लैटेड	छोटे औद्योगिक एककों के समूह का परिसर जहां प्रदूषणरहित स्वरूप की सामान्य सेवाएं और सुविधाएं दी जाती हैं।
3.	एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र / योजना	औद्योगिक गतिविधियां का परिसर जहां जोखिमरहित, प्रदूषणरहित गतिविधियां किए जाते हैं। यह भूखंड या फ्लैट का मिक्स हो सकता है।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका *22.29* : उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां –उद्योग

क्र.सं.	उपयोग जोन	एम1						
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	विनिर्माण / सेवा उद्योग / सेवा और मरम्मत						
		भूखंड				फ्लैट		
		50 वर्ग मीटर तक।	50 से ऊपर - 400 वर्ग मीटर तक	400 से ऊपर - 2000 वर्ग मीटर तक	2000 से ऊपर वर्ग मीटर तक	न्यूनतम 400 से - 2000 तक वर्ग मीटर	2000 वर्ग मीटर से ऊपर - 20,000	20,000 वर्ग मी. से ऊपर
1	खुदरा दुकान / मरम्मत की दुकान / कार्मिक सेवा की दुकान				✓		✓	✓
2	कैंटीन				✓		✓	✓
3	औद्योगिक गतिविधि से संबंधित वेयरहाउस / भंडारण / गोदाम: अधिकतम 10% एफएआर तक		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	कार्यालय				✓			
5	वॉच और वार्ड निवास (20 वर्ग मीटर)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ट्रीटमेंट प्लांट, ई.एस.एस.			✓	✓	✓	✓	✓
7	स्टॉक / श्रमिकों के लिए आवासीय: एफएआर का				✓		✓	✓

	अधिकतम 10% तक							
8	आर एंड डी सुविधाएं				✓		✓	✓
9	इन्क्यूबेशन केंद्र / सह-कार्य			✓	✓	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका *22.30 :* उद्योग

क्र.सं.	उपयोग जोन	एम1				
	उपयोग परिसर	भूखंड क्षेत्र (न्यूनतम)	ग्राउंड कवरेज (अधिकतम)	#एफएआर	मार्गाधिकार (मी.) (न्यूनतम)	ऊँचाई (मी.)
1.	औद्योगिक भूखंड	50 से ऊपर वर्गमीटर तक	100	200	9	8
		50 से 400 वर्गमीटर से ऊपर	60	200	100 वर्गमीटर से नीचे के भूखंड: 9 100 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखंड: 12	15
		400 से से ऊपर 2000 वर्गमीटर तक	50	200	12	एनआर*
		2000 वर्गमीटर से ऊपर	40	200	2 हेक्टेयर तकः 24 2 हेक्टेयर से ऊपरः 30	एनआर*
2.	औद्योगिक फ्लैट	400-2000	30	200	12	26
		2000 से से ऊपर 20,000 तक	30	200	24	एनआर*
		20,000 से ऊपर	30	200	30	एनआर*

*एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।

अतिरिक्त एफएआर प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए अनुसार देय होंगे।

अन्य नियंत्रण:

i. सभी उद्योगों के पास ठोस कचरे के निपटान से पहले उसे अलग करने का प्रावधान होना चाहिए। किसी भी अनुपचारित बहिस्राव को विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपेक्षानुसार बहिस्राव का प्राथमिक उपचार भूखंड स्तर पर ही किया जाएगा।

ii. 60 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के मामले में, कॉमन पार्किंग प्रदान की जाएगी, जबकि 60 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखंडों के लिए फ्रंट सेटबैक (कम से कम 3 मीटर) पार्किंग तथा माल-लदान और माल-उतराई की सुविधा के लिए बिना चारदीवारी के दिया जाएगा।

iii. स्टेक पार्किंग के लिए 5% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज प्रदान किया जाएगा।

iv. 500 वर्ग मीटर और उससे ऊपर आकार के भूखंडों के मामले में, ई.एस.एस, भूमिगत जल भंडारण टैंक, छत पर जल संचयन प्रणाली, अलग-अलग सूखे और गीले डस्टबिन, सौर हीटिंग / प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी जन-उपयोगी सेवाएं भूखंड के भीतर प्रदान की जाएंगी।

v. सेवा केन्द्र भूखंड पर बने औद्योगिक क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार नियोजित किए जाएंगे।

vi. अधिकतम 10% एफएआर का उपयोग विनिर्माण और सेवा/मरम्मत के कार्यालय के लिए किया जा सकता है।

vii. खुदरा दुकान/मरम्मत की दुकान/पर्सनल सेवा की दुकान/कैंटीन - अधिकतम 10% एफएआर तक 500 वर्ग मीटर, जो भी कम हो।

viii. औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप और इनोवेशन क्लस्टर्स को सुसाध्य बनाने के लिए, औद्योगिक भूखंडों पर बिना किसी उपयोग रूपांतरण के 10% एफएआर तक सह-कार्यशील स्थान (को वर्किंग स्पेस) निर्मित करने की अनुमति दी जाएगी।

ix. कम से कम 30 मी. मार्गाधिकार की सड़क से सीधे पहुंच वाले भूखंडों पर वेयरहाउसिंग की अनुमति दी जाएगी।

घ. योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग रूपान्तरण के लिए अनुमेय उपयोग

तालिका *22.31* : योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग रूपान्तरण के लिए अनुमेय उपयोग

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र/पुनर्विकास योजना की लेआउट योजना में संशोधन के हिस्से के रूप में अनुमेय उपयोग परिसर*	शर्तों के अधीन	
		न्यूनतम प्लॉट का आकार (वर्ग मी.)	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)
1	**व्यवसायिक उपयोग**		
क. i.	**व्यावसायिक (होटल / सिनेप्लेक्स को छोड़कर)** **अन्य नियंत्रण** अनुमत गतिविधि भूखंड के आकार और मार्गाधिकार से संबंधित डीसीएन के अनुसार होगी।*		
ख.	**वेयरहाउसिंग / भंडारण / गोदाम** अन्य शर्तें i. औद्योगिक भूखंड में गोदाम के डीसीएम के अनुसार रूपान्तरण किया जाता है। ii. 30 मीटर मार्गाधिकार से सीधी पहुंच वाले 1 हेक्टेयर और उससे अधिक	न्यूनतम 1000 वर्गमीटर	30

	आकार के भूखंडों के गोदामों के भंडार पर सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रभारों का भुगतान करने पर अनुमेय एफएआर के 50% तक खुदरा गतिविधि की अनुमति होगी। iii. माल लदान करने और उतारने की सभी सुविधाएं भूखंड के भीतर ही प्रदान की जाती हैं।		
2	**पीएसपी**		
क.	**शिक्षा संबंधी सुविधाएं:** अनुसंधान और विकास केंद्र, संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आईटीआई / पॉलिटेक्निक / कौशल केंद्र, व्यावसायिक / प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, प्रबंधन संस्थान, कोचिंग सेंटर, अन्य प्रशिक्षण संस्थान (व्यावसायिक और सचिवीय प्रशिक्षण केंद्र), जनरल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, कॉलेज।	पीएसपी डीसीएन द्वारा यथा: निर्धारित भूखण्ड के आकार से संबंधित मानदंड असली भूमि उपयोग के अनुसार एफएआर	24
ख.	**स्वास्थ्य सुविधाएं:** **अस्पताल / तृतीयक (टर्शीएरी) स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (100 बेड तक)** अन्य शर्तें मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंडों के भीतर भू-खंड रूपान्तरण इन शर्तों के अध्यधीन है कि एक भूखंड पर बनाए जाने वाले बेड्स की संख्या की प्रति बेड सकल फ्लोर एरिया {@ 80 वर्गमीटर} के अनुसार किया जाएगा। एफ ए आर मूल भूमि उपयोग के अनुसार लागू है।	पीएसपी डीसीएन द्वारा यथा: निर्धारित भूखण्ड के आकार से संबंधित मानदंड	24
ग.	**बैंक्वेट हॉल** अग्निशमन मानदंड जो निर्धारित किए गए हों, सहित विनिर्देशन/ विनियमों के अध्यधीन। 1. बैंक्वेट प्लॉट का डी सी एन लागू होगा। 2. संविधित उपयोग का डी सी एन लागू होगा।	800	24
घ.	रेस्तरां, मनोरंजन क्लब, छात्रावास और वृद्धाश्रम, सामुदायिक और मनोरंजन हॉल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य केंद्र को औद्योगिक क्षेत्र के लेआउट प्लान में संशोधन के हिस्से के रूप में अनुमति दी जाती है।	असली भूमि उपयोग के डीसीएन द्वारा यथा निर्धारित मानदंड	
3	**ग्रुप हाउसिंग**		
क.	**ग्रुप हाउसिंग**	3000	24
	i. ग्रुप हाऊसिंग के अनुमेय एफएआर के 1.5 गुना एफएआर के प्रोत्साहन के साथ ग्रुप हाऊसिंग के विकास नियंत्रण मानदंडों के भीतर भू-प्रयोग रूपान्तरण के लिए पात्र है। ii. आवासीय आबादी के लिए अधिमानत आवश्यक व्यावसायिक और पीएसपी गतिविधि, और अनुमेय एफएआर के 15% तक तक कार्य स्थल की अनुमति दी जाएगी।		

अन्य नियंत्रण:

i. एएआई (भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अध्यधीन ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

ii. औद्योगिक उपयोग समय-समय पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित वर्तमान बाजार मूल्य और पार्किंग की लागत के आधार पर आकलित भू-प्रयोग रूपान्तरण प्रभार के भुगतान के अध्यधीन मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंडों के भीतर अन्य उपयोगों के लिए भूप्रयोग रूपान्तरण के पात्र होंगे।

iii. मौजूदा क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक भूखंडों का उप-विभाजन या औद्योगिक भूखंडों के आमेलन और साथ ही इन औद्योगिक भूखंडों पर अनुमोदित योजनाओं/लेआउट/ भवन योजनाओं की अनुमति दी जाएगी।

iv. अवसंरचनागत सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए अधिमानत: पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहण के साथ वर्षा जल संचयन, एसटीपी, दोहरी पाइपिंग प्रणाली, सौर पीवी के उपयोग का प्रावधान किया जाएगा।

v. इन प्रावधानों की शर्तों को गैर अनुरूप / विनियमित औद्योगिक क्लस्टर पर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vi. उपरोक्त प्रावधानों का किसी भी रूप में संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर प्रभाव नहीं पहेगा।

vii. औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए, न्यूनतम 4 हेक्टेयर की पुनरुद्धार योजना तैयार की जाएगी जहां पुनरुद्धार के लिए पात्र भूखंड का न्यूनतम आकार 1000 वर्गमीटर होगा। ऐसे पुनर्विकास में भूखंड के आकार की निचली सीमा में 5% तक की छूट दी जाएगी।

viii. औद्योगिक भूखंडों के पुनर्विकास में, मौजूदा योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्र के लिए विनियमों और दिशानिर्देशों के संबंध में दिनांक 01.04.2011 की अधिसूचना एस.ओ. 683 (ई) में अनुमत एफएआर का 1.5 गुना पहले ही अधिसूचित कर लिया गया है, अत: औद्योगिक भूखंड पर सभी अनुमेय उपयोगों पर अनुमेय एफएआर के 1.5 गुना की अनुमति दी जाएगी।

ङ. विभिन्न उपयोग जोन में औद्योगिक इकाइयों के लिए मानदंड और गैर-औद्योगिक उपयोग जोन क्षेत्रों में उद्योगों के अनुमेय परिसरों का उपयोग।

औद्योगिक वर्गीकरण के लिए, उद्योगों की प्रकृति, क्षेत्र और औद्योगिक विकास की प्रकृति के अनुसार पैरामीटर की सीमा तय की जाएगी।

तालिका *22.32 :* गैर-औद्योगिक उपयोग जोन में औद्योगिक इकाइयों के लिए मानदंड

क्र.सं.	उपयोग परिसर	समूह की अनुमति (देखें अनुलग्नक)	शर्तें	
			श्रमिकों की अधिकतम सं.	अधिकतम औद्योगिक पावर (बिजली) लोड (किलोवाट)
1	**आवासीय**			
क.	प्लॉटेड हाउसिंग (घरेलू उद्योग)	अनुलग्नक 5 / (अनुलग्नक 12) में सूचीबद्ध गतिविधियाँ	9	11
ख.	ग्राम आबादी	अनुलग्नक 5 में सूचीबद्ध गतिविधियाँ	9	11
2	**व्यावसायिक**			
क.	सुविधा शॉपिंग सेंटर, लोकल शॉपिंग सेंटर	एम1 (अनुलग्नक 12)	5	11

ख.	कम्युनिटी सेंटर		9	11
ग.	डिस्ट्रिक सेंटर		19	11
घ.	सर्विस मार्केट, सर्विस सेंटर	(अनुलग्नक 12) और (अनुलग्नक 13)	--	--
3	**औद्योगिक उपयोग**			
क.	प्लॉटेड विकास	निषिद्ध और गैर-प्रदूषणकारी और गैर-खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग।	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
ख.	फ्लैटेड उद्योग	निषिद्ध और गैर-प्रदूषणकारी और गैर-खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग जिनमें शोर/पानी/कंपन /गंध प्रदूषण उत्पन्न करनेवाले उद्योग शामिल नहीं हैं।	[2][आवश्यकतानुसार]	आवश्यकतानुसार

अन्य नियंत्रण:

i. सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार अधिकतम श्रमिक होंगे।

ii. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के प्रचालन और गैर-विनिर्माण उपयोग के लिए बिजली की आवश्यकता पूर्वोक्त अनुमत लोड के अतिरिक्त होगी।

22.10.2 नए औद्योगिक क्षेत्र

i. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई औद्योगिक गतिविधि को हाई-टेक और सेवा-आधारित उद्योगों (अनुलग्नक 12) तक सीमित होनी चाहिए। ये गतिविधियाँ, संबंधित प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किए गए और वसूले गए अवसंरचना उन्नयन प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय होंगी।

ii. **औद्योगिक उपयोग जोन - दिशानिर्देश**

औद्योगिक उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप-विभाजन और तदुपरांत औद्योगिक सम्पदा के लिए लेआउट योजनाओं का अनुमोदन निम्नलिखित मानदंडों द्वारा शासित होगा:

क) डीई / दिविप्रा निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर लेआउट योजना / पुनरुद्धार योजना तैयार करेगा।

तालिका *22.33 :* नए औद्योगिक क्षेत्र में भूमि वितरण (एकीकृत योजना)

उपयोग परिसर	भूमि का प्रतिशत
औद्योगिक (वास्तविक क्षेत्र)	50%
आवासीय*: श्रमिकों का आवास	20%

मनोरंजन: बफ़र ज़ोन, पार्क, वॉटर बॉडीज़, एचटी लाइनों के नीचे ग्रीन क्षेत्र, जोन के बीच आंतरिक पक्का पैदल मार्ग, ओपन एयर थिएटर आदि।	7%-10%
अन्य उपयोग की अनुमति: व्यावसायिक शॉपिंग सेंटर, रिटेल, प्रदर्शनी स्थल, गेस्ट हाउस / बजट होटल, लॉजिंग और बोर्डिंग, संचार, सूचना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, रेस्तरां, पुरूष-महिला हॉस्टल आदि।	2%-3%
सामाजिक और भौतिक सुविधाएं 1. सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक: फायर स्टेशन / फायर पोस्ट, पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट, अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र / औषधालय, आईटीआई / पॉलीटेक्निक, धर्मशाला, नाइट शेल्टर, डे केयर सेंटर, आदि। 2. उपयोगिताएँ: इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सीईटीपी, पम्पिंग स्टेशन, भूमिगत जल संचयन / अग्निशमन टैंक और अन्य उपयोगिताएं, आदि ठोस अपशिष्ट संग्रह केंद्र, जल पुनर्चक्रण संयंत्र आदि।	6%-8%
परिवहन: सर्कुलेशन, पार्किंग, पैदल चलने वालों/साइकिल सवारों के लिए रास्ता, गुड्स व्हीकल (मालवाहक वाहन) पार्किंग फ्यूल स्टेशन आदि।	15%-18%
कुल	100

* ग्रुप हाऊसिंग के लिए विनियम लागू होंगे। इस आवास का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों/ कर्मचारियों के लिए किया जाएगा।

अन्य नियंत्रण:

अफोर्डेबल किराया आवास विकसित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों (1 हेक्टेयर से ऊपर) के लिए, अनुमेय आवासीय एफ ए आर का 15% अतिरिक्त एफएआर का उपयोग किया जा सकता है।

i. भूखंड के भीतर भंडार, 10% तक सीमित होगा और संबंधित भूखंड (कच्चा माल, तैयार उत्पाद, आदि, भंडारण) में औद्योगिक गतिविधि से उत्पन्न आकस्मिक भंडारण के रूप में प्रदान किया जाएगा।

ii. पार्किंग मानदंड खण्ड 22.12.1 के अनुसार लागू किए जाने चाहिए।

औद्योगिक उपयोग जोन के लिए लेआउट योजनाओं के अनुमोदन के लिए अन्य शर्तें:

i. सभी नए औद्योगिक संपदा / क्षेत्रों की पहुंच कम से कम 30 मीटर मार्गाधिकार की एक सड़क से होगी।

ii. ऑटोमोबाइल वॉशिंग क्षेत्र के पास ग्रीस ट्रेप प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. नए औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी मुख्य मार्गीय सड़कों के आसपास अवस्थित होने चाहिए। प्रमुख अवसंरचना नेटवर्क जैसे सीएनजी, एलपीजी, तेल, ऑप्टिकल फाइबर, बिजली, आदि भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से इस कॉरीडोर के साथ-साथ उपलब्ध कराए जाएं।

iv. सीईटीपी, ठोस अपशिष्ट पृथक्करण/ शोधन संयंत्रों का प्रावधान औद्योगिक क्लस्टर स्तर पर किया जाएगा।

v. संबंधित एजेंसी द्वारा समुचित आपदा प्रबंध किए जाएंगे।

vi. क्षेत्र के लिए भूदृश्यांकन योजना तैयार की जाएगी।

vii. सभी उद्योगों में ठोस अपशिष्ट के निपटान से पहले अलग करने का प्रावधान होना चाहिए। ई-कचरे के प्रबंधन के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए

22.11 मनोरंजन

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.34 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - मनोरंजन

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	क्षेत्रीय पार्क	इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा सत्यापन करने के अधीन नादर्न, सेंट्रल, साउथ सेंट्रल और सदर्न रिज शामिल होंगे।
2	सिटी पार्क/जिला पार्क /सामुदायिक पार्क	पार्क प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक क्षेत्र होता है या मनुष्यों के मनोरंजन और मौज मस्ती के लिए बनाया गया क्षेत्र होता है। इसमें सुरक्षा/संरक्षण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल है।
3	थीम आधारित / एम्यूजमेंट पार्क	एक बड़ा आउटडोर क्षेत्र, जो आमतौर पर मनोरंजन प्रयोजनार्थ अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ राइड, खेल कूद जैसे विभिन्न आकर्षणों की विशेषताओं वाले विषय/विचार पर आधारित होता है।
4	बहुउद्देशीय मैदान	मनोरंजनात्मक सुविधाओं से युक्त बहुत सी सार्वजनिक गतिविधियों /समारोहों के लिए एक खुला स्थान।
5	पुरातत्व पार्क	आर्कियोलॉजिकल पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जहां पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील संपत्ति के साथ धरोहर महत्व की मिली-जुली संपत्ति होती है।
6	ऐतिहासिक स्मारक	ऐतिहासिक परिसर, जिनकी ऐतिहासिक और/या सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व के परिसर के रूप में पहचान की गई है।
7	जैव विविधता पार्क	ये अनूठे भू-भू दृश्यांकन वाले विशेष पार्क हैं जो देशी वनस्पतियों और जीवों के

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
		क्षेत्र और आश्रय के लिए प्रकृति के भंडार का काम करते हैं।
8	ग्रीन बफर	बफ़र्स ग्रीन्स, जलाशयों, प्राकृतिक नालों, एचटी लाइन्स आदि के आसपास विकसित हरित क्षेत्र/ कॉरिडोर होते हैं।
9	स्पोर्ट्स सेंटर	दर्शकों के लिए पवेलियन भवनों, स्टेडियम संरचना और संबंधित सुविधाओं से युक्त आउटडोर और इनडोर खेलों के लिए प्रयुक्त परिसर।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.35 उपयोग परिसर और अनुमत गतिविधियां क्षेत्रीय पार्क, सिटी पार्क, डिस्ट्रिक पार्क, सामुदायिक पार्क और बहुउद्देशीय (मल्टी परपज़) मैदानः-

क्र. सं. #	उपयोग जोन	पी1	पी2							आरडी
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्रीय पार्क *	सिटी पार्क	डिस्ट्रिक पार्क	सामुदायिक पार्क	थीम आधारित/ एम्यूज़मेंट पार्क	शहर	जिला	समुदाय	स्थानीय स्तर के पार्क
							बहुउद्देशीय मैदान			
1	वन / वुडलैंड्स (वन प्रदेश)	✓	✓	✓						
2	वॉच एंड वार्ड रूम (पहरा और निगरानी कक्ष)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	पिकनिक हट्स एवं ग्राउंड्स	✓	✓	✓	✓	✓				
4	जैव-विविधता पार्क	✓	✓	✓						
5	प्राणि उद्यान / पक्षी अभयारण्य	✓								

क्र. सं. #	उपयोग जोन	पी1	पी2							आरडी
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्रीय पार्क *	सिटी पार्क	डिस्ट्रिक पार्क	सामुदायिक पार्क	थीम आधारित/ एम्यूज़मेंट पार्क	शहर	जिला	समुदाय	स्थानीय स्तर के पार्क
							बहुउद्देशीय मैदान			
6	बॉटेनिकल गार्डन / आर्बोरेटम	✓	✓	✓						
7	स्थानीय सरकारी कार्यालय (रखरखाव)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	ओपन एयर थिएटर / रंगशाला (एम्फीथिएटर)	✓	✓	✓		✓				
9	शूटिंग रेंज	✓				✓				
10	पुलिस पोस्ट / फायर पोस्ट	✓	✓	✓		✓				
11	ऑर्चर्ड	✓	✓	✓		✓				
12	प्लांट नर्सरी	✓	✓	✓						
13	राष्ट्रीय स्मारक (कैबिनेट / भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)		✓	✓						
14	एक्वा पार्क / वाटर स्पोर्ट्स पार्क / एक्वेरियम		✓	✓		✓				
15	खेलकूद संबंधी गतिविधियां		✓	✓						
16	खेल का मैदान		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	मनोरंजन क्लब		✓	✓		✓				

क्र. सं. #	उपयोग जोन	पी1	पी2							आरडी
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्रीय पार्क *	सिटी पार्क	डिस्ट्रिक पार्क	सामुदायिक पार्क	थीम आधारित/ एम्यूज़मेंट पार्क	शहर	जिला	समुदाय	स्थानीय स्तर के पार्क
							बहुउद्देशीय मैदान			
18	ओपन-एयर फूड कोर्ट		✓	✓	✓	✓				
19	चिल्ड्रन पार्क / चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क		✓	✓	✓	✓				✓
20	विशेष पार्क		✓	✓		✓				
21	पुरातत्व पार्क		✓	✓						
22	एम्यूज़मेंट पार्क / थीम पार्क सवारी (राइड्स) मैकेनिकल + वॉटर राइड), खेल, शो, थीम प्रदर्शन आदि।		✓	✓		✓				
23	सुख सुविधा युक्त (एमेनिटी) संरचना	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ओपन जिम		✓	✓	✓					
25	रेस्तरां / कैफे		✓	✓		✓				
26	वेंडिंग बूथ /कियोस्क		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	सार्वजनिक सभा मैदान, सार्वजनिक संबोधन मंच, सार्वजनिक सामारोह / विवाह / उत्सव पंडाल और अन्य						✓	✓	✓	

क्र. सं. #	उपयोग जोन	पी1	पी2						आरडी
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्रीय पार्क *	सिटी पार्क	डिस्ट्रिक पार्क	सामुदायिक पार्क	थीम आधारित/ एम्यूज़मेंट पार्क	शहर	जिला	समुदाय	स्थानीय स्तर के पार्क
							बहुउद्देशीय मैदान			
	सार्वजनिक और सामाजिक समारोह आदि के लिए प्रावधान।									
28	खेल क्षेत्र					✓	✓	✓	✓	✓
29	सार्वजनिक मेला ग्राउंड / मेला						✓	✓		

नोटः

*उच्चतम (सर्वोच्च) न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के रिज प्रबंधन बोर्ड से आवश्यक मंजूरी के अध्यधीन मौजूदा फार्म हाउसों के नियमितीकरण के लिए लागू नीति के अनुसार 01.08.90 से पहले [या बाद में अगर [संबंधित नगर निकाय द्वारा अनुमोदित हों] संस्वीकृत किए गए अनुमोदित फार्म हाउस, की अनुमति है।]

तालिका *22.36* उपयोग परिसर और अनुमत गतिविधियाँ- पुरातत्व पार्क, जैव विविधता पार्क और ग्रीन बफर

क्र.सं. #	उपयोग जोन	पी3			पी4
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	10	11	12	13
		पुरातत्व पार्क	ऐतिहासिक स्मारक	जैव विविधता पार्क	ग्रीन बफर
1	सार्वजनिक उत्सव / प्रदर्शनियाँ (अस्थायी संरचनाएँ)	✓	✓		
2	साइक्लिंग और वॉकिंग ट्रैक्स	✓		✓	✓
3	इंटरप्रीटेशन / आगंतुक केंद्र (विजिटर सेंटर)	✓	✓	✓	

क्र.सं. #	उपयोग जोन	पी3			पी4
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	10	11	12	13
		पुरातत्व पार्क	ऐतिहासिक स्मारक	जैव विविधता पार्क	ग्रीन बफर
4	रेस्तरां / फूड कोर्ट	✓	✓	✓	
5	बगीचे / आर्बोरेटम, ग्रीनहाउस, बागवानी क्लब, सामुदायिक सब्जी उद्यान और पौधे की नर्सरी, आदि।	✓		✓	✓
6	विशेष पार्क (बटरफ्लाई पार्क, फर्नेरियम आदि) / फ़्लोरा और फौना के लिए सुविधाएं			✓	
7	ओपन एयर-थिएटर			✓	✓
8	एमेनिटी संरचनाएं* (सुख सुविधाएं)	✓	✓	✓	
9	वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ			✓	
10	प्रशासनिक कार्यालय	✓	✓	✓	
11	शिविर स्थल			✓	
12	पानी आधारित पारिस्थितिकी के लिए वेटलैंड्स (दलदली भूमि) और दलदल			✓	✓
13	सक्रिय सार्वजनिक उपयोग; पार्क, योगा स्थान, सक्रिय खेल कूद (औपचारिक सीटिंग के बिना) और बोटिंग				✓
14	कियोस्क	✓	✓	✓	

नोटः

*सुख-सुविधा संरचनाओं में प्रसाधन ब्लॉक, पंप रूम, इलेक्ट्रिक रूम, गार्ड कक्ष, भंडार कक्ष और उपकरण कक्ष शामिल हैं। स्थानीय स्तर को छोड़कर ये सभी पार्कों में अनुमेय होंगे।

तालिका 22.37 उपयोग परिसर और अनुमत गतिविधियाँ- खेल सुविधाएं

क्र.सं. #	उपयोग जोन	पी5 (खेल सुविधाएं)			आरडी
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियाँ	14	15	16	17
		शहर स्तर के खेल: प्रभागीय खेल केंद्र	जिला खेल केंद्र	सामुदायिक खेल केंद्र	स्थानीय स्तर पर खेल क्षेत्र
1	**मल्टीयूज स्टेडियम (बैठने की क्षमता 15,000)**	✓			
2	**स्टेडियम**	✓	✓	✓	
3	**एक्वाटिक सेंटर** (कवर्ड या अन्यथा पूर्ण आकार वाले प्रतियोगिता पूल, प्रशिक्षण/ लैप पूल, डाइविंग पूल जिनका प्रयोग वाटर पोलो और सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग के साथ-साथ अन्य जलीय मनोरंजन सुविधाओं जैसे वॉटरस्लाइड्स, वेव पूल, हाइड्रोथैरेपी पूल, अखाड़ा आदि के लिए भी किया जा सकता है।)	✓			
4	**बहुउद्देशीय हॉल (बैठने की क्षमता 4,000)** [प्रदर्शनियों, व्यापार कार्यक्रमों, बैंक्वेट, बहुत से संबंधित खेल और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए]	✓			
5	खेल सुविधाएं (आउटडोर और इनडोर)	✓	✓	✓	
6	खेल अकादमी / खेल प्रशिक्षण केंद्र	✓	✓		
7	स्पोर्ट्स चिकित्सा केंद्र	✓			
8	स्विमिंग पूल	✓	✓	✓	
9	आधारिक संरचना सहायता; चेंजिंग रूम, मल्टी जिम, आदि जैसी सुविधाओं के लिए भंडारण के लिए स्थान / स्थल	✓	✓	✓	
10	दुकान	✓	✓	✓	
11	रेस्टोरेंट / कैफेटेरिया	✓	✓	✓	
12	बैंक एक्सटेंशन (काउंटर)	✓	✓	✓	
13	कार्यालय (विभागीय)*	✓	✓	✓	
14	खेल संबंधी व्यक्तियों / खिलाड़ियों के	✓	✓		

क्र.सं. #	उपयोग जोन	पी5 (खेल सुविधाएं)			आरडी
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियाँ	14	15	16	17
		शहर स्तर के खेल: प्रभागीय खेल केंद्र	जिला खेल केंद्र	सामुदायिक खेल केंद्र	स्थानीय स्तर पर खेल क्षेत्र
	लिए छात्रावास / आवासीय आवास, प्लॉटिंग हाउसिंग (रखरखाव और प्रबंधन कर्मचारी): कुल एफएआर का 5%				
15	पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कियोस्क	✓	✓	✓	
16	चिल्ड्रन'स कॉर्नर	✓	✓	✓	✓
17	खेल का मैदान	✓		✓	✓
18	वॉच एंड वार्ड रेजिडेंस	✓	✓	✓	

नोटः

*कुल एफएआर के अधिकतम *5%* के लिए क्र. सं. *10* से *13* तक की सभी गतिविधियों की अनुमति है।

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका *22.38* मनोरंजन

क्र.सं. #	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक							
1	टॉट लॉट	40	125	--	--	--	--
2	हाउसिंग क्षेत्र पार्क	2	5000	--	--	--	--
3	हाउसिंग क्षेत्र खेल का मैदान	2	5000 (0.5 हेक्टेयर)			--	एनआर*
4	स्थानीय स्तर पर पार्क	1	10,000 (1 हेक्टेयर)	--	--	--	--
5	स्थानीय स्तर पर खेलने का क्षेत्र	1	5000-10,000 (0.5	2%	4	--	एनआर*

			से 1 हेक्टेयर)				

** एएआई, अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।*

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100,000 तक							
1	सामुदायिक पार्क	1	35000 वर्ग मीटर (3.5 हेक्टेयर)		---	18	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण: i. पार्क में सभी अनुमेय स्थायी निर्मित संरचनाएं पार्क क्षेत्र के 0.5% या 100 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होंगी। ii. क्षेत्र के 20% को सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा।							
2	**सामुदायिक बहुउद्देशीय मैदान**	1	20,000 वर्ग मी. (2 हेक्टेयर)	एनए*	एनए**	18	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण: i. * कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अंतर्गत होगा और शेष 50% का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा। ii. ** बहुउद्देशीय मैदानों के भीतर सभी स्थायी निर्मित संरचनाएं, भूखंड क्षेत्र के 1% या 500 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।							
3	**सामुदायिक खेल केंद्र**	1	1 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर	20%	40	24	एनआर*
अन्य नियंत्रण: **निम्नलिखित के लिए अधिकतम 5% एफएआर की अनुमति है:** i. दुकान, ii. रेस्टोरेंट, iii. बैंक एक्सटेंशन (काउंटर), iv. कार्यालय (विभागीय), v. पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, vi. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कियोस्क।							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100,000 तक							
** एएआई, अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।*							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
उप-शहर स्तर जनसंख्या 5,00,000							
1	**डिस्ट्रिक पार्क**	1	2,50,000 वर्ग मी. (25 हेक्टेयर)		एनए**	30	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण: i. डिस्ट्रिक पार्क के भीतर निर्मित संरचनाओं के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे जिनका क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से अधिक है। क. रेस्टोरेंट प्लॉट का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर या जिला पाक्र का 1% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। ख. रेस्टोरंट प्लॉट बाकी जिला पार्क क्षेत्र से भौतिक रूप से अलग नहीं होना चाहिए। ग. यह भवन एक मंजिला संरचना होना चाहिए। जिसका अधिकतम एफएआर 5 होना चाहिए और इसकी अधिकतम ऊँचाई 4 मी. होनी चाहिए और यह आवासीय सुविधा तथा आस-पास के क्षेत्र में किसी सामंजस्य के बिना होना चाहिए। घ. यदि आस-पास के क्षेत्र में कोई पार्किंग लॉट नहीं है तो पार्किंग रेस्तरां से उपयुक्त दूरी पर होनी चाहिए। पार्किंग क्षेत्र रेस्तरां परिसर/हरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा। ङ. भूखंड क्षेत्र के 30% को सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा।							
2	**जिला बहुउद्देशीय मैदान**	1	40000 वर्ग मी. (4 हेक्टेयर)	एनए*	एनए**	24	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण:							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
उप-शहर स्तर जनसंख्या 5,00,000							
i. ** बहुउद्देशीय मैदान के भीतर सभी स्थायी निर्मित संरचनाएं, भूखंड क्षेत्र के 1%या 500 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। ii. * कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अंतर्गत होगा और शेष 50% का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।							
3	**जिला खेल केंद्र**	1	3 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर	20%	40	24	एनआर*

अन्य नियंत्रण:

अधिकतम 20% एफएआर

क. अधिकतम 5% के लिए-

i. दुकान,
ii. रेस्टोरेंट,
iii. बैंक एक्सटेंशन (काउंटर),
iv. कार्यालय (विभागीय)।

ख. न्यूनतम 5% के लिए-

i. छात्रावास / आवासीय आवास (खेल संबंधी व्यक्तियों / खिलाड़ियों के लिए),
ii. प्लॉटिंग हाउसिंग (रखरखाव और प्रबंधन कर्मचारी),
iii. पुलिस पोस्ट / फायर पोस्ट,
iv. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कियोस्क।

** एएआई, अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।*

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
1	**क्षेत्रीय पार्क**	---	एनए	एनए*	---	एनए	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
							के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण: i. निर्मित संरचना में ऐसे स्थलों के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा केबिनों और मनोरंजन जोन/पहुंच जोन के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में संबंधित एजेसियों के अनुमोदन से प्रति वर्ग मीटर 2 (दो) प्रसाधन कक्ष का प्रावधान शामिल होगा। ii. किसी साइट का अधिकतम 0.1% क्षेत्र, पक्की सतह तक प्रतिबंधित होगा। जहाँ भी संभव हो, फ़र्श के लिए केवल भेदय सामग्री का उपयोग किया जाएगा। *नोटः* **क्षेत्रीय पार्क के अंतर्गत आने वाली वन भूमि में विकास वन विभाग के अनुसार होगा।							
2	**सिटी पार्क**	2 @10,00,000 जनसंख्या	40 हेक्टेयर	1	एनए**	30	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण: i. ऐसे सिटी पार्क के भीतर निर्मित संरचनाओं के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे जिनका क्षेत्रफल 80 हेक्टेयर से अधिक है। • ऐसी गतिविधियों के लिए पार्किंग क्षेत्र निर्मित परिसर/हरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ii. 30% भूखंड क्षेत्र को सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा।							
3	**शहरी बहुउद्देशीय मैदान**	1 @10,00,000 जनसंख्या	80,000 वर्ग मी. (8 हेक्टेयर)	एनए*	एनए**	30	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण: i. ** बहुउद्देशीय मैदान के भीतर सभी स्थायी निर्मित संरचनाएं, भूखंड क्षेत्र का 1% या 500 वर्ग मीटर, जो भी कम							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
	हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। ii. * कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अंतर्गत होगा और शेष 50% का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।						
4	**थीम आधारित / एम्यूज़मेंट पार्क**	---	10 हेक्टेयर तक	10% तक	60	30	12
5	**पुरातत्व पार्क**	---	एनए	0.5%*	---	18	सक्षम प्राधिकारियों सेप्राप्त अनुमति के अनुसार अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 6 मी. है।
अन्य नियंत्रण: i. * स्थायी संरचनाओं के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र, पार्क के 0.5% क्षेत्र या 10,000 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा। ii. इस निर्मित क्षेत्र की गणना में अनुकूली पुन: उपयोग के लिए पहचानी गई किसी भी धरोहर संपत्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। iii. निर्मित क्षेत्र, धरोहर संपत्तियों पर अधिशासित अधिनियमों और नियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार होगा। iv. संरचनाओं के डिजाइन और ऊँचाई से धरोहर संपत्ति की दृश्यता बाधित नहीं होगी और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। v. लोक कला और स्थापनाओं को निर्मित क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाएगा। vi. पार्क से होकर जाने वाले साइकिल ट्रैक, स्थानीय पैदल मार्ग और वांछित पहुंच मार्गों का रख रखाव किया जाएगा और निश्चित समय के दौरान जनता के लिए खुला रखा जाएगा।							
6	**जैव विविधता पार्क**	---	एनए	0.5%*	---	---	ढलान वाली छत संरचनाओं के लिए अधिकतम 12 मीटर के दो मंजिला
अन्य नियंत्रण: i. निर्मित संरचनाओं का अधिकतम अनुमेय क्षेत्र पार्क क्षेत्र का 0.5% या 10,000 वर्ग.मी. जो भी कम हो, होगा। ii. जैव-विविधता पार्कों के भीतर बने भवनों के "हरित भवन" मानदंड (गृह 4 स्टार रेटिंग) पूरे होने चाहिएं।							
7	**ग्रीन बफर**	---	एनए	0.5%*	---	एनए	4.8 मी.**

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
निर्मित संरचनाओं के लिए नियंत्रण: i. * स्थायी संरचनाओं के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र, साइट के 0.5% क्षेत्र से अधिक नहीं होगा। ii. ** स्थायी संरचनाओं की अधिकतम ऊँचाई 4.8 मी. होगी सिवाए एएआई, एचसीसी, डीयूएसी, डीटीएल द्वारा यथा निर्धारित । iii. जहाँ बफर विकास के लिए किसी परियोजना में धरोहर संपत्ति शामिल हो, वहां निर्मित क्षेत्र, धरोहर संपत्तियों पर शासित अधिनियमों और नियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार होंगा। iv. अधिकतम सहायक अनुमेय कुल निर्मित संरचना का 20% - संग्रहालय और सूचना केंद्र, रेस्तरां, कैफे (1 हेक्टेयर के न्यूनतम समेकित क्षेत्र पर लागू) है। **अन्य नियंत्रण:** i. पार्क साइट से होकर जाने वाले साइकिल ट्रैक, स्थानीय पैदल मार्ग और वांछित पहुंच मार्गों को रख रखाव किया जाएगा और निश्चित समय के दौरान जनता के लिए खुला रखा जाएगा। ii. जहां भी संभव हो, ऐसी साइटों के कोनों के साथ-साथ नई संरचनाएं इन स्थलों के सामने होंगी। चारदीवारी 1 मी. की ऊँचाई से ऊपर पारदर्शी होंगी। ग्रीन बफर का रख रखाव किया जाना चाहिए, जो सभी अधिभारों से मुक्त और जनता के लिए खुला होना चाहिए।							
8	शहर स्तर के खेल: प्रभागीय खेल केंद्र	1 @10,00,000 जनसंख्या	1,00,000 वर्ग मी. (10 हेक्टेयर)	20%	40	30	एनआर*
अन्य नियंत्रण: **कुल एफएआर का अधिकतम 20%** क. अधिकतम 5% i. दुकान, ii. रेस्टोरेंट, iii. बैंक एक्सटेंशन (काउंटर), iv. कार्यालय (विभागीय)। क. न्यूनतम 5% के लिए- i. छात्रावास / आवासीय आवास (खेल संबंधी व्यक्तियों / खिलाड़ियों के लिए), ii. प्लॉटिंग हाउसिंग (रखरखाव और प्रबंधन कर्मचारी), iii. पुलिस पोस्ट / फायर पोस्ट, iv. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कियोस्क। *एएआई, अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							

मनोरंजन क्षेत्रों के लिए अन्य नियंत्रण:

i. जलनिकास या जलाशयों के साथ-साथ अवस्थित सभी नई परियोजनाओं में (1 हेक्टेयर से ऊपर), जहां तक संभव हो, जलाशयों / जलनिकास के किनारे से 10 मीटर का न्यूनतम अनिवार्य बफर बरकरार रखा जाएगा।

ii. सभी स्थायी और अस्थायी निर्माण को सभी के लिए समावेशी बनाया जाएगा और इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समाहित किया जाएगा।

iii. सभी रहने योग्य निर्मित संरचनाएं 4.8 मीटर से अधिक नहीं होंगी जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए जैसाकि जैव विविधता पार्क आदि के मामले में किया जाता है।

iv. यमुना फ्लड प्लेन में मनोरंजनात्मक गतिविधियों की अनुमति होगी जैसाकि दिविप्रा द्वारा विकसित यमुना कॉम्प्रहेंसिव प्लान के रूप में पहचान की गई है (संदर्भ: ENV: 2)। इन ज़ोन में विकसित निर्मित संरचनाओं के मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क. ऐसी सभी संरचनाओं के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र, भू-खण्ड के 0.5% क्षेत्र या 10,000 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

v. **पार्क और बहुउद्देशीय मैदानों के लिए:**

क. पक्की सतह कुल पार्क क्षेत्र के 1% से अधिक नहीं होगी।

ख. वर्तमान में डिस्ट्रिक पार्क या सिटी पार्क के रूप में संचालित/प्रयुक्त कोई भी पार्क इसी नाम के अंतर्गत बना रहेगा।

ग. कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अंतर्गत होगा और शेष 50% का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

घ. शेष क्षेत्र का न्यूनतम 3% (सॉफ्ट पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर) का उपयोग इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, प्रसाधन, सुरक्षा और अन्य विवाह से संबंधित गतिविधियों आदि के लिए किया जाएगा।

ङ. बहुउद्देशीय मैदान को न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूखण्ड क्षेत्र के साथ समुचित रूप से उप-विभाजित किया जाता सकता है ताकि एक समय में बहुत-से कार्य किए जा सकें।

च. सभी पार्क/बहुउद्देशीय मैदानों (5 से 10%) में वर्षा जल संचयन के प्रावधान होंगे।

छ. नेबरहुड पार्क, हाउसिंग पार्क, पड़ोस का खेल का मैदान, हाउसिंग, खेल का मैदान और टोट लॉट्स पूरी तरह से आवासीय क्षेत्र का हिस्सा होंगे।

ज. सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है (जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो)। न्यूमेटिक संरचनाएं और काइनेटिक आंगन (अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार), अस्थायी संरचनाएं, प्रतिष्ठित संरचनाएं, मूर्तियां और स्थापना वास्तुशिल्प की विशेषताओं वाली संरचनाएं जो रहने योग्य नहीं हैं, एफएआर से मुक्त होंगी और प्राधिकरण का अनुमोदन होने पर इन पर कोई ऊँचाई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पुरातात्विक पार्कों के लिए, अनुमोदन अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

झ. सुख-सुविधा संरचनाओं में प्रसाधन ब्लॉक, पंप रूम, इलेक्ट्रिक रूम, गार्ड कक्ष, भंडार कक्ष और उपकरण कक्ष शामिल हैं। ये स्थानीय स्तर को छोड़कर सभी पार्कों में अनुमेय होंगे।

ञ. जिन पार्कों की पहचान बाढ़ में डूबे क्षेत्रों के रूप में की गई है, उनके पास कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा।

ट. उन पार्कों में मल्टी-जिम अनुमेय होगा जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है और जिनमें न्यूनतम 225 और अधिकतम 500 वर्ग मी. का निर्मित क्षेत्र होगा।

ठ. इन पार्कों के प्रवेश द्वार पर अनौपचारिक दुकानों की निम्नवत अनुमति दी जाएगी:

- शहर/जिला पार्कः प्रमुख प्रवेश द्वार पर 8-10
- सामुदायिक पार्कः प्रमुख प्रवेश द्वार पर 2-5
- बहुउद्देशीय मैदान प्रमुख प्रवेश द्वार पर 2-5

ड. नालों के किनारे-किनारे पार्कों और हरित कॉरिडोर के विकास में भूजल और जलाशयों निकायों के संरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। भूजल पुनर्भरण के लिए, जलाशयों और वर्षा जल का संरक्षण अनिवार्य करना होगा। नजफगढ़ झील और उसके आसपास के क्षेत्र और रिज को संभावित जल संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

vi. खेल सुविधाएँ:

क. शैक्षिक संस्थानों और भू-दृश्यांकन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में अधिमानतः नए खेल के मैदान उपलब्ध/विकसित किए जाएंगे।

ख. ग्रुप हाऊसिंग क्षेत्रों, स्कूलों, क्लबों आदि के भीतर खेल सुविधाओं और स्विमिंग पूल (अधिकतम 100 वर्ग मीटर) के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड कवरेज और एफएआर की गणना नहीं की जाएगी।

ग. इन सभी विभिन्न खेल सुविधाओं में लेआउट योजना, भू-दृश्यांकन योजना और पार्किंग योजना आदि होंगे।

घ. खेल का मैदान और खेल सुविधाएं, जहां संभव हो, पैदल और साइकिल ट्रैक के नेटवर्क द्वारा सुलभ होनी चाहिए।

ङ. पर्याप्त पार्किंग के साथ समुचित लेआउट योजना और भू-दृश्यांकन योजना के अनुसार खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

च. मौजूदा खेल अवसंरचनाओं को उन्नत किया जाएगा और कुशलता से पुन: नियोजित किया जाएगा ताकि बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके।

छ. उन पार्कों में जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है और 225 वर्गमीटर का अनुमत निर्मित क्षेत्र हो, मल्टी-जिम अनुमेय होगा।

22.12 परिवहन

क. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.39 - परिवहन

क्र.सं.	उपयोग परिसर	विकास नियंत्रण^					
		भूखंड क्षेत्र (न्यूनतम)	संचालन के तहत क्षेत्र (%) (अधिकतम)	भवन के अंतर्गत क्षेत्र (%) (अधिकतम)	एफएआर*	यात्री / कर्मचारी आवास के लिए एफएआर (%) (अधिकतम)	मार्गाधिकार** (मी.)
1.	**एयरपोर्ट**	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के मानदंडों के अनुसार					

2.	**रेल टर्मिनल / इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल**	-लागू नहीं-	70	30	100	15	- लागू नहीं -
3.	**आईएसबीटी**	10 हेक्टेयर	60	40	100	30	45
4.	**बस डिपो**	0.4 हेक्टेयर	50	50	100	25	24
5.	**सार्वजनिक बसों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग**	2 हेक्टेयर	100	50	100	25	24
6.	**बस टर्मिनल**	0.1 हेक्टेयर (सामुदायिक स्तर)	50	50	100	25	18
		0.2 हेक्टेयर (उप-शहर स्तर)	50	50	100	25	18
7.	**मेट्रो स्टेशनों के लिए संपत्ति विकास**	3 हेक्टेयर तक	आवश्यकता के अनुसार	25	100	- लागू नहीं-	- लागू नहीं-
8.	**मेट्रो / आरआरटीएस यार्ड**	- लागू नहीं-	80%	20%	100	15%	- लागू नहीं -
9.	**बहु-स्तरीय पार्किंग**	0.1 हेक्टेयर	-लागू नहीं-	66.6%	100	- लागू नहीं-	18
10.	**फ्यूल स्टेशन**	30 मीटर X 36 मीटर (न्यूनतम) 33 मीटर X 45 मीटर (अधिकतम)	80	20	40	- लागू नहीं -	30

^ नीचे उल्लिखित 'अन्य नियंत्रणों' के साथ पढ़ा जाए।

* एफएआर की गणना और उपयोग केवल भवन भूखंड पर किया जाना चाहिए। बस शेल्टर के तहत क्षेत्र को एफएआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

** सभी मौजूदा उपयोग परिसर कार्य करना जारी रखेंगे।

अन्य नियंत्रण:

i. **एयरपोर्ट**:

क. अनुमत गतिविधियाः एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित हवाईअड्डे/विमानन यात्रियों से संबंधित सभी सुविधाएं।

ii. **रेल टर्मिनल / इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल / मेट्रोपॉलिटन पैसेंजर टर्मिनल:**

क. अनुमत गतिविधियां: रेलवे संचालनों, यात्रियों, गुडस हैंडलिंग, वॉच एंड वार्ड, होटल, रैनबसेरों से संबंधित सभी सुविधाएं।

ख. केवल टीओडी मानदंडों के अनुसार निर्धारित किए गए रेल टर्मिनल/इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल/मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित किया जाएगा, जो कि आसपास के सड़क नेटवर्क से संबंधित यातायात और परिवहन अध्ययन की शर्तों के अधीन होगा।

iii. आईएसबीटी:

क. अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन और यात्रियों, बस टर्मिनल, पार्किंग, वॉच और वार्ड, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक स्टाल, कार्यालय, होटल, नाइट शेल्टर, वाणिज्यिक, सामाजिक बुनियादी ढांचे, आवासीय, सेवा अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएं।

ख. एफएआर अधिकतम 10 हेक्टेयर क्षेत्र पर अथवा साइट के क्षेत्र, जो भी कम हो, पर उपलब्ध होगा। परिचालन संरचनाओं सहित आईएसबीटी का अधिकतम एफएआर 70 है, और होटल/यात्री आवास तथा सुविधाओं का अधिकतम एफएआर 30 है।

ग. पार्किंगः आईएसबीटी / बसों के लिए पार्किंग की आवश्यकता के अलावा, होटल / यात्री आवास और सुविधाओं के लिए पार्किंग, 2 ईसीएस प्रति 100 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र की दर से होगा।

घ. विकास को एक समग्र तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

ङ. केवल आईएसबीटी को यदि टीओडी नोड के रूप में निर्धारित किया गया है तो इसे टीओडी मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए, जो कि आसपास के सड़क नेटवर्क से संबंधित यातायात और परिवहन अध्ययन की शर्तों के अधीन होगा।

iv. बस डिपो:

क. अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन और यात्रियों, बस टर्मिनल, पार्किंग, वॉच और वार्ड, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक स्टाल, कार्यालय, होटल, वाणिज्यिक, सामाजिक बुनियादी ढांचे, आवासीय, सेवा अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएं।

ख. उप-शहरी स्तर पर बस डिपो के क्षेत्र आवश्यकता अनुसार होंगे।

ग. जहां तक संभव हो, बस डिपो को बस टर्मिनलों के रूप में कार्य करना चाहिए।

घ. बस डिपो साइट को, यदि टीओडी नोड के रूप में निर्धारित किया गया है तो उसे टीओडी मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए, जो कि आसपास के सड़क नेटवर्क से संबंधित यातायात और परिवहन अध्ययन की शर्तों के अधीन होगा।

v. सार्वजनिक बसों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग:

क. मनोरंजन हेतु खुले स्थान और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर, सभी उपयोग जोनों में बहुस्तरीय बस पार्किंग की अनुमति होगी।

ख. साइट पर न्यूनतम 1 बस प्रति 70 वर्गमीटर की दर से कम से कम वांछित संख्या के बसों के लिए आवश्यक पार्किंग की जगह होनी चाहिए।

ग. भूखंड क्षेत्र के 50% से अधिक क्षेत्र के लिए 100 का एफएआर अनुमेय है। इसमें पोडियम-आधारित भवन के मानदंड लागू होंगे।

घ. परिचालन संरचनाएं और संचलन क्षेत्र भूखंड क्षेत्र के 100% को शामिल (कवर) कर सकते हैं, और इसे एफएआर के अंदर गिना नहीं जाएगा।

ङ. अधिकतम ऊँचाई स्थानीय बाध्यताओं जैसे उड़ान पथ, विरासत जोन के अनुसार होगी।

च. संरचनात्मक सुरक्षा की शर्तों के अधीन, बेसमेंट के स्तरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

छ. एकीकृत योजनाओं के मामले में, ऊँचाई सहित विकास नियंत्रण अनुमोदित योजना के अनुसार अथवा स्थानीय प्रतिबंध, यदि कोई हो, के अनुसार होगा।

vi. बस टर्मिनल:

क. अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन और यात्रियों, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक स्टाल से संबंधित सभी सुविधाएं।

vii. मेट्रो स्टेशनों के लिए संपत्ति विकास:

क. मनोरंजन और क्षेत्रीय पार्क/रिज उपयोग जोन, लुटियंस बंगला जोन और विरासत जोन को छोड़कर, मेट्रो स्टेशनों के साथ-साथ 3.0 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र तक के संपत्ति विकास (समग्र विकास) के लिए सभी उपयोग जोनों में अनुमति दी जाएगी, जो कि दिविप्रा की तकनीकी समिति से प्राप्त अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।

ख. संपत्ति विकास के इस प्रावधान को सक्षम कर के निम्नलिखित व्यापक विकास नियंत्रण होंगे:

1. 25% ग्राउंड कवरेज और 100 एफएआर, जिसमें बिना किसी उंचाई प्रतिबंधों के मेट्रो स्टेशन के तहत शामिल क्षेत्र, जो कि एएसआई, विमानपत्तन प्राधिकरण, डीयूएसी आदि जैसे सांविधिक निकायों से अनुमोदन की शर्तों के अधीन होंगे।
2. मेट्रो स्टेशनों के लिए पार्किंग की जरूरतों के अतिरिक्त कमर्शियल अवयवों की पार्किंग प्रति 100 वर्गमीटर के 2 ईसीएस की दर पर होगी।
3. विकास को एक समग्र तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा और डीएमआरसी सभी संबंधित स्थानीय निकायों/एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

ग. मेट्रो साइट, जिन्हें टीओडी नोड के रूप में निर्धारित किया गया है तो उसे टीओडी मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए जो कि आसपास के सड़क नेटवर्क से संबंधित यातायात और परिवहन अध्ययन की शर्तों के अधीन होगा।

घ. निम्नलिखित संरचनाओं को परिचालन संरचनाओं के रूप में माना जाएगा:

1. सभी मेट्रो स्टेशन और ग्रेड सपोर्टिंग ट्रैक, एलिवेटेड और अंडरग्राउंड जिसमें प्रवेश संरचनाएं सहायक भवनों से हाउस डीजी सेट, चिलिंग प्लांट और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, सप्लाई एग्जॉस्ट और टनल वेंटिलेशन शाफ्ट आदि शामिल हैं।
2. डिपो और रखरखाव कार्यशालाएं।
3. कर्षण (ट्रेक्शन) उप-स्टेशन।
4. परिचालन नियंत्रण केन्द्र।
5. पुलिस स्टेशन।
6. परिचालन और रखरखाव कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र।
7. केवल परिचालन कर्मचारियों और मेट्रो सुरक्षा पर्सनल के लिए आवास।
8. मेट्रो परियोजना के निर्माण के लिए पुनर्वास कार्य को प्रारंभ करना।
9. सार्वजनिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए मेट्रो स्टेशनों में दुकानें ।
10. मेट्रो स्टेशनों के फुटप्रिंट पर प्लैटफॉर्म के ऊपर संरचनाएं।

viii. मेट्रो / आरआरटीएस यार्ड:

क. अनुमत गतिविधियां: कोचों की खाली पार्किंग, धुलाई और सफाई की सुविधा, रखरखाव से संबंधित सुविधाएं, चौकसी एवं निगरानी (वॉच एंड वार्ड), तथा कर्मचारियों से संबंधित सुविधाएं।

ix. बहु-स्तरीय पार्किंग:

1. स्थानीय निकायों द्वारा बहु-स्तरीय कार पार्किंग (एमएलसीपी) के लिए पहले से ही भू-खंडों को चिह्नित/निर्धारित कर लिया गया हे, मौजूदा विकास नियंत्रण मानक निम्नानुसार लागू रहेंगे:

क. भू-खंड का न्यूनतम आकार-1000 वर्ग मी.

ख. अधिकतम अनुमेय एफएआर (पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर)

भू-खंड का आकार	एफएआर
3000 वर्ग मीटर तक	100
3000 -10,000 वर्ग मी. से अधिक	3000 वर्ग मी. तक 100 एफएआर+शेष बची भूमि पर अतिरिक्त 60 एफएआर
10,000 वर्ग मी.	3000 वर्ग मी. तक 100 एफ ए आर+10,000 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त 60 एफएआर+शेष बची भूमि पर अतिरिक्त 50 एफएआर

ग. अधिकतम ग्राउंड कवरेज-66.6%

घ. सक्षम एजेंसी से व्यवहार्यता रिपोर्ट और यातायात पुलिस और अन्य संविधिक निकायों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तर पर 12 मी. और इससे अधिक के मार्गाधिकार की सड़कों पर एमएलसीपी भू-खंड होंगे।

ङ. लाभकारी उपयोग अर्थात् स्थानीय शॉपिंग सेंटर में अनुमेय गतिविधियों, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग और बैंक्वेट हॉल और मल्टीप्लेक्स को छोड़कर आवासयी उपयोग।

x. ईंधन स्टेशनः

क. 'रीजनल पार्क/रिज', विकसित डिस्ट्रिक्ट पार्क और जोन 'ओ' को छोड़कर, सभी उपयोग जोनों में सीएनजी स्टेशनों को अनुमति दी जा सकती है। जोन 'ओ' तथा मनोरंजन उपयोग जोन को छोड़कर सभी उपयोग जोनों में पेट्रोल पंपों की अनुमति होगी।

ख. ईंधन स्टेशनों को मास्टर प्लान/जोनल योजना सड़कों में अनुमति दी गई है और क्षेत्र का अनुमोदित जोनल प्लान की न होने की स्थिति में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग. ईंधन स्टेशन एवं सर्विस स्टेशनों को अवस्थित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई गई नीति/ लिए गए निर्णयों/ समय समय पर जारी सरकार अधिसूचनाओं द्वारा विकास नियंत्रण और अनुमेयता से संबंधित विनियमों को शासित किया जाएगा।

घ. ईंधन स्टेशन निम्नलिखित नियंत्रणों द्वारा विनियमित होंगेः

1. ईंधन स्टेशन न्यूनतम 24 मीटर मार्गाधिकार की सड़कों पर स्थित होंगे।
2. ईंधन स्टेशनों के लिए भूखंड का आकार न्यूनतम 30 मीटर X 36 मीटर और अधिकतम 33 मीटर X 45 मीटर होगा (आवश्यकता अनुसार सीएनजी मुख्य स्टेशन के लिए 75 मीटर X 40 मी)।
3. सड़क चौराहों की मार्गाधिकार लाइन से भूखंड की न्यूनतम दूरी इस प्रकार होगीः
   - 30 मी से कम मार्गाधिकार वाली छोटी सड़कों के लिए – 50 मी.
   - 30 मी अथवा अधिक चौड़ाई वाली सड़कों के लिए – 100 मी.
   - भूखंडों का फ्रंट 30 मी से कम नहीं होने चाहिए।

ढ. अधिकतम ऊँचाईः 6 मी.

च. कैनोपी/छतः सेटबैक के भीतर ग्राउंड कवरेज के बराबर।

छ. गैर-ज्वलनशील, गैर-खतरनाक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 10 एफएआर अनुमेय है, जो कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए परिवर्तन शुल्क/प्रभारों के भुगतान की शर्त के अधीन होगा।

ज. मौजूदा पेट्रोल पंपों के मामले में व्यावसायिक गतिविधि हेतु अधिकतम 10 एफएआर का प्रावधान केवल उन ईंधन स्टेशनों/पेट्रोल पंपों के लिए अनुमेय होगा, जो उपरोक्त घ) i, ii और iii में दिए नियंत्रणों के अनुरूप हों तथा समुचित शुल्क/करों/दुरूपयोग अर्थदंड तथा अन्य प्रभारों के भुगतान की शर्त पर होगा।

झ. सभी प्रकार के सीएनजी वाहनों से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सीएनजी स्टेशनों की वितरण क्षमता में पर्याप्त तौर पर वृद्धि की जानी चाहिए।

ञ. विभिन्न उपयोग जोनों अर्थात् आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, पीएसपी सुविधाओं और अन्य क्षेत्रों की लेआउट योजनाओं की तैयारी के समय, ईंधन स्टेशन के स्थान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रदान किए जाने चाहिए:

तालिका 22.40 ईंधन स्टेशन मानदंड

क्र.सं.	भूमि उपयोग/उपयोग परिसर	मानदंड
1.	आवासीय उपयोग जोन	कुल आवासीय क्षेत्र के 150 हेक्टेयर पर दो फ्यूल स्टेशन (एक पेट्रोल पंप + एक सीएनजी स्टेशन)
2.	औद्योगिक उपयोग जोन	कुल औद्योगिक क्षेत्र के 40 हेक्टेयर पर दो फ्यूल स्टेशन (एक पेट्रोल पंप + एक सीएनजी स्टेशन)
3.	फ्रेट कॉम्प्लेक्स	प्रत्येक में चार ईंधन स्टेशन (दो पेट्रोल पंप + दो सीएनजी स्टेशन)
4.	डिस्ट्रिक सेंटर	प्रत्येक डिस्ट्रिक सेंटर में चार फ्यूल स्टेशन (दो पेट्रोल पंप + दो सीएनजी स्टेशन)
5.	कम्युनिटी सेंटर	प्रत्येक में दो फ्यूल स्टेशन (एक पेट्रोल पंप + और एक सीएनजी स्टेशन)
6.	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग जोन	प्रत्येक पीएसपी क्षेत्र में दो ईंधन स्टेशन (एक पेट्रोल पंप + एक सीएनजी स्टेशन)।
7.	सुरक्षा बल कैम्पस / पुलिस / अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र / सरकार	निजी उपयोग हेतु/आवश्यकतानुसार।

ट. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को, जहां भी व्यवहार्य हो, ईंधन स्टेशनों के भीतर एक एकीकृत स्थापना के रूप में अनुमति दी जाएगी।

22.12.1 पार्किंग मानक

i. प्रत्येक उपयोग परिसर में पार्किंग मानकों को निर्धारित किया गया है। हालाँकि, जहाँ भी इसे निर्धारित नहीं किया गया है, वहां इसका निम्नानुसार अनुपालन किया जाएगा:

तालिका 22.41 कॉमन पार्किंगमानक

क्र.सं.	उपयोग परिसर	निर्मित क्षेत्र का प्रति 100 वर्गमीटर अनुमेय समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)*
1.	आवासीय	22.45 टेबल देखे
2.	व्यावसायिक	22.45 टेबल देखे
3.	औद्योगिक	22.45 टेबल देखे
4.	सरकारी	22.45 टेबल देखे
5.	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	22.45 टेबल देखे

नोट:

क. अतिरिक्त पार्किंग केवल भुगतान पर तथा साझा पार्किंग सुविधाओं के रूप में निर्मित किए जा सकते हैं, जो हर समय जनता के लिए सुलभ हों।

ख. कई उपयोगों वाले परिसर के साथ एकीकृत योजनाओं के मामले में, पार्किंग मानदंडों को प्रत्येक उपयोग के अनुपात में युक्तिसंगत बनाया जा सकता है, जब तक कि इसे अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो (उदाहरण के लिए टीओडी योजनाओं में)। यह दिविप्रा की तकनीकी समिति के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।

ii. पार्किंग स्थानों के प्रावधान के लिए, स्थान मानक निम्न तालिका में दिए गए अनुसार होंगे।

तालिका 22.42 कार पार्किंग के लिए स्पेस मानक

क्र.सं.	पार्किंग का प्रकार	क्षेत्र प्रति ई.सी.एस (वर्ग मीटर)
1.	खुली पार्किंग	23
2.	कवर्ड ग्राउंड फ्लोर	28
3.	बेसमेंट	32
4.	रैंप के साथ मल्टी-लेवल	30
5.	लिफ्टों के साथ स्वचालित बहुस्तरीय पार्किंग	16

iii. उपयोग परिसरों में पार्किंग उपरोक्त मानकों के अनुसार भूखंड के भीतर प्रदान की जाएगी।

iv. ऐसे मामलों में, जहां स्वीकृत योजना के साथ भवन (होटल को छोड़कर) मौजूद / निर्माणाधीन है, और जहाँ भवन की योजनाएँ एमपीडी-2021 के अनुसार स्वीकृत हैं, उपयोग किए गए अतिरिक्त एफएआर के लिए पार्किंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और यह एमपीडी-2041 में निर्दिष्ट पार्किंग मानकों के अनुसार होगा।

v. अनुमोदित जोनल योजना/लेआउट योजना के अनुसार, पार्किंग, क्षेत्रीय पार्क/रिज, मनोरंजनात्मक खुले स्थान और पार्कों को छोड़कर सभी उपयोग जोनो में अनुमेय गतिविधियों में से एक है।

vi. समतुल्य कार स्पेस (ईसीएस) में दिए गए मानकों में सभी प्रकार के वाहनों अर्थात कार, स्कूटर, साइकिल, हल्के और भारी व्यावसायिक वाहन, बस आदि के लिए पार्किंग शामिल होगी । स्टैडिया, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए पार्किंग पर्याप्तता विवरण/अध्ययन किया जाना उचित होगा। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली ड्रांइगों पर मोड-वार पार्किंग स्थान चिह्नित किए जाने चाहिए।

तालिका 22.43 परियोजनाओं के लिए सांकेतिक ऑन-साइट पार्किंग (ईसीएस) आवश्यकताएँ*

साधन	साधन द्वारा ईसीएस मानक	परिसंचरण सहित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	साधन द्वारा वितरण - प्रति 1 ईसीएस	साधन द्वारा वितरण - प्रति 1 ईसीएस (टीओडी स्कीम)
कार / टैक्सी	1.00	23.00	0.60	0.60
2 व्हीलर्स	0.25	5.75	0.25	0.10
साइकिल	0.10	2.30	0.05	0.10
बसें / साझा वैन	3.50	80.50	0.05	0.10
कमर्शियल वाहन	3.50	80.50	0.05	0.10
		कुल	**1.00 ईसीएस**	**1.00 ईसीएस**

**उपरोक्त आंकड़े सांकेतिक मात्र हैं और ये भिन्न-भिन्न मामले के आधार पर अनुकूलित किए जा सकते हैं। हालांकि, साइकिल पार्किंग का न्यूनतम अनुपात अनिवार्य है।*

vii. सार्वजनिक परिहन अभिगम्यता स्तर (पीटीएएल) मान के अध्ययन के परिणामों के आधार पर, पार्किंग मानदंडों को निम्नलिखित कटौतियों द्वारा कम किया जाएगा।

तालिका 22.44 पार्किंग मानदंडों में पीटीएएल कटौती

पीटीएएल स्तर	एक्सेस इंडेक्स रेंज	पार्किंग मानदंडों में कटौती %			
		आवासीय	कमर्शियल	औद्योगिक	पीएसपी *
0	0 - 2	0	0	0	0
1	2 -3	0	0	0	0
2	3 - 5.5	10	5	5	10
3	5.5 - 7	20	10	10	20
4	7 - 8.5	20	20	20	20
5	8.5 - 12	20	20	20	30
6	12 - 20	20	30	30	30
7	20 - 30	30	30	30	30
8	30 और उससे ऊपर	30	30	30	30

viii. **एमएलसीपी कटौती:** यदि कोई मल्टी-लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) किसी संपत्ति के 500 मीटर के दायरे में स्थित है, तो उस संपत्ति के भीतर पार्किंग की आवश्यकता को 10% तक कम किया जाएगा। एमएलसीपी कटौती आवासीय उपयोग/परिसर पर लागू नहीं होगी।

ix. **सभी उपयोग परिसरों हेतु ईसीएस मानदंड निम्न तालिका के अनुसार होंगे।** इन पार्किंग मानदंड प्रावधानों पर पीटीएएल तथा एमएलसीपी कटौतियां लागू होंगी।

तालिका 22.45 न्यूनतम पार्किंग मानदंड

उपयोग जोन	पार्किंग प्रावधान*	कटौती	
		पीटीएएल	एमएलसीपी
आवासीय परिसर			
ग्रुप हाउसिंग	• ईडब्ल्यूएस / सेवा कार्मिक आवास डीयू का आकार: 40 वर्ग मीटर से कम - पार्किंग 0.5 ईसीएस प्रति डीयू* • डीयू का आकार: 40 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर -	पी	एनपी

	पार्किंग 1.0 ईसीएस प्रति डीयू* • डीयू का आकारः 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर - पार्किंग 2.0 ईसीएस प्रति डीयू* • डीयू का आकारः 200 वर्ग मीटर से अधिक - पार्किंग 2.0 ईसीएस प्रति डीयू* **और अतिरिक्त 1.0 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मीटर अथवा उसका भाग** * **डीयू का आकारः प्लिंथ क्षेत्रफल** **सरकारी आवासीय परियोजनाओं के मामले में पार्किंग मानदंड** **जीपीआरए कालोनियों के मामले में लागू मानदंडों के अनुसार होंगे।**		
स्टूडियो अपार्टमेंट	• निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 एम2 • बेसमेंट का यदि निर्माण किया जाता है, और केवल पार्किंग के	पी	एनपी

	लिए उपयोग किया गया है, तो उपयोगिता और सेवाओं को एफएआर में शामिल नहीं किया जाएगा।		
प्लॉटेड हाउसिंग	• 250 से 300 वर्गमीटर आकार के भूखंडों में 2 समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)	एनपी	एनपी
	• 300 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में 1 ईसीएस प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र के लिए, बशर्ते कि यदि किसी भूखंड में उपर्युक्त उल्लिखित पार्किंग मानदंडों	एनपी	एनपी

	के साथ अनुमेय कवरेज और एफएआर प्राप्त नहीं किया गया है, तो पूर्ववर्ती श्रेणी के पार्किंग मानदंडों को अनुमति दी जाएगी।		
होस्टल/धर्मशाला या इसके समकक्ष/गेस्ट हाउस/ लोजिंग एंड बोर्डिंग हाउस/सराय	• निर्मित क्षेत्र का 0.5 ईसीएस / 100 एम2। • ये मानक मिश्रित उपयोग विनियमों के अंतर्गत, अतिथि-गृह के लिए लागू नहीं होंगे।	पी	एनपी
निम्न घनत्व आवासीय भूखंड (एलडीआरपी)	• 0.4 से 2 हेक्टेयर के भूखंडों हेतु न्यूनतम 50% भूखंड क्षेत्र को सॉफ्ट पार्किंग और भू-दृश्यांकन के लिए छोड़ा जाएगा। • 2 हेक्टेयर से अधिक के	एनपी	एनपी

	भूखंडों हेतु जो न्यूनतम 18 मी. चौड़ाई वाली सड़कों पर अवस्थित हैं, न्यूनतम 50% भूखंड क्षेत्र को सॉफ्ट पार्किंग के लिए छोड़ा जाएगा, अधिकतम 25% भूखंड क्षेत्र को भू-दृश्यांकन के लिए और अधिकतम 25% भूखंड क्षेत्र को समारोहों / भवन उद्देश्यों के लिए छोड़ा जाएगा।		
राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 एम2	एनपी	एनपी
किफायती सार्वजनिक किराया आवास (एपीआरएच) / किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी)	निर्मित क्षेत्र का 0.5 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी
स्लम पुनर्वास योजना	• निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर में 0.5 ईसीएस पर आवासीय घटक को, जहां कहीं आवश्यक हो, शिथिल किया जा सकता है। • पारिश्रमिक उद्देश्यों के लिए पार्किंग प्रासंगिक	पी	एनपी

	भूमि उपयोग के लिए यथा मान्य अनुसार लागू होगी।		
रैन बसेरा	• कोई अनिवार्य पार्किंग प्रदान नहीं की जाएगी	एनपी	एनपी
विदेशी मिशन	--	एनपी	एनपी
अर्थव्यवस्था – उद्योग, व्यापार और वाणिज्य			
सुविधा शॉपिंग सेंटर / स्थानीय शॉपिंग सेंटर / स्थानीय स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
सर्विस मार्केट	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
कम्युनिटी सेंटर / गैर-श्रेणीबद्ध वाणिज्यिक केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
डिस्ट्रिक सेंटर / उप-केंद्रीय व्यापार जिला / उप-शहर स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
कमर्शियल प्लॉट: रिटेल एंड कॉमर्स मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर अर्थात् कनॉट प्लेस और उसका एक्सटेंशन, फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
कोई अन्य कमर्शियल केन्द्र, जिसमें शामिल हैं- i. रेलवे / एमआरटीएस स्टेशनों / आईएसबीटी के साथ / भीतर कमर्शियल घटक ii. आसफ़ अली रोड (दिल्ली गेट - अजमेरी गेट योजना में कमर्शियल स्ट्रीप के रूप में दिखाया गया क्षेत्र))	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
एकीकृत माल परिसर / थोक बाजार	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
गोदाम प्लॉट	300 वर्गमीटर तक के भूखंडों के मामले में उपलब्ध कराई जाने	पी	पी

	वाली कॉमन पार्किंग 300 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखंडों के लिए फर्श क्षेत्र का 3 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर		
होटल	• निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर • ऐसे होटलों के संबंध में जहां भवन-निर्माण योजनाएं 27.1.2006 से पहले मंजूर की गई हैं, वहाँ 100 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के लिए 3 ईसीएस का पार्किंग मानक केवल अतिरिक्त एफएआर हेतु लागू होगा, जो एमपीडी-2021 में संशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जाएगा। ऐसे होटलों के संबंध में जहां 27.1.2006 को या उसके	पी	एनपी

	बाद भवन-निर्माण योजनाएं मंजूर की गई हैं, वहाँ 100 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के लिए 3 ईसीएस का पार्किंग मानक पूरे भूखंड पर लागू होगा।		
सर्विस अपार्टमेंट	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी
मोटल	• निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर • सभी अतिथि पार्किंग की पूर्ति मॉटेल परिसर के भीतर ही की जानी चाहिए।	पी	पी
विनिर्माण, सेवा और मरम्मत उद्योग	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
जिला न्यायालय	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय)	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
सामाजिक अवसंरचना			
प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर- प्रशिक्षण संस्थान, फिजिकल एजुकेशन सेंटर आदि।	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
नर्सरी स्कूल	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस /	एनपी	एनपी

	100 वर्ग मीटर		
प्राथमिक स्कूल	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एकीकृत स्कूल	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
मानसिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कूल	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर (नई)	एनपी	एनपी
अनुसंधान और विकास केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
संस्थान, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आईटीआई / पॉलिटेक्निक / कौशल केंद्र, प्रबंधन संस्थान, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान आदि	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
सामान्य कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज आदि	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
विश्वविद्यालय परिसर	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
औषधालय, क्लीनिक, नैदानिक सुविधा, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, अस्पताल, तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र आदि	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी
पैरामेडिकल संस्थान	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
पालतू जानवरों और पक्षियों के लिए औषधालय पालतू जानवरों और पक्षियों के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
पशु चिकित्सा संस्थान	प्रशासनिक निर्मित	एनपी	एनपी

	क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर		
बहु-सुविधा प्लॉट	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी
वृद्धाश्रम / प्रौढ़ शिक्षा केंद्र / अनाथालय / चिल्ड्रन'स सेंटर	निर्मित क्षेत्र का 1.8 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
दिव्यांग व्यक्तियों / मानसिक रूप से विकलांगों के लिए आवासीय देखभाल केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 1.8 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
विशाल धार्मिक केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
बैंक्वेट हॉल	निर्मित क्षेत्र का 6.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
फिटनेस सेंटर	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थान, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
मनोरंजन क्लब, कन्वेंशन सुविधाओं, संग्रहालय, सार्वजनिक / अन्य पुस्तकालय	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	पी
सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, प्रदर्शनी-सह-मेला ग्राउंड, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, आदि	• सांविधिक मंजूरी के अधीन • निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
पुलिस चौकी	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
पुलिस पोस्ट / स्टेशन, फायर पोस्ट / स्टेशन, पुलिस लाइन, जिला पुलिस कार्यालय, जिला आपदा	निर्मित क्षेत्र का 2 ईसीएस / 100		पी

प्रबंधन, जिला जेल, पुलिस / अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज, पुलिस शिविर, सुरक्षा शिविर, आपदा प्रबंधन केंद्र, सुरक्षा स्थापनाएं	वर्ग मीटर		
प्रमुख डाकघर, दूरसंचार सुविधाओं, डिजिटल बुनियादी सुविधाएँ	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
मीडिया / रेडियो सेवाएं, उपग्रह और दूरसंचार केंद्र, वेधशाला और मौसम कार्यालय, मीडिया और समाचार एजेंसी, डिजिटल अवसंरचना सुविधाएँ	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी

ग्रीन और मनोरंजन क्षेत्र			
3.5 हेक्टेयर से ऊपर पार्क के लिए- सिटी पार्क, **डिस्ट्रिक** पार्क और सामुदायिक पार्क	आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर **25** से **40** ईसीएस के समूह में पार्किंग प्रदान की जा सकती है।	एनपी	एनपी
शहर बहुउद्देशीय मैदान, जिला बहुउद्देशीय मैदान और सामुदायिक बहुउद्देशीय मैदान	कुल क्षेत्र का न्यूनतम **50%** सॉफ्ट पार्किंग के अधीन होगा।		
मनोरंजन पार्क / थीम आधारित	100 कारों के लिए न्यूनतम पार्किंग प्रदान करने हेतु अनुबंध के साथ निर्मित क्षेत्र का 3 ईसीएस / 100 वर्गमीटर।	एनपी	एनपी
जैव विविधता पार्क	आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर 20 से 25 ईसीएस के लॉट में पार्किंग प्रदान की जा सकती है।	एनपी	एनपी
खेल सुविधाएँ	निर्मित क्षेत्र का 2 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
अन्य उपयोग परिसर			
ट्रांजिट स्टेशनों में संपत्ति विकास	वाणिज्यिक घटक के निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
अस्थायी सिनेमा	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
आईएसबीटी के भीतर होटल / यात्री आवास	निर्मित क्षेत्र का 2 ईसीएस प्रति 100 वर्गमीटर	पी	पी

नोट-

* सभी उपयोग परिसरों में, उपरोक्त मानकों और लागू कटौती के आधार पर पार्किंग भूखंड के भीतर प्रदान की जाएगी।

22.13 उपयोगिताएँ

22.13.1जल आपूर्ति और स्वच्छता

तालिका 22.46 जल आपूर्ति और स्वच्छता

क्र.सं.		उपयोगिताएँ	सं.	प्रति यूनिट क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	10,000 तक स्थानीय स्तर की जनसंख्या	सीवेज पंपिंग स्टेशन		आवश्यकता के अनुसार
		बूस्टर स्टेशन और ओएचटी के साथ भूमिगत पानी की टंकी		
		स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट जल उपचार की सुविधा		
2	5,00,000 तक उप-शहर स्तर की जनसंख्या	सीवेज पंपिंग स्टेशन		आवश्यकता के अनुसार
		अपशिष्ट जल उपचार की सुविधा		
3	शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000	सीवेज पंपिंग स्टेशन		आवश्यकता के अनुसार
		सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (180 एमएलडी)		

तालिका 22.47 जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए क्षेत्र की आवश्यकता

क्र.सं.	उपयोगिता	क्षमता	भूमि की आवश्यकता (वर्गमीटर)
1	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)	एसटीपी (एसपीएस और ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी (22.7 एमएलडी) तक की क्षमता	650 वर्ग मी. / एमएलडी
2		एसटीपी (एसपीएस और ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी (22.7 एमएलडी) से अधिक क्षमता	1,100 वर्ग मी. / एमएलडी
3		सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस)	50 वर्ग मी.
4		एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन (ईपीएस)	50 वर्ग मी.
5	जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)	डब्ल्यूटीपी – 80 एमजीडी (363 एमएलडी)	300 वर्ग मी./एमएलडी
6		डब्ल्यूटीपी – 40 एमजीडी (182 एमएलडी)	400 वर्ग मी./एमएलडी
7	बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के साथ भूमिगत जलाशय	5 एमएल क्षमता	700 एसक्यू/एमएल
8		50 एमएल क्षमता	600 एसक्यू/एमएल

22.13.2ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

तालिका 22.48 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षेत्र की आवश्यकता

क्र.सं.		उपयोगिताएँ (क्षमता)	सं.	प्रति यूनिट क्षेत्र (वर्गमीटर)

1	10,000 तक स्थानीय स्तर की जनसंख्या	उपयोगिता वाहनों के अपशिष्ट और पार्किंग के अलगाव के लिए क्षेत्र (पहले: ढलाव)	1	200
2	उप-शहरी स्तर की जनसंख्या 5,00,000	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (अर्ध-स्वचालित): 200 टीपीडी	1	6,000 - 8,000
3	शहरी स्तर की जनसंख्या 20,00,000	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (स्वचालित):> 10,000 टीपीडी	1@ > 20,00,000	10,000 - 20,000
	टिप्पणी: एमआरएफ (सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा) एसबीएम दिशानिर्देशों के अनुसार			

22.13.3बिजली

तालिका 22.49 बिजली के लिए क्षेत्र की आवश्यकता

क्र.सं.	स्तर	उपयोगिता	सं.	प्रति यूनिट क्षेत्र (वर्गमीटर)
1	10,000 तक स्थानीय स्तर की जनसंख्या	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन 11 के.वी.	1	40
2	सामुदायिक स्तर की जनसंख्या 1,00,000	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन 66 के.वी.	2	2,500-4,000
3	उप-शहरी स्तर की जनसंख्या 5,00,000	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन 220 के.वी.	1	7,000-10,000
4	शहरी स्तर की जनसंख्या 20,00,000	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन 400 के.वी.	1	40,000

22.13.4 हाई टेंशन (एचटी) लाइन बफर

तालिका 22.50 हाई टेंशन (एचटी) लाइन से बफर

क्र.सं.	उपयोगिता	वोल्टेज	न्यूनतम ऊंचाई (ग्राउंड क्लीयरेंस)	मार्गाधिकार आवश्यकता
1	एचटी लाइन बफर	765 के.वी.	12.1 मी.	67 मी.
2		400 के.वी.	8.8 मी.	52 मी.
3		220 के.वी.	7 मी.	35 मी.

22.14 सरकारी

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.51 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - सरकारी

क्र.सं.	उपयोग परिसर / श्रेणी	परिभाषा
1	राष्ट्रपति भवन और संसद भवन	राष्ट्रपति भवन और संसद भवन
2	सरकारी कार्यालय	केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकारी विभागों / एजेंसियों के कार्यालय के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर।

3	एकीकृत कार्यालय परिसर	केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारी विभागों / एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों के लिए परिसर / कार्यालय परिसर। इन परिसरों में एकल / एकाधिक विभागों / एजेंसियों के कार्यालय शामिल हो सकते हैं।
4	जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, आदि।	न्यायपालिका के कार्यालयों और वकीलों के चैंबर जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए परिसर / न्यायालय परिसर का उपयोग किया जाता है।
5	सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग)	सरकारी भूमि के मापदंड (कम उपयोग किया जाए) अनुमोदित लेआउट/योजना के अनुसार होंगे, जिसके लिए विकास नियंत्रण संबंधित उपयोग परिसरों के अनुसार होंगे।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.52 उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियां

क्र.सं.	**उपयोग जोन**	**जी2 (सरकार)**	
	उपयोग परिसर / **अनुमेय गतिविधियां**	**1**	**2**
		जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, आदि।	**सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक उपक्रम, एकीकृत कार्यालय परिसर**
1	न्यायालय	✓	
2	सरकारी कार्यालय		✓
3	अधिकतम आवासीय एफएआर 5%	✓	✓
4	डाक घर	✓	✓
5	कैंटीन / कैफेटेरिया	✓	✓
6	पुलिस पोस्ट	✓	✓
7	फायर पोस्ट	✓	
8	रेस्टोरेंट	✓	✓

9	खुदरा दुकान	✓	✓
10	पुस्तकालय	✓	✓
11	औषधालय	✓	✓
12	प्रशासनिक कार्यालय	✓	
13	बैंक और ए.टी.एम.	✓	✓
14	वकीलों के चैंबर	✓	
15	कार्यालय	✓	✓
16	डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा	✓	✓
17	जिम / योग / ध्यान केंद्र (नॉन-कमर्शियल)	✓	✓
18	क्रेच / चाइल्ड केयर सेंटर	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.53 सरकारी कार्यालय

क्र.सं.	उपयोग परिसर	प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
1	**जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, आदि।**	1 हेक्टेयर	50%	300	18	एएआई, डीएफएस और अन्य सांविधिक निकायों से अनापत्ति की शर्त पर कोई ऊँचाई प्रतिबंध नहीं।
2	**सरकारी कार्यालय**					
3	**एकीकृत कार्यालय परिसर**					

नोट

- केवल सभी नए आवंटनों के लिए। पहले से ही आवंटित भूमि इस प्रावधान के तहत शामिल नहीं है।
- जोनल विकास योजनाओं में दिए गए अन्य प्रावधानों के साथ, जोन ओ में और जोन सी और जोन डी के बंग्ला क्षेत्र में अवस्थित उपयोग परिसरों हेतु अधिकतम एफएआर 200 होगा।

अन्य नियंत्रण

i. आवासीय उपयोग - आवासीय गतिविधियों के लिए अधिकतम कुल 5% अनुमेय एफएआर का उपयोग किया जा सकता है।

ii. पुनर्विकास के मामले में को आर्थिक रूप से संभव बनाने के लिए कमर्शियल उपयोग हेतु कुल अनुमेय एफएआर का 10% का उपयोग। यह भूमि-स्वामित्व एजेंसी और संबंधित स्थानीय निकाय के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।

iii. वाणिज्यिक कार्यालयों को कुल फर्श क्षेत्र का 10% तक सीमित किया जाना है।

iv. सरकारी भूमि के मानदंड (कम उपयोग किया जाए) अनुमोदित लेआउट/योजना के अनुसार होंगे, जिसके लिए विकास नियंत्रण संबंधित उपयोग परिसरों के अनुसार होंगे।

22.15 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक - सामाजिक अवसंरचना

22.15.1 स्वास्थ्य सुविधाएँ

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.54 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - स्वास्थ्य सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं	ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सा सलाह, दवाईयों की व्यवस्था, और/अथवा किसी बिमारी के लक्षणों की पुष्टि हेतु विभिन्न टैस्ट किए जा सके। ऐसी सुविधाओं के लिए निरीक्षण बैड प्रदान किए जा सकते हैं। (जैसे औषधालय/क्लीनिक/क्लीनिकल लैबोरेट्री आदि)
2.	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सालय)	ऐसा परिसर जिसमें चिक्त्सिा सलाह हेतु सुविधाएं हों और दवाइयों की व्यवस्था हो (जैसे पशुओं और पक्षियों के लिए औषधालय, पालतु पशुओं के लिए क्लीनिक आदि)
3.	बैड सहित स्वास्थ्य सुविधाएं (लघु)	ऐसा परिसर जिसमें 50 बिस्तरों तक इन्डोर और आउटडोर रोगियों के लिए उपचार/देखभाल हेतु चिकित्सा सुविधाएं हों। ऐसे परिसर में विशेष जरूरतो वाले व्यक्तियों, बुजर्गो आदि के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हों और किसी रोग/बीमारी की पुष्टि के लिए किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति के पैथालॉजिकल/रेडियोलॉजिकल मूल्याकंन हेतु सुविधाएं हों। (जैसे नर्सिंग होम/प्रसुति गृह/पॉलिक्लीनिक/पीएचसी/परिवार कल्याण केंद्र/बाल चिकित्सा केंद्र/गीरेट्रीक केंद्र/ट्रांजिसन-हॉम/रिसपाइट केयर सेंट, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं, नैदानिक केंद्र, नशा मुक्ति/पुर्नवास सुविधाएं आदि)
4.	अस्पताल	ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों के उपचार हेतु सामान्य अथवा विशेष/उन्नत प्रकृति की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ऐसे परिसरों में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित आर एण्ड डी सुविधाएं भी शामिल होंगी। (जैसे- अस्पताल तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र)
5.	नशामुक्ति/पुर्नवास केंद्र	ऐसा परिसर जिसमें किसी पदार्थ (जैसे ड्रग, एल्कोहल इत्यादि) का उपयोग करने के कारण उत्पन्न विकार का उपचार प्रदान करने की सुविधा हो तथा एक्यूट डीटोक्सिफिकेशन सेंटर से दीर्घकालिक उपचार केंद्रों की श्रृंखला तक रीहैबिलेशन सुविधा हो। (जैसे स्टैडअलोन डी-एडिक्शन सेंटर/रीहैबिलेशन सेंटर)
6.	पशु चिकित्सा अस्पताल	पशुओं और पक्षियों के आंतरिक और बाह्य उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं वाला कोई परिसर। (जैसे- पशु चिकित्सा अस्पताल)
7.	पशु चिकित्सा संस्थान	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस प्रदान करने हेतु चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाला कोई परिसर।
8.	चिकित्सा महाविद्यालय	सुविधाओं वाला कोई परिसर, जिसमें कोई व्यक्ति अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के द्वारा ऐसे किसी भी स्नातकोत्तर पाठक्रम सहित अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के पाठक्रम को पूरा कर सकता है, जो उसे किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए अर्हता प्रदान करेगा।

नोट: स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वजनिक/निजी/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.55 उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियाँ – स्वास्थ्य सुविधाएँ

क्रम सं.	उपयोग जोन	आर डी	पी एस 1						
	उपयोग परिसर	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सा)	बैड सहित स्वास्थ्य सुविधाएं (लघु)	अस्पताल	नशामुक्ति/पुर्नवास केंद्र	पशु चिकित्सालय	चिकित्सा महाविद्यालय	पशु चिकित्सा संस्थान
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक कार्यालय	.	.	.	.	.	.	.	.
2	रोगियों के आन्तरिक उपचार के लिए सुविधाएं			.	.	.	.	.	.
3	रोगियों के वाह्य उपचार के लिए सुविधाएं	.		.	.	.	.	.	.
4	पशुओं और पक्षियों के आन्तरिक उपचार के लिए सुविधाएं		.	.	.	.	.	.	.
5	पशुओं और पक्षियों के वाह्य उपचार के लिए सुविधाएं		.	.	.	.	.	.	.
6	नशामुक्ति/पुर्नवास/ परामर्श केंद्र			.	.	.		.	
7	आर एवं डी सुविधाएं				.		.	.	.
8	लैबोरेट्ररिक	.		.	.		.	.	.
9	नैदानिक सुविधाएं			. *	.	.	.	.	.
10	कॉलेज / संस्थान				.			.	.
11	पुस्ताकल/वाचनालय				.			.	.
12	वॉच एंड वार्ड रेजिडेंस (20 वर्ग मी. तक)	.	.	.	.	.	.	.	.
13	खुदरा दुकान (कैमिस्ट शॉप केवल 20 वर्ग मी. तक)	.	.	.	.	.	.	.	.
14	खुदरा दुकान (कैमिस्ट के अलावा)				.			.	
15	कैंटीन/ कैफेटिरियां	.	.	.	.	.	.	.	.
16	एटीएम	.	.	.	.		.	.	.
17	वेडिंग बूथ/क्योस्क	.	.	.	.		.	.	.

क्रम सं.	उपयोग जोन	आर डी	पी एस 1						
	उपयोग परिसर	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सा)	बैड सहित स्वास्थ्य सुविधाएं (लघु)	अस्पताल	नशामुक्ति/पुर्नवास केंद्र	पशु चिकित्सालय	चिकित्सा महाविद्यालय	पशु चिकित्सा संस्थान
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8
18	स्टाफ के लिए आवास				·	·	·	·	·
19	रोगियो की देखभाल करने के लिए आवास				·	·	·	·	
20	हॉस्टल				·			·	·
21	इन्डोर गेम हॉल							·	·
22	बैंक एक्सटेंशन काउंटर				·		·	·	·
23	उपासना कक्ष			·	·		·	·	·
24	क्रैच/डे-केयर सुविधाएं				·		·	·	·
25	यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष / पुलिस चौकी				·			·	
26	अग्निशमन चौकी							·	·
27	पोस्ट आफिस काउंटर							·	·
28	ऑडीटोरियम							·	·

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका *22.56* स्वास्थ्य सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक							
1	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं	1	800	30%	150	12	
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100000 तक							
1	बिना बैड के स्वास्थ्य	1	300	35%	100	18	

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
	सुविधाएं (पशु चिकित्सालय)						
2	स्वास्थ्य सुविधाएं (लघु)	6	1000*	30%	150	18	
3	अस्पताल	3	2000-15000	40% और 5% (एमएलसीपी) बी आर टी	24 मीटर से कम मार्गाधिकार के लिए 250 24 मीटर से अधिक मार्गाधिकार के लिए 300, 30 मीटर से अधिक मार्गाधिकार के लिए 375		
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 500000 तक							
1	**अस्पताल***	3	1.5 हेक्ट. से अधिक	40% एवं 5% (एमएलसीपी)	18 मीटर से 24 मीटर मार्गाधिकार के लिए **250**, 24 मीटर से ऊपर मार्गाधिकार के लिए **300** मीटर 30 मीटर से ऊपर मार्गाधिकार के लिए **375** मीटर	18	
2	**नशा मुक्ति केंद्र/पुर्नवास केंद्र**	1	2000	35%	150	18	
3	**पशु चिकित्सा अस्पताल**	1	2000	30%	150	18	
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 तक							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
1	**मेडिकल कॉलेज**	आवश्यकता अनुसार	एमसीआई मानदंडों के अनुसार	35%	सकल एफएआरः 160 कॉलेज और अस्पताल = न्यूनतम 75% आवास = न्यूनतम 20% अन्य = 5% तक	24	
2	**पशु चिकित्सा संस्थान**		भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / मंत्रालय के मानदंड				
नोटः * विकसित क्षेत्रों में प्लॉट का आकार भूमि की उपलब्धता के आधार पर भिन्न हो सकता है। **आवासीय क्षेत्र में अस्पताल के प्लॉट का आकार 1.5 हेक्टेयर तक सीमित होगा, जिसमें प्लॉट के तीन तरफ से खुले होने और एक तरफ कम से कम 18 मीटर का मार्गाधिकार होने को प्राथमिकता दी जाएगी। अस्पताल का कुल फ्लोर एरिया इसमें स्वीकृत बिस्तर की कुल संख्या के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।							

उपरोक्त उपयोग परिसर के लिए अन्य नियंत्रण:

i. एएआई, डीएफएस, डीएमए, एनएमए और अन्य वैधानिक निकायों से मंजूरी के अध्यधीन ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

ii. प्रसूति गृह, नर्सिंग होम/पॉलीक्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र/जराचिकित्सा केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए न्यूनतम सकल क्षेत्र **प्रति बिस्तर 60 वर्ग मीटर होना** चाहिए तथा अस्पतालों, अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्र, अनुसंधान और विकास सुविधाओं, पालतू पशुओं और अन्य पशुओं के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पशु चिकित्सा संस्थान जैसे उपयोग परिसरों के लिए न्यूनतम सकल फ्लोर एरिया **80 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर** होगा।

iii. अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्रों तथा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं के लिए, एट्रियम प्रदान करने हेतु अधिकतम 10% ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी। यदि एट्रियम के अनुमेय के अतिरिक्त तल कवरेज उपयोग किया जाता है तो उपयोग किए गए 25% ग्राउंड कवरेज को एफएआर के लिए गिना जाएगा।

iv. अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्रों तथा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं के लिए मल्टीलेवल पोडियम पार्किंग की सुविधा संरचनागत सुरक्षा के अध्यधीन, भवन की निर्माण-परिधि तक अनुमत होगी, एफएआर और ग्राउंड कवरेज से मुक्त होगी ताकि खुले स्थान में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो सके।

v. अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्रों तथा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं के लिए, उपलब्ध एफएआर का अधिकतम 10% मुफ्त होगा, यदि इसका उपयोग

प्रतीक्षा और स्वागत कक्ष के लिए किया जाए। तथापि, अस्पताल की पार्किंग के प्रावधान के लिए मानदंडों के अनुसार इस क्षेत्र को हिसाब में लिया जाएगा।

vi. अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्रों तथा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं के लिए, 1.8 मीटर की ऊँचाई वाली सर्विस फ्लोर को एफएआर में नहीं गिना जाएगा।

vii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रचलित विनियमों के अनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति अनिवार्य है।

viii. सीवरेज के लिए शून्य डिस्चार्ज की शर्त प्रमोटरों पर लागू की जाएगी तथा इसका खर्च वे ही उठाएंगे और शोधन के बाद पानी का इस्तेमाल परिसर में बागवानी, फ्लशिंग, कूलेंट टॉवर, धुलाई या अन्य निर्माण स्थलों की जरूरतों के लिए किया जा सकता है। ये मुद्दे स्थानीय निकायों से संबंधित हैं और योजना को मंजूरी देते समय मौजूदा विनियमों के अनुसार इन पर कार्रवाई की जा सकती है।

ix. एट्रियम के लिए छत के रोशनदान की शर्त में छूट दी गई है और एट्रियम पर निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।

x. मौजूदा परिसरों / स्थलों के मामले में, वर्धित एफएआर की अनुमति दी जाएगी जो प्राधिकरण / भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान और अन्य स्वीकृतियों के अध्यधीन होगा।

xi. पार्किंग के लिए उपयोग के बाद बेसमेंट; सेवा आवश्यकताएँ जैसे कि एयरकंडीशनिंग प्लांट और उपकरण, पानी का भंडारण, बॉयलर, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, एचटी एंड एलटी पैनल रूम, ट्रांसफार्मर कम्पार्टमेंट, कंट्रोल रूम, पंप हाउस, जनरेटर रूम; स्टाफ लॉकर रूम, स्टाफ चेंजिंग रूम, किचन की सुविधा के बिना स्टाफ डाइनिंग सुविधाएं, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई विभाग, बैक एंड ऑफिस; अन्य यांत्रिक सेवाएँ; विद्युत और अग्निशमन उपकरणों की संस्थापना; और अन्य सेवाएं जैसे कि रसोई, लांड्री और रेडियोलॉजी लैब तथा भवन के रखरखाव/कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक सेवाएं, संबंधित एजेंसियों की पूर्व स्वीकृति के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं।

xii. **अनुषंगी उपयोग हेतु शर्तें:**

क. अस्पताल (1.5 हेक्टेयर के मामले में)

i. आवासीय घटक/उपयोग जैसे कि जरूरी स्टाफ और रोगियो के परिचारकों के आवास के लिए अधिकतम 25 % एफ ए आर की अनुमति होगी।

ii. आवासीय घटक से अलग सहायक सुविधाओं के लिए 300 वर्ग मीटर तक की अनुमति होगी।

ख. अस्पताल (1.5 हेक्टेयर से ऊपर) और पुर्नवास सुविधा के मामले में:

i. आवासीय घटक/उपयोग जेसे कि जरूरी स्टाफ और रोगियों के परिचारकों के आवास के लिए अधिकतम 25% एफएआर

ii. आवासीय घटक से अलग सहायक सुविधाओं के लिए 500 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र के **11% एफएआर** की अनुमति होगी।

ग. पशु अस्पताल के मामले में:

i. आवासीय घटक/उपयोग जैसे कि जरूरी स्टाफ और परिचारकों के आवास हेतु अधिकतम 10% एफ ए आर की अनमुति होगी।

ii. आवासीय घटक से अलग सहायक सुविधाओं के लिए 300 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्र के अधिकतम 1% एफएआर की अनमुति होगी।

घ. मेडिकल कॉलेज और पशु चिकित्सा संस्थान के मामले में: अनुमत सहायक गतिविधियों के लिए अधिकतम 30% एफएआर की अनुमति होगी।

i. आवासीय घटक/उपयोग जैसे कि जरूरी स्टाफ और रोगियों के परिचारकों के आवास, विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए अधिकतम 20% एफएआर की अनुमति होगी।

ii. आवासीय से अलगक अन्य सहायक/अनुषंगी सुविधाओं के लिए अधिकतम 5% एफएआर की अनुमति होगी।

22.15.2 शिक्षण सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका *22.57* शिक्षण सुविधाओं के लिए उपयोग परिसर और परिभाषा

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	शिक्षण केंद्र/क्रेच	सहायक/समांतर शिक्षा सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया परिसर
2	स्कूल (टाइप-I)	ऐसा परिसर जहां कक्षा पाँच तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाएं हों। V/VIII (जैसे- प्राइमरी स्कूल, मिडिल सकूल)
3	स्कूल (टाइप-II)	ऐसा परिसर जहां कक्षा बारह तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाएं हों। (जैसे सीनियर सेंकेण्डरी स्कूल, सेंकेण्डरी स्कूल, इंटीग्रेटिड स्कूल)
4	स्पेशल स्कूल	ऐसा परिसर जहां मानसिक रूप से विकलांग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक (औपचारिक और व्यावसायिक) और खेलने की सुविधाएं हों। (जैसे- मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के िलए स्कूल, दिव्यांगजनों के लिए स्कूल)
5	अनुसंधान और विकास केंद्र	किसी विशेष क्षे9 के लिए अनुसंधान और विकास हेतु सिविधाएं प्रदान करने वाला एक परिसर (जैसे- अनुसंधान और विकास केंद्र)
6	संस्थान	व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा (रोजगार के लिए तकनीकी/व्यवसायिक/प्रबंधन/प्रारंभिक) (जैसे- व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/आईटीआई/पॉलिटेक्निक/व्यावसायिक/प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्यिक/सचिवीय प्रशिक्षण केंद्र, होटल प्रबंधन, नर्सिंग और पैरामैडिक संस्थान आदि)
7	कॉलेज	ऐसा परिसर जहां विश्वविद्यालय के अंदर अंडरग्रेज्युएट और पोस्ट

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
		ग्रेज्युएट कोर्स के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक और खेलने की सुविधाएं हैं। (जैसे- जनरल कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज)
8	विश्वविद्यालय	ऐसा परिसर जहां स्थित शिक्षण संस्थान उन्नत शिक्षण की कई शाखाओं में छात्रों के शिक्षण, परीक्षा, या दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया हो, विभिन्न संकायों में डिग्री प्रदान करता है, और अक्सर कॉलेजों और समान संस्थानों का मूर्त रूप होता है।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका *22.58* उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां - शिक्षण सुविधाएं

	उपयोग जोन	आर डी			पी एस 1				
	अनुमत उपयोग	शिक्षण केंद्र/क्रेच	स्कूल टाइप -I	स्कूल टाइप -II	स्पेशल स्कूल	अनुसंधान एवं विकास के	संस्थान	कॉलेज	विश्वविद्यालय
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्रेच एवं डे-केयर सेंटर	.							
2	नर्सरी स्कूल		.	.					
3	कियोस्क		.	.	.				
4	कैंटीन/कैफीटीरियां			.	.		.	.	.
5	20 वर्ग मीटर तक देखभाल और निगरानी आवास		.	.	.	.	.	.	.
6	20 वर्ग मी. तक खुदरा दुकाने		.	.	.		.	.	.
7	बैंकएक्सटेंशन काउंटर			.	.	.	.	.	.
8	एटीएम			.		.	.	.	.
9	ऑडीटोरियम			.	.	.	.	.	.
10	इंडोर गेम्स हॉल			.	.	.	.	.	.
11	स्वीमिंग पूल			.		.	.	.	.
12	पोस्ट आफिस काउंटर सुविधा			.	.			.	.
13	छात्रावास सुविधा			.	.	.	.	.	.
14	जरूरी स्टाफ और छात्रों का आवास उपयोग			.	.	.	.	.	.
15	पुनर्वास केंद्र				.				
16	वर्कशॉप				.				
17	कॉलेज							.	.
18	खेल का मैदान							.	.
19	पुस्तकालय					.	.	.	.

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.59 : शिक्षा सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
	स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक						
1	शिक्षण केंद्र/क्रेच	1	500	35%	120	12	
2	स्कूल (टाइप-I)	1	2000-4000	30%	120	18	18
3	स्कूल (टाइप-II)	1	4000-8000	35%	150	18	18
	अन्य नियंत्रण: क. नए स्कूलों के मामले में, आगंतुकों की पार्किंग हेतु स्थान देने के लिए सामने की चारदीवारी (फ्रंट बाउंड्री वॉल) को सेटबैक क्षेत्र के अंदर 6 मी. पीछे करके निर्मित किया जाएगा। ख. भूखंड के आकार में 10% तक के अंतर की अनुमति है। विशेष क्षेत्र, नियमित कर दी गई अनधिकृत कॉलोनियों, शहरी गांवों और पुनर्वास कालोनियों पर विभेदक मानदंड लागू होंगे। ग. खेल का मैदान स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में पूल(समूहबद्ध) के आधार पर विकसित किया जाएगा। **नोटः** आवासीय उपयोग में प्री-प्राइमरी स्कूल / नर्सरी स्कूल / मोंटेसरी स्कूल / क्रेच, प्ले स्कूल अनुमेय हैं						

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
	उप-शहरी स्तर जनसंख्या 5,00,000 तक						
1	विशेष स्कूल	4	2000	50%	120	18	18
2	अनुसंधान और विकास केंद्र	1	4000	35%	225	24	37
3	संस्थान	1	4000	35%	225	24	37
4	कॉलेज*	2	यूजीसी/एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार	35%	225	24	37
	अन्य नियंत्रण: क. प्लॉट के आकार में 10% तक का अंतर अनुमेय है। ख. स्पेशल स्कूल के मामले में, जरूरी स्टाफ और छात्रों के रहने के आवास उपयोग हेतु अधिकतम 20% अनुमेय एफएआर की अनुमति होगी।						

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
	उप-शहरी स्तर जनसंख्या 5,00,000 तक						
	ग. अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, संस्◌ाि◌ानों और कॉलेजों के मामले में छात्रों और स्टाफ के लिए छात्रावास निवास हेतु अधिकतम 30% अनुमेय एफएआर उपयोग किया जा सकता है। घ. ओल्ड कॉलेज (4 हेक्टेयर क्षेत्रफल से ऊपर) के मामले में, प्लॉटों को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा:						

क कॉलेज बिल्डिंग क्षेत्र	1.8 हेक्टेयर	45%
ख खेल का मैदान	1.8 हेक्टेयर	45%
ग आवासीय सहित छात्रावास क्षेत्र	0.4 हेक्टेयर	10%
अकादमिक कॉलेज बिल्डिंग और आवासीय के लिए विकास नियंत्रण मानदंड उस विश्वविद्यालय के समान ही होंगे।		

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
	शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 तक						
1	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर - बड़े परिसर (10 हेक्टेयर और उससे ऊपर) को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जाएगा:	आवश्यकताओं के अनुसार	यूजीसी / एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार			24	37
	क) प्रशासन सहित अकादमिक (कुल भूमि क्षेत्र का 45%)			30%	225		37
	ख) आवासीय (कुल भूमि क्षेत्र का 25%)			1. सामूहिक आवास के लिए विनियम लागू होंगे। 2. भूमि को आवासीय मानदंडों के अनुसार निर्धारित सुविधाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा।			
	ग) खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ (15%)			10%	15		26
	घ) पार्क और लैंडस्केप (15%)			लागू नहीं			

22.15.3 डाक और दूरसंचार सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका *22.*60 उपयोग परिसर एवं परिभाषा – डाक और दूरसंचार सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	पी एवं टी सुविधा (टाइप-I)	डाक, कोरियर सेवा, डिजिटल अवसंरचना और दूर संचार सुविधा (जैसे-डाकघर काउंटर, कोरियर सेवा कार्यालय, डिजिटल इंफ्रा सुविधा आदि) के लिए सुविधा/काउंटर सहित परिसर
2	पी एवं टी सुविधा (टाइप-II)	ऐसा परिसर जहां इससे जुड़े कई डाकघरों में/से डाक और दूरसंचार सेवा के लिए आवाजाही की सुविधा हो। (जैसे- प्रधान डाक घर, मुख्य डाक घर, उप-शहर स्तरीय डिजिटल इंफ्रा सुविधा आदि)
3	पी एवं टी सुविधा (टाइप-III)	ऐसा परिसर जहां संबंधित माध्यम से समाचार और अन्य कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग, प्रसारण और संचार, सैटेलाइट और दूरसंचार प्रौद्योगिकी का अनुसंधान एवं विकास मौसम और पुर्वानुमान संबंधी डाटा का अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं, हों।
4	ट्रांसमिशन टॉवर और वायरलेस स्टेशन	ऐसा परिसर जो संचार उद्देश्यों के लिए टॉवर की संस्थापना के लिए इस्तेमाल किया जाए।

* पी एवं टी सुविधा (टाइप-III) के भाग के रूप में ट्रांसमिशन साइट/सेंटर पर विचार किया जाएगा। तथापि, ऐसे स्थलों का विकास आवश्यकता के अनुसार होगा।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.61 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियाँ - डाक और दूरसंचार सुविधाएं

क्रम सं.	उपयोग जोन	पी एस 1	
	उपयोग परिसर	पी एवं टी सुविधा (टाइप-II)	पी एवं टी सुविधा (टाइप-III)
	अमुमत गतिविधि	1	2
1.	खुदरा दुकान	·	·
2.	कैंटीन /कैफेटेरिया/ वेडिंग बूथ/कियोस्क	·	·
3.	ऑडीटोरियम		·
4.	स्टाफ के लिए निवास/आवास	·	·
5.	देखभाल और निगरानी आवास (20 वर्ग मी. तक)	·	·

क्रम सं.	उपयोग जोन	पी एस 1	
	उपयोग परिसर	पी एवं टी सुविधा (टाइप-II)	पी एवं टी सुविधा (टाइप-III)
	अमुमत गतिविधि	1	2
6.	लाइब्रेरी/रिडिंग रूम	.	.
7.	फिटनेस सेंटर (गैर-व्यावसायिक उपयोग)		.
8.	विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थियों के लिए हॉस्टल आवास		.
9.	प्रेस क्लब		.
10.	डायनिंग एरिया		.
11.	मीडिया (प्रिंट, टेलीविजन और इंटरनेट) हेतु सुविधाएं।		.
12.	अनुसंधान प्रयोगशाला		.
13	डाटा सेंटर	.	.

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका *22.6.2* डाक और दूर-संचार सुविधाएं

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक							
1	पी एवं टी सुविधा (टाइप-I)		मनोरंजनात्मक उपयोग क्षेत्र को छोड़कर, अपेक्षानुसार सभी उपयोग क्षेत्रों में/मिश्रित उपयोग के तहत यह अनुमत है कि ले-आउट प्लान में कोई विशिष्ट स्थल आरक्षित नहीं रखा जाएगा।				लागू नहीं
शहरी स्तर जनसंख्या 2000000 तक							
2	पी एवं टी सुविधा (टाइप-II)	2	2500 वर्ग मी.	30%	120	18	26
3	पी एवं टी सुविधा (टाइप-III)	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	35%	150	18	26

	नोटः प्लॉट के आकार में 10% तक का अंतर होने की अनुमति है। **अन्य नियंत्रण:** i) पी एवं टी सुविधा (टाइप **II**) के लिए, आवासीय घटक और अन्य सहायक सुविधाओं के लिए 15% तक एफ ए आर अनुमत है। ii) पी एवं टी सुविधा (टाइप **III**) के लिए, छात्रों के लिए हॉस्टल आवास और अनिवार्य स्टाफ के आवासीय उपयोग के लिए 30% तक एफ ए आर अनुमत है।

22.15.4 सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.63 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	ट्रैफिक कंट्रोल रूम	ऐसा परिसर जहां यातायात और संबंधित मुद्दों के प्रबंधन की सुविधाओं वाली अस्थायी संरचनाएं हैं।
2	पुलिस चौकी	ऐसा परिसर जहां कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करने हेतु लोगों और उपकरणों के लिए अस्थायी संरचनाएं हैं।
3	पुलिस पोस्ट	ऐसा परिसर जहां पुलिस स्टेशन की तुलना में अस्थायी स्वरूप की या अपेक्षाकृत छोटे पैमाने की स्थानीय पुलिस चौकी के लिए सुविधा है।
4	पुलिस स्टेशन	ऐसा परिसर जहां स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों के लिए सुविधाएं हैं।
5	जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन	ऐसा परिसर जहां कार्यालयों और अर्धसैनिक बलों के लिए सुविधाएं हैं।
6	पुलिस लाइन	ऐसा परिसर जहां अर्धसैनिक बलों के कार्य के लिए और आवास हेतु सुविधाएं हैं।
7	जेल	ऐसा परिसर जहां कानून के तहत अपराधियों को कैद करने, कारावास और सुधार के लिए सुविधाएं हैं।
8	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	ऐसा परिसर जहां अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं हैं।
9	पुलिस फायरिंग रेंज	ऐसा परिसर जहां अर्धसैनिक बलों हेतु फ़ायरिंग अभ्यास के लिए सुविधाएं हैं।
10	सिविल डिफेंस और होमगार्ड आदि।	ऐसा परिसर जहां आंतरिक रक्षा हेतु सिविल संगठन के कार्यालयों और अन्य कार्यों के लिए सुविधाएं हैं।
11	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	ऐसा परिसर जहां चिकित्सा ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए सुविधा है।
12	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान	ऐसा परिसर जहां राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अथवा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित/अधिसूचित प्रतिष्ठान स्थित हैं।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका *22.64* उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां - सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं

#क्र.सं.	उपयोग जोन	आरडी		पीएस1			
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6
		ट्रैफिक कंट्रोल रूम	पुलिस चौकी	पुलिस पोस्ट	पुलिस स्टेशन	जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन	पुलिस लाइन
1.	कर्मचारियों के लिए आवास				✓	✓	✓
2.	कैंटीन		✓	✓	✓	✓	✓
3.	बैंक एक्सटेंशन काउंटर				✓	✓	✓
4.	छात्रावास					✓	
5.	खेल का मैदान					✓	
6.	इनडोर गेम्स की सुविधा					✓	✓
7.	एनसीआर (गैर-संज्ञेय रिपोर्ट) की रिकॉर्डिंग और आपातकालीन उपकरणों के भंडारण के लिए सुविधाओं के साथ अधिकारी कक्ष		✓				
8.	शौचालय और स्नान सुविधाओं और रसोई के साथ डोरमेट्री		✓				✓
9.	संचार केंद्र					✓	✓
10.	सर्विस वर्कशॉप					✓	✓
11.	धार्मिक सुविधा					✓	✓
12.	वेंडिंग बूथ/क्योस्क					✓	✓
13.	वाचनालय / पुस्तकालय					✓	✓

#क्र.सं.	उपयोग जोन / उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	आरडी		पीएस1			
		1	2	3	4	5	6
		ट्रैफिक कंट्रोल रूम	पुलिस चौकी	पुलिस पोस्ट	पुलिस स्टेशन	जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन	पुलिस लाइन
14.	गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर					✓	✓

#क्र.सं.	उपयोग जोन / उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	पीएस1					
		7	8	9	10	11	12
		जिला जेल	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	पुलिस फायरिंग रेंज	सिविल डिफेंस और होमगार्ड आदि।	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान
1.	कैंटीन	✓	✓		✓	✓	✓
2.	बैंक एक्सटेंशन काउंटर		✓		✓		✓
3.	छात्रावास		✓	✓	✓		✓
4.	खेल का मैदान / खेल की सुविधा	✓	✓	✓	✓		
5.	कर्मचारियों के लिए आवास	✓	✓	✓	✓		✓
6.	प्रत्येक 20 वर्ग मीटर क्षेत्र की खुदरा दुकान	✓	✓	✓			✓
7.	ऑडिटोरियम		✓				
8.	स्विमिंग पूल		✓	✓			
9.	डाकघर काउंटर की सुविधा		✓				
10.	प्राथमिक चिकित्सा सुविधा						✓

#क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस1					
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	7	8	9	10	11	12
		जिला जेल	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	पुलिस फायरिंग रेंज	सिविल डिफेंस और होमगार्ड आदि।	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान
11.	आपातकालीन बैकअप / आपदा की तैयारी						✓
12.	वॉच और वार्ड रेजिडेंस (20 वर्ग मीटर तक)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	संचार केंद्र		✓	✓			✓ (अस्थायी)
14.	वाचनालय / पुस्तकालय		✓	✓			✓
15.	गैर- व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर		✓	✓			✓
16.	कियोस्क		✓	✓			✓
17.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं		✓	✓			✓

#क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस 1		
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	13	14	15
		केंद्रीय पुलिस संगठन	सुरक्षा बल शिविर	पुलिस कैंप
1.	बैंक एक्सटेंशन काउंटर	✓	✓	✓
2.	छात्रावास	✓	✓	✓
3.	20 वर्ग मीटर क्षेत्र की खुदरा दुकान	✓	✓	✓
4.	स्विमिंग पूल	✓	✓	✓
5.	संचार केंद्र	✓	✓	✓
6.	ध्यान / आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं	✓	✓	✓

#क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस 1		
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	13	14	15
		केंद्रीय पुलिस संगठन	सुरक्षा बल शिविर	पुलिस कैंप
7.	गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर	✓	✓	✓
8.	कर्मचारियों के लिए आवास	✓	✓	✓
9.	छात्रावास	✓	✓	✓
10.	अस्पताल / नर्सिंग / पैरामेडिक सुविधा	✓	✓	✓
11.	पालतू पशु और जानवरों के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल	✓	✓	✓
12.	नशामुक्ति / पुनर्वास केंद्र	✓	✓	✓
13.	कैंटीन	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका *22.65* सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक							
1	**ट्रैफिक और पुलिस कंट्रोल रूम**	आवश्यकतानुसार सभी उपयोग परिसरों/जोन में अनुमेय और आवश्यकतानुसार स्कीम में प्रदान की जाएंगी।	स्थल की व्यवहार्यता के आधार पर सड़क के मार्गाधिकार के रूप में, प्रमुख सड़क जंक्शनों/हिस्सों आदि पर आवश्यकता के अनुसार। 2. अधिकतम क्षेत्र = 25 वर्ग मी.			---	
2	**पुलिस चौकी**		150 तक	75%	300	18 मी.	
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100,000 तक							
1	**पुलिस पोस्ट**	1	2500 तक	50%	300	18 मी.	

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 500,000 तक							
1	**पुलिस स्टेशन**	2	1 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 तक							
1	**जिला जेल**	1 प्रति 50.0 लाख	2 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
2	**पुलिस लाइंस**	आवश्यकता के अनुसार	1 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
3	**जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन**						
4	**पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज**	आवश्यकता के अनुसार	5 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
5	**पुलिस फायरिंग रेंज**						
6	**पुलिस कैंप**						

अन्य नियंत्रण

i. क्षेत्रीय विकास योजनाओं में दिए गए अन्य प्रावधानों के साथ ज़ोन ओ में उपयोग परिसरों और जोन सी तथा ज़ोन डी के बंगला क्षेत्र के लिए अधिकतम एफएआर 120 होगा।

ii. सुरक्षा-पुलिस सुविधाओं के मामले में, सभी उपयोग परिसरों के लिए, आवासीय और अनुमत गतिविधियां के लिए अधिकतम अनुमेय 30% एफएआर की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि ऊपर तालिका में दिया गया है। आवासीय घटक आवासीय प्लॉट-समूह आवास के अनुसार होगा।

iii. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान जैसे उपयोग परिसर की अनुमति उपर्युक्त तालिका में वर्णित श्रेणियों के भीतर दी जाएगी।

iv. उपर्युक्त प्लॉटों के लिए एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी मिल जाने पर कोई ऊँचाई प्रतिबंध नहीं होगी।

22.15.5 अग्नि-सुरक्षा सुविधाएँ

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका *22.*66 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - अग्नि-सुरक्षा सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	फायर पोस्ट	अग्निशमन की कम सुविधाओं वाला परिसर। यह पोस्ट अग्नि संभावित गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसर से जोड़ा जा सकता है।
2	दमकल केंद्र	ऐसा परिसर जहां इसके निकटवर्ती क्षेत्र के लिए अग्निशमन-सुविधा हो। इसमें आवश्यक कर्मचारियों का आवास शामिल है।
3	अग्नि प्रशिक्षण संस्थान	ऐसा परिसर जहां आग लगने, भवन गिरने आदि की स्थिति में आपातकालीन समय में स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं है।
4	आपदा प्रबंधन केंद्र	ऐसा परिसर जहां आपदा आपातकालिक बैकअप-सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र, वायरलेस कम्यूनिकेशन आदि की सुविधा है।
5	आपदा प्रबंधन इकाइयाँ	ऐसा परिसर जहां आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर कार्रवाई करने वाले या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित/अधिसूचित प्रतिष्ठान हैं।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.67 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियाँ - अग्नि-सुरक्षा सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस1				
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5
		फायर पोस्ट	दमकल केंद्र	अग्नि प्रशिक्षण संस्थान	आपदा प्रबंधन केंद्र	आपदा प्रबंधन इकाइयाँ
1.	कर्मचारियों के लिए आवास	✓	✓	✓	✓	✓
2.	सर्विस वर्कशॉप		✓			✓
3.	छात्रावास			✓	✓	
4.	दमकल केंद्र			✓	✓	
5.	वॉच और वार्ड रेजिडेंस (20 वर्ग मीटर तक)			✓	✓	✓
6.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधा			✓	✓	
7.	अभ्यास और राहत शिविर / आपदा तैयारी के लिए खुले अभ्यास मैदान			✓	✓	✓
8.	संचार केंद्र			✓	✓	✓ अस्थायी
9.	प्राथमिक चिकित्सा सुविधा					✓
10.	आपातकालीन बैकअप					✓
11.	कैंटीन	✓	✓	✓	✓	✓
12.	बैंक एक्सटेंशन काउंटर		✓	✓	✓	✓
13.	रैन बसेरा					✓
14.	वेंडिंग बूथ/क्योस्क		✓			✓
15.	वाचनालय / पुस्तकालय			✓	✓	✓

क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस1				
	उपयोग परिसर / अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5
		फायर पोस्ट	दमकल केंद्र	अग्नि प्रशिक्षण संस्थान	आपदा प्रबंधन केंद्र	आपदा प्रबंधन इकाइयाँ
16.	इनडोर गेम्स की सुविधा			✓	✓	
17.	गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर		✓	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.68 अग्नि-सुरक्षा सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100,000 तक							
1	**फायर पोस्ट**	1	2500 वर्ग मीटर तक	50%	300	18 मी.	
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 500,000 तक							
1	**दमकल केंद्र**	2	1 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
2	**आपदा प्रबंधन इकाई**	1	5000-10000	50	300	18 मी.	
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 तक							
1	**अग्नि प्रशिक्षण संस्थान**	आवश्यकता के अनुसार	5 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
2	**आपदा प्रबंधन केंद्र**	आवश्यकता के अनुसार	5 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	

अन्य नियंत्रण

i. दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) आग के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी और अग्निशमन सेवाओं (अग्नि-शमन केंद्र/ अग्नि-शमन चौकी) की के स्थान की पहचान इस तरह की जाएगी कि यह समुदाय को अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में युक्तिसंगत ढंग से लाभकारी हो।

ii. क्षेत्रीय विकास योजनाओं में दिए गए अन्य प्रावधानों के साथ जोन ओ में उपयोग परिसरों और जोन सी तथा जोन डी के बंगला क्षेत्र के लिए अधिकतम एफएआर 120 होगा।

iii. अग्नि-सुरक्षा सुविधाओं के मामले में, सभी उपयोग परिसरों के लिए, आवासीय और अनुमत गतिविधियां के लिए अधिकतम 30% अनुमेय एफएआर की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि ऊपर तालिका में दिया गया है। आवासीय घटक आवासीय प्लॉट-समूह आवास के अनुसार होगा।

iv. उपर्युक्त प्लॉटों के लिए एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी मिल जाने पर कोई ऊँचाई प्रतिबंध नहीं होगी।

22.15.6 वितरण योग्य सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.69 उपयोग परिसर एवं परिभाषा – वितरण योग्य सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	दूध बूथ / दूध, फल और सब्जी बूथ / दिल्ली दुग्ध आपूर्ति बूथ / उचित मूल्य की दुकान	स्थानीय आबादी को दैनिक किराने के सामान की आपूर्ति के लिए बुनियादी सुविधा वाला परिसर।
2	बुकिंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम	स्थानीय आबादी को एलपीजी की बुकिंग, भंडारण और आपूर्ति के लिए परिसर।
3	गैस गोदाम	एलपीजी, गोदाम, आदि के थोक भंडारण की सुविधा वाला परिसर।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.70 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियाँ – वितरण योग्य सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस 1		आरडी
	उपयोग परिसर / अनुमेय गतिविधियां	1	2	3
		गैस गोदाम	बुकिंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम	दूध बूथ / दूध, फल और सब्जी बूथ / दिल्ली दुग्ध आपूर्ति बूथ
1.	डेयरी उत्पादों / फलों और सब्जियों आदि की बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए बूथ / निर्मित संरचना।			✓

2.	वॉच एंड वार्ड रेजिडेंस (20 वर्गमीटर तक)	✓	✓	
3.	बुकिंग कार्यालय		✓	
4.	स्टोर / गोदाम	✓	✓	
5.	केयर टेकर कार्यालय	✓		

नोटः

1. बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम: आवासीय और मनोरंजनात्मक उपयोग जोनों को छोड़कर सभी उपयोग जोनों में अनुमत।
2. सभी उपयोग जोनों में एलपीजी बुकिंग कार्यालय को अनुमति दी जा सकती है।

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.71 वितरण योग्य सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
1	दूध बूथ / दूध, फल और सब्जी बूथ / दिल्ली दुग्ध आपूर्ति बूथ / उचित मूल्य की दुकान	प्रति 5000 जनसंख्या पर एक	i. संबंधित विभाग के मानक डिजाइन के अनुसार ii. स्वीकृत लेआउट योजना के अनुसार सभी जोनों में अनुमत।				
2	बुकिंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम	आवश्यकता के अनुसार	i. प्लॉट का आकार - बुकिंग कार्यालय और सुरक्षा कक्ष सहित 600 वर्ग मीटर तक। ii. आवासीय और मनोरंजनात्मक उपयोग जोनों को छोड़कर सभी उपयोग जोनों में सांविधिक मंजूरी की शर्त पर अनुमत ।				
	अन्य नियंत्रण: 1. दूध, फल, सब्जी और रसोई गैस दिन-प्रतिदिन के जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं और इनका उचित वितरण सेट-अप होना चाहिए। 2. ईडब्ल्यूएस / एलआईजी आवास / पुनर्वास कॉलोनियों के पास उचित मूल्य की दुकानें हो सकती हैं। 3. एलपीजी गोदामों के लिए मानदंड और मानक पीईएसओ (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) के अनुसार होंगे।						

22.15.7 सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.72 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-I)	स्थानीय स्तर की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, अधिगम(संगीत, कला आदि, खेल कूद, परस्पर संपर्क बैठक और एकत्र होने के स्थल (अर्थात् बैंकट हॉल आदि) के लिए सुविधाओं वाले परिसर
2	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप- II)	विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाओं/प्रशिक्षण सुविधाओं सहित परिसर, जहां समुदाय स्तर पर जन-सभा/समारोह और सार्वजनिक समारोह किए जा सकते है। इसमें सांस्कृतिक और सूचना सेवाओं के लिए सुविधाएं भी शामिल की जा सकती है। (अर्थात् बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, सामाजिक-सांसकृतिक संस्था (अधिगम और संगीत, नृत्य के प्रदर्शन, अन्य प्रदर्शन कला, प्रदर्शनी स्थल, कला गैलरी (भवन), पुस्तकालय, सृजनात्मक वर्कशॉप (कार्यशालाए) ऑडिटोरियम, छोटे थिएटर के लिए सुविधाओं सहित, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र आदि)
3	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-III)	सांस्कृतिक और अन्य सूचनात्मक तथा मनोरंजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सुविधाओं सहित परिसर (अर्थात् मनोरंजन क्लब, पब्लिक लाइब्रेरी आदि)
4	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-VI)	बड़ी जन सभाएं और समारोह जेसे प्रदर्शनियों, अन्तरर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठकों, संगोष्ठियों आदि आयोजित करने के लिए सुविधाओं सहित परिसर/ इनमें बड़ी मनोरंजन/सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएं भी शामिल होगी। (अर्थात् सामाजिक –सांस्कृतिक केंद्र,साइंस सेंटर, प्लैनिटरियम, म्यूजियम (संग्रहालय), अन्तरराष्ट्रीय सम्मलेन केंद्र (कन्वेंशन सेंटर), प्रदर्शनी सह मेला मैदान

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.73 उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियां - सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

क्रम सं.	उपयोग जोन	आरडी	पीएस 1		
	उपयोग परिसर	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-I)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-II))	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-III)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-IV)
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4
1	कैंटीन	•		•	
2	बैंक एक्सटेंशन काउंटर		•	•	•
3	वेडिंग बूथ/कियोस्क	•	•	•	•
4	रेस्टोरंट		•	•	•
5	निगरानी आवास (20 वर्ग मी. तक)		•	•	•
6	प्रदर्शनी सेंटर और आर्ट गैलरी			•	•
7	सामुदायिक केंद्र		•		•
8	हॉस्टल		•	•	
9	संगीत, नृत्य और नाटक प्रशिक्षण केंद्र			•	•
10	पुस्तकालय		•	•	•
11	ऑडिटोरियम			•	•
12	सार्वजनिक समारोहों, विवाहों, खाना पकाने की सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के लिए हॉल	•			
13	संग्रहालय			•	•
14	एटीएम	•	•	•	•
15	स्वास्थ्य देखरेख सुविधा				•
16	व्यवसायिक कार्यालय			•	•
17	होटल				•
18	पुलिस चौकी				•
19	अग्निशमन चौकी				•
20	रख-रखाव स्टाफ के लिए आवास			•	•
21	ओपन ऐयर थियेटर/एम्फीथियेटर		•	•	•

क्रम सं.	उपयोग जोन	आरडी	पीएस 1		
	उपयोग परिसर	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-I)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-II))	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-III)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-IV)
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4
22	मेला मैदान				·
23	कन्वेंशन और बैठक स्थान/कन्वेंशन सेंटर				·
24	फिल्म सेंटर				·
25	बहुउद्देश्य प्रशिक्षण और बैठक कक्ष				·
26	खुदरा दुकान			·	·
28	अतिथि गृह/अतिथि कक्ष			·	·
29	इंडोर/ आउटडोर खेल			·	
30	स्वीमिंग पूल			·	·

ग. **विकास नियंत्रण मानदंड**

तालिका 22.74 सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक							
1	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-I)		800-2000	30%	150	12	
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100,000 तक							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
2	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-II)	2	1000	40%	120	24	-
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 500,000 तक							
3	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-III)	1	5000	40%	120	24	-
शहरी स्तर जनसंख्या 2,00,0000 तक							
4	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-IV)	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	35% + 5% (एमएल सीपी)	120	30	
	नोटः * प्रदर्शनी-एवं-मेला मैदान, जैसी गतिविधियों के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 20% और एमएलसीपी के लिए ग्राउंड कवरेज 5% और अधिकतम एफएआर 20 होगा।						

अन्य नियंत्रण:

i. एलबीजेड एरिया, सिविल लाइन्स बंग्लो एरिया, मनोरंजनात्मक उपयोग जोन में और धरोहर संरचनाओं पर मौजूद मनोरंजक क्लबों का उनसे संबंधित मामलों के आधार पर निपटान किया जाएगा और दि.वि.प्रा. की टेक्निकल कमेटी मौजूदा स्थिति के आधार पर विकास नियंत्रण मानदंड़ों को मंजूरी देगी।

ii. खुले क्षेत्रों में आउटडोर गेम्स/खेल-कूद सुविधाओं, स्विमिंग पूल के अलावा 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र को ग्राउंड कवरेज से मुक्त रखने की अनुमति होगी।

iii. बैंक्वेट हॉल के मामले में,

– तल आवरण के अंर्तगत आने वाले बेसमेंट में पार्किंग की अनुमति होगी। पार्किंग के लिए स्टिल्ट फ्लोर की अनुमति है

– सेवाओं/स्टोरेज के लिए 30% बेसमेंट क्षेत्र की गिनती एफएआर में नहीं की जाएगी।

iv. इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर के मामले में, प्रांगण प्रदान करने के लिए अधिकतम 10% ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि, प्रांगण के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।

v. उपर्युक्त प्लॉट के लिए एएआई, दिल्ली अगिनश्मन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी प्राप्त होने पर कोई ऊँचाई प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

vi. **सहायक (आनुषंगिक) इस्तेमाल के लिए शर्तें:**

क. सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-II और टाइप-III) के मामले में: सहायक/आनुषंगिक सुविधाओं की स्वीकार्य एफएआर के अधिकतम 20% तक अनमति दी जाएगी।

ख. अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और सामाजिक – सांस्कृतिक केंद्र के अलावा सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-IV) के मामले में: सहायक/आनुषंगिक सुविधाओं की स्वीकार्य एफएआर के अधिकतम 50% तक अनमति दी जाएगी।

ग. अंतरराष्ट्रीय कंन्वेंशन सेंटर के मामले में: प्रदर्शनी स्थल, कन्वेंशन और बैठक स्थल स्वीकार्य एफएआर का न्यूनतम 40% होगा। सहायक आनुषंगिक सुविधाओं (फुटकर दुकान, कार्यालय स्थल/व्यावसायिक कार्यालय, होटल और संबंधित गतिविधियां) की स्वीकार्य एफएआर के अधिकतम 60% तक अनमति दी जाएगी।

घ. सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र के मामले में: सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां स्वीकार्य एफएआर के न्यूनतम 40% होगी। सहायक आनुषंगिक सुविधाओं (फुटकर दुकान, कार्यालय स्थल/व्यावसायिक कार्यालय, होटल और संबंधित गतिविधियां) की स्वीकार्य एफएआर के अधिकतम 60% तक अनमति दी जाएगी।

22.15.8 अन्य-समुदायिक सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.75 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - अन्य-सामुदायिक सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	रैन बसेरा	बिना किसी शुल्क या टोकन शुल्क के साथ व्यक्तियों को रात्रि आवास प्रदान करने की सुविधा वाले परिसर। यह स्थानीय सरकार या स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा संचालित हो सकते हैं।
2	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I)	परिसर, जहां बहुविध छोटे पैमाने की सामुदायिक धार्मिक सुविधाएं होगी। (अर्थात् छोटे स्तर पर धार्मिक सुविधा आदि)
3	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-II)	परिसर में बुजुर्गों/विकलांग व्यक्तियों/ मानसिक रूप से विकलांग, महिलाओं और बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण और भोजन तथा

		आवास की सुविधा है। इसमें कामकाजी महिला/पुरूषो के लिए आवासीय सुविधाएं और व्यस्कों के लिए शिक्षा/प्रशिक्षण सुविधाएं भी शामिल है। (अर्थात् वृद्ध आश्रम, दिव्यांग व्यक्तियों/ मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए देख रेख केंद्र, कार्यरत महिलाओं-पुरूष के होस्टाल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि)
4	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-III)	कानून से जुड़ रहे अथवा अपराध करने वाले बच्चों के सुधार, परामर्श और आवास के लिए सुविधाओं सहित परिसर/आचरण सुधार के लिए संबंधित न्यायिक सुविधाएं और सेवाएं भी यहां स्थित होगी। (अर्थात् सुधारक/अवलोकन गृह/विशेष गृह/बाल गृह)
5	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-IV)	ज्यादा आवाजाही सहित बड़ी धार्मिक सुविधाओं के लिए परिसर। (अर्थात् बड़ी धार्मिक सुविधा)

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.76 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां - अन्य-सामुदायिक सुविधाएं

क्रम सं.	उपयोग जोन		आर डी	पीएस 1		
	परिसर का उपयोग	रात्रि विश्राम गृह	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I)	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I)	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-III)	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप--IV)
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5
1	स्टाफ के लिए आवास		·	·	·	
2	होस्टल			·	·	
3	खुदरा दुकान (20 वर्ग मी. तक)		·	·	·	·
4	बैंक एक्सटेंशन काउंटर					·
5	प्रचारकों, भक्तों/प्रबंधन स्टाफ के लिए आवास (कुल एफएआर का अधिकतम 15%)					·
6	लंगर हॉल/किचन					·
7	प्रार्थना हॉल		✓			·
8	आडीटोरियम					·
9	संग्राहलय					·
10	म्यूजियम/आर्ट गैलरी/ प्रदर्शनी सेंटर					·
11	योग के लिए प्रशिक्षण केंद्र					·

12	आवासीय सुविधा के साथ देखरेख गृह			•		
13	स्वास्थ्य सुविधाएं/जिम			•		
14	डाइनिंग सुविधा			•	•	
15	कल्याण केंद्र			•		
16	रात्रि विश्राम गृह और संबंधित सुविधाएं	•				
17	मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा, यहूदी सभाघर (प्रार्थना भवन), आश्रम					•
18	स्नान घाट					•
19	गौशाला					•
20	दरगाह					•
21	चैरिटेबल स्वास्थ्य सुविधा					•
28	कैंटीन			•	•	•
29	रेस्टोरेंट					
30	निगरानी आवास (20 वर्ग मी. तक).			•		
32	एटीएम			•	•	
33	प्रशासन कार्यालय के लिए स्थान			•	•	
34	ध्यान/आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाए			•	•	
35	म्यूजिक और कला के अन्य रूप में प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं/स्टूडियो			•		

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.77 अन्य-सामुदायिक सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक							
1	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I)	2	400	40	100	12	ऊँचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अध्यधीन।
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100000 तक							
1	रैन वसेरा*	1	100	60	200		26 मी.
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 5000000 तक							
1	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-II)	**5**	1000	40%	120	18	ऊँचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।

शहरी स्तर जनसंख्या 2000000 तक							
1	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-III)	आवश्यकतानुसार	2000	40%	150	18	ऊँचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।
2	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-IV)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	30%	100	24	

अन्य नियंत्रण:

i. स्थानीय निकाय के मानदंडों के अनुसार धोबी घाटों/कपड़े धोने के लिए जगह आवासीय उपयोग क्षेत्र/पीएसपी सुविधा क्षेत्रों में प्रदान की जाएंगी। ऐसी स्थलों पर निम्नलिखित सुविधाओं की अनुमति होगी। ओवरहैड टैंक, अंडरग्राउण्ड टैंक, आक्सीडेंशन पॉड सैपटिक टैंक, सीवरेज पंम्पिंग स्टेंशन, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, विद्युत उप-केंद्र, डलाव और डस्टबिन, धोबीघाट, मशीन लाउंड्री।

ii. *नाइट शेल्टर का स्थान व्यावहारिक मांग/मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय अधिकारियों / जीएनसीटीडी द्वारा तय किया जाएगा। नाइट शेल्टर के भौगोलिक वितरण के लिए, प्रति प्रशासनिक इकाई जैसे राजस्व सब-डिवीजन या पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कम से कम एक नाइट शेल्टर बनाने की योजना के लिए मानदंड भी बनाए जाएंगे। नए प्रस्तावित निर्माणों में, भूतल पर व्यावसायिक स्थान और पहली मंजिल पर रैन बसेरे के साथ एकीकृत परिसर जैसी नवीन अवधारणाओं को अपनाकर; और मौजूदा भवनों में उपयुक्त संशोधनों के साथ रैन बसेरा बनाने की अनुमति होंगी। रेलवे, स्वास्थ्य, उद्योग, डीटीसी, पुलिस, आदि जैसी संबंधित एजेंसियों द्वारा,जहां व्यवहार्य हो, रेलवे के टर्मिनलों, बस टर्मिनलों, थोक/खुदरा बाजारों, फ्रेट कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशनों आदि में नाइट शेल्टर बनाए जा सकते हैं।

iii. **कामकाजी पुरुष-महिला छात्रावास स्थानों का निर्धारण कार्य/रोजगार केंद्रों की निकटता और मांग के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

iv. **आनुषांगिक उपयोग के लिए शर्तें:**

क. अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I) के मामले में सहायक/आनुषंगिक सुविधाएं अधिकतम 50 वर्ग मी. तक अनुमेय होंगी।

ख. अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-II और III) के मामले में सहायक/आनुषांगिक सुविधाएं अधिकतम 20% अनुमेय एफएआर तक अनुमत होंगी।

ग. अन्य सामुदायिक सुविधाएं (टाइप-IV) के मामले में सहायक/आनुषांगिक सुविधाएं अधिकतम 5% अनुमेय एफएआर तक अनुमत होंगी।

22.15.9 श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सिमेट्री

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.78 उपयोग परिसर एवं परिभाषा – श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सिमेट्री

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	कब्रिस्तान	परिसर में शवों को दफनाने की सुविधा है।
2	श्मशान भूमि	परिसर में शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करने की सुविधा है।
3	सिमेट्री	परिसर में शवों को दफनाने की सुविधा है।
4	विद्युत दाह गृह	परिसर में मृतक का अंतिम संस्कार करने की सुविधा है।
5	पशुओं के लिए दफन भूमि	परिसर में जानवरों को दफनाने की सुविधा है।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.79 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियाँ - श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सिमेट्री

क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस1				
	उपयोग परिसर / अनुमेय गतिविधियां	1	2	3	4	5
		दफन भूमि	श्मशान भूमि	कब्रिस्तान	विद्युत दाह गृह	जानवरों के लिए दफन भूमि
1.	अनुष्ठान करने के लिए शेड		✓	✓	✓	
2.	मौतों के पंजीकरण के लिए सुविधाएं	✓	✓	✓	✓	
3.	लकड़ी, फूलों और अन्य संबंधित सामग्री की खुदरा दुकानें	✓	✓	✓	✓	✓
4.	पेय जल	✓	✓	✓	✓	✓
5.	पार्किंग	✓	✓	✓	✓	✓
6.	वॉच एंड वार्ड रेजिडेंस (20 वर्गमीटर)	✓	✓	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.80 श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सिमेट्री

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
1	कब्रिस्तान	10 लाख जनसंख्या के लिए 1	10000	लागू नहीं	लागू नहीं	18	लागू नहीं
2	श्मशान भूमि	5 लाख जनसंख्या के लिए 1	5000	50%	100	18	ऊँचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।
3	सिमेट्री	10 लाख जनसंख्या के लिए 1	10000	लागू नहीं	लागू नहीं	18	लागू नहीं
4	विद्युत दाह गृह	5 लाख जनसंख्या के लिए 1	5000	50%	100	18	लागू नहीं
5	पशुओं के लिए दफन भूमि	10 लाख जनसंख्या के लिए 1	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	18	लागू नहीं
	अन्य नियंत्रण: i) श्मशान घाट के मामले में, शवदाहगृह (बेसिक / ग्रीन / गैसीफायर आधारित/ बिजली) के लिए प्रावधान तैयार किया जाएगा। मौजूदा श्मशान घाटों में, शवदाहगृह के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए।						

22.15.10 बहु-सुविधा प्लॉट

तालिका 22.81 बहु सुविधा भूखंड के लिए विकास नियंत्रण मानदंड

उपयोग परिसर	भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)	ग्राउंड कवरेज (अधिकतम)	एफएआर	मार्गाधिकार (मी.) (न्यूनतम)	ऊंचाई (मी.)	अनुमेय गतिविधियां
बहु सुविधा भूखंड	500	50%	200	18	ऊँचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।	**स्थानीय स्तर पर पीएसपी सुविधाओं का मिश्रण स्वास्थ्य, शिक्षा , सामाजिक सांसकृतिक अन्य सामुदायिक सुविधाएं, संचार सुविधाएं**
नोटः भूखंड पर कई सुविधा प्रदान करने के लिए, अधिकतम 2/3 बीयूए तक एकल फंक्शन करने की अनुमति होगी।						

22.15.11 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं / परिसर

ये मानदंड उन पीएसपी सुविधाओं / परिसरों के मामले में लागू होंगे, जिनके लिए विशिष्ट विकास नियंत्रण निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

1. अधिकतम ग्राउंड कवरेज 30%
2. अधिकतम फर्श क्षेत्र का अनुपात 120
3. अधिकतम ऊँचाई 26 मी.

नोटः

i. सरकारी भूमि आवास, एजेंसियों द्वारा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए भूखंडों के मामले में, अधिकतम 15% तक एफएआर, आवासीय छात्रावास आवास के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ii. दिमुयो-2021 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय पीएसपी सुविधाओं के साथ एक या एक से अधिक उपयोग के लिए छोटे पीएसपी भूखंडों को जोड़ने या बड़े पीएसपी भूखंडों के उप विभाजन की अनुमति दी जाती है।

22.16 उपयोग जोन में उपयोग परिसरों की अनुमति

लेआउट योजना के अनुमोदन या प्राधिकरण से प्राप्त विशेष अनुमति के मामले में, उपयोग जोन आरडी, सी1, सी2, एम, पीएस में चयनित उपयोग परिसर की अनुमति निम्नलिखित के अनुसार है:

तालिका 22.82 उपयोग जोन में उपयोग परिसरों की अनुमति

क्र.सं.	उपयोग परिसर	उपयोग जोन				
		आरडी	सी$_1$	सी$_2$	एम	पीएस
आरडी	**आवासीय**					
i.	आवासीय भूखंड – प्लॉटिड हाउसिंग	पी	पी**	एनपी	एनपी	एनपी
ii.	आवासीय भूखंड – ग्रुप हाउसिंग	पी	पी	एनपी	पी	पी

iii.	स्टूडियो अपार्टमेंट	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
iv.	निवास - सह - कार्य प्लॉट	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
v.	विदेशी मिशन	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
vi.	छात्रावास / वृद्धाश्रम	पी	पी	एनपी	पी	पी
vii.	अल्पावधि आवास - छात्रावास / अतिथि गृह / लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस / सराय / कामकाजी महिला-पुरुष छात्रावास, धर्मशाला और इसके समान / सेवा अपार्टमेंट	पी	पी	पी	पी	पी
viii.	बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल / बारात घर	पी	पी	एनपी	पी	पी
ix.	रैन बसेरा	पी	पी	पी	पी	पी
x.	सामुदायिक / मनोरंजन हॉल, पुस्तकालय, वाचनालय, सोसायटी कार्यालय, क्रेच और डे केयर सेंटर।	पी	पी	पी	पी	पी
xi.	राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह	पी	पी	पी	पी	पी
ग	**व्यावसायिक**					
i.	स्थानीय स्तर (सुविधा / स्थानीय शॉपिंग सेंटर)	पी	पी	पी	पी	पी
ii.	सिनेमा / मल्टीप्लेक्स	एनपी	पी	पी	पी*	एनपी
iii.	सेवा बाजार / अनौपचारिक बाजार	पी	पी	पी	पी	एनपी
iv.	थोक व्यापार	एनपी	पी	पी	एनपी	एनपी
v.	भंडार, गोदाम और भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और बर्फ कारखाने, गैस गोदाम।	एनपी	एनपी	पी	पी	एनपी
vi.	गेस्ट हाउस / लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस	पी	पी	पी	पी	पी
vii.	सर्विस अपार्टमेंट	एनपी	पी	पी	पी	पी
viii.	होटल	एनपी	पी	पी	पी	एनपी
पी	**मनोरंजनत्मक**					
i.	मनोरंजनत्मक (पार्क, प्ले ग्राउंड, स्विमिंग पूल) / स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स / स्टेडियम / एम्यूज़मेंट पार्क / मनोरंजन क्लब आदि।	पी	पी	पी	पी	पी
एम	**उद्योग**					
i.	औद्योगिक भूखंड, फ्लैटेड समूह उद्योग	एनपी	एनपी	एनपी	पी	एनपी
ii.	सेवा केंद्र और सेवा उद्योग	एनपी	पी	पी	पी	एनपी
टी	**परिवहन**					
i.	परिसंचरण (सड़क फर्नीचर, बस टर्मिनल, एमआरटीएस स्टेशन, पार्किंग आदि के साथ सड़क नेटवर्क)	पी	पी	पी	पी	पी
ii.	बस डिपो और वर्कशॉप	एनपी	एनपी	एनपी	पी	एनपी

iii.	निजी साधनों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग	एनपी	पी	पी	पी	पी
जी	**सरकार**					
i.	स्थानीय / सरकारी रखरखाव कार्यालय	पी	पी	पी	पी	पी
ii.	उपयोगिता सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों के कार्यालय	पी	पी	पी	पी	पी
iii.	सरकारी कार्यालय (केंद्रीय / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय), एकीकृत कार्यालय परिसर	एनपी	पी	पी	पी	पी
iv.	जिला न्यायालय / परिवार न्यायालय	एनपी	पी	पी	पी	पी
पीएस1	**सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं**					
स्वास्थ्य						
i.	अस्पताल (0.2 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर)	पी	पी	एनपी	पी	पी
ii.	तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र	पी	पी	एनपी	पी	पी
iii.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / परिवार कल्याण केंद्र / मातृत्व गृह / औषधालय आदि, शिशु चिकित्सा केंद्र / जराचिकित्सा केंद्र, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं, विस्तारित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (जैसे संक्रमण-घर, श्वसन देखभाल केंद्र, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, छोटे स्वास्थ्य केंद्र), नशामुक्ति केंद्र	पी	पी	एनपी	पी	पी
iv.	नर्सिंग होम / पॉली क्लिनिक / क्लिनिक / नैदानिक प्रयोगशाला आदि।	पी	पी	एनपी	पी*	पी
v.	पशुओं और जानवरों के लिए औषधालय	पी	पी	पी	पी	पी
शिक्षा						
i.	प्राथमिक विद्यालय / माध्यमिक विद्यालय, पूर्व-प्राथमिक / नर्सरी / मोंटेसरी स्कूल,	पी	एनपी	एनपी	एनपी	पी
ii.	क्रेच और डे केयर सेंटर, आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल	पी	पी	पी	पी	पी
iii.	सीनियर सेकेंडरी स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	पी
iv.	मानसिक रूप से विक्लांग / निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	पी
v.	तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई / पॉलिटेक्निक / व्यावसायिक / प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आदि), कौशल केंद्र	पी	पी	एनपी	पी	पी
vi.	अनुसंधान और विकास केंद्र	एनपी	पी	एनपी	पी	पी
सुविधाएँ						
i.	बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड, दूध / सब्जी बूथ, धार्मिक परिसर, वेंडिंग बूथ, पेट्रोल / सीएनजी फिलिंग पंप, मनोरंजक क्लब, पुलिस चौकी, पुलिस पोस्ट, पुलिस स्टेशन, फायर पोस्ट, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ कार्यालय और टेलीफोन	पी	पी	पी	पी	पी

	एक्सचेंज।					
ii.	निःशक्तजन और मानसिक रूप से विकलांग के लिए देखभाल केंद्र, अनाथालय / बच्चों के केंद्र, वरिष्ठ नागरिकों के क्लब।	पी	एनपी	एनपी	पी	पी

पीः अनुमति

पी*: केवल व्यावसायिक केंद्रों में अनुमति

एनपीः अनुमति नहीं

पी**: मिश्रित उपयोग / विशेष क्षेत्र विनियमों के अनुसार विशेष अनुमति

नोटः

1. सभी उपयोग क्षेत्रों में पार्क, ओपन पार्किंग, सर्कुलेशन और सार्वजनिक उपयोगिताओं / सुविधा की अनुमति ।
2. इन उपयोग जोनों में उपयोग परिसर की अनुमति उपयोग क्षेत्र में विशिष्ट कार्य द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
   - क. सी3- होटल,
   - ख. पी3- ऐतिहासिक स्मारक,
   - ग. टी1- एयरपोर्ट,
   - घ. टी2- टर्मिनल / डिपो - रेल / एमआरटीएस / बस / ट्रक,
   - ङ. टी3- परिचालन - रेल / एमआरटीएस / सड़क,
   - च. यू1- जल, यू2-सीवरेज, यू3-बिजली, यू4-ठोस अपशिष्ट, यू5-नाली,
   - छ. जी1- राष्ट्रपति संपदा और संसद भवन,
   - ज. जी3-सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग),
   - झ. पीएस-श्मशान और दफन भूमि, धार्मिक,
   - ञ. हरित विकास क्षेत्र
   - ट. डब्ल्यू2 – नदी और नदी बाढ़ के मैदान।

22.17 अन्य विकास कोड

प्रत्येक उपयोग परिसर के लिए, निम्नलिखित डीसीएन लागू होंगे। जहां भी, इस योजना अथवा इस भाग में डीसीएन का उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रीय भवन संहिता को संदर्भित किया जाएगा।

22.15.1 हाई राइज बिल्डिंग

i. सभी उपयोग जोनों में 15 मीटर (बिना स्टिल्ट) और 17.5 मीटर (स्टिल्ट सहित) से अधिक ऊंचे भवनों को ऊंचे भवन माना जाएगा।

ii. स्टिल्ट फ्लोर में स्टैक-पार्किंग के प्रावधान के मामले में, स्टिल्ट फ्लोर के लिए न्यूनतम 2.4 मीटर ऊंचाई में ढील दी जा सकती है। हालांकि, स्टैक पार्किंग के मामले में, ऊंचाई डिजाइन और संरचनात्मक सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार होगी।

iii. संबंधित एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से भवन के रखरखाव के लिए आवश्यक उपकरणों और सेवाओं की संस्थापना के लिए सविराम सर्विस फ्लोर की अनुमति दी जाएगी और इसे एफएआर में नहीं गिना जाना चाहिए। संरचनागत ढाँचों की गहराई, जल भंडार, अन्य उपकरण आदि उपलब्ध कराने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता के आधार पर सर्विस फ्लोर की ऊंचाई का निर्णय किया जाएगा । किसी भी बीम के निचले तल से निचली ऊंचाई, फाल्स फ्लोर को छोड़कर, यदि कोई हो, पक्के फर्श स्तर से 1.8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iv. स्थानीय निकायों / विभागों, संबंधित नगर निगम और अग्निशमन विभाग से मंजूरी के अधीन सेटबैक सीमा रेखाओं के भीतर बेसमेंट की अनुमति दी जाएगी। जहां कोई सेटबैक नहीं हैं, बेसमेंट की 2 मीटर तक की अनुमति जाएगी और जहां सेटबैक है, यह भूखण्ड की चारदीवार से 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।

v. अग्निशमन विभाग से स्वीकृति के अधीन सैटबैक सीमा रेखाओं के भीतर पोडियम(यों) की अनुमति दी जाएगी। इस पोडियम के भीतर वाहनों की आवाजाही और पार्किंग प्रतिबंधित होगी। स्विमिंग पूल, भूदृश्य, और संबंधित संरचनाओं जैसे उपयोगों के लिए रूपटॉप की अनुमति होगी।

vi. खंड 22.16.3 के अनुसार तहखाने के लिए अन्य शर्तें होंगी।

22.15.2 सेटबैकः

योजना में निर्धारित आवासीय प्लॉटेड और विशिष्ट निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी प्रकार के विकास के लिए तालिका 22.81 के अनुसार न्यूनतम सैटबेक उपलब्ध कराया जाएगा।

तालिका 22.83 न्यूनतम सेटबैक (आवासीय प्लॉटेड विकास के अलावा)

प्लॉट का आकार (वर्गमीटर में)	न्यूनतम सेटबैक			
	सामने (मी.)	पीछे (मी.)	साइड (मी.) (1)	साइड (मी.) (2)
60 तक	0	0	0	0
60 से अधिक 150 तक	3	1.5 (औसत)	-	-
150 से अधिक 300 तक	4	2 (औसत)	-	-
300 से अधिक 500 तक	4	3	3	-
500 से अधिक 2,000 तक	6	3	3	3
2,000 से अधिक 10,000 तक	9	6	6	6
10,000 से अधिक	15	12	12	12

नोटः

i. यदि उपर्युक्त दिए गए सैटबेक से स्वीकार्य कवरेज प्राप्त नहीं होता है, तो पूर्ववर्ती श्रेणी के सैटबेक की अनुमति दी जाएगी।

ii. ये सैटबेक, भवन उपनियमों के अनुसार ऊंचाई और वातायन की आवश्यकताओं के अधीन हैं।

iii. यदि कोई लेआउट, न्यूनतम निर्धारित सेटबैक से अधिक के साथ स्वीकृत किया जाता है, तो भवन योजनाओं की मंजूरी में इनका पालन किया जाएगा।

iv. दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति विशेष परिस्थितियों में सैटबेक, भूमि कवरेज और ऊंचाई में ढील दे सकती है।

v. जहां भी भूखंड के भीतर ईएसएस प्रदान करने की आवश्यकता होगी, साइड/रियर सेटबैक को स्थानांतरित कर

इसकी व्यावस्था करने की अनुमति होगी।

22.15.3 बेसमेंटः

i. संबंधित एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से, पार्किंग और आवश्यक सुविधाओं, जैसे एयर कंडीशनिंग प्लांट और उपकरण, जल भंडारण, बॉयलर, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन एचटी और एलटी पैनल कक्ष, ट्रांसफार्मर कम्पार्टमेंट, नियंत्रण कक्ष, पंप हाउस, जनरेटर कक्ष और अन्य यांत्रिक सेवाओं और बिजली और अग्निशमन उपकरणों की स्थापना, और भवन के रखरखाव के लिए अपेक्षित अन्य सेवाओं के साथ अधिकतम समकक्ष सैटबैक लाईन तक बेसमेंट की अनुमति दी जा सकती है और एफएआर में इसकी गणना नहीं की जाएगी।

ii. आवासीय उपयोग के मामले में, बेसमेंट को एफएआर में नहीं गिना जाएगा यदि इसे घरेलू भंडारण और पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। बेसमेंट की गणना एफएआर में की जाएगी यदि यह अनुमेय मिश्रित-उपयोग गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बेसमेंट के ऐसे उपयोग से भूखण्ड पर अनुमेय एफएआर अधिक हो जाता है, तो सरकार के अनुमोदन से अतिरिक्त एफएआर पर निर्धारित उपयुक्त शुल्क वसूला जाएगा।

iii. होटलों के मामले में, लौंड्री, खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए शीतकक्ष, लिनन भंडार, कचराघर, हाउसकीपिंग स्टोर और शीत भंडारण के लिए बेसमेंट के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

iv. हेल्थकेयर सुविधाओं के मामले में, संबंधित एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से पार्किंग; आवश्यक सेवाओं जैसे एयर कंडीशनिंग प्लांट और उपकरण, पानी का भंडारण, बॉयलर, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, एचटी एंड एलटी पैनल कक्ष, ट्रांसफार्मर कम्पार्टमेंट, नियंत्रण कक्ष, पंप हाउस, जनरेटर कक्ष; स्टाफ लॉकर कक्ष, स्टाफ चेंजिंग रूम, रसोईघर की सुविधा के बिना स्टाफ डाइनिंग सुविधाओं, सेंट्रल स्टेराइल आपूर्ति विभाग, बैक एंड ऑफिस; अन्य यांत्रिक सेवाओं; विद्युत और अग्निशमन उपकरणों की स्थापना; और अन्य सेवाओं जैसे कि रसोईघर, लौंड्री और रेडियोलॉजी लैब और भवन के रखरखाव / संचालन करने के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक सेवाओं के उपयोग के बाद बेसमेंट का स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

v. ऊंची इमारतों के मामले में, संबंधित प्राधिकरणों से मंजूरी के अधीन सैटबेक लाइनों के भीतर भूखण्ड की चारदीवारी से 6 मी. तक बेसमेंट की अनुमति होगी।

vi. भवन की लाइन से बाहर बेसमेंट (बेसमेंटों) को जमीन के साथ फ्लश रखा जाएगा और वातायन के यांत्रिक साधनों से हवादार रखा जाएगा।

vii. बेसमेंट (बेसमेंटों) को इस प्रकार डिजाईन किया जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पर ये अग्नि शमन वाहन का पूरा भार उठा सकें, और इनमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था हो।

viii. यदि बेसमेंट उपयोग परिसरों के अनुरूप गतिविधि जहां अनुमत हो, के लिए उपयोग किया जाता है, इसे अग्निशमन प्राधिकरणों और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन एफएआर में गिना जाएगा।

ix. ईएसएस, अग्निशमन संस्थापनाओं और भूमिगत पानी की टंकी को न तो भूमि कवरेज में और न ही एफएआर में गिना जाएगा।

22.15.4 सर्विस प्लान

डेवलपिंग एजेंसी को 3000 वर्गमीटर और उससे अधिक आकार के भूखंडों की लेआउट योजनाओं (प्लानों) में निम्नलिखित की व्यवस्था करनी चाहिए:

i. शोधित अपशिष्ट जल का पुनचक्रण जिसमें पेयजल और पुनचक्रीत जल के लिए अलग-अलग लाइनें हों। दोहरी पाइपिंग प्रणाली शुरू की जाए।

ii. वर्षा जल संचयन, जल निकायों के संरक्षण के माध्यम से भूजल पुनर्भरण और भूजल को निकालने को विनियमित करना।

iii. शोधित सीवेज अपवाह का पीने से इतर उपयोग जैसे बागवानी, वाहनों की धुलाई, टावरों को ठंडा करने, इत्यादि के लिए पुनचक्रण किया जाना चाहिए।

iv. भूखंड के भीतर भूमिगत जल भंडारण टैंक, रूफ टॉप जल संग्रहण प्रणाली, सूखे और गीले अलग-अलग डस्टबिन आदि जैसी जन उपयोगिता सेवाओं की व्यवस्था की जाए।

v. सभी अस्पतालों, व्यावसायिक, औद्योगिक, होटल, रेस्तरां, ऑटो वर्कशॉपों आदि में भूखंड के भीतर प्राथमिक अपशिष्ट शोधन की व्यवस्था करनी होगी।

vi. ईएसएस और जनरेटर की व्यवस्था करने और ऊर्जा की खपत प्रस्तुत करने के लिए, भवन योजनाओं की मंजूरी के समय लेखा परीक्षा प्रस्तुत की जाएगी।

vii. भवनों को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए भवन में खोखली दीवारों, प्रांगण, छायादार उपकरणों के प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

viii. 300 वर्गमीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल की छत वाले सभी भूखंडों पर सौर ताप प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

ix. उपरोक्त को प्रोत्साहित करने के लिए, स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रावधानों के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक पर 1% से 4% अतिरिक्त भूमि कवरेज और एफएआर दिया जाए। विशेष मामलों में 5% प्रोत्साहन की अनुमति दी जाएगी।

x. ये प्रोत्साहन हरित भवनों के लिए 'ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट'(गृह) द्वारा निर्धारित रेटिंग मानदंडों पर आधारित होंगे।

xi. यदि दखल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद उपर्युक्त का पालन नहीं किया जाता, भू-स्वामी एजेंसी द्वारा प्रोत्साहन एफएआर के लिए बाजार दर पर जुर्माना लगाया जाएगा।

उपरोक्त के प्रवर्तन के लिए विनियम पर्यावरण विभाग, जीएनसीटीडी के परामर्श से निदेशक, स्थानीय स्व-सरकार, जीएनसीटीडी द्वारा छह माह (संशोधनों की अधिसूचना के बाद) के भीतर विनियम तैयार किए जाएंगे और प्राधिकरण / केंद्र सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित किए जाएंगे।

22.15.5 उपयोग परिसरों के भीतर भवन नियंत्रण के लिए विनियम

इन विनियमों का उद्देश्य आंतरिक व्यवस्था को छोड़कर उपयोग परिसर के भीतर भवन(नों) के लिए नियंत्रण प्रदान करना है, जो भवन उपनियम में कवर किए गए हैं।

सामान्य टिप्पणियां:

i. जहां किसी उपयोग परिसर के लिए विकास नियंत्रण निर्धारित नहीं हैं, प्राधिकरण द्वारा इनका निर्धारण किया जा सकता है।

ii. मेजेनाइन फ्लोर और सर्विस फ्लोर को, जहां भी प्रदान किए जाते हैं, कुल एफएआर का हिस्सा माना जाएगा। यदि सभी उपयोग जोनों में भवन की ऊंचाई 26 मीटर या उससे अधिक है, दिविप्रा की तकनीकी समिति विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित की अनुमति दे सकती है:

क) स्टिल्ट फ्लोर या बेसमेंट में स्टैक-पार्किंग के प्रावधान के मामले में, न्यूनतम ऊंचाई 2.4 मीटर होनी चाहिए।

ख) संबंधित एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से भवन के रखरखाव के लिए आवश्यक उपकरणों और सेवाओं की संस्थापना के लिए आंतरायिक सर्विस फ्लोर की अनुमति दी जा सकती है और इसे एफएआर में नहीं गिना जाएगा। सर्विस फ्लोर की ऊंचाई का निर्णय संरचनात्मक ढांचों की गहराई, जलभंडारण, अन्य उपकरणों आदि को प्रदान करने के लिए अपेक्षित ऊंचाई के आधार पर किया जाएगा। भवन में सर्विस फ्लोर की ऊंचाई 1.8 मीटर तक सीमित होगी।

iii. यदि भवन का निर्माण गैर-रहने योग्य ऊंचाई (2.4 मीटर) के स्टिल्ट क्षेत्र के साथ किया जाता है और पार्किंग, भूदृश्यांकन आदि के लिए इसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, स्टिल्ट फ्लोर को एफएआर में शामिल नहीं किया जाएगा।

iv. जहां भी विभिन्न श्रेणियों के भूखंडों के लिए भवन विनियम दिए गए हों, कवर एरिया और फ्लोर एरिया किसी भी मामले में पूर्ववर्ती श्रेणी में सबसे बड़े भूखंड के लिए क्रमशः अनुमत कवर एरिया और फ्लोर एरिया से कम नहीं होगा।

v. 'आवासीय भूखण्ड - प्लॉटेड हाउसिंग' को छोड़कर, 1000 वर्गमीटर और उससे अधिक आकार के सभी भूखंडों के मामले में, व्यवस्था के अनुसार प्रांगण की अनुमति दी जाएगी- प्रांगण उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि प्रांगण के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।

22.15.6 आवासीय उपयोग परिसरों के भीतर गैर-आवासीय उपयोग के लिए मानदंड

i. आवासीय उपयोग परिसर के भीतर तीन प्रकार की गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति दी जाएगीः

क. प्रोफेशनल गतिविधियाँ

ख. अन्य गतिविधियाँ - व्यावसायिक और पीएसपी का उपयोग

ग. घरेलू उद्योग

ii. लुटियंस बंगला जोन, सिविल लाइंस बंगला जोन, सरकारी आवास, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के संस्थागत / कर्मचारी आवास और धरोहर संरक्षण समिति द्वारा अधिसूचित और धरोहर भवनों/परिसरों के लिए धरोहर संरक्षण समिती/सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही गैर आवासीय प्रयोग की अनुमति दी जाएगी।

iii. **मिश्रित उपयोग क्षेत्र/सड़कों को चिह्नित करना:**

निम्नलिखित सड़कों/क्षेत्रों को इस खंड के प्रयोजन हेतु मिश्रित उपयोग क्षेत्र/सड़क और कमर्शियल सड़कों के रूप में समझा जाएगा:

क. सक्षम प्राधिकारी द्वारा मिश्रित उपयोग सड़क या कर्मिशयल सड़क के रूप में पहले से अधिसूचित सभी सड़क और स्ट्रेच (क्षेत्र विस्तार)

ख. आवासीय क्षेत्र और सड़क/कमिर्शियल क्षेत्र/सड़क के रूप में पहले घोषित स्ट्रेच (क्षेत्र विस्तार) या जहां मुख्य योजना दिल्ली एनपीडी 1962 में कर्मिशयल उपयोग अनुमत था, को उस सीमा तक जो एमपीडी-1962 के अनुसार अनुमेय थी, जारी रहेंगे।

ग. उनके दस्तावेजी साक्ष्य के अध्याधीन आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पूर्व मौजूद कमर्शियल गतिविधियां।

घ. 1962 पूर्व कालोनियों में प्लॉटिड विकास को इस अध्याय के प्रयोजन हेतु उनकी संबंधित श्रेणियों (ए से जी) में पुनर्वास कालोनियों के रूप में समझा जाएगा।

ङ. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना की प्रक्रियाधीन कोई सड़क/स्ट्रेच या जहां यह मामला अधिसूचना प्रक्रिया के पूरा होने पर वर्तमान में निर्णयाधीन है।

च. पहले चिह्नित सड़कों के अलावा किसी नई सड़क को मिश्रित उपयोग/कमर्शियल उपयोग सड़क के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

छ. दिल्ली मुख्य योजना-21 के तहत मिश्रित उपयोग के लिए यथा अनुमोदित सभी मौजूदा भू-खंडों और उपयोगों को अनुमोदित शर्तों के अनुसार जारी रखने की अनुमति होगी।

iv. प्रोफेशनल गतिविधियाँ:

प्रोफेशनल गतिविधियों से आशय उन गतिविधियों से है, जिनमें व्यावसायिक कौशल नामत: डॉक्टर, वकील, वास्तुकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत और निर्माण कार्य लेखाकार, इंजीनियर, टाउन प्लानर, मीडिया प्रोफेशनल्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मैनेजमेंट* प्रोफेशनल और डायटीशियन / न्यूट्रिशनिस्ट्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। सभी आवासीय उपयोग परिसरों (प्लॉटेड विकास और ग्रुप हाऊसिंग) में इनकी अनुमति दी जाएगी।

प्रोफेशनल गतिविधि निम्नलिखित में स्वीकार्य है :

क. ग्रुप हाऊसिंग और एकाधिक आवासीय इकाईयों वाले प्लॉटेड विकास में, किसी भी तल पर प्रत्येक आवासीय इकाई के अनुमेय अथवा स्वीकृत एफएआर, जो भी कम हो, के अधिकतम 50% के अधीन प्रोफेशनल गतिविधि अनुमत होगी।

ख. एकल आवासीय इकाई वाले प्लाटेड विकास के मामले में, प्रोफेशनल गतिविधि केवल किसी एक मंजिल पर ही अनुमेय होगी, लेकिन यह उस प्लॉट पर अनुमत अथवा स्वीकृत एफ ए आर , जो भी कम हो, के 50% से कम तक प्रतिबंधित होगी ।

ग. प्लॉटेड विकास में निर्माण उप-कानूनों, संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों और अग्नि शमन सुरक्षा मंजूरी के संबद्ध प्रावधानों के अधीन बेसमेंट में प्रोफेशनल गतिविधि अनुमत है। यदि बेसमेंट का प्रोफेशनल गतिविधि के लिए उपयोग भूखण्ड पर अनुमेय एफएआर से अधिक हो जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त एफएआर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित शुल्क के भुगतान के अधीन किया जाएगा।

घ. आवासीय इकाई को मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए संबंधित एजेंसियों से सभी आवश्यक लाइसेंस, अनुमति और मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

v. घरेलू उद्योग

औद्योगिक गतिविधियों (अनुलग्नक-4 में सूचीबद्ध) निम्नलिखित शर्तों के अनुसार सभी आवासीय उपयोग परिसरों में घरेलू उद्योगों के रूप में अनुमति दी जाएगी।

क. कामगारों की अधिकतम संख्या-9

ख. अधिकतम विद्युत भार (पावर लोड): 11 किलो वाट

ग. परिसर के भीतर किसी ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थ को नहीं रखा जाएगा।

घ. आवासीय इकाई के 50% अनुमेय तल क्षेत्र की सीमा तक किसी तल पर घरेलू आद्योगिक इकाई की अनुमति होगी। बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

ङ. अलग औद्योगिक इलैक्ट्रिक कनैक्शन (सिंगल फेज) और नगर निगम लाइसेंस संबंधित प्राधिकारियों से प्रापत किया जाएगा।

च. आवासीय क्षेत्रों में एनोडाइज करने, ब्लीच करने, कोयला जलाने, डिब्बाबंद सुविधा, इाइ करने, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, मोल्डिंग कार्य, सीएफसी गैस के उपयोग, वार्निश करने, धुलाई करने और अन्य अधिक जल उपयोग वाली प्रक्रियाओं जैसे कार्यों को करने की अनुमति नहीं होगी।

vi. मिश्रित उपयोग में व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों की अनुमति

क. व्यावसायिक गतिविधियाँ

तालिका 22.84 चिन्हित मिश्रित उपयोग क्षेत्रों / सड़कों और व्यावसायिक सड़कों में अनुमत गतिविधियों के प्रकार

गतिविधियाँ	अनुमत उपयोगों के प्रकार	अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों के मामले में	अधिसूचित व्यावसायिक सड़कों के मामले में
व्यावसायिक	- खुदरा दुकान, मरम्मत की दुकान, कार्मिक सेवा की दुकान - कार्यालय - रेस्टोरेंट	अनुमत भूमि कवरेज तक संपूर्ण भूतल।	क. एफएआर के 100% तक अनुमत ख. एलएससी में अनुमत सभी उपयोगों की अनुमति दी जाएगी ग. बैंक्वेट हॉल की भी अनुमति होगी

नोट:

i. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी:

क. भवन निर्माण सामग्री (टिम्बर, टिम्बर से बने उत्पाद (फर्नीचर को छोड़कर) मार्बल लोह और इस्पात (बजरी, सीमेंट और बालू रेत 2), ईंधन कोयला और कोई आग पकड़ने वाले पदार्थ और अन्य भारी सामग्री की खुदरा दुकाने (रिटेल शॉप)

ख. ऑटो मोबाइल, टायर रीसोलिंग और री-ट्रेयडिंग और बैटरी चार्ज करने की मरम्मत शॉप/वर्कशॉप।

ग. भंडारण, गोदाम और वेअर हाउसिंग)

घ. जंक शॉप (सिवाए पेपर और ग्लास वेस्ट को छोड़कर)

ङ. शराब की दुकान

च. प्रिंटिंग डाईंग और वार्निशिंग

छ. कोई अन्य गतिविधि जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

ii. 24 मीटर और उससे अधिक मार्गाधिकार वाली मिश्रित- उपयोग अथवा व्यावसायिक अधिसूचित सड़कों पर

- परिष्कृत निर्माण सामग्री (बजरी, रेत और सीमेंट सहित) की दुकानों को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब कोई कटिंग और पॉलिशिंग गतिविधि नहीं की जाती है। अधिकतम 50% भूमि कवरेज वाले न्यूनतम 100 वर्गमीटर के भूखंडों पर इनकी अनुमति दी जाएगी।
- ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानों और वर्कशॉपों को 30 मीटर या उससे अधिक मार्गाधिकार पर अनुमति दी जाएगी।

दि.वि.प्रा. के फ्लैटों के मामले में, अधिसूचित सड़कों पर फ्लैटों के पूरे भूतल को निम्नानुसार अनुमति दी जाएगी:

- केवल एक छोटी दुकान- अधिकतम 20 वर्गमीटर क्षेत्र की अनुमति होगी।
- फ्लैटों को मिलाने की अनुमति नहीं होगी।

यदि गैर-आवासीय गतिविधियों के लिए बेसमेंट का उपयोग प्लॉट पर अनुमेय एफएआर से अधिक हो जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त एफएआर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

ख. **अन्य गतिविधियां**

मोटे तौर पर निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार और निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार की सड़कों के आसपास के भूखंडों पर "अन्य गतिविधि" 'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक' सुविधाओं की प्रकृति की होती है।
आवासीय भूखंडों में अनुमेय अन्य गतिविधियों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, चाहे सड़क को मिश्रित उपयोग वाली सड़क के रूप में अधिसूचित किया गया हो अथवा नहीं:

i. क, ख, ग और घ कालोनियों में, न्यूनतम 200 वर्ग मीटर वाले भूखंडों पर और ड, च, छ कालोनियों में न्यूनतम 75 वर्ग मीटर भूखंडों पर सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। न्यूनतम मार्गाधिकार इस प्रकार होगाः

तालिका 22.85 अन्य गतिविधियों के लिए न्यूनतम मार्गाधिकार शर्तें

कॉलोनी के प्रकार	**शर्त**
ए और बी कॉलोनियाँ	केवल 24 मी. और उससे अधिक मार्गाधिकार पर
सी और डी कॉलोनियाँ	नियमित आवासीय प्लॉटेड विकास में, केवल 24 मी. या उससे अधिक मार्गाधिकार, पुनर्वास कॉलोनियों और नियमित-अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, मार्गाधिकार और शहरी गाँवों में 9 मीटर मार्गाधिकार ।
ई, एफ और जी कॉलोनियाँ	नियमित आवासीय प्लॉटेड विकास में, केवल 13.5 मी. या उससे अधिक मार्गाधिकार, पुनर्वास कॉलोनियों और नियमित-अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, एओडब्ल्यूसी और शहरी गाँवों में 9 मीटर मार्गाधिकार ।
नोटः दि.मु.यो.-21 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रकार की कॉलोनियों (मौजूदा मुख्य योजना की अधिसूचना से पहले) में स्वीकृत किसी भी मौजूदा उपयोग की अनुमति देना जारी रहेगा ।	

ii अन्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

तालिका 22.86 चिन्हित मिश्रित उपयोग क्षेत्रों / सड़को और व्यावसायिक सड़को में अनुमत अन्य गतिविधियाँ

अन्य गतिविधियां	**अनुमत उपयोगों के प्रकार**	**अन्य शर्त**
पीएसपी	• बैंक • औषधालय, क्लिनिक, क्लिनिकल प्रयोगशाला, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, छोटे संग्रह केंद्र, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम / पॉलीक्लिनिक • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, परिवार कल्याण केंद्र	क. अनुमेय एफएआर का अधिकतम 2/3 भाग उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, बैंक 600 वर्ग मीटर तक सीमित रहेगा। ख. 24 मी. मार्गाधिकार / अधिसूचित मिश्रित उपयोग / व्यावसायिक सड़क से सटे भू खंडों पर सभी गतिविधियाँ अनुमत एफएआर के 100% तक स्वीकार्य होंगी । ग. बैंक लॉकर यदि मौजूदा बैंक का भाग हैं तो

	शिशु चिकित्सा केंद्र / जराचिकित्सा(जेरियाट्रिक) केंद्र ,डॉयोग्नोस्टिक केंद्र, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। • स्वस्थता केन्द्र जिसमें डे स्पा/वजन घटाने वाले केन्द्र/आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने वाले आयुर्वेदिक केन्द्र/फिटनेस और सौंदर्य चिकित्सा सेवाओं की पेशकश करने वाले सैलून शामिल हैं। • प्री-प्राइमरी / नर्सरी / मोंटेसरी स्कूल; प्ले स्कूल • क्रेच और डे केयर सेंटर • कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान • व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, कौशल केंद्र, कोचिंग केंद्र, • वरिष्ठ नागरिकों की बैठक कक्ष, बैंक्वेट हॉल, इनडोर खेल सुविधाएं, फिटनेस सेंटर और जिम • अतिथि गृह (लोजिंग हाउस सहित) कमरों की संख्या के बिना।	उनकों उन्हीं परिसरों में संबंधित बेंसमेंट में अनुमति होगी। घ. क एवं ख कॉलोनियों में निम्नलिखित की अनुमति होगी। • गेस्ट हाउस (लॉजिंग हाउस सहित) • नैदानिक केंद्र • प्रसुति गृह,नर्सिंग होम/पॉली क्लीनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, जेरिएटिक केंद्र,विस्तार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (जैसे-ट्रांजिंशन होम, रिसपाइट केयर सेंटर, विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के विशेष सुविधाएं। • प्री-प्राइमरी / नर्सरी, मॉन्टेसरी / क्रेच / डे केयर के उपयोग की अनुमति होगी। • बैंकों , गैर सरकारी संगठनों फिटनेस सेंटर और स्वस्थता केंद्रों को एमपीडी-2021. के प्रावधानों के अनुसार अनुमति होगी। ङ. बेसमेंट में प्री-प्राइमरी/नर्सरी, मॉन्टेसरी/ क्रेच / डे केयर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। च. 24 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़कों पर न्यूनतम 1000 वर्गमीटर क्षेत्र वाले भूखंडों पर स्किलिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के लिए उपयोग की अनुमति दी जाएगी। छ. 24 मीटर और उससे अधिक मार्गाधिकार पर ही बैंक्वेट हॉल की अनुमति दी जाएगी। ये बेसमेंट और भूतल तक प्रतिबंधित रहेंगे। ज. स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, आवासीय क्षेत्रों में विकिरण (रेडिएशन) आधारितधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। झ. 07.02.2007 को मौजूद और लागू अधिनियमों के तहत पंजीकृत केवल गैर-लाभकारी संगठनों / गैर सरकारी संगठनों का संचालन जारी रह सकता है। ञ. अधिसूचना की तारीख पर या उससे पहले मौजूद केवल उपयुक्त वैध लाइसेंसधारक और सभी वैधानिक मंजूरियों वाले भूतल पर स्थित रेस्तरों को ही अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों पर अनुमति दी जाएगी ।

viii. चारदीवारी शहर तथा सांस्कृतिक परिसीमाओं में मिश्रित उपयोग के अधीन व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों की अनुमेयता

तालिका 22.87 चारदीवारी शहर तथा सांस्कृतिक परिसीमाओं के भाग के रूप में चिन्हित भूखंडों के लिए लागू मानदंड

अनुमत उपयोग के प्रकार	मार्गाधिकार की आवश्यकता	न्यूनतम भूखंड का आकार
छोटी दुकानें	कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं	कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं अधिकतम 1 यूनिट प्रति भूखंड
खुदरा दुकान, मरम्मत की दुकान, कार्मिक सेवा की दुकान, कार्यालय और रेस्तरां)	न्यूनतम 6 मीटर मार्गाधिकार	75 वर्ग मी
• औषधालय, क्लिनिक, क्लिनिकल प्रयोगशाला, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, छोटे संग्रह केंद्र, • प्रसूति गृह • नर्सिंग होम / पॉलीक्लिनिक • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र • परिवार कल्याण केंद्र • शिशु चिकित्सा केंद्र / जेरियाट्रिक केंद्र • डायग्नोस्टिक सेंटर • प्री-प्राइमरी / नर्सरी / मोंटेसरी स्कूल; प्ले स्कूल • क्रेच और डे केयर सेंटर • कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान • वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किलिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर • वाचनालय / पुस्तकालय, युवा केंद्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठक कक्ष, ध्यान /आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं, बैंक्वेट हॉल, इनडोर खेल सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्र और जिम, लघु धार्मिक सुविधा, डाकघर काउंटर	न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार	75 वर्ग मी

ix. ग्रुप हाउसिंग में गैर-आवासीय गतिविधियाँ

ले-आउट प्लान में विशेष रूप से उपबंधित ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के मामले में, अनुमत एफएआर अथवा 1000 वर्गमीटर जो भी कम हो, छोटी दुकान और खुदरा दुकान, मरम्मत की दुकान, कार्मिक सेवा की दुकान का उपयोग के अधिकतम 1.5% तक की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली छोटी दुकानों की इकाइयों के प्रावधान के लिए ऐसी एफएआर का कम से कम 50% अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक 20 वर्गमीटर की न्यूनतम 4 दुकानें प्रदान की जाएंगी। इस तरह के उपयोग ऊर्ध्वाधर मिश्रण या भूखंड के भीतर अलग ब्लॉक के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं।

x. आवासीय विकास के भीतर सभी गैर-आवासीय गतिविधियों पर लागू अतिरिक्त मानदंड:

क. डीसीएन, जैसा कि विशेष आवासीय उपयोग के लिए लागू होता है, इस हेतु लागू होना जारी रहेगा भले ही भूखंड/आवासीय इकाई को मिश्रित उपयोग में रखा गया हो।

ख. प्लॉटेड हाउसिंग भूखंडों में चारदीवारी मुख्य पहुंच सड़क के साथ वैकल्पिक होगी। स्टिल्ट पार्किंग वाले भूखंडों में, दुकान अग्रभाग और अन्य अनुमत मिश्रित उपयोग गतिविधियों को प्रदान करके सक्रिय फ्रंटेज को बनाए रखा जाएगा। ऐसी दुकानों की एफएआर के तहत गणना की जाएगी।

ग. जहां भी सर्विस सड़क उपलब्ध है अथवा प्रस्तावित है, तो मिश्रित उपयोग परिसर को ऐसी सर्विस सड़क से पहुंच प्रदान की जाएगी, न कि सीधे मुख्य कैरिजवे सड़क से।

घ. सड़कों अथवा सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ङ. किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, खतरनाक, ज्वलनशील, गैर-संगत और प्रदूषणकारी पदार्थ या प्रक्रिया से जुड़े किसी भी व्यापार या गतिविधि की अनुमत नहीं दी जाएगी।

च. लागू प्रभार निम्नानुसार होंगे:

- गैर-आवासीय गतिविधियों वाले सभी परिसरों के लिए संबंधित स्थानीय निकाय को ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करने की आवश्यकता होगी, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक प्रभारों का भुगतान करना होगा।

- गैर-आवासीय गतिविधियों वाले सभी परिसर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार, उस अवधि के लिए , जिसके दौरान गैर-आवासीय गतिविधियों के लिए संपत्ति का उपयोग किया गया है, संबंधित स्थानीय निकाय को लागू मिश्रित उपयोग प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

- आवंटिती/मालिक किसी भी गैर-आवासीय गतिविधि के लिए परिसर का उपयोग करने से पहले सभी आवश्यक शुल्क अथवा प्रभारों का भुगतान करेगा।

- मिश्रित उपयोग के तहत संपत्तियों की परीक्षण जांच के लिए संबंधित स्थानीय निकाय जिम्मेदार होगा, चाहे वह इसके साथ पंजीकृत हो अथवा नहीं।

- संबंधित अधिनियम के तहत उपलब्ध अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अलावा, बिना पंजीकरण के अथवा इस अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मिश्रित उपयोग में पाए जाने वाली संपत्तियां, स्थानीय निकाय को ऐसे अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।

22.18 ग्रीन ब्लू फैक्टर (जीबीएफ)

जीबीएफ की गणना भूखंड स्तर पर की जाएगी, और इसे सभी भवन और लेआउट अनुमोदन के लिए एक शर्त के रूप में एकीकृत किया जाएगा। जीबीएफ गणना हेतु उपयोग किए जाने वाले कारक और कार्यप्रणाली निम्नानुसार हैं:
जीबीएफ विभिन्न प्रकार के नीले/हरे तत्वों के अंतर्गत(जैसा कि ऊपर चिन्हित किया गया है) उनके संबंधित कारक के विरूद्ध कुल भूखंड क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात है:

तालिका *22.*88 जीबीएफ कैलकुलेटर

क्र.सं.	ब्लू / ग्रीन तत्व (एलिमेंट) का प्रकार (X)	कारक
1	अभेद्य सतह (पक्के फुटपाथ क्षेत्र, काले शीर्ष वाले ब्लैक टॉप ड्राइववे और आंतरिक सड़कें, हरे रंग की छत के बगैर छत की सतह सहित)	0
2	क्लोरीनयुक्त पानी की सुविधा (जैसे स्विमिंग पूल)	0.2
3	हरित दीवार (बाहरी दीवार सतहों पर पौधों के लिए समर्थित ऊर्ध्वाधर प्रणाली)	0.2

क्र.सं.	ब्लू / ग्रीन तत्व (एलिमेंट) का प्रकार (X)	कारक
4	पानी सोखने वाली टाइलों के साथ पारगम्य सतह	0.3
5	मैनीक्योर किए लॉन और/अथवा ग्रीनहाउस के साथ पारगम्य सतह	0.5
6	हरित छत (न्यूनतम 70% क्षेत्र पौधों और झाड़ियों से ढंके हुए)	0.6
7	प्राकृतिक घास/मैदान और वनस्पति के साथ पारगम्य सतह (शहरी कृषि सहित)	0.8
8	पेड़ आच्छादन के तहत क्षेत्र (कैनोपी सघनता 10 से 40%)	0.9
9	सघन पेड़ आच्छादन के अधीन क्षेत्र (कैनोपी सघनता 40% अथवा अधिक)	1
10	गैर अवशोषी तल के साथ खुले जलाशय (गैर क्लोरीनीकृत)	1
	निम्न सूत्र का उपयोग करके किसी भूखंड हेतु जीबीएफ की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाएगीः **जीबीएफ = {(तत्व X संगत कारक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र) +... (तत्व nX संगत कारक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र)}/ कुल भूखंड क्षेत्र**	

22.19 विकास अधिकार का हस्तांतरण (टीडीआर)

हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का अर्थ है मुख्य योजना द्वारा अनुमेय विशिष्ट स्थानों पर अप्रयुक्त विकास अधिकारों के एवज में प्रदान की गई एफएआर। टीडीआर का उपयोग योजना द्वारा चिन्हित टीडीआर प्राप्त किए जाने वाले क्षेत्रों में ही किया जा सकता है।

टीडीआर वहां दिए जाएंगे, जहां सार्वजनिक उद्देश्य जैसे कि आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान, ऐतिहासिक क्षेत्रों का पुनर्सृजन, शहरी गरीबों के लिए आवास आदि के लिए भूमि/विकास का अधिकार जब्त किया गया है1

टीडीआर को टीडीआर प्रमाणपत्र के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस हेतु निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार टीडीआर प्रमाणपत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा। इस योजना की अधिसूचना के 6 महीने के भीतर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा टीडीआर के कार्यान्वयन की प्रक्रिया संबंधी विनियमों का विवरण तैयार किया जाएगा।

टीडीआर प्रमाणपत्र केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर ही विकास अधिकार प्रदान करेगा।
टीडीआर प्रमाणपत्र स्थायी रूप से वैध होगा और मालिक इसे किसी भी समय उपयोग कर सकता है अथवा उसे नियमों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को स्थानांतरित कर सकता है।

टीडीआर प्रमाणपत्र पर कई लेन-देन की अनुमति है जब तक कि जारी किए गए टीडीआर के कुल मूल्य का उपयोग नहीं कर लिया जाता। एक बार टीडीआर पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद, टीडीआर प्रमाणपत्र अमान्य हो जाता है।
टीडीआर सृजन और प्राप्ति क्षेत्रों के निर्धारण, टीडीआर जारी करने, टीडीआर उपयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

उपयोगिता हेतु टीडीआर की गणनाः उपयोग के लिए टीडीआर का मान/मूल्य पूरे शहर में भूमि मूल्यों में भिन्नता के अनुसार अलग-अलग होगा। भिन्नता को युक्तिसंगत बनाने और प्राप्ति स्थल पर उपयोग किए जाने वाले टीडीआर के मूल्य की गणना करने के लिए निम्न सूत्र लागू होगा।

तालिका 22.89 टीडीआर

प्राप्ति स्थल पर टीडीआर का मूल्य **=(Rg/Rr) x Y**

जहाँ,

Rg = टीडीआर प्रमाण पत्र जारी होने वाले वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली साइट की सर्कल दर के अनुसार भूमि दर रुपये प्रति वर्गमीटर ।

Rr = उसी वर्ष,जिसके लिए rg पर विचार किया गया है, के प्राप्ति स्थल की सर्कल दर के अनुसार भूमि दर रुपये प्रति वर्गमीटर ।

Y = अप्रयुक्त एफएआर (प्रमाणपत्र में यह टीडीआर मूल्य की संपूर्ण अथवा कुछ भाग हो सकती है।

टीडीआर उपयोग के लिए अन्य शर्तें:

i. टीडीआर का उपयोग केवल टीडीआर प्राप्ति क्षेत्रों के भीतर किया जाएगा, जिन्हें दि.वि.प्रा. द्वारा सीमांकित और अधिसूचित किया गया हो।
ii. टीडीआर का उपयोग किसी प्राप्ति स्थान/भूखंड पर अनुमत एफएआर के अतिरिक्त निर्माण के लिए किया जाएगा।
iii. कोई भूखंड टीडीआर का उपयोग करने के लिए केवल तभी पात्र होगा, जब कम से कम 50% क्षेत्र अधिसूचित टीडीआर प्राप्ति क्षेत्र के भीतर आता हो।

टीडीआर उपयोग हेतु चिन्हित टीडीआर प्राप्ति क्षेत्र और शर्तें निम्नलिखित हैं:

लैंड पूलिंग जोनों में टीडीआर प्राप्ति क्षेत्रः केवल लैंड पूलिंग के तहत अधिसूचित क्षेत्र में लागू शहरी विस्तार सड़कों (यूईआर) के दोनों 500 मीटर का कॉरिडोर (संदर्भः डीईवी1)।

i. न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार से सीधे पहुंच वाले केवल न्यूनतम 3000 वर्गमीटर के भूखंड, टीडीआर प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। प्लॉटेड आवास टीडीआर प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
ii. टीडीआर का उपयोग भूखंड पर अनुमत समान भूमि उपयोग के लिए अनुमेय एफएआर के अधिकतम 10% तक किया जा सकता है।
iii. ऊर्ध्वाधर मिश्रण भूखंडों पर युक्तिकरण के उपरान्त किसी भूमि उपयोग के लिए टीडीआर का उपयोग एफएआर के रूप में किया जा सकता है। इसे प्राप्त होने वाले भूखंड के भूमि उपयोग से जोड़ा नहीं जाएगा और इसका उपयोग आवासीय, व्यावसायिक, पीएसपी अथवा औद्योगिक एफएआर के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते कि अधिकतम एफएआर सीमा इससे अधिक न हो, और भूखंड पर संगत उपयोगों को सुनिश्चित किया गया हो।
iv. टीडीआर के उपयोग हेतु सेक्टर स्तर पर प्रत्येक भूमि उपयोग के लिए गणना की गई एफएआर की सीमा तक केवल 10% तक की वृद्धि की अनुमति होगी।
v. अधिसूचित टीओडी नोड्स और व्यापार प्रोत्साहन जिलों में टीडीआर प्राप्ति क्षेत्रः
vi. न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की टीओडी योजनाओं अथवा पुनर्सृजन योजनाओं के रूप में आने वाले केवल न्यूनतम 30 मीटर मार्गाधिकार से सीधी पहुंच वाले भूखंड ही टीडीआर प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
vii. अधिकतम टीडीआर अनुमत एफएआर का 10% होगा। किसी भूखंड पर टीडीआर सहित कुल एफएआर 500 से अधिक नहीं होगा।
viii. ऐसी योजनाओं पर टीडीआर का उपयोग व्यावसायिक, पीएसपी और औद्योगिक उपयोगों के लिए किया जा सकेगा।

22.20 वर्टिकल मिक्सिंग के लिए मानंदड

i. सुसंगत उपयोगो को किसी भू-खंड पर उसी भवन/संरचना के भाग रूप में विकसित किए जाने की अनुमति दी जाएगी।
ii. प्रत्येक उपयोग के लिए पृथक प्रवेशनिकास और सेवा कोर की व्यवस्था की जाएगी।

iii. सुविधा, कॉमर्स, स्कूल आदि जैसे सार्वजनिक उपयोगों की ग्राउंड लेवल से सीधी पहुंच तक निचले तल पर अवस्थित होंगे।

iv. अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, विश्वविद्यालय कैम्पस, उपयोगिताएं ईंधन स्टेशन पार्क और किसी प्रकार की संशोधन/पैनल सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी। वर्टिकल मिक्सिंग के भाग के रूप में स्थानीय चिकित्सा सुविधाओं की अनुमति होगी।

v. मिक्सिंग की अनुमति केवल सुसंगत उपयोगों के लिए दी जाएगी जो निम्न प्रकार से है।

   a. केवल गैर-विनिर्माणकारी उद्योग जैसे सेवा उद्योग (आई टी/आई टी ई एस बी पी ओ/के पी ओ आदि) पैकेजिंग और लॉजिस्टिक और गैर प्रदूषणकारी एम एस एम ई यूनिटों को पी एस पी के साथ मिलाया जा सकता है।

   b. स्कूलों को केवल आवासीय उपयोग परिसरों के साथ मिलाया जा सकता है। अन्य शैक्षिक संस्थाओं को ऐसे स्वच्छ उद्योगों के साथ मिलाया जा सकता है। जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है।

--- x --- x ---- x --- x --- x ---

संक्षिप्तियों की सूची

ए

एआई - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)
एएआई- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
एपीआरएच - अफोर्डेबल पब्लिक रेंटल हाउसिंग
एएसआई - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
एटीए - सक्रिय यात्रा क्षेत्र
एक्यूआई - वायु गुणवत्ता सूचकांक

बी

बीएंडबी – बेड एंड ब्रेकफास्ट
बीबीएमबी - भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
बीईई- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
बीएफएसआई - बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
बीआईडी – बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक
बीआईएस - भारतीय मानक ब्यूरो
बीपीडी - बिजनेस प्रोमोशन डिस्ट्रिक
बीआरटी - बस रैपिड ट्रांजिट
बीयूए – निर्मित-क्षेत्र (बिल्ड-अप एरिया)

सी

सीबीडी - केंद्रीय व्यापार जिला
सीएचबीएस - सहकारी आवास भवन सोसायटी
सीबीओ - समुदाय-आधारित संगठन
सीबीडब्ल्यूटीएफ - सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं (कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी)
सीसी - सामुदायिक केंद्र
सीसीटीवी – क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविजन
सीएंडडी अपशिष्ट - निर्माण और डेमोलिशन अपशिष्ट
सीईटीपी - कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
सीजीडब्ल्यूबी - केंद्रीय भू-जल बोर्ड
सीएमपी - व्यापक गतिशीलता योजना (कॉम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान)
सीएनजी - संपीड़ित प्राकृतिक गैस (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस)
सीएनसीआर- केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
सीपी - कनॉट प्लेस
सीपीसीबी - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीएचईईओ- केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन
सीपीडब्ल्यूडी - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएमपी - सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना
सीएससी - सुविधा शॉपिंग केंद्र
सीएसपी- सामुदायिक सेवा कार्मिक
सीएसओ - सिविल सोसायटी संगठन
सीएसआर - कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी
सीवी - वाणिज्यिक वाहन

डी

डीसी - जिला केंद्र
डीई- डेवलपर एन्टिटी
डीसीएन- विकास नियंत्रण मानदंड
डीसीआर - विकास नियंत्रण विनियम
डीडीए - दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीडीएमए- दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीई - डेवलपर एन्टिटी
डीएफसी - डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
डीएफएस- दिल्ली अग्निशमन सेवा (दिल्ली फायर सर्विस)
डीडीएमए- दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीएमआरसी- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
डीआईएमटीएस - दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम
डीआईएससीओएम - वितरण कंपनी
डीजेबी - दिल्ली जल बोर्ड
डीएमए – डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया
डीएमसी - दिल्ली नगर निगम
डीएमआईसी - दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर
डीएमआरसी - दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
डीओएमसी - दिल्ली वन-मोबिलिटी कंमीशन
डीपीसीसी - दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
डीपीजीएस - दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी
डीआरयू - आपदा प्रतिक्रिया इकाई
डीएसए - डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट
डीएसआईआईडीसी - दिल्ली राज्य औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
डीटीसी - दिल्ली परिवहन निगम
डीटीआईडीसी - दिल्ली परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
डीयू – आवासीय इकाई (डवेलिंग यूनिट)
डीयूएसी - दिल्ली शहरी कला आयोग
डीयूएचएफ - दिल्ली अर्बन हेरिटेज फाउंडेशन
डीयूएसआईबी - दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
डीवीसी - दामोदर घाटी निगम

ई

ईसीएस – इक्विवैलेंट कार स्पेस
ईसीबीसी- ऊर्जा संरक्षण भवन कोड
ईसीएस - इक्विवैलेंट कार स्पेस
ईडीसी - बाह्य विकास शुल्क
ईडीएमसी - पूर्वी दिल्ली नगर निगम
ईआईए - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
ईओडीबी – ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईएसजेड - इको-सेंसिटिव जोन
ईएसएस- इलेक्ट्रिक सब स्टेशन

ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ईवी - इलेक्ट्रिक वाहन
ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

एफ

एफएआर –तल क्षेत्रफल अनुपात
एफडीआई - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफओबी - फुट ओवर ब्रिज
एफटीटीएच - फाइबर-टू-द-होम

जी

जीबीएफ - ग्रीन-ब्लू फैक्टर
जीडीए - ग्रीन डेवलपमेंट एरिया
जीडीपी - सकल घरेलू उत्पाद
जीईआर - सकल नामांकन दर
जीएचजी - ग्रीनहाउस गैस
जीआईएस - भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीएनसीटीडी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जीपीसीडी - गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन
जीपीआरए - सामान्य पूल रिहायशी आवास
जीआरआईएचए - एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग
जीएसएम - मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली
जीवीए - सकल मूल्य जोड़ा गया

एच

एचसीसी – धरोहर संरक्षण समिति
एचसीवी - भारी वाणिज्यिक वाहन
एचडीआई - मानव विकास सूचकांक
एचएच - घरेलू
एचटी – हाई टेंशन

आई

आईसीडी - अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीटी - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईसीवी – इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल
आईईसी- सूचना शिक्षा और संचार
आई एंड एफसी - सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग
आईएफसी - इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स
आईजीपी - एकीकृत जीडीए योजना
आईजीबीसी- भारतीय हरित भवन परिषद
आईआईए - औद्योगिक सुधार क्षेत्र
आईएनटीएसीएच - इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज
आईपीटी - इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट

आईआरसी - इंडियन रोड कांग्रेस
आईएसबीटी - इंटर स्टेट बस टर्मिनल
आईटी - सूचना प्रौद्योगिकी
आईएसबीटी - इंटर स्टेट बस टर्मिनल
आईटीईएस - सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
आईटीआई - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीएमएस - इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम

जे

जेजे क्लस्टर - झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर

के

केबीआई - ज्ञान आधारित उद्योग
केपीआई - मुख्य प्रदर्शन संकेतक

एल

एलबीजेड - लुटियंस बंग्लो जोन
एसीए - जीवन चक्र विश्लेषण
एलसीवी - लाइट कमर्शियल व्हीकल
एलडीसी – लाइवेबल दिल्ली समिति
एल एंड डीओ - भूमि और विकास कार्यालय
एलडीआरए - लो-डेंसिटी आवासीय क्षेत्र
एलडीआरपी - कम घनत्व वाला आवासीय भूखंड (लो-डेंसिटी रेसिडेंसियल प्लॉट)
एलईईडी- ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व
एलआईजी - निम्न आय वर्ग
एलओएस - सेवा का स्तर
एलपीसीडी - प्रति दिन लीटर प्रति व्यक्ति
एलपीजी - द्रवित पेट्रोलियम गैस
एलपीआर - श्रम भागीदारी दर
एलआरटी - लाइट रेल ट्रांजिट
एलएससी - स्थानीय शॉपिंग सेंटर

एम

एमसीसी - मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर
एमसीडी - दिल्ली नगर निगम
एमसीवी – मीडियम कमर्शियल व्हीकल
एमडीआर - मोबिलिटी डेटा रिपॉजिटरी
एम एंड ई - निगरानी और मूल्यांकन
एमओईएफ और सीसी- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमईएस - सैन्य इंजीनियर सेवाएं
एमएफए - सामग्री प्रवाह विश्लेषण
एमजीडी - प्रतिदिन लाखों गैलन
एमआईसीई - बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ

एमआईजी - मध्यम आय समूह
एमएलसीपी - मल्टी-लेवल कार पार्किंग
एमएमआई - मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन
एमएमएससीएमडी - मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रति दिन
एमएमटीएच - मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब
एमओएचयूए - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
एमपीडी – दिल्ली महायोजना
एमआरएफ - सामग्री वसूली सुविधाएं
एमआरटीएस - मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
एमएसएमई - माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज
एमएसडब्ल्यू - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट
एमटीए - मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन
एमटीएनएल - महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमयू - मेगा यूनिट
एमयूजेड - बहु-उपयोगिता क्षेत्र
एमडब्ल्यू - मेगावाट
एम एंड डब्ल्यूसी - मेडिसिन और वॉक-इन क्लिनिक

एन

एनबीसी- नेशनल बिल्डिंग कोड
एनसीआर - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरपीबी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एनसीटीडी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
एनसीजेड - प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र
एनडीएमसी - नई दिल्ली नगर निगम
एनएफएचएस - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीओ - गैर-सरकारी संगठन
एनएचएआई - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचसी - गैर-पदानुक्रमित वाणिज्यिक केंद्र
एनएचसीसी - गैर-पदानुक्रमित वाणिज्यिक केंद्र
एनएमए- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण
एनएमटी - गैर-मोटर चालित परिवहन
एनएमवी- गैर-मोटर चालित वाहन
एनओसी - अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनआर- कोई प्रतिबंध नहीं
एनआरईपी - राष्ट्रीय संसाधन क्षमता नीति
एनआरडब्ल्यू – नॉन रेवेन्यू वाटर
एनटीई - नाइट टाइम इकोनॉमी

ओ

ओ-डी - मूल गंतव्य (ओरिजिन डेस्टीनेशन)
ओएंडएम - संचालन और रखरखाव

पी

पीबीएस - सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग
पीडीएस - सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएचपीडीटी - पीक ऑवर पीक डायरेक्शन (दिशा) ट्रैफ़िक
पीआईएस - यात्री सूचना प्रणाली
पीएलएफएस - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएम - पार्टिकुलेट मैटर
पीएमडी - पार्किंग प्रबंधन डिस्ट्रिक
पीएमडीएमयू - योजना निगरानी और डेटाबेस प्रबंधन इकाई
पीएमडीपी - पार्किंग प्रबंधन डिस्ट्रिक योजना
पीएमकेवीवाई – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएम-यूडीएवई - दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए प्रधानमंत्री आवास अधिकार योजना
पीएमवी - व्यक्तिगत मोटर वाहन
पीओपीएस - निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थल
पीपीपी – सार्वजनिक निजी भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप)
पीएसपी - सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
पीटी - सार्वजनिक परिवहन
पीटीएएल - सार्वजनिक परिवहन पहुँच स्तर
पीयूएचसी - प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र
पीवी- यात्री वाहन
पीडब्ल्यूडी - दिव्यांग व्यक्ति
सीपीडब्ल्यूडी - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

आर

आरएंडडी- अनुसंधान और विकास
आरएफआईडी - रेडियो-आवृत्ति पहचान (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन)
आरओडब्ल्यू- मार्गाधिकार (राइट ऑफ वे)
आरओबी - रोड ओवर ब्रिज
आरयूबी - रेलवे अंडर ब्रिज
आरआरटीएस - क्षेत्रीय रेल परिवहन प्रणाली
आरआरटीएस - क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आर.आर.टी.एस.)
आरटीवी - रैपिड ट्रांजिट वाहन
आरडब्ल्यूए - रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन

एस

एससीएडीए - पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण
एसडीसी - स्थायी दिल्ली समिति
एसडीजी - सतत विकास लक्ष्य
एसडीएमसी - दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
एसईजेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएमई - लघु और मध्यम स्तर के उद्यम
एसपीए - सेवा प्रदाता एजेंसियां
एसपीवी - विशेष प्रयोजन वाहन
एसआरडीसी - शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम

एसआरएस - सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम
एसटीपी - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
एसयूएस - स्थायी शहरी सेवाएँ
एसडब्ल्यूएम – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट)
एसडब्ल्यूओटी – शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरे

टी

टीडीआर - हस्तांतरणीय विकास अधिकार
टीईआरआई - ऊर्जा और संसाधन संस्थान
टीओडी - पारगमन-उन्मुख विकास (ट्रांजिट ओरिएन्टिड डेवलपमेंट)
टीओआर – विचारार्थ विषय (टमर्स ऑफ रेफरेंस)
टीपीडी - टन प्रति दिन

यू

यूबीबीएल - यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज
यूसी - अनधिकृत कॉलोनियां
यूईआर - शहरी विस्तार सड़कें
यूजीआर - अंडर ग्राउंड जलाशय
यूएलबी - शहरी स्थानीय निकाय
यूएमटीए - एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण
यूआरडीपीएफआई - शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन
यूटी- केंद्र शासित प्रदेश
यूटीएफ - शहरी परिवहन कोष
यूटीटीआईपीईएफ - एकीकृत यातायात और परिवहन अवसंरचना (योजना और इंजीनियरिंग) केंद्र

वी

वीडीसी - वाइब्रेंट दिल्ली कमेटी
वीजीएफ - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण

डब्ल्यू

2डब्ल्यूए - दो पहिया वाहन
3डब्ल्यूए - तीन पहिया वाहन
4डब्ल्यूए - चार पहिया वाहन/पीवी (कारें)
डब्ल्यूएचओ - विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूएसयूडी - वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन
डब्ल्यूटीपी - जल शोधन संयंत्र

जेड

जेडडीपी – क्षेत्रीय विकास योजना
जेड- फार्मिंग - जीरो एकड़ फार्मिंग
जेडडब्ल्यूएल - जीरो वेस्ट लोकेलिटीज

शब्दावली

ए

सक्रिय फ्रंटेज (एक्टिव फ्रंटेज)

किसी सड़क का ऐसा हिस्सा जहाँ सड़क और भवन के बीच दृश्यमान/भौतिक पारगम्यता से एक सक्रिय जुड़ाव है। सक्रिय फ्रंटेज में, भवन का अग्र भाग सड़क की अभिमुख होता है और सार्वजनिक गतिविधि जैसे कि खुदरा या मनोरंजक गतिविधियों की सुविधाएं प्रदान करता है। इससे सार्वजनिक सड़क पर पैदल चलने की गतिविधियां और निष्क्रिय निगरानी बढ़ती है।

सक्रिय यात्रा

परिवहन का एक साधन जिसमें जैसे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए शारीरिक गतिविधि जैसेकि पैदल चलना और साइकिल चलाना शामिल हो।

सक्रिय यात्रा क्षेत्र (एटीए)

एनएमटी गलियों के घनत्व में सुधार कर और/अथवा उस क्षेत्र में मौजूदा नेटवर्क की रेट्रोफिटिंग करके सक्रिय यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पहचाना गया उपक्षेत्र / क्षेत्र।

अनुकूलक पुन: उपयोग

यह अनुमेय और संगत उपयोगों को समायोजित करने के लिए एक सूचीबद्ध मौजूदा भवनों के पुन: उपयोग की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक भवनों में अनुकूल **पुन:** पुन: उपयोग से लंबे समय तक उपयोगी जीवन के साथ-साथ सौंदर्यपरक और ऐतिहासिक मूल्यों को बनाए रखा जा सकता है। भवन का पुन: उपयोग और उसमें अनुमेय परिवर्तन यूबीबीएल 2016 में दिए गए ग्रेड प्रावधानों के अनुसार होगा।

किराये की वहनीय आवास इकाइयाँ

अवधि (टेन्योर)-आधारित आवासीय इकाइयों में किराये की वहनीय रिहायशी इकाईयां और किराए पर शयनगृह आती हैं जैसाकि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

सभी के उपयोग योग्य पार्क

मनोरंजन सुविधाओं/गतिविधियों के साथ बनाए गए पार्क जिससे ये सभी क्षमताओं और आयु समूहों के उपयोगकर्ताओं के लिए समावेशी बन जाते हैं

एमेन्टीज़ एफएआर

एमेन्टीज़ एफएआर, पुनरूद्धार की प्रक्रिया के रूप में अनियोजित क्षेत्रों में अतिरिक्त सामाजिक सुख-सुविधाओं (एमेंटीज़) का प्रावधान करने के लिए एक प्रकार का इंसेंटिव एफएआर (अनुमेय एफएआर से अधिक) है।

पुरातत्व पार्क

एक स्थानिक सन्निहित क्षेत्र, जिसमें पारिस्थितिक संपत्ति के साथ धरोहर महत्व की संपत्ति भी जुड़ी हो। ऐसे पार्कों में पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त जनता के लिए एक व्याख्यात्मक और शैक्षिक संसाधन बनने की क्षमता है।

सहायता प्राप्त खरीद इकाईयाँ

अवधि (टेन्योर)-आधारित रिहायशी इकाईयों में, किराये से स्वामित्व (रेन्ट टू ओन) मॉडल इकाइयां शामिल होती हैं जहां किरायोदार के पास पूर्व-निर्धारित अवधि के अंत में इकाई की खरीद का विकल्प के साथ उसे वार्षिक एकमुश्त राशि को अनिवार्य रूप से अलग रखना होता है।

बी

जैव-जल निकासी (बायो ड्रेनेज)

जैव-जल निकासी या जैविक जल निकासी, पौधों द्वारा वाष्पीकरण के माध्यम से अतिरिक्त मृदा जल को हटाता है, जो पौधों की प्रजातियों, वृक्षारोपण घनत्व, जल स्तर की गहराई और जलवायु पर निर्भर करता है।

बायो-स्वेल

वर्षाजल को बहते हुए रोकने, संसाधित करने और जमीन में वापस प्रविष्ट कराने के लिए वनस्पति से ढका, उथल भूदृश्य गड्ढे के तौर पर बनायी गई हरित अवसंरचना सुविधा।

नीली संपत्ति (ब्लू एसेट)

पारिस्थितिक विशेषताएं जैसे यमुना नदी और आर्द्रभूमि, तालाब, झील, प्राकृतिक नालें और मानव निर्मित सुविधाएं जैसे नहरें, बावली, कुएं आदि।

ब्राउनफील्ड क्षेत्र

शहर का मौजूदा निर्मित क्षेत्र।

व्यापार संवर्धन जिले (बीपीडी)

बीपीडी क्षेत्र में विशिष्ट मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र, जिला केंद्र और संस्थागत क्षेत्र आदि शामिल हैं जैसा कि योजना में पहचान की गई है।

सी

केनोपी डेनसिटी

किसी क्षेत्र का अनुपात जो वृक्षों से ढका हो और कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में व्यक्त किया गया हो।

कैरिजवे

मोटर और मोटर रहित वाहनों की आवाजाही के लिए आरक्षित स्थान।

सर्कुलर इकोनोमी

आर्थिक मॉडल, जिसमें संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है ताकि मूल्य अधिकतम हो और अपशिष्ट में कमी आए। यह 'मेक, यूज़, डिस्पोज़' के पारंपरिक रेखीय आर्थिक मॉडल का एक विकल्प है और इसमें पुनचक्रण और मरम्मत अर्थव्यवस्थाएँ, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, पुनर्चक्रित सीएंडडी अपशिष्ट उत्पाद और निर्माण सामग्री (जैसे फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें, मरम्मत किया गया ऐस्फाल्ट पेवमेंट आदि) मल कीचड़ का पुनचक्रमण आदि शामिल हैं।

शहरी स्तर के सर्किट

सांस्कृतिक और / या रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं की सुगमता के लिए उन्नत सुख-सुविधाओं/ सुविधाओं से समर्थित एक सुरक्षित और जीवंत नागरिक समाज/ सामाजिक व्यवहार को संपोषित करने के लिए सार्वजनिक स्थान नेटवर्क, जिसके साथ कभी-कभी थीम कार्यक्रम आदि होते हैं।

स्वच्छ अर्थव्यवस्था / उद्योग

गैर-प्रदूषणकारी और पर्यावरण-अनुकूल अर्थव्यवस्थाएं/उद्योग जैसे ज्ञान और साइबर अर्थव्यवस्थाएं, सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्थाएं, हरित अर्थव्यवस्थाएं, सर्कुलर इकोनोमी आदि, जिनका हवा और पानी की गुणवत्ता पर कम प्रभाव पड़ता है, अपशिष्ट का प्रबंधन करती हैं और इसके जेनरेशन में कमी लाती हैं और साथ ही रासायनिक जोखिम कम करती हैं।

वाणिज्यिक केंद्र

ये प्रमुख व्यापार ट्रेड और वाणिज्य और शॉपिंग केंद्र हैं जो बहु-मॉडल गतिविधियों के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें महानगरीय सिटी सेंटर, जिला केंद्र, सामुदायिक केंद्र, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, सुविधा शॉपिंग सेंटर और नॉन-हायरारिकल कमर्शियल सेंटर, थोक बिक्री और भंडारगृह (वेयरहाउसिंग) शामिल हैं।

व्यापक मोबिलिटी योजना (सीएमपी)

यह योजना में किसी शहर के लिए वांछनीय मोबिलिटी पैटर्न (लोग और वस्तुएं) का दीर्घकालिक विजन प्रस्तुत करती हैं और इस विजन को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतिक और नीतिगत उपाय उपलब्ध कराती हैं।

कंजेशन प्राइजिंग

शहर के किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लगाया जाने वाला शुल्क ताकि उन क्षेत्रों में वाहनों की संख्या और कंजेशन का स्तर कम किया जा सके।

कंसोर्टियम

एक विधिवत पंजीकृत एसोसिएशन जिसके पास विधि के अनुसार अधिकार, कर्तव्य और दायित्व हों, जिसमें कई भूस्वामी/डेवलपर संगठन शामिल होते हैं जो निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार विकास के लिए भूमि का पूल करने के लिए एक साथ आगे आते हैं।

परिवर्तन प्रभार (कनवर्ज़न प्रभार)

ये सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए शुल्क हैं जो विधि के अनुसार अनुमत लाईसेंस शुल्क के अतिरिक्त भूमि/गतिविधि के उपयोग में परिवर्तन करने पर देय होते हैं।

कम्पलीट स्ट्रीट

इस प्रकार बनाई गई और व्यवस्थित सड़कें जिन पर अन्य उपयोगकर्ताओं की अपेक्षा पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों को प्राथमिकता दी जाती हो और सभी उम्र और क्षमताओं वाले लोगों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित आवाजाही को सक्षम बना सके।

सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था

पर्यटन, डिजाइन और फैशन, प्रकाशन, एफ एंड बी, मीडिया, दृश्य / प्रदर्शन कला आदि जैसे उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था।

सांस्कृतिक हॉटस्पॉट

अत्यधिक जन-गतिविधि, स्थान की पहचान, या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या किसी अन्य महत्व के कारण स्थानीय और पर्यटकों को आकषित करने वाले स्थान।

सांस्कृतिक उपक्षेत्र

एक क्षेत्र के भीतर अलग-अलग और गैर-सन्निहित धरोहर स्थलों और/या सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व के भवनों का समूह जो सड़कों या सड़क नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों जिससे एक संसक्त सांस्कृतिक हॉटस्पॉट बनता हो।

सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना (सीआरएमपी)

यह प्रत्येक सांस्कृतिक उपक्षेत्र के लिए तैयार की जाने वाली योजना है जिसमें शहरी डिजाइन और निर्मित फॉर्म नियंत्रण शामिल हैं।

साइक्लिंग राजमार्ग

लंबी दूरी की सक्रिय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक अवसंरचना युक्त पहचाने गए और विकसित समर्पित साइक्लिंग कॉरिडोर।

डी

विकासकर्ता संस्था (डेवलपर एनटिटी) (डीई)

एकल भूमि/ संपत्ति स्वामी अथवा भूमि / संपत्ति स्वामियों का एक समूह, जिन्होंने डवलपमेंट / पुनरूद्धार के लिए एक या एकाधिक भूखण्डों का पूल बनाया हो।

ई

इको-सांस्कृतिक संपत्ति

ऐसी सुविधाएँ जहाँ किसी परिदृश्य के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को जोड़ा गया हो, जैसे कि ओपन ग्रील वाले संरक्षित स्मारक और धरोहर भवन, बगीचे, निर्मित जल प्रणालियां जैसे टैंक, कुएं (*बावली*) आदि।

अर्थव्यवस्था के मार्ग

शहर में समर्पित उच्च फ्रीक्वेंसी लो-फेयर मास ट्रांजिट रूट ।

अधिभार

कोई भी कानूनी या भौतिक बाधा जिससे किसी संपत्ति की हस्तांतरणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और इसका मुक्त उपयोग तब तक प्रतिबंधित होगा जब तक इसका अधिकार न हट जाए।

खाली स्थान (एन्कम्ब्रेंस)

आकाश के नीचे खुले क्षेत्र, जहां लोग आग, भूकंप आदि जैसी किसी घटना के समय एकत्र हो सकें। ये पार्क, बहुउद्देश्यीय मैदान, अन्य खुले स्थान आदि हो सकते हैं जो निवासियों की सहज पहुंच में हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

ईडब्ल्यूएस परिवार को ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी वार्षिक आय इस श्रेणी में पात्रता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथाः निर्धारित हो।

एक्सप्रेस मार्ग

हाई फुटफॉल मास ट्रांजिट स्टेशनों / गंतव्यों को जोड़ने वाले मार्ग ताकि यात्रा के दौरान स्टॉप / हाल्ट स्टेशनों की संख्या कम से कम हो और यात्रा का समय अनुकूलित हो। *देखें एमओबी2, खंड 4.4*

बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी)

डीई / कंसोर्टियम द्वारा ट्रंक पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के निर्माण, बिछाने और स्थापित करने की लागत के लिए चुकाए गए प्रभार होते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी प्रणालियां, विद्युत आपूर्ति, हरियाली आदि शामिल हैं।

एफ

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी से लोगों को किसी भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन हब ट्रिप जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड/डिपो या मेट्रो स्टेशन आदि के आरंभ स्थल से लेना अभिप्रेत है।

बाढ़ को रोकने (फ्लड डिटेनशन) हेतु सिंक / रिटेंशन सिंक

बाढ़ के पानी को रोकने/ भंडारित करने के लिए प्रयुक्त वर्षाजल प्रबंधन व्यवहार। सड़कों या अन्य अभेद्य सतहों से सतही जल प्रवाह को कम करने और शोधित करने के लिए डिटेंशन सिंक का उपयोग किया जा सकता है। इन्हें ऐसे क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिनमें वर्षाजल को एक समयावधि के लिए रोककर रखने की आवश्यकता होती है ताकि ठोस चीजें नीचें बैठ जाएं और जलप्रवाह को कम किया जा सके।

जी

हरी संपत्तियाँ (ग्रीन एसेट्स)

किसी निर्मित संरचना आदि में जैसे वन, बाग, नदीतट, विकास, योजनाबद्ध पार्क, वृक्ष और भूदृश्य वाले क्षेत्र, मनोरंजक हरित क्षेत्र, हरित बेल्ट, उद्यान और हरित छत, आदि जैसी पारिस्थितिक विशेषताएं।

ग्रीन-ब्लू फैक्टर (जीबीएफ)

यह प्लॉट स्तर पर विभिन्न हरी-नीली विशेषताओं अर्थात छत के बगीचे, बरामदें या मध्यवर्ती मंजिलों पर बगीचे, हरी दीवारें, भूदृश्य और/या विगत भूमि क्षेत्र आदि पर बगीचे) के संयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कारक है।

ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर

बहु-पैमाने और बहु-प्रकार्य हरित और नीली संपत्ति का परस्पर जुड़ा नेटवर्क, जो प्राकृतिक हो सकता है या बनाया गया भूदृश्य / शहरी डिज़ाइन हो सकता है। यह अवधारणा शहरी नियोजन को संदर्भित करती है जहां जल निकाय और भूमि अन्योन्याश्रित हैं, और पर्यावरण और सामाजिक लाभ प्रदान करते हुए एक दूसरे की मदद से बढ़ता है।

हरित भवन

ऐसा भवन, जो अपने डिजाइन, निर्माण और संचालन से जलवायु और प्राकृतिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम या समाप्त करता है, और सकारात्मक प्रभाव का सृजन करता है और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखता है।

हरित परिसर (ग्रीन कैम्पस)

कम कार्बन फुटप्रिंट और निवल शून्य ऊर्जा से बनाया गया परिसर। ऐसे स्थलों पर भवन के जीवनचक्र के सभी चरणों में स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को लागू करते समय हरित और खुले स्थानों का अनुपात काफी अधिक रखा जाता है।

ग्रीन सेस

विकास प्राधिकरण और स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गया प्रशुल्क, शहर में विभिन्न पर्यावरण-संबंधी कार्यों और इंटरवेंशन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली पृथक हरित निधि का निर्माण करता है।

ग्रीन कॉरिडोर

प्राकृतिक नालियों, जल निकायों के किनारे-किनारे प्रस्तावित निरंतर हरित और खुले स्थान जिनमें झाडियों से युक्त भूमि, बफर, बाढ के मैदान शामिल हो सकते हैं ताकि हरी-नीली संपत्तियों का पूर शहर में व्यापक नेटवर्क सृजित हो।

ग्रीन कवर

पूरे शहर में पेड़-पौधों से घिरा कुल क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक रूप से सुलभ और सार्वजनिक रूप से प्रबंधित हरे स्थान, पहुंच से परे हरित स्थान, निजी स्वामित्व वाली हरी-भरी भूमि (खेत, निजी उद्यान सहित) और भवनों पर हरियाली से घिरा क्षेत्र (हरित छत, बरामदा में बगीचे आदि) शामिल है।

ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए)

ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए)नीति के अनुसार बड़े वृक्ष और भू-भाग वाले क्षेत्रों से युक्त कम घनत्व और निम्न भवन फुट प्रिंट की विशेषता वाले क्षेत्र के लिए चिह्नित क्षेत्र।

हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनोमी)

ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ जो कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी लाएं, ऊर्जा और संसाधन दक्षता बढ़ाएं और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सिस्टम की क्षति की रोकथाम करें। उदाहरणों में शहरी खेती, बागवानी, सौर फार्म, थीम पार्क आदि शामिल हैं।

ग्रीनफील्ड क्षेत्र

एक शहर के भीतर शहरी उपयोग के विकास के लिए उपलब्ध नए क्षेत्र, आमतौर पर नए विकास के लिए बड़ी खाली जमीनों पर।

हरित ईंधन

हरित ईंधन या जैव ईंधन, हाइड्रोकार्बन है जो कि एक जीवित जीव से या उसके द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

ग्रीन फंड

हरी-नीली संपत्तियों की सुरक्षा और वृद्धि संबंधी गतिविधियों/ पहल के लिए समर्पित कोष।

ग्रीनवेज़

ग्रीनवे बहु-क्रियाशील रेखीय भूदृश्य हैं जिनसे बहुत- से सामाजिक-पारिस्थितिक लाभ प्राप्त होते हैं। जब इन्हें प्राकृतिक नालों और नदियों के आसपास बनाया जाता है, तो ये पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए शहर स्तरीय समर्पित कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाने की अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। ऐसे हरितमार्ग सुखपूर्वक पैदल चलने, परिवार के पिकनिक मनाने, साइकिल चलाने आदि के लिए सुरक्षित स्थान के साथ आसपास के क्षेत्र में एक कार्यनीतिक सक्रिय कॉरिडोर के लिए कनेक्शन प्रदान करने का दोहरा काम करते हैं।

सकल आवासीय उपयोग

किसी आवासीय नेबरहुड में स्थानीय स्तर पर आबादी के लिए पार्क, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, स्कूल, औषधालय, धार्मिक भवन, युटिलिटी और अन्य आवश्यक सुविधाएं होती हैं।

एच

धरोहर संपत्तियाँ

धरोहर संपत्तियों में मूर्त (चल और अचल धरोहर संपत्तियां जैसे पेंटिग, मूर्तियां, पांडुलिपियाँ आदि और स्मारक, धरोहर भवन, स्थल, स्थान, गलियाँ, क्षेत्र, बगीचे, भूदृश्य आदि) और अमूर्त तत्व (व्यवहार, ज्ञान, कौशल, रहन-सहन अभिव्यक्ति और परंपराएं जैसे कि त्योहार, कला रूप और लोक संस्कृति, खानपान, नृत्य और नाटक आदि।), दोनों शामिल हैं।

हेरिटेज बिल्डिंग

संबंधित एजेंसी और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचीबद्ध और अधिसूचित कोई भी प्रतिष्ठित/ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भवन। वर्तमान में दिल्ली के भीतर 1459 अधिसूचित धरोहर भवन हैं।

हेरिटेज टीडीआर

भूमि / संपत्ति के मालिक को धरोहर भवन / स्थल की सुरक्षा के कारण उनकी भूमि के विकास अधिकारों में कमी/हानि के लिए एफएआर के रूप में दी गई प्रतिपूर्ति।

धरोहर उपक्षेत्र यह संबंधित एजेंसी द्वारा पहचाना गया क्षेत्र है जिसे ऐतिहासिक और/या वास्तुशिल्प और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक और/या पर्यावरणीय और/या पारिस्थितिक उद्देश्य के लिए संरक्षण और/ या परिरक्षण की आवश्यकता है।

हेरिटेज जोन

ऐतिहासिक महत्व का एक बड़ा सन्निहित क्षेत्र जिसमें विशेष निर्मित संरचना, मूर्त और अमूर्त धरोहर संपत्ति के संग्रह, किसी विशेष राजवंश/युग या स्थापत्य शैली आदि के साथ जुड़ाव जैसी विशेषताएं हों।

घरेलू उद्योग (एचएचआई)

सभी आवासीय क्षेत्रों में (गैर औद्योगिक गतिविधि क्षेत्रों को छोड़कर) कुछ शर्तों के साथ अनुमत एक गैर प्रदूषणकारी, विषाक्तता मुक्त औद्योगिक इकाई।

आई

प्रभावी क्षेत्र योजना (आईजेडपी)

किसी टीओडी नोड के परिसीमित टीओडी योजना क्षेत्र के लिए तैयार की गई एक एकीकृत योजना, जिसमें विभिन्न क्षेत्र सुधार कार्य जैसे सड़क को चौड़ा करना, सार्वजनिक सड़कों के बहु-उपयोगिता क्षेत्रों को उन्नत करना, और आईपीटी, पैदल यात्रा और एनएमटी के लिए सुविधाएं, बहु-मोडल एकीकरण, सार्वजनिक पार्किंग का प्रावधान, शहरी फर्नीचर, साइनेज, सार्वजनिक सुविधाएं, स्ट्रीट वेंडिंग जोन आदि शामिल हैं।

एकीकृत जीडीए योजना (आईजीपी)

ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए)(जीडीए) में पहचान किए गए क्षेत्र के लिए एक व्यापक संरचना योजना।

परस्पर संबंधित क्षेत्र

प्राकृतिक और धरोहर संपत्तियों के भीतर पहचाने गए विशिष्ट क्षेत्र और ट्रेल्स, जहां मनोरंजन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त सुविधाओं (प्रसाधन, पेयजल, फव्वारे, विश्राम स्थल, आगंतुक सूचना केंद्र आदि) के प्रावधान के साथ पूर्ण या विनियमित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है।

इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी)

इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी) जिसमें परिवहन के लिए ऑन-डिमांड मोड (टैक्सियां, ऑटो-रिक्शा आदि) शामिल हैं, जिनका कोई निश्चित रूट नहीं होता।

के

नोलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज/ साइबर इकोनोमी

उद्योग जो प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग और अनुसंधान और विकास एवं ज्ञान इनपुट के मानदंडों पर आधारित है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य बायोटेक, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, वायविकी, साइबर अर्थव्यवस्थाओं, हाई-टेक रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्ञान और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास आदि में शामिल फर्में।

एल

लैंड पूलिंग

भूमि नीति और लैंड पूलिंग नीति के संचालन के लिए विनियम के अनुसार उपयोग के लिए भूखण्डों का कानूनी समेकन।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी

इससे मूल स्थान से ट्रांजिट प्रणाली अथवा ट्रांजिट प्रणाली से गंतव्य तक की यात्रा अभिप्रेत है जैसेकि किसी परिवहन स्टेशन जैसे रेलवे स्टेशन, बस डिपो या मेट्रो स्टेशन से अपने अंतिम गंतव्य या इसके विपरीत जाने वाले लोग।

निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी

यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का एक तरीका है।

निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी निम्न-कार्बन या कार्बन-मुक्त के लिए सभी साधनों और विधियों का सामान्यीकरण करती है। यह निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के अनुकूल होने की आवश्यकता के लिए उपयुक्त है।

एम

अनिवार्य वुडिड क्षेत्र

हरित विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में प्राकृतिक वृक्षों (प्राकृतिक अनलाईन्ड जलाश्यों सहित) से ढके क्षेत्र को व्यवस्थित रखा जाए। पेड़ों में **70%** या अधिक का केनोपी घनत्व होगा और इसमें ऐसी प्रजातियां होंगी जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और/या प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित हो।

मुख्य पुनरूद्धार योजना

यह ऐसी योजना है जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा मौजूदा सर्कुलेशन नेटवर्क को बढ़ाने और पुनरूद्धार करने के लिए छोटे पॉकेट्स/ब्लॉक बनाने के लिए बड़े मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए तैयार की जाएगी।

माइक्रो मोबिलिटी

हरित-मोबिलिटी विकल्प जो सक्रिय यात्रा जैसे बैटरी चालित साइकिल, ई-बाइक आदि को बढ़ावा देते हैं।

न्यूनतम अपशिष्ट लोकेलिटी (एमडब्ल्यूएल)

ऐसी लोकेलिटी (आवासीय क्षेत्र, हाउसिंग सोसाइटी, कॉलोनी, अपार्टमेंट, बाजार आदि) जहां सभी गीला ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण के अनुकूल समाधानों जैसे खाद और जैव-मीथेनेशन आदि के माध्यम से लोकेलिटी सीमाओं के भीतर किया जाता है।

मियावाकी वन

वनीकरण तकनीक द्वारा बनाया गया एक घना, बहुस्तरीय शहरी वन जिसमें दिए गए क्षेत्र में कई देशी प्रजातियों का रोपण करना शामिल है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के रिस्टोरेशन, प्रदूषण को नियंत्रित करने, शहरी गर्मी के जमीन पर प्रभावों को कम करने और स्थानीय वन्यजीवों का समर्थन करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

बहु-सुविधा भूखंड

एक भूखंड, जहाँ एक ही भूखण्ड में एक या एक से अधिक इमारत में एक मिश्रित तरीके से विभिन्न स्थानीय सुविधाएं विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई)

रेल और सड़क-आधारित प्रणालियों का एकीकरण, जिसमें मेट्रो, रेल / रैपिड रेल, बस / बीआरटीएस और इंटरमीडिएट सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) शामिल हो सकते हैं जिनमें गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) जैसे साइकिल-रिक्शा, साइकिल, पैदल, आदि सहित फीडर सेवाएं, टैक्सियां, ऑटो-रिक्शा और निजी मोड शामिल हैं।

मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)

एक ट्रांजिट नोड जहां एक स्थान पर कई मोड हों जैसे रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, आरआरटीएस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन आदि।

बहु-उपयोगिता क्षेत्र (एमयूजेड)

शहरी सड़कों पर फुटपाथ/साइकिल ट्रैक और मोटर वाहन लेन के बीच एक समर्पित स्थान का तत्व, जहां उनके भीतर निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक या सभी के लिए स्थान का प्रावधान है: वृक्षारोपण, ऑटो / साइकिल-रिक्शा स्टैंड, हॉकर जोन, पार्किंग, स्ट्रीट फर्नीचर, बस स्टॉप, सार्वजनिक शौचालय, सूचना कियोस्क, यातायात पुलिस बूथ और बिजली, पानी, अग्नि हाइड्रेंट, टेलीफोन, गैस आदि जैसे भूमिगत और ओवरहेड उपयोगिता सेवाएं।

एन

प्राकृतिक संपदा

प्राकृतिक पारिस्थितिक विशेषताएं जैसे वन, रिज, नदी, नाले, नालियां, झीलें, तालाब और आर्द्रभूमि आदि।

नाइटलाइफ सर्किट

सार्वजनिक स्थान नेटवर्क जिनसे सुरक्षा में सुधार, अलग-अलग समय पर गतिविधियों द्वारा भीड़ कम करके, विभिन्न गतिविधियों के लिए रिक्त स्थान का अधिकतम उपयोग करके और औपचारिक के साथ ही अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्पादकता में सुधार करके और नाइट इकोनोमी का निर्माण करके एक सक्रिय नाइट लाइफ को बढावा मिलता है।

रैन बसेरा

व्यक्तियों को नि: शुल्क या नाममात्र शुल्क पर रात्रि आवास उपलब्ध कराने की सुविधा देनेवाला परिसर। यह स्थानीय सरकार या स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा चलाया जा सकता है।

नाइट इकोनोमी (एनटीई)

शहर और उन क्षेत्रों में निरंतर काम और उत्पादन के लिए वैकल्पिक समय और स्थान प्रदान करने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियां, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रात्रि में आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक गतिविधि और मनोरंजन के लिए खुले रहते हैं।

एनएमवी / साइकिल ट्रैक

साइकिल, साइकिल रिक्शा और हैंड पुल गाड़ियों जैसे मोटर रहित चालित वाहनों की आवाजाही के लिए आरक्षित स्थान।

गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी)

सक्रिय परिवहन, जिसमें पैदल चलना, साइकिल चलाना और मनुष्य द्वारा संचालित आवाजाही के अन्य रूप शामिल हैं (साइकिल-रिक्शा, ठेले आदि)।

ओ

ऑन-स्ट्रीट पार्किंग

अधिकृत पार्किंग जो राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के अंतर्गत हो।

ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग

अधिकृत पार्किंग जो किसी निर्मित संरचना (अंडरग्राउंड, भूतल पर या भूतल से ऊपर) या सतह पार्किंग के रूप में बाहर खुले में हो सकती है। यहां एक ड्राइववे (जिससे बैरियर आधारित भुगतान प्रणाली होती है) से प्रवेश होता है।

पी

पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र (पीएमए)

पार्किंग से संबंधित क्षेत्र जैसे कि मांग का प्रबंधन करने, आपूर्ति में वृद्धि करने, उपलब्ध पार्किंग विनियमित करने और पार्किंग से संबंधित बाह्य तत्वों को कम करने के लिए निर्धारित क्षेत्र।

पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजना (पीएमएपी)

पार्किंग प्रबंधन, मौजूदा पार्किंग स्थलों का उपयोग, पार्किंग शुल्क, कंजेशन प्राइजिंग, आईटीएस एप्लीकेशन और योजना के प्रवर्तन सहित निर्दिष्ट पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र (पीएमए) के लिए तैयार की गई योजनाएँ।

प्ले स्ट्रीट

खेल और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए एक विशेष अवधि के लिए अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद की जाने वाली स्थानीय सड़कें।

निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थान (पीओपीएस)

ऐसे स्थान जो निजी संपत्ति हैं और जिनका रखरखाव मालिक / डेवलपर द्वारा किया जाता है लेकिन जहां भवन के भीतर ग्राउंड या एलिवेटिड स्तर पर विनियमित घंटों के दौरान खुली सार्वजनिक पहुंच है।

निजी पार्किंग

पार्किंग जो उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट समूहों, जैसे निवासियों या किरायेदारों के लिए आरक्षित है।

सार्वजनिक कला

कलात्मक व्याख्याओं के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों के संवर्धन और जीवंत बनाने के लिए साइट विशिष्ट कलाकृति जो एक व्यक्ति मूर्तिकला से लेकर एकीकृत वास्तुशिल्प और भूदृश्य विशेषताओं और शोधनों तक होती है।

सार्वजनिक प्लाजा:

आस-पड़ोस के चौक और नुक्कड़ से लेकर संस्थागत फ्रंट कोर्ट, शहर के चौक और पियाजा तक के प्लाज़ा और ये आवागमन नेटवर्क के साथ महत्वपूर्ण ठहराव स्थलों का सृजन करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र

एक अनिवार्य शहरी सामान्य क्षेत्र, जिसमें शहर के शेयर्ड पब्लिक क्षेत्र शामिल हों, जो सभी से संबंधित हों और सभी की पहुंच में हों, जैसे स्ट्रीट्स पब्लिक और प्राइवेट प्लाजा, पार्क, ओपन स्पेस आदि।

सार्वजनिक स्थान

ऐसा क्षेत्र या स्थान जो सभी लोगों के लिए खुला और सुलभ है, चाहे उसका लिंग, जाति, आयु या सामाजिक-आर्थिक स्तर कुछ भी क्यों न हो। इनमें सार्वजनिक सभा स्थल (प्लाज़ा, चौक, पार्क) के साथ-साथ कनेक्टिंग स्थल (सड़क, सबवे) आते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व के कई सार्वजनिक स्थानों को गतिविधि नोड्स के रूप में जोडा जाता है और ये नेटवर्क सार्वजनिक जीवन को जीवंत बनाते हैं।

सार्वजनिक वाटरफ्रंट्स

क्षेत्रों में जलाश्यों के आसपास निर्मित सार्वजनिक स्थान जो पहले उपेक्षित थे जैसेकि यमुना बाढ़ के मैदान, नालियों और जलाश्य आदि।

सार्वजनिक परिवहन पहुंच स्तर (पीटीएएल)

पैदल चलने में लगने वाले समय और सेवा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र की सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क (सभी सार्वजनिक परिवहन मोड, आईपीटी आदि सहित) की पहुंच का एक विस्तृत और सटीक मापन।

सार्वजनिक पार्किंग

पार्किंग, जो आकस्मिक अल्पावधि पार्किंग उपयोग के लिए आम जनता के लिए खुली है।

आर

पुनरूद्धार

एक लचीला ढांचा, जो किसी क्षेत्र के विकास के लिए उपकरणों के मिश्रण का उपयोग करने की अनुमति देता है, नामत: रेट्रोफिटिंग, पुनर्निर्माण या पूर्ण/ आंशिक पुनर्विकास, बशर्ते सतत सेवाओं, संरचनात्मक सुरक्षा और बेहतर पैदलयात्रा की अपेक्षाएं पूरी की जाएं।

रिफ्यूज स्पॉट

आर.डब्ल्यू.ए. / स्थानीय निकायों द्वारा पहचान किया गया कोई भी नेबरहुड के भीतर स्थान जो संक्रमण बीमारी आउटब्रेक के समय पर स्वस्थ तथा अस्वस्थ निवासियों के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराता हो। ऐसे स्थान सामुदायिक केन्द्र, बहु सुविधाजनक केन्द्र या अन्य किसी सार्वजनिक पहुंच सुविधा में हो सकते हैं।

किराये आवास (रेंटल हाउसिंग)

आवासीय संपत्तियां, जिनमें डीयू और/या शयनगृह हों जो कि समझौते या ऐसे किसी शपथपत्र जैसे औपचारिक तंत्र के माध्यम से संभावित किराएदार को किराए पर लेने के लिए विशेष रूप से उपलब्ध हैं।

रिट्रोफिटिंग

एक मौजूदा संरचना में उस संरचना को बाढ़ या कटाव, तेज हवा, भूकंप या अन्य खतरों से नुकसान की संभावना को कम करने या समाप्त करने के लिए उस संरचना को नई तकनीक या सुविधाओं से युक्त करना।

राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू)

यातायात के सभी साधनों की आवाजाही के लिए एक आरक्षित स्थान जिसमें पैदल यात्री, साइकिल, साइकिल रिक्शा, बस, कार, स्कूटर, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, आदि शामिल हैं। पैदल चलने के स्थान अथवा मोटर वाहन आवाजाही स्थान पर अतिक्रमण किए बिना सेवाओं, भूमिगत/ भूमि पर यूटिलिटी, पब्लिक कनविनियंस और सुविधाओं, विक्रेताओं, पेयजल कियोस्क आदि के लिए आरओडब्ल्यू के भीतर स्थान नियोजित और आरक्षित किया जाता है।

एस

सेक्टर

मौजूदा या प्रस्तावित सड़कों या भौतिक सुविधाओं जैसे कि हाई टेंशन तारों, रेलवे लाइनों, नालियों आदि से युक्त जोनल डेवलपमेंट प्लान (जेडडीपी) में एक निर्धारित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल ..... हैक्टेयर है।

सेवा बाजार (सर्विस मार्केट)

ऐसा क्षेत्र या बाजार जहां फलों और सब्जियों, सेवा और मरम्मत, कबाड़ और स्क्रैप सामग्री (कबाड़ी), हार्डवेयर और निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल मरम्मत वर्कशॉप आदि हों, *देखें ईसीओ 1, खंड* ***3.6***

सेवा प्रदाता एजेंसी

जल आपूर्ति, सीवरेज निपटान, बिजली आपूर्ति, सड़कों का निर्माण, संचार और अन्य वितरण सेवाएं आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी।

एकल खिड़की प्रणाली

किसी विशेष नीति/ योजना के कार्यान्वयन को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए आवेदन, सत्यापन, अनुमोदन, शिकायत आदि प्राप्त करने के लिए एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए गए ईज ऑफ डूइंग उपाय।

साझा गतिशीलता (शेयर्ड मोबिलिटी)

साझा गतिशीलता से परिवहन के सभी साधन अभिप्रेत है जो निजी स्वामित्व वाले नहीं हैं। इनमें से अधिकांश मोड में निर्धारित रूट और निर्धारित मूल्य और निर्धारित समय-सीमा (जैसे बसों, महानगरों आदि) होते हैं। इसमें सभी मांग-आधारित मोड भी शामिल हैं जो आरंभिक और अंतिम छोर की कनेक्टिविटी (साझा ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, आदि) प्रदान करते हैं।

छोटे आकार के आवास

40 - 60 वर्ग मीटर के आकार वाली आवास इकाइयाँ।

सौर फार्म

सौर फार्म या सौर क्षेत्र बड़े पैमाने वाले सौर प्रतिष्ठान हैं जहां सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए फोटोवोल्टिक पैनल (सौर पैनल) का उपयोग किया जाता है।

विशेष एबिलिटीज पार्क

दिव्यांग और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं (विशेष रूप से बुजुर्ग, बच्चों और केयरगिवर्स के साथ शिशुओं) के खेलने और मनोरंजक गतिविधियों के लिए बनाए गए पार्क।

विशेष क्षेत्र

विकास / पुनर्विकास की योजना वाली विशेष विशेषताओं के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र।

कार्यनीतिक सक्रिय यात्रा कॉरिडोर

साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों की वर्तमान या प्रत्याशित उच्च अनुपात वाले और विभिन्न गतिविधि केंद्रों को जोड़ने के लिए पहचाने गए विशेष मार्ग।

टी

सुनियोजित शहरीकरण

सुनियोजित शहरीवाद या पॉप-अप शहरीवाद, आरक्षित लेन द्वारा पैदल यात्रियों और एनएमटी आवाजाही को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सड़क के एक खंड को अस्थायी रूप से रिट्रोफिट करने का एक उपाय है जिससे सडक का हिस्सा पैदल चलने वालों आदि के लिए अनुकूल हो जाता है।

पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी)

भूमि क्षमता को अधिकतम करके, उच्च घनत्व, मिश्रित उपयोग और पैदल चलने योग्य ल और साइकिल चलाने योग्य नेबरहुड उन्मुखी डिजाइन युक्त उच्च क्षमता वाले ट्रांजिट नोड के आसपास एक कॉम्पैक्ट विकास।

टीओडी नोड्स

डीडीए द्वारा अधिसूचित गहन विकास के लिए चयनित और अधिसूचित बड़ा पारगमन स्टेशन। टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति के प्रावधान केवल ऐसे पहचाने गए टीओडी नोड्स के प्रभाव क्षेत्रों में लागू होंगे।

टीओडी योजना क्षेत्र

ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास 500 से 800 मीटर के दायरे का क्षेत्र।

टीओडी योजना

टीओडी नोड के भीतर आने वाले और टीओडी नीति में निर्दिष्ट सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्र के लिए एक विकास प्रस्ताव।

ट्रांजिट हॉटस्पॉट

मिश्रण उपयोग और सार्वजनिक गतिविधि के केंद्र के रूप में विकसित पारगमन नोड्स।

वृक्ष निर्देशिका

किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ की प्रजातियों का एक डाटाबेस, जिसमें विशेष वृक्ष समूह की पहचान की गई हो जैसे वृक्ष कॉरिडोर अथवा धरोहर वृक्ष, उच्च कार्बन भंडारण और अधिग्रहण दर आदि।

यू

अनधिकृत कालोनियाँ (यूसी)

ऐसी कॉलोनियां / समीपवर्ती क्षेत्र शामिल हैं जो संबंधित एजेंसियों की योजना के सिद्धांतों और लेआउट योजनाओं की मंजूरी, निर्माण योजनाओं पर विचार किए बिना विकसित किए गए हैं।

शहरी खेती

स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर में या इसके आसपास पौधों की खेती या पशुपालन, जलीय कृषि और शहरी मधुमक्खी पालन के माध्यम से भोजन और अन्य उत्पादों का उगाना, प्रसंस्करण और वितरित करने का व्यवहारिक कार्य।

शहरी वनप्रदेश

संरक्षित वनों के भीतर के क्षेत्र जो लोगों को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, जीवों और प्राकृतिक वातावरण तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किए गए हैं।

उपयोग परिसर

अनुमोदित लेआउट योजना में एक विशिष्ट उपयोग के लिए एक विशिष्ट भूखंड या कोई एक सब डिवीजन या कई सब डिवीजन। परिसर का भू-प्रयोग मास्टर प्लान के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

उपयोग जोन

मास्टर प्लान में प्रावधान के अनुसार शहरी कार्यों की किसी भी निर्दिष्ट उपयोग श्रेणी के लिए कोई क्षेत्र।

वी

उपयोगों की वर्टिकल मिक्सिंग

एक भूखंड में लंबवत रूप से प्रतिबंधित परिस्थितियों में पहचान किए गए उपयोग परिसरों की वर्टिकल मिक्सिंग प्रावधान।

डब्ल्यू

पैदल चलने योग्य पथ (वॉकैबिलिटी)

वॉकैबिलिटी उस सीमा का एक मानदंड है जिस तक निर्मित वातावरण (बाधा मुक्त, सुरक्षित, सुप्रकाशित, आरामदायक आदि) की विभिन्न विशेषताओं के अनुसार एक क्षेत्र चलने योग्य होता है और विचाराधीन क्षेत्र के उस क्षेत्र में वृक्षछाया हो।

वॉक प्लान

पैदल यात्री और साइकिल चलाने की अवसंरचना के प्रावधान के साथ किसी भी विशिष्ट गंतव्य नोड के आसपास कम से कम 400-500 मीटर (5-10 मिनट की पैदल दूरी) के हिस्सों के लिए तैयार की गई योजना। पैदल चलने की योजना के तहत क्षेत्र का वास्तविक निर्धारण पेड-शेड और / या वांछित लाइनों पर आधारित होगा।

जल संवेदनशील शहरी डिजाइन (डब्ल्यूएसयूडी)

एक एप्रोच, जिसमें शहरी नियोजन (जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल, वर्षाजल और भूजल प्रबंधन सहित) के प्रबंधन, संरक्षण और बचाव के साथ शहरी नियोजन को इस प्रकार एकीकृत किया गया हो, ताकि शहरी जल प्रबंधन प्राकृतिक जल विज्ञान और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हो।

श्रमिक आवास

श्रमिक आवास से किसी व्यक्ति के आवासीय उपयोग के लिए अस्थायी या निर्धारित समय के रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली संपत्ति अभिप्रेत है जो किसी भी उच्च कुशल, कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल, मैनुअल, तकनीकी या लिपिकीय कार्य

करने के लिए नियोजित है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत हो। यह आवास कार्यस्थल पर या कार्यस्थल से अलग हो सकता है, और इसमें आवासीय इकाई या शयनकक्ष हो सकते हैं। श्रमिक आवास स्थलों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सहायता, क्रेच आदि जैसी अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

जेड

जेड-फार्मिंग

जेड-फार्मिंग या जीरो-एकड़ खेती, कृषि का एक रूप है जहां ऐसी गतिविधि के लिए अलग भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अन्यथा अप्रयुक्त, गैर-पारंपरिक स्थानों जैसे छतों, घर के अंदर, भवनों के भीतर ऊर्ध्वाधर स्थान आदि का उपयोग किया जाता है।

जोनल विकास योजना

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक क्षेत्र (प्रभाग) के लिए एक योजना जिसमें सामाजिक अवसंरचना, पार्कों और खुले स्थानों, संचलन प्रणाली, आदि के प्रावधान की विस्तृत जानकारी है।

दिल्ली मुख्य योजना-2041 का ड्राफ्ट पाठ दस्तावेज और भूमि उपयोग प्लान उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में रिसेप्शन डेस्क विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-11002 पर उपलब्ध रहेगा। यह निम्नलिखित लिंक अर्थात् https://dda.org.in/hotlinks.aspx पर भी उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. 18(15)/2021-एमपी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1: प्रतिबंधित / उद्योगों की नकारात्मक सूची

निम्नलिखित विनिर्माण करने वाले उद्योगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर प्रतिबंधित किया जाएगा। 2 (हालाँकि, पर्यावरण विभाग, जीएनसीटीडी, उद्योग विभाग, जीएनसीटीडी के परामर्श से, किसी विशेष गतिविधि/उद्योग/कारखाने का पता लगाने के लिए अंतिम निर्णय लेगा, जो सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मापदंडों/शर्तों के अनुसार और डीपीसीसी द्वारा अपनाया गया है।)

1. आर्क / इंडक्शन फर्नेस
2. अम्ल
3. क्षार
4. पशु और मछली के तेल
5. एल्डिहाइड
6. एसिड घोल
7. एसिटलाइड्स, फिएटिडाइन, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ई-नेफथोल, आदि

8. अमोनियम सल्फॉनाजनाइड, आर्सेनिक और इसके यौगिकों, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम साइनाइड, बेरियम इथाईल्सुलफेट, बेरियम एसीटेट सिनेबार, कॉपर सल्फोफाइड, फेरोसिनेसाइड, हाइड्रो साइनाइड, हाइड्रो साइनाइड एसिड, पोटेशियम बायोकैलेट, पोटेशियम, साइनाइड, पोटाश का प्रशसन, फिनीगलक एसिड, सिल्वर साइनाइड

9. विमान निर्माण

10. बुचड़खाने, पशु रक्त प्रसंस्करण (मौजूदा, पुनर्वास 1 (और नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक बूचड़खाने को छोड़कर), संबंधित एजेंसियों से सभी मंजूरी के अधीन, और इस संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करने की अनुमति दी जाएगी)। ये एनसीटी दिल्ली की आवश्यकता पर कड़ाई से निर्भर होंगे जिनका निर्धारण संबंधित स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

11. बिटुमन ब्लोइंग (गर्म)

12. ईंट भट्ठा (कच्चे माल के रूप में साफ़ मिट्टी का उपयोग, ईंधन के रूप में कोयला)

13. बी-नेप्थोल

14. बैक्लाइट पाउडर (फॉर्मलाडिहाइड से शुरू)

15. बारले माल्ट और अर्क

16. अस्थि-ग्रिस्त, अस्थि-भोजन, हड्डियों की साल्टिंग, हड्डियों का खुला भाग, हड्डियों का सूखना

17. हड्डी का चारकोल निर्माण

18. ब्लास्ट फर्नेस - कोयला फायर्ड

19. साइकिलें (एकीकृत संयंत्र)

20. ब्रेवरी और पोटेबल स्पिरीट 2 (हालांकि, 500 लीटर/दिन की क्षमता तक के माइक्रोब्रेवरीज को किसी भी रेस्तरां/होटल/क्लब में स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो साइट पर अपशिष्ट जल उपचार सुविधा की स्थापना के अधीन है, और अन्य सभी विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।)

21. क्लोरीन युक्त पैराफिन मोम शोधन

22. कार्बन ब्लैक

23. सीमेंट उद्योग

24. कैल्शियम कार्बाइड, फॉस्फोरस, एल्यूमीनियम धूल पेस्ट और पाउडर, तांबा, जस्ता, आदि (इलेक्ट्रोथर्मल इंडस्ट्रीज)

25. क्रेन, हॉइस्ट (ऊपर उठाने का यंत्र) और लिफ्ट (असेंबली को छोड़कर)

26. सामान्य औद्योगिक मशीनरी (जैसे हाइड्रोलिक उपकरण, ड्रिलिंग उपकरण, बॉयलर, आदि)

27. डीओपी (डियोक्टाइल फथालेट), डीबीपी और प्लास्टिसाइज़र

28. ड्राई सेल बैटरी

29. डाई और डाई इनर्मीडीइट

30. लकड़ी की आसवन, लकड़ी की रासायनिक काष्ठ संशोषण (प्राकृतिक काष्ठ संशोषण को छोड़कर)

31. विस्फोटक, यानी, पटाखे, गनपाउडर, गनकॉटन, आदि।

32. अर्थ मूविंग मशीनरी / उपकरण (असेंबली का निर्माण)

33. बिजली के तार और केबल (100 से अधिक कर्मचारी, 2000 वर्गमीटर भूखंड)

34. फैटी एसिड

35. कवकनाशी और कीटनाशक

36. फ्लेक्सोग्रफिक इंक

37. ईंधन तेल, इल्यूमीनेटिंग और अन्य तेल जैसे कि स्टैटिक तेल, शोयल तेल, लुब्रिकेंट्स

38. 1 [फाउंड्रीज (कपोला फर्नेस) *]

39. गैस कम्प्रेसर

40. ग्रेफाइट उत्पादन

41. ग्लास फर्नेस (1 टन / दिन से अधिक क्षमता)

42. गैस-कार्बन-डिसल्फाइड, अल्ट्रामरीन ब्लू, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, आदि (एलपीजी / सीएनजी / ऑक्सीजन / चिकित्सा गैसों के अलावा)

43. ग्लेंडयूलर/ ग्लेंड्स एक्सट्रेक्शन

44. हड्डियों और मांस से ग्लू और जिलेटिन

45. हॉट मिक्स प्लांट (डीपीसीसी/सीपीसीबी द्वारा अनुमोदित लोगों को छोड़कर)

46. खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण जैसे अस्पताल/2 [तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र]/ चिकित्सा / उद्योग अपशिष्ट। 3[हालांकि, नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र को अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सभी प्रकार की क्लीयरेंस, पर्यावरणीय क्लीयरेंस सहित, संबंधित एजेंसियों से क्लीयरेंस प्राप्त की गई हो और इस संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन किया गया हो। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आवश्यकता पर सख्ती से निर्भर होगा जिसका निर्धारण स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा)।

47. पॉल्यूरिथीन फोम

48. औद्योगिक जिलेटिन, नाइट्रो ग्लिसरीन और फुलमिनेट

49. लौह / इस्पात धातु फोर्जिंग (न्यूमेटिक हथौड़ा का उपयोग करके)।

50. औद्योगिक जिलेटिन, नाइट्रो ग्लिसरीन और फुलमिनेट

51. औद्योगिक ट्रक, ट्रेलर आदि।

52. रेखीय एल्केड बेंजीन

53. द्वितीयक सीसा उद्योग सहित प्रमुख विनिर्माण (अपशिष्ट स्क्रैप से सीसा की रिक्करी)

54. चूना भट्ठा।

55. चमड़े की टैनिंग और रंगाई (कच्ची खाल / स्किन टू सेमी फिनिश)

56. लोकोमोटिव और वैगोन

57. मेथनॉल

58. मिथाइलेटेड स्प्रिट

59. मैकेनिकल स्टोन क्रशर और मोटे रेत की धुलाई

60. लुगदी और कागज का विनिर्माण

61. मेलामाइन रेसिन

62. खनिज लवण (जिसमें एसिड का उपयोग होता है: CuSO4, FESO4, फिटकरी आदि)

63. डीजल इंजन, जनरेटर का विनिर्माण, असेंबली को छोड़कर

64. मोटर साइकिल, स्कूटर, कार, टेम्पो, ट्रक इत्यादि।

65. न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग, पल्पिंग, फ्रेश पेपर मेकिंग

66. यौगिकों के लिए उर्वरकों के मिश्रण को छोड़कर नाइट्रोजनी और फॉस्फेटिक उर्वरक (बड़े पैमाने पर)

67. कार्बनिक विलायक, क्लोरीनयुक्त खनिज, मेथनॉल, एल्डिहाइड, मिथाइलेटेड स्प्रिट

68. पेट्रोलियम कोक प्रसंस्करण, ईंधन के रूप में नहीं

69. पॉटरीज / रीफ्रैक्टरीज (कोयले या भट्टी के तेल का उपयोग करके)

70. रेजिन सहित पॉलिथीन पॉलिमर

71. पेंट उद्योग (नाइट्रो सेलूलोज़ और अल्केड रेसिन आधारित)

72. प्लास्टिसाइज़र निर्माण

73. पिरामिड

74. फेनॉल फॉर्मलाडिहाइड रेसिन और पाउडर

75. पोर्सलेन के उत्पादित बर्तन (प्रति दिन 2 टन से अधिक उत्पादन क्षमता के कोयले का उपयोग करके)

76. रबड़ सोल्यूशन और थिनर (नेप्था और रबर स्क्रैप का उपयोग करके)

77. मिश्रण के अयस्क सल्फाइड ऑक्साइड की रोस्टिंग

78. रेयान फाइबर विनिर्माण

79. रीफ्रैक्टरीज

80. रबर का पुनर्ग्रहण।

81. टायर और ट्यूब का उत्पादन (अवमूल्यन)

82. सञ्चराइन

83. माध्यमिक जिंक उद्योग

84. सिंथेटिक रबड़

85. स्मेलटिंग (गलाना)

86. सिलाई मशीनें (एकीकृत इकाइयां) असेंबली को छोड़कर

87. स्लुइस गेट्स और गियर

88. स्टेनलेस स्टील पिक्लिंग

89. स्टीम इंजन

90. स्टील पाइप और ट्यूब (निरंतर वेल्डेड / सीमलेस)

91. चीनी, खांड सरी

92. सोडियम सिलिकेट उद्योग (1 टन / दिन से अधिक)

93. पत्थर की खदान

94. कपड़ा (सभी शिफ्टों में 100 से अधिक श्रमिक, एक एकड़ भूमि, 100 एलकेडी पानी)

95. थोरियम, रेडियम और इसी तरह के आइसोटोप और रेयर अर्थ की रिकवरी

96. टर्बाइन

97. यूरिया और फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन

98. वनस्पति तेल हाइड्रोजेनरेटेड

99. अपशिष्ट (कच्चा / जला हुआ) तेल प्रसंस्करण (रिफाइनरी)

नोटः

i. ऊपर उल्लिखित किसी भी गतिविधि में शामिल किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को पर्यावरण कानूनों की शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी।

ii. आगे यदि ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उचित और सार्वजनिक हित में माना जाता है, तो निषिद्ध उद्योगों की सूची में और परिवर्धन/परिवर्तन किए जा सकते हैं।

iii. हालांकि, किसी भी प्रकार की भट्ठी की निरंतरता सीपीसीबी और डीपीसीसी के निर्धारित मापदंडों के भीतर होगी।

अनुलग्नक 2: हरे और नीले रंग की संपदा का विशिष्ट वर्गीकरण

प्राकृतिक और मौजूदा ग्रीन ब्लू संपदा

भूमि-आधारित

- अरावली (रिज), क्षेत्रीय पार्क, आरक्षित वन
- संरक्षित वन
- शहरी वन
- जैव विविधता पार्क
- प्राकृतिक नालों और जल निकायों के बफर
- पुरातात्विक पार्क और ऐतिहासिक स्मारकों के ग्रीन
- सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राकृतिक सुरक्षा / संरक्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई

जल-आधारित

- यमुना नदी और इसका बाढ़ का मैदान
- ड्रेनेज मास्टर प्लान 2018 के अनुसार सभी प्राकृतिक नालियां
- दलदल और आर्द्र भूमि
- झीलों सहित जल निकाय (1 हेक्टेयर और उससे ऊपर)
- बावली (कुएं) और टैंक (दिल्ली की ऐतिहासिक जल प्रणाली का हिस्सा)

नियोजित हरे नीले संपदा और अन्य मनोरंजक क्षेत्र

- सभी पदानुक्रमों के नियोजित पार्क और खुले स्थान - क्षेत्रीय, शहर, जिला, समुदाय, पड़ोस, आवास क्षेत्र, टोटल लॉट, बहुउद्देशीय मैदान, गोल्फ कोर्स और खेल के मैदान। (कुछ बड़े पार्क दिल्ली में संरक्षित वनों का हिस्सा हैं)
- खेल केंद्र / परिसर, गोल्फ कोर्स
- बगीचे, पौधे नर्सरी
- प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान
- जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन्स

निर्मित इमारतों के भीतर अन्य हरे नीले रंग की संपदा

- निजी उद्यान, आंगन, छत उद्यान, पूल, आंतरिक स्ट्रीट आदि।
- संस्थागत / सरकारी परिसरों में चिन्हित बड़े हरे क्षेत्र
- रीजेनरेशन / टीओडी योजनाओं के माध्यम से निर्मित सार्वजनिक ग्रीन स्पेस
- भूतल / खुले पार्किंग क्षेत्र, सार्वजनिक प्लाज़ा
- बंद औद्योगिक सम्पदा में अनिवार्य हरित क्षेत्र
- एलबीजेड में अनिवार्य हरित क्षेत्र
- एचटी लाइनों / तेल पाइपलाइनों / अन्य सेवाओं के अनिवार्य बफ़र्स
- फ्लाईओवर के नीचे खाली स्थान, पानी के मुख्य मार्गों के साथ, रेलवे लाइनों के साथ, आदि।
- जड़ी बूटी, मसाला उद्यान, ग्रीनहाउस।
- सड़कों के सेंट्रल भाग पर वृक्षारोपण, सड़कों और सड़कों के किनारे वृक्षों का आवरण

नई और संभावित शहरी स्तर ग्रीन ब्लू संपदा

- परित्यक्त खदान और क्वैरीज, बिजली संयंत्र और भूमि भराव स्थल / पुनर्निर्मित भूमि
- प्राकृतिक नालियों के नए विकसित बफर
- हरित विकास क्षेत्र

**डीडीए द्वारा समय-समय पर पहचानी गई अन्य परिसंपत्तियों को जोड़कर सूची को बढ़ाया जा सकता है*

अनुलग्नक 3: दिल्ली में नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची *(एमपीडी 2021 से निकाला गया)*

औद्योगिक उपयोग जोन में निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक गतिविधि का संचालन किया जाएगा, जैसा कि भूमि उपयोग योजना में इंगित किया गया है:

जोन ए से एच

1. नारायणा औद्योगिक क्षेत्र,
2. झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री,
3. मोतिया खान योजना,
4. डीसीएम फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स,
5. शहजादा बाग औद्योगिक क्षेत्र,
6. गुलाबी बाग औद्योगिक क्षेत्र,
7. राजस्थान उद्योग नगर जहाँगीरपुरी के पास जी.टी. रोड़,
8. एसएमए को-ऑप. औद्योगिक एस्टेट जहाँगीरपुरी के पास जी.टी. रोड़,
9. एसआईएसआई औद्योगिक क्षेत्र जहांगीरपुरी के पास जी.टी. रोड़,

10. राणा प्रतापबाग के पास जी.टी. करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र,
11. हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, शिवाजी रेलवे स्टेशन के पास औद्योगिक क्षेत्र (मिंटो रोड),
12. ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस I, II और III,
13. मोहन को-ऑप औद्योगिक क्षेत्र,
14. मोदी फ्लोर मिल्स के पास एसआईएसआई कॉम्प्लेक्स ओखला,
15. जखीरा के पास नजफगढ़ रोड औद्योगिक क्षेत्र,
16. कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, मायापुरी फेस I और II,
17. उद्योग नगर रोहतक रोड,
18. विकासपुरी के पास केशव पुर लेदर तन्नेरी योजना (सर्विस सेंटर का हिस्सा),
19. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र,
20. लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र,
21. मंगोल पुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस I और II,
22. झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र,
23. पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र,
24. फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र,
25. नरेला औद्योगिक एस्टेट,
26. बवाना औद्योगिक एस्टेट,
27. कंझावला औद्योगिक एस्टेट,
28. पीवीसी बाजार टिकरी कलां,
29. बादली
30. भोरगढ़

क. शहरी विस्तार क्षेत्रों के लिए योजना तैयार करते समय अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों को इंगित किया जाएगा।

ख. अनुमोदित कार्य-सह-उद्योग केंद्र, सेवा केंद्र आदि, जहां भूमि उपयोग/पहले के मास्टर प्लान के अनुसार विकास किया गया है, औद्योगिक होना जारी रहेगा, जो निर्धारित प्रावधानों की शर्तों के अनुरूप होगा।

अनुलग्नक 4: घरेलू उद्योग

1. अगरबत्ती और इसी तरह के उत्पाद
2. एल्यूमीनियम हैंगर (वायर ड्राइंग और एनोडाइजिंग को छोड़कर)।
3. आयुर्वेदिक / होम्योपैथिक / यूनानी दवाएं।
4. इलेक्ट्रॉनिक सामानों की असेंबली और मरम्मत।
5. सिलाई मशीनों की असेंबली और मरम्मत।
6. हाथ उपकरण की असेंबली।
7. बैडमिंटन शटलकॉक की असेंबली।
8. बिजली के गैजेट्स, कूलर / हीटर आदि की असेंबली और मरम्मत।
9. असेंबली और टाइपराइटर की मरम्मत (फ्रंट कास्टिंग को छोड़कर)।
10. बैकेलाइट स्विच की असेंबली।

11. मापने के उपकरणों की असेंबली और मरम्मत (मर्करी और खतरनाक सामग्रियों को संभालने के अलावा)।
12. आट्टा चक्की।
13. बाटिक कार्य।
14. ब्लॉक मेकिंग और फोटो बड़ा करना।
15. बिस्कुट, पापे, केक और कुकीज बनाना।
16. बटन बनाना, बटन और हुक को ठीक करना।
17. बुकबाइंडिंग।
18. ब्रश और झाड़ू (हाथ से)।
19. केलिको और वस्त्र उत्पाद।
20. बेंत और बांस के उत्पाद।
21. कैसेट रिकॉर्डिंग।
22. प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ क्ले और मॉडलिंग।
23. कॉयर और जूट उत्पाद।
24. कार्डबोर्ड बॉक्स।
25. मोमबत्तियाँ।
26. ताँबा और पीतल आर्ट वेयर।
27. डोरियाँ, रस्सी और सुतली बनाना।
28. बढ़ई।
29. कॉन्टैक्ट लेंस।
30. कैनवास बैग और होल्ड-ऑल मेकिंग।
31. कैंडी, मिठाई, रसमलाई आदि (जब डिब्बाबंद न हो)।
32. कपास / रेशम छपाई (हाथ से)।
33. कंप्यूटर मरम्मत और साइबर सूचना केंद्र।
34. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
35. दारी और कालीन बुनाई।
36. डिटर्जेंट (बिना भट्टी के)।
37. डाटा प्रोसेसिंग।
38. डेयरी उत्पाद उदाहरण क्रीम, घी, पनीर, आदि।
39. ड्राई क्लीनिंग (बड़ी कार्यशालाओं को छोड़कर)।
40. डेस्क टॉप पब्लिशिंग।
41. कढ़ाई।
42. एनामेलिंग विटरस (कोयले के उपयोग के बिना)।
43. तस्वीरों और दर्पणों की फ्रेमिंग।
44. फाउंटेन पेन, बॉल पेन और फेल्ट पेन।
45. सोना और चांदी का धागा, कालाबट्टू।
46. होजरी उत्पाद (रंगाई और ब्लीचिंग के बिना)।
47. हैट्स, टोपी, कढ़ाई सहित पगड़ी

48. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
49. फाउंटेन पेन के लिए स्याही बनाना।
50. इंटरलॉकिंग और बटनिंग।
51. आभूषण का सामान।
52. खादी और हथकरघा।
53. खुस्तत्तीस।
54. बुनाई का काम करता है।
55. फीता उत्पाद।
56. चमड़े के जूते।
57. चमड़े के बेल्ट और बकल की असेंबली (हाथ से)
58. निर्मित चमड़ा और रेक्सिन।
59. मिल्क क्रीम सेपरेशन।
60. जूट उत्पादों का निर्माण।
61. बिंदी का निर्माण।
62. नेम प्लेट मेकिंग।
63. निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन।
    i. ब्लैंको केक
    ii. ब्रश
    iii. कुल्फी और मिष्ठान।
    iv. क्रायोन।
    v. जैम, जेली और फल संरक्षित करने वाले उत्पाद।
    vi. संगीत वाद्ययंत्र (मरम्मत सहित)।
    vii. लेस का कार्य और पसंद।
    viii. सजावटी चमड़े का सामान जैसे पर्स, हैंडबैग।
    ix. छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान
64. पेपर स्टेशनरी आइटम और बुक बाइंडिंग।
65. पीट हैट, फूलों की माला और पिच।
66. पी.वी.सी. उत्पाद (अधिकतम एक मोल्डिंग मशीन)।
67. पेपर मशीन।
68. इत्र और सौंदर्य प्रसाधन
69. फोटोसेटिंग।
70. फोटोस्टेट और साइक्लोस्टाइलिंग।
71. रेखाचित्रों को बड़ा करने सहित चित्र की फोटो प्रति।
72. शैंपू की पैकेजिंग।
73. हेयर ऑयल की पैकेजिंग।
74. वादी, पापड़ आदि तैयार करना।
75. कोंडिमेंट्स, मसालों, मूंगफली और दाल आदि का प्रसंस्करण।

76. पान मसाला।
77. मिठाई और नमकीन का उत्पादन (एक टन / दिन से कम)
78. पेपर माचे
79. पेपर कप। प्लेट्स, फ़ाइलें कवर और लैटर पैड (मुद्रण के बिना)।
80. फोटोग्राफी (विकास और मुद्रण)।
81. घड़ियाँ और दीवार घड़ियाँ की मरम्मत।
82. राखी बनाना
83. घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत।
84. रेडीमेड वस्त्र (बिना धोए)।
85. साइकिल की मरम्मत।
86. कंप्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत और संयोजन।
87. चमड़े और पीवीसी सामग्री के उपयोग को छोड़कर बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस की मरम्मत।
88. जल मीटर, स्टेबलाइजर, यूपीएस आदि की मरम्मत।
89. रबड़ की मौहरें।
90. स्टोन एनग्रेविंग।
91. खेल का सामान / स्पोर्ट्स नेट।
92. सर्जिकल बैंडेज रोलिंग और कटिंग।
93. स्टोव पाइप, सेफ्टी पिन और एल्यूमीनियम बटन (हाथ से प्रेस)।
94. सिल्वर फॉयल बनाना।
95. साड़ी का फॉल बनाना।
96. जूता लेस।
97. स्टाम्प पैड।
98. स्क्रीन प्रिंटिंग।
99. दर्जी।
100. थ्रेड बॉल और कपास भराव।
101. खिलौने और गुड़िया।
102. टाई।
103. टमाटर केचप।
104. छाता (अम्ब्रेला) असेम्बली।
105. बर्तन धोने का पाउडर (केवल मिश्रण और पैकेजिंग)।
106. वेलवेट कढ़ाई वाले जूते / शॉल।
107. वर्मेसेली (सेवियां .या जवें) और मैकरोनी।
108. लकड़ी की नक्काशी और सजावटी लकड़ी का माल।
109. ऊन का गोला और लच्छे बनाना।
110. लकड़ी / कार्डबोर्ड ज्वेलरी बॉक्स (विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र के अधीन)।
111. ऊन बुनाई (मशीन के साथ)।
112. जरी जरदोजी।

अनुलग्नक 5: घरेलू उद्योग गांवों में अनुमेय (आबादी)

1. ब्लैक स्मिथ।
2. बेंत और बांस के उत्पाद।
3. प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ क्ले और मॉडलिंग।
4. दरी / कालीन / साड़ी बुनाई (रंगने और ब्लीचिंग को छोड़कर)।
5. रेफ्रिजरेशन द्वारा आइसक्रीम और पानी को ठंडा करना। (बिना कोल्ड स्टोरेज के)
6. स्टोन एनग्रेविंग।
7. गाँव के बर्तन उद्योग (बिना भट्टी के)।
8. ग्राम तेल घनी।
9. लकड़ी पर नक्काशी और सजावटी लकड़ी का माल।

नोटः

i. खतरनाक रसायनो का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची I और/अथवा II और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1990 के तहत सूचीबद्ध रसायनों का भंडारण निषिद्ध होगा।

ii. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार इकाइयों द्वारा किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले निस्सारण/उत्सर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ये शोर/ध्वनि मानकों का सख्ती से अनुपालन करेंगे।

अनुलग्नक 6: शहरी-स्तरीय सर्किट की संकेतक सूची

- कोरोनेशन पार्क-शाहजहानाबाद
- लाल किला-हुमायूँ का मकबरा
- पुराना किला-राष्ट्रपति भवन
- हुमायूँ मकबरा-सफदरजंग मकबरा
- सफदरजंग मकबरा-महरौली
- तुगलकाबाद-जहाँपनाह-महरौली
- महरौली-सुल्तान गढ़ी

अनुलग्नक 7: स्ट्रीट डिजाइन विनियम

शहर के लिए समग्र गतिशीलता, सुरक्षा और पर्यावरणीय लक्ष्यों के आधार पर, निम्नलिखित विनियमों का पालन सभी सड़कों की डिजाइन, निष्पादन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए किया जाना चाहिए:

1 अधिमान्य सार्वजनिक परिवहन उपयोग को बढ़ावा देना:

1क. सार्वजनिक पारगमन और पैदल यात्रियों के लिए मार्गों/सड़कों को समान अथवा उच्च प्राथमिकता के लिए पुनःसंयोजित होना चाहिए।

1ख. अन्य साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पार्किंग को प्रतिबंधित करें अथवा निजी वाहनों के लिए उच्च पार्किंग शुल्क को लागू करें।

1ग. पीक/चरम व्यस्तता अवधि के दौरान उच्च व्यस्तता वाले वाहनों (एचओवी) और कारपूल के लिए समर्पित गलियाँ प्रदान करें।

1घ. पारगमन-उन्मुख मिश्रित भूमि उपयोग पैटर्न प्रदान करें और जहाँ कहीं भी अनुमति हो, एमआरटीएस स्टॉप की पैदल दूरी के भीतर शहर को रीडेन्सीफाई करें।

2. डिजाइन द्वारा सभी सड़क उपयोगों की सुरक्षा के लिए:

2क. शहरी मुख्य सड़कों और सब उप मुख्य सड़कों पर डिजाइन द्वारा गति को 50 किमी प्रति घंटे और कलेक्टर तथा स्थानीय सड़कों पर 30 किमी प्रति घंटे तक सीमित करें। जहां संभव हो, उच्च गति सीमा के मामले में प्रवर्तन द्वारा सहायता प्राप्त करते हुए, स्ट्रीट डिजाइन का उपयोग गति को सीमित करने के साधन के रूप में किया जाना चाहिए।

2ख. पेड़ों, आइलैंड और स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के साथ ड्राइववे और घुमावदार पथ के संकरीकरण के माध्यम से, 12 मीटर अथवा उससे कम के आरओडब्ल्यू वाली सभी सड़कों के ट्रैफिक को व्यवस्थित करना।
डिजाइन द्वारा गति को 20 किमी प्रति घंटा तक सीमित किया जाना चाहिए।

2ग. किनारों की अधिकतम ऊँचाई 150 मिमी से अधिक नहीं होगी, क्योंकि पैदल यात्रियों के लिए ऊंची किनारों पर चढ़ना कठिन होती है, जिससे उन्हें कैरिजवे पर चलना पड़ता है। कम व्यस्तता वाली अवधि के दौरान तेज गति के वाहनों के लिए उच्चतर किनारे/कर्ब खतरनाक हो सकते हैं, और वे वाहनों के पलटने तथा दुर्घटनाओं आदि के कारण बन सकते हैं।

- शहर की सभी सड़कों के लिए अंतिम सड़क स्तर तय किया जाना चाहिए। सड़कों की मरम्मत करते समय, पिछली परतों को इस तरह से हटाना चाहिए, कि अंतिम सड़क का स्तर पहले की तरह समान रहे।
- फुटपाथ का स्तर कभी भी इससे सटे कैरिजवे स्तर से 150 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

2घ. मोटर वाहन पार्किंग द्वारा फुटपाथों को अतिक्रमण से बचाने के लिए कुछ कुछ अंतरालों पर लगाए गए बफर्स, बोलार्ड और अन्य भौतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसी सामग्री को लगातार रेलिंग जैसे अवरोध का निर्माण नहीं करना चाहिए, जिससे पैदल चलने वालों के लिए बाधा उत्पन्न हो। फुटपाथों को अतिक्रमण से बचाने के लिए सक्रिय प्रवर्तन की आवश्यकता है।

2ङ. ब्लाइंड टर्न और चौराहों पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए, कोनों के कर्ब की त्रिज्या 12 मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। कलेक्टर अथवा स्थानीय सड़कों पर कोई स्लिप रोड अथवा फ्री लेफ्ट टर्न नहीं दिया जाना चाहिए। यदि स्लिप रोड या टर्निंग पॉकेट को प्रमुख सड़कों पर दिया जाता है, तो ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सिग्नल के साथ सुरक्षित स्तर पर पैदल यात्री क्रॉसिंग प्रदान की जानी चाहिए।

2च. सभी कलेक्टर और प्रमुख सड़कों पर बहु-उपयोगिता क्षेत्र (एमयूजेड) की चौड़ाई न्यूनतम 1.8 मीटर होनी चाहिए, जिससे कि बस स्टॉप, सड़क उपयोगिताओं, पेड़ों, स्ट्रीट फर्नीचर, तूफानी जल प्रबंधन के लिए रोपण, आईपीटी/एनएमटी स्टैंड, सशुल्क आईडल पार्किंग आदि को समायोजित किया जा सके और ये कैरिजवे या सुरक्षित पैदल चलने वालों हेतु स्थानों पर अतिक्रमण न करें।

2छ. सभी कलेक्टर और प्रमुख सड़कों पर साइकिल चालकों/एनएमटी हेतु सुरक्षित पार्किंग सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

2ज. प्रत्येक 500-800 मीटर की दूरी पर सुलभ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करवाएं जाएं, जो पैदल चलने वालों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं द्वारा आसान पहुंच के लिए बस स्टॉप के निकट स्थित हो।

3. <u>सभी सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा, आराम और सुविधा के लिए:</u>

3क. पैदल चलने वालों को आरामदायक और सुरक्षित पहुंच के साथ ग्राउंड स्तर पर बने रहना चाहिए, और सबसे प्रमुख सड़क का कम से कम उपयोग करना चाहिए, जब तक कि कोई दूसरा विकल्प न हो।

3ख. सभी सड़कों के दोनों ओर एक निरंतर अबाधित फुटपाथ, जिसमें आरओडब्ल्यू 12मी से अधिक चौड़ा हो। पेड़ों / हरियाली / फेरी वालो हेतु स्थानों और सतह उपयोगिताओं के लिए स्थान के अलावा फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मी (2.4 मी स्पष्ट ऊंचाई के साथ) होनी चाहिए। फुटपाथ की चौड़ाई पैदल चलने वालों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी, और जहाँ भी आवश्यकता हो, 1.8 मीटर से अधिक चौड़ी होनी चाहिए।

3ग. फ्रंटेज जोन अथवा डेड विड्थः खरीदारी के क्षेत्रों में फुटपाथों के लिए, फुटपाथ की चौड़ाई में एक अतिरिक्त 1 मीटर जोड़ा जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में 0.5 मीटर की डेड विड्थ जोड़ी जा सकती है।

3घ. 18 मीटर आरओडब्ल्यू अथवा उससे कम की सड़कों पर, यदि पैदल चलने वाले व्यक्तियों की आवाजाही दोनों दिशाओं में 8000 प्रति घंटे से अधिक है, तो पूरे आरओडब्ल्यू को पैदल चलने के लिए रखा जाना चाहिए। आर्थिक गतिविधि और/अथवा सुरक्षा और सुविधा में सुधार की क्षमता के आधार पर, ऐसी सड़कों को पैदल चलने के लिए निर्धारित किए जाने पर विचार किया जा सकता है, भले ही पैदल चलने वाले व्यक्तियों की आवाजाही 8000 प्रति घंटे से कम हो।

3ङ. हर समय कैरिएजवे पर फुटपाथों की ऊंचाई 150 मिमी से कम होनी चाहिए और वर्षा जल के बहाव के लिए पर्याप्त क्रॉस ढलान होने चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ पर आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए ऊंचाई काफी कम होनी चाहिए।

3च. सभी सुविधाओं और जनसुविधाओं को कम गतिशीलता वाले सभी लोगों द्वारा सार्वभौमिक पहुंच हेतु सुगम व बाधा रहित होना चाहिए, जिसमें श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल हैं।

3छ. प्रति किलोमीटर कम से कम 5 सुरक्षित स्ट्रीट-लेवल क्रॉसिंग की सुविधाएं होनी चाहिए और दो क्रॉसिंग के बीच अधिकतम स्थान की दूरी 250 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्थानों की परिस्थिति के अनुसार इन क्रॉसिंग को वाहनों

की गति को कम करने हेतु सिग्नल और/अथवा यातायात नियंत्रकों (सड़क स्तर पर 150 मिमी तक क्रॉसवाक बढ़ाने के माध्यम से) द्वारा प्रबंधित किए जा सकते हैं।

- प्रत्येक सड़क पार करने के स्थान पर 1 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई के साथ पैडेस्ट्रेन रेफ्यूज। जो मोटर वाहन कैरिजवे के 7 मीटर पार करने के बाद हो सकते हैं, अथवा बिना सिग्नल वाले मिडब्लॉक क्रॉसिंग पर दोनों ओर मोटर वाहन कैरिएजवे के 10 मी के अंतराल में हो सकते हैं।
- जहां संभव हो पैदल यात्री रेफ्यूज की चौडाई को 1.75 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि एक साइकिल को समायोजित किया जा सके।
- गंतव्य तक पहुँचने के लिए अनावश्यक चक्करों को रोकने के लिए स्तरीय तौर पर अलग की गई संरचनाओं (फुट-ओवर ब्रिज और पैदल-उपमार्ग) से बचा जाना चाहिए।
- यदि शहरी क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्रों में राजमार्गों की उपस्थिति के कारण स्तरीय तौर पर अलग किए गए पैदल यात्री क्रॉसिंग अपरिहार्य हैं, तो ऐसी क्रॉसिंग संरचनाएं कई स्थानों में थोड़े अंतरालों में होनी चाहिए। किनारों पर विकास वाले क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर कम से कम 4 क्रॉसिंग सुविधाएं होनी चाहिए। प्रत्येक क्रॉसिंग को सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए सुलभ होना चाहिए।

3ज. जहां भी मानदंडों के अनुसार अनुमति दी गई हो, प्राकृतिक निगरानी अथवा 'सड़क पर नज़र' को सभी सड़कों पर बाधाओं और बांउड्री वॉल को हटाकर, सड़क के किनारे के निर्माण के लिए सक्षम किया जाना चाहिए। यह अंदर से लोगों को फुटपाथ पर नजर रखने सक्षम बनाएगा और इस प्रकार फुटपाथों, बस-स्टॉप और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के उत्पीड़न को हतोत्साहित करने में मदद करेगा।

- मुख्य इमारत के अग्रभाग को सड़क की ओर सम्मुख होना चाहिए, चाहे वह सेटबैक के बिना संपत्ति की लाइन पर स्थित है अथवा सेटबैक और पारदर्शी किनारे के भीतर सक्रिय उपयोग के साथ हो, जो सड़क सुरक्षा में मददगार होता है। सड़कों की दृश्य निगरानी की सुविधा के लिए व्यावसायिक फ्रंटेज पर न्यूनतम 50% पारदर्शिता (बिना रंग के) के साथ अग्रभाग होने चाहिए।
- यदि साइटों के बाड़े की आवश्यकता होती है, तो जमीन के स्तर से 300 मिमी की ऊंचाई से पारदर्शी बाड़े का उपयोग किया जाना चाहिए।
- सड़क को सक्रिय करने और इसे सुरक्षित बनाने के लिए, चलने के मार्ग के साथ और विशेष रूप से अत्यधिक संख्या में पैदल चलने वाले क्षेत्रों के साथ फेरीवाले स्थानों को चिन्हित किए जाने चाहिए। पीने के पानी के प्याउ-घर और शौचालय सहित उपयोगिताओं के लिए जगह की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि चलने की जगह बढ़े और इसमें कोई समझौता नहीं किया गया हो।

3झ. कैरिएजवे के लिए प्रदान की गई कोई हाई-मास्ट लाइटिंग के अलावा पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए पर्याप्त लो-मास्ट स्ट्रीट लाइटिंग भी प्रदान किए जाने चाहिए। लगभग 20 एलयूएक्स का स्तर गैर-खरीदारी क्षेत्रों और फुटपाथों के लिए उपयु□ है और शॉपिंग क्षेत्रों, बस-स्टॉप, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने और पैदल चलने वालों के इकट्ठा होने या प्रतीक्षा वाले किसी भी क्षेत्र में 25-30 एलयूएक्स-लेवल की आवश्यकता होती है।

3ञ. उच्च उपयोगिता के लिए सड़क के कोनों पर कूड़ेदान, पोस्ट-बॉक्स, साइनेज और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करें।

4. सभी सड़क उपयोगकर्ताओं हेतु क्लाईमेट कम्फर्ट के लिए:

4क. पेड़ सभी सड़कों के लिए एक आवश्यक घटक हैं - पैदल चलने वालों/साइकिल चालकों को छाया प्रदान करने और धूप की चिलचिलाहट से बचने के लिए।

- 12 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाली सड़कों के लिए प्रति किमी कम से कम 125 पेड़ और 12 मीटर से अधिक आरओडब्ल्यू वाली सड़कों पर प्रति फुटपाथ प्रति किमी कम से कम 125 पेड़ होने चाहिए।

पेड़ों के बीच अंतराल 12 मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए केवल चौराहों वाले स्थान को छोड़कर।

4ख. नगरीय उष्मा प्रभाव (अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट) को कम करने के लिए सतह के निर्माण हेतु हाई एल्बेडो (परावर्तन को कम करने वाले) सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

4ग. ओवरहैंग्स और आर्केड्स के साथ किनारों पर फुटपाथ वाले भवनो का निर्माण किया जाना चाहिए जो पैदल चलने वालों को अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

5. सभी सड़क उपयोगकर्ताओं हेतु सार्वभौमिक पहुंच और सुविधाएं सुनिश्चित करना:

5क. सभी सुविधाओं और जनसुविधाओं को कम गतिशीलता वाले सभी लोगों द्वारा सार्वभौमिक पहुंच हेतु सुगम व बाधा रहित होना चाहिए, जिसमें संहिता के अनुसार श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल हैं।

5ख. विकलांग व्यक्तियों/बुजुर्गों के लिए आवागमन में आसानी हेतु लगातार बने अवरोध मुख्य□ फुटपाथ प्रदान किए जाने चाहिए। विभिन्न स्थानों पर उपरी हिस्से/रैंप आदि के उचित प्रावधान के लिए फुटपाथ की ऊँचाई को आरओडब्ल्यू के साथ 150 मिमी के निरंतर स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए, जैसे कि संपत्ति में प्रवेश, क्रॉसिंग इत्यादि।

5ग. लगभग 70 से 250 मीटर के अंतराल पर एट-ग्रेड क्रॉसवॉक (राजमार्गों या बीआरटी कॉरीडोर्स पर फुट-ओवर ब्रिज) प्रदान किए जाने चाहिए, जो ट्रांजिट स्टॉप के स्थान, सड़क/भूमि उपयोग गतिविधियों के प्रकार और आसपास के भवन के प्रवेश और गंतव्यों के साथ संरेखित हों।

5घ. सुलभ सार्वजनिक शौचालय हर 500-800 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, अधिमानतः जो पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं द्वारा आसानी से पहुंचने के लिए बस स्टॉप के नजदीक स्थित हो।

6. नगरीय ऊष्मा प्रभाव (अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट) को कम करना और प्राकृतिक तूफानी जल प्रबंधन का सहयोग:

6क. पारगम्य फर्श के उपयोग, पेड़ लगाने वाले जोन आदि के माध्यम से अभेद्य सतहों को कम करना, भूजल संभरण को बढ़ाना और मौसमी बाढ़ को रोकना।

6ख. सड़क डिजाइन में बायो-फिल्टरेशन बेड्स, स्वेल्स और चारो ओर से घिरे तालाबों के माध्यम से प्राकृतिक तूफानी जल फिल्टरेशन और अवशोषण को एकीकृत करना।

6ग. हरियाली को बढ़ाने, वृक्षारोपण, प्रभावी परावर्तन फर्शों आदि के उपयोग द्वारा उष्मा द्वीप प्रभाव (हीट आइलैंड इफेक्ट) को कम करना।

7. इंटरमीडिएट सार्वजनिक परिवहन:

मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) ऐसे भाड़े पर लिए/साझाकृत किए गए परिवहन के साधन होते हैं जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को समर्थन अथवा निजी परिवहन उपयोग के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में फीडरों के तौर पर कार्य कर सकता है। आईपीटी में साइकिल-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सियां और अन्य वाहन प्रकार शामिल हैं, जो परिवहन के एक साझा साधन/फीडर सेवा के रूप में सेवारत है और जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी निर्दिष्ट हैं। टैक्सी एक एकीकृत परिवहन सेवा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि अन्य सभी मेट्रो शहरों की तरह

सड़क पर भी उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जो सार्वजनिक परिवहन के लिए कार का उपयोग नहीं करते हैं और कुछ यात्राओं के लिए टैक्सी को अपनाते हैं। ऑटो-रिक्शा भी सार्वजनिक परिवहन के लिए एक साझा अथवा किराए पर साधन के रूप में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की यात्राओं के लिए घर-घर तक संपर्क प्रदान करते हैं, और निजी साधन के सापेक्ष एक किफायती विकल्प प्रदान करते हैं।

8. मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) की परिभाषा:

मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को ऐसी किसी भी सार्वजनिक पारगमन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 10,000 से अधिक पीक ऑवर डायरेक्शन टिप्स (पीएचपीडीटी) ले जाने की क्षमता होती है।

अनुलग्नक 8: सांस्कृतिक परिसीमा की सांकेतिक सूची

- निजामुद्दीन दरगाह- हुमायूँ का मकबरा परिसर-सुन्दर नर्सरी
- शमशी किला-जहज़ महल-ज़फ़र महल-बावली-आदम खान मकबरा- कुतुबमीनार परिसर
- विजय मंडल - बेगमपुर - सराय शाहजी -लाल गुम्बद
- सफदरजंग मकबरा - लोधी उद्यान- लोधी संस्थागत क्षेत्र- लोधी कला मंच
- त्रिकोना पार्क- शाहपुरजाट फैशन स्ट्रीट - तोहफेवाला गुंबद- एशियाड विलेज सोसाइटी
- फिरोजशाह का मकबरा - हौजखास गांव - हौजखास झील
- खिड़की मस्जिद-सतपुलानुल्लाह- चिराग दिल्ली में स्मारक- जहाँपनाह जंगल
- हेरिटेज सिटी (हेरिटेज ज़ोन) के भीतर हेरिटेज प्रीकाइंट्स: ऐतिहासिक बाज़ार (जैसे खारी बावली, पराठेवाली गाली / कटरा / चांदनी चौक विस्टा / जामा मस्जिद के आसपास मोतिया महल / क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र)
- एलबीजेड के भीतर विरासत: सेंट्रल विस्टा

अनुलग्नक 9: पुनर्विकास के लिए गैर-अनुरूप क्षेत्रों में औद्योगिक कोन्सेनट्रेशन

गैर-अनुरूपण उद्योग	**क्षेत्र (एचए)**
आनंद परबत	**49.5**
शाहदरा	**19.7**
समयपुर बादली	**20.1**
जवाहर नगर	**17.9**
सुल्तानपुर माजरा	**15.5**
हस्तसाल पॉकेट - ए	**5.5**
नरेश पार्क एक्सटेंशन	**12.7**
लिबासपुर	**32.4**
पीरागढ़ी गाँव	**17.2**
ख्याला	**47**

हस्तसाल पॉकेट - डी	6
शलमर गाँव	5.1
नई मंडोली	24.7
नवादा	5.3
रिठाला	41.2
स्वर्ण पार्क मुंडका	6.9
हैदरपुर	22.2
करावल नगर	25.5
डाबरी	2.6
बसई दारापुर	-
प्रहलादपुर बांगर	23.4
मुंडका और मुंडका उद्योग नगर	80.8
रणहोला *(*उद्योग विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया*	

अनुलग्नक 10: एमपीडी-41 के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की-पर्फोर्मेंस इंडीकेटर)

क्र.सं.	केपीआई का नाम	माप के साधन	टिप्पणियाँ
1	स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी	$\frac{\text{स्थानीय पीएम2.5 अवलोकनों की संख्या जो कम से कम 'अच्छी' श्रेणी के भीतर हों}}{\text{अवलोकनों की कुल संख्या}} \text{x100}$ जिसमें, • स्थानीय पीएम2.5 = स्थानीय कारक X पीएम2.5 मूल्य • अवलोकन = निगरानी केन्द्रों की संख्या x 365 (दैनिक मापन के लिए) • अच्छी श्रेणी = सीपीसीबी द्वारा प्रदान किए निर्देशों से मेल खाती है।	दिल्ली में अधिकांश प्रदूषण बाहरी स्रोतों से है, जिस पर इस शहर का कोई नियंत्रण नहीं है। स्थानीय/स्वदेशी कारक वह प्रदूषण है जो शहर में उत्पन्न होता है, जिसके स्रोत का पता स्रोत अध्ययनों के माध्यम से लगाया जा सकता है। ऐसे अध्ययन प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाने चाहिए।
2	जल प्रदूषण नियंत्रण	$\frac{\text{प्राकृतिक निकाय में मापा गया विघटित ऑक्सीज़न}}{\text{प्राकृतिक निकाय में न्यूनतम वांछित विघटित ऑक्सीज़न}} \text{x 100}$ जिसमें, • प्राकृतिक निकायों में नदियां, जल निकाय और प्राकृतिक नाले शामिल हैं। • न्यूनतम वांछित विघटित ऑक्सीजन (निगरानी के पहले चरण हेतु) = 4 mg/L (सीपीसीबी निर्देशों के अनुसार बाद में संशोधित किए जा सकते हैं)	नदी, जल निकायों और नालों के लिए व्यक्तिगत स्कोर की गणना 2.4 में निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार 1-5 की श्रेणी में की जानी चाहिए। तीन अंकों का

			एक औसत समग्र केपीआई स्कोर प्रदान करेगा।
3	हरित कवर संवर्धन	आधार रेखा के संदर्भ में शहर के हरित क्षेत्र (%) में वार्षिक वृद्धि (उदाहरण 2021 के आंकड़े)	हरित आच्छादन / कवर को भारतीय वन सर्वेक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित एवं गणना की गई है।
4	जल निकायों का कायाकल्प	$\frac{\text{1 हेक्टेयर एवं अधिक आकार के पुनरुद्धारित जल निकायों की संख्या}}{\text{1 हेक्टेयर एवं अधिक आकार के कुल जल निकाय}} \times 100$	पुनरूद्धारित जल निकाय को परिभाषित करने हेतु मापदंड। • जल निकायों में अथवा इसके आसपास ठोस अपशिष्ट की उपस्थिति का नहीं होना। • जल निकायों में गैर-शोधित अपशिष्ट जल को प्रवाहित नहीं किया जाना। • जल निकाय के चारों ओर घेरे के रूप में सुरक्षा का होना। • जल निकाय में कोई भी दृश्य जलीय-सुपोषण (यूट्रोफिकेशन) का नहीं होना। • 4 mg/l का न्यूनतम डीओ • जनसाधारण के लिए सुलभ (वांछनीय लेकिन अनिवार्य नहीं) • नियमित रखरखाव प्रणाली का होना। • पिछले वर्ष की अपेक्षा पानी की मात्रा में कमी नहीं होना।
5	बाढ़ जोखिम में कमी	आधार-रेखा के संदर्भ में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की संख्या में कमी होना (उदाहरण 2021 आंकड़े)	बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को लोकनिर्माण विभाग तथा दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा

			परिभाषित एवं चिन्हित किया जाना।
6	अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग	$\frac{\text{उपयोगित उपचारित जल अपशिष्ट}}{\text{कुल सृजित जल अपशिष्ट}} \times 100$	
7	भूजल संवर्धन	अवलोकन कूओं की संख्या जिसमें भूजल गहराई 'सुरक्षित' श्रेणी/स्तर में है।	'सुरक्षित' श्रेणी, जैसा कि सीजीडब्ल्यूबी द्वारा परिभाषित है।
8	लैंडफिल स्ट्रैस को कम करना	$\frac{\text{लैंडफिल्स में पहुंचने वाले कुल अपशिष्ट}}{\text{कुल सृजित अपशिष्ट}} \times 100$	
9	अपशिष्ट से वेल्थ में परिवर्तन	आधार-रेखा के संदर्भ में पुनर्चक्रित सीएंडडी उत्पादों से राजस्व के सृजन में वृद्धि। (उदाहरण 2021 आंकड़े)	
10	कुल उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा	$\frac{\text{नवीकरणीय स्रोतों से उर्जा उपयोग}}{\text{कुल उर्जा उपयोग}} \times 100$	नवीकरणीय उर्जा स्रोतों में सौर, पवन, जल और जियोथर्मल शामिल हैं।
11	भूकंपीय अनुपालन	$\frac{\text{भूकंपीय प्रणाली सक्षम पंजीकृज भवनों की संख्या}}{\text{भूकंपीय प्रणाली की आवश्यकता वाले पंजीकृत भवनों की संख्या}} \times 100$	डीडीएमए निर्देशों के अनुसार भूकंपीय अनुपालन की आवश्यकता वाले भवन।
12	आग के प्रकोप से सुरक्षा	आधार-रेखा के संदर्भ में आग की घटनाओं की संख्या में कमी। (उदाहरण 2021 आंकड़े)	
13	न्यू हाउसिंग स्टॉक में लघु प्रारूप आवास का हिस्सा	$\frac{\text{निर्मित किए गए छोट फॉर्मेट के प्राधिकृत डीयू की संख्या}}{\text{निर्मित किए गए नए प्राधिकृत डीयू की संख्या}} \times 100$	देखें एसएसआई1: खंड 3.2.2.
14	स्लम पुनर्वास	$\frac{\text{पुनर्वास किए गए सूचीबद्ध झुग्गियों की संख्या}}{\text{कुल सूचीबद्ध झुग्गियों की संख्या}} \times 100$	डीयूएसआईबी के अनुसार सूचीबद्ध झुग्गियां
15	पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर शिफ्ट	निजी साधन द्वारा कुल यात्राओं हेतु सार्वजनिक और परिवहन के साझा साधन द्वारा कुल यात्राओं का अनुपात (पैदल भ्रमण को छोड़कर)।	प्रत्येक पांच वर्ष में शहर के एक विस्तृत परिवहन मॉडल विभाजन सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों की पुष्टि किया जाना।
16	इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाना	$\frac{\text{नए पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन}}{\text{कुल नए पंजीकृत वाहन}} \times 100$	
17	मानव विकास सूची	स्वत: स्पष्ट	यूएनडीपी द्वारा प्रचारित कार्यप्रणाली का उपयोग दिल्ली के

			लिए एचडीआई का पता लगाने हेतु किया जा सकता है।
18	धरोहर संरक्षण	$\frac{\text{संरक्षित विरासत स्थलों की संख्या}}{\text{विरासत स्थलों की कुल संख्या}} \times 100$	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथानिर्धारित संरक्षण मापदंड।
19	सार्वजनिक सड़कों की जीवंतता	$\frac{\text{सड़क डिजाइन विनियम के अनुसार 18 मी और इससे अधिक लंबाई डिजाइन वाली सड़कें}}{\text{18 मी और इससे अधिक लंबाई वाली कुल सड़कें}} \times 100$	देखें अनुलग्नक 6 : स्ट्रीट डिजाइन विनियमन
20	कार्यबल में महिला भागीदारी	$\frac{\text{15 से 64 वर्ष की आयु के बीच कुल महिला कामगार}}{\text{15 से 64 वर्ष की आयु के बीच कुल महिलाएं}} \times 100$	

अनुलग्नक 11: इंडस्ट्रीज की सूची (एम1)

- इस श्रेणी में उच्च प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, उच्च मूल्य वर्धित एवं ज्ञान गहन गतिविधियों में सम्मिलित व्यवसाय शामिल होंगे।
- इस औद्योगिक उपयोग जोन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों अथवा उपयोग के श्रेणियों की अनुमति है जो प्रौद्योगिकी और अनुसंधान-उन्मुख उद्योग तथा प्रकृति में गैर-विनिर्माण से संबंधित हैं;

1. सॉफ्टवेयर उद्योग

क. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम एकीकरण करने वाले उद्योग।

ख. कंप्यूटर और टेलीकॉम सुविधाओं के इंटरफेस को एकीकृत और मैन्यूप्लेट करने वाले उद्योग।

ग. सॉफ्टवेयर उत्पाद और मोबाइल अनुप्रयोग आईटी, और आईटी सक्षम कार्य

2. आईटी सेवा उद्योग

क. इंटरनेट और ईमेल सेवा प्रदाता

ख. वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज प्रोवाइडर ईकॉमर्स एंड कंटेंट डेवलपमेंट।

ग. इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) सेवाएँ

घ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी सैट, आईएसडीएन सेवाएं

ङ. इलेक्ट्रॉनिक / आईटी डाटा सेंटर गतिविधियाँ

3. आईटीईएस उद्योग

क. ग्राहक संपर्क सेवाएं, जैसे, कॉल / संपर्क केंद्र और ईमेल सहायता डेस्क

ख. बैक ऑफिस प्रोसेसिंग

ग. वित्त और लेखा (दूरस्थ तौर पर प्रदत्त)

घ. बीमा दावा प्रोसेसिंग (दूरस्थ तौर पर प्रदत्त)

ङ. मानव संसाधन सेवाएं और अन्य परामर्श (दूरस्थ तौर पर प्रदत्त)

च. वेब साइट विकास और रखरखाव सेवाएँ

छ. दूरस्थ शिक्षा

ज. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग

झ. सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन विकास

ञ. इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और उत्पाद विकास

ट. इंजीनियरिंग डिजाइन और उत्पाद विकास

ठ. डेटाबेस प्रदान करके अथवा दुनिया भर में फैले डेटाबेस तक पहुँच द्वारा उपयोग की जानकारी की आवश्यकता को पूरा करने वाले उद्योग।

ड. सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अथवा सभी घटकों के परिष्कृत परीक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करने वाले उद्योग।

ढ. दूरसंचार और सेवाओं को सक्षम करना।

4. मीडिया

क. टीवी और वीडियो कार्यक्रम उत्पादन।

ख. फोटो कम्पोजिंग और डेस्कटॉप पब्लिकेशन।

ग. पब्लिशिंग

घ. ऑडियो-विजुअल सेवाएं

5. जैव प्रौद्योगिकी / चिकित्सा

क. उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं का अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण, जो विशिष्ट जीवित प्रणालियों (पौधों, जानवरों और रोगाणुओं अथवा उसके कुछ हिस्सों) का उपयोग करके अथवा उनसे प्राप्त किए गए एंजाइम/जैव रासायनिक अभिकारकों का उपयोग करते हैं।

ख. जेनेटिक इंजीनियरिंग और कॉन्ट्रेक्ट अनुसंधान तथा नैदानिक परीक्षण

ग. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं

6. अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन

क. इलेक्ट्रॉनिक्स आरएंडडी-डिजाइन और उत्पाद विकास

ख. इंजीनियरिंग आरएंडडी- डिजाइन और उत्पाद विकास

ग. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास

घ. डिजाइन गारमेंट्स उद्योग, रत्न और आभूषण, वेब डिजाइन आदि

ङ. कपड़ा डिजाइनिंग और फैब्रिक परीक्षण आदि।

च. अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान और विकास सेवाएं

6. अन्य

क. पैकेजिंग

ख. इलेक्ट्रॉनिक समान, विद्युत (इलेक्ट्रिकल) वितरण सेवाएं

ग. टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सेवा और मरम्मत।

घ. ट्रांसपोर्ट सेवाएं

ङ. खाद्य और पेय सेवाएं

च. संस्कृति और रचनात्मक उद्योग

छ. स्टार्ट अप, इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर

नोटः

1. *सड़क का न्यूनतम आरओडब्ल्यू अथवा सड़क का फैलाव जिस पर क्रम संख्या 7 में उल्लिखित गतिविधियाँ अनुमत हैं, इस प्रकार हैः

   i. 1000 वर्गमीटर तक भूखंड- 12 मीटर मार्गाधिकार

   ii. 1000 वर्गमीटर से ऊपर भूखंड- 18 मीटर मार्गाधिकार

2. जीएनसीटीडी के उद्योग विभाग के परामर्श से डीएसआईआईडीसी द्वारा अग्रेषित की गई सूची में परिवर्धन/परिवर्तन हेतु किसी भी सिफारिश को शामिल किया जाएगा, यदि इसे उचित और केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में माना जाता है।

अनुलग्नक 12: सर्विस और रिपेयर संबंधी उद्योग की सूची (एम1)

1. एयर कंडीशनर पार्ट्स।
2. एल्यूमीनियम दरवाजे / खिड़कियां / फिटिंग / फर्नीचर।
3. साइकिल का संयोजन और मरम्मत।
4. ऑटो पार्ट्स।
5. बल्ब (बैटरी)।
6. साइकिल चैन/ताले।
7. डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम।
8. इलेक्ट्रिक फिटिंग (स्विच, प्लग पिन आदि)
9. इंजीनियरिंग वर्क
10. फाउंड्री (उद्योग विभाग/डीपीसीसी की निर्धारित सीमा के अनुसार लघु जॉब वर्क)।
11. रेफ्रिजरेशन द्वारा (कोल्ड स्टोरेज के बिना) आइसक्रीम और ठंडा पानी
12. बर्फ (आईस) के बक्से और कूलर बॉडीज़।
13. लोहे की ग्रिल और डोर मेकिंग।
14. जूट उत्पाद।
15. चाकू बनाना।
16. संगमरमर पत्थर की वस्तुएँ।
17. धातु लैथ कटिंग।
18. मोटर वाइंडिंग वर्क्स।
19. स्टील लॉकर
20. स्टील स्प्रिंग्स।
21. टिन बॉक्स बनाना।
22. ट्रांसफार्मर कवर।
23. टीवी, रेडियो रिकार्डर आदि.
24. टीवी / रेडियो / ट्रांजिस्टर केबिनेट।
25. टाइपराइटर पार्ट्स निर्माण और असेंबली।
26. पानी के मीटर की मरम्मत।
27. वेल्डिंग वर्क्स।
28. तार निटिंग।
29. लकड़ी फर्नीचर वर्क्स।
30. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं और कंप्यूटर पार्ट्स

नोटः ये सभी उद्योग गैर-खतरनाक और गैर-प्रदूषणकारी प्रकृति के होंगे, और इस श्रेणी की सभी औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

अनुलग्नक 13: 1962 से पूर्व बिल्डअप रेजिडेंशियल एंड रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों की सूची

1. अलीगंज
2. अन्धा मुगल
3. बलबीर नगर
4. भारत नगर
5. बी.के.दत्त कॉलोनी
6. दिलशाद गार्डन
7. गांधी नगर
8. गीता कॉलोनी
9. गुलाबीबाग
10. इंद्रपुरी
11. जंगपुरा - ए
12. जंगपुरा - बी
13. जंगपुरा एक्सटेंशन
14. जवाहर नगर
15. कालकाजी
16. कमला नगर
17. करोल बाग
18. किंग्सवे कैंप
19. कीर्ति नगर
20. किशनगंज
21. किशन नगर
22. लाजपत नगर - I से IV
23. मलकागंज
24. मालवीय नगर
25. मानसरोवर गार्डन
26. मॉडल बस्ती
27. मॉडल टाउन
28. मोती नगर
29. मुल्तान नगर
30. नानकपुरा
31. निकल्सन मार्ग
32. न्यू राजेन्द्र नगर
33. ओल्ड राजेन्द्र नगर
34. ओट्रम लाइन्स
35. पटेल नगर (ईस्ट)
36. पटेल नगर (वेस्ट)
37. पटेल नगर (साउथ)
38. प्रताप नगर
39. प्रेम नगर
40. पंजाबी बाग
41. राजौरी गार्डन
42. राणा प्रताप बाग
43. रमेश नगर
44. राम नगर
45. रोहतासनगर
46. रूप नगर
47. सराय रोहिल्ला
48. शाहदरा
49. शक्ति नगर
50. शेख सराय
51. शिवाजी पार्क
52. सुभाष नगर
53. तिलक नगर
54. तिमारपुर
55. तिहाड़ - I और II
56. विनोबापुरी
57. विजय नगर

Annexure 14: Service Plans

List of Annexures

ANNEXURE I: SERVICE PLAN - **DELHI JAL BOARD (DJB)**

ANNEXURE II: SERVICE PLAN - **IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FCD)**

ANNEXURE III: SERVICE PLAN - **DELHI CANTONMENT BOARD (DCB)**

ANNEXURE IV: SERVICE PLAN - **EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION (EDMC)** ANNEXURE V: SERVICE PLAN - **SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SDMC)** ANNEXURE VI: SERVICE PLAN - **NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NORTH DMC)**ANNEXURE VII: SERVICE PLAN - **NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)**

ANNEXURE VIII: SERVICE PLAN - **DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHIPOLLUTION CONTROL COMMITTEE (DPCC)**

ANNEXURE IX: SERVICE PLAN - **DEPARTMENT OF POWER, GNCTD** ANNEXURE X: SERVICE PLAN - **DELHI TRANSCO LIMITED (DTL)** ANNEXURE XI:SERVICE PLAN - **INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)**

ANNEXURE XII: SERVICE PLAN - **DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY,GNCTD**

ANNEXURE I: SERVICE PLAN – DELHI JAL BOARD (DJB)

डायरी संख्या 35
दिनांक 22/01/21
उप-निदेशक (योजना) एच.पी.एम.आर., दि.ज.बो.

डायरी सं० 59
दिनांक 22/01/21

आयुक्त (योजना) कार्यालय
डायरी सं 1-82
दिनांक 21.01.2021

DELHI JAL BOARD : GOVT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI

No. DJB/CEO/2021/ D-882 Date : 18.01.2021

To

VC's Office
Dy No. 120-CD
Dated 20/1/21

R&D SYSTEMS
DDA, VIKAS SADAN
Dy. No. 274
Date 19/1/21
V.C.

The Vice Chairman
Delhi Development Authority
Vikas Sadan
New Delhi – 110023

Sub: Perspective Plan for Infrastructural Services for Delhi 2041- Water Supply & Sewerage

Ref: DO No. F 18(7)/2018-MPD/D-154 dated 16.07.2020 from Vice Chairman, DDA

Sir,

Inviting reference to your above letter on the captioned subject, I am to state that the Perspective Plans for Infrastructural Services for Delhi 2041-Water & Sewerage have been prepared, copies of which are enclosed as Annexure – 'A' & 'B'.

In this regard, it is submitted that Delhi has limited availability of raw water resources and therefore, infrastructure planning must necessarily incorporate enhanced water conservation measures including optimum utilization of treated effluent for non-potable purposes. Further, Rain Water Harvesting is also an integral part of the water conservation paradigm along with revival of water bodies for sustainability of ground water resources. These measures are required to be given focused attention in future Urban Planned Developments in the National Capital.

Com(Rg) Delhi roll

Also ask for soft copy. Done 22/1/2021 Acc(Rg) SK/Raj

Pl. send mail to JS & for providing soft copy. Rajesh Sikdar 28/01/2021

PD(Rg)-II/MPMA (RTO) D.O Chg.) MPMA

Needless to emphasize, Delhi Development Authority, being the premier development agency in Delhi, has a pivotal role to facilitate additional availability of raw water to the National Capital for its planned and orderly development through liaison with the Central Ministries and agencies concerned.

Further, it had been earlier informed that a Consultant has been engaged for preparation of DPR for Integrated Infrastructural Master Plan (IIMP) for Land Pooling Zones. It is assured that DJB will provide all necessary available inputs on network design, identification of sites for WTPs/STP etc and extend fullest co-operation to the Consultant appointed by the DDA and facilitate the process of infrastructure planning for developments under Land Pooling Zones/MPD-2041.

(Nikhil Kumar)
Chief Executive Officer

Encl: A. Perspective Plan for Infrastructural Services for Delhi 2041- Water Supply
B. Perspective Plan for Infrastructural Services for Delhi 2041- Sewerage

9650817009
Santosh Kr
JE DJB

Soft copy received vide email dt 19/01/2021. Kindly forward with cover letter to NIUA.
09/02/2021

Mr. Nisha, PA

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DELHI JAL BOARD (DJB)

(A) WATER SUPPLY

1. Present water demand

Delhi Jal Board (DJB) had earlier considered per capita potable water requirement @ 60 GPCD. As per the projected population of 23 million for 2021, the water demand is estimated to be 1380 MGD.

2. Water demand projections for 2041

DJB anticipated that by the year 2041 about 1500 MGD potable water @ 50 GPCD (225 LPCD) for a population of 30 million (3 crore) shall be required. For future planned developments, availability of potable water will be restricted to maximum of 40 GPCD (180 LPCD).

3. Basis for adopting per capita water requirement:

Due to limited water resources, demand for potable water has been rationalized by use of non-potable recycled water of desired quality standards for different non-potable uses. For future planned developments, availability of potable water will be restricted to a maximum of 40 GPCD as given in the Table - 1.

Table 1 Potable Water Demand as per use for future developments

Potable Water Demand	Quantity
Residential	135 LPCD
Non-Residential (Commercial/Institutional etc. including 5 LPCD for floating population)	20 LPCD
Fire Demand	2 LPCD
Transmission Losses @ 15%	23 LPCD
Total	**180 LPCD (Say 40 GPCD)**

Water requirement for toilet flushing purposes in residential developments and non-residential developments (about 75LPCD) shall have to be met by use of non-potable recycled water of desired quality standard with dual piping system. Water demand for industrial process water & horticulture/gardening/agriculture purposes shall also need to be necessarily met out from recycling of wastewater of desired quality standards. Necessary infrastructure for enabling use of recycled water such as dual piping and plumbing, etc. is to be ensured by DDA / Land Developing Agencies. For new buildings (land pooling / redevelopment), dual piping maybe enforced by the building plan sanctioning authorities.

The plumbing infrastructure for dual piping is very difficult and cost intensive to implement in existing developments. Therefore, Delhi Jal Board has assessed that with potable water demand of 40 GPCD in future planned developments, total requirement of potable water at the city level can be progressively brought down from 60 GPCD to 50 GPCD.

4. Action Plan for Water Augmentation for 2041

It is well known that the fresh water resources for the National Capital Territory of Delhi are limited and the situation is increasingly becoming challenging. Therefore, a twin-pronged strategy for water supply in the future focuses on the augmentation of both, ground water and surface water resources, while also emphasizing the need for increased wastewater treatment and reuse, rainwater harvesting initiatives, restoration of water bodies, etc.

Water Augmentation Plan for NCT of Delhi envisaged by Delhi Jal Board is given here under Table - 2:

Table 2 Water Augmentation Action Plan

Water Sources	Source of water	Proposed amount of water augmentation (in MGD)			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
Short to Medium term Plan (248 MGD)					
1. Ground Water	a. Installation of additional Tube-Wells in Palla Area (200 Tube-Wells)	25			

Extraction **(113 MGD)**	b. Aquifer Recharge and Ground Water Extraction from Water Bodies / Lakes (including reuse of treated effluent)	23			
	c. Ground Water Extraction from Localized Area having High Ground Water Levels	65			
	d. Additional Ground Water Recharge Projects in Palla Areas				
	e. Setting up Advanced WTPs at Okhla with Ground Water Sources from Ranny Wells				
2. Surface Water (70 MGD)	Discharge of high quality treated effluent in the River Yamuna at Palla and its reclamation at Wazirabad as raw water source (Reuse of treated effluent)	70			
3. HP share of unutilized water in Yamuna share **(Surface Water - 65 MGD)**	Additional Yamuna water to Delhi as per the MOU with Himachal Pradesh for utilization of their un-utilized Yamuna river water allocations.	65			
Medium to Long term Plans (336 MGD)					
4. Substitution of 51 cusec of Yamuna Water for irrigation purposes **(16 MGD)**	Utilization of 51 cusec of allocated irrigation water to Delhi at Hathnikund / Tajewala for its drinking water needs	16			
5. Raw water from Uttar Pradesh	MOU with Uttar Pradesh for additional river water to Delhi in lieu of adequately treated effluent by Delhi for their irrigation	140			

(140 MGD)	needs		
6. Upstream Storages **(180 MGD)**	Upstream Storages – Renukaji, Lakhwar & Kishau dam projects (* *This is a highly tentative calculation. However, exact allocations will be decided by UYRB where Delhi hopes that drinking water requirements will be given primacy in allocations & return flow by Delhi will be considered in allocation of Yamuna water in Delhi for its consumptive needs*.)	180*	
Present Availability of Water		**935 MGD**	
Additional Water Augmented by 2041		**584 MGD**	
Total Water Availability by 2041		**1519 MGD**	

DDA has to earmark land required for water supply infrastructure and has to provide land to Delhi Jal Board for setting up Water Treatment Plants and Primary UGRs/Master Balancing Reservoirs with Booster Pumping Stations. JICA Study Report on Improvement of Water Supply in Delhi has suggested Master Plan Development Zones wise Primary UGRs/MBRs with pumping capacities totalling to 1560 MGD and four new Water Treatment Plants. Status of land for the proposed four new Water Treatment Plants is given in Table – 3.

Table 3 Land Requirement for new WTPs

Sr. No.	Name of WTP	Capacity (MGD)	Status of Land	Master Plan Development Zone
1	Iradat	80	Available with DJB	P-1
2	Dwarka Phase II	50	-do-	L
3	Najafgarh	75	DDA has to provide	L
4	Chattarpur	80	-do-	J

The land requirement includes additional provision of 15% & 25% for WTPs and UGR with BPS respectively for future expansions and ancillary infrastructure.

In addition, Water Treatment Plants for another 300 MGD would require to be setup for catering to the projected population of 30 million by 2041. Land for these WTPs will need to be earmarked as per norms mentioned below, depending on the source of raw water and the planned development to be carried out.

- **For Water Treatment Plants:**

- 80 MGD (363 MLD) capacity – 300 m^2/MLD
- 40 MGD (182 MLD) capacity – 400 m^2/MLD

- **For underground Reservoirs with Booster Pumping Stations:**

- 5 ML Capacity – 700 m^2/ML
- 50 ML Capacity – 600 m^2/ML

Assessment of land requirement should not be limited by the projected population for MPD-2041, but need to consider design period i.e. population projections for 2051 and further future urban expansions.

5. Water Conservation Initiatives by DJB

5.1. Groundwater Recharge through Rain Water Harvesting:

Central Ground Water Board has assessed that potential annual rainwater run-off of 24.39 MCM (5,372MG) out of the total of 175 MCM (38,546 MG) available for recharge areas in Delhi. This is proposed to be realized through construction of check dams and artificial recharge structures in rainwater drains. Annual potential of rooftop rainwater harvesting is assessed to be about 14.69 MCM (3,236MG).

RWH Structures are integral to the rainwater conveyance system. DJB has also published guidelines for encouraging adoption of Rooftop Rain Water Harvesting. DJB has identified 89 buildings maintained by PWD/DMCs/GoI/DDA, etc.in 2019, where RWH system is feasible to be installed.

Eleven rain centers in the field and one at the Headquarter have been setup to facilitate the applicants to install rainwater-harvesting system. Nodal officers' in-charge of these rain centers has also been appointed. Intensive awareness program for publicity of Rain Water Harvesting is also carried out from time to time.

5.2. Revival and Rejuvenation of Existing Water Bodies and Creation of Artificial Water Bodies:

Traditional water bodies help sustain the city's eco system and act as a catalyst to its growth and development, and additionally their rejuvenation contributes to the aesthetics of the city. Majority of Delhi's traditional water bodies suffer from encroachment, illegal construction, over-extraction and water pollution. In order to address these issues, DJB has taken up the work of revival of 240 water bodies with an aim to recharge ground water. The scheme amounting to Rs. 37,678.92 lakh to revive 155 water bodies was approved by DJB in December 2018, out of which, work for 50 water bodies have already been awarded. Raw sewage is proposed to be treated and utilized to recharge ground water.

DJB is also creating artificial Lakes at PappanKalan Waste Water Treatment Plant (WWTP), Dwarka WTP, Timarpur Oxidation Pond, Rohini WWTP and Nilothi WWTP. About 46.5 MGD of treated effluent will be utilized after due treatment to fill the lakes for recharge of ground water. It is estimated that about 50% i.e. 23.25 MGD of water would be available as raw water source from extraction of ground water by installation of tube-wells in the surrounding areas of these artificial lakes.

Status on revival of existing water bodies and creation of new lakes is given in Table-4 &5 Revival/rejuvenation of water bodies will involve following activities:

- Sewage flow into the identified water bodies will be trapped or stopped.
- Treated effluent from a nearby decentralized Waste Water Treatment plants will be used for rejuvenation of dry water bodies or DJB will install bioremediation Waste Water Treatment Plants to clean waste water coming into the water bodies.
- The surrounding of water bodies will be developed and people residing near-by will be given access to the water bodies.

Table 4 Status of Works on Existing Water Bodies

S. No.	Status of Water Bodies/Artificial Lake	No. of Water Bodies / Artificial Lakes	Awarded / Estimated Cost(Lakh)	Timelines
1	In progress	46	7942.05	Works will be progressively completed in phased manner in next 3 to 4 years.
2	Proposal under Preparation for call of tenders	39	10639.22	
3	To be executed by M/S CSIR-NEERI as PMC	4	1348.25	
4	Proposed to be carried out through in-house technology on DBO basis	66	17749.40	
5	Water Bodies received from IFCD, Proposed to be carried out through in-house technology on DBO basis	85	22859.08	
	Total	**240**	**60538.00**	

Table 5 Status of New Artificial Lakes to be created

S. No.	Status of Artificial Lakes	Quantity of Treated Effluent to be Utilized (MGD)	Estimated Quantity available for use as Raw Water Source from Extraction of Ground Water (MGD)	Status	Timelines
1	At DWARKA WTP	15	7.5	In Progress	Works will be progressively
2	At Sector -25 Rohini	5.5	2.75	In	

	WWTP			Progress	completed in phased manner in next 3 to 4 years.
3	At Timarpur Oxidation Ponds	6	3	In Progress	
4	At Nilothi WWTP	15	7.5	Proposal revised	
5	At Pappankalan WWTP	5	2.5	In Progress	

5.3. Utilization of Treated Wastewater:

Present utilization of treated effluent in NCT of Delhi is about 90MGD, apart from the discharge of 267 MGD of treated effluent as return flow in the river Yamuna downstream of Wazirabad Barrage as per the present interim distribution of Yamuna water by UYRB. Further, proposed utilization of Treated Effluent to the extent of about 436-466 MGD is given in Table-6 as under, which will be undertaken in a phased manner.

Table 6 Proposed Utilization of Treated Effluent

Sr. No.	Proposed Utilization	Quantity (MGD)	Timelines	Remarks
1	Coronation Pillar STP	70-100	Dec-2023	To be used as source of Raw Water after tertiary treatment. This proposal has been agreed *in principle* by UYRB. The tenders for consultant have been received on 07.01.2021 and likely to be awarded by Feb, 2021.
2	Auchandi & Jaunti Regulator for irrigation use in NCT of Delhi	20	Jun-2023	Exchange with Haryana in lieu of irrigation component. This proposal is being considered by UYRB and joint inspection with UYRB was done on 08.01.2021.
3	Exchange in lieu of raw water with U.P	140	(3-4 years after MOU with UP) 2024-25	Exchange of raw water in lieu of Treated Effluent from Okhla STP. Matter is being

				pursued with U.P Govt. The feasibility report submitted by UP irrigation, under examination.
3	Committed use by PPCL	18	At present about 7 MGD is being taken by PPCL at their Bawana plant however, keeping in view their future expansion plans a provision of additional 18 MGD is kept for their committed use.	Committed use by PPCL at Rithala.
4	All water bodies, forests etc.	188	Dec-2024	
	Total	**436 -466**		

WAPCOS (India) Limited, a Government of India Undertaking, has submitted its report with identified proposed Recharge Schemes/Projects in NCT of Delhi such as Check damns/Nala bunds in Ridge area, Roof-top rainwater harvesting schemes in institutional and commercial buildings, percolation ponds, lake basins, aquifer storage and recovery wells, parks and gardens recharge regions, flyovers and city roads, Yamuna flood basin areas, etc. to be carried out by respective agencies.

6. Efforts for Service Level Improvements by DJB

Delhi Jal Board has taken numbers of steps to improve sanction of water and sewer connections in a time bound manner and to increase billing and revenue collection efficiency such as implementing Revenue Management System (RMS), mobile application for self-billing and online payments, doorstep delivery of public services, time bound

grievance redressal, simplification of procedure of sanctioning of new water/sewer connection, strict actions against wastage of water, etc.

DJB endeavour is to provide equitable distribution of water to the citizens of Delhi and to meet their 24x7 demand of potable water continuously at adequate pressure. For this, Delhi Jal Board is revamping water supply distribution infrastructure including formation of District Metered Areas for reducing non-revenue water and minimizing physical loss of precious potable water through leakages. Installation of bulk flow meters for water auditing, replacement of old/damaged water pipelines, District Metered Areas (DMAs), reforms on revamping water distribution infrastructure under existing Chandrawal and Wazirabad WTPs, installation of SCADA systems at WTPs, UGRs and in water distribution systems, etc. are few of the DJB initiatives in this direction.

Several steps are being taken to overcome frequent Ammonia pollution in river Yamuna by DJB. Delhi Jal Board also has setup Quality Control Cell to check quality of raw water and treated water.

(B) WASTEWATER / SEWERAGE

1. Wastewater Projections for 2041

Estimated wastewater generation for a population of 30 million (water supplied @50 GPCD) at 80% of supplied water comes out to be 1200 MGD.

2. Perspective Sewage Disposal Plan for 2041

Perspective Sewerage Disposal Plan for 2041 comprises of a multi-dimensional approach with various crucial verticals like laying of sewerage system in unsewered areas of Delhi, rehabilitation of existing STPs, construction of new STPs or at mouth of the Drains, construction of Decentralized STPs in various parts of Delhi, up-gradation of existing STPs to higher parameters of BOD: TSS <10:10 and Zero Liquid Waste Discharge (ZLWD) policy in Land Pooling Area etc. The sewerage development plan for 2041 draws heavily from the SMP- 2031 and is a continuation of the sewerage management action plan being undertaken by DJB. Therefore, with suitable need based modifications depending on the actual growth patterns and spatial distribution, the Sewerage Master Plan -2031 prepared by DJB, will be able to fulfil the requirement of MPD-2041.

Based on various physical factors and zoning criteria, the whole NCT of Delhi has now been delineated into 12 (twelve) sewage-drainage zones, instead of six zones earlier, excluding the Cantonment and Airport areas. The zones have been primarily delineated based on the wastewater generation from each zone/sub zone, the capacity of existing WWTPs/WWPSs and land availability for any additional WWTP/WWPS, if required. Sewerage Schemes for each Zone are prepared considering the existing sewerage infrastructure, proposed sewerage infrastructure under various projects, development plans for a particular area, population projections, amount of waste water generation, land availability for proposed sewerage infrastructure and site feasibility.

The following table enlists the proposed delineated zones and sub zones:

S. No.	Drainage Zone	Sub Drainage Zone
Zone 1	Shahdara (SHD)	Yamuna Vihar (YV)
		Sonia Vihar (SV)
		Kondli (KN)
Zone 2	Okhla (OKH)	Okhla (OK)
		Tajpur (TP)
Zone 3	Keshopur (KSP)	Keshopur (KP)
Zone 4	Rohini-Rithala (RR)	Rithala (RT)
		Rohini (RH)
Zone 5	CORONATION PILLAR (COR)	Coronation Pillar (CP-1)
		Coronation Pillar (CP-2)
Zone 6	DWARKA (DWK)	Dwarka (DK-1)
		Dwarka (DK-2)
Zone 7	NAJAFGARH (NJF)	Najafgarh (NJ)
		Jhuljhuli (JH)
		Dhichaon Kalan (DK)
		Somesh Vihar (SV)
Zone 8	NILOTHI (NLT)	Nilothi (NT-1)

		Nilothi (NT-2)
Zone 9	NARELA (NRL)	Narela (NR)
		Palla (PL)
		Zindpur (ZP)
Zone 10	SOUTH DELHI (SD)	Mahrauli (MH)
		Vasantkunj (VK)
		Ghitorni (GH)
		Mahipalpur (MP)
		Kapashera (KH)
Zone 11	OUTER SOUTH DELHI (OSD)	Fatehpurberi and Chandanhola (FC)
		Rajpur Khurd (RK)
Zone 12	KANJHAWALA-BAWANA (KB)	Kanjhawala (KJ)
		Bawana (BW)

3. Sewage Treatment Augmentation Action Plan for 2041:

Detailed Perspective Plan for augmentation of sewage treatment capacity to cater to the projected requirements of year 2041 is as under:

S. No.	Particulars	Total (MGD)
1.	Present sewage treatment capacity	597
2.	STPs under up gradation / reconstruction through funding from NMCG, YAP-III and AMRUT (Okhla -30 MGD, Kondli-20 MGD, Coronation-40, Rithala-20 MGD)	110
3.	Construction of 56 DSTPs in various parts of Delhi	92
4.	Construction of STPs at Mouth of the Drain (10 MGD Mori gate, 10 MGD Delhi Gate, 20 MGD Barapulla)	40
5.	Construction of 7 MGD STP at Sonia Vihar and 25 MGD STP at Rohini	32
6.	Augmentation of treatment capacity through PAC (Poly Aluminum Chloride) extended aeration and construction of	89

	DSTP based on growth the population in the developing area.	
7.	Land Pool area proposed to be designed on Zero Liquid Discharge basis. Therefore, DSTPs are to be constructed by Land Pooling agencies for 75 lacs population having water supply @ 40 GPCD @ of 80% Water supply.	240
	Grand Total	**1200 MGD**

3.1. Augmentation of Sewage Treatment Capacity to 707 MGD by December – 2022 as per following:

S. No.	Name of STP	Present capacity (in MGD)	Total Sewage Treatment capacity After augmentation (in MGD)	Net Increase (in MGD)	Augmentation Plan
1	Coronation Pillar	30	70	40	Construction of new STP of 70 MGD
2	Rithala phase-I	20	40	20	Rehabilitation of Rithala STP phase-I under YAP-III
3	Kondli	70	90	20	Rehabilitation of Kondli STP under YAP-III
4	Okhla	140	170	30	Construction of new STP of 170 MGD under YAP-III
	Total	260	370	110	
Enhancement of Treatment by December 2022			**110 MGD**		

3.2. Upgradation of Existing STPs to BOD: TSS<10:10: 6 STPs (Pappankalan, Nilothi, Kapashera, CWG Village, Delhi Gate & Chilla) with total 70 MGD presently at 10:10. Upgradation Work in progress in 10 STPS with 289 MGD capacity- targeted completion by Dec-2022 in phased manner.

S.No	Location	Capacity	Targeted completion
1	Kondli STP Phase I	10 MGD	December 2021
2.	Kondli STP Phase II	25 MGD	December 2022
3.	Kondli STP Phase III	10 MGD	December 2021
4.	Yamuna Vihar STP Phase II	10 MGD	December 2022
5.	Okhla STP Phase I	30 MGD	In place of these four STPs, a New STP of 124 MGD capacity is under construction which is targeted to be completed by December 2022
6.	Okhla STP Phase II	12 MGD	
7.	Okhla STP Phase III	37 MGD	
8.	Okhla STP Phase IV	45 MGD	
9.	Rithala Phase-I	40 MGD	December 2022 subject to grant of tree cutting permission from Forest department.
10.	Coronation Pillar	70 MGD	In place of existing Coronation Pillar Phase-I,II& III (30 MGD) , new 70 MGD STP at Coronation is under construction which is likely to be commissioned; 50% by March, 2021 100% by June 2021.
	Total	**289 MGD**	

3.3. Up-gradation of balance Existing STPs with Parameters of BOD/TSS as 10/10 mg/l (including Bio-nutrient & pathogen removal & sludge management):

S. No.	Name of STP	Phase- Wise Breakup	Design Capacity (in MGD)	Designed outlet Parameters BOD/TSS	Expected timelines of completion
1	Rithala	Phase - II	40	15/20	The completion
2	Okhla	Phase-V	16	30/50	

		Phase-VI	30	20/30	**period for up-gradation of STPs is 3 to 4 years from the date of availability of funds.**
3	Kondli	Phase - IV	45	20/30	
4	Keshopur	Phase-I	12	20/30	
		Phase-II	20	30/50	
		Phase-III	40	30/50	
5	Yamuna Vihar	Phase – I	10	30/50	
		Phase-III	25	20/30	
6	Vasant Kunj	Phase – I	2	30/50	
		Phase - II	3	30/50	
7	Mehrauli	Mehrauli	5	20/30	
8	Narela	Narela	10	30/50	
9	Nilothi	Phase – I	40	30/50	
10	Najafgarh	Najafgarh	5	30/50	
11	Pappankalan	Phase – I	20	30/50	
12	Dr. Sen Nursing Home Nalla	Dr. Sen Nursing Home Nalla	2.2	10/15	
13	Delhi Gate	Phase – I	2.2	10/15	
14	Rohini	Rohini	15	30/50	
15	Ghitorni	Ghitorni	5	30/50	
16	Molar-Bandh	Molar- Bandh	0.66	30/50	
		Total	**348.06 MGD**		

3.4. **Construction of new STPs:** Following new STPs are proposed to be constructed at new locations and at the mouth of the drains. Details are as under:

S. No	Name of STP	Capacity MGD	Timeline	Remarks
1	Sonia Vihar	7	December-2024	Process of appointment of consultant is in process.
2	Rohini	25	December-2024	Estimate under preparation

3	Delhi Gate	10	December-2024	Land is required from DDA/ Revenue Department
4	Mori Gate	10	December-2024	Allotment of land is awaited from DDA.
5	Barapulla	20	December-2024	Allotment of land is awaited from DDA.
Total		**72 MGD**		

3.5. Construction of new Decentralized Sewage Treatment Plants (DSTPs) (92 MGD): As per Sewerage Master Plan- SMP 2031, 32 Nos. STPs are to be constructed, out of which, 14 STPs are to be constructed in Najafgarh Drainage Zone and 18 STPs in Narela, Okhla, Outer South Delhi, Kanjhawala, Bawana, Shahdara Zone. Due to land constraint, it has been decided to construct Decentralized STPs at 42 locations in place of 18 STPs. For setting up 56 plants (42 d-STPs + 14 STPs) and 02 STPs at the mouth of drain, land at 73 locations is required, which includes 15 locations for Sewage Pumping Stations (SPS). Out of total 73 locations, land at 10 locations is already available with DJB and for the balance 63 location, land will have to be made available by different agencies as follows:

S.No.	Name of the Department / Agency	Land Locations
1	Land and Building Department, GNCTD after acquisition from private person	13 locations
2	Gaon Sabha lands	11 locations
3	DDA	39 locations
	Grand Total	**63 locations**

3.6. Status of Decentralized Sewage Treatment Plants:

S. No.	Name of STPs	Capacity (MGD)	Timeline	Remark
1.	14 (7+7) STPs in Najafgarh Drainage Zone	32	18 to 30 months after approval of funding of balance STPs by NMCG and allotment of land	Out of 14 locations, land is available only at 08 locations and land at balance 06 locations is yet to be allotted.

2.	42 Decentralized STPs at various locations. (+7 SPS)	60	24 to 36 months after allotment of land	Land for construction of 42 DSTPs and 07 SPS have been identified at various locations and it is still in the process of allotment by Revenue department of GNCT Delhi. Necessary action will be taken by DJB after allotment of land.
	Total	**92 MGD**		

3.7. **Extension of network to un-sewered areas**: The un-sewered area in Delhi mainly consists of unauthorized colonies. As per the list circulated by UD Dept., GNCTD, there are 1799 unauthorized colonies in Delhi. The present status and action plan for providing sewer network in these colonies is tabulated below:

S. No.	Status	Commutative Status as on November 2020 (Numbers)	Timeline	Remark
1.	Sewer line laid and notified	561	Completed	
2.	Work of sewer network is in progress	595	Up to Dec, 2024 in phased manner	
3.	Colonies where NOC is awaited/ O-Zone	131	About 03 years after receipt of NOC / Clearance from concerned department	The work shall be taken up after NOC from Forest Department/Ozone
4.	Colonies where sewerage	512	For laying sewerage network in these colonies 3	The work shall be taken up after allotment and possession of land by DDA

	network is to be laid along with Decentralized STP		years-time will be required after availability of land for DSTPs.	& Revenue Dept. As sewer network cannot be laid in isolation without first identifying and taking possession of land for constriction of SPS and decentralized STPs.
	Total	**1799**		

3.8. Sewage Generation anticipated in Land Pooling Area: As per Zero Liquid Discharge (ZLWD) policy for sewers, Decentralized STPs are to be constructed within premises of the Building / Complex in DDA Development/ Land Pooling Areas. Since Sewage is proposed to be treated within the Land Pooling Area, no centralized sewerage treatment system is required for Land Pooling Areas. Treated effluent from DSTPs within sector / Housing Complex will be reused for flushing, gardening and other secondary purposes to the maximum extent and unutilized treated effluent, if any may be utilized for recharging nearby Water Bodies etc. For Land Pooling Areas, Decentralized Sewage Treatment Plants (DSTPs) will be required to be constructed and provision for land for DSTPs will required to be made in DDA Master Plan – 2041 as per Sector Layout Planning. Land requirement norms for construction of STP/SPS/EPS will be as under:

a) Land requirement for STP including Sewage Pumping Station & Effluent Pumping Station for capacity up to 22.7 MLD (up to 5 MGD) - **650 m^2/MLD**.

b) Land requirement for STP including Sewage Pumping Station& Effluent Pumping Station for capacity above 22.7 MLD (above 5 MGD) - **1100 m^2/MLD**.

c) Land requirement of **50 m^2/MLD** for construction of Sewage Pumping Station and **50 m^2/ MLD** required for Effluent Pumping Station.

4. Initiatives taken by Delhi Jal Board for efficient sewerage management and mitigation of pollution in drains/river:

4.1. Interceptor Sewer Project (ISP)

The Interceptor Sewer Project (ISP) has been conceptualized for abatement of pollution in the River Yamuna. Under Interceptor Sewer Project, 108 Nos of the drains are trapped and provision of trapping of about 242 MGD flow is being made. Out of proposed 242 MGD, provision for trapping of 238 MGD (98.35%) has already been made. Out of this, 158.70 MGD wastewater is being trapped and treated at the various STPs in the command.

However, the physical works under ISP is almost completed and facility of trapping 242 MGD will be in place, but the actual treatment of this entire quantity of sewage will be done in phased manner only after the completion of the Coronation Pillar, Rithala and Kondli STPs by December 2022.

4.2. Setting up of Decentralized STPs by Institutions/ Schools/ Agencies

DJB has framed a policy for Setting up of DSTPs by individual Schools/Institutions/ Complexes/ Parks/ Hospitals etc. to use the treated effluent for horticulture purpose in their parks.

4.3. Enhanced Use of Treated Effluent

In pursuit of promoting the use of treated effluent for non-potable purposes, DJB has installed filling points for treated effluent at almost all WWTPs. The Biochemical Oxygen Demand (BOD) stands at ≤20 ppm and the Total Suspended Solids (TSS) stands at ≤30 as well, making it usable for non-potable purposes. DJB has also written to and conducted workshops with a number of Government agencies such as DMRC, PWD, NDMC, SDMC EDMC, NTPC, Indian Railways (for their wagon and carriage washing) and others, encouraging them to use treated effluent. Also, through different incentives in its new policy, DJB is aiming to increase utilization of the treated effluent.

4.4. Rehabilitation of peripheral sewers in Delhi

Most of the peripheral sewers are too old and suffering from severe structural deterioration and have outlived their economical life span thereby, exhibiting operational deficiencies. To overcome these problems, it has been proposed to rehabilitate the peripheral system, so that entire sewage generated in city could be transferred to STPs for optimal utilization of installed capacity of plants and reduction of pollution in river Yamuna. Therefore, DJB intends to take up the rehabilitation of peripheral sewers, which are dysfunctional or partially functional due to multitude of problems such as settlement of sewers, sewage gas related structural failures, leaking joints, disjointed sewer pipes, heavy siltation, blockage due to indiscriminate throwing of rubbish and debris into manholes, illegal discharge of trade waste and collapsed sewers.

The Rehabilitation of peripheral sewers under Phase -I comprises of diameter ranging from 450mm to 1400mm having length of about 162 km. The Project has been divided into 6 packages and, work is in progress and likely to be completed by 2022.

4.5. Providing House Service Sewer Connection

Delhi Jal Board has started a scheme to encourage all such consumers who live in sewered areas but have not taken sewer connections to apply and obtain sewer

connections. Under this scheme, all those who applied for a new sewer connection before 31-03-2020 were not charged any amount and DJB provided them sewer connections at its own cost. All installation charges and road repair charges are to be reimbursed by Delhi Government to DJB as grant-in-aid under **"Mukhyamantri Muft Sewer Connection Yojna."** Under this scheme, about 4.84 lac sewer connections have been sanctioned/ regularized.

4.6. Deployment of Mini Sewer Cleaning Machines

DJB has deployed 200 Nos. specially fabricated tailor made Sewer Cleaning machines in order to avoid hazardous operation of sewer cleaning by manual labour. The sewers in narrow lanes can be cleaned mechanically without man entry now.

4.7. Septage Management Rules 2018

DJB has made efforts to implement the septage management rules in Delhi 'Delhi Water Board Septic Tank Waste Management Regulations Act -2018' under Delhi Water Board Act-1998 for collection, transportation and disposal of waste of septic tank and matter connected therewith. As per the Septage Regulation 2018, DJB has issued 208 Nos. Licenses to the private tanker operators and they are engaged in the collection and disposal of Septage from the individual households from unauthorized colonies/ unsewered areas. The average collection of Septage is approximate to 6-7 Lac litres per day.

4.8. Management of wastewater in storm-water drains in Delhi:

As per directions of Hon'ble NGT, Integrated Drain Management Cell (IDMC) has been constituted on 17.03.2020 under the Chairmanship of Chief Secretary of Delhi for remediation and management of all drains of Delhi with representatives of all Drain owning Agencies (DoA).

The mandate of IDMC is to prepare a comprehensive action plan for "Alternate Technologies for Management of Waste Water in Drains" in Delhi as per the techno-economic evaluation of the multiple methodologies and techniques suggested in the reports of CPCB.

DJB is also making concerted efforts to trap the sewage flowing in the 18 major drains directly out falling into River Yamuna in the Delhi stretch between Wazirabad to Okhla by diverting sewage to nearest STPs. out of 18 major drains 13 drains have already been trapped.

ANNEXURE II: SERVICE PLAN - IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FCD)

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
GOVT. OF NCT OF DELHI,
IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT,
L.M. BUND OFFICE COMPLEX, KRISHAN KUNJ,
DELHI-110031.
Email-ceifcd@gmail.com

No: CEF/P&D/MPD/2041/2021-22/ 4918-41 **Dated:** 4/2/21

अति० आयुक्त (यो०)-II
डायरी सं० 102
दिनांक 09-02-21

VC Office
Dy. No. 36-DA
Dated 5/2/21

आयुक्त (योजना) कार्यालय
डायरी सं. I-160
दिनांक 08-02-2021

To

The Vice Chairman
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, I.N.A,
New Delhi-110023.

Sub:- Service Plans for MPD 2041.

Sir,

Kindly refer to your D.O. letter No. PS/VC/DDA//2021/03 dated 11.01.2021 addressed to Secretary (I&FC) and subsequent email received from Additional Chief Architect DDA dated 12.01.2021 vide which service plan for MPD 2041 was sought on top priority.

Accordingly, please find enclosed herewith service plan for drainage management MPD- 2041 in respect of I&FC Department, Govt. of NCT of Delhi, containing page from 1 to 127 alongwith Annexure B to E for further necessary action.

Yours faithfully

Encl:- As above

04.02.2021
(Sanjay Saxena)
Chief Engineer (Zone-I)

No: CEF/P&D/MPD/2041/2021-22/ **Dated:**

Copy forwarded for information to:-

1. Secretary (I&FC), Govt. of NCT of Delhi, Varunalaya Building, Karol Bagh, Delhi.

Chief Engineer (Zone-II)

AE(Plg)II/MPMR 04/02/2021
AD(Plg)-II, MPMR 10/02/2021
Dr. Anand 10/02/2021
D.D (Plg.)/MPMR 10/02/2021
Dr. Anand 10/02/2021
Pls. share with NIUA.
Ms. Nisha, PA-III

PREVENT COVID - SANITIZATION - WEAR MASK - WASH HANDS - FOLLOW SOCIAL DISTANCE

SERVICE PLAN for DRAINAGE MANAGEMENT

IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FC)

1. MANAGEMENT STRATEGY

Special recommendation

There should be a single institution that bears an overall responsibility of the management of the total storm water drainage system, within NCT of Delhi, for effective administrative management.

Dredging and cleaning of drains by I&FC department

I&FC Department has large banks along major drains for deployment and movement of machinery and desilted earth is also kept on these banks till its final disposal, either by filling in low lying areas/depressions along drains or shifting into earmarked sanitary land fill sites.

Strengthening of embankments of drains of I&FC department

Before onset of monsoon, all the embankments of I&FC Department drains are checked in respect of their stability and necessary restoration/repair work, as needed is carried out by respective divisions of I&FC Department. A certificate in this regard is also forwarded by concerned engineers to Head Quarter. I&FC Department also has departmental machinery for such restoration/ strengthening work in the form of hydraulic excavators and dozers.

Remodelling of various drains

The embankment strengthening/remodelling proposals as of now and their current status in respect of I&FC Department Drains is attached as Annexure-II (a). The above-cited table shows that embankment of most of the drains are in good and stable condition and there is no need for their strengthening. Similar situation is found in respect of need of remodelling of drains. The work of remodelling is in progress at Najafgarh Pond Drain and Bund Drain. For some drains, like Escape Drain No. 1 & Relief Drain, work of remodelling is required but there are land constraints. Remodelling of KSN drain is required as most of the catchment area of this drain is urbanized and many unauthorized colonies were also developed and are being developed. Due to this, there is no scope for percolation of storm water, which has to be carried by this drain. Besides this, due to lack of sewerage

network in unauthorized colonies the discharge of sewage, household waste and other wastewater are also flowing into KSN drain through various drains of other Agencies.

There is no land available for remodelling since the adjacent area on both sides is developed and urbanized. Hence, there is a need, to acquire land for remodelling of KSN drain. For other drains, the work of remodelling and strengthening shall be taken up as per their requirement in future.

Canals and their management

To keep up the uninterrupted flow of irrigation water to the irrigated land in Delhi, all repair and maintenance works, cleaning/ dredging /desilting, strengthening of embankments are being taken up as per requirement and necessity.

Delineation, conservation and management of buffers for all major I&FC drains

There are 57 major drains owned and maintained by I&FC Department. The buffer land/ additional land width available along the drains for future development is tabulated and attached as Annexure-II (b).

Troublesome drains

There are eight troublesome drains, which are detailed out in the service plan report shared by I&FC Department:

Sr. No.	Drain Name	Problems / Constraints	Remedial Measures
1.	Escape Drain No. 1	Drain flow being obstructed by two water mains lying in the drain itself, No space for De-silting for a stretch, Heavy silt from WTP, Bed level of the drain flat.	The twin water mains may be shifted.
2.	Biharipur Drain	Bounded on both sides with closely packed houses, No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW and cow dung.	A parallel carriageway may be provided, demolition of unplanned/ unauthorized construction on either side.

3.	Bund Drain	Bounded on both sides with closely packed houses, No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW and cow dung.	Bar screen has been placed, Bypass drain constructed, Removing obstructions, A parallel carriage way may be provided, demolition of unplanned/unauthorized construction on either side.
4.	Relief Drain	No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW in the drain by the local resident, Daily dumping of waste by the hawkers.	A parallel carriage way may be provided all along the length in the stretch from CRPF Camp to Khajuri Chowk by considering demolition of unplanned / un authorized construction on drain side. NHAI may be asked to remodel the drain in the entire length with proper outfall.
5.	Kirari Suleman Nagar Drain	106 unauthorized, un-sewered colonies contributing to all categories of house hold waste, sewage and also dumping of MSW, During flood season the residual treated water comes with more silt due to which the siltation occurs.	DDA shall have to divert their wastewater out falling into KSN drain at two points of main DDA road drain to adjacent DDA drains. Three culverts of KSN drain shall be demolished and adequate hume pipes will be laid for increasing the water way and smooth discharge of wastewater.
6.	Pankha road drain	Heavy daily disposal of MSW and other household & market wastes, Non availability of banks and access for deployment of machines, Presence of high tension overhead electric line, Encroachment in the drain, Heavy floating materials, silt, debris etc. from inlets/ out falling drains, Local resistance for not stacking the material in front of their houses and shops	A scheme for construction of RCC retaining wall on both sides, The M.S Jalies have been erected over the bridges to discourage the localities from throwing of garbage, Joint survey with DJB and BSES is occasionally conducted time to time to cope with the ground realities, The MS boards being erected at vulnerable points to discourage people from dumping and throwing of household waste and garbage. Inviting specialized agencies to plan rejuvenation of drain. Deployment of Jal Rakshak.
7.	Nasirpur Drain	Heavy daily disposal of MSW and other household &market wastes, Non availability of banks and access for deployment of machine, Presence of water pipeline, electric & Telephone cables in the water way, Presence of high tension overhead electric line, Encroachment in the drain,	M.S Jalies have been erected over the bridges; MS boards are being erected at vulnerable points, Inviting specialized agencies to plan rejuvenation of drain, R&D for specialized machinery for effective cleaning of drain, stopping of sewerage water into the drain, Deployment of Jal Rakshak, Installation of MS Jallies on the mouth of out falling drains.

		Heavy floating materials, silt, debris etc. from inlets/ out falling drains, Non availability of space for stacking desilted materials, Local resistance for not stacking the materials in front of their houses and shops.	
8.	Asola Drain	Inefficiency of civic agency i.e. MCD for collection of MSW from houses& markets, construction of Dhalaos, Lack of civic sense and awareness among local people. Lack of specialized machines fit for cleaning of the drain in existing circumstance; Lack of power to challan the defaulters.	DJB may construct STP and lay sewer lines in the area. The MCD shall develop effective mechanism for collection of MSW of the household wastes and C&D wastes. R&D for specialized machinery for effective cleaning of drain. Immediate filling of vacant posts of technical and work charge staff. Stopping of sewerage water into the drain. Spreading of general awareness about health and hygiene among the people residing all along the drain.

2. FLOOD MANAGEMENT

Apex Committee

An Apex Committee has been constituted under the Chairpersonship of Hon'ble Chief Minister, Delhi to recommend, supervise and co-ordinate flood control measures in the National Capital Territory of Delhi. The Central Flood Control Room at LM Bund Office Complex, Shastri Nagar Delhi, remains in constant touch with the Control Rooms of different departments i.e. MCD's, NDMC, PWD and DDA to receive complaints and take appropriate remedial action in case of drainage congestion on account of heavy rains. Disaster management control room at office of D.M. (East) remains functional for relief & rescue operations. In case of any need, the Divisional Commissioner may seek assistance from Army in controlling floods, evacuation of the marooned people, distribution of food supplies and other related matters.

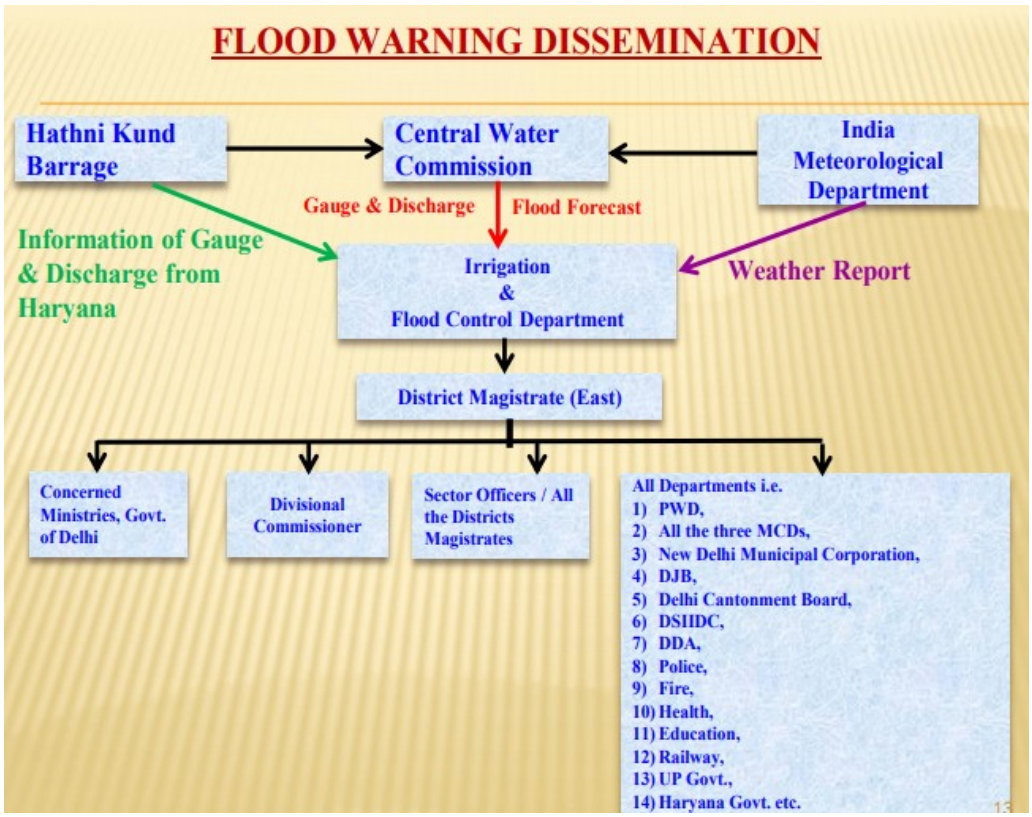

Sector Committee

Sector Committee is also constituted for each district, under the supervision of a Sector Officer of D.M. rank. The Sector Officer also acts as a link between the various departments, at District level, organized evacuation of the people, if necessary and to re-habilitate them in relief camps and distribution of relief supplies.

Function of the Sector Committee: Immediately after its constitution, the Sector Committees will meet within the areas of their jurisdiction and plan the steps needed for dealing with the problems arising out of floods or drainage congestion.

Flood Warnings

The first warning is issued by Central Flood Control Room as soon as the discharge from Hathnikund Barrage exceeds one-lakh cusecs or Discharge at Manasi exceeds 3500 cusecs for Sahibi / N.G. Drain- where upon the relevant Sector Control Rooms starts functioning and keeps a vigil in their respective areas. Second Warning been issued when the discharge from HathniKund Barrage exceeds 3 lakh cusecs or Discharge at Manasi exceeds 70000 cusecs for Sahibi / N.G. Drain- People residing within the river embankments near to active course shall be warned and arrangement made to shift them

to safer places. The Police and the staff of the Flood Control Dept. would undertake patrolling along Right & Left marginal embankments and keep vigil on the vulnerable points. The third warning been issued when the discharge from HathniKund Barrage exceeds 5 lakhs cusecs while for Sahibi or Discharge at Manasi exceeds 1 lakh cusecs for Sahibi / N.G. Drain- This warning shall be issued when the discharge at Masani Barrage exceeds one Lakh cusecs. People residing in dangerously exposed areas will be advised to remain alert and move to places of higher altitude, in case of need.

Vulnerable Points			
Levels at Old Railway Bridge	S. No.	CRITICAL POINTS	ACTION REQUIRED
205.33 (Provisional Danger Level)	1.	Rescue Boat Club R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	2.	Monastery Market R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	3.	Geeta Ghat- Entry Point R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	4.	Qudsia Ghat R/B River Yamuna	Hydra was deployed for operation of gates/inlets
	5.	Nigam Bodh Ghat R/B River Yamuna	Gaps were plugged by placement of filled earth bags
	6.	Tonga Stand Regulator R/B River Yamuna	-DO-
	7.	Vijay Ghat Regulator R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	8.	Nalla No. 12 & 12A R/B River Yamuna	Pumps were deployed for pumping continuously and additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.

	9.	Regulator at RD-180 m of R.M.E.	-DO-
	10.	Chilla Regulator	Gates closed as per requirement
	11.	Burari Regulator at RD-1135 m of Jahangirpuri Drain.	- DO-
206.00	12.	Neem Karoli-Gau Shaala R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	13.	Civil Military Drain Regulator R/B River Yamuna	Were closed as per requirement
	14.	L. F. Bund in Trans Yamuna Area Shank RD. 1400m Shank RD. 800m	The hard stone and earth bags dumped to prevent erosion of Shanks & Embankment.
	15.	Nalla No. 14 Regulator R/B River Yamuna	Pumps were deployed for pumping continuously and additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	16.	Outfall of Toe Drain along RME near RD 2700m of Supplementary Drain	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
207.00	17.	D.J.B site along Ring Road R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.

3. Actions Taken by I&FC Department

- **Monitoring of flood**

In order to monitor the flood situation, control rooms and wireless network are setup throughout the monsoon season and a complete record of the discharges and their water levels is maintained in respect of river Yamuna as well as river Shahibi with the active assistance of CWC, IMD & the neighbouring States. Daily weather report having data of rainfall till date, rainfall during last 24 hours and forecast of the rain as well as floods is generated and shared with all stakeholders to take necessary measures.

- **Protection and Maintenance of embankments**

  The department has constructed above embankments over different periods to fortify the city against the flood furry and to protect & maintain these embankments, different types of flood protection and maintenance works like protection of embankments, protection/ construction/restoration of spurs, launching aprons, stone pitching etc. are being undertaken by the department on regular basis as per the need. The staff of the Flood Control Dept. would undertake 24x7 patrolling along right & left marginal embankments and keep vigil on the vulnerable points.

- **Regulators**

  The regulators constructed and maintained by I&FC department at 15 Nos. outfalls of different drains directly out falling into river Yamuna in the city reach will have to be operated from time to time to suitably pump out the city drainage in case the river is in high flood and heavy local rainfall. The regulators/ gate being closed at the time of heavy discharge in the river to check the reverse flow of river into the city side. A close liaison is to be maintained with U.P. Irrigation Department for timely opening of gates of Chilla regulator, if heavy discharge enters Delhi through Shahdara drainage system, either due to heavy local rainfall or rainfall in upstream Loni-Saharanpur U.P. areas. Boats and emergency portable pump sets will have to be kept ready to meet any exigency arising out of the flood situation.

- **Resources**

  Boats and emergency portable pump sets will have to be kept ready to meet any exigency arising out of the flood situation. Resources are available with the I&FC department to meet out the requirement during monsoon season.

- **River training works**

  They may be constructed on both sides of the river or only on one side, for some suitable river length, where the river is passing through towns or cities. (ii) Spurs or Groynes: These are constructed, in order to protect the bank from which they are extended, by deflecting the current away from the bank. (iii) Pitching of banks and provision of launching aprons: Banks of a river are directly protected by stone pitching, or by concrete blocks, or by brick lining or by growing vegetable cover, etc. Concrete blocks are very costly, and stone pitching is mostly adopted, if available without much difficulty. The banks of the river are

made stable by giving them a stable slope varying from 1:1 to 2:1 depending upon the material of the bank. They are then pitched, so as to make them strong enough to resist erosion.

- **Flood Plain Zone**

In compliance to the directions of Hon'ble National Green Tribunal in the matter of Manoj Mishra Vs. Union of India (O.A. No. 06/2012) vide order dated 13.01.2015 vide which it has been directed that flood plain should be identified for flood, once in 25 years in the interest of ecology, biodiversity and the river flow. IIT Delhi has conveyed flood of 2011 as once in 25 years during which maximum discharge release from Tajewala and maximum gauge recorded at Old Railway Bridge was 205.72 in respect of discharge of 6,41,462 cusecs. The 20 sheets of flood plain maps have been prepared by GSDL based on the maximum water levels observed in year 2011 at various locations with the level of 205.72 round of to 206.00 and forwarded the same to Delhi Development Authority for physical demarcation of flood plain for river Yamuna.

4. KEY INFRASTRUCTURE OR SPECIAL PROJECTS IDENTIFIED DURING THE PLAN PERIOD, ALONG WITH DETAILS OF PROJECTS AND THEIR TIMELINES

Table 3. List of Special Projects

S. No.	Project Name	Target	Timeline
1.	Creation of Water Bodies/ Reservoirs in Flood Plains of River Yamuna by retaining excess water in the River during Monsoon Season from Palla to Wazirabad.	The implementation of this project on a larger scale of about 1180 Acre, as proposed in the conceptual plan, shall result in recharge of flood plain of River Yamuna from Palla to Hiranki and the ground water can be tapped through the existing network of tube wells of DJB and this network can be further augmented by DJB for improving the fresh water supply to Delhi.	
2.	Details of Pilot Project at Ghoga Drain	Activity aimed at improving the quality of wastewater as well as to rejuvenate drains. A pilot project to treat at least ten lakh litres per day of wastewater by using ecologically sensitive & sustainable	

		technology like constructed wet land system was created to treat wastewater flowing in Ghoga Drain. The Pilot Project comprises construction of SWAB based wetland system. The project has been envisaged to treat 1 MLD of wastewater flowing in Ghoga Drain and the Construction of 6 Nos. check dam of 0.50 M high with stone boulders within an interval of 1 Km each.	
3.	Pilot Project: Rejuvenation of Rajokari Water Body	In order to rejuvenate the water body a pilot project for rejuvenation of Rajokari water body was undertaken by the department with objective of: (i) Treatment of sewerage water by ecological sustainable technology to reduce pollutant as such BOD COD dissolved and suspended solid etc. and bring it to permissible level for water body. (ii) Landscaping of open area along with Horticulture work and provision for lighting of the area. Further installation of CCTV camera for security purpose, plantation of creeper plants over the boundary wall in order to increase aesthetic view and greenery, open gym equipment, children play equipment for the purpose of use of this area for complete recreation was also desired and the same is in process that will be completed by 30.04.2021.	**Awarded** award of Excellence awarded on 28.08.2020, under National Water Innovation Summit & Awards 2020.
4.	Widening & strengthening of Embankments along river Yamuna from Palla to Wazirabad.	Schemes were prepared for raising of embankment and strengthening by widening of embankment from existing single lane to two-lane carriageway They were placed and approved by the Technical Advisory Committee (TAC) in its 36th& 41st meetings. The Approximate expenditure on widening and strengthening of Embankment from Palla to Wazirabad shall be Rs. 3800 Lacs.	

5.	Water front development along Najafgarh drain	A scheme of Rs. 6.22 crores for the Comprehensive Consultancy services for Water Front Development on Najafgarh Drain from Chhawla Bridge to Basaidarapur Bridge with designing of two lane road on left & right bank of Najafgarh drain & various bridges have been approved by GNCT of Delhi.	Floating of tender is in process
6.	National Hydrology Project (NHP)	The National Hydrology Project, (NHP) is a World Bank supported Govt. of India scheme with 100% grant in aid to Central & State implementing agencies (IA). I&FC Department & DJB have signed the NHP as an Implementing Agency (IA) for the State of Delhi. NHP aims at taking up the following main activities: **a.** Establishing and upgrading Hydro-met network in all the river basins. **b.** Bringing the entire hydro-metrological data on a standardized central database for easy storage, validation, analysis and dissemination. c. Development of Decision Support Systems for Flood Forecasting, reservoir operations, water resources planning & management, conjunctive use etc. following a river basin approach. d. Capacity building of the States and enhancing collaboration between Centre & States and amongst the State themselves through trainings, establishment of data centres, Centres of Excellence etc. Total allocation of Rs. 3679.76 Crores is made for this work, to be implemented by various Central and State Govt. Agencies. For this purpose, Rs. 25.00 Crores has been allocated for the State of Delhi. Following activity has been approved for implementation by I&FC Department and Delhi Jal Board under National Hydrology Project: - 1. Real Time information system on drainage network in Delhi. 2. Real Time	The work proposed will be partly taken up in the current Financial Year and the remaining work will be taken up in forthcoming years. On completion of this project, various data being generated on real time will be available on the server of NHP for real time monitoring & can be assessed by the authorized representative of all other State Govt.

		information system for rainfall in Delhi. 3. Groundwater Measurement Equipment. 4. Upgradation of Water Testing Laboratories.	
7.	Strengthening and raising of right bank of Najafgarh drain		Already undertaken.
8.	Rejuvenation of 10 water bodies entrusted to I&FC Dept.	The water bodies in Delhi are in extremely bad shape and are in varying degrees of environmental degradation. Hence, the Govt. of Delhi taken up development and rejuvenation of water bodies as a flagship programme. Though I&FC Dept. is not land-owning agency but has taken up above 10 water bodies for rejuvenation as per present Govt. policy. The rejuvenation of above water bodies is being taken up in holistic manner by constructing the wet lands that are ecologically sensitive and sustainable which are most suitable in situ treatments for discharges of wastewater less than 1 MLD. As a part of rejuvenation, necessary landscaping works, walking tracks, cycling tracks, benches, solar lighting, public amenities like toilets, Amphitheatre where ever feasible will be taken up to facilitate effective utilization for recreation purpose of local public. The estimated cost for rejuvenation of above 10 water bodies including STP and landscaping is Rs. 21.54 Cr.	After issue of Administrative Approval and Expenditure Sanction, the period of completion for rejuvenation of above 10 water bodies will be 18 months including all codal formalities.

5. ESTIMATED LAND REQUIREMENTS FOR PROJECTS

The department is facing a problem of disposal of desilted earth, as MCDs are reluctant to take the same; hence, it is necessary that DDA may give land parcels at different locations along the drains having size of around 1 ha. each at every 10 Km interval (totalling around 1000ha.).

It is recommended that the service lines in form of sewer, water, electric, communication etc. should be shifted outside the land boundary of I&FC drains.

Large chunks of I&FC land are being utilized for the construction of dhalaos by civic agencies, it is suggested that separate land should earmarked outside drain boundary for collection, processing, shifting and disposal of MSW as well as C&D waste along entire align of existing drains.

6. PROJECTED LAND REQUIREMENT IN VIEW OF MPD 2041

The drain wise projected land requirement considering expected remodeling, their operation and maintenance, creation of green belt, for processing of the desilted earth, for service road, for service lines, for C&D waste and additional stores etc. is attached as Annexure-II (b).

The additional land available for future use along drains varies with drains as well as their stretch/locations. In upper reaches of Najafgarh its width is more than 135 m. while in lower portion (which is highly urbanized) it comes down to 25 m. Similar situations exist in other drains also. This additional land is being utilised for service lines like sewer lines, water pipeline, H.T. lines, communications cables etc. in addition to construction of Dhalaos, Chhat Pooja Ghats, Mohalla clinics, Parks etc.

To create green zones along drains plantation work has also been done on the available drain land at different locations.

7. KEY TARGETS THAT WILL BE INCLUDED IN MPD 41 ACTION PLAN

Component	Current status	Target for 2041	Phasing Plan
Length (in km) of buffers created and maintained along major drains	The drain wise status of length of drain, width, depth of drain, catchment area, design discharge, present status of embankments & status of buffer land along the drains is annexed as (Annexure-II (b))		

8. SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS

For construction of new drains in the sub cities to be planned under Master Plan 2041, following recommendations are made with regard to planning / construction of drainage system:

a) The existing drainage network of Irrigation and Flood Control Department may be remodeled within the limits of the feasibility, to integrate the drainage network of sub-cities to be planned under Land Pooling Policy / MPD-2041, whenever, the relevant details are shared with I&FC Department in consultation with all stakeholders.

b) Provision should be made for continuous green lines along the entire course of the drains on both sides.

c) A separate provision for the services lines like sewer, water, electric, communication etc. should be made outside the drain boundary areas.

d) A separate provision for land for collection, processing, transportation, shifting and disposal should be made for MSW as well as C&D waste.

e) New development should be made in such a way that overall runoff from the area does not increase with the proposed urbanization. For that necessary measures in form of ponds, parks, porous pavements, green belts, artificial lakes / or other rainwater harvesting and storage structures etc. may be adopted.

f) The officers involved in drainage and flood management should be given exposure to International best practices, so as to adopt the same to the National Capital City of Delhi.

Referred annexures for I&FC Service Plan:

Annexure II (a): Embankment Strengthening /Remodelling Status of Drains

Annexure II (b): Details of Buffers along Drains of I&FC Department

Annexure II (c): Detail of Effluent Irrigation System

ANNEXURE – II (a) : Embankment Strengthening /Remodelling Status of Drains

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
CD-I				
Najafgarh Drain, CD-I-45316m	45.31	Stable	No	NA
Palam Drain	4.20	Stable	No	NA
Palam Link Drain	1.47	Stable	No	NA
Najaf Garh Pond Drain	1.95	Stable	No	Yes Work in progress.
Nasirpur Link Drain	2.90	Stable	No	NA
Bijwasan Drain	4.20	Stable	No	NA
Pankha Road Drain	3.60	Stable	No	NA
Shahbad Mohammadpur Drain	0.23	Stable	No	NA
Mudhela Drain CD-I-6920m,	6.95	Stable	No	NA
CD-II				
Supplementary Drain D 16436 m to RD 22471 m	6.04	Inspection path i) L/B 17700 to 19362- CC Road ii) R/B 16436 to 16700- CC Road iii) R/B 21350 to 22137-CC Road Mohalla Clinic(RD 17700m R/B) 1500 plants proposed b/w RD 16436m to 22471m at scattered locations	-N/A- Section already lined	-N/A- Section already lined

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
		350 Sapling already planted and their maintenance is in progress		
Najafgarh Drain, RD 45316 m to RD 57140m	11.82	Inspection Road i) L/B RD 47390m to RD 48300m CC/Bituminous Road ii) L/B RD 54346m to Nose Point CC/Bituminous Road iii) L/B RD 56306m to RD 57106m CC/Bituminous Road iv) R/B RD 46870m to RD 48315m CC Road v) R/B RD 54346m to RD 56704m Bituminous Road	No proposal of strengthening as of now - strengthening work shall be done if so necessitated in future	No proposal of remodelling as of now - Remodelling work shall be done if so required in future.
CD-III				
Trunk Drain No.I , CD-III-5260m, RD 0m to RD 3200m	5.26	Good	NO	NO

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD 3200m to 5260m				
Trunk Drain No. II	4.55	Good	NO	NO
RD-4550m to RD-3900m				
RD-3900m to RD-3230m				
RD-3230m to RD-1980m				
RD-1980m to RD-0m				
Shahdara Outfall Drain	5.90	Good	NO	NO
RD-5900m to RD-0m				
Ghazipur Drain	6.15	Good	NO	NO
RD-0m to RD-2135m				
RD-2135m to RD-3505m				
RD-3505m to RD-5090m				
RD-5090m to RD-6157m				
Shahdara Link Drain	4.56	Good	No	NO
RD 4545m to RD-3500m= 45.15m				
RD 3500m to RD-3065m= 53.50m				
RD 3065m to RD-2565m= 44.50m				
RD 2565m to RD-2150m= 36.45m				

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD 2150m to RD 1330m = 43.45m				
RD 1330m to RD-930m = 43.45m				
RD 930m to RD-330m = (covered portion) 43.00m				
RD 330m to RD 130m= 43.45m				
CD-IV				
Trunk Drain No.I , CD-IV-5260m, to 13387m	8.13	Good	No	No
RD 5260m to 6690m	1.43			
RD 6690m to 10330m	3.64			
RD 10330m to 13387m	3.06			
Karawal Nagar Drain	2.48	Good	No	No
Biharipur Drain	1.00	No sufficient land is available for Embankment.	No	No
RD 0m to RD 650m	0.65			
RD 650m to RD 1000m	0.35			
Bund Drain	3.45	No sufficient land is available for Embankment.	Yes	Remodelling of drain is in progress on existing section as the no sufficient land is available along the drain.
Escape Drain No. I	2.98	Good from RD 0m	NA	Drain is passing

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD 0m to 980m	0.98	to RD 2650m. No sufficient land is available for Embankment from RD 2650m to RD 2980m.		through thickly populated area. Due to land constraint, no any remodeling is proposed between RD 1650m to RD 2560m. However remodeling is required in near future.
RD 980m to 1650m	0.67			
RD 1650m to 2650m	1.00			
RD 2650m to 2980m	0.33			
Escape Drain No. II	0.45	Good	No	No
Relief Drain	2.18	No sufficient land is available for Embankment.	NA	Drain is passing through thickly populated area. Due to land constraint, no any remodeling is proposed. However remodeling is required in near future.
RD 0m to 695m	0.70			
RD 695m to 965m	0.27			
RD 965m to 1860m	0.90			
RD 1860m to 2180m	0.32			
CD-V				
Ali Drain	2.78	1 side Road 1 side NTPC.	No	No
Asola Drain	3.39	on Right side from 400 to 600 RD.	There is kuchcha zigzag drain passes through	

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
			private land and water spreads in the open field and there is no outfall of drain.	
Molar Bund Extension Drain	1.38	No	No	No
Sarita Vihar Drain	1.30	Earthen	No	No
CD-VI				
Drain No. 6	14.73	Good condition	Not required	Not required
Burari Creek	8.86	Good condition	Not required	Not required
Burari Drain	6.04	Good condition	Not required	Not required
New Drain	5.40	Good condition	Not required	Not required
Jagatpur Link Drain (Link Drain No. II)	2.46	Good condition	Not required	Not required
Toe Drain	4.00	Good condition	Not required	Not required
CD-VII				
BAWANA ESCAPE DRAIN	19.79	Strengthen	No	No
Bankner Link Drain	5.43	Good	Yes	No
Khera Khurd Drain	5.20	Good	Yes	Yes
Ghoga Link Drain	5.12	Good	No	No
Naya Bas Link Drain	3.00	Good	No	Yes
Sanoth Link Drain	3.35	Good	No	Yes
Alipur Link Drain	0.88	Good	No	No
Tikri Khurd Link Drain	1.94	Good	Yes	Yes
Khera Kalan Drain (Link)	0.86	Good	No	No

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Bawana Drain RD 9561M to RD 11391M	1.830	Good	No	No
Nangloi Drain CD-VII-2100m	2.10	Good	No	No
CD-VIII				
MungeshPur Drain RD 15850 m to RD 37550 m	21.65	Earthern	-	-
Bazitpur Drain RD 0 m to RD 8049 m	8.05	Earthern	-	-
Bawana Drain RD 0 m to RD 9561 m	10.83	Earthern	-	-
Ladpur Link Drain RD 0 to RD 2300 m	2.30	Earthern	-	-
Katewara Link Drain RD 0 m to RD 1330 m	1.33	B/Work	-	-
Jatkhor Link Drain RD 0 m to RD 3760 m	3.76	Earthern	-	-
Nangal Thakran Link Drain RD 0 m to RD 900 m	0.90	Earthern	-	-
Madanpur Drain RD 4100 m to RD 8229 m	4.13	Earthern	-	Channelization of drain near Ghewra village on up stream of Railway line crossing is required
Kirari Suleman RD 4150 to RD 7850 m	3.70	Dry brick	-	Remodelling of KSN drain is required as the most of the

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
				catchment area of this drain is urbanized and many unauthorized colonies were also developed and being developed. Due to this, there is no scope for percolation of storm water and which has to be carried by this drain. Besides this, due to lack of sewerage network in unauthorized colonies the discharge of sewage, household waste and other wastewater are also flowing into KSN drain through various drains of other Govt. Agencies. There is no land available for

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
				remodeling since the adjacent area in both sides is developed and urbanized. Hence, there is a need, to acquire land for remodeling of KSN drain.
Sultanpur Drain RD 0 m to RD 9200 m	9.20	Earthern	Strengthening of bank is required on upstream side of Karala-Kanjhawala road at Rupali Enclave	-
Rasulpur Link Drain RD 0 m to RD 750 m	0.75	Earthern	-	-
CD-IX				
Supplementary drain from RD 0to RD 16436m	16.44	Inspection road, dhalao, twin pipeline of DJB, PWD Road, Plantation and Mohalla Clinic etc. exist on Bank of Supplementary Drain.	Strengthening Required	Remodelling Required
CD-X				

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Jahangir Puri Outfall drain	**5.47**			
RD 0m to RD 1700m		RD 0m to RD 4800m both side bank PCC tile lined & RD 4800m to RD 5470m both side bank stone pitching	Strengthening and upgradation of regulator at RD 1135m. (Work being taken by Mechanical Division-II, in year 2020-21.)	No
RD 1700m to RD 3000m				
RD 3000m to RD 4000m				
RD 4000m to RD 4800m				
RD 4800m to RD 5470m				
CD-XI				
Supplementary Drain, CD-XI				
RD 22471m to RD 25075m	2.604	Land/Road exist on left bank of Supplementary Drain where park, Mohalla Clinic, Chhat Ghat, Inspection Road and Dhalao have been constructed. Around 10000 nos. plants has been planted on left bank of Supplementary Drain. On the right bank Kaccha inspection Road	Strengthening required	Remodelling required
RD 25075m to RD 26060m	0.985			
RD 26060m to RD 28080m	2.020			
RD 28080m to RD 31300m	3.220			
RD 31300m to RD 34500m	3.200			

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
		exists which is common bank of N G Drain and Supplementary Drain.		
CD-XII				
Madanpur Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	-	Not Required	Not Required
Kirari Suleman Nagar Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	-	Not Required	Not Required
(RD 0m to RD 1722m)	1.72	-		
(RD 1722m to RD 3700m)	1.98	-		
(RD 3700m to RD 4100m)	0.40	-		
Mundka Peripheral Drain (RD 0m to RD 2345m)	2.35	-	Not Required	Not Required
Ranhola Pond Drain (RD 0m to RD 1160m	1.16	-	Not Required	Not Required
CD-XIII				
MungeshPur Drain CD-XIII-10362m	10.362 0m to 1575m = 1575m to RD. 6600m RD.6600m to 10362M	Stable	No	No
Bhupania Chudania Drain (including Haryana portion)	8.55 RD. 0m to 2736m	Stable	No	No

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
	RD. 6280m to 8550M RD.2736m to 6280M (Haryana State)			
Mudhela Drain CD-XIII- From 6950 to 12560m	5.60	Stable	No	No
Nangli Sakrawati Link Drain, CD-XIII- RD-0m to 385m = 385m, CD-XIII-RD-1712m to 2262m = 550m	0.93 RD. 0m to 385 RD. 1712m to RD.2262m	Stable	No	No

ANNEXURE – II (b): Details of Buffers along Drains of I&FC Department

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others, if any	Total (in hectare)	Remarks
FC-I																
Jahangir Puri Outfall drain																
RD 0m to RD 1700m	5.47	75.00	54.00	1.80 m	21.00	3.50 mtr each side Total = 7.00 mtr	---	2.00 mtr each side Total = 4.00 mtr	---	---	2 mtr each side Total = 4.00 mtr	---	---	---	8.20	
RD 1700m to RD 3000m		66.00	48.00		18.00											
RD 3000m to RD		31.00	27.00		4.00											

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others, if any	Total (in hectare)	Remarks
4000m																
RD 4000m to RD 4800m		35.00	33.00		3.00											
RD 4800m to RD 5470m		54.00	43.00		12.00											
Trunk Drain No.I , CD-III-5260m																
RD 0m to RD 3200m	5.26	54.86	38.00	2.67	16.86		10.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			15.68	
RD 3200m to 5260m		22.86	20.00		2.86		24.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			12.98	
RD 5260m to 6690m	1.43	45.00	33.00	4.00	12.00		8.00	10.00			5.00	5.00			4.00	
RD 6690m to 10330 m	3.64	45.00	25.00	4.50	20.00			10.00			5.00	5.00			7.28	
RD 10330 m to 13387 m	3.06	37.00	15.00	4.50	22.00			10.00			5.00	5.00			6.11	
Trunk Drain No. II													20.00			
RD-4550m to RD-3900m		15.24	15.24		0.00		32.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			4.62	
RD-3900m to RD-3230m	4.55	32.74	20.05	2.60	12.69		20.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			3.95	Drains under the jurisdiction are passing through the densely populated area, acquisition of the proposed additional land is only possible if the redevelopment of the nearby area of the drain proposed by DDA
RD-3230m to RD-1980m		45.24	20.55		24.69		8.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			5.88	
RD-1980m to RD-0m		54.86	22.80		32.06			7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			7.72	
Shahdara Outfall Drain	5.90			3.26												
RD-5900m to RD-0m		135.00	58.764		76.236			10.00	14.00		5.00	5.00			20.06	
Ghazipur Drain	6.15			3.11												
RD-0m		104.	54.44		49.56		5.00	7.50	14.00		5.00	5.00			7.79	

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others, if any	Total (in hectare)	Remarks
to RD-2135m		00														
RD-2135m to RD-3505m		104.00	53.83		50.17			7.50			5.00	5.00			2.40	
RD-3505m to RD-5090m		104.00	52.59		51.41			7.50			5.00	5.00			2.77	
RD-5090m to RD-6157m		85.00	47.73		37.27		5.00	7.50	7.00	3.50	5.00	5.00			3.52	
Shahdara Link Drain																
RD 4545m to RD-3500m		45.15	22.25		22.90		10.00	7.50	10.00		5.00	5.00			3.92	
RD 3500m toRD-3065m		53.50	22.25		31.25		10.00	7.50	10.00		5.00	5.00			1.63	
RD 3065m to RD-2565m		44.50	22.25		22.25			7.50	5.00		5.00	5.00			1.13	
RD 2565m to RD-2150m	4.56	36.45	22.25	2.135	14.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.93	
RD 2150m to RD 1330m		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			1.85	
RD 1330m to RD-930m		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.90	
RD 930m to RD-330m (Covered Portion)		43.00	15.45		27.55			7.50	5.00		5.00	5.00			1.35	
RD 330m to RD 130m		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.45	
Karawal Nagar Drain	2.48	38.96	14.00	4.00	24.96			5.00			5.00	5.00			3.72	
Bihari pur Drain	1.00	4.00														
RD 0m to RD 650m	0.65	4.50	2.00	1.50	2.50	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	3.00	3.00			2.14	
RD 650m to RD	0.35	8.00	2.00	1.50	6.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00	3.00			1.02	

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	**Length of Drain (in KMs)**	**Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way**	**Reach wise top drain width (in mtr.) including water way**	**Depth of drain (in mtr.)**	**Balance land width (in mtr.) (Buffers)**	**Remodelling / augmentation**	**Operation & maintenance**	**Creation of green belt**	**For processing of desilted earth**	**For Service road**	**For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao**	**For C&D waste**	**For additional stores of I&FC Dept.**	**Others, if any**	**Total (in hectare)**	**Remarks**
1000m																
Bund Drain	3.45	7.50	3.70	2.00	3.80	5.00	4.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			10.00	
Escape Drain No. I	2.98															
RD 0m to 980m	0.98	25.90	8.00	4.00							3.00	3.00			0.60	
RD 980m to 1650m	0.67	23.00	6.00	3.00	17.90		4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			1.74	
RD 1650m to 2650m	1.00	18.23	6.00	2.50	17.00	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			3.10	
RD 2650m to 2980m	0.33	17.00	2.80	2.00	12.23	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			1.02	
Escape Drain No. II	0.45	30.00	10.00	3.00	20.00			5.00			3.00	3.00			0.50	
Relief Drain	2.18															
RD 0m to 695m	0.70	27.00	13.00	2.00	14.00		3.00		3.00	6.00	3.00	3.00			1.26	
RD 695m to 965m	0.27	Not visible marsh land				5.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			0.76	
RD 965m to 1860m	0.90	8.00	2.60	1.20	5.40	5.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			2.52	
RD 1860m to 2180m	0.32	15.00	5.00	1.50	10.00		3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			0.74	
														FC-I	**154.24**	

FC-II																
Drain No.6	14.73	1. RD 0m to 2650 m = 45.00 Mtr	1. RD 0 m to 1725 m = 26.95 Mtr.	Varies from 3.40 Mtr 4.10 Mtr	1. RD 0 m to 1725 m = 18.05 Mtr.	(26.95x0.5)x1725 = 23244 Sqm.	----	RD 0 to 13025m = 13025 m x 5m X 2= 130250 Sqm.	RD 10000 m to RD 11000 m 40000 Sqm	----	For Services 13025x2 = 26050 Sqm For Dhalao RD 2600m RD 2315 RD 2975 RD 12000 RD 11700 5 x 15m x 15m =	----	RD 2600m = 20m x 15m = 300 Sqm.	----	37.275	
		2. RD 2650 m to 6600 m = 44.00 Mtr	2. RD 1725 m to 2250 m = 26.60 Mtr.		2. RD 1725 m to 2250 m = 18.40 Mtr.	(26.6x0.5)x(2250-1725) = 6983 Sqm	----	----	----	----			RD 7700m = 20m x 15m = 300 Sqm.			

											1025 Sqm.					
		3. RD 6600 m to 12500m = 40.00 Mtr	3. RD 2250 m to 2650 m = 22.05 Mtr.		3. RD 2250 m to 2650 m = 27.95 Mtr.	(22.05x0.5)x(2650-2250) = 4410 Sqm	----	----	----	----		----	----	----		
		4. RD 12500m to 14725m = 28.00 Mtr.	4. RD 2650 m to 2825 m = 26.60 Mtr.		4. RD 2650 m to 2825 m = 17.40 Mtr.	(26.6x0.5)x(2825-2650) = 2328 Sqm	----	----	----	----		----	----	----		
			5. RD 2825 m to 6600 m = 28.70 Mtr.		5. RD 2825 m to 6600 m = 15.30 Mtr.	(28.7x0.5)x(6600-2825) = 54171 Sqm	----	----	----	----		----	----	----		
			6. RD 6600 m to 7730 m = 26.45 Mtr.		6. RD 6600 m to 7730 m = 13.55 Mtr.	(26.45x0.5)x(7730-6600) = 14944 Sqm	----	----	----	----	----	----	----	----		
			7. RD 7730 m to 9700 m = 26.10 Mtr.		7. RD 7730 m to 9700 m = 13.90 Mtr.	(26.1x0.5)x(9700-7730)= 25709 Sqm	----	----	----	----	----	----	----	----		
			7. RD 9700 m to 10700m = 23.50 Mtr.		7. RD 9700 m to 10700m = 16.50 Mtr.	(23.5x0.5)x(10700-9700) = 11750 Sqm	----	----	----	----	----	----	----	----		
			8. RD 10700m to 12500m = 19.20 Mtr.		8. RD 10700m to 12500m = 20.80 Mtr.	(19.2x0.5)x(12500-10700) = 17280 Sqm	----	----	----	----	----	----	----	----		
			9. RD 12500m to 14725m = 12.50 Mtr.		9. RD 12500m to 14725m = 15.50 Mtr.	(12.5x0.5)x(14725-12500) = 13906	----	----	----	----	----	----	----	----		
Burari Creek	8.86	20.00	10 to 12	2.10	10 to 8	(12x0.5)x(8867) = 53202 Sqm	----	From RD 0 m to RD 8867 m x 5.0 m x 2 = 88670 Sqm	----	From RD 0 m to RD 8867 m x 3.0 m = 26601 Sqm	For Services From RD 0 m to RD 8867 m x 2.0 m = 17734 Sqm For Dhalao Near RD 450 M Near RD 1050M Near RD 1450 M Near RD 1950 M Near RD 4150 M Near RD 5250 M Near RD 5850 M	----	500 Sqm (Near RD 2300 M Near RD 6000 M)	----	18.90	

											Near RD 6500 M Near RD 7850 M Near RD 450 M New Course 10x15x15 =2250 Sqm					
Burari Drain	6.04	3.50 to 6.00 M	3.50 to 6.00 M	0.60	Nil	(5x0.5)x(6040) = 15100 Sqm	From RD 0 m to RD 5488 m 5488 x 5.00 = 27440 Sqm	From RD 0 m to RD 5488 m 5488 x 5.00x2 =54880Sqm	----	----	For services 5488x2 = 10976 Sqm For Dhalao Near RD 3500 M Near RD 5100 M 2 x 15.00x 15.00 = 450.00 Sqm	----	----	----	10.8846	
New Drain	5.40	61.00	48.00	5.20	13.00	(48x0.5)x(5400) = 129600 Sqm	.....	From RD 0 to 5400 m 5400x5x2 = 54000 Sqm	----		For services from RD 0 to 5400 m 5400*2 = 10800 Sqm		.....	.....	19.44	
Jagatpur Link Drain (Link Drain No. II)	2.46	4.00	2.50	2.50	1.50	(2.5x0.5)x(2460)= 3075 Sqm	From RD 0 m to RD 500 m500 x 5.00 = 2500 Sqm	From RD 0 to 2460 m2460x5x2 = 24600 Sqm	----	----	For services 2460x2 = 4920 SqmFor DhalaoNear RD 300 M1 x 15.00x 15.00 = 225.00 Sqm	----	----	----	3.532	
Toe Drain	4.00	1.50	1.50	1.20	Nil	(1.5x0.5)x(4000) = 3000 Sqm	From RD 0 m to RD 4000 m 4000 x 5.00 = 20000 Sqm	From RD 0 m to RD 4000 m 4000x5x2 = 40000 Sqm	----	----	For services 4000x2 = 8000 Sqm For Dhalao Near RD 3240 M Near RD 2500 M Near RD 1900 M Near RD 850 M 4 x 15.00x 15.00 = 900.00 Sqm	----	----	----	7.19	
												Total Area CD-VI			**97.22**	
BAWANA ESCAPE DRAIN	19.79	40.50 M (Avg)	19.425 M (Avg.)	1.50 to 4.80	21.0475	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width extended 10 M area 19790 x 10 = 1, 97,900	-	Length RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width 5 M both side of drain area 2 x 19790 x 5 = 1, 97,900 Sqm or 19.79 Ha.	At RD 11000 M area 5 Acre or 2 Ha.	For service lane Length RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 19790 x 4.25 = 1, 68,215	i) RC 19100 M & 19200 M (Budhpur) ii) RD 4165 M to RD 4795 M (Near R/B) J.J. Amar	-	for store at RD 9900 M area 15M x 15 M = 225 Sqm 0.02 Ha	-	78.28	

						Sqm or 19.79 Ha.				Sqm or 16.82 Ha.	Colony Bawana – Narela Road. (iii) RD 13400 M (R/B) Metro Vihar Holambi Kalan. area 3x 15M x 15 M = 675 Sqm 0.0675 Ha					
Bankner Link Drain	5.43	14.10 Avg.	11.25	1.00	2.85	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5430 M = 5430MWidth extended 8 M area 5430 x 8 = 43,440 Sqm or 4.34 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5430 M = 5430MWidth 5 M both side of drain area 2 x 5430 x 5 = 54300 Sqm or 5.43 Ha.	-	For service laneLength RD 0 M to RD 5430 M = 5430MWidth 4.25 M both side of drain area 2 x 5430 x 4.25 = 46,155 Sqm or 4.62 Ha.	RD 2950 M (Near Saboli Road X-ing culvert). RD 3906 M (Pio Manihari Road X-ing).area 2x 15M x 15 M = 450 Sqm0.045 Ha	-	-	-	14.435	
Khera Khurd Drain	5.20	6.75	3.40	0.80	3.35	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5200 M = 5200M Width extended 5 M area 5200 x 5 = 26,000 Sqm or 2.60 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5200 M = 5430M Width 5 M both side of drain area 2 x 5200 x 5 = 52000 Sqm or 5.20 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 5200 M = 5200M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 5200 x 4.25 = 44,200 Sqm or 4.42 Ha.	RD 740 M (Near Bhatte wala Road) area 15M x 15 M = 225 Sqm 0.0225 Ha	-	-	-	12.243	
Ghoga Link Drain	5.12	5.00	5.00	0.80	0.00	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width extended 5 M area 5120 x 5 = 25600 Sqm or 2.56 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width 5 M both side of drain area 2 x 5120 x 5 = 51200 Sqm or 5.12 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 5120 x 4.25 = 43520 Sqm or 4.35 Ha.	-	-	-	-	12.03	
Naya Bas Link Drain	3.00	8.50 Avg	7.00	0.45 to 0.50	1.50	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 3000 M = 3000MWidth extended 5 M area 3000 x 5 = 15000 Sqm or 1.50 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 3000 M = 3000MWidth 5 M both side of drain area 2 x 3000 x 5 = 30000 Sqm or 3.00 Ha.	-	For service laneLength RD 0 M to RD 3000 M = 3000MWidth 4.25 M both side of drain area 2 x 3000 x 4.25 = 25500 Sqm or 2.55 Ha.	RD 490 M CULVERT (Nar Opposite Metro vihar Holambi Khurd)area 15M x 15 M = 225 Sqm0.0225 Ha	-	-	-	7.073	
Sanoth Link Drain	3.35	10.80	9.00	1.40	1.80	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width extended 5 M area 3350 x 5	-	Length RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width 5 M both side of drain area 2 x 3350 x 5 = 33500 Sqm or 3.35 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 3350 x 4.25 = 28475	-	-	-	-	7.88	

						= 16750 Sqm or 1.68 Ha.				Sqm or 2.85 Ha.						
Alipur Link Drain	0.88	30.00	3.50	2.50	26.50	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 880 M = 880M Width extended 5 M area 880 x 5 = 4400 Sqm or 0.44 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 880 M = 880M Width 5 M both side of drain area 2 x 880x 5 = 8800 Sqm or 0.88 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 880 M = 880M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 880 x 4.25 = 7480 Sqm or 0.75 Ha.	RD 0 M, (Near Kiran Garden) ii) RD 435 M (Near Alipur City Forest Road) area 2x 15M x 15 M = 450 Sqm 0.045 Ha			-	2.115	
Tikri Khurd Link Drain	1.94	The drain existing in the NH-1 Land	3.50	0.80	-	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD1940 M = 1940MWidth extended 5 M area 1940 x 5 = 9700 Sqm or 0.97 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 1940 M = 1940MWidth 5 M both side of drain area 2 x 1940x 5 = 19400 Sqm or 1.94 Ha.	-	For service laneLength RD 0 M to RD 1940 M = 1940MWidth 4.25 M both side of drain area 2 x 1940 x 4.25 = 16490 Sqm or 1.65 Ha.	-	-	-	-	4.56	
Khera Kalan Drain (Link)	0.86	7.54	3.00	2.00	4.54	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD860 M = 860M Width extended 5 M area 860 x 5 = 4300 Sqm or 0.43 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 860 M = 860M Width 5 M both side of drain area 2 x 860x 5 = 8600Sqm or 0.86 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 860 M = 860M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 860 x 4.25 = 7310 Sqm or 0.73 Ha.	-	-	-	-	2.02	
Bawana Drain RD 9561M to RD 11391 M	1.830	2.45 M	2.45 M	2.80 M Avg	2.45 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nanglo i Drain CD-VII-2100m	2.10	17.50	9.16	2.00	8.34	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD2100 M = 2100M Width extended 5 M area 2100 x 5 = 10500 Sqm or 1.05 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 2100 M = 2100M Width 5 M both side of drain area 2 x 2100x 5 = 21000Sqm or 2.10 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 2100 M = 2100M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 2100 x 4.25 = 17850 Sqm or 1.79 Ha.	-	-	-	-	4.94	
												Total Area CD-VII			**145.58**	
Mungesh Pur Drain RD 15850 m to RD 37550 m	21.65	32.69 m to 10.00 m	8.54 m to 18.76 m	1 m to 1.50 m	24.15 m to 1.46 m	(12.70 x 0.50 x 21650/10000) =13.74 Ha	-	(2 x 5 x 21650/10000) =21.65 Ha	RD 21785 m to RD 21285 m(500 x 100/10000)=5 Ha	-	For dhalaos(5 x 15 x 15 /10000) =0.11 Ha.	-	-	-	40.50	
Bazitpur Drain RD 0 m to RD 8049	8.05	8.60 m to 12.00	4.47 m	1.00 m	5.83 m	(4.09 x 0.50 x 8050/10000) =1.64 Ha	-	(2 x 5 x 8050/10000) =8.05 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06	-	-	-	9.75	

m											Ha.					
Bawana Drain RD 0 m to RD 9561 m	10.83	5.30 m to 12.00 m	4.75 m	0.75 m	0.55 m to 7.25 m	(4.47 x 0.50 x 10830/10000) =2.42 Ha	(1.50 x 10830/10000) =1.62 Ha	(2 x 5 x 10830/10000) =10.83 Ha	-	-	For dhalaos (4 x 15 x 15 /10000) =0.09 Ha.	-	-	-	14.96	
Ladpur Link Drain RD 0 to RD 2300 m	2.30	11.00 m	2.92 m	0.30 m	8.08 m	(1.67 x 0.50 x 2300/10000) =0.19 Ha	-	(2 x 5 x 2300/10000) =2.30 Ha	-	-	-	-	-	-	2.49	
Katewara Link Drain RD 0 m to RD 1330 m	1.33	2.50 m	0.60 m	0.80 m	1.90 m	(0.60 x 0.50 x 1330/10000) =0.04 Ha	-	(2 x 5 x 1330/10000) =1.33 Ha	-	-	-	-	-	-	1.37	
Jatkhor Link Drain RD 0 m to RD 3760 m	3.76	2.75 m to 3.50 m	1.834 m to 2.587 m	0.30 m	0.163 m to 1.66 m	(1.45 x 0.50 x 3760/10000) =0.27 Ha	(1.50 x 3760/10000) =0.56 Ha	(2 x 5 x 3760/10000) =3.76 Ha	-	-	-	-	-	-	4.59	
Nangal Thakran Link Drain RD 0 m to RD 900 m	0.90	3.64 m	2.14 m	Dry	1.50 m	(1.67 x 0.50 x 900/10000) =0.07 Ha	(1.50 x 900/10000) =0.135 Ha	(2 x 5 x 900/10000) =0.90 Ha	-	-	-	-	-	-	1.11	
Madanpur Drain RD 4100 m to RD 8229 m	4.13	12.50 m	9.02 m	1.00 m	3.48 m	(4.85 x 0.50 x 4130/10000) =1.00 Ha	-	(2 x 5 x 4130/10000) =4.13 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	-	-	5.19	
Kirari Suleman RD 4150 to RD 7850 m	3.70	7.50 m to 15 m	6.98 m	2.02 m	0.52 m to 8.02 m	(3.66 x 1.0 x 3700/10000) =1.35 Ha	-	(2 x 5 x 3700/10000) =3.70 Ha	-	-	For dhalaos (5 x 15 x 15 /10000) =0.11 Ha. For all services (1.50 x 3700/10000) =0.55 Ha. Total =0.66 Ha	-	-	-	5.71	
Sultanpur Drain RD 0 m to RD 9200 m	9.20	4.20 m to 12.60 m	4.57 m	0.75 m	8.03 m	(2.945 x 0.50 x 9200/10000) =1.35 Ha	(1.50 x 9200/10000) =1.38 Ha	(2 x 5 x 9200/10000) =9.20 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	-	-	11.99	
Rasulpur Link Drain RD 0 m to RD 750 m	0.75	6.80 m	3.214 m	0.30 m	3.61 m	(0.91 x 0.50 x 750/10000) =0.03 Ha	-	(2 x 5 x 750/10000) =0.75 Ha	-	-	-	-	-	-	0.78	
												Total Area CD-VIII			**98.44**	
Madan	4.10	14.50	11.50	1.00	3.00	(4100 x	(2300 x	(4100 x 2.00 x	RD	(4100 +	For	-	(2 x 15	-	14.31	

pur Drain(RD 0m to RD 4100m)		(Av.)				3.00)/10000 = 1.23 Ha	5.00)/10000 =1.15 Ha	5.00)/10000= 4.10 Ha	900m)(50 0 x 100/1000 0)=5 Ha	2300) x 4.25/10000 =2.72 Ha	dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.		x 15)/100 00= 0.045 Ha(RD 3700 and RD `900)			
Kirari Sulem an Nagar Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	15.00 m to 24.00 m	(A) 9.00 m to 11.00 m (B) 5.30 m Rcc Troug h Secti on		(A) 6.00 m to 13.00 m (B) 9.70 m to 19.70 m	(2400 x 5.00) /10000 = 1.20 Ha	(1150 x 5.00) /10000 =0.60 Ha	(4100 + 2400) x 5.00 /10000 =3.25 Ha	RD 2900m) (500 x 100/1000 0) =5 Ha	(4100+ 2700) x 4.25 /10000 =2.89 Ha	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	(2 x 15 x 15) /10000 = 0.045 Ha (RD 1400 and RD 1722)	-	13.05	
(RD 0m to RD 1722m)	1.72			1.40												
(RD 1722m to RD 3700m)	1.98			1.80												
(RD 3700m to RD 4100m)	0.40			1.40												
Mundk a Periph eral Drain (RD 0m to RD 2345m)	2.35	2.50	2.00	1.50	0.50	-	(2350 x 5.00) /10000 =1.175 Ha	(2350 x 2.00 x 5.00) /10000 =2.35 Ha	-	(2350+ x 4.25 x 2.00 /10000 =2.00 Ha	-	-	(1 x 15 x 15) /10000 = 0.023 Ha (RD 850)	-	5.55	
Ranhol a Pond Drain (RD 0m to RD 1160m	1.16	1.20	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Total Area CD-XII		**32.90**	
													Total Area FC-II		**374.13**	

FC-III																
Supplementary Drain RD 16436 m to RD 22471 m	6.04	55.00	50.00	3.66	5	--	9.00	12.00	3	6.00	6	-	-	-	36.00	
Najafgarh Drain, RD 45316 m to RD 57140m	11.82	70.00	45.00	5.50	25.00	--	18	24	3	12	12	-	-	-	69.00	
Supplementary drain from RD 0 to RD 16436m	16.44	RD 0m to RD8800m =152.40	61.40	3.66	RD 0m to RD 8800 m = 91.00m	-	-	-	-	-	9 Ha.	-	-	-	9	

		RD 8800 m to RD 9400 m = 113.00m			RD 8800 m to RD 9400 m = 51.60m	-	-	-	-	-		-	-	-		
		RD 9400 m to RD 16436m = 123.10m			RD 9400 m to RD 16436m = 61.70m	-	-	-	-	-		-	-	-		
Supplementary Drain, CD-XI																
RD 22471m to RD 25075m	2.604	68.30	46.27		22.03	-	4	5	-	3	3	-	-	-	15	
RD 25075m to RD 26060m	0.985	103.00	48.72		54.28	-	-	-	-	-	1				1	
RD 26060m to RD 28080m	2.020	125.00	48.72	3.66	76.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RD 28080m to RD 31300m	3.220	84.67	48.72		35.95		4.5	3	-	3	3				13.5	
RD 31300m to RD 34500m	3.200	118.00	48.72		69.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Total	**143.50 Ha.**	
														Total Area FC-III	**143.50**	
FC-IV																
Najafgarh Drain, CD-I-45316m	45.31	RD. 0m to 17905m- 200m to 325m RD. 17905m to 20180m- 150m to 200m RD. 20180m to 22435m- 250m to 300m RD. 22435m to 28180m - 200m to 250m RD. 28180m to 30180m - 250m to	RD. 0m to 6000m - 126.68 m RD. 6000m to 12000 m- Jheel Portion RD. 12000 m to 17905 m- 110.00 m RD. 17905 m to 30180 m - 120.00 m RD. 30180 m to 45316 m - 98.00 m	– – 4.90	– – 135.82 95.00 117.00	– 12000x30x2= 720000 Sqm 5905x55=324775 Sqm 12275x30x2=736500 Sqm 15136x30x2= 908160 Sqm Total 2689435 Sqm	– 12000x12x2= 288000 Sqm 5905x12x2=141720 Sqm 12275x12x2=294600 Sqm 15136x12x2= 363264 Sqm Total 1087584 Sqm	– 12000x25x2= 600000 Sqm 5905x25x2= 295250 Sqm 12275x25x2=613750 Sqm 15136x25x2= 756800 Sqm Total 2265800 Sqm	– {4500} Sqm	– 12000x15x2 = 360000 Sqm 5905X15x2 = 177150 Sqm 12275X15x2= 368250 Sqm 15136X15x2= 454080 Sqm Total 1359480 Sqm	– 12000x10x2 = 240000 Sqm 5905x10x2 =118100 Sqm 12275x10x2 = 245500 Sqm 15136x10x2 = 302720 Sqm Total 906320 Sqm	– 3000/2100 Sqm 1475/1033 Sqm 3068/2148 Sqm 3782/2648 Sqm Total 19254 Sqm	– 2000 Sqm 2000 Sqm 2000 Sqm 2000 Sqm Total 8000 Sqm	– – – – –	838.07	

		300m RD. 3018 0m to 3188 0m - 180m to 250m RD. 3188 0m to 3435 0m - 150m to 175m RD. 3435 0m to 3718 0m - 150m to 200m RD. 3718 0m to 3896 0m - 200m to 225m RD. 3896 0m to 4068 0m - 180m to 200m RD. 4068 0m to 4293 0m - 180m to 220m RD. 4293 0m to 4480 0m - 250m to 300m RD. 4480 0m to 4531 6m - 200m to 250m														
Palam Drain	4.20	37.00	18 to 10.34	2.50	22.83	–	4200x12x2 = 100800 Sqm	4200x25x2 = 210000 Sqm Both side	5000 Sqm	4200x15x2 = 126000 Sqm	4200x5x2 = 42000 Sqm	1050/735 Sqm	2000 Sqm	–	48.75	
Palam Link Drain	1.47	10.00 (Approx.)	4.50 to 2.25	1.30	6.62	1470x10x2 = 29400 Sqm	1470x12x2 = 35288 Sqm Both side	1470x5x2 = 14700 Sqm	2000 Sqm	1470x7.50 x2=22050 Sqm	1470x5x2 = 14700 Sqm	368/257	2000 Sqm	–	12.08	
Najaf Garh Pond Drain	1.95	17.00 (Approx.)	4.50	0.95	12.50	1950x10x2 = 39000 Sqm	1950x12x2 = 46800 Sqm	1950x5x2 = 19500 Sqm	2000 Sqm	1950x7.50 x2=29250 Sqm	1950x5x2 =19500 Sqm	488/340	–	–	15.69	
Nasirpur Link Drain	2.90	12.00 (Approx.)	6.50	2.10	5.50	2900x10x2 = 58000 Sqm	2900x12x2 =69600 Sqm Both side	2900x5x2= 29000 Sqm	3000 Sqm	2900x7.50 x2= 43500 Sqm	2900x5x2 =29000 Sqm	725/508	2000 Sqm	–	23.53	
Bijwasan Drain	4.20	20.00 to 30.00	4.00	0.91	21.00	4200x10x2 = 84000 Sqm	4200x12x2 =100800 Sqm Both side	4200x5x2= 42000 Sqm	5000 Sqm	4200x7.50 x2=63000 Sqm	4200x5x2 =42000 Sqm	1050/735	2000 Sqm	–	34.06	
Pankha	3.60	19.60	8.00	2.3	13.8	3600x10x2	3600x12x2	3600x25x2	4000	3600x7.5x	3600x5x2	900/63	2000	–	43.59	

Road Drain		to 24.00		0	0	= 72000 Sqm	= 86400 Sqm Both side	= 180000 Sqm	Sqm	2= 54000 Sqm	= 36000 Sqm	0	Sqm			
Shahbad Mohammadpur Drain	0.23	14.50	2.35	1.22	12.15	–	225x12x2= 5400 Sqm Both side	225x5x2=2250 Sqm	1000 Sqm	225x7.50x2=3375 Sqm	225x5x2=2250 Sqm	57/40	2000 Sqm	–	1.64	
Mudhela Drain CD-I-6920m,	6.95	16.50	5.00	1.52	11.50	6950x10x2 = 139000 Sqm	–	6950x5x2 = 69500 Sqm	2000 Sqm	6950x7.50 x2 = 104250 Sqm	6950x5x2 = 69500 Sqm	1740/1200	–	–	38.72	
														TOTAL CD-I	1056.13	
Ali Drain	2.78	40.45	35.00	4.00	5.00	--	2780X12X2 = 66720 Sqm. (6.67 Hectare)	2780X10X2 = 55600 Sqm. (5.56 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	2780X5X2=2780 Sqm. (2.78 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	500 Sqm. (0.05 Hectare)	--	15.345	
Asola Drain	3.39	5.00 Mt. (Avg.)	2 to 5	Av. Depth 3.00	2 to 5	5470X4= 21880 Sqm. (2.19 Hectare)	5470X12X2 = 131280 Sqm. (13.13Hectare).	5470X10X2 = 109400 Sqm. (27.35 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	5470X7= 38290 Sqm. (3.8. Hectare.)	5470X5X2=54700 Sqm.(5.47) Hectare	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)		52.425	
Molar Bund Extension Drain	1.38	0 to 615-2.25	615 to 1335-2.25	1.50 to 2.25 Mtr.	Nil	--	1380X12X2 =33120 Sqm. (3.31 Hectare)	1380X10X2 =27600 Sqm. (2.76 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	1380X7= 9660 Sqm. (0.97 Hectare)	1380X5X2 = 1380 Sqm. (1.38 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	8.905	
Sarita Vihar Drain	1.30	20.00	15.00	2.50	5.00	--	1300X12X2 = 31200 Sqm.(3.12 Hectare)	1300X10X2 =2600 Sqm. (2.6 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	1300X7= 9100 Sqm. (0.91 Ha)	1300X5X2=13000 Sqm. (1.30 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	8.415	
														TOTAL CD-V	85.09	
Mungesh Pur Drain CD-XIII-10362m	10.362 0m to 1575 m = 1575 m to RD. 6600 m RD.6600m to 10362 M	137 54 66	29.02 29.02 29.02	3.32	107.98 24.98 36.98	10362x30x2 = 621720.00 Sqm or 62.17 Hectare	10362x50x2 =1036200 Sqm or 103.62 Hectare	10362x25x2= 518100.00 Sqm or 51.81 Hectare	2 Hectare	10362x20x2 = 414480.00 Sqm or 41.45 Hectare	-	2 Hectare	0.80 Hectare		= 263.85-82.21 (Available land) = 181.64	
Bhupania Chudania Drain (including Haryana portion)	8.55 RD. 0m to 2736 m RD. 6280 m to 8550 M RD.2736m to 6280 M (Haryana State)	90 65 22	22 22 Un-demarcation Portion	3.05	68 43 -	8550x30x2 = 513000 Sqm or 51.30Hectare	8550x50x2 =855000 Sqm or 85.50 Hectare	8550x25x2 = 427500 Sqm or 42.75 Hectare	2 Hectare	8550x20x2 = 342000 Sqm or 34.20 Hectare	-	2 Hectare	0.80 Hectare		= 218.55-47.18 Available land = 171.37	
Mudhela Drain CD-XIII-From 6950 to 12550m	5.60	17.6	6.57	0.91	11.3	5600x15x2 = 168000 Sqm or 16.80Hectare	5600x20x2 = 224000Sqm or 22.40Hectare	5600x25x2 = 280000Sqm or 28.00 Hectare	2 Hectare	5600x20x2 = 242000Sqm or 22.40 Hectare	-	0.40 Hectare	0.40 Hectare		92.40-9.86 Available land = 82.54	
Nangli	0.93R	1.801	1.801.	1.5	00	930x5x1 =	930x5x1 =	-	-	930x20x1	-	0.40	0.40		= 3.6 -	

Sakrawati Link Drain, CD-XIII-RD-0m to 385m = 385m, CD-XIII-RD-1712m to 2262m = 550m	D. 0m to 385 RD. 1712 m to RD.2262m	.20	20	0		4650 Sqm or 0.47 Hectare	4650 Sqm or 0.47 Hectare			= 18600Sqm or 1.86 Hectare		Hectare	Hectare		0.14 Available land = 3.46	
TOTAL CD-XIII															439.01	
Total Projected Land Area FC-IV															1580.23	
TOTAL AREA (FC-I + FC-II + FC-III + FC-IV)															**2252.10**	

ANNEXURE – II (c) : Detail of Effluent Irrigation System

I. Keshopur Effluent Irrigation System (KEIS)

The Irrigation Network under Civil Division No. XII also known as Keshopur effluent irrigation system (KEIS) consists of irrigation Channels and Minors and feeder channels spanning across a total length of 30.40 Km to take the effluent treated water from Keshopur Sewerage treatment Plant of Delhi Jal Board, thereafter being supplied by pumping through Keshopur Pump House and Tilangpur Kotla Pump House throughout the year for agricultural land for Irrigation in the Villages Nilothi, Ranhola, Mundka, Tilangpur Kotla, Baprola, Bakkarwala, Dichaonkalan, Hirankudna and Neelwal in Dist. West of Delhi. The total area irrigated is approximately 1630 Acres. A road network comprising of inspection path with cumulative length of approximately 20.00 Km also exist along the irrigation channels and minors to facilitates watch and ward, day to day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 180 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.

II. Coronation Effluent Irrigation System at Burari (CTP)

The Irrigation Network under Civil Division No.VII also known as Effluent Irrigation System for Burari Area consists of irrigation Channels and Minors and feeder channels spanning across a total length of 17.37 Km to take the effluent treated water from Coronation Pillar Sewage Treatment Phase-I&II (20 MGD), Phase-III (10 MGD) of DJB, Near Coronation Park of Delhi Jal Board, thereafter being supplied by pumping through Pump House at Burari throughout the year for agricultural land for Irrigation in the Villages Burari, Jharoda, Bhalaswa, Mukundpur, Kadipur, Ibrahimpur in Dist. West of Delhi. The total area irrigated is approximately 325 Acres. A road network comprising of inspection path with cumulative length of approximately 17.37 Km also exist along the irrigation channels and minors to facilitates watch and ward, day to day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 20 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.

III. Okhla Effluent Irrigation System

The Irrigation Network under Civil Division No. V also known as Okhla effluent irrigation system consists of irrigation Channel spanning across a total length of 05.00 Km to take the effluent treated water from Okhla Sewerage Treatment Plant of Delhi Jal Board, thereafter being supplied for Irrigation in the Villages Ali, Mandapur Khadar &Jaitpur in District (South-East) of Delhi. The total area irrigated is approximately 500Acres day-to-day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 20 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.

Conclusion:

Due to rapid urbanization in Delhi Territory, thereby the agriculture land area in Delhi is diminishing, therefore, the necessity of remodelling / expansion of above Effluent Irrigation Systems is not envisaged.

Key Plan of Effluent Irrigations Systems:

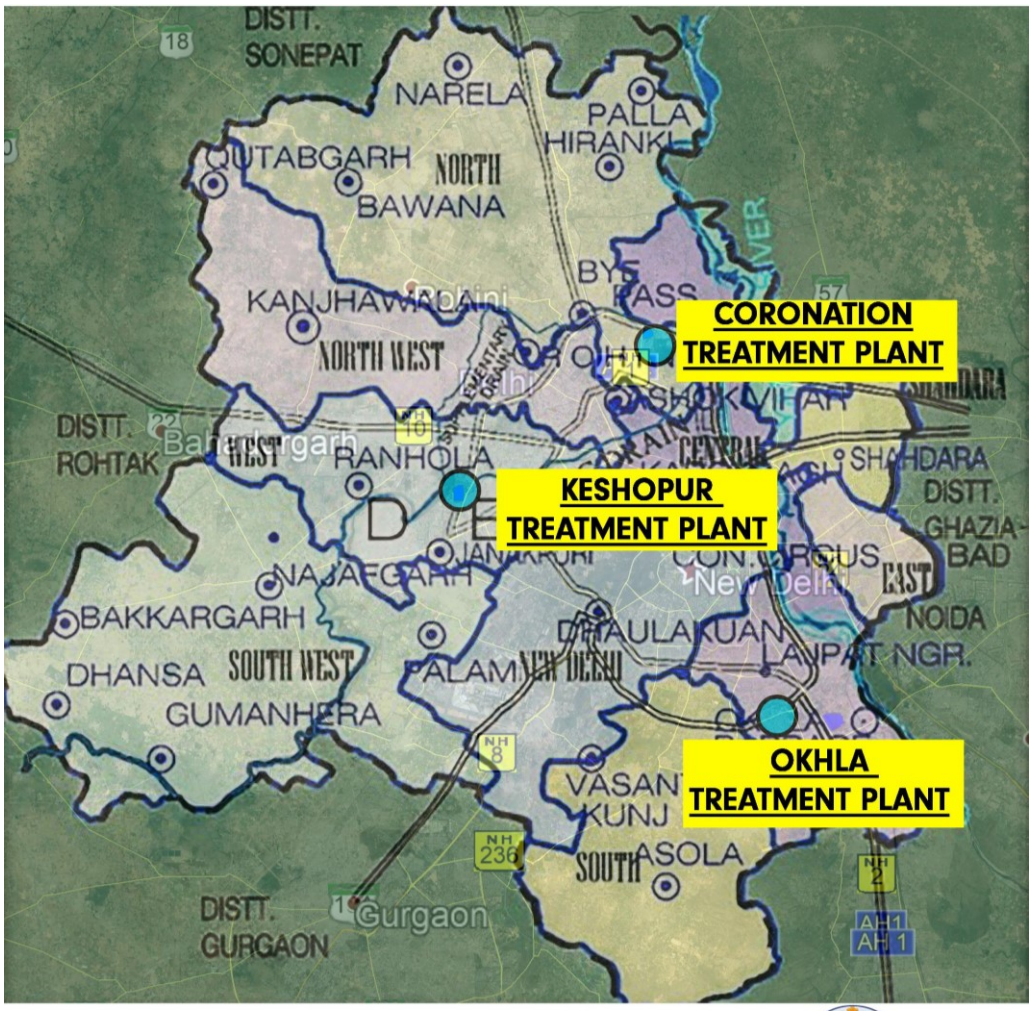

I&FC Deptt. Govt. of NCT of Delhi

ANNEXURE III: **SERVICE PLAN - DELHI CANTONMENT BOARD (DCB)**

दिल्ली छावनी परिषद
DELHI CANTONMENT BOARD
सदर बाजार, दिल्ली छावनी– 110010
Sadar Bazar, Delhi Cantt – 110010

हर काम देश के नाम

Tel. No.: 011-25693837, 25695450 ✉: ceodelhicantt@gmail.com, 🌐: www.delhi.cantt.gov.in

No.DCB/IT/SWM-AP/2020 Dated: 21.01.2021

To

The Vice President
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, I.N.A.
New Delhi – 110023

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Sir

Reference your DO letter No. PS/VC/DDA/2021/10 dated 12.01.2021.

2. Vide above referred DO letter, this office was directed to submit Service Plan for Municipal Solid Waste Management. The Service Plan for Delhi Cantonment Board Municipal Solid Waste Management is annexed herewith as **Annexure-A.**

3. This is for information please.

Yours faithfully,

Chief Executive Officer
Delhi Cantonment
(SVR Chandra Sekhar)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DELHI CANTONMENT BOARD

1. BACKGROUND - DELHI CANTONMENT BOARD

The administration of Delhi cantonment is carried out through a Board, which has 16 members, out of which 08 are nominated/ Ex-officio members and 08 members are elected by the public residing in civil as well as military area. The civil and military populations reside in different pockets in the cantonment. The needs and challenges of both pockets differ from each other in respect of solid waste management.

Basic information about Delhi Cantonment Board is mentioned below:

S. No.	Item	Details
1	Year of establishment	1914
2	Total Area	10452 Acres
3	Total Population (Census 2011)	1,10,351
4	No. of wards	08
5	Commercial areas	02
6	Urban Villages	06
7	Schools	16
8	Slums	02
9	Length of Roads	50.60 km
10	Hospital/ Dispensaries	04
11	Parks	17

2. SOLID WASTE GENERATION IN DELHI CANTONMENT BOARD

1	SOILD WASTE GENERATION - Current status			
	S. NO	Item	Details	
	1	Total solid waste generated per day	68 MT	
	2	Waste generated from civil area per day	23 MT	12 MT Dry waste
				11 MT Wet waste
	3	Waste generated from Army area per day	45 MT	24 MT Dry waste
				21 MT Wet waste

	4	Total Dry waste processed per day in waste to energy Plant at Okhla	30 MT
	5	Wet waste processed per day in waste to energy plant at Okhla	07 MT
	6	Waste dumped in Landfill site at Okhla per day	31 MT

CIVIL AREA - Current status

1. The Household waste is segregated into wet & dry streams at source. Approx. 95% segregation at source has been achieved so far.
2. All the waste collected from civil area is transferred to different Waste Transfer Centers (WTCs).
3. All the WTCs have been designed for the temporary storage of dry & wet waste, as separate fractions.
4. Rag pickers have been integrated into the system to pick up recyclable items, from the waste collected at the WTC's.

2 ACTION PLAN FOR SEGREGATION AT SOURCE - MUNICIPAL SOLID WASTE

CIVIL AREA	ARMY AREA
It is estimated that Municipal Solid Waste likely to be generated from civil area by 2041 will be 37 MT per day. The challenge before the Board is to maintain the level of source segregation in civil area. For this, the following exercise is being undertaken on regular basis: a. Two sanitary guides accompany the door-to-door collection vehicle, they make announcement and make sure that only segregated waste is collected. b. A register is maintained to keep a check on those residents who are not handing over segregated waste. The repeated offenders to be penalized according to the provisions of Delhi Cantonment Board solid waste	The population of army area is mostly comprised of army troops. Therefore, it is estimated that there will be no difference in the quantity of Municipal solid waste generated today and which is likely to be generated in 2041. a. A system is being worked out for on-site composting of food waste generated by transit camps, officer's messes, community kitchens of army units and institutes. b. Further, it is proposed that army authorities will be asked to install de-centralized compositing machines. This step shall considerably reduce the problem of segregation at source, which in turn would lessen the amount of non-recyclable waste being transported to the

	Management Bye-Laws. c. Regular interaction with residents and awareness campaigns in the form of street play, mohalla meeting etc. is organized to keep the residents aware and motivated on source segregation. d. Formal training is being imparted to Rag pickers/ Safaiwalas to improve the level segregation on monthly basis. The rag pickers were issued separate I- cards and have been successfully integrated into the system.	landfill site at Okhla. c. It has been decided that station headquarters and Delhi Cantonment Board will sensitize RWAs, existing in the army area, to segregate and process the wet waste in their own compound.
3	MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION	
	CIVIL AREA	ARMY AREA
	For civil area, 14 door-to-door vehicles are deployed for collecting both dry and wet waste, which is segregated at household level. These vehicles have been suitably modified to carry the solid waste in segregated form. A few salient aspects of door to door collection are as under: a. All vehicles have been fitted with tracking system (GPS) b. Announcement system with specific message for segregation has been incorporated. c. The staff has been deployed ward wise for the collection of segregated waste at source. d. The mobile numbers of the staff have been made public to ensure transparency and commitment of Delhi Cantonment Board.	For Army area, 27 vehicles have been deployed to collect the solid waste. Separate bins have been provided for dry and wet waste. The waste collected from the army area is directly taken to the processing plant and landfill site at Okhla.

3. MANAGEMENT STRATEGY

3.1. DETAILS OF SORTING AND MATERIAL RECOVERY FACILITY

There are eleven secondary storage points, with the facility of separate storage of dry and wet waste, within the territorial jurisdiction of Delhi Cantonment Board. Out of this, one secondary storage point at Tigris Road has been converted into sorting and material recovery facility with capacity to handle 30 MT waste daily. Further, rag pickers have been integrated into the system to pick up recyclable items, from the waste stored at Tigris Road. Accordingly, two more material recovery facilities will be developed to meet the need, which will arise in 2041.

3.2. DETAILS OF PROCESSING OF SOLID WASTE

All the waste after collection is moved to waste transfer centers, where the recyclable waste is retrieved. Therefore, the solid waste is carried by respective vehicles to Okhla. On average, approximately 30 MT of dry waste and 7 MT of wet waste are disposed in the Waste to Energy and Waste to Compost plants respectively. The processing of waste at Okhla is done under the management of South Delhi Municipal Corporation. Only 31 MT of solid waste is being dumped at the landfill site at Okhla. 100% of solid waste, which is generated in Delhi Cantonment, is either processed or dumped at the landfill site, on a daily basis.

A pilot project exclusively for the processing of food waste generated from market area, with a total capacity of 175 Kg, is fully functional for the last 2 years in the WTC at Tigris Road.

It is also proposed that 4 to 5 sorting- cum- compositing machine, with a capacity of 10 MT each will be installed at different locations, within 4 years, to handle the wet waste generated within the territorial jurisdiction of Delhi Cantonment Board.

3.3. DETAILS OF MANAGEMENT OF PLASTIC WASTE

There is a complete ban on the use polythene bags of less than 50-micron thickness. The Assistant Sanitary Inspectors keep a regular check in market area and also impose fine if someone is found in violation.

A committee has also constituted to identify and replace specific items of non-biodegradable plastic like plastic straw, plastic spoon disposable plastic glass, plastic plates etc. with biodegradable items. These processes of replacement of non-biodegradable plastic items have been successfully achieved in Gopinath Bazar & the committee keeps visiting the commercial areas for ensuring that people and shop keeper get habituated for such practice.

A baling machine has been installed in the waste transfer centre at Tigris Road, for making bales of plastic and polythene waste material, for ease of handling/ disposal through the rag pickers.

3.4. DETAILS OF MANAGEMENT OF HORTICULTURE WASTE

A total of 17 parks of various sizes are being maintained in the Cantonment area. All the parks have been provided with pits for collection of horticulture waste.

The horticulture waste is further carried to the nearest shredding machine, four of which have been installed in different areas of the cantonment. The shredded horticulture waste is converted into compost in the natural process, duly augmented with the spray of appropriate quantity of EVM. The compost generated is being utilized within its geographical limits.

3.5. DETAILS OF MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION (C&D) WASTE

a) On an average up to 1.0 metric tons of C&D, waste is generated in Delhi Cantonment area, on daily basis.

b) A central storage facility for C&D waste has been created in Jharera village for temporary holding of the same before further disposal.

c) The C&D waste is transported from the central storage facility to the processing facility setup at Shastri Park by IL&FS, under the management of EDMC.

d) Explicit directions have been issued to all contractors working under Delhi cantonment Board, as well as Military Engineering services (MES), to follow the above procedure for the disposal of C & D waste.

e) Vulnerable areas have been put under CCTV surveillance to prevent dumping at unauthorized sites.

f) Punitive action is promptly taken against the defaulters.

ANNEXURE IV: SERVICE PLAN - **EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION (EDMC)**

EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION
Office of Chief Engineer SHN/(EMS)/HQ
419, Udyog Sadan Patpar Ganj Indl. Area,
Delhi-110092 Phone No. 011-66667504

SWACHH SURVEKSHAN 2021

No.: CE–HQ/EMS/SHN/EDMC/2020-21/D- 697 Dated: 20/1/2021

To,

Commissioner (Planning)
Delhi Development Authority
5th Floor, Vikas Minar,
New Delhi-110002

Subject:- Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Please refer the D.O. Letter No. PS / VC / DDA / 2021 / 07 dated 11.01.2021 from V.C. DDA to Commissioner EDMC vide which it was requested to share service plan for Municipal Solid Waste Management.

In this connection it is submitted that The Hon'ble Supreme Court vide its orders dated 17.08.2018, in the matter of SWM (C) No. (S) 1/2015 in re: Outrage as Parents End Life After Child's Dengue Death, had directed the Lt. Governor of Delhi to constitute a Committee to go in depth into all aspects of solid waste management in Delhi including cleaning up the dumpsites in Gazipur, Bhalswaand Okhla and frame a workable and implementable policy.

Accordingly, the said committee had already submitted its report to Hon'ble Supreme Court. On the suggestions and direction of the Committee, EDMC has outsourced Door to Door Collection and Transportation of Municipal Solid Waste to processing facility / landfill for entire EDMC under Public Private Partnership (the "PPP") mode on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (the "DBFOT") basis"

EDMC already has one 1300 TPD Waste to Energy Plant, one 1000 TPD C&D Waste processing plant, 10 nos one TPD accelerated composters, 02 nos five TPD bio-methnation plant and 10 TPD one number XAPPER Machine for decentralized processing the waste.

EDMC is also developing one 2000 TPD integrated facility waste management facility which will have one 600 TPD WtE plant for combustible waste, 1200 TPD Bio-methanation plant for wet waste and 200 TPD C&D waste processing plant for inert waste at Ghonda Gujjran in association with NTPC and likely to be operational by September, 2022 through joint venture company NEWS. In addition 3 nos. 1 TPD accelerated compost plants are under installation.

East Delhi Municipal Corporation is maintaining is one sanitary landfill at Ghazipur spread over in area of about 70 acres having over 140 lac tonne legacy waste. Approximate 2000-2200 MT fresh / residue MSW is received daily. Recently, EDMC has started processing of legacy waste through excavating, windrowing, drying, segregating through different size of trommels. The outputs are C&D waste, combustible waste like RDF, filling inert material of size 6 to 30mm and soil like inert material of less than 6mm size. Till date over 3.7 lacs tonne of legacy waste has already being processed through 15 trommels with approximate 3000 TPD capacity. The same will be increased as per the Action Plan attached in the template. The land so reclaimed will be use for waste management facilities as Technology park show casing different technologies of wet waste and recyclable waste.

Further, EDMC has planned processing of wet waste through decentralized processing by installing 20 nos. bio-methanation plant at different location depending upon availability of land and funds. The detailed IEC plan has been prepared for Door-to-Door segregated collection of waste with the help of local through ward wise Safai Nigrani Samities headed by DC of the Zone with local Councilor.

The information in the template as desired is attached.

Encl: as above

20/1/2021
Chief Engineer (HQ)
East Delhi Municipal Corporation

Copy for kind information to:-

1. VC, DDA
2. OSD to Commissioner for information to Commissioner
3. E-in-C
4. Office Copy

20/1/2021
Chief Engineer (HQ)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (MSWM)

Aspect	Information required
Generation	Presently – 2600 TPD By 2040 – 6000 TPD
	Present estimations of Green waste – 1300 TPD Dry waste – 30 % and inert – 20% By 2040 Green waste – 3000 TPD Dry waste – 30 % and inert – 20%
Management strategy	Separate management plans (collection, segregation and processing) for: • Green Waste • Reusable Waste • Inert EDMC outsourced door-to-door collection of segregated waste collection and expected to achieve segregated collection by March 2021 and processing 2000 TPD- integrated facility at Ghonda Gujran by 2022. 1200 TPD - waste processing through bio - methanization.
	Management plans to include information regarding the following aspects: **1. Improving collection, segregation efficiency at local level (RWA/Mohalla/Market association/Solid waste zone/Wards etc.)** EDMC has outsourced collection and transportation of Municipal Solid waste and Street Sweeping waste and any other solid waste specified by East DMC from time to time as per MSW Rules 2016. Broadly the work includes primary collection and transportation of Municipal solid waste (MSW) and street sweeping waste in segregated manner from

households, slums, informal settlements, commercial, institutional and other non- residential premises, multi storied buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes.

2. Maximizing wet waste processing (e.g., Composting, Bio-methanation etc.) locally

- Decentralized accelerated compositing, presently, 10 numbers of 1 TPD capacity are operational and 02 plants of capacity 1 TPD are under progress
- Home composting – 50 TPD
- Decentralized Bio-methanation – 5 TPD (02 in numbers are operational), 10 TPD (01 in number is in progress)
- Target: Decentralized accelerated compositing, 20 numbers of 1 TPD
- Decentralized Bio- methanation, 10 numbers of 5 TPD
- 1 Material Recovery Facility (MRF) in each ward i.e. 64 numbers
- Centralized Bio-methanation – 1200 TPD by September 2022 (a joint venture company is already been formed with NTPC)

3. Improving sorting and material recovery (MPD will recommend re-purposing of dhalao as material recovery facilities at the decentralized level) etc.

- EDMC propose 01 MRF centre in each ward deals with recyclable material under process.
- Details of existing/ proposed processing facilities on already allotted land.

Shastri Park	C & D Plant- 1000 MT- operational
Vinod Nagar	Workshop/ Parking - operational
Geeta Colony	Workshop/ Parking - operational
Singhola (Narela)	Disposal of silt- operational

4. Reclamation of landfill sites and reuse/recycle of legacy waste

- Action plan for clearing legacy waste at Gazipur dumpsite is attached herewith as Annexure – IV (a).
- After reclamation, land will be used for Technology Park showcasing

	all the technologies of wet waste processing and recycling of waste.
	5. Conversion of existing landfills to engineered/scientific landfills • There is no such type of proposal, however, whenever land is provided that will be constructed as engineered/ scientific landfills.
Special plans for:	**Integration of informal sector in core SWM system (for improved management vis-a-vis ensuring safety, hygiene and healthy work conditions for the workers).** EDMC to establish a system to recognize organizations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorized waste pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste.
	Marketing strategies for compost and other reusable/recycled products As there is less amount of compost produce from plant, the whole quantity of compost is being utilized in, Municipal parks and gardens generated from waste in EDMC area. There shall also be a provision for the households to directly deposit or sell their recyclable waste to Kabadiwala/ secondary market and deposit sales realizations in ESCROW account of EDMC and this amount of EDMC and this amount will be used for payment of collection of garbage.
	Awareness, capacity building and behavioural changes programs Annexure – IV (b)
Other information	**Key infrastructure or special projects proposed for the plan period, along with details of projects and their timelines** 2000 TPD Integrated facility waste management and Energy Generation facility will be developed at Ghonda Gujran by September 2022 as a JV between NTPC & EDMC Details of existing/ proposed processing facilities on already allotted land is attached as Annexure – IV (c)
	Future land requirement (if any) for scientific (engineered) landfill sites, provided only inert are to be dumped Land is required for Engineered/ Scientific Landfills, in future. At Sonia Vihar 100 acre of land is required for disposal of reject/ inert of capacity 200 TPD for 20 Years. This land belongs to DDA.

2. Key targets that will be included in MPD 41 Action Plan:

<table>
<tr><th>Component</th><th>Current status</th><th>Target for 2041</th><th>Phasing Plan</th></tr>
<tr><td>MSW collection efficiency</td><td>100 %</td><td>100%</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>MSW segregation efficiency</td><td>25 %</td><td>100 %</td><td>
<table>
<tr><th>Settlement Pattern</th><th>20 %
(To be accomplished)</th><th>50 %
(To be accomplished)</th><th>80 %
(To be accomplished)</th></tr>
<tr><td>CGHS and Bulk generators</td><td>September 2021</td><td>Dec, 2021</td><td>March, 2022</td></tr>
<tr><td>Planned Colonies</td><td>September 2021</td><td>Dec, 2021</td><td>March, 2022</td></tr>
<tr><td>Un-planned colonies</td><td>September 2021</td><td>Dec, 2021</td><td>March, 2022</td></tr>
<tr><td>JJ Clusters</td><td>September 2021</td><td>Dec, 2021</td><td>March, 2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Percentage of green waste processed (e.g. composted or any other processing method) locally</td><td>10 %</td><td>100 %</td><td>In first year – 10%
In the 5th year- 25%
In the 10Th year – 100%</td></tr>
<tr><td>Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/industry</td><td>-</td><td>100 %</td><td>In first year – 15%
In the 5th year- 50%
In the 10Th year – 100%</td></tr>
</table>

Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)			List of informal waste workers / Kabadiwalas prepared
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	10 %	100 %	March - 2022
Reduction in waste going to land fill sites	50 %	90 %	By September - 2022
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)			140 MT as per action plan attached

Annexure – IV (a) : ACTION PLAN FOR CLEARING LEGACY WASTE AT GHAZIPUR DUMP SITE

East Delhi Municipal Corporation in maintaining a Sanitary Land Fill (SLF) near NH-24. This SLF site is spread in about 70 acres of Land. About 2000-22090 MT fresh MSW is received daily and about 3000, MT (as an average) of legacy waste is being processed daily. About 3.00 lac MT of legacy waste has been processed at SLF Ghazipur dumpsite. Time line to clear legacy waste of 140.00 lac MT is as follows:

Sr. No.	No. of Trommels/ Equivalent Machines	Month	Daily Qty. Of processed legacy waste (MT)	Monthly Qty. Of processed legacy waste (MT)	Quarterly Qty. Of processed legacy waste (MT)	Cumulative Qty. Of processed legacy waste (MT)	Balance Qty. Of Legacy Waste (MT)
1	15 (10 no. -30mm & 5 no. – 6mm)	01.12.2020	3000	84000	0	300000	13700000
2	15 (10 no. -30mm & 5 no. – 6mm)	01.04.2021	3000	84000	336000	636000	13364000
3	27 (18 no. -30mm & 9 no. – 6mm)	01.07.2021	5400	151200	453600	1089900	12910400
4	39 (26 no. -30mm & 13 no. – 6mm)	01.10.2021	7800	218400	655200	1744800	12255200
5	42 (28 no. -30mm & 14 no. – 6mm)	01.01.2022	8400	235200	705600	2450400	11549800
6	42 (28 no. -30mm & 14 no. – 6mm)	01.04.2022	8400	235200	705600	3156000	10844000
7	42 (28 no. -30mm & 14 no. – 6mm)	01.07.2022	8400	235200	705600	3861600	10138400
8	45 (30no. -30mm & 15 no. – 6mm)	01.10.2022	9000	252000	756000	4617600	9382400
9	51 (34 no. -30mm & 17 no. – 6mm)	01.01.2023	10200	285600	856800	5474400	8525600
10	57 (39 no. -30mm & 19 no. – 6mm)	01.04.2023	11400	319200	957600	6432000	7568000
11	63 (42 no. -30mm & 21 no. – 6mm)	01.07.2023	12600	352800	1058400	7490400	6509600
12	68 (44 no. -30mm & 22 no. – 6mm)	01.10.2023	13200	369600	1108800	8599200	5400800
13	72 (48 no. -30mm & 24 no. – 6mm)	01.01.2024	14400	403200	1209600	9808800	4191200
14	78 (52 no. -30mm & 26 no. – 6mm)	01.04.2024	15600	436800	1310400	11119200	2880800
15	84 (56 no. -30mm & 28 no. – 6mm)	01.07.2024	16800	470400	1411200	12530400	1469800
16	87 (58 no. -30mm & 29 no. – 6mm)	01.10.2024	17400	487200	1461600	13992000	8000
17	87 (58 no. -30mm & 29 no. – 6mm)	31.12.2024	17400	487200	1461600	15453600	-1453600

1. 25% of legacy waste will be processed by March-2022.
2. 50% of legacy waste will be processed by March-2023.
3. 75% of legacy waste will be processed by March-2024.
4. 100% of legacy waste will be processed by December-2024.

EDMC is making all efforts to achieve all the above mentioned timeline but there are some constraints as below:

1. As the garbage at SLF site Ghazipur has attained the height of about 65 mtrs. and no space available at ground. EDMC has creating space above the garbage at certain locations for installation of trommels. The trommels are being installed after clearing/ processing a stretch of legacy waste and constructing platform over the legacy waste. Installing the trommels in this way, EDMC has been installed 15 nos. trommels of 300 TPD each at SLF site Ghazipur.
2. At SLF site Ghazipur no space is available for stacking of segregated material.
3. Monsoon period and Winter Season reduces the efficiency of processing the legacy waste.
4. Practical problems like break down of machines/ power supply also hampers the progress.
5. EDMC is densely populated and there is no space for filling of this soil like inert material in such a huge quantity. However EDMC is making all out efforts with other agencies and also signed an MoU with NHAI to use this soil like material in their road construction in 2016 but till date no headway achieved. Earlier EDMC has proposed DDA to construct a missing portion of bund between ISBT to Wazirabad Road on Eastern Bank of Yamuna River. In response to this DDA has informed that this matter will be taken up with PWD & I&FC department of GNCTD. Matter has been taken up with these departments for construction of bund on priority.
6. For disposal of RDF matter is being taken up with cement industries as per the RDF utilization policy of Govt. of India.
7. About 12 mtrs. height in certain stretches of dump has been reduced by biomining and efforts are being made to increase the number of trommels to further reduce the height of dump.

Assistance Required for achieving the target:

- NHAI may be asked to expedite their tender for utilization of processed legacy waste.
- Other agencies like this PWD, DSIDC, I&FC, DDA, Northern Railway, DMRC, NBCC, NHAI may be asked for utilization of soil like inert material in low lying area under their jurisdiction.
- PWD & I&FC may be asked to expedite the construction of missing portion of bund on the eastern side of Yamuna River.
- For transporting of the processed legacy waste environmental cess may be waived off.

Executive Engineer (SLF)

Annexure – IV (b) : AWARENESS, CAPACITY BUILDING AND THEIR TIMELINES

The objective of the Solid Waste Management project designed is to modernize the waste management process, and thus reduce the waste collected in Dhalao, Street Corner Bins and Open Sites. For this purpose, emphasis has been laid for door-to-door collection of waste/street level collection of waste and vehicle-to-vehicle transfer of waste for transportation.

To introduce 3 Rs (Reduce, Re-use and Recycle) so as to reduce the load of disposal of solid waste. For this purpose, the concept of segregation of waste (dry and wet) at household level, separate waste handling chain for different kind of waste and recycling centers at ward level have been envisaged.

The Citizen being one of the most important stakeholder in the project, due emphasis is required to have an IEC strategy for increased participation of citizens and residents.

The IEC strategy shall be prepared with an objective to create awareness among target audience and ensure public participation in the municipal solid waste management program envisaged.

This IEC strategy would provide the framework and facilitate EAST DMC to address the communication needs related to implementation of sanitation and waste management in the city.

The main objectives of developing and implementing the IEC campaign are to change the attitude and behavior of the target audience through:

- Increasing level of awareness on the concept of waste accumulation and the way it affects their lives.
- Inducing the waste generators to adopt modern waste management system introduced by EAST DMC such as segregation of waste as 'Dry & Wet Waste' at source, usage of 'door-to-door' and 'street level' collection systems, storage of segregated waste in separate bins, separation of hazardous waste from the regular wastes and safe disposal of all the segregated waste as per the designed waste management system.
- Sharing information about the waste management system placed by the municipal corporation like schedule of collection of different kinds wastes,

free and chargeable facilities, change or update in any fixed schedule/s or route/s, emergency or on-demand facilities, complaint redressal numbers, customer care centres etc.

- Promoting public participation in the successful operation and maintenance of waste management system through sensitisation of citizens, RWAs, Traders Associations, etc.
- Propagating the message that the "Clean City" is a pride of every citizen.
- Approaching Zero Waste situation in due course

1.1. IEC Strategy adopted by East DMC

a. The East DMC shall its own cost engage a-Consultant to aid and advise the East DMC for carrying out the media campaign.

b. East DMC to procure all material for providing IEC campaign its own cost

c. EDMC to implement the IEC campaign.

1.2. Roles of various Agencies

a. Communication Strategy Partner (CSP)/Consultant

- Prepare an IEC strategy for 2040 and budget estimates for the same.
- Define role of East DMC, and CSP in the IEC campaign.
- Prepare suitable strategies for various target groups such as different housing groups (LIG/HIG/MIG/JJ Clusters/ Villages/ Resettlement Colonies/Unauthorized / Commercial Area/ Markets/ daily markets/ SabziMandi/ School and College students etc.
- Establish two way communication mechanisms with stakeholders of the project such as citizens, the media, RWAs/Trade Organizations on one hand and the implementing agencies & EDMC on the other hand.
- Prepare and design Short Films, Advertisement Campaign, Posters, Brochures, Flax, Hoardings, Pamphlets, Stickers, Radio jingles, etc. for the campaign
- Monitor quality and accuracy of contents of the advertisement material
- Lay out ward wise annual plan for conducting campaign events such as: meetings, workshops, street corner plays, movies etc.Detailing number of event content, schedule, target group which are to be conducted by

the Concessionaire in association with RWAs/Trade Associations/ School and collage Managements/ NGOs and East DMC, etc.

- Train resource persons from the East DMC, RWA/ Trade Associations etc. for propagating awareness
- Conduct workshops for staff East DMC and training them by using manuals and other IEC materials
- Any other activity as may be approved by East DMC.

b. The Role of EAST DMC

- Provide all advertising and campaign material to the Concessionaire at its own cost for the IEC campaign during entire concession period
- Printing of campaign materials like brochures, posters, stickers etc., at its own cost and making them available to concessionaires as per plan provided by CSP
- Pursue with various media including cinema halls in public interest to create awareness.
- Issue of Advertisements, Films, Radio Jingles etc., to media at its own cost
- Identifying resource person from the EAST DMC / any other local organizations and training them to propagate awareness amongst staff on continuous basis
- Conducting orientation programs for line department staff.
- Attend events organized EDMC.

Annexure – IV (c) : DETAILS OF EXISTING/PROPOSED PROCESSING FACILITIES ON ALREADY ALLOTTED LAND

P a g e | 1Land requirement for various activities for solid waste management upto 2050

Name of Local Body :- East Delhi Municipal Corporation
Present solid waste generation (in MT) :- 2600
Expected solid waste generation 2025(in MT) :- 4000
Expected solid waste generation 2030(in MT) :- 5000
Expected solid waste generation 2040(in MT) :- 6000
Expected solid waste generation 2050(in MT) :- 7500
Details of existing/proposed processing facilities on already allotted land

S. No	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Details of facilities		Present Status	Remarks
					Type	Capacity (in MT)		
1.	Ghazipur	Delhi Govt.	5.6	2008	Waste to Energy	1300	Operational	PPP Facility upto 2035
2.	Shastri Park	DDA	5	2018	C&D Plant	1000	Operational	PPP upto 2030
3.	Vinod Nagar	DDA	2.88	2014	Workshop/ Parking	-	Operational	PPP upto 2029
4.	Geeta Colony	DDA	9.55	2018	Workshop/Parking	-	Operational	PPP upto 2029 not started due to public resistance/ court order
5.	Singhola (Narela)	DDA	7.2	2018	Disposal of Silt	-	Operational	Saturated
6.	Ghonda Gujran	DDA	42.5	2019	Integrated waste management facilities	2000	Under process	To be developed with NTPC and likely to be operational by 2022
	Total processing capacity of SWM present /proposed (in MT)					1300/3300		

Details of existing /proposed landfill on already allotted land

S. no	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Present Status	Remarks
1.	Ghazipur	DDA	70	1984	over saturated	Remediation work started

Details of land requirement for future activities in phases upto 2050

S. no	Location	Land Owning agency	Land Requirement (Area in Acres)	Purpose	Capacity	Time for start of operation after allotment	Remarks
1.	Sonia Vihar	DDA	100	Disposal of rejects/inert	200 TPD For 20 Years	18 Months	
2.	CBD Ground Karkardoma	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
3.	CBD ground Karkardooma	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	Accelerated
4	Near Paper Mkt. Ghazipur.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
5	Behind MC Pry. School Khichripur.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	

6	Near Karkardoom Metro Station	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
7	Infront of Chand Cinema Kalyanpuri.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
8	Behind Buland Maszid Shastri Park	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
9	Near red fox Hospital	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
10	Open Land in between Jhilmil drain and ITI Vivek Vihar Boundary	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
11	D-Block Krishna Nagar.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
12	Ambedkar Park DDA land Ghazipur Village		3	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
13	50 TPD Biomethanization with gas		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
14	Shastri Park DDA road		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
15	Sewa Dham road behind open		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
16	Safeda Park		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
17	Old Police Station Khajuri		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
18	In front of furniture centre		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
19	Behind gagan Cinema		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
20	Vacant Plot behind Suraksha Nursing Home		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	

Details of low lying area identified for disposal of inert from legacy waste

S. no	Location	Land Owning agency/ Embankment filling	Land available in Acres	Estimated Volume of filling (In CuM)	Time for filling	remarks
1.	Area behind Dayanand Vihar upto Railway Line	DDA	Over 100 acres	80000	12 months	
2.	Shastri Park District Centre & Facility Centre	DDA	Appx. 40 acres	20000	6 months	
3.	Central Business District Shashdara	DDA	Appx. 50 acres	25000	6months	
4.	Near College of Wazirabad Road:	DDA	Appx. 10 acres	50000	12 months	
5.	RPF camp, Police Line	DDA/Delhi Police	Appx. 60 acres	50000	12 months	
6.	Low lying area along Meerut Expressway towards	DDA	Appx. 2 acres	20000	3 months	

	Akshardham					
7.	Site opposite Kondli STP near Noida Border at Kondli.	DDA	App. 8 acres	70000	12 months	
8.	Mandoli Extension	DDA	Appx. 10 acres	75000	12months	
9.	Land for district Centre at Dilshad Guarden	DDA	Appx. 12 acres	50000	12 months	
10.	Mayur Vihar Ph-II facility cum shoping centre opposite Chand Cinema		Appx. 20 acres	100000	10 month	

ANNEXURE V: SERVICE PLAN - SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SDMC)

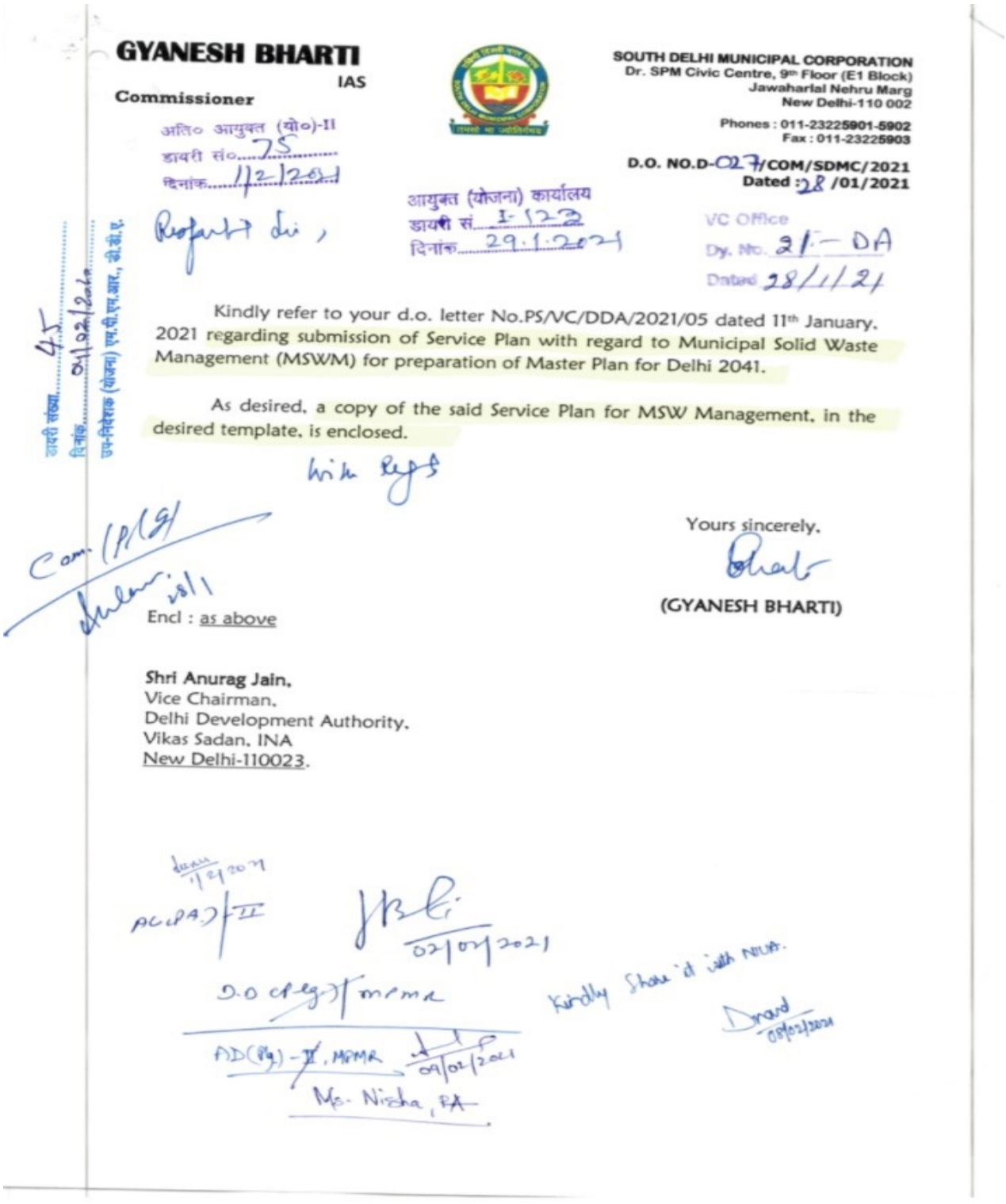

GYANESH BHARTI
IAS
Commissioner

अति० आयुक्त (यो०)-II
डायरी सं० 75
दिनांक 1/2/2021

आयुक्त (योजना) कार्यालय
डायरी सं. I-122
दिनांक 29.1.2021

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
Dr. SPM Civic Centre, 9th Floor (E1 Block)
Jawaharlal Nehru Marg
New Delhi-110 002
Phones : 011-23225901-5902
Fax : 011-23225903

D.O. NO.D-027/COM/SDMC/2021
Dated :28 /01/2021

VC Office
Dy. No. 21 - DA
Dated 28/1/21

डायरी संख्या 45
दिनांक 01/02/2021
उप-निदेशक (योजना) एम.सी.एस.आर., डी.डी.ए.

Kindly refer to your d.o. letter No.PS/VC/DDA/2021/05 dated 11th January, 2021 regarding submission of Service Plan with regard to Municipal Solid Waste Management (MSWM) for preparation of Master Plan for Delhi 2041.

As desired, a copy of the said Service Plan for MSW Management, in the desired template, is enclosed.

With Regds

Yours sincerely,

(GYANESH BHARTI)

Encl : as above

Shri Anurag Jain,
Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA
New Delhi-110023.

ACP(PA)/II

02/02/2021

D.O. reg. MSWM

Kindly share it with Nisha.

AD(Plg)-II, MPMR 09/02/2021

Ms. Nisha, PA

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN SDMC:

Aspect	Information Required
Generation	Approx. 7000 TPD in 2040-41 Estimated green waste- (biodegradable waste): @36%= 2520 TPD Estimated dry waste: @34% = 2380 TPD (Reusable waste paper, textile, plastic and rubber) Inert material @30% = 2100 TPD)
Management strategy	(Collection, segregation and processing) Door to door collection, segregation of green waste (biodegradable waste) and reusable waste though concessionaires and involvement of waste pickers in all four zones of SDMC. Green waste is being processed at Compost Plant Okhla, decentralization bio-methanation plants and through home composting.
	Inert (C&D waste) is collected in two zones 8t ward level through concessionaires/private contractors and the same is being processed at Bakarwala C&D waste plant and proposed C&D waste plant. Another .C&D waste processing facility is proposed at Maidan garhi/Tehkhand for South zone and Central zone.
	(Improving collection and segregation efficiency) **RWA/ Mohalla/ Market association/ Solid waste zone/Wards etc.)** Improving collection, segregation efficiency at ward level by awareness through public notices in newspapers, distribution of pamphlets, radios, nukkad nataks, education in schools, and interaction with RWAs through concessionaries by involvement of waste pickers. Interaction with RWAs through concessionaires by involvement of waste pickers.
	Wet waste is processed through composting at Compost plant, bio-methanation plants and decentralization composting at ward level. Three, 1 TPD and 5 TPD plants are presently functioning. One, 1 TPD and 5 TPD are under construction. However, such plants are proposed subject to availability of hand. Further, ward composting has been started locally through pits.
	Material Recovery Facility (MRF) to be setup at ward level for sorting of waste material at FCTS/Dhalaos.
	Some dhalaos where is possible will be used as material recovery facilities at ward level.
	Reclamation of landfill site at Okhla (dumpsite) is being done through bio mining of legacy waste. Reuse/Recyclable of legacy waste is being utilized is as under: - Refuse Derived Fuel (RDF): - Waste to Energy plant Okhla and private industries. Inert: - NTPC Eco park and Tajpur pit. C&D waste: - At SLF Okhla to cover the dumped waste and making of approaches.

	After completion of bio-mining/remediation of legacy, waste at existing SLF Okhla (dumpsite) will be converted into Engineered/Scientific Landfill/solid Waste Management facility.
	Establishing the system to recognize organizations of waste pickers and Establish a system for integration of the various waste pickers to facilitate their participation in solid waste management including segregation and door-to-door collection of waste through concessionaires ensuring safety, hygiene and healthy working conditions for the workers.
	Marketing of compost is being done through concessionaires of composite plant. Regarding other reusable/recycled products is being done through departmental as well as contractors and private participation.
	Awareness, capacity building and behavioural changes programs is being done through concessionaire as well as sanitation officers of department.
Key infrastructure or special projects Proposed for the plan period, along with details of projects and their timelines.	1. One Compost Plant Okhla, having capacity of 200 MT of MSW per day for making compost is being operated by concessionaire, M/s IL&FS.
	2. One waste to Energy Plant at Okhla having capacity of 1950 MT of MSW per day to produce 23 MW of power is being operated by concessionaire.
	3. Another Waste to Energy Plant at Tehkhand having capacity of 2000 MT of Solid waste per day to 25 MW of power is under construction. This plant is likely to be functional in 2022.
	4. Engineered Sanitary landfill at Tehkhand is to be developed up to Dec 2022.
	5. Plant for processing of Refuse Derived Fuel (RDF) Tehkhand will be setup by Indian Oil corporation and NTPC.
	6. Plan for processing of plastic waste at Tehkhand will be setup by Indian Institute of Petroleum Research (IIPR).
	7. A 200 TPD material recovery facility is proposed at Tehkhand/Okhla under PPP model.
Future land requirement (if any) for Scientific (engineered) landfill sites, provided only inert are to be dumped.	Future land requirement has been prepared and the same is annexed herewith as annexure V (a).

2. Targets to be included in the MPD-2041:

S.no	Component	Current status	Target for 2041	Phasing plan
1	MSW collection efficiency	MSW collection in some areas is being done through concessionaires by involvement of waste pickers in all four zones of SDMC.	Door to door, collection of MSW in entire area of SDMC will be done through concessionaires by involvement of waste pickers.	90% up to 2021 and 100% up to 2025 Subject to the availability of funds and lands.

2	MSW segregation efficiency	MSW segregation in some areas is being done through concessionaires by involvement of waste pickers in all four zones of SDMC.	Segregation of MSW in entire area of SDMC will be done through concessionaires by involvement of waste pickers.	90% up to 2021 and 100% up to 2025 Subject to the availability of funds and lands.
3	Percentage of green waste biodegradable (e.g., composted or any other processing method) locally	10% of green waste is being processed at Compost Plant Okhla, bio-methanation plants, composters, compost pits etc. at ward level.	100% of green waste (biodegradable waste) will be processed at compost plants, bio- methanation plants, composters, compost pits etc. at ward level.	25% up to 2021 50% up to 2023 75% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
4	Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/industry	About 10% of recyclable waste is being sent to recycling centres/industry through waste pickers and private participation.	100% of recyclable waste will be sent to recycling centres/industry through waste Pickers and private participation.	25% up to 2022 50% up to 2023 70% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
5	Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan is being done through concessionaires in all four zones of SDMC.	100% Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW Management plan will be done through concessionaires in all four zones of SDMC.	25% up to 202 l 50% up to 20 3 75% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
6	Reduction in waste going to land fill sites	Efforts are being done in reduction of waste going landfill site through proce5sing of waste at card level and setting up of new Waste to Energy Plants, decentralized, composting.	Likely to be done in 2030.	80% up to 2023 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.

7	Reclamation of land fill sites (preening and processing of legacy wastes)	Reclamation of landfill site at Okhla (dumpsite) is being done though bio mining of legacy waste. Thereafter this land will be converted into green/used for setting up Solid Waste Management facilities.	Likely to be completed in 2030.	100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.

ANNEXURE – V (a)

REQUIREMENT OF LAND AGAINST THE 1500 ACRES AS PER PROVISION IN DELHI MASTER PLAN 2021 FOR IMPLEMENTATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT FACILITIES IN DIFFERENT LOCATIONS IN ALL FOUR ZONES OF SDMC :-

Sr. No.	**Name of facilities**	**Facilities available (In nos.)**	**Facilities required (In nos.)**	**Approx. Land required (in sqm. /acres)**	**Approx. Land available (in sqm. /acres)**	**Approx. Remaining land required (in acres)**
1	Community Bins/ Receptacles/ (FCTS/PCTS)	92	102	102x300 = 30600 sqm. Or 7.5 acres	92x 250 sq.m or 5.7 acres	1.80
2	Material Recovery Facilities (MRF)	Nil	2x4=8	8x2=16 acres	Nil	16.00
3	Facilities for Kabariwala	Nil	2x4=8	8x1=8 acres	Nil	800
4	Attendance Office for SI/ASI	30	1x74= 74	74x100 =7400 sqm or 1.82 acres	Nil	1.82
5	Training Centre facilities for waste pickers and SDMC staff	Nil	1x4=4	4x600= 2400 sqm. or 0.6 acres	Nil	0.60
6	Workshops and parking	2	4x4=16	4x4=16 acres	8.0 acres	8.00

	space for vehicles engaged in Solid Waste Management.					
7	Processing Disposal of Solid Waste, C&D waste and Residue	1	2	67+425= 492 acres	67 acres	425.00
8	Disposal of inert like soil fine fraction etc.	1	2	10+300=310 acres	10 acres	300.00
9	Processing/ disposal of Plastic waste	Nil	4	4x2=8 acres	Nil	8.00
			Total	**859.92 acres**	**90.70 acres**	**769.22 acres**

ANNEXURE VI: SERVICE PLAN – NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NORTH DMC)

Sanjay Goel, IAS
Commissioner

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
Office of the Commissioner
4th floor, Dr. SPM Civic Centre
JLN Marg, Delhi- 110 002

VC Office
Dy. No. 97-DA
Dated 8/4/21

No. D-78/CmR/NDMC/CC/2021

Dated: 7/4/21

The Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA,
New Delhi- 110023.

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) to be integrated in MPD, 2041

Reference: D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/05 dated 11.1.2021

Dear Sir,

Please find attached herewith copy of Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) & templates to be integrated in Master Plan document, 2041 pertaining to North DMC, sent earlier vide letter no. D-in-C/DEMS/North DMC/2021/D-7 dated 28.1.2021 for your kind information & perusal. The Part C & D of "Annexure-A" of the said report regarding land requirements for various activities for SWM upto 2041 have been modified for additional land requirements apart from the details/ information, already sent.

Accordingly, you are, requested, to please look into the matter and Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) pertaining to North DMC, may be integrated in Master Plan document, 2041 for effective Solid Waste Management in future.

Thanking you,

Encl.: as above

Com (PLG)

8/4

Yours sincerely,

(Sanjay Goel, IAS)

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE DIRECTOR-IN-CHIEF (DEMS)
6th Floor, Dr. SPM Civic Centre, J.L.N. Marg
NEW DELHI-110002

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

No.- D-in-C DEMS/NorthDMC/2021/D-7 Dated: 28-01-2021

The Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA,
New Delhi- 110023.

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM)
Reference: D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/05 dated 11.1.2021

Sir,

Please find attached herewith Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) & templates to be integrated in Master Plan document, 2041 pertaining to North DMC. It is being forwarded with the approval of the worthy Commissioner, North DMC.

Thanking you,

Encl.: as above

Yours sincerely,
28/1/2021
Director-in-Chief (DEMS)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (SWM) IN NORTH DMC

ASPECT	INFORMATION REQUIRED
GENERATION	Total MSW: 9,000 TPD [assuming population of North DMC 1.80 crore (out of total population of Delhi: 4 crore in 2041)] Present MSW Generation is 4500 TPD
	Green (wet) waste: 3,600 TPD (Bio-degradable) Dry waste: 5,400 TPD (Non Bio-degradable)
MANAGEMENT STRATEGY	**Present status of SWM is as under:** Present population of area under the jurisdiction of North DMC is about 90 lacs having about 18 lacs residential units. At present, about 4500 TPD of Municipal Solid Waste (MSW) is generated and collected in six zones per day. Out of which, about 2300 TPD of MSW is collected from Keshav Puram, Civil Lines & Rohini Zones which is collected, processed and disposed off scientifically as per SWM Rules-2016 at Waste Processing Facility/ Waste to Energy (WTE) Plant at Bawana in Narela. The remaining 2200 TPD waste collected from City-S.P, Karol Bagh & Narela Zones is being dumped at Bhalswa landfill site without processing/ treatment. As such there a gap of 2200 TPD of MSW which needs to be addressed and processed. Per capita per day solid waste generation is 0.50 kg (500 gm). In order to ensure scientific disposal of the aforesaid remaining MSW, North DMC has planned to set up another WTE Plant either at Bhalswa SLF site or at Rani Khera in Narela. In pursuance of the matter, an MoU between Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) and North DMC has been signed on 19.1.2021 to set up an Integrated Waste to Energy Facility in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste. Accordingly, long term tender incorporating provisions of SWM Rules, 2016, for collection & transportation of MSW for remaining three zones i.e. City-S.P, Karol Bagh & Narela Zones have been invited. **Management Plan for Solid Waste Management:** 1. About 55% of solid waste generated in the jurisdiction of North DMC is being processed & inerts are also disposed off scientifically at Narela-Bawana Waste Processing Facility. Salient features of this project/ agreement are as under: • It is a long term 20 years agreement based on PPP model executed on 17.7.2009 • It is an integrated contract for end to end solution of solid waste which includes door-to-door collection (primary), transportation from secondary storage depots to the Narela-Bawana Waste Processing Facility, processing (compost &R DF), WTE Plant and disposal of inerts at engineered landfill site. • WTE Plant of 24 MW capacity is also operational. • Contract is valid upto year 2029. • Concession area comprises of 64 mpl. Wards (out of total 104 mpl. wards)

	• At present, about 2400-2500 MT of solid waste is received at this plant & by 2029, waste generation is expected to be 3500TPD. • Regular awareness programs through IEC activities etc. are carried out for reduction, re-use & recycle (3Rs) as well as emphasis is given on segregation of waste at source to improve the SWM. Ultimately, it will reduce the load on the Processing Facilities/ landfill sites. The residents are also made aware for utilising waste as wealth through household/ local composting. 2. For remaining waste (45 %), an MOU has been signed between Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) and North DMC has been signed on 19.1.2021 to set up Integrated Waste to Energy Facilities in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste at Rani Khera. Likely date of commissioning of this plant is Dec., 2022. 3. On pilot basis, decentralised bio-methanation/ compost plants of 5TPD (4 NOS.) & 1TPD (6 NOS.) are being installed under the jurisdiction cf North DMC, out of which 2 nos. 5TPD & 3 nos. 1TPD plants are operational. On the basis of success story, these plants would be replicated in all 104 municipal wards. For installation of these plants, adequate land is also required specifically meant for this purposes. Provision of land for solid waste management shall be duly earmarked in the proposed layout plans before notification. 4. 50 TPD recyclable plastic waste processing plant/ facility has also been proposed at Tikri Kalan in Narela. For which, RFP/ tender document is being prepared. 5. Land requirement for various activities for solid waste management upto the year 2041 is annexed as "Annexure – VI (a)". 6. 200 TPD Bio-methanation gas plant based on cow dung is under construction at Bhalswa Dairy and which is likely to commence operation by 31.12.2021. 7. Material Recovery Facility (MRF) having capacity of 4 TPD for sorting of recyclable materials such as paper, plastic, metal, glass etc. will be commissioned at Zakhira shortly. Similar MRFs are proposed in each ward depending upon the availability of land. Minimum land requirement is 1000 sqm for setting up of an MRF. 8. Remediation of legacy waste from SLF Bhalswa, which' is in operation since 1994, is being carried out. Out of total 80 lac MT of legacy waste, 11.90 MT has been bio-mined through trammels. Reclamation of the land is likely to be completed by June, 2022.

2. Key targets that will be included in MPD-2041 Action Plan:

Component	Current Status	Target for 2041	Phasing Plan
MSW collection efficiency	100%	100%	N.A.
MSW Segregation efficiency	55%	100%	By 31.12.2023
Percentage of green waste processed (e.g. composted or another processing method) locally	55% of 1800 TPD = 990 TPD Say 1000 TPD	100% of 6,000 TPD	By 31.12.2023

Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/ industry	50%	100%	By 31.12.2023
Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)	839 nos. of informal waste workers identified	100%	25% by Dec, 22 50% by Dec, 24 75% by Dec, 26 100% by Dec, 30
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	---	---	As above
Reduction in waste going to land fill sites	25-30%	80%	5% in every 5 years
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)	ONE no. at Bhalswa	---	By June, 2024

Annexure – VI (a)

Land requirement for various activities for solid waste management up to 2041:

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

Land requirement for various activities for solid waste management upto 2041

Name of Local Body :- North Delhi Municipal Corporation:

Present solid waste generation : 4500 MT
Expected solid waste generation 2025 : 5350 MT
Expected solid waste generation 2030 : 6350 MT
Expected solid waste generation 2041 : 9000 MT

(A) Details of existing/proposed processing facilities on already allotted land:

S. N.	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Details of facilities		Present Status	Remarks
					Type	Capacity (in MT)		
1.	Narela-Bawana	DDA	156.28	14.6.2007	Integrated Waste Processing Facility which includes windrow composting, RDF, WtE Plant & Engineered Landfill	2300	Operational	(i) PPP Facility upto 2029. land was handed over to the concessionaire(M/s DMSWSL) in the year 2009 (ii) 100 acre: Integrated waste processing facility alongwith Engineered Landfill and is in operation since September 2011 consisting of 24 MW WTE Plant, Engineered landfill, Compost Plant & Green Belt of width 15 m (includes work up to year 2029) (iii) 14 acres:- Land handed over to DSIIDC in year 2015 for hazardous waste in terms direction dated 28.04.2015 of Hon'ble NGT. (iv) 30 acre: PPP Facility for solid waste management of Narela Zone for Workshop, Parking Facility etc. for solid waste management (650 TPD)
2	Rani Khera	DDA	55.48	22.3.2016	1. C&D Processing Facility (5.97 acre) 2. Proposed Integrated WtE Plant/ Processing Facility (49.51 acre)	1000 TPD 2500 TPD	—	PPP facility upto 2035. Plant under construction by concessionaire(ILFS) To be utilized for installation of WtE Plant in association with IOCL. The MoU with IOCL has been executed on 19.01.2021 for setting up of Integrated Waste to Energy Facilities in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste at Rani Khera.
3.	Near PVC Bazar, Tikri Kalan	DDA	4.00 Approx	16.6.2014	Proposed for Plastic Waste Processing Facility	50-100 TPD of plastic waste	Under Process	Tender document is being prepared for processing of the plastic waste

(B) Details of existing /proposed landfill on already allotted land

S. no	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Present Status	Remarks
1.	Bhalswa near Mukarba Chowk on GT Road	North DMC	70.00	1994	It is an un-engineered landfill since its inception. At present, about 2300-2500 TPD fresh MSW is received at this dumpsite. On the directions of Hon'ble NGT, bio-mining/ bio-remediation of legacy waste of about 80 lac MT has been started with the help of trommels.	Remediation work in progress. About 11 lac MTof legacy waste has been processed.

(C) Details of land requirement for future activities in phases:

S. N.	Location	Land Owning agency	Land Requirement (Area in Acres)	Purpose	Capacity in TPD	Time for start of operation after allotment	Remarks
1.	Suitable land for SWM/ Sanitary Landfill	DDA	100 (Minimum)	Waste Processing Facility & setting up of Sanitary Landfill as per Schedule –I of SWM Rules, 2016	4000-4500 TPD	12 months	The land proposed/ allocated shall be free from all encumbrances & suitable for SWM
2.	Different locations in zones (in 104 wards)	DDA	500 sqm per Mpl. Ward	Decentralized Waste Processing/ MRF	5	12 months	In the layout plans, land for SWM be earmarked and be duly notified.
3.	Different locations in zones (in 104 wards)	DDA	1000 sqm per Mpl. Ward	Transfer Stations cum Material Recovery Facility (MRF)	5-10	12 months	In the layout plans, land for SWM be earmarked and be duly notified.

(D) Details of low lying area identified for disposal of inert from legacy waste:

S. N.	Location	Land Owning agency	Land available in Acres	Estimated Volume of filling (in cum)	Time for filling (months)	Remarks
1.	Low Lying area Surroundings of Mukundpur School	North DMC	33	2,33,700	9 months	Disposal of rejects/inert
2.	Low Lying area from Bhalswa to PWD Road	North DMC	5.7	1,61,470	5 months	Disposal of rejects/inert
3.	Main Kanjhawala (Road No.3) near PWD office	DDA	2.06		Approx. 2 years time	Disposal of rejects/inert
4.	Sector-23, Rohini near DCP office 15,000 sqyd.)	DDA	3.1			Disposal of rejects/inert
5.	Road from Barat Vihar to Pansali Colony	DDA	2.06			Disposal of rejects/inert
6.	Begaumpur A-block to Barat Vihar near Begumpur Police Station	DDA	3.1			Disposal of rejects/inert
7.	Near Kali Mata Mandir Barwala Road	DDA	5.17			Disposal of rejects/inert
8.	Inert materials can be utilized by DDA for filling low lyIng areas In urban villages as well as lands pockets In Rohini, Narcla, Burari	DDA				Disposal of rejects/inert
9.	DDA land near Burari Chowk	DDA				Disposal of rejects/inert
10.	Sector 39, 40 and 41. Rohini DDA land	DDA				Disposal of rejects/inert
11.	Low lying areas in unauthorized colonies	I&FC Deptt., DSIIDC				Disposal of rejects/inert
12.	Construction of embankments of Highways	NHAI				Disposal of rejects/inert

Bio-mining of legacy waste is already in progress at Bhalswa in compliance of the directions of Hon'ble NGT. About 60 lakh MT of inert material is likely to be generated during bio-mining of legacy waste. For disposal of this inert, about **500 acre** of low lying land area is required (taking average filling of about **2.00 metre depth**). The ownership of the land will remain with the DDA. This land area requirement is in addition to the details submitted earlier.

ANNEXURE VII: SERVICE PLAN – NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)

From: "Sh Dharmendra" <chairperson@ndmc.gov.in>
To: "Manisha Gupta" <manisha.gupta2031@dda.gov.in>
Cc: "Murari Lal" <director.coordination@ndmc.gov.in>, "Ramesh Kumar" <moh@ndmc.gov.in>, "Dr. Brij Mohan Mishra" <secretary@ndmc.gov.in>
Sent: Friday, April 9, 2021 8:01:33 PM
Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Madam,

I am directed to attach herewith the write-up/status on the service plan for municipal solid waste management w.r.t. MPD 41 Action Plan.

Venkata Sastry
Head Assistant
NDMC, New Delhi
23743579
23742269

Chairman

20/1/2021

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)

Consider the following approximate population projections for New Delhi Municipal Council:

At present, the fixed population of New Delhi Municipal Council is 2.67 Lakh as per 2011 census.

Low Growth Scenario	Medium Growth Scenario	High Growth Scenario
3 lakhs	3.2 lakhs	3.5 lakhs

The service action plan for master plan of management of Solid Waste of New Delhi Municipal Council for 2041 is as under:

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (SWM) IN NORTH DMC

ASPECT	INFORMATION REQUIRED	
GENERATION	Total MSW likely to be generated	350 – 400 MT
	Estimates of green waste, dry waste (reusable waste and inert material)	100 MT Wet waste 250 -300 MT Dry waste
MANAGEMENT STRATEGY	**Separate management plans (collection, segregation and processing) for;**	
	Green Waste	Green waste — Organic waste convertors, Home Composting, compost pits, Biogas Plant and compost plant Okhla (for 100 MT Wet Waste}
	Reusable Waste	Reusable Waste — 25 MT for recycling (NGOs and recyclers)
	Inerts	Inert — Sent to SDMC landfill site from Waste to Energy Plant, Okhla
	Management plans to include information regarding the following aspects;	
	Improving collection, segregation efficiency at local level (RWA/Mohalla / Market Association / Solid Waste Zone/ wards etc.)	Door to door collection of waste and its segregation as per the Solid Waste management Rules 2016 i.e., Wet Waste, Dry Waste and Domestic Hazardous Waste.
	Maximizing wet waste processing (e.g., Composting, bio-methanation etc.) locally	Already explained above.
	Improving sorting and material recovery (MPD will recommend repurposing of dhalaos as material recovery facilities at the decentralized level) etc.	Segregation of waste in situ and also construction of Material Recovery facility for micro segregation of dry waste.
	Reclamation of landfill sites and reuse/ recycle of legacy waste	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
	Conversion of existing landfills to engineered / scientific landfills	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
	Special plans for; Integration of informal sector in core SWM system (for improved management vis-a-vis ensuring safety, hygiene and healthy work conditions for the workers.	Already integrated and providing the mentioned conditions.
	Marketing strategies for compost and other reusable / recycled products).	The compost produced shall he used in horticulture department of NDMC itself.

		The reusable / recyclables shall he handed over to authorized recyclers.
	Awareness, capacity building and behavioral changes programs.	Already are being run by NDMC in full swing. The capacity and behaviors changes are being evaluated from time to time.

2. Key targets that will be included in MPD-2041 Action Plan:

Component	Current Status	Target for 2041	Phasing Plan
MSW collection efficiency	100%	100%	N.A.
MSW Segregation efficiency	100%	100%	100%
Percentage of green waste processed (e.g., composted or another processing method) locally	100%	100%	100%
Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/ industry	20%	100%	Increase by 10% per year
Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)	100% (already done)	100%	100% done
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	100%	100%	100% done
Reduction in waste going to land fill sites	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council

ANNEXURE VIII: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE (DPCC)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
6TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
PH: 23392029

F 10 (1)/Env/2019/169-172 **Dated:** 09.04.2021

To,

Additional Chief Architect,
Office of Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, I.N.A,
New Delhi-110023

Subject: Services Plan for Management of Non-Municipal Solid Waste Management in reference to Draft MPD 2041.

Sir,

This is in reference to the D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/39 dated 06.04.2021 of the Vice Chairman, DDA with respect to subject mentioned above.

Kindly find enclosed Service Plan for Non-Municipal Solid Waste Management in Delhi, in reference to Draft MPD 2041, from Department of Environment, GNCTD and DPCC, for your information and further necessary action please.

This is being issued with approval of the Competent Authority.

Yours Faithfully

Encl. as above

Chetna

(Dr Chetna Anand)
Senior Scientific Officer (Environment)

Copy to

1. PPS to Pr. Secretary (Environment), GNCTD
2. PS to Addl. Chief Secretary (Environment & Forest), GNCTD
3. PS to Special Secretary (Environment), GNCTD

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE

1. SERVICE PLAN FOR NON-MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN DELHI FROM DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND DPCC:

Aspect	Information required
Generation	**Estimates of C& D Waste:** **Current Status FY 2020-21 (Million MT) :** 1.38* (3781 TPD) **Target for 2041 (Million MT):** 3.66** (10,027 TPD) *Estimation of C&D waste generation in Delhi, as per NITI Aayog Report Jan 2019 "Strategy on Resource Efficiency in Construction & Demolition Sector" – 4,600 MT/day (1.38 million ton per annum) ** Considering 5% annual growth of C&D waste generation in NCT of Delhi **Bio-Medical Waste:** As per gap analysis study got done in 2020 for requirement of numbers & capacities of additional Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facilities (CBWTFs) in Delhi estimated total future biomedical waste generation in 2031 = 80000 kg/day. As per Central Pollution Control Guidelines dated 21.12.2016, prior to allowing any new CBWTF, prescribed authority {Delhi Pollution Control Committee (DPCC) in case of Delhi} is required to prepare an inventory or review with regard to the bio-medical waste generation at least once in 5 years in the coverage areas of the existing bio-medical waste treatment and disposal facility. Prescribed authority is also required to extrapolate the coverage area wise bio-medical waste generation for the next 10 years. **E- Waste: No concrete data available. E-Waste Inventorisation exercise is proposed.** **Plastic Waste generation :** 1500 MT/D
Management Strategy	**Management plan for C& D Waste:** Processing Capacity of Operational C&D Plants in Delhi (4150 TPD) • Jahangir Puri (Burari) – 2000 TPD • Shastri Park – 1000 TPD • Rani Khera (Mundka) – 150 TPD • Bakkarwala – 1000 TPD (C&D Waste received at 4 processing facilities in Delhi : 3151 TPD)

Proposed C&D Waste Processing Facilities in Delhi (2500 TPD)

- Ranikhera – 1000 TPD (Under Construction)
- Maidangarhi - 1000 TPD
- Libaspur - 500 TPD (Land use to be changed by DDA)

NCT of Delhi will require creation of additional annual processing capacity of 2 Million MT (5479 TPD) by 2041 as below:

By 2026 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2031 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2036 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2041 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

Bio-Medical Waste:

For obtaining the authorization mandatory under Bio-Medical waste Management Rules, 2016, every health care facility is required to enter into an agreement with the concerned CBWTF for collection, transportation, treatment and disposal of the waste generated by it. Biomedical waste is collected, transported and treated by two Common Biomedical Waste Management Facilities (CBWTFs) operating in Delhi. In view of expiry of lease of one of the CBWTFs presently operation on land provided by Directorate of Health Services, Govt of NCT of Delhi, the DPCC has called Expression of Interests for bringing up two new CBWTFs on privately owned land for catering to the BMW generation in two regions to cater future generation of biomedical waste in next 10 years i.e. year 2031 **Region 1: Shahdara, East and North East Delhi (fall in the trans Yamuna belt). Region 2: West, South West, Central Districts.**

E- Waste:

- Delhi consisting of 11 districts, so each district should possess at least one collection centre to ease the drop of E-waste.
- Atleast 3 nos. of E-waste ECO-Park (not less than 5 acres in area), one in each North, South and East regions of Delhi should be created where proper dismantling, refurbishing can be done.
- Atleast two recycling units should be created in Delhi for efficient work and state board can easily verify the authenticity of dealers, refurbishers, dismantlers whether they are legally tied with recycler.
- ATM can be installed where in return of every electronic equipment, cash back can be provided.
- ULBs can provide toll-free number and door to door services to dispose-off E-waste.

Service Plan for NCT of Delhi for Plastic Waste Management is Annexure VIII (a).

Other information • Key infrastructure or special projects identified during the plan period, along with details of projects and their timelines • Estimated land requirements for projects.	**Bio-Medical Waste:** *Under the provisions of Bio Medical Rules 2016, the department in the business allocation of land assignment shall be responsible for providing suitable site for setting up of common biomedical waste treatment and disposal facility in the State Government or Union territory Administration and the selection of site for setting up of such facility shall be made in consultation with the prescribed authority, other stakeholders and in accordance with guidelines published by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Central Pollution Control Board.* The CPCB guidelines dated 21.12.2016 provides that alternately **a CBWTF may also be allowed to establish on a land procured** by an entrepreneur in accordance with the location criteria suggested under these guidelines. The DPCC is in process of calling the expression of interests for 2 CBWTFs on privately owned land to cater the need for next 10 years (up to 2031) and project is likely to be completed by end 2022.However looking in to the present and future scenario there is a need to identify 3 plots of lands of **size not less than one acre** in three geographically distributed areas of Delhi (one in trans Yamuna for East, North East & Shahdara, second in South East, South, South West & New Delhi and third in Central, North, West & North West districts) so that CBWTFs can be made operational on Govt Land post 2031. As per CPCB guidelines, CBWTF shall preferably be developed in a notified industrial area without any requirement of buffer zone **(or)** a CBWTF can be located at a place reasonably far away from notified residential and sensitive areas and should have a buffer distance of preferably 500 m so that it shall have minimal impact on these areas. **E- Waste:** • Public Awareness sessions should be organized on regular basis. • Awareness programme for refurbishers, dismantlers, recyclers and dealers should be organized twice in a year.

2. Key targets that will be included in MPD 41 Action Plan:

Component	Current status	Target for 2041	Phasing Plan
Percentage of C&D Waste Processed (Fresh + Legacy)	88.4 % [1.22 (3342 TPD)]	100 % 3.66 (10,027 TPD)	NCT of Delhi will require creation of additional annual processing capacity of 2 Million MT (5479 TPD) by 2041 as below: By 2026 – 0.5 Million MT (1370 TPD)
Percentage of Recycled C&D Waste Products (Tiles, Blocks, Reinforcements, filling materials etc.) used.	107.4 % [1.31 (3589 TPD) including Legacy C&D waste products] [Offtake by Govt. Departments - 0.70 (1917 TPD) And Offtake by Private Parties - 0.61 (1671	100 %	

	TPD)]		By 2031 – 0.5 Million MT (1370 TPD) By 2036 – 0.5 Million MT (1370 TPD) By 2041 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

Annexure VIII (a): Service Plan for NCT of Delhi for Plastic Waste Management in respect of Draft MPD 41

1. Application:

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India has notified the Plastic Waste Management (PWM) Rules, 2016 as amended by 2018.

(i) These rules are applicable to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, Importers and producer.

(ii) The rule 4 shall not apply to the export-oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provide this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan-masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.

2. Salient features of (PWM) Rules, 2016, as amended to date

The salient features of (PWM) Rules, 2016 are described below:

S. No.	Items	Description
1	**Purpose**	Plastic waste minimization; Source segregation; Recycling; Collection of plastic waste fraction; Adoption of polluter's pay principle;
2	**Application**	To Every: Waste generator; Local body; Gram Panchayat;

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Manufacturer;
Importers and
Producer.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Conditions for Carry bags</td><td colspan="3">Shade of Carry Bag should be natural as per IS: 9833:1981;
Provision of thickness for carry bags made of virgin or recycled plastic is, thickness>= 50 microns (made up of recycled or virgin plastic). Thickness of carry bags is not applicable to carry bags made up of compostable plastic;
The carry bags made from compostable plastics shall confirm to the Indian Standard: IS17088:2008. The manufacturers or seller
of compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling;
Plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impairs the functionality of the product;
Recycling of plastic waste shall confirm IS 14534:1998.
Carry bags made of recycled plastics shall not be used for Packaging food stuff;
Sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling Gutkha, tobacco and pan masala;
Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging Gutkha, pan masala and tobacco in all forms.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Responsible Stake-holders</td><td colspan="3">Local body;
Gram Panchayat;
Waste Generators;
Producers, Importers and Brand Owners.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Marking or Labeling</td><td>
</td><td>PET
HDPE
V
LDPE
PP
PS
Others</td><td>Polyethylene Terephthalate,
High Density Polyethylene
Vinyl (PVC),
Low Density Polyethylene
Polypropylene
Polystyrene
ABS - (Acrylonitrile butadienestyrene),
PPO- (Poly phenylene oxide),PC- (Polycarbonate),
PBT- (Poly butylenes terephalate)</td></tr>
</table>

6	**Prescribed Authority** for enforcement of the provisions of these rules;	The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory; The concerned Secretary-in-charge of Urban Development ofthe State or a Union Territory; The concerned Gram Panchayat shall be the authority; District Magistrate or the Deputy Commissioner.
7	**Responsibility of retailers andstreet vendors**	Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in carry bags or plastic sheet or multi-layered packaging, which are not manufactured and labeled or marked, as per prescribed under these rules; Retailers or street vendors if providing commodities in above mentioned packaging shall be liable to pay fines.
8	**State Level Monitoring Committee(SLMC)**	State Government or the union Territory shall constitute SLMC for the effective monitoring of implementation of these rules; The State Level Advisory Body shall meet at least once in **Six Month** and may invite experts, if it considers necessary.
9	**Annual Reports** a) Concerned persons/ Departments	Every person engaged in processing or recycling of plastic wasteshall submit annual report in **Form-IV** to local body by **30th April**(Every year); Every local body shall submit annual reports in **Form-V** to concerned Secretary-in-charge of the Urban Development Department by **30th June**, every year; Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit annual reports in **Form-VI** to CPCB by **31st July**, every year; The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the **Central Government** along with its recommendations before the **31st August** of every year.
	b) Flow of Information	**Recycler** → (Form IV) **(By 30th April)** → **Local Body** → (Form V) **(By 30th June)** → **SPCB/SPCC** → (Form VI) **(By 31st July)** → **CPCB** → Consolidated Annual Report **(Before 31st August)** → **Central Govt.**

3. Plastic Waste (PW) Generation:

Estimated PW Generation in Delhi: 1500 MT/D

4. Constraints in implementation of PWM Rules 2016, as amended 2018:

4.1. There are a number of constraints in implementation of PWM rules 2016, few of them are given below:

a) Annual Reports are not submitted on-time by Responsible Agencies/Authorities by 30th June each year;

b) Monitoring of implementation of PWM Rules by Urban Development Departments & Municipal Bodies is inadequate;

c) Non-recyclable plastic wastes such as multi layered and metalized pouches and other thermoset plastic poses disposal problems;

d) Use of sub-standard (<50µm) plastic carry bags, packaging films etc. pose problem in collection and recycling, thus, ultimately dumped on land, drains, rivers,

e) Co-ordination of DPCC with Local Bodies in enforcement of use of sub-standard (<50µm) plastic carry bags & actions taken by ULBs.

4.2. Recommendations of SLMC:

a) All departments including ULBs, SDMs and DPCC were advised to adhere to the directions of Hon'ble NGT dated 02.12.16 and 10.08.17 regarding complete prohibition on the use of plastic carrybags made of plastic less than 50 microns and are non-compostable in entire NCT Delhi a prohibition of use of disposable plastic glasses in entire NCT Delhi at hotels, restaurants and public as well as environmental compensation of Rs 5000/- per default. All agencies were directed to expedite the actions of seizure of plastic and imposition of fines.

b) Further, all ULBs and DPCC were directed to design programmes for creating awareness among general public regarding prohibition on the use of plastic carrybags made of plastic less than 50 microns and are non-compostable in entire NCT Delhi a prohibition of use of disposable plastic glasses of the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018.

c) The representative of plastic traders and manufacturing industry were also advised to educated and guide the trades/manufacturers to adhere to the provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018. The concept of Extended producer's responsibility was also discussed and it was desired that plastic trades/manufacturers association shall give their full cooperation this regard to the ULBs in framing the bye-laws.

5. Environmental issues of PWM in Delhi:

a) Littering of Plastic Waste in open lands, drains, bus stations, railway tracks, dustbins/dhalaos, roadsides, commercial areas, etc.

b) Open Burning of plastic waste emit toxic gases, polluting ambient air.

c) Unscientific/ unregistered plastic waste recycling/manufacturing poses threat to environment specially in residential areas;

d) Eating/engulfing plastic waste along with food residues by cattles, birds etc.

6. Information, Education & Communication (IEC) Programme

a) What is IEC:

1. To develop communication strategies to promote positive behaviour.
2. Create awareness among various stakeholders.
3. To make development participatory through advocacy.
4. To transfer knowledge, skill and technique to people.
5. To bring transparency in program implementation at field level.
6. To promote the concept of accountability and social audit.

b) Role of IEC in Waste Management:

1. To inform, educate and inspire people to realize their roles and responsibilities and benefits of adopting right waste management practices.
2. To bring motivation, awareness and empowerment.
3. To bring transformational shift in waste management barriers:
4. Practice level barrier
5. Attitude level barrier
6. Knowledge level barrier
7. To reach all communities and to reach out to all kind including children, women, men, youth and elderly people.
8. To create awareness, sensitization and motivation of people to follow right hygiene, sanitation and waste handling practices.

c) **Types of Communication:**

1. Mass Communication
2. Person to Person Communication

d) **Key ways of Communication:**

1. At national or mass level TV commercials and advertisement can play role.
2. Handbook, leaflet and brochures.
3. Motivational hoardings catering to Swachh Bharat and posters at critical locations of city.
4. One to one meeting could be held at family and community level, since PWM involves attitudinal change.
5. A city centric waste management book.

e) **Funding pattern of IEC Programme:**

1. IEC has 15% funds of total central allocation.
2. Out of this **12% is for States to conduct campaigns** on public awareness for different issues of public health, hygiene and environment.
3. Campaign using different means, like short films, radio, plays, workshops, social media and radio. Newspaper and TV are excluded from this.
4. Remaining 3% is for MoHUA to run a national media campaign and to develop standardized methods for campaigning.
5. The **IEC plan made by States should approve by HPC of States**. 50% of the approved fund should be given to ULBs.
6. ULBs have to spend minimum 50% of the ULB funds for IEC. This fund cannot be used for any other purpose, like buying vehicles, construction or maintenance.

7. Technologies for Disposal of Plastic Waste:

i. Mechanical Recycling.

ii. Utilization of Plastic Waste in Road Construction.

iii. Co-processing of Plastic Waste in Cement Kilns & Co-incineration in waste to energy plants.

iv. Conversion of Plastic Waste into Fuel-oil (Chemical Recycling).

v. Disposal of plastic waste through Plasma Pyrolysis Technology (PPT).

(i) Mechanical Recycling:

Mechanical recycling involves processing of waste into a product which characteristics similar to those of original product. This process involves the following steps:

a) **Collection and Segregation:** The plastics materials have varying density; hence they are segregated/separated by floatation process.

b) **Cleaning, Drying and Sizing:** The post-consumer plastics waste requires proper cleaning and drying. The cleaned plastics waste products should be sized; the dried flakes are fed into an extruder where they are heated to melting state and forced through the die converting into a continuous polymer product or strands.

c) **Pelletizing:** The strands are cooled by water and cut into pellets, which produces reprocess granules.

d) **Fabrication into end product:** Reprocessed granules used as raw materials for producing end products.

(ii) Utilization of Plastic Waste in Road Construction:

The process of road laying using waste plastics is designed and the technique is being implemented successfully for the construction of flexible roads at various places in India.

Table1: Protocol for description of road laying process

S.No.	Description	Executing Agency
1.	Collection and segregation of plastic waste (Except chlorinated/ brominated plastic waste)	Municipal Corporation, Nagar Nigam, Nagar Parishad & Nagar and Gram Panchayat
2.	Transportation and storage of plastic waste	Municipal Corporation, Nagar Nigam, Nagar Parishad & Nagar and Gram Panchayat
3.	Cleaning and sun drying of plastic waste	Municipal Body or PWD
4.	Shredding of plastic waste (2 to 4 MM size)	Municipal Body or PWD
5.	Heating of stone aggregate (160 °C - 170 °C)	Municipal Body or PWD
6.	Adding of shredded plastic waste (5 to10% w/w for 30 to 40 seconds)	Municipal Body or PWD
7.	Coated aggregate is mixed with hot bitumen (Temp155 °Cto163 °C)	Municipal Body or PWD

8.	The mix-plastic aggregate Bitumen-mix (130-140 °C) The mix can be used for road laying.	Municipal Body or PWD Construction of polymer (plastics) Coated Bitumen Road

Action Points:

a) Utilization of Plastic Waste in Road Construction in Delhi Should be promoted;

b) Promotion and awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

(iii) Co-processing of plastic waste as Alternative Fuel and Raw Material (AFR) in cement kilns and waste to energy plants:

Co-processing refers to the use of waste materials in industry process such as cement and power stations or any other large combustion plants. Co-processing indicates substitution of primary fuel and raw material by waste, recovering industry and material from waste. Waste material such as plastic waste used for co-processing are referred to as alternative fuels and raw material (AFR). Co-processing of plastic waste offers advantages for cement industry as well as for the Municipal Authorities responsible for waste management. On the other hand, cement producers or power plants can save fossil fuel and raw material consumption, contributing more eco-efficient production. In addition, one of the advantage recovery method used in existing facility, eliminating the need to invest on other plastic waste practices and to secure landfilling.

Action Points:

Development of technology for Co-processing of plastic waste as Alternative Fuel and Raw Material (AFR) in waste to energy plants, in Delhi.

(iv) Conversion of plastic waste into liquid RDF (Oil):

Steps involved in conversion of plastic waste into liquid fuel RDF (Fuel) are given below:

- Mechanical segregation of plastic waste from mixed MSW dump yard/storage.
- Transportation of segregated plastic waste through conveyor belt for optical segregation.
- Optical segregation of plastic waste (only HD, LD, PP and multilayer packaging except PVC;
- Shredding of plastic waste and dislodging dust and impurities.
- Transportation of segregated (100%plasticwaste) into feeding hopper(reactor).

- Feeding of plastic waste into reactor for random depolymerization in presence of additives.
- Collection of liquid RDFs (Fuel).
- Collection of rejects and solid waste (charcoal).

Action Points:

Development of technology for conversion of plastic waste into liquid fuel RDF (Fuel)in Delhi from concept to commercialization and promotes awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

(v) Plasma Pyrolysis Technology (PPT)

Introduction:

Plasma pyrolysis is one of the technologies which could be opted for disposal of plastic waste. In Plasma Pyrolysis, high temperature is produced using plasma torch in oxygen starved environment to destroy plastic waste efficiently and in an eco-friendly manner. To find out its performance, Central Pollution Control Board (CPCB) sponsored a project titled "Plastic Waste Disposal using Plasma Pyrolysis Technology" to Facilitation Centre for Industrial Plasma Technology (FCIPT), Institute for Plasma Research, Gandhi Nagar (Gujarat). The experiment has been conducted using different categories of plastic waste such as thin carry bags, metalized and multilayer pouches etc. During the experiment, emission of pollutants i.e. particular matter (PM), Oxides of Nitrogen (NO2), Carbon Monoxide (CO), Dioxins and Furans were also monitored. The analytical data indicates that the emission of toxic pollutants including dioxins and furans are lower than the prescribed standards for hazardous waste incinerators. Pyrolysis of plastic (polyethylene) provides 90% combustible gases.

Description:

Plasma pyrolysis technology is the disintegration of organic/inorganic compounds into gases and non- leachable solid residues in an oxygen-starved environment. Plasma pyrolysis utilizes large fraction of electrons, ions and excited molecules together with the high energy radiation for decomposing chemicals. In this process the fourth state of matter i.e. plasmas (core temperature is around 20,000°K) is used for dissociating molecular bonds. Different types of plastic waste such as polyethylene bags, soiled plastic, metalized plastic, multi-layer plastic and PVC plastic can be disposed through PPT.

In Plasma Pyrolysis, firstly the plastics waste is fed into the primary chamber at 850oC through a feeder. The waste material dissociates into carbon monoxide, hydrogen, methane, higher hydrocarbons etc. Induced draft fan drains the pyrolysis gases as well as plastics waste into the

secondary chamber where these gases are combusted in the presence of excess air. The inflammable gases are ignited with high voltage spark. The secondary chamber temperature is maintained at 105ºC. The hydrocarbon, CO and hydrogen are combusted into safe carbon dioxide and water. The process conditions are maintained such that it eliminates the possibility of formation of toxic dioxins and furans molecules (in case of chlorinated waste). This process is used by few Municipalities and hospitals; however, this can be useful for tourist place, hill stations, pilgrimage, coasts and other remote places.

Cost of plasma pyrolysis plant for the disposal of plastic waste:

Approximately plant cost of capacity 1 Ton/day is 1.7 Crore and 6.5 Crore for capacity of 10 Tons/day plant, excluding operational cost. Payback period of plasma pyrolysis plant of higher capacity (>1Ton/day) is around 4 to 5 years. With energy recovery system, plasma pyrolysis plant will be profitable.

Merits of Plasma Pyrolysis Technology:

- The plasma pyrolysis system can resolve the problems associated with particularly non-recyclable and low-grade plastic waste.
- Generation of extremely high temperature in oxygen starved environment makes this technology useful for the safe destruction of plastic wastes.
- This technology (PPT) can safely destroy chlorinated as well as multi-layer plastic wastes.
- The plasma pyrolysis system can be installed in tourist/hilly locations.
- PPT for the disposal of plastic waste along in conjunction with energy recovery makes it economically viable in higher capacity systems.

Action Points:

Development of plasma processing technologies in Delhi from concept to commercialization and promotes awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

Way Forward for PWM:

1. Door to Door collection of MSW in 2 bins (dry& wet) shall enforced by Municipal Authorities;
2. Segregation and recycling of plastic waste should be carried out at Material Recovery Facility (MRF) to be set by each Local Body in Delhi.
3. Organize mass-awareness programme in various districts involving Municipalities & Stake-holders for not using less than **fifty microns** carry bags and anti-littering.
4. Setting up of squads for preventing open burning of PW shall be strictly prohibited.

5. Plastics should be used as a **resource** for recycling, utilized in road construction, energy recovery (such as WtE Co- processing), PW into Oil etc.

6. **Stopping use of single use plastic products** such as carry bags, cups, plates, straw, thermocol products etc.

7. Promote use of compostable products certified by CPCB such as carry bags, cups, straws, etc. as an alternate to conventional plastics.

8. Utilization of plastic waste in different technologies.

Summary of PWM:

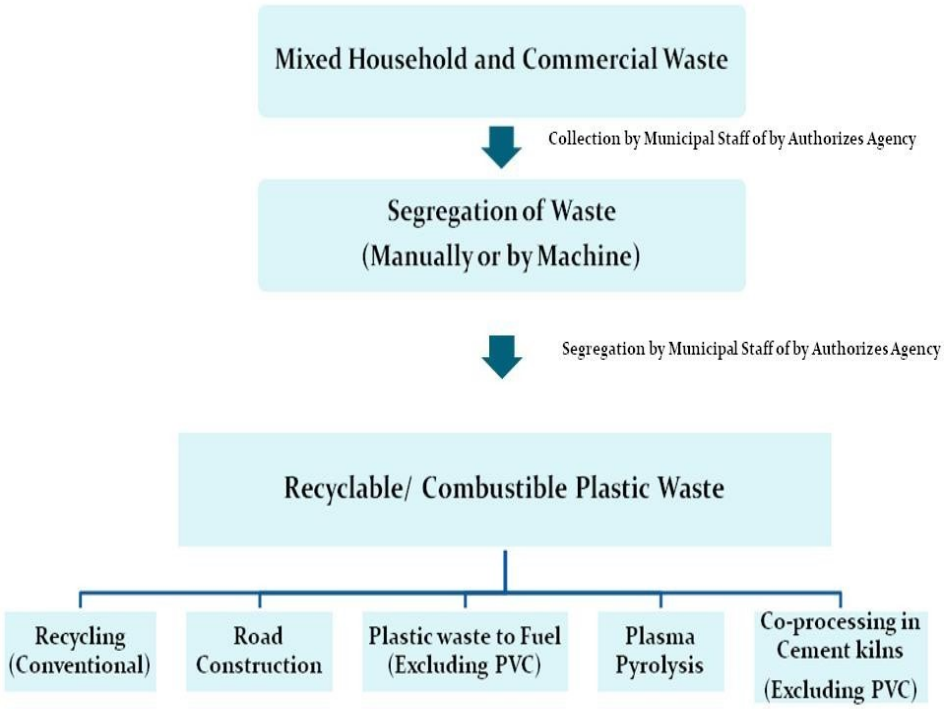

- Draft notification was also issued by the Central Government on 11th March, 2021, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016, for information of the public for making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification in writing within sixty days w.r.t. thickness of Plastic Bags, Sheets and like shall not be less than 120 microns and non-woven Plastic Carry Bags shall not be less than 240 microns in thickness w.e.f. 30.09.2021. Further, complete ban on single use plastic since 01.01.2022 (single use plasticitems: Plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping/ packing films around sweet boxes; invitation cards; and cigarette packets, plastic/ PVC banners less than 100 microns, stirrers. However, above provisions shallnot apply to commodities (including carry bags) made of compostable plastic materials (copy enclosed).

Key Targets for Plastic Waste in r/o MPD 41 Action Plan:

Current Status of Plastic Waste:	Approx. 1500 M.T. Per day
Target for 2041:	100 % disposal/ recycling as per PWM Rules

7.

ANNEXURE IX: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF POWER, GNCTD

GOVT. OF NCT OF DELHI

DEPARTMENT OF POWER

8TH LEVEL, 'B' WING, DELHI SECRETARIAT,

I.P. ESTATE NEW DELHI.

From: **Power Department** <departmentpower@gmail.com>
Date: Wed, Apr 7, 2021 at 11:10 AM
Subject: Vision Document - Power Department - Master Plan - 2041
To: <lsharma@niua.org>, <bjohn@niua.org>
Cc: ASHOK KUMAR JHA <akjhavasundhara@gmail.com>, <ramakant.ece@gmail.com>

Sir

With reference to our discussion yesterday regarding the Vision document of the Power Department regarding Master PLan-2041, may please find enclosed soft copy of the draft document and annexures as desired.

May please see please.

Regards

Power Department, GNCTD

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DEPARTMENT OF POWER, GNCTD

1. Projections for 2041:

As per the projections, the peak load in Delhi will reach 19000 MW by year 2041. To meet such load, provision in Master Plan have to made for space for power infrastructure that will be required to establish sub stations, distribution transformers and right of way for electric poles and cables to meet future power demands.

Year	Population (in Millions)	Power consumption (in MUs)	Peak Demand (in MW)	Overall installed capacity (MW)
2019	19	33082	7409	7901
2031	24.7	47167*	12269**	14110#
2041	29.1	63389*	19070**	21930#

*assuming power consumption growth rate as 3%

** As per projections of Delhi Transco Limited

#15% over and above the estimated peak demand

2. Land Requirement for Power Infrastructure in 2041:

The land requirement has been worked out by Delhi Transco Limited and Delhi DISCOMs broadly in line with norms issued by DDA & Delhi Govt. and as per their experience at ground conditions.

i. Delhi Transco Limited (DTL):

The summary of perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) as under:

Voltage Level	Tentative Land Reqd. (sq. m.)	No. of Existing substations	No. of proposed substations (under pipeline or execution)	No. of proposed substations (MPD-2041)	Total
765kV	1,60,000	01	01	02	04
400kV	40,000	07 (including Mandola)	03	09	19
220kV	7000	41	04	36	81

- Total Grid Land: 2 x 160000 + 9 x 40000 + 36 x 7000sqm = 9,32,000 sqm

ii. Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL)

TPDDL majorly serves Northern part of Delhi. The current load in TPDDL area is served by 78 nos. of grid substations which is a mix of 66/11 kV and 33/11 KV. For the 33 kV belt, which is densely populated, it is assumed that the new land would be in smaller sizes and thus it has been considered that a 2 transformer grids (2 x 31.5 MVA, usable 44 MVA). For the 66 kV belt, 3 transformer grids (3 x 31.5 MVA, usable 66 MVA) is considered. Considering a diversity factor for power transformer loading, it is estimated that additional 70 nos. new grid substations will be required to meet normal load growth and an additional 20 grid substations to meet EV charging load. Thus a total of 90 new grid substations would be required. Space required for grids is 1250 sq meters. (50 x 25 sq. mtrs., min. two sides open)

Considering diversity factor between power transformers, feeder and distribution transformers and accounting for bulk consumers, an additional 6850 MW or 7850 MVA of peak load has to be served by distribution transformers. Assuming 50-50 mix of dual and single transformer substation (32sqm), approximately additional 3750 dual transformer (80sqm) and 3750 single transformer substations (total 7500) would be required.

- Total Grid Land: 90 x 1250 sqm = 1,12,500 sqm
- Total Distribution Transformer land requirement = 3750 x 80 + 3750 x 32 = 4,20,000 sqm

iii. BSES Yamuna Power Limited (BYPL)

BYPL majorly serves the Eastern part of Delhi. Based on CAGR of 3%, BYPL load will increase from the present 1653MW to 3075MW in 2041. After including demand on account of EV and go electric drive, peak load is expected to increase further to 3600MW (approx). Based on peak load of 3075MVA, total grids required to meet the load is 88 nos. (approx). Considering the present 54 nos grids, land will be required for establishment of 52 new grids. Requirement for EV load will be additional. Land required for each grid will be 2000 Sqm (50 X 40 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

To meet 3600 MVA, desired capacity is 7200 MVA considering diversity factor. Based on the same, at least 1873 Nos new 11/0.433kV Substations will be needed. Requirement for EV load will be additional. Land required for each substation is 80Sqm (8 X 10 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

- Total Grid Land: 52 x 2000 sqm = 104,000 sqm
- Total Distribution Transformer land requirement = 1873 x 80 = 149,840 sqm

iv. BSES Rajdhani Power Limited (BRPL)

BRPL majorly serves the Southern and South-West parts of Delhi. BRPL serves a geographical area of 750 sq kms with current annual peak load growth of about 5.88%. In FY 19-20, BRPL recorded peak load of 3211 MW which is 43.33% of Delhi peak (7409 MW). Assuming same share in 2041, the peak load of BRPL would be about 8263 MW (5052 MW additional) out of Delhi's projected peak demand of 19070 MW.

Key upcoming loads in BRPL area includes, DIAL, DMICDC, RRTS by NCRTC, ITPO, DMRC, redevelopment projects by CPWD (Sri Niwaspuri, Kasturba Nagar, Tyagraj Nagar, Mohammadpur), urban extension in 4 zones (J, K1, K2, L).

Presently, the load in BRPL area is being served by 99 nos. of grid substations which is a mix of 66/11 kV and 33/11 kV voltage levels. Considering a diversity factor for power transformer loading, 115 new grid substations will be required to meet normal load growth. Required space for a grid substation is 50x60 sqm. Each Substation area will accommodate 3 Power Transformers, GIS and 11 kV Panels, SCADA, Shunt Reactors, Batteries, Solar Systems, possible expansion in capacity and possibility to accommodate substation of voltage higher than 66 kV.

Considering diversity factor between power transformers, feeder and distribution transformers and accounting for bulk consumers, an additional capacity of 11788 MVA at distribution transformers level would be required. For each 11/0.4 kV substation with two Distribution transformers of 1 MVA each, there will be space requirement of about 80 sqm.

Space requirement for BRPL:

a. Total Space requirement for 66/11 kV and 33/11 kV Grid Substation: 115 x 3000 sqm = 3,45,000 sqm.

b. Total space requirement for 11/0.4 kV substation = (11788/2) x 80 sqm = 4,71,520 sqm

c. Apart from above (a and b) land requirement for normal load growth, there will be additional requirement of land 57,000 sqm for 19 nos. grid substations and 77,120 sqm for 964 nos. of 11/0.4 kV substation in BRPL area, assuming 10% of normal load demand will be on account of EV charging load in 2041. Upcoming EV charging load includes DTC Bus, ESSL load on SDMC parking and other EV charging stations

With above loading conditions and space provisions, on an average, there would be one grid substation in every 3 sq km and one DT substation in every 50,000 sqm area of BRPL.

v. Gas insulated sub-stations

Gas Insulated Substation (GIS) shall be promoted by DISCOMS that will have lesser space requirement. Provision must be kept in Master Plan-2041 for designated spaces in all new development projects and redevelopment projects for establishment of sub-stations, installation of distribution transformers and laying of power cables.

Space for power infrastructure must be provided at right places (near to load centre). Technically feasible space for substations must be allocated for DTL/ DISCOM and proper “Right of way” to be ensured for power poles/ laying underground cable for present and future requirements. The Standard norms for Grid/Substation sizes is annexed as Annexure – IX (a).

3. UTILITY DUCT

Utility Ducts (along and across the roads) are critically required to ensure proper laying of city infrastructure and also to maintain the laid infrastructure. The importance of same is acknowledged by all. Ministry of Road & transport issued circular vide F. No. RW/NH33044/29/2015/S&R(R) Dated 22.11.2016 regarding policy guidelines for accommodation of Public and Industrial utility services along and across National Highways.

New main road development plan shall include the provision for subsurface space allocation among various utilities. That is dedicated corridors for power, telecom, gas, water and sewer need to be developed during the development of roads so that damage to other utilities can be minimized and systematic planning can be made for future growth. This will have a positive impact on the speed utilities can provide new power supply connections as well maintain existing ones. As one of the major reasons for faults in the underground network is damage by 3rd party, utility ducts would result in a near fault free network. This will help to increased ranking in Ease of Doing Business (EODB). Indicative arrangement as below.

Figure 1 Indicative arrangement for Utility Duct

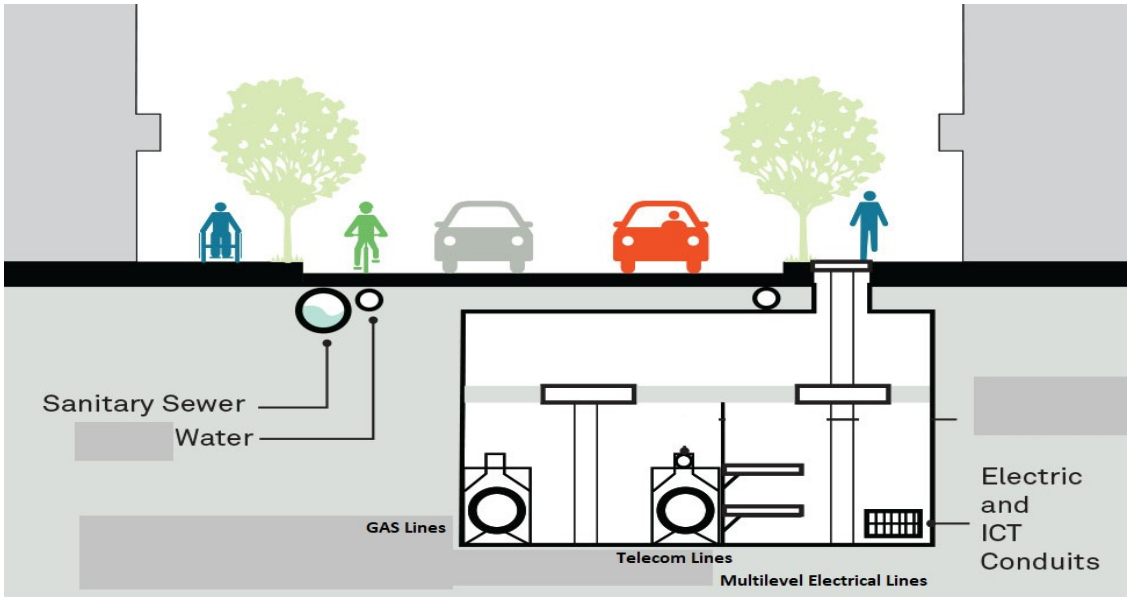

The utility corridor requirement details as below:

a. Subsurface utilities:

Type	Capacity	Corridor Width
66 kV/33kV/ 11kV UG cables for main roads	Around 100 MVA	Min. 1.2m
11 kV & LT U/G cables for interconnecting internal roads	Around 5 MVA	Min. 0.7m

b. Overhead network requirements:

Type	Capacity	Corridor Width
66 kV O/H Double Circuit OH Line	110 MVA	Min. 6m and 2.3m each side
33 kV O/H Double Circuit OH Line	60 MVA	Min. 6m and 2.0m each side
11 kV O/H Line	5 MVA	Min. 1.1m and 1.2m each side
LT O/H Line	0.18 MVA	Min. 1.0m and 1.2m each side

There is a need to ensure constructing utility duct in all newly constructed roads and also explore possibilities to implement same in existing road also.

4. Cost estimates (in Rs. Crore) given by DISCOMs for converting 100% 11kV power cables to underground (without ducting):

	BRPL	BYPL	TPDDL
11kV network	729	27	2369
HVDS network	2574	726	790
Total (in crores)	3331	753	3159
Total Cost	Rs. 7243 Crores		

Under Jagmagati Delhi, initial budget of 50 crores has been kept for FY 2021-22, for conversion of 11kV bare conductor to insulated conductor.

5. Vehicle switching from Fossil fuel to electricity

The Delhi EV Policy, 2020 envisaged “accessible public charging facilities within 3 km travel from anywhere in Delhi” (Clause: 6.2.1) and the Ministry of Power, GoI vide guidelines and standards notified for Charging Infrastructure for EVs has also envisaged for “At least 1 Public Charging Station is to be available within a grid of 3Km. x 3Km.” DDA should include land planning for creation of Charging Infrastructure for EVs in Master Plan of Delhi 2041.

6. Land/ Space Constraints:

a) DISCOMs face severe space constraints for substations, feeders and other associated equipment despite taking several measures to reduce footprint of substations (like GIS, E-House, Package Station, etc.). There is rampant encroachment on power infrastructure in many areas leading to reliability, safety and power theft issues.

b) A clear land policy is required for space allocation for substations, feeders and associated network equipment (like feeder pillars, distribution boxes etc.) in all existing areas based on present load density and future load growth. Land policy should specify land requirement for substations and associated network equipment in new developments including electrification of new areas, private development, EV charging stations and all new infrastructure development projects.

c) Land Policy needs to incorporate measures to prevent encroachment of power infrastructure.

d) Key Considerations for land allocation for 66/11kV & 33/11kV Grids:

   i. 66/11kV or 33/11kV grid is required for serving a load of 35MVA.

   ii. Based on projected peak load, total grids will be required to meet the load.

   iii. Considering the present numbers of grids, additional land will be required for establishment of new grids. Requirement for EV load will be additional.

   iv. Land required for each DISCOM grid will be 2000 Sqm (50 X 40 m). However, with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

e) Key Considerations for land allocation for 11/0.4kV Substations:

   i. Considering 1484 sq. Km area of Delhi and projected population of 29.1 million in 2041, the load density will increase which will probably highest in India.

   ii. Typically, 1 Nos substation is required for each MW and thus considering demand density in Delhi, around 15,000 substations/Distribution transformers will be required of different voltage levels.

   iii. Requirement will be higher for areas with higher load density.

   iv. Land required for each substation is 60Sqm (12 X 5 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

f) Land allocation to the concerned DISCOM need to be ensured in a time bound manner to maintain the reliability and quality of power.

7. Major reforms undertaken in Delhi

- **The nos. of procedure have been reduced from 3 to 2:** DERC vide order dt.18.12.2020 i.e. called Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Relaxation) Third order 2020, reduce the number of procedures from three to two for release of Electricity connection the details are as follows:
    - Procedure 1: Submission of application along with all documents
    - Procedure 2: Field inspection & Energisation of connection
- **Time:** For the period to be consider for DBR 2021 (i.e. May 2019 to April 2020), the electricity connections have been provided within 7 days where RoW permission is not required & within 14 days where RoW permission is required by Delhi DISCOMs.
- **The cost of getting electricity connection:** DERC vide order dt.23.10.2019 has reduced the cost for electricity connection for 150kVA consumers from Rs. 25,000/- to Rs. 15,000/-. For sanctioned load More than 5kW and up to 150kW the cost is (Rs. 3000 + Rs. 500 per kW or per kVA as the case may be for the load beyond 5kW), limited to a maximum of Rs. 15000/-.
- **Reliability of Supply:** Following steps are required for improvement of reliability of supply (SAIFI & SAIDI) in long term: Conversion from Overhead to Underground System, Dedicated corridors for laying Electrical network.
- **Steps taken by DISCOM's to improve SAIFI & SAIDI:** Upgraded from the conventional SCADA to Advanced Distribution Management System (ADMS). ADMS is an integrated platform with one user interface for SCADA, DMS, OMS, GIS, ERP, CRM, FFA and Meter Data Management System (MDMS). SAIFI - System Average Interruption Frequency Index, SAIDI- System Average Interruption Duration Index.
- **Formulation of Dig and Restore Policy:** Dig and Restore Policy has been formulated by PWD Department for granting Online Right of Way permission by boarding all the Road owing agency on the single portal i.e. PDM (Plan, Dig & Monitor) software by Delhi Govt.
- Government of the NCT of Delhi has notified self-certification for DISCOM's installations up to 33 kV in place of 650 V vide notification dated 04.01.2017
- Pole mounted transformers capacity enhanced from 250KVA to 500KVA as per CEA gazette notification dated 06.04.2015.
- **Simplification of Documentation for Getting New Electricity connection:** Only 2 documents required i.e. ID proof and ownership proof vide DERC order dated 12.05.2016.

- Revision of application form for Getting New Electricity connection by removing certificate details of Electrical contractor, Lift inspector & Fire services by DERC order dated 24.04.2017.
- New Connections up to 200 KW sanctioned load to be released at LT voltage level in place of 100KW only previously –Guidelines issued by DERC vide order dated 31.08.2017.
- Payment of Demand note for release of electricity connection in first bill for applicants taking supply at LT level vide DERC order dated 31.05.2019.
- Mandatory online applications in lieu of offline option for load above 50KVA as per DERC (Supply code and performance standards) Regulations 2017.

8. Reducing regulatory compliance burden:

Dept. of promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Govt. of India is Nodal Department for coordinating exercise of minimizing compliance burden on Industries/ business and on citizens. Department of Industries, GNCTD, is nodal agency on behalf of GNCTD. It is to identify further that which regulatory compliances, acts and rules can be repealed, simplified or made online. Thirteen services in consultation with DISCOMs were identified which required compliances from citizens of Delhi and referred to DERC for examining to reduce compliance burden on citizens.

Presently only one compliance has been identified for making it online. The reform is as under:

Dept.	Burdensome Act/Rule & Provision	Short Description	Compliance type	Action to be taken Renewals	Timeline
Delhi Electricity Regulatory Commission	Filing of Petitions under Section 142 of Electricity Act 2003 and other than section 142 of Electricity 2003 before the Hon'ble Delhi Electricity Regulatory Commission	DERC adjudicates on Petitions filed under Section 142 and matters other than under Section 142 of Electricity Act 2003	Filing of Petition	Implement e- filing petitions	31.03.2021

9. Renewable Energy and Sustainable Power Consumption

Various efforts are being made within Delhi towards harnessing renewable energy. The overarching national policy through the assigned Renewable Purchase Obligation (RPO) as well as the state level solar policy 2016 sets out clear targets for enabling the transition towards renewable energy. As per the RPO targets for Delhi, it needs to meet about 19% of its consumption from renewable by 2022. The Solar Policy 2016 estimates a solar energy potential of 2500 MW for Delhi and target implementation of 1995MW to be installed by 2025.

The Government of NCT of Delhi launched **"Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna"** to install Solar Panels in such a way that farmer(s) can do farming (s) beneath the solar panels. This scheme was devised to facilitate land owners to utilise their lands for economic uses by installing solar panels, thereby minimising misuse, unauthorised constructions and ensuring balanced development and retaining the green character of these areas. The farmer(s) of Delhi can get additional fixed income by installation of solar power plants. The salient features of "Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna" is as under:

- Solar Panels at raised structure of 3.5 meters to allow farming on agriculture land of peripheral Green Belt villages.
- No change of land use, farmer(s) to continue farming.
- No investment required from farmer(s), investment to be done by Solar Power Developer.
- Farmer(s) to get ₹ 8333/- per month per acre of land with an increment of 6% per annum upto 25 year, additionally, 6000 units electricity per annum per MW of plant
- Minimum capacity of Solar plant 1 MW, to be installed on 06 acres of land (approximately 1/3rd of the land to be covered by solar plant)
- Evacuation of power to be facilitated by DISCOMs.

Under "Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna" the Government Departments were envisaged as the power purchaser, assuming costly power generated through this scheme as solar power plants are to be installed at raised structure.

Further, Government of India launched a scheme named as **"Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan" or PM KUSUM scheme** under which solar power plants can be installed on agriculture land, barren land, pasturelands and marshlands of farmers. This scheme mandates power generated shall be purchased by DISCOMs at pre-fixed levelised tariff or tariff discovered through bidding. The salient features of PM KUSUM are as follows:

- PM KUSUM to be implemented through DISCOMs and DISCOMs are entitled for to get Performance Based Incentive @ 40 paise per unit purchased or Rs. 6.6 lakhs per MW of capacity installed, whichever is less, for a period of five years from the COD.
- Solar plant of capacity 500 KWp to 2 MW. In specific cases based on Techno-Commercial Feasibility smaller than 500 KWp are allowed.
- Power shall be purchased by DISCOMs. Furthermore, Power Department has envisaged merging both schemes for smooth implementation and benefit to stakeholders' viz. DISCOMs and Farmer(s).
- Delhi DISCOMs have been allocated 62 MW by MNRE, GoI under PM KUSUM scheme.
- Draft documents prepared and letters sent to DERC and Delhi DISCOMs for comments on mode of scheme execution, levelized ceiling tariff and draft PPA.

10. In respect of installation of Solar PVs on rooftop of group housing societies, only 59 societies have installed SPVs. There is a huge scope of installing SPVs in the remaining 1841 societies in NCT of Delhi. It is therefore proposed that all the remaining CGHS societies and other multi storied societies should be mandated to install solar rooftop plants. With Solar installation on government land, buildings, all private buildings, Delhi can generate about more than 2000MW of solar power. Further, SPVs can also be installed on canals and highways which would enable Delhi to meet 40% of peak demand of power through solar energy. Together with the renewable energy purchases, Delhi can meet more than 50% demand from renewable energy. To sum up, DDA requires to consider the following:
    - Making mandatory provision for Solar PV installation in existing buildings also.
    - Promote Solar PV installation on vacant land available with government agencies. This can also help in mitigating/eliminating encroachment problems.

11. **Building design and layout considerations for reduced demand of HVAC:**
    - Provision of HVAC to reduce peak load is there in ECBC – 2017 notified by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power, GoI.
    - Energy Conservation Building Code (ECBC) for commercial buildings was notified by BEE, GoI in 2007 and updated version was notified in 2017.
    - The Energy Conservation Building Code (ECBC), is a document that specifies the energy performance requirements for commercial buildings that have a connected load of 100 kW or greater or a contract demand of 120 KVA or greater that are to be constructed in India and is mandated by the Energy Conservation (EC) Act, 2001.

- ECBC encourages energy efficient design or retrofit of lightning & control fixtures in the existing buildings so that it does not constrain the building functions, comfort, health, or the productivity of the occupants and also have appropriate regard for economic considerations (life cycle costs i.e. construction + energy costs are minimized). ECBC defines the norms of energy efficiency of building equipments and takes into consideration the climatic region of the country, where the building is located. Norms have been developed to cater different climatic zones in India such as: Composite, Hot & Dry, Warm & Humid, Moderate and Cold.
- ECBC provides design norms for:
    - Building Envelop: It includes Thermal performance requirements for walls, roofs and windows except for unconditioned storage spaces or warehouses.
    - Comfort Systems & Controls: It includes the energy performance of heating, ventilating, air conditioning and service hot water & pumping and their controls.
    - Lighting & Controls: It includes interior and exterior lighting, day lighting and lamps & luminaries performance requirements.
    - Electrical and Renewable Energy Systems: It includes the energy performance of motors, transformers, DG sets, UPS and energy metering.
- ECBC can effectively be implemented by participation of various stakeholders such as DDA, PWD, MCDs, Council of Architecture, NBCC, DISCOMs, and Private Builders/Engineers/Architects etc.
- In Delhi, DDA prepares and notifies the Building Bye-Laws and provisions of ECBC-2007 have already been included in the bye-laws for some building types by DDA. So far DDA has included the provisions of ECBC in UBBL 2016:
- UBBL 2016 U/s 3.2, table 3.5 (4e), has made mandatory compliance measures (for all buildings having plot area from 50,000 m² to 1, 50,000 m²) as recommended in the Energy Conservation Building Code (ECBC) 2007 of the Bureau of Energy Efficiency, Government of India. However, there are no provisions for making ECBC mandatory (as a whole) for buildings except the area mentioned above, only few components of ECBC incorporated.
- Comprehensive mandatory provision is required to be included in the Delhi's Unified Building Bye-Laws (UBBL) 2016 which comes under purview of DDA. Previously, DDA was requested to incorporate provisions ECBC in Delhi's UBBL by DDA vide Secretary (Power) DO letter dtd: 01.09.2020. (copy attached)

- Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), GoI has also directed DDA vide OM dtd: 21.09.2020 to consider necessary amendments to include the provisions of ECBC guidelines in Unified Building Bye-Laws (UBBL).
- Further, Bureau of Energy Efficiency (BEE), GoI has also launched Eco-Niwas Samhita (ENS) for residential buildings and residential part of mixed land used projects build on plot area ≥ 500 square meters in 2018. In the first phase minimum standards for the building envelop was launched to limit heat gain or heat loss of the residential building comprising adequate day lighting potential and ventilation. BEE, GoI is developing Eco-Niwas Samhita part–II for setting up minimum standards for the Electromechanical Equipments for efficient use of energy in residential buildings, which may be released shortly. The provisions of ENS have to be incorporated in Unified Building Bye-Laws (UBBL).
- DDA is being continuously followed up by Power Department for making requisite amendments in UBBL to incorporate provisions of ECBC for commercial & residential buildings.
- It is proposed that DDA should urgently amend UBBL & incorporate the provisions of ECBC for commercial and residential buildings. It is also proposed to promote adoption of Energy Efficiency measures in electricity usage.

12. Installation of smart meters (by DISCOMS)

The planning for installation of smart meter by respective DISCOMs is as under:

S.No	DISCOM	Total Consumers (in lacs)	Total Smart meters installed (in lacs)	DERC approval taken (Nos. in lacs)
1	BRPL	27.3	(4881 numbers)	3
2	BYPL	17.7	(147 numbers)	1.7
3	TPDDL	18.2	2.1	7
4	NDMC	0.7	0.6	-
	Total	63.9	2.7	11.7

- Total Consumer base of Delhi : 63.9 Lacs
- Total Smart Meters installed : 2.7 Lacs
- Balance Smart Meters to be installed : 61.7 Lacs

- Each smart meter costs around Rs. 3000 and approx Rs 6000-7000 including overall logistics. Replacing all balance 61.7 lacs meters with smart meters under CAPEX model, the cost will be around Rs. 3700-4300 crores
- Under OPEX model of EESL, NDMC has installed 60000 meters for project cost of Rs. 61.68 crores for 8 years i.e. Rs. 10280 / consumer for 8 years.
- For balance 61.7 lacs consumers under OPEX Model based on NDMC estimation, the overall cost will be Rs. 6342 Crores for 8 years.
- For targeting all the consumers, DERC will be requested for an early order for approving CAPEX / OPEX model.
- Delhi DISCOMs shall also be asked to go for installation of smart meters for all consumers in NCT of Delhi in time bound manner.

Annexure – IX (a)

Norms for Land Size for different Grids / Substations:

I. GIS (66kV / 33kV)

The guidelines for plot size of GIS substations were framed vide minutes of meeting dated 12.09.2016. The guidelines are as under:

- 50m x 30m (Two side open and rectangular plot. Right of Way of 6m required)
- 55m x 30m (One side open (longer side of plot). Rectangular plot. Right of Way of 12m required)
- 40m x 50m (One side open (Shorter side of plot). Rectangular plot. Right of Way of 12m required)
- In case of irregular shaped plot or no parallel road to plot, the plot size will be decided on the basis of joint inspection of officials of DDA & DISCOMs.

II. DDA order dated 09.09.2003 for Air insulated Sub Stations:

- 185m x 160m: Plot size for 220kV sub stations. Size can be further reduced if 33kV / 11kV not required.
- 95m x 90m: Plot size for 66kV sub stations.
- 60m x 45m: Plot size for 33kV sub stations.
- 10m x 8m: Plot size for 11kV sub stations.

III. Reference for 11/0.4 kV DT Substation space requirement

- Clause 6(4) of Chapter on schedule of charges of DERC Supply Code 2017 read with amendments.
- SDMC Circular dated 30.03.2017 regarding provision of substation space.

Annexure – IX (b)

Clause 6(4) of Chapter on schedule of charges of DERC Supply Code 2017:

(4) The developer/applicant taking supply at Low Tension level for any premises or for re-constructed premises, requiring LT Service connections whose:

i. total cumulative demand of all floors in the plot/ building for LT service connection exceeds 100 kW/108 kVA; or

ii. total cumulative built up area of the premises in the plot/building exceeds 1000 sqm; or

iii. plot of size above 300 sqm or above; shall provide the space for installation of distribution transformers, as per the required load.

Provided that the minimum space required to be provided by the developer/applicant for installation of distribution transformers/ equipment shall be as per circular no. South DMC/0148/SE(B)HQ/Addl. ComI/17 dated 30.03.2017 notified by South Delhi Municipal Corporation or as amended from time to time, annexed at annexure IX (c):

Provided further that the existing consumer shall also be required to provide the space as above, in the event of:

i. enhancement of existing load on account of additional construction in the premises and consequently the total built up area exceeds 1000 sqm of the plot/building or their total LT Service connections demand exceeds 100 kW/108 kVA; or

ii. enhancement of load based on maximum demand readings for the electricity connections energized on or after 1.9.2017 and the total LT Service connections demand exceeds 100 kW/108 kVA;

Provided also that if the required space is not provided by the applicant or the developer, the distribution Licensee may refuse the grant of additional load:

Provided also that the consumer taking supply at LT voltage level, irrespective of its sanctioned load or the contract demand as the case may be, shall also provide the space to the licensee for installation of meter, and part of service line up to the point of supply, to the extent that would fall within his premises.

[Explanation: For the purpose of this sub-clause, the built-up area shall be as specified in the plan approved by the authorized agencies. In case, built-up area is not specified in the approved plan, the built-up area shall be taken as the carpet area plus the thickness of outer walls and the balcony]

Annexure – IX (c)

SDMC Circular on Provision of Spaces for Substation

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER-I
6TH FLOOR, DR. SHYAMA PARSHAD MUKHERJEE CIVIC CENTRE
JAWAHARLAL NEHRU MARG : NEW DELHI – 110002.

No.South DMC/Ø/48/SE(BM)/Addl Comm/17 Dated: 30.03.2017

CIRCULAR

Subject : No requirement of NOC from Delhi Jal Board & DISCOM at the time of sanction of building plans under the Online System – EODB.

Under the "Ease of Doing Business" relating to construction permits, the requirement of NOC from Delhi Jal Board is not required as already communicated by the Chief Engineer (Plg.)W, D.J.B. vide letter No.DJB/CE(Plg)W/2016/138 dated 29.04.2016, stating therein that "*Since Delhi Jal Board is a service provider and provides water to the constructed buildings, issue of NOC from DJB for approval of plans / construction permits is not required*".

With regard to NOC from DISCOM, there is no need to submit the NOC for sanction of building plans. The built up space for transformer / equipments is to be provided in the plot as per Annexure "A", copy enclosed.

To have the uniformity in the process of Online Sanction of Building Plan, this may be applicable in all the three Municipal Corporations.

This is for necessary compliance by all concerned.

Additional Commissioner-I
South Delhi Municipal Corporation

Distribution:
1 Additional Commissioner(Engg.) – North & East DMCs
2 All Zonal Deputy Commissioners–South, North & East DMCs
3 Chief Town Planners –South, North & East DMCs
4 Chief Law Officers –South, North & East DMCs
5 Director (IT) – with the request to upload the above circular on the website and a copy of the circular be forwarded through e-mail to all empanelled Architects / Engineers / Supervisors.
6 All SEs(Bldg.)HQ –South, North & East DMCs
7 All EEs(Bldg.)HQ & Zonal EEs(Bldg.) –South, North & East DMCs
8 EE(OBPS), I.T. Deptt.
9 AE(OBPS) – to upload the same on Facebook page of EODB.

Copy to:
1 PS to Commissioner, South DMC – for kind information of the Commissioner.
2 Director (DIPP), Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi.
3 Special Commissioner of Industries, O/O the Commissioner of Industries, Govt. of NCT of Delhi, Udyog Sadan, Patpargang, New Delhi – for kind information.

Space for Electrical Installations

1.1 **Electric Sub-station** – The norms given in 1.1.1 and 1.1.2 shall be adopted for provision of space for sub-station.

1.1.1 Load calculation criteria based on construction area and applicable load norms

Category/Usage of premises	Applied/approved construction area* per 1000 Sq ft.	Load requirement as per applicable load norms
Domestic	1000 Sq. ft.	15 KW
Non Domestic	1000 Sq. ft.	25 KW
Industrial	1000 Sq. ft.	40 KW

** Construction Area = (Plot Area) * (FAR) else construction area as per building plan, whichever is maximum*

1.1.2 Space Requirements for Electrical Sub-Station

Sl No	Total Construction area (in Sq. m)	Calculated load as per construction area in KW	Space requirement for Utility (LXW)	Minimum space requirement for applicant (LXW) in casse of HT/ Utility in case of electrification	Total Space for Electrical Services in Bldg plan (Sq M)
1	Construction area is as per applied/approved bldg plan.	100 -200	4 M X 5.3 M		21
2		201-800	6 M X 3 M	4 M X 5.3 M	39
3		801-1500	6 M X 3 M	2* (4 M X 5.3 M)	60
4		1501-2200	6 M X 3 M	3* (4 M X 5.3 M)	82
5		2201-2900	6 M X 3 M	4* (4 M X 5.3 M)	103
6		2901-3500	6 M X 3 M	5* (4 M X 5.3 M)	124
7		>3500	Applicant shall approach utility for approval of space and layout		

Notes:

1. *In case of special/additional requirements of applicants such as double metering arrangement, N-1 contingency up to distribution transformers, automation etc. then the space requirement may vary. The same shall be considered with the approval of Utility/Licensee.*
2. *The floor of the sub-station shall have cable trenches of 0.6 m X 0.9 m (WXD), the layout for which will be given at the time of actual construction. This floor shall be capable to withstand minimum load of 10 tones of each transformer/switchgear/metering panel mounted.*
3. *Please refer enclosed ANNEXURE-I for additional specifications/requirement of electrical substation*

ANNEXURE-I

1. **Distance from Electrical lines / Structure :** Substation space shall taken care the minimum clearances as per below table

Description	Vertically	Horizontally
Low and Medium Voltage up to 650 V	2.5 M from the highest point	1.2 M from the nearest point
High Voltage lines up to 33 kV	3.7 M	2.0 M
Extra High Voltage lines beyond 33kV	3.7 M Plus 0.3 M for every additional 33kV or part thereof	2.0 M Plus 0.3 M for every additional 33kV or part thereof

2. **Specifications and location of Substation**

a. The substation should preferably be located in separate building within the plot and could be adjacent to the generator room, if any. Location of substation in the basement floors should be avoided, as far as possible.

b. The ideal location for an electrical substation for a building or a group of buildings would be at the electrical load centre on the ground floor. The floor level of the substation or switch room shall be above the highest flood level of the locality. Generally the load centre would be somewhere between the geometrical centre and the air conditioning plant room, as air conditioning plant room would normally be the largest chunk of load, if the building is air conditioned.

c. The gate shall open towards outside of the room and shall be painted black.

d. The approach road shall be minimum 4 meter wide up to substation from the entry gate and height should not be less than 4 meter.

e. No service such as sewer, air conditioning, water, gas pipes etc. should pass the Electrical Substation (ESS) or the cable trench provided in/outside of ESS.

f. There should not be any basement/underground water tank or any construction beneath the ESS proposed but relaxation may be accepted subject to submission of certificate from license structure engineer, clearly mentioning that the floor above the basement or water tank can withstand the load of BRPL equipments to be installed inside the substation.

g. The structure provided for ESS should be weather and fire proof of above referred dimension and should be free of any kind of seepage/leakage. There should be no combustible material kept in side or in the vicinity of ESS.

h. The above mentioned space requirement does not cover the installation of consumer part.

i. Substations with oil filled equipment will require great consideration for the fire detection, protection and suppression. Oil cooled transformers require a suitable soak pit with gravity flow to contain the oil in the event of the possibility of oil spillage from the transformer on its failure. Substations with oil filled equipment shall be located at ground floor only. Such substations with high oil content may be housed in a separate service building or a substation building, which is not the part of multi-storied building.

j. **In case electric substation has to be located within the main multi-storied building itself for unavoidable reasons, then it should be located on the floor close to ground level, but shall have direct access from the street for operation of the equipments.** The provision for installation and removal of substation equipments may be provided from inside the building.

ANNEXURE X: SERVICE PLAN - DELHI TRANSCO LIMITED (DTL)

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
पंजीकृतकार्यालय: शक्तिसदन, कोटलारोड, नईदिल्ली -110002

DELHI TRANSCO LIMITED
(A Govt of NCT of Delhi Undertaking)
Regd office : Shakti Sadan, Kotla Road, New Delhi – 110 002
CIN: U40103DL2001SGC111529

No. F.DTL/202/Oprns.plg/DGM(Planning)/20-21/F-18/46 Dated: 16.12.2020

Vice Chairman
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, INA
New Delhi-110023
Email:- vcdda@dda.org.in

Subject: Perspective Plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041).

Respected Sir,

This is in reference to your letter no. F.18 (7)2018-MPD-159 dt. 16.07.2020, regarding preparation of perspective Plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041.

In this context, DTL has attended various meeting earlier for "POWER" Base lining Group for MPD-2041 organized by DDA. During these meeting, DTL has presented "Norms/infrastructure/challenges etc. of Transmission Network.

For the preparation of perspective plan for Delhi power transmission network, a load growth around 4% for developed area, 2% for NDMC area and 7% developing area like Dwarka has been considered. Further, the areas which are going to be developed under DDA land pooling policy, a thumb rule being practices in Power sector, for catering power requirement for 16-20L urban population, 1 no. 400k220kV substation and 3 nos. 220kV substation has been considered for ensuring the system reliability.

Accordingly, a DDA zone wise perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) has been prepared and enclosed herewith. The downstream network (66kV, 33kV, 11kV) as Power Distribution Services for Delhi is required to be provided by the concerned DISCOMs of Delhi.

Pankaj

JAS-ANZ BSCIC ISO 9001 REGISTERED

Office: Dy. General Manager (Planning)
First Floor, Shakti Deep Building, Anarkali Market Complex, Jhandewalan, New Delhi – 110055
Ph: 23520106 Fax: 23622707 Email: dgmplanning.dtl2016@gmail.com
Visit us at www.dtl.gov.in, www.delhisldc.org

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
पंजीकृतकार्यालय: शक्तिसदन, कोटलारोड, नईदिल्ली -110002

DELHI TRANSCO LIMITED
(A Govt of NCT of Delhi Undertaking)
Regd office : Shakti Sadan, Kotla Road, New Delhi – 110 002
CIN: U40103DL2001SGC111529

The summary of perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) as under:-

Voltage Level	No. of Existing substations	No. of proposed substations (under pipeline or execution)	No. of proposed substations (MPD-2041)	Associated ROW requirement
765kV	01	01	02	67m ROW for overhead (O/H) Transmission line (T/L)
400kV	07 (including Mandola)	03	09	52m ROW for overhead (O/H) Transmission line (T/L)
220kV	41	04	37	35m ROW for O/H T/L or 2x2 mtr for U/G Cable.

In view of the above, it is requested to earmark/allocate land/ROW in Master Plan of Delhi-2041 as per DTL perspective plan for establishment of Power transmission infrastructure (enclosed).

Thanking you.

Enclosures:- as above

Pankaj 16/12/2020

(Pankaj Kumar Vijay)
Dy. General Manager (Planning)

JAS-ANZ BSCIC ISO 9001 REGISTERED

Office: Dy. General Manager (Planning)
First Floor, Shakti Deep Building, Anarkali Market Complex, Jhandewalan, New Delhi – 110055
Ph: 23520106 Fax: 23622707 Email: dgmplanning.dtl2016@gmail.com
Visit us at www.dtl.gov.in, www.delhisldc.org

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DELHI TRANSCO LIMTED (A Govt. of NCT of Delhi undertaking)

1. PROJECTED POWER DEMAND – 2041

As per the trends indicated by Department of Power, GNCTD, the power demand by 2041, is projected to reach 63,389 MU. Peak demand is likely to increase to 19,070 MW. Based on this it is estimated that the total installed capacity would also need to be increased threefold up to 21,930 MW (15% over and above the estimated peak demand). The current installed capacity for Delhi is 7,901 MW thus an additional installed capacity of 14,029 MW needs to be added in the coming plan period. The following Renewable Purchase Obligation targets have been set by MNRE for Delhi- 19% by 2022, 38.5% by 2031 (based on 450GW national target by 2030) and 50.5% by 2041 (further projection of 2030 targets). The total power consumption needs to be met from renewable energy based on these targets. Strategies shall be developed and efforts shall be made along with DISCOMs to meet the set targets.

Areas that are going to be developed under land pooling policy, a thumb rule being practiced in the power sector for catering power requirement for 16-20L urban population, 1 no. 400-220kV substation and 3 nos. of 220kV substation has been considered for ensuring the system reliability. Downstream network (66kV, 33kV and 11 kV) as Power Distribution services for Delhi is required to be provided by the concerned DISCOMs in Delhi.

Table 7: Abstract of total Substation requirements (765/400/220kV)

Sl. No.	Voltage Level	No. of Existing Sub-Stations	No. of Proposed Substations (under execution)	No. of Proposed Sub-Stations	Associated RoW Requirement
1.	765 kV	1	1	2	67m RoW for overhead transmission line
2.	400 kV	7 (Including Mandola)	3	9	52m RoW for overhead transmission line
3.	220 kV	4	4	37	35m RoW for overhead transmission line or 2X2 mtr for UG cable

Table 8: Zone-wise-Perspective Plan for Power Transmission Services (765/400/220 kV) for Delhi MPD 2041

ZONES	Existing 400/220 kV substation	Voltage Level	Requirement for MPD 2041	Tentative area required (in sqm)	Requirement by the Year	Remarks
Zone - A	NIL No ESS in this zone	-	-	-		
		220/33 kV Installed capacity 400 MVA	Asaf Ali Road (Wall city)	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2027	This will provide power to New Delhi railway station, Delhi Metro Rail and upcoming multi story development.
Zone - B	Dev Nagar (Karol Bagh)	220/33 kV	Under construction			
		400/220/33 kV	IARI Pusa/ Dev Nagar	200 x 200 sqm (40000 sqm)	2025	All the existing 400 KV station in Delhi are at the outer part of Delhi. Due to non-availability overhead corridor, power is being transmitted through underground cables. The 220kV underground cables have the limitations of shorter length and power carrying capacity.

						Therefore, a strong source of 400 kV level has become the urgent requirement in central part of Delhi. IARI PUSA are seems that 400 KV substation can be established for power requirement of central Delhi.
Zone-C	Sabji Mandi	220/33 kV	Existing			
	Sanjay Gandhi Transport Nagar (SGTN)	220/66 kV				
	Gopal Pur	220/66 kV-33kV				
	Timar Pur	220/33 kV	Under construction			
	Gopal Pur	400 kV	Up-gradation in under tendering			
	New proposal to be included in MPD-2041					
		220/33 kV (400 MVA)	Azad pur	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm	2031	This substation will be required to cater the natural growth of nearby area and will provide the relief to existing Gopal Pur (33 kV level) and sabji Mandi area
Zone-D	Electric Lane (Harish Chandra	220/33 kV		-	-	

	Mathur Lane)					
	Lodhi Road	220/33 kV				
	Park street	220/66-33 kV				
			Sarojini Nagar	10000 sq.mt	2023	NDMC is in process of Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Neetajee Naga, Nauroji Nagar & Sarojini Nagar through NBCC. NBCC has earmarked a piece of land for establishment of 220 kV substations.
Zone-E	Harsh Vihar (East of Loni Road)	400/220/66 kV	**Existing Substation**			
	Patparganj	220/66-33 kV				
	Gazipur	220/66 kV				
	Preet Vihar	220/33 kV				
	Geeta Colony	220/33 kV				
	New proposal to be included in MPD-2041					
		220/33 kV	Dwarka Puri/ Shahdara/ Welcome colony	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	Immediate	This proposed substation has been planned for future development to meet the industrial; and residential load growth around

						Shahdara, Welcome Colony, Seelampur, Jafrabad etc.
		220/66 kV	GTB Hospital/ Dilshad Garden/ Nand Nagari	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2025	This proposed substation has been planned for future development to meet the industrial and residential load growth around Jhilmil, Dilshad garden, Nand Nagri etc.
		400/220 kV	Geeta Colony	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2025	DDA may allot an area near existing 220 kV DTL Geeta Colony substation from where 440 kV Transmission line can easily be connected. Therefore, no separate corridor for 400kV transmission line is required.
		220/33 kV	Mayur Vihar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2027	This proposed sub-station is for future development to meet the industrial and residential load growth around Mayur Vihar area.
		220/66 kV	Yamuna	Being the	2038	This proposed

			Vihar/ Loni Road	land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.		sub-station is for future development to meet the industrial and residential load growth around Yamuna Vihar area.
Zone-F	Masjid moth	220/33 kV	Existing			
	AIIMS	220/33 kV				
	Sarita Vihar	220/66 kV				
	R K Puram	220/66-33 kV				
	Vasant Kunj	220/66 kV				
	Okhla	220/66-33 kV				
	Tughlakabad	400/220/66 kV				
	Ridge Valley	220 kV				
	BTPS	220/66 kV (480 MVA)	Under tendering (65 kV level)			
	New proposal to be included in MPD-2041					
		400/220 kV	Near Sarita Vihar/ BTPS	200 x 200 sqm (40,000sqm)	2032	To meet the long-term load requirement of south Delhi area.
		220/ 33 KV (300 MVA)	Nehru Place	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	Immediate	The location has already been earmarked by DDA for establishment of 220/33kV ESS but land has not been handed- over to Power Dept. / DTL yet.
		220/ 33 KV	Malviya Nagar	Being the land scarcity	2027	During recent communication

		(300 MVA)		in the area, minimum area required 7000 Sqm		with DDA has informed that there is earmarked plot for ESS of area of about 3100 sqm in Malviya Nagar. After going through the DDA offer, the plot size is not sufficient. Therefore, it is requested to increase the plot size or earmarked sufficient area for 220 kV ESS at nearby area.
		220/66KV (480 MVA)	West of JNU	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2036	This ESS will provide relief to existing 220 KV ESS (Vasant kunj) and will help to manage the load growth. DDA may kindly earmark an area near Priya PVR area, for easy evacuation of power.
		220/66KV (480 MVA)	Jasola	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2038	The ESS that will provide relief to existing 220 KV ESS (Sarita Vihar and Okhala) and upcoming BTPS and will help to manage the load growth.

						DDA may kindly earmark an area near Okhla waste to power generation plant
ZONE-G	Peeragarhi	220/ 33 KV	Existing			
	DIAL	220/ 66 KV				
	Naraina	220/ 33 KV				
	Budella	220/ 66 KV	Under tendering			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/33KV (400 MVA)	Punjabi Bagh	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	Immediate	This ESS is top priority to meet the load growth of the area, a 220 KV ESS implementation is must. DDA may kindly earmarked an area near the road crossing of MG road and Vashisht Kumar Gulla marg (Vacant land) for easy evacuation of power.
		220/ 66 KV	Aero City	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2025	To cater the load growth of commercial hub ground airport
		220/33 KV (400 MVA)	Janakpuri (Pankha road)	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2029	This will provide relief to existing Panjabi Bagh & Naraina ESS and will help to manage load growth. DDA may kindly

						earmark an area between C3 road and C2 park (vacant land) for easy evacuation of power.
		220/33 KV (400 MVA)	Hari Nagar/ Pratap Nagar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2041	This will provide relief to existing Papankalan-I & Naraina ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. DDA may kindly earmark an area near bus depot at Pratap nagar (vacant land) for easy evacuation of power.
		220/33 KV (400 MVA)	Kirti Nagar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2032	This ESS is required to meet the load growth of existing area.
ZONE-H	Rohini-I	220/ 66 KV	Existing			
	Wazirpur	220/ 33 KV				
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/66 KV (520 MVA)	Rohini Sector-1	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2038	This will provide relief to existing Rohini ESS and will help to manage load growth up to 2041 & beyond. DDA may kindly earmark an area near the

						existing NDPL grid in this sector.
		220/33 KV (400 MVA)	Ashoka Vihar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2029	This will provide relief to existing Shalimar Bagh and Wazirpur ESS and will help to manage load growth up to 2041 & beyond.
ZONE-J	Mehrauli	220/66 KV	Existing			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		765/400 (220 kV)	Mandi Village	400x 400 Sqm. (160,000 Sqm.)	2030	One 765 kV is required to meet the load growth of south Delhi, will provide grid power to existing and proposed 400 KV ESS. This proposed substation is planned at Mandi Village. This substation is required for major source of power supply to new developing as well as existing area at the south boundary of Delhi. DDA is also requested to provide RIGHT

						of Way for 765 KV ESS from existing Agra-Jhatikara 765 KV transmission Line.
		420/220 kV/ 66kV	Rang Puri	200x 200 Sqm. (20,000 Sqm.)	2027	To provide the 220 KV source to Vasant Kunj and future load growth of nearby area.
		220 KV	Maidan Garhi	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2024	This will provide relief to existing Mehrauli & Okhla ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. The location may be earmarked by DDA near/ beneath DTL 220 KV Mehrauli-Tughlakabad overhead Line.
		220 KV	Aya Nagar	10000 Sqm.	2028	This will provide relief to existing Mehrauli ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. Further DTL has no 220 KV ESS in this south area to cater to the future load growth.

		220 KV	Fatehpur beri/ Asola	10000 Sqm.	2032	This will provide relief to existing Sarita Vihar & Okhla ESS load growth up to 2021 & beyond will be very difficult to meet without this proposed substation. DDA may kindly earmark an area near Tughlakabad industrial area.
		220 KV	Bhati Mines	10000 Sqm.	2038	This will provide transformation capacity to meet the load growth of this extreme south corner of Delhi.
ZONE-K-1	Najafgarh	220/66 KV	Existing			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220 KV	Bakkarwala	10000 Sqm.	2027	DDA may earmarked an area to meet the load growth due to new residential colonies like Lok Nayak Puram and other industrial developments are also proposed in this rea. It will much better, if an area may kindly

						be earmarked near pocket-c of Lok Nayak Puram (vacant land), for easy evacuation of power as the rea is closer to existing 220 kV EHV overhead line
		220 KV	Dichoan Kalan	10000 Sqm.	2036	This 220 KV ESS will be required for long-term load requirement.
ZONE-K-II	Bamnauli	400/220 kV	Existing			
	Papankalan-I	220 KV				
	Papankalan-II	220 KV				
	Papankalan-III	220 KV				
	Dwarka sector-5	400/220 kV	Under Execution (400 kV level)			
	Bharthal	220/66 KV	Under tendering			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/66 KV	Dwarka Sector- 23	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2034	The load growth is very in this zone. Therefore, this ESS will be required to cater the load in long term.
ZONE-L	Jhatikara	765/400 KV	Existing			
	Tikri kalan	400/220 kV/ 66kV				

	New Proposal to be included in MPD-2041					
		400/220 kV/ 66kV	Jhatikara	200x 200 Sqm.	2023	This zone has been notified to develop under DDA land pooling scheme. These substations are required to cater the load of proposed to be developed under land pooling scheme. Further, DDA is requested earmarked the ROW for 400 KV and 220 KV overhead transmission lines.
		400 KV	Mitraon	200x 200 Sqm.	2036	
		220 kV	Mundela Khurd	10000 Sqm.	2040	
		220 kV	Chawala/ Tejpur	10000 Sqm.	2030	
		220 kV	Dhansa	10000 Sqm.	2030	
ZONE-M	Rohini-2	220/66 kV	Existing			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		400/220 kV/ 66kV	Barwala Sector- 37	200x 200 Sqm. (40,000 Sqm.)	2026	This will meet the demand of land pooling area of zone- N and growing demand of Rohini area
		220 kV	Begampur	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2034	No area has been earmarked at this area, but the load growth of residential colonies of sector-21, 22, 41 Begaumpur, Pratap vihar and other

						developments are also to be met through this proposed ESS. So, DDA may kindly be requested to allot an area in this zone, positively to meet the load. It will much better, if an area may kindly be earmarked near existing 66 KV ESS at sector-22 Rohini (vacant land) for easy evacuation of power, as the rea is closer to existing 220 KV EHV overhead line.
ZONE-N	Kanjawala	220/ 66 KV	Existing			
	765 KV Narela	Under planning ISTS				
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		400 KV	Chandpur	200x 200 Sqm.	2033	Already earmarked in MPD-2021
		220 kV	Nizampur	10000 Sqm.	2036	DDA may allot an area near Daryapur/ Bazidpur to cater to the proposed kanjhaala industrial area.
		220 kV	Qutub Garh	10000 Sqm.	2041	DDA may allot an area near

						nizampur to cater to the proposed kanjhaala industrial area also DTL do not has any 220 KV ESS at this western area to cater to the load growth.
ZONE-O	Wazirabad	220/ 66 KV	Existing			
	Kashmiri Gate	220/ 33KV				
	Rajghat	220/ 33KV				
	IP power	220/ 33KV				
	Pragati Power	220/ 66 KV				
	Maharani Bagh	400/220 kV/ 66-33kV	400/220 KV is existing and creation of 66 KV 33 KV Level is under tendering.			
	IP Power	400 KV	Upgradation of existing 220 KV will be done in due course of time.			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/66 KV	Karawal Nagar/ Sabha Pur (beneath of existing DTL 220 KV overhead transmission line)	10000 Sqm.	2028	DTL do not has any ESS on this North Part of Delhi, only one distribution substation of BYPL is there. To meet the load growth of soniya vihar, Karawal Nagar, Sabha pur, shiv Vihar etc. area, an area may be earmarked for future developments along the Pusta & Beneath of

						existing DTL 220 KV overhead transmission line (Mandola-Wazirabad- two lines). So that, no separate corridor could be required of connectivity to this.
ZONE-P-I	Bawana	400/220 kV/ 66 kV	Existing			
	Narela	220/ 66 kV				
	DSIIDC Bawana	220/ 66 kV				
	Tikri kurd	400/220 kV/ 66 kV	The project is proposed to be commissioned by year 2023 on land allocated by DDA.			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/ 66 kV (480 MVA)	Holambi Kalan	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Holambi Kalan to cater to the industrial area also with 35 m ROW corridor for overhead transmission line as this area has under development.
		220/ 66 kV (480 MVA)	Budhpur	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Budhpur to cater to the industrial area around around siraspur, budhpur, Chandpur etc. to cater to the load growth.

		220/ 66 kV (480 MVA)	Bankner Village	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Banker to cater to the industrial area around DSIIDC Bawana and Narela etc. to cater to the load growth of residential areas around this location. If possible, DDA may allocate a land near Bankner village area, just beside the existing 220 KV EHV line.
ZONE-P-II	**New Proposal to be included in MPD-2041**					
		765/400 kV/ 220 kV	Palla Village	400 m X 400 m (160,000 Sqm.)	2041	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. This sub-station is required for major source of power supply to new developing as well as existing area at the North boundary of Delhi. DDA may allot the land near to the Yamuna Bank and border of Delhi.

		220 kV	Burari	10000 Sqm.	2026	Load demand of nthhu Pura, Burari, Sant Nagar is growing in rapid rate. This substation will provide the relief to existing Gopal pur substation. DDA may allot the land near DTL existing lines. Note: Although the location has been earmarked in MPD-2021.
		220 kV	Mukhmel pur Village	10000 Sqm.	2032	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. DDA may allot the land near DTL existing lines. Note: Although the location has been earmarked in MPD-2021.
		220 kV	Mohmadpur Village		2041	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. DDA may allot the land near DTL existing lines.

ANNEXURE XI: SERVICE PLAN - INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED, NEW DELHI.

From: **kumar, Sushil (सुशील कुमार)** <sushil.kumar@igl.co.in>
Date: Fri, Apr 9, 2021 at 4:42 PM
Subject: Proposed Data for MPD 2041
To: leenu.sahgal91@dda.gov.in <leenu.sahgal91@dda.gov.in>
Cc: Manisha Gupta <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, hitender.bharti98@dda.gov.in <hitender.bharti98@dda.gov.in>, ktiwari@niua.org <ktiwari@niua.org>, nrajadhyaksha@niua.org <nrajadhyaksha@niua.org>, lsharma@niua.org <lsharma@niua.org>, bjohn@niua.org <bjohn@niua.org>, Batra Ashim (अशीम बत्रा) <ashim.batra@igl.co.in>, Bhatia, Sanjeev Kumar (संजीव कुमार भाटिया) <sanjeevk.bhatia@igl.co.in>

Dear Madam,

Please find attached Service Plan of IGL for Gas infrastructure in Delhi. Requesting you to please incorporate the same within the service plans of MPD 2041.

Regards,

Sushil Kumar

DGM (CNG Marketing)

9871659933

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)

Government of India is keen on making India a Gas based Economy – Aiming to push share of natural gas in energy basket from present 6% to 15% by 2030. Going ahead there is a need to lay greater emphasis on using cleaner fuels such as PNG & CNG and discouraging the use of polluting fuels such as FO, LSHS, Coal etc. The growing prices of diesel is resulting into decline in production of diesel variants & launching of more and more CNG variants by vehicle OEM's.

There are opportunities of expanding existing LNG infrastructure. There is also a huge potential for converting in-use diesel trucks/buses to LNG in Delhi. IGL may cash-in the opportunity to create EV infrastructure at existing CNG stations. New Segments such as E-Rickshaws/Two Wheelers can be tapped under battery swapping facilities, being planned by IGL.

Below is the projected growth in CNG, Industrial, Commercial and Domestic sales volumes for the next 5 years. Considering the growth dynamics in the sector, IGL shall update its service plan once every 5 years.

Table 9: Segment wise projected growth in sales volume (MMSCMD)

Sl. No.	Segment/FY	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	CAGR
1	CNG	4.06	4.51	5.01	5.56	6.17	11%
2	Industrial	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	14%
3	Commercial	0.11	0.12	0.14	0.15	0.17	13%
4	Domestic	0.32	0.40	0.49	0.61	0.76	24%
Total		4.62	5.18	5.81	6.51	7.32	
MMSCMD: Metric Million Standard Cubic Meter per Day							

Table Source: IGL

CNG: At present there is a shortfall of 35 CNG Stations in Delhi (area required for each station is approx. 1080 sqm); refer Annexure XI (a) for details of area wise requirements. In the next 5 years, 110 new CNG Stations are planned (excluding land pooling zones) and about 20 Nos. of Field Regulatory Station is required in the next 5 years (area required for each station is approx. 100 sqm). The area requirements for a Mother Station is 3000 sqm and for an Online Station is 1080 sqm. Below is the zone wise CNG station requirements for land pooling areas:

Table 10: No. of new CNG stations required for each zone

Sl. No.	Zone name	No. of CNG stations proposed
1.	K1	5
2.	L	10
3.	N	5
4.	P2	4
Total		**24**

Table Source: IGL

PNG: IGL currently has 9, 66,098 households connected with PNG in Delhi (up to 31.10.2020). 9 lakh households are planned to be connected to PNG in the next 3 years.

Annexure XI (a): Land Requirement for CNG Stations

S.No.	Particular area	Stretch Route Description
1	Ring road Bypass	From Pragati Maidan CNG station to ISBT Kasmiri gate
2	Ring road Bypass	From ISBT to Dheerpur CNG Station
3	Inner Ring road	From Burari Chowk to IGL Shakurpur CNG Station
4	Outer Ring road	From Dheerpur CNG station to Jahangirpuri CNG station
5	Outer ring road	From Janakpuri District Centre to Madhuban Chowk
6	North Central Delhi	Rajouri to Connaught Place (both sides)-1
7	North Central Delhi	Rajouri to Connaught Place (both sides)-2
8	South Delhi	From Hari Nagar Ashram to RKP 12
9	Outer Ring Road	From Rohini Sector 19 CNG Station to Metcalfe House CNG Station
10	Ring Road area	Mayapuri Metro Station to IGL Sarojini Nagar Station
11	Badarpur Border	From Faridabad Delhi Border to CRRI (towards Delhi)
12	South Delhi	RKP 3 to Nehru place (Both sides of the road)
13	South Delhi	Kalkaji to Andrews Ganj Via Chirag Delhi (Both Sides)
14	South Delhi	Sri Aurobindo Marg to Lado Sarai Hybrid(Both Sides)
15	South Delhi	RKP 12 to Brar Square (Both sides of the road)
16	Mehrauli Badarpur road	Mehrauli to Sarvodaya Enclave (Both Sides)
17	Main Chattarpur road	KR Hospital to Satbari
18	Mehrauli Gurugram road	Mehrauli to Indian Oil Janta Filling Station (Both sides)
19	Lajpat Nagar/Defence Colony	From The Oberoi to Moolchand Flyover Via Lala Lajpat Rai Road
20	South Delhi	August Kranti Marg (Both sides)
21	South Delhi (SDMC)	Kalkaji to Andrews Ganj via Greater Kailash
22	Defence Colony, SDMC, Delhi	Bhisma Pitamah Marg(Both Sides)
23	South East Delhi(SDMC)	Batla House Market, Near By Area
24	South Delhi	Moolchand to Pushpabhawan(Both sides of the road)
25	NH-8	NH8 (Dhaula Kuan to Rajokri), Both Sides
26	South Delhi	AIIMS to Ashram on Ring Road (Both Side)

ANNEXURE XII: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY, GNCTD

GOVT. OF NCT OF DELHI

DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY

9TH LEVEL, 'B' WING, DELHI SECRETARIAT,

NEW DELHI – 110002.

From: **munish** <munish.sharma@semt.gov.in>
Date: Fri, Apr 9, 2021 at 3:47 PM
Subject: MPD - 2041 - Draft Report
To: <leenu.sahgal91@dda.gov.in>, <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, <hitender.bharti98@dda.gov.in>, <lsharma@niua.org>
Cc: PRINCE DHAWAN IAS <prince.dhawan@ias.nic.in>, Santulan Chaubey <santulan@gov.in>, <secyit@nic.in>

Dear Sir / Ma'am,

Please find attached the draft report from IT department on MPD 2041. The proposal has gone to Hon'ble Minister for seeking approval.

Regards

Munish Sharma

IT Department, GNCTD, SeMT.

MPD 2041_final 9.4.2021-SS_ver3.pdf
394K

From: **munish** <munish.sharma@semt.gov.in>
Date: Fri, 9 Apr, 2021, 21:59
Subject: RE: MPD - 2041 - Draft Report
To: <lsharma@niua.org>
Cc: leenu sahgal <leenu.sahgal91@dda.gov.in>, Manisha Gupta <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, hitender kumar bharti <hitender.bharti98@dda.gov.in>, PRINCE DHAWAN IAS <prince.dhawan@ias.nic.in>, Santulan Chaubey <santulan@gov.in>, Amit Singla <secyit@nic.in>, <bjohn@niua.org>, <ktiwari@niua.org>, <nrajadhyaksha@niua.org>

Dear Lovesh ,

We got the approval from Hon'ble Minister , no change. For your info please.

Regards

Munish

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY, GNCTD

Perspective plan for making Delhi digitally enabled as per National Digital Policy:

1. Creating a Robust Digital Communication Infrastructure

- Provide Universal broadband connectivity at 1Gbps to every citizen
- Enable fixed line broadband access to 100% of households
- Achieve 'unique mobile subscriber density' of 100% by 2041
- Enable deployment of public Wi-Fi Hotspots; to reach
- Ensure connectivity to all uncovered areas

2. Implementing a 'Fibre First Initiative' to take fibre to the home, to enterprises and to key development institutions e.g. schools, colleges, hospitals.

- Promoting collaboration models involving state, local bodies and private sector as necessary for provision of shared duct infrastructure in municipalities, rural areas and national highways.
- Facilitating Fibre-to-the-tower programme to enable fiberisation of 100% of telecom towers thereby accelerating migration to 4GB/5GB.
- Incentivising and promoting fibre connectivity for all new development construction.

3. Establishment of a GNCTD Digital Grid:

- Establishing Common service ducts and utility corridors in GNCTD and highway road projects, and related elements.
- Facilitating development of Open Access Next Generation Networks

4. Ensuring a holistic and harmonised approach for harnessing Emerging Technologies

- Synergising deployment and adoption of new and emerging technologies by:
  - i. Creating a roadmap for emerging technologies and its use in the communications sector, such as 5G, Artificial Intelligence, Robotics, Internet of Things, Cloud Computing and M2M.
  - ii. Simplifying licensing and regulatory frameworks whilst ensuring appropriate security frameworks for IoT/M2M/future services and network elements incorporating international best practices.
  - iii. Earmarking adequate licensed and unlicensed spectrum for IoT / M2M services
- Enabling Hi-speed internet, Internet of Things and M2M by rollout of 5G technologies.
- Establishing GNCTD as a hub for cloud computing, content hosting and delivery, and data communication systems and services.
- Leveraging Artificial Intelligence and Big Data in a synchronized and effective manner to enhance the overall quality of service, spectrum management, network security and reliability.
- Information provided in the plan enclosed Establishing Centres of Excellence including in Spectrum Management, Telecom Security and Next Generation Access Technologies.

5. **Promoting Start-ups and SMEs:**

- Supporting Start-ups with various fiscal and non-fiscal benefits, including:
- Academic collaborations, permissions for pilots and testing, concessions on imported software, mentoring support etc.
- Promoting participation of Start-ups and SMEs in government procurement
- Funding pilot deployments through USOF

6. **Setting up of virtual schools:** Govt. of NCT of Delhi will set up virtual schools to provide another channel to the public to pursue with getting education and skills in a formal virtual schooling.

7. **Digital Delivery of Government Services:** Government of NCT of Delhi will provide all its Government services to the citizens online as well as through mobile. The delivery of these services will be through secured Digi-Locker system. The citizen will use either web portal or UMANG platform to get the Government services.

8. **Promotion of IT/ITES:** Government of NCT of Delhi has already announced its policy to remove polluting industries from Delhi. Delhi Government will promote clean environment industries like IT and IT enabled services in Delhi.

9. **Plans for provision of Public Wi Fi:** In the current Wi Fi schemes of providing free wi-fi to the citizens of Delhi rental model is adopted. In this scheme all the bus stops (about 4000 in Nos) are covered. The data limit per user is 15 GB per month. By 2041, GNCTD, Delhi can plan to cover all the area with Wi Fi. This includes the Wi Fi access in all public vehicle and public place including schools, colleges, hospitals etc. The bandwidth at WiFi, Hotspots can go up to the speed of 1 GBPS per user. All the security concern should be taken care while planning the complete Wi Fi network for GNCTD. Smart Poles is the way forward to accelerate the growth.

10. Key infrastructure or special projects identified during the plan period, along with details of projects and their timelines:

- **A digitally enabled and connected city:** Delhi shall need adequate infrastructure provisions to support the advent of higher service levels like network of 5G and above, full city fibre coverage, further integration of city's digital systems with loTs (Internet of Things), Artificial Intelligence (Al), Cloud Computing and Big Data etc. The highly equipped and digitally smart unified command and control centres set up by the local bodies can be the key drivers for effective urban management of Delhi.
- With increased level of digitalization, data centres may be setup to meet the need for data storage, server management, etc. Such data centres may be developed by public and/or private agencies and can come up in industrial land use as per provisioned
- Connectivity through fibre-optics is considered to be more efficient in terms of internet speed and reliability of services, "Fibre First Initiative" of NDCP 2018 and regulations of ROW Policy 2016 will facilitate augmentation of telecom infrastructure. Implementation of optic fibre shall be through collaborative models involving state government, local bodies and private sector as required for provision of shared telecommunication infrastructure.

- Smart poles may be installed in public areas, comprising of CCTV cameras, air pollution monitoring sensors, telecom antenna, Wi-Fi hotspots/ microcells, solar lighting, public address and messaging systems, emergency call box etc., which in turn shall be connected to the digital systems of various city agencies.

11. Back-up plan for connectivity during emergencies/ disasters

Developing a comprehensive plan for network preparedness, disaster response relief restoration and reconstruction

- Strengthening network resilience by:

  i. Framing and enforcing standard operating procedures to be followed during disasters and natural calamities, including sectoral guidelines for disaster response and recovery applicable to various service providers.

- Developing a Unified Emergency Response Mechanism by:

  ii. Creating an institutional framework with clearly defined roles and responsibilities,

  Standard Operating Procedures and technical guidelines

  iii. Enforcing obligations of service providers to share infrastructure, and ensure interoperability in emergency situations in a network-agnostic, operator – agnostic and technology-agnostic manner.

दिल्ली मुख्य योजना-2041 का ड्राफ्ट पाठ दस्तावेज और भूमि उपयोग प्लान उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में रिसेप्शन डेस्क विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 पर उपलब्ध रहेगा। यह निम्नलिखित लिंक अर्थात् https://dda.org.in/hotlinks.aspx पर भी उपलब्ध रहेगा।

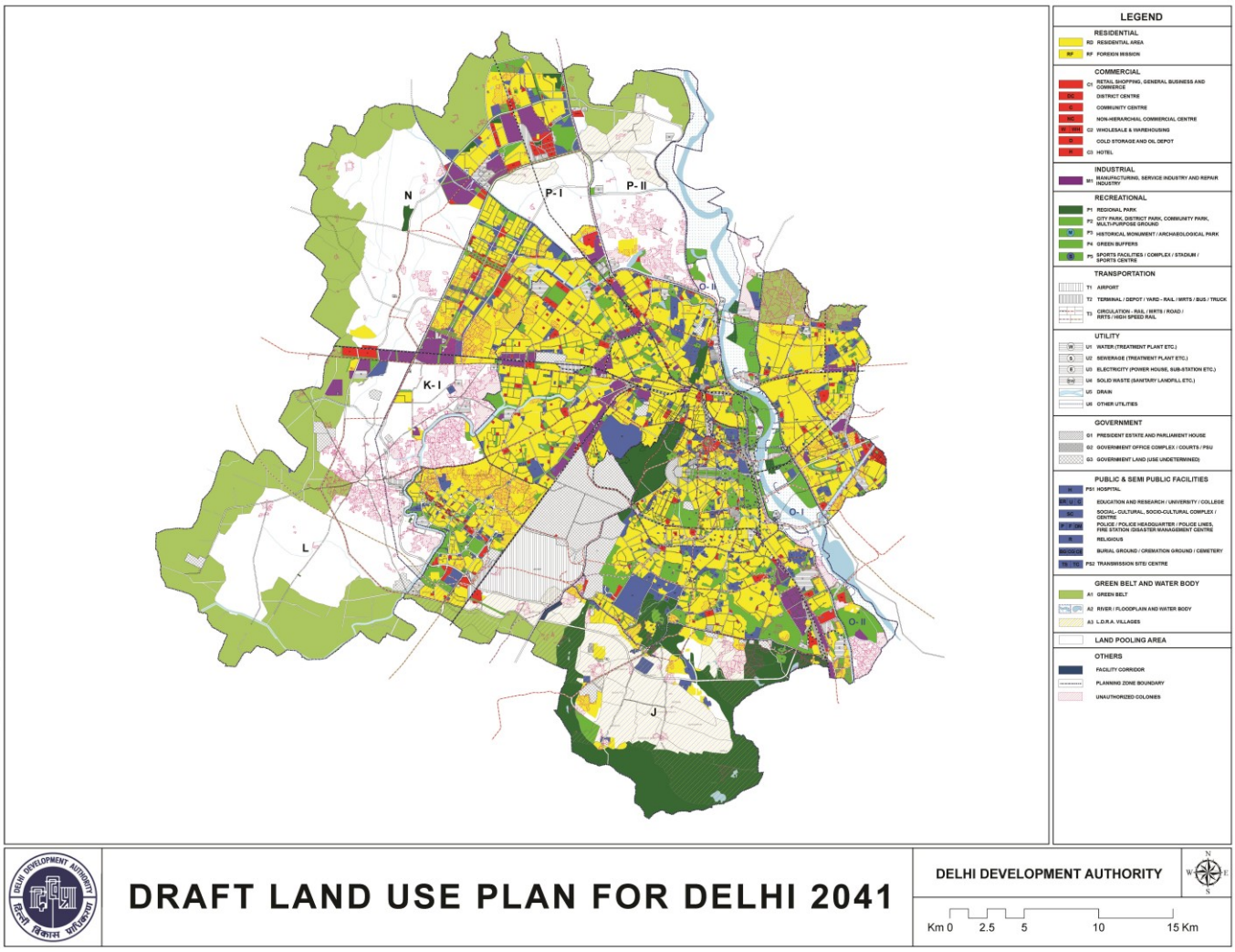
N
P- I
P- II
O- II
K- I
L
O- I
O- II
J
LEGEND
RESIDENTIAL
RD RESIDENTIAL AREA
RF FOREIGN MISSION
COMMERCIAL
C1 RETAIL SHOPPING, GENERAL BUSINESS AND COMMERCE
CC DISTRICT CENTRE
C COMMUNITY CENTRE
NC NON-HIERARCHIAL COMMERCIAL CENTRE
W / WH C2 WHOLESALE & WAREHOUSING
O COLD STORAGE AND OIL DEPOT
H C3 HOTEL
INDUSTRIAL
M1 MANUFACTURING, SERVICE INDUSTRY AND REPAIR INDUSTRY
RECREATIONAL
P1 REGIONAL PARK
P2 CITY PARK, DISTRICT PARK, COMMUNITY PARK, MULTI-PURPOSE GROUND
P3 HISTORICAL MONUMENT / ARCHAEOLOGICAL PARK
P4 GREEN BUFFERS
P5 SPORTS FACILITIES / COMPLEX / STADIUM / SPORTS CENTRE
TRANSPORTATION
T1 AIRPORT
T2 TERMINAL / DEPOT / YARD - RAIL / MRTS / BUS / TRUCK
T3 CIRCULATION - RAIL / MRTS / ROAD / RRTS / HIGH SPEED RAIL
UTILITY
U1 WATER (TREATMENT PLANT ETC.)
U2 SEWERAGE (TREATMENT PLANT ETC.)
U3 ELECTRICITY (POWER HOUSE, SUB-STATION ETC.)
U4 SOLID WASTE (SANITARY LANDFILL ETC.)
U5 DRAIN
U6 OTHER UTILITIES
GOVERNMENT
G1 PRESIDENT ESTATE AND PARLIAMENT HOUSE
G2 GOVERNMENT OFFICE COMPLEX / COURTS / PSU
G3 GOVERNMENT LAND (USE UNDETERMINED)
PUBLIC & SEMI PUBLIC FACILITIES
H PS1 HOSPITAL
E / U / S EDUCATION AND RESEARCH / UNIVERSITY / COLLEGE
SC SOCIAL - CULTURAL, SOCIO-CULTURAL COMPLEX / CENTRE
P / F / DM POLICE / POLICE HEADQUARTER / POLICE LINES, FIRE STATION /DISASTER MANAGEMENT CENTRE
R RELIGIOUS
BG / CG BURIAL GROUND / CREMATION GROUND / CEMETERY
TS / TO PS2 TRANSMISSION SITE/ CENTRE
GREEN BELT AND WATER BODY
A1 GREEN BELT
A2 RIVER / FLOODPLAIN AND WATER BODY
A3 L.D.R.A. VILLAGES
LAND POOLING AREA
OTHERS
FACILITY CORRIDOR
PLANNING ZONE BOUNDARY
UNAUTHORIZED COLONIES
DRAFT LAND USE PLAN FOR DELHI 2041
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
N
W
E
S
Km 0 2.5 5 10 15 Km

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(**Master Plan Section**)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2189(E).—The following extensive modifications which the Central Government/ Delhi Development Authority proposes to make to the Master Plan for Delhi (MPD) keeping in view the perspective for the year 2041 as Master Plan for Delhi-2041 (MPD-2041), under Section 11-A of DD Act 1957, is hereby published for public information. Any person having any objections/ suggestions with respect to the Draft MPD-2041 may send the objections/ suggestions via web portal: http://online.dda.org.in/MPD2041 or in writing to the Commissioner- cum- Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi- 110023 within a period of **Forty-Five (45) days** from the date of issue of this notice. The person making the objections or suggestions should give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

About MPD-2041

The Master Plan for Delhi is one of the key instruments that facilitates Delhi's development by assessing the present condition and guiding how to achieve the desired development. The anchor agency for the master plan is the Delhi Development Authority. Implementation of the Plan is the collective responsibility of all agencies involved in the development of Delhi, including the Central Government, concerned departments of the Government of the NCT of Delhi, service providers, landowning agencies, regulators, and local bodies among others.

The first Master Plan for Delhi was promulgated in 1962 under the Delhi Development Act of 1957, followed by the Master Plans of 2001 and 2021, each of which is an extensive modification of the respective previous plan document. These plans were prepared for
20 years' perspective periods and provided a holistic framework for planned development of Delhi.

The **MPD-2041** is a 'strategic' and 'enabling' framework to guide future growth of the city, built upon the lessons learnt from the implementation of the previous plans.

Structure of MPD 2041 document

The Plan document has been structured to enable sharing in the public domain via multiple media and provide the flexibility of adding or modifying the document. Each chapter has been assigned a code for ease of cross-referencing across the document; for
e.g. HCP – 1 represents the chapter titled 'Managing public spaces better'. The Plan comprises of two volumes as given below:

- **Volume 1: Vision 2041 and Enabling Policy Framework** comprises of an

introduction providing an overview of Delhi in present times, its global and regional positioning, estimates of population and various other projections for 2041. The Vision, Goals and Objectives of MPD-2041 are given in this Volume. Further, the volume contains six sections covering major policies of Environment, Economy (covers Trades & Commerce wholesale trade, industry and Government offices), Transport and Mobility, Heritage, Culture and Public Spaces, Shelter and Social Infrastructure and Physical Infrastructure.

- **Volume 2: Spatial Development Strategy and Action Plan** is divided into three sections. The first section contains all major strategies and detailed provisions, specific norms for guiding future spatial development of Delhi, covering both green field and brown field development in the city (land pooling area, green development area, regeneration of planned and unplanned areas, transit-oriented development, strategic regeneration etc.).

- The second section provides the Plan Monitoring and Evaluation Framework for the Master Plan with key performance indicators to monitor progress including an implementation framework for facilitating periodic review and course correction. The third section comprises of detailed development control norms and urban design guidelines for different types of development.

NOTE:

*Any new development/ projects/ reconstruction/ addition/ alteration etc. that come up after the notification of **MPD- 2041** shall follow policies and norms of the same. Any ongoing projects (under construction) at the time of notification shall be permitted as per norms of the previous plan i.e. MPD-2021. Projects yet to start construction will revise their plans as per the Master Plan in force, and will be given necessary time required for this.*

The following are in the public domain and public objections and suggestions have been invited. Any subsequent amendments to these will be suitably incorporated in MPD-2041.

- *Policy for Green Development Area*
- *Norms for Unauthorised Colonies*
- *Norms for parking*

TABLE OF CONTENTS

VOLUME 1

Introduction

1. **Delhi Vision 2041** (V1)

Section 1: Environment

2. Addressing pollution and climate change (ENV1)
3. Enhancing Green-Blue Infrastructure (ENV2)

Section 2: Economy

4. Places of economic production (ECO)

Section 3: Heritage, Culture & Public Spaces

5. Managing public spaces better (HCP1)
6. Managing Delhi's heritage (HCP2)

Section 4: Shelter & Social Infrastructure

7. Strategizing Shelter (SSI1)
8. Provision of Social Infrastructure (SSI2)

Section 5: Transport & Mobility

9. Improving connectivity and transport infrastructure (MOB1)
10. Shifting to shared mobility (MOB2)
11. Making Delhi walkable and cyclable (MOB3)
12. Managing parking in Delhi (MOB4)

Section 6: Physical Infrastructure

13. Making Delhi water secure: water, wastewater and drainage (INF1)
14. Managing solid waste efficiently (INF2)
15. Provision of power, gas, telecom and digital infrastructure (INF3)
16. Disaster preparedness & resilience (INF4)

VOLUME 2

Section 7: Spatial Development Framework

17. Development of new areas through Land Pooling (DEV1)
18. Development within Green Development Area (DEV2)
19. Urban Regeneration (DEV3)
20. Transit-oriented Development (DEV4)

Section 8: Plan Monitoring and Evaluation

21. Monitoring Framework (PME)

Section 9: Development Code & Development Control Norms

22. Development Control Norms (DCN)

List of Abbreviations
Definitions
Annexures

VOLUME 1

VISION 2041AND ENABLING POLICY FRAMEWORK

INTRODUCTION

The release of the Master Plan for Delhi- 2041 coincides with the 75th year of India's Independence. India is poised to become the third largest economy in the world by 2050 and its growth trajectory is increasingly being defined by cities that contribute 60 per cent of the GDP. The Government has increased the focus on urban development by embarking upon a comprehensive programme for planned urban development in 2014, designed to bring about a transformative change in the lives of people with inclusive, participative and sustainable approach.

A number of National Urban Missions have been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA). The focus areas cover almost the entire range of urban issues in Indian cities such as housing, urban services, environment and climate change, smart development, mobility, waste management, heritage, digital enabling and water security among others. In addition to this, the Government of India has come up with a number of standards, norms, model policies and frameworks that can be adopted and contextualised by cities to assess and monitor their situation in various sectors, such as, 'Ease of Living Index' or the 'Climate Smart Cities Assessment Framework'. There is special thrust on urban regeneration especially of unplanned and unsafe areas and people's health and livelihood.

Delhi has always been the showcase city in India, inspiring policies and projects in towns and cities across the country. MPD-2041 is closely aligned with the national level urban policies, and will play a major role in structuring the urban narrative in the coming years. Delhi is the seed-bed of new ideas and will continue to be the beacon of growth, a face of the 'new urban India'. Strategies of the Plan have been based on learnings from across the country with respect to implementation of various projects and schemes.

Delhi's global and regional positioning: Delhi is a globally competitive, thriving urban centre as well as a historic world city with unparalleled cultural wealth. As the

capital of India, it is the seat of the National Government and at the same time functions as a union territory with a special status designated as the National Capital Territory of Delhi. The National Capital Territory of Delhi comprises of multiple local bodies that operate in separate jurisdictions. While, this unique governance structure leads to institutional complexity and challenges of multi-agency coordination, it also accords the city an unrivalled Regional, National and Global importance.

Delhi is quite prominent and one of the fastest growing megacities in the world, and according to international studies, it is the second highest performer and the fastest growing economy in Asia-Pacific. Delhi is also one of the leading start-up ecosystems in the world. It is one of the most important trade centres in India and Asia and the biggest and busiest logistics and trade hub in North India. Delhi needs to build on this potential and address issues such as pollution, degraded built environment, congestion, lack of safety and disparate living conditions, which are a threat to its market potential and global attractiveness.

Delhi is also considered among great historic cities of the world where buildings and monuments, including three world heritage sites and a living Walled City, which is a part of the Central Business District. Additionally, Delhi is one of the greenest cities in Asia and a river city, located on the banks of Yamuna. Delhi is well-endowed in terms of built and natural heritage, and given its unique assets, its potential as a global cultural hub needs to be explored.

Delhi lies at the heart of the National Capital Region (NCR) (approx. 55,083 sq.km. in area), surrounded by four important cities from the states of Uttar Pradesh and Haryana. This urban agglomeration acts as the consumption and distribution centre for North India, accounting for 7-8% of the national GDP, with Delhi's contribution being more than 50%. Investments in the region grew by 95% in 2019. Delhi is the key redistribution centre due to the seamless connectivity and robust infrastructure. In future, functions of distribution and re-distribution may migrate from Delhi to the upcoming dedicated freight corridors and nodes. However, Delhi will retain its economic prominence as a front for business, trade and digital logistics, and as the primary driver of the regional economy.

The central NCR (CNCR) functions as a single socio-economic unit. It comprises mainly of Delhi, Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad and Noida that demonstrate strong interdependencies with each other. Delhi Metro serves the entire CNCR and has a large share of inter-city trips and the upcoming regional rapid rail will further blur the city boundaries. With such strong connectivity, distance is no more a major factor for people in the NCR for deciding locations of work and home. Delhi needs to plan for its own future role as a city that offers a spectrum of choices for recreation, work, residence or short stay options. This can be done by developing Delhi's unique as well as niche assets and qualities to enhance its attractiveness as a global cultural and economic hub.

The NCT of Delhi is the largest city in the country in terms of area, spread across approximately 1486.5 sq.km. It comprises 367 villages, most of which are declared as urban. There are 11 districts, 33 tehsils/sub-divisions, 272 wards and five local bodies handling civic administration *viz.* North DMC, South DMC, East DMC, New Delhi Municipal Council and the Cantonment Board. Delhi is divided into 18 Planning Zones for ease of planning and management.

Delhi's demographic profile, population projections and development needs: Delhi is a highly preferred city in terms of employment, higher education and residence. The population of Delhi has grown at a high rate for the past seven decades. According to the Census of India, 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-1991, 1991-01 and 2001-11, NCT
Delhi recorded decadal growth rates of 52.44%, 52.91%, 52.98%, 51.45%, 47.03% and 21.20%, respectively. The growth rate has dropped in the last two decades both in terms of natural growth and migration. However, in absolute numbers, NCT Delhi accounts for about 1.39% of India's population and is one of the most populous cities in the world.

Delhi is a multi-cultural, cosmopolitan city with second largest in-migration in the country. Census 2011 recorded nearly 2.26 million migrants who had been residing in Delhi for a duration of 0-9 years. However, over the last decade (2001-11), the total migration into Delhi has reduced. The Economic Survey Report (2018-19) ascertains that substantial migration was from neighbouring states and the development of Gurgaon, Faridabad, Sonipat, Noida, Ghaziabad, etc., and employment promotion programmes by respective state governments have contributed to reduction of migration to Delhi. However, the absolute number of migrants is quite high and a comprehensive

understanding of their profile, purpose and duration for migration is critical to provision of housing, facilities and employment options.

Delhi experienced a high surge of population right after the independence and partition of India. In addition to the original residents of the city, many families established base in Delhi and many others migrated here for government jobs and other opportunities over time. Presently, a large proportion of Delhi's population has some roots here, comprising an entire generation that was born and brought up here. As per the Economic Survey of Delhi 2019-20, 30.3% of the population is from the age group of 15-30 years, making Delhi one of the cities with the highest young population in the world. With a high literacy rate (86.2%), Delhi also has a large educated workforce with about 1.1 million people between 15-59 years of age (2011). This highlights the need for opportunities and spaces for education, skilling and employment for youth as an imperative for talent retention and to create a skilled workforce for the city and the country.

Delhi's overall sex ratio and child sex ratio are below the national average although both have shown improvement since the last decade. While the share of population of women in the working age has increased since the last decade, the female labour participation rate is just 14.3%, five times lower than male workforce. The city has to focus on facilitating more women to join the workforce by providing safe and gender-friendly streets, public spaces and workplaces with adequate childcare facilities. It can be expected that financially independent women becoming a norm in Delhi may help improve the sex ratio, albeit indirectly.

Close to 30% of Delhi's population comprises of children and young people of 0-18 years age group indicating the need for Delhi to become a more child friendly city. Globally, holistic early development of children is considered paramount as an indicator of good quality of life, pertinent for children to grow up to be healthy and

productive adults. It is thus imperative to provide infrastructure for children of all age groups and abilities in the city.

Delhi is highly urbanised. More than 97% of the population was urban in 2011 as compared to 53% in 1901. Presently, most people reside and work largely in the central, eastern, southern and north to central parts of the city. In the plan period 2021-41, the western and northern periphery of the city is slated for large-scale development. The density of the population has increased from 6352 persons per sq.km. in 1991 to 11,320 persons per sq.km. in 2011. Densities vary across the city and low density pockets are juxtaposed with highly dense unplanned areas, requiring a nuanced policy for regeneration in the city.

Delhi's population in 2041 is estimated at 30.9 million, 29.1 million and 27.8 million as per the high, medium and low growth scenarios respectively, based on growth assumptions across various parameters. Accounting for the decline in rate of growth in the last two decades, the medium growth scenario (29.1 million) has been adopted as the most likely estimate. This may need recalibration when the Census is updated. Table 1 shows five-yearly growth projections:

Five-year growth projections for Delhi

Year	**Male** (in million)	**Female** (in million)	**Total** (in million)
2021 (base year)	11	9.5	20.6
2026	12.2	10.4	22.6
2031	13.4	11.4	24.8
2036	14.6	12.3	26.9
2041	15.9	13.3	29.2

Two important shifts are likely in the demographic profile of the city. A significant increase is projected in the proportion of persons of working age (age group-25-60 years), indicating the need to create adequate employment opportunities and to harness the potential economic benefits presented by this demographic dividend. The analysis also indicates increase in the proportion of persons in the age group of 60 years and above. This, signals the need for specific provisions for the elderly in the Plan.

The previous Plan had estimated that 50% of the population increase would be due to migration. The growing needs of existing population and high land values have led to the growth of unplanned settlements in the city. Migration is estimated to contribute 41% of the population increase during the present plan period, highlighting the need for introducing new housing types that cater to the needs of different income groups and tenure requirements.

Baseline assessment for Delhi: In order to establish the present situation and assess gaps under various sectors, an extensive baselining exercise was conducted for MPD- 2041, involving all the relevant stakeholder agencies. Data was collated from primary and secondary sources and studies were conducted for transport,

accessibility, economy, heritage and unplanned settlements. About 200 experts contributed inputs towards different sectors and aspects of development in Delhi. All core agencies and departments of the central, state and local governments were involved in the baseline exercise. The baseline along with background studies and detailed analysis of trends and strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) brought to the fore key concerns regarding the city. These were corroborated by views received from citizens, stakeholders and experts who participated in public consultations and focussed group discussions held during plan preparation.

The opinions, views and aspirations of the people of Delhi were garnered through continuous engagement during the preparation of the Plan by partnering with CSOs, RWA federations, market associations, professional bodies, public campaigns etc., as well as through direct interaction with people. Dedicated online public consultations were held from September-November 2020, including sessions with youth, persons with disabilities, professionals, NGOs working on gender issues, people living in unauthorised colonies and slums, traders, industry representatives etc. A citywide outreach was attempted through these consultations, focussed group discussions, online web portal and social media, wherein over 5000 vision statements were received from the participants.

As part of the baseline, a review of the previous master plans was carried out to trace the trajectory of Delhi's development. MPD-2021 was reviewed in detail in order to extract lessons from its implementation. The Master Plan for 2021 recognized the need to facilitate participation of private sector in the development process in order to overcome challenges associated with land acquisition and improve efficiencies of land consolidation and development. It also introduced several new principles such as pooling of land, mix-use development, transit-oriented development, etc. MPD 2041 builds upon these innovative paradigms of the previous plan and introduces relevant policies to evolve a 'strategic' and 'enabling' framework that can nurture the future growth of the city.

Delhi, like most megacities of its size, has its potential and opportunities offset by issues of unsustainable urban form, degradation of built environment, mismatch between land use and transportation leading to unsustainable mobility patterns, proliferation of unplanned development, differential access to civic services across space and class, and a growth pattern that is in disharmony with the natural environment. The 2041 planning framework endeavours to address these issues in a holistic manner, build on Delhi's inherent strengths and harness opportunities to realise the real potential of the city. Some of the key focus areas that emerged from the baselining and public consultation exercises as well as from analysis of projections for population, resource availability and economic growth, are as follows:

Key focus areas for the Master Plan

i. **Environment:** The city is quite green but these greens are inequitably distributed. The quality of greens also needs to be improved at many places. Moreover, Delhi suffers from consistently high levels of air, water and noise pollution. The Yamuna is also severely polluted. This is not only threatening the environmental assets and local biodiversity, but also the health of citizens.

ii. **Water:** Delhi is a water scarce city and yet, the resource gets wasted due to systemic losses, lack of a conservation and reuse strategy. This has serious implications on growth prospects of Delhi as well as the basic need of water for day-to-day activities.

iii. **Critical resources:** Delhi's consumption of power and generation of waste need to be reduced, both of which are one of the highest in the country. Existing efforts towards recycling of waste and shift to renewable energy have to be mainstreamed.

iv. **Mobility:** There is availability of good quality public transport but the city has large number of private vehicles leading to congestion, unorganised parking, air pollution, etc. Last mile connectivity and infrastructure for walking and cycling to be provided for improving the mobility of citizens especially for persons with disabilities, the elderly and children.

v. **Housing:** High land prices in the city have resulted in a mismatch between housing needs and housing supply. A large part of Delhi is unplanned with unauthorized colonies that fulfil the housing need by providing lesser expensive options of owned as well as rental housing. Due to poor quality construction and high built densities, these developments are unsafe. There is a requirement for different typologies and tenures of housing.

vi. **Built environment and public spaces:** Facilities and open spaces in the city have become inadequate with steady growth in population. The existing built stock in many areas is old and dilapidated. Public spaces have to be made universally accessible and safer. Therefore, there is a requirement of regeneration as well as strategic interventions to unlock latent potential of certain areas in the city.

vii. **Heritage assets:** Delhi is a cultural capital and has a large number of heritage assets. Preservation of assets and their adaptive reuse are to be promoted for preventing degradation and loss of historic assets and fabric.

viii. **Vulnerability:** Delhi falls in seismic zone four and is under high risk of earthquake incidents of fire outbreaks and flooding. High built densities, poor quality and age of built stock further increases the vulnerability. The COVID-19 pandemic brought into focus the need to create self-contained and mixed-use areas with decentralised infrastructure.

ix. **Economic potential:** Delhi has to fully realise its niche role and potential as an economic hub. Specialty health and higher education are focus areas. Cleaner production, start-ups, innovation and cyber economies have to be promoted by providing a variety of flexible and shared spaces to entrepreneurs in addition to opportunities and good working conditions. Niche sectors such as specialty health, higher education, tourism and MICE, modern logistics and specialized trade also need to be promoted.

x. **Monitoring and evaluation:** A common database need to be established at city level with multi-agency coordination and an integrated monitoring protocol needs

to be set up. This will help monitor progress of the city and different sectors. This is imperative for the city and the Plan to enable periodic evaluation of progress and become adaptable to change and course correction. All agencies and stakeholders need to converge efforts to achieve good quality development.

--- x --- x ---- x --- x ---

1.0 DELHI VISION 2041

1.1 Vision 2041

1.1.1 The vision is to **"Foster a Sustainable, Liveable and Vibrant Delhi"**

1.1.2 The following Goals will be pursued over the Plan period:

1.1.2.1 **Goal 1 (G1):** Become an environmentally sustainable city that provides a healthy environment for its citizens and is adaptable towards addressing impacts of climate change.

1.1.2.2 **Goal 2 (G2):** Develop a future-ready city that offers good quality, affordableand safe living environment with efficient mobility systems.

1.1.2.3 **Goal 3 (G3):** Emerge as a dynamic place for economic, creative and culturaldevelopment.

1.1.3 The Plan also acknowledges diversity and works towards creating an inclusive citythat facilitates accessibility and opportunity for all.

1.2 Objectives for 2041

1.2.1 The Vision and Goals will be achieved through 6 objectives:

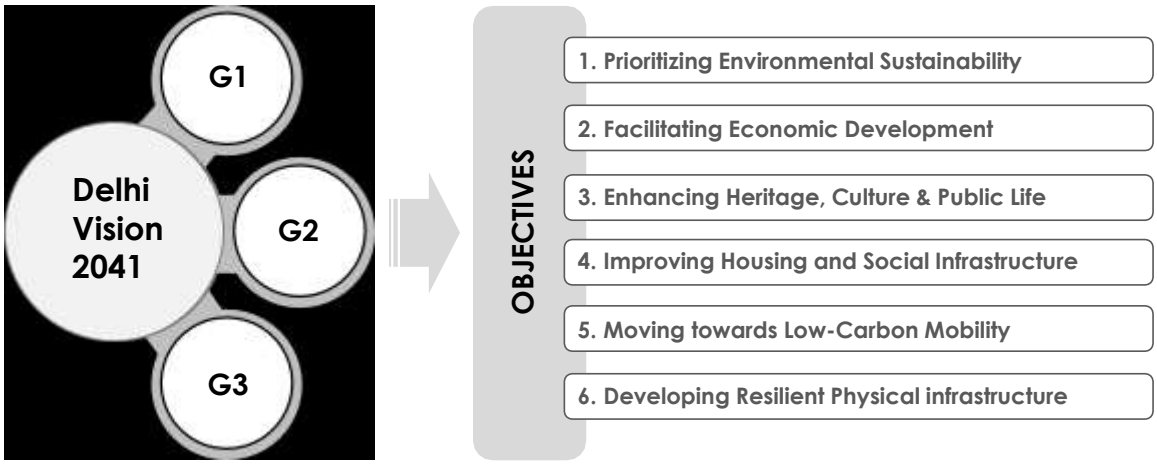

1.2.1.1 **Objective 1: Prioritizing Environmental Sustainability –**To prioritize

environmental concerns for the development of Delhi and focus on rejuvenation of natural assets, reducing pollution, greening of built environments, supporting green economies like urban farming, and creating a diverse portfolio of natural and planned open spaces.

1.2.1.2 **Objective 2: Facilitating Economic Development –**To promote clean economies, facilitate a unique economic role for Delhi while ensuring symbiotic linkages with NCR, improve the overall investment climate and support a variety of work and workspace typologies.

1.2.1.3 **Objective 3: Enhancing Heritage, Culture and Public Life–** To protect and enhance heritage and cultural fabric, build strong economic linkages and create opportunities for cultural experience, tourism and active publiclife.

1.2.1.4 **Objective 4: Improving Housing and Social Infrastructure –** To meet a variety of housing demands across different income groups and typologies, promote regeneration of older built fabric, fulfil demands for social infrastructure in dense areas of the city, and foster walkable mix-use neighbourhoods.

1.2.1.5 **Objective 5: Moving Towards Low-Carbon Mobility –**To encourage modal shift in favour of public and shared modes of transport, bring homesand jobs closer to mass transit, reduce vehicular congestion and provide efficient, affordable and green mobility options.

1.2.1.6 **Objective 6: Developing Resilient Physical Infrastructure –**To promote a sustainable approach towards use of resources like water and energy, facilitate adequate and uninterrupted services so that the city is ready in terms of digital infrastructure and resilience to shocks and disasters.

1.2.2 This forms the Enabling Policy Framework for the Master Plan. A distinct policy area is established for each of the 6 objectives for preparing development strategies. All policies, spatial development strategies and development control norms of the Master plan are designed to provide incentives/tools, regulatory provisions and guidance frameworks.

1.2.3 A summary of the key features included in MPD 41 for achieving the 6 objectives is given below:

Table 1.0: Key features of MPD 2041

Group	Feature	Chapter reference
Environment (Objective 1)	Comprehensive framework to treat green and blue assets (natural and planned) as green-blue infrastructureto facilitate better continuum and strategies for tackling pollution	ENV1, ENV2
	Protection and enhancement of natural assets with public interface	ENV2

	New city-level assets - greenways along natural drains, repurposing underutilised sites and wastelands as green-blue assets	ENV2
	Greening of plots/buildings and introduction to Green-Blue Factor (GBF) for plan approval	ENV2
	Improvement of parks and provision for special abilities parks	ENV2
	Dedicated Green Development Area for incentivizing large-scale implementation of green economies, clean energy generation and promoting green developments.	ENV2, DEV2
Economy (Objective 2)	Incentives for setting up clean economies	ECO
	Support for conversion of strategic industrial estates and District Centres into specialized clusters of knowledge, finance, services, culture or creative industries	ECO
	Facilitative norms for ancillary facilities like serviced apartments, working women's hostels, start-up hubs, shared workspaces, e-commerce, etc.	ECO
	Modernization of work centres through regeneration incentives	ECO, DEV3
	Promoting entry points of the city as hubs of hospitality, logistics and freight, health and education hubs	ECO
	Support for unorganised economies including waste workers, household industry, street vending, etc.	ECO
Heritage, culture and public life (Objective 3)	Identification of culturally significant areas in the form of heritage zones, archaeological parks and cultural precincts	HCP2
	Provisions for preservation, regeneration and adaptive reuse within identified zones and cultural precincts	HCP2
	Introduction of Heritage TDR	HCP2
	Implementation of active frontage, squares and plazas, street improvement, walkable plans for public spaces and safety	HCP1
Shelter and Social Infrastructure (Objective 4)	Regeneration of planned and unplanned areas	SSI1, DEV3
	Promotion of rental, small format and affordable housing (particularly close to mass transit)	SSI1
	Provision of, condominiums, hostels, student housing, worker housing, etc. close to work or education centres	SSI1
	Simplification of norms and categories for social infrastructure allowing for new uses and needs that may emerge. Mix use, vertical mixing and multi facility plots for improving availability and access	SSI2
	Introduction of tools like Amenities FAR and reduced norms to improve availability of facilities in dense areas	SSI2, DEV3

Mobility (Objective 5)	Unified institutional framework for mobility management	MOB1
	Transit-oriented development aligned with mass transit	MOB2, DEV4
	Identification of strategic mobility corridors.	MOB1
	Focus on improving walking and cycling.	MOB3
	Encouraging mainstreaming electric vehicles and other green mobility options	MOB1
	Variable parking norms linked to availability of public transport, earmarking space for electric vehicles, parking and parking management	MOB4
	Multi-modal integration (including development of multi-modal hubs) and facilitation of first and last mile connectivity	MOB2 , MOB3
Physical infrastructure (Objective 6)	Integrated water resource management (combined policy for water supply, wastewater management and storm water management) for long term water security	INF1
	Rationalisation of supply norms for water	INF1
	Norms for decentralisation of wastewater treatment, recycling of wastes and maximum reuse of recycled water and solid waste	INF1, INF2
	Production and use of clean energy	INF3
	Provision for community level water harvesting and aquifer recharge facilities	INF1
	Promotion of green buildings	DEV1-4
	Provisions for digital and telecommunication infrastructure	INF3
	Disaster Management (earthquakes, fire and floods)	INF4

1.3 Key directions adopted for MPD-41

1.3.1 To nurture the future growth of the city and facilitate flexibility and ease of implementation of the various policies 5 key directions have been strategized.

1.3.2 **Holistic Spatial Development:** The Plan provides a unified spatial development strategy with variable distribution of densities and FAR based on factors such as proximity to city centre, environmental sensitivity, access to mass transit, and strategic potential as future hubs of living, working, recreation and public life. The proposed development spectrum is given below:

1.3.3

High FAR Mid/High Density	**Mid FAR Mid Density**
Transit-oriented Development Schemes	Development of new areas through land pooling
Central Business District	
Urban Regeneration Schemes for planned	

and unplanned areas	
Restricted Development	**Low FAR Low Density**
Areas under Environmental Protection	Development within areas earmarkedfor Green Development

1.3.4 **Strategic approach to development:** The Plan identifies certain strategic growth centres/corridors where incentives such as higher FAR etc., are provided. This will help target investments to potential hubs of future growth, and minimize the stress on constrained resources like water. Implementation of transferable development rights (TDR) will further complement this approach by concentrating unutilised FAR from various parts of the city within receiving zones/corridors that are strategic and have the required infrastructure.

1.3.5 **Mixed use development for optimal space/land utilisation:** The Plan marks a major shift from mono-functional land use planning to mix use. A built-space based approach has evolved from land-based distribution, allowing for mixing and co-location of compatible uses across the city, including vertical mixing within buildings This will provide the required flexibility for improving availability of facilities within existing areas, thereby ensuring optimal utilisation of land. Mixed use development will also lead to reduction in trip lengths, vibrant and safer public areas.

1.3.6 **Private sector participation in development:** The Plan promotes private sector-led development through joint action of various stakeholders (pooling, amalgamation, joint planning and execution). This is a significant paradigm shift where development of new areas as well as regeneration of older brownfield areas shall be implemented through private initiative.

1.3.7 **KPI-based plan monitoring:** The Plan provides a robust monitoring framework that will facilitate tracking of larger city-level objectives through 20 key performance indicators. This shifts the focus of monitoring from creation of assets to assessment of impacts. For e.g. instead of monitoring number of STPs installed, the Plan will assess the status of pollution in water bodies. This will also enable periodic course correction to realign strategies and actions. (ref: PME)

--- x --- x ---- x --- x ---

SECTION 1

ENVIRONMENT

BACKGROUND AND KEY POLICY CONCERNS

Delhi has a unique environmental landscape. On one hand, it has an abundance and variety of environmental assets in the form of the river Yamuna, the Aravalli Ridge, water bodies, forests etc.; and on the other, it constantly grapples with concerns like environmental degradation and pollution.

Environmental assets – green and blue

The city has made rapid strides in improving the green cover, nearly doubling it in the last two decades approximately from 150 sq.km in 2001 to 300 sq.km in 2017. Presently, it is among the greenest cities in the country with a mix of natural and planned greens. Almost 20% of the land area is under green cover, as per Department of Forests, GNCTD. Based on the categorization of the Indian Forest Act, 1927, Delhi has three kinds of forests. The Ridge is a reserved forest spread over an area of about 7784 Ha that constitutes nearly 5.2% of NCT of Delhi. The Ridge is categorized as a Regional Park in the master plan, permitting very restricted development and activities. The second category is comprised of 26 protected forests, with a total area of about 1658 Ha. Thirdly, 40 unclassified forests (about 1090Ha) are maintained by Department of Forests, GNCTD as 'City Forests'. Additionally, there are more than 18,000 parks and gardens, which enhance the green quotient of the city and take the total area constituting open and green spaces close to 30%. Realizing the need to conserve and protect biodiversity, DDA has also developed seven dedicated biodiversity parks in different areas that serve as a model for conservation of urban biodiversity.

The distribution of green assets is uneven across Delhi, resulting in inequitable access in different areas. There is a need to enhance the quantum of green in certain dense areas where the per capita green is among the lowest in the country. Another area of concern is the quality of greens, as natural green areas are interspersed with invasive and alien species of trees that degrade the land; and therefore, should be replaced with native trees.

Delhi is also well endowed with blue assets. The most significant among these is the River Yamuna that has a historic, cultural, and spiritual connect with the city. The city has more than 4000 natural and constructed drains, out of which, 200 natural drains are spread across three drainage basins of Najafgarh, Trans Yamuna and Barapullah. Delhi also has more than 900 water bodies in the form of lakes, ponds and tanks as per Delhi Parks and Gardens Society. However, the area under blue assets has reduced over the past decade due to encroachment, pollution and natural drying up of water bodies. Rejuvenation of blue assets is one of the key actions required in the city.

Environmental pollution

A major cause of concern for Delhi is the poor air quality index throughout the year. A large fraction of air pollution in Delhi comes from outside its geographic boundaries, implying that regional level action would be necessary. Indigenous (within city) PM2.5 pollution is 26% and 36% during the summer and winter, respectively, out of which 45% is because of dust (Ministry of Heavy Industries

and Public Enterprises). This highlights the need for dust management during construction activities and enhancing dense forest cover. 20% of the total air pollution in Delhi is from the transportation sector. Rest is emissions from households, waste burning, industry and diesel generator sets.

Water pollution in the Yamuna and other water bodies, has resulted in disappearance of aquatic life and disturbed the water ecology. The 22 km stretch of Yamuna from Wazirabad to Okhla in Delhi, which is less than 2% of the river length, accounts for about 70% of the pollution load in the river. Despite being a perennial river, the Yamuna has no fresh water flow downstream of Wazirabad in the dry season. The flow in the river comprises of treated and untreated wastewater flowing through drains that fall into the river.24 major drains including Sahibabad, Shahdara, Indrapuri, and Tehkhand drains that are responsible for most of the polluted outflow in the river, are monitored by DPCC. The strategies for preventing pollution of the river have to consider the floodplains, as encroachment or polluting activity in the flood plains increases the ecological damage and the potential flood hazards.

Noise quality levels are beyond the prescribed limit at all locations monitored by DPCC, both during the day and night. Delhi was ranked the third-noisiest city in the world in 2017 by the Worldwide Hearing Index.

Air, water and noise pollution is monitored regularly at various locations across the city and a number of strategies are being adopted by the government to address pollution, which is impacting public health. A clean, healthy and flourishing natural environment will help to offset the impact of climate change, make the city resilient and provide a more liveable and sustainable habitat to residents.

The legal and institutional framework for environment protection in Delhi is robust with relevant national and state laws & regulations for environment protection. A mix of strategies to be prepared for ensuring strict enforcement of regulations, addressing pollution, enhancing Delhi's green-blue quotient in terms of quantity, quality and accessibility create an enabling environment for protecting and nurturing the rich and diverse ecological heritage of Delhi.

This Section comprises of the following chapters:

ENV1: Addressing Pollution and Climate Change
ENV2: Enhancing Green Blue Infrastructure

2.0 ADDRESSING POLLUTION AND CLIMATE CHANGE

Chapter code
ENV1

2.1.1 Air and water pollution have a large geographical footprint. Multi-state efforts are required for addressing these issues comprehensively. Within the NCR, it will be critical for the member states to follow directions of the

Regional Plan and the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority, and explore collaborative actions for addressing pollution and climate change.

2.1.2 Similarly, water pollution can be addressed by ensuring that no untreated wastewater and industrial effluents are discharged into water bodies. Concerned state governments should also maintain adequate environmental flow in river Yamuna, to reduce pollution.

2.1.3 Concerned state governments should adhere to regulations and standards prescribed by the Central Pollution Control Board (CPCB), for key sources of pollution like biomass burning, polluting industries, vehicular emission norms, brick kilns, coal-based power plants, etc.

2.1.4 Delhi needs to address internal sources of pollution and mitigate impacts on public health. The causes and mitigation measures for pollution are closely inter- related with the issue of climate change and therefore most of the strategies will provide co-benefits for both of the areas of concern. Long-term improvement in environmental parameters will require a host of complementary strategies for improving green cover, and promoting clean industries, low-carbon technologies, sustainable mobility, green buildings, etc. This chapter provides a multi-sectoral approach to facilitate: -

i. Reduced air, water and noise pollution from local sources
ii. Improved ability to cope with impacts of climate-related issues

2.2 Strategies for improved greening

2.2.1 Green and blue assets can absorb air, noise, water as well as soil pollution, and help in mitigating climate change impacts such as regulating rainfall patterns, reducing urban heat and flooding etc. Comprehensive strategies and actions towards improving Delhi's green-blue infrastructure are detailed in ENV2. Further, strategies to maintain a green buffer on Delhi's periphery and provide a regional level pollution sink, have been detailed in DEV2.

2.3 Promoting clean economic activities

2.3.1 Polluting industries as per list given at Annexure 1 shall not be permitted to operate within Delhi. The list shall be updated by GNCTD and DDA periodically, based on directives of concerned authorities. A joint action plan shall be developed by all concerned agencies to ensure that existing polluting industries in all the industrial areas are shifted or replaced with other economic activities.

Non-polluting economic activities, such as service industry and clean manufacturing, shall be encouraged and incentivised as detailed in ECO.

2.4 Minimizing vehicular pollution

2.4.1 Vehicular pollution is a major contributor to both air and noise pollution in the city. Detailed strategies for reducing the number of daily vehicular trips and encouraging use of public transport and active travel modes are provided

in MOB2 and MOB3. Key strategies include:

i) Adoption of mix-use and TOD for reducing the average trip lengths and bringing jobs and homes closer to transit networks.
ii) Improving and encouraging public transport networks, creation of multi-modal hubs and regulatory measures such as congestion pricing etc.
iii) Encouraging green mobility and active travel modes by improving pedestrian, cycling and EV infrastructure.
iv) Migration to green fuels for public transport as well as IPT and other shared modes through appropriate incentives.

2.5 Other strategies

2.5.1 Pollution of surface water bodies and ground water to be addressed on priority:

i) Water quality improvement to be taken up for river Yamuna, and various natural drains, lakes and baolis, by checking the outfall of untreated wastewater from surrounding developments. Concerned agencies to implement projects in this regard.
ii) Steps shall be taken by DJB in coordination with the Irrigation and Flood Control Department (I&FC) to ensure time bound removal of existing pollutants using natural non-mechanized systems as per feasibility.
iii) Water quality shall be monitored periodically along the entire length of drains by the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) as per applicable procedures and protocols.

2.5.2 Unregulated dumping and disposal of solid wastes pollutes soil and water shall be regulated through the following strategies (ref: INF2).

i) Dumping of solid and liquid wastes in any environmental asset of the city shall be strictly prohibited and penalised by concerned agencies.
ii) Segregation of waste at source point to be adopted.
iii) Local bodies shall develop a system to manage waste generated at large public gatherings and festivals held in open areas.
iv) Waste reuse and recycling practices shall be mainstreamed by including such requirements as part of various development schemes.

2.5.3 45% of the indigenous PM2.5 is due to dust. The construction industry can play a major role in addressing this issue. Given that significant building construction activity is expected in the land pooling areas and as part of regeneration projects, the following provisions shall apply:

i) All development projects shall follow dust mitigation measures in handling construction material and C&D waste. A Dust Management Plan shall be submitted as per CPCB or any other guidelines. Construction sites shall be monitored regularly by the local bodies to ascertain the implementation.

2.5.4 The following mitigation measures shall be adopted across the city, and implemented on a priority basis within identified pollution, flooding or heating hotspots in the city:

i) Pavements, roads and roofs shall be constructed/coated with light

coloured material with high albedo value wherever possible. This can reduce local temperature by 3-5 degrees.

ii) Road sections shall include appropriate trees and buffers to reduce air and noise pollution. Sustainable urban drainage components such as bioswales, rain gardens, etc., shall also be incorporated (including in residual areas below flyovers) to mitigate water logging.

iii) Native species of trees and plants which act as pollution filters shall be included in the various greening initiatives. Miyawaki forests, smog absorption towers and other technological solutions may also be adopted for mitigating pollution at hotspots.

iv) Higher Green Blue Factor (GBF) values i.e. higher greening requirements may be prescribed for future developments in areas identified as chronic pollution hotspots. Similarly, ground coverage may be restricted and pervious surface requirements may be increased in areas identified as flooding hotspots in the city.

v) All new developments shall locate facilities like hospitals, schools, old age homes etc., away from high-speed traffic corridors.

vi) A Noise Pollution Action Plan may be prepared and implemented by GNCTD based on the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules (2000) or any other government recommended guidance framework. The number and spread of noise pollution monitoring stations in the city to be increased and appropriate noise reduction measures (plantation or noise barriers) may be implemented for immediate relief in noise hotspots.

2.5.5 A robust monitoring framework for tracking environmental parameters may be set up by DPCC.

i) Data collected from such monitoring shall be regularly published through online platforms to improve awareness about these issues. Crowd sourcing of information may be explored for parameters like air pollution and noise levels, reporting on illegal dumping of solid and liquid wastes into greens and water bodies, etc.. This data can complement evidence obtained from monitoring stations and provide a granular spatial understanding of the sources of pollution and action required.

2.5.6 Citizens and other stakeholders play a critical role in managing pollution at the local level. All concerned agencies shall take steps to improve awareness, and provide adequate and reliable information to engage stakeholders as implementation partners.

--- x --- x ---- x --- x ---

Chapter code

ENV2

3.0 ENHANCING GREEN BLUE INFRASTRUCTURE

3.1.1 Delhi is one of the greenest cities in the country with abundant natural 'Green Assets' and 'Blue Assets' in the form of the Aravalli ridge, the Yamuna, forests, streams, drains, lakes and wetlands, as well as human-made assets like parks, *maidans*, ponds, *baolis*, etc. All green and blue assets and their inter-connected network is an essential infrastructure layer of the city that provides open spaces
for citizens to enjoy and facilitate larger network benefits for biodiversity, microclimate and flood management. The master plan provides a framework for integrated management of 'Green-Blue Infrastructure' in the city envisaging the increase in:

i) Net area under natural green-blue assets
ii) Planned green spaces delivered as part of new projects in the city

3.1.2 The following four-pronged approach shall be implemented over the Plan period, combining efforts to preserve and enhance existing natural assets, create new city-level assets and increase the green-blue quotient within the built environment. This can provide the following benefits:

i) Environmental – enhanced per capita greens, richer biodiversity, reduced heating and flooding, reduced pollution, improved resilience to climate change;
ii) Health – cleaner living environments, active lifestyles, reduced burden of ailments and diseases (including mental health) and improved quality of life;
iii) Socio-cultural – higher environmental awareness and closer connection of people with nature, availability of spaces for leisure, physical and social activity;
iv) Economic – improved attractiveness as an investment destination, better productivity, reduced expenditure on health care, boost to green economies like urban farming, etc.

3.2 Preservation and improvement of natural green and blue assets

3.2.1 Many of the natural assets in the city such as the river, ridge, drains and water bodies are already notified as 'protected' or 'reserved' areas by concerned agencies.

i) 'Areas under Environmental Protection' with delineated boundaries shall be provided by GNCTD and local bodies to DDA for the Database of Green- Blue Infrastructure detailed in Clause 3.5.1. In case of Yamuna, the delineation shall include its 1 in 25 year floodplain or any other criteria mandated by a competent authority.
ii) Only restricted development shall be permitted within such sites (ref: DCN).

3.2.2 Comprehensive strategies shall be implemented for preserving and enhancing such sites.

a) **Boundary protection:** through construction of fences or boundary walls as prescribed by concerned agencies or by providing pedestrian/cycle paths.
   i) Eco-friendly materials/ techniques such as earth-berming with vegetation shall be used wherever possible as an alternative to boundary walls;
   ii) Fences/walls shall be avoided where the boundaries are clearly demarcated by roads, bunds or natural features.

b) **Improving quality of assets:**
   i) Checking growth of invasive and alien species that cause land degradation or disturb water ecology. These will be replaced with indigenous flora and fauna that require less water and/or are effective for pollution control and suitable aquatic species to restore health of water bodies.
   ii) Afforestation and tree transplantation may be taken up in identified areas as per feasibility; ensuring indigenous species that are compatible with the area and soil characteristics.
   iii) The health of all environmental assets shall be monitored from time to time and steps shall be taken by concerned agencies for keeping the assets free from pollution and addressing the shortcomings if any.
   iv) Enhancing biodiversity for conserving and preserving the ecosystems of Yamuna and the Aravalli Ridge.
   v) DJB, I&FC and other concerned agencies shall implement rejuvenation of the river and lakes in the city. DJB to ensure that adequate quantum of treated wastewater, as per prescribed quality standards, is discharged into the river to maintain the prescribed environmental flow and make treated waste water available for lake/water body rejuvenation projects.

c) **Enhancing people's connection with nature**: Public access to developed recreational sites shall be permitted without threatening the natural environment.
   i) Specific areas and trails shall be identified as 'interactive zones'.
   ii) Temporary activities such as active/passive recreation, exercise/yoga, nature classes, environmental research, picnics, camping, biodiversity tours, etc. shall be permitted within these areas. Amenities like toilets, drinking water fountains, resting places, visitor information centres etc., shall be provided wherever required/feasible.
   iii) Public access shall not be permitted in any ecologically significant/sensitive features or areas (rocky outcrops, water bodies, nesting areas etc.).

3.2.3 **Special initiative for rejuvenation of Yamuna and its floodplains:** Like any river city, Delhi's history and cultural ethos is closely linked with the Yamuna and its floodplain. The Comprehensive River Development Plan prepared and anchored by DDA shall be a multi-agency initiative that shall guide protection of the floodplain with only restricted development.
   i) A 300 m wide green buffer where ever feasible shall be maintained along the entire edge of the river. Wild grassing or other suitable ground-cover vegetation shall be planted for 25-30m. from the river edge and trees may be planted beyond this grass belt.

ii) River-people connect shall be encouraged by developing 75-100m wide greenways along the embankments for public access with provision of cycling and walking trails and other spaces for passive activities near the river. No permanent construction shall be permitted in the floodplain. (ref: DCN)

iii) Socio-cultural activities shall be permitted only in specifically earmarked locations. Specific locations may be identified for permitting agriculture in the flood plains. Any adverse impact of these activities on the river shall be minimized by proper regulation of disposal of pooja material, immersion of idols, use of fertilizers, garbage disposal, etc. Only restricted construction shall be permitted in public areas such as ghats. Regular monitoring shall be ensured by manual and CCTV surveillance to check illegal construction, dumping of sewage or malba in the floodplain and river. No untreated sewage/ wastewater outfall shall be permitted in the river (ref: INF1)

iv) Eco-system restoration shall be carried out by de-silting of the existing wetlands and restoring them for catchment of floodwater and creating new wetlands by developing and deepening the existing depressions into storage basins.

v) Concerned agencies shall use different methods and media to enhance public awareness about the value of Yamuna and its floodplains.

3.2.4 **Preserving eco-cultural assets:** Delhi has a number of historical monuments located within or in close proximity to green and blue assets. Archaeological Parks are the best examples of such eco-cultural assets. Cultural Resource Management Plans (CRMPs) to be prepared to preserve and develop such eco- cultural assets. Historical gardens, water structures (baolis, wells, tanks) etc., to be taken up for rejuvenation by concerned agencies; re-establishing lost connections with water systems and aquifers. (ref: HCP2)

3.2.5 **Protecting Trees of Delhi:** A Tree Directory shall be prepared by concerned agencies for their respective areas, identifying unique tree corridors or precincts, heritage trees, precincts with high carbon storage and sequestration rates, etc. Such trees/ tree clusters shall be protected and controlled in terms of planting of indigenous trees and integrated with cultural trails/ nature trails, etc.

3.2.6 **Measures to reduce impact from surrounding development:** The following norms shall apply to projects adjacent to Areas under Environmental Protection:

i) All greenfield and regeneration projects located along drains or water bodies shall maintain a minimum mandatory buffer of 10m from the edge of the drain/ water body. A wider buffer as feasible may be mandated by the local body/DDA based on ground conditions. Landowners can consume entire FAR in the remaining plot. Compensation for providing land for buffers may be provided in case the remaining plot is rendered untenable for development after leaving the buffer.

ii) Dumping of construction waste or outfall of sewage/wastewater from surrounding development shall be strictly prohibited in ‘Areas under Environmental Protection’ or their buffers.

iii) Buildings shall be oriented to face the green and blue assets and maintain active facades in the form of balconies, windows, pedestrian entries, commercial or public frontages at the ground level, etc. Any mandatory public space requirements that have to be met as part of projects may be provided along the water body in the form of public promenades or parks.

iv) Environmental Impact Assessment (EIA) shall be mandatory for new projects (as per prescribed guidelines) in close proximity of Areas under Environmental Protection.

3.3 Creation of new green-blue assets

3.3.1 **'Green Development' on the city periphery:** Green Development Area policy has been proposed for green belt villages and it permits restricted development and prescribes substantial proportion of land to be maintained as wooded area and green cover. (ref: DEV2)

3.3.2 **Green buffers along drains as city-level Green Corridors** (ref: DCN)**:**

i) Lands shall be identified along drains that can be maintained as natural green buffers. This land can include scrub land, existing buffers or floodplains or vacant government lands in all planned and unplanned areas. Additionally, all new projects shall provide such buffers.

ii) Concerned agencies shall take up creation of green mobility corridors for creating a city-wide network of green-blue assets connected through pedestrian and cycling paths developed along the drains (ref: MOB3). The water in the drains shall be cleaned and no outflow of sewage or wastewater will be permitted. In-situ treatment for improving the water quality to be adopted.

iii) The natural green buffers may be developed as wetlands and marshes for water-based ecologies, through bio drainage etc., groundwater recharge points or as sponges for flood water. At places where buffers are wide, they may be designed for active public use in the form of parks, spaces for yoga, active sports (without formal seating), open air exhibitions, performances and arboretums, community gardens, boating, restaurants, etc. Heritage trails may be integrated with the green mobility corridors .

3.3.3 **Repurposing underutilized sites and wastelands as green-blue assets:**

i) Sites such as closed landfills, ash dykes in closed thermal power plants, abandoned quarries and mines have issues of toxicity, unstable nature of soil, etc. These sites may be converted into biodiversity parks, eco-parks, water bodies, etc., as per feasibility.

ii) Circular economy strategies like processing/recycling of legacy wastes at landfills, repurposing and adaptive reuse of industrial structures artefacts may be adopted by concerned agencies.

3.3.4 **Other initiatives:**

i) **Provision of planned greens**: In land pooling areas, existing plantations, wetlands, low-lying areas shall be included for development of public parks and aquifer recharge ponds in order to retain the drainage pattern.

Public greens shall also be contributed mandatorily by Regeneration and TOD Schemes as prescribed by the Plan.Vertical mixing of uses shall be encouraged within buildings so that more land can be opened up for parksand open areas. (ref: DCN)

ii) **Provision of active recreation and sports facilities:** Sports facilities are required to be provisioned at accessible locations that are well connected to public transport and networks of walking and cycling. New sports facilities such as stadiums, district sports complexes, playgrounds, multi-purpose grounds etc. shall be created to encourage healthy living and active lifestyle among residents as well as provide infrastructure to enhance capabilities of sports persons for active participation in national and international competitive sports including Paralympics.

iii) **Special greening projects:** Special projects such as biodiversity parks, amusement parks, children's adventure grounds, nurseries, etc., shall be taken up by all concerned agencies to provide multiple options of recreation for residents.

iv) **Recharging Aquifers:** DDA and DJB shall undertake projects to facilitate groundwater recharge in critical zones by creating artificial water bodies utilising treated waste water.

v) **All-abilities parks:** All-abilities parks shall be created across the city by earmarking land or retrofitting existing parks. These parks have to be designed for play and recreational activities especially catering to the needs of people with disability, elderly, toddlers and infants with caregivers.

3.4 Enhancing green-blue features in the built fabric

3.4.1 Existing local level parks and other planned greens shall be improved by local bodies/DDA or by RWAs/MTAs (Market Traders Association), community etc., through the following interventions:

a) **Water sensitive urban design**

i) Storm water drainage shall be integrated within the landscaping and design of parks so that they may act as rainwater harvesting sumps.

ii) Impervious paved surfaces shall be replaced with semi-pervious paving material allowing groundwater recharge and reduction in local heating.

iii) In larger parks (community level and above), decentralised wastewater treatment facilities for the area/locality may be integrated into the landscape design and the treated water may be used for horticultural purposes or ground water recharging lakes. Dedicated space may also be provided for composting.

b) **Improving functionality of parks**

i) Dedicated tree plantation strategy shall be developed by DDA/local

bodies for larger parks (community level and above) or a cluster of parks for mitigating air and noise pollution, reducing heat, creating comfortable micro-climate and providing shaded areas for recreation etc.

ii) Activities like eateries, libraries/reading areas, outdoor performances, exhibitions, yoga and meditation, adventure trails for children etc., may be permitted in a regulated manner in larger parks. (ref: DCN).

3.4.2 **Greening of public areas:**

i) All concerned agencies including DDA and local bodies shall ensure greening of streets RoW 18m and above. Such streets may be developed by creating avenue plantation of appropriate shade-giving, evergreen trees and landscaped areas for seating, green plazas, bio-swales along drains etc., to create a comfortable microclimate. Bridges and FOBs may also incorporate green elements on pillars, roofs, parapet etc. Such greening shall be taken up on a priority basis in areas where Walk Plans are being implemented (ref: MOB3).

ii) All surface parking sites shall have 80% of the area as pervious or with pervious paving. Trees shall also be planted at regular intervals in such sites wherever feasible.

iii) Respective agencies shall take up landscaping and plantation in residual spaces under flyovers, land along water pipelines, unpaved road sections etc. Some of these may be used by public if feasible.

3.4.3 **Encouraging greening:** Activities such as urban farming, community gardens, etc., may be encouraged in vacant private/public lands irrespective of land use of the plot. Z-farming/vertical farming shall also be a permitted activity within all use premises. Local bodies and DDA may also provide suitable guidelines and capacity building to communities/ RWAs/ schools/ other stakeholders for undertaking such activities. Mandatory wild grassing of all government owned vacant lands shall also be enforced.

3.4.4 **Green-Blue Factor for buildings and sites:** Green rating shall be mandatory for new developments as per UBBL to reduce energy consumption from mechanical heating/cooling and mitigate pollution. Additionally, development of green-blue features within plots/buildings in the form of roof gardens, terrace gardens, green walls, landscaped and/or pervious ground, etc. shall be encouraged in all development projects.

i) A Green Blue Factor (GBF) shall be applicable on all new projects and developments. It is computed by combining the prescribed weightage of specific green and blue features provided in the site and building design.

ii) Incentives and disincentives may be provided by local bodies for achieving a minimum GBF and for applying it on existing buildings.

iii) All new projects and developments shall have to achieve a minimum value of the GBF as prescribed by the Plan.

iv) Computation of GBF shall be done at plot level and shall be integrated as a condition for all building and layout sanctions.

3.5 Management of green-blue infrastructure

3.5.1 A Database of Green-Blue Infrastructure as part of the Delhi Spatial Information System by all the concerned agencies shall be maintained and mapping the existing and potential sites.

i) The database shall be based on the typological classification of green and blue assets given at Annexure 2 and shall be made available to the public through the DDA website

ii) Information such as hydrology, topography, associated biodiversity, etc. may also be added over time to develop a rich resource for research and future planning. The Tree Directory may also be integrated into the database.

iii) A data-sharing protocol shall be set up to ensure that all concerned agencies provide data on a real-time basis or periodically to the database to keep it relevant and updated (e.g. building and scheme sanctions with GBF and public greens, afforestation, creation of new parks etc.). The data would help set baselines, plan and track new initiatives and assess the change in quantum and quality of green-blue assets.

3.5.2 Protection and enhancement of green-blue assets is a priority of the Plan. It is recommended that concerned agencies set aside own resources and explore other innovative funding mechanisms for carrying out greening initiatives. A dedicated Green Fund may also be created for this purpose.

3.5.3 Citizens and stakeholder groups shall be facilitated by concerned agencies to play a role in the protection and improvement of green-blue assets and develop community ownership and responsibility towards these shared resources and urban commons.

--- x --- x ---- x --- x ---

SECTION 2
ECONOMY

BACKGROUND AND KEY POLICY CONCERNS

Delhi is one of the fastest growing urban centres of the world. It is the sixth largest contributor to the national GDP (7.1%) with a GDP growth rate that is 4% higher than the national average. Delhi serves as the economic core of the National Capital Region, contributing to more than 50% of the GDP of the region. The city is the region's largest commercial centre with strong linkages to national and global financial networks.

It has emerged as a leading start-up ecosystem with high literacy levels (86.2%), a young population (average age is expected to be approx. 35 years in 2041) and a sizeable proportion of the population of working age (total working population was 6.28 million in 2017-18 and is expected to grow to 10.7 million in 2040-41). Additionally, across all indices of tech literacy and access, creativity, ability to attract talent and average education levels, Delhi is ranked the highest among all states and UTs (MPI report). This indicates the need to foster innovation and create employment opportunities to harness the economic potential presented by this demographic dividend.

Delhi has retail, wholesale and warehousing hubs spread across the city. Being the country's capital, is a seat of government and quasi-government institutions, where headquarters of various national/multinational companies are located. It is a premier MICE, travel and hospitality business destination. The city also has a huge cultural capital that can be leveraged for promoting cultural (tourism, travel, F&B, etc.) and creative (media, design, arts, etc.) industries. It has also hosted mega events like the Asian Games (1982) and Commonwealth Games (2010)

Delhi also serves as a major industrial centre with 33 planned industrial estates, four flatted factory clusters, 1.75 lakh MSMEs (more than 90% micro enterprises) and 23 notified non-conforming industrial clusters. These industries along with household industries continue to generate employment for both skilled and unskilled workforce. The scale of industry has undergone fragmentation and a large proportion of the workforce is employed in small and micro enterprises and household industries. Over the past two decades, Delhi has experienced a shift towards the tertiary sector. Close to 83% of Delhi's income is from the tertiary sector and about 15% is from the secondary sector (NSS 2015- 16, PLFS (Periodic Labour Force Survey) 2017-18).

Given the rising concerns regarding pollution, shift towards cleaner economies such as IT/ITES, knowledge-based and hi-tech industries, entrepreneurial activities, realty markets, tourism, hospitality, logistics, transport, communication, tertiary healthcare and higher education is envisaged. The IT industry, in particular, is expected to grow and receive policy support.

Policies for economic development may be directed towards supporting small and micro enterprises and unorganized economies that provide employment, while ensuring migration towards cleaner, non-polluting economies. The construction sector can expect to triple its workforce by 2041 due to implementation of Land pooling and other development policies. The TOD policy and strong regional interdependencies will also

generate employment in the transport, trade and retail sector.

Many erstwhile industrial spaces are undergoing a transformation into clusters of clean, service, knowledge, finance, and entertainment-oriented functions. This has blurred the boundaries between the commercial and industrial uses, and there is a need to facilitate diversification and modernisation of such mono-functional areas. Technological innovations like app-based services, warehouse-to-home models; remote working/ work-from-home, etc. are changing the nature and form of work spaces and associated requirements. The demand for co-working spaces is set to treble in the next 3 years and demand for large enterprises is expected to grow over medium to long-term. Improved digital and telecom infrastructure will promote growth of newer and niche economies and increase the share of data-enabled technologies in Delhi's GDP.

Shifting of wholesale and warehousing activities from the city centre to outskirts is an important concern for Delhi to reduce freight-linked congestion within the city. While some of these involving hazardous substances have shifted, other activities still continue to operate.

The informal sector is the largest employer in the city engaging approximately 70% of Delhi's workforce. There is a need to improve the quality of workspaces and opportunities for the sector. Within the informal economy, female work participation has increased. Due consideration towards provision of space for public conveniences, individual and group work as well as childcare etc., should be made. Initiatives by the state government and concerned agencies will be required to ensure upskilling of workforce over the plan period to create better opportunities for the informal workforce for incremental absorption into emerging formal economies.

The chapter formulates strategies for upgrading the existing spaces of economic production, i.e. trade and commerce, wholesale, industry, service and informal sector, developing new economic hubs that facilitate the shift towards cleaner and niche economies and enabling improved access to economic opportunities:

ECO: Places of Economic Production

4.0 PLACES OF ECONOMIC PRODUCTION

Chapter code
ECO

4.1.1 The Master Plan provides an enabling environment for harnessing the economic potential of Delhi and facilitating a variety of work and workspace typologies so that opportunities are created for public at large. It aims to facilitate balanced economic growth by supporting both formal and informal economies (inclusive economy), fostering non-polluting and environmentally-friendly economies (clean economy), and promoting economies that will help to establish a unique role for the city in the regional context (niche economy).

4.1.2 Strategies of the plan will facilitate the following:

i) Creation of strategic hubs of high investment and high value business and services
ii) Optimized utilization of existing economic centres
iii) Migration of non-conforming economic activities to approved sites and/or uses

iv) Improved facilities for the informal sector

4.2 Approach for development and strengthening of economic centres

4.2.1 **Promoting clean economies**: The Plan focuses on improving existing core economic sectors, namely retail trade, wholesale and warehousing, logistics, manufacturing, government offices, banking and finance, shifting to clean economy and facilitating existing polluting industries to shift.

i. **Knowledge and cyber economy:** Cyber economy, high-tech robotics and electronics, knowledge and innovation, research and development, etc.

ii. **MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), Cultural and creative economy:** World class centres for MICE travel and hospitality, etc. tourism, design and fashion, publishing, F&B, media, visual/performing arts, etc.

iii. **Health and Education:** Tertiary healthcare, medical research and development, bio-tech, pharma research, higher education, etc.

iv. **Green economy:** Urban farming, horticulture, solar farms, theme parks, etc.

v. **Circular economy:** recycling and repair economy, wastewater reuse, recycled C&D waste products (like fly ash bricks, reclaimed asphalt pavement etc.), recycling of faecal sludge, recycling of e-waste, plastic waste, etc.

4.2.2 **Fostering Strategic Economic Hubs:** Strategic areas shall be developed as city level economic hubs. Holistic planning for improved public transport access, pedestrian connectivity and creation of public spaces shall be undertaken.

a) **TOD Nodes**

Areas around identified transit stations shall be developed as high-intensity mix-use nodes and may be developed as high-tech, logistics, hospitality, health and education clusters to cater to regional dependence on Delhi for various facilities.

b) **Business Promotion Districts**

i) Identified existing Industrial Areas, District Centres and Institutional Areas or any other area with high potential for economic growth shall be notified by DDA to be developed as Business Promotion Districts (BPDs) having functions such as cyber hubs, clean-tech innovation clusters, media and design clusters, medi-cities, edu-cities, MICE hubs, modern logistics hubs, etc.

ii) BPD shall have minimum planning area of 10 ha. and shall be developed asper the provisions of Regeneration Schemes.

c) **Green Development Area (GDA)**

GDA shall be developed as a hub for green economy as per the provisions of theGreen Development Scheme.

4.2.3 **Diversifying mono-functional economic centres and regeneration:** The plan will promote diversification of economic centres to accommodate the shift towards cleaner, tertiary sector economies and create thriving mixed-use employment destinations in the city. This would include supportive functions such as hospitality, working women's and men's hostels, rental housing and serviced apartments, spaces for leisure and entertainment, public spaces, etc.

4.2.4 Existing economic centres shall also be upgraded through regeneration and improvements in transit access, public space, quality of physical and digital infrastructure.

4.2.5 **Facilitating New forms of Workspaces:** A finer network of decentralized workspaces in the form of small warehousing for e-commerce, co-working spacesfor start-up economy, etc. shall be facilitated. Additionally, the Plan will promote emerging new forms of work such as platform and gig economies. through creationof supporting amenities for the workers.

4.2.6 **Fostering Night Time Economy (NTE):**

i) The concept of '24-hour city' is being promoted through Model Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act 2015 as well as the NTE policy at the national level.

ii) Nodes, precincts or circuits shall be identified for continuing work, cultural activity and entertainment at night to attract tourists and locals.

iii) This will improve economic yield by extending the utilisation of work spaces, and safety in the city by promoting a vibrant night life.

4.2.7 **Supporting the Informal Sector:** The Plan provides adequate space norms and facilities for supporting informal economies.

4.3 Trade and Commerce

4.3.1 **Metropolitan City Centre (MCC)/ Central Business District (CBD):** Areas such as Connaught Place and its Extension, commercial areas in the Walled City and Karol Bagh have historically played the role of the CBD and continue to have high concentration of commerce, offices, businesses and socio-cultural facilities. The CBD area is constituted of different areas, each with unique built character, concentration of specialised activities and potential for future growth.

4.3.1.1 An area-based improvement approach shall be adopted for revitalizing thecommercial core of the city.

i) Connaught Place (CP) & CP Extension are iconic hubs characterized by heritage and landmark buildings, and a diverse mix of office, hospitality, entertainment, retail and business activities. An integrated improvement plan shall be prepared for improving the heritage buildings and public realm. Size of plots as per existing layout plan shall be maintained and no sub-division shall be permissible.

ii) Mandi House has emerged as a socio-cultural hub with socio-cultural institutions, educational institutions, government offices, State Bhawans, etc. The institutional character of the area should be maintained and enhanced.

iii) Pragati Maidan has assumed international and national significance due to its capacity to serve as a major exhibition and expo-centre. With the ongoing redevelopment of the area, it is expected to emerge as a MICE Hub. Adequate provisions for temporary accommodation, hospitality, parking and public spaces should be ensured in the area.

iv) Indraprastha Estate is a vibrant hub of government offices and institutions. The area shall be maintained and promoted as an Institutional Hub. A comprehensive improvement plan should be prepared to address traffic congestion, enhance public realm and manage parking.

v) Shahjahanabad (Walled City) is a Heritage Zone with concentration of large number of heritage buildings. Wholesale activities shall be shifted and cultural/retail activities shall be promoted in the area. All improvements and regeneration shall be taken up as per the provisions of HCP2 and DEV3.

vi) Areas outside the Walled City include areas like Paharganj, Sadar Bazaar, Azad Market, Bara Hindu Rao, etc. A Regeneration Plan shall be prepared for these areas. Specific economic activities such as hospitality districts, alternate sites for warehousing and wholesale, etc. may be planned. Any traditional bazaars or other areas of cultural value shall be identified and protected as part of the plan.

vii) Karol Bagh has a mix of plotted residential areas as well as commercial areas. An integrated improvement plan shall be prepared for delineating areas where the plotted character needs to be protected and those where regeneration schemes may be permitted.

4.3.1.2 Comprehensive traffic and parking management plans, plans for improving walkability and creating cycling circuits, and encouraging NTE (Night Time Economy) shall be prepared and implemented.

4.3.1.3 Built-to-edge frontage should be framed as part of the comprehensive improvement plan of the area and implemented wherever feasible.

4.3.2 **Hierarchy of Planned Commercial Areas**

The Hierarchy of developed planned commercial areas are as follows:

i) **District Centres (DCs)** have been planned as sub-CBDs to provide a wide range of financial services, retail, office, entertainment, IT/ITES, hospitality, shared and, and related uses. DCs located in proximity of public transit stations may be taken up for development as TOD Nodes .

ii) **Community Centres (CCs)** provide for retail and leisure shopping, essential business establishments, office spaces, theatres, etc. and cater to the needs of the population at community level.

iii) **Local Shopping Centres (LSCs) and Community Shopping Centres (CSCs)** include retail stores and personal service establishments which cater to frequently recurring needs. Such establishments are required in convenient locations near all residential areas and are provided as a part of gross residential use.

iv) In land pooling areas, the development of commercial areas shall be as perthe specific provisions of DEV1.

4.3.3 **Pre-1962 Commercial Areas:** Residential areas and streets/stretches declared as commercial areas/streets prior to the notification of MPD-1962 or where commercial use was allowed in MPD-1962 shall continue such use to the extent

permissible in MPD-1962. Commercial activities existing from prior to 1962 in residential areas are also permitted subject to documentary evidence. Areas developed prior to 1962 that were not included in the Master Plan for Delhi (subject to documentary proof) having concentration of commercial activities, may continue as mixed use as per DCN. Such areas may also undertake regenerations per provisions of DEV3.

4.3.4 **Other Commercial Centres:** Other commercial centers includes notified Non-hierarchical Commercial Centre (NHCC), Shop-cum Residence Complexes (shop-cum-residence plots/ shop plots) later designated as CC/LSC/CSC and other existing shop-cum-residence plots. These areas shall be governed as per norms and regeneration to be as per DEV3.

4.3.5 **Commercial Streets/ Mixed Use Streets:** No new notifications shall be permitted as Mixed-Use Streets or Commercial Streets. Non-residential uses within residential areas shall be permitted as per provisions given in DCN. Local bodies/MTAs shall prepare plans for improving traffic management, parking and public spaces along existing streets. Streets below 9m RoW shall be considered by local bodies for pedestrianisation.

4.3.6 **Service markets:** To support low turnover, and space extensive shops for fruits and vegetables, service and repair, junk and scrap materials (kabari), hardware and building materials, automobile repair workshops, etc., all economic centres may reserve space for such facilities. as prescribed in DCN.

4.4 Hospitality

4.4.1 Delhi is emerging as an international centre of education, health care, tourism & leisure, sports and business, which require hotel facilities including Budget Hotels, guest houses, lodging and boarding houses, dharamshalas, hotels and serviced apartments catering to various economic groups.

4.4.2 The following shall be permitted:

4.4.2.1 Dharamshala, Budget Hotels, Guest houses, B&Bs, boarding lodging facilities shall be permitted as part of mixed use in residential areas.

4.4.2.2 Hotels/ serviced apartments are permitted as part of:

i) socio-cultural facilities such as convention centres, socio cultural centres, etc.,
ii) commercial centres in Industrial and Wholesale Use Zones, and
iii) transport nodes (ISBTs, bus depots/terminals, multi-modal hubs, railway stations, airport, integrated freight complexes).

4.4.2.3 Hotels may also be developed through use conversion of plots with access from 30m RoW in industrial and wholesale use zones. The maximum ground coverage and FAR in such cases shall be as per the applicable norms/ sanctioned building plans, but in no case exceeding the permissible ground coverage and FAR of that use zone.

4.5 Wholesale Trade

4.5.1 Delhi is the biggest consumption centre in North India. It has also attained the status of a major distribution centre by virtue of its geographical location. With

digital advancement, e-commerce has emerged as an important segment requiring new forms of warehousing services. The upcoming regional freight infrastructure like DFC and DMIC is also likely to reduce Delhi's primacy as a distribution centre and result in transformations in existing forms of wholesale trade and warehousing.

4.5.2 Existing wholesale markets and IFCs shall be permitted to undertake regeneration as per provisions of DEV3. This will facilitate modernisation and capacity enhancement for meeting future requirements.

4.5.3 Wholesale and warehousing requirements for Land Pooling areas and GDA shall be met within IFCs. Mandis, storage and cold storage shall be permitted to develop within the GDA as per specific norms(ref: DEV2).

4.5.4 Warehouses on plots of 1 ha and above with direct access from 30m RoW shall be permitted to have retail activity as per DCN to facilitate development of big box retail.

4.5.5 IFCs shall include warehousing, godowns and wholesale units and other activities after providing operational requirements for freight and logistics.

4.5.6 Conversion of industrial plots to warehouses shall be permitted within industrial use zones as per DCN

4.5.7 All warehousing activities and wholesale storage within the old city shall be shifted to compatible areas such as industrial areas, IFCs or wholesale markets within a period of 10years. Concerned local bodies/ GNCTD may introduce incentive schemes for facilitating such relocation.

4.5.8 Regeneration of areas in close proximity to the old city such as Sadar Bazaar shall be permitted uses such as warehousing and hotels to cater to the requirements of the old city businesses.

4.5.9 **Unplanned/ Non-conforming godown clusters:** Several unplanned clusters of godowns/warehousing have developed across Delhi. Regularisation and planned regeneration of such areas shall be as per DEV3 and shall be completed within a period of 5 years. Clusters that do not participate shall be mandatorily shifted to identified industrial areas, IFCs or wholesale markets.

4.6 Industry

4.6.1 A list of existing planned industrial areas in Delhi is given at Annexure 3. Regeneration such areas shall be as per provisions given in DEV3. Such existing areas may also be taken up for area improvement by DSIIDC/local industry associations for parking, public realm, greening and development of common facilities such as CETPs.

4.6.2 Conversion to group housing, , PSP, commercial and warehousing use shall be permitted as per specific provisions given in DCN. Conversion to knowledge-based industries and vocational education centres shall be permitted to facilitate synergies between industry and academia. New forms of big box retail shall also be facilitated.

4.6.3 In order to facilitate start-ups and innovation clusters in industrial areas, co-working spaces shall be permitted on industrial plots up to 10% of the FAR. without any use conversion.

4.6.4 New industrial areas (proposed for development by DSIIDC and/or developed in land pooling areas) shall be developed as hubs of clean industry such as business parks, tech parks and cyber hubs, knowledge, R&D, cultural industry/media clusters.

4.6.5 Industries listed under prohibited category shall not be permitted in Delhi as given in Annexure 1. Any existing industrial units under prohibited category will need to shift outside Delhi or shift to clean manufacturing/production within a period of 5 years.

4.6.6 No industrial activity (including household industries) shall be permitted within Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, reserved / protected forests, Cooperative Group Housing Societies, DDA housing, Group Housing excluding Janta flats, Government flats / bungalows / employer housing, etc.

4.6.7 **Pre-1962 Industrial Areas:** Industrial Areas, existing prior to 1962 or where industrial use was allowed in MPD-1962, shall continue to the extent permissible in MPD-1962, subject to documentary evidence. Any regeneration of such areas shall be as per the provisions of DEV3.

4.6.8 **Household industries:** Household industries shall be allowed to operate from residential premises as per provisions of DCN. A list of permitted household industries is given at Annexure 4 and 5.

4.6.9 **Unplanned/ Non-conforming Industrial areas:** Several unplanned industrial areas have developed across Delhi. Regularisation and planned regeneration of such areas shall be as per DEV3 and shall be completed within a period of 5 years. Clusters that do not participate shall be mandatorily shifted to identified areas.

4.7 Government Offices

4.7.1 Government of India, GNCTD and local bodies have their offices in Delhi. Most of the offices and court complexes were setup immediately after Independence and have not fully utilised the land assets. This sector will continue to be a major economy and employment generator for the city.

4.7.2 Optimum utilization of existing government land shall be achieved through regeneration as per provisions of DEV3. This will facilitate the development of modern multi-storey office complexes with adequate facilities such as employee housing, commercial facilities, etc.

4.7.3 In the land pooling areas, as far as possible, the government offices and court complexes shall be developed as integrated office complexes and located along MRTS corridors.

4.7.4 Government office clusters and court complexes shall also be permitted within commercial and industrial areas. TOD projects may provide such facilities within the commercial component and as part of over station development thereby providing better mass transit connectivity.

4.7.5 Areas with government offices and court complexes shall be treated as a priority ATA (Active Travel Areas) (ref MOB3). Wherever feasible, provision of stack parking shall be provided.

4.8 Informal economy

4.8.1 Informal sector units locate themselves near commercial/industrial areas, wholesale, warehousing, PSP facilities, offices and transport hubs providing critical support services. The following provisions shall apply:

i) Vending zones for accommodating informal sector units shall be provided by various plots/layouts as per provisions of DCN. The provision of such units shall be ensured at the time of sanction of building plans / layout plans.

ii) Wherever feasible, clustering of informal activities shall be promoted and facilitated through appropriate infrastructure. Such clusters can be temporary like weekly markets or take more permanent forms such as teh-bazaari systems or theme-based Haats. Local bodies shall identify suitable sites for such clusters.

iii) Street improvements as well as development of new streets shall incorporate multi-utility zones as per Street Design Regulations for accommodating informal activities. The vending and no vending zones shall be clearly demarcated in plans prepared for identified Active Travel Areas (ref: MOB3).

iv) All designated spaces for vending shall be provided with public conveniences (including separate toilets for men and women, changing rooms, childcarefacilities) and solid waste disposal arrangements.

4.8.2 Multi-use community work centres/ work spaces shall be provided as part of regeneration or improvement of unauthorized colonies, urban villages and slums, as per feasibility. (ref: DEV3)

-- x -- x --- x -- x --

SECTION 3

HERITAGE, CULTURE AND PUBLIC SPACES

BACKGROUND AND KEY POLICY CONCERNS

Built Heritage: Delhi is one of the oldest inhabited cities in the world, and has been the site of numerous settlements over its history. There are large number of heritage assets and areas of concentrations having world heritage value and a unique palimpsest where culture and heritage integrate with public activity.

Delhi has world heritage sites, Centrally Protected Monuments, State Protected Monuments and other local listed heritage and non-listed heritage assets. Some of these heritage buildings and remains of national importance have been lost and are now untraceable. Heritage buildings notified by local bodies are mostly privately-owned and in active use by the occupants. Many of these are under severe threat due to disrepair, incompatible use and insensitive reconstruction of full/part asset. There is an urgent need for conservation and monitoring of all heritage assets.

Delhi's built heritage is largely concentrated in Zones A, C, D and F in the triangle formed between the Yamuna and the Ridge. A number of these have the potential to become unique cultural hubs for the city. Many of these are interlinked with natural assets like water bodies and forests, presenting opportunities for integrated planning. Today many of these historic areas have dense settlements and commercial activities, and face issues of encroachment with neglected heritage assets. with mixed use pattern Heritage areas like Shahjahanabad, Nizamuddin, Mehrauli, Tughlaqabad, Jahanpanah, Hauz Khas and Lutyen's Delhi contain some of the most important icons of Delhi's.

Delhi has to formulate strategies to utilise this strong cultural capital for boosting economy and fostering unique cultural and public spaces through instruments such as adaptive re-use. Although a number of boutique establishments, artist studios and other creative economies have located close to such sites in some urban villages, and initiatives such as art and cultural festivals, food walks, heritage walks etc. have emerged, but all these activities are sporadic in nature rather than being linked to enhancement of tourism and heritage experience in a systematic way. In addition to

heritage assets, Delhi also comprises of landmark buildings (defunct industrial sites / power plants). There is need to acknowledge such assets as modern and industrial heritage of the city and bring them under the purview of conservation and cultural promotion.

Public spaces in Delhi: The city is dotted with a number of public spaces of cultural, social and economic significance. These are in the form of activity nodes and networks adding to a vibrant public life in Delhi. The public space typology of Delhi is very diverse, ranging from iconic city level hubs, parks and open spaces like India Gate, Central Park at CP and Nehru Park to large social and cultural facilities, traditional/historic bazaars of the walled city, theme sites like Dilli Haats, markets like Janpath street, emporia area on Parliament street, and local parks, chowks and streets. Apart from these, various spaces for creative arts such as Mandi House, water bodies, Yamuna floodplains and areas with concentration of heritage assets themselves form important elements of the cultural and public life of the city.

There is a need to enhance the public realm to make all public spaces and places safer, more inclusive and vibrant for all users especially for people with disability, pregnant women, elderly and children.

There is also a need to create a public space inventory for Delhi to identify (i)landmarks, iconic places and visual corridors that contribute towards the city's identity for enhancement of public experience and, (ii) areas/ streets for improvement and installation of facilities for people's convenience.

This section sets out strategies for conserving and leveraging the city's heritage and those for enhancing the public realm of the city in the following two chapters:

HCP1 – Managing Public Spaces Better
HCP2 – Managing Delhi's Heritage

Chapter code
HCP1

5.0 MANAGING PUBLIC SPACES BETTER

5.1.1 The Plan aims to significantly address issues of safety, encroachment and lack of infrastructure associated with public spaces to foster a vibrant public realm in the city. This will provide numerous benefits across all three goals of the Plan with better walkability, public life, social cohesion, health, creativity and boost local businesses, retail, cultural economies.

5.1.2 The term 'public realm' is regarded as an essential urban common, comprising of shared public areas in a city that belong to everyone and are accessible to all. This Plan envisages the following with particular focus on three elements, *viz.* streets, public and private plazas/squares, parks and open spaces:

i) Improved availability and experience of well-designed, safe and well-maintained public spaces across the city

ii) Improved interface between buildings and public areas with enhanced street-level activity and safety

5.2 Fostering city level hubs and networks for public life

5.2.1 An important strategy for improving public life in the city is to foster large, iconic public areas and landmarks that are a part of the image of the city. While the Plan identifies some new opportunities that can be created, many such areas already exist in the city and will need to be improved through better facilities and design for supporting a variety of public activity.

5.2.2 **City Hubs:** The following typologies of city-level hubs shall be developed/improved on priority basis:

i) **Public waterfronts:** The Plan gives provisions for undertaking eco-sensitive rejuvenation of the Yamuna floodplains and strategies for creating greenways along buffers of drains. This will encourage sensitively designed new public spaces alongside water bodies in areas that were previously neglected. (ref: ENV 2; MOB 3)

ii) **Urban woodlands:** Delhi has large area under reserved and protected forest areas, that can offer excellent places for citizens to lead an active lifestyle and connect with nature. Respective land-owning agencies shall identify and develop 'interactive zones' for providing access to a variety of flora, fauna and natural environment. Reclaiming sites such as quarries, landfills, ash dykes, etc., as parks and natural habitats shall also be carried out continuously during the Plan period (ref: ENV 2).

iii) **Cultural hotspots:** Cultural hotspots such as Shahjahanabad, the Central Vista and India Gate lawns, Connaught Place, Hauz Khas, Mehrauli, etc. are places of intense public activity, attracting locals as well as tourists. Other specific hubs with a concentration of socio-cultural activities shall be identified (e.g. Mandi House, Lodhi Institutional Area and Art precinct, Dilli Haat, Dastakaar Haats, etc.). Efforts shall be made to improve the public realm in and around such sites.

iv) **Transit hotspots:** World over iconic airports and transit stations have formed an important part of public memory and public life of cities. The Plan has provisions for development of transit nodes as hubs of mix use and public activity and for creation of such imageable landmarks. (ref: MOB2 and DEV4)

v) **Market places:** People associate with many of Delhi's diverse markets for special products and experiences. These markets including District Centres and Community Centres can become Active Travel Districts with pedestrianised stretches for enhanced shopping experience. (ref: MOB3)

vi) **Recreation hubs:** Development of various green entertainment hubs, performance and concert spaces, weekend destinations, theme parks, etc., is anticipated in the Green Development Area, which will add to the inventory of city-level public spaces. (ref: DEV2)

5.2.3 **City level circuits:** Public space networks form an important strategy for

fostering a safe and vibrant public realm. The Plan identifies numerous opportunities in Delhi for creating green corridors, heritage and cultural circuits or even temporary festival circuits. An indicative list of potential circuits is given in **Annexure 6**. Such circuits shall be taken up for improvement of public facilities for walking, resting and social interaction, for facilitating cultural and/or creative economies and themed events, etc. (ref: HCP2; MOB 3)

5.2.4 **Nightlife Circuits (NCs):** Night time economies (NTE) and an active night life are important for improving safety, reducing congestion by staggering activities, utilising spaces for different activities optimally, and improving productivity for formal as well as informal economic activities.

i) Streets or areas such as cultural precincts, areas with concentration of heritage assets, areas in the Central Business District, etc. that have a vibrant nightlife presently shall be priority nodes of Nightlife Circuits (NCs).

ii) Local bodies, Tourism Department and other concerned agencies shall identify NCs and permit extended timing for hotels, restaurants, socio-cultural activities, entertainment, sports facilities, retail stores etc., to function in the night as per stipulations.

iii) Concerned agencies shall work jointly in identified NCs to facilitate adequate illumination, security and easy access by public transport. Special metro lines and bus routes may be permitted to operate at low frequency during night time.

iv) All new constructions/redevelopments along identified NCs shall be incentivized to create active frontages.

v) Concerned agencies can collaborate with artists' collectives, cultural groups, resident's groups, youth groups, market and vendors associations and weekly markets etc., to organize seasonal or cultural festivals, themed night walks, etc.to promote NCs.

5.2.5 Innovative mechanisms of financing public space improvements through advertising, short-term leasing of public spaces, use of CSR funds, etc., may be explored by concerned agencies.

5.3 Improving local public spaces

5.3.1 **Public life on streets**: Streets occupy approximately 20 percent of the total land in Delhi and are the most ubiquitous form of public space in the city. The Plan focuses on leveraging this potential and reclaiming streets as places for people

i) Walkability shall be facilitated across the city providing barrier-free environment with adequate street infrastructure, shading, and public conveniences as per the Street Design Regulations in Annexure 7.

ii) Public life on streets shall be further improved by creating opportunities like street vending zones, accessibility to all types of users, pedestrian crossings and public plazas as per Clause 5.3.2.

5.3.2 **Public Plazas:** Plazas range from neighbourhood chowks and nukkads to institutional forecourts, city squares and piazzas, and form important pause points along movement networks.

5.3.2.1 Plazas of the following types shall be encouraged in the city:

i) Standalone plazas– These can be in the form of forecourts of buildings, and may be on-ground as well as elevated levels.

ii) Corner plazas along streets – These may be developed at the intersection of streets. The plot edges or building edges may be chamfered or inverted or recessed creating corner plazas for spill over of commercial/institutional uses.

iii) Mid-street plazas – These may be created by recessing plot lines or building edges along a street, particularly in front of public buildings.

5.3.2.2 Plazas shall be planned as part of layout plans in all greenfield and brownfield layouts/schemes as per prescribed norms for different types of development.

5.3.2.3 In case plot area is provided for development of public plazas, FAR for such area shall be permitted to be utilized in the remaining plot.

5.3.2.4 Plazas shall be provided as part of all transit station projects at ground, concourse or other elevated levels to facilitate public movement and act as spill over areas.

5.3.2.5 Public Plazas shall remain un-gated and open to general public at all times.

5.3.3 **Activity programming:** Appropriate programming through activity-generating uses plays a vital role in ensuring vibrant and safe public areas with eyes on the street. Stronger relationships between public areas and surrounding buildings shall be promoted through the following:

5.3.3.1 **Norms for flexible mix of uses and vertical mixing** as proposed in the Plan, promote a mix of activities within plots/buildings resulting in areas remaining active for longer periods during the day. Public uses such as libraries, book stores, retail, post offices, etc., to be mandatorily placed on lower floors with easy access from the street.

5.3.3.2 **Active Frontage:** A certain percentage of active frontages in the form of arcades, colonnades, shopfronts, pedestrian entries/ exits, plazas, access points, transparent shop windows etc., shall be maintained along roads with RoW of 18m or more as part of regeneration projects (ref: DEV3). In greenfield areas such active frontage shall at least be maintained along 24m. streets. Buildings along such edges shall be built-to-edge as per applicable norms. In places where boundary walls are permitted, care should be taken to maintain visual connectivity with the street (Annexure 7).

5.3.3.3 MUZs, subways and public/private plazas shall be programmed with kiosks, informal vending, public art, performance etc. Attractive play elements, water features, street furniture, charging points, reading corners, etc. can greatly enhance the quality of public spaces by providing pause spaces along movement corridors.

5.3.4 **Local parks:** A hierarchy of parks, greens and open spaces for meeting different types and scales of needs shall be implemented in greenfield, as well

as brownfield areas. Multi-use of grounds within schools or other public institutionsas community parks after school hours may also be encouraged.

5.3.5 **Privately-owned public spaces (POPS):** The Plan promotes development of POPS that shall remain private property and be maintained by the owner/developer, but provide open public access during regulated hours at ground or elevated levels within buildings.

i) Such spaces shall be considered free of FAR. Developers shall be permitted to locate activity generating uses around such areas but no kiosks or commercial use shall be permitted within the designated public area.

ii) Such spaces shall be over and above the commercial spill over spaces or private open spaces created by developers for commercial use. This shall also not compensate for any open space requirements that have to be mandatorily provided by landowners/ developers.

5.4 Other interventions for improving public spaces

5.4.1 Provisions of fire safety shall be ensured in all public spaces and evacuation areas shall be identified by concerned authority in proximity of all congregation spaces and public buildings to be used in the event of any disaster.

5.4.2 **Public Art:** Temporary public art installations and street performances shall be encouraged in public spaces. Residual spaces such as subway crossings and space under flyovers may be activated through such interventions, ensuring that users are not inconvenienced. The guidelines on Public Art Policy as prepared by DUAC to be followed.

5.4.3 Citizens and other stakeholders can play a major role in public space management through initiatives such as conducting regular audits of public areas in terms of accessibility, safety and illumination, needs of specific user groups, etc., and sharing these with concerned agencies. Concerned agencies may also gather public opinions by integrating public space user surveys as part of the active travel and other smart applications.

--- x --- x ---- x --- x ---

6.0 MANAGING DELHI'S HERITAGE

Chapter code
HCP2

6.1.1 'Heritage' comprises tangible elements (monuments, buildings, streets, gardens, etc.) as well as intangible ones (festivals, traditional craft products, art forms, etc.) of historical and associated cultural value. The Plan adopts a holistic approach and envisages improvement of heritage assets as well as cultural hubs in the following manner:

i) Conservation and/or adaptive reuse of heritage assets.

ii) Provision of infrastructure, quality of life and economic vitality in historic areas.

6.2 Conservation of heritage assets

6.2.1 Location of all heritage assets that are maintained by respective agencies, shall be integrated with the GIS- based Delhi Spatial Information System. The list of the heritage assets shall be updated every 5 years in order to assess their condition and take the necessary steps towards conservation.

6.2.2 Conservation and management of national and state protected monuments, buildings and any development within the regulated and prohibited areas shall be as per relevant Acts/laws. Comprehensive Cultural Resource Management Plan of each area /site including infrastructure upgradation, visitor amenities etc. shall be prepared and implemented in consultation with the local community.

6.2.3 The Authority may identify any other buildings/clusters of heritage/cultural value including old markets, pre-1962 structures, isolated premises such as school adjoining Jama Masjid, Presentation Covent School, Church at Kashmere Gate, municipal offices at old Hindu College complex etc., where additions/ alterations shall be within the overall frame of conservation on a case to case basis.

6.2.4 Owners of heritage buildings that are listed by local bodies can avail the following incentives to ensure conservation and sensitive use/reuse of such assets:

i) Alterations shall be permitted in these buildings, based on the grade of the building.
ii) Adaptive Reuse of structures shall be permitted as per Clause 6.2.4.
iii) Incentive FAR shall be offered as per Clause 6.2.5.
Enabling provisions by local bodies and concerned agencies as per Clause 6.2.6.

6.2.5 **Adaptive Reuse:** Heritage buildings identified by the local bodies are mostly privately-owned and in active use by the occupants. In such buildings, the constituent owners shall be encouraged to conserve such buildings and make adaptive use/ reuse of such assets in conformity with the historic context. Introduction of any new compatible use/s shall be permitted within heritage buildings as notified by local bodies for which separate Regulations shall be formulated.

i) In heritage buildings where adaptive re-use is being planned, the provisions of UBBL may not be insisted upon for measurements as these buildings and structures have already been built.
ii) Construction of temporary structures for activities such as informal markets, food courts, cultural events, etc. shall be permitted in open areas within the site, subject to permission from local bodies and Delhi Fire Services wherever applicable.

6.2.6 **Heritage TDR:** Owners of heritage buildings notified by local bodies shall be

compensated for loss of development rights. The unutilised FAR shall be calculated using the permissible FAR on the respective land use. Owners shall also be eligible to an incentive FAR of 20 for preservation and upkeep of the heritage property retaining its original heritage character and fabric.

i) The total FAR (unutilised and incentive) shall be awarded in the form of TDR (transferable development rights) that can be utilized in identified TDR Receiving Areas (ref: DCN).

ii) The TDR Certificate shall be issued by DDA; only after due repairs and improvement of the property have been made and relevant certification obtained from concerned agencies.

iii) Local bodies/concerned agency shall levy penalty in case of failure to meet committed repairs and maintenance or in case of damage to heritage value of the building.

6.2.7 **Other enabling provisions:**

i) Local bodies may set up Heritage Cells that will manage heritage assets, monitor status of their upkeep, delineate cultural precincts, promote complementary economic/ cultural activities, conduct festivals, walks etc., facilitate adaptive reuse projects and set up a Heritage Fund to support these initiatives. Such a Heritage Cell may identify other landmark modern and industrial heritage buildings/part buildings/sites

ii) Concerned agencies shall facilitate owners of heritage properties to undertake conservation of their heritage structures. A portal shall be developed by each agency with information of list of heritage structures, empanelled technical experts with expertise in heritage buildings, artists, executing agencies, information on projects being taken up, identified potential investors etc.

iii) Concerned agencies shall also implement programs for education and sensitization and support initiatives such as heritage walks to be undertaken by local bodies / concerned agency.

iv) CSR Funding may be promoted to adopt /conserve and manage the Heritage assets.

6.3 Heritage and cultural clusters in the city

6.3.1 Three types of heritage/ cultural clusters are identified in the city,

i) **Heritage Zones:** Heritage Zone i**s** an area, which has significant concentration, linkage or continuity of buildings, structures, groups or complexes, united historically or aesthetically by plan or physical development etc. The following areas are identified as Heritage Zones:

a) Walled City of Shahjahanabad
b) Lutyen's Bungalow Zone (LBZ)

Annexure 8 as listed should be part of Heritage

ii) **Cultural Precincts:** A Cultural Precinct represents a concentration of fragmented heritage, both tangible and intangible with architectural, historical, cultural and associational values within a defined area connected to each other by streets and cohesive built form. Such precincts may be separate or part of Heritage Zones. Annexure 8 is the indicative list of cultural precincts.

iii) **Archaeological Parks:** Archaeological Park is an area distinguishable by heritage resource and land related to such resource, which has potential to become an interpretative and educational resource for public in addition to value as a tourist attraction. Archaeological Parks shall be defined based on evaluation of the pertinent aspects like form, design, materials and substance, use and functions, tradition and techniques, location and setting, spirit and feeling and other internal and external factors attraction. The designated Archaeological Parks in Delhi are:

a) Mehrauli Archaeological Park
b) Tughlaquabad Archaeological Park
c) Sultan Garhi Archaeological Park
d) Indraprastha Archaeological Park
e) Northern Ridge Archaeological Park

The above list is indicative and more Heritage Zones, Cultural Precincts, Archaeological Parks may be added by concerned agencies.

6.4 Strategies for heritage zones and cultural precincts

6.4.1 **Shahjahanabad as a cultural enterprise hub**: The walled city is the historical core and business centre of the city, rich in both tangible and intangible heritage. The World Heritage site of Red Fort is located here besides numerous notified heritage assets. Its unique fabric comprises of *katras*, bazaars, historical markets, streets and vistas as well as intangible cultural experiences like festivals, poetry, traditional craft products, cuisine, and textiles, etc. that are unique to Delhi. However, the area faces numerous challenges such as continued wholesaling, warehousing and polluting/hazardous economic activities, and traffic congestion due to movement of goods, dilapidation of buildings, lack of infrastructure and ad-hoc and insensitive transformations leading to disruptions in the built fabric. A multi-agency coordinated initiative shall be taken up for revitalization of the area during the Plan period:

i) All Cultural Precincts within the walled city shall be delineated within 2 years. SRDC/concerned local body shall prepare and implement plans for all such precincts as per Clause 6.4.3. Support may be provided to owners of heritage buildings to undertake conservation / adaptive reuse as per Clauses 6.2.3-6.2.6.

ii) The local body shall prepare a plan for the area identifying all major markets, commercial and mixed-use streets. All noxious industries and hazardous trades, godowns and wholesale activity generating freight movement shall be removed from the zone and shifted to designated areas in the city within a period of 10 years. Old markets such as Lajpat Rai market shall be retained as prescribed in previous plans. Existing activities may continue in the form of retail. The clustering and agglomeration of inter-connected retail activity associated with old city and as identified by local body shall be promoted.

iii) To encourage the development of the area as a cultural enterprise hub, uses such as artist studios, performance spaces, museums, libraries,

cafes, music venues, co-working spaces, craft centres, hotels, B&B facilities shall be permitted in plots with access from minimum 6m road, irrespective of applicable land use. (ref: DEV3)

iv) The fine grain fabric and street morphology of Shahjahanabad is critical to its character and shall be retained. Henceforth, group housing typology and stilt parking shall not be permitted. However, reconstitution of larger areas (such as at sub-zone level) shall be permitted for purposes of integrated area improvement and regeneration. All regeneration within the walled city shall be as per the specific development and urban design controls provided. (ref: DCN)

v) Walled City is a node for night life circuits in the city. (ref: HCP1)

vi) The local body and other concerned agencies shall facilitate/ implement the following area improvement initiatives.

a) A traffic management plan shall be implemented for the walled city, identifying vehicular thoroughfares, pedestrianized areas and streets, NMT routes, limits and timings for service vehicles, common parking areas for residents and tourists, and commuter dispersal plans around metro stations that serve the walled city.

b) Active travel shall be promoted in the area and it shall be a priority ATD providing facilities for walking, cycling, PBS etc. (ref: MOB3).

c) No more open spaces in the walled city shall be taken up for creation of MLCPs as a large number of metro stations are closely located in the area. Any existing surface public parking sites shall be maintained as pervious areas. All statutory clearances shall be obtained.

d) Area level plans for katras, bazaars etc., shall be prepared in consultation with residents and stakeholders for identifying common public areas to be used for evacuation during emergencies as well as need- based provision of socio-cultural facilities and installation or improvement of services and utilities.

e) Decluttering of overhead wires that increase the risk of fires shall be remedied through appropriate technological solutions (ref: INF4).

6.4.2 **Lutyen's Bungalow Zone:** This area comprises of the seat of the central government including important assets like Rashtrapati Bhawan, Parliament House, India Gate, Supreme Court, Delhi High Court, North and South Block, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, offices of various central ministries, museums, art galleries and bungalows that serve as government residences. LBZ has its own unique character with wide tree lined avenues, Central Vista, roundabouts, big private and public gardens, and significant examples of colonial architecture.

i) Development-oriented norms shall be formulated by the concerned agency for regeneration of the LBZ without compromising on its heritage value and aesthetic character.

6.4.3 **Provisions for Cultural Precincts:** The following provisions shall apply:

i) Delineation of boundaries for listed Cultural Precincts (on the basis of principles formulated for this purpose) shall be carried out by the local body and shall be delineated in the Zonal Plans.

ii) Cultural Resource Management Plan (CRMP) shall be prepared by local body/concerned agency for each precinct, incorporating urban design and built form controls. Wherever feasible, active frontage at the ground level shall be encouraged along the main streets of the precincts. Socio- cultural activities shall be promoted within the precincts.

iii) The streets and street networks that form a part of the precincts shall be treated as priority ATDs for street improvement and development of facilities such as PBS and NMV.

iv) Green Corridors along natural drains that connect different heritage assets or precincts shall be developed as eco-cultural corridors with adequate amenities for tourists.

v) Heritage trails/walks shall be encouraged in the Precincts. Such trails may be integrated with Nightlife Circuits and cultural festivals to increase their vitality. (ref: HCP1)

6.4.4 **Provisions for Archaeological Parks:** CRMP shall be prepared, emphasising conservation of built heritage amidst the natural heritage. The Plan shall identify all potential resources such as historic structures, gardens, orchards, open water bodies, step wells, baolis etc. and provide specific urban design controls required for sensitive development of the site.

i) Archaeological Parks have the potential to become tourist hubs with passive leisure activities. The natural historic ambience of these sites shall be preserved by sensitive landscape design

ii) Restaurants/ cafes, libraries, kiosks, interpretation/exhibition/training centres, tourist information centres, souvenir stores and public conveniences shall be permitted as per norms.

iii) Adaptive reuse of structures as identified in the CRMP may be taken up as per feasibility.

iv) Temporary structures constructed with eco-friendly material may be permitted for a limited period (subject to clearances) for hosting festivals, events, farmers' markets, exhibitions, etc. Temporary public art and installations shall also be encouraged.

--- x --- x ---- x --- x ---

SECTION 4

SHELTERAND SOCIAL INFRASTRUCTURE

BACKGROUND AND KEY POLICY CONCERNS

Housing:

The development of land and housing in Delhi has largely been the prerogative of the public sector, with limited private participation. Such processes have not kept pace with the growing demand for housing. The high cost of land in the city has also resulted in making housing unaffordable. As per Socio-Economic Survey of Delhi, GNCTD, 2018-19, 85% population requires affordable housing options. This mismatch has resulted in proliferation of unauthorised colonies (UCs) and slums, and densification of existing urban villages to accommodate such housing needs. Some of the area in the city have been developed without provision of proper infrastructure catering to a large population. As per Census 2011, almost 10.8% of the population lived in slums occupying 0.5% of the city's total area. Such areas suffer from poor quality of built stock, inadequate services, lack of amenities and open spaces, and lack of proper access even for disaster mitigation putting them at high risk in case of fires, earthquakes& other calamities.

In order to improve these areas, the Government has initiated the process of providing land rights to residents of identified UCs, through the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorized Colonies) Act, 2019. Approach is to focus on improvement in the overall quality of life, as well as that of the housing stock. For improvement of slums, in situ slum rehabilitation schemes shall be implemented, thereby reducing threat of evictions. In addition to the compromised structural quality, the housing stock is also congested, with more than 60% households (household size of 5) occupying one-room or two-room dwelling units. This hampers productivity, overall well-being and social relationships of family members. Housing demand estimations have taken this into consideration.

Around 28.4% of households live in rental accommodation (Census, 2011) and it is estimated that the number would have increased over the last decade. 32.3% of the population are migrants (Socio-Economic Survey of Delhi, GNCTD, 2018-19) and prefer rental housing due to low entry and exit costs. Most of this rental housing demand is being catered by unplanned settlements, with issues of tenure insecurity and compromised living conditions. There is a need to address the housing needs of students, single working men and women, migrants, etc. through affordable housing, rental housing, hostels, studio apartments, serviced apartments, dormitories, etc.

The NCT of Delhi has a sizeable portion of housing stock (both public and private) which is unoccupied and/or unsold. 11% of the Census Houses (including houses used as residence and residence-cum-other-uses) in Delhi are vacant (Census, 2011). There is a potential to bring such stock back into circulation through rental options.

Delhi is well connected to the NCR region, and regional housing developments especially in the affordable housing segment will continue to complement Delhi's shelter needs, given the differences in cost of land. This inter-dependency needs to be factored into the strategies for determining the tenure options and typologies for housing development in Delhi.

Based on the Census 2011 data, the housing demand for Delhi (2011-2041) is estimated to be 34.5 lakh dwelling units, assuming an average household size of 4.5 persons. The housing demand has been calculated by considering factors such as housing backlog, new demand generated due to increase in population, homeless population level of congestion in the existing dwelling units, the condition of the existing stock (obsolescence) that would need replacement and the availability of the vacant housing stock in the city. It should be noted that this does not take into the account any changes in housing stock post-2011 due to lack of data. The projections will therefore have to be recalibrated during subsequent plan reviews by taking into account the data available through Census 2021.

Social Infrastructure:

Delhi has a robust infrastructure serving the health, education, safety and security and socio-cultural needs of its residents as well as the region, with facilities both at the district/ zonal/ sub-zonal level and at the neighbourhood level.

This section sets out strategies for improving provision of housing and social infrastructure in the following chapters:

SSI1: Strategizing shelter
SSI2: Provision of social infrastructure

7.0 STRATEGIZING SHELTER

Chapter code
SSI1

7.1.1 The Plan provides a comprehensive framework for meeting the projected housing requirements over the Plan period. It facilitates both improvement in existing housing stock as well as creation of new housing inventory through regeneration of existing areas and planned development of greenfield sites. It also addresses the challenges and specific requirements of unplanned areas in the city.

7.1.2 Strategies of the plan will facilitate the following:

i) Improved availability of housing options by providing affordable rental housing, etc.
ii) Enhanced built environment, safety and quality of life in old and unplanned areas

7.2 Overall approach for improving housing supply

7.2.1 Future housing supply in Delhi shall be met through:

i) large scale development of sectors in the greenfield areas of the city using the model of land pooling. Identified land pooling areas have the potential to develop 17-20 lakh dwelling units;(ref: DEV1)

ii) development of low density and low FAR residential areas within the Green Development Area (ref: DEV2).

iii) regeneration of existing areas, both in terms of improvement of existing stock and creation of new units through densification (ref: DEV3).

iv) utilisation of increased permissible residential FAR (residential FAR has doubled since MPD-62) as part of reconstruction of plots will also contribute substantially.

7.2.2 A paradigm shift is envisaged in the supply scenario, with the private sector leading the development/redevelopment of housing over the plan period. Public agencies shall play the role of a 'facilitator' and ensure ease of doing business, through appropriate regulatory environment.

7.2.3 All housing areas shall be developed as complete neighbourhoods with requisite local facilities within walking distance. Such facilities shall be provided as part of Residential layout.

7.2.4 In order to address the housing needs of the migrant population across all income groups, rental and affordable housing shall be promoted within the city, particularly in areas closer to transit. Public projects for TOD or large-scale regeneration may especially focus on creating such affordable rental housing options. Incentives shall also be offered for encouraging the private sector to provide rental housing.

7.2.5 Given the limited availability of land, housing supply shall be maximized by ensuringthe development of small format housing of 40-60 sq.m.

7.3 Housing in new development areas

7.3.1 Development in the land pooling areas provides opportunities for creating multiple housing typologies. Development of rental housing (including affordable rental housing) shall be promoted. At the sector level, 25% of the net residential FAR shallbe utilised for creating small-format housing.

7.3.2 On Low Density Residential Plots (LDRP), residential typology of low density residential dwelling units, retirement homes, assisted living for elderly and thosewith special needs, etc., shall be permitted.

7.4 Regeneration of existing planned residential areas

7.4.1 Regeneration will enable optimal utilisation of urban land to create new housing, and also to improve the quality of housing and transform each area into self- sustained resilient neighbourhoods with equitable access to civic amenities and recreational spaces.

7.4.2 For all planned residential areas, other than government-owned housing and slum rehabilitation schemes, regeneration would primarily be a private sector-led initiative. Amalgamation of plots and FAR-linked incentives shall be permitted.

7.4.3 Group housing shall be preferable as part of regeneration schemes and such projects shall provide affordable housing as per MPD provisions.

7.5 Regeneration of existing unplanned residential areas

7.5.1 **Unauthorised Colonies (UCs):** Regeneration of UCs shall be as per the provisions of DEV3. Settlement-level improvements will be required to make all parts of the settlement accessible for emergency vehicles like ambulances and fire tenders.

i) Appropriate incentives and relaxations in norms shall be provided for facilitating amalgamation and joint regeneration of areas.

ii) Given that the residential density in these areas is high, therefore, amenity FAR as an incentive may be provided for creation of facilities as per Urban regeneration norms.

7.5.2 Concerned agencies and landowners shall ensure protection of their lands within land pooling areas, GDA and other vacant lands in the city to prevent further growth of UCs and unauthorised construction activity of any kind.

7.5.3 **Urban Villages:** have emerged as islands of unplanned growth in the city. They have similar issues to UCs and have emerged as major hubs of rental housing. Many of the urban villages are also of heritage importance and will need a mix of regeneration and conservation strategies. Specific regulations for development and regeneration of urban villages shall be formulated by DDA within 2 years of notification of this plan.

7.6 Housing for urban poor

7.6.1 Slums/JJ clusters on tenable sites shall be improved through in-situ slum rehabilitation or area improvement schemes. Relocation shall be considered only in case the underlying site is untenable.

7.6.2 **Resettlement colonies:** Resettlement colonies are facing issues of accessibility, lack of adequate services and poor quality of construction and dilapidation. These colonies shall be taken up for regeneration as per the provisions of DEV 3.

7.7 Promoting rental housing

7.7.1 Metropolitan cities across the world maintain a diversified rental housing stock providing residents and migrants tenure flexibility, geographical mobility and affordability (low entry and exit cost). Given the high cost of land in developed parts of the city this also ensures availability of housing for a variety of income

groups closer to their workplaces, thereby minimizing trips distances.

7.7.2 Public agencies shall develop a proportion of their housing inventories in the form of rental housing. This may be of various forms such as service apartments, dormitories, etc. A mix of rental options such as affordable rentals with controlled rents, market rental units, rent-to-own models may be explored. Public agencies may also consider bringing their unsold/vacant public housing stock into the rental market to ensure utilization of such assets.

7.7.3 **Affordable Public Rental Housing (APRH):** DDA and other concerned public agencies may take up dedicated APRH projects on public lands close to activity centres (industrial areas, educational hubs, etc.) to improve the availability of affordable rental stock.

7.7.4 The large number of EWS housing units created as part of group housing projects provide opportunities to improve the availability of affordable rental housing stock. Suitable models may be explored for facilitating the same. Employer Housing projects of government agencies may be exempted from provision of EWS housing after approval of competent authority.

7.7.5 In order to improve management of such rental assets, public agencies may seek the services of Rental Management Agencies and housing aggregators. An online portal giving information regarding availability, location, rentals, etc. shall be created.

7.7.6 Incentives shall also be offered for encouraging the private sector to implement rental housing or other non-ownership formats like serviced apartments, worker housing, etc. as follows:

i) Industrial areas and warehousing/freight complexes shall develop affordable rental housing units by utilising 15% additional FAR.
ii) Rented housing shall be promoted as part of Group housing projects.
iii) Rental housing shall be permitted and encouraged in all greenfield, reconstruction and regeneration projects in the city.

7.7.7 Enabling environment for rental housing shall be further improved by revision of prevailing rental acts/laws/rules.

-- x -- x --- x -- x --

8.0 PROVISION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE

Chapter code
SSI2

8.1.1 Social infrastructure covers a wide range of public and semi-public (PSP) facilities including health, education, socio-cultural facilities, safety and security infrastructure, communications, distributive facilities and other functions. Planning, development and delivery of social infrastructure is done through multiple service providing agencies. The Plan provides a framework for enhancing the adequacy and accessibility of high-quality social infrastructure that caters to the needs of all stakeholders.

8.1.2 Strategies of the plan will facilitate:

i) Improved availability and accessibility of social infrastructure

ii) Increased flexibility to introduce new uses/functions as per changing needs

8.2 Key strategies for improving availability of social infrastructure

8.2.1 Optimal use of available land/space for social infrastructure:

i) Flexibility is provided to develop social facilities as part of built-up area through vertical mixing. This will help to create facilities in areas where adequate land is not available.

ii) Local level facility plots shall be treated as 'multi-facility plots' that can be utilised for co-location of compatible facilities as per requirements. Such plots shall be allowed enhanced FAR to accommodate multiple uses.

iii) PSP sites shall be permitted to use a part of the FAR for supporting uses. This will facilitate better utilization of available community facilities such as multipurpose halls, socio cultural centres etc.

This strategy will ensure adequate provision of facilities, thereby improving quality of life and facilitating decentralised, self-sufficient areas.

8.2.2 **Protection and enhancement of existing facilities**

i) Regeneration schemes shall be permitted to include facility plots within the scheme area to facilitate improvement of facilities. The DE will have to provide for equal or more facilities as per norms in the new design.

ii) Redundant/ underutilized/ unused social infrastructure plots shall be permitted to migrate to other PSP uses. This will ensure that limited PSP land resources are fully utilised.

8.2.3 **Ensuring facilities for all**

8.2.3.1 Facilities for children, women, elderly, people with special abilities and families from economically weaker background are to be provided as per DCN.

8.2.3.2 All new facilities and public conveniences shall be developed/ designed to ensure accessibility and ease of use. Existing facilities may be retrofitted to ensure the same.

8.2.3.3 PSP facilities shall also be created in inadequately served unplanned areas through:

i) Reduced norms for plot area, setbacks etc. /built-up area for essential social infrastructure like primary health and education.

ii) Amenities FAR shall be provided over and above the permissible FAR of regeneration scheme for unplanned areas. Such FAR shall be mandatorily utilised for developing essential facilities.

8.3 Hierarchy of Social infrastructure

8.3.1 The Plan provides for the following population linked hierarchy of social infrastructure

i) **Local level:** Facilities catering to the day-to-day needs of the local population, shall be adequately distributed at 10,000 population.

ii) **Community level:** Community level social infrastructure shall serve a

population up to 1 lakh.

iii) **Sub-city level:** Larger level facilities which shall serve population up to 5lakh and shall be distributed at sub-city level.

iv) **City level**: City level social infrastructure shall cater to the city as well as theregion.

8.4 Types of Social Infrastructure and Facilities

8.4.1 Healthcare

8.4.1.1 Emerging needs in healthcare services shall be addressed by provision of adequate facilities as follows:

i) General, specialty healthcare, alternative medicine and para medicalservice.

ii) Care facilities for elderly, persons with disabilities and for people with special needs, facilities for physical and mental healthcare, de-addiction centres/ drug-rehabilitation centres, after-care centres etc.

iii) Clusters of tertiary healthcare and related R&D facilities

8.4.2 Education

8.4.2.1 A two-pronged approach is adopted for development of education facilities:

i) Ensure availability/ access to school-level education in all areas;

ii) Integration of higher education with skill development of opportunities for employment, emerging economic sectors and industry requirements;

iii) Enhance availability of education and training facilities for children and persons with disabilities or special needs as per provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;

iv) Give special emphasis to provision of early learning and child-care facilities to ensure holistic development of infants and toddlers and provide support to families and working women.

8.4.2.2 All new schools in Delhi shall be integrated (i.e. from pre-primary to higher secondary level) and all-inclusive (with respect to the requirements of children with special needs). Schools for children with special needsmay be permitted as a standalone facility.

8.4.2.3 Clusters of higher education and knowledge industry that are emerging as important economic sectors for Delhi shall be promoted within industrial areas, BPDs and TODs.

8.4.3 Socio-cultural facilities

8.4.3.1 In order to reinforce Delhi's prominence as a cultural hub, the Plan proposes to create new destinations (convention/ interpretation centres, theatres, museums, etc.) as well as experiences (cultural precincts, economic hubs, etc.).

8.4.3.2 Such city level socio-cultural uses will be permitted as part of archaeological parks, and green buffers along natural drains. Large format performance spaces and convention facilities shall also be permitted in the Green Development Area.

8.4.3.3 Local level socio-cultural facilities shall be strengthened to serve diverse needs such as those of senior citizens, youth, families, etc. Multi-purpose spaces will accommodate the local needs for skill development centres/ training centres/ gathering spaces/ libraries/ child-care facilities, etc.

8.4.4 **Safety and Security Infrastructure**

8.4.4.1 Ensuring law and order and safety against crimes and accidents as well as emergency services is the responsibility of multiple agencies such as Delhi Fire Services, Delhi Police, Delhi Traffic Police and Delhi Disaster Management Authority. Such facilities need to be appropriately distributed across the city, accordingly decentralisation of such facilities at local and sub-city/ city levels is recommended.

8.4.4.2 Training facilities/security camps, parade grounds, etc. that require larger areas are also proposed as part of city level infrastructure.

8.4.5 **Postal and Telecommunication facilities**

8.4.5.1 The Post and Telecommunication infrastructure has transformed extensively over the last two decades. The concerned departments/ agencies shall assess the current utilization of allocated land/ built space and explore possibilities for better utilisation of land.

8.4.6 **Distributive facilities**

8.4.6.1 Facilities like milk, fruit, vegetable are day-to-day requirements at local level. In addition, the PDS facilities/ fair price shops may be provided in close proximity.

8.4.6.2 Sub-city and city level facilities for supply of PNG, LPG, and other fuels etc., used for domestic purpose, shall be permitted in compatible use zones.

8.4.7 **Cremation-Burial- Cemetery facilities:**

8.4.7.1 Provision of facilities under this category is based on the needs of different faith groups. The Plan encourages adoption of innovative approaches for making such facilities more eco-sensitive (gas-fired/ electric/ green, cremation facilities) and provides appropriate space for accommodating the same. Burial grounds for animals to be located separately.

8.4.8 **Public Conveniences**

8.4.8.1 Public conveniences shall be developed as prescribed in UBBL and as per provisions of Advisory on Public and Community Toilets issued by Central Government (2018). Such facilities shall be sensitive to the needs of children, women, elderly and persons with special abilities and also accommodate child care facilities.

8.4.8.2 Public conveniences shall be permissible in all use zones and shall also be improved as part of improvements in street infrastructure.

8.4.9 **Other Community facilities**

8.4.9.1 Other community facilities such as religious facilities, care centres, old-age homes, orphanages, women homes, corrective/ remedial facilities, juvenile homes, observation centres, detention facilities, etc shall be provided asper plan.

----x--x---x--x--

SECTION 5

TRANSPORT AND MOBILITY

BACKGROUND AND KEY POLICY CONCERNS

Delhi is the core of the NCR with strong regional interdependencies with the surrounding towns (Gurgaon, Noida, Greater Noida, Ghaziabad and Faridabad) in terms of housing, employment, higher education and health facilities, and other goods & services. This leadsto large-scale regional movement of people and goods on a daily basis, resulting in severe stress on existing transport infrastructure of the city. New developments in adjoining urban centres and upcoming regional infrastructure in the form of Integrated Freight Complexes (IFCs), International Airport at Jewar, industrial corridors like Delhi Mumbai Industrial Corridor(Western) and Amritsar Kolkata(Eastern), Dedicated Freight Corridors etc., will significantly impact the commuter and freight movement patterns and these needto be factored into the transport strategies for the city.

The inception of the metro has brought the CNCR towns closer. However, despite the metro playing a significant role in transporting people within the CNCR, roads providing regional connectivity within Delhi indicate high levels of congestion, high traffic flow, and excessive delay and queuing on roads.

According to the Delhi Economic Survey Report (2019-20), although the annual growth rate for the vehicle sales almost halved to 4.4%, the count of vehicles in Delhi has morethan doubled to 643 per thousand population in 2019-20 from 317 in 2005-06. Among other issues, the increase in number of vehicles has manifested in increased demand for parking. The issues of parking strategies, with equal emphasis on parking demand management, are to be addressed.

Delhi has a very high share of daily active travel (walking and cycling) trips, constituting 42 per cent of the total trips. However, in the last decade, the share of walk trips has shownonly a negligible increase and cycle trips have reduced by nearly a third. Most of Delhi'sroads are also not conducive for pedestrian and cyclist movement due to unequal road space distribution and lack of adequate infrastructure. In 2018, more than half of the fatal road accidents in Delhi involved pedestrians and cyclists. Road safety has emerged as one of the important concerns in Delhi, and measures to create a safe walkable and cyclable environment are urgently required

Modal Split of Motorised Trips

Delhi has a robust public transport network in the form of metro, ring rail and bus services. Apart from intra-city trips, the metro caters considerable long distance regional trips also, with maximum footfalls seen on the Yellow, Blue, and Red lines that connect Delhi to the neighboring towns of Gurgaon, Noida and Ghaziabad, respectively. Buses are the preferred and most accessible mode of public transport due to affordable pricing and network coverage. Ring Rail, a part of Delhi's legacy infrastructure, is being used for transporting freight and is presently running at only 50% of its potential passenger ridership. While the Ring Rail plays a significant role in freight transport and keeps almost 20,000 trucks off Delhi's roads, its role in transporting people needs to be re-imagined.

New mobility trends show that people are shifting towards app-based mobility options as it offers flexibility of mobility and provides an alternative to owning a private car. Emergence of these shared mobility options complemented by the expansion of the metro network, is gradually changing mobility choices made by commuters from private ownership to shared or public transport-oriented options.

Public transport system of Delhi needs further integration at institutional level, spatial level and at systems level; to provide a seamless travel experience to the commuters. Institutional integration could be enabled by a larger mandate, efforts towards achieving spatial integration (land use & transport integration, multi modal integration, last mile connectivity, etc.) and systems integration (bus route rationalization, Intelligent Transport Systems including unified ticketing, command and control center for better traffic management, etc.), have been initiated, but need to be reinforced.

The upcoming High Speed Rail (HSR) Corridor, Regional Rapid Transit System (RRTS), construction of bypass/peripheral roads, etc., will serve to redefine regional mobility and decongest Delhi.

Additionally, the TOD Policy provides Delhi with a unique opportunity to redevelop and densify strategic areas and improve public transport accessibility. The Electric Vehicle Policy of GNCTD is also a step towards promoting green mobility options in Delhi and reducing carbon footprint. Mobility trends in future will lean towards Electrification, Shared Mobility, Mobility on Demand and Autonomy; therefore, it becomes important for Delhi to change gears from building for transport to managing travel demand. The land pooling areas in Delhi will also offer the opportunity for improvement of last mile connectivity to the upcoming mass transit network in these areas.

Considering the projected population growth for the horizon year, Delhi is estimated to generate 46.2 million trips daily (excluding walk trips), with an average per capita trip rate of 1.58. The total number of trips has been estimated based on the following assumptions:

- 50% of the population would be living within the transit influence zones by 2041. The mixed-use development in these zones will reduce the need to undertake a trip and proximity to the transit node would encourage a shift towards PT.
- Large section of the population would be working from home considering a largershift towards service sector by the horizon year of 20 years.

By 2041, the Plan envisages Delhi to achieve a modal split of 80:20 in favor of public and shared transport. This will require a 1% increase in the public and shared mode trips every year and an equal reduction in private vehicular trips.

This Section comprises of the following chapters with framework for coordinated planning and execution of mobility initiatives to improve the efficiency of the transportation system as a whole. It also provides different strategies for improving regional and local connectivity and transport infrastructure, enabling modal shift in favour of shared modes, enhancing facilities for walking and cycling, optimizing parking requirements and facilitating better parking management:

MOB 1: Improving connectivity and transport infrastructure
MOB 2: Shifting from private to shared mobility
MOB 3: Making Delhi walkable and cyclable
MOB 4: Managing Parking in Delhi

9.0 IMPROVING CONNECTIVITY AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Chapter code
MOB 1

9.1.1 The mobility network of Delhi needs to constantly evolve and respond to the new developments in adjoining urban centres and upcoming regional transport and logistics infrastructure. impacting the commuter and freight movement patterns of the city. The city also needs to address internal challenges for providing access to newly urbanized areas, reducing congestion, revitalizing underutilized transport infrastructure, encouraging walking and cycling, etc. Importantly, mobility trends in the future will be characterized by increased use of clean fuels, implementation of technologically advanced transit systems and artificial intelligence for traffic and parking management. There is a need to gear up for such transformational changes and implement efficient and sustainable mobility solutions in the city.

9.1.2 The regional and city-level strategies presented in this chapter envisage the following:

i) Enhanced inter-city and intra-city commuter and freight movements
ii) Improved utilization of land assets associated with transportation
iii) Substantial migration to smart and green mobility solutions

9.2 Improving regional connectivity

9.2.1 **Rail:** The railways connect Delhi to the rest of the country through five major railway stations, namely New Delhi, Old Delhi, Hazrat Nizamuddin, Anand Vihar Terminal and Delhi Sarai Rohilla. Station redevelopment of the existing railway stations will improve the multi-modal traffic flows and commuter movement around the station areas. Interchange facilities shall be developed between railway stations and proximate ISBTs, bus terminals, metro or RRTS stations, etc. in the form of multi-modal transit hubs. Over station development controls of the transit-oriented development for identified sites is being permitted to provide better transit andpassengers facilities at these terminals. (ref: DEV3)

9.2.2 **Air:** The international and domestic air passenger movement is catered to by Indira Gandhi International Airport and Palam Airport. This airport has an annual passenger footfall of 67.3 million. With the inception of the International Airport at Jewar, it can be anticipated that some of the passenger and freight traffic will get diverted from IGI Airport. The connectivity between these two airports, Delhi and the new Airport at Jewar need to be strengthened through road-based and, metro- based connectivity.

9.2.3 **Mass Rapid Rail:** Strategic corridors of the Delhi Metro shall be implemented to further improve the connectivity of the NCR cities. The Regional Rapid Transit System (RRTS) and High Speed Rail Corridor will play a major role in decongesting various entry points into the city and further reinforce the strong interlinkages between Delhi and the surrounding region for economic activities, housing and other services. RRTS stations within Delhi to be located in close proximity to existing railway terminals/ stations, metro stations and ISBTs and have direct interchange facilities for seamless travel of commuters. Wherever feasible such stations to be integrated with other local mass transit stations as multi-modal transit hubs (ref: MOB 2).

The **Inter-State Bus Terminals (ISBTs)** serve as important regional connectivity nodes of the city. These nodes need to be improved by creating interchange facilities with other transit stations as multi-modal transit hubs, wherever feasible. (ref:MOB2). All future proposals for ISBTs preferably be located at entry points of the city on National Highways with robust multi-modal connectivity with rest of the city.

9.3 Institutional framework for integrated mobility management

9.3.1 An efficient urban transport system requires high level of coordination at all levels of planning, implementation and day to day operations at both city and regional level. The previous plan recommended setting up of a **Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA)** for this purpose. This Plan endorses this proposal and further recommends that the possibility of creating such an authority should be examined in a time bound manner.

9.3.2 Till such time that UMTA is constituted, an interim Coordination Committee shall be set up under the GNCTD, with representation from all transport agencies/ departments, traffic police and local bodies. UTTIPEC shall provide technical support to the Committee.

9.3.3 The UMTA/Coordination Committee ensure a ‘comprehensive approach’ and

adopt an 'incremental outlook' towards mobility management, focusing multi-agency priorities and investments. This may include creation of a common fund and platform for joint action.

9.3.4 The UMTA/Coordination Committee shall be responsible for commissioning and implementing the Comprehensive Mobility Plan (CMP), coordinating the projects and actions of different agencies and implementing various multi-agency projectsfor adopting smart solutions.

9.4 Comprehensive Mobility Plan

9.4.1 Efficiency of urban transport is heavily dependent upon seamless integration between various road-based, rail-based, intermediate public transport (IPT) and walking/cycling systems. A Comprehensive Mobility Plan (CMP) shall be preparedfor Delhi to achieve systemic integration across all levels and modes of urban transport. The CMP shall be aligned with the provisions of MPD 2041 and shall provide a detailed road map for achieving the transformative agenda of 'movingtowards low-carbon mobility'.

9.5 Strategic Transport Corridors

9.5.1 To improve high-speed connectivity to/from important regional destinations and decongest traffic within the city (particularly due to regional traffic) following strategic transport corridors were identified to be implemented in this plan period. These corridors shall be strategic links or extensions of existing/proposed arterial road alignments as given below:

Table 9.0: Strategic Links & their benefits

Proposed links	Benefits
Strategic link 1 Northern extension of UER II (Tikri Kalan border – Rohini – Bawana – Narela – Ramzanpur), extending to Loni- Baghpat Expressway in Ghaziabad	○ facilitate freight movement by connecting locations generating urban freight traffic that are in close proximityto UER II (FCI godown at Narela, Bahadurgarh IFC, Narela IFC, industrial belt in Bahadurgarh and Kanjarwala (proposed), Bawana Industrial area and DSIDC Narela), with similar trans-river facilities such as Loni ICD, Hindon Airport, and Dadri ICD. ○ establish connectivity between residential areas in Delhi (Narela, Rohini, etc.) and Ghaziabad (Tronica City and Rajnagar) with employment centres (industrial areas in Delhi and NCR). Improved accessibility to residential areasin Ghaziabad would cater to the affordable housing demand in Delhi. ○ decongest NH-1 (GT Road), Outer Ring Road, Signature Bridge and Wazirabad Bridge, by providing alternate routeto connect Sonipat with Ghaziabad (Sonipat – Narela – Kundli – Alipore – Loni – Shahdara).
Strategic link 2 Southern extension ofUER II (Dwarka to Tughlakhabad), extendingto NOIDA-Greater NOIDA expressway (as per site feasibility)	○ facilitate freight movement in Delhi by connecting Convention Centre Dwarka to cargo handling terminal ofIGI, and onwards to Tughlakhabad goods terminal and railway station. This route could be extended further to connect to similar facilities in NOIDA (Dadri IFC, NOIDA SEZ and

	Industrial areas of Greater Noida and Yamuna expressway) o establish direct connectivity from IGI Airport toJewar/Noida International Airport o decongest NH-2, Kalindi Kunj Bridge and DND Flyover, byproviding alternate route to connect Greater NOIDA with IGI Airport (Greater Noida – Noida – IGI Airport) and by diverting the Delhi-bound traffic from Faridabad
Strategic link 3 Bahadurgarh to Bijwasan(Tikri Border Metro	o establish connectivity between the industrial areas of Gurugram with Delhi and the upcoming Bahadurgarh Industrial Area. o establish connectivity to IGI Airport from Bahadurgarh and
Station - Jharoda Kalyan -Dasana Bus Stand Metro Station – Najafgarh - Chawla – Dwarka Sector- 22 Metro Station - Bijwasan Railway Station), extending to HUDA City Center Metro Station via Dhundhera and Gurugram Sector-18 (Udyog Vihar)	Gurugram through interchange at Dwarka Sector-22 metrostation. o establish connectivity between south-west part of Delhiand the proposed RRTS station at Gurugram Sector-18 (Udyog Vihar). o improve access to Bijwasan Railway Station from Dwarka,land pooling zones and Gurugram

9.5.2 These links depend upon inter-state coordination to develop the alignments/ stretches that fall within the jurisdiction of neighbouring states and to be treated as priority corridor projects and development of full links shall be pursued through inter-state agreements.

9.5.3 The strategic links shall be developed as transit-priority corridors to facilitate movement of passengers and freight.

9.5.4 Any new road-based trans-city connectors that facilitate thoroughfare movement through the city shall be discouraged, as they act as disincentives for the use of the eastern and western peripheral expressways and result in congestion within the city. Mass transit systems shall be permitted for developing high speed trans-city corridors, as per feasibility.

9.6 Development and improvement of intra-city road network

9.6.1 Delhi is planned on a ring-radial pattern with a hierarchical road network. Broadly, the road network is designed for regional, intra-city and local traffic. The following hierarchy of roads shall be followed:

i) **National Highways** (60–90m ROW): National Highways Authority of India (NHAI) should incorporate the Street Design Regulations (ref: Annexure 7) while developing, widening, improving national highways passing through Delhi. All the National Highways within the city shall be access controlled upto the Delhi border and follow the design regulations of city roads.

ii) **Arterial Roads** (30 – 60m ROW): Arterial roads provide long distance mobility connecting one part of the city to another, carrying heavy volume of traffic of all modes. Existing roads of less than 24m ROW that are functioning as arterial roads on ground may be continued with necessary improvementsfor enhancing movement.

iii) **Collector roads** (12 – 30m ROW): Collector roads provide connections between local areas and also connect local streets to arterial roads. Existing roads of less than 12m ROW functioning as collector roads on ground may be continued with necessary improvements for enhancing movement.

iv) **Local Streets** (ROW < 12 m): These are intended for local use with ROW of 12 m or lesser. Such streets may be designed as a mix of slow moving traffic (through traffic calming measures), pedestrian or NMT priority streets or completely pedestrianized streets.

9.6.2 All new roads shall be developed as per Street Design Regulations (ref: Annexure 7). Wherever possible, existing roads shall also be improved to meet the requirements given in the Regulations.

9.6.3 All categories of roads shall be developed as per full cross-section proposed in the master plan or as part of approved layout plans.

i) Wherever possible, collector and local roads shall be cleared from all impediments and developed as per standards & Street Design Regulations.

ii) Area level parking management (ref: MOB4) shall be taken up to reduce encroachment of carriageways by on street parking and ensure effective utilization of road capacity.

9.6.4 All new arterial roads (including NHs, UERs, etc.) shall include space for multi-modal high-capacity public transportation systems as part of the RoW. The transit stations shall include plazas and open spaces for incorporating spill over of commuters. Space for provision of utility ducts for various services shall also be made in the RoW in existing and new road stretches as per feasibility.

9.6.5 Road safety audits of urban roads in Delhi should be in line with the vision of Ministry for Road Transport & Highways for creating a safe travel environment for pedestrians and cyclists. Strategies towards achieving this goal have been detailed in MOB3.

9.7 Enhancement of city-level public transport systems

9.7.1 Network integration would be the key to develop a sustainable and need-responsive public transport system for Delhi. The networks of all public transport modes shall be planned such that they operate harmoniously as a single system to provide transport services, in a complementary manner. Integrated network planning and route rationalisation shall be planned under the CMP and executed by concerned agencies in a coordinated manner. First and last-mile connectivity shall be encouraged through walking, cycling and demand-based sustainable shared modes (e-rickshaws, auto-rickshaws, cabs, cycle-rickshaws, etc.).

9.7.2 **Metro, RRTS and other mass rapid transit systems:** Mass Rapid Transit System (MRTS) shall be defined as any system with the capacity to carry more than 5,000 Peak Hour Peak Direction Traffic (PHPDT) having dedicated right of way.

9.7.3 The Delhi Metro supported by bus system shall form the primary MRTS. The upcoming RRTS network will also support intracity trips. It is expected that morethan 50% of the developed area of the city (excluding land pooling areas and green development areas) shall be within walking distance from metro stations, after completion of Phase IV and Phase V, which are in the pipeline. Ridership of this extensive infrastructure can be substantially increased through improvement in last mile connectivity (ref: MOB3) and by implementing initiatives suggested for improving the uptake of public transport (ref: MOB2).

9.7.4 Other forms of MRTS such as Metro Lite/ Metro Neo or LRT systems, Bus Rapid Transit (BRT) system or any other system that meets the definition given in Clause
9.7.2 shall be developed as per specific site context, projected ridership, etc. to supplement the rail-based MRTS.

9.7.5 The following strategic MRTS corridors should be developed over the next plan period:

i) Extension of metro corridor from Rithala Metro Station (Red Line) to Narela connecting the Bawana Industrial Area, Narela Industrial Area, residential areas developed by DDA at Narela and proposed RRTS station at Kundli.

ii) Extension of metro corridor from Dhasana Bus Stand Metro Station (Grey Line) to Najafgargh-Daurala Road via Dwarka Metro Station and further extending to AIIMS campus at Jhajhar. The proposed link would provide direct connectivity between Zone L (land pooling area) and Najafgarh vide Dwarka Metro Station on Blue Line and IGI Airport. It would also make the new AIIMS campus at Jhajhar accessible to the citizens of Delhi.

9.7.6 In order to provide mass transit connectivity to land pooling areas, an incremental approach shall be implemented. BRT systems or high speed bus routes shall be implemented during the course of development of sectors facilitating movement from these areas to various parts of the city. Metro rail systems may be implemented along specific corridors. UER-II shall be specifically targeted for development of MRTS to provide trunk connectivity across all land pooling areas.

9.7.7 **Bus systems:** The larger outreach of the bus system shall be leveraged to provide high quality road-based public transport, provide accessibility to inadequately served areas, also act as a feeder for MRTS systems.

i) Bus routes shall be rationalised to connect to Metro/ RRTS stations as well as provide better, more frequent services to areas with low Public Transport Accessibility Levels (ref: MOB2).

ii) Concerned agencies shall plan and operate exclusive feeder bus services (RTVs, metro feeders, etc.) for areas where city bus service is low and operate special routes serving the land pooling areas as and when sectors develop.

iii) Quality improvement initiatives (information systems, associated infrastructure like bus shelters, O & M of buses, inclusion of special services catering to special needs, premium routes, etc.) may be adopted for improving the service levels. (ref: MOB2).

9.8 Regeneration of Transport Infrastructure

9.8.1 **Ring Rail** is a legacy infrastructure of Delhi and it plays a significant role in freight transport. However, the passenger ridership is low. In order to increase its ridership accessibility improvements may be implemented for the major halt stations by creating public plazas, providing walking and cycling infrastructure, and installation of proper signage. Interchange facilities may be planned for integrating Ring Rail stations with existing metro stations. The Ring Rail alignment connects areas of heritage, ecological assets of Delhi and many commercial areas, a special hop-on and hop-off service may be considered for movement of tourists.

9.8.2 Underutilized transportation properties/structures and land in Delhi offer a significant opportunity to optimally utilise these properties/land and maximise non-fare box revenue. The following strategies shall be implemented:

i) Bus depots and terminals shall be modernized and monetised as multi-level bus parking facilities, along with commercial or facility development; (ref:DCN). This will increase the parking capacity of the depots and terminals as well as enable land value capture. The use of bus terminals and depots for development of public parking along with parking of public buses, private buses should be explored for specific project sites.

9.8.3 Over station and over-tracks development shall be permitted at railway/metro/RRTS stations and depots as per TOD. (ref: DEV4).

9.9 Freight logistics and distribution network

9.9.1 Freight movement constitutes a major part of Delhi's urban traffic and has high environmental costs. The Eastern and Western Peripheral Expressways are expected to substantially reduce thoroughfare freight traffic using city roads. With digital advancement and emergence of e-commerce, freight demand is anticipated to increase, along with increased demand for logistics and warehousing facilities in the city.

9.9.2 The CMP for Delhi shall plan for freight and provide detailed strategies for decongesting urban roads, improving freight movement and connectivity to, logistics and warehousing hubs in the city. The CMP shall include recommendations for improving the capacity of freight movement through rail-based transport (leveraging the Rail/Ring Rail infrastructure) and for developing efficient interlinkages with the regional IFCs proposed by NCRPB under the Functional Plan 2031.

9.9.3 IFCs/ICDs are major employment centres with high footfall. The CMP shall make specific recommendations for improving connectivity (including public transport) of such facilities with the rest of the city.

9.9.4 New Integrated Freight Complexes (IFCs) shall be developed as multi-functional spaces integrating various logistics, warehousing and freight-related needs. Modernisation of existing IFCs shall be incentivized through appropriate incentives for regeneration (ref: DEV3). New IFCs, if any, shall be preferably located on the National Highways (NHs) and align with the freight distribution network of the city.

9.9.5 Supporting e-commerce distribution network: Due to emergence of e-commerce, the need for a new layer of 'warehousing to home' distribution and storage network has emerged at a local level. In order to facilitate organized growth of e-commerce, uses such as warehousing facilities, distribution centres, etc. shall be allowed in wholesale markets, IFCs and industrial areas. These facilities shall establish a hub- and-spoke network within the city and optimize vehicle kilometres travelled in freight distribution. Use of electric vehicles/ NMVs for last mile distribution shall be encouraged.

9.10 Electric-mobility

9.10.1 E-mobility is gaining momentum in Delhi and it is envisaged that through policy push, incentives, and infrastructure provisions, usage of e-vehicles will eventually gain precedence over fossil fuel-based vehicles. The following strategies shall be implemented to achieve this:

i) Public charging infrastructure for Electric Vehicles shall be made available throughout the city at various public places, on-street parking areas and public parking sites. This may be enhanced incrementally based on trends in market share of e-vehicles and based on the estimated traffic in a grid block. In the absence of design standardization of charging equipment, kiosks with multiple charger models shall be made available at all public charging stations.

ii) Fuel stations, metro station parking, railway parking areas, authorised on-street parking or other government-owned parking shall be retrofitted with EV charging infrastructure. All new fuel stations allocations shall have mandatory space allocated to electric charging infrastructure.

iii) Provisions for an environmentally safe and efficient battery recycling eco-system shall be made by the concerned agencies.

iv) Land required for setting up separate/exclusive battery recycling centres shall be provided by the concerned agencies in their respective areas.

9.11 Intelligent Transport Systems for smarter transportation

9.11.1 Intelligent Transport System (ITS) shall use data repository and artificial intelligence to play a major role in improving the efficiency and coordination amongst different transport modes/systems in the city.

i) A Mobility Data Repository (MDR) should be set up for Delhi, where reliable and accurate data pertaining to traffic volume and O-D trends, accident hotspots, congestion, freight traffic, etc. can be made available in an integrated framework. Data collated from different transit agencies shall be standardised and regularly updated through surveys and information.

ii) Smart solutions through ITS will enable use of real-time data for forecasting and mitigating potential challenges, use of predictive technologies for dynamic and efficient management of public transport fleet operations, system integration, and providing real-time information to commuters, to enhance the resilience of transportation systems.

iii) Utilisation of ITS for pre-warning and minimising response time of

emergency vehicles (ambulance, fire tender etc.) by ensuring uninterrupted movement from source to destination.

--- x --- x ---- x --- x ---

Chapter code
MOB2

10.0 SHIFTING TO SHARED MOBILITY

10.1.1. An important objective for the plan period is to build on Delhi's extensive public and shared transport infrastructure and networks and to reduce dependence on private vehicles to facilitate 'efficient' mobility for its citizens. A two-fold efficiency shall be pursued, i.e. (i) minimizing the time and effort required for undertaking a trip from origin to destination (point-to-point mobility), and (ii) ensuring that the trip is completed with a low carbon footprint (green mobility). This will be achieved by moving more people towards using shared modes of transport that include public transport like bus and rail as well as intermediate public transport, app-based services, etc. Strategies such as transit-oriented development, upgrading the service levels of non-private transport, and strict regulatory measures to discourage use of private vehicles, shall be implemented envisaging the following:

i) Reduced share of private transport as a proportion of the total motorized trips in the city.
ii) Improved efficiency of commuter movement in the city in terms of average number of motorised trips per capita, average trip time and average trip length.

10.2 Synergy between Land use and Transport

10.2.1. The Plan shall promote integration of land use and transport by optimizing the density and mix of homes, jobs and facilities closer to public transit points such as metro and railway stations, multi-modal hubs, major bus terminals, etc. Such development with improved access to transit stations shall encourage more people to use public transport for their everyday travel needs.

10.2.2. Land use and transport integration shall be implemented through the following strategies:

i) **Intense mix-use development at TOD Nodes:** Select strategic transit stations, referred to as TOD Nodes (ref: DEV4) shall be developed with higher norms for FAR and permissible mix of uses. The norms shall only be applicable within an identified influence zone (notional radius of 500-800 m), which shall be planned for improved walkability and last mile connectivity. TOD Nodesshall include selected major transport junctions like ISBTs, major Railway and RRTS stations, metro interchanges and other select stations, identified for their potential as future economic and cultural hubs.

ii) **Regeneration Schemes in Transit Influence Zone**: In order to facilitate the implementation of TOD principles across the city and not only at select TOD nodes, specific norms for mixed use, parking, ground coverage and

built-to- edge active frontage shall be permitted within 500 m radius of all other transit stations for all regeneration projects. However, the permissible FAR and other norms for such projects shall be as per Regeneration Policy for Delhi. This will allow creation of vibrant and active station areas without additional FAR/built space stressing the infrastructure. (ref: DEV3)

iii) **TDR receiving zones along new high-speed transit corridors (UER)**: In land pooling areas (ref: DEV1), flexible location and loading of entitled FAR shall be permitted in a sector, allowing for concentration of higher FAR along the urban extension roads (UERs).

10.2.3. All these transit oriented developments shall be designed to ensure denser street networks, better public areas and active public frontages to ensure safer, walkable and vibrant areas throughout the city.

10.3 Improving public transport & shared modes

10.3.1. An important strategy for encouraging people to choose public or shared modes of transport is to improve their reliability and accessibility associated with efficient level of service. While improvements in shared modes shall continue to be largely driven by private service providers, public transport requires substantial improvements.

10.3.2. **Public Transport Accessibility Levels**: A detailed analysis of Public Transport Accessibility Levels (PTAL) shall be adopted for the city. This shall be operationalised through an expert agency to be updated and notified from time to time. PTAL mapping will help evaluate the public transport outreach and spatially distinguish high-accessibility areas from low. The analysis shall include all shared modes with fixed routes and fixed fares, including contract IPT modes such as Gramin Seva, autorickshaws, maxi cabs, RTVs, etc., apart from buses, metro rail and their feeder services. Based on such an analysis the entire city can be divided into the following grades of PTAL:

Table 10.0 : PTAL Grades

PTAL	Access Index Range	
0 (Worst)		0 - 2
1		2 -3
2		3 – 5.5
3		5.5 - 7
4		7 – 8.5
5		8.5 - 12
6		12 - 20
7		20 - 30
8 (Best)		30 and above

i) All future improvements in public transport infrastructure and proposals for area improvement shall be based on this assessment. The CMP for Delhi (ref: MOB 1) shall include a detailed road map for achieving at least a PTAL Grade of 4 across all areas in the city by 2041.

ii) The analysis may also assist in identifying areas with high PTAL values and high density but low public transport ridership. This can facilitate further action in the form of fare rationalisation, improved accessibility, strategic developments, etc. by DDA/local bodies and concerned transit agencies.

10.3.3. **Fare rationalization:** In order to improve the utilization of public transport for short and medium distances, frequent intra-city trips, increased ridership in high-density areas, and fare rationalisation may be considered by concerned agency.

10.3.4. **Express public transport routes:** DTC and MRTS Agencies shall consider planning of express routes, connecting high footfall stations/destinations such that the number of stops /halt stations during the journey are minimized and the travel time is optimized. (ref: MOB1)

10.3.5. **Premium bus services:** Convenience (ease of access and reliability) and comfort (climatic comfort and quality of facilities) are some of the major reasons why people continue to use private transport. Premium bus service operation needs to be explored along identified high frequency routes in the city that connect homes to work centres. These may be designed as a mix of regular fixed-routes, shuttle services as well as on-demand app-based services.

10.3.6. **Special services:** The Plan targets at night time economies to promote higher economic productivity as well as increasing the availability of vibrant and safe public spaces at night. DMRC and DTC to be encouraged to operate low frequency night time services along specific earmarked routes and networks across the city or for special events/festivals as per feasibility.

10.3.7. **Improvement in quality of bus services:**

i) Upgradation of bus shelters shall be undertaken by Delhi Transport Infrastructure Development Corporation (DTIDC) to include universal accessibility features, audio visual public information systems, CCTVs, distress buttons for emergencies, water kiosks and public conveniences.

ii) A reliable and real-time passenger information system (PIS) to be implemented to provide information on routes, timetable, arrival times, travel time, connections, incidents, delays, fares and discounts.

10.4 Integrated Multi-Modal Transport System

10.4.1. Passenger trips between origin and destination may comprise of single mode or multiple modes of travel. The Plan shall facilitate seamless and efficient point-to-point mobility for all citizens through the entire journey.

10.4.2. Network integration across different modes will play a major role in achieving such seamless connectivity. An Integrated Multi-Modal Transport strategy to be prepared as part of the Comprehensive Mobility Plan, providing recommendations for harmonising timings, frequencies and routes amongst different modes. Development of Multi-Modal Transport Hubs (MMTH) shall be an important aspect of implementing MMI strategies. (ref: MOB1)

10.4.3. **Multi-Modal Transport Hubs (MMTH)**:

A number of high footfall transit nodes in Delhi have multiple modes located at one location such as railway stations, ISBTs, RRTS stations and metro stations.

These shall be developed as Multi-modal Transit Hubs (MMTH), in earlier plan referred as Metropolitan Passenger Terminal or Integrated Passenger Terminal which are eligible for development norms as per DEV4.

i) The UMTA/Coordination Committee shall be responsible for bringing together all concerned transit agencies to undertake coordinated planning and execution of the MMTH projects. A joint MMTH-level layout plan shall be prepared to ensure seamless integration across all modes. Agencies may also undertake joint ventures by amalgamating their lands where multiple modes could be integrated into the same building or complex. (ref: MOB1)

ii) In case of non-contiguous land parcels separated by features such as railway tracks, roads, nallahs, etc., integration of buildings using connectors like skywalks, subways etc. to be permitted, provided adequate clearances are maintained to ensure unhindered operations of various modes (ref: DEV4).

iii) A special focus of all MMTH projects shall also be towards facilitating first and last mile connectivity. All such interfaces shall be kept well illuminated, safe and vibrant at all times of the day through adequate provision of retail, vending zones, food and beverage outlets, public amenities like toilets and drinking water fountains, etc.

iv) Being the focal point of transportation networks, MMTHs will have high potential as hubs for mixed-use development.

v) Three locations, namely Anand Vihar-Karkardooma, Kashmere Gate and Nizamuddin-Sarai Kale Khan shall be developed as Multi-Modal Transit Hubs (MMTH). DDA or other concerned agencies may identify other such locationsto be developed as MMTH in the future.

10.4.4. **Multi Modal Integration (MMI) at all stations:** Seamless integration across various modes to be facilitated at transit stations (metro, RRTS, railway station,Ring Rail) and major bus terminals in Delhi.

i) MMI plans, including pedestrian/cycling facilities shall be prepared and implemented by respective transit agencies for efficient traffic and commuter dispersal.

ii) The following minimum facilities shall be provided at all locations:

a) Within 100 m of every alighting point: pedestrian spill over plaza, vending zone, bicycle parking and renting station.

b) Up to 300 m of centroid of alighting points: bus stops, IPT stand, pick-up/drop location for private cars or on-demand IPT.

c) Up to 500 m of centroid of alighting points: Public parking sites (park and ride facilities) and public amenities as per norms given in SSI2 and the Street Design Regulations. Parking space for various modes shall be based on user profile and adjoining activities/land use. For instance, metro stations in close proximity of educational centres and industrial areas shall have more ECS assigned to bicycles and two wheelers.

iii) Adequate land shall be made available for implementing MMI plan by the respective land owning agencies.

iv) For all new transit stations and MMTHs, MMI shall be planned and implemented as part of the design.

10.4.5. **Technology-based interventions for facilitating MMI**:

i) App-based integration of different modes will be critical for achieving seamless transfer from one mode to another. Transport Department, GNCTD may develop a smart mobility application covering real-time information on available route choices, available modes and their associated fare, frequency, estimated travel time, etc. The smart mobility app shall be integrated with the ITMS developed for the city (ref: MOB1).

ii) A unified ticketing system or smart mobility card shall be implemented covering major modes like railway and bus transport. Other shared modes like IPTs, on-demand cabs, etc. may also be considered for integration.

iii) A common fare management system may be developed by seeking partnerships amongst the various private service providers and transit agencies. This can facilitate further incentives and fare subsidies to users who move from one mode to another.

10.5 Disincentivising private transport

10.5.1. It will be critical to complement the various initiatives aimed at increasing the use of shared modes with hard regulatory strategies focused on disincentivising private modes of transport. This Plan proposes following three major strategies that are aimed at curbing the use of private vehicles.

10.5.2. **Congestion pricing:** Road owning agencies in consultation with Traffic Police shall notify specific areas in the city as congestion pricing zones. These may include TOD Nodes (ref: DEV4), Business Promotion Districts (ref: DEV3), Walled City Heritage Zone (ref: HCP2), and the CBD (ref: ECO). Use of technology in the form of RFID tagging etc. may also be explored. by the concerned agencies for management of congestion pricing.

10.5.3. **Parking demand management:** Restricting the availability of public parking at work centres, entertainment or cultural hubs, markets, etc. can be a major deterrent to private trips. The following strategies along with strict enforcement of parking rules shall be implemented using parking as a demand management tool:

i) Supply of public parking (on-street and off-street) within an area would be associated with its public transport accessibility level (PTAL). Areas with high PTAL shall have lower public parking supply (ref: MOB4).

ii) Parking charges to be used as a tool for disincentivising private transport usage. Dynamic pricing for peak and off-peak periods, on- and off-street parking (through higher parking charges) to be utilised to decongest areas with high PTAL and/or high vehicular footfall.

10.5.4. **Prioritizing pedestrians and cyclists:** Concerned agencies, in coordination with the Traffic Police, shall identify specific areas with heavy footfall such as tourist hotspots, markets, etc. with high PTAL levels as 'pedestrian only' zones. Tactical urbanism measures to convert streets into fully pedestrian zones for specific time durations to be encouraged, so that overall traffic flow is not hampered. (ref: MOB3)

--- x --- x ---- x --- x ---

11.0 MAKING DELHI WALKABLE AND CYCLABLE

Chapter code
MOB3

11.1.1 Delhi's high active travel potential needs to be leveraged and enhanced for people to choose active travel, not only as an affordable mobility option but also as one that is comfortable, safe and accrues health and environmental benefits to the individual and the city.

11.1.2 The existing networks have to be strengthened on priority, utilising green-blue networks (ref: ENV2) in the city as alternative active travel routes, creating safe pedestrian and cycling networks both for short and long distances and reinforcing public awareness about the benefits of active travel. Implementation of strategies for promoting active travel shall facilitate the following:

i) Increased access to green and safe mobility with options and opportunities to undertake active travel.
ii) Increased proportion of active travel (walking and cycling) trips in Delhi.

11.2 Street design for promoting active travel

11.2.1 Active travel shall be promoted by designing an urban environment where more people choose it as a preferred means for both 'destination travel' i.e. to work, school, place of worship, stores, theatres, public transit etc., as well as 'recreational travel' i.e. for leisure or exercise.

11.2.2 Streets shall be designed to ensure equitable distribution of road space and safe mobility for users of all ages and abilities, prioritise barrier-free movement for pedestrians and cyclists, and provision of enabling infrastructure to create an ecosystem for active travel. Existing streets shall be incrementally retrofitted to serve pedestrians and cyclists better. Pedestrian walkways/ footpaths shall be provided mandatorily in new development areas.

11.2.3 The following key components shall be included as part of the design of all new road infrastructure and for improvement of existing roads, taking into consideration the hierarchy of roads:

11.2.3.1 Provision of barrier-free and continuous NMT network infrastructure such as footpaths, cycling tracks, etc., for providing shorter and comfortable routes.

11.2.3.2 Points of conflict of pedestrians or cyclists with motorised vehicles shall be minimised through the following infrastructure provisions, as per the patterns of active travel characteristics:

i) Pedestrian and bicycle crossings shall be at-grade as far as possible. Carriageways shall incorporate traffic calming elements.

ii) Subways or foot over bridges, should be cross-programmed through commercial activity, public art, street performances etc., to ensure a safe and vibrant environment.
iii) Installation of pedestrian signals shall be preferred over grade-separated crossings to ensure ease of use for pedestrians, wheelchair users, and cyclists. Pelican crossing system shall be installed near schools and other major pedestrian crossings, especially for

children, elderly and people with disabilities.

11.2.3.3 Provision of street furniture i.e. benches and other seating, garbage bins, signage, public utilities, e.g. restrooms, child care rooms, changing rooms and drinking water spouts at regular intervals, etc.

11.2.3.4 Earmarking of Multi-Utility Zones (MUZs) and placemaking to accommodate street vendors and kiosks, spaces for public art and other public activities to create active and aesthetically attractive spaces for street life and activity.

11.2.3.5 Improved shading during day and illumination during night for safety of pedestrians and cyclists by providing:

i) appropriate shade-providing and pollution-filtering trees of native species and other landscaping elements, as well as green features such as pervious surface, bio-swales, etc.
ii) adequate street lighting and illumination to ensure safety and security. Preferable incorporation of pedestrian-scale lighting in addition to ambient illumination.
iii) bus shelters with bicycle parking, bays for pick-up and drop-off for private vehicles, taxis and IPT to enhance inter-modal shifts.

11.2.4 All walking and cycling infrastructure, and street improvements will be based on design standards and guidelines prescribed in the Street Design Regulations (ref: Annexure 7). Compliance with the Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disability and Elderly Persons 2016 of MoHUA shall be ensured to facilitate accessibility to the elderly, children and persons with disabilities.

11.3 Active Travel Areas (ATAs) and Walk Plans

11.3.1 Active Travel Areas shall be identified by concerned agencies around high activity nodes in the city and Walk Plans shall be prepared and implemented in these areas to improve pedestrian and cycling infrastructure.

11.3.2 Walk Plans shall be made for at least an area within a radius of 400–500m (5-10 minutes walking distance) around any specific destination node such as a heritage precinct, a market, existing residential colonies etc. Actual delineation of area under a Walk Plan shall be based on ped-sheds and/or desire lines. Concerned agencies shall integrate these plans with their respective plans for traffic management, MMI, station dispersal plans etc.

11.3.3 All new developments/projects within land-pooling sectors, TOD and Regeneration Schemes, other special projects shall be treated as ATAs and the layout approval would mandatorily require preparation of Walk Plans.

11.3.4 Existing areas with intense retail commercial activity or exceptionally high pedestrian footfall, weekly markets and areas identified for night economy may be identified as ATA by concerned agencies for part or complete pedestrianisation. (ref: ECO and HCP1).

11.3.5 Walk Plans may also be prepared for existing residential colonies, markets etc.

by the local bodies or RWAs and other stakeholders. These shall be linked to any proposals for creating Parking Management Areas or green-blue infrastructure/networks in the area.

11.3.6 All ATAs shall be connected with major roads (with dedicated cycle tracks and footpaths) that are in close proximity to create continuous city-wide networks.

11.3.7 Areas identified for Walk Plans in the Walkability Regulations shall be developed and implemented on priority basis.

11.3.8 ATAs may be identified by concerned agencies from time to time for which Walk Plans may be prepared and implemented.

11.4 City level Active Travel networks

11.4.1 Continuous active travel networks shall be created for roads of more than 30m RoW. Certain identified routes with existing or anticipated high share of cyclists, pedestrians and those connecting different activity centres, shall be developed as strategic active travel corridors.

11.4.2 **Cycling Highways:** Certain corridors shall be identified and developed as cycling highways facilitating long distance active travel across the city.

11.4.3 **Green Mobility Corridors:** These are exclusive pedestrian and cycling pathways proposed to be created along natural drains and the River Yamuna (ref: ENV2) as city level dedicated corridors. In addition, these corridors connecting cultural hubs or Strategic Active Corridors in the vicinity shall provide shorter routes and ensure safety of the pedestrians and cyclists.

11.5 Other strategies for promoting active travel

11.5.1 **Tactical Urbanism:** Implementing agencies can use Tactical Urbanism or *pop-up urbanism* measures for temporarily retrofitting a street section to prioritise pedestrian and NMT movement by reserving lanes, pedestrianizing street stretches, etc. It is recommended that feasibility of all proposals for creating pedestrian and/or cycling infrastructure be tested on ground before street retrofitting works of permanent nature are undertaken.

11.5.2 **Micro-mobility:** Battery-operated e-bikes and other green-mobility options may be encouraged. Parking provision and PBS systems for such vehicles in ATAs and along Strategic Active Corridors must be encouraged to serve the elderly as well as people with restricted mobility.

11.5.3 **Citizen Engagement:** All concerned departments/agencies may design awareness campaigns and public engagement strategies for proposed projects and plans to boost consensus building for active travel interventions and induce change in travel behaviour.

i) Concerned agencies, local bodies etc. may undertake dedicated campaigns for various citizen groups including school children, women, elderly and people with disability to raise awareness about benefits of active travel, traffic rules, regulations and penalties, pedestrian first principle, etc.

ii) Active travel may also be promoted as a mobility choice to ensure social distancing in the times of disease outbreaks or pandemics.

11.5.4 **Employing Technology for Active Travel:** Technology and networking can effectively enable active travel and enhance experience and safety of pedestrians and cyclists:

i) Smart applications shall be developed by concerned agencies to provide information regarding walking and cycling routes, tours, marathons, greenways, heritage trails, location of public facilities, PBS with real-time availability, popular destinations/ eateries and upcoming cultural events. Special applications may be developed for people to rate routes and areas for walkability and cyclability and reporting related issues;

ii) Smart sensors for Ambient Air Quality Index (AQI)measurement can be set up at traffic signals to provide real-time air quality information to citizens;

iii) Energy generating tiles may be used for footpaths and paved areas. The energy (coupled with solar energy) can be used to power street lights as well as provide charging points for mobiles and other electronic gadgets near seating or resting spots;

iv) State-of-the-art surveillance technology can be employed to ensure safety of pedestrians and cyclists, adherence to traffic rules and prevention of vandalism of street furniture.

--- x --- x ---- x --- x ---

12.0 MANAGING PARKING IN DELHI

Chapter code
MOB4

12.1.1 Low-carbon mobility is one of the imperatives for Delhi. In line with the Environment Pollution (Prevention & Control) Authority for the National Capital Region and the National Urban Transport Policy, 2006 and in order to utilise land optimally, the parking strategy will focus on demand management of existing parking, through re-organisation of parking facilities and maximising their use. Strict enforcement of parking rules and regulations will be essential for managing parking and contribute towards inducing modal shift in favour of public transport and shared modes. The parking strategy of the master plan envisages rationalised supply of public and private parking adjusted with levels of accessibility to public transport and shared modes, and availability of parking.

12.2 Guidelines for a city-wide parking strategy:

The following guidelines and strategies shall direct overall parking provision in the city:

i. **'User pays' principle**: Users of all personal motor vehicles (PMVs) (except NMT) have to pay for use of authorised parking facilities/spaces/streets.

ii. **Rationalise parking supply**: Supply of public parking (on-street and off- street) within an area and ECS norms within a use premise to be rationalised as per the public transport accessibility level (PTAL) and the availability of parking infrastructure.

iii. **Pricing of parking**: Parking charges shall be used for reducing the demand for on-street parking and increasing usage of off-street parking (especially MLCPs). Congestion pricing (through higher parking charges) shall be utilised to decongest areas with high PT access and/or high vehicular footfall volume (commercial areas, mixed-use streets, work centres, etc.).

iv. **Maximise parking utilization**: The use of parking facilities and captive ECS shall be maximised by treating parking spaces as shared resource. Staggered peak hours of different uses may also be explored to manage parking demand and increase parking turnover. Parking capacities of off- street parking sites can be increased by utilising mechanised stack parking.

v. **Adequate provision of parking for all modes**: Parking supply in the city shall consider the parking demand for not only PMVs but also for other modes such as utility and emergency vehicles, shared modes (IPT, feeder modes, etc.), freight vehicles, cycles etc.

12.3 Parking Management Area Plan (PMAP)

12.3.1 Consistent with the Delhi Maintenance and Management of Parking Places Rules, 2019, a comprehensive area-based approach shall be adopted for supply and/or management of parking in an area/ locality.

12.3.2 Parking Management Areas (PMAs) shall be delineated to implement parking related interventions for managing demand, regulating available parking and reducing associated externalities. PMAs shall be identified and delineated by the concerned local bodies in consultation with local residents, market associations, Traffic Police, Transport Department of GNCTD, etc.

12.3.3 Parking Management Area Plans (PMAPs) shall be prepared for PMAs. These plans shall include strategies for parking management, parking charges, ITS application and enforcement of the plan.

12.3.4 For government designated PMAs, the Transport Department of GNCTD shall be the core agency for preparation of PMAP in consultation with the road owning agencies and local stakeholders. Experts/ consulting firms/institutions may be engaged to expedite the process of PMA delineation along with RWAs, market associations, transport operators and/or trade associations, etc. may undertake preparation of PMAP for an identified area.

12.3.5 For areas of strategic significance like BPDs, TODs, etc., PMAPs shall be integrated with their respective improvement plans , Regeneration Plans, IZPs, etc.

12.4 Management of Public Parking

12.4.1 Public parking includes all authorised on-street and off-street parking, including MLCPs and is provided by the local bodies/ private entities at various locations across the city, and by transit agencies near stations. In areas with high PTAL and traffic congestion zones, public parking supply shall be regulated through exponentially high parking charges and discourage the use of the personalised vehicles.

12.4.2 All public parking shall be designed as per the prescribed standards and guidelines and Parking reserved for persons with disability shall be free of charge.

12.4.3 Open areas (tot-lots, parks, playgrounds) and ecologically sensitive areas (rivers, lakes, floodplain, forest, ridge etc.) or any other kind of open space with public benefit shall not be utilized for development of parking (surface/underground/multi-level)

12.4.4 Parking charges for public parking to be dynamic and variable rates shall apply across the city and at different times, to spatially distribute the parking demand. Concerned agencies to ensure that streets with high level of activity and congestion are priced higher than other places. These charges may be subsidised for green fuel vehicles.

12.4.4.1 Parking charges can be temporarily increased for air pollution control during periods of severe pollution as per Graded Response Action Plan for Delhi - Ministry of Environment, Forests & Climate Change.

12.4.5 **Provision of on-street parking**

i) On-street parking shall be provided such that it does not hinder the circulation of pedestrians and vehicles. ‘Parking’ and ‘no-parking’ zones shall be clearly demarcated and on-street parking defined by use of suitable signages and pavement markings. To optimise space, parallel on- street parking shall be preferred over angular/ perpendicular parking.

ii) On-street parking shall be provided in close proximity to high-footfall uses such as hospitals and schools, public offices, etc., Adequate pick up/ drop off arrangements shall be made within such plots.

iii) Appropriate allocations shall be made for two-wheelers and four-wheelers at all on-street parking locations.

iv) On-street public parking for personalised motor vehicles shall not be provided at the following locations:

a) On roads less than 12 m and above 60m RoW. This can be relaxed for unplanned areas.

b) Up to a distance of 250 m from any transit station/hub like metro stations, RRTS stations, suburban rail stations, ISBTs, etc.

c) On fully pedestrianised streets.

d) Under flyovers and overpasses to avoid fire hazards

v) On-street public parking shall be discouraged within 1000 m distance from an existing MLCP, and shall be priced exponentially higher than the MLCP.

vi) **On-street parking in residential areas**: The aim is to gradually eliminate all on-street parking in residential areas and reclaim this space as public commons, creating safer and more vibrant neighbourhoods. Regeneration of residential areas will enable reorganisation of parking and accommodating parking needs within property premises. A phased approach towards regulating on-street residential parking may be adopted as given below:

a) For residential colonies/localities, RWAs may prepare PMAPs after assessing the parking demand, for earmarking areas for on-street parking. Parking supply can be maximised by use of stack parking.

b) Local bodies may consider a system of leasing parking permits for part use of public on-street parking space to the residents/RWA of an area.

c) A policy linking registration of new vehicles to availability of owner parking facilities may also be considered.

12.4.6. **Provision of off-street parking:**

Off-street parking facilities mainly serve long-duration parking needs of users like shopkeepers, office goers, public transit users, etc. Wherever feasible, off- street parking solutions (surface parking, roof parking, stack parking, multi-level car park and underground parking) shall be adopted.

a) Developing off-street parking facility is land and capital intensive, and shall be developed only with consultation and consensus of all concerned agencies/ stakeholders. It can be developed on PPP basis.

b) Off-street parking area/facility shall be located in close proximity to high-footfall uses such as hospitals, public offices, etc., in order to supplement the parking need. Direct access to adjacent buildings from off-street parking area/facility shall be provided wherever possible.

c) Off-street parking may be equipped with facilities like PBS with e-bikes and bicycles, and parking for IPT and taxis.

In case of a notified TOD node, off-street public parking facility shall preferably be provided outside the Intense Development Area, to serve as a 'park and ride' facility.

d) In order to make construction of MLCPs financially feasible, up to25% of the gross floor area shall be used for commercial/office space. The parking demand generated from the permissible commercial/ office space shall be limited to 25% of the total ECS of the MLCP.

e) 80% of the area under surface parking shall be paved with pervious paving.

12.5 Management of Private Parking

12.5.1 Private parking is provided within the premises of privately-owned properties. This parking is provided as per the parking standards, prescribed for each use premise (ref: DCN). Parking standards are provided in the form of Equivalent Car Space (ECS) and include parking for all types of vehicles i.e. cars, scooters, cycles, light and heavy commercial vehicles, buses, etc.

12.5.2 Parking norms prescribed in DCN, shall be rationalised subject to the following conditions:

i) If a property is located within 500m radius of an MLCP, the parking requirement (ECS) for that premise/property shall be reduced by 10 percent. This shall not be applicable to exclusively residential properties (i.e. it will apply to commercial and mixed use streets). For MLCP deductions, minimum 50% of the plot area shall fall within the prescribed distance.

ii) Based on the Public Transport Accessibility Level (PTAL) value, parking norms as per DCN shall be reduced by the following applicable percentage deductions:

Table 12.0: Percentage Deduction in Parking Norms as per PTAL

PTAL	Access Index Range		Residential	Commercial	Industrial	PSPs
0 (worst)		0 - 2	0	0	0	0
1		2 -3	0	0	0	0
2		3 – 5.5	10	5	5	10
3		5.5 - 7	20	10	10	20
4		7 – 8.5	20	20	20	20
5		8.5 - 12	20	20	20	30
6		12 - 20	20	30	30	30
7		20 - 30	30	30	30	30
8		30 and above	30	30	30	30

a) PTAL deduction shall be as per the Access Index Range of the plot.

b) For plots falling in multiple Access Index Range, deductions of Access Index Range with maximum area on the plot shall apply.

12.5.3 For area falling within the influence zone of notified TOD nodes, ECS norms as per the TOD Policy shall be applicable. (ref: DEV 4)

12.6 Regulating parking for other modes

12.6.1 Goods vehicles: Goods movement is closely linked to location of wholesale markets, type of produce/item, existing distribution system etc. Adequate area for parking of freight vehicles shall be identified near commercial and industrial areas, IFCs, ICDs, etc. by concerned local bodies/agencies. During restricted entry time, parking for goods/ freight vehicles shall be provided outside toll gates/plazas.

i) Parking for vehicles used for e-commerce shall be provided by the respective e-commerce company at the warehousing and distribution facility.

12.6.2 Shared modes: Parking of shared modes such as IPTs, private buses, taxis, etc. may be prioritised in all authorised parking areas.

i) All MMI plans shall make adequate provisions for short duration parking of shared modes, and drop off and pick up areas.

12.6.3 Buses: All buses shall be parked at their designated depots. If capacity of

these bus depots is inadequate for existing or future demand, these depots may incrementally be converted into multi-level parking. For interstate buses, adequate idle parking provision shall be made within the ISBTs.

12.6.4 School transport: Most schools in Delhi do not have adequate space for parking school transport (buses and vans) within their premises. These vehicles are parked on the carriageway of roads causing vehicular congestion and unsafe conditions for children. Following measures are recommended to mitigate this problem:

i) All existing and new schools shall provide space for pick up, drop off and parking of school transport within their premises.

12.7 Parking in the Walled City

12.7.1 Concerned local body shall prepare PMAPs for various areas within the Walled City to address congestion, make streets safer for pedestrians and contain movement of motorised vehicles to certain roads/areas only.

12.8 Smart Parking Space Management

12.8.1 Smart apps may be developed to give users real-time information of capacity and occupancy of on-street and off-street parking facilities, nearest available parking spot(s) and charges. All off-street facilities shall deploy digital display at their entrances to show the availability of parking spots.

12.8.2 App-based platforms can also facilitate use of parking (including privately owned parking spaces) as a shared resource.

12.8.3 Many junk vehicles are parked/abandoned around the city, and occupy scarce road-side space. Local bodies and the Traffic Police shall ensure that such vehicles are taken to scrapyards within a definite time frame.

-- x -- x --- x -- x --

SECTION 6

PHYSICAL INFRASTRUCTURE

BACKGROUND AND KEY POLICY CONCERNS

Water Supply:

The water supply and distribution in Delhi is largely managed by the Delhi Jal Board (DJB). In areas under the New Delhi Municipal Council (NDMC) and Delhi Cantonment, DJB supplies water in bulk while NDMC and Delhi Cantonment manage the distribution. In areas not covered by the distribution system, DJB provides water through tanker service.

Delhi is a water scarce city and pressure on available water resources has increased manifold due to population growth wasteful consumption and systemic loss of water. There are visible accounts of decline in groundwater levels, heavy pollution in Yamuna river and frequent waterlogging instances across Delhi. Lakes and other water bodies, are not functioning effectively as recharge structures, majority of rainwater is not harvested, limited sewerage network restricts the capture of generated wastewater and treated wastewater is minimally reused. As Delhi is predominantly dependent upon external sources for fresh water, the continuous increase in future demand may out perform the supply. There are some long-term possibilities, which concerned authorities may explore to procure raw water through inter-state agreements, for meeting the city's future requirement. Delhi is steadily moving towards alarming levels of water scarcity and to achieve water security in Delhi, the current supply-oriented water management approach needs to be replanned.

Water security for Delhi shall be a function of water and water-related environmental services from sustainability point of view. An Integrated Urban Water Management (IUWM) approach can be adopted for Delhi where water supply, wastewater management and storm water drainage shall be interconnected for having 'water-linked infrastructures' in an urban water cycle. Surface water, rainwater, wastewater and groundwater are considered here as four access points of water that have to be managed together. The focus is on reducing reliance on surface water and ground water and realizing the potential of the non-traditional sources of water for future waterneeds of Delhi. The IUWM approach, maximizes efficient water use.

The estimated water demand for Delhi is as follows:

Year	Population (millions)	Demand criteria* (GPCD)	Availability from all sources(MGD)	Total demand(MGD)	Deficit (MGD)
2020	19	60	935	1140	141
2031	29.1	60	-	1746	-
2041	29.1	50	-	1455	-

*Includes domestic, commercial, industrial demand and that for fire services, etc.

However due to the limited availability of raw water to Delhi, DJB targets of demand of potable water for domestic use needs to be rationalized and progressively

reduced to 50 GPCD (225 LPCD) and supplemented by using non-potable recycled water of desired quality standard for non-potable purposes. Water demand for industrial and horticulture/gardening/agriculture purposes to be fulfilled from recycled waste water of desired quality standards. Potable water demand for the projected population of 29.1Million @ 50 GPCD works out to be 1455 MGD.

Wastewater Management:

In Delhi, wastewater is managed both by a sewage distribution network system and onsite sanitation system in the form of septic tanks. DJB is responsible for the entire value chain of sanitation network that includes collection, treatment and disposal of wastewater. Approximately 45% of Delhi is not covered by sewerage system and sewage generated from the remaining area flows through a number of surface drains into the river. However, apart from the planned areas, DJB is also extending sewer lines in the unauthorized colonies of Delhi. DJB has also planned decentralised waste water treatment system and other sludge management systems to avoid dumping of untreated sewage into the drains.In areas where laying sewer lines is not possible, DJB has planned to capture the untreated effluent from the 108 sub-drains through a parallel system of Interceptor Sewer Project (ISP), targeting to trap and treat 242 MGD of untreated effluent before it lands into the river.

With the rise in population and demand for water, the total generation of wastewater is expected to be around 1200 MGD by the year 2041. The present treatment capacity is about 597 MGD which has to be upscaled substantially and the load on centralized treatment system can be substantially reduced by deploying strategies for decentralized treatment at the plot/scheme level. Treatment and reuse of treated wastewater is also a potential opportunity to reduce the water supply-demand gap.

Drainage: The drainage morphology of Delhi is defined in a large measure by the Aravalli foothills and connected outcrops. Under these influences, an easterly storm water movement is indicated from the higher elevations in the West towards Yamuna in the East. Delhi has been demarcated into six drainage zones namely (i) North Zone, (ii) West Zone, (iii) Central North West and South East Zone, (iv) Central South and South East Zone, (v) East Zone, and (vi) South Zone. Eleven different agencies namely Irrigation and Flood Control, Public Works Department, South Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation, East Delhi Municipal Corporation, New Delhi Municipal Council, Delhi Development Authority, Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation, Delhi Cantonment, National Thermal Power Corporation Limited and UP Irrigation own and manage the storm runoff emanating from the entire urban expanse of Delhi which is carried by about 426.55 km of natural drainage lines and about 3,311.54 km of engineered storm water drains.

To alleviate the flooding conditions in various parts of the city, storm water drainage infrastructure to be made efficient. So, it is pertinent to apply corrective spatial strategies to address the deficient drainage infrastructure and introduce low cost flood- prevention measures such as water body rejuvenation, using parks for rainwater harvesting etc. Further, solid waste and sewage needs to be managed so that flow of storm water is not hindered.

Solid Waste Management (SWM):

The trend of solid waste generation in Delhi has been rising for the last several years. The management of municipal solid waste (MSW) in Delhi is under the jurisdiction ofthe local bodies. The local bodies have categorized Delhi into 12 zones for solid waste management. Non-municipal waste includes e-waste (electric, electronics, battery waste), biomedical waste, hazardous waste and construction and demolition (C&D) waste. In Delhi, non-municipal waste is processed at units authorised by Delhi Pollution Control Committee (DPCC), to monitor its management. The Ministry of Environment, Forests and Climate Change has notified separate rules for management of waste and these shall be strictly implemented.

In Delhi, the critical part of the waste is the municipal solid waste (MSW). Approximately 55% of the MSW generated in the city ends up in 3 Sanitary Landfill Sites (SLFs). The low SWM efficiency of Delhi is a result of low waste segregation and recycling (processing) efficiency. Considering the current trends of per capita waste generation, the total quantum of municipal solid waste (MSW) generated in the city is expected to increase substantially, from 12,350 TPD to 18,915 TPD by 2041.

Year	Population (million)	MSW generated (@650 gm/capita)	Collected waste(TPD)	Current processing capacity(TPD)	Waste sent to landfill (TPD)
2020	19	12,350	10,500 (85% efficiency)	45%	4,725
2041	29.1	18,915	-	-	-

The municipal corporations adopt different methods to manage waste , The overview of solid waste management infrastructure in Delhi is as follows:

Sl. No	Facility	Location	Capacity	Managed by
1.	Composting Plants	1. Okhla	200 TPD	IL & FS
		2. Bawana	700 TPD	North DMC through DMSWSL
2.	Waste to Energy Plants	1. Bawana	1500 TPD	North DMC
		2. Okhla	1800 TPD	SDMC
		3. Ghazipur	1300 TPD	EDMC
3.	C&D Processing Plants	1. Burari	2000 TPD	North DMC
		2. Shastri Park	500 TPD	EDMC
		3. Ranikhera	150 TPD	DMRC
4.	Landfills	1. Bhalaswa	70 Acres	North DMC
		2. Ghazipur	70 Acres	EDMC
		3. Okhla	46 Acres	SDMC

The land fill sites have already exceeded their capacity, and shall have impact on the city's SWM infrastructure. Strategies for reducing per capita waste generation, increased processing, recycling capacity and decentralised management are to be

addressed.

Power Supply, Communication and Gas Infrastructure:

Power supply in Delhi is managed under four broad categories—generation, holding, transmission, and distribution. The per-capita power consumption in Delhi is more than 1561 units per annum as against the national average of 1122 units 2016-17. Delhi's electricity utilization pattern is characterized by 52% for domestic use followed by 26% for commercial use, 12% for industrial use and 10% for others (agriculture/ landscape maintenance/ transport infrastructure maintenance etc.). Delhi's peak demand has doubled in the last 10 years, growing faster than the population of the city. The power transmission network in Delhi consists of four 400 KV and thirty-six 220 KV substations. The existing network consists of a 400 KV ring around the periphery of Delhi interlinked with the 220 KV network spread across the city. Delhi currently has an annual power consumption of 30,197 Mus. The total installed capacity is 7479.01MW andout of the total installed capacity, 78 % of power is purchased while the rest 22% of the installed capacity is within Delhi. The composition of existing installed capacity is powered by sources of generation such as Coal (59%), 28% Gas (28%), Hydro (10%) and Solar (3%).

The overarching national policy through the assigned Renewable Purchase Obligation (RPO) as well as the state level solar policy 2016 sets out targets to meet about 20% of power consumption from renewable sources by 2022. Delhi has to meet roughly 50.5%[1] of its power consumption from renewable sources by 2041 to fulfil the national level targets set by MNRE. As per the trends indicated by Department of Power, GNCTD, the power consumption demand by 2041, is projected to reach 63,389 MU. Peak demand is likely to double and increase up to 19,070 MW. Based on this it is estimated that the total installed capacity would also need to be increased threefold up to 21,930MW (15% over and above the estimated peak demand).

Year	Population (million)	Power consumption demand (MU)	Peak demand (MW)	Overall installed capacity (MW)
2019	19	33,082	7,409	7,901
2031	24.7	47,167*	12,269**	14,110
2041	29.1	63,389*	19,070**	21,930

* assuming power consumption growth rate as 3%

Digital infrastructure and services are increasingly emerging as key enablers to Delhi's growth. The wide spread usage of ICTs and internet has notably driven majority of the app-based economy and services. Apart from public agencies, the private sector plays an extensive role in servicing the city. Delhi needs to align its telecommunication infrastructure and targets in adherence to National Digital Communication Policy 2018 and Telegram Right of Way Rules 2016.

[1]*Based on further projection of MNRE,GoI target of 450 GW renewable energy installed capacity by 2030*

In 2019, Delhi had over 57 million telecom connections, of which 54 million were wireless connections provided by both private and public agencies. The public sector (MTNL) constitutes about 46% share of wireline connections and only about 4.3% ofthe wireless connections.Overall tele-density of NCT of Delhi is substantially higher than the national level average. . Delhi has close to 32 million internet subscribers supported by and extensive network of telecom towers, majority of which are privately managed.

Gas Infrastructure: Indraprastha Gas Limited (IGL) is authorized and responsible tolay the network for the distribution of natural gas in the National Capital Territory of Delhi. Natural gas is widely use by transport sector as Compressed Natural Gas (CNG), by the domestic and commercial sectors as Piped Natural Gas (PNG) and by industries as R-LNG supply. The use of natural gases in different forms will considerably bring down the pollution levels in Delhi. Around 25% of total households are connected by piped gas network. However, more than 50 percent of NCT of Delhi has been identified as technically unfit for augmentation of PNG networks by IGL.

By 2030, Central Government is targeting to make India a gas based economy thus aiming to push the share of natural gas in energy basket from present 6% to 15%. Delhi shall lay greater emphasis on using cleaner fuels such as PNG & CNG and discouraging the use of polluting fuels. IGL projections indicate that Delhi will need an estimated 7.32MMSCMD gas volume by 2025 and it is planned to set up 110 new CNG stations by 2025to meet this demand.

Disaster Preparedness and Resilience: Delhi falls in seismic zone IV & V and is extremely vulnerable to natural disasters like earthquakes and floods as well as human induced disasters such as fires, industrial and chemical hazards, floods, building collapses, road accidents, water logging, etc.

The city has been experiencing floods of various magnitudes in the past due to floods in the Yamuna and the Najafgarh Drain system. The Yamuna crossed its danger level (fixed at 204.83m) twenty-six times during the last 35 years. Since 1900, Delhi has experienced nine major floods in the years including the recent ones in 1995, 1998, 2010 and 2013.

According to Delhi Fire Service statistics, Delhi had more than 75,000 fire incidents during the last five years resulting in more than 1,500 deaths, injuries to more than 7,600 persons and loss of property valuing more than Rupees 176 crores. These incidents include five major, twenty-five serious and ninety-nine medium fires. During the last 5 years, Delhi has also witnessed a 49% increase in the number of fire incidents in JJ colonies and more than 70% of these cases are estimated to arise from electrical causes (mainly short- circuiting). Majority of the building stock in Delhi is characterised by buildings which are unsafe due to rampant unauthorised constructions and non- compliance with building byelaws. Gas leakages and electrical faults have been identified as main causes for fire incidents in Delhi.

The 'Delhi Disaster Management Plan' (DDMP) prepared by Delhi Disaster Management Authority (DDMA)has identified and listed the vulnerable areas, colonies, settlements in Delhi for various type of disasters and also recommends periodic safety audits for structural safety, fire safety, electric safety etc., to be conducted by local bodies and concerned agencies to create disaster preparedness for Delhi.

In the next twenty years, the infrastructure in Delhi will face an unprecedented pressure and therefore, has to be both responsive to emerging needs and resilient to shocks and stresses. Therefore, the focus is to create a sustainable and resource-efficient environment by enabling provision of robust and resilient infrastructure services.

This section gives strategies for water supply and sanitation, sustainable and efficient waste management, clean energy, robust digital, communication and gas based infrastructure, disaster preparedness and resilient Delhi in the following four chapters:

INF1 – Making Delhi water secure: water, wastewater and drainageINF2 – Managing solid waste efficiently
INF3 – Power, Gas and Telecommunication-Digital infrastructureINF4 – Disaster preparedness and resilience

13.0 MAKING DELHI WATER SECURE: WATER, WASTEWATER AND DRAINAGE

Chapter code
INF1

13.1.1 Delhi's development potential is closely linked to the availability of water. The city is highly dependent on external sources of water and the available quantum is inadequate for meeting future demands. Achieving long-term water security is therefore one of the major focus areas envisaging the following:

i) Sustained availability of adequate water that meets prescribed quality standards for fulfilling current and future needs,
ii) Improved resilience to flooding.

13.1.2 The plan advocates an integrated urban water management approach and provides inter-connected strategies in the three major water-related infrastructure sectors, namely water supply, sewerage and drainage. While interventions under this approach can incrementally move the city towards being water secure continued efforts shall be made by concerned authorities to procure raw water through inter-state agreements for meeting the city's requirement.

13.2 Reducing the demand for fresh water

13.2.1 As per DJB service plan, the per capita norms for water supply are to be reduced from 60 GPCD to 50 GPCD by rationalising and earmarking fresh water supply only for potable uses. Water supply shall be reduced further in

new developments. The demand management strategies to implement this reduction are detailedin this chapter.

13.2.2 **Water supply rationalisation to address water scarcity:** Water supply in new developments under the various policies of this Plan will be controlled to minimize additional stress on water resources:

i) Development within land pooling sectors will be sustainable in terms of water demand and water conservation features shall be built into the sector layout and building design. Per capita water supply shall be restricted to 40 GPCD in land pooling areas (ref: DEV1).

ii) Water demand in Green Development Area is anticipated to be met mostlyby treated wastewater. (ref: DEV2)

iii) Regeneration schemes and TOD Schemes shall receive no additional water supply over and above the existing requirement except for any vacant land/s within the scheme for which additional water supply at 50 GPCD shall be provided.

13.2.3 **Treated wastewater for non-potable uses:** 100% treatment and maximum reuse of wastewater shall be encouraged in existing developments and mandatory in new developments:

i) Decentralised wastewater treatment systems with dual piping shall be mandatory for approval of any new development/ project with discharge more than the minimum threshold as per UBBL.

ii) In Green Development Area, it shall be mandatory for all plots/ GDA Schemes to install individual or shared decentralized treatment units irrespective of quantum of discharge.

iii) Decentralised treatment units may be installed as a shared facility for single or multiple buildings/plots or for scheme/ sector layout. Built structures created only for installing such facilities shall be free of FARand ground cover requirements.

iv) Shared systems may also be installed at a cluster level for plotted developments or a group of buildings.

v) Provision of using treated waste water with separate pipes for potable water supply and for recycled water shall be mandatory for all new developments as per UBBL.

vi) Provision of dual piping before providing any new water connections.

vii) All existing government, PSP and commercial buildings/plots (except local level facilities) with discharge above the minimum threshold prescribed by UBBL shall migrate to decentralised wastewater management and dual piping in a time bound manner as per feasibility.

viii) DJB may facilitate existing residential consumers to migrate to water recycling features.

13.2.4 **Low water consumption plumbing fixtures:** Installing low water consumption plumbing fixtures as prescribed by the UBBL to conserve water shall be mandatory for the following developments:

i) All new developments and regeneration projects.

ii) All existing government, commercial and PSP buildings/plots (except local facilities).

13.2.5 All concerned agencies shall encourage citizens and different stakeholders towards adapting water-sensitive behaviour for long term water sustainability.

13.3 Optimizing bulk reuse of wastewater generated in the city

13.3.1 DJB and concerned agencies shall ensure treatment of all wastewater generated in the city as only treated waste water shall be permitted to be discharged into drains or water bodies. This will require augmentation of treatment capacity, maximum collection of waste water through better coverage of unsewered areas, installation of interceptor sewers and implementation of other suitable methods.

13.3.2 DJB shall ensure availability of treated wastewater for maximum reuse and shall prepare a phasing plan for incrementally increasing the wastewater reuse incorporating the following bulk uses:

i) Discharge of treated water to the river as per the requirements of environmental flow prescribed by the authorized agency from time totime.

ii) Rejuvenation and continuous maintenance of water quality in the various lakes and water bodies of the city.

iii) Ground water recharge by using treated wastewater by developing aquifer recharge ponds and lakes in the Yamuna floodplain greenways along natural drains, biodiversity parks and land pooling areas.

iv) Usage of treated wastewater for horticulture, irrigation, bus/metro/railway carriage and vehicles cleaning, road cleaning etc., and as far as possible, also for firefighting and construction purposes. Developments within GDA shall also use recycled water in bulk (ref: DEV2). It shall be mandatory to use treated wastewater for industrial processes, and use of potable water shall not be allowed for the same.

13.4 Maximizing retention of storm water

13.4.1 Another important intervention is to reduce storm water runoff and maximise the use of rain water, either directly through storage or indirectly through ground water recharge.

13.4.2 The following strategies shall be implemented:

i) In all new developments, large parks and open spaces shall be located in low lying areas to ensure recharge and prevent construction in flood prone sites.

ii) Rainwater harvesting shall be permitted as common shared recharge infrastructure in greenfield or regeneration layout plans.

iii) Developments within GDA shall be encouraged to create large-scale storage for direct use of storm water for meeting the needs of horticulture.

iv) Improvement of pervious surfaces throughout the city by adopting water sensitive urban design (WSUD) principles for all new layout plans and area improvement projects. Elements such as bio-swales, vegetated filters, pervious storm water drains, raingardens, semi-pervious pavements and public parking areas, etc. shall be adopted in public areas as per ground conditions (ref: ENV1 and HCP1).

v) The design of storm water networks in new areas shall ensure that at least a proportion of the stormwater is directed/discharged into

existing/suitable ground water recharge sites.

vi) Bio drainage may be used at certain locations to design buffers of rivers, natural drains and lakes to create natural sponges for the city duringmonsoons. (ref: ENV2)

13.4.3 Strategies for ground water recharge shall be complemented by strict regulation for ground water extraction. Extraction from borewells other than those registered with DJB shall be considered illegal.

13.5 Improving efficiency of water systems

13.5.1 Delhi's water availability and demand management strategies can be greatly enhanced by bringing in several system improvements which includes:

i) Reducing non-revenue water (NRW), adopting 24X7 continuous water supply and smart metering.

ii) Providing metered water connection to individuals households in unplanned / unauthorised colonies.

iii) Implementing telescopic water pricing to disincentivise irresponsible useof water.

iv) In dense colonies, where implementation of sewerage network is not possible, DJB shall set up institutional mechanisms for periodic cleaning of the septic tanks and faecal sludge management. Existing STPs can be used for treatment of sullage and DJB shall set up a mechanism for transfer and treatment of sullage to STPs. The by-products of wastewater treatment shall be suitably treated through post-processing and recycled for road building or any other suitable use.

--- x --- x ---- x --- x ---

14.0 MANAGING SOLID WASTE EFFICIENTLY

Chapter code **INF2**

14.1.1 Delhi's commitment towards sustainable development hinges to a great extent on the ability to conserve its resources and manage waste efficiently. The city generates more waste than it is able to process in an environmentally sustainable manner. This gap needs to be bridged to move from being "wasteful to resourceful". A common strategic framework has been envisaged for creating sustainable and efficient waste management systems and adopting circular economy principles:

i) Substantial proportion of waste managed locally

ii) Improved quantum of waste recovered as resource

iii) Waste processed and disposed with least environmental impact

14.1.2 This chapter makes separate provisions for both types of solid waste i.e. municipal solid waste (MSW) and non-municipal waste generated in Delhi.

14.2 Managing Municipal Solid Waste locally

14.2.1 MSW is managed by concerned local bodies in their respective areas. Local

bodies shall fully implement the provisions of SWM-2016 guidelines (and any revisions thereafter) in addition to the recommendations of the master plan.

14.2.2 Managing waste in closest proximity to where it is generated accrues multiple benefits such as better control over segregation of waste at source/locality, better integration of locally active informal waste workers, engagement of local communities and RWAs, MTAs etc., and catalysing circular economy of reuse and recycle.

14.2.3 **Creating 'Minimum Waste Localities' (MWLs)**

i) Localities (residential areas, housing societies, colonies, apartments, markets, etc.) where all the wet MSW is managed within their boundaries through eco-friendly solutions such as composting, bio-methanation etc. shall be called MWLs.

ii) The dry recyclable MSW generated in MWLs shall be sent to Material Recovery Facilities (MRF) or processing plants located within or in close proximity to the locality. All non-municipal waste i.e. e-waste (electric, electronics, battery waste), biomedical waste, hazardous waste and construction and demolition (C&D) waste etc., shall be sent to government authorised processing centres. Only inert waste, if any, shall be permitted to be disposed at centralised landfill facilities.

iii) All new development coming up within Land Pooling, Regeneration Schemes or Green Development Areas shall be developed as MWLs. (ref: DEV1, DEV2, DEV3)

iv) All local bodies shall facilitate the transition of existing localities under their jurisdiction to MWLs by involving RWAs, MTAs and local informal waste pickers and transporters etc.

14.2.4 The following strategies shall be implemented to enable creation of MWLs:

i) RWAs/MTAs and local communities, in consultation with concerned agencies, may dedicate some portion of large parks (neighbourhood park and above hierarchy) for composting, bio-methanation or any other innovative eco-friendly solution for processing wet waste.

ii) Wet waste from properties that are bulk waste generators (hotels, restaurants, malls, etc.) shall be processed and segregated at source within the premises or transported to authorized composting plants.

iii) Local bodies shall ensure that waste is collected, managed and treated in closest proximity to its generation in unplanned settlements (including JJ clusters) and. Sites for local treatment shall be identified in consultation with residents/RWAs.

iv) To target long-term behavioural change and raise awareness, local bodies may incentivise good practices of sustainable waste management, and collaborate with NGOs, CBOs etc.

14.2.5 **Repurposing waste infrastructure:** Local bodies shall strategize existing infrastructure and resources to manage maximum quantity of MSW.

i) Dhalaos with sufficient capacity and space can be repurposed to serve as Material Recovery Facilities (MRFs) at local level, providing area for segregation of wastes and recovery of recyclables.

ii) In the land pooling areas, provision for separate MRFs shall be made.

iii) Local waste pickers and 'kabari valas' may be engaged by local bodies or RWAs for developing MWLs and leveraging existing recycling

networksfor paper, glass, metal, and plastic.

iv) With reduction in the amount of waste being transported, local bodies may incrementally use transportation vehicles for other purposes.

14.3 Minimising environmental impact of MSW

14.3.1 The following measures shall be implemented to minimize the environmental impact of MSW:

i) Delhi's reliance on landfills for waste disposal to be reduced significantly. Existing landfill sites to be incrementally reclaimed as green/recreational areas. Legacy waste at these sites to be salvaged in a phased manner as per the CPCB Guidelines for Disposal of Legacy Waste 2019 (old MSW).

ii) Incentives/ disincentives recommended by National Resource Efficiency Policy (NREP)-2019 shall be suitably adopted for Delhi.

iii) No new landfill sites shall be permitted in Delhi. All permissible mechanisms for disposal shall be explored and based on assessment of its impact on environment. Any new landfill (if proposed) shall mandatorily adopt sanitary landfilling techniques for disposal of inert waste.

iv) Local bodies and private agencies are encouraged to explore and adopt any other innovative environmentally friendly waste processing techniques in the future.

v) Littering in public areas and dumping of waste in water bodies, parks, green areas and open land shall be strictly prohibited.

14.4 Management of non-municipal wastes

14.4.1 Non-municipal waste such as e-waste (electric, electronics, battery waste, etc.), biomedical waste, hazardous waste and construction and demolition waste, shall be managed with strict compliance to the rules notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (2016). Additional authorised facilities for processing such waste shall be provisioned as follows:

i) Medical waste and Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities (CBWTFs) should be provided as per requirement.

ii) With the coming up of IT/ITES and other digital economies, new technologies such as e-vehicles, the quantum of e-waste is likely to increase, accordingly provision for disposal to be made.

iii) The capacity of authorised C&D waste processing plants shall be enhanced and new processing plants may be provisioned wherever feasible.

14.5 Optimizing Waste as a Resource

14.5.1 All agencies involved in waste management shall adopt principles of reduce, reuse and recycle (circular economy), consider waste as a resource and facilitate an environment for development of waste-related industries.

i) Use of C&D recycled products shall be mandated in accordance with C&D waste Rules- 2016. Reuse of C&D waste generated on site for all redevelopment projects and use of recycled C&D products in all new development projects shall be mandatory to the extent possible.

ii) Large scale composting farms shall be encouraged in the notified Green Development Area (GDA) for composting of bio-degradable waste. The compost may be utilized within GDA or rest of the city for various green uses.

iii) Recycled waste products and compost that meet quality standards may be promoted by the concerned agencies for a robust waste to wealth eco-system in Delhi and the region.

--- x --- x ---- x --- x ---

15.0 PROVISION OF POWER, GAS, TELECOMAND DIGITAL INFRASTRUCTURE

Chapter code
INF3

15.1.1 Delhi needs to build world class digital network infrastructure and shift to clean energy to become a sustainable city and enhance its global competitiveness. The following have been envisaged in this regard:

i) Enhanced production and increased use of renewable energy.

ii) Robust and adaptable city-wide digital infrastructure and connectivity.

iii) Improved infrastructure for power and gas.

15.2 Shifting to renewable energy and efficient power consumption

15.2.1 In light of global warming and climate change, it is imperative to develop a plan to enable the transition from conventional sources such as fossil fuels towards clean energy sources.

15.2.2 A Renewable Energy Plan shall be prepared for Delhi to identify potential renewable energy generation areas within Delhi along with strategies and projects to meet the targets outlined by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India.

15.2.3 Delhi has a high potential for generation of solar energy, therefore, the following strategies maybe adopted for scaling up the production of solar energy in Delhi:

i) Solar farms shall be encouraged in the 'Green Development Area 'in line with "The Agriculture-cum-Solar Farm Scheme" of Delhi. Power purchase agreement based models may be adopted to incentivise landowners to setup solar farms on their agricultural lands. (ref: DEV 2)

ii) Delhi has a number of canals that can be utilised for harnessing solar energy as per feasibility. The canal owning agencies may leverage this potential for generation of solar energy.

iii) Government buildings and institutional campuses with a roof top area above 500 sq.m to install solar PVs as per Delhi Solar Policy 2016 and Net Metering Regulations, 2014.

iv) Large scale public facilities such as airports, metro stations, railway stations, inter-state and city-level bus stations/depots, stadiums etc.,

may progressively meet majority of their power requirements through solar and other renewable energy.

v) Any excess power generated (after meeting on-site requirements) may be fed into the grid,

15.2.4 The following strategies may be adopted to enhance the usage of solar energy in buildings and public spaces:

i) Solar-based LED lighting to be used for roads, parks and public places. These shall be implemented as part of area improvement projects by concerned agencies such as Walk Plans and MMI.

ii) Installation of solar PVs shall be encouraged in all plots with roof area more than 100 sq.m and solar assisted water heating shall be promoted as per UBBL. Installation of the same to be made mandatory for all newconstructions and linked to building permissions.

iii) DISCOMS shall undertake installation of smart meters in a phased manner for all existing buildings, and mandatorily for all new constructions.

iv) The practice of differential pricing for power supply may be adopted by DERC to encourage increased solar usage during peak hours, to reduce thepeak load and improve system efficiency.

15.2.5 Modular star rated electrical appliances and electrical fixtures to be mandated inbuildings for higher energy efficiency.

15.2.6 Thermally comfortable and energy-efficient buildings shall be promoted according to the UBBL and Energy Conservation Building Code 2018. The following shall be considered while planning and designing of projects:

i) Climatology, wind flow, drainage, presence of water body in close vicinity..

ii) Development of green blue green features within plots for all new developments (ref: ENV2).

iii) Existing buildings may be retrofitted in order to improve their thermal comfort. Retrofitting may include provision of shading, ventilation, insulation etc.

15.2.7 All concerned agencies may adopt the following strategies for managing peakload demand:

i. promote mixed use,

ii. permit select commercial/ recreational spaces to function for 24 hrs andpromote night economy.

iii. Setting up large public screenings of sporting and other events etc.

iv. Examine feasibility of shared heating and cooling systems

v. Use vacant office building/ schools etc., for night parking and EV charging.

vi. Promote EV battery swapping during peak hours and permit EV chargingonly during non-peak hours.

15.2.8 All concerned agencies and departments, DISCOMS, EE&REM and BEE to run awareness campaigns to sensitize the construction community and the end-users towards the environmental and economic benefits of using solar panels.

15.3 A digitally enabled and connected city

15.3.1 Delhi requires adequate infrastructure provisions to support higher service levels like network of 5G and above, full city fibre coverage, and integration of city's digital systems with IoTs (Internet of Things), Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing and Big Data etc. for effective urban management of Delhi.

15.3.2 With increased level of digitalization, data centres may be setup to meet the need for data storage, server management, etc. Such data centres may be developed bypublic and/or private agencies as per norms.

15.3.3 Digitally unified command and control centres may be set up by the local bodies as key drivers for effective urban management, especially traffic, safety, disaster response etc.

15.3.4 Connectivity through fibre-optics is considered to be more efficient in terms of internet speed and reliability of services. "Fibre First Initiative" of NDCP 2018 and regulations of ROW Policy 2016 will facilitate augmentation of telecom infrastructure. Implementation of optic fibre shall be through collaborative models involving state government, local bodies and private sector as required for provision of shared telecommunication infrastructure.

15.3.5 Smart poles may be installed in public areas, comprising of CCTV cameras, air pollution monitoring sensors, telecom antenna, Wi-Fi hotspots/ microcells, solar lighting, public address and messaging systems, emergency call box etc., which shall be connected to the digital systems of city agencies.

15.4 Improving infrastructure for power and gas supply

15.4.1 **Power Infrastructure:**

i) Major transmission network to be planned within the RoW of proposed master plan roads as per feasibility and shall adhere to safety norms of overhead and underground transmission lines as per norms prescribed by CEA .

ii) All new sub-stations in Delhi to be developed as gas insulated sub-stations as per feasibility, as roughly 50% lesser land area is required as compared to traditional air insulated sub-stations

iii) All new 11KV power lines to be integrated underground within the road cross sections of land pooling zones as per technical and financial feasibility.

15.4.2 **Digital and Telecommunication Infrastructure:**

i) Optic fibre is a public utility and space for this has to be provided in all street sections of12m RoW and above as per feasibility. On streets less than 12m, optic fibre cabling shall be laid within the street section wherever possible or retrofitted as per existing conditions.

ii) Telecom installations and associated in-building solutions to be promoted in all new buildings and development.

15.4.3 **Gas Infrastructure:**

i) Future gas pipelines to be integrated within RoW of 12m and above.

ii) Provision of piped gas connections at household level to be promoted forall new buildings and developments.

--- x --- x ---- x --- x ---

16.0 DISASTER PREPAREDNESS AND RESILIENCE

Chapter code
INF4

16.1.1 Delhi has to develop resilient systems that can withstand, respond to, adapt and recoverin the event of unpredictable disasters, shocks, chronic stresses. Like any other megacity, Delhi also faces a wide range of varied risks such as climate change impacts, earthquakes, fires, floods, disease outbreaks, pandemics, and other threats.

16.1.2 In Delhi, the impact of such risks increases manifold when coupled with the intrinsic issues such as presence of a large number of dense unplanned areas with dilapidated or poor building stock and high densities. This makes a large part of Delhi highly vulnerable to disasters as these areas are likely to bear large losses in terms of life and property at the time of any such event.

16.1.3 The plan aligns with the state and national regulations on disaster mitigation and preparedness and takes a three-pronged approach in terms of reducing risks and vulnerabilities: mitigating the impact, being prepared to respond to disasters by building state of the art resilient infrastructure and systems, and facilitating an aware citizenry. Delhi will become future ready and resilient by striving for:

i) Enhanced resilience for natural disasters- specifically earthquakes
ii) Reduced vulnerability from fires and urban floods
iii) Improved ability to respond to all types of disasters and risks

16.2 Building resilience and preparedness for natural disasters

16.2.1 **Reducing Seismic vulnerability:** Delhi is located in the national seismic Zones IV and V, in which, earthquakes can cause ‘high damage’. The city sits on twofault lines, namely Mathura and Delhi-Moradabad fault lines. Delhi Disaster Management Authority (DDMA) has prepared seismic micro-zonation for Delhi and identified high, medium and low risk zones. In order to reduce vulnerability and minimize the damage to life and property caused by earthquakes, following strategies can be adopted:

i) Dedicated Structural Audits to be carried out across the city, and all buildings in Delhi shall duly undergo audit as per the dedicated protocol/sestablished by DDMA and concerned local bodies.
ii) The structural/safety audit as defined by Government of India shall be prioritized in high risk zones, vulnerable localities, public buildings with high footfall, buildings with response units (fire, police, integrated control centres etc.), and essential infrastructure.
iii) The safety audit protocol shall provide details of procedure and parameters for the audit, frequency of the audit and information for strengthening and retrofitting buildings.
iv) In case of buildings and infrastructure, for which strengthening and retrofitting has been recommended by the audit, compliance shall be ensured.
v) Structural design of all new buildings and structures shall adhere to the guidelines for seismically compliant buildings as per UBBL.

vi) Base isolation, hydraulic dampeners and other such structural features may be adopted by concerned agencies to make critical infrastructure of transport, water, fuel etc., seismically resilient.

vii) Concerned agencies may identify areas/localities that are at risk of incurring tremendous damage in the event of a natural disaster. Such areas may be facilitated to undergo mandatory retrofitting or redevelopment to ensure safety of the residents. Regeneration Schemes proposed in high risk zones may be given priority over other projects by concerned agencies.

16.3 Reduced vulnerability from other disasters

16.3.1 **Reduced risk from fires:** Industrial, commercial units and households in dense settlements are highly susceptible to the hazard of fire. In order to minimize fire risk in the city:

i) All buildings with functions involving highly inflammable material shall get mandatory clearance from the Fire Department and adopt safety precautions. Mixing of such uses with residential or PSP functions shall not be permitted.

ii) The Delhi Electric Vehicle Policy, 2020 by GNCTD, for promoting electrical vehicles needs to be reinforced with clear guidelines regarding storage, charging, use, and disposal of EV batteries, which are a potential fire hazard.

iii) The Delhi Fire Services can adopt the use of mobile fire hydrants and other state of the art fire-fighting gear, in areas where fire tender cannot reach.

iv) Buildings identified as 'vulnerable to fire' by DDMA and concerned agencies shall be retrofitted with fire prevention and mitigation measures as per UBBL and norms of the Delhi Fire Services.

v) Department of Power, local bodies and other concerned agencies shall take joint action to ensure electrical safety in identified vulnerable areas in a phased manner, by ensuring safety from electrical faults in buildings. Area level fire safety shall also be ensured especially in the Walled City, urban villages and other dense areas by taking care of exposed overhanging wires and cables in the streets.

16.3.2 **Reduced incidences of urban flooding and water logging:** The frequency and intensity of urban flooding and water logging has been on a steady rise in Delhi, due to rapid urbanisation. This is likely to worsen due to climate change impacts. Strategies for augmenting the green cover and water-sensitive urban development - shall be taken up. Additionally, the following strategies shall be adopted:

i) All natural and engineered drains shall be kept free of obstructions and encroachments with regular desilting and disposal of silt of drains.

ii) Local bodies may earmark certain parks and gardens in flood prone areas to serve as flood detention sinks as identified in the Drainage Master Plan of the I&FC department.

iii) Large-scale storm water capture projects in the Yamuna floodplain shall be undertaken by concerned agencies, with the dual objective of flood control and trapping fresh water for augmenting supply. Such projects shall ensure strict environmental compliance and cause no damage to the river.

16.3.3 **Reducing vulnerability to pandemics:**

i) Mixed use development and vertical mixing of compatible uses within plots shall be promoted in the city, facilitating availability of all services, work centres and homes within close vicinity of each other. This will facilitate self-sufficient isolation zones as required.

ii) Decentralised workspaces shall be promoted in the form of co-working spaces, shared workspaces within slum rehabilitation projects, support for home-based work, etc. Additionally common community spaces shall be promoted to be utilised for providing refuge spots, common kitchens, quarantine spaces etc., at the time of emergency.

iii) Development of large green areas, mandatory creation of open areas, public spaces and plazas in new developments, and reducing built densities through planned regeneration will support requirements of social distancing during pandemics, while providing an active public realm during normal times.

iv) Development of adequate affordable rental or ownership housing options for the poor, worker housing, hostels for women and men, etc. shall be promoted to reduce crowding within dwelling units and support migrant housing in the city.

v) The plan facilitates creation of multi-facility plots (particularly in dense unplanned areas) that can be used temporarily repurposed along with other government facilities during times of disaster.

vi) Better habitat design and green rated developments shall be promoted to reduce the dependence on mechanical ventilation systems, which pose a threat during air-borne epidemics.

16.4 Managing effective response to disasters and risks

16.4.1 DDMA may set up a state of the art ICT enabled Delhi Disaster Response Force (DDRF) for effective response at the time of a disaster or an unpredictable event. This force can be supported by government departments and agencies as well as hospitals, CSOs etc. This force shall carry out regular risk assessment exercises, receive and transmit early warning signals, converge all necessary protocols to be followed at the time of occurrence and activate all response systems.

i) A disaster response protocol shall be developed for Delhi, outlining the procedure to be followed for different types of disasters.

ii) All service providing agencies shall develop emergency response plans and guidelines to ensure that there is minimal impact on delivery of these essential services during times of disaster.

iii) Dedicated evacuation spaces and refuge spots for residents shall be designated in all localities, especially in dense areas.
   a) Evacuation spaces to be open to sky areas where people can gather at the time of an event such as fire, earthquake etc. These can be parks, multi-purpose grounds, other open spaces etc.
   b) Refuge spots can be any internal spaces identified by RWAs/ local bodies to provide alternate locations for unhealthy/unwell residents at the time of contagious disease outbreaks. Such spots should bepublicly accessible facilities.

iv) DDMA shall also develop a post-disaster rehabilitation strategy. All departments of GNCTD, local bodies and DDA shall develop a system for regular assessment of disaster risk for Delhi.

--- x --- x ---- x --- x ---

VOLUME 2

FRAMEWORKFOR SPATIAL DEVELOPMENTAND PLAN MONITORING

SECTION 7

SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK

This section provides detailed 'spatial Development Policies' that will guide the future development of Delhi over the plan period in greenfield as well as brownfield areas. Four major policy areas shall be covered as follows:

DEV1 – Development of new areas through Land Pooling DEV2 – Development within Green Development Area DEV3- Urban Regeneration DEV4- Transit-oriented Development

17.0 DEVELOPMENT OF NEW AREAS THROUGH LAND POOLING

Chapter code
DEV1

17.1.1 Land Pooling is a new paradigm for urban development, wherein the private sector will play an active role in assembling land and developing physical and social infrastructure. Owners or groups of owners will pool land parcels for development as per prescribed norms and guidelines, making them partners in the development process. For integrated planning of a sector, the land required for development of roads, utilities, greens and other infrastructure shall be made available to DDA and service providing agencies as per approved/notified plans. Such areas are envisaged to be world class, 'smart' and sustainable neighbourhoods, sectors and zones, planned and executed as per the availability of water, power and other infrastructure.

17.1.2 Regulations in this regard provide further details for development of such lands and the process for the same.

17.2 Applicability

17.2.1 The policy shall be applicable in identified land pooling areas as notified by DDA/Government from time to time, except:

i) Green Development Area
ii) land under unauthorized colonies (which are yet to be regularized);
iii) built up Lal Dora areas (abadi), notified extended Lal Dora of villages;
iv) lands under litigation including lands under acquisition proceedings, till the case is settled;
v) land where DDA or any other government agency has issued NOC, or where the plan stands approved for development by any other government agency at the time of notification of this policy and its regulations;
vi) land under notified forests/government land (use undetermined) and any other scheme of Government of NCT of Delhi for which change of land use is under process under Section 11(A) of the Act at the time of notification of these regulations;
vii) pre-existing institutions which have been considered for regularization or are still under examination by the Government;
viii) land under roads natural drains, natural water bodies, heritage sites, flood and irrigation department, railways and airport.

17.2.2 If any of the landowners who have lands listed under sub-clauses (ii) and (vii) above wish to participate, they must clear all encumbrances before expressing their willingness.

17.2.3 All remaining lands, other than those mentioned in Clause 17.2.1, shall form the "Developable Area" that can be taken up for pooling.

17.3 Guiding Principles

17.3.1 Pooling of land shall be done on the basis of delineated sectors (as defined in the Regulations) and the required modification in the Zonal Development Plan shall be based on the approved Sector Plan as per the provisions of MPD.

17.3.2 Landowners with any size of land in identified land pooling areas may register and express their willingness to participate as per the application process specified in the Regulations.

17.3.3 A minimum of 70% contiguous land of the developable area within the sector, free from encumbrances, shall be pooled to make the sector eligible for development. This will ensure unified planning, servicing and subdivision/share of the land in a sector. When such minimum contiguity is achieved in a sector, DDA shall intimate all the constituent landowners forming part of the contiguous land in the sector to form a consortium. Isolated land parcels of 2 ha and above falling in a sector, that are not a part of 70% contiguous land shall also be eligible for being part of the Consortium provided they can be integrated with the sector layout.

17.3.4 Of the pooled land, the Consortium will retain maximum 60% and hold the remaining minimum 40% on behalf of DDA, to be surrendered (free of encumbrances) to DDA/ service providing agencies, as and when required, for development of city level physical infrastructure, recreational, industrial and public/semi-public (PSP) facilities as per the norms of this plan. Each landowner will surrender land proportionate to the area of land pooled, for provision of such facilities.

17.3.5 The 60% land shall be utilized by the Consortium for development of residential, commercial, public and semi-public facilities and physical infrastructure.

17.3.6 The Consortium will mutually decide a formula for redistribution of developed land/ built space, or any other form of fair exchange as part of an “Implementation Plan” and convey the same to DDA with the consent of all landowners.

17.3.7 The final development of the 60% land shall be taken-up by the Consortium only after obtaining the necessary approvals. The 60% land can also be developed as separate sub-projects by those landowners/ group of landowners who have chosen to work as separate Developer Entities (DEs), only after the overall integrated planning has been completed by the Consortium and all due approvals have been obtained. The DE can be:

i) An individual land owner who has pooled one or more parcels of land in the sector, adding up to a minimum of 2 ha;

ii) A group of land owners who have collectively pooled one or more land parcels adding up to a minimum of 2 ha who have voluntarily grouped together, through a valid and legally enforceable agreement for taking up development;

iii) An entity (developer/business/corporate entity) representing a group of

landowners who have pooled one or more land parcels adding up to aminimum of 2 ha, through a legally binding agreement.

The limit of 2 ha has been set to ensure adequate return of land for development.

17.3.8 Adequate provision of EWS housing shall be ensured in the new development area and provided as per MPD.

17.3.9 External Development Charges (EDC) shall be applicable on the entire area of pooled land to cover the actual cost of providing city-level infrastructure.

17.3.10 Land parcels in a sector that remain un-pooled may be allowed to develop at alater stage subject to:

i) Workability of the proposed layout plan in terms of accessibility and otherfunctional requirements.
ii) Making 45% land available for city level infrastructure/facilities or as determined by the Authority from time to time.
iii) Payment of updated applicable EDC for infrastructure and services.

17.4 Role of DDA and/or Government

17.4.1 Ensure smooth and fair implementation of the Policy.

17.4.2 Delineation of sector boundaries and overall planning of the land to be utilized by DDA and service providing agencies for provision of city level physical infrastructure, recreational, industrial and public/semi-public (PSP) facilities.

17.4.3 Facilitation of the entire process of planning and development by DEs/Consortiums through a Single Window System for application, verifications, approvals, licenses, etc. in a time bound manner, as specified in the Regulations.

17.4.4 Overall monitoring of provision of relevant infrastructure for water supply, sewerage, drainage, power, transportation etc., by service providing agencies in atime bound manner.

17.4.5 Acquisition of any land, which has not been offered under Land Pooling and is required for effectuating development in any sector, in accordance with law. The cost of such acquisition shall be borne by the DEs/Consortiums.

17.5 Role of DE/Consortium

17.5.1 A Consortium of constituent landowners will be created for unified planning, servicing and subdivision/ sharing of the land or any other defined action for development of sectors under land pooling as per prescribed norms and guidelines.

17.5.2 Development and finalization of the Implementation Plan with the approval of allconstituent landowners as per Clause 17.3.6.

17.5.3 Preparation of layout plans and detailed site plans for the 60% land as per the Planning norms, through a consultative process involving all DEs/ landowners.

17.5.4 Undertaking watch and ward of the land to be surrendered (free of encumbrances) to DDA/ service providing agencies, as and when required.

17.5.5 Timely payment of External Development Charges (EDC) to DDA and service providing agencies towards the cost of developing public infrastructure and services, through the Single Window System and as per timelines specified in the Regulations. EDC shall be payable on the total pooled land.

17.5.6 Seeking necessary approvals of layout plans, detailed site plans and other drawings, through the Single Window System established by DDA.

17.5.7 Time bound development of all internal roads and other related infrastructure such as water supply lines, power supply, rain water harvesting, sewage treatment plant, and parking, including provision of multi-level parking facilities wherever required, falling in its share of the land

17.5.8 Time bound development and maintenance of the entire development as per approved layout plan, including all the local level facilities i.e. open spaces, roads and services, till the area is handed over to the concerned Local Bodies for maintenance. The deficiency charges, if any, shall be borne by the DEs/Consortiums at the time of handing over of the services to the local bodies.

17.5.9 Time bound transfer of the share of built-up space/land to constituent landowners/DEs as mutually agreed in the Implementation Plan.

17.5.10 Ensure development of the prescribed built-up space/dwelling units for EWS Housing component as per provisions of this Plan. Sale and Disposal of EWS housing stock shall be as per the Plan.

17.5.11 Bearing the cost of acquisition of land acquired by DDA as per law for the public purpose of ensuring the planned development of infrastructure in the Zones and Sectors where the Land Pooling Policy is applicable.

17.6 Development Norms

17.6.1 The following conditions shall apply for development:

i) A minimum of 40% of pooled land in every sector shall be reserved for city level infrastructure and other use (surrendered to DDA and service providing agencies, as and when required). DDA's share of Industrial and PSP land use (refer table 17.1) in sector shall be allowed to be clubbed with adjacent sectors to meet the requirements of providing city/zonal level facilities. A maximum of 60% of pooled land in every sector shall be available to DE/Consortium for development. The distribution of land uses shall be as follows:

Table 17.1 Distribution of land uses in Land Pooling areas

Land Use	Area of Pooled Land	
	Minimum 40%*	Maximum 60%
Gross Residential	--	53%
Commercial	--	5%
Industrial	4%	--
Recreational	16%	--
PSP	8%	2%
Roads and circulation	12%	--

* The 40% of land in each sector can be utilized for any use as per the requirement. There shall be no bar for DDA to use fix percentage in a particular sector. However, the overall percentage of a zone will be as per the table above.

17.6.2 Division of Gross Residential areas and provision of facilities shall be as per norms in the Plan. Land requirements for provision of internal roads/ infrastructure/ services (including water supply lines, power supply, rainwater harvesting, STP, etc.) as earmarked in the layout plan will be met equitably by all the landowners/DEs.

17.6.3 50% of the plots earmarked for local level health and education facilities, within the Gross Residential Use (53%) in a sector, to be returned to DDA for allotment to government agencies/ departments.

17.6.4 Amalgamation and sub-division of city level PSP plots as well as commercial plots shall be permitted. Minimum area requirements as per the Plan shall be applicable for development of any use premise. The DE/Consortium may also adopt innovative ways for achieving a vertical mix of uses (residential, commercial, PSP and industrial) within a building.

17.7 Additional Development Controls

17.7.1 Variance in Applicable FAR at Sector Level:

i) The prescribed FAR limit for different land uses at sector level shall becomputed as per the table below:

Table 17.2 FAR limit for different land uses at sector level

S.N.	Land Use	FAR	Total area that can be built as per FAR*
1	Residential	200	200 x Net residential land *(Net Residential land to be a maximumof 55% of Gross Residential land on which a mix of Group Housing and Plotted Housing typology is allowed onfulfilling the layout and plot level controls as per Clause 17.7.4 and 17.7.5.***[A]**
2	Commercial	150	150 x 5% of pooled land **[B]**
3	PSP	225	225 x 10% of pooled land **[C]**
4	Industrial	200	200 x 4% of pooled land **[D]**
			Total area that can be built as per FAR at sector level **[T]= A + B + C + D**

* Notes:

a) In addition, mandatory FAR of 15% over and above the maximum permissible residential FAR shall be available to the DE/Consortium only for provision of EWS Housing. EWS requirements to be calculated for the entire permissible residential FAR (irrespective of housing typology);

b) Permissible FAR for social infrastructure and utilities (up to local level to be provided under gross residential component) shall be calculated over and

above the residential FAR on the basis of population norms of MPD;

c) Distribution of PSP land use between Consortium/DE and DDA shall be as per Table 17.2. PSP plots shall avail the FAR as per the prevailing Master Plan provided that the total PSP FAR in the sector does not exceed [C] mentioned above. and TDR, if applicable

ii) FAR loading can be varied across different plots without exceeding the total applicable FAR for a sector except in sectors where TDR will be utilised, whereby higher FAR can be utilised along major roads, around identified transit stations or other identified locations.

iii) In case there is a shortfall/variation in return of 60% land to the Consortium due to site conditions or planning considerations, the Consortium/DEs shall be permitted to utilise their respective FAR.

iv) Gram sabha lands shall be integrated into the overall layout plan for the sector. Utilisation of such lands shall be as follows:

a) DDA may participate in the land pooling as a Developer Entity; (part of developable area)

b) DDA may develop such lands to meet specific needs/gaps of respective sectors. In such cases they shall not be considered part of the pooled land for computation of FAR as per table 2and shall be developed for different use premises as per norms. (not part of developable area)

17.7.2 Variance in applicable FAR shall be permitted through the following options:

i) Exchange of land uses within sectors:

a) For Consortiums– sector-level Commercial and/or PSP area under its share can be increased up to 30% each with an equivalent reduction in total area that can be built as per Residential FAR.

b) For DDA an exchange of up to 30% shall be permitted between sector- level PSP and Industrial area under its share;

ii) Utilisation of TDR shall be permitted only in the identified TDR receiving areas.

17.7.3 Mix of Uses/Vertical Mixing:

i) Vertical mixing (VM) of identified land uses shall be allowed within plots and buildings to enable mix-use in building typologies and hubs, to create innovative green layouts and facilitate the provision of adequate publicfacilities. The controls and mix of uses for VM shall be as follows:

a) Mix of uses/VM shall be permitted in approved VM plots, identified in the sector Layout Plan, where the overall FAR on such plots shall not exceed 400.

b) The loading can be in the form of same land use or identified compatible land use/s as per sub-clause (g) below.

c) Mixing of identified uses is permitted in any proportion in the form of different buildings within a plot, or vertical mixing of floors within buildings or both.

d) Requirements w.r.t open spaces, facilities, parking, entries/ exits and service cores, etc. within the identified plot shall be as per norms of the Plan or applicable regulations.

e) Separate entry/exits and service cores shall be provided for each use. Additional requirements, if any, due to utilisation of TDR shall be fully met within the plot itself.
f) Mixing/ Vertical Mixing of recreational parks, hospitals, health facility, university campuses, utilities, fuel stations and correction/ penal facilities of any kind shall not be permitted.
g) Mixing shall only be permitted for compatible uses as follows:
- Non-manufacturing industries like service industry (IT/ITES, BPO/KPO, etc.), packaging and logistics, and non-polluting MSME units can be combined with PSP and commerce.
- Schools can only be combined with residential use premises. Other educational institutions can be combined with clean industries such as those mentioned above.

h) Surplus land (if any) due to use of VM shall be utilized for active greens such as urban farming, nurseries, gardens.

17.7.4 **Layout Controls in land pooling sectors**

i) Layout Plan shall indicate the following:
a) use zones/ use premises as per the Plan.
b) redistributed plots returned to DE/Consortium , and
c) VM plots, mix of uses and respective FAR for all individual redistributed plots at the sector level.

ii) Applicable FAR and other controls of various use premises falling under Residential, Commercial and PSP and industrial land use and VM Plots shall be as per Plot level controls laid down in Clause 17.7.5 and it shall be ensured that the cumulative area that can be built for all the plots does not exceed the permissible limits set out in Clause 17.1.1 except in sectors where TDR is being utilized.

iii) Isolated land parcels of 2 ha or more shall have a minimum access of 18m RoW for inclusion in the layout plans of the sector.

iv) EWS block requirements shall be met by DEs individually or developed as a separate area/s on a consolidated basis, preferably close to transit stations.

v) At least 15% of the residential FAR (A) in the Sector as per Clause 7.1 shall be utilized for development of small format dwelling units of 40-60 sq.m.

vi) Local level facilities shall be provided in the form of separate plots as per norms of the Plan, or within Group Housing plots. Where such facilities are within Group Housing plots:
a) FAR for the facilities will be over and above residential FAR of 200.
b) Any open space requirements for such facilities as per master plan shall be provided within the plot.

vii) Road Layout
a) The sector road network shall incorporate the road hierarchy and

Street Design Regulations of the Plan. Cycling and walkability network shall be a mandatory requirement.

b) All major roads (24m and above) shall be provided with underground utility ducts for accommodating trunk services.
c) At least 50% of the area under collector roads shall be developed with minimum 24m RoW.
d) Existing revenue roads and phirni roads acting as major movement corridors within a sector shall be improved and/or widened and integrated into the sector layout, if feasible.
e) Direct vehicular or parking entries/exits shall be avoided on roads of 24m RoW and an alternative vehicular access to be developed as part of layout.
f) The new development shall maintain continuity with existing movement networks of approved or built planned development.

viii) Buffers: In addition to all other mandatory buffer requirements, the Consortium/DEs and public agencies shall maintain buffers along major natural drains as per DCN.

a) Such buffers shall be used for developing parks of various hierarchies or the edges shall be protected by providing pedestrian/cycling streets.
b) Buildings on the edges of buffers of natural drains shall maintain active facades in the form of balconies, windows, pedestrian entries, shop-fronts, plazas, etc. facing towards the buffer.

ix) Public Plazas: The layout shall incorporate public plazas of various scales to improve the availability of public spaces. Development of plazas shall be regulated as follows:

a) Public plazas of minimum 2000 sq.m shall be planned at all major intersections of arterial-to-arterial roads as part of the sector Layout Plan.
b) All mass transit stations shall provide 20% of the plot area as a single open access public plaza for spillover of passengers and Multi Modal Integration.
c) All plots above a size of 1 ha shall also provide 10% of the plot area as mid-street or corner public plazas. FAR for the area under such plazas given within plots, shall be loaded on the remaining plot.

x) Active Frontage:

a) Active frontage shall be maintained along roads with RoW of 24m or more.
b) A setback of 3m shall be maintained with greens and tree plantation, with built-to-edge development for 70% of the building edge. At least 50% of such built-to-edge frontage shall be kept active on the ground/podium floor by using arcades, colonnades, shop-fronts, pedestrian entries, plazas, etc.
c) These requirements will only be applicable on commercial, industrial and PSP plots as well as VM plots;

xi) Sustainability features:
a) All projects within land pooling areas shall achieve mandatory GreenBlue Factor of 0.2 (refer DCN).
b) Physical infrastructure in the Sector shall ensure the following:
- 100% treatment and maximum reuse of treated wastewater
- Segregation and 100% reuse of green waste;
- Meeting 10% of the sector's energy demand through renewable sources like solar;
- Optimum retention of storm water for direct reuse and recharge ofgroundwater as per applicable norms.

Multiple sectors/schemes may come together to meet these sustainabilityrequirements.

17.7.5 **Plot and Building Controls**

i) The following controls will apply for different kinds of plots outlined below:

	Controls	**Residential plot – plotted housing**	**Residential plot – group housing**	**PSP/Commercial/ Industrial Plots**	**VM Plot**
1	Minimumplot area	- Only cluster developments on minimum land of5000 sq.m permitted* - Sizes of plots shall range between 100-300 sq.m - EWS units to be provided as separate block either within the cluster or jointly with other DEs	3000 sq.m	As per norms of thePlan for various use premises	5000 sq.m
2	Maximum FAR	As per MPD, provided the overallFAR for the cluster (i.e. 200) is not exceeded**	200	As per norms for various use premises	400
3	Maximum ground coverage	As per MPD	Up to 33%	As per norms for various use premises	Up to 50%
4	Mandatory road access	- Not permissible onRoW of 18m and above - Overall cluster tohave access frommin 12m road. Individual Plots may be provided access from 9m road.	18m RoWat least on one side	As per norms of the Plan for various use premises	- Collectorroad of 24m or above at least on one side - Mandatory alternate access from 12m RoW

5	Setbacks	As per MPD	1. As per MPD for different Plot Sizes of respective land uses. 2. For Plots on 24m ROW and above, Front setback shall be as per Clause 17.7.4(x). 3. Side and Rear setbacks shall be subject to requirements of height and ventilation as per building bylaws/ NBC.

* All facilities, local access roads and decentralised infrastructure for solid waste and wastewater management shall be accommodated within the cluster development.
**In case the computed built area for a plot is less than that permitted in a lower category plot, themaximum built area of the lower category shall be permitted.

--- x --- x ---- x --- x ---

18.0 DEVELOPMENT WITHIN GREEN DEVELOPMENTAREA

Chapter code
DEV2

18.1.1 The Green Development Area (GDA) Policy provides an integrated framework for development in the following areas of Delhi:

i) Green Belt – land along the NCT of Delhi boundary up to a depth of one peripheral revenue village boundary, wherever possible.
ii) Low-Density Residential Area (LDRA) – Area of the villages notified for low density development and having concentration of farmhouses, termed as Low- Density Residential Plots or LDRPs.

18.1.2 The Policy will encourage 'green development', which shall be characterised by lower FAR and large wooded and landscaped areas, to:

i) foster city-level hubs for green living and recreation, create green jobs and economies,
ii) encourage production of food and other natural produce to improve food security and meet horticultural needs.
iii) create a regional environmental buffer, reduce impacts of air pollution, urbanheating, improve predictability of rainfall and combat threat of desertification.

18.2 Applicability

18.2.1 The extent and boundary of GDA shall include the areas of villages notified as Green Belt and LDRA. However, the extent and boundary of GDA may vary based on actual delineation on ground.

18.2.2 All existing and future development shall be governed by the provisions of GDA, superseding the earlier provisions for Green Belt and LDRA.

18.2.3 The Policy shall not be applicable in the following areas:

i) Land under unauthorized colonies (which are yet to be regularized);

ii) Land under litigation including lands under acquisition proceedings, till the case is settled;

iii) Land parcels falling in built up Lal Dora areas (abadi), notified extended Lal Dora of villages;

iv) Land where DDA or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other government agency at the time of notification of the GDA Regulations;

v) Land/ property where a court order has been issued for eviction/vacation of premises in favour of Government or DDA or local bodies;

vi) Land falling within protected monument/area under the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 as amended from time to time;

vii) Land under notified forests/government land (use undetermined) and any other scheme of Government of NCT of Delhi for which change of land use is under process under Section 11(A) of the Act at the time of notification ofthe GDA Regulations;

viii) Pre-existing institutions which have been approved or considered for regularization or are still under examination by the Government;

ix) Land falling within the RoW of approved and notified infrastructure such as existing/proposed master plan roads, major trunk water supply and sewage lines, HT lines, transport and other essential infrastructure;

x) Land under natural drains, natural water bodies, heritage sites, flood and irrigation department, railways and airport;

xi) Farmhouses falling in notified forest land or in regional park area (other than farmhouses built on privately owned land in the regional park sanctioned up to 07.02.2007 subject to orders of Supreme Court of India in this regard).

Landowners of lands listed under Clauses (i) and (ii) above may participate underthis Policy only after clearing all encumbrances from the land.

18.3 Guiding Principles

18.3.1 Provide a comprehensive framework defining permissible uses, activities / mix of activities and FAR for proposed uses / activities / mix of activities for green development. Mixing of these uses/ activities shall be permitted.

18.3.2 Provide environmentally sustainable development options to enable the land owners to achieve the economic value of lands.

18.3.3 Provide connectivity and infrastructure for physical and functional integration of the areas within and around GDA.

18.3.4 The activities permitted within GDA, shall be with the prescribed FAR and Mandatory Wooded Area.

18.3.5 Three grades of green development shall be permitted in the GDA as per Clause18.4.1.

18.3.6 Development of land within the GDA shall take place through private initiative on individual plots or larger scheme areas pooled by constituent land owners.

18.3.7 Trunk Infrastructure shall be developed as follows:

i) DDA/ Service Providing Agencies (SPA) can develop infrastructure against payment of EDC by landowners.

ii) Private entity can develop infrastructure on the basis of plan approved by DDA/Service Providing Agencies (SPA).

18.4 Applicable Norms

18.4.1 The following grades of development shall be permitted:

Table 18.1: Grades of development permitted in GDA

	Grade - 1	Grade - 2	Grade - 3
A. Permissibility			
1.Minimum Land Area	min. 600 sq.m	4000 sq.m	10,000 sq.m (1 ha)
2.Minimum Access Road	6 m ROW	Plot must be accessible from 12m RoW, of a continuous length equivalent to at least 15% of the perimeter of the plot	Plot must be accessible from minimum 30 m RoW, of a continuous length equivalent to at least 15% of the perimeter of the plot
3.Green Rating*	Not required	Entire scheme shall meet minimum Green Ratings of GRIHA 3 or equivalent	Entire scheme shall meet minimum Green Ratings of GRIHA 3 or equivalent
4.Activities Permitted	• Agriculture, Horticulture, Floriculture, Forestry • Smriti vans, Burial Grounds, Cemeteries and Crematoriums • Composting facility • Natural wastewater treatment facility • Solar fields and other renewable energy installations	• Farmhouses • Open air markets/mandi (e.g. farmers' market, handicraft or used goods markets) • Zoological parks and Aviaries • Sports facilities • Primary and secondary education facilities • Healthcare facilities (including veterinary	• Higher education campuses (including vocational training) • Non-polluting work centres like cyber and knowledge industry, Research & Development, • Agro processing and packaging, cold storage • Green Houses • Convention and
		facilities) • Resorts, motels and clubs • Storage facilities,	exhibition centres • Concert Spaces, stadiums**, cultural

		showrooms and repair workshops/ service centres tobe permitted on 18 m RoW and above. • Green Houses • All Grade 1 uses permitted with FAR as prescribedunder Grade 1 • Animal Husbandry • Socio-culturalfacilities	performance spaces, museums, art galleries • Amusement parks (except water parks that will not be permitted within GDA). • All Grade 1 & 2 uses permitted with FAR as prescribed under Grade 1
B. Development Control Norms			
1.Permissible FAR	FAR: 5 (with minimum 30 sq.m and maximum 200 sq.m of built up area on any size of land)	FAR: 20 (with additional purchasable FAR of10)	FAR: 60 (with additional purchasable FAR of 20)
2.Maximum Ground Coverage	5%	10%	20%
3.Mandatory Wooded Area	No requirement	15% of plot area	45% of plot area
4.Setbacks***	3 m setback on all sides	10 m front setback and 5 m. setbacks onremaining sides. This may be relaxedas per Clause18. 5.1(iv)	10 m setback on all sides.
5.Basements	Not permitted	Permitted only under built structures within permissible FAR	Permitted only under built structures within permissible FAR
6.Parking Provisions****	• 5% of plot area to be earmarked for surface parking (to be kept unpaved)	• 10% of plot area to be earmarkedfor surface parking (to be kept unpaved)	• 10% of plot area to be earmarkedfor surface parking (to be kept unpaved)
7.Paved Surfaces	• Paved surfaces shall not exceed 5% of the plot area afterutilising the ground coverage. • Water absorbent paving material to be used in 50% paved area.		

* Grades 2 and 3 developments shall also adhere to any other greening norms prescribed by DDA.
** Stadiums shall be permitted a maximum FAR of 40.
*** All structures falling along National Highways to adhere NHAI norms.
**** Except in case of plots proposed for events/gatherings where minimum parking requirements shall be as per local body policy.

18.4.2 Compatible mix of activities are allowed provided permissible FAR and access conditions are met as per Clause 18.4.1.

18.4.3 All developments shall adhere to prescribed green ratings and any violation of these norms shall be penalized. All GDA schemes must achieve a mandatory GBF of
0.4. Incentives may be provided for achieving higher than prescribed GBF.

18.4.4 Greenhouses, solar fields and other renewable energy installations fields shall be permitted under all grades, provided the total area under these installations is not more than 30% of the plot (after excluding the Mandatory Wooded Area as applicable).

18.4.5 Maximum 20% of the permissible FAR can be utilised for supporting facilities like small shops, restaurants or office. (ref: DCN)

18.4.6 All schemes shall be designed as ecologically self-sustaining units as follows:
i) 100% decentralized treatment and maximum reuse of wastewater.
ii) 100% on site processing of all green waste and animal waste.
iii) 30% of the on-site energy requirements are met through renewable energy.
iv) Optimum on-site trapping of storm water through mandatory rainwater harvesting, unlined storage ponds and reservoirs as part of landscaping and urban design.
v) These facilities of composting and recycling can be developed as shared facilities.

18.4.7 The following shall be permitted/allowed:
i) Levy any entry or access fees, rentals;
ii) Option for rental/lease models for implementation and management;
iii) Sub-divide their land and sell/lease plots as part of farmhouse or theme farming clusters, etc.;
iv) Use the agricultural, forestry or other produce from the land commercially.

18.4.8 Change of grade of development is permitted, provided all conditions are met as per Clause 18.4.1. The Mandatory Wooded Area shall be increased as per the grade change. However, under no condition shall this area be reduced once approved under a certain grade.

18.4.9 DDA shall identify ecologically sensitive areas (e.g. low-lying areas, potential sites for ground water recharge, existing areas of high tree density, etc.), where only Grade 1 development shall be permitted.
i) Owners of such lands shall be compensated in the form of TDR that can be utilised within identified receiving areas.
ii) In case a portion of the plot falls under ecologically sensitive area, it can be utilised to meet the Mandatory Wooded Area requirements. The remaining plot may be used for any Grade of activity, as per Clause 18.4.1. In such cases, the compensatory TDR will only be awarded to the extent of land falling under ecologically sensitive area.
iii) The norms for public gathering, events and functions shall be as per the policyof the concerned local body.

18.5 Special Conditions for Farmhouses

18.5.1 The following conditions shall be met for farmhouse developments:
i) New farmhouses shall be permitted in the form of standalone plots or

farmhouse clusters. Standalone plots shall be permitted on minimum 12 m RoW. In farmhouse clusters, the internal roads shall be 9 m RoW, the cluster access should be from 12 m RoW.

ii) Existing farmhouses constructed on private lands (till the date of notification of this Policy) with minimum access of 9 m, shall be regularised under Grade 2.

iii) Where RoW is less than 9 m, all landowners along the street shall provide land to fulfil the access conditions, however the permissible FAR shall be applicable as per the original plot. In case this is not feasible, a minimum of 6 m RoW shall be provided with appropriate road geometrics as given in UBBL/IRC to ensure smooth movement of emergency vehicles.

iv) Existing Farmhouses that do not meet the setback requirements for Grade 2 developments, shall provide setbacks on front and any one side of at least 5 m.

18.5.2 Other norms applicable for all farmhouse developments:

i) Maximum built up area for a farmhouse plot (whether standalone or part of a cluster) shall not exceed 3000 sq.m irrespective of plot size.

ii) Height of the built structures shall not exceed 12 m.

iii) Basements in existing farmhouses that exceed the permissible FAR shall be regularised upon payment of requisite regularization charges up to the maximum extent of permissible ground coverage.

iv) In addition to permissible FAR, 2 dwelling units of 30 sq.m each for community service personnel shall be permitted per 4000 sq.m of land area (up to a maximum of 5 such dwelling units per farmhouse plot).

v) Watch & ward guard unit will be permitted adjacent to boundary or entrance gate up to a maximum of 20 sq.m as per UBBL free from FAR and setback norms.

vi) Sub-division of plots shall be permitted not less than 4000 sq.m with an independent access from minimum 9 m RoW.

18.6 Provision of Infrastructure and Connectivity in the GDA

18.6.1 DDA shall prepare a GIS-based Integrated GDA Plan (IGP) in coordination with SPAs. The IGP will be a structure plan (with no pre-identified land uses) indicating the following:

i) Excluded areas (as given in the Regulations to this Policy);

ii) Eco sensitive areas;

iii) Major access roads that will provide connectivity to the GDA. This will include all Master Plan, zonal plan roads and any local or revenue roads.

18.6.2 The alignment of Master Plan and Zonal plan roads passing through Green Development Area shall be adhered to.

18.6.3 Development of zonal roads shall be undertaken by concerned authorities to ensure connectivity to GDA. Land requirement for such roads shall be met through a pooling process as detailed in the GDA Regulations and suitable incentives such as TDR may be provided.

18.6.4 Landowners shall provide land for social infrastructure and utilities such as police stations, fire stations, fuel stations, sub-stations, telecom towers, etc., as per local needs. The norms including road access conditions, setbacks etc. specific to the particular facility need to be adhered to. All such facilities can be developed on any land in the GDA as per permissibility in master plan and as per notified GDA Regulations.

18.6.5 Provision of trunk infrastructure for water, power and telecommunications shall beas per the Regulations to this Policy.

--- x --- x ---- x --- x ---

19.0 URBAN REGENERATION

Chapter code
DEV3

19.1.1 A large number of areas in Delhi were developed between 1940-1970, resulting in an old built stock. Many of these areas are in a dilapidated state, in need of regeneration and can be utilised more optimally. These areas have different characteristics, needs, potentials and constraints, highlighting the requirement for a nuanced strategy for regeneration across the city.

19.1.2 The strategy is to use regeneration as a planning and design tool for renewing ageing and unsafe building stock and improving the quality of life of people living and working in these areas. It will also facilitate provision of physical and social infrastructure, revitalisation of historically and culturally significant areas, enhancement of the public realm, and strategic development in select areas by unlocking their latent potential.

19.2 Guiding principles

19.2.1 **Nuanced framework** to address different contexts ranging from planned residential neighbourhoods and economic centres, to dense unplanned areas.

19.2.2 **Flexible framework** with the option of using a mix of instruments for regeneration of an area, namely, retrofitting, reconstruction or full/partial redevelopment, provided that the requirements of structural safety, sustainable services and improved walkability are met. Reuse of existing good quality-built stock is a sustainable circular economy approach to construction.

19.2.3 **Integrated framework for regeneration** allowing amalgamation and reconstitution of plots to achieve integrated planning, creation of well-proportioned open spaces, improvement of road networks, walkability and sustainable site design.

19.2.4 **Incentivised framework linked to public outcomes,** providing incentives such as higher FAR or relaxed norms/charges on the condition that the project will fulfil public purpose for example, creation of new public spaces and parks, sustainable

development etc.

19.2.5 **Strategic development framework** to unlock the value of high potential areas in the city and achieve a better urban form over the long term (25-30 years), with higher FAR, densities and mix of uses concentrated closer to public transit nodesand networks and facilitate development of strategic hubs.

19.3 Applicability

19.3.1 This **Policy shall** apply to all existing developed areas, except the following:

i) Areas under natural greens and water bodies, drains and buffers and any otherareas identified for environmental protection
ii) Zone 'O'
iii) Green Development Area
iv) Land Pooling Area
v) TOD Nodes
vi) Monument Prohibited Area and notified heritage sites/plots
vii) Civil Lines Bungalow Area (as per layout plan of North Delhi Municipal Corporation & DDA)
viii) Lutyen's Bungalow Zone (as per layout plans of NDMC, L&DO)
ix) Embassies/ Diplomatic Enclaves/ Foreign Missions

19.3.2 **Regulations** for Regeneration shall be prepared and notified within 6 months ofnotification of the Plan.

19.4 Reconstruction at Plot level

19.4.1 All buildings in Delhi, except heritage buildings and illegal structures, are permitted individual plot level reconstruction as per applicable development control norms. Regeneration FAR shall only be available for plots that fulfill the conditions of this Policy (including preparation of Regeneration Plan as per Clause 19.5).

19.4.2 The following typologies shall only be permitted reconstruction or addition/ alteration at plot level as per the following provisions:

19.4.2.1 **Plotted residential development** shall be permitted individual plot levelreconstruction utilising the prevailing FAR for plotted housing as per MPD.

i) Small sized plots may amalgamate only up to an area of 64 sq.m.

19.4.2.2 **Mixed Use Streets/ Commercial streets:** plot-level reconstructions as per norms for residential plotted development shall be permitted.

i) Linear amalgamation of single line of plots along the street shall be permitted, provided that individual plots are 500 sq.m. Continuous active frontage shall be maintained along the street. Such schemes shall provide parking requirements within the plot.
ii) Additional FAR of 10% of permitted FAR shall be provided for stack parking.

19.4.2.3 **Non-Hierarchical Commercial Centres/ designated CCs/ designated LSCs/ designated CSCs/shop-cum-residence plots:** shall be permitted to undertake plot-level reconstruction according to permissible plotted residential FAR.

i) The permissible ground coverage shall be as per footprint of the existing structure, circulation space and open area shall be retained.
ii) In shops with shared walls, property owners may come together and undertake reconstruction at block or street level.
iii) Maximum two adjacent plots/ properties can be amalgamated.

19.4.2.4 **Plots with non-heritage buildings in Shahjahanabad** shall be permitted plot level reconstruction as per the following conditions:
i) The grain of the fabric and street morphology shall be preserved. The existing circulation pattern may be improved without restructuring.
ii) Plots shall be eligible for FAR as per norms for residential plotted housing. Maximum permissible height shall be 12m. Plots that are unable to utilise the permissible FAR shall be eligible for TDR.
iii) Existing basements at plot level can be used for storage. No new basement shall be permitted in any building.
iv) Permissible ground coverage shall be the same as existing.
v) Built-to-edge frontage shall be maintained along access roads and no stilts shall be permitted in the Walled City Heritage Zone.
vi) Mandatory ECS norms shall not be applicable in the Walled City Heritage Zone, and minimal parking shall be permitted for residents only.
vii) Amalgamation shall be permitted only up to a maximum of 2 plots with non-heritage structures.
viii) Local level commercial activities shall be permitted on ground floor. Entire building may be permitted to have retail, guest house, boarding and lodging, socio-cultural facilities, repair shops, restaurants, etc shall be permitted, if access from minimum 6m road is available.
ix) Norms for social facilities shall be as per Clause 19.10.4.2
x) No projections/ chajjas/ balconies shall be permitted in structures facing streets less than 6m wide.

19.4.2.5 Integrated Regeneration Plans with specific building and urban design controls shall be developed on a case to case basis for special areas in Karol Bagh, area outside walled city and any other areas identified by the Authority from time to time.

19.4.2.6 **JJ Resettlement Colonies:**
i) Plot level reconstruction shall be permitted with amalgamation of plots up to a maximum of 64 sq.m.
ii) Regeneration Scheme shall be permitted for the entire area under a JJ Resettlement Colony as per the norms for Slum Rehabilitation.

19.5 Regeneration Plans

19.5.1 For comprehensive planning, Regeneration Plans (RPs) covering larger area shall be prepared. Thereafter separate Regeneration Schemes may be designed and implemented for single or multiple plots.

19.5.2 RPs shall demarcate a public road grid/network of 18-24m roads @ approximately 500m c/c to provide access and circulation. Additional infrastructural requirements shall be provided in the RP.

19.5.3 RPs may be prepared by DDA or by any Developer Entity (DE) interested in undertaking Regeneration Scheme/s. RPs prepared by DEs shall be submitted to DDA or local body under whose jurisdiction the area falls for approval. DEs may also approach DDA to prepare RP for a particular area where more than one Regeneration Scheme is identified.

19.5.4 RPs shall be approved for an area of minimum 4 Ha or any area with well-defined boundary:

19.5.4.1 RP of an existing approved layout plan or a pocket/ block/ other sub-division having well defined boundaries shall be considered. Direct access from minimum 18m RoW along one longer edge is mandatory. For e.g. a pocket or sector in a group housing colony or a sub-division of an industrial layout.

19.5.4.2 RPs for LSC, CC, DC and integrated office complex shall be prepared for the entire approved layout.

19.5.5 On approval of the RP, smaller areas within the RP can submit for individual Regeneration Schemes after meeting the following requirements:

19.5.5.1 Minimum prescribed access conditions are met.

19.5.5.2 Regeneration Schemes shall not be permitted on vacant land. At least 50% of the cumulative FAR (permissible at the time of construction) on the Scheme area should be built up at the time of submission of the scheme for regeneration. This condition shall not apply to strategic areas i.e. TOD Schemes, Business Promotion Districts or any other strategic area notified by the Plan.

19.5.6 Roads and public facilities shall be provided in all Regeneration Schemes as per approved RP.

19.6 Norms for Regeneration Schemes in planned layouts

19.6.1 Regeneration Schemes shall have access from road of minimum 18m RoW. Amalgamation shall be permitted only for plots with the same gross land use. Reconstitution of plots may be done for the entire scheme area.

19.6.1.1 All schemes shall be permitted to use a mix of strategies to undertake regeneration as per clause 19.2.2.

19.6.1.2 Public areas such as roads, open spaces, drains, etc. may be included for integrated planning provided that public roads are less than 18m RoW and public drains with width of less than 5m, and public parks not bigger than ‘tot-lots’ not hampering the access to the adjoining plots. Such areas shall not consider for computation of permissible FAR and ground coverage.

19.6.1.3 Reconstitution of plots shall be permitted. Reconfiguration of existing roads and open spaces shall be permitted, provided that:

i) the reconfigured layout provides equal or more area under roads and open spaces. In areas where a fine network of streets already exists, it shall be preserved as far as possible.

ii) due approval has to be obtained from the concerned public

agencies for reconstitution of public parks and roads. Reconstituted public areas shall be handed over to the concerned public agency and remain open to public. there is zero or minimal damage to existing trees.

19.6.1.4 Regeneration schemes shall receive no additional water supply over and above the existing requirement except for Schemes with vacant land/s for which additional water supply may be provided on a case to case basis. The additional requirement shall be met by recycling of water and tapping of rain water.

19.6.2 Minimum area for a Regeneration Scheme shall be 3000sq.m. This shall be relaxedto 2000 sq.m. for Cooperative Group Housing Societies and 1000 sq.m. for Industrial plots.

19.6.3 The following segmented Regeneration FAR shall apply to Regeneration Schemes.

No	Factor for calculating incentive Regeneration FAR	Scale of development (minimum 3000 sq.m.but lesser than 1ha)*	Scale of development (minimum 1 ha but lesser than 4ha)	Scale of development (4ha and above)
1	**General Regeneration Factor** (available to all Regeneration Schemes)	1.1X**	1.15X	1.2X
2	**Sustainable Urban Services (SUS) Factor** (additional FAR available for implementing requirements 2A and 2B given below)			
2A	Green Rating***	0.15X (if platinum/5 Green Rating is achieved)		
2B	20% public open green space	Not applicable	0.05X	
3	**Age Factor** (additional FAR only available to schemes with 50% buildings older than 40 years)	0.1X		
Maximum incentive Regeneration FAR		**1.35X**	**1.45X**	**1.5X**

* for industrial and cooperative group housing plots, the minimum scheme area shall be as per Clause 19.6.2

**X stands for the current permissible FAR for each plot being included in the Regeneration Scheme

***Any green rating system as approved by Government from time to time.

19.6.4 The following shall apply to Regeneration Schemes:

19.6.4.1 Different premises within the Scheme shall be permitted additional uses as per the DCN.

19.6.4.2 Good quality EWS housing shall be provided within the Regeneration Scheme as per the norms of the Plan. The EWS FAR shall be over and above the residential FAR, calculated as 15% of the maximum permissible residential FAR in the scheme. The requirement for EWS housing shall be met as a separate well-designed area within the Scheme with low/mid- rise, high-density built form, with access to the public greens and social facilities.

19.6.4.3 For Schemes of less than 3000 sq.m. area, the option of collective

provision of prescribed EWS housing on an alternate site may also be explored.

19.6.4.4 10% of the area of the Scheme shall be mandatorily developed as a single consolidated Green Public Space for public use and handed over to the local body/DDA. In case Schemes of 1 ha and above, this requirement may be met by providing multiple parcels that are usable to the community as public space, with at least one parcel of 1,000 sq.m.

19.6.4.5 All Regeneration Schemes shall achieve a GBF factor of 0.2 (ref: DCN).

19.6.4.6 All schemes located along drains or water bodies shall maintain minimum mandatory buffers and building orientation as per ENV2.

19.6.4.7 All Schemes of plots more than 1ha shall provide public plazas as per HCP1. Corner plots on major roads shall mandatorily provide corner plazas.

19.6.4.8 Active frontage shall be maintained along all roads of 18m and above RoW.

i) A setback of 3m shall be maintained with built-to-edge development for 70% of the building edge. At least 50% of such built-to-edge frontage shall be kept active on the ground/ podium floor by using arcades, colonnades, shop-fronts, pedestrian entries, plazas, etc. Residential schemes shall maintain at least 20% active frontage.

ii) Buildings shall be recessed beyond a height of 10m or after two floors.

19.6.5 In case of residential schemes:

19.6.5.1 Plots earmarked for local level facilities (except senior secondary schools) can be included in the scheme with approval of concerned agencies. In such cases, equivalent facilities of the same type and area/pro rata basis as per norms shall be provided in the scheme.

19.6.5.2 At least 5% of the permissible FAR shall be utilised for provision of additional local facilities. Schemes of 4 ha or more shall be eligible to provide city level PSP facilities as per prevailing norms.

19.6.5.3 5% of the FAR may be utilised for commercial activities (as permitted in CSC and LSC).

19.6.5.4 Such PSP and commercial uses as given in Clauses 19.6.5.2 and 19.6.5.3 may be developed through vertical mixing.

19.6.5.5 Increase in the number of dwelling units shall be permitted in the scheme area (even in case of cooperative group housing societies for which relevant regulations/act may be amended by the Registrar of Societies).

19.6.6 In case of Regeneration Schemes within 500m radius of transit stations (except those declared as TOD Nodes), the following shall be permitted:

19.6.6.1 Ground coverage up to a maximum of 50%

19.6.6.2 Parking norms as applicable in TOD Schemes

19.6.6.3 Residential Schemes may utilise up to 10% of the permissible FAR for provision of PSP facilities

19.7 Strategic Regeneration

19.7.1 Business Promotion Districts (BPDs) shall be promoted as strategic economic and cultural hubs. RP shall be prepared for the entire area identified as BPD.

19.7.2 Schemes within BPDs shall be developed as per Clauses 19.6.1 and 19.6.4.

higher Regeneration FAR shall be provided for such schemes as per the following table:

No	Factor for calculating incentive Regeneration FAR	Scale of development (minimum 5000 but lesser than 1 ha)	Scale of development (minimum 1 ha but lesser than 4 ha)	Scale of development (4 ha and above)
1	**Base Regeneration Factor** (available to all Regeneration Schemes within BPDs)	1.2X*	1.3X	1.4X
2	**Sustainable Urban Services (SUS) Factor** (additional FAR available for implementing requirements 2A and 2B given below)			
2A	Green Rating	0.15X (if platinum/5 Green Rating is achieved)		
2B	20% public open green space	Not applicable	0.05 X	
3	**Use Promotion (USP) Factor** (additional FAR only available for implementing non-residential uses)	0.2X	0.2X	0.2X
Maximum incentive Regeneration FAR		**1.55X**	**1.7X**	**1.8X**

*X stands for the 'Base FAR' i.e. the current permissible FAR for each plot being included in the Regeneration Scheme.

19.7.3 7.3Schemes within BPDs shall be permitted maximum 275 FAR at Scheme level and additional 25 FAR in the form of TDR.

19.8 Integration of undeveloped private land parcels

19.8.1 There are some privately owned land pockets in Delhi that have remained outside the purview of planned development up till now due to reasons such as denotification from acquisition, exclusion from acquisition, legal encumbrances, etc. Planned development of such land pockets shall be as per "Regulations for Enabling the Planned Development of Privately Owned Lands".

19.9 Regeneration of Unplanned Areas

19.9.1 A number of Delhiites live and work in unplanned and/or unauthorized areas, characterized by poor condition of buildings, inadequate accessibility (particularly during emergencies) and inadequate physical and social infrastructure. However, these areas have also emerged as high density, mix-use hubs, providing affordable options for housing, micro, small and medium enterprises. Many heritage urban villages are also reinventing themselves as centres of high-end retail and cultural economies. There is a need to reinforce this potential, while incrementally improving safety standards, infrastructure and quality of life in these areas.

19.9.2 Four broad typologies of unplanned areas have been identified in the city. Provisions for regeneration have been provided for each type:

i) Unauthorized Colonies (UCs), including Regularized Unauthorized Coloniesand those identified for regularization (19.10)
ii) Urban Villages, including notified Lal Dora and Extended Lal Dora areas in thecity (refer Clause 19.10.6)
iii) Slums and JJ Clusters (refer Clause 19.11)
iv) Non-conforming industrial areas (refer Clause 19.12)
v) Non-Conforming Godown clusters (refer Clause 19.13)

19.10 Regeneration of UCs

19.10.1 UCs/part UCs shall be taken up for improvement in the following ways:
i) Constituent land/property owners or RWAs can come forward with a UC Regeneration Scheme. Such schemes shall be considered as independent layouts for layout and building sanctions and may be proposed in any of the UCs, with or without regularized layouts.
ii) UCs may alternatively apply for regularization of their existing layouts as per Regulations. Once the layout is approved, individual land/property owners may proceed for building plan sanction.

19.10.2 **UC Regeneration Schemes:** UCs/part UCs that wish to implement a UC Regeneration Scheme shall come forward as a Developer Entity (DE) and submit a scheme as per processes set out in the relevant Regulations. The following normsshall apply:

19.10.2.1 The scheme area shall have direct access from an existing road of 12m RoW (for atleast 15% of the perimeter of the scheme). This condition may be met by providing area for road widening, provided that the scheme includes an entire road stretch that connects with a road of minimum 12m ROW on at least one side.

19.10.2.2 Four types of schemes can be proposed:
i) Level 1: 2,000 – 3,000 sq.m. consolidated land area
ii) Level 2: 3,000 – 5,000 sq.m. consolidated land area
iii) Level 3: 5,000 – 10,000 sq.m. consolidated land area
iv) Level 4: More than 10,000 sq.m. consolidated land area

19.10.2.3 A large proportion of the prescribed setbacks shall be utilised for development or widening of roads. This shall not only improve accessibility within the UC but also provide opportunities to adjoining unplanned areas to come up with UC Regeneration Schemes by fulfilling the minimum access condition. As such all land for public roads shall be handed over to the concerned local body whenever required.

19.10.2.4 DEs shall ensure that the scheme has a regular shape and boundary. Linear amalgamations of single line of plots along a road shall not be permitted, unless the individual plots are 750 sq.m. or more in area.

19.10.2.5 Two or more adjoining UCs/ part UCs may be brought under a single UC Regeneration Scheme. A scheme may also include additional area outside the boundary of the UC if the land/property owners on both sides agree to plan in an integrated manner. This additional area shall not be more than 25% of the scheme area and MPD norms as per land use shall apply on this area for calculation of FAR.

19.10.2.6 Public areas such as roads, open spaces, drains, etc. may be included in Level 3-4 schemes for purposes of integrated planning. However, the area under such public facilities shall not be considered for

meeting minimum area requirements or computation of FAR and ground coverage. Such areas may be reconfigured as part of the final layout provided all general conditions mentioned in Clause 19.4.5 are followed.

19.10.3 **FAR for Regeneration Schemes in UCs:**

19.10.3.1 FAR for a UC Regeneration Scheme shall be calculated as follows:

Area of plot (sq.m.)	Permissible FAR*
Up to 175	350
175 up to 250	300
250 up to 750	250
750 up to 1500	225
1500 and above	200

*In case the computed built area for a plot is less than that permitted in a lower category plot, the maximum built area of the lower category shall be permitted

19.10.3.2 In order to improve the availability of facilities in UCs, a special Amenities FAR will be available as an incentive regeneration FAR:

Level of UC Regeneration Scheme	Amenities FAR	Regulating conditions
Level 1	20	Secondary schools and city-level facilities shall not be permitted
Level 2	30	
Level 3	40	All PSP uses permitted, provided that open space requirements are met. Separate entry/exit and service cores shall be provided for city-level facilities.
Level 4	50	

19.10.3.3 Permissible scheme FAR shall be the sum of FARs of all constituent land parcels with additional incentive FAR in the form of Amenities FAR.

19.10.3.4 The base land use for all schemes shall be Residential.

i) While standard MPD FAR of 200 shall be considered Base FAR and be free of any regularization charges, all additional Scheme level FAR will have to be purchased by the DE at rates prescribed by DDA. Such charges shall be waived for every affordable rental housing unit of 60 sq.m. created by the DE and maintained at regulated rents for a period of 15 years. Such properties shall be part of a public rental housing inventory and all rental transactions for such properties shall be executed through a portal created by DDA for the purpose.

ii) 5% of the final scheme FAR shall be mandatorily utilised to provide local level commercial and PSP facilities. The DE shall have the option of utilizing up to 15% of the FAR for such facilities.

19.10.4 **Other development norms for Regeneration Schemes in UCs:**

19.10.4.1 The following other development norms shall apply:

Parameter	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Ground coverage	Up to 50%	Up to 50%	Up to 40%	Up to 40%
Minimum Setback as per edge condition*	- 2m on 12m and above ROW - 4.5 m on sides with access from less than 12m ROW - 6m on all sides adjoining existing built-up			
Public space**	10% as a single plot	10% as a single plot	10% as plot for public purpose including at least one plot of 500 sq.m.	10% as plot for public purpose including at least one plot of 1,000 sq.m.
Parking	1.0 ECS/100 sq. m.			
Land for social infrastructure ***	-	5% to 15% based on the existing infrastructure already available within a radius of 1 to 3 km		

*setbacks shall be kept hindrance free at all times and be made available for road widening/construction as and when required

**shall have access from minimum 9m RoW and shall be transferred to the local body. Local body may utilize such public space for provision of parks, plazas or installation of utilities as per requirement.

***shall be provided as one consolidated land parcel with access from minimum 9m RoW and shall be transferred to the local body. Local body may utilize the land for provision of schools or multi-facility centres (including healthcare facilities, community halls, basti vikas kendras, police posts, child-care centres, early learning centres, small-scale non-polluting economic activities, community green-waste recycling, dhalaos or material recovery centres, informal markets, etc.)

19.10.4.2 The following norms shall apply for provision of social infrastructure aspart of UC Regeneration Schemes:

Facility*	Facilities built on separate plot			Facilities provided through vertical mixing	
	Minimum Plot Area (sq. m.)	FAR	Ground Coverage(%)	Minimum built up area (sq. m.)	Additional conditions
Primary School	800	120	30	960	Open space requirements to bemet
Senior secondary school	2000	150	35	3000	Open space requirements to bemet
Any other local facility	500 – 1000 in the form of Multi Facility Centres	120	30	600s	Health facilities with a maximum of 50 bedded facility (@60 sq. m./bed) can be created

19.10.4.3 Once a UC Regeneration scheme is approved, implementation may be permitted for smaller blocks of minimum 3,000 sq.m in case of level 4

schemes.

19.10.5 **Layout Plan approval of existing UCs shall be as per the Regulations.**

19.10.5.1 Once the layout plan has been approved, applications for individual plot-level building plan sanctions can be submitted to the concerned local body.

19.10.5.2 The land use of all approved plots shall be 'Residential'. However, to ensure provision of local level facilities within such UCs, the following shall be permitted

i) Plots measuring 100 sq.m. or more and falling on 9m RoW shall be permitted to utilize up to 100% of the residential FAR for providing local level facilities (except secondary schools) as per the norms for vertical mixing given in Clause 19.2.12 above.

ii) Up to 5% of commercial shall be permitted on all plots with access from minimum 6m RoW.

iii) Such uses shall be permitted as part of 'as is' approvals as well as plot level reconstructions

19.10.6 **Affluent UCs:** Affluent UCs as identified by the Central Government shall be eligible for layout plan approval and development of Regeneration Schemes as per prescribed norms

19.11 In Situ Slum Rehabilitation Schemes

19.11.1 The following norms shall apply for in-situ slum rehabilitation schemes.

19.11.1.1 Group housing norms with a minimum plot-size of 2000 sqm (on a min. RoW of 9m) shall be permitted. Maximum density of 900 DUs/ha permitted on residential component of the land.

19.11.1.2 Minimum 60% of the site shall be utilised to provide housing for the identified beneficiaries (@25-40 sq.m. per DU) and maximum 40% shall be remunerative component.

19.11.1.3 The scheme should be designed in a composite manner with an overall maximum FAR of 400 on the residential component of the land. FAR of 300 shall be applicable on the remunerative component of the land with mix of uses.

19.11.1.4 Local facilities shall be provided as part of residential FAR as per the population accommodated under the project/scheme. To support the livelihood of the occupants and create new job opportunities, mandatory 10% of permissible FAR of residential component shall be utilised for creation of commercial and industrial activities. Such facilities may be accommodated as part of vertical mixing. Service floors shall also be permitted for use as community work centres, provided no permanent structures/fixtures are created.

19.11.1.5 Commercial activities permitted in Community Centres (in projects with ROW of minimum 18m) and District Centres (in projects with ROW of 30m or more).

19.11.1.6 Common parking is to be provided for residential component at 0.5 ECS per 100 sqm of floor area which can be relaxed wherever required. Parking for remunerative purposes shall be as applicable for the relevant land use.

19.11.1.7 Innovative financing mechanisms such as TDR and/or Viability Gap Funding may be utilised to ensure that the social development

objectives of such schemes are prioritised while ensuring adequate remuneration to private partners. Possibility of clubbing of multiple schemes may also be examined for this purpose.

19.11.1.8 Specific situations may require clubbing of scattered squatters with JJ sites in the neighbourhood to work out an overall comprehensive scheme.

19.12 Regeneration of unplanned industrial areas

19.12.1 Besides the planned Industrial Areas, GNCTD has notified clusters of Industrial concentration in non-conforming areas for redevelopment (Annexure 9). More than 70% plots in such clusters have industrial activities.

19.12.2 The redevelopment process involves preparation of redevelopment plans for widening of roads, laying of services, development of open space and parking etc.

19.12.3 In practical terms, these areas are deficient in terms of services and endanger the environment. The redevelopment of such areas needs to be based on clearly defined parameters in terms of the types of industries which may be permitted, spatial planning norms and environment related conditionalities regarding the provision of essential infrastructure with the participation of the owners/entrepreneurs in a systematic manner.

19.12.4 Keeping in view the existing realities, as well as the imperatives of planned development, the following norms shall apply for redevelopment of clusters of Industrial Concentration in Non-Conforming Areas:

i) Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4ha contiguous area, having more than 70% plots within the cluster under industrial activity/use may be considered for redevelopment on the basis of actual surveys. After notification of such clusters by GNCTD, the redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local body / land owning agency.

ii) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 m RoW.

iii) Formation of Society and any other such entity shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan, pollution control and environmental management, development of services, parking and maintenance.

iv) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

v) Amalgamation and reconstitution of plots shall be permissible for redevelopment.

vi) All the units shall have to obtain the statutory clearances. The industrial units shall have separate electric connections.

vii) Other stipulations include:

a. About 10% area is to be reserved for circulation / roads / service lanes.

b. About 10% of semi-permeable surface for parking and loading / unloading areas.

c. About 8% of the cluster area shall be reserved for parks / greens.

d. About 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-Stations. Pump House, Fire Station, Police post, etc. as per the norms.

e. About 3% area shall be permitted under commercial use.]

f. Preparation of plans for water supply by DJB / Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping

stations, storage tanks, ground water recharging / rainwater harvesting; and drainage plan

g. Plots measuring more than 100 sq.m to have access from minimum 9.0 m. RoW; and plots measuring less than 100 sq.m to have access from minimum
7.5 m. RoW.

h. Common parking to be provided for plots below 60 sq.m, and designated in the layout plan whereas for plots above 60 sqm front setback of minimum 3m shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.

i. Alternatively, the Society may adopt the option of preparation of layout plan/Redevelopment scheme based on the land distribution. as stipulated in the DCN

viii) Other provisions/development control norms shall be applicable as prescribed. Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relaxin the norms up to 10%.

***Note**: These facilities mentioned at 12.4.7 (a, b, c, d) shall be provided subject to availability ofland within Industrial cluster or in the surrounding area.*

19.12.5 The regeneration work may be undertaken by the societies voluntarily or by the concerned local body/agencies. In case the agencies take up the redevelopment work, they shall collect the charges from the individual industries directly. Requisite charges for change in land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned agency.

19.12.6 The regeneration scheme shall be prepared within a period of 2 years of notification of the plan. Scheme shall be completed with the time period of 3 years after approval of scheme. Clusters, which fail to complete the redevelopment proposals within the specified period specified, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/ issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. No new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance.

19.12.7 The following areas shall not be eligible for industrial clusters redevelopment scheme: Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved / protected forests, DDA flats, Cooperative Group Housing Societies, Government flats / bungalows / employer housing etc. and their immediate proximity.

19.13 Norms for Redevelopment of godown clusters in non-conformingareas

19.13.1 The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Seconds Act-2011 provides for formulation of “policy or plan for orderly arrangement regarding schools, dispensaries, religious institutions, cultural institutions, storages, warehouses and godowns used for agricultural inputs or produce (including

dairy and poultry) in rural areas built on agricultural land and guidelines for redevelopment for existing Godown clusters (including those for a storages of non-agricultural goods) required to cater to the needs of the peoples of the National Capital Territory of Delhi"

19.13.2 There are large number of godowns, food grain, marbles and other good have come into existence in the rural area of Delhi last time in earlier MPD, village Lal Dora, extended Lal Dora etc., The NCT of Delhi (Special Provisions) Act 2007 Further extended upto 2023 provide formulation of policy. The following norms shall be applicable to stand along and godowns cluster.

i) Stand along godwons:- Stand along godown plots which do not form part of big cluster shall be governed with the following conditions.
ii) Stand-alone godowns (storage of non-polluting / non-hazardous materials) shall be allowed on minimum 30 m RoW.
iii) In village abadi (lal dora area) and extended lal dora areas, storage godowns of non-polluting / non-hazardous materials shall be allowed on:
   a) 9 m. RoW with plot size up to 300 sq.m (7.5 m in case the road is defined /approved by the Revenue Department.)
   b) 12 m. RoW for plot size above 300 sq.m.
iv) These godowns shall be allowed subject to fulfilment of parking requirements within the plot and NOC from Delhi Traffic Police and Delhi Fire Services of GNCTD.
v) Facility for loading / unloading from the vehicles shall be provided within the plot.
vi) Owners of standalone godowns shall get the plans approved a definite time period. The owners of plots falling in nonconforming areas and existing godowns located on less than 30 m RoW will have to shift to the other conforming areas / godown clusters by 31.12.2023. Such godowns functioning in non-conforming areas shall have to close down within the above said time period.

19.13.3 Non-conforming godown cluster: Non-conforming cluster of godown / warehousing activities of minimum 2 ha contiguous area and having concentration of more than 55 percent of the plots within the clusters may be considered for regeneration of area identified on the basis of actual surveys.

19.13.4 After notification of such clusters by the local bodies / GNCTD, the regeneration scheme will have to be prepared by the society (to be formed by the land owners) based on following norms/ conditions and thereafter approval by concerned local body.

i) The cluster should have direct access from a road of minimum 30m RoW.
ii) Formation of group or society shall be mandatory to facilitate preparation of regeneration scheme / plan, development of services, parking and maintenance, pollution control and environment management.
iii) Amalgamation and reconstitution of plots shall be permissible for regeneration within the scheme area.
iv) Owners of the godowns shall have to obtain the requisite statutory clearances from the concerned agencies, wherever necessary. After approval of the Layout Plan for regeneration by the society, the identified clusters will be processed for change of land use on receiving the proposal from local body.

v) Other stipulations shall include:

a. About 10% area is to be reserved for circulation / roads / service lanes.
b. About 10% area of semi permeable surface for common parking, idle parking and loading / uploading areas.
c. About 10% of the area to be reserved for associated infrastructure requirement such as Electric Sub-stations, Fire Station, Police Post, servicing, lodging and Boarding and informal market areas etc. as per the norms.
d. Preparation of Plan for water supply from DJB / Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging / rainwater harvesting and Drainage plan as per norms.
e. About 8% of the area shall be reserved for parks / green buffer.
f. Utilities such as ESS, underground water storage tank, rain water harvesting system, solar heating / lighting systems etc. will be provided within the plot.
g. All plots within the scheme should have direct access from minimum12m RoW.
h. Other provisions / development control norms shall be applicable as prescribed.

Note: Subject to availability of land for these facilities mentioned at v) (a, b, c,e) within godown cluster or in the surrounding area be considered.

vi) Requisite conversion charges and any other levies as decided by the Government from time to time (wherever applicable) would be required tobe paid to the concerned authority.

vii) Regeneration plans of individual clusters will have to be prepared by the society and thereafter approved by the concerned local authority / MCD. The redevelopment shall be completed within three years from the date of approval of the plans.

viii) Clusters, which fail to complete the regeneration proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming areas and these godowns functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew the licenses to such godowns without obtaining land use clearance from the competent authority. Further, no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance.

19.13.5 Other conditions

19.13.5.1 Development control norms for the godown plot incorporating the risk-based classification as per Table 3.2 of UBBL 2016, shall be as follows:

Plot Size (in sq. m.)	**Max. Gr. Coverage (%)**	**Max. FAR**	**Max. Height**	**Parking**
Up to 500	70	140	Below 15 m	Common parking to be provided in case of plots upto 300 sq.m. 3 ECS / 100 sq.m. of floor area for plots
Above 500 - 2000	60	120	Below 15 m	
Above 2000 - upto 10,000	50	100	Below 15 m	

Above 10,000	40	80	Below 15 m	above 300 sq.m.

Notes:

1. Wherever the building regulations are given for different categories of plots, the covered area and the floor area shall in no case be less than the permissible covered area and floor area respectively for the largest size of plot in the lower category.
2. Conformity to fire safety norms based on Risk based classification as per UBBL 2016; Delhi Fire Services Act.
3. Common parking shall be provided for plots up to 300sqmt. size and front setback shall be provided without boundary wall for use of parking and loading / unloading purposes.
4. For plots above 300 sq.m, provision for parking and loading / unloading shall be made by the owners within their plots.
5. Provision / use of basement shall be as per the stipulations of MPD-2021.
6. Workroom / Office (not exceeding 25% of the permissible FAR) related to godown activity within godown premises shall be allowed in a covered permanent structure with proper arrangements of dust and pollution control subject to clearance from statutory bodies.

19.13.5.2 The remaining plot owners shall be allowed to continue with existing use or conversion to godowns or any permissible use as per provisions stipulated in the MPD / UBBL / policy guidelines and after obtaining clearances / permissions from all statutory bodies.

19.13.5.3 All the Regeneration Scheme sunder these guidelines shall conform to all the statutory provisions and Master Plan stipulations / UBBL, 2016.

19.13.5.4 The concerned local body and the stakeholders will work out the mechanism for the recovery of stipulated levies / charges.

19.13.5.5 In case of surrender of land for road widening, the FAR of the original plot will be permissible.

19.13.5.6 The implementation of these regulations be brought out by the Local Body as part of user-friendly Guide covering the Frequently Asked Questions (FAQs) for such projects.

19.13.5.7 The following areas shall not be eligible for godown clusters regeneration schemes: Bungalow Zones (New Delhi & Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation & heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, Cooperative Group Housing Societies, Government flats/bungalows/employer housing etc. and their immediate proximity.

--- x --- x ---- x --- x ---

20.0 TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT

Chapter code
DEV4

20.1.1 Transit-Oriented Development (TOD) is an innovative urban paradigm that involves leveraging existing and upcoming public transit infrastructure and associated large number of users, to ensure sustainable mobility and optimize utilisation of land through compact mixed-use development.

20.1.2 A TOD approach in Delhi will help in bringing people and jobs closer to mass transit and lead to much needed integration of land use and transport in the city. It will result in compact, walkable, mixed-use developments within influence zones of transit stations. This is a critical paradigm shift that can potentially improve public transit ridership, reduce vehicular congestion, and reduce greenhouse emissions and pollution in the long term.

20.1.3 TOD is also an important strategy for unlocking the latent economic potential and land values in the city. It will facilitate the development/regeneration of select nodes/areas in the city through planned intensification of uses and activities, infusion of new infrastructure and improvements in the public realm. This will also allow the city to capitalise on the large-scale investments being made into public transit infrastructure - Metro Rail, Regional Rapid Transit System (RRTS), etc., by facilitating the improvement of old housing stock in addition to creation of new housing stock and economic centres around strategically located transit nodes and opening up opportunities for value capture.

20.1.4 The following key outcomes shall be targeted through the TOD Policy for Delhi.

20.1.4.1 **Optimised density and diversification of uses and activities:** This will be facilitated through higher FAR norms and compact mixed-use development, with augmentation of infrastructure by respective service providing agencies, and application of norms for green buildings and environment conservation. Such an approach will result in achieving an optimum mix of activities and higher job densities close to public transit systems, unlock the development potential of these areas and facilitate value capture.

20.1.4.2 **Enhanced mobility:**

i) Pedestrian and NMT friendly environment - providing highest priority to pedestrians and NMT, through various strategies such as traffic management plans, street improvements, creation of a fine network of pedestrian and NMT routes and restricted and high-priced public parking.

ii) Modal shift in favour of public transport through multi-modal integration, enhanced walkability and last mile connectivity.

20.1.4.3 **Improved public realm:** Generation of a vibrant and safe public realm for all age groups, with barrier-free universal access, achieved through place- making strategies for creation of public plazas and open/green spaces, multi-utility zones, spaces for public art, etc.

20.1.4.4 **Multi-modal integration:** Integration of rail and road-based systems which may include metro, rail/ rapid rail, bus/ BRTS and intermediate public transport (IPT) including feeder services, taxis, auto-rickshaws & private modes including non-motorized transport (NMT) such as cycle-rickshaws, bicycle, pedestrian, etc.

20.2 Applicability of the Policy

20.2.1 DDA will identify TOD Nodes and release maps showing the delineated TOD Planning Area for each TOD Node. The TOD Policy will only be applicable in the influence zones of such TOD Nodes. The Policy will **not** be applicable in the following areas or as notified by DDA from time to time:

i) Land under drains, natural water bodies, notified forest, any other environmentally protected areas

ii) Zone ‘O’ and buffers

iii) Green Development Areas

iv) Villages notified under the Land Pooling Policy
v) Monument Prohibited Area
vi) Civil Lines Bungalow Area (as per layout plan of North Delhi Municipal Corporation & DDA)
vii) Lutyen's Bungalow Zone, Chanakyapuri (as per sub-zone D-13 of Zone-D)
viii) Walled City
ix) Land under Embassies/Diplomatic Enclaves/Foreign Missions
x) Unauthorised colonies

20.3 Guiding Principles

20.3.1 This framework will provide higher norms for FAR and mix of uses. In order tomanage the impacts of such developments and maximise the opportunities, the Policy will be implemented strategically in select TOD Nodes with high development potential. This will enable the creation of well-planned growth centres, developed as per sustainability principles, capable of developing into future economic drivers and cultural hubs for the city.

20.3.2 DDA will undertake a rapid assessment of the development potential of the various transit nodes in the city and identify a limited number of TOD Nodes on the basis of their strategic importance and ease of implementation.

20.3.2.1 Such transit nodes shall be along Metro Rail, Railway, RRTS or any public transit system having the capacity to carry 5,000 or more peak hour per direction traffic (PHPDT) with a dedicated carriageway.

20.3.2.2 Strategic nodes will be identified on the basis of the following broad considerations:

i) The nodes shall have sites that can be readily taken up as TOD Schemes (adding up to a minimum of 8 ha), such as vacant or underutilised government lands, government housing, commercial centres, industrial estates, etc. Availability of such sites will ensure that trigger projects can be taken up on priority to provide the necessary impetus for other projects to come up in the node;
ii) They shall have a good mix of green field and/or low-density brown field sites;
iii) Their location shall be strategic – either as economic/cultural hubs for the city or as potential triggers for development/regeneration of under-developed areas in the city.
iv) They shall be amenable to augmentation of infrastructure such as water supply, sewerage, etc.

20.3.3 Additionally, further TOD nodes may be considered only if adequate interest hasbeen expressed by constituent land/ property owners i.e., at least 8 ha of land is proposed to be developed in the form of a single or multiple TOD Schemes. A joint application shall be made to DDA comprising of the following:

i) Map showing the sites proposed to be developed as TOD Scheme/s,
ii) List of landowners with details of location and area of land proposed underthe TOD Schemes,
iii) Letters of consent from all the land and property owners involved.

DDA shall examine such proposals and may consider such nodes for inclusion

underthe Policy.

20.3.4 DDA/DE will prepare an IZP for the delineated TOD Planning Area of concerned TOD Nodes. IZPs prepared by DEs shall be submitted to DDA for approval. DDA may appoint expert consulting firms/institutions to expedite the process of IZP preparation.

20.3.4.1 In case two or more TOD Nodes are in close proximity with overlapping TOD Planning Areas, such areas shall be planned as an integrated IZP.

20.3.4.2 The IZP shall integrate any other plans or schemes proposed for the area such as plans for enhancing walkability, street improvement, Parking Management Area Plans, etc. Any Multi-Modal Integration (MMI), station area development projects proposed around the transit stations by concerned transit agencies shall also be considered while preparing the IZP.

20.3.4.3 The IZPs may be updated/revised over time (as required) to reflect the changes due to development activity, to meet the needs of the area.

20.3.5 All lands and properties within the respective Influence Zones will be eligible to undertake development as per the norms of this Policy, provided they fulfil the requirements for undertaking TOD Schemes as per applicability. Interested land owners may apply as a DE by preparing a TOD Scheme as per procedures set out in the Regulations.

20.3.6 While participation under the TOD Policy is voluntary, the Development Control Norms of this Policy can only be availed by participating through approved TOD Schemes. Constituent Land/property owners within the TOD Nodes who do not participate in the TOD Policy shall only be permitted to undertake reconstruction/additions/ alterations to their existing buildings as per the permissible FAR without taking into account TOD benefits. They shall also not be eligible to avail the norms of any other policies of DDA, unless specifically stated otherwise.

20.4 TOD Schemes

20.4.1 TOD Schemes must fulfil the following criteria in order to be eligible:

20.4.1.1 A TOD Scheme must cover a minimum area of 1 ha. TOD Schemes may fully or partly fall within the Intense Development Area of a TOD Node. In any case:

i) At least 25% of the scheme area shall fall in the Intense Development Area

ii) The entire scheme area shall fall within the TOD Planning Area.

20.4.1.2 A TOD Scheme must be accessible from an existing road having a minimum ROW of 18m, of a continuous length equivalent to at least 15% of the perimeter of the scheme.

20.4.2 Plots earmarked for Housing area and Neighbourhood level PSPs (except senior secondary schools and parks) can be included within TOD Schemes, provided that the underlying land belongs to the DE/constituent landowners of the DE. In such cases, equivalent facilities of the same type and of the same area shall be provided in the scheme. These facilities shall be over and above the mandatory

PSP requirements prescribed under this Policy.

20.4.3 Public areas such as roads, open spaces, drains, etc. may be included in the TOD Scheme for purposes of integrated planning provided the following conditions are met:

20.4.3.1 Public roads (less than 18m. RoW)

20.4.3.2 Public drains (not more than 5m. width)

20.4.3.3 Public parks (not exceeding the open space hierarchy of 'tot lots' as per the Plan.)

However, the area under such public facilities shall not be considered for meeting the minimum scheme area requirement for computation of permissible FAR/ ground coverage.

20.4.4 Amalgamation and reconstitution of plots (including Housing Area and Neighbourhood PSPs) will be permitted for all TOD Schemes. Reconfiguration of existing roads and open spaces within a TOD Scheme area shall be permitted, provided that:

20.4.4.1 The reconfigured layout provides equal or more area under roads and open spaces. In areas where a fine network of streets for pedestrian movement already exists, it shall be preserved as far as possible.

20.4.4.2 Due approval has been obtained from the concerned public agencies in case of public parks and roads. Such public areas shall be handed over to the concerned public agency and remain open to public at all times.

20.4.4.3 There is minimal damage to existing trees.

20.4.4.4 The areas under existing public parks as per Clause 20.4.3.3 (if any) shall be preserved and shall not be counted towards the minimum Green Public Space requirement of the Scheme.

20.4.5 In case of brown field sites, increase in the number of dwelling units shall be permitted under this Policy (even in case of cooperative group housing societies for which relevant regulation/act may be amended the Registrar of Societies). However, reducing the existing number of dwelling units shall not be permitted in a TOD Scheme.

20.4.6 Development under TOD Schemes can be a mix of new development, partial/full reconstruction and partial/full retrofitting of existing structures.

20.4.7 TOD Schemes may comprise of plots under different land uses/ use premises. The permissible mix of uses for each plot in a TOD Scheme depending upon the assigned land use/use premise shall be as per the Table below:

Table 20.1: Mix of Uses / Distribution of FAR in TOD

Land use/ use premise of plot as per ZDP/ Layout Plan	Permissible Mix of Uses (distribution of FAR in TOD Scheme)			
	Minimum % of FAR for Residential uses	Minimum % of FAR for Commercial uses	Minimum % of FAR for PSP and/or utilities	Other uses

Residential	50%	10%	20%	Other uses* are permitted up to 20%.
Commercial	30%	50%	10%	Other uses* are permitted up to 10%.
Industrial	30%	10%	10%	Remaining 50% of FAR to be for Industrial use.
Government	30%	10%	10%	Remaining 50% of FAR may be for any Government use.
Transportation	30%	10%	10%	Remaining 50% of FAR may be for any use* after meeting all operational requirements for transportation facilities.
PSP (only housing and neighbourhood level PSP plots allowed as per Clause 20.4.2)	The FAR for such plots shall be entirely utilised for PSPs and/or utilities in the TOD Scheme.			

** This remaining FAR can be utilised as a mix of residential, commercial and PSP in any proportion as per project requirement.*

20.4.8 Any plot falling under notified mixed use/ commercial streets that are part of TOD Scheme shall be developed as per norms specified for 'Residential' in Table 20.1.

20.4.9 FAR and mix of uses will be separately calculated for each constituent plot in a TOD Scheme. The overall mix of uses for a TOD Scheme shall be a sum total of the mix computed for each constituent plot. The DE shall have the flexibility to utilise such overall mix on the entire reconstituted scheme area as per design considerations. The prescribed mix can also be achieved through vertical mixing of uses within buildings, provided that:

20.4.9.1 Only non-manufacturing industries (service industry like IT/ITES, BPO/KPO, etc.) and non-polluting MSME units are combined with other uses like residential, commercial and institutional,

20.4.9.2 Educational institutions, anganwadis, creches, old age homes, etc., are not combined with hospitals, penal institutions such as correction facilities, jails, etc. or manufacturing and/or warehousing facilities,

20.4.9.3 Facilities as mentioned above shall mandatorily be developed on the lower floors, preferably with access to open spaces of the TOD Scheme,

20.4.9.4 Separate entry/exits and service cores will have to be provided as required in buildings with vertical mix of uses, complying with statutory requirements of prevalent UBBL.

20.4.10 For plots falling under transportation land use as a part of TOD Scheme, following areas shall be included for calculation of FAR, ground coverage, minimum scheme area and mix of uses:

20.4.10.1 Area of the platforms of transit stations including land under tracks only for the length of the platform.

20.4.10.2 In case of depots, operational areas including land under tracks within such plots.

Over station and over tracks development shall be permitted in these areas. Overstation development shall be limited to the length of the platform.

20.4.11 Commercial FAR can be utilised to provide -activities permitted in Community Centres (in TOD Schemes with ROW of 18 to 30m.) and District Centres (in TOD Schemes with ROW of 30m. or more).

20.4.12 The DE shall provide the following mandatory public areas as part of TOD Scheme layouts:

20.4.12.1 Green Public Space:

i) 20% of the area of the amalgamated plot shall be developed as Green Public Space for public use. The DE shall design and develop this in the form of parcels that are usable to the community as public space, with at least one parcel of 2000 sq.m. Such greens shall be kept un-gated, have direct access from a major ROW (18m. or above) on at least one side and shall be handed over to the concerned local body for maintenance. No parking or basements shall be permitted under such greens.

ii) Additional 10% green/recreational area shall be developed by the DE for exclusive use of the occupants. This may include plazas, tot-lots, green spaces, gardens, common areas, etc., that can also be provided on top of basements, podiums, terraces, etc. The extent of podium area used for this purpose shall not be included for computation of ground coverage.

iii) In case of transportation land use, where it is not feasible to create Green Public Space at ground level in TOD Schemes that have large area under tracks, this requirement may be met through podium level public greens. Such greens shall be maintained by the concerned transport agency.

20.4.12.2 Public road network: DE shall provide additional roads/streets for public use within the TOD Scheme as per the following norms.

i) Road networks to be planned with a vehicular route network of approximately 250m. c/c and pedestrian network of approximately 100m. c/c.

ii) Based on ground conditions, this may be relaxed up to a maximum of 10%.

20.4.13 City-level PSP plots (community or zonal PSPs and secondary schools) cannot be part of any TOD Scheme. However, in order to meet the additional requirement for health, education and other PSP facilities to cater to the enhanced densities in TOD Nodes, any such PSP plots (greater than or equal to 1 Ha) falling entirely within the TOD Planning Area shall be permitted to apply as stand-alone TOD Schemes. Such schemes can avail an additional FAR of 1.5 times the existing permissible FAR up to a maximum of 500. The following additional conditions shall apply:

20.4.13.1 Mix use norms shall not be applicable to such sites, and the existing use premise shall be retained.

20.4.13.2 In case of school plots, the existing area under playgrounds shall be retained or increased within the same plot.

20.4.13.3 ROW of the adjoining road shall not be less than 30m.

20.4.14 TOD Schemes falling in two TOD Nodes (where the influence zones of such TOD Nodes are adjacent and contiguous) can be considered for approval, provided they meet all other conditions under this Policy.

20.4.15 Joint ventures for station area development or development of multi-modal transit hubs may be considered between multiple transport agencies. Such projects shall be designed to ensure integration between various transport services and may be designed as part of the same building/ complex for seamless commuter movement. Wherever feasible, concourse level integration between TOD Scheme developments and mass transit stations shall be ensured, and the cost for the same shall be borne by the DE.

20.4.16 DE shall execute the development in accordance with the provisions detailed in the TOD Regulations.

20.5 Development Control Norms for TOD schemes

20.5.1 The Development Control Norms of this Policy shall be applicable to all TOD Schemes and prevail in case of conflict with any other policy/provisions within the Plan. Development under TOD Schemes can be a mix of new development, partial/full reconstruction and partial/full retrofitting of existing structures. The strategy to be adopted shall be detailed by the DE as part of the TOD Scheme submission and approved as per the process laid out in the Regulations.

20.5.2 **FAR**

20.5.2.1 The FAR for a TOD scheme shall be calculated as the sum of FAR calculations for all constituent plots. FAR entitlement for each constituent plot shall be calculated as follows:

i) The FAR shall be 1.5 times the existing permissible FAR on the plot or 300, whichever is more.

ii) The maximum FAR limit for any plot included in TOD Schemes shall be 500.

iii) Larger TOD Schemes with an area of 4 ha and above, having direct access from roads of 30m. RoW, will be eligible for FAR of 500 on all constituent plots, if feasible.

20.5.2.2 While consumption of the entire entitled FAR is not mandatory, the following shall be ensured by all TOD Schemes:

i) Minimum FAR utilisation shall be equivalent to the existing permissible FAR for each of the plots.

ii) Overall proportion of mix of uses shall always be maintained.

20.5.2.3 In case of TOD Schemes that include existing service lanes/ public roads/ public drains/ public parks, etc., land under such areas shall not be considered for computation of FAR.

20.5.2.4 Any public amenities provided as part of the development such as public toilets, bridges, etc. shall be free of FAR, subject to the condition that they are maintained regularly by the DE and remain open and accessible to public at all times of the day, failing which, the concerned local body shall take over the same.

20.5.2.5 TOD Schemes that are not able to utilise the permissible FAR due to

height restrictions, may be allowed relaxations in ground coverage and setbacks without compromising the area to be maintained under Green Public Spaces and subject to fire safety requirement.

20.5.2.6 Larger TOD Schemes (4 ha and above) with direct access from 30m. or above RoW shall be considered TDR receiving areas and utilise TDR as per DCN.

20.5.3 **Size of dwelling units**

20.5.3.1 There is no restriction on the size of residential units for accommodating existing dwelling units within the TOD Scheme.

20.5.3.2 In order to encourage affordable and non-ownership housing (rental housing, student housing and hostels) within TOD Schemes, the following norms shall apply:

i) The residential FAR remaining after accommodating existing number of dwelling units, shall be used for providing dwelling units of size upto 60 sq.m.

ii) In case a TOD Scheme comprises of plots with no existing residential development, at least 50% of the residential FAR shall be used fordeveloping dwelling units of size up to 80 sq.m.

iii) In case of TOD Schemes comprising of a mix of existing built-up and vacant plots, the final mix of dwelling units in the TOD Scheme will be derived on a pro-rata basis as per above provisions.

20.5.4 **Ground Coverage and setbacks:** Norms for setbacks and ground coverage shall apply to the entire TOD Scheme boundary, as part of the reconstituted plan for the scheme area.

20.5.4.1 Maximum ground coverage of 40% shall be permitted.

20.5.4.2 The following setbacks shall be maintained:

Table20.2: Setbacks in TOD Schemes

Type of plot edge	Setback
Public road of 18m. and above RoW	• No setback • At least 90% of the building line shall be built-to-edge
Roads of ROW < 18m. or siteedge facing parks, natural drains, forest, etc.	• 6m. setback • The setback to be kept unblocked atall times for public movement. • Trees/plantation for noise reduction and utilities like fire hydrants shall be permitted
Shared edge with adjoiningplot	

20.5.4.3 **Active frontage** includes arcades, colonnades, shopfronts, pedestrian entries/ exits, plazas, access points, transparent windows etc.

i) At least 50% of frontage along 18m. ROW streets, and at least 10% frontage along all other streets (including public streets) shall be maintained as active frontage.

ii) No projections (balconies, awnings, etc.) shall be allowed beyond the built-to line.

iii) All vehicular entries shall be from side streets. In case of sites whereno side streets are available, at least 1 road with ROW of 12m.

or more will have to be provided as part of the TOD Scheme.

iv) Commercial frontages shall have minimum 50% transparent facade (un-tinted) at ground floor level. Residential frontages shall have balconies/verandas and active spaces facing public ROWs.

v) The ground floor of all parking structures / podiums or stilts must be lined with active frontage facing the main streets.

vi) All buildings shall be recessed by 10m. beyond the height of 10m or after two floors. Any further recess required for providing adequate light and ventilation shall be maintained.

20.5.5 **EWS Housing:** DE shall provide good quality EWS housing within the TOD Scheme as per the norms of the Plan. The EWS FAR shall be over and above the residential FAR, calculated as 15% of the maximum permissible residential FAR in the scheme. The requirement for EWS housing shall be met as a separate well-designed area within the Scheme with low/mid-rise, high-density built form, with access to the public greens and social facilities.

20.5.6 **Parking:**

20.5.6.1 TOD Schemes shall provide 1 Equivalent Car Space (ECS) per 100 sq.m. of covered area, with mandatory 5% of the parking area earmarked for bicycles and wheelchairs.

20.5.6.2 DE shall provide at least 50% of all parking facilities within TOD schemes as 'public parking' facility.

20.5.6.3 At least 10% of the parking area shall be equipped with charging points for electric vehicles as per prescribed policy/ UBBL.

20.5.7 **Other controls**

20.5.7.1 **Other building controls:**

i) Building design shall ensure that all dwelling units have natural ventilation and receive direct sunlight in at least one habitable room.

ii) Adequate noise reduction measures shall be incorporated where buildings are adjacent to mass transit stations.

20.5.7.2 **Location of various use premises:**

i) PSP and commercial uses shall be located on lower floors with adequate public frontage.

ii) Facilities such as creches, day care centres for children and elderly shall be provided as part of the TOD Scheme. Such facilities shall be located on a public road created within the scheme with access to public greens planned within the scheme.

20.5.7.3 **Norms for Public Roads within TOD Scheme:**

i) All new roads (including facilities like street furniture, lighting and illumination and public conveniences) shall be as per Street Design Regulations (Annexure 7) and integrate fully with any proposals for MMI, walking and cycling as per the IZP for the TOD Node.

ii) Separate child care rooms, changing spaces for cyclists and drinking water fountains shall be included within the design of public conveniences.

iii) Cycle parking facilities shall be provided at every 100m. interval along the network. These can be calculated as part of the mandatory ECS requirement.

iv) The public road network within TOD Schemes can be partially

covered through walkways, bridges or building blocks, provided that:
- The covered length does not exceed 1/3rd of the total length of the network
- Such walkways, bridges or building blocks provide a clear height of8m from the highest point of the road section.

v) TOD Schemes that include metro stations within the scheme area, shall create pedestrian plazas for congregation/ spill over on ground or at the concourse level as feasible. Such schemes must also include multi- modal integration facilities for IPT, buses, drop-off for private vehicles, etc. as part of the design.

vi) The road network shall be kept active at all times through appropriate public activity programming along the edges such as vending zones, plazas, shops, restaurants, open spaces, etc.

20.5.7.4 **Sustainability Features:**

i) TOD Schemes shall meet all greening norms notified by DDA at the time of approval of the Scheme. Greens and public spaces within a Scheme shall be interconnected to form green-blue and public space networksas far as possible.

ii) Each TOD Scheme shall ensure the following:
- 100% treatment and maximum reuse of wastewater;
- Segregation and reuse of 100% green waste;
- At least 10% of the energy demand should be met through renewable sources like solar
- Optimum retention of storm water for direct reuse and recharge ofgroundwater as per applicable norms.
- Only permeable materials are used for surface parking and open plazas.

Multiple schemes/DEs may come together to meet these sustainability requirements.

20.5.7.5 **Universal Barrier - Free Access -** All public spaces, roads, Green Public Spaces, parking areas, buildings, etc. within TOD Schemes and all area improvement works taken up as per the approved IZPs shall be designed for barrier free universal access as per Harmonised Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disability and Elderly Persons, 2016 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.

--- x --- x ---- x --- x ---

SECTION 8

PLAN MONITORING AND EVALUATION

21.0 MONITORING FRAMEWORK

Chapter code **PME**

21.1.1 The master plan is a long-term perspective framework for guiding city

development. It is critical for the strategies in the Plan to adapt and align with the changing needs and ensure that the provisions remain relevant and effective for achieving the vision and goals identified for the development of the city. This will require a robust monitoring framework to periodically take stock of the key performance indicators, timelines, and action points.

21.1.2 The on-ground progress of implementation of various policies of the master plan shall be monitored continuously, thereby reducing time lags in data procurement and analysis. A detailed review shall be conducted every five years and the master plan shall be modified if required.

21.1.3 Such a dynamic framework will be supported through the following multi-pronged approach:

i) **KPI-based Evaluation:** An evaluation framework comprising of various key performance indicators (KPIs) is proposed to measure the effectiveness of the plan. The KPIs are focused on measuring larger outcomes for the city and will help in undertaking course correction for achieving the goals and objectives.

ii) **Multi-agency Coordination:** This will comprise of various coordination committees, with members from multiple concerned agencies. These committees will take stock of the progress, facilitate inter-agency coordination, and address hurdles (if any) for implementation.

iii) **Data Sharing and Management:** A data protocol shall be defined to decide the process, particulars and periodicity of sharing of data by concerned agencies, to ensure collation required data for supporting plan monitoring.

iv) **Dedicated Monitoring Unit:** An interdisciplinary team will be set up at DDA for monitoring the progress of the Plan.

v) **Implementation support:** In order to facilitate proper implementation, the business processes associated with implementation of various spatial policies (ref: Section 7) shall be streamlined through single window systems, robust grievance management frameworks and real-time tracking. Technical support shall also be provided to stakeholders for implementation of various projects/schemes.

21.2 Evaluation framework

21.2.1 Delhi's progress towards achieving the vision and goals envisioned for the Plan period shall be measured through the following Key Performance Indicators (KPIs):

i) Reduction in Indigenous Air Pollution
ii) Water Pollution Control
iii) Green Cover Enhancement
iv) Rejuvenation of Water Bodies
v) Flood Risk Reduction
vi) Wastewater Reuse
vii) Groundwater Augmentation
viii) Reducing Landfill Stress
ix) Converting Waste to Wealth
x) Share of Renewable Energy in Total Usage
xi) Seismic Compliance

xii) Safety Against Fire Outbreaks
xiii) Share of Small Format Housing in New Housing Stock
xiv) Slum Rehabilitation
xv) Shift towards Public Transport
xvi) Adoption of Electric Vehicle
xvii) Human Development Index
xviii) Heritage Conservations
xix) Vibrancy of Public Streets
xx) Female Participation in Workforce

21.2.2 Details of these indicators are provided in Annexure 11.

21.2.3 These indicators will contribute to three key indices linked to the goals of themaster plan:

21.2.3.1 **Environmental Sustainability Index:** that corresponds to Goal 1 (G1)of the Plan

21.2.3.2 **Built Environment Index:** that corresponds to Goal 2 (G2) of the Plan

21.2.3.3 **City Vitality Index:** that corresponds to Goal 3 (G3) of the Plan

21.2.4 The KPIs will contribute to computation of these indices as follows:

21.2.4.1 Ten core KPIs contribute to the Environmental Sustainability Index. These are *Reduction in Indigenous Air Pollution*; *Water Pollution Control*; *Green Cover Enhancement*; *Rejuvenation of Water Bodies*; *Flood Risk Reduction*; *Wastewater Reuse*; *Groundwater Augmentation*; *Reducing Landfill Stress*; *Converting Waste to Wealth*; and *Share of Renewable Energy in Total Usage*. Additionally, two cross-cutting KPIs, namely, *Shift towards Public Transport*, and *Adoption of Electric Vehicles*, alsocontribute to this Index.

21.2.4.2 Six core KPIs contribute to the Built Environment Index. These are *Seismic Compliance*; *Safety against Fire Outbreaks*; *Share of Small Format Housing in New Housing Stock*; *Slum Rehabilitation*; *Shift towards Public Transport*; and *Adoption of Electric Vehicles*. Additionally, a cross-cutting variable in the form of *Flood Risk Reduction* also contributes to this Index.

21.2.4.3 Four core KPIs contribute to the City Vitality Index. These are *Human Development Index*, *Heritage Conservation*, *Vibrancy of Public Streets*, and *Female Participation in Workforce*.

21.2.4.4 An overarching **Delhi Liveability Index** shall also be developed for assessing the overall progress of the city in implementing the Plan. This will be computed by using the progress against all 20 indicators.

21.2.4.5 All KPIs are quantitative, and shall be measured against desired targets for each 5-year period between 2021-41. The three coordination committees indicated in Clause 21.3 shall be responsible for setting these desired targets within the first year of plan implementation. The targets shall be set in consultation with the various concerned departments/agencies.

21.3 Multi-agency coordination framework

21.3.1 Three monitoring committees, namely, Environmental Sustainability Committee (ES-COM), Built Environment Committee (BE-COM) and City Vitality Committee (CV-COM) shall be set up to monitor the progress achieved against the three goals of the Plan. The committees shall have representatives from concerned departments/agencies and shall be chaired by a senior officer from DDA.

21.3.1.1 The ES-COM shall lead the monitoring of the progress made against actionable items in chapters ENV1, ENV2, INF1, INF2, INF3, INF4, and take stock of the KPIs related to the Environmental Sustainability Index.

21.3.1.2 The BE-COM shall lead the monitoring of the progress made against actionable items in chapters SS1, SS2, MOB1, MOB2, MOB3, MOB4, and take stock of the KPIs related to the Built Environment Index.

21.3.1.3 The CV-COM shall lead the monitoring of the progress made against actionable items in chapters ECO, HCP1, HCP2, and take stock of theKPIs related to the City Vitality Index.

21.3.2 Sub-committees may be formed under the ES-COM, BE-COM and CV-COM to facilitate the working of the committees. The committees may also direct concerned agencies to prepare detailed Action Plans and Special Projects for achieving the targets.

21.3.3 An annual progress report shall be developed by each monitoring committee, highlighting the status-quo with respect to the on-ground implementation of the Plan and suggesting measures for course correction as required.

21.3.4 The three monitoring committees shall report on an annual basis to a high-powered Apex Review Committee, chaired by the Lieutenant Governor of Delhi. The Apex Committee shall review the annual progress reports, provide coordination support and suggest amendments to the Plan as required.

21.3.5 An annual multi-agency workshop may be organized by DDA to discuss any implementation issues being faced by different agencies, review road maps and take stock of overall progress and future plans and projects.

21.4 Data sharing and management

21.4.1 The Apex Review Committee shall finalize a list of key data points that need to be monitored and shared by each agency periodically for estimating the KPIs. A formal data sharing protocol shall be set up for all concerned agencies indicating the data points, metrics and standardized units, sources and methods for data capture, periodicity of reporting, etc. This shall be mandatorily followed by concerned agencies.

21.4.2 A dedicated web portal shall be set up by DDA for the concerned agencies to upload the data pertaining to each KPI, which will be made accessible to the committees monitoring the respective KPIs.

21.5 Plan Monitoring and Review Unit at DDA

21.5.1 A dedicated Plan Monitoring and Review Unit (PMRU) shall be set up at

DDA comprising an interdisciplinary team of professionals to carry out the various supportive tasks required for plan implementation.

21.5.2 The PMRU shall perform the following indicative tasks:

i) Develop a data bank based on information received from different agencies.
ii) Prepare annual review reports based on the data received/compiled.
iii) Manage the GIS database of the master plan (Delhi Spatial Information System) including updating the database with real time inputs from different agencies, on ground surveys, CLUs, etc.
iv) Manage the online citizen portal developed by DDA as per Clause 21.6.2.
v) Conduct or commission studies to evaluate key trends, issues and challenges on a wide range of topics.
vi) Act as a technical support unit to the Apex Review Committee.

21.6 Implementation Support

21.6.1 DDA shall set up online single window mechanisms to support smooth implementation of the various spatial development policies (ref: Section 7) of the Plan. The portal shall act as a one-point facility for making applications, participating in schemes, tracking the status of approvals, etc.

21.6.2 DDA shall also develop and maintain an online citizen portal for providing information on a regular basis, as well as for responding to queries made by the citizens. An online dashboard with real time analysis of data and reporting on various milestones/ achievements may be included within the portal.

21.6.3 DDA and other government agencies may provide technical assistance and handholding support to stakeholder groups such as RWAs, market traders associations or civil society organizations for conceptualizing, designing and executing various area improvement projects both within planned and unplanned areas of the city.

21.6.4 DDA and other government agencies shall ensure continuous engagement with different citizen groups such as women, youth etc., and stakeholders to understand and assess impacts of plan implementation on ground; obtain feedback and solicit views; suggestions on various projects and initiatives planned for the city and to provide opportunities and avenues for citizen-driven innovation.

21.6.5 DDA shall also develop simple to understand FAQs and IEC material, guidelines for topics such as improving public spaces through community action, greening of built environments, etc. and make such material available to public through its online portal.

--- x --- x ---- x --- x --- x ---

SECTION 9

DEVELOPMENT CODE & DEVELOPMENT CONTROL NORMS

Chapter code
DCN

22.0 DEVELOPMENT CONTROL NORMS

Development Control Norms are special provisions that regulate development within the framework of the land use plan and policies contained in the Plan. These apply to all plots/integrated schemes/areas and is envisaged to improve the quality of built and natural environment by promoting appropriate development on all sites.

Any development, extension, change of use, new or existing, use conversion, site alteration, relocation, reconstruction and any building or other structure shall be governed by these norms

22.1 Land Use Plan for Delhi 2041

22.1.1 Land Use Plan for Master Plan for Delhi - 2041 (MPD – 2041) has been prepared on GIS (Geographic Information System) platform considering the existing ground/ site conditions. Delhi has been divided into 18 Planning Zones. In the base map various issues such as change of Land Uses notified by Central Government till date, overlapping issues of Zonal boundaries, continuity of existing/ proposed roads, rectification of actual size and shapes of Land Uses/ Use Zones as per actual site condition, refinement of Zonal Plan Boundaries have been resolved and incorporated in the Master Plan.

22.1.2 Mapping of the NCT of Delhi will also be updated from time to time to have valuable data with respect to ground situation, to detect and prevent unauthorised development including encroachment on public land and facilitate the protection of greens.

22.1.3 In order to control the development, the areas have been identified into 27 Use Zones in the Development Code. These Use Zones have been classified broadly in nine categories of Land Uses namely Residential, Commercial, Industrial, Recreational, Transportation, Utility, Government, Public & Semi - Public Facilities and Green Belt & Water Body. The development in these Use Zones would be carried out in accordance with the regulations as laid down in the Development Code and respective chapters.

22.2 Zonal Development Plans

22.2.1 The NCTD has been divided in 18 Planning Zones (Divisions) designated 'A' to 'P' (except Zone 'I') in the Master Plan 2041.

22.2.2 The Zonal plans shall act as link between the Layout Plan and Master Plan. The development schemes and layout plans indicating various use premises shall conform to the Master Plan / Zonal Plans.

22.2.3 In absence of Zonal Plan of any area, the development shall be in accordance with the provisions of the Master Plan. No urban activity shall be permitted without change of land use / modification to the Master Plan as per the Delhi Development Act, 1957.

The Zone wise approximate area is as given below:

Table 22. 1: Zone Wise Area

S. No.	Zone	Name of Zone	Area (Ha.)
1	A	Walled City + Other than Walled City (OWC)	540.65+628.42=1169.07
2	B	City Extn. (Karol Bagh)	2317.05
3	C	Civil Line	3991.73
4	D	New Delhi	6657.30
5	E	Trans Yamuna	8567.96
6	F	South Delhi-I	11088.82
7	G	West Delhi-I	12311.22
8	H	North West Delhi-I	5452.84
9	J	South Delhi-II	15519.67
10	K-I	West Delhi-II	6461.91
11	K-II	Dwarka	5708.44
12	L	West Delhi-III	22108.97
13	M	North West Delhi-II	5594.68
14	N	North West Delhi-III	14015
15	O-I*	River Zone (Active floodplain)	6295.00
16	O-II*	Riverfront (Regulated)	3638.36
17	P-I	Narela	9623.26
18	P-II	North Delhi	8128.92

Note: *The above areas are approximate and as per GIS. The re-delineation & rezoning of the zones can be done with the approval of the Authority.

22.3 Land Use and Use Zones

22.3.1 The National Capital Territory of Delhi is divided into nine (9) Land Use categories as mentioned in the Table 22.2. Each Land Use category is assigned number of Use Zones, which shall be further subdivided into required number of Use Premises. Any one of the Use Zones may be located at one or more than one places as shown in the Land Use Plan. The boundaries of various pockets of use zones are defined in Land Use Plan.

Table 22. 2 : Land Use and Use Zones

S. No.	Land Use	Use Zones	
1	Residential	RD*	Residential Area
		RF	Foreign Mission
S. No.	**Land Use**	**Use Zones**	
2	Commercial	C1	Retail Shopping, General Business and Commerce, District Centre, Community Centre, Non-Hierarchical Commercial Centre
		C2	Wholesale & Warehousing, Cold Storage and Oil Depot
		C3	Hotels
3	Industrial	M1	Manufacturing, Service Industry and Repair Industry
4	Recreational	P1	Regional Park
		P2	City Park, District Park, Community Park, Multi-purpose grounds
		P3	Historical Monuments / Archaeological parks
		P4	Green Buffers
		P5	Sports Facilities/Complex
5	Transportation	T1	Airport
		T2	Terminal/Depot - Rail/MRTS/Bus/Truck, Yards
		T3	Circulation – Rail/MRTS/Road/RRTS/High Speed Rail
6	Utility	U1	Water (Treatment Plant etc.)
		U2	Sewerage (Treatment Plant etc.),
		U3	Electricity (Power House, Sub-Station etc.)
		U4	Solid Waste (Treatment, etc.)
		U5	Drain
		U6	Other Utilities

7	Government	G1	President Estate and Parliament House
		G2	Government Office Complex / Courts/ PSUs
		G3	Government Land (Use undetermined)
8	Public and Semi-	PS1	Health, Education and Research University / University centre, College, Social -
S. No.	**Land Use**	**Use Zones**	
	Public		Cultural, Socio Cultural Complex/ Centre, Police / Police Headquarter / Police Lines, Fire stations / Disaster Management Centres, Religious, Burial Ground /Cemetery/ Cremation
		PS2	Transmission Site/Centre
9	Green Belt and Water Body	A1	Green Belt
		A2	River Zone (Active floodplain), water bodies and natural drains

Note:

1. *Land use of Village Abadi (Lal Dora / firni) and Extended Lal Dora, as notified by Revenue Deptt., GNCTD, located in any use zone is residential.
2. Mixed Use Zone in the Land Use Plan may consist of more than one Use Zone.

22.4 Spatial Development

22.4.1 Spatial development shall be governed through specific spatial development policies (DEV 1,2,3,4) for greenfield and brownfield areas.

22.4.2 The Plan identifies Overlay Zones, such as Business Promotion Districts (BPD), Transit oriented Development (TOD), Land Pooling Area, Green Development Area. These zones will enable specific type of development as per applicable norms set out in the spatial development policies.

22.5 Sanction of Plans

22.5.1 Layout Plans / Site Plans and Building plans shall be approved by the Local Bodies and Authority in their areas of jurisdiction.

22.5.2 Authority / Local Body(s) shall be empowered after levying penalty to compound deviations from limits of coverage/ FAR to the extent of 5% of the permissible coverage and FAR, subject to maximum of 13.5 sqm. in building(s) / premises at the time of considering the completion / occupancy certificate. In Group Housing schemes and Public & semi-public facilities, 5% FAR beyond permissible FAR can be compounded by the authority / Local Body at the time of considering the completion/occupancy certificate.

22.5.3 Wherever required, the Technical Committee of the DDA shall formulate policy guidelines for the sanctioning of layout plans, comprehensive/ integrated schemes and re-generation schemes as identified. The Technical Committee

shall be empowered to call for the plans from the development organisations / Local Bodies and would give directions / recommendations wherever necessary. Old redevelopment schemes shall be termed as regeneration schemes.

22.5.4 Any change in the location, boundaries and predominant use of use premises shall be duly approved and incorporated in Layout Plan.

22.5.5 Layout Plans already approved by the Authority or any other local authority concerned in accordance with law shall be deemed to have been approved. An area in respect of which there is no approved Layout Plan shall be governed by the provisions of the Master Plan / Zonal Development Plan.

22.5.6 The service plans corresponding to all layout plans/ integrated schemes, for provision of physical infrastructure like water supply, sewerage, drainage, etc., shall conform to municipal byelaws/ service providing agency.

22.5.7 Conversion charges / other levies as prescribed by the Government from time to time shall be payable wherever land use conversion is enabled at premise levelby the Master Plan / Zonal Plan or any other Regulations.

22.5.8 In case of spatial development, the minimum area prescribed for planning and approval shall be as per applicable policy.

22.5.9 Requisite Plans as prescribed under various policies shall be a mandatory requirement for layout and building plan approvals.

22.5.10 The provision of requisite social infrastructure within residential use zone, shall be governed by the norms for local level of 10,000 population, as per Table 22.2a

22.6 Hierarchy of facilities

For the purpose of devising an equitable and planned development the essential as well as support facilities need to be provided at different level of development hierarchies ranging from local level to city level. The planning standards for all required facilitiesare as below

Table 22.2 a Hierarchy of facilities

LEVEL	FACILITIES	NO. OF PLOTS	PER UNIT AREA	TO BE PROVIDED	
				LOP	ZDP
Local Level Pop: Upto 10000	**Non-bedded Health Facility**	1 @ 10,000	Min. 800 Sqm	√	
	Learning Centre/ Creche	1 @ 10,000	Min. 500 Sqm	√	
	School (Type-I)	1 @ 10,000	Range- 2000-4000 Sqm	√	
	School (Type-II)	1 @ 10,000	Min. 4000-8000 Sqm	√	
	Socio-Cultural facility	1 @ 10,000	Range 800 –	√	

	(Type-I)		2000 Sqm		
	Other Community Facility (Type-I)	2 @ 10,000	Min. 400 Sqm	√	
	Local Level Play Area	1 @ 10,000	Min. 5000 Sqm	√	
	Traffic and Police control room	As per requirement	Max. 25 Sqm		
	Police Post	As per requirement	Max. 150 Sqm	√	
Local Level Pop: Upto 10000	**P&T facility (Type-I)**	As per requirement		√	
	Milk Booth/ Milk, Fruit & Vegetable Booth/Delhi Milk Supply Booth/ Fair Price Shop	1 @ 5,000	As per standard design of the concerned department	√	
	Tot lot	40 @ 10,000	Min. 125 Sqm	√	
	Local level parks	1 @ 10,000	Minimum 1 ha	√	
	Three wheeler & Taxi Stand	1 @ 10,000	Min. 400 Sqm	√	
	Bus Terminal	1 @ 10,000	Min. 1000 Sqm	√	
	Convenience Shopping Centre	1 @ 5,000	Min. 1000 Sqm	√	
	Local Shopping Centre	1 @ 10,000	Min. 3000 Sqm	√	
	Service Market	1 @ 10,000	Min. 2000 Sqm	√	√
	Informal Sector Market	1 @ 10,000	Min. 1000 Sqm	√	
Community Level Pop: Upto 1 Lakh	**Non-bedded Health Facility (Veterinary)**	1 @ 1 Lakh	Min. 300 Sqm	√	
	Health Facility (Small)	6 @ 1 Lakh	Min. 1000 Sqm	√	
	Hospital	3 @ 1 Lakh	Range-0.2 to 1.5 ha	√	√
	Socio-Cultural facility (Type-II)	2 @ 1 Lakh	Min. 1000 Sqm	√	
	Police Post	1 @ 1 Lakh	Max. 2500 Sqm	√	
	Fire Post	1 @ 1 Lakh	Max. 2500 Sqm	√	
	Night Shelter	1 @ 1 Lakh	Min. 100 Sqm	√	
	Community Sports Centre	1 @ 1 Lakh	Range- 1.0 to 3.0 ha	√	
	Community Park	1 @ 1 Lakh	Min. 3.5 ha		√
	Community Multipurpose Ground	1 @ 1 Lakh	Min. 2.0 ha	√	√
	LPG godown including booking office	As per requirements	Min. 600 Sqm (As per provisions of the applicable standards of PESO)	√	
	Bus Terminal	1 @ 1 Lakh	Min. 1000 Sqm	√	
	Parking space for parking of buses, LMVs, IPTs, etc.	2 @ 1 Lakh	Min. 3000 Sqm	√	
	Community Centre	1 @ 1 Lakh	Min. 2.0 ha	√	√
Sub- City Level Pop: Upto 5 Lakh	**Hospital**	3 ~~2~~ @ 5 Lakh	Min. 1.5 ha	√	√
	De-addiction/ Rehabilitation Centres	1 @ 5 Lakh	Min. 2000 Sqm	√	
	Veterinary hospitals	1 @ 5 Lakh	Min. 2000 Sqm	√	

LEVEL	FACILITIES	NO. OF PLOTS	PER UNIT AREA	TO BE PROVIDED	
				LOP	ZDP
	Special Schools	4 @ 5 Lakh	Min. 2000 Sqm	√	
	Research & Development Centres	1 @ 5 Lakh	Min. 4000 Sqm	√	√
	Institute	1 @ 5 Lakh	Min. 4000 Sqm	√	√
	College	2 @ 5 Lakh	As per UGC/ AICTE Norms		√
	Socio-Cultural facility (Type-III)	1 @ 5 Lakh	Min. 5000 Sqm		√
	Other Community Facility (Type-II)	5 @ 5 Lakh	Min. 1000 Sqm	√	
	District Sports centre	1 @ 5 Lakh	Range- 3.0 to 10.0 ha		√
	Police Station	2 @ 5 Lakh	Max. 1.0 ha	√	√
	Fire Station	2 @ 5 Lakh	Max. 1.0 ha	√	√
	Disaster Management Unit	1 @ 5 Lakh	Range- 0.5 to 1.0 ha		√
	Cremation Ground	1 @ 5 Lakh	Min. 5000 sqm	√	
	Electric Crematorium	1 @ 5 Lakh	Min. 5000 sqm		√
	District Park	1 @ 5 Lakh	Min. 25 ha		√
	District Multipurpose Ground	1 @ 5 Lakh	Min. 4.0 ha		√
	Bus Terminal	1 2 @ 5 Lakh	Min. 2000 Sqm	√	√
	Bus Depot	1@ 5 Lakh	Min. 4000 Sqm	√	√
	Fuel Station	As per requirement	As per DCNs	√	
	District Centre	1@ 5lakh	Min. 10 ha	√	√
City Level	**Medical College**	As per requirement	As per Medical Council of India and Veterinary Council of India Norms		√
	Veterinary Institute	As per requirement	Veterinary Council of India / Ministry norms		√
	University Campus including International Education Centre (IEC) /	As per requirement	As per UGC/ AICTE Norms		√
	Socio-Cultural facility (Type-IV)*	As per requirement		√	
	City Level Sports: Divisional Sports Centre*	1 @ 10 Lakh and above	Min. 10 ha		√
	Other Community Facility (Type-III)	As per requirement	Min. 2000 Sqm	√	√
	Other Community	As per requirement			√

LEVEL	FACILITIES	NO. OF PLOTS	PER UNIT AREA	TO BE PROVIDED	
				LOP	ZDP
	Facility (Type-IV)				
	District Jail	1 @ 50 Lakh	Min. 2 ha		√
	Police Lines	As per requirement	Max. 1 ha		√
	District Police Office and Battalion	As per requirement	Max. 1 ha		√
	Police Training Institute/ College	As per requirement	Max. 5 ha		√
	Police Firing Range	As per requirement	Max. 5 ha		√
	Police camp	As per requirement	Max. 5 ha		√
	Fire Training Institute	As per requirement	Max. 5 ha		√
	Disaster Management Centre	As per requirement	Max. 5 ha		√
	P&T facility (Type-II)	2 @ 20 Lakh	Min. 2500 Sqm		
	P&T facility (Type-III)	As per requirement			√
	Burial Ground	1 @ 10 Lakh	Min. 1 ha		√
	Cemetery	1 @ 10 Lakh	Min. 1 ha		√
	Burial Ground for Animals	1@ 10 Lakh	Min. 2000 Sqm		√
	City Park	2@10 Lakh	Min. 40 ha		√
	City Multipurpose Ground	1@10 Lakh	Min. 8.0 ha		√
	Bus Depot	As per Requirement			√
	Fuel Stations	As per requirement		√	
	ISBT	As per Requirement	Min. 10 ha		√
	Wholesale	1@ 10 lakh	Min. 8.0 ha		√
*** Upto 200 ha to be reserved in Land pooling areas wherever possible**					
UTILITIES					
Water Supply and Sanitation					
LEVEL	**FACILITIES**	**NO OF PLOTS**	**PER UNIT AREA**	**LOP**	**ZDP**
NA	**Sewage Treatment Plant (STP)**				
	STP (with SPS & EPS) - upto 5 MGD (22.7 MLD) capacity	As per Requirement	650 Sqm /MLD		
	STP (with SPS & EPS) - capacity above 5 MGD (22.7 MLD)	As per Requirement	1,100 Sqm /MLD	√	√
	Sewage Pumping Station (SPS)	As per Requirement	50 Sqm		
	Effluent Pumping Station (EPS)	As per Requirement	50 Sqm		

LEVEL	FACILITIES	NO. OF PLOTS	PER UNIT AREA	TO BE PROVIDED	
				LOP	ZDP
	Water Treatment Plant (WTP)				
	WTP - 80 MGD (363 MLD)	As per Requirement	300 Sqm /MLD	√	√
	WTP - 40 MGD (182 MLD)	As per Requirement	400 Sqm /MLD	√	√
	Underground Reservoir with Booster Pumping Stations				
	5 ML Capacity	As per Requirement	700 Sqm /ML	√	
	50 ML Capacity	As per Requirement	600 Sqm /ML	√	
Solid Waste Management					
Local Level	**Area for segregation of waste and parking of utility vehicles (*previously: Dhalao*)**	1 @ 10,000	200 Sqm	√	
Sub-City Level	**Material recovery facility (semi-automatic): 200 TPD**	1 @ 5 Lakh	6,000 - 8,000 Sqm	√	
City Level	**Material recovery facility (automated) : > 10,000 TPD**	1@ > 20 Lakh	10,000 - 20,000 Sqm	√	√
Power					
Local Level	**Electric Sub-Station 11 KV**	1 @ 10,000	40 Sqm	√	
Community Level	**Electric Sub-station 66 KV**	2 @ 1 Lakh	2,500-4,000 Sqm	√	
Sub-City Level	**Electric Sub-station 220 KV**	1 @ 5 Lakh	7,000-10,000 Sqm	√	
City Level	**Electrical Sub-station 400 KV**	1 @ 20 Lakh	4.0 ha	√	√

22.7 Designated Use Zones and Use Premises

22.7.1 Each Use Zone comprises of several Use Premises that are distinct. The Use Premises further comprise of compatible activities and these can be developed either as standalone plots (assigned for each Use Premise) or in form of integrated/ comprehensive schemes (like District Centres, Community Centres, etc.).

i. Each Use Premises shall be permitted to have specific Uses / Use activities.
ii. The location and boundaries of each use premises shall conform to as specified in the Layout Plan.
iii. Any change in the location, boundaries and predominant use of use premises due to any reason whatsoever and duly approved shall be incorporated in layout plan.

22.8 Residential

A. Use Premises and Definitions

Table 22. 3 : Use Premises and Definitions - Residential

S. No.	Use Premise	Definition
1	Group Housing	A premise of size not less than 3000 sqm (2000 sqm. for slum/ JJ rehabilitation area/Special Area/Village (Lal Dora/Firni) /Extended Lal Dora) comprising of residential flats with basic amenities like parking, park, convenience shops, public utility etc.
2	Plotted Housing *	Premise for one or more than one dwelling unit(s) and mayhave on it one or more main building block and other accessory block for garages and service personnel.
3	Studio Apartment	Premise for residential flats with carpet area** 40-60 sq.munits.
4	Dharamshala or its equivalent	Premise providing temporary accommodation for short duration.
5	State Bhawan/ State Guest House	Government owned premise for providing the transit accommodation for the guests of State Government and Central Government.
6	Affordable Public Rental Housing	Premise for temporary accommodation facilities with residential flats and dormitories with common amenities with or without dining facility.
7	Slum Rehabilitation Scheme	Premise for residential flats provided for beneficiaries as part of slum area resettlement/ rehabilitation.
8	Hostel	A premise in which residential accommodation in the form ofrooms is provided.
9	Rain Basera (Night Shelter)	A premise having the facility for providing the night accommodation to individuals without any charges or with token charges. It may be run by local government or voluntary agencies***
10	Guest House, Lodging & Boarding House	A premise providing temporary accommodation for short durations.
11	Low Density Residential Plot	Existing farm houses in urban extension regularised as per Policy and new Low Density Residential Plots to be permitted in the Green Development Area.
12	Foreign Mission	Premise for the Foreign Mission.

Note:

1. *Pre 1962 plotted double storied flats shall be treated as Residential Plots.
2. *Bed and Breakfast accommodation may be a permissible activity in residential plot/ flat, if registered under the Scheme notified by Ministry of Tourism, GoI/ GNCTD from time to

time.

3. ** Carpet Area definition to be taken as per RERA
4. ***As land is a constraint, the endeavour should be to optimally utilize the land for creating multipurpose facilities in residential and PSP plots. Night shelter should also be made in existing buildings and in new proposed constructions within the Railway Terminals, Bus Terminals, Wholesale/Retail markets, Freight Complexes, Police Stations etc. by the agencies concerned such as Railways, Health, Industry, DTC, Police, etc., wherever available, with suitable modifications into night shelters as well as by adopting innovative concepts such as integrated complex with commercial space on the ground floor and night shelter on the first floor.

B. Permissible Activities

Table 22. 4 : Use Premises and Activities Permitted: Residential

S. No.	Use Zone / Use Premise / Activities Permitted	Residential Area (RD)					
		1	2	3	4	5	6
		Group Housing	Plotted Housing	Studio Apartment	Dharamshalaorits equivalent	State Bhawan/ State Guest House	Affordable Rental Housing
1	Residence (Plotted)		□				
2	Residential (Flats)	□		□			□
3	Retail Shops (on ground floor with an area up to 20 Sq.m. each)	□		□	□		□
4	Mixed use activity	□	□				
5	Society Office/ Registered RWA Office	□	□	□	□	□	□
6	Community Room/ Basti Vikas Kendra	□		□			□
7	Crèche / Day Care Centre/ Anganwari	□	□	□			□
8	Senior Citizen Recreation Room	□		□			□
9	Recreational Club/ Hall	□		□			□
10	Swimming pool	□		□			
11	Religious	□		□			□
12	Dormitory				□		□
13	Guest Room				□	□	
14	Dining Area			□	□	□	□
15	Watch and	□		□	□	□	□

	Ward Residence (20sqm)						
16	Conference Hall and related facilities					□	
17	Government office					□	
18	Souvenir shops					□	
19	Restaurants					□	
20	ATM	□			□	□	
21	Staff Residential Accommodation					□	
22	Garage		□				
23	Fair Price Shop						□

C. Development Control Norms

Table 22. 5 : Group Housing

Use Premise	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Min. ROW (M)	Height(M)
Group Housing	3000 sq.m.	33.33% (in case of addition/ alteration of existing DUs for availing balance FAR, ground coverage upto 40% may be allowed)	200	18	NR (Subject to clearance from AAI/ Fire Dept. and other statutory bodies)

Other Controls

i. The upper limit of density will be taken as 200 DUs/ha (900pph) with flexible Dwelling Unit sizes to achieve optimal utilization of land. The Central Government in consultation with the DDA may relax density and other norms for public housing andprojects of national importance.

ii. Group Housing plots in Special Area / Village (Lal Dora / Firni) / Extended Lal Dora/ unauthorised colonies shall be 2000 Sqm. and roads with minimum RoW 7.5m. These conditions are subject to meeting parking requirements within the plot and NOC from the Traffic Police Deptt. and the Delhi Fire Service (DFS) of GNCTD. Such plots shall be incorporated as group housing plots in the Development/Layout Plans of these areas to be prepared, subsequently, if such, plans are not already approved.

iii. Additional floor area of 400 sq.m. or at the rate 6% of permissible FAR, whichever is less shall be allowed, free from FAR, to cater to community needs such as community / recreational hall, crèche/ day care, library, reading room, senior citizen recreation room / club and society office.

iv. Ground coverage up to 40% may be allowed to achieve low-rise high-density housing.

v. The developer shall ensure that minimum 15% of the proposed FAR (over and above200 permissible FAR and density of 200 DUs/ha), to be constructed for Community- Service Personnel / EWS and lower category. Such flats shall have a carpet area of minimum 32 sq.m. Following are the conditions for these EWS DUs:

   a. 50% of the EWS Housing Stock shall be retained by Developer Entity (DE) and disposed only to the Apartment owners, at market rates, to house Community Service Personnel (CSP) working for the Residents/Owners of the Group Housing. These will be developed by DE at the respective Group Housing site/premises or contiguous site.

b. Remaining 50% of DUs developed by DE for EWS housing purpose will be sold tothe eligible beneficiaries identified by DDA/ Local Bodies as per DDA Policy. These can be developed by DE at an alternate nearby site.

c. Necessary Parking, Commercial and PSP facilities shall also be provided by the DE for this separate housing pocket.

d. The EWS housing component created by the DE shall be subject to quality assurance checks, as prescribed in this regard by Govt./DDA. The final handing/taking over of this component shall be subject to fulfilling the quality assurance requirements.

e. The DE shall be allowed to undertake actual transfer/transaction of saleable component under its share/ownership to the prospective buyers only after the prescribed land and EWS housing component sold / transferred to the eligible beneficiaries identified by DDA / local bodies at the rates prescribed by DDA.

vi. Employer Housing of Central Government, State Government and other Government Agencies are not required to follow the requirement of FAR or Dwelling Units for Community Service Personnel / EWS and lower income category.

Table 22. 6 : Plotted Housing

Use Premise	Minimum Plot Area(sq.m.)		Max. Ground Coverage (%)	FAR	Max. No. of DUs	Height(M)
Plotted Housing	1	Up to 50	90*	350	3	15m (withoutstilt) 17.5m (with stilt) Subject to clearance from Fire Dept. forindividual plot
	2	Above 50 to 100	90*	350	4	
	3	Above 100 to 250	75**	300**	4	
	4	Above 250 to 500	75	225	6	
	5	Above 500 to 750	60	225	6	
	6	Above 750 to 1000	50	200	9	
	7	Above 1000 to 1500	50	200	9	
	8	Above 1500 to 2250	50	200	12	
	9	Above 2250 to 3000	50	200	15	
	10	Above 3000 to 3750	50	200	18	
	11	Above 3750	50	200	21	

Other Controls

i. For the purpose of density calculations, the dwelling unit shall be considered to accommodate 4.5 persons and the servant quarter to accommodate 2.25 persons.

ii. The local body concerned shall be competent for the following

a) to disregard variation of up to 2% in plot size, arising from conversion of areafrom sq. yard to sq.m.

b) *100% ground coverage norms applicable to the preceding category of plot size shall be eligible for regularization of construction, already existing as on 22.09.06 on payment of charges as notified.

c) **100% ground coverage and 350 FAR shall be eligible for regularization of construction already existing as on 22.09.06 on payment of charges as perthe notification, in respect plot size between 100 to 175 sqm.

iii. Minimum size of the residential plot shall be 32 sq.m.

iv. The additional number of dwelling units would be subject to payment of levy for the augmentation of civic infrastructure.

v. The total ground coverage and FAR permissible in any plot shall not be less than that permissible for the largest plot in the next preceding category.

vi. Maximum height of the building shall be 15m in plots without stilt parking and 17.5m in plots with stilt parking. Such residential building shall not be considered as high rise building. For purpose of fire and life safety requirements, clearance of Fire Department will be obtained by the individual plot owner.Subdivision of plots is not permitted. However, if there are more than one.

vii. Subdivision of plots is not permitted. However, if there are more than one building in one residential plot, the sum of the built-up area and ground coverageof all such buildings, shall not exceed the built-up area and ground coverage permissible in that plot.

viii. Amalgamation of two plots adding up to maximum of 64 sq.m. shall be permittedwith following conditions:

a) Local Body will simultaneously modify the Layout Plan.

b) The maximum ground coverage, setbacks, parking, Dwelling Units etc. shall be for the amalgamated plot size.

c) The maximum FAR permissible shall not be less than the permissible in case of two individual plots.

ix. The mezzanine floor, if constructed, shall be counted in the FAR.

x. Provision of stilt shall be mandatory for plots with area of 100 sq.m upto 750 sq.m. For plots above 750 sq.m., parking shall be provided in the setback/ stilt to achieve parking/ECS as per MPD norms. If the building is constructed with stilt area of non-habitable height (less than 2.4m), used for parking, such stilt area shall not be included in FAR but would be counted towards the height of the building.

xi. Number of servant quarters shall be provided as per approved layout plan and shall be constructed within the stipulated height. However, if the garage block space is merged with the main building, no separate servant quarter block or servant quarter, as part of main building shall be allowed. However, provision for a servant's room as part of the dwelling unit within the permissible coverage FAR shall be allowed.

xii. Provision for a servant's room (with a floor area not less than 11 sq.m. exclusive of cooking verandah, bathroom and lavatory) as part of the dwelling unit, within the permissible FAR with stipulated height restriction, shall be allowed. Themaximum size of servant quarter shall be 25 sq.m. If larger in size, the servant's quarter shall be counted in density as a full dwelling unit.

xiii. *Standard Plans:* There are a number of standard building plans designed and approved by the Authority. Such plans shall continue to operate whenever applicable. Such plans shall be modified as per the applicable development controls.

xiv. Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed before the local body grants sanction for regularization of additional construction or height except the following:

a) Projections / chajjas / covered chajjas built up portion which existed before 7.02.2007 upto 1m above 3m height from the ground level shall be regularized for plot size upto 175 sq.m on roads below 24m ROW in pre-1962 colonies (except for A & B category), in unplanned areas (including special area, village abadi and unauthorized regularized colonies) and resettlement colonies. The owners /occupiers shall have to obtain structural safety certificate and fire clearance within a reasonable period of time as notified by the Government. Such projections / built up portion thereon shall be counted in FAR and in case of excess FAR over and above permissible FAR, such FAR in excess shall be regularized subject to payment of appropriate charges as approved by the Government.

b) The local body concerned shall carry out a survey of all such projections eligible to be regularized and put such list in public domain for objections from the occupiers / owners and any person of the public against inclusion / exclusion of such projection in the list and the list thereafter will be finalized within a period of one month after considering such objections received in writing.

xv. Every applicant seeking sanction or regularization of additional FAR and/ or height shall submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice shall be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe by the local body concerned and shall be demolished by owner or the local body.

xvi. The minimum setbacks shall be as given in the following table:

Table 22. 7 : Minimum Setback Norms for Residential Area- Plotted Housing

S. No	Plot size (sq.m.)	Minimum Setbacks (in metre)			
		Front	Rear	Side 1	Side 2
1	Below 100	0	0	0	0
2	101 upto 250	3	0	0	0
3	251 upto 500	3	3	3	0
4	501 upto 2000	6	3	3	3
5	2001 and upto 10000	9	6	6	6
6	Above 10000	15	9	9	9

a. In case the permissible ground coverage is not achieved with the above- mentioned setbacks in a plot, the setbacks of the preceding category may be permitted.

b. A minimum 2m x 2m open courtyard/service duct shall be provided in residential plots of area of 50 sq.m. to 100 sq.m.

Table 22. 8 : Studio Apartment

Use Premise	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height(M)
Studio Apartment	2000 sq.m.	33.33%	200	12	NR (Subject to clearance fromAAI/ Fire Dept. and other statutory bodies)
Other Controls i. The maximum carpet area of flat will be 60 sq.m. ii. Additional floor area 400 sq.m or at the rate 6% of permissible FAR, whichever isless shall be allowed free from FAR to cater to community needs such as community / recreational hall, crèche, library, reading room, senior citizen recreation room /club and society office.					

Table 22. 9: Dharamshala

Use Premise	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum RoW (M)	Height (M)
Dharamshala	500 sq.m.	30%	120	-	15

Table 22. 10: State Bhawan/State Guest House

Use Premise	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height (M)
State Bhawan/State Guest House	--	50%	200	--	NR (Subject to clearance from AAI/ Fire Dept. and other statutory bodies)

Other Controls

i. In case of Sub-Zone D-13 of Zone-D, the maximum height shall not exceed 26m (Subject to Fire and other statutory/ security clearances that may be required from time to time).

Table 22. 11 : Affordable Public Rental Housing

Use Premise	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW(M)	Height (M)
Affordable Public Rental Housing (APRH)	2000 sq.m.	33.33%	200	12	NR (Subject to clearance from AAI/ Fire Dept. and other statutory bodies)

Other Controls

i. Additional floor area of 400 sq.m. or at the rate 6% of permissible FAR, whichever is less shall be allowed, free from FAR, to cater to community needs such as community / recreational hall, crèche/ day care, storage facilities and society office.

ii. APRH could be constructed, operated and maintained by any entity, including Government Bodies or could be handed over to a Concessionaire (Private Entities) for operation and maintenance, as per Model-I (Converting existing Government funded vacant houses into Affordable Rental Housing through Concession Agreement) of the ARHC Scheme of Govt. of India.

iii. Affordable Rental Housing (ARH) can be on PPP basis (Model II)

   a. ARH constructed through this model will consist of a mix of Dwelling Unit (upto 32/60sqm carpet area each for single/double bedroom respectively) and Dormitory of 4/6 beds (upto 10 sqm carpet area per bed) including all common facilities.

   b. A single project of ARH shall have at least 40 DU (double bedroom/single bedroom) or equivalent dormitory beds (1 single bedroom unit of upto 32 sqm carpet area is considered equivalent to 3 Dormitory beds).

   c. There will be flexibility to Private/Public Entities to have any mix of single/double bedroom and dormitories (4/6 units). However, to ensure that such complexes are used for urban migrant/poor or EWS/LIG category and not misused for any other purposes, a ceiling of maximum tenure of License has been provisioned.

iv. Commercial component up to 10% of permissible FAR in the premise may be permitted which could be rented or sold by the Entity.

v. All the residents in the ARH shall occupy the house on the basis of License rights provided by the Owner of the Housing Complex to them.

vi. The Maximum Tenure of such Licenses shall not be more than three years.

vii. The License deed should not be renewable beyond the maximum tenure.

viii. In an ARH Complex it shall be the obligation of the owner of the Housing complex that:

   (a) He does not charge any premium towards grant of license to any resident.

   (b) No resident is allowed to continue residing in the house / complex beyond the maximum tenure of license by re-executing a license.

ix. The Modalities with respect to ARH shall be as per the Operational Guidelines for the Affordable Rental Housing Complexes as issued by Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India and as per approvals of DDA.

x. In case where the provisions in the guidelines are not explicit, separate Development Control Norms shall be prescribed, subject to approval of DDA/Authority.

Table 22. 12 Slum Rehabilitation

Use Premise	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height (M)
Slum Rehabilitation	2000 sq.m.*	No restriction on ground coverage (except setbacks) for flexibility in design of the rehabilitation project	400	9	NR (Subject to clearance from AAI/ Fire Dept. and other statutory bodies)

Other Controls

1. (*) In case of public housing, the Technical Committee of DDA may relax minimum plot size 10%.
2. The following are guidelines for slum rehabilitation (with site-specific relaxations may be adopted as required).
   i. The upper limit of density for Slum & JJ clusters (In-situ up-gradation/ Rehabilitation/ Redevelopment of Slum & JJ Clusters, Resettlement Colonies) and EWS Public Housing Schemes be maximum 900 DUs/ ha.
   ii. The land area for rehabilitation of slum/JJ Cluster shall be taken up on PPP through prescribed land monetisation as per Slum Rehabilitation Regulations/ Policy. The minimum residential component of the land area for slum rehabilitation scheme has to be 60% and maximum area for remunerative use 40%.
   iii. The scheme shall be designed in a composite manner with an overall maximum FAR of 400 on the residential component, (beneficiary i.e. 60%) of the land. The maximum FAR of 300 on the remunerative component of the land shall be as applicable irrespective of the land use.
   iv. Any use/mix of uses shall be permitted in the remunerative component as per MPD provisions. In case the DE proposes a mix of uses, the parking and development control norms shall be applicable on a pro-rata basis, on the FAR utilised for each use.
   v. 10% of the permissible residential FAR shall be utilised for commercial development as an integrated scheme. No separate plot shall be delineated for use of this FAR.
   vi. In addition to the above, 10% of the permissible residential FAR may be permitted for development of community work centres for home based economic activities (Household Industries as per MPD norms).
   vii. Specific situations may require clubbing of scattered squatters within one site to work out an overall comprehensive scheme. Slum & JJ Clusters on plots smaller than 2000 sqm be relocated instead of taking up in-situ rehabilitation as per the above-cited guidelines.
   viii. Buildings may be recessed on different floors to create incidental spaces shared between DUs in a cluster.
   ix. Green areas shall be encouraged in schemes where a larger central green/ open space is not feasible, smaller green areas shall be provided.
   x. Schemes shall be approved by concerned body.
   xi. Schemes / designs should be compatible for differently-abled persons.

xii. Norms for Social and Physical Infrastructure shall be as per DCN

Table 22. 13 : Hostel

Use Premise	Minimum Plot Area (sq.m)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height (M)
Hostel	500	30	120	--	15
Other Controls i. These norms shall not be applicable for hostels under Mixed Use. ii. Norms for working men-women hostels shall be as per provisions under "OtherCommunity Facilities".					

Table 22. 14 : Rain Basera (Night Shelter)

Use Premise	Minimum Plot Area (sq.m)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height (M)
Rain Basera (Night Shelter)	100	60	200	--	26

Table 22. 15 Guest House, Lodging & Boarding House

Use Premise	Minimum Plot Area (sq.m)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height (M)
Guest House, Lodging & Boarding House	500	30	120	--	15
Other Controls i. These norms shall not be applicable for Guest House under Mixed Use.					

Table 22. 16 : Low Density Residential Plot

Use Premise	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height (M)
Low Density Residential Plot	As per Green Development Area				

Table 22. 17 : Foreign Mission (RF)

Use Premise	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height (M)
Foreign Mission	--	25%	75	--	15

Other Controls

i. Basement up to the building envelope line to the maximum extent of 50% of plot area shall be permitted. The basement area, if used for parking and services, shallnot be counted in FAR.

ii. As part of approved layout plan following use premises shall be permitted in Foreign Mission sub-use zone: Foreign Mission, Housing (for the Mission Employees), Guest House, Local Shopping, Bank, Recreational Club, Health Centre - Hospital, Tertiary health care centre, Dispensary, Integrated Residential School, Cultural and Information Centre, Police Post, Fire Station, Post and Telegraph office

Other controls relevant for Residential Use Zone

1. Community facilities and local facilities shall be provided as per norms. In addition to this, the following shall be considered for provision of these facilities:
   i. These facilities should preferably be located along internal roads with minimum 12 m ROW, unless specified. The development of the infrastructure should be monitored to assess the achievement in the relevant sectors.
   ii. Parking requirements shall be as per the parking norms.
   iii. The minimum size of tot lot at cluster level shall be 125 sq.m.
   iv. The location of schools and Anganwaris should be made in the layout plan in cluster form to facilitate sharing of common parking space and playground.
   v. The planning of physical infrastructure i.e. Underground Tank, Sewerage- pumping System, Rainwater harvesting, Dual pipe system, Area for segregation of waste, Electric substation, Pole mounted electric transformers, decentralised sewerage treatment should be provided as per norms.
2. Planning of the residential neighbourhood regarding circulation system, including safety requirements shall be governed by the BIS standards or as per the norms of the concerned agencies.
3. Suitable landscape plans for the neighbourhood shall be prepared for development of the parks and roadside plantation etc.
4. Schemes / designs should be compatible for differently abled persons.
5. All plans, Layout and Schemes shall be approved by concerned agencies.
6. Basement, if constructed, and used only for parking, utilities and services shall not be counted towards FAR.
7. Stilts: If the building is constructed with stilt area of non-habitable / stipulated height and is proposed to be used for parking, landscaping etc. the stilt floor need not be included in FAR and shall be counted towards height.
8. Parking shall not be allowed in the mandatory Fire Tender movement road.
9. Levy on additional FAR shall be at rates notified with the approval of Government from time to time.
10. Lower norms may be adopted in special cases, as specified in relevant regulations or as per approval of the Authority.

22.9 Commercial

22.9.1 General Business and Commerce

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 18 : Use Premise and Definition – Commercial

S. No.	Use premise	Definition
1.	Retail Shop	A premise for sale of commodities directly to consumer with necessary storage.
2.	Repair Shop	A premise equivalent of a of a retail shop for carrying out repair of household goods, electronic gadgets, automobiles, cycles etc.
3.	Personnel Service Shop	A premise equivalent of retail shop providing personnel services like tailor barber etc.
4.	Vending Booth/ Kiosk	A premise in the form of booth for sale of commodities of daily needs either through a mechanical installation or otherwise.
5.	Convenience Shopping Centre	A group of shops in residential area serving a population of about 5,000 persons.
6.	Local Shopping Centre	A group of shops in residential area serving a population of 10,000 persons
7.	Office	A premise used for offices etc.
8.	Bank	A premise for offices to perform banking function and operation.
9.	Motor Garage and workshop	A premise for servicing and repair of automobiles.
10.	Cinema / Cineplex / Multiplex	A premise with facilities for projection of movies and stills with a covered space to seat audience.
11.	Restaurant	A premise used for serving food items on commercial basis including cooking facilities. It may have covered or open space or both for sitting arrangement.
12.	Professional Activities	Professional activities shall mean those activities involving services based on professional skills namely Doctor, Lawyer, Architect, and Chartered Accountant, Company secretary, Cost and Works Accountant, Engineer, Town Planner, Media professionals and Documentary Film maker, Management Professionals and Dietician/ Nutritionists.
13.	Weekly Market	An area used once in a week by a group of informal shop establishments in the form of a market. These markets shift from one area to another on different days of the week.

14.	Informal SectorUnit	Retail/ service unit, stationary or mobile, working without roof including small khokhas on roadside. Street vendor- A person who offers goods or services forsale to the public without having a permanent built up structure but with a temporary static structure or mobile stall (or head load).

Note:
Small Shop: Shop of maximum 20 sqm area, trading in or dealing with retail and personnel services, excluding: Retail shops of building materials Repair shops/ workshops of automobiles, tyre resoling and re-treading, and battery charging, Storage, go-down and warehousing, Junk shop (except paper and glass waste), Liquor shop, Printing, dyeing and varnishing.

B. Permissible Activities

Table 22. 19 : Use Premise and Activities Permitted – Commercial

S. No.	Use zone	RD				C1			
	Use Premise / Activities Permitted	1	2	3	4	5	6	7	8
		Convenience Shopping Centre (CSC)	Local Shopping Centre (LSC)	Service Market	Informal Bazaar	Community Centre (CC)	NHC	District Centre/ Sub CBD/ Sub City Level Commercial Areas	MCC
1.	Retail Shop	□	□	Small Shops	Small Shops	□	□	□	□
2.	Vending Booth/ Kiosk	□	□			□	□	□	□
3.	Stockists anddealers of medicine sand drugs		□			□	□	□	□
4.	Fair Price Shop	□	□						
5.	Repair / Service	□	□	□	□	□	□	□	
6.	Personnel Service Shop	□	□	□	□	□	□	□	□

7.	Office	□	□	□		□	□	□	□
8.	Offices of local bodies, PSUs		□	□	□	□		□	□
9.	Conference Facility					□		□	□
10.	Cinema, Cineplex , Multiplex					□		□	□
11.	Hotels					□		□	□
12.	Guest House		□			□		□	□
13.	Service Apptts					□		□	□
14.	Restaurants	□	□			□	□	□	□
15.	Banque tHalls					□		□	□
16.	Socio-Cultural activities / Recreationa l Club/					□	□	□	□
17.	Coachin g Centres/ Training Institutes		□			□	□	□	□
18.	Police Post, Fire Post.					□	□	□	□
19.	Petrol Pump / CNG Station					□		□	□
20.	Bus Terminal							□	□
21.	Multi-level parking					□	□		□
22.	Service Market, Motor Garage and Workshop			□	□	□	□	□	□
23.	Bank	□	□			□	□	□	□
24.	ATM	□	□	□	□	□	□	□	□
25.	Informal Sector unit	□	□	□	□	□	□	□	□

26.	Nursing Home/ maternity etc.		□			□		□	□
27.	Dispensary, Clinical Lab,		□			□		□	□
28.	Clinic and Polyclinic	□	□			□	□	□	□
29.	Path lab, Diagnosti cFacility[1]		□			□		□	□
30.	Spa, Gym andSalon	□	□			□	□	□	□
31.	Museum/ Art Gallery					□	□	□	□
32.	Crèche / day care	□	□	□	□	□	□	□	□

[1]Subject to controls and safety considerations

Notes:

i. Utilities, Public Conveniences shall be provided as per norms.
ii. The mandatory requirement of parking as per prescribed standards would be met through multi level parking as far as possible in Metropolitan City Centre, District Centre and Community Centre.

C. Development Control Norms

Table 22. 20 : Commercial

S. No.	Use Premise	Nos	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max Ground Coverage	FAR	Min ROW(m)	Height
A. Local Population upto 10,000							
1	Convenience Shopping Center (CSC)	2	1000	50%	100	12	NR
2	Local Shopping Centre (LSC)	1	3000	50%	100	18	NR

	Other controls: i. In case of integrated schemes of Commercial Centres, amalgamation and subdivision of the plots is permitted for permitted uses of the respective hierarchyof commercial centres subject to payment of requisite charges as notified by the Competent Authority from time to time. ii. Max. 10% additional Ground Coverage shall be allowed for providing atrium onlyin LSC. iii. In case the permissible additional ground coverage for atrium is utilised, 25% ofthe utilized ground coverage shall be counted towards FAR.						
3	Service Market	1	2000	50%	100	18m	NR
4	Informal sector market	1	1000	50%	40	18m	NR

About 10% of the unutilized sites of LSC / CSC may be converted into Service Markets.

S. No.	Use Zone	Nos	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max Ground Coverage	FAR	ROW (m) (min)	Height
Commercial Centres							
Community Population 1,00,000							
1	Community Centre(CC)	1	20,000	50%	125	24m	NR
	i. Maximum 10% additional ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case the permissible additional ground coverage for atrium is utilised, 25% of the						
	utilized ground coverage shall be counted towards FAR. ii. Maximum 10% of FAR may be permitted for service market and/or informal market						
Sub-City Population 5,00,000							
1	District Centre (DC) / Sub-CentralBusiness District /Sub- City Level Commercial areas	1	10 ha	50%	150	30m	NR
	i. Maximum 10% additional ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case the permissible additional ground coverage for atrium is utilised, 25% of theutilized ground coverage shall be counted towards FAR. ii. Maximum 10% of FAR may be permitted for service market and/or informal market						
City Population 20,00,000							
Metropolitan City Centre /CBD							

1	**Commercial Plot: Retail & Commerce Metropolitan City Centre i.e. Connaught Place & its Extension**	-	-	25%	150	As existing	NR
	Other Controls i. The size of the plot shall be as in the layout of commercial area, any subdivision of the plot in Connaught Place and its extension should not be permitted. ii. The development controls shall be in accordance with the comprehensive plan of the area to be reframed by the local body. a. In case of Connaught Place, the existing height shall be maintained and FAR could be achieved by increasing proportionate ground coverage. b. No basement shall be permitted in middle circle of Connaught Place. c. Mandatory Architectural Controls shall be applicable iii. For plots developed as part of comprehensive schemes, the permissible FAR shall be as per the valid lease deed.						
2	**Commercial Complex at Fire Brigade Lane and Janpath Lane**	-	-	25%	150	As existing	NR
	i. Ground coverage and FAR shall be calculated on the area of presently available plots. ii. The area shall be developed on the basis of comprehensive scheme.						
Any other commercial centre							
1	Non-hierarchical Commercial Centre (NHCC)	-	-	50%	125	-	NR
2	Including Commercial component along with Railway / MRTS Stations / ISBT		Up to 3 ha.	25%	100	NR	
	Subject to statutory clearances. The development controls can vary subject to approved scheme.						
3	Asaf Ali Road (the area shown as commercial strip in Delhi Gate – Ajmeri Gate scheme)	-	-	80%	200	18m	20
	Setbacks are not mandatory. In case of rebuilding stilts shall be provided for parking.						

4	Existing Temporary Cinema (minimum300 seater in one or more cinema hall)		1200 sqm-4000 sqm In case a cinema has more land, the rest of the area would be kept green.	50% subject to min setback sas per MPD to be adhered	a. 100 subject tomax. built-up area of 3000sqm b. In case plot size is more than 4000 sq.m., andis located on 24m ROW and above, max. built-up area not to exceed 4000sqm	18m	15m
	a. New Temporary cinemas shall not be permissible, however already existing Temporary Cinemas shall be allowed to continue on permanent basis as per the stipulated conditions. b. Commercial activity shall be permissible after excluding the space required for capacity of 300 seated cinema hall. The commercial space will be for the activities as permissible for Local Shopping Centre (LSC) c. Cinema would confirm to the Cinematography act and other statutory provisions. Multiplexes shall accordingly be permissible. d. Land use conversion charges, FAR charges, betterment levies and other charges will be levied as approved by the Government from time to time. e. The Temporary Cinema existing on Government Land shall not continue. f. The excess land in such cases if required for larger public purposes shall beacquired and developed as per the norms by the concerned local agencies. g. It should be ensured that adequate parking facilities are provided within therespective plot areas.] h. The local body and Licensing Authorities shall ensure that the above conditions						
	are compiled before renewing the license. i. Individual cases will be processed as per the above provisions						
	Other controls for Any other commercial centre i. Subject to statutory clearances. The development controls can vary subject toapproved scheme.						

Other Controls

i. Additional FAR Charges, Conversion Charges, Betterment Levy/ External Development Charges etc. shall be payable as decided by the Government from time to time.

ii. No restriction subject to clearance from Airport Authority of India and Fire Department of GNCTD.

iii. Ground Coverage up to 50% instead of 40% will be permissible to achieve the enhanced FAR at site(s), in case of any height restriction from Airport Authority of India.

iv. NR - No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies.

v. FAR: The norms of 325 FAR below 30m ROW or 375 FAR on 30m ROW or above and 40% ground coverage shall be applicable in respect of all (I) hotels including hotel plots in Commercial Centres Community Centre, District Centre/ Sub- Central Business District/ Sub City Level Commercial Areas and Metropolitan City Centre/Central Business District except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and hotels existing on heritage structures and (II) Hotel-cum- commercial plots. This shall apply to all categories of hotels mentioned in Clause

4.4. The FAR for Commercial Centres and Metropolitan City Centre/Central Business District as well as Hotel-cum-commercial plots where apportionment of FAR shall be as per original lease conditions and shall stand enhanced automatically to that extent, for this purpose only if not available.

vi. The utilities such as, underground water storage tank, roof top water harvesting system, separate dry and wet dustbins, post-delivery counter etc. are to be provided within the plot. All hotels, restaurants, auto workshops, hospitals, tertiary health care centres etc. will have to make arrangements for solid waste disposal and primary effluent treatment.

vii. Individual plot with floor area of 5000 sq.m. or above will provide ESS and generator within the plot. They have to submit energy consumption / audit at the time of sanction of building plans.

viii. Wherever parking is provided within the plot / basement and is misused, the same is liable to municipalisation / taken over by the authority.

ix. Wherever redevelopment of existing commercial areas stipulate preparation of a comprehensive scheme, the same can be initiated jointly by the lessees / owners themselves and submitted to land owning agency / planning authority for approval. Wherever any enhancement in FAR is approved, the same will be subject to charging appropriate levies from the beneficiaries. For Metropolitan City Centre, development controls shall be as per approved scheme.

x. In case of integrated schemes of Commercial Centres, amalgamation and sub- division of the plots is permitted for permitted activities of the respective hierarchy of commercial centres subject to payment of requisite charges as notified by the Competent Authority from time to time.

Any other commercial centre	
Shop cum Residence Plot/ Shop Plots	
i)	Shop-cum-residence complexes (Shop-cum-residence plots / shop plots) later designated as CC/LSC/CSC (as already earmarked / shown in the respective Zonal Development Plans / notified by ULBs / GNCTD) shall be allowed to continue with the activities permissible in the Local Shopping Centre with the following conditions: a. FAR of such plot shall be as prescribed for respective size of the residential plotted development or lease deed / conveyance deed / sale deed / allotment conditions, whichever is more. However, in case total FAR in the existing building is exceeding the permissible FAR on the plots of size above 100 sq.m and upto 250 sq.m., such excess FAR (upto max. 350 FAR) shall be permitted subject to payment of penalty charges as prescribed with the approval of Government. b. Additional FAR shall be permitted on payment of additional FAR charges, as applicable. c. Payment of use conversion charges from "Residential" to 'Commercial" shall be applicable as prescribed with the approval of Government. d. LSCs, CSCs and shop plots which are already under commercial use zone are not be liable to pay any conversion charges. e. Commercial establishments / shop plots under the above category not having any deviation from already approved layout plans / lease deed / conveyance deed / sale deed are not be liable to pay any additional charges.
ii)	Other existing shop-cum-residence plots shall also be allowed to continue with original permitted use with the FAR of residential plotted development. The upper floors can be converted to commercial use after paying the applicable charges.
iii)	The basement shall be permitted in shop-cum-residence plots / complexes later designated as CC/LSC/CSC subject to relevant provisions under mixed use regulations. If such use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such excess FAR shall be subject to payment of applicable charges prescribed with the approval of Government.
iv)	In all the above cases, owner shall obtain the approval of revised building plans for any addition / alteration / new construction / conversion from the concerned local body subject to all statutory clearances w.r.t. relevant provisions of building bye laws, structural safety, fire safety etc.
v)	Parking provisions shall be as per prevailing norms for residential plotted development and as stipulated in Table 22.46. Onetime parking charges shall be paid either as down payment or in maximum four instalments subject to payment of applicable charges as prescribed with the approval of Government.
vi)	In order to meet the parking requirements, concerned local bodies along with concerned traders / establishments / RWAs shall identify and develop the land for providing shared / common `parking. 5% additional Ground Coverage shall be permissible within the scheme area for the provision of public parking.
vii)	In order to promote parking, the owner of the plot will be allowed to

	amalgamate
	the plots upto minimum plot size of 1000 sq.m, to provide additional parking on the amalgamated plot. Such plots shall be entitled for a rebate of 50% in conversion charges.
viii)	In case there is no parking facility available in the vicinity, concerned local body may declare such areas as pedestrian shopping streets / areas. Public transport authority shall ensure last mile connectivity to these areas.

D. Informal Sector

Informal Sector Market to be incorporated in the planned development of various use zones are as follows:

Table 22. 21 : Norms for informal sector trade units

S. No.	Use Zones / Use premise	No. of Informal shops / Units
i)	Retail trade: Metropolitan City Centre, District Centre, Community Centre, Convenience Shopping	3 to 4 units per 10 formal shops (to be provided in informal bazaar / service market components)
ii)	Centre, Government and Commercial Offices	5 to 6 units per 1000 employees
iii)	Wholesale trade and Freight Complexes	3 to 4 units per 10 formal shops
iv)	Hospital/ Tertiary Health Care Centre	3 to 4 units per 100 beds
v)	Bus Terminal	1 unit for two bus bay
vi)		
vii)	Parks District Parks Neighbourhood parks	8 to 10 units at each major entry 2 to 3 units
viii)	Residential	1 unit / 1000 population
ix)	Industrial	5 to 6 units per 1000 employees
x)	Railways Terminus / MRTS Stations	To be based on surveys at the time of preparation of the project.

22.9.2 Wholesale, Warehousing

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 22 : Use Premise and Definition – Wholesale, Warehousing

S. No	Use Premise	Definition

1	Wholesale market	a. A premise from where goods and commodities are sold and delivered to retailers. The premises include storage and godown, loading and unloading facilities.
2	Warehouse/ Storage/ Godown/ Cold Storage	A premise from where goods and commodities are stored
3	Integrated Freight Complex	A premise to provide facilities for regional and intra-urban freight movement and inter-link with specialized markets in the City. The premise includes storage facilities, servicing, idle parking for goods vehicles and other related functions.

B. Permissible Activities

Table 22. 23 : Use Premise and Activities Permitted – Wholesale, Warehousing

S.No	Use Zone	C2		
	Use Premise / Activities Permitted	1	2	3
		Integrated Freight Complex	Wholesale/ sub city markets	Warehouse/ Storage/ Godown
1	Wholesale Shop	□	□	□
2	Warehouse	□	□	□
3	Godown and Storage Shops	□	□	Storage of non-polluting/ non-hazardous materials
4	Office	□	□	□
5	Retail Shop (including Personnel Service Shop		□	□
6	Hotel/ Restaurants	□	□	□
7	Repair / Service /Motor Garage & Workshop (max 10% of FAR)	□	□	□
	(4 to 7- Upto 25% of FAR)			
8	Night Shelter	□	□	

9	Police outpost upto 150 sq.m, Traffic Police Control Room (Max. 25 sq.m.), Fire Post	□	□	
10	Fuel Station	□	□	
11	Bus Terminal	□	□	
12	Multi-level parking	□	□	
13	Bank	□	□	
14	ATM	□	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 24 Wholesale, Warehousing

#	Use Zone	Nos	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max Ground Coverage	FAR	ROW (m) (min)	Height (max.)
1	**Integrated Freight Complex**		As per requirement	40%	100	30	NR
2	**Wholesale**		8 ha	40%	100	30	NR
3	**Warehousing /Godown/ Storage/ Cold Storage**		500	70	140	18	15
			501-2000	60	120	18	15
			2001-10000	50	100	18	15
			Above 10,000	40	80	24	15

Other applicable conditions:

In addition to specified norms, the following conditions shall be applicable on all plots/ integrated schemes:

i. Warehouses on plots of 1 ha and above with direct access from 30m RoW can be developed as big-box retail. Such plots shall be permitted to have retail activity up to 50% of the permissible FAR on payment of charges as fixed by govt. from time to time.
ii. Utilities, Public conveniences shall be provided as per requirement.
iii. Height subject to clearance from Airport Authority of India, ASI, Delhi Fire Service (DFS), other concerned authority and statutory bodies.
iv. The minimum parking as per Transport development control norms shall be earmarked. Wherever parking is provided within the plot / basement and is misused, the same is liable to municipalisation / taken over by the authority. In case of plots less than 300 sq.m. common parking can be provided.
v. 5% extra ground coverage will be provided for stack parking.
vi. In case of plots of size 500sq.m. and above, the utilities such as E.S.S., underground water storage tank, roof top water harvesting system, separate dry and wet dustbins, solar heating / lighting system etc. are to be provided within the plot.
vii. Additional FAR charges, Conversion charges, FAR charges, betterment levies

and other charges will be levied as approved by the Government from time to time.

viii. In case of individual plots not forming part of any comprehensive / integrated development scheme, the development controls shall be as per already approved scheme / layout plan.

22.9.3 Hotels (C3)

A. Use Premise Definition

Table 22. 25 : Use Premise and Definition – Hotels

S. No	Use Premise	Definition
1	Hotel	A premise having minimum 10 lettable rooms for lodging of and boarding of 15 persons or more on short / long term basis. The premise may include Banquet, Conferencing facilities, Swimming pool, Health Club, Discotheque. Hotels having Heritage Classification and those which have classification above 3 star.
2	Budget Hotel	Mid Segment Hotels (i.e. 1-3 stars)
3	Service Apartment	Premise fully furnished, serviced and self-contained with meal preparation and used for short-term or long-term individual, family or corporate accommodation. Premise may also include conference facilities and office space.
4	Motel	A premise providing lodging and free parking facilities, typically aroadside hotel having rooms adjacent to an outside parking area.

B. Permissible Activities

Table 22. 26 : Use Premise and Activities Permitted – Hotels

S. No.	Use Zone / Use Premise / Activities Permitted	C3		
		1	2	3
		Hotels	Budget Hotel	Service Apartment
1.	Service Apartment	□	□	□
2.	Guest Room	□	□	□
3.	Guest Suite	□	□	□
4.	Banquet	□		
5.	Conference Facility			□
6.	Restaurants	□	□	□
7.	Swimming Pool	□		□
8.	Health Club	□		
9.	Food Court	□		
10.	Discotheque	□		
11.	Office	□	□	□

12.	Retail and Service Shop	□		
13.	Dining and related facilities	□	□	
14.	Watch and Ward (upto 20sqm)	□	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 27 : Hotels

S. No	Use Zone	Nos	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max Ground Coverage	FAR	ROW (m) (min)	Height
1	Hotel (including Hotel Plots)		-	40%	a. below 30m ROW - 325 b. 30m and above ROW - 375	12	NR
2	Budget Hotels		1200	50%	100	-	NR
3	Service Apartment		2000	30%	225	18	NR
	Other controls for above (1, 2 and 3) i) Maximum 20% of the FAR can be used for the Commercial offices, Retail & Service shops.						
4	Motels	-		40%	175	30	NR
	i. Maximum 175 FAR shall be permissible on the plot area disclosed in the sanctioned plan as on 07-02-2007 in conformity with Government of India Notification S.O. 550 (E) dated 16-06-1995 and motel guidelines issued by Government of India, MoUD on 04-03-2002. ii. Ground Coverage up to 50% instead of 40% will be permissible to achieve the enhanced FAR at site(s), if there exist any height restriction from Airport Authority of India. iii. Additional FAR Charges, Conversion Charges, Betterment Levy/ External Development Charges etc. shall be payable as decided by the Government from time to time. iv. The motels shall face the road of minimum 30 mts. ROW (if additional land is required for road widening, same to be kept reserved out of the motel area). v. Other norms and permissible activities shall be the same as applicable to hotel use premise. vi. Water, electric supply, sewerage, drainage, traffic circulation, provision of linking road of adequate ROW and other such infrastructure shall have to be provided by the owner at their own cost till the same is made available by the service providing agencies. The Motel owner will have to pay the external development charges including provision of linking road of adequate ROW						

	as demanded by the concerned agencies.

Other applicable conditions:

In addition to specified norms, the following conditions shall be applicable on all commercial plots/ integrated schemes

i. Utilities, Public conveniences shall be provided as per requirement.

ii. Additional FAR charges, Conversion charges, FAR charges, betterment levies and other charges will be levied as approved/prescribed/ notified by the Government from time to time.

iii. Maximum 10% additional ground coverage shall be allowed for atrium. In case the permissible additional ground coverage for atrium is utilised, 25% of the utilized ground coverage shall be counted towards FAR.

iv. In case of revision of building plans to avail additional FAR, hotel can avail additional FAR only if adequate parking provision is made within the plot itself.

v. The norms of 325 FAR below 30m ROW or 375 FAR on 30m ROW or above and 40% ground coverage shall be applicable in respect of all
   a. Hotels including hotel plots in Commercial Centres Community Centre/ District Centre/ Sub-Central Business District/ Sub City Level Commercial Areas and Metropolitan City Centre/Central Business District except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and hotels existing on heritage structures and
   b. Hotel-cum-commercial plots.

   This shall apply to all categories of hotels. The FAR for Commercial Centres and Metropolitan City Centre/Central Business District as well as Hotel-cum-commercial plots where apportionment of FAR shall be as per original lease conditions and shall stand enhanced automatically to that extent, for this purpose only if not available.

vi. In respect of hotels where the building plans stand sanctioned prior to 27.1.2006, parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable only for the additional FAR which will be availed consequent upon amendment to MPD-2021. In respect of hotels where the building plans have been sanctioned on or after 27.1.2006, the parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable to the entire plot.

vii. Sustainable Management of waste in hotels & motels will be responsibility of the owner and net pollution discharge should be zero.

viii. Modern techniques shall have to be adopted in disposal of waste in motels viz. segregation of solid waste into compostable and non-compostable. Compostable waste should be deposited in localized compost pits; non-compostable should be incinerated in incinerators maintained by the motel, subject to pollution control norms.

ix. Revised building plans will be submitted to the local bodies i.e., concerned municipal body/ DDA as the case may be for sanction under building bye laws.

x. Height subject to clearance from Airport Authority of India, ASI, Delhi Fire Service (DFS), other concerned authority and statutory bodies.

xi. The minimum parking as per Clause 22.12.1 shall be earmarked. Wherever parking is provided within the plot / basement and is misused, the same is liable to municipalisation/ taken over by the authority.

22.10 Industries

22.10.1 Planned Industrial Area

A. Use Premise Definition

Table 22. 28 : Use Premise and Definition – Industrial

S. No	Use premise	Definition
1.	Industrial Plot	A premise for industrial activity with non-hazardous, non-polluting activity.
2.	Industrial Flatted	A premise having a group of small industrial units with common services and facilities of non-polluting nature.
3.	Integrated Industrial Area/ Scheme	A premise for industrial activity with non-hazardous, non-polluting activity. It can be mix of plotted or flatted.

B. Permissible Activities

Table 22. 29 : Use Premise and Activities Permitted – Industry

S. No.	Use Zone	M1						
	Use Premise / Activity Permitted	Manufacturing/ Service Industries /Service and Repair						
		Plotted				Flatted		
		Upto 50 sq. m.	Above 50 - 400 sq.m.	Above 400-2000 sq.m.	Above 2000 sq.m.	Min. 400-2000 sq.m.	Above 2000 sq.m. – 20,000	Above 20,000 sq.m.
1	Retail Shop/RepairShop/ Personnel Service Shop			□	□	□	□	□
2	Canteen				□		□	□
3	Warehouse/Storage / Godown related to industrial activity: Upto maximum 10%FAR		□	□	□	□	□	□
4	Offices	□						
5	Watch and ward residence (20 sq.m.).		□	□	□	□	□	□
6	Treatment Plant,ESS			□	□	□	□	□
7	Residential for staff/ worker: upto maximum 10% of FAR				□		□	□

8	R&D Facilities				□		□	□
9	Incubation Centers/ Co-working			□	□	□	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 30 : Industry

S. No.	Use Zone / Use Premise	M1				
		Plot Area (minimum)	**Ground Coverage** (maximum)	**FAR**	**ROW (m)** (minimum)	**Height (m)**
1.	**Industrial Plotted**	Upto 50 sq.m.	100	200	9	8
		Above 50 - 400 sq.m.	60	200	Plots below 100 sq.m.: 9 Plots above 100 sq.m.: 12	15
		Above 400-2000 sq.m.	50	200	12	NR*
		Above 2000 sq.m.	40	200	upto 2 ha: 24 above 2 ha: 30	NR*
2.	**Industrial Flatted**	400-2000	30	200	12	26
		Above 2000-20,000	30	200	24	NR*
		Above 20,000	30	200	30	NR*

*Subject to clearance from AAI / Fire Department and other statutory bodies.
The additional FAR Charges shall be payable as decided by the Government from time to time.

Other Controls:

i. All industries should have provision for separating the solid waste before disposal. No untreated effluent shall be allowed to be discharged. Primary treatment of the effluent shall be done at the plot level as per requirement.
ii. In case of plots upto 60 sq.m., common parking shall be provided whereas for plots above 60 sqm front set back (min. 3 m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
iii. 5% extra ground coverage will be provided for stack parking.
iv. In case of plots of size 500 sq.m. and above, the utilities such as E.S.S., underground water storage tank, roof top water harvesting system, separate dry and wet dustbins, solar heating / lighting system etc. shall be provided within the plot.
v. Service Centres shall be planned as per plotted industrial area norms.

vi. Upto maximum 10% FAR can be used for office in Manufacturing and Service/ Repair
vii. Retail Shop/Repair Shop/ Personnel Service Shop/ Canteen - Upto a maximum 10% FAR or 500 sqm whichever is less.
viii. In order to facilitate start-ups and innovation clusters in industrial areas, co-working spaces shall be permitted on industrial plots up to 10% of the FAR without any use conversion.
ix. Warehousing shall be permitted on plots with direct access from min. 30m RoW.

D. Permissible Uses for Use Conversion in Planned Industrial Areas

Table 22. 31 : Permissible Uses for Use Conversion in Planned Industrial Areas

S. No.	Permissible Use premises as part of modification in layout plan of industrial area/ redevelopment scheme*	Subject to Conditions	
		Min. Plot size (sq.m.)	Min ROW (m)
1	**Commercial Use**		
a.	**Commercial (except Hotel/Cineplex)** **Other Controls** i. Activity permitted shall be as per DCN related to the plot size and ROW	-	24
b.	**Warehouse/ Storage/ Godown** Other Conditions i. Industrial plots are eligible for conversion as per DCN of warehousing ii. Warehouses on plots of 1 ha and above with direct access from 30m RoW shall be permitted to have retail activity up to 50% of the permissible FAR on payment of charges as fixed by govt. from time to time. iii. All loading and unloading facilities are provided within the plot	Min 1000sqm.	30
2	**PSP**		
a.	**Education Facilities:** Research & Development Centres, Institutions, Vocational Training Centre, ITI/ Polytechnic/ Skilling centres, Vocational/ Training Institute, Teacher Training Institute, Management Institute, Coaching Centres, Other training institutes (commercial & secretarial training centre), General Colleges, Professional Colleges, College.	Norms related to plot size as prescribed by PSP DCNs FAR as per original land use	24

c.	**Health Facilities:** **Hospital / Tertiary Health Care Centre (up to 100 beds)** Other Conditions Eligible for conversion within the existing development control norms subject to conditions that number of beds to be accommodated on a plot shall be worked out {@ 80sqm} of gross floor area per bed FAR as per original landuse shall be applicable	Norms related to plot size as prescribed by PSP DCNs	24
d.	**Banquet Hall**	800	24
	subject to specification/ regulations including Fire Norms as may be prescribed. DCN of banquet plot shall be applicable		
e.	Restaurant, Recreational Club, Hostel & Old age home, Community and Recreational hall, Nursing Home & Health Centre are permitted as part of modification in layout plan of industrial area. DCN of respective use shall be applicable	Norms as prescribed by DCNs of original land use	
3	**Group Housing**		
a.	**Group Housing**	3000	24
	i. Eligible for conversion within development control norms of group housing along with incentive 1.5 times FAR of permissible FAR of Group Housing. ii. Required Commercial preferably and PSP activity for residential population, and working space up to 15% of Permissible FAR shall also be allowed.		

Other Controls:

i. There shall be no height restriction subject to clearance from AAI, Delhi Fire Services (DFS) and other statutory bodies.

ii. The industrial use shall be eligible for conversion to other uses within the existing development control norms, subject to payment of conversion charges computed on current market value and cost of parking as decided by the Government from time to time.

iii. Sub-division of larger Industrial plot or amalgamation of Industrial plots will be allowed in existing areas as well as approved schemes/layouts/building plans on these Industrial Plots.

iv. Rain water harvesting preferably with rain water storage for re-use ,STP, dual piping system, use of solar PV shall be provided to minimize the additional burden on infrastructure services

v. These provisions shall not be permitted on non-conforming/ regularized industrial cluster.

vi. The above provisions shall not affect the concerned Supreme Court orders in any manner.

vii. For regeneration of industrial areas, a regeneration plan of min. 4 hectares shall be prepared where minimum plot size eligible for regeneration will be 1000sqm. In such redevelopment relaxation in area upto 5% in lower limit of plot size shall be permitted.

viii. In the redevelopment of industrial plots, 1.5 times of permissible FAR has already been notified in Notification S.O. 683 (E) dated 01.04.2011 regarding Regulations and Guidelines for Existing Planned Industrial Area, therefore, the incentive of 1.5 times of permissible FAR shall be allowed on all permissible

uses on industrial plot.

E. Parameters for Industrial Units in Different Use Zones and Use Premises Permissibility of Industries in Non-Industrial Use Zones

For the industrial classification, the limits of parameters shall be fixed according tothe nature of industries, area and the nature of industrial development.

Table 22. 32 : Parameters for Industrial Units in Non-industrial use zones

S. No	Use Premises	Groups Permitted (Refer Annexure)	Conditions	
			Max. no. of workers	Max. Industrial Power Load (KW)
1	**Residential**			
a.	Plotted housing (Household Industries)	Activities listed in Annexure 5 / (Annexure 12)	9	11
b.	Village Abadi	Activities listed in Annexure5	9	11
2	**Commercial**			
a.	Convenience Shopping Centre, Local Shopping Centre	M1 (Annexure 12)	5	11
b.	Community Centre		9	11
c.	District Centre		19	11
d.	Service Market, Service Centre	(Annexure 12) and (Annexure 13)	--	--
3	**Industrial Use**			
a.	Plotted development	All industries except those prohibited and of Non-polluting & non-hazardous nature,	As per need	As per need
b.	Flatted Industries	All industries except those prohibited, and of Non-polluting& non-hazardous nature, excluding industries producing noise / water / vibrations / odour pollution	**1[**As per need**]**	As per need

Other Controls:

i. Maximum no. of workers shall be as per notification issued by the CompetentAuthority from time to time.

ii. The power requirement for operating pollution control devices and non-manufacturing use shall be over and above the aforesaid permissible load.

22.10.2 New Industrial Areas

i. New industrial activity in the NCT of Delhi should be restricted to hi-tech and service-based industries (Annexure 12). These activities shall be permissible in existing industrial areas subject to the payment of infrastructure upgradation charges to be decided and recovered by concerned Authority / local body.

ii. **Industrial Use Zone - Guidelines**
The subdivision of industrial use zone into use premises and subsequent approval of layout plans for industrial estates shall be governed by the following norms:
a) DE/ DDA shall prepare layout plan/ regeneration plan based on the following options.

Table 22. 33 : Land distribution in New Industrial Area (Integrated Scheme)

Use Premise	Percentage of land
Industrial (Net Area)	50%
Residential*: workers housing	20%
Recreational: Buffer Zone, Parks, Water Bodies, Green under HT lines, internal paved walkways between zones, open air theatre etc.	7%-10%
Other Use permitted: Commercial Shopping Centre, Retail, exhibition space, Guest House / Budget hotels, Lodging and Boarding, Communication, information centres, training centres, R&D facilities, Restaurant etc.	2%-3%
Social and Physical Facilities 1. Public and Semi-Public: Fire Station / Fire Post, Police Station / Police Post, Hospital / Tertiary Health care Centre /Dispensary, ITI / Polytechnic, Dharamshala, Night Shelter, Day Care Centre, Working Men-Women Hostel, etc. 2. Utilities: Electric Sub-Station, CETPs, Pumping Stations, Underground Reservoirs / Fire Fighting Tanks and other utilities, etc. solid waste collection centres, water recycling plants etc.	6%-8%
Transportation: Circulation, Parking, Walking/cycling paths, Goods Vehicle Parking Fuel Station etc.	15%-18%
Total	100

* Regulations for Group Housing shall apply. The housing would be utilised for the workers/employees engaged in the industrial area.

Other controls:

i. For Industrial areas (above 1 ha), additional 15% of permissible residential FAR may be utilised to develop affordable rental housing.Warehousing within the plot in, shall be limited to 10% and shall be provided as incidental storage accruing out of the industrial activity in the respective plot (raw material, finished products, etc., storage)

ii. Parking norms must be applied as per Clause 22.12.1.

Other conditions for approval of layout plans for Industrial Use Zones:

i. All new Industrial Estates/ areas shall have approach from a road of at least 30mROW.
ii. Grease traps should be provided near automobile washing area.
iii. New Industrial areas should be located along major arterial roads. Major infrastructure network like CNG, LPG, oil, optical fibre, electricity, etc. to be madeavailable along this corridor through underground pipelines.
iv. The provision of CETPs, solid waste separation / treatment plants shall be made at the industrial cluster level.
v. Proper disaster arrangements shall be made by the concerned agency.
vi. Landscape plans shall be prepared for the area.
vii. All industries should have provision of separating solid waste before disposal. Provisions for management of e-waste should be made

22.11 Recreational

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 34 Use Premises and Definition – Recreational

S. No.	Use Premise	Definition
1	**Regional Park**	The area comprising of the Northern, central, South Central and Southern Ridge subject to verification by the Forest Department.
2	City Park/ District Park/ Community Park	A park is an area of natural, semi-natural or planted space set aside for human enjoyment and recreation. It may include areas designated for protection/ preservation.
3	Theme Based/Amusement Parks	A large outdoor area usually based on a particular theme/idea featuring various attractions, such as rides, games, as well as other events for entertainment purposes.
4	Multipurpose Ground	An open space for multiple public activities/functionswith recreational facilities.
5	Archaeological Parks	Archaeological Park is an area which combines assets ofheritage value with ecologically sensitive assets.
6	Historical Monuments	Historical complexes identified as having a degree ofhistoric and/ or socio-cultural significance.
7	Biodiversity Parks	These are special parks with unique landscape that serve as nature reserves for the area and harbor of native flora and fauna.
8	Green Buffer	Buffers are green areas/ corridors developed along waterbodies, natural drains, HT Lines, etc.
9	Sports Centre	A premise used for Outdoor and indoor games with pavilion buildings, stadium structure for spectators and related facilities.

B. Permissible Activities

Table 22. 35 Use Premise and Activities Permitted - Regional Park, City Park, District Park, Community Park & Multipurpose Grounds

S. No	Use Zone	P1	P2							RD
	Use	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Premise	Regional	City Par	District	Communi	Theme Based	City	District	Comm	Local Level

	Activities Permitted	Park *	k	Park	ty Park	/ Amusement Parks			unit y	Parks
							Multipurpose Ground			
1	Forests/ Woodlands	□	□	□						
2	Watch and Ward room	□	□	□	□	□	□	□	□	
3	Picnic Huts& grounds	□	□	□	□	□				
4	Bio-diversity Park	□	□	□						
5	Zoological Garden/Bird Sanctuary	□								
6	Botanical Garden/ Arboretum	□	□	□						
7	Local Government Offices (Maintenance)	□	□	□	□	□	□	□		
8	Open Air Theatre/ Amphitheatre	□	□	□		□				
9	Shooting Range	□								
10	Police Post/ Fire Post	□	□	□		□				
11	Orchard	□	□	□		□				
12	Plant Nursery	□	□	□						
13	National Memorial (approved by Cabinet/ Govt. of India)		□	□						
14	Aqua park/water sports park/ Aquarium		□	□		□				
15	Sports activities		□	□						
16	Playground		□	□	□	□	□	□	□	□
17	Recreational Club		□	□		□				
18	Open-air food court		□	□	□	□				
19	Children Park / Children		□	□	□	□				□

	Traffic Park									
20	Specialized Park		□	□		□				
21	Archaeological Park		□	□						
22	Amusement Park/ Theme Park Rides Mechanical +water rides), games, shows,Theme Exhibits etc.		□	□		□				
23	Amenity structures	□	□	□	□	□	□	□	□	
24	Open gyms		□	□	□					
25	restaurant/ Café		□	□		□				
26	Vending booth/ Kiosks/		□	□	□	□	□	□	□	
27	Public meeting ground, Public address podium, Provision for public gathering/ marriage/ Utsav Pandal & other public & social functions etc.						□	□	□	
28	Play area					□	□	□	□	□
29	Public fairground/ Mela						□	□		

Note:

*Approved Farm Houses sanctioned prior to 01.08.90 **[**or subsequently if approved by **[**concerned municipal body**]**, as per the policy applicable for regularization of the existing farm houses subject to necessary clearances from the Central Empowered Committee of Supreme Court and the Ridge Management Board of GNCTD are allowed.**]**

Table 22. 36 Use Premise and Activities Permitted - Archaeological Park, BiodiversityPark & Green buffer

S.	Use Zone	P3	P4

No	Use Premise	10	11	12	13
	Activities Permitted	Archaeological Parks	Historical Monuments	Biodiversity Park	Green Buffer
1	Public festivals/exhibitions (TemporaryStructures)	□	□		□
2	Cycling & walkingtracks	□	□	□	□
3	Interpretation/ Visitor centres	□	□	□	
4	Restaurants / Food courts	□	□	□	
5	Orchards/ Arboretums, greenhouses, gardening clubs, community vegetable gardens & plant nurseries, etc.	□		□	□
6	Specialized Parks (Butterfly Parks, Fernarium etc.)/ Facilities for Flora & Fauna			□	□
7	Open Air-Theatre			□	□
8	Amenity Structures*	□	□	□	□
9	Scientific Laboratories			□	
10	Administrative Office	□	□	□	
11	Camping Site			□	□
12	Wetlands & marshes for water-based ecologies			□	□
13	Active public use; parks, yoga spaces, active sports (without formal seating) & boating				□
14	Kiosks	□	□	□	□

Note:
* Amenity structure includes toilet blocks, pump room, electric room, guard room, storeroom and equipment room. These shall be permissible in all parks except at local level.

Table 22. 37 Use Premise and Activities Permitted - Sports Facilities

S. No	Use Zone	P5 (Sports Facilities)			RD
	Use Premise	14	15	16	17
	Activities Permitted	City Level sports: Divisional Sports Centre	District Sports Centre	Community sports Centre	Local Level Play Area
1	Multiuse Stadium (Seating capacity 15,000)	□			
2	Stadium	□	□		

3	**Aquatic centre** (covered or otherwise with full size competition pool, a training / lap pool, diving pool which can also be used for Water Polo and Synchronized swimming as well as other aquatic recreational facilities like waterslides, wave pool, hydrotherapy pool, Akhara etc.)	□			
4	**Multipurpose hall (Seating capacity 4,000)** [for Exhibitions, Trade Shows, Banquets, Multiple sports & related and socio-cultural events	□			
5	Sports facilities (outdoor and indoor)	□	□	□	
6	Sports academy/ Sports Training Centre	□	□		
7	Sports Medicine Centre	□	□	□	
8	Swimming pool	□	□	□	
9	support infrastructure; storage space /spaces for facilities like changing rooms,multi-gym, etc.	□	□	□	□
10	Shop*	□	□	□	
11	Restaurant/ cafeteria*	□	□	□	
12	Bank extension (counter)*	□	□	□	
13	Office (departmental)*	□	□	□	
14	Hostel / Residential Accommodation for sports persons/ players, Plotted Housing (maintenance & management staff): Min. 5% of total FAR	□	□		
15	Police Post, Fire Post, Digital Infrastructure Kiosks	□	□	□	
16	Children's corner	□	□	□	□
17	Playground	□	□	□	□
18	Watch & Ward Residence.	□	□	□	

Note:

*S. no 10 to 13 Activities all together are permitted for Max 5% of total FAR.

C. Development Control Norms

Table 22. 38 Recreational

	Use	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/	Max. Ground	FAR	Min	Height(m)

S. No	Premise		unit	Coverage (%)		ROW (m)	
LOCAL LEVEL Population upto 10000							
1	**Tot lot**	40	125	--	--	--	--
2	**Housing area park**	2	5000	--	--	--	--
3	**Housing**	2	5000			--	NR*
	Area Playground		(0.5 ha)				
4	**Local level Park**	1	10,000 (1 ha)	--	--	--	--
5	**Local level Play area**	1	5000-10,000 (0.5 to 1 ha)	2 %	4	--	NR*

** Subject to clearance from AAI, Fire Department and other statutory bodies.*

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverage (%)	FAR	Min ROW (m)	Height (m)
COMMUNITY LEVEL Population upto 100,000							
1	**Community Park**	1	35000sq.m (3.5 ha)	--	---	18	Maximum permissible height for all types of habitable built structures is 4.8 m
Other Controls: i. All permissible permanent built structures in the park shall not exceed 0.5% ofthe park area or 100 sq.m. whichever is lesser. ii. 20% of the area shall be developed as dense plantation.							
2	**Community Multipurpose ground**	1	20,000sq.m(2 ha)	NA*	NA**	18	Maximum permissible height for all types of habitable built structures is 4.8 m
Other Controls: i. * Minimum 50% of total area shall be under soft parking and remaining 50%shall be utilized for activities. ii. **All permanent built structures within the multipurpose grounds, shall notexceed 1% of the plot area or 500 sq.m. Whichever is less.							
3	**Community sports Centre**	1	1 ha to 3 ha	20%	40	24	NR*
Other Controls: **Maximum 5% of FAR is permitted for the following:** i. Shop,							

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverage (%)	FAR	Min ROW (m)	Height (m)
COMMUNITY LEVEL Population upto 100,000							
ii. Restaurant, iii. Bankextension (counter), iv. Office (departmental), v. Police Post, Fire Post, vi. Digital Infrastructure Kiosks. ** Subject to clearance from AAI, Fire Department and other statutory bodies.*							

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverage (%)	FAR	Min. RoW (m)	Height (m)
SUB-CITY LEVEL Population 5,00,000							
1	**District Park**	1	2,50,000 sq.m (25 ha)	--	NA**	30	Maximum permissible height for all types of habitablebuilt structures is 4.8 m
Other Controls: i. Following norms shall be applicable for built structures within District park thathave an area more than 25 ha. a. Area of the restaurant plot shall not be more than 0.8 Ha or 1% of the DistrictPark, whichever is less. b. Restaurant plot shall have no physical segregation from the rest of the DistrictPark area. c. The building shall be a single storey structure with max. FAR of 5 and height notmore than 4m. without any residential facility and to harmonize with the surroundings. d. In case there is no parking lot in the vicinity, parking should be provided at a reasonable distance from the restaurants. Parking area should not form part ofthe restaurant complex / greens. e. 30% of the area shall be developed as dense plantation. ii.							
2	**District Multipurpose Ground**	1	40000sq. m (4 ha)	NA*	NA**	24	Maximum permissible height for all types of habitablebuilt structures is 4.8 m
Other Controls: i. **All permanent built structures within the multipurpose grounds, shall not							

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverage (%)	FAR	Min. RoW (m)	Height (m)

SUB-CITY LEVEL Population 5,00,000							
exceed 1% of the plot area or 500 sq.m. whichever is lesser. ii. * Minimum 50% of total area shall be under Soft Parking and remaining 50%shall be utilized for activities.							
3	**District Sports Centre**	1	3 ha to 10ha	20%	40	24	NR*
Other Controls: **Maximum 20% of FAR** a. Max. 5% for- i. Shop, ii. Restaurant, iii. Bank extension (counter), iv. Office (departmental). b. Min. 5% for- i. Hostel/ Residential Accommodation (for sports persons/ players), ii. Plotted Housing (maintenance and management staff), iii. Police Post/Fire Post, iv. Digital Infrastructure Kiosks. ** Subject to clearance from AAI, Fire Department and other statutory bodies.*							

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area / unit	Max. Ground Coverage	FAR	Min. Ro W (m)	Height(m)
CITY LEVEL Population Above 20,00,000							
1	**Regional Park**	---	NA	NA*	---	NA	Maximum permissible height for all types of habitable built structures is 4.8 m
Other Controls: i. The built structure shall include, provision of security cabins at the entrances to such sites, and 2 (two) toilets per sq.km. in the areas identified as recreational zones/ accessible zones with approval by concerned agencies. ii. Paved surfaces shall be restricted to a maximum of 0.1% of the area of a site. Wherever possible, only pervious material shall be used for paving. ***Note:*** **Any development in forest land falling within the Regional Park shall be in accordance to the							

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area / unit	Max. Ground Coverage	FAR	Min. Ro W (m)	Height(m)
CITY LEVEL							

Population Above 20,00,000							
Forest Department.							
2	**City Park**	1 @10,00,000 population	40 ha	-	NA**	30	Maximum permissible height for all types of habitable built structures is 4.8 m
Other Controls: i. Following norms shall be applicable for built structures within City park having anarea of more than 80 ha: • As regards permissible activities, norms for district park shall be applicable • Parking area for such activities should not form part of the built complex /greens. ii. 30% of the plot area shall be developed as dense vegetation.							
3	**City Multipurpose Ground**	1 @10,00,000 population	80,000 sq.m (8 ha)	NA*	NA**	30	Maximum permissible height for all types of habitable built structures is 4.8 m
Other Controls: i. ** All permanent built structures within the multipurpose grounds, shall notexceed 1% of the plot area or 500 sq.m. whichever is lesser. ii. * Minimum 50% of total area shall be under Soft Parking and remaining 50% shallbe utilized for activities.							
4	**Theme Based/ Amusement Parks**	---	Up to 10 ha	Upto 10%	60	30	12
5	**Archaeological Parks**	---	NA	0.5%*	---	18	Maximum permissible height is 6m subject to permission from competent authorities.
Other Controls: i. *Maximum built area for permanent structures shall not be more than 0.5% of the							

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area / unit	Max. Ground Coverage	FAR	Min. Ro W (m)	Height(m)
CITY LEVEL Population Above 20,00,000							
area of the park or 10,000 sq.m., whichever is less. ii. This built area computation shall exclude any heritage assets identified for adaptivereuse. iii. The built area shall be as per applicable statutory provisions including the Acts andRules governing heritage assets. iv. Design and height of structures shall not obstruct views of the heritage assets andshall be approved by the Competent Authority. v. Public art and installations shall not be considered a part of built area. vi. Cycle tracks, local walkways and desire lines of access through the park shall bemaintained and kept open to public during fixed hours.							
6	**Biodiversity Parks**	---	NA	0.5%*	---	---	2 storeys Max. 12 m for sloping roof structures.

Other Controls:

i. *Maximum permissible area of built structures shall be 0.5% of park area or10000 sq.m., whichever is less.

ii. Building within the Bio-diversity parks should meet “green building” criteria(Griha 4 star rating).

7	**Green Buffer**	---	NA	0.5%*	---	NA	4.8m**

Controls for built structures:

i. *Maximum built area for permanent structures shall not be more than 0.5% of thearea of the site.

ii. ** Maximum height of the permanent structures shall be 4.8m., except as prescribedby AAI, HCC, DUAC, DTL.

iii. Where any projects for buffer development include heritage assets, the built area shall be as per applicable statutory provisions including the Acts and Rules governing heritage assets.

iv. Maximum ancillary permissible is 20% of total built up –museums and information centers, restaurants, cafes (applicable on minimum consolidated area of 1 ha).

Other Controls:

i. Cycle tracks, local walkways and desire lines of access through the site shall bemaintained and kept open to public during fixed hours.

ii. Wherever possible, new developments along the edge of such sites shall face thesites. Compound walls shall be transparent above a height of 1m. The green buffer should be kept maintained, free from all encumbrances and open to public.

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area / unit	Max. Ground Coverage	FAR	Min. Ro W (m)	Height(m)
CITY LEVEL Population Above 20,00,000							
8	**City Level sports: Divisional Sports Centre**	1 @10,00,000 population	1,00,000 sq.m (10 ha)	20%	40	30	NR*

Other Controls:

Maximum 20% of total FAR

a. Max. 5%
   i. Shop,
   ii. Restaurant,
   iii. Bank extension (counter),
   iv. Office (departmental).

a. Min. 5% for
   i. Hostel / Residential Accommodation (for sports persons/ players),
   ii. Plotted Housing (maintenance and management staff),
   iii. Police Post/Fire Post,
   iv. Digital Infrastructure Kiosks.

*Subject to clearance from AAI, Fire Dept. and other statutory bodies.

Other Controls for Recreational Areas:

i. In all new projects located along drains or water bodies (above 1 ha) shall maintain a minimum mandatory buffer of 10m from the edge of the water bodies/drains wherever feasible.

ii. All permanent and temporary construction shall be made inclusive for all and accommodate the needs of persons with disabilities.

iii. All habitable built structures shall not exceed 4.8m unless otherwise specified such as in case of Biodiversity parks etc.

iv. Recreational activities in Yamuna Flood Plain shall be permitted as identified as Yamuna Comprehensive Plan developed by DDA (ref: ENV:2). The norms for built structures developed in these zones shall be as follows:

a. Maximum built area for all such structures shall not be more than 0.5% of the area of the plot or 10,000 sq.m. whichever is less.

v. **For Parks and Multipurpose grounds**:

a. Paved surfaces shall not exceed 1% of the total park area.

b. Any park currently operating/serving as District park or City park, shall continue to fall in the same nomenclature.

c. Minimum 50% of total area shall be under Soft Parking and remaining 50% shall be utilized for activities.

d. Minimum 3% of the remaining area (excluding Soft Parking area) shall be utilized for Electric Sub Station, Toilets, Security and other marriage related activities etc.

e. Multipurpose Ground can be sub-divided suitably with minimum of 0.5 ha of plot area to accommodate number of functions at one time.

f. All park / multipurpose grounds (5 to 10%) shall have provisions for rainwater harvesting.

g. Neighbourhood park, housing park, neighbourhood playground, housing playground and tot lots shall be a part of gross residential area.

h. Maximum permissible height for all types of habitable built structures is 4.8 m (unless otherwise specified). Pneumatic structures and kinetic facades (as per international standards), temporary structures, iconic structures, sculptures and installations, architectural features, that are non-habitable shall be free of FAR and no height restrictions shall be applicable on these, with approval from Authority. For archaeological parks, necessary permissions shall be taken from approval authorities.

i. Amenity structure includes toilet blocks, pump room, electric room, guard room, store room and equipment room. These shall be permissible in all parks except at local level.

j. Parks that have been identified as flood sink areas shall not have any permanent construction.

k. Multi-gyms shall be permissible in parks having an area of 1 ha and would have built-up area of min. 225 sq.m. and not more than 500 sq.m.

l. Informal shops shall be permitted at the entry of these parks as follows:
   - City/ District park: 8-10 at major entries
   - Community parks: 2-5 at major entries
   - Multipurpose grounds: 2-5 at major entries

m. Development of parks and green corridors along the Nallahs should incorporate conservation of ground water and water bodies. To recharge the ground water, conservation of water bodies and rainwater shall be essential. The area near Najafgarh Jheel and its surroundings and the Ridge can also be used as potential water conservation area.

vi. **Sports Facilities:**

a. New play fields shall be preferably provided / developed in the vicinity of educational institutions and landscape areas.

b. To incentivize development of sports facilities and swimming pool (maximum 100 sq.m.) within the group housing areas, schools, clubs, etc. shall not be counted towards ground coverage and FAR.

c. All these various sports facilities shall have layout plan, landscape plan, and parking plan, etc.
d. The playground and sports facilities should be accessible by a network of pedestrian and cycle tracks wherever feasible.
e. The sports facilities shall be developed according to proper layout plan and landscape plan with adequate parking facility.
f. The existing sports infrastructure shall be upgraded and efficiently re-planned toprovide better facilities.
g. Multi-gyms would be permissible in parks having an area of one ha. and would have built up area upto 225 sq.m.

22.12 Transport

A. Development Control Norms

Table 22. 39 - Transport

S. No.	Use Premise	Development Controls^					
		Plot Area (minimum)	**Area under Operation (%)** (Maximum)	**Area under Building (%)** (Maximum)	**FAR***	**FAR for passenger/ staff accommodation (%)** (maximum)	**RoW** (m)**
1.	**Airport**	As per norms of Airport Authority of India (AAI)					
2.	**Rail Terminal/ Integrated Passenger Terminals**	-NA-	70	30	100	15	-NA-
3.	**ISBT**	10 Ha.	60	40	100	30	45
4.	**Bus Depot**	0.4 Ha	50	50	100	25	24
5.	**Multi-level parking for public buses**	2 Ha	100	50	100	25	24
6.	**Bus Terminal**	0.1 Ha (Community level)	50	50	100	25	18
		0.2 Ha (Sub-City Level)	50	50	100	25	18
7.	**Property Developmentfor Metro Stations**	Upto 3Ha	As per requirement	25	100	-NA-	-NA-
8.	**Metro/ RRTS Yards**	-NA-	80%	20%	100	15%	-NA-
9.	**Multi-level parking**	0.1 Ha	-NA-	66.6%	100	-NA-	18

10.	**Fuel stations**	30m X 36m (Minimum) 33m X 45m (Maximum)	80	20	40	-NA-	30

^ To be read along with 'Other Controls' mentioned below.
* FAR is to be calculated and utilised only on the Building Plot. Area under Bus Shelternot to be included in FAR.
** All existing Use premise shall continue to function.

Other Controls:

i. **Airport**:
   a. Activities Permitted: All facilities related to Airport / Aviation Passengersas decided by AAI.

ii. **Rail Terminal/ Integrated Passenger Terminals/ Metropolitan Passenger Terminal:**
   a. Activities Permitted: All facilities related to Railway operations, Passengers, Goods handling, watch & ward, Hotel, Night Shelter.
   b. Only identified Rail Terminal/ Integrated Passenger Terminal/ Multi-Modal Transport Hub to be developed as per TOD norms subject to traffic and transportation studies related to surrounding road network.

iii. **ISBT:**
   a. Activities Permitted: All facilities related to Bus operations & Passengers, Bus Terminal, parking, watch & ward, Soft Drink & Snack Stall, Offices, Hotel, Night Shelter, Commercial, Social infrastructure, Residential, Service Apartments, hostels.
   b. FAR shall be available on a maximum area of 10 Ha. or area of the site whichever is less. ISBT including operational structures have maximum FAR of 70 and Hotel/ Passenger accommodation & facilities have maximumFAR of 30.
   c. Parking: In addition to the requirement of parking for ISBT/ buses, parking for Hotel/ passenger accommodation and facilities shall be at the rate of 2 ECS per 100 sq.m. of floor area.
   d. The development shall be undertaken in a composite manner.
   e. ISBT only if identified as TOD node to be developed as per TOD norms subject to traffic and transportation studies related to surrounding road network.

iv. **Bus Depot:**
   a. Activities Permitted: All facilities related to Bus operations & Passengers, Bus Terminal, parking, watch & ward, Soft Drink & Snack Stall, Offices, Hotel, Commercial, Social infrastructure, Residential, Service Apartments, hostels.
   b. Area of Bus depots at sub-city level shall be as per the requirement.
   c. As far as possible, bus depots must function as Bus Terminals.
   d. Bus depot site identified as TOD node to be developed as per TOD norms subject to traffic and transportation studies related to surrounding road network.

v. **Multi-level parking for public buses:**
   a. Multilevel bus parking is permitted in all Use Zones except RecreationalOpen Space and environmentally sensitive areas.
   b. The site must accommodate at least the required number of bus

parking space on site at the rate of minimum 1 bus per 70 sq.m.

c. A FAR of 100 is permissible over 50% of plot area. Norms of podium-based building shall be applicable.

d. Operational structures and circulation areas may cover 100% of the plot area and shall not be counted towards FAR.

e. The maximum height shall be as per local constraints like flight paths, heritage zones etc.

f. There will be no restriction on the number of levels of basement subject to structural safety.

g. In case of integrated schemes, development controls including height shall be asper approved scheme or as per local restrictions if any.

vi. Bus Terminal:

a. Activities Permitted: All facilities related to Bus operations & Passengers, Soft Drink & Snack Stall.

vii. Property Development for Metro Stations:

a. Metro Stations along with property development (composite development) up to a maximum area of 3.0 Ha shall be permitted in all Use Zones, except in Recreational and Regional Park/ Ridge Use Zone, Lutyens' Bungalow Zone and Heritage Zones subject to approval from Technical Committee of DDA.

b. This enabling provision of property development would have the following broad development controls:

1. 25% ground coverage and 100 FAR, including area under Metro Station with no height restrictions and subject to approval of the statutory bodies such as ASI, Airport Authority, DUAC etc.
2. In addition to the requirement of parking for Metro Stations, parking for the commercial component will be @ 2 ECS per 100 sq.m.
3. The development shall be undertaken in a composite manner and DMRC shall obtain approval of all the concerned local bodies/ agencies.

c. Metro site identified as TOD node to be developed as per TOD norms subject to traffic and transportation studies related to surrounding road network.

d. The following structures shall be treated as operational structures:

1. All Metro Stations and tracks supporting at grade, elevated and underground including entry structures, ancillary buildings to house DG sets, chilling plants and electric substation, supply exhaust and tunnel ventilation shafts etc.
2. Depots and maintenance workshops.
3. Traction sub-stations.
4. Operational Control Centres.
5. Police Station.
6. Recruitment and Training Centres for operational and maintenance staff.
7. Housing for operational staff and Metro security personnel only.
8. Rehabilitation work to be undertaken for the construction of Metro Project.
9. Shops in Metro Stations to cater to the public amenities.
10. Structures above platform over the foot print of the Metro Stations.

viii. Metro/ RRTS Yards:

a. Activities Permitted: Idle parking of coaches, washing and cleaning facilities, maintenance related facilities, watch & ward and staff related facilities.

ix. Multi-level parking:

For plots for Multi-Level Car Parking (MLCP) already earmarked / designated by local odies, the existing development control norms will continue, as follows:

a. Minimum Plot Size – 1000 sqm.

b.

Plot size	FAR
Upto 3000 sqm	100
Above 3000-10000 sqm	100 FAR up to 3000 sqm + additional 60 FAR on balance land.
Above 10000 sqm	100 FAR up to 3000 sqm + additional 60 FAR up to 10000 sqm + additional 50 FAR on balance land.

Maximum FAR permissible (excluding parking area)

c. Maximum Ground coverage - 66.6%.

d. MLCP plots shall be located on roads with RoW of 12 m and above, subject to feasibility report from a competent agency and NOC from Traffic Police and other statutory bodies.

e. Remunerative uses i.e. activities permitted in Local Shopping Centre, Public and Semi Public uses and Residential use except Banqueting and multiplexes

f. Parking to be provided for remunerative use, shall be @ 3 ECS/100 sqm. and 3 times additional ECS for MLCP component.

g. The height shall not be restricted, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies.

h. A single agency shall be responsible for management of the MLCP and the On-street parking up to a distance of minimum 500 m along the road from the MLCP site.

i. Suitable measures have to be taken by the Management Agency to discourage on-street parking around the MLCPs by means of increased parking charges (at least 3 times that of MLCP) and other measures.

j. MLCP plots forming part of comprehensive schemes, shall be governed by the development control norms of the approved scheme.

k. Metro deduction shall not be applicable.

l. For all the MLCP sites beyond 3000 sqm Traffic Impact Assessment (TIA) and Traffic Management Plan (TMA) studies are mandatory.

In case of MLCP plots which do not completely get covered by these norms shall be put up for approval of authority for appropriate decision.

x. Fuel stations:

a. CNG stations may be permitted in all use zones except in 'Regional Park/ Ridge', developed district parks and Zone 'O'. Petrol pumps are permissible in all use zones except in Zone 'O' and recreational use zone.

b. Fuel Stations are permissible on Master Plan / Zonal Plan roads and shall not be permitted in absence of an approved Zonal Plan of the area.

c. The regulations for locating the fuel stations-cum-service stations, the development control and permissibility shall be governed by the policy / decision by competent Authority / Government Notifications issued from time to time.

d. Fuel stations shall be regulated by the following controls:

1. Fuel stations shall be located on roads of minimum 24m ROW.
2. The plot size for fuel stations shall be minimum of 30m X 36m and maximum of 33m X 45m (75m X 40m for CNG mother station as per requirement).
3. The minimum distance of plot from the ROW line of road intersections shall be as follows:
   - For minor roads having less than 30m ROW - 50m
   - For roads of ROW 30m or more- 100m
   - Frontage of plots should not be less than 30m.

e. Maximum Height: 6m

f. Canopy: equivalent to ground coverage within set back.

g. Maximum 10 FAR permissible for non-inflammable, non-hazardous commercial activities subject to payment of conversion charges/ levies as may be prescribed by the government from time to time.

h. In case of existing petrol pumps the provision of maximum 10 FAR for commercial activity would be permissible only to those fuel stations / petrol pumps which conform to the controls given in d) i, ii, and iii above subject to payment of appropriate fees/ levies/ misuse, penalty and other charges.

i. Dispensing capacity of CNG stations should be substantially increased to cater to the increasing demand from all types of CNG vehicles.

j. At the time of preparation of layout plans of various use zones namely viz. residential, commercial, industrial, PSP facilities and other areas, the location of Fuel Stations should be provided as per the following norms:

Table 22. 40 Fuel station norms

S. No	Land Use/Use Premises	Norms
1.	Residential Use Zone	Two Fuel Stations (One Petrol Pump +One CNG station) per 150 ha. of gross residential area
2.	Industrial Use Zone	Two Fuel Stations (One Petrol Pump +One CNG station) per 40 ha. of gross industrial area
3.	Freight Complexes	Four Fuel Stations (Two Petrol Pumps + Two CNG stations) in each
4.	District Centres	Four Fuel Stations (Two Petrol Pumps + Two CNG stations) in each districtcentre
5.	Community Centre	Two Fuel Stations (One Petrol Pump + One CNG station) in each
6.	Public & Semi-Public usezone	Two Fuel Stations (One Petrol Pump +One CNG station) in each PSP area.
7.	Security Forces Campus / Police / Hospitals / Tertiary Health Care Centres / Govt.	For captive use / as per requirement.

k. Electric charging stations shall be permitted as an integrated installation within fuel stations, wherever feasible.

22.12.1 Parking Standards

i. Parking standards have been prescribed in each use premise. However, wherever it is not prescribed, it will be followed as given as below:

Table 22. 41 General Parking Standards

S. No.	Use Premises	Permissible Equivalent Car Spaces (ECS) per 100sq. m. of built up area*
1.	Residential	Refer table 22.45
2.	Commercial	Refer table 22.45
3.	Industrial	Refer table 22.45
4.	Government	Refer table 22.45
5.	Public and semi-public facilities	Refer table 22.45

Note:

a. Additional parking may be created only as paid, shared parking facilities accessible to public at all times.

b. In case of integrated schemes with multiple use premise, parking norms may be rationalized proportionately to each use unless otherwise specified (for e.g. in TOD Schemes). This shall be subject to approval of Technical Committee of DDA.

ii. For the provision of parking spaces, the space standards shall be as given in the Tablebelow.

Table 22. 42 Space Standards for Car Parking

S. No.	Type of Parking	Area per ECS (sq. m.)
1.	Open	23
2.	Ground floor covered	28
3.	Basement	32
4.	Multi-level with ramps	30
5.	Automated multilevel withlifts	16

iii. In the use premises, parking on the above standards shall be provided within the plot.

iv. In cases, where the building (except hotel) with sanctioned plan is existing/ under construction and where building plans stand sanctioned as per MPD-2021, the parking is to be provided for additional FAR availed, as per the parking standards prescribed in MPD- 2041.

v. Parking is one of the activities permitted in all use zones except in regional park / ridge, Recreational Open Space and parks as per the approved Zonal Plan/ layout plan.

vi. The standards given in Equivalent Car Space (ECS) shall include parking for all types of vehicles i.e. cars, scooters, cycles, light and heavy commercial vehicles, buses etc. Parking adequacy statement / study for large projects like Stadia, Shopping Malls, Multiplexes will be desirable. Mode-wise parking spaces are to be marked on drawings to be submitted for approval.

Table 22. 43 Indicative On-site Parking (ECS) Requirements for projects*

Mode	ECS Standardby mode	Area including circulation(sq. m.)	Distribution bymode – per 1 ECS	Distribution bymode – per 1 ECS (TOD Scheme)
Cars/ Taxis	1.00	23.00	0.60	0.60
2 Wheelers	0.25	5.75	0.25	0.10
Cycles	0.10	2.30	0.05	0.10

Buses/ Shared Vans	3.50	80.50	0.05	0.10
Commercial vehicles	3.50	80.50	0.05	0.10
		Total	**1.00 ECS**	**1.00 ECS**

**The above figures are indicative and may be customized on case-to-case basis. However, minimum proportion of cycle parking is mandatory.*

vii. Based on the outcome of the study of Public Transport Accessibility Level (PTAL) value, parking norms shall be reduced by the following deductions:

Table 22. 44 PTAL Deduction in Parking Norms

PTAL Level	Access Index Range		% Deduction in Parking norms			
			Residential	Commercial	Industrial	PSPs*
0		0 - 2	0	0	0	0
1		2 -3	0	0	0	0
2		3 - 5.5	10	5	5	10
3		5.5 - 7	20	10	10	20
4		7 - 8.5	20	20	20	20
5		8.5 - 12	20	20	20	30
6		12 - 20	20	30	30	30
7		20 - 30	30	30	30	30
8		30 and above	30	30	30	30

viii. **MLCP deduction:** If any Multi-level Car Parking (MLCP) is located within 500 m radius of any property, the parking requirement within that property shall be reduced by 10 percent. MLCP deduction shall not be applicable on Residential Use/Premise.

ix. **ECS norms for all use premise shall be as per the table below.** The PTAL and MLCP deduction shall be applicable on these parking norms provisions.

Table 22. 45 Parking Norms

Use Zones	Parking Provisions*	Deductions	
		PTAL	MLCP
Residential Premises			
Group Housing	• EWS/ Service Personnel Housing DU size: less than 40 sqm- Parking @ 0.5 ECS per DU* • DU size: 40sqm to 100 sqm: Parking	P	NP

Use Zones	Parking Provisions*	Deductions	
		PTAL	MLCP
	@1.0 ECS per DU* • DU Size: 100 sqm to 200 sqm: Parking@2.0 ECS per DU* • DU Size: above 200 sqm: Parking @ 2.0 ECS per DU* and additional 1.0 ECSper 100 sqm or part thereof. ** DU size: Plinth Area* **In case of Government Housing Projects, the parking norms shall be as per the applicable norms adoptedin case**		

	of GPRA Colonies.		
Studio Apartment	• 1.0 ECS/100m2 of Built-up area • Basement, if constructed, and used only for parking, utilities and servicesshall not be counted towards FAR.	P	NP
Plotted housing	• 2 Equivalent Car Space (ECS) in plotsof size 250-300 sq.m.	NP	NP
	• 1 ECS for every 100 sq.m. built up area, in plots exceeding 300 sq.m., provided that, if the permissible coverage and FAR is not achieved with the above-mentioned parking norms in a plot, the parking norms of the preceding category shall be allowed.	NP	NP
Hostel/ Dharamshala or its equivalent / Guest House / Lodging & Boarding House/ Sarai	• 0.5 ECS/100m2 of Built-up area • These norms shall not be applicable for Guest House under Mixed Use Regulations	P	NP
Low Density Residential Plot (LDRP)	• For plots 0.4 to 2 Ha, minimum 50% of plot area be left for soft parkingand landscaping. • For plots more than 2 Ha located on roads of minimum width18m, minimum 50% of the plot area be left for soft parking, maximum 25% of theplot area for landscaping and max. 25% plot area for functions/ building purposes.	NP	NP
State Bhawan/ State Guest House	1.0 ECS/100m2 of Built-up area	NP	NP
Affordable Public Rental Housing (APRH)/ Affordable Rental Housing Complex (ARHC)	0.5 ECS/100 sqm built up area	P	NP
Slum Rehabilitation Scheme	• Residential component at 0.5 ECS per 100 sq.m. of built-up area which can be relaxed wherever required. • Parking for remunerative purposes shall be as applicable for the relevant land use.	P	NP

Use Zones	**Parking Provisions***	**Deductions**	
		PTAL	**MLCP**
Night Shelter	• No mandatory parking is to beprovided	NP	NP
Foreign Mission	--	NP	NP
Economy - Industry, Trade and Commerce			
Convenience Shopping Centre / Local Shopping Centre / Local Level Commercial areas	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Service Market	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Community Centre / Non-hierarchical Commercial Centre	3.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
District Centre/ Sub-Central Business District / Sub- City Level Commercial areas	3.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Commercial Plot: Retail & Commerce Metropolitan City Centre i.e. Connaught Place & its Extension, Fire Brigade Lane and Janpath Lane	3.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P

Any other Commercial Centre, including i. Commercial component within/along with Railway / MRTS Stations / ISBT ii. Asaf Ali Road (the area shown as commercial strip in Delhi Gate – Ajmeri Gate scheme)	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Integrated Freight Complex/ Wholesale Market	3.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Godown Plot	Common parking to be provided in case of plots upto 300 sq.m 3 ECS / 100 sq.m. of floor area for plots above 300 sq.m.	P	P
Hotel	• 2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area • In respect of hotels where the building plans stand sanctioned prior to 27.1.2006, parking standard of 3 ECS for 100 sqm of built-up area shall be applicable only for the additional FAR which will be availed consequent upon amendment to MPD-2021. In respect of hotels where the building plans have been sanctioned on or after 27.1.2006, the parking standard of 3 ECS for 100 sqm of built-up area shall be applicable to the entire plot.	P	NP
Service Apartment	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	NP
Motel	• 3.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area • All guest parking must be catered to within the motel premises themselves.	P	P
Manufacturing, Service and Repair Industry	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P

Use Zones	**Parking Provisions***	**Deductions**	
		PTAL	**MLCP**
District Court	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Integrated Office Complex, Government offices (Central / State Government / Local Bodies)	1.0 ECS / 100 sq.m of built-up area.	P	P
Social Infrastructure			
Play School, Coaching Centre, Computer-Training Institute, Physical Education Centre etc.	1.33 ECS / 100 sq.m of built-up area.	P	P
Nursery School	1.33 ECS / 100 sq m of built-up area.	NP	NP
Primary School	1.33 ECS / 100 sq.m. of built-up area	NP	NP
Senior Secondary Schools, , Integrated School	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	NP	NP
Schools for mentally challenged, schools for differently abled persons	1.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area (new)	NP	NP
Research & Development Centres	1.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P

Institutions, Forensic Science Laboratory	1.33 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Vocational Training Centre, ITI/Polytechnic/ skill centres, Management Institute, Coaching Centre, training Institutes, etc	1.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
General Colleges, Professional Colleges, etc	1.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
University Campus	1.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Dispensary, clinics, diagnostic facility, Maternity home, Nursing home, Hospitals, Tertiary health centre, etc.	2.0 ECS/ 100 sqm of built-up area.	P	NP
Paramedic Institute	1.0 ECS/ 100 sqm of built-up area.	P	P
Govt. Hospitals, Medical college	1.0 ECS/ 100 sqm of built-up area	P	P
Dispensary for pet animals and birds Veterinary Hospital for pet animals and birds	1.0 ECS/ 100 sqm of built-up area.	NP	NP
Veterinary Institute	1.0 ECS / 100 sq.m. of Admin. Built-up area	NP	NP
Multi-facility Plot	1.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	NP
Old Age Home/ Adult Education Centre/Orphanage/Children's Centre	1.8 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Residential Care Centre for differently abled persons/Mentally challenged	1.8 ECS / 100 sq.m. of built-up area	NP	NP
Large religious centre	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Banquet Hall	6.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	NP	NP
Fitness centre	3.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	NP	NP
Multipurpose Community Hall, Socio-cultural Institute, Cultural and Information Centre	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Recreation Club, Convention	2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	NP	P

Use Zones	Parking Provisions*	Deductions	
		PTAL	MLCP
facilities, Museum, Public/ other Library			
Socio-cultural centre, Science Centre, Planetarium, Exhibition-cum-Fair Ground, International Convention Centre, etc	• Subject to statutory clearances • 2.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Police Outpost	1.33 ECS / 100 sq.m. of built-up area	NP	NP
Police Post/station, Fire Post/station, Police Line, District Police office, District Disaster Management, District Jail, Police / Fire Training Institute/college, Police Camp, Security Camps, Disaster Management centre, Security Establishment	2 ECS / 100 sq.m. of built-up area		P
Head Post Office, Telecom facilities, Digital infrastructure facilities	1.33 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Media/ Radio services, satellite & Telecommunication centre,	1.33 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P

Observatory & Weather Office, Media & news agency, Digital infrastructure facilities			
Green and Recreational Areas			
For Parks above 3.5 Ha- City Park, District Park and Community Park	Parking may be provided in the lots of 25 to 40 ECS at different locations, as per requirement.	NP	NP
City Multipurpose Ground, District Multipurpose Ground and Community Multipurpose Ground	Minimum 50% of total area shall be under soft parking		
Amusement Parks/ Theme Based	3 ECS / 100 sqm. of built-up area with the stipulation to provide min. parking for 100 cars.	NP	NP
Biodiversity Park	Parking may be provided in the lots of 20to 25 ECS at different locations, as per requirement.	NP	NP
Sports facilities	2 ECS/100 sq.m. of built up	P	P
Other Use Premises			
Property development in Transit Stations	1.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area of commercial component	P	P
Temporary Cinema	3.0 ECS / 100 sq.m. of built-up area	P	P
Hotel/ passenger accommodation within ISBT	2 ECS per 100 sq.m. of built up	P	P

Note-

* In all use premises, parking based on the above standards and applicable deductions shall beprovided within the plot.

22.13 Utilities

22.13.1 Water Supply and Sanitation

Table 22. 46 Water Supply and Sanitation

S. No.		Utilities	No.	Area per Unit (Ha)
1	Local Level Population upto 10,000	Sewage Pumping Station	As per requirement	
		Underground water tank with boosterstation and OHT		
		Local level waste water treatmentfacility		
2	Sub-City Level Population 5,00,000	Sewage Pumping Station	As per requirement	
		Waste water treatment facility		
3	City Level Population 20,00,000	Sewage Pumping Station	As per requirement	
		Sewerage Treatment Plant (180 mld)		

Table 22. 47 Area requirement for Water Supply and Sanitation

S. No.	Utility	Capacity	Land Requirement (sqm)
1	Sewage Treatment Plant (STP)	STP (with SPS & EPS) - upto 5 MGD (22.7MLD) capacity	650 sq.m./MLD
2		STP (with SPS & EPS) - capacity above 5MGD	1,100

		(22.7 MLD)	sq.m./MLD
3		Sewage Pumping Station (SPS)	50 sq.m.
4		Effluent Pumping Station (EPS)	50 sq.m.
5	Water Treatment Plant (WTP)	WTP - 80 MGD (363 MLD)	300 sq.m./MLD
6		WTP - 40 MGD (182 MLD)	400 sq.m./MLD
7	Underground Reservoir with Booster Pumping Stations	5 ML Capacity	700 SQ/ML
8		50 ML Capacity	600 SQ/ML

22.13.2 Solid Waste Management

Table 22. 48 Area requirement for Solid Waste Management

S. No.		Utilities (Capacity)	No.	Area per Unit (sqm)
1	Local Level Population upto 10,000	Area for segregation of waste and parking of utility vehicles (previously: Dhalao)	1	200
2	Sub-City Level Population 5,00,000	Material recovery facility (semi-automatic): 200 TPD	1	6,000 - 8,000
3	City Level Population 20,00,000	Material recovery facility (automated) : > 10,000 TPD	1@ > 20,00,000	10,000 - 20,000
	Remark: MRF (Material recovery facility) as per SBM guidelines			

22.13.3 Power

Table 22. 49 Area requirement for Power

S. No.	LEVEL	Utility	No.	Area per Unit (sqm)
1	Local Level Population upto 10,000	Electric Sub Station 11 KV	1	40
2	Community Level Population 1,00,000	Electric Sub station 66 KV	2	2,500-4,000
3	Sub-City Level Population 5,00,000	Electric Sub station 220 KV	1	7,000-10,000
4	City Level Population 20,00,000	Electrical Sub station 400 KV	1	40,000

22.13.4 High Tension (HT) Line Buffer

Table 22. 50 Buffer from High Tension (HT) Line

S. No.	Utility	Voltage	Minimum Ground Clearance	RoW Requirement
1	HT Line buffer	765kV	12.1m	67m
2		400kV	8.8m	52m
3		220kV	7m	35m

22.14 Government

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 51 Use Premise and Definition - Government

S.No.	Use Premise/ Category	Definition
1	President Estate and Parliament House	President Estate and Parliament House
2	Government Offices	Premises used for the office of Central/ State/ Local Government departments/ agencies.
3	Integrated Office Complex	Premises/ Office complex for offices of Central, State, Local Government departments/ agencies and PSUs. These premises may include offices of single/multiple departments/ agencies.
4	District Court, FamilyCourt, etc.	Premises/ Court Complexes used for the offices of Judiciary and related activities like lawyerschambers.
5	Government Land (use undetermined)	The norms of Govt. land (use undermined) shall be as per approved layout / scheme, for which development controls shall be as per respective usepremises.

B. Permissible Activities

Table 22. 52 Use Premise and Activities permitted

S.No.	Use Zone	G2 (Government)	
	Use Premise / Activities permitted	1	2
		District Court, FamilyCourt, etc.	Government Offices / PSU's, Integrated OfficeComplex
1	Court	□	
2	Government Offices		□
3	Residential max. 5% ofFAR	□	□
4	Post Office	□	□
5	Canteen/ Cafeteria	□	□
6	Police Post	□	□
7	Fire Post	□	
8	Restaurant	□	□
9	Retail Shop	□	□
10	Library	□	□
11	Dispensary	□	□
12	Administrative offices	□	
13	Banks and ATM	□	□

14	Lawyer's Chamber	□	
15	offices	□	□
16	Digital Infrastructurefacility	□	□
17	Gym/ Yoga/ Meditation Centre (non-Commercial)	□	□
18	Creche / Child Care Centre	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 53 Government Offices

S.No.	Use Premise	Plot Area (Min)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (m)	Height(m)
1	**District Court, Family Court, etc.**	1 Ha	50%	300	18	No height restriction subject to clearance from AAI, DFS and other statutory bodies
2	**Government Offices**					
3	**Integrated Office Complex**					

Note

- For all new allotments only. Land already allotted not covered under this provision.
- The maximum FAR for Use premises located in Zone O, and Bungalow Area of Zone C and Zone D, will be 200, along with other provisions given in ZonalDevelopment Plans.

Other Controls

i. Residential Use– Maximum up to 5% of total permissible FAR can be utilized for residential activities.
ii. Public Sector Undertaking/Commercial offices to be restricted to 10% of the total permissible FAR.
iii. In case of Redevelopment: Utilization of 10% of total permissible FAR for Commercial Uses shall be permissible to make the redevelopment process financially feasible. This shall be subject to approval of land-owning agency and concerned local body.
iv. The norms of Govt. land (use undermined) shall be as per approved layout/ scheme, for which development controls shall be as per respective use premises.

22.15 Public and Semi-Public – Social Infrastructure

22.15.1 Health Facilities

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 54 Use Premises and Definition – Health Facilities

S. No.	Use Premise	Definition
1	Non-bedded Health facility	A premise with facilities for medical advice, provision of medicine, and/or for carrying out various tests for confirmation of symptoms

		of a disease. Such facilities may have a few observation beds. (eg. Dispensary/ Clinics/ Clinical laboratory, etc.)
2	Non bedded Health facility (Veterinary)	A premise having facilities for medical advice and provision of medicines. (eg. Dispensary for animals and birds, Pet clinics, etc.)
3	Bedded Health facility (Small)	A premise having medical facilities for treatment/ care for both indoor and outdoor patients having upto 50 beds. Such premises may also include health-care facilities for persons with special needs, elderly, etc. and facilities for pathological/ radiological evaluation of a person's health condition for confirmation of any ailment/ disease. (eg. Nursing Home/ Maternity Home/ Polyclinic/ PHC / Family Welfare Centre/ Paediatric Centre/ Geriatric Centre/ Transition-homes/ Respite care centres, Voluntary health services, Diagnostic centres, Deaddiction/ Rehabilitation facility, etc.)
4	Hospital	A premise providing medical facilities of general or specialised/ advanced nature for treatment of indoor and outdoor patients. Such premises may also include R&D facilities related to health-care. (eg. Hospital/ Tertiary Health Care Centre)
5	De-addiction/ Rehabilitation Centre	A premise with facilities for providing substance use disorder treatment (like drug, alcohol, etc.) and rehabilitation ranging from Acute Detoxification Centres to Long Term Treatment Centres. (eg. Standalone De-addiction Centre/ Rehabilitation Centre)
6	Veterinary Hospital	A premise having medical facilities for indoor and outdoor treatment of animals and birds. (eg. Veterinary hospital)
7	Veterinary Institute	A premise providing medical education and training for granting degrees, diplomas, licenses in veterinary science and animal husbandry
8	Medical College	A premise having facilities in which a person may undergo a course of study or training including any post graduate course of study or training which will qualify him for the award of a recognized medical qualification.

Note: Health facilities can be managed by public/ private/ voluntary organizations.

B. Permissible Activities

Table 22. 55 Use Premises and Activities Permitted – Health Facilities

Sr no.	Use Zone	RD	PS1

	Use Premise	Non-bedded Health facility	Non-bedded Health facility	Bedded Health facility (Small)	Hospital	De-addiction & Rehabilitation	Veterinary Hospital	Medical College	Veterinary Institute
	Activities Permitted	**1**	2	3	4	5	6	7	8
1	Administrative office	□	□	□	□	□	□	□	□
2	Facilities for indoor treatment of patients			□	□	□		□	

3	Facilities for outdoor treatment of patients	□		□	□	□		□	
4	Facilities for indoor treatment animals and birds						□		□
5	Facilities for outdoor treatment of animalsand birds		□				□		□
6	De-addiction/ Rehabilitation/ Counselling Centre			□	□	□		□	
7	R&D facilities				□		□	□	□
8	Laboratories	□		□	□		□	□	□
9	Diagnostic facilities			□	□	□	□	□	□
10	College / Institute				□			□	□
11	Library/Reading room				□			□	□
12	Watch & Ward Residence (Upto 20sqm)	□	□	□	□	□	□	□	□
13	Retail shop (chemist shop upto 20 sq.m.only)	□	□	□	□	□	□	□	□
14	Retail shop (otherthan chemist)				□			□	
15	Canteen/ Cafeteria	□	□	□	□	□	□	□	□
16	ATM	□	□	□	□		□	□	□
17	Vending booth/ kiosk	□	□	□	□		□	□	□
18	Accommodation forStaff				□	□	□	□	□
19	Patient attendant accommodation				□	□	□	□	
20	Hostel				□			□	□
21	Indoor games hall							□	□
22	Bank extension counter				□		□	□	□
23	Prayer room			□	□		□	□	□
24	Creche/day-carefacilities				□		□	□	□
25	Traffic Police Control Room / Police Outpost				□			□	
26	Fire Post							□	□
27	Post office counter							□	□

	Use Zone	**RD**	**PS1**

Sr no.	Use Premise	Non-bedded Health facility	Non-bedded Health facility (Veterinary)	Bedded Healthfacility	Hospital	De-addiction & Rehabilitation	Veterinary Hospital	Medical College	Veterinary Institute
	Activities Permitted	**1**	2	3	4	5	6	7	8
28	Auditorium							□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 56 Health facilities

S. No	Use Premise	No. (s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverage (%)	FAR	Min ROW (m)	Height (m)
LOCAL LEVEL Population upto 10000							
1	**Non-bedded Health facility**	1	800	30%	150	12	
COMMUNITY LEVEL Population upto 100000							
1	**Non-bedded Health facility (Veterinary)**	1	300	35%	100	18	
2	**Health facility (Small)**	6	1000*	30%	150	18	
3	**Hospital**	3	2000-15000	40%and 5% (MLCP) BRT	**250** for RoW less than 24m. **300** for RoW above24m. **375** for RoW above 30m.	18	
SUB-CITY LEVEL Population upto 500000							
1	**Hospital****	3	Above 1.5 ha	40% and 5% (MLCP)	**250** for RoW 18m to24m. **300** for RoW above24m. **375** for RoW above	18	
S. No	**Use Premise**	**No. (s)**	**Min. Plot Area (sqm)/ unit**	**Max. Ground Coverage (%)**	**FAR**	**Min ROW (m)**	**Height (m)**
					30m.		
2	**De-addiction/ Rehabilitation Centres**	1	2000	35%	150	18	
3	**Veterinary hospitals**	1	2000	30%	150	18	

CITY LEVEL Population upto 20,00,000							
1	**Medical college**	As per requirement	As per MCI Norms	35%	Gross FAR: 160 College and hospital = min. 75% Residential = min. 20% Others = upto 5%	24	
2	**Veterinary Institute**		Veterinary Councilof India / Ministry norms				
Notes: * In developed areas the plot size may vary depending on the availability of land. **Size of hospital plot will be restricted up to 1.5 ha in residential area, with preference to plothaving three side open and having minimum 18m ROW on one side. Total floor area of the hospital shall be governed as per the total number of beds allowed in it.							

Other Controls for the above Use Premises:

i. No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory bodies.

ii. For Maternity Home, Nursing Home/ Polyclinic, Primary Health Centre, Family Welfare Centre, Paediatric Centre/ Geriatric Centre, Diagnostic Centre, minimum gross area shall be **60 sq.m per bed** and for use premises such as Hospitals, Tertiary Health Care Centre, De-addiction/ Rehabilitation Centres, R&D facilities, Veterinary hospitals for pet and animals, Medical colleges, Veterinary Institutes, minimum gross floor area shall be **80 sq.m per bed**.

iii. For Hospitals, Tertiary Health Care Centre, Veterinary hospitals, De-addiction/ Rehabilitation Centres and R&D facilities**,** maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized 25% of the utilized ground coverage shall be counted toward FAR.

iv. For Hospitals, Tertiary Health Care Centre, Veterinary hospitals, De-addiction/ Rehabilitation Centres and R&D facilities multilevel podium parking shall be

v. permissible to the extent of building envelope lines, free from FAR and ground coverage to facilitate ample parking in spaces, subject to structural safety.

vi. For Hospitals, Tertiary Health Care Centre, Veterinary hospitals, De-addiction/ Rehabilitation Centres and R&D facilities, maximum 10% of the achieved FAR shall be free if utilized for waiting and reception area. However, this area shall betaken into account for the provision of hospital parking as per norms.

vii. For Hospitals, Tertiary Health Care Centre, Veterinary hospitals, de-addiction/ Rehabilitation Centres and R&D facilities, service floor of height 1.8m shall not be counted in FAR.

viii. Environmental clearances are mandatory as per the prevailing regulations of Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

ix. Zero discharge for sewerage shall be enforced at the cost of the promoters and post treatment water can be used by premises for its needs of horticulture, flushing, coolant tower, washing or disposal to other construction sites. These issues concerned the local bodies and can be dealt accordingly as per existing regulations at the time of sanctioning the plan.

x. Natural sky light condition is exempted for Atrium and construction over the Atrium may be allowed.

xi. In case of existing premises / sites, the enhanced FAR shall be permitted, subject to payment of charges as may be prescribed by the Authority / land

owning agency and other clearances.

xii. Basement after utilization for Parking; Services Requirements such as air conditioning plant and equipment, water storage, boiler, electric substation, HT & LT panel rooms, transformer compartment, control room, pump house, generator room; staff locker room, staff changing room, staff dining facilities without kitchen facility, Central sterile supply deptt., back end office; Other Mechanical Services; Installation of Electrical and firefighting equipments; and Other Services like kitchen, laundry and radiology lab and other essential services required for the maintenance/ functioning of the building, may be used for healthcare facilities with prior approval of the concerned agencies.

xiii. **Conditions for Ancillary Use:**

a. In case of Hospital (Upto 1.5 ha):
   i. **Maximum 25% of FAR** shall be allowed for residential component/ use such as accommodation of essential staff and attendants of the patients.
   ii. For support facilities other than residential component, a built-up area of max. 1% FAR upto 300 sq.m. shall be permitted.

b. In case of Hospital (Above 1.5 ha) and Rehabilitation facility:
   i. **Maximum 25% of FAR** shall be allowed for residential component/ use such as accommodation of essential staff and attendants of the patients.
   ii. For support facilities other than residential component, a built-up area of max. 1% FAR upto 500 sq.m. shall be permitted.

c. In case of Veterinary Hospital:
   i. **Maximum 10% of FAR** shall be allowed for residential component/ use such as accommodation of essential staff and attendants.
   ii. For support facilities other than residential component, a built-up area of max. 1% FAR upto 300 sq.m. shall be permitted.

d. In case of Medical colleges & Veterinary Institutes) **maximum 30% of FAR** shall be allowed for permitted support activities:
   i. Minimum 20% of FAR to be allowed for residential component/ use such as accommodation of essential staff and attendants of the patients, hostel for students.
   ii. Maximum 5% of FAR shall be allowed for other support/ ancillary facilities other than residential

22.15.2 Educational Facilities

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 57 Use Premise and Definition - Educational Facilities

S. No	Use Premise	Definition

1	Learning Centres/ Creches	Premises used for providing support/ parallel education facilities. (eg. Playschool, Creche, Early learning centres, Coaching/ tuitionfacilities, Anganwadi)
2	School (Type-I)	A premise having educational and playing facilities for students' upto V/VIII standard. (eg. Primary School, Middle School)
3	School (Type-II)	A premise having educational and playing facilities for students' upto XII standard. (eg. Senior Secondary School, Secondary School, Integrated School)
4	Special Schools	A premise having educational (formal and vocational) and playingfacilities for mentally challenged & differently abled persons (eg. School for Mentally challenged, Schools for differently abledpersons)
5	Research and Development Centre	A premise providing facilities for research and development for anyspecific field. (eg. Research and Development Centre)
6	Institute	Premises with facilities for vocational training and education (technical/ vocational/ management/ preparatory for employment) (eg. Vocational Training Centre/ ITI/ Polytechnic/ Vocational/ Training Institute/ Management Institute/ Teacher Training Institute, Commercial/ Secretarial Training Centre, Hotel Management, Nursing and Paramedic Institute, etc.)
7	College	A premise having educational and playing facilities for students of under-graduate & post-graduate courses under a university. It includes all professional disciplines. (eg. General College, Professional College)
8	University	A premise having an educational institution designed for instruction, examination, or both, of students in many branches of advanced learning, conferring degrees in various faculties, and often embodying colleges and similar institutions.

B. Permissible Activities

Table 22. 58 Use Premise and Activities permitted - Educational facilities

	Use Zone	**RD**			**PS1**				
	Use Premise	**Learning centers/ Creches**	**School Type-I**	**School Type-II**	**Special School**	**Research and Development Centre**	**Institute**	**College**	**University**
	Activities Permitted	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Creche and Day Care Centre	□							
2	Nursery School		□	□					
3	Kiosks		□	□	□				
4	Canteen/ Cafeteria			□	□		□	□	□
5	Watch & Ward Residence upto 20sq.m		□	□	□	□	□	□	□
6	Retail Shops upto 20sq.m		□	□	□		□	□	□
7	Bank extension counter			□	□	□	□	□	□

8	ATM			□		□	□	□	□
9	Auditorium			□	□	□	□	□	□
10	Indoor games hall			□	□	□	□	□	□
11	Swimming Pool			□				□	□
12	Post Office Counter Facility			□	□			□	□
13	Hostel facility			□	□	□	□	□	□
14	Residential use of essential staff and student			□	□	□	□	□	□
15	Rehabilitation Centre				□				
16	Workshop				□				
17	College							□	□
18	Playground							□	□
19	Library					□	□	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 59 : Education Facilities

S. No.	Use Premise	No	Minimum Plot Area (sq.m.)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (m)	Height (m)
	LOCAL LEVEL Population upto 10000						
1	Learning Centre/ Creche	1	500	35%	120	12	
1	School (Type-I)	1	2000-4000	30%	120	18	18
2	School (Type-II)	1	4000-8000	35%	150	18	18
	Other Controls: a. In case of new schools, the front boundary wall shall be recessed by 6m to accommodate visitors parking within setback area. b. Upto 10% variation in plot size is permitted. Differential norms will be applicable to Special Area, Regularized Unauthorized Colonies, Urban Villages and Resettlement Colonies. c. Playground shall be developed on pool basis in different areas at local level. **Note:** Pre-Primary Schools / Nursery Schools / Montessary Schools / Creche, Play Schools, are permissible in residential use						

	Use Premise	No	Minimum Plot Area (sq.m.)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (m)	Height (m)
	SUB-CITY LEVEL Population upto 5,00,000						
1	Special Schools	4					

			2000	50%	120	18	18
2	Research & Development Centres	1	4000	35%	225	24	37
3	Institute	1	4000	35%	225	24	37
4	College*	2	As per UGC / AICTE Norms	35%	225	24	37

Other Controls:

a. Variation in plot size upto 10% is permissible.
b. In case of Special Schools, max. 20% of permissible FAR can be utilised forresidential use of the essential staff and student accommodation.
c. In case of R&D Centres, Institutes and Colleges, max. 30% of permissible FAR canbe used for hostel accommodation for the students and staff.
d. In case of old Colleges (above 4 ha area) plot shall be divided as follows:

a. College Building area	1.8 ha	45%
b. Play field area	1.8 ha	45%

	Use Premise	No	Minimum Plot Area (sq.m.)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (m)	Height (m)
	SUB-CITY LEVEL Population upto 5,00,000						
	c. Residential including hostel area				0.4 ha		10%
	Development control norms for academic college building & residential will besame as that of University.						

	Use Premise	No	Minimum Plot Area (sq.m.)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (m)	Height (m)
	CITY LEVEL Population upto20,00,000						
1	University Campus including International Education Centre (IEC) – Large campus (10 ha and above) will be divided into following four parts:	As per requirements	As per UGC/ AICTE Norms			24	37
	a) Academic including Administration (45%of total land area)			30%	225		37
	b) Residential (25% of total land area)			1. Regulations for group housing shall apply 2. The land shall be reserved for facilities as per residential norms			
	c) Sports and Cultural activities (15%)			10%	15		26
	d) Parks and Landscape (15%)			NA			

22.15.3 Post and Telecommunication Facilities

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 60 Use Premise and Definition - Post & telecommunication facilities

S. No.	Use Premise	Definition
1	P&T facility (Type-I)	Premise with facilities/ counters for postal, courier services, digital infrastructure and telecom facilities (eg. Post office counter, Courier service office, Digital infra facility/ kiosks, etc.)
2	P&T facility (Type-II) General Post Office	A premise with facility for postal and telecommunication services, to and from a number of post offices attached to it. (eg. General post office, Head post office, Sub-city level digital infra facility, etc.)
3	P&T facility (Type-III)* Radio & Television Station	Premise with facilities for recording, broadcast and transmission of news and other programmes, research & development of satellite & telecommunication technology, research and development of data relating to weather and forecasting thereof, facilities for digital resources and data management, etc.. (eg. Satellite and Tele- Communication Centre, Observatory & Weather Office, Media & News Agency including Media Training Centre, Digital infrastructure facility, etc.)
4	Transmission Tower and wireless station	A premise used for installation of a tower for communication purposes.

* Transmission Site/ Centre shall be considered as part of P&T facility (Type-III), however the development of such sites shall be as per requirement.

B. Permissible Activities

Table 22. 61 Use Premise and Activities Permitted - Post & Telecommunication facilities

Sl.no.	Use Zone	PS1	
	Use Premise	P & T Facility (Type II)	P & T Facility (Type III)
	Activities Permitted	1	2
1.	Retail shop	□	□
2.	Canteen/cafeteria/ Vending booth/kiosk	□	□
3.	Auditorium		□
4.	Accommodation/ Residential for staff	□	□
5.	Watch & Ward Residence (upto 20sqm.)	□	□
6.	Library/ Reading room	□	□
7.	Fitness centre (non commercial use		□

	Use Zone	PS1

Sl.no.	Use Premise	P & T Facility (Type II)	P & T Facility (Type III)
	Activities Permitted	**1**	**2**
8.	Hostel accommodation forstudents/ trainees		□
9.	Press club		□
10.	Dining area		□
11.	Facilities for Media (print, television & internet		□
12.	Research laboratory		□
13	Data Center	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 62 Post and Tele-communication facilities

	Use Premise	No.	Minimum Plot Area	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (m)	Height (m)
LOCAL LEVEL Population upto 10000							
1	P&T facility (Type-I)		No specific site reservation to be keptin the layout plan since it is permittedin all use zones / under mixed use as per requirement, except in Recreational use zone				NA
CITY LEVEL Population upto 2000000							
2	P&T facility (Type-II)	2	2500 sq.m.	30%	120	18	26
3	P&T facility (Type-III)	As per requirement	As per requirement	35%	150	18	26
	Note: Upto 10% variation in plot size is permitted. **Other Controls:** i. For P&T facility (Type-II), upto 15% of FAR is allowed for residential componentand other support facilities. ii. For P&T facility (Type-III), upto 30% of FAR is allowed for hostel accommodationfor students and residential use of essential staff.						

22.15.4 Security-Police Facilities

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 63 Use Premises and Definition – Security-Police Facilities

S.No.	Use Premise	Definition

1	Traffic Control Room	A premise of temporary structures having facilitiesfor the managing of traffic and related issues.
2	Police Outpost	A Premise with temporary structures for people and equipment to manage law and order.
3	Police Post	A premise having facility for a local police post of a temporary nature or on smaller scale as compared toa police station.
4	Police Station	A premise having facilities for offices of local police post.
5	District Police office and Battalion	A premise having facilities for the offices and paramilitary forces.
6	Police Line	An area having facilities for work and residential accommodation of paramilitary forces.
7	Jail	A premise with facilities for detention, confinement and reform of criminals under the law
8	Police Training Institute/ College	A premise having facilities for training of paramilitary forces.
9	Police Firing Range	A premise having facilities for firing practice of the paramilitary forces.
10	Civil defense and home guards etc.	A premise having facilities for offices and otherfunctions of civil organization for internal defense.
11	Forensic science laboratory	A premise having facility for application of medical knowledge.
12	National Security Establishments	A premise having establishments undertaking issues ofNational Security or as defined/ notified by Government of India from time to time.

B. Permissible Activities

Table 22. 64 Use Premises and Activities Permitted - Security-Police Facilities

# S. No	Use Zone	RD		PS1			
	Use Premise / Activities Permitted	1	2	3	4	5	6
		Traffic Control Room	Police Outpost	Police Post	Police Station	District Police Office and Battalion	Police Line
1.	Accommodatio			□	□	□	□

# S. No	Use Zone	RD		PS1			
	Use Premise / Activities Permitted	1	2	3	4	5	6
		Traffic Control Room	Police Outpost	Police Post	Police Station	District Police Office and Battalion	Police Line
	n for staff						
2.	Canteen		□	□	□	□	□

3.	Bank Extension Counter				□	□	□
4.	Hostel					□	
5.	Playground					□	
6.	Indoor games facility					□	□
7.	Officers Room with facilities for recording NCR (Non-Cognizable Report) and storing emergency equipments		□				
8.	Dormitory with toilet & bath facilities and kitchen		□			□	□
9.	Communication Centre				□	□	□
10.	Service Workshop					□	□
11.	Religious facility					□	□
12.	Vending booth/ Kiosk					□	□
13.	Reading room/ library					□	□
14.	Fitness Centre for non- commercial use					□	□

# S. No.	**Use Zone**	**PS 1**					
	Use Premise / **Activities Permitted**	**7** **District Jail**	**8** **Police Training Institute/ College**	**9** **Police Firing Range**	**10** **Civil defense& home guards etc.**	**11** **Forensic Science Laboratory**	**12** **National Security Establishments**
1.	Canteen	□	□		□	□	□
2.	Bank Extension Counter		□		□		□
3.	Hostel		□	□	□		□
4.	Playground/ games facility	□	□	□	□		□
5.	Accommodation for staff	□	□	□	□	□	□
6.	Retail shop of area 20 sq. m.	□	□	□	□		□

	each						
7.	Auditorium		□				□
8.	Swimming Pool		□	□			
9.	Post office counter facility		□				
10.	First aid facility						□
11.	Emergency Backup/ Disaster Preparedness						□
12.	Watch and ward residence (upto 20 sq. m.)	□	□	□	□	□	□
13.	Communication Centre		□	□			□ (Temporary)
14.	Reading room/ library		□	□			□
15.	Fitness Centre for non-commercial		□	□			□

# S. No.	Use Zone	PS 1					
	Use Premise / Activities Permitted	7	8	9	10	11	12
		District Jail	Police Training Institute/ College	Police Firing Range	Civil defense& home guards etc.	Forensic Science Laboratory	National Security Establishments
	use						
16.	Kiosks		□	□	□		□
17.	Voluntary Health Services		□	□			□

# S. No	Use Zone	PS 1		
	Use Premise / Activities Permitted	13	14	15
		Central Police Organisation	Security Forces camp	Police Camp
1.	Bank Extension Counter	□	□	□
2.	Hostel	□	□	□
3.	Retail shop of area 20 sq. m.	□	□	□

4.	Swimming Pool	□	□	□
5.	Communication Centre	□	□	□
6.	Facilities for meditation/ spiritual training	□	□	□
7.	Fitness Centre for non-commercial use	□	□	□
8.	Accommodation for staff	□	□	□
9.	Hostel	□	□	□
10.	Hospital/ nursing/ paramedic facility	□	□	□
11.	Veterinary hospitals for pet and animals	□	□	□
12.	De-addiction/ Rehabilitation Center	□	□	□
13.	Canteen	□	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 65 Security-Police Facilities

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverage (%)	FAR	Min ROW (m)	Height(m)
LOCAL LEVEL Population upto 10000							
1	**Traffic and Police control room**	As per requirement, Permissible in all use premises/ zone, and to be provided in schemes as per requirement.	1. As per requirement on major road junctions/ stretches etc. as part of road rightof way based on site feasibility. 2. Maximum area = 25 sq m.			---	
2	**Police Outpost**		Upto 150	75%	300	18 m	
COMMUNITY LEVEL Population upto 100,000							
1	**Police Post**	1	Upto 2500	50%	300	18 m	
SUB-CITY LEVEL Population upto 500,000							
1	**Police Station**	2	Upto 1 Ha.	50	300	18 m	
CITY LEVEL Population upto 20,00,000							
1	**District Jail**	1 per 50.0 lakh	Upto 2 Ha.	50	300	18 m	
2	**Police Lines**						

3	**District Police Office and Battalion**	As per requirement	Upto 1 Ha.	50	300	18 m	
4	**Police Training Institute/ College**	As per requirement	Upto 5 Ha.	50	300	18 m	
5	**Police Firing Range**						
6	**Police camp**						

Other controls

i. Max. FAR for Use Premises located in Zone O, and Bungalow Area of Zone C & Zone D, will be 120, along with other provisions given in Zonal Development Plans.
ii. In case of Security-Police facilities, for all the use premises, maximum of 30%of permissible FAR can be allowed for residential and permitted activities as mentioned in table above. The residential component shall be as per Residential Plot-Group Housing.
iii. Use premises such as National Security Establishments shall be permitted within the categories mentioned in above Table.
iv. For the above plots, no height restriction shall be applicable, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service, and other Statutory bodies.

22.15.5 Safety-Fire Facilities

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 66 Use Premises and Definition – Safety-Fire Facilities

S. No.	Use Premise	Definition
1	Fire post	Premises with lesser degree of facilities for fire fighting. The post may be attached to specific premises with fire prone activities.
2	Fire station	A premise having facility for fire fightingfor a catchment area assigned to it. It includes residence of essential staff.
3	Fire Training Institute	A premise having facilities of training for emergency times in case of fire, building collapse etc.
4	Disaster Management Centre	A premise having facility of disaster emergency backup, hospital facility, training centre for disaster preparedness, wireless communication etc.
5	Disaster Management Units	A premise having establishments undertaking issues of DisasterManagement or as defined/ notified by GOI from time to time.

B. Permissible Activities

Table 22. 67 Use Premises and Activities Permitted - Safety-Fire Facilities

S.	Use Zone	PS1

No	Use Premise Activities Permitted	1 Fire post	2 Fire Station	3 Fire Training Institute	4 Disaster Management Centre	5 Disaster Management Units
1.	Accommodation for staff	□	□	□	□	□
2.	Service Workshop		□		□	□
3.	Hostel			□	□	□
4.	Fire station			□	□	
5.	Watch and ward residence (upto 20 sq. m.)		□	□	□	□
6.	Healthcare facility			□	□	
7.	Open practice grounds for practice and reliefcamps/ Disaster Preparedness			□	□	□
8.	Communication Centre			□	□	□ Temporary
9.	First aid facility				□	□
10.	Emergency Backup				□	□
11.	Canteen	□	□	□	□	□
12.	Bank extension Counter		□	□	□	□
13.	Night shelter					□
14.						
15.	Vending booth/ Kiosk		□			□
16.	Reading room/ library			□	□	□
17.	Indoor games facility			□	□	
18.	Fitness Centers for non-commercial use		□	□	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 68 Safety-Fire Facilities

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverage (%)	FAR	Min ROW (m)	Height(m)
COMMUNITY LEVEL Population upto 100,000							
1	**Fire Post**	1	Upto2500 sq. m.	50%	300	18 m	
SUB-CITY LEVEL Population upto 500,000							
1	**Fire Station**	2	Upto1 Ha.	50	300	18 m	
2	**Disaster Management Unit**	1	5000-10000	50	300	18 m	
CITY LEVEL Population upto 20,00,000							
1	**Fire Training Institute**	As per Requirement	Upto 5Ha.	50	300	18 m	
2	**Disaster Management Centre**	As per Requirement	Upto 5Ha	50	300	18 m	

Other controls

i. Delhi Fire Services (DFS) shall identify fire hazard zones and the location of the fire services (fire stations/ fire posts) shall be identified such that it is tactically advantageous in providing fire protection services to the community.

ii. Max. FAR for Use Premises located in Zone O, and Bungalow Area of Zone C & Zone D, will be 120, along with other provisions given in Zonal Development Plans.

iii. In case of Safety-Fire facilities, for all the use premises, maximum of 30%of permissible FAR can be allowed for residential and permitted activities as mentioned in table above. The residential component shall be as per Residential Plot-Group Housing.

iv. For the above plots, no height restriction shall be applicable, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service, and other Statutory bodies.

22.15.6 Distributive Facilities

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 69 Use Premise and Definition - Distributive Facilities

S. No.	Use Premise	Definition
1	Milk Booth/Milk, Fruit & Vegetable Booth/Delhi Milk Supply Booth/ Fair Price Shop	A premise with basic facility for the supply ofdaily groceries to the local population.
2	LPG godown including booking office	A premise for the booking, storing and supply ofLPG to local population.
3	Gas godown	A premise having the facility of wholesale storageof LPG, godown, etc.

B. Permissible Activities

Table 22. 70 Use Premise and Activities Permitted - Distributive Facilities

S. No.	Use Zone / Use Premise / Activities Permitted	PS 1		RD
		1	2	3
		Gas Godown	LPG Godown including booking office	Milk Booth/Milk, Fruit& Vegetable Booth/Delhi Milk Supply Booth
1.	Booth/ built structure fordisplay and sale of dairy products/ fruits and vegetables etc.			□
2.	Watch and ward residence (up to 20 sq.m.)	□	□	
3.	Booking office		□	
4.	Store / Godown	□	□	
5.	Care taker office	□		

Note:

1. Booking Office cum Godown: Permitted in all Use Zones except residential andrecreational Use Zones.
2. LPG Booking Office can be permitted in all Use Zones.

C. Development Control Norms

Table 22. 71 Distributive Facilities

S. No.	Use Premise	No	Minimum Plot Area (sq.m.)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (M)	Height (M)
1	Milk Booth/ Milk, Fruit & Vegetable Booth/Delhi Milk Supply Booth/ Fair Price Shop	One per 5000 population.	i. As per standard design of the concerned department ii. Permitted in all zones as per approved layout plan.				
2	LPG godown including booking office	As per requirements	i. Plot size – upto 600 sqm including booking office and security hut.				

			ii. Permitted in all use zones except in residential and recreational use zones subject to statutory clearances.
	Other Controls: 1. Milk, Fruit, vegetable and LPG are the basic requirements of the day-to-day life, and should have proper distribution set-up. 2. Fair Price Shops may be provided in close proximity to EWS / LIG housing /resettlement colonies. 3. For LPG godowns the norms and standards shall be as per PESO (Petroleum and Explosives Safety Organization)		

22.15.7 Socio-Cultural Facilities

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 72 Use Premises and Definition – Socio-Cultural Facilities

S. No.	Use Premise	Definition
1	Socio-Cultural facility (Type-I)	Premises with facilities for local level socio-cultural activities; learning (music, art, etc.), playing, interaction, meeting and gathering spaces. (eg. Banquet Hall, etc.)
2	Socio-Cultural facility (Type-II)	Premises with facilities for various socio-cultural activities/ training facilities that can have community level public gatherings/ functions and public events. Can also include facilities for cultural and information services. [eg. Multipurpose community hall, Socio-cultural Institute (with facilities for learning and performance of music, dance, other performing arts, exhibition space, art gallery, library, creative workshops, auditorium, small theatres), Cultural and Information Centre, etc.]
3	Socio-Cultural facility (Type-III)	Premises with facilities that promote culture & other creative as well as recreational activities. (eg. Recreational Club, Public Library, etc.)
4	Socio-Cultural facility (Type-IV)	Premises with facilities for holding large gatherings and events like exhibitions, international/ national conferences, meetings, symposiums etc. These may also include large entertainment/ socio-cultural facilities. (eg. Socio cultural centre, Science Centre, Planetarium, Museum, International Convention Centre, Exhibition- cum-fair ground)

B. Permissible Activities

Table 22. 73 Use Premises and Activities Permitted - Socio-Cultural Facilities

Sr. no	Use Zone	RD	PS 1		
	Use Premise	Socio-Cultural Facility (Type-I)	Socio-Cultural Facility (Type-II)	Socio-Cultural Facility (Type-III)	Socio-Cultural Facility (Type-IV)
	Activities Permitted	1	2	3	4

1	Canteen	□		□	
2	Bank Extension Counter		□	□	□
3	Vending Booth/ Kiosks	□	□	□	□
4	Restaurant		□	□	□
5	Watch & Ward Residence (upto 20sqm.)		□	□	□
6	Exhibition centre andart gallery			□	□
7	Community Hall		□		□
8	Hostel		□	□	
9	Music, dance and drama training centre			□	□
10	Library/ Reading room		□	□	□
11	Auditorium			□	□
12	Hall for public gatherings, marriages,cooking facilities and other facilities	□			
13	Museum			□	□
14	ATM	□	□	□	□
15	Health care facility				□
16	Commercial office			□	□
17	Hotel				□
18	Police Post				□
19	Fire post				□
20	Accommodation for Maintenance Staff			□	□
21	Open Air theatre/ amphitheatre		□	□	□
22	Fair ground				□
23	Convention and meeting space/ convention centre				□
24	Film centre				□
25	Multipurpose training and meeting rooms				□
26	Retail Shop			□	□
28	Guest House/ Guest Rooms			□	□
29	Indoor/ Outdoor Sports			□	
30	Swimming Pool			□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 74 Socio-Cultural facilities

Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverag	FAR	Min ROW	Height(m)

			e (%)		(m)	
Socio-Cultural facility (Type-I)	1	800-2000	30%	150	12	-
Socio-Cultural facility (Type-II)	2	1000	40%	120	24	-
Socio-Cultural facility (Type-III)	1	5000	40%	120	24	
Socio-Cultural facility (Type-IV)*	As Per requirement	As per requirement	35% + 5% (MLCP)	120	30	
Notes: * For activities like exhibition-cum-fair grounds, max. ground coverage shall be 20% and 5% ground coverage for MLCP and max. FAR shall be 20.						

Other Controls:

i. Recreational Clubs located in LBZ Area, Civil Lines Bungalow Area, Recreational Use Zones and existing on Heritage Structures will be dealt on case-to-case basis and Technical Committee of DDA will approve the Development Controls norms based on the existing status.

ii. In the open area apart from outdoor games / sport facilities, swimming pool would be permissible upto an area of 300 sqm. free from ground coverage.

iii. In case of Banquet Hall
- Basements within the ground envelope shall be allowed for parking. Stilt floor for parking is permissible
- 30% of basement area for services / storage shall not be counted in FAR.

iv. In case of International Convention Centre, maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted towards FAR

v. For the above plots, no height restriction shall be applicable, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service, and other Statutory bodies.

vi. **Conditions for Ancillary Use:**

a. In case of Socio-Cultural facility (Type-II & III): Support/ ancillary facilities shall be allowed upto a maximum of 20% of permissible FAR.

b. In case of Socio-Cultural facility (Type-IV) except International convention centre and Socio-cultural centre: Support/ ancillary facilities shall be allowed upto a maximum of 50% of permissible FAR.

c. In case of International Convention Centre: Exhibition space, Convention and meeting space shall be minimum 40% of permissible FAR. Support/ Ancillary facilities (Retail shop, office space/ commercial office, Hotels and related activities) shall be permitted upto maximum 60% of permissible FAR.

d. In case of Socio-Cultural Centre: Socio Cultural activities shall be minimum 40% of permissible FAR. Support/ Ancillary facilities (Retail shops, office space/ commercial office, Hotels and related activities) shall be upto maximum 60% of permissible FAR.

22.15.8 Other-Community Facilities

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 75 Use Premise and Definition - Other-Community Facilities

S. No.	Use Premise	Definition
1	Night Shelter	Premise having the facility for providing the night accommodation to individuals without any charges or with token charges. It may run by local government or voluntary agencies.
2	Other Community Facility (Type-I)	Premises that can accommodate multiple small-scale community/ religious facilities (eg. Small religious facility, etc.)
3	Other Community Facility (Type-II)	Premise having facility of caring and training, boarding & lodging of elderly/ differently abled persons/ mentally challenged, women and children. It may also include residential facilities for working women / men and education/ training facilities for adults. (eg. Old Age Home, Care Centre for differently abled persons / mentally challenged, Working women-men hostel, Adult education centre, etc.)
4	Other Community Facility (Type-III)	Premises with facilities for correction, counselling and accommodation of child in conflict with law or who have committed an offence. Related judicial facilities and services for behavioural reforms may also be located here. (eg. Reformatory/ Observation homes/ Special Homes/ Juvenile homes)
5	Other Community Facility (Type-IV)	Premises for large religious facilities with high footfall. (eg. Large religious facility)

B. Permissible Activities

Table 22. 76 Use Premise and Activities Permitted - Other-Community Facilities

Sr. no	Use Zone		RD	PS 1		
	Use Premise	Night Shelter	Other Community Facilities (Type-I)	Other Community Facilities (Type-II)	Other Community Facilities (Type-III)	Other Community Facilities (Type-IV)
	Activities Permitted	1	2	3	4	5
1	Accommodation for staff		□	□	□	
2	Hostel			□	□	
3	Retail shop (upto 20 sqm.)		□	□	□	□
4	Bank extension Counter					□

5	Accommodation for preachers/ devotees/ management staff (Max. 15% of total FAR)					□
6	Langar Hall/ Kitchen					□
7	Prayer halls		□			□
8	Auditorium					□
9	Museum					□
10	Museum/Art Gallery/ Exhibition Centre					□
11	Training Centre for Yoga					□
12	Care home with residential facility			□		
13	Health facilities/gym			□		
14	Dining facility			□	□	
15	Welfare Centre			□		
16	Night Shelter and related facilities.	□				
17	Temple, Mosque, Church, Gurdwara, Synagogue, Ashram					□
18	Bathing Ghat					□
19	Gaushala					□
20	Dargah					□
21	Charitable Health Facility					□
28	Canteen			□	□	□
29	Restaurant					
30	Watch and ward residence (upto 20sq m).			□		
32	ATM			□	□	
33	Space for administration office			□	□	
34	Facilities for meditation/ spiritual training			□	□	
35	Facilities/ studios for training in music and other forms of art			□		

C. Development Control Norms

Table 22. 77 Other-Community facilities

S. No.	Use Premise	No.(s)	Min. Plot Area (sqm)/ unit	Max. Ground Coverage (%)	FAR	Min ROW (m)	Height (m)
LOCAL LEVEL Population upto 10000							
1	**Other Community Facility (Type-I)**	2	400	40	100	12	No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory bodies.
COMMUNITY LEVEL Population upto 100000							
1	**Night Shelter***	1	100	60	200	-	26m
SUB-CITY LEVEL Population upto 500000							
1	**Other Community Facility (Type-II)****	5	1000	40%	120	18	No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory bodies.
CITY LEVEL Population upto 2000000							
1	**Other Community Facility (Type-III)**	As per requirement	2000	40%	150	18	No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory bodies.
2	**Other Community Facility (Type-IV)**	As per requirement	As per requirement	30%	100	24	

Other Controls:

i. Sites for Dhobi ghats / laundry shall be provided in Residential use zone / PSP facility areas as per the norms of local body. In such sites following facilities shall be permitted: Overhead tank, Underground Tank, Oxidation Pond, Septic Tank

Sewerage Pumping station, Public Toilet & Urinal, Electric Sub-station, Dhallao and Dustbin, Dhobi Ghat, Machine Laundry.

ii. *Location of night shelter is to be decided by the Local Authorities / GNCTD based on practical demand / assessment. For geographical distribution of night shelters a minimum of at least one night shelter per administrative unit such as the Revenue Sub- Division or jurisdiction of Police Station may also be taken as criteria for planning purposes. Night shelter shall be permitted in new proposed constructions by adopting innovative concepts such as integrated complex with commercial space on the ground floor and night shelter on the first floor; and in existing buildings with suitable modifications. Night shelter can be developed within the Railway Terminals, Bus Terminals, Wholesale/Retail markets, Freight Complexes, Police Stations etc. by the concerned agencies such as Railways, Health, Industry, DTC, Police, etc., wherever feasible.

iii. **Location of Working Men-Women Hostels shall be decided on the basis of proximity with work/ employment centres and on the basis of demand assessment.

iv. **Conditions for Ancillary Use:**

a. In case of Other-Community Facilities (Type-I): Support/ ancillary facilities shallbe allowed maximum upto 50 sq.m.

b. In case of Other-Community Facilities (Type-II and III): Support/ ancillary facilities shall be allowed maximum of 20% of permissible FAR.

c. In case of Other-Community Facilities (Type-IV): Support/ ancillary facilities shall be allowed maximum of 5% of permissible FAR.

22.15.9 Cremation Ground, Burial Ground & Cemetery

A. Use Premise and Definitions

Table 22. 78 Use Premise and Definition - Cremation Ground, Burial Ground & Cemetery

S. No.	Use Premise	Definition
1	Burial Ground	A premise with facilities for burying of dead bodies.
2	Cremation Ground	A premise with facilities of performing last rites ofdead bodies by burning.
3	Cemetery	A premise with facilities for burying of dead bodies.
4	Electric Crematorium	A premise with facilities for last rites of the deceased.
5	Burial Ground for Animals	A premise with facilities for burial of animals

B. Permissible Activities

Table 22. 79 Use Premise and Activities Permitted - Cremation Ground, Burial Ground &Cemetery

S. No.	Use Zone	PS1				
	Use Premise / Activities	1	2	3	4	5
		Burial Ground	Cremation Ground	Cemetery	Electric Crematorium	Burial Ground for
	Permitted					Animals
1.	Sheds for performing rituals		□	□	□	
2.	Facilities for registration of deaths	□	□	□	□	
3.	Retail shops of woods, flowers andother related material	□	□	□	□	□
4.	Drinking water	□	□	□	□	□
5.	Parking	□	□	□	□	□
6.	Watch and ward residence (20sq.m.)	□	□	□	□	□

C. Development Control Norms

Table 22. 80 Cremation Ground, Burial Ground & Cemetery

S. No	Use Premise	No	Minimum Plot Area (sq.m.)	Maximum Ground Coverage	FAR	Minimum ROW (m)	Height (m)
1	Burial Ground	1 for 10 lakh population	10000	NA	NA	18	NA
2	Cremation Ground	1 for 5 lakh population	5000	50%	100	18	No height restriction subjectto clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory bodies
3	Cemetery	1 for 10 lakh population	10000	NA	NA	18	NA
4	Electric Crematorium	1 for 5 lakh population	5000	50%	100	18	NA
5	Burial Ground for Animals	1 for 10 lakh population	2000	NA	NA	18	NA

	Other controls: i) In case of Cremation Ground, provisions for crematoriums (basic/ green/ gasifier based/ electric) shall be made. In the existing cremation grounds, provision of crematorium is to be made

22.15.10 Multi-Facility Plot

Table 22. 81 Development Control Norms of Multi facility Plot

Use premise	Plot Area (sq.m.)	Ground Coverage (maximum)	FAR	ROW (m) (minimum)	Height (m)	Activities Permitted
Multi Facility Plot	500	50%	200	18	No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory bodies.	Mix of PSP facilities at the local level (Health, Education, Socio-cultural, Other-Community facilities, Communication facilities)
Note: Single function shall be permitted upto max of 2/3 of BUA, to facilitate multiple facility on the plot.						

22.15.11 Public & Semi-Public Facilities / Premises

The following norms shall be applicable in case of PSP facilities / premises, for which specific development controls have not been specified.

1. Max. Ground Coverage 30%
2. Max. Floor Area Ratio 120
3. Max. Height 26 m.

Note:

i. In case of plots allotted to political parties by the government land housing agencies, up to 15% of maximum FAR may be utilized for residential hostel accommodation.
ii. Amalgamation of the smaller PSP plots or sub division of the larger PSP plots for a single or its multiple use, is allowed with the permissible PSP facilities as per the provisions of MPD-2021.

22.16 Permission of Use Premises in Use Zones

As part of approval of layout plan or as a case of special permission from the Authority, Permission of selected Use Premises in Use Zones RD, C1, C2, M, PS are as per the following:

Table 22. 82 Permission of Use Premises in Use Zones

S. No.	Use Premises	Use Zones				
		RD	C_1	C_2	M	PS
RD	**RESIDENTIAL**					
i.	Residential plot – Plotted Housing	P	P**	NP	NP	NP
ii.	Residential plot – Group Housing	P	P	NP	P	P
iii.	Studio Apartment	P	NP	NP	NP	NP
iv.	Residence - cum - Work Plot	P	P	NP	NP	NP
v.	Foreign mission	P	P	NP	NP	NP
vi.	Hostel / Old age home	P	P	NP	P	P

vii.	Short term Accommodation – Hostel / Guest house / Lodging & Boarding House / Sarai / Working Women-Men Hostel, Dharamshala and its equivalent / Service Apartment	P	P	P	P	P
viii.	Multipurpose Community Hall / BaratGhar	P	P	NP	P	P
ix.	Night Shelter	P	P	P	P	P
x.	Community / Recreational Hall, Library, Reading Room, Society Office, Crèche and Day Care Centre.	P	P	P	P	P
xi.	State Bhawan/ State Guest Houses	P	P	P	P	P
C	**COMMERCIAL**					
i.	Local Level (Convenience / Local shopping centre)	P	P	P	P	P
ii.	Cinema / Multiplexes	NP	P	P	P*	NP
iii.	Service markets / Informal Bazaars	P	P	P	P	NP
iv.	Wholesale Trade	NP	P	P	NP	NP
v.	Storage, godown and warehousing, cold storage & Ice factory, gas godown.	NP	NP	P	P	NP
vi.	Guest House/ Lodging & BoardingHouse	P	P	P	P	P
vii.	Service Apartment	NP	P	P	P	P
viii.	Hotel	NP	P	P	P	NP
P	**RECREATIONAL**					
i.	Recreational (Park, Play grounds, Swimming Pool) / Sports Complex/ Stadium/ Amusement parks/ Recreational Clubs etc.	P	P	P	P	P
M	**INDUSTRY**					
i.	Industrial plot, flatted group industry	NP	NP	NP	P	NP
ii.	Service centre & Service industry	NP	P	P	P	NP

T	**TRANSPORTATION**					
i.	Circulation (Road network with street furniture, Bus terminal, MRTS stations, Parking etc.	P	P	P	P	P
ii.	Bus depot & Workshop	NP	NP	NP	P	NP
iii.	Multi-level parking for private modes	NP	P	P	P	P
G	**GOVERNMENT**					
i.	Local / Government maintenance Offices	P	P	P	P	P
ii.	Offices of utility services providing agencies	P	P	P	P	P
iii.	Government Offices (Central / State Government / Local Bodies), Integrated Office Complex	NP	P	P	P	P
iv.	District Court/ Family Courts	NP	P	P	P	P
PS1	**PUBLIC AND SEMI PUBLIC FACILITIES**					
Health						
i.	Hospital (0.2 ha. to 1.5 ha.)	P	P	NP	P	P
ii.	Tertiary Health Care Centre	P	P	NP	P	P
iii.	Primary Health Centre / Family Welfare Centre / Maternity Home / Dispensary etc., Pediatric Centre/ Geriatric Centre,	P	P	NP	P	P

	Voluntary Health Services, Extended health-care facilities (like transition-homes, respite care centres, Pathology laboratory, Small collection centres), De-addiction Centres					
iv.	Nursing Home / poly clinic / clinic /clinical laboratory etc.	P	P	NP	P*	P
v.	Dispensary for pet and animals	P	P	P	P	P
Education						
i.	Primary school / Middle school, Pre-primary/ Nursery/ Montessori schools,	P	NP	NP	NP	P
ii.	Creche & Day care centres, Anganwadi, Play schools	P	P	P	P	P
iii.	Sr. Secondary School	P	NP	NP	NP	P
iv.	School for Mentally Challenged / differently abled persons	P	NP	NP	NP	P
v.	Technical Training centre (ITI /Polytechnic/ Vocational/ Training Institute/ Management institute/ Teacher Training Institute, etc.), Skilling centres	P	P	NP	P	P
vi.	Research & Development Centres	NP	P	NP	P	P
Facilities						
i.	Bus terminal, taxi stand, milk / vegetable booths, religious premises, vending booth, petrol / CNG filling pump, recreational club, police outpost,	P	P	P	P	P
	police post, police station, fire post, fire station, post office, & telegraph office and telephone exchange.					
ii.	Care centres for differently-abled and mentally challenged, Orphanage/ Children's Centre, Senior citizens' club	P	NP	NP	P	P

P: Permitted P*: Permitted only in Commercial Centres
NP: Not Permitted P**: Special permission as per Mixed use/ Special Area Regulations

Note:

1. Park, Open Parking, Circulation and Public Utilities/convenience are permitted in all Use Zones.
2. The permission of Use Premise in the following Use Zones shall be governed by the specific function of the Use Zone.
   a. C3- Hotel,
   b. P3- Historical Monuments,
   c. T1- Airport,
   d. T2- Terminal / Depot - Rail / MRTS / Bus / Truck,
   e. T3- Circulation - Rail / MRTS / Road,
   f. U1-Water, U2-Sewerage, U3-Electricity, U4-Solid Waste, U5- Drain,
   g. G1-President Estate & Parliament House,
   h. G3-Government Land (Use Undetermined),
   i. PS -Cremation and Burial Ground, Religious,
   j. Green Development Area
   k. W2-River & River Flood Plain

22.17 Other Development Codes

For each Use Premise, the following DCNs shall be applicable. Wherever DCNs are not mentioned in the Plan or this section, National Building Code shall be

referred.

22.17.1 High Rise Buildings

i. Buildings taller than 15 m (without stilt) and 17.5 m (including stilt) in all use zones will be considered as a High Rise Building.

ii. In case of provision of stack-parking in stilt floor, minimum height of 2.4 m. for stilt floor may be relaxed. However, in case of stack parking the height shall be as per design and structural safety requirement.

iii. Intermittent service floor may be permitted for installation of equipments and services required for the maintenance of the building with prior approval of the agencies concerned and is not to be counted in FAR. The height of the service floor is to be decided based on the depth of structural members, the height requirement for providing water-reservoirs, other equipments, etc. Height below bottom of any beam shall not be more than 1.8 m. from the finished floor level excluding false floor if any.

iv. Basement will be permitted within the setback lines subject to clearance from local bodies / deptts. Concerned municipal corporation and Fire Deptt. Where there are no setbacks, basements should be permitted upto 2 meters and where there is setback, it should be 6 meters from the plot boundary.

v. Podium(s) will be permitted within the setback lines subject to clearance from the fire department. The movement of vehicles and parking shall be restricted within the podium. Rooftop to be allowed for uses such as swimming pool, landscaping, and related structures.

vi. Other conditions for basement will be as per Clause 22.16.3.

22.17.2 Setbacks:

Minimum setbacks shall be provided as per the Table 22.81 for all developments otherthan residential plotted and areas specifically mentioned in the Plan.

Table 22. 83 Minimum Setbacks (Other than Residential Plotted Development)

Plot size (in sq.m)	Minimum Setbacks			
	Front (m)	Rear (m)	Side (m) (1)	Side (m) (2)
Upto 60	0	0	0	0
Above 60 & upto 150	3	1.5 (avg.)	-	-
Above150 & upto 300	4	2 (avg.)	-	-
Above 300 upto 500	4	3	3	-
Above 500 upto 2,000	6	3	3	3
Above 2,000 upto 10,000	9	6	6	6
Above 10,000	15	12	12	12

Note:

i. In case the permissible coverage is not achieved with the above given setbacks, thesetbacks of the preceding category may be allowed.

ii. The setbacks are subject to requirements of height and ventilation as per building byelaws.

iii. In case a layout is sanctioned with more than the minimum prescribed setbacks, the same shall be followed in the sanction of the building plans.

iv. Technical Committee of DDA may relax setbacks, ground coverage and height inspecial circumstances.

v. ESS wherever required to be provided within the plot, is allowed by shifting of side / rear setbacks.

22.17.3 Basements:

i. Basement(s) up to the setback line, maximum equivalent to parking and services requirement, such as air conditioning plant and equipment, water storage, boiler, electric sub-station HT and LT Panel rooms, transformer compartment, control room, pump house, generator room and other mechanical services and

installation of electrical and firefighting equipment, and other services required for the maintenance of the building with prior approval of the concerned agencies, could be permitted and not to be counted in FAR.

ii. In case of residential use, basement shall not be counted towards FAR if used for household storage and parking. Basement if used for permissible mixed-use activities shall be counted towards FAR. If such use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, appropriate charges prescribed with the approval of government, shall be levied on the additional FAR.

iii. In case of Hotels, use of basement for laundry, cold room for storing food articles, linen store, garbage room, housekeeping store and cold storage may be allowed.

iv. In case of Healthcare facilities, basement after utilization for Parking; Services Requirements such as air conditioning plant and equipment, water storage, boiler, electric sub-station, HT & LT panel rooms, transformer compartment, control room, pump house, generator room; staff locker room, staff changing room, staff dining facilities without kitchen facility, Central sterile supply deptt., back end office; Other Mechanical Services; Installation of Electrical and fire fighting equipment; and Other Services like kitchen, laundry and radiology lab and other essential services required for the maintenance/functioning of the building may be used for healthcare facilities with prior approval of the concerned agencies.

v. In case of high rise buildings, basement shall be permitted 6m from the plot boundary, within the setback lines, subject to clearance from concerned authorities.

vi. The basement(s) beyond building line shall be kept flushed with the ground and shall be ventilated with mechanical means of ventilation.

vii. Basement(s) shall be designed to take full load of the fire tender, wherever required and subject to adequate safety measures.

viii. In case the basement is used for activity in conformity with the use premises, wherever permitted, the same shall be counted in FAR subject to clearance from the Fire Authorities and other statutory bodies.

ix. The ESS, fire fighting installations and underground water tank shall neither be counted in ground coverage nor in FAR.

22.17.4 Service Plans

The Developing Agency should provide for the following in layout plans of plots of size 3000 sq.m and above:

i. Recycling of treated waste water with separate lines for potable water and recycled water. Dual piping system to be introduced.

ii. Ground water recharge through rain water harvesting, conserving water bodies and regulating groundwater abstraction.

iii. Treated sewage effluent should be recycled for non-potable uses like gardening, washing of vehicles, cooling towers, etc.

iv. Utilities such as, underground water storage tank, roof-top water harvesting system, separate dry and wet dustbins etc. are to be provided within the plot.

v. All hospitals, commercial, industrial, hotels, restaurants, auto workshops, etc. will have to make arrangements for primary effluent treatment within the plot.

vi. Provide ESS and generator and to submit energy consumption/audit will be submitted at the time of sanction of building plans.

vii. Provision of cavity walls, atriums, shading devices in buildings will be encouraged to make them energy efficient.

viii. Solar heating system will be provided on all plots with roof area of 300 sqm and above.

ix. In order to encourage the above, 1% to 4% extra ground coverage and FAR, on each, may be given as an incentive by the local bodies, depending upon the provisions made. In exceptional cases 5% incentive may be permitted.

x. These incentives shall be based on the rating criteria prescribed by 'Green Rating for Integrated Habitat Assessment' (GRIHA) for green buildings.

xi. In case of non-compliance of above, after obtaining occupancy certificate, penalty at market rate shall be levied for incentive FAR by land owning agency.

The regulations for enforcement of above shall be prepared by the Director, Local Self Government, GNCTD in consultation with Environment Department, GNCTD within a period of six months (after notification of modifications) and notified with the approval of the Authority/Central Government

22.17.5 Regulations for Building Controls within Use premises

The objective of these regulations is to provide controls for building(s) within use premisesexcluding the internal arrangement, which are covered in Building Bye-laws.

General Notes:

i. Where development controls are not stipulated for any use premise, the samecan be formulated by the Authority.

ii. The mezzanine floor and service floor wherever provided shall be considered as a part of the total FAR. In case of the buildings with 26 m. and more height in all use-zones, Technical Committee of DDA may permit the following in special circumstances:

a) In case of provision of stack-parking in stilt floor or basement, minimum height should be 2.4 m.

b) Intermittent service floor may be permitted for installation of equipments and services required for the maintenance of the building with prior approval of the agencies concerned and are not to be counted in FAR. The height of the service floor is to be decided based on the depth of structural members, the height requirement for providing water-reservoirs, other equipments, etc. The height of Service floor in the building shall be limited to
1.8 m.

iii. If the building is constructed with stilt area of non-habitable height (2.4 mts) and is proposed to be used for parking, landscaping, etc. the stilt floor need not be included in FAR.

iv. Wherever the building regulations are given for different categories of plots, the area covered and the floor area shall in no case be less than the permissible covered area and floor area respectively for the largest size of plot in the preceding category.

v. In case of all the plots of size 1000 sq.m. and above, except 'Residential Plot – Plotted Housing', atrium will be permitted with stipulations – Maximum 10% additional ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilizedground coverage shall be counted towards FAR.

22.17.6 Norms for non-residential use within residential use premises

i. Three types of non-residential activities shall be permitted within residential use premises:
   a. Professional activities
   b. Other activities – Commercial and PSP uses

ii. Non-residential use within residential use premises, (including small shops) shall not be permitted in the Lutyens' Bungalow Zone, Civil Lines bungalow zone, government housing, institutional / staff housing of public and private agencies and buildings / precincts listed by the Heritage Conservation Committee.

iii. Identification of Mixed-Use areas/ Streets:

Following streets/ areas shall be considered as Mixed Use areas/ streets and Commercial Streets for the purpose of this Clause:

a. All streets/ stretches already notified as Mixed Use street or Commercial street by the Competent Authority;
b. Residential areas and streets/ stretch earlier declared as commercial areas / streets or where commercial use was allowed in MPD-1962 shall continue to the extent as was permissible as per MPD-1962;
c. Commercial activity existing from prior to 1962 in residential areas, subject to documentary proof thereof;
d. Plotted development in pre-1962 colonies shall be treated as rehabilitation colonies in their respective categories (A to G) for the purpose of this chapter.
e. Any street /stretch under the process of notification by the Competent Authority or where the matter is presently sub-judice, upon completion of the notification process.
f. No new streets other than already identified shall be notified as Mixed Use/ Commercial Use streets.
g. All existing plots and uses as approved for mixed use under MPD-21 shall continue to be permitted as per approved conditions.

iv. **Professional Activities:**

Professional activities shall mean those activities involving services based on professional skills namely Doctor, Lawyer, Architect, and Chartered Accountant, Company secretary, Cost and Works Accountant, Engineer, Town Planner, Media professionals and Documentary Film maker, Management* Professionals and Dietician/ Nutritionists. These shall be permitted in all residential use premises (plotted development and group housing)

Professional activity is permissible in:

a. In group housing, and plotted development with multiple dwelling units, professional activity shall be permitted on any floor subject to maximum of 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less, of each dwelling unit.
b. In the case of plotted development with single dwelling unit, professional activity shall be permissible on any one floor only, but restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR whichever is less on that plot.
c. Professional activity in basements is permissible in plotted development, subject to relevant provisions of Building Bye-Laws, structural safety norms and fire safety clearance. In case, the use of basement for professional activity leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government.
d. No combining of DUs shall be permitted. All required licenses, permissions and clearances for conducting such activities shall be obtained from concerned agencies.

v. Provisions for identified Mixed-Use areas/ Streets:

Following streets/ areas shall be considered as Mixed Use areas/ streets and Commercial Streets for the purpose of this Clause:

a. All streets/ stretches already notified as Mixed Use street or Commercial street by the Competent Authority;
b. Residential areas and streets/ stretch earlier declared as commercial areas / streets or where commercial use was allowed in MPD-1962 shall continue to the extent as was permissible as per MPD-1962;
c. Commercial activity existing from prior to 1962 in residential areas, subject to documentary proof thereof;
d. Plotted development in pre-1962 colonies shall be treated as rehabilitation

colonies in their respective categories (A to G) for the purpose of this chapter.

e. Any street /stretch under the process of notification by the Competent Authority or where the matter is presently sub-judice, upon completion of the notification process.

f. No new streets other than already identified shall be notified as Mixed Use/ Commercial Use streets.

g. All existing plots and uses as approved for mixed use under MPD-21 shall continue to be permitted as per approved conditions.

vi. Household Industries:

Industrial activities (listed in Annexure 4) shall be permitted as Household Industries in all residential use premises, as per following conditions:

a. Maximum number of workers: 9
b. Maximum power load: 11 kw
c. No inflammable or hazardous substance is stored within premise.
d. Household industrial units shall be allowed on any floor to the extent of 50% of permissible floor area of the dwelling unit. Such activities shall not be permitted in basements.
e. Separate industrial electric connection (single phase) and Municipal License shall be obtained from the concerned authorities.
f. None of the industries in residential areas shall be allowed to carry out processes such as anodizing, bleaching, burning of coal, canning facility, dyeing, electroplating, moulding works, use of CFC gases, varnishing, washing and other water intensive processes.

vii. Permissibility of Commercial and Other activities in mixed use

a. Commercial activities

Table 22. 84 Types of activities permitted in identified mixed use areas/ streets and commercial streets

Activities	Type of uses permitted	In case of notified Mixed Use Street	In case of notified Commercial Street
Commercial	- Retail Shop, Repair Shop, Personnel Service Shop - Office - Restaurant	Entire ground floor up to permitted ground coverage	a. Permitted up to 100% of FAR b. All uses as permitted in LSCs shall be allowed c. Banquet Hall shall also be permitted

Notes:

i. **The following activities shall not be allowed under Mixed Use:**

a) Retail shops of building materials [timber, timber products (excluding furniture), marble1, iron and steel, (gravel, cement and sand2], firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials.

b) Repair shops / workshops of automobiles, tyre resoling and re-treading, and battery charging.

c) Storage, go-down and warehousing.

d) Junk shop (except paper and glass waste)

e) Liquor shop

f) Printing, dyeing and varnishing

g) Any other activity that may be notified from time to time by Government.

ii. **On mixed-use or commercial notified streets with 24m and above ROW,**

- Shops of finished building material (including gravel, sand and cement) will be permitted only if no cutting and polishing activity is undertaken. These shall be permitted on plots of minimum 100 sqm with maximum 50% ground coverage.
- Automobile repair shops and workshops shall be permitted on 30m or above ROW.

iii. **In case of DDA flats, the entire ground floor of the flats on notified streets shall bepermitted as follows:**

- Only one Small Shop- maximum 20 sqm area unit shall be permitted.
- No amalgamation of flats shall be permitted

iv. If use of basement for non-residential activities leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such excess FAR shall be used, subject to payment of appropriate charges prescribed by the competent authority.

b. Other activities

"Other activity" are broadly in the nature of 'Public and Semi-Public' facilities as per conditionsspecified and plots abutting roads of minimum ROW prescribed.
For other activities permissible in residential plots following conditions shall be applicable,whether or not the road is notified as mixed use street:

i. In A, B, C & D colonies, all activities shall be permitted on minimum 200 sq.m plots and in E, F, G colonies on minimum 75 sq.m plots. Min. RoW shall be as follows:

Table 22. 85 Min. RoW conditions for other activities

Colony type	Condition
A & B colonies	Only on 24m and above ROW
C & D colonies	Only on 24m ROW and above in regular residential plotted development, 9 m ROW in rehabilitation colonies and in regularized-unauthorized colonies, resettlement colonies, AOWC and urban villages
E, F & G colonies	Only on 13.5m and above ROW in regular residential plotted development,9 m ROW in rehabilitation colonies and in regularized-unauthorized colonies, resettlement colonies, AOWC and urban villages
Note: Any existing uses approved in all types of colonies (prior to notification of the prevailing master plan) as per the provisions of MPD-21 shall continue to be permitted.	

ii. Other activities shall include the following:

Table 22. 86 Other activities permitted in identified mixed use areas/ streets andcommercial streets

Other Activities	Type of uses permitted	Other Condition
PSP	• Bank • Dispensary, Clinics, Clinical laboratory, Pathology laboratory, Small collection centres, • Maternity Home, Nursing Home/ Polyclinic/ Primary Health Centre, Nursing home, Family Welfare Centre Pediatric Centre/ Geriatric Centre Diagnostic Centre, etc. • Wellness Centres including day spas/ weight-loss centres/ ayurvedic centres offering ayurvedic treatment/ salons offering fitness and aesthetic medical services • Pre-primary/ Nursery/ Montessori schools; Play schools, Creche & Day care centres • Coaching Centre, Computer training institute • Vocational Training Centre, Skilling centres, Coaching Centres, • Senior citizens' meeting room, Banquet Hall, Indoor games facilities, Fitness centres and Gym, Guest house (including lodging houses) irrespective of number of rooms.	a. Other activities shall be permissible upto 2/3rd of total FAR. In case of Banks it shall be limited to 600 sq.m. b. On plots abutting 24 m RoW/ notified mixed use/ commercial street, other activities shall be permissible upto 100% of permissible FAR c. Banks lockers if part of existing bank shall be allowed in the respective basements of same premises. d. In A & B colonies following shall be permitted: • Guest House (incl. Lodging houses) • Diagnostic Centre, • Maternity Home, Nursing Home/ Polyclinic, Primary Health Centre, Family Welfare Centre, Pediatric Centre/ Geriatric Centre, Extended health-care facilities (like transition-homes, respite care centres, Special facilities for differently-abled and mentally challenged persons) • Pre-primary School/ Nursery/ Montessory/ Day Care shall be permissible • Banks, NGOs, Fitness centres and wellness centres shall be permissible as per provisions of MPD-2021. e. Pre-Primary/Nursery, Montessory/ Creche/ Day Care uses shall not be permitted in basement. f. Skilling centres, Coaching Centres, Computer Training institute uses shall only be permitted on plots with minimum area of 1000 sq.m on roads with 24m ROW. g. Banquet Hall shall only be permitted on 24m and above ROW. These shall be restricted to basement and ground floor. h. In case of Health facilities, radiation-based activities shall not be permitted in Residential areas. i. Only the Non-profit organizations/ NGOs existing as on 07.02.2007 and registered under applicable Acts, may continue to operate. j. Restaurants on ground floor only with

		valid appropriate licenses and with all statutory clearances, as existing on or before the date of notification shall only bepermissible on notified mixed use streets

viii. Permissibility of Commercial and Other Activities in Mixed Use in Walled City andCultural Precincts

Table 22. 87 Norms applicable for Walled City and for plots identified as part of CulturalPrecincts

Type of uses permitted	ROW requirement	Minimum plot size
Small Shops	No minimum requirement	No minimum requirement. Max. 1 unit per plot.
Retail Shop, Repair Shop, Personnel Service Shop, Office and Restaurant)	Minimum 6m ROW	75 sq.m
- Dispensary, Clinics, Clinical laboratory, Pathology laboratory, Small collection centres, - Maternity Home Nursing Home/ Polyclinic - Primary Health Centre - Family Welfare Centre - Pediatric Centre/ Geriatric Centre - Diagnostic Centre - Pre-primary/ Nursery/ Montessori schools; Play schools - Creche & Day care centres - Coaching Centre, Computer training institute - Vocational Training Centre, Skilling centres, Coaching Centres - Reading room/ library, Youth Centre, Senior citizens' meeting room, Facilities for meditation/ spiritual training, Banquet Hall, Indoor games facilities, Fitness centres and Gym, Small Religious facility, Post Office Counter	Minimum 9m ROW	75 sq.m

ix. Non-residential activities in Group Housing

In case of Group Housing Plots Small shop and Retail Shop, Repair Shop, Personnel Service Shop specially provided for in the layout plan shall be permitted up to a maximum of 1.5% of the permissible FAR or 1000 sqm, whichever is less. At least 50% of such FAR shall be mandatorily utilised for provision of small shops units catering to local needs. A minimum of 4 shops of 20 sqm each shall be provided. Such uses may be provided in the form of vertical mixing orseparate block within the plot.

x. Additional Norms applicable on all non-residential activities within residential development:

a. DCN as applicable for the particular residential use will continue to be applicable, even ifthe plot / dwelling unit is put to mixed use.
b. In Plotted Housing plots, boundary wall shall be optional along the main access road. In plots with stilt parking, active frontage may be maintained by providing shop fronts and other permitted mixed-use activities. ??Such shops shall be counted towards FAR.
c. Wherever a service road is available or proposed, then the mix-use premises should be approached from such service road and not directly from the main

carriageway.

d. No encroachment shall be permitted on the streets or public land.

e. Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluting substance or process shall not be permitted.

f. Applicable charges shall be as under:
   - All premises with non-residential activities shall be required to declare such Mixed Use to the concerned local body and pay necessary charges as per the process notified by the competent authority.
   - All premises with non-residential activities shall be liable for payment of applicable Mixed Use charges to the concerned local body as per the rates notified by the competent authority, for the period during which the property is used for non-residential activities.
   - The allottee / owner shall obtain pay all necessary fees or charges before using the premise for any non-residential activity.
   - The local body concerned shall be responsible for the conduct of test check of properties under mix use, whether registered with it or not.
   - In addition to other penal action available under the relevant act, properties found to be under mix use, without registration or in violation of the terms of this notification shall be liable to pay, to the local body, a penalty as prescribed by the competent authority from time to time.

22.18 Green Blue Factor (GBF)

Computation of GBF shall be done at the plot level and the same shall be integrated as a condition for all building and layout sanction. The factors and methodology to be used for GBF computation are as follows:

GBF is the ratio of the sum of area under different types of blue/green elements (as identified above) against their respective factor to the total plot area:

Table 22. 88 GBF Calculator

S. No.	Type of Blue/green element (X)	Factor
1	Impervious surface (including paved areas, black top driveways and internal streets, roof surface without green roof)	0
2	Chlorinated water feature (e.g. swimming pool)	0.2
3	Green Wall (supported vertical systems for plants on external wall surfaces)	0.2
4	Pervious surface with water absorbent tiles	0.3
5	Pervious surface with manicured lawn and/or Greenhouse	0.5
6	Green Roof (minimum 70% area covered with plantation and shrubs)	0.6
7	Pervious surface with natural grass/ground and vegetation (including urban agriculture)	0.8
8	Area under tree cover (canopy density 10-40%)	0.9
9	Area under dense tree cover (canopy density 40% or more)	1
10	Open water body with non-lined bottom (non-chlorinated)	1
GBF for a plot shall be calculated using the following formula: **GBF = {(Area under element X corresponding factor) +... (Area under element nX corresponding factor)}/ Total plot area**		

22.19 Transfer of Development Right (TDR)

Transferable Development Right (TDR) means the FAR provided in exchange of unutilized development rights on specific sites as permitted by the master plan. TDR can be utilized only in TDR receiving areas identified by the Plan.

TDR shall only be awarded where land/development right is forfeited for a public purpose such as provision of essential infrastructure, regeneration of historical areas, housing for urban poor, etc.

TDR shall be awarded in the form of a TDR Certificate. TDR Certificate shall be issued by Delhi Development Authority as per regulations for the same. Regulations detailing out the process of implementation of TDR shall be prepared by DDA within 6 months of the notification of this Plan.

TDR Certificate shall provide development rights only within the NCT of Delhi.
TDR Certificate will be valid in perpetuity and the owner can use it at any time or transfer it to any other person or entity as per the regulations.

Multiple transactions are permitted on the TDR Certificate till the total value of TDR issued has been utilised. Once the TDR is completely expended, the TDR Certificate becomes null and void. A dedicated online portal for all matters pertaining to demarcating TDR generating and receiving areas, TDR issuance, tracking TDR utilization shall be set up.

Computation of TDR for utilisation: The value of TDR for utilisation shall vary according to the variation in land values across the city. The following formula shall apply to rationalise the variation and compute the value of TDR to be utilised at the receiving site:

Table 22. 89 TDR

TDR value on the receiving site =(Rg/Rr) x Y
Where, Rg = Land rate in rupees per sq.m. as per the circle rate of generating site in the year when TDR Certificate is issued. Rr = Land Rate in rupees per sq.m. as per the circle rate of the receiving site of the same year for which Rg has been considered Y = Unutilized FAR (can be whole or part of the TDR value in the Certificate)

Other conditions for TDR utilisation:

i. TDR shall be utilised only within TDR Receiving Areas, demarcated and notified by DDA
ii. TDR shall be utilised to build over and above the permissible FAR on a receiving site/plot.
iii. A plot shall be eligible to utilise TDR only if at least 50% of the area is within the notified TDR Receiving Area.

Following are the identified TDR Receiving Areas and associated conditions for TDR utilisation.

TDR Receiving Area in land pooling zones: 500m corridor on either side of the urban extension roads (UERs) only applicable in area notified under land pooling. (ref: DEV1)

i. Only plots of minimum 3000 sq.m., with direct access from minimum 18m RoW are eligible to receive TDR. Plotted housing shall not be eligible to receive TDR.
ii. TDR may be utilised up to a maximum of 10% of the permissible FAR for the same land use permissible on the plot.
iii. On VM plots, TDR can be utilised as FAR for any land use after rationalisation. It shall not be linked to the land use of the receiving plot and can be utilised as residential, commercial, PSP or industrial FAR, provided the maximum FAR limit is not exceeded, and compatible uses are ensured on the plot.
iv. Only 10% increase shall be permitted on the extent of FAR calculated for each

land use at sector level, for utilisation of TDR.

v. TDR Receiving Area in notified TOD Nodes and Business Promotion Districts:

vi. Only plots having direct access from minimum 30m RoW, coming up as TOD Schemes or Regeneration Schemes of minimum 1 ha area shall be eligible to receive TDR.

vii. Maximum TDR shall be 10% of the permissible FAR. Total FAR including TDR on a plot shall not exceed 500.

viii. TDR on such Schemes can be utilised for Commercial, PSP and Industrial uses.

22.20 Norms for Vertical Mixing

i. Compatible uses shall be permitted to be developed as part of the same building/structure on a plot.

ii. Separate entry/exits and service cores shall be provided for each use.

iii. Public uses such as facilities, commerce, schools, etc. Shall be located on the lower floors with direct access from the ground level.

iv. Vertical Mixing of hospitals, health care facility, university campuses, utilities, fuel stations, parks and correction/ penal facilities of any kind shall not be permitted. Local medical facilities shall be permitted as part of vertical mixing.

v. Mixing shall only be permitted for compatible uses as follows:

   a. Only non-manufacturing industries like service industry (IT/ITES, BPO/KPO, etc.), packaging and logistics, and non-polluting MSME units can be combined with PSP.

   b. Schools can only be combined with residential use premises. Other educational institutions can be combined with clean industries such as those mentioned above.

--- x --- x ---- x --- x --- x ---

List of Abbreviations

A

AI - Artificial Intelligence
AAI- Airport Authority of India
APRH - Affordable Public Rental Housing
ASI - Archaeological Survey of India
ATA - Active Travel Area
AQI - Air Quality Index

B

B&B – Bed and Breakfast
BBMB - Bhakra Beas Management Board
BEE- Bureau of Energy Efficiency
BFSI - Banking, Financial Services

and InsuranceBID - Business
Improvement District
BIS - Bureau of Indian
Standards BPD -
Business Promotion
DistrictBRT - Bus
Rapid Transit
BUA - Built-up Area

C

CBD - Central Business District
CHBS - Cooperative Housing
Building SocietiesCBO -
Community-Based Organization
CBWTFs - Common Bio-Medical Waste
Treatment FacilitiesCC - Community Centre
CCTV - Closed-Circuit Television
C&D wastes - Construction and
Demolition WastesCETP - Common
Effluent Treatment Plant
CGWB - Central Ground
Water BoardCMP -
Comprehensive Mobility
Plan CNG - Compressed
Natural Gas
CNCR - Central National
Capital RegionCP -
Connaught Place
CPCB - Central Pollution Control Board
CPHEEO- Central Public Health and Environmental
Engineering OrganizationCPWD – Central Public Works
Department
CRMP - Cultural Resource
Management PlanCSC -
Convenience Shopping Centre
CSP- Community
Service PersonnelCSO
– Civil Society
Organization
CSR - Corporate Social
ResponsibilityCVs -
Commercial Vehicles

D

DC -
District
Centres
DE-
Developer
Entity
DCN- Development Control Norms
DCR - Development Control
RegulationsDDA - Delhi
Development Authority
DDMA- Delhi Disaster Management
AuthorityDE - Developer Entity
DFC - Dedicated

Freight CorridorDFS-
Delhi Fire Service
DDMA- Delhi Disaster
Management AuthorityDMRC-
Delhi Metro Rail Corporation
DIMTS - Delhi Integrated Multi-Modal
Transit SystemDISCOM - Distribution
Company
DJB - Delhi Jal Board
DMA - District Metered Area
DMC - Delhi Municipal
Corporation DMIC - Delhi
Mumbai Industrial Corridor
DMRC - Delhi Metro Rail
Corporation DOMC - Delhi
One-Mobility Commission
DPCC - Delhi Pollution Control
CommitteeDPGS - Delhi
Parks & Gardens Society DRU
- Disaster Response Unit
DSA - Data Sharing Agreement
DSIIDC - Delhi State Industrial and Infrastructure
Development CorporationDTC - Delhi Transport Corporation
DTIDC - Delhi Transport Infrastructure
Development CorporationDU - Dwelling Unit
DUAC - Delhi Urban Art
Commission DUHF - Delhi
Urban Heritage Foundation
DUSIB – Delhi Urban Shelter
Improvement BoardDVC - Damodar
Valley Corporation

E

ECS - Equivalent Car Space
ECBC- Energy Conservation
Building CodeECS -
Equivalent Car Space
EDC - External Development
Charges EDMC - East Delhi
Municipal CorporationEIA -
Environmental Impact
Assessment EoDB – Ease of
Doing Business
ESZ - Eco-
Sensitive
ZonesESS-
Electric Sub
Station
EWS- Economically
Weaker SectionEV -
Electric Vehicle
EWS - Economically Weaker Section

F

FAR - Floor Area Ratio
FDI - Foreign Direct
InvestmentFOBs -

Foot Over Bridges
FTTH - Fibre-to-the-Home

G

GBF - Green-Blue Factor
GDA - Green
Development Area
GDP - Gross
Domestic Product
GER - Gross
Enrolment Rate GHG
- Greenhouse Gas
GIS - Geographic Information System
GNCTD - Government of National Capital
Territory of DelhiGPCD - Gallons Per Capita
per Day
GPRA - General Pool Residential Accommodation
GRIHA - Green Rating for Integrated
Habitat AssessmentGSM - Global System
for Mobile Communication
GVA - Gross Value Added

H

HCC - Heritage Conservation
CommitteeHCV - Heavy
Commercial Vehicle
HDI - Human
Development IndexHH
- Household
HT - High Tension

I

ICD - Inland Container Depot
ICT - Information and Communication
Technology ICV - Intermediate
Commercial Vehicle
IEC- Information Education and
CommunicationI&FC - Irrigation and
Flood Control Department IFC -
Integrated Freight Complex
IGP - Integrated GDA Plan
IGBC- Indian Green
Building CouncilIIA -
Industrial Improvement
Area
INTACH - Indian National Trust for Art and
Cultural HeritageIPT - Intermediate Public
Transport
IRC - Indian Road
Congress ISBT -
Inter State Bus
TerminalIT -
Information
Technology ISBT-
Inter State Bus
Terminal

ITES - Information Technology Enabled Services

ITI - Industrial Training Institute
ITMS - Intelligent Transport Management System

J

JJ clusters - Jhuggi Jhopri clusters

K

KBI – Knowledge Based IndustriesKPI - Key Performance Indicator

L

LBZ - Lutyens Bungalow Zone
LCA - Life Cycle Analysis
LCV - Light Commercial Vehicle
LDC - Liveable Delhi Committee
L&DO - Land and Development OfficeLDRA - Low-Density Residential Area LDRP - Low-Density Residential Plot
LEED- Leadership in Energy and Environment DesignLIG - Low Income Group
LoS - Level of Service
LPCD - Litre Per Capita per Day LPG - Liquefied Petroleum Gas LPR - Labour Participation Rate
LRT - Light Rail Transit
LSC - Local Shopping Centre

M

MCC - Metropolitan City Centre
MCD - Municipal Corporation of DelhiMCV - Medium Commercial Vehicle MDR - Mobility Data Repository
M&E - Monitoring & Evaluation
MOEF& CC- Ministry of Environment and Forest & Climate ChangeMES - Military Engineer Services
MFA - Material Flow Analysis MGD - Millions of Gallons per Day
MICE - Meetings, Incentives, Conferences &

ExhibitionsMIG – Medium Income Group
MLCP - Multi-Level
Car ParkingMMI -
Multi-Modal
Integration
MMSCMD - Million Metric Standard Cubic
Meter Per DayMMTH - Multi-modal
Transport Hub
MoHUA - Ministry of Housing and
Urban AffairsMPD - Master Plan
Delhi
MRF - Material Recovery
Facilities MRTS - Mass
Rapid Transit System MSME
- Micro Small Medium
EnterpriseMSW - Municipal
Solid Waste
MTA - Market Traders Association
MTNL - Mahanagar Telephone
Nigam LimitedMU - Mega Unit
MUZ - Multi-
Utility Zone
MW -
Megawatt
M&WC - Medicine & Walk-in Clinic

N

NBC- National
Building Code NCR
- National Capital
Region
NCRPB - National Capital Region
Planning BoardNCTD - National
Capital Territory of Delhi
NCZ – Natural Conservation Zones
NDMC - New Delhi Municipal
CorporationNFHS - National
Family Health Survey NGO -
Non-Governmental
Organization
NHAI - National Highways
Authority of India NHC - Non-
Hierarchical Commercial Centres
NHCC - Non-Hierarchical
Commercial CentreNMA-
National Monument Authority
NMT - Non-Motorized
TransportNMV - Non-
Motorized Vehicle
NOC - No Objection
Certificate NR- No
Restriction
NREP - National Resource
Efficiency PolicyNRW - Non-
Revenue Water
NTE - Night Time Economy

O

O-D - Origin Destination
O&M - Operations & Maintenance

P

PBS - Public Bicycle Share
PDS - Public Distribution System
PHPDT - Peak Hour Peak
Direction TrafficPIS -
Passenger Information
System
PLFS - Periodic Labour
Force SurveyPM -
Particulate Matter
PMD - Parking Management District
PMDMU - Plan Monitoring and Database
Management UnitPMDP - Parking
Management District Plan
PMKVY - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PM-UDAY - Pradhan Mantri Unauthorised Colonies in Delhi Awas
Adhikar YojanaPMV - Personal Motor Vehicle
POPS - Privately-Owned
Public SpacesPPP - Public
Private Partnership
PSP - Public &
Semi-PublicPT -
Public Transport
PTAL - Public Transport
Accessibility LevelsPUHC -
Primary Urban Health Centre
PVs- Passenger Vehicles
PwD - Persons with Disabilities
CPWD - Central Public Works Department

R

R&D - Research and
development RFID - Radio
Frequency Identification
RoW - Right of Way
ROB - Road Over
Bridge RUB -
Railway Under
Bridge
RRTS - Regional Rail
Transportation SystemRRTS -
Regional Rapid Transit System
RTVs - Rapid Transit Vehicles
RWA - Resident Welfare Association

S

SCADA - Supervisory Control and
Data AcquisitionSDC - Sustainable
Delhi Committee
SDG - Sustainable
Development Goals SDMC -
South Delhi Municipal
CorporationSEZ - Special

Economic Zone
SMEs - Small and Medium-sized Enterprises SPAs - Service Providing Agencies
SPV - Special Purpose Vehicle
SRDC - Shahjahanabad Redevelopment Corporation SRS - Sample Registration System
STP - Sewerage Treatment Plant SUS - Sustainable Urban Services SWM - Solid Waste Management
SWOT - Strengths Weaknesses Opportunities and Threats

T

TDR - Transferable Development Rights TERI - The Energy and Resource Institute

TOD - Transit-Oriented Development ToR - Terms of Reference
TPD - Tonnes Per Day

U

UBBL - Unified Building Bye Laws
UCs - Unauthorized Colonies UERs - Urban Extension Roads UGR - Under Ground Reservoir ULB - Urban Local Body
UMTA - Unified Metropolitan Transportation Authority
URDPFI - Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation UT - Union Territory
UTF - Urban Transport Fund
UTTIPEC - Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning & Engineering) Centre

V

VDC - Vibrant Delhi Committee VGF - Viability Gap Funding

W

2Ws - Two wheelers
3Ws - Three wheelers
4Ws - Four wheelers / PV(cars) WHO - World Health Organization
WSUD - Water Sensitive

Urban DesignWTP - Water
Treatment Plant

Z

ZDP - Zonal Development Plan
Z-farming - Zero
Acreage farmingZWLs
- Zero Waste Localities

Definitions

A

Active frontage

A street stretches where there is an active engagement through visual / physical permeability between the street and the building. In active frontage the front façade of buildings open towards the streets and accommodates public activity suc as retail or recreational activities. It enhances pedestrian activities and passive surveillance on the public street.

Active travel

A mode of transport which involves physical activity such as walking and cycling to get from onedestination to another.

Active Travel Area (ATA)

A precinct/area identified , to promote Active Travel by improving the density of NMT streets and/or retrofitting the existing network in that area.

Adaptive reuse

It is the process of reusing a listed existing building, to accommodate permissible and compatible uses .With adaptive reuse in historic buildings, continuation of the aesthetic and historic values along with prolonged useful life can be achieved. The re-use and permissible alterations of building shall be as per the grade provisions given in UBBL 2016.

Affordable rental dwelling units

Tenure-based residential units comprising of affordable rental dwelling units and dormitories with ~~initial~~ rents as prescribed by the Government.

All-abilities Park

Park designed with recreational facilities/activities making them inclusive for users of all abilities and age groups.

Amenities FAR

Amenities FAR is an incentive FAR (over and above permissible FAR) for provisioning additional social amenities in unplanned areas as part of the regeneration process.

Archaeological Park

A spatially contiguous area that combines assets of heritage value with ecological assets. Such parks have the potential to become an interpretative and educational resource for the public in addition to the value as a tourist attraction.

Assisted purchase units

Tenure-based residential dwelling units comprising of rent-to-own model units where tenants will mandatorily set aside annual lump sum amounts with the option of purchasing the unit at the end of a pre-specified period.

B

Bio-drainage

Bio-drainage or biological drainage is the removal of excess soil water by plants through evapotranspiration, which depends upon the plant species, plantation density, depth to water table and climate.

Bio-swale

A green infrastructure facility designed as a vegetated, shallow, landscaped depression to capture, treat, and infiltrate stormwater runoff as it moves downstream.

Blue assets

Ecological features like river Yamuna and wetlands, ponds, lakes, natural drains and man-made features like canals, *baolis*, wells, etc.

Brownfield area

The existing built-up area of the city.

Business Promotion Districts (BPDs)

BPDs include specific existing Industrial Areas, District Centres and Institutional Areas etc. as identified in the Plan

C

Canopy density

The proportion of an area that is covered by the crown of trees and is expressed in percentage of the total area.

Carriageway

A space reserved for movement of motorized and non- motorized vehicles.

Circular economy

An economic model in which resources are kept in use for as long as possible in order to maximize value and reduce waste. It is an alternative to the traditional linear economic model of 'make, use, dispose' and includes recycling and repair economies, wastewater reuse, recycled C&D waste products and construction materials (like fly ash bricks, reclaimed asphalt pavement etc.), recycling of faecal sludge, etc.

City level circuits

Public space networks for fostering a safe and vibrant civic society/societal behavior ~~public realm~~ supported with improved ~~public~~ amenities/facilities for facilitating cultural and/or creative economies, at times coupled with ~~for introduction of~~ themed events, etc

Non-polluting and environment-friendly economies/industries such as knowledge and cyber economies, cultural and creative economies, green economies, circular economy etc. which has low impact on the quality of air and water, manages waste and reduces its generation, as well as minimizes chemical risks.

Commercial Centers

These are the major business trade & commerce & shopping centres that serve as the multi modal activities. It includes Metropolitan City Centre, District Centre, Community Centre, Local Shopping Centre, Convenience Shopping Centre and Non-Hierarchical Commercial Centre, Wholesale and Warehousing.

Comprehensive Mobility Plan (CMP)

A Plan presents a long-term vision of desirable mobility patterns (people and goods) for a city and provides strategy and policy measures to achieve this vision.

Congestion pricing

The charge applied to vehicles entering a defined area of the city so as to reduce the number of vehicles and level of congestion in those areas.

Consortium
A duly registered association having rights, duties & obligations in accordance with the law, consisting of multiple landowners/Developer Entities who have come together to pool land for development as per prescribed norms and guidelines.

Conversion charges
These are the charges prescribed by the Government from time to time & payable wherever use of the land / activity is changed, other than the license fee permitted as per law.

Complete Streets
Streets designed and operated such that they prioritize pedestrian and cyclists over other users, and enable safe mobility for all users, including people of all ages and abilities.

Cultural and Creative Economies
Economy based on industries such as tourism, design and fashion, publishing, F&B, media, visual/performing arts, etc.

Cultural hotspots
Places of intense public activity, attracting locals as well as tourists due to the identity of the place, or historic, cultural or any other significance.

Cultural Precincts
A concentration of fragmented and non-contiguous heritage sites and/or buildings of socio-cultural importance within an area, connected to each other by streets or street networks to form a cohesive cultural hotspot.

Cultural Resource Management Plan (CRMP)
It is a plan to be prepared for each cultural precinct, incorporating urban design and built form controls.

Dedicated cycling corridors identified and developed with all necessary infrastructure to facilitate long distance active travel.

D

Developer Entity (DE)
An individual land/property owner or a group of land/property owners who have pooled one or more parcels of land for taking up development/ regeneration.

E

Eco-cultural assets
Features where both ecological and cultural aspects of a landscape are combined together, such as protected monuments and heritage buildings with open greens, gardens, constructed water systems liketanks, stepwells (*baolis*) etc.

Economy Routes
Dedicated high frequency low-fare mass transit routes in the city.

Encumbrance
Any legal or physical impediment that can adversely impact the transferability of the property andrestrict its free use until the encumbrance is removed.

Evacuation spaces
Open to sky areas where people can gather at the time of an event such as fire, earthquake etc. Thesecan be parks, multi-purpose grounds, other open spaces etc. that are easily accessible by residents.

Economically Weaker Section (EWS)
EWS households are defined as households having an annual income for qualifying into the Category, asmay be prescribed by the Government from time to time.

Express Routes
Route connecting high footfall mass transit stations/destinations such that the number of stops /haltstations during the journey are minimized and the travel time is optimized.
Refer MOB2, clause 4.4

External Development Charges (EDC)
The charges to be paid by DE/Consortium towards the cost of constructing, laying and installing the trunk public infrastructure and services, including inter-alia roads, water supply, sewerage and drainage systems, electricity supply, greens etc.

F
First mile connectivity
First mile connectivity refers to getting people from origin of a trip to any public transportation hub likea railway station, bus stand/depot or metro station etc.

Flood Detention Sinks/retention sinks
Storm water management practice used to retain/store flood water. Detention sinks can be used toattenuate and treat surface water runoff from roads or other impermeable surfaces. They are designed

for areas in which storm runoff needs to be contained for a period of time to allow solids to settle and for downstream peak flow to be reduced.

G
Green assets
Ecological features like forests, orchards, riverside development, planned parks, trees and landscaped areas, recreational greens, green belts, gardens and green roofs in built fabric, etc.

Green-Blue Factor (GBF)
It is a factor used for calculating a combination various green - blue features at the plot level i.e. roof gardens, terrace gardens on intermediate floors, green walls, landscaped and/ or pervious ground areas etc.). .

Green-Blue Infrastructure
The interconnected network of multi-scalar and multi-functional Green and Blue Assets that may be natural or form a part of designed landscapes/urban design. The concept refers to urban planning where water bodies and land are interdependent, and grow with the help of each other while offering environmental and social benefits

Green building
A building that, in its design, construction and operation, reduces or eliminates negative impacts, and create positive impacts, on the climate and natural environment and preserves natural resources.

Green campus
A campus designed with low carbon footprint and net zero energy. Such sites have very high proportion of greens and open spaces while employing sustainable and eco-friendly practices at all stages of the building's lifecycle.

Green cess
Tariff levied by the development authority and local bodies, creating as a separate Green Fund used for promoting various environment-related works and interventions in the city.

Green corridors
Continuous green and open space existing / proposed along natural drains, water bodies that may include scrub lands, buffers, floodplains, to create a city-wide network of green-blue assets

Green cover
The total area under vegetation across the city that includes publicly accessible and publicly managed green space, non-accessible green spaces, privately owned vegetated land (including farmland, private gardens) and the area of vegetated cover on buildings (green roofs, terrace gardens, etc.)

Green Development Area (GDA)
Area earmarked for development characterized by low density and low building foot print with large wooded and landscaped areas as per the Green Development Area Policy.
Economies that allow reduced carbon emissions and pollution, enhanced energy and resource efficiency, and prevention of the loss of biodiversity and ecosystem services. Examples include urban farming, horticulture, solar farms, theme parks, etc.

Greenfield area
The new areas available for development of urban uses within a city, typically on large vacant lands for new development.

Green fuel
Green fuel or bio fuel is a hydrocarbon that is made by or from a living organism that can be used to generate energy.

Green fund
A fund dedicated for activities/initiative pertaining to protection and enhancement of green-blue assets.

Greenways
Greenways are multifunctional linear landscapes that provide a range of socio-ecological benefits. When created along natural drains and rivers, these offer great potential to be developed as city level dedicated corridors for pedestrians and cyclists. Such greenways can serve the twin functions as safe spaces for leisurely walking, family picnics, cycling etc. as well as provide connection to a Strategic Active Corridors in the vicinity.

Gross Residential Use
A Residential neighborhood consisting of parks, Local shopping centre, schools, dispensary, religious building, utilities and other facilities required for the population at the local level.

H

Heritage assets
Heritage Assets includes both tangible (movable and immovable heritage properties such as paintings, sculptures, manuscripts etc and monuments, heritage buildings, sites, places, streets, areas, gardens, landscapes etc.) and intangible elements (practices, knowledge, skills, living expressions and traditions such as festivals, art forms & folk culture, cuisine, dance & drama etc.) of heritage value.

Heritage building
Any iconic / histrocally important building identified, listed and notified by concerned agency and urban local bodies. Currently, there are 1459 notified heritage buildings within Delhi.

Heritage TDR
Compensation awarded in the form of FAR to the land / property owner for reduction/loss of development rights against his land due to protection of a heritage

building / site.

Heritage precincts It is an area identified by concerned agency that requires conservation and/or preservation for historical and/ or architectural and/or aesthetic and/or cultural and/or environmental and/or ecological purpose.

A large contiguous area of historic importance with characteristics such as unique built fabric, concentration of tangible and intangible heritage assets, associated with a particular dynasty / era or architectural style etc.

Household industries (HHI)
A non polluting, non-obnoxious industrial unit allowed in all residential areas (except the 'No IndustrialActivity Zones') with certain conditions.

I
Influence Zone Plan (IZP)
An integrated plan prepared for the delineated TOD Planning Area of a TOD Node, that includes various area improvement works such as road widening, upgrading public streets multi-utility zones, and facilities for IPT, pedestrian and NMT, multi-modal integration, provision of public parking, urban furniture, signage, public conveniences, street vending zones etc.

Integrated GDA Plan (IGP)
A broad structure plan for the identified area in Green Development Area (GDA).

Interactive zone
Specific areas and trails identified within natural and heritage assets, where full or regulated public access may be permitted with provision of adequate amenities (toilets, drinking water fountains, resting places, visitor information centres etc.) for the purpose of recreation.

Intermediate Public Transport (IPT)
Intermediate Public Transports (IPTs) comprise of on-demand modes of transport (taxis, auto-rickshaws etc.) with no fixed route.

K
Knowledge Based Industry/ cyber economies
Industry that is based on intensive use of technology and measures of research and development and knowledge inputs. For example, firms involved in pharmaceuticals, health biotech, telecommunications, information technology, software, avionics, cyber economies, high-tech robotics and electronics, knowledge and innovation, research and development, etc.

L
Land Pooling
The legal consolidation of land parcels for utilization as per Land Policy and the Regulations for Operationalization of Land Pooling Policy.

Last mile connectivity
It refers to the trip from origin to transit system or transit system to destination such as people going from a transportation hub like a railway station, bus depot or metro station to their final destination orvice - versa.

Low-carbon technology
It is a method to reduce greenhouse gas emissions and to prevent global warming.
Low-carbon technology generalizes all the means and methods for low-carbon or carbon-free. It suitsthe need of adapting to a low-carbon economy,

M

Mandatory Wooded Area

The natural tree covered area (including natural unlined water bodies) to be maintained as part of Green Development Schemes. The trees shall have a canopy density of 70% or more and shall be of species that require less water and/or are effective for pollution control as recommended by the Competent Authority

Master Regeneration Plan

It is a plan to be prepared by the various agencies for the large existing developed areas in order to enhance the present circulation network and create smaller pockets/blocks for undertaking regeneration.

Micro-mobility

Green-mobility options that promote active travel such as battery-operated cycles, e-bikes etc.

Minimum Waste Locality (MWL)

Locality (residential area, housing society, colony, apartment, market etc.) where all the wet municipal solid waste is managed within its boundaries through eco-friendly solutions such as composting and bio-methanation etc.

Miyawaki forest

A dense, multilayered urban forest created by an afforestation technique that involves planting numerous native species in the given area. It can play a major role in ecosystem restoration, controlling pollution, mitigating urban heat island effects and supporting local wildlife.

Multi-facility plots

A plot where various local facilities are proposed to be developed in a composite manor in one or more building within the same plot.

Multi-Modal Integration (MMI)

Integration of rail and road-based systems which may include metro, rail/ rapid rail, bus/ BRTS and intermediate public transport (IPT) including feeder services, taxis, auto-rickshaws and private modes including non-motorised transport (NMT) such as cycle-rickshaws, bicycle, pedestrian, etc.

Multi-Modal Transport Hub (MMTH)

A transit node having multiple modes located at one place such as railway stations, ISBTs, RRTS stations and metro stations etc.

Multi-Utility Zone (MUZ)

An element on urban streets as a dedicated space between footpath/cycle track and motor vehicle lane, having space provisions for any or all of the following functions within them: tree plantation, auto/cycle- rickshaw stands, hawker zones, parking, street furniture, bus stops, public toilets, information kiosks,

traffic police booths and underground and overhead utility services like electricity, water, fire hydrants, telephone, gas etc.

N

Natural assets

Natural ecological features like forests, ridge, river, streams, drains, lakes, ponds and wetlands, etc. wetlands, etc.

Nightlife circuits

Public space networks promoting an active night life by improving safety, reducing congestion by staggering activities, utilising spaces for different activities optimally, and improving productivity for formal as well as informal economic activities and creating night economies.

Night shelter
A premise having the facility for providing night accommodation to individuals without any charges or with token charges. It may be run by local government or voluntary agencies.

Night Time Economy (NTE)
Various economic activities providing alternative time and space for continuing work and production in the city and the areas that remain open for cultural activity and entertainment to attract tourists and locals at night time.

NMV / Cycle Track
A reserved space for movement of non-motorized vehicles like cycle, cycle rickshaws and hand pull carts.

Non-motorized transport (NMT)
Active transport that includes walking, cycling and other forms of mobility that are powered by humans (cycle-rickshaws, handcarts etc.).

O
On-street parking
Authorized parking that takes place within public Rights of Way (RoW).

Off-street parking
Authorized parking that takes place in a built structure (underground, at ground level or above ground level) or may be out in the open as surface parking. It is entered via a driveway (making barrier-based payment systems feasible).

P
Parking Management Area (PMA)
An area delineated to parking related interventions such as managing demand, increasing supply, regulating available parking and reducing parking related externalities.

Parking Management Area Plan (PMAP)

Plans prepared for designated Parking Management Area (PMAs) including specifics of parking management, use of existing parking spaces, parking charges, congestion pricing, ITS application, and enforcement of the plan.

Play streets
Low-volume, local streets temporarily closed to traffic for a specific duration for the purpose of play and recreation.

Privately-owned public spaces (POPS)
Spaces that are private property and are maintained by the owner/developer, but provide open public access during regulated hours at ground or elevated levels within buildings.

Private parking
Parking which is reserved for specific groups of users, such as residents or tenants.

Public art

Site specific artwork created to enhance and animate publicly accessible spaces through artistic interpretations that range from individual sculpture to integrated architectural and landscape features and treatments.

Public Plazas:
Plazas ranging from neighbourhood chowks and nukkads to institutional forecourts, city squares and piazzas, and forming important pause points along movement networks.

Public realm
An essential urban common, comprised of shared public areas in a city that belong to everyone and are accessible to all such as streets, public and private plazas, parks and open spaces, etc.

Public space
An area or place that is open and accessible to all people, regardless of gender, ethnicity, age or socio- economic level. These include public gathering spaces (plazas, squares, parks) as well as connecting spaces (streets, subways). The a number of public spaces of cultural, social and economic significance are added in the form of activity nodes and networks adding to a vibrant public life .

Public waterfronts
Public spaces designed alongside water bodies in areas that were previously neglected, such as the Yamuna floodplains, buffers of drains and water bodies etc.

Public Transport Accessibility Level (PTAL)
A detailed and accurate measure of the accessibility of an area to the public transport network (including all public transport modes, IPTs, etc.), taking into account walk access time and service availability.

Public parking
Parking which is open to the general public for casual short term parking use.

R

Regeneration
A flexible framework that allows the option of using a mix of instruments for development of an area, namely, retrofitting, reconstruction or full/partial redevelopment, provided requirements of , sustainable services, structural safety and improved walkability are met.

Refuge spots
Any spaces within neighbourhood identified by RWAs/ local bodies to provide alternate locations for healthy/unwell residents at the time of contagious disease outbreaks. Such spots may be in the community centre, multi-facility centre or any other publicly accessible facility.

Rental housing
Residential properties having number of DU's and/ or dormitory, exclusively available for rent to the prospective tenant through a formal mechanism like agreement or any such undertaking

Retrofitting
The addition of new technology or features to an existing structure to reduce or eliminate the possibilityof damage to that structure from flooding, erosion, high winds, earthquakes, or other hazards.

Right of Way (RoW)

A reserved space for movement of all modes of traffic which includes pedestrian, cycles, cycle rickshaws, buses, cars, scooter, taxis, autorickshaws, etc. Space for services, underground/ overground utilities, public conveniences and amenities, vendors drinking water kiosks, etc, is planned and reserved within the ROW, without encroaching on walking space or motor vehicle movement space.

S

Sector

An area delineated in the Zonal Development Plan (ZDP) bounded by existing or proposed roads orphysical features such as high tensions lines, railway lines, drains etc. having an area of hec .

Service markets

An area or market having shops for fruits and vegetables, service and repair, junk and scrap materials (kabari), hardware and building materials, automobile repair workshops, etc. *Refer ECO1, clause 3.6*

Service Providing Agency

An agency responsible for providing services such as water supply, sewerage disposal, electricity supply, construction of roads, communication and other distributive services etc .

Single Window System

An ease of doing business measure developed as a single online platform for receiving applications, verifications, approvals, grievances etc., to manage the implementation of a particular policy/ scheme in a time bound manner

Shared mobility

Shared mobility refers to all modes of transport that are not privately-owned. Most of these modes have fixed-route and fixed-price and fixed-schedule (such as buses, metros, etc.). It also includes all demand- based modes that provide first- and last-mile connectivity (shared autos, rickshaws, cabs, etc.)

Small format housing

Housing units with size ranging from 40 - 60 sq.m.

Solar Farms

Solar farms or solar fields are large scale solar installations where photovoltaic panels (solar panels) are
used to harvest the sun’s energy. .

Special abilities parks

Parks designed for play and recreational activities of users (especially elderly, toddlers and infants withcaregivers) with disabilities and special needs.

Special Area

An area with special characteristics designated as such in the Plan for development / redevelopment.

Strategic Active Travel Corridors

Certain identified routes with existing or anticipated high share of cyclists and pedestrians andconnecting different activity centers.

T

Tactical urbanism

Tactical Urbanism or pop-up urbanism is a measure for temporarily retrofitting a street section topriorities pedestrian and NMT movement by reserving lanes, pedestrianizing street

stretches, etc. *1*

Transit-Oriented Development (TOD)
A compact development around a high-capacity transit node with high density, mixed use and designoriented towards walkable and cycleable neighborhood, by maximizing land potential.

TOD Nodes
A mass transit station selected & notified for intense development notified by DDA. The provisions of TOD (Transit Oriented Development) Policy shall only be applicable in the Influence Zones of such identified TOD Nodes.

TOD Planning Area
An area of 500 to 800 m radius around transit stations .

TOD Scheme
A development proposal for an area falling within TOD node and fulfilling all eligibility criteria asspecified in the TOD Policy.

Transit hotspots
Transit nodes developed as hubs of mix use and public activity.

Tree directory
A database of the tree species in a particular area, with identified unique trees/ tree clusters like treecorridors or precincts, heritage trees, precincts with high carbon storage and sequestration rates, etc.,

U
Unauthorized colonies (UCs)
Colonies/ comprising of contiguous area, developed without considering planning principles andapproval of layout plans , building plan from concerned agencies .

Urban farming
The practice of growing, processing, and distributing food and other products through plant cultivationor animal husbandry, aquaculture and urban beekeeping in and around cities for local population needs.

Urban Woodlands
Areas within protected forests that are developedto provide people access to a variety of flora, faunaand natural environment.

Use Premises
A Specific plot or one of the many sub divisions of a Use Zone, designated in an approved layout plan,for a specific Use. Land use of a premise has to be determined on the basis of the Master Plan .

Use Zone
An area for any one of the Specified Use Category of the urban functions as provided in the Master Plan.

V
Vertical mixing of uses
Provisioning of mixing of identified use premises in restricted conditions vertically in a plot.

W

Walkability
Walkability is a measure of the extent to which an area is walkable according to various features of the built environment (barrier free, safe, well-lit, comfortable etc.) and Ped-Shed of the area under consideration.

Walk Plan
A plan prepared for stretches of at least 400-500m (5-10 minutes walking distance) around any specific destination node with provision of pedestrian and cycling infrastructure. Actual delineation of area under a Walk Plan shall be based on ped-sheds and/or desire lines.

Water Sensitive Urban Design (WSUD)
An approach which integrates urban planning with the management, protection and conservation of the urban water cycle (including water supply, wastewater, stormwater and groundwater management) such that the urban water management is sensitive to natural hydrological and ecological processes.

Worker housing
Worker housing means property used temporarily or seasonally for the residential use of a person who is employed to do any highly skilled, skilled, semi-skilled or unskilled, manual, technical or clerical work, but does not include any such person who is employed mainly in a managerial or supervisory or administrative capacity. This housing may either be on- or off-site, and may consist of either dwelling unit or dormitory typology. Worker housing sites shall consist of adequate water supply and sanitation facilities and other amenities like emergency medical aid, creche, etc.

Z

Z-farming
Z-farming or zero-acreage farming is a form of agriculture where separate land is not required for such activity. It utilizes otherwise unused, non-conventional spaces like rooftops, indoors, vertical spaces within buildings, etc.

Zonal Development Plan
A plan for one of the zones (divisions) of the National Capital Territory of Delhi containing detailed information regarding provision of social infrastructure, parks and open spaces, circulation system, etc.

The draft text document of MPD-2041 and Land Use Plan shall be available at the Reception Desk of Vikas Minar, I.P. Estate, new Delhi-110002 on all working days during the period referred above. The same shall also be available on the following link i.e. https://dda.org.in/hotlinks.aspx.

[F. No. 18(15)2021-MP]
D. SARKAR, Dommissioner-cum Secy.

Annexures

Annexure 1: Prohibited / Negative List of Industries

Industries manufacturing the following shall be prohibited within National Capital Territory of Delhi. 2[However, Environment Department, GNCTD in consultation with Industries department, GNCTD shall take the final decisions to ascertain a particular activity/Industry/ factory to fall under the said list as per the parameters/ norms set by the CPCB and adopted by the DPCC.]

1. Arc / Induction Furnace
2. Acids
3. Alkalis

4. Animal & fish oils
5. Aldehydes
6. Acid slurry
7. Acetylides, phridines, iodoform, chloroform, E-nepthol, etc.
8. Ammonium sulphoajanide, arsenic and its compounds, barium carbonate, barium cyanide, barium ethylesulphate, barium acetate cinnabar, copper sulphocyanide, ferrocyanide, hydro cyanide, hydro cyanic acid, potassium biocalate, potassium, cyanide, prussiate of potash, phynigallc acid, silver cyanide
9. Aircraft building.
10. Abattoirs, animal blood processing (except existing, relocation 1{and modern abattoir with latest technology shall be permitted subject to all clearances from the concerned agencies and compliance
with the National Green Tribunal's Orders in this regard). These will be dependent strictly on the need of
the NCT of Delhi to be determined by the concerned local body/ authority.}
11. Bitumen blowing (hot)
12. Brick kiln (using fresh earth as raw material, coal as fuel)
13. B-nepthol
14. Bakelite powder (starting from formaldehyde)
15. Barely malt and extract
16. Bone-grist, bone-meal, salting of bones, storages of bones in open, bone drying
17. Bone charcoal manufacturing
18. Blast furnaces - coal fired
19. Bicycles (integrated plant)
20. Brewery and potable spirits 2{(However, microbreweries upto 500 L/day capacity may be allowed to be set up at any Restaurant / Hotel /Club subject to installation of on-site waste water treatment facility and compliance to all other regulatory requirements)}
21. Chlorinated paraffin wax purification
22. Carbon black
23. Cement industry
24. Calcium carbide, phosphorous, aluminum dust paste and powder, copper, zinc, etc. (electrothermal industries)
25. Cranes, hoists and lifts (excluding assembly)
26. General industrial machinery (such as hydraulic equipments, drilling equipments, boilers, etc.)
27. DOP (Dioctyl Phthalate), DBP & Plasticizer
28. Dry cell battery
29. Dye & dye intermediates
30. Distillation of wood, chemical seasoning of wood (excluding natural seasoning)
31. Explosives, i.e., Fireworks, Gunpowder, Guncotton, etc.
32. Earth moving machinery / equipment (manufacturing of assembly)
33. Electric wires and cables (more than 100 workers, 2000 sqm plot)
34. Fatty acids
35. Fungicides & pesticides
36. Flexographic ink
37. Fuel oils, illuminating oils and other oils such as stchetic oil, shoal oil, lubricants
38. 1[Foundries (Cupola Furnace)*]
39. Gas compressors
40. Graphite production
41. Glass furnace (more than 1 ton / day capacity)
42. Gases-carbon-disulphide, ultramarine blue, chlorine, hydrogen, sulphur dioxide, acetylene, etc. (other than LPG / CNG / Oxygen / medical gases)
43. Glandular / glandes extraction

44. Glue and gelatine from bones and flesh
45. Hot mix plant (except those approved by DPCC / CPCB)
46. Hazardous waste processing viz. hospital/ 2[tertiary health care centre/] medical/industrial waste. 3[(However, modern hazardous waste processing plant with latest technology shall be permitted subject to all clearances, including environmental clearances, from concerned agencies and compliance with the National Green Tribunal's orders in this regard. These will be dependent strictly on the need of the NCT of Delhi to be determined by local body/ authority).]
47. Polyurethene foam
48. Industrial gelatine, nitro glycerine and fulminate
49. Iron / steel metal forging (using pneumatic hammer).
50. Industrial gelatine, nitro glycerine and fulminate
51. Industrial trucks, trailers, etc.
52. Linear alkyd benzene
53. Lead manufacturing including secondary lead industry (recovery of lead from waste scrap)
54. Lime kiln.
55. Leather tanning and dyeing (raw hides/skins to semi finish)
56. Locomotives and wagons
57. Methanol
58. Methylated spirit
59. Mechanical stone crushers & washing of coarse sand
60. Manufacturing of pulp & paper
61. Melamine resin
62. Mineral salts (which involve use of acids: CuSO4, FESO4, alum, etc.)
63. Manufacturing of diesel engines, generators except assembly
64. Motor cycles, scooters, cars, tempos, trucks, etc.
65. News print manufacturing, pulping, fresh paper making
66. Nitrogeneors and phosphatic fertilizers, except mixing of fertilizers for compounding (large scale)
67. Organic solvent, chlorinated minerals, methanol, aldehydes, methylated spirits
68. Petroleum coke processing, not as fuel
69. Potteries / refractories (using coal or furnace oil)
70. Polyethylene polymers including resins
71. Paint industry (nitro Cellulose & Alkyd resin based)
72. Plasticisers manufacturing
73. Pyridines
74. Phenol formaldehyde resin and powder
75. Porcelain product potteries (using coal of production capacity more than 2 tonne per day)
76. Rubber solution and thinner (using naptha and rubber scrap)
77. Roasting of Ore Sulphide Oxides of mixtures
78. Rayon fibre manufacturing
79. Refractories
80. Reclamation of rubber.
81. Production of tyres and tubes (devulcanisation)
82. Saccharine
83. Secondary Zine industry
84. Synthetic rubber
85. Smelting
86. Sewing machines (integrated units) except assembly
87. Sluice gates and gears
88. Stainless Steel Pickling
89. Steam engines
90. Steel pipes and tubes (continuous welded/seamless)
91. Sugar, khand sari

92. Sodium silicatc industry (more than 1 tonne/day)
93. Stone quarrying
94. Textile (more than 100 workers in all shifts, I acre of land, 100 LKD of water)
95. Thorium, radium and similar isotopes and recovery of rare earth
96. Turbines
97. Urea & Phenyl Formaldehyde resin
98. Vegetable oil hydrogenerated
99. Waste (crude / burnt) oil processing (refinery)

Notes:

i. A public utility service involving any of the activities referred to above shall be permitted subject toenvironmental laws.

ii. Further additions / alterations to the list of Prohibited Industries could be made if consideredappropriate and in public interest by the Central Government to do so.

iii. However, continuity of any type of furnace shall be within set parameters of CPCB & DPCC.

Annexure 2: Typological classification of green and blue assets

Natural and Existing Green Blue Assets

Land-based

- Aravalli (Ridge), Regional Parks, Reserved Forest
- Protected Forests
- City Forests
- Biodiversity Parks
- Buffers of natural drains and water bodies
- Archaeological Parks and Greens of historical monuments
- Areas for natural protection/conservation identified by government agencies

Water-based

- River Yamuna and its flood plain
- All natural drains in accordance with the Drainage Master Plan 2018
- Marshes and wetlands
- Water Bodies (1Ha and above) including lakes
- Baolis (stepwells) and Tanks (part of Delhi's historic water system)

Planned green blue assets and other recreational areas

- Planned parks and open spaces of all hierarchies – regional, city, district, community, neighbourhood, housing area, tot lots, multipurpose grounds, golf courses, and playgrounds. (some large parks are part of protected forests in Delhi)
- Sports centres/complexes, golf courses
- Orchards, plant nurseries
- Zoological park and botanical gardens

Other green blue assets within the built fabric

- Private gardens, courtyards, rooftop gardens, pools, internal streets etc.

- Large green areas identified in Institutional /Government campuses/
- Public green spaces contributed through regeneration/TOD schemes
- Surface/open parking areas, public plazas
- Mandatory green areas in closed industrial estates
- Mandatory green areas in LBZ
- Mandatory buffers of HT lines/oil pipelines/other services
- Residual space under flyovers, along water mains, along railway lines, etc.
- Herbs, spice gardens, greenhouses.
- Plantation on central verge of roads, tree cover along roads and streets

New and potential City level Green Blue assets

- Abandoned mines and quarries, power plants and land fill sites/reclaimed land
- Newly developed Buffers of natural drains
- Green Development Area

**The list can be extended by adding any other assets identified by DDA from time to time*

Annexure 3: List of Planned Industrial Areas in Delhi ***(Extracted from MPD 2021)***

Industrial activity shall be conducted at the following locations in the Industrial Use Zone, as indicated inthe Land Use Plan:

ZONES A to H

1. NarainaIndl. Area,
2. Jhandewallan Flatted Factory,
3. Motia Khan Scheme,
4. DCM Flatted Factory Complex,
5. ShahzadaBaghIndl. Area,
6. GulabiBaghIndl. Area,
7. Rajasthan Udyog Nagar G.T. Road near Jahangirpuri,
8. SMA Co-op. Indl. Estate G.T. Road near Jahangirpuri,
9. SISI Indl. Area G.T. road near Jahangirpuri,
10. G.T. Karnal Road Indl. Area near Rana PratapBagh,
11. Hindustan Prefab Ltd., Indl. Area near Shivaji Rly Stn. (Minto Road),
12. Okhla Indl. Area Ph.I, II & III,
13. Mohan Co-op Indl. Area,
14. SISI Complex Okhla near Modi Flour Mills,
15. Najafgarh Road Indl. Area near Zakhira,
16. Kirti Nagar Indl. Area, Mayapuri Ph. I & II,
17. Udyog Nagar Rohtak Road,
18. Keshav Pur Leather Tannery Scheme (part of Service Centre) near Vikaspuri,
19. Wazirpur Industrial Area,
20. Lawrence Road Indl. Area,
21. MangolpuriIndl. Area Ph.I& II,
22. JhilmilIndl. Area,
23. Patparganj Indl. Area,
24. Friends Colony Indl. Area,
25. Narela Indl. Estate,
26. BawanaIndl. Estate,
27. KhanjhawalaIndl. Estate,
28. PVC Bazar Tikri Kalan,
29. Badli
30. Bhorgarh

a. Additional Industrial Areas will be indicated while preparing plans for Urban Extension Areas.
b. The approved Work-cum-Industries Centres, Service Centres etc., where development has been undertaken in accordance with the land use / earlier Master Plans, shall continue to be industrial subject to conformity with provisions stipulated.

Annexure 4: Household Industries

1. Agarbatti and similar products
2. Aluminum hanger (excluding wire drawing and anodizing).
3. Ayurvedic / Homoeopathic / Unani medicines.
4. Assembly and repair of electronic goods.
5. Assembly and repair of sewing machines.
6. Assembly of hand tools.
7. Assembly of Badminton shuttlecocks.
8. Assembly and repair of electrical gadgets, cooler/heater etc.
9. Assembly and repair of typewriter (excluding Font Casting).
10. Assembly of Bakelite Switches.
11. Assembly and repair of measuring instruments (excluding handling of Mercury and hazardousmaterials).
12. Atta Chakkies.
13. Batik works.
14. Block making and photo enlarging.
15. Biscuit, pappey, cakes and cookies making.
16. Button making, fixing of button and hooks.
17. Bookbinding.
18. Brushes and brooms (by hand). s
19. Calico and Textile products.
20. Cane and bamboo products.
21. Cassettes recording.
22. Clay and modeling with / without Plaster of Paris.
23. Coir and jute products.
24. Cardboard boxes.
25. Candles.
26. Copper and brass art wares.
27. Cordage, rope and twine making.
28. Carpentary.
29. Contact Lens.
30. Canvas bags and hold-alls making.
31. Candies, sweets, rasmalai etc. (when not canned).
32. Cotton / silk printing (by hand).
33. Computer repairing and cyber information Centre.
34. Computer Software.
35. Dari and carpet weaving.
36. Detergent (without bhatti).
37. Data processing.
38. Dairy products e.g. Cream, ghee, paneer, etc.
39. Dry Cleaning (excluding big workshops).
40. Desk Top Publishing.
41. Embroidery.

42. Enameling Vitreous (without use of coal).
43. Framing of pictures and mirrors.
44. Fountain pens, ball pens and felt pens.
45. Gold and Silver thread, kalabattu.
46. Hosiery products (without dyeing and bleaching).
47. Hats, caps, turbans including embroideries.
48. Information Technology enabled services
49. Ink making for fountain pens.
50. Interlocking and buttoning.
51. Jewellery items.
52. Khadi and handloom.
53. Khustattis.
54. Knitting works.
55. Lace products.
56. Leather footwear.
57. Leather belts and assembly of buckles (by hand)
58. Leather and rexine made ups.
59. Milk Cream Separation.
60. Manufacture of Jute products.
61. Manufacture of Bindi.
62. Name plate making.
63. Production of following items.
    i. Blanco cakes
    ii. Brushes
    iii. Kulfi and confectionery.
    iv. Crayons.
    v. Jam, jellies and fruit preserves.
    vi. Musical instruments (including repairs).
    vii. Lace work and like.
    viii. Ornamental leather goods like purses, handbags.
    ix. Small electronic components.
64. Paper stationery items and book binding.
65. Pith hat, garlands of flowers and pitch.
66. P.V.C. products (maximum one moulding machine).
67. Paper machine.
68. Perfumery and cosmetics
69. Photosetting.
70. Photostat and cyclostyling.
71. Photo copying of drawings including enlargement of drawings.
72. Packaging of Shampoos.
73. Packaging of Hair Oil.
74. Preparation of Vadi, Papad etc.
75. Processing of condiments, spices, groundnuts and dal etc.
76. Pan masala.
77. Production of Sweets and Namkeens (less than one ton/day)
78. Paper Mache
79. Paper cup. Plates, files cover and letter pads (without printing).
80. Photography (developing and printing).
81. Repair of watches and clocks.
82. Rakhee making
83. Repair of domestic electrical appliances.
84. Readymade garments (without washing).
85. Repair of bicycles.
86. Repair and assembly of computer hardware.

87. Repair of bags, brief cases, suitcases, except use of leather and PVC material.
88. Repairing of Water meters, stabilizer, UPS, etc.
89. Rubber Stamps.
90. Stone engraving.
91. Sports goods/Sports Nets.
92. Surgical bandage rolling and cutting.
93. Stove pipe, safety pins and aluminium buttons (by hand press).
94. Silver foil making.
95. Saree fall making.
96. Shoe laces.
97. Stamp pads.
98. Screen Printing.
99. Tailoring.
100. Thread balls and cotton fillings.
101. Toys and dolls.
102. Ties.
103. Tomato Ketchup.
104. Umbrella assembly.
105. Utensil washing powder (only mixing and packaging).
106. Velvet embroidered shoes / shawls.
107. Vermicelli and macaroni.
108. Wood carving and decorative wood wares.
109. Wool balling and lachee making.
110. Wooden / cardboard jewellery boxes (subject to no objection certificate from the department).
111. Wool knitting (with machine).
112. Zari Zardozi.

Annexure 5: Household Industries permissible in Villages (Abadi)

1. Black smithy.
2. Cane and bamboo products.
3. Clay and modelling with / without Plaster of Paris.
4. Dari / Carpet / Sari weaving (except dying & bleaching).
5. Ice cream and water-cooling by Refrigeration. (without cold storage)
6. Stone engraving.
7. Village pottery Industry (without bhatti).
8. Village oil ghani.
9. Wood carving and decorative wood wares.

Notes:

i. Storing of chemicals listed under schedule I and/ or II of the Manufacture, Storage and import of hazardous Chemical Rules, 1989 and Public Liability Insurance Act, 1990 shall be prohibited.
ii. No effluent / emissions shall be allowed to be generated by the units and these shall adhere to the noise standards as stipulated by Ministry of Environment and Forests, Government of India.

Annexure 6: Indicative list of city-level circuits

- Coronation Park-Shahjahanabad

- Red Fort-Humayuns Tomb
- PuranaQila-RashtrapathiBhavan
- Humayuns Tomb-Safdarjungs Tomb
- Safdarjung Tomb-Mehrauli
- Tughlaqabad-Jahanpanah-Mehrauli
- Mehrauli-Sultan Garhi

Annexure 7: Street Design Regulations

Based on the overall Mobility, Safety and Environmental Goals for the City, the following Regulationsmust be followed for design, execution, management and maintenance of all Roads:

1. To Promote Preferable Public Transport Use:

1A. Streets should be Retrofit for equal or higher priority for Public Transit and Pedestrians.

1B. Prohibit street parking or enforce high parking charges for private vehicles on public streets andspaces, in order to encourage use of other modes.

1C. Provide dedicated lanes for high occupancy vehicles (HOVs) and carpool during peak hours.

1D. Provide transit-oriented mixed landuse patterns and redensify city within walking distance of MRTSstops, wherever permissible.

2. For Safety of All Road Uses by Design:

2A. Limit speed by design on urban arterial roads and sub-arterial streets to 50 kmph and on collector and local streets to 30 kmph. Street design should be used as a means of limiting speed where possible aided by enforcement in the case of higher speed limit.

2B. Traffic calming of all streets with ROW of 12 m or less, through narrowing of driveway and meandering path with use of trees, islands and street furniture.

Speed should be limited to 20 km/hr by design.

2C. Maximum kerb height shall not exceed 150 mm, as higher kerbs are difficult to climb for pedestrians causing them to walk on carriageways. Higher kerbs are also dangerous for speeding vehicles during off- peak hours as they may cause overturning of vehicles, accidents, etc.

- Final road level should be fixed for all streets in the city. When repaving roads, previous layers must be scraped such that final road level remains the same.
- Footpath level should never be more than 150 mm above adjoining carriageway level.

2D. Intermittent buffers, bollards and other physical elements should be used to protect footpaths from encroachment by motor vehicle parking. However, such elements should not form a barrier, such as continuous railings, that constrain access to pedestrians. Active enforcement is required to protect encroachment of footpaths.

2E. Corner radius of Kerb should not exceed 12 m, in order to control speeding of vehicles at blind turns and intersections, causing accidents. No slip roads or free left turns should be provided on Collector or Local Streets. In case slip roads or turning pockets are provided on Arterial roads, safe at-grade pedestrian crossings with traffic calming and signal should be provided.

2F. Multi-Utility Zone (MUZ) of minimum 1.8 m width should be provided on all Collector and Arterial Roads, to accommodate bus stops, street utilities, trees, street furniture, planting for storm water management; IPT/NMT stands, paid idle parking, etc. so that these don’t encroach upon the carriagewayor safe pedestrian movement spaces.

2G. Secure parking facilities and services for cyclists/ NMT should be provided on all

Collector and Arterial Roads.

2H. Provide Accessible Public Toilets at every 500-800 M distance – preferably located close to bus stopsfor easy access by pedestrians and public transport users.

3. For Pedestrian Safety, Comfort and Convenience on All Streets:

3A. Pedestrians should remain at ground level with comfortable and safe access and minimum detours from the most direct path, unless there is no other alternative.

3B. A continuous unobstructed footpath on each side of all streets with ROW wider than 12m. Minimumwidth of footpath should be 1.8 m (with clear height 2.4 m.) in addition to space for trees/greenery/vending spaces and surface utilities. Width of footpath shall be determined based on pedestrian volume and have to be wider than 1.8 m wherever required.

3C. Frontage Zone or Dead Width: For sidewalks in shopping areas, an extra 1 m should be added to the footpath width. In residential areas, a dead width of 0.5 m may be added.

3D. On streets with ROW of 18 m or less, if pedestrian traffic is greater than 8000 per hour in both directions together, the entire ROW should be notified for pedestrianization. Streets may be consideredfor pedestrianization even if pedestrian traffic is lower than 8000 per hour depending on the potential to improve economic activity and/or safety and convenience.

3E. Elevation of footpaths over the carriageway at all times should be <150 mm and adequate cross slope for storm water runoff. The elevation should be low enough for pedestrians to step onto and off ofthe footpath easily.

3F. All facilities and amenities should be barrier free for universal access by all persons with reduced mobility including those with hearing and visual impairments.

3G. At least 5 safe Street-Level Crossing Opportunities per kilometer of street with 250 m being maximum spacing between two crossings. Depending on context, these crossings may be signalized and/or traffic calmed (through raising crosswalk over street level by 150 mm) to reduce vehicular speed.

- Pedestrian refuge with a minimum width of 1 m at each street crossing location after crossing 7 m of one way motor vehicle carriageway or 10 m of two way motor vehicle carriageway at non signalized midblock crossings.
- Pedestrian refuge width may be expanded to 1.75 m where possible to accommodate a bicycle.
- Grade separated structures (foot-overbridges and pedestrian-subways) should be avoided to prevent unnecessary detours to reach destinations.
- If grade-separated pedestrian crossings are unavoidable due to presence of highways in peripheral zones of urban areas, then such crossings structures should be frequent. There must be at least 4 crossing opportunities per kilometer in areas with development at edges. Every crossing should be universally accessible.

3H. Natural Surveillance or “eyes on the street” should be enabled on all roads by removing setbacks and boundary walls and building to the edge of the street ROW, wherever permitted as per norms. This would allow people from inside to look out on to the pavement, thus discouraging harassment of women on footpaths, bus-stops and public spaces.

- The main building facade should face the street, located on the property line without setback or with active use within set back and transparent edge that contribute to street safety. Commercial frontages should have facades with minimum 50% transparency (untinted) to facilitate visual surveillance of streets.

- In case enclosure of sites is required, transparent fencing should be used above 300 mm height from ground level.
- Vending spaces should be marked in addition and adjacent to the walking path, especially along high pedestrian volume areas to activate the street and make it safe. Space to be planned for utilities including drinking water kiosks and toilets so that the walking space is enhanced but not compromised.

3I. Provide adequate low-mast Street Lighting for pedestrians and bicycles, in addition to any high-mast lighting provided for the carriageway. Approx. 20 lux level is suitable for non-shopping areas and footpaths and 25-30 lux-level is required for shopping areas, bus-stops, Metro station exits and anyareas where pedestrians are expected to gather or wait.

3J. Provide Dustbins, post-boxes, signage and other public amenities at street corners for high usability.

4. For climatic comfort for all Road Users:

4A. Trees are an essential component for all streets – to provide shade to pedestrians/ cyclists andreduce solar gain.

- At least 125 trees per km for streets with ROW smaller than 12 m. At least 125 trees per km perfootpath on streets with ROW greater than 12 m.

Spacing of trees at no place should be greater than 12 m except at intersections.

4B. High albedo (diffuse reflectivity) materials should be used for paving to reduce urban heat islandeffect.

4C. Built to Pavement Edge Buildings with overhangs and arcades provide good protection topedestrians.

5. To ensure universal accessibility and amenities for all street users:

5A. All facilities and amenities should be barrier free for universal access by all persons with reduced mobility including those with hearing and visual impairments, as per Codes.

5B. Continuous barrier free pavement should be provided for ease of movement for elderly/ persons with disabilities. Pavement height of the footpath should be maintained at a constant level of 150 mm all along the ROW, for proper provision of table-tops / ramps, etc. at various locations such as entry to properties, crossings, etc.

5C. Provide at-grade crosswalks (and foot-over-bridges on highways or BRT corridors) at intervals of approx.70-250 M, aligning with location of transit stops, type of street / landuse activities and neighbouring building entries and destinations.

5D. Provide Accessible Public Toilets should be provided every 500-800 M distance, preferably located close to bus stops for easy access by pedestrians and public transport users.

6. To reduce Urban Heat Island Effect and Aid Natural Storm Water Management:

6A. Decrease impervious surfaces through permeable paving, tree planting zones, etc. to increaseground water infiltration & prevent seasonal flooding.

6B. Integrate Natural Storm Water filtration and absorption into street design through bio-filtrationbeds, swales and detention ponds.

6C. Decrease Heat Island Effect (HIE) by increasing greenery, planting trees, using reflective paving, etc.

7. Intermediate Public Transport:

Intermediate Public Transport (IPT) are hired / shared modes of transport that may serve as feeders to trunk public transport systems or as another alternative to private transport

use. IPT includes cycle- rickshaws, auto-rickshaws, e-rickshaws, taxis and any other vehicle type serving as a shared mode / feeder service that is also prescribed under the Motor Vehicle Act. Taxis play an important role in providing an integrated transport service which should also be available on road like all other metro cities for people who choose not to use a car and combine taxi with public transport for certain trips. Auto-rickshaws also play an essential role as a shared or hired mode of public transport which provide door-to-door connectivity for a variety of trips and provide an affordable alternative to private modes.

Adequate space for IPT, Bus, private bus, truck and commercial parking must be provided on all Layout Plans.

8. Definition of Mass Rapid Transit System (MRTS):

Mass Rapid Transit System (MRTS) may be defined as any public transit system having the capacity to carry more than 10,000 peak hour peak direction trips (PHPDT).

Annexure 8: Indicative list of Cultural Precincts

- NizamuddinDargah- Humayun's Tomb Complex-Sundar Nursery
- Shamshi Fort-Jahaz Mahal-Zafar Mahal-Baoli-Adam Khan Tomb- QutubMinar complex
- Vijay Mandal - Begumpur - Sarai Shahji -Lal Gumbad
- Safdurjung Tomb- Lodhi garden- Lodhi Institutional Area- Lodhi Art District
- Trikona Park- Shahpurjat fashion street - TohfeWalaGumbad- Asiad village society
- Firoz Shah tomb- HauzKhas village - HauzKhas Lake
- Khirki mosque-Satpulanullah- monuments in Chirag Dilli- Jahanpanah forest
- Heritage Precincts within Walled City (Heritage Zone): Historical markets (like Khari Baoli, ParatheWaliGali / Katras / Chandni Chowk vista/ area around Matia Mahal/ area around Jama Masjid
- Heritage Precinct within LBZ: Central Vista

Annexure 9: Industrial concentration in non-conforming areas for redevelopment

Non-Conforming industries	**Area (Ha)**
Anand Parbat	**49.5**
Shahdara	**19.7**
Samai Pur Badli	**20.1**
Jawahar Nagar	**17.9**
SultanpurMazra	**15.5**
Hastsal Pocket – A	**5.5**
Naresh Park Extension	**12.7**
Libaspur	**32.4**
Peeragarhi Village	**17.2**
Khyala	**47**
Hastsal Pocket – D	**6**
Shalamar Village	**5.1**
New Mandoli	**24.7**
Nawada	**5.3**

Rithala	**41.2**
Swarn Park Mundka	**6.9**
Haiderpur	**22.2**
Karawal Nagar	**25.5**
Dabri	**2.6**
BasaiDarapur	**-**
Prahladpur Banger	**23.4**
Mundka and MundkaUdyog Nagar	**80.8**
Ranhola ***(*Notified on dt. 26th August 2019 by Industries Department, GNCTD***	

Annexure 10: Key Performance Indicators for MPD-2041

Sl. No.	Name of theKPI	Means of measurement	Remarks
1	Reduction in Indigenous Air Pollution	Number of indigenous PM2.5 observations within at least "good" category / Total number of observations Where, • Indigenous PM2.5 = Indigenous factor X PM2.5 value • Observations = Number of monitoring stations x 365 (for dailymeasurements) • Good category = corresponds to the directions provided by CPCB.	Much of the pollution in Delhiis from external sources over which the city has no control. Indigenous factor is the pollution that originates in the city that can be ascertained through a source apportionment study. Such a study shall be carried out every 5 years.
2	Water Pollution Control	Measured Dissolved Oxygen in the natural body / Minimum Desired Dissolved Oxygen x 100 Where, • Natural bodies includes the river, water bodies, and natural drains • Minimum Desired Dissolved Oxygen (for 1st phase of ~~monitoring) = 4 mg/L(to be revised subsequently as~~ per CPCB directions)	Individual scores for river, water bodies, and drains to be calculated in the range 1-5 as per the criteria in 2.4. An average of the three scores will give the overall KPI score.
3	Green Cover Enhancement	Annual increase in green cover of the city (%) with reference to a baseline (e.g. 2021 data)	Green cover is defined and calculated as per Forest Survey of India directions.
4	Rejuvenation of Water	Number of rejuvenated water bodies of size 1 Ha and above / x 100	Criteria for defining a rejuvenated water body • No presence

	Bodies	Total water bodies of size 1 Ha and above	of solid waste in or around the water body
			• No discharge of untreated wastewater in the water body • Presence of a boundary protection around a water body • No visible eutrophication in the water body • Minimum DO of 4 mg/l • Access to general public (desirable but not mandatory). • Regular maintenance mechanism in place • No reduction in volume of water from previous year
5	Flood Risk Reduction	Reduction in the number of flooding hotspots with reference to a baseline (e.g. 2021 data)	Flooding hotspots defined and identified by PWD and Delhi Traffic Police
6	Wastewater Reuse	$\frac{\text{Treated wastewater used}}{\text{Total wastewater generated}} \times 100$	
7	Groundwater Augmentation	Number of observation wells in which the groundwater depth is in "safe" category	"Safe" category, as defined by CGWB
8	Reducing Landfill Stress	$\frac{\text{Total waste reaching landfills}}{\text{Total waste generated}} \times 100$	
9	Converting Waste to Wealth	Increase in revenue generated from recycled C&D products with reference to a baseline (e.g. 2021 data)	

10	Share of Renewable Energy in Total Usage	Energy usage from renewable sources / Total energy usage x 100	Renewable energy sources include solar, wind, hydro, and geothermal.
11	Seismic Compliance	Number of registered buildings that are siesmically compliant / Number of registered buildings requring siesmic compliancy x 100	Buildings requiring seismic compliancy as per DDMA directions.
12	Safety Against Fire Outbreaks	Reduction in number of fire incidents with reference to a baseline (e.g. 2021 data)	
13	Share of Small Format Housing in New Housing Stock	Number of small format authorized DUs constructed / Number of new authorized DUs constructed x 100	Refer SSI1: Clause 3.2.2.
14	Slum Rehabilitation	Number of listed slums that are rehabilitated / Total number of listed slums x 100	Listed slums as per DUSIB.
15	Shift towards Public Transport	Ratio of total trips by public and shared modes of transport to total trips by private modes (excluding walk trips)	Data to be ascertained through a city-wide transport modal split survey every five years.
16	Adoption of Electric Vehicle	New electric vehicles registered / Total new vehicles registered x 100	
17	Human Development Index	Self-explanatory	The methodology propagated by UNDP may be used to ascertain the HDI for Delhi.
18	Heritage Conservation	Number of conserved heritage sites / Total number of heritage sites x 100	Conservation criteria as prescribed by Archeological Survey of India.
19	Vibrancy of Public Streets	Length of roads of 18m and above designed as per street design Regulation / Total length of roads of 18m and above x 100	Refer Annexure 6 : Street Design Regulation
20	Female Participation in Workforce	Total female workers bewteen the age of 15−64 / Total females between the age of 15−64 x 100	

Annexure 11: List of Industries (M1)

- This category will comprise businesses engaged in high technology, research and development (R&D), high value-added and knowledge intensive activities.
- A range or variety of activities or uses which are technology and research-oriented industries and non-manufacturing in nature are allowed in this industrial use zone;

1. Software Industry

a. Computer hardware and software industry and industries doing system integration using computer hardware and software.
b. Industries integrating and manipulating the interfaces of the computers and telecom facilities.
c. Software products and Mobile Applications IT and IT enabled functions

2. IT Service Industry

a. Internet & Email Services Provider
b. World wide Web Services Provider Ecommerce & content development.
c. Electronic Data Interchange (EDI) Services
d. Video conferencing, V SAT, ISDN services
e. Electronic/IT Data Centre activities

3. ITES Industry

a. Customer interaction services, e.g, call/ contact centres and email help desks
b. Back office processing
c. Finance and accounting (provided remotely)
d. Insurance claims processing (provided remotely)
e. HR services & Other Consulting (provided remotely)
f. Web site development and maintenance services g. Remote education
g. Business Process Outsourcing, Knowledge Process Outsourcing
h. Software Extension development
i. Electronic Design & Product Development
j. Engineering Design & Product Development
k. Industries catering to the information needs of uses by providing databases or access to databases spread throughout the globe.
l. Industries providing the facilities for sophisticated testing of different or all components of the information technology.
m. Telecommunications and enabling services.

4. Media

a. TV and video programme production.
b. Photo composing and desktop publication.
c. Publishing
d. Audiovisual services

5. Biotechnology/ Medical

a. R&D and manufacture of products or processes, which use or are derived by using specific living systems (plants, animals and microbes or parts thereof) and or enzymes/ biocatalysts derived there from
b. Genetic Engineering & Contract Research & Clinical Trials
c. Medical Transcription Services

6. Research & Development and Design

a. Electronics R&D-Design & Product Development
b. Engineering R&D- Design & Product Development
c. Biotechnology R&D
d. Design Garments Industry, Gems &Jewellery, Web Design etc
e. Textile designing and fabric testing, etc.
f. Inter-Disciplinary R&D Services

7. Others
a. Packaging
b. Electronic goods, Power (Electrical) Distribution services
c. Service and repair of TV and other electronic items. d. Transport services
e. Food and beverage services
f. Culture and creative industries
g. Start ups, incubators and Accelerators
Note:

1. * The minimum ROW of a street or stretch of road on which the activities mentioned in Sl. No. 7 are permissible is as follows:

i. Plots upto 1000 sqm- 12 m ROW

ii. Plots above 1000 sqm- 18 m ROW

2. Any recommendation for additions/ alterations to the above list forwarded by DSIIDC in consultation with Industries department of GNCTD shall be incorporated, if considered appropriate and in public interest by the Central Government.

Annexure 12: List of Service & Repair Industries (M1)

1. Air Conditioner Parts.
2. Aluminium doors / windows / fittings / furniture.
3. Assembly and repair of Cycles.
4. Auto Parts.
5. Bulbs (battery).
6. Cycle Chain / Locks.
7. Diamond Cutting and Polishing work.
8. Electric fittings (switch, plug pin etc.)
9. Engineering works
10. Foundry (small job works as per prescribed limits of Industries Department / DPCC).
11. Ice-cream and water cooling by Refrigeration (without cold storage)
12. Ice boxes and cooler bodies.
13. Iron grills and door making.
14. Jute products.
15. Knife making.
16. Marble stone items.
17. Metal lathe cutting.
18. Motor winding works.
19. Steel lockers
20. Steel Springs.
21. Tin box making.
22. Transformer covers.
23. TV, Radio recorders etc.
24. TV / Radio / Transistor cabinets.
25. Typewriter parts manufacturing and assembly.
26. Water meter repairing.
27. Welding works.
28. Wire Knitting.
29. Wooden furniture works.
30. Information Technology enabled Services and computer parts

Note: All these industries shall be non- hazardous and non-polluting in nature and the

standards prescribed by the pollution control authorities would have to be met by all industrial units in this category.

Annexure 13: List of pre-1962 built up residential and rehabilitation colonies

1. Aliganj
2. Andha Mughal
3. Balbir Nagar
4. Bharat Nagar
5. B. K. Dutt Colony
6. Dishad Garden
7. Gandhi Nagar
8. Geeta Colony
9. GulabiBagh
10. Inderpuri
11. Jangpura - A
12. Jangpura - B
13. JangpuraExtn.
14. Jawahar Nagar
15. Kalkaji
16. Kamla Nagar
17. Karol Bagh
18. Kingsway Camp
19. Kirti Nagar
20. KishanGanj
21. Kishan Nagar
22. Lajpat Nagar - I to IV
23. MalkaGanj
24. Malviya Nagar
25. Mansarovar Garden
26. Model Basti
27. Model Town
28. Moti Nagar
29. Multan Nagar
30. Nanakpura
31. Nicholson Marg
32. New Rajinder Nagar
33. Old Rajinder Nagar
34. Outram Lines
35. Patel Nagar (E)
36. Patel Nagar (W)
37. Patel Nagar (S)
38. Pratap Nagar
39. Prem Nagar
40. Punjabi Bagh
41. Rajouri Garden
42. Rana PratapBagh
43. Ramesh Nagar
44. Ram Nagar
45. Rohtasnagar
46. Roop Nagar
47. Sarai Rohilla
48. Shahdara
49. Shakti Nagar
50. Sheikh Sarai
51. Shivaji Park
52. Subhash Nagar
53. Tilak Nagar
54. Timar Pur
55. Tihar - I & II
56. VinobaPuri
57. Vijay Nagar

Annexure 14: Service Plans

List of Annexures

ANNEXURE I: SERVICE PLAN - **DELHI JAL BOARD (DJB)**

ANNEXURE II: SERVICE PLAN - **IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FCD)**

ANNEXURE III: SERVICE PLAN - **DELHI CANTONMENT BOARD (DCB)**

ANNEXURE IV: SERVICE PLAN - **EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION (EDMC)** ANNEXURE V: SERVICE PLAN - **SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SDMC)** ANNEXURE VI: SERVICE PLAN - **NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NORTH DMC)**ANNEXURE VII: SERVICE PLAN - **NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)**

ANNEXURE VIII: SERVICE PLAN - **DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHIPOLLUTION CONTROL COMMITTEE (DPCC)**

ANNEXURE IX: SERVICE PLAN - **DEPARTMENT OF POWER, GNCTD** ANNEXURE X: SERVICE PLAN - **DELHI TRANSCO LIMITED (DTL)** ANNEXURE XI:SERVICE PLAN - **INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)**

ANNEXURE XII: SERVICE PLAN - **DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY,GNCTD**

ANNEXURE I: SERVICE PLAN – DELHI JAL BOARD (DJB)

डायरी संख्या 35
दिनांक 22/01/21
उप-निदेशक (योजना) एच.पी.एम.आर., दी.ज.बो.

आयुक्त (योजना) कार्यालय
डायरी सं. 1-82
दिनांक 21.01.2021

DELHI JAL BOARD : GOVT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI

No. DJB/CEO/2021/ D-882 Date : 18.01.2021

To

VC's Office
Dy No. 120-CD
Dated 20/1/21

R&D SYSTEMS
DDA, VIKAS SADAN
Dy. No. 274
Date 19/1/21
V.C.

The Vice Chairman
Delhi Development Authority
Vikas Sadan
New Delhi – 110023

Sub: Perspective Plan for Infrastructural Services for Delhi 2041- Water Supply & Sewerage
Ref: DO No. F 18(7)/2018-MPD/D-154 dated 16.07.2020 from Vice Chairman, DDA

Sir,

Inviting reference to your above letter on the captioned subject, I am to state that the Perspective Plans for Infrastructural Services for Delhi 2041-Water & Sewerage have been prepared, copies of which are enclosed as Annexure – 'A' & 'B'.

In this regard, it is submitted that Delhi has limited availability of raw water resources and therefore, infrastructure planning must necessarily incorporate enhanced water conservation measures including optimum utilization of treated effluent for non-potable purposes. Further, Rain Water Harvesting is also an integral part of the water conservation paradigm along with revival of water bodies for sustainability of ground water resources. These measures are required to be given focused attention in future Urban Planned Developments in the National Capital.

Com(Rg) Delhi roll

Also ask for soft copy. Done 22/1/2021 Acc(Rg) SK/Raj

Pl. send mail to JS & Board Officers for providing soft copy. 28/01/2021

PD(Rg)-II/MPMR (R.T.O.) D.O Chief(Rg)/MPMR

Needless to emphasize, Delhi Development Authority, being the premier development agency in Delhi, has a pivotal role to facilitate additional availability of raw water to the National Capital for its planned and orderly development through liaison with the Central Ministries and agencies concerned.

Further, it had been earlier informed that a Consultant has been engaged for preparation of DPR for Integrated Infrastructural Master Plan (IIMP) for Land Pooling Zones. It is assured that DJB will provide all necessary available inputs on network design, identification of sites for WTPs/STP etc and extend fullest co-operation to the Consultant appointed by the DDA and facilitate the process of infrastructure planning for developments under Land Pooling Zones/MPD-2041.

(Nikhil Kumar)
Chief Executive Officer

Encl: A. Perspective Plan for Infrastructural Services for Delhi 2041- Water Supply
B. Perspective Plan for Infrastructural Services for Delhi 2041- Sewerage

9650817009
Santosh Kr
JE DJB

Soft copy received vide email dt 19/01/2021. Kindly forward with cover letter to NIUA.
09/02/2021

Mr. Nisha, PA

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DELHI JAL BOARD (DJB)

(A) WATER SUPPLY

1. Present water demand

Delhi Jal Board (DJB) had earlier considered per capita potable water requirement @ 60 GPCD. As per the projected population of 23 million for 2021, the water demand is estimated to be 1380 MGD.

2. Water demand projections for 2041

DJB anticipated that by the year 2041 about 1500 MGD potable water @ 50 GPCD (225 LPCD) for a population of 30 million (3 crore) shall be required. For future planned developments, availability of potable water will be restricted to maximum of 40 GPCD (180 LPCD).

3. Basis for adopting per capita water requirement:

Due to limited water resources, demand for potable water has been rationalized by use of non-potable recycled water of desired quality standards for different non-potable uses. For future planned developments, availability of potable water will be restricted to a maximum of 40 GPCD as given in the Table - 1.

Table 1 Potable Water Demand as per use for future developments

Potable Water Demand	Quantity
Residential	135 LPCD
Non-Residential (Commercial/Institutional etc. including 5 LPCD for floating population)	20 LPCD
Fire Demand	2 LPCD
Transmission Losses @ 15%	23 LPCD
Total	**180 LPCD (Say 40 GPCD)**

Water requirement for toilet flushing purposes in residential developments and non-residential developments (about 75LPCD) shall have to be met by use of non-potable recycled water of desired quality standard with dual piping system. Water demand for industrial process water & horticulture/gardening/agriculture purposes shall also need to be necessarily met out from recycling of wastewater of desired quality standards. Necessary infrastructure for enabling use of recycled water such as dual piping and plumbing, etc. is to be ensured by DDA / Land Developing Agencies. For new buildings (land pooling / redevelopment), dual piping maybe enforced by the building plan sanctioning authorities.

The plumbing infrastructure for dual piping is very difficult and cost intensive to implement in existing developments. Therefore, Delhi Jal Board has assessed that with potable water demand of 40 GPCD in future planned developments, total requirement of potable water at the city level can be progressively brought down from 60 GPCD to 50 GPCD.

4. Action Plan for Water Augmentation for 2041

It is well known that the fresh water resources for the National Capital Territory of Delhi are limited and the situation is increasingly becoming challenging. Therefore, a twin-pronged strategy for water supply in the future focuses on the augmentation of both, ground water and surface water resources, while also emphasizing the need for increased wastewater treatment and reuse, rainwater harvesting initiatives, restoration of water bodies, etc.

Water Augmentation Plan for NCT of Delhi envisaged by Delhi Jal Board is given here under Table - 2:

Table 2 Water Augmentation Action Plan

Water Sources	Source of water	Proposed amount of water augmentation (in MGD)			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
Short to Medium term Plan (248 MGD)					
1. Ground Water	a. Installation of additional Tube-Wells in Palla Area (200 Tube-Wells)	25			

Extraction **(113 MGD)**	b. Aquifer Recharge and Ground Water Extraction from Water Bodies / Lakes (including reuse of treated effluent)	23			
	c. Ground Water Extraction from Localized Area having High Ground Water Levels	65			
	d. Additional Ground Water Recharge Projects in Palla Areas				
	e. Setting up Advanced WTPs at Okhla with Ground Water Sources from Ranny Wells				
2. Surface Water (70 MGD)	Discharge of high quality treated effluent in the River Yamuna at Palla and its reclamation at Wazirabad as raw water source (Reuse of treated effluent)	70			
3. HP share of unutilized water in Yamuna share **(Surface Water - 65 MGD)**	Additional Yamuna water to Delhi as per the MOU with Himachal Pradesh for utilization of their un-utilized Yamuna river water allocations.	65			
Medium to Long term Plans (336 MGD)					
4. Substitution of 51 cusec of Yamuna Water for irrigation purposes **(16 MGD)**	Utilization of 51 cusec of allocated irrigation water to Delhi at Hathnikund / Tajewala for its drinking water needs	16			
5. Raw water from Uttar Pradesh	MOU with Uttar Pradesh for additional river water to Delhi in lieu of adequately treated effluent by Delhi for their irrigation	140			

(140 MGD)	needs		
6. Upstream Storages **(180 MGD)**	Upstream Storages – Renukaji, Lakhwar & Kishau dam projects (* *This is a highly tentative calculation. However, exact allocations will be decided by UYRB where Delhi hopes that drinking water requirements will be given primacy in allocations & return flow by Delhi will be considered in allocation of Yamuna water in Delhi for its consumptive needs*.)	180*	
Present Availability of Water		**935 MGD**	
Additional Water Augmented by 2041		**584 MGD**	
Total Water Availability by 2041		**1519 MGD**	

DDA has to earmark land required for water supply infrastructure and has to provide land to Delhi Jal Board for setting up Water Treatment Plants and Primary UGRs/Master Balancing Reservoirs with Booster Pumping Stations. JICA Study Report on Improvement of Water Supply in Delhi has suggested Master Plan Development Zones wise Primary UGRs/MBRs with pumping capacities totalling to 1560 MGD and four new Water Treatment Plants. Status of land for the proposed four new Water Treatment Plants is given in Table – 3.

Table 3 Land Requirement for new WTPs

Sr. No.	Name of WTP	Capacity (MGD)	Status of Land	Master Plan Development Zone
1	Iradat	80	Available with DJB	P-1
2	Dwarka Phase II	50	-do-	L
3	Najafgarh	75	DDA has to provide	L
4	Chattarpur	80	-do-	J

The land requirement includes additional provision of 15% & 25% for WTPs and UGR with BPS respectively for future expansions and ancillary infrastructure.

In addition, Water Treatment Plants for another 300 MGD would require to be setup for catering to the projected population of 30 million by 2041. Land for these WTPs will need to be earmarked as per norms mentioned below, depending on the source of raw water and the planned development to be carried out.

- **For Water Treatment Plants:**

- 80 MGD (363 MLD) capacity – 300 m^2/MLD
- 40 MGD (182 MLD) capacity – 400 m^2/MLD

- **For underground Reservoirs with Booster Pumping Stations:**

- 5 ML Capacity – 700 m^2/ML
- 50 ML Capacity – 600 m^2/ML

Assessment of land requirement should not be limited by the projected population for MPD-2041, but need to consider design period i.e. population projections for 2051 and further future urban expansions.

5. Water Conservation Initiatives by DJB

5.1. Groundwater Recharge through Rain Water Harvesting:

Central Ground Water Board has assessed that potential annual rainwater run-off of 24.39 MCM (5,372MG) out of the total of 175 MCM (38,546 MG) available for recharge areas in Delhi. This is proposed to be realized through construction of check dams and artificial recharge structures in rainwater drains. Annual potential of rooftop rainwater harvesting is assessed to be about 14.69 MCM (3,236MG).

RWH Structures are integral to the rainwater conveyance system. DJB has also published guidelines for encouraging adoption of Rooftop Rain Water Harvesting. DJB has identified 89 buildings maintained by PWD/DMCs/GoI/DDA, etc.in 2019, where RWH system is feasible to be installed.

Eleven rain centers in the field and one at the Headquarter have been setup to facilitate the applicants to install rainwater-harvesting system. Nodal officers' in-charge of these rain centers has also been appointed. Intensive awareness program for publicity of Rain Water Harvesting is also carried out from time to time.

5.2. Revival and Rejuvenation of Existing Water Bodies and Creation of Artificial Water Bodies:

Traditional water bodies help sustain the city's eco system and act as a catalyst to its growth and development, and additionally their rejuvenation contributes to the aesthetics of the city. Majority of Delhi's traditional water bodies suffer from encroachment, illegal construction, over-extraction and water pollution. In order to address these issues, DJB has taken up the work of revival of 240 water bodies with an aim to recharge ground water. The scheme amounting to Rs. 37,678.92 lakh to revive 155 water bodies was approved by DJB in December 2018, out of which, work for 50 water bodies have already been awarded. Raw sewage is proposed to be treated and utilized to recharge ground water.

DJB is also creating artificial Lakes at PappanKalan Waste Water Treatment Plant (WWTP), Dwarka WTP, Timarpur Oxidation Pond, Rohini WWTP and Nilothi WWTP. About 46.5 MGD of treated effluent will be utilized after due treatment to fill the lakes for recharge of ground water. It is estimated that about 50% i.e. 23.25 MGD of water would be available as raw water source from extraction of ground water by installation of tube-wells in the surrounding areas of these artificial lakes.

Status on revival of existing water bodies and creation of new lakes is given in Table-4 &5 Revival/rejuvenation of water bodies will involve following activities:

- Sewage flow into the identified water bodies will be trapped or stopped.
- Treated effluent from a nearby decentralized Waste Water Treatment plants will be used for rejuvenation of dry water bodies or DJB will install bioremediation Waste Water Treatment Plants to clean waste water coming into the water bodies.
- The surrounding of water bodies will be developed and people residing near-by will be given access to the water bodies.

Table 4 Status of Works on Existing Water Bodies

S. No.	Status of Water Bodies/Artificial Lake	No. of Water Bodies / Artificial Lakes	Awarded / Estimated Cost(Lakh)	Timelines
1	In progress	46	7942.05	Works will be progressively completed in phased manner in next 3 to 4 years.
2	Proposal under Preparation for call of tenders	39	10639.22	
3	To be executed by M/S CSIR-NEERI as PMC	4	1348.25	
4	Proposed to be carried out through in-house technology on DBO basis	66	17749.40	
5	Water Bodies received from IFCD, Proposed to be carried out through in-house technology on DBO basis	85	22859.08	
	Total	**240**	**60538.00**	

Table 5 Status of New Artificial Lakes to be created

S. No.	Status of Artificial Lakes	Quantity of Treated Effluent to be Utilized (MGD)	Estimated Quantity available for use as Raw Water Source from Extraction of Ground Water (MGD)	Status	Timelines
1	At DWARKA WTP	15	7.5	In Progress	Works will be progressively
2	At Sector -25 Rohini	5.5	2.75	In	

	WWTP			Progress	completed in phased manner in next 3 to 4 years.
3	At Timarpur Oxidation Ponds	6	3	In Progress	
4	At Nilothi WWTP	15	7.5	Proposal revised	
5	At Pappankalan WWTP	5	2.5	In Progress	

5.3. Utilization of Treated Wastewater:

Present utilization of treated effluent in NCT of Delhi is about 90MGD, apart from the discharge of 267 MGD of treated effluent as return flow in the river Yamuna downstream of Wazirabad Barrage as per the present interim distribution of Yamuna water by UYRB. Further, proposed utilization of Treated Effluent to the extent of about 436-466 MGD is given in Table-6 as under, which will be undertaken in a phased manner.

Table 6 Proposed Utilization of Treated Effluent

Sr. No.	Proposed Utilization	Quantity (MGD)	Timelines	Remarks
1	Coronation Pillar STP	70-100	Dec-2023	To be used as source of Raw Water after tertiary treatment. This proposal has been agreed *in principle* by UYRB. The tenders for consultant have been received on 07.01.2021 and likely to be awarded by Feb, 2021.
2	Auchandi & Jaunti Regulator for irrigation use in NCT of Delhi	20	Jun-2023	Exchange with Haryana in lieu of irrigation component. This proposal is being considered by UYRB and joint inspection with UYRB was done on 08.01.2021.
3	Exchange in lieu of raw water with U.P	140	(3-4 years after MOU with UP) 2024-25	Exchange of raw water in lieu of Treated Effluent from Okhla STP. Matter is being

				pursued with U.P Govt. The feasibility report submitted by UP irrigation, under examination.
3	Committed use by PPCL	18	At present about 7 MGD is being taken by PPCL at their Bawana plant however, keeping in view their future expansion plans a provision of additional 18 MGD is kept for their committed use.	Committed use by PPCL at Rithala.
4	All water bodies, forests etc.	188	Dec-2024	
	Total	**436 -466**		

WAPCOS (India) Limited, a Government of India Undertaking, has submitted its report with identified proposed Recharge Schemes/Projects in NCT of Delhi such as Check damns/Nala bunds in Ridge area, Roof-top rainwater harvesting schemes in institutional and commercial buildings, percolation ponds, lake basins, aquifer storage and recovery wells, parks and gardens recharge regions, flyovers and city roads, Yamuna flood basin areas, etc. to be carried out by respective agencies.

6. Efforts for Service Level Improvements by DJB

Delhi Jal Board has taken numbers of steps to improve sanction of water and sewer connections in a time bound manner and to increase billing and revenue collection efficiency such as implementing Revenue Management System (RMS), mobile application for self-billing and online payments, doorstep delivery of public services, time bound

grievance redressal, simplification of procedure of sanctioning of new water/sewer connection, strict actions against wastage of water, etc.

DJB endeavour is to provide equitable distribution of water to the citizens of Delhi and to meet their 24x7 demand of potable water continuously at adequate pressure. For this, Delhi Jal Board is revamping water supply distribution infrastructure including formation of District Metered Areas for reducing non-revenue water and minimizing physical loss of precious potable water through leakages. Installation of bulk flow meters for water auditing, replacement of old/damaged water pipelines, District Metered Areas (DMAs), reforms on revamping water distribution infrastructure under existing Chandrawal and Wazirabad WTPs, installation of SCADA systems at WTPs, UGRs and in water distribution systems, etc. are few of the DJB initiatives in this direction.

Several steps are being taken to overcome frequent Ammonia pollution in river Yamuna by DJB. Delhi Jal Board also has setup Quality Control Cell to check quality of raw water and treated water.

(B) WASTEWATER / SEWERAGE

1. Wastewater Projections for 2041

Estimated wastewater generation for a population of 30 million (water supplied @50 GPCD) at 80% of supplied water comes out to be 1200 MGD.

2. Perspective Sewage Disposal Plan for 2041

Perspective Sewerage Disposal Plan for 2041 comprises of a multi-dimensional approach with various crucial verticals like laying of sewerage system in unsewered areas of Delhi, rehabilitation of existing STPs, construction of new STPs or at mouth of the Drains, construction of Decentralized STPs in various parts of Delhi, up-gradation of existing STPs to higher parameters of BOD: TSS <10:10 and Zero Liquid Waste Discharge (ZLWD) policy in Land Pooling Area etc. The sewerage development plan for 2041 draws heavily from the SMP- 2031 and is a continuation of the sewerage management action plan being undertaken by DJB. Therefore, with suitable need based modifications depending on the actual growth patterns and spatial distribution, the Sewerage Master Plan -2031 prepared by DJB, will be able to fulfil the requirement of MPD-2041.

Based on various physical factors and zoning criteria, the whole NCT of Delhi has now been delineated into 12 (twelve) sewage-drainage zones, instead of six zones earlier, excluding the Cantonment and Airport areas. The zones have been primarily delineated based on the wastewater generation from each zone/sub zone, the capacity of existing WWTPs/WWPSs and land availability for any additional WWTP/WWPS, if required. Sewerage Schemes for each Zone are prepared considering the existing sewerage infrastructure, proposed sewerage infrastructure under various projects, development plans for a particular area, population projections, amount of waste water generation, land availability for proposed sewerage infrastructure and site feasibility.

The following table enlists the proposed delineated zones and sub zones:

S. No.	Drainage Zone	Sub Drainage Zone
Zone 1	Shahdara (SHD)	Yamuna Vihar (YV)
		Sonia Vihar (SV)
		Kondli (KN)
Zone 2	Okhla (OKH)	Okhla (OK)
		Tajpur (TP)
Zone 3	Keshopur (KSP)	Keshopur (KP)
Zone 4	Rohini-Rithala (RR)	Rithala (RT)
		Rohini (RH)
Zone 5	CORONATION PILLAR (COR)	Coronation Pillar (CP-1)
		Coronation Pillar (CP-2)
Zone 6	DWARKA (DWK)	Dwarka (DK-1)
		Dwarka (DK-2)
Zone 7	NAJAFGARH (NJF)	Najafgarh (NJ)
		Jhuljhuli (JH)
		Dhichaon Kalan (DK)
		Somesh Vihar (SV)
Zone 8	NILOTHI (NLT)	Nilothi (NT-1)

		Nilothi (NT-2)
Zone 9	NARELA (NRL)	Narela (NR)
		Palla (PL)
		Zindpur (ZP)
Zone 10	SOUTH DELHI (SD)	Mahrauli (MH)
		Vasantkunj (VK)
		Ghitorni (GH)
		Mahipalpur (MP)
		Kapashera (KH)
Zone 11	OUTER SOUTH DELHI (OSD)	Fatehpurberi and Chandanhola (FC)
		Rajpur Khurd (RK)
Zone 12	KANJHAWALA-BAWANA (KB)	Kanjhawala (KJ)
		Bawana (BW)

3. Sewage Treatment Augmentation Action Plan for 2041:

Detailed Perspective Plan for augmentation of sewage treatment capacity to cater to the projected requirements of year 2041 is as under:

S. No.	Particulars	Total (MGD)
1.	Present sewage treatment capacity	597
2.	STPs under up gradation / reconstruction through funding from NMCG, YAP-III and AMRUT (Okhla -30 MGD, Kondli-20 MGD, Coronation-40, Rithala-20 MGD)	110
3.	Construction of 56 DSTPs in various parts of Delhi	92
4.	Construction of STPs at Mouth of the Drain (10 MGD Mori gate, 10 MGD Delhi Gate, 20 MGD Barapulla)	40
5.	Construction of 7 MGD STP at Sonia Vihar and 25 MGD STP at Rohini	32
6.	Augmentation of treatment capacity through PAC (Poly Aluminum Chloride) extended aeration and construction of	89

	DSTP based on growth the population in the developing area.	
7.	Land Pool area proposed to be designed on Zero Liquid Discharge basis. Therefore, DSTPs are to be constructed by Land Pooling agencies for 75 lacs population having water supply @ 40 GPCD @ of 80% Water supply.	240
	Grand Total	**1200 MGD**

3.1. Augmentation of Sewage Treatment Capacity to 707 MGD by December – 2022 as per following:

S. No.	Name of STP	Present capacity (in MGD)	Total Sewage Treatment capacity After augmentation (in MGD)	Net Increase (in MGD)	Augmentation Plan
1	Coronation Pillar	30	70	40	Construction of new STP of 70 MGD
2	Rithala phase-I	20	40	20	Rehabilitation of Rithala STP phase-I under YAP-III
3	Kondli	70	90	20	Rehabilitation of Kondli STP under YAP-III
4	Okhla	140	170	30	Construction of new STP of 170 MGD under YAP-III
	Total	260	370	110	
Enhancement of Treatment by December 2022			**110 MGD**		

3.2. Upgradation of Existing STPs to BOD: TSS<10:10: 6 STPs (Pappankalan, Nilothi, Kapashera, CWG Village, Delhi Gate & Chilla) with total 70 MGD presently at 10:10. Upgradation Work in progress in 10 STPS with 289 MGD capacity- targeted completion by Dec-2022 in phased manner.

S.No	Location	Capacity	Targeted completion
1	Kondli STP Phase I	10 MGD	December 2021
2.	Kondli STP Phase II	25 MGD	December 2022
3.	Kondli STP Phase III	10 MGD	December 2021
4.	Yamuna Vihar STP Phase II	10 MGD	December 2022
5.	Okhla STP Phase I	30 MGD	In place of these four STPs, a New STP of 124 MGD capacity is under construction which is targeted to be completed by December 2022
6.	Okhla STP Phase II	12 MGD	
7.	Okhla STP Phase III	37 MGD	
8.	Okhla STP Phase IV	45 MGD	
9.	Rithala Phase-I	40 MGD	December 2022 subject to grant of tree cutting permission from Forest department.
10.	Coronation Pillar	70 MGD	In place of existing Coronation Pillar Phase-I,II& III (30 MGD) , new 70 MGD STP at Coronation is under construction which is likely to be commissioned; 50% by March, 2021 100% by June 2021.
	Total	**289 MGD**	

3.3. Up-gradation of balance Existing STPs with Parameters of BOD/TSS as 10/10 mg/l (including Bio-nutrient & pathogen removal & sludge management):

S. No.	Name of STP	Phase- Wise Breakup	Design Capacity (in MGD)	Designed outlet Parameters BOD/TSS	Expected timelines of completion
1	Rithala	Phase - II	40	15/20	The completion
2	Okhla	Phase-V	16	30/50	

		Phase-VI	30	20/30	**period for up-gradation of STPs is 3 to 4 years from the date of availability of funds.**
3	Kondli	Phase - IV	45	20/30	
4	Keshopur	Phase-I	12	20/30	
		Phase-II	20	30/50	
		Phase-III	40	30/50	
5	Yamuna Vihar	Phase – I	10	30/50	
		Phase-III	25	20/30	
6	Vasant Kunj	Phase – I	2	30/50	
		Phase - II	3	30/50	
7	Mehrauli	Mehrauli	5	20/30	
8	Narela	Narela	10	30/50	
9	Nilothi	Phase – I	40	30/50	
10	Najafgarh	Najafgarh	5	30/50	
11	Pappankalan	Phase – I	20	30/50	
12	Dr. Sen Nursing Home Nalla	Dr. Sen Nursing Home Nalla	2.2	10/15	
13	Delhi Gate	Phase – I	2.2	10/15	
14	Rohini	Rohini	15	30/50	
15	Ghitorni	Ghitorni	5	30/50	
16	Molar-Bandh	Molar- Bandh	0.66	30/50	
		Total	**348.06 MGD**		

3.4. **Construction of new STPs:** Following new STPs are proposed to be constructed at new locations and at the mouth of the drains. Details are as under:

S. No	Name of STP	Capacity MGD	Timeline	Remarks
1	Sonia Vihar	7	December-2024	Process of appointment of consultant is in process.
2	Rohini	25	December-2024	Estimate under preparation

3	Delhi Gate	10	December-2024	Land is required from DDA/ Revenue Department
4	Mori Gate	10	December-2024	Allotment of land is awaited from DDA.
5	Barapulla	20	December-2024	Allotment of land is awaited from DDA.
Total		**72 MGD**		

3.5. **Construction of new Decentralized Sewage Treatment Plants (DSTPs) (92 MGD):** As per Sewerage Master Plan- SMP 2031, 32 Nos. STPs are to be constructed, out of which, 14 STPs are to be constructed in Najafgarh Drainage Zone and 18 STPs in Narela, Okhla, Outer South Delhi, Kanjhawala, Bawana, Shahdara Zone. Due to land constraint, it has been decided to construct Decentralized STPs at 42 locations in place of 18 STPs. For setting up 56 plants (42 d-STPs + 14 STPs) and 02 STPs at the mouth of drain, land at 73 locations is required, which includes 15 locations for Sewage Pumping Stations (SPS). Out of total 73 locations, land at 10 locations is already available with DJB and for the balance 63 location, land will have to be made available by different agencies as follows:

S.No.	Name of the Department / Agency	Land Locations
1	Land and Building Department, GNCTD after acquisition from private person	13 locations
2	Gaon Sabha lands	11 locations
3	DDA	39 locations
	Grand Total	**63 locations**

3.6. **Status of Decentralized Sewage Treatment Plants:**

S. No.	Name of STPs	Capacity (MGD)	Timeline	Remark
1.	14 (7+7) STPs in Najafgarh Drainage Zone	32	18 to 30 months after approval of funding of balance STPs by NMCG and allotment of land	Out of 14 locations, land is available only at 08 locations and land at balance 06 locations is yet to be allotted.

2.	42 Decentralized STPs at various locations. (+7 SPS)	60	24 to 36 months after allotment of land	Land for construction of 42 DSTPs and 07 SPS have been identified at various locations and it is still in the process of allotment by Revenue department of GNCT Delhi. Necessary action will be taken by DJB after allotment of land.
	Total	**92 MGD**		

3.7. **Extension of network to un-sewered areas**: The un-sewered area in Delhi mainly consists of unauthorized colonies. As per the list circulated by UD Dept., GNCTD, there are 1799 unauthorized colonies in Delhi. The present status and action plan for providing sewer network in these colonies is tabulated below:

S. No.	Status	Commutative Status as on November 2020 (Numbers)	Timeline	Remark
1.	Sewer line laid and notified	561	Completed	
2.	Work of sewer network is in progress	595	Up to Dec, 2024 in phased manner	
3.	Colonies where NOC is awaited/ O-Zone	131	About 03 years after receipt of NOC / Clearance from concerned department	The work shall be taken up after NOC from Forest Department/Ozone
4.	Colonies where sewerage	512	For laying sewerage network in these colonies 3	The work shall be taken up after allotment and possession of land by DDA

	network is to be laid along with Decentralized STP		years-time will be required after availability of land for DSTPs.	& Revenue Dept. As sewer network cannot be laid in isolation without first identifying and taking possession of land for constriction of SPS and decentralized STPs.
	Total	**1799**		

3.8. Sewage Generation anticipated in Land Pooling Area: As per Zero Liquid Discharge (ZLWD) policy for sewers, Decentralized STPs are to be constructed within premises of the Building / Complex in DDA Development/ Land Pooling Areas. Since Sewage is proposed to be treated within the Land Pooling Area, no centralized sewerage treatment system is required for Land Pooling Areas. Treated effluent from DSTPs within sector / Housing Complex will be reused for flushing, gardening and other secondary purposes to the maximum extent and unutilized treated effluent, if any may be utilized for recharging nearby Water Bodies etc. For Land Pooling Areas, Decentralized Sewage Treatment Plants (DSTPs) will be required to be constructed and provision for land for DSTPs will required to be made in DDA Master Plan – 2041 as per Sector Layout Planning. Land requirement norms for construction of STP/SPS/EPS will be as under:

a) Land requirement for STP including Sewage Pumping Station & Effluent Pumping Station for capacity up to 22.7 MLD (up to 5 MGD) - **650 m^2/MLD**.

b) Land requirement for STP including Sewage Pumping Station& Effluent Pumping Station for capacity above 22.7 MLD (above 5 MGD) - **1100 m^2/MLD**.

c) Land requirement of **50 m^2/MLD** for construction of Sewage Pumping Station and **50 m^2/ MLD** required for Effluent Pumping Station.

4. Initiatives taken by Delhi Jal Board for efficient sewerage management and mitigation of pollution in drains/river:

4.1. Interceptor Sewer Project (ISP)

The Interceptor Sewer Project (ISP) has been conceptualized for abatement of pollution in the River Yamuna. Under Interceptor Sewer Project, 108 Nos of the drains are trapped and provision of trapping of about 242 MGD flow is being made. Out of proposed 242 MGD, provision for trapping of 238 MGD (98.35%) has already been made. Out of this, 158.70 MGD wastewater is being trapped and treated at the various STPs in the command.

However, the physical works under ISP is almost completed and facility of trapping 242 MGD will be in place, but the actual treatment of this entire quantity of sewage will be done in phased manner only after the completion of the Coronation Pillar, Rithala and Kondli STPs by December 2022.

4.2. Setting up of Decentralized STPs by Institutions/ Schools/ Agencies

DJB has framed a policy for Setting up of DSTPs by individual Schools/Institutions/ Complexes/ Parks/ Hospitals etc. to use the treated effluent for horticulture purpose in their parks.

4.3. Enhanced Use of Treated Effluent

In pursuit of promoting the use of treated effluent for non-potable purposes, DJB has installed filling points for treated effluent at almost all WWTPs. The Biochemical Oxygen Demand (BOD) stands at ≤20 ppm and the Total Suspended Solids (TSS) stands at ≤30 as well, making it usable for non-potable purposes. DJB has also written to and conducted workshops with a number of Government agencies such as DMRC, PWD, NDMC, SDMC EDMC, NTPC, Indian Railways (for their wagon and carriage washing) and others, encouraging them to use treated effluent. Also, through different incentives in its new policy, DJB is aiming to increase utilization of the treated effluent.

4.4. Rehabilitation of peripheral sewers in Delhi

Most of the peripheral sewers are too old and suffering from severe structural deterioration and have outlived their economical life span thereby, exhibiting operational deficiencies. To overcome these problems, it has been proposed to rehabilitate the peripheral system, so that entire sewage generated in city could be transferred to STPs for optimal utilization of installed capacity of plants and reduction of pollution in river Yamuna. Therefore, DJB intends to take up the rehabilitation of peripheral sewers, which are dysfunctional or partially functional due to multitude of problems such as settlement of sewers, sewage gas related structural failures, leaking joints, disjointed sewer pipes, heavy siltation, blockage due to indiscriminate throwing of rubbish and debris into manholes, illegal discharge of trade waste and collapsed sewers.

The Rehabilitation of peripheral sewers under Phase -I comprises of diameter ranging from 450mm to 1400mm having length of about 162 km. The Project has been divided into 6 packages and, work is in progress and likely to be completed by 2022.

4.5. Providing House Service Sewer Connection

Delhi Jal Board has started a scheme to encourage all such consumers who live in sewered areas but have not taken sewer connections to apply and obtain sewer

connections. Under this scheme, all those who applied for a new sewer connection before 31-03-2020 were not charged any amount and DJB provided them sewer connections at its own cost. All installation charges and road repair charges are to be reimbursed by Delhi Government to DJB as grant-in-aid under **"Mukhyamantri Muft Sewer Connection Yojna."** Under this scheme, about 4.84 lac sewer connections have been sanctioned/ regularized.

4.6. Deployment of Mini Sewer Cleaning Machines

DJB has deployed 200 Nos. specially fabricated tailor made Sewer Cleaning machines in order to avoid hazardous operation of sewer cleaning by manual labour. The sewers in narrow lanes can be cleaned mechanically without man entry now.

4.7. Septage Management Rules 2018

DJB has made efforts to implement the septage management rules in Delhi 'Delhi Water Board Septic Tank Waste Management Regulations Act -2018' under Delhi Water Board Act-1998 for collection, transportation and disposal of waste of septic tank and matter connected therewith. As per the Septage Regulation 2018, DJB has issued 208 Nos. Licenses to the private tanker operators and they are engaged in the collection and disposal of Septage from the individual households from unauthorized colonies/ unsewered areas. The average collection of Septage is approximate to 6-7 Lac litres per day.

4.8. Management of wastewater in storm-water drains in Delhi:

As per directions of Hon'ble NGT, Integrated Drain Management Cell (IDMC) has been constituted on 17.03.2020 under the Chairmanship of Chief Secretary of Delhi for remediation and management of all drains of Delhi with representatives of all Drain owning Agencies (DoA).

The mandate of IDMC is to prepare a comprehensive action plan for "Alternate Technologies for Management of Waste Water in Drains" in Delhi as per the techno-economic evaluation of the multiple methodologies and techniques suggested in the reports of CPCB.

DJB is also making concerted efforts to trap the sewage flowing in the 18 major drains directly out falling into River Yamuna in the Delhi stretch between Wazirabad to Okhla by diverting sewage to nearest STPs. out of 18 major drains 13 drains have already been trapped.

ANNEXURE II: SERVICE PLAN - IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FCD)

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
GOVT. OF NCT OF DELHI,
IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT,
L.M. BUND OFFICE COMPLEX, KRISHAN KUNJ,
DELHI-110031.
Email-ceifcd@gmail.com

No: CEF/P&D/MPD/2041/2021-22/ 4918-41 **Dated:** 4/2/21

अति० आयुक्त (यो०)-II
डायरी सं० 102
दिनांक 09-02-21

VC Office
Dy. No. 36-DA
Dated 5/2/21

आयुक्त (योजना) कार्यालय
डायरी सं. I-160
दिनांक 08-02-2021

To

The Vice Chairman
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, I.N.A,
New Delhi-110023.

Sub:- Service Plans for MPD 2041.

Sir,

Kindly refer to your D.O. letter No. PS/VC/DDA//2021/03 dated 11.01.2021 addressed to Secretary (I&FC) and subsequent email received from Additional Chief Architect DDA dated 12.01.2021 vide which service plan for MPD 2041 was sought on top priority.

Accordingly, please find enclosed herewith service plan for drainage management MPD- 2041 in respect of I&FC Department, Govt. of NCT of Delhi, containing page from 1 to 127 alongwith Annexure B to E for further necessary action.

Yours faithfully

Encl:- As above

04.02.2021
(Sanjay Saxena)
Chief Engineer (Zone-I)

No: CEF/P&D/MPD/2041/2021-22/ **Dated:**

Copy forwarded for information to:-

1. Secretary (I&FC), Govt. of NCT of Delhi, Varunalaya Building, Karol Bagh, Delhi.

Chief Engineer (Zone-II)

AE(Plg)II/MPMR 04/02/2021
AD(Plg)-II, MPMR 10/02/2021
Dr. Anand 10/02/2021
D.D (Plg.)/MPMR 11/02/2021
Dr. Anand 10/02/2021
Pls. share with NIUA.
Ms. Nisha, PA-III

PREVENT COVID - VACCINATION - WEAR MASK - WASH HANDS - FOLLOW SOCIAL DISTANCE

SERVICE PLAN for DRAINAGE MANAGEMENT

IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FC)

1. MANAGEMENT STRATEGY

Special recommendation

There should be a single institution that bears an overall responsibility of the management of the total storm water drainage system, within NCT of Delhi, for effective administrative management.

Dredging and cleaning of drains by I&FC department

I&FC Department has large banks along major drains for deployment and movement of machinery and desilted earth is also kept on these banks till its final disposal, either by filling in low lying areas/depressions along drains or shifting into earmarked sanitary land fill sites.

Strengthening of embankments of drains of I&FC department

Before onset of monsoon, all the embankments of I&FC Department drains are checked in respect of their stability and necessary restoration/repair work, as needed is carried out by respective divisions of I&FC Department. A certificate in this regard is also forwarded by concerned engineers to Head Quarter. I&FC Department also has departmental machinery for such restoration/ strengthening work in the form of hydraulic excavators and dozers.

Remodelling of various drains

The embankment strengthening/remodelling proposals as of now and their current status in respect of I&FC Department Drains is attached as Annexure-II (a). The above-cited table shows that embankment of most of the drains are in good and stable condition and there is no need for their strengthening. Similar situation is found in respect of need of remodelling of drains. The work of remodelling is in progress at Najafgarh Pond Drain and Bund Drain. For some drains, like Escape Drain No. 1 & Relief Drain, work of remodelling is required but there are land constraints. Remodelling of KSN drain is required as most of the catchment area of this drain is urbanized and many unauthorized colonies were also developed and are being developed. Due to this, there is no scope for percolation of storm water, which has to be carried by this drain. Besides this, due to lack of sewerage

network in unauthorized colonies the discharge of sewage, household waste and other wastewater are also flowing into KSN drain through various drains of other Agencies.

There is no land available for remodelling since the adjacent area on both sides is developed and urbanized. Hence, there is a need, to acquire land for remodelling of KSN drain. For other drains, the work of remodelling and strengthening shall be taken up as per their requirement in future.

Canals and their management

To keep up the uninterrupted flow of irrigation water to the irrigated land in Delhi, all repair and maintenance works, cleaning/ dredging /desilting, strengthening of embankments are being taken up as per requirement and necessity.

Delineation, conservation and management of buffers for all major I&FC drains

There are 57 major drains owned and maintained by I&FC Department. The buffer land/ additional land width available along the drains for future development is tabulated and attached as Annexure-II (b).

Troublesome drains

There are eight troublesome drains, which are detailed out in the service plan report shared by I&FC Department:

Sr. No.	Drain Name	Problems / Constraints	Remedial Measures
1.	Escape Drain No. 1	Drain flow being obstructed by two water mains lying in the drain itself, No space for De-silting for a stretch, Heavy silt from WTP, Bed level of the drain flat.	The twin water mains may be shifted.
2.	Biharipur Drain	Bounded on both sides with closely packed houses, No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW and cow dung.	A parallel carriageway may be provided, demolition of unplanned/ unauthorized construction on either side.

3.	Bund Drain	Bounded on both sides with closely packed houses, No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW and cow dung.	Bar screen has been placed, Bypass drain constructed, Removing obstructions, A parallel carriage way may be provided, demolition of unplanned/unauthorized construction on either side.
4.	Relief Drain	No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW in the drain by the local resident, Daily dumping of waste by the hawkers.	A parallel carriage way may be provided all along the length in the stretch from CRPF Camp to Khajuri Chowk by considering demolition of unplanned / un authorized construction on drain side. NHAI may be asked to remodel the drain in the entire length with proper outfall.
5.	Kirari Suleman Nagar Drain	106 unauthorized, un-sewered colonies contributing to all categories of house hold waste, sewage and also dumping of MSW, During flood season the residual treated water comes with more silt due to which the siltation occurs.	DDA shall have to divert their wastewater out falling into KSN drain at two points of main DDA road drain to adjacent DDA drains. Three culverts of KSN drain shall be demolished and adequate hume pipes will be laid for increasing the water way and smooth discharge of wastewater.
6.	Pankha road drain	Heavy daily disposal of MSW and other household & market wastes, Non availability of banks and access for deployment of machines, Presence of high tension overhead electric line, Encroachment in the drain, Heavy floating materials, silt, debris etc. from inlets/ out falling drains, Local resistance for not stacking the material in front of their houses and shops	A scheme for construction of RCC retaining wall on both sides, The M.S Jalies have been erected over the bridges to discourage the localities from throwing of garbage, Joint survey with DJB and BSES is occasionally conducted time to time to cope with the ground realities, The MS boards being erected at vulnerable points to discourage people from dumping and throwing of household waste and garbage. Inviting specialized agencies to plan rejuvenation of drain. Deployment of Jal Rakshak.
7.	Nasirpur Drain	Heavy daily disposal of MSW and other household &market wastes, Non availability of banks and access for deployment of machine, Presence of water pipeline, electric & Telephone cables in the water way, Presence of high tension overhead electric line, Encroachment in the drain,	M.S Jalies have been erected over the bridges; MS boards are being erected at vulnerable points, Inviting specialized agencies to plan rejuvenation of drain, R&D for specialized machinery for effective cleaning of drain, stopping of sewerage water into the drain, Deployment of Jal Rakshak, Installation of MS Jallies on the mouth of out falling drains.

		Heavy floating materials, silt, debris etc. from inlets/ out falling drains, Non availability of space for stacking desilted materials, Local resistance for not stacking the materials in front of their houses and shops.	
8.	Asola Drain	Inefficiency of civic agency i.e. MCD for collection of MSW from houses& markets, construction of Dhalaos, Lack of civic sense and awareness among local people. Lack of specialized machines fit for cleaning of the drain in existing circumstance; Lack of power to challan the defaulters.	DJB may construct STP and lay sewer lines in the area. The MCD shall develop effective mechanism for collection of MSW of the household wastes and C&D wastes. R&D for specialized machinery for effective cleaning of drain. Immediate filling of vacant posts of technical and work charge staff. Stopping of sewerage water into the drain. Spreading of general awareness about health and hygiene among the people residing all along the drain.

2. FLOOD MANAGEMENT

Apex Committee

An Apex Committee has been constituted under the Chairpersonship of Hon'ble Chief Minister, Delhi to recommend, supervise and co-ordinate flood control measures in the National Capital Territory of Delhi. The Central Flood Control Room at LM Bund Office Complex, Shastri Nagar Delhi, remains in constant touch with the Control Rooms of different departments i.e. MCD's, NDMC, PWD and DDA to receive complaints and take appropriate remedial action in case of drainage congestion on account of heavy rains. Disaster management control room at office of D.M. (East) remains functional for relief & rescue operations. In case of any need, the Divisional Commissioner may seek assistance from Army in controlling floods, evacuation of the marooned people, distribution of food supplies and other related matters.

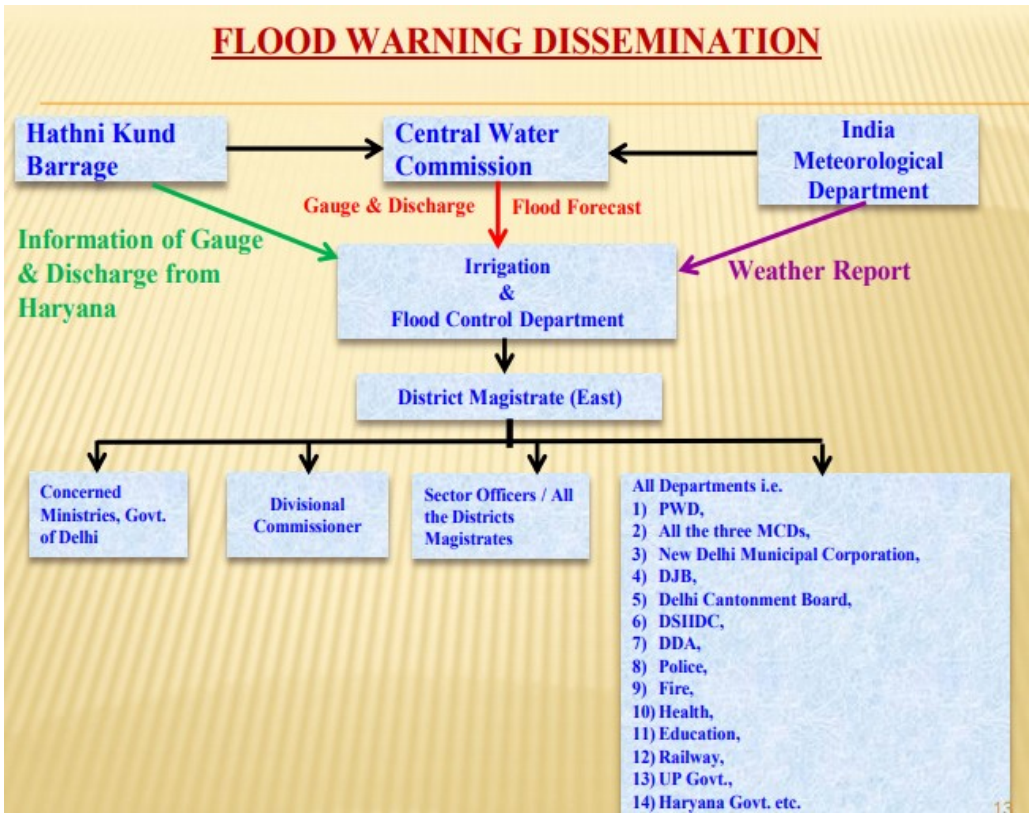

Sector Committee

Sector Committee is also constituted for each district, under the supervision of a Sector Officer of D.M. rank. The Sector Officer also acts as a link between the various departments, at District level, organized evacuation of the people, if necessary and to re-habilitate them in relief camps and distribution of relief supplies.

Function of the Sector Committee: Immediately after its constitution, the Sector Committees will meet within the areas of their jurisdiction and plan the steps needed for dealing with the problems arising out of floods or drainage congestion.

Flood Warnings

The first warning is issued by Central Flood Control Room as soon as the discharge from Hathnikund Barrage exceeds one-lakh cusecs or Discharge at Manasi exceeds 3500 cusecs for Sahibi / N.G. Drain- where upon the relevant Sector Control Rooms starts functioning and keeps a vigil in their respective areas. Second Warning been issued when the discharge from HathniKund Barrage exceeds 3 lakh cusecs or Discharge at Manasi exceeds 70000 cusecs for Sahibi / N.G. Drain- People residing within the river embankments near to active course shall be warned and arrangement made to shift them

to safer places. The Police and the staff of the Flood Control Dept. would undertake patrolling along Right & Left marginal embankments and keep vigil on the vulnerable points. The third warning been issued when the discharge from HathniKund Barrage exceeds 5 lakhs cusecs while for Sahibi or Discharge at Manasi exceeds 1 lakh cusecs for Sahibi / N.G. Drain- This warning shall be issued when the discharge at Masani Barrage exceeds one Lakh cusecs. People residing in dangerously exposed areas will be advised to remain alert and move to places of higher altitude, in case of need.

Vulnerable Points			
Levels at Old Railway Bridge	S. No.	CRITICAL POINTS	ACTION REQUIRED
205.33 (Provisional Danger Level)	1.	Rescue Boat Club R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	2.	Monastery Market R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	3.	Geeta Ghat- Entry Point R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	4.	Qudsia Ghat R/B River Yamuna	Hydra was deployed for operation of gates/inlets
	5.	Nigam Bodh Ghat R/B River Yamuna	Gaps were plugged by placement of filled earth bags
	6.	Tonga Stand Regulator R/B River Yamuna	-DO-
	7.	Vijay Ghat Regulator R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	8.	Nalla No. 12 & 12A R/B River Yamuna	Pumps were deployed for pumping continuously and additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.

	9.	Regulator at RD-180 m of R.M.E.	-DO-
	10.	Chilla Regulator	Gates closed as per requirement
	11.	Burari Regulator at RD-1135 m of Jahangirpuri Drain.	- DO-
206.00	12.	Neem Karoli-Gau Shaala R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	13.	Civil Military Drain Regulator R/B River Yamuna	Were closed as per requirement
	14.	L. F. Bund in Trans Yamuna Area Shank RD. 1400m Shank RD. 800m	The hard stone and earth bags dumped to prevent erosion of Shanks & Embankment.
	15.	Nalla No. 14 Regulator R/B River Yamuna	Pumps were deployed for pumping continuously and additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	16.	Outfall of Toe Drain along RME near RD 2700m of Supplementary Drain	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
207.00	17.	D.J.B site along Ring Road R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.

3. Actions Taken by I&FC Department

- **Monitoring of flood**

  In order to monitor the flood situation, control rooms and wireless network are setup throughout the monsoon season and a complete record of the discharges and their water levels is maintained in respect of river Yamuna as well as river Shahibi with the active assistance of CWC, IMD & the neighbouring States. Daily weather report having data of rainfall till date, rainfall during last 24 hours and forecast of the rain as well as floods is generated and shared with all stakeholders to take necessary measures.

- **Protection and Maintenance of embankments**

  The department has constructed above embankments over different periods to fortify the city against the flood furry and to protect & maintain these embankments, different types of flood protection and maintenance works like protection of embankments, protection/ construction/restoration of spurs, launching aprons, stone pitching etc. are being undertaken by the department on regular basis as per the need. The staff of the Flood Control Dept. would undertake 24x7 patrolling along right & left marginal embankments and keep vigil on the vulnerable points.

- **Regulators**

  The regulators constructed and maintained by I&FC department at 15 Nos. outfalls of different drains directly out falling into river Yamuna in the city reach will have to be operated from time to time to suitably pump out the city drainage in case the river is in high flood and heavy local rainfall. The regulators/ gate being closed at the time of heavy discharge in the river to check the reverse flow of river into the city side. A close liaison is to be maintained with U.P. Irrigation Department for timely opening of gates of Chilla regulator, if heavy discharge enters Delhi through Shahdara drainage system, either due to heavy local rainfall or rainfall in upstream Loni-Saharanpur U.P. areas. Boats and emergency portable pump sets will have to be kept ready to meet any exigency arising out of the flood situation.

- **Resources**

  Boats and emergency portable pump sets will have to be kept ready to meet any exigency arising out of the flood situation. Resources are available with the I&FC department to meet out the requirement during monsoon season.

- **River training works**

  They may be constructed on both sides of the river or only on one side, for some suitable river length, where the river is passing through towns or cities. (ii) Spurs or Groynes: These are constructed, in order to protect the bank from which they are extended, by deflecting the current away from the bank. (iii) Pitching of banks and provision of launching aprons: Banks of a river are directly protected by stone pitching, or by concrete blocks, or by brick lining or by growing vegetable cover, etc. Concrete blocks are very costly, and stone pitching is mostly adopted, if available without much difficulty. The banks of the river are

made stable by giving them a stable slope varying from 1:1 to 2:1 depending upon the material of the bank. They are then pitched, so as to make them strong enough to resist erosion.

- **Flood Plain Zone**

In compliance to the directions of Hon'ble National Green Tribunal in the matter of Manoj Mishra Vs. Union of India (O.A. No. 06/2012) vide order dated 13.01.2015 vide which it has been directed that flood plain should be identified for flood, once in 25 years in the interest of ecology, biodiversity and the river flow. IIT Delhi has conveyed flood of 2011 as once in 25 years during which maximum discharge release from Tajewala and maximum gauge recorded at Old Railway Bridge was 205.72 in respect of discharge of 6,41,462 cusecs. The 20 sheets of flood plain maps have been prepared by GSDL based on the maximum water levels observed in year 2011 at various locations with the level of 205.72 round of to 206.00 and forwarded the same to Delhi Development Authority for physical demarcation of flood plain for river Yamuna.

4. KEY INFRASTRUCTURE OR SPECIAL PROJECTS IDENTIFIED DURING THE PLAN PERIOD, ALONG WITH DETAILS OF PROJECTS AND THEIR TIMELINES

Table 3. List of Special Projects

S. No.	Project Name	Target	Timeline
1.	Creation of Water Bodies/ Reservoirs in Flood Plains of River Yamuna by retaining excess water in the River during Monsoon Season from Palla to Wazirabad.	The implementation of this project on a larger scale of about 1180 Acre, as proposed in the conceptual plan, shall result in recharge of flood plain of River Yamuna from Palla to Hiranki and the ground water can be tapped through the existing network of tube wells of DJB and this network can be further augmented by DJB for improving the fresh water supply to Delhi.	
2.	Details of Pilot Project at Ghoga Drain	Activity aimed at improving the quality of wastewater as well as to rejuvenate drains. A pilot project to treat at least ten lakh litres per day of wastewater by using ecologically sensitive & sustainable	

		technology like constructed wet land system was created to treat wastewater flowing in Ghoga Drain. The Pilot Project comprises construction of SWAB based wetland system. The project has been envisaged to treat 1 MLD of wastewater flowing in Ghoga Drain and the Construction of 6 Nos. check dam of 0.50 M high with stone boulders within an interval of 1 Km each.	
3.	Pilot Project: Rejuvenation of Rajokari Water Body	In order to rejuvenate the water body a pilot project for rejuvenation of Rajokari water body was undertaken by the department with objective of: (i) Treatment of sewerage water by ecological sustainable technology to reduce pollutant as such BOD COD dissolved and suspended solid etc. and bring it to permissible level for water body. (ii) Landscaping of open area along with Horticulture work and provision for lighting of the area. Further installation of CCTV camera for security purpose, plantation of creeper plants over the boundary wall in order to increase aesthetic view and greenery, open gym equipment, children play equipment for the purpose of use of this area for complete recreation was also desired and the same is in process that will be completed by 30.04.2021.	**Awarded** award of Excellence awarded on 28.08.2020, under National Water Innovation Summit & Awards 2020.
4.	Widening & strengthening of Embankments along river Yamuna from Palla to Wazirabad.	Schemes were prepared for raising of embankment and strengthening by widening of embankment from existing single lane to two-lane carriageway They were placed and approved by the Technical Advisory Committee (TAC) in its 36th& 41st meetings. The Approximate expenditure on widening and strengthening of Embankment from Palla to Wazirabad shall be Rs. 3800 Lacs.	

5.	Water front development along Najafgarh drain	A scheme of Rs. 6.22 crores for the Comprehensive Consultancy services for Water Front Development on Najafgarh Drain from Chhawla Bridge to Basaidarapur Bridge with designing of two lane road on left & right bank of Najafgarh drain & various bridges have been approved by GNCT of Delhi.	Floating of tender is in process
6.	National Hydrology Project (NHP)	The National Hydrology Project, (NHP) is a World Bank supported Govt. of India scheme with 100% grant in aid to Central & State implementing agencies (IA). I&FC Department & DJB have signed the NHP as an Implementing Agency (IA) for the State of Delhi. NHP aims at taking up the following main activities: **a.** Establishing and upgrading Hydro-met network in all the river basins. **b.** Bringing the entire hydro-metrological data on a standardized central database for easy storage, validation, analysis and dissemination. c. Development of Decision Support Systems for Flood Forecasting, reservoir operations, water resources planning & management, conjunctive use etc. following a river basin approach. d. Capacity building of the States and enhancing collaboration between Centre & States and amongst the State themselves through trainings, establishment of data centres, Centres of Excellence etc. Total allocation of Rs. 3679.76 Crores is made for this work, to be implemented by various Central and State Govt. Agencies. For this purpose, Rs. 25.00 Crores has been allocated for the State of Delhi. Following activity has been approved for implementation by I&FC Department and Delhi Jal Board under National Hydrology Project: - 1. Real Time information system on drainage network in Delhi. 2. Real Time	The work proposed will be partly taken up in the current Financial Year and the remaining work will be taken up in forthcoming years. On completion of this project, various data being generated on real time will be available on the server of NHP for real time monitoring & can be assessed by the authorized representative of all other State Govt.

		information system for rainfall in Delhi. 3. Groundwater Measurement Equipment. 4. Upgradation of Water Testing Laboratories.	
7.	Strengthening and raising of right bank of Najafgarh drain		Already undertaken.
8.	Rejuvenation of 10 water bodies entrusted to I&FC Dept.	The water bodies in Delhi are in extremely bad shape and are in varying degrees of environmental degradation. Hence, the Govt. of Delhi taken up development and rejuvenation of water bodies as a flagship programme. Though I&FC Dept. is not land-owning agency but has taken up above 10 water bodies for rejuvenation as per present Govt. policy. The rejuvenation of above water bodies is being taken up in holistic manner by constructing the wet lands that are ecologically sensitive and sustainable which are most suitable in situ treatments for discharges of wastewater less than 1 MLD. As a part of rejuvenation, necessary landscaping works, walking tracks, cycling tracks, benches, solar lighting, public amenities like toilets, Amphitheatre where ever feasible will be taken up to facilitate effective utilization for recreation purpose of local public. The estimated cost for rejuvenation of above 10 water bodies including STP and landscaping is Rs. 21.54 Cr.	After issue of Administrative Approval and Expenditure Sanction, the period of completion for rejuvenation of above 10 water bodies will be 18 months including all codal formalities.

5. ESTIMATED LAND REQUIREMENTS FOR PROJECTS

The department is facing a problem of disposal of desilted earth, as MCDs are reluctant to take the same; hence, it is necessary that DDA may give land parcels at different locations along the drains having size of around 1 ha. each at every 10 Km interval (totalling around 1000ha.).

It is recommended that the service lines in form of sewer, water, electric, communication etc. should be shifted outside the land boundary of I&FC drains.

Large chunks of I&FC land are being utilized for the construction of dhalaos by civic agencies, it is suggested that separate land should earmarked outside drain boundary for collection, processing, shifting and disposal of MSW as well as C&D waste along entire align of existing drains.

6. PROJECTED LAND REQUIREMENT IN VIEW OF MPD 2041

The drain wise projected land requirement considering expected remodeling, their operation and maintenance, creation of green belt, for processing of the desilted earth, for service road, for service lines, for C&D waste and additional stores etc. is attached as Annexure-II (b).

The additional land available for future use along drains varies with drains as well as their stretch/locations. In upper reaches of Najafgarh its width is more than 135 m. while in lower portion (which is highly urbanized) it comes down to 25 m. Similar situations exist in other drains also. This additional land is being utilised for service lines like sewer lines, water pipeline, H.T. lines, communications cables etc. in addition to construction of Dhalaos, Chhat Pooja Ghats, Mohalla clinics, Parks etc.

To create green zones along drains plantation work has also been done on the available drain land at different locations.

7. KEY TARGETS THAT WILL BE INCLUDED IN MPD 41 ACTION PLAN

Component	Current status	Target for 2041	Phasing Plan
Length (in km) of buffers created and maintained along major drains	The drain wise status of length of drain, width, depth of drain, catchment area, design discharge, present status of embankments & status of buffer land along the drains is annexed as (Annexure-II (b))		

8. SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS

For construction of new drains in the sub cities to be planned under Master Plan 2041, following recommendations are made with regard to planning / construction of drainage system:

a) The existing drainage network of Irrigation and Flood Control Department may be remodeled within the limits of the feasibility, to integrate the drainage network of sub-cities to be planned under Land Pooling Policy / MPD-2041, whenever, the relevant details are shared with I&FC Department in consultation with all stakeholders.

b) Provision should be made for continuous green lines along the entire course of the drains on both sides.

c) A separate provision for the services lines like sewer, water, electric, communication etc. should be made outside the drain boundary areas.

d) A separate provision for land for collection, processing, transportation, shifting and disposal should be made for MSW as well as C&D waste.

e) New development should be made in such a way that overall runoff from the area does not increase with the proposed urbanization. For that necessary measures in form of ponds, parks, porous pavements, green belts, artificial lakes / or other rainwater harvesting and storage structures etc. may be adopted.

f) The officers involved in drainage and flood management should be given exposure to International best practices, so as to adopt the same to the National Capital City of Delhi.

Referred annexures for I&FC Service Plan:

Annexure II (a): Embankment Strengthening /Remodelling Status of Drains

Annexure II (b): Details of Buffers along Drains of I&FC Department

Annexure II (c): Detail of Effluent Irrigation System

ANNEXURE – II (a) : Embankment Strengthening /Remodelling Status of Drains

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
CD-I				
Najafgarh Drain, CD-I-45316m	45.31	Stable	No	NA
Palam Drain	4.20	Stable	No	NA
Palam Link Drain	1.47	Stable	No	NA
Najaf Garh Pond Drain	1.95	Stable	No	Yes Work in progress.
Nasirpur Link Drain	2.90	Stable	No	NA
Bijwasan Drain	4.20	Stable	No	NA
Pankha Road Drain	3.60	Stable	No	NA
Shahbad Mohammadpur Drain	0.23	Stable	No	NA
Mudhela Drain CD-I-6920m,	6.95	Stable	No	NA
CD-II				
Supplementary Drain D 16436 m to RD 22471 m	6.04	Inspection path i) L/B 17700 to 19362- CC Road ii) R/B 16436 to 16700- CC Road iii) R/B 21350 to 22137-CC Road Mohalla Clinic(RD 17700m R/B) 1500 plants proposed b/w RD 16436m to 22471m at scattered locations	-N/A- Section already lined	-N/A- Section already lined

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
		350 Sapling already planted and their maintenance is in progress		
Najafgarh Drain, RD 45316 m to RD 57140m	11.82	Inspection Road i) L/B RD 47390m to RD 48300m CC/Bituminous Road ii) L/B RD 54346m to Nose Point CC/Bituminous Road iii) L/B RD 56306m to RD 57106m CC/Bituminous Road iv) R/B RD 46870m to RD 48315m CC Road v) R/B RD 54346m to RD 56704m Bituminous Road	No proposal of strengthening as of now - strengthening work shall be done if so necessitated in future	No proposal of remodelling as of now - Remodelling work shall be done if so required in future.
CD-III				
Trunk Drain No.I , CD-III-5260m, RD 0m to RD 3200m	5.26	Good	NO	NO

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD 3200m to 5260m				
Trunk Drain No. II	4.55	Good	NO	NO
RD-4550m to RD-3900m				
RD-3900m to RD-3230m				
RD-3230m to RD-1980m				
RD-1980m to RD-0m				
Shahdara Outfall Drain	5.90	Good	NO	NO
RD-5900m to RD-0m				
Ghazipur Drain	6.15	Good	NO	NO
RD-0m to RD-2135m				
RD-2135m to RD-3505m				
RD-3505m to RD-5090m				
RD-5090m to RD-6157m				
Shahdara Link Drain	4.56	Good	No	NO
RD 4545m to RD-3500m= 45.15m				
RD 3500m to RD-3065m= 53.50m				
RD 3065m to RD-2565m= 44.50m				
RD 2565m to RD-2150m= 36.45m				

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD 2150m to RD 1330m = 43.45m				
RD 1330m to RD-930m = 43.45m				
RD 930m to RD-330m = (covered portion) 43.00m				
RD 330m to RD 130m= 43.45m				
CD-IV				
Trunk Drain No.I , CD-IV-5260m, to 13387m	8.13	Good	No	No
RD 5260m to 6690m	1.43			
RD 6690m to 10330m	3.64			
RD 10330m to 13387m	3.06			
Karawal Nagar Drain	2.48	Good	No	No
Biharipur Drain	1.00	No sufficient land is available for Embankment.	No	No
RD 0m to RD 650m	0.65			
RD 650m to RD 1000m	0.35			
Bund Drain	3.45	No sufficient land is available for Embankment.	Yes	Remodelling of drain is in progress on existing section as the no sufficient land is available along the drain.
Escape Drain No. I	2.98	Good from RD 0m	NA	Drain is passing

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD 0m to 980m	0.98	to RD 2650m. No sufficient land is available for Embankment from RD 2650m to RD 2980m.		through thickly populated area. Due to land constraint, no any remodeling is proposed between RD 1650m to RD 2560m. However remodeling is required in near future.
RD 980m to 1650m	0.67			
RD 1650m to 2650m	1.00			
RD 2650m to 2980m	0.33			
Escape Drain No. II	0.45	Good	No	No
Relief Drain	2.18	No sufficient land is available for Embankment.	NA	Drain is passing through thickly populated area. Due to land constraint, no any remodeling is proposed. However remodeling is required in near future.
RD 0m to 695m	0.70			
RD 695m to 965m	0.27			
RD 965m to 1860m	0.90			
RD 1860m to 2180m	0.32			
CD-V				
Ali Drain	2.78	1 side Road 1 side NTPC.	No	No
Asola Drain	3.39	on Right side from 400 to 600 RD.	There is kuchcha zigzag drain passes through	

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
			private land and water spreads in the open field and there is no outfall of drain.	
Molar Bund Extension Drain	1.38	No	No	No
Sarita Vihar Drain	1.30	Earthen	No	No
CD-VI				
Drain No. 6	14.73	Good condition	Not required	Not required
Burari Creek	8.86	Good condition	Not required	Not required
Burari Drain	6.04	Good condition	Not required	Not required
New Drain	5.40	Good condition	Not required	Not required
Jagatpur Link Drain (Link Drain No. II)	2.46	Good condition	Not required	Not required
Toe Drain	4.00	Good condition	Not required	Not required
CD-VII				
BAWANA ESCAPE DRAIN	19.79	Strengthen	No	No
Bankner Link Drain	5.43	Good	Yes	No
Khera Khurd Drain	5.20	Good	Yes	Yes
Ghoga Link Drain	5.12	Good	No	No
Naya Bas Link Drain	3.00	Good	No	Yes
Sanoth Link Drain	3.35	Good	No	Yes
Alipur Link Drain	0.88	Good	No	No
Tikri Khurd Link Drain	1.94	Good	Yes	Yes
Khera Kalan Drain (Link)	0.86	Good	No	No

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Bawana Drain RD 9561M to RD 11391M	1.830	Good	No	No
Nangloi Drain CD-VII-2100m	2.10	Good	No	No
CD-VIII				
MungeshPur Drain RD 15850 m to RD 37550 m	21.65	Earthern	-	-
Bazitpur Drain RD 0 m to RD 8049 m	8.05	Earthern	-	-
Bawana Drain RD 0 m to RD 9561 m	10.83	Earthern	-	-
Ladpur Link Drain RD 0 to RD 2300 m	2.30	Earthern	-	-
Katewara Link Drain RD 0 m to RD 1330 m	1.33	B/Work	-	-
Jatkhor Link Drain RD 0 m to RD 3760 m	3.76	Earthern	-	-
Nangal Thakran Link Drain RD 0 m to RD 900 m	0.90	Earthern	-	-
Madanpur Drain RD 4100 m to RD 8229 m	4.13	Earthern	-	Channelization of drain near Ghewra village on up stream of Railway line crossing is required
Kirari Suleman RD 4150 to RD 7850 m	3.70	Dry brick	-	Remodelling of KSN drain is required as the most of the

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
				catchment area of this drain is urbanized and many unauthorized colonies were also developed and being developed. Due to this, there is no scope for percolation of storm water and which has to be carried by this drain. Besides this, due to lack of sewerage network in unauthorized colonies the discharge of sewage, household waste and other wastewater are also flowing into KSN drain through various drains of other Govt. Agencies. There is no land available for

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
				remodeling since the adjacent area in both sides is developed and urbanized. Hence, there is a need, to acquire land for remodeling of KSN drain.
Sultanpur Drain RD 0 m to RD 9200 m	9.20	Earthern	Strengthening of bank is required on upstream side of Karala-Kanjhawala road at Rupali Enclave	-
Rasulpur Link Drain RD 0 m to RD 750 m	0.75	Earthern	-	-
CD-IX				
Supplementary drain from RD 0to RD 16436m	16.44	Inspection road, dhalao, twin pipeline of DJB, PWD Road, Plantation and Mohalla Clinic etc. exist on Bank of Supplementary Drain.	Strengthening Required	Remodelling Required
CD-X				

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Jahangir Puri Outfall drain	**5.47**			
RD 0m to RD 1700m		RD 0m to RD 4800m both side bank PCC tile lined & RD 4800m to RD 5470m both side bank stone pitching	Strengthening and upgradation of regulator at RD 1135m. (Work being taken by Mechanical Division-II, in year 2020-21.)	No
RD 1700m to RD 3000m				
RD 3000m to RD 4000m				
RD 4000m to RD 4800m				
RD 4800m to RD 5470m				
CD-XI				
Supplementary Drain, CD-XI				
RD 22471m to RD 25075m	2.604	Land/Road exist on left bank of Supplementary Drain where park, Mohalla Clinic, Chhat Ghat, Inspection Road and Dhalao have been constructed. Around 10000 nos. plants has been planted on left bank of Supplementary Drain. On the right bank Kaccha inspection Road	Strengthening required	Remodelling required
RD 25075m to RD 26060m	0.985			
RD 26060m to RD 28080m	2.020			
RD 28080m to RD 31300m	3.220			
RD 31300m to RD 34500m	3.200			

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
		exists which is common bank of N G Drain and Supplementary Drain.		
CD-XII				
Madanpur Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	-	Not Required	Not Required
Kirari Suleman Nagar Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	-	Not Required	Not Required
(RD 0m to RD 1722m)	1.72	-		
(RD 1722m to RD 3700m)	1.98	-		
(RD 3700m to RD 4100m)	0.40	-		
Mundka Peripheral Drain (RD 0m to RD 2345m)	2.35	-	Not Required	Not Required
Ranhola Pond Drain (RD 0m to RD 1160m	1.16	-	Not Required	Not Required
CD-XIII				
MungeshPur Drain CD-XIII-10362m	10.362 0m to 1575m = 1575m to RD. 6600m RD.6600m to 10362M	Stable	No	No
Bhupania Chudania Drain (including Haryana portion)	8.55 RD. 0m to 2736m	Stable	No	No

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
	RD. 6280m to 8550M RD.2736m to 6280M (Haryana State)			
Mudhela Drain CD-XIII- From 6950 to 12560m	5.60	Stable	No	No
Nangli Sakrawati Link Drain, CD-XIII- RD-0m to 385m = 385m, CD-XIII-RD-1712m to 2262m = 550m	0.93 RD. 0m to 385 RD. 1712m to RD.2262m	Stable	No	No

ANNEXURE – II (b): Details of Buffers along Drains of I&FC Department

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others, if any	Total (in hectare)	Remarks
FC-I																
Jahangir Puri Outfall drain																
RD 0m to RD 1700m	5.47	75.00	54.00	1.80 m	21.00	3.50 mtr each side Total = 7.00 mtr	---	2.00 mtr each side Total = 4.00 mtr	---	---	2 mtr each side Total = 4.00 mtr	---	---	---	8.20	
RD 1700m to RD 3000m		66.00	48.00		18.00											
RD 3000m to RD		31.00	27.00		4.00											

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others, if any	Total (in hectare)	Remarks
4000m																
RD 4000m to RD 4800m		35.00	33.00		3.00											
RD 4800m to RD 5470m		54.00	43.00		12.00											
Trunk Drain No.I , CD-III-5260m																
RD 0m to RD 3200m	5.26	54.86	38.00	2.67	16.86		10.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			15.68	
RD 3200m to 5260m		22.86	20.00		2.86		24.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			12.98	
RD 5260m to 6690m	1.43	45.00	33.00	4.00	12.00		8.00	10.00			5.00	5.00			4.00	
RD 6690m to 10330 m	3.64	45.00	25.00	4.50	20.00			10.00			5.00	5.00			7.28	
RD 10330 m to 13387 m	3.06	37.00	15.00	4.50	22.00			10.00			5.00	5.00			6.11	
Trunk Drain No. II													20.00			
RD-4550m to RD-3900m		15.24	15.24		0.00		32.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			4.62	
RD-3900m to RD-3230m	4.55	32.74	20.05	2.60	12.69		20.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			3.95	Drains under the jurisdiction are passing through the densely populated area, acquisition of the proposed additional land is only possible if the redevelopment of the nearby area of the drain proposed by DDA
RD-3230m to RD-1980m		45.24	20.55		24.69		8.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			5.88	
RD-1980m to RD-0m		54.86	22.80		32.06			7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			7.72	
Shahdara Outfall Drain	5.90			3.26												
RD-5900m to RD-0m		135.00	58.764		76.236			10.00	14.00		5.00	5.00			20.06	
Ghazipur Drain	6.15			3.11												
RD-0m		104.	54.44		49.56		5.00	7.50	14.00		5.00	5.00			7.79	

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others, if any	Total (in hectare)	Remarks
to RD-2135m		00														
RD-2135m to RD-3505m		104.00	53.83		50.17			7.50			5.00	5.00			2.40	
RD-3505m to RD-5090m		104.00	52.59		51.41			7.50			5.00	5.00			2.77	
RD-5090m to RD-6157m		85.00	47.73		37.27		5.00	7.50	7.00	3.50	5.00	5.00			3.52	
Shahdara Link Drain																
RD 4545m to RD-3500m		45.15	22.25		22.90		10.00	7.50	10.00		5.00	5.00			3.92	
RD 3500m toRD-3065m		53.50	22.25		31.25		10.00	7.50	10.00		5.00	5.00			1.63	
RD 3065m to RD-2565m		44.50	22.25		22.25			7.50	5.00		5.00	5.00			1.13	
RD 2565m to RD-2150m	4.56	36.45	22.25	2.135	14.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.93	
RD 2150m to RD 1330m		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			1.85	
RD 1330m to RD-930m		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.90	
RD 930m to RD-330m (Covered Portion)		43.00	15.45		27.55			7.50	5.00		5.00	5.00			1.35	
RD 330m to RD 130m		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.45	
Karawal Nagar Drain	2.48	38.96	14.00	4.00	24.96			5.00			5.00	5.00			3.72	
Bihari pur Drain	1.00	4.00														
RD 0m to RD 650m	0.65	4.50	2.00	1.50	2.50	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	3.00	3.00			2.14	
RD 650m to RD	0.35	8.00	2.00	1.50	6.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00	3.00			1.02	

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	**Length of Drain (in KMs)**	**Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way**	**Reach wise top drain width (in mtr.) including water way**	**Depth of drain (in mtr.)**	**Balance land width (in mtr.) (Buffers)**	**Remodelling / augmentation**	**Operation & maintenance**	**Creation of green belt**	**For processing of desilted earth**	**For Service road**	**For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao**	**For C&D waste**	**For additional stores of I&FC Dept.**	**Others, if any**	**Total (in hectare)**	**Remarks**
1000m																
Bund Drain	3.45	7.50	3.70	2.00	3.80	5.00	4.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			10.00	
Escape Drain No. I	2.98															
RD 0m to 980m	0.98	25.90	8.00	4.00							3.00	3.00			0.60	
RD 980m to 1650m	0.67	23.00	6.00	3.00	17.90		4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			1.74	
RD 1650m to 2650m	1.00	18.23	6.00	2.50	17.00	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			3.10	
RD 2650m to 2980m	0.33	17.00	2.80	2.00	12.23	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			1.02	
Escape Drain No. II	0.45	30.00	10.00	3.00	20.00			5.00			3.00	3.00			0.50	
Relief Drain	2.18															
RD 0m to 695m	0.70	27.00	13.00	2.00	14.00		3.00		3.00	6.00	3.00	3.00			1.26	
RD 695m to 965m	0.27	Not visible marsh land				5.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			0.76	
RD 965m to 1860m	0.90	8.00	2.60	1.20	5.40	5.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			2.52	
RD 1860m to 2180m	0.32	15.00	5.00	1.50	10.00		3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			0.74	
														FC-I	**154.24**	

FC-II																
Drain No.6	14.73	1. RD 0m to 2650 m = 45.00 Mtr	1. RD 0 m to 1725 m = 26.95 Mtr.	Varies from 3.40 Mtr 4.10 Mtr	1. RD 0 m to 1725 m = 18.05 Mtr.	(26.95x0.5)x1725 = 23244 Sqm.	----	RD 0 to 13025m = 13025 m x 5m X 2= 130250 Sqm.	RD 10000 m to RD 11000 m 40000 Sqm	----	For Services 13025x2 = 26050 Sqm For Dhalao RD 2600m RD 2315 RD 2975 RD 12000 RD 11700 5 x 15m x 15m =	----	RD 2600m = 20m x 15m = 300 Sqm.	----	37.275	
		2. RD 2650 m to 6600 m = 44.00 Mtr	2. RD 1725 m to 2250 m = 26.60 Mtr.		2. RD 1725 m to 2250 m = 18.40 Mtr.	(26.6x0.5)x(2250-1725) = 6983 Sqm	----	----	----	----			RD 7700m = 20m x 15m = 300 Sqm.			

											1025 Sqm.					
		3. RD 6600 m to 12500m = 40.00 Mtr	3. RD 2250 m to 2650 m = 22.05 Mtr.		3. RD 2250 m to 2650 m = 27.95 Mtr.	(22.05x0.5)x(2650-2250) = 4410 Sqm	----	----	----	----		----	----	----		
		4. RD 12500m to 14725m = 28.00 Mtr.	4. RD 2650 m to 2825 m = 26.60 Mtr.		4. RD 2650 m to 2825 m = 17.40 Mtr.	(26.6x0.5)x(2825-2650) = 2328 Sqm	----	----	----	----		----	----	----		
			5. RD 2825 m to 6600 m = 28.70 Mtr.		5. RD 2825 m to 6600 m = 15.30 Mtr.	(28.7x0.5)x(6600-2825) = 54171 Sqm	----	----	----	----		----	----	----		
			6. RD 6600 m to 7730 m = 26.45 Mtr.		6. RD 6600 m to 7730 m = 13.55 Mtr.	(26.45x0.5)x(7730-6600) = 14944 Sqm	----	----	----	----	----	----	----	----		
			7. RD 7730 m to 9700 m = 26.10 Mtr.		7. RD 7730 m to 9700 m = 13.90 Mtr.	(26.1x0.5)x(9700-7730)= 25709 Sqm	----	----	----	----	----	----	----	----		
			7. RD 9700 m to 10700m = 23.50 Mtr.		7. RD 9700 m to 10700m = 16.50 Mtr.	(23.5x0.5)x(10700-9700) = 11750 Sqm	----	----	----	----	----	----	----	----		
			8. RD 10700m to 12500m = 19.20 Mtr.		8. RD 10700m to 12500m = 20.80 Mtr.	(19.2x0.5)x(12500-10700) = 17280 Sqm	----	----	----	----	----	----	----	----		
			9. RD 12500m to 14725m = 12.50 Mtr.		9. RD 12500m to 14725m = 15.50 Mtr.	(12.5x0.5)x(14725-12500) = 13906	----	----	----	----	----	----	----	----		
Burari Creek	8.86	20.00	10 to 12	2.10	10 to 8	(12x0.5)x(8867) = 53202 Sqm	----	From RD 0 m to RD 8867 m x 5.0 m x 2 = 88670 Sqm	----	From RD 0 m to RD 8867 m x 3.0 m = 26601 Sqm	For Services From RD 0 m to RD 8867 m x 2.0 m = 17734 Sqm For Dhalao Near RD 450 M Near RD 1050M Near RD 1450 M Near RD 1950 M Near RD 4150 M Near RD 5250 M Near RD 5850 M	----	500 Sqm (Near RD 2300 M Near RD 6000 M)	----	18.90	

											Near RD 6500 M Near RD 7850 M Near RD 450 M New Course 10x15x15 =2250 Sqm					
Burari Drain	6.04	3.50 to 6.00 M	3.50 to 6.00 M	0.60	Nil	(5x0.5)x(6040) = 15100 Sqm	From RD 0 m to RD 5488 m 5488 x 5.00 = 27440 Sqm	From RD 0 m to RD 5488 m 5488 x 5.00x2 =54880Sqm	----	----	For services 5488x2 = 10976 Sqm For Dhalao Near RD 3500 M Near RD 5100 M 2 x 15.00x 15.00 = 450.00 Sqm	----	----	----	10.8846	
New Drain	5.40	61.00	48.00	5.20	13.00	(48x0.5)x(5400) = 129600 Sqm	.....	From RD 0 to 5400 m 5400x5x2 = 54000 Sqm	----		For services from RD 0 to 5400 m 5400*2 = 10800 Sqm		.....	.....	19.44	
Jagatpur Link Drain (Link Drain No. II)	2.46	4.00	2.50	2.50	1.50	(2.5x0.5)x(2460)= 3075 Sqm	From RD 0 m to RD 500 m500 x 5.00 = 2500 Sqm	From RD 0 to 2460 m2460x5x2 = 24600 Sqm	----	----	For services 2460x2 = 4920 SqmFor DhalaoNear RD 300 M1 x 15.00x 15.00 = 225.00 Sqm	----	----	----	3.532	
Toe Drain	4.00	1.50	1.50	1.20	Nil	(1.5x0.5)x(4000) = 3000 Sqm	From RD 0 m to RD 4000 m 4000 x 5.00 = 20000 Sqm	From RD 0 m to RD 4000 m 4000x5x2 = 40000 Sqm	----	----	For services 4000x2 = 8000 Sqm For Dhalao Near RD 3240 M Near RD 2500 M Near RD 1900 M Near RD 850 M 4 x 15.00x 15.00 = 900.00 Sqm	----	----	----	7.19	
												Total Area CD-VI			**97.22**	
BAWANA ESCAPE DRAIN	19.79	40.50 M (Avg)	19.425 M (Avg.)	1.50 to 4.80	21.0475	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width extended 10 M area 19790 x 10 = 1, 97,900	-	Length RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width 5 M both side of drain area 2 x 19790 x 5 = 1, 97,900 Sqm or 19.79 Ha.	At RD 11000 M area 5 Acre or 2 Ha.	For service lane Length RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 19790 x 4.25 = 1, 68,215	i) RC 19100 M & 19200 M (Budhpur) ii) RD 4165 M to RD 4795 M (Near R/B) J.J. Amar	-	for store at RD 9900 M area 15M x 15 M = 225 Sqm 0.02 Ha	-	78.28	

						Sqm or 19.79 Ha.				Sqm or 16.82 Ha.	Colony Bawana – Narela Road. (iii) RD 13400 M (R/B) Metro Vihar Holambi Kalan. area 3x 15M x 15 M = 675 Sqm 0.0675 Ha					
Bankner Link Drain	5.43	14.10 Avg.	11.25	1.00	2.85	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5430 M = 5430MWidth extended 8 M area 5430 x 8 = 43,440 Sqm or 4.34 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5430 M = 5430MWidth 5 M both side of drain area 2 x 5430 x 5 = 54300 Sqm or 5.43 Ha.	-	For service laneLength RD 0 M to RD 5430 M = 5430MWidth 4.25 M both side of drain area 2 x 5430 x 4.25 = 46,155 Sqm or 4.62 Ha.	RD 2950 M (Near Saboli Road X-ing culvert). RD 3906 M (Pio Manihari Road X-ing).area 2x 15M x 15 M = 450 Sqm0.045 Ha	-	-	-	14.435	
Khera Khurd Drain	5.20	6.75	3.40	0.80	3.35	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5200 M = 5200M Width extended 5 M area 5200 x 5 = 26,000 Sqm or 2.60 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5200 M = 5430M Width 5 M both side of drain area 2 x 5200 x 5 = 52000 Sqm or 5.20 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 5200 M = 5200M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 5200 x 4.25 = 44,200 Sqm or 4.42 Ha.	RD 740 M (Near Bhatte wala Road) area 15M x 15 M = 225 Sqm 0.0225 Ha	-	-	-	12.243	
Ghoga Link Drain	5.12	5.00	5.00	0.80	0.00	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width extended 5 M area 5120 x 5 = 25600 Sqm or 2.56 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width 5 M both side of drain area 2 x 5120 x 5 = 51200 Sqm or 5.12 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 5120 x 4.25 = 43520 Sqm or 4.35 Ha.	-	-	-	-	12.03	
Naya Bas Link Drain	3.00	8.50 Avg	7.00	0.45 to 0.50	1.50	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 3000 M = 3000MWidth extended 5 M area 3000 x 5 = 15000 Sqm or 1.50 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 3000 M = 3000MWidth 5 M both side of drain area 2 x 3000 x 5 = 30000 Sqm or 3.00 Ha.	-	For service laneLength RD 0 M to RD 3000 M = 3000MWidth 4.25 M both side of drain area 2 x 3000 x 4.25 = 25500 Sqm or 2.55 Ha.	RD 490 M CULVERT (Nar Opposite Metro vihar Holambi Khurd)area 15M x 15 M = 225 Sqm0.0225 Ha	-	-	-	7.073	
Sanoth Link Drain	3.35	10.80	9.00	1.40	1.80	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width extended 5 M area 3350 x 5	-	Length RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width 5 M both side of drain area 2 x 3350 x 5 = 33500 Sqm or 3.35 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 3350 x 4.25 = 28475	-	-	-	-	7.88	

						= 16750 Sqm or 1.68 Ha.				Sqm or 2.85 Ha.						
Alipur Link Drain	0.88	30.00	3.50	2.50	26.50	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 880 M = 880M Width extended 5 M area 880 x 5 = 4400 Sqm or 0.44 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 880 M = 880M Width 5 M both side of drain area 2 x 880x 5 = 8800 Sqm or 0.88 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 880 M = 880M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 880 x 4.25 = 7480 Sqm or 0.75 Ha.	RD 0 M, (Near Kiran Garden) ii) RD 435 M (Near Alipur City Forest Road) area 2x 15M x 15 M = 450 Sqm 0.045 Ha			-	2.115	
Tikri Khurd Link Drain	1.94	The drain existing in the NH-1 Land	3.50	0.80	-	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD1940 M = 1940MWidth extended 5 M area 1940 x 5 = 9700 Sqm or 0.97 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 1940 M = 1940MWidth 5 M both side of drain area 2 x 1940x 5 = 19400 Sqm or 1.94 Ha.	-	For service laneLength RD 0 M to RD 1940 M = 1940MWidth 4.25 M both side of drain area 2 x 1940 x 4.25 = 16490 Sqm or 1.65 Ha.	-	-	-	-	4.56	
Khera Kalan Drain (Link)	0.86	7.54	3.00	2.00	4.54	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD860 M = 860M Width extended 5 M area 860 x 5 = 4300 Sqm or 0.43 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 860 M = 860M Width 5 M both side of drain area 2 x 860x 5 = 8600Sqm or 0.86 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 860 M = 860M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 860 x 4.25 = 7310 Sqm or 0.73 Ha.	-	-	-	-	2.02	
Bawana Drain RD 9561M to RD 11391 M	1.830	2.45 M	2.45 M	2.80 M Avg	2.45 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nanglo i Drain CD-VII-2100m	2.10	17.50	9.16	2.00	8.34	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD2100 M = 2100M Width extended 5 M area 2100 x 5 = 10500 Sqm or 1.05 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 2100 M = 2100M Width 5 M both side of drain area 2 x 2100x 5 = 21000Sqm or 2.10 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 2100 M = 2100M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 2100 x 4.25 = 17850 Sqm or 1.79 Ha.	-	-	-	-	4.94	
												Total Area CD-VII			**145.58**	
Mungesh Pur Drain RD 15850 m to RD 37550 m	21.65	32.69 m to 10.00 m	8.54 m to 18.76 m	1 m to 1.50 m	24.15 m to 1.46 m	(12.70 x 0.50 x 21650/10000) =13.74 Ha	-	(2 x 5 x 21650/10000) =21.65 Ha	RD 21785 m to RD 21285 m(500 x 100/10000)=5 Ha	-	For dhalaos(5 x 15 x 15 /10000) =0.11 Ha.	-	-	-	40.50	
Bazitpur Drain RD 0 m to RD 8049	8.05	8.60 m to 12.00	4.47 m	1.00 m	5.83 m	(4.09 x 0.50 x 8050/10000) =1.64 Ha	-	(2 x 5 x 8050/10000) =8.05 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06	-	-	-	9.75	

m											Ha.					
Bawana Drain RD 0 m to RD 9561 m	10.83	5.30 m to 12.00 m	4.75 m	0.75 m	0.55 m to 7.25 m	(4.47 x 0.50 x 10830/10000) =2.42 Ha	(1.50 x 10830/10000) =1.62 Ha	(2 x 5 x 10830/10000) =10.83 Ha	-	-	For dhalaos (4 x 15 x 15 /10000) =0.09 Ha.	-	-	-	14.96	
Ladpur Link Drain RD 0 to RD 2300 m	2.30	11.00 m	2.92 m	0.30 m	8.08 m	(1.67 x 0.50 x 2300/10000) =0.19 Ha	-	(2 x 5 x 2300/10000) =2.30 Ha	-	-	-	-	-	-	2.49	
Katewara Link Drain RD 0 m to RD 1330 m	1.33	2.50 m	0.60 m	0.80 m	1.90 m	(0.60 x 0.50 x 1330/10000) =0.04 Ha	-	(2 x 5 x 1330/10000) =1.33 Ha	-	-	-	-	-	-	1.37	
Jatkhor Link Drain RD 0 m to RD 3760 m	3.76	2.75 m to 3.50 m	1.834 m to 2.587 m	0.30 m	0.163 m to 1.66 m	(1.45 x 0.50 x 3760/10000) =0.27 Ha	(1.50 x 3760/10000) =0.56 Ha	(2 x 5 x 3760/10000) =3.76 Ha	-	-	-	-	-	-	4.59	
Nangal Thakran Link Drain RD 0 m to RD 900 m	0.90	3.64 m	2.14 m	Dry	1.50 m	(1.67 x 0.50 x 900/10000) =0.07 Ha	(1.50 x 900/10000) =0.135 Ha	(2 x 5 x 900/10000) =0.90 Ha	-	-	-	-	-	-	1.11	
Madanpur Drain RD 4100 m to RD 8229 m	4.13	12.50 m	9.02 m	1.00 m	3.48 m	(4.85 x 0.50 x 4130/10000) =1.00 Ha	-	(2 x 5 x 4130/10000) =4.13 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	-	-	5.19	
Kirari Suleman RD 4150 to RD 7850 m	3.70	7.50 m to 15 m	6.98 m	2.02 m	0.52 m to 8.02 m	(3.66 x 1.0 x 3700/10000) =1.35 Ha	-	(2 x 5 x 3700/10000) =3.70 Ha	-	-	For dhalaos (5 x 15 x 15 /10000) =0.11 Ha. For all services (1.50 x 3700/10000) =0.55 Ha. Total =0.66 Ha	-	-	-	5.71	
Sultanpur Drain RD 0 m to RD 9200 m	9.20	4.20 m to 12.60 m	4.57 m	0.75 m	8.03 m	(2.945 x 0.50 x 9200/10000) =1.35 Ha	(1.50 x 9200/10000) =1.38 Ha	(2 x 5 x 9200/10000) =9.20 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	-	-	11.99	
Rasulpur Link Drain RD 0 m to RD 750 m	0.75	6.80 m	3.214 m	0.30 m	3.61 m	(0.91 x 0.50 x 750/10000) =0.03 Ha	-	(2 x 5 x 750/10000) =0.75 Ha	-	-	-	-	-	-	0.78	
												Total Area CD-VIII			**98.44**	
Madan	4.10	14.50	11.50	1.00	3.00	(4100 x	(2300 x	(4100 x 2.00 x	RD	(4100 +	For	-	(2 x 15	-	14.31	

pur Drain(RD 0m to RD 4100m)		(Av.)				3.00)/10000 = 1.23 Ha	5.00)/10000 =1.15 Ha	5.00)/10000= 4.10 Ha	900m)(50 0 x 100/1000 0)=5 Ha	2300) x 4.25/10000 =2.72 Ha	dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.		x 15)/100 00= 0.045 Ha(RD 3700 and RD `900)			
Kirari Sulem an Nagar Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	15.00 m to 24.00 m	(A) 9.00 m to 11.00 m (B) 5.30 m Rcc Troug h Secti on		(A) 6.00 m to 13.00 m (B) 9.70 m to 19.70 m	(2400 x 5.00) /10000 = 1.20 Ha	(1150 x 5.00) /10000 =0.60 Ha	(4100 + 2400) x 5.00 /10000 =3.25 Ha	RD 2900m) (500 x 100/1000 0) =5 Ha	(4100+ 2700) x 4.25 /10000 =2.89 Ha	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	(2 x 15 x 15) /10000 = 0.045 Ha (RD 1400 and RD 1722)	-	13.05	
(RD 0m to RD 1722m)	1.72			1.40												
(RD 1722m to RD 3700m)	1.98			1.80												
(RD 3700m to RD 4100m)	0.40			1.40												
Mundk a Periph eral Drain (RD 0m to RD 2345m)	2.35	2.50	2.00	1.50	0.50	-	(2350 x 5.00) /10000 =1.175 Ha	(2350 x 2.00 x 5.00) /10000 =2.35 Ha	-	(2350+ x 4.25 x 2.00 /10000 =2.00 Ha	-	-	(1 x 15 x 15) /10000 = 0.023 Ha (RD 850)	-	5.55	
Ranhol a Pond Drain (RD 0m to RD 1160m	1.16	1.20	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Total Area CD-XII		**32.90**	
													Total Area FC-II		**374.13**	

FC-III																
Supplementary Drain RD 16436 m to RD 22471 m	6.04	55.00	50.00	3.66	5	--	9.00	12.00	3	6.00	6	-	-	-	36.00	
Najafgarh Drain, RD 45316 m to RD 57140m	11.82	70.00	45.00	5.50	25.00	--	18	24	3	12	12	-	-	-	69.00	
Supplementary drain from RD 0 to RD 16436m	16.44	RD 0m to RD8800m =152.40	61.40	3.66	RD 0m to RD 8800 m = 91.00m	-	-	-	-	-	9 Ha.	-	-	-	9	

		RD 8800 m to RD 9400 m = 113.00m			RD 8800 m to RD 9400 m = 51.60m	-	-	-	-	-		-	-	-		
		RD 9400 m to RD 16436m = 123.10m			RD 9400 m to RD 16436m = 61.70m	-	-	-	-	-		-	-	-		
Supplementary Drain, CD-XI																
RD 22471m to RD 25075m	2.604	68.30	46.27		22.03	-	4	5	-	3	3	-	-	-	15	
RD 25075m to RD 26060m	0.985	103.00	48.72		54.28	-	-	-	-	-	1				1	
RD 26060m to RD 28080m	2.020	125.00	48.72	3.66	76.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RD 28080m to RD 31300m	3.220	84.67	48.72		35.95		4.5	3	-	3	3				13.5	
RD 31300m to RD 34500m	3.200	118.00	48.72		69.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Total	**143.50 Ha.**	
														Total Area FC-III	**143.50**	
FC-IV																
Najafgarh Drain, CD-I-45316m	45.31	RD. 0m to 17905m- 200m to 325m RD. 17905m to 20180m- 150m to 200m RD. 20180m to 22435m- 250m to 300m RD. 22435m to 28180m - 200m to 250m RD. 28180m to 30180m - 250m to	RD. 0m to 6000m - 126.68 m RD. 6000m to 12000 m- Jheel Portion RD. 12000 m to 17905 m- 110.00 m RD. 17905 m to 30180 m - 120.00 m RD. 30180 m to 45316 m - 98.00 m	– – 4.90	– – 135.82 95.00 117.00	– 12000x30x2= 720000 Sqm 5905x55=324775 Sqm 12275x30x2=736500 Sqm 15136x30x2= 908160 Sqm Total 2689435 Sqm	– 12000x12x2= 288000 Sqm 5905x12x2=141720 Sqm 12275x12x2=294600 Sqm 15136x12x2= 363264 Sqm Total 1087584 Sqm	– 12000x25x2= 600000 Sqm 5905x25x2= 295250 Sqm 12275x25x2=613750 Sqm 15136x25x2= 756800 Sqm Total 2265800 Sqm	– {4500} Sqm	– 12000x15x2 = 360000 Sqm 5905X15x2= 177150 Sqm 12275X15x2= 368250 Sqm 15136X15x2= 454080 Sqm Total 1359480 Sqm	– 12000x10x2 = 240000 Sqm 5905x10x2 =118100 Sqm 12275x10x2 = 245500 Sqm 15136x10x2 = 302720 Sqm Total 906320 Sqm	– 3000/2100 Sqm 1475/1033 Sqm 3068/2148 Sqm 3782/2648 Sqm Total 19254 Sqm	– 2000 Sqm 2000 Sqm 2000 Sqm 2000 Sqm Total 8000 Sqm	– – – – –	838.07	

		300m RD. 3018 0m to 3188 0m - 180m to 250m RD. 3188 0m to 3435 0m - 150m to 175m RD. 3435 0m to 3718 0m - 150m to 200m RD. 3718 0m to 3896 0m - 200m to 225m RD. 3896 0m to 4068 0m - 180m to 200m RD. 4068 0m to 4293 0m - 180m to 220m RD. 4293 0m to 4480 0m - 250m to 300m RD. 4480 0m to 4531 6m - 200m to 250m														
Palam Drain	4.20	37.00	18 to 10.34	2.50	22.83	–	4200x12x2 = 100800 Sqm	4200x25x2 = 210000 Sqm Both side	5000 Sqm	4200x15x2 = 126000 Sqm	4200x5x2 = 42000 Sqm	1050/735 Sqm	2000 Sqm	–	48.75	
Palam Link Drain	1.47	10.00 (Approx.)	4.50 to 2.25	1.30	6.62	1470x10x2 = 29400 Sqm	1470x12x2 = 35288 Sqm Both side	1470x5x2 = 14700 Sqm	2000 Sqm	1470x7.50 x2=22050 Sqm	1470x5x2 = 14700 Sqm	368/257	2000 Sqm	–	12.08	
Najaf Garh Pond Drain	1.95	17.00 (Approx.)	4.50	0.95	12.50	1950x10x2 = 39000 Sqm	1950x12x2 = 46800 Sqm	1950x5x2 = 19500 Sqm	2000 Sqm	1950x7.50 x2=29250 Sqm	1950x5x2 =19500 Sqm	488/340	–	–	15.69	
Nasirpur Link Drain	2.90	12.00 (Approx.)	6.50	2.10	5.50	2900x10x2 = 58000 Sqm	2900x12x2 =69600 Sqm Both side	2900x5x2= 29000 Sqm	3000 Sqm	2900x7.50 x2= 43500 Sqm	2900x5x2 =29000 Sqm	725/508	2000 Sqm	–	23.53	
Bijwasan Drain	4.20	20.00 to 30.00	4.00	0.91	21.00	4200x10x2 = 84000 Sqm	4200x12x2 =100800 Sqm Both side	4200x5x2= 42000 Sqm	5000 Sqm	4200x7.50 x2=63000 Sqm	4200x5x2 =42000 Sqm	1050/735	2000 Sqm	–	34.06	
Pankha	3.60	19.60	8.00	2.3	13.8	3600x10x2	3600x12x2	3600x25x2	4000	3600x7.5x	3600x5x2	900/63	2000	–	43.59	

Road Drain		to 24.00		0	0	= 72000 Sqm	= 86400 Sqm Both side	= 180000 Sqm	Sqm	2= 54000 Sqm	= 36000 Sqm	0	Sqm			
Shahbad Mohammadpur Drain	0.23	14.50	2.35	1.22	12.15	–	225x12x2= 5400 Sqm Both side	225x5x2=2250 Sqm	1000 Sqm	225x7.50x2=3375 Sqm	225x5x2=2250 Sqm	57/40	2000 Sqm	–	1.64	
Mudhela Drain CD-I-6920m,	6.95	16.50	5.00	1.52	11.50	6950x10x2 = 139000 Sqm	–	6950x5x2 = 69500 Sqm	2000 Sqm	6950x7.50 x2 = 104250 Sqm	6950x5x2 = 69500 Sqm	1740/1200	–	–	38.72	
														TOTAL CD-I	1056.13	
Ali Drain	2.78	40.45	35.00	4.00	5.00	--	2780X12X2 = 66720 Sqm. (6.67 Hectare)	2780X10X2 = 55600 Sqm. (5.56 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	2780X5X2=2780 Sqm. (2.78 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	500 Sqm. (0.05 Hectare)	--	15.345	
Asola Drain	3.39	5.00 Mt. (Avg.)	2 to 5	Av. Depth 3.00	2 to 5	5470X4= 21880 Sqm. (2.19 Hectare)	5470X12X2 = 131280 Sqm. (13.13Hectare).	5470X10X2 = 109400 Sqm. (27.35 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	5470X7= 38290 Sqm. (3.8. Hectare.)	5470X5X2=54700 Sqm.(5.47) Hectare	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)		52.425	
Molar Bund Extension Drain	1.38	0 to 615-2.25	615 to 1335-2.25	1.50 to 2.25 Mtr.	Nil	--	1380X12X2 =33120 Sqm. (3.31 Hectare)	1380X10X2 =27600 Sqm. (2.76 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	1380X7= 9660 Sqm. (0.97 Hectare)	1380X5X2 = 1380 Sqm. (1.38 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	8.905	
Sarita Vihar Drain	1.30	20.00	15.00	2.50	5.00	--	1300X12X2 = 31200 Sqm.(3.12 Hectare)	1300X10X2 =2600 Sqm. (2.6 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	1300X7= 9100 Sqm. (0.91 Ha)	1300X5X2=13000 Sqm. (1.30 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	8.415	
														TOTAL CD-V	85.09	
Mungesh Pur Drain CD-XIII-10362m	10.362 0m to 1575 m = 1575 m to RD. 6600 m RD.6600m to 10362 M	137 54 66	29.02 29.02 29.02	3.32	107.98 24.98 36.98	10362x30x2 = 621720.00 Sqm or 62.17 Hectare	10362x50x2 =1036200 Sqm or 103.62 Hectare	10362x25x2= 518100.00 Sqm or 51.81 Hectare	2 Hectare	10362x20x2 = 414480.00 Sqm or 41.45 Hectare	-	2 Hectare	0.80 Hectare		= 263.85-82.21 (Available land) = 181.64	
Bhupania Chudania Drain (including Haryana portion)	8.55 RD. 0m to 2736 m RD. 6280 m to 8550 M RD.2736m to 6280 M (Haryana State)	90 65 22	22 22 Un-demarcation Portion	3.05	68 43 -	8550x30x2 = 513000 Sqm or 51.30Hectare	8550x50x2 =855000 Sqm or 85.50 Hectare	8550x25x2 = 427500 Sqm or 42.75 Hectare	2 Hectare	8550x20x2 = 342000 Sqm or 34.20 Hectare	-	2 Hectare	0.80 Hectare		= 218.55-47.18 Available land = 171.37	
Mudhela Drain CD-XIII-From 6950 to 12550m	5.60	17.6	6.57	0.91	11.3	5600x15x2 = 168000 Sqm or 16.80Hectare	5600x20x2 = 224000Sqm or 22.40Hectare	5600x25x2 = 280000Sqm or 28.00 Hectare	2 Hectare	5600x20x2 = 242000Sqm or 22.40 Hectare	-	0.40 Hectare	0.40 Hectare		92.40-9.86 Available land = 82.54	
Nangli	0.93R	1.801	1.801.	1.5	00	930x5x1 =	930x5x1 =	-	-	930x20x1	-	0.40	0.40		= 3.6 -	

Sakrawati Link Drain, CD-XIII-RD-0m to 385m = 385m, CD-XIII-RD-1712m to 2262m = 550m	D. 0m to 385 RD. 1712 m to RD.2262m	.20	20	0		4650 Sqm or 0.47 Hectare	4650 Sqm or 0.47 Hectare			= 18600Sqm or 1.86 Hectare		Hectare	Hectare		0.14 Available land = 3.46	
TOTAL CD-XIII															439.01	
Total Projected Land Area FC-IV															1580.23	
TOTAL AREA (FC-I + FC-II + FC-III + FC-IV)															**2252.10**	

ANNEXURE – II (c) : Detail of Effluent Irrigation System

I. Keshopur Effluent Irrigation System (KEIS)

The Irrigation Network under Civil Division No. XII also known as Keshopur effluent irrigation system (KEIS) consists of irrigation Channels and Minors and feeder channels spanning across a total length of 30.40 Km to take the effluent treated water from Keshopur Sewerage treatment Plant of Delhi Jal Board, thereafter being supplied by pumping through Keshopur Pump House and Tilangpur Kotla Pump House throughout the year for agricultural land for Irrigation in the Villages Nilothi, Ranhola, Mundka, Tilangpur Kotla, Baprola, Bakkarwala, Dichaonkalan, Hirankudna and Neelwal in Dist. West of Delhi. The total area irrigated is approximately 1630 Acres. A road network comprising of inspection path with cumulative length of approximately 20.00 Km also exist along the irrigation channels and minors to facilitates watch and ward, day to day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 180 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.

II. Coronation Effluent Irrigation System at Burari (CTP)

The Irrigation Network under Civil Division No.VII also known as Effluent Irrigation System for Burari Area consists of irrigation Channels and Minors and feeder channels spanning across a total length of 17.37 Km to take the effluent treated water from Coronation Pillar Sewage Treatment Phase-I&II (20 MGD), Phase-III (10 MGD) of DJB, Near Coronation Park of Delhi Jal Board, thereafter being supplied by pumping through Pump House at Burari throughout the year for agricultural land for Irrigation in the Villages Burari, Jharoda, Bhalaswa, Mukundpur, Kadipur, Ibrahimpur in Dist. West of Delhi. The total area irrigated is approximately 325 Acres. A road network comprising of inspection path with cumulative length of approximately 17.37 Km also exist along the irrigation channels and minors to facilitates watch and ward, day to day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 20 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.

III. Okhla Effluent Irrigation System

The Irrigation Network under Civil Division No. V also known as Okhla effluent irrigation system consists of irrigation Channel spanning across a total length of 05.00 Km to take the effluent treated water from Okhla Sewerage Treatment Plant of Delhi Jal Board, thereafter being supplied for Irrigation in the Villages Ali, Mandapur Khadar &Jaitpur in District (South-East) of Delhi. The total area irrigated is approximately 500Acres day-to-day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 20 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.

Conclusion:

Due to rapid urbanization in Delhi Territory, thereby the agriculture land area in Delhi is diminishing, therefore, the necessity of remodelling / expansion of above Effluent Irrigation Systems is not envisaged.

Key Plan of Effluent Irrigations Systems:

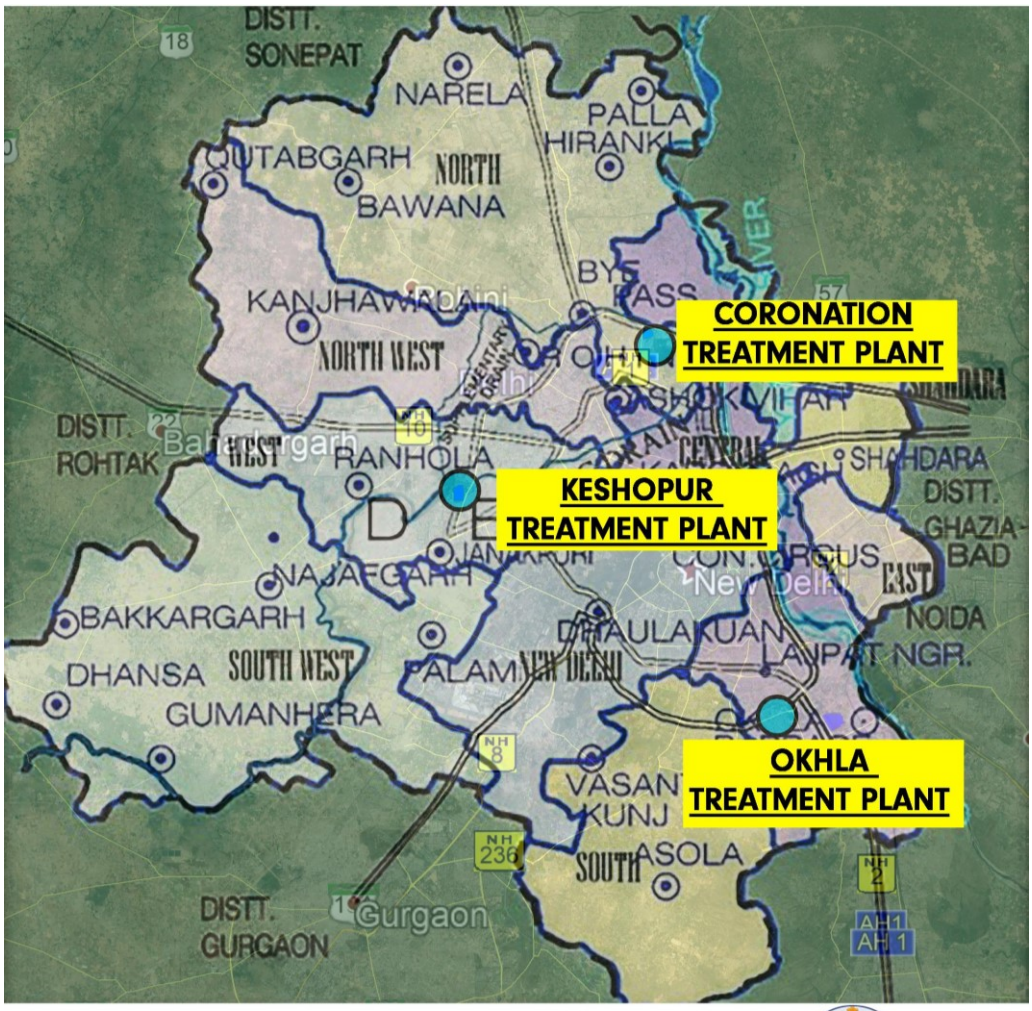

I&FC Deptt. Govt. of NCT of Delhi

ANNEXURE III: **SERVICE PLAN - DELHI CANTONMENT BOARD (DCB)**

दिल्ली छावनी परिषद
DELHI CANTONMENT BOARD
सदर बाजार, दिल्ली छावनी– 110010
Sadar Bazar, Delhi Cantt – 110010

हर काम देश के नाम

Tel. No.: 011-25693837, 25695450 ✉: ceodelhicantt@gmail.com, 🌐: www.delhi.cantt.gov.in

No.DCB/IT/SWM-AP/2020 Dated: 21.01.2021

To

The Vice President
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, I.N.A.
New Delhi – 110023

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Sir

Reference your DO letter No. PS/VC/DDA/2021/10 dated 12.01.2021.

2. Vide above referred DO letter, this office was directed to submit Service Plan for Municipal Solid Waste Management. The Service Plan for Delhi Cantonment Board Municipal Solid Waste Management is annexed herewith as **Annexure-A.**

3. This is for information please.

Yours faithfully,

Chief Executive Officer
Delhi Cantonment
(SVR Chandra Sekhar)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DELHI CANTONMENT BOARD

1. BACKGROUND - DELHI CANTONMENT BOARD

The administration of Delhi cantonment is carried out through a Board, which has 16 members, out of which 08 are nominated/ Ex-officio members and 08 members are elected by the public residing in civil as well as military area. The civil and military populations reside in different pockets in the cantonment. The needs and challenges of both pockets differ from each other in respect of solid waste management.

Basic information about Delhi Cantonment Board is mentioned below:

S. No.	Item	Details
1	Year of establishment	1914
2	Total Area	10452 Acres
3	Total Population (Census 2011)	1,10,351
4	No. of wards	08
5	Commercial areas	02
6	Urban Villages	06
7	Schools	16
8	Slums	02
9	Length of Roads	50.60 km
10	Hospital/ Dispensaries	04
11	Parks	17

2. SOLID WASTE GENERATION IN DELHI CANTONMENT BOARD

1	SOILD WASTE GENERATION - Current status			
	S. NO	Item	Details	
	1	Total solid waste generated per day	68 MT	
	2	Waste generated from civil area per day	23 MT	12 MT Dry waste
				11 MT Wet waste
	3	Waste generated from Army area per day	45 MT	24 MT Dry waste
				21 MT Wet waste

	4	Total Dry waste processed per day in waste to energy Plant at Okhla	30 MT
	5	Wet waste processed per day in waste to energy plant at Okhla	07 MT
	6	Waste dumped in Landfill site at Okhla per day	31 MT

CIVIL AREA - Current status

1. The Household waste is segregated into wet & dry streams at source. Approx. 95% segregation at source has been achieved so far.
2. All the waste collected from civil area is transferred to different Waste Transfer Centers (WTCs).
3. All the WTCs have been designed for the temporary storage of dry & wet waste, as separate fractions.
4. Rag pickers have been integrated into the system to pick up recyclable items, from the waste collected at the WTC's.

2 ACTION PLAN FOR SEGREGATION AT SOURCE - MUNICIPAL SOLID WASTE

CIVIL AREA	ARMY AREA
It is estimated that Municipal Solid Waste likely to be generated from civil area by 2041 will be 37 MT per day. The challenge before the Board is to maintain the level of source segregation in civil area. For this, the following exercise is being undertaken on regular basis: a. Two sanitary guides accompany the door-to-door collection vehicle, they make announcement and make sure that only segregated waste is collected. b. A register is maintained to keep a check on those residents who are not handing over segregated waste. The repeated offenders to be penalized according to the provisions of Delhi Cantonment Board solid waste	The population of army area is mostly comprised of army troops. Therefore, it is estimated that there will be no difference in the quantity of Municipal solid waste generated today and which is likely to be generated in 2041. a. A system is being worked out for on-site composting of food waste generated by transit camps, officer's messes, community kitchens of army units and institutes. b. Further, it is proposed that army authorities will be asked to install de-centralized compositing machines. This step shall considerably reduce the problem of segregation at source, which in turn would lessen the amount of non-recyclable waste being transported to the

	Management Bye-Laws. c. Regular interaction with residents and awareness campaigns in the form of street play, mohalla meeting etc. is organized to keep the residents aware and motivated on source segregation. d. Formal training is being imparted to Rag pickers/ Safaiwalas to improve the level segregation on monthly basis. The rag pickers were issued separate I- cards and have been successfully integrated into the system.	landfill site at Okhla. c. It has been decided that station headquarters and Delhi Cantonment Board will sensitize RWAs, existing in the army area, to segregate and process the wet waste in their own compound.
3	MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION	
	CIVIL AREA	ARMY AREA
	For civil area, 14 door-to-door vehicles are deployed for collecting both dry and wet waste, which is segregated at household level. These vehicles have been suitably modified to carry the solid waste in segregated form. A few salient aspects of door to door collection are as under: a. All vehicles have been fitted with tracking system (GPS) b. Announcement system with specific message for segregation has been incorporated. c. The staff has been deployed ward wise for the collection of segregated waste at source. d. The mobile numbers of the staff have been made public to ensure transparency and commitment of Delhi Cantonment Board.	For Army area, 27 vehicles have been deployed to collect the solid waste. Separate bins have been provided for dry and wet waste. The waste collected from the army area is directly taken to the processing plant and landfill site at Okhla.

3. MANAGEMENT STRATEGY

3.1. DETAILS OF SORTING AND MATERIAL RECOVERY FACILITY

There are eleven secondary storage points, with the facility of separate storage of dry and wet waste, within the territorial jurisdiction of Delhi Cantonment Board. Out of this, one secondary storage point at Tigris Road has been converted into sorting and material recovery facility with capacity to handle 30 MT waste daily. Further, rag pickers have been integrated into the system to pick up recyclable items, from the waste stored at Tigris Road. Accordingly, two more material recovery facilities will be developed to meet the need, which will arise in 2041.

3.2. DETAILS OF PROCESSING OF SOLID WASTE

All the waste after collection is moved to waste transfer centers, where the recyclable waste is retrieved. Therefore, the solid waste is carried by respective vehicles to Okhla. On average, approximately 30 MT of dry waste and 7 MT of wet waste are disposed in the Waste to Energy and Waste to Compost plants respectively. The processing of waste at Okhla is done under the management of South Delhi Municipal Corporation. Only 31 MT of solid waste is being dumped at the landfill site at Okhla. 100% of solid waste, which is generated in Delhi Cantonment, is either processed or dumped at the landfill site, on a daily basis.

A pilot project exclusively for the processing of food waste generated from market area, with a total capacity of 175 Kg, is fully functional for the last 2 years in the WTC at Tigris Road.

It is also proposed that 4 to 5 sorting- cum- compositing machine, with a capacity of 10 MT each will be installed at different locations, within 4 years, to handle the wet waste generated within the territorial jurisdiction of Delhi Cantonment Board.

3.3. DETAILS OF MANAGEMENT OF PLASTIC WASTE

There is a complete ban on the use polythene bags of less than 50-micron thickness. The Assistant Sanitary Inspectors keep a regular check in market area and also impose fine if someone is found in violation.

A committee has also constituted to identify and replace specific items of non-biodegradable plastic like plastic straw, plastic spoon disposable plastic glass, plastic plates etc. with biodegradable items. These processes of replacement of non-biodegradable plastic items have been successfully achieved in Gopinath Bazar & the committee keeps visiting the commercial areas for ensuring that people and shop keeper get habituated for such practice.

A baling machine has been installed in the waste transfer centre at Tigris Road, for making bales of plastic and polythene waste material, for ease of handling/ disposal through the rag pickers.

3.4. DETAILS OF MANAGEMENT OF HORTICULTURE WASTE

A total of 17 parks of various sizes are being maintained in the Cantonment area. All the parks have been provided with pits for collection of horticulture waste.

The horticulture waste is further carried to the nearest shredding machine, four of which have been installed in different areas of the cantonment. The shredded horticulture waste is converted into compost in the natural process, duly augmented with the spray of appropriate quantity of EVM. The compost generated is being utilized within its geographical limits.

3.5. DETAILS OF MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION (C&D) WASTE

a) On an average up to 1.0 metric tons of C&D, waste is generated in Delhi Cantonment area, on daily basis.

b) A central storage facility for C&D waste has been created in Jharera village for temporary holding of the same before further disposal.

c) The C&D waste is transported from the central storage facility to the processing facility setup at Shastri Park by IL&FS, under the management of EDMC.

d) Explicit directions have been issued to all contractors working under Delhi cantonment Board, as well as Military Engineering services (MES), to follow the above procedure for the disposal of C & D waste.

e) Vulnerable areas have been put under CCTV surveillance to prevent dumping at unauthorized sites.

f) Punitive action is promptly taken against the defaulters.

ANNEXURE IV: SERVICE PLAN - **EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION (EDMC)**

EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION
Office of Chief Engineer SHN/(EMS)/HQ
419, Udyog Sadan Patpar Ganj Indl. Area,
Delhi-110092 Phone No. 011-66667504

SWACHH SURVEKSHAN 2021

No.: CE–HQ/EMS/SHN/EDMC/2020-21/D- 697 Dated: 20/1/2021

To,

Commissioner (Planning)
Delhi Development Authority
5th Floor, Vikas Minar,
New Delhi-110002

Subject:- Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Please refer the D.O. Letter No. PS / VC / DDA / 2021 / 07 dated 11.01.2021 from V.C. DDA to Commissioner EDMC vide which it was requested to share service plan for Municipal Solid Waste Management.

In this connection it is submitted that The Hon'ble Supreme Court vide its orders dated 17.08.2018, in the matter of SWM (C) No. (S) 1/2015 in re: Outrage as Parents End Life After Child's Dengue Death, had directed the Lt. Governor of Delhi to constitute a Committee to go in depth into all aspects of solid waste management in Delhi including cleaning up the dumpsites in Gazipur, Bhalswaand Okhla and frame a workable and implementable policy.

Accordingly, the said committee had already submitted its report to Hon'ble Supreme Court. On the suggestions and direction of the Committee, EDMC has outsourced Door to Door Collection and Transportation of Municipal Solid Waste to processing facility / landfill for entire EDMC under Public Private Partnership (the "PPP") mode on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (the "DBFOT") basis"

EDMC already has one 1300 TPD Waste to Energy Plant, one 1000 TPD C&D Waste processing plant, 10 nos one TPD accelerated composters, 02 nos five TPD bio-methnation plant and 10 TPD one number XAPPER Machine for decentralized processing the waste.

EDMC is also developing one 2000 TPD integrated facility waste management facility which will have one 600 TPD WtE plant for combustible waste, 1200 TPD Bio-methanation plant for wet waste and 200 TPD C&D waste processing plant for inert waste at Ghonda Gujjran in association with NTPC and likely to be operational by September, 2022 through joint venture company NEWS. In addition 3 nos. 1 TPD accelerated compost plants are under installation.

East Delhi Municipal Corporation is maintaining is one sanitary landfill at Ghazipur spread over in area of about 70 acres having over 140 lac tonne legacy waste. Approximate 2000-2200 MT fresh / residue MSW is received daily. Recently, EDMC has started processing of legacy waste through excavating, windrowing, drying, segregating through different size of trommels. The outputs are C&D waste, combustible waste like RDF, filling inert material of size 6 to 30mm and soil like inert material of less than 6mm size. Till date over 3.7 lacs tonne of legacy waste has already being processed through 15 trommels with approximate 3000 TPD capacity. The same will be increased as per the Action Plan attached in the template. The land so reclaimed will be use for waste management facilities as Technology park show casing different technologies of wet waste and recyclable waste.

Further, EDMC has planned processing of wet waste through decentralized processing by installing 20 nos. bio-methanation plant at different location depending upon availability of land and funds. The detailed IEC plan has been prepared for Door-to-Door segregated collection of waste with the help of local through ward wise Safai Nigrani Samities headed by DC of the Zone with local Councilor.

The information in the template as desired is attached.

Encl: as above

20/1/2021
Chief Engineer (HQ)
East Delhi Municipal Corporation

Copy for kind information to:-

1. VC, DDA
2. OSD to Commissioner for information to Commissioner
3. E-in-C
4. Office Copy

20/1/2021
Chief Engineer (HQ)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (MSWM)

Aspect	Information required
Generation	Presently – 2600 TPD By 2040 – 6000 TPD
	Present estimations of Green waste – 1300 TPD Dry waste – 30 % and inert – 20% By 2040 Green waste – 3000 TPD Dry waste – 30 % and inert – 20%
Management strategy	Separate management plans (collection, segregation and processing) for: • Green Waste • Reusable Waste • Inert EDMC outsourced door-to-door collection of segregated waste collection and expected to achieve segregated collection by March 2021 and processing 2000 TPD- integrated facility at Ghonda Gujran by 2022. 1200 TPD - waste processing through bio - methanization.
	Management plans to include information regarding the following aspects: **1. Improving collection, segregation efficiency at local level (RWA/Mohalla/Market association/Solid waste zone/Wards etc.)** EDMC has outsourced collection and transportation of Municipal Solid waste and Street Sweeping waste and any other solid waste specified by East DMC from time to time as per MSW Rules 2016. Broadly the work includes primary collection and transportation of Municipal solid waste (MSW) and street sweeping waste in segregated manner from

households, slums, informal settlements, commercial, institutional and other non- residential premises, multi storied buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes.

2. Maximizing wet waste processing (e.g., Composting, Bio-methanation etc.) locally

- Decentralized accelerated compositing, presently, 10 numbers of 1 TPD capacity are operational and 02 plants of capacity 1 TPD are under progress
- Home composting – 50 TPD
- Decentralized Bio-methanation – 5 TPD (02 in numbers are operational), 10 TPD (01 in number is in progress)
- Target: Decentralized accelerated compositing, 20 numbers of 1 TPD
- Decentralized Bio- methanation, 10 numbers of 5 TPD
- 1 Material Recovery Facility (MRF) in each ward i.e. 64 numbers
- Centralized Bio-methanation – 1200 TPD by September 2022 (a joint venture company is already been formed with NTPC)

3. Improving sorting and material recovery (MPD will recommend re-purposing of dhalao as material recovery facilities at the decentralized level) etc.

- EDMC propose 01 MRF centre in each ward deals with recyclable material under process.
- Details of existing/ proposed processing facilities on already allotted land.

Shastri Park	C & D Plant- 1000 MT- operational
Vinod Nagar	Workshop/ Parking - operational
Geeta Colony	Workshop/ Parking - operational
Singhola (Narela)	Disposal of silt- operational

4. Reclamation of landfill sites and reuse/recycle of legacy waste

- Action plan for clearing legacy waste at Gazipur dumpsite is attached herewith as Annexure – IV (a).
- After reclamation, land will be used for Technology Park showcasing

	all the technologies of wet waste processing and recycling of waste.
	5. Conversion of existing landfills to engineered/scientific landfills • There is no such type of proposal, however, whenever land is provided that will be constructed as engineered/ scientific landfills.
Special plans for:	**Integration of informal sector in core SWM system (for improved management vis-a-vis ensuring safety, hygiene and healthy work conditions for the workers).** EDMC to establish a system to recognize organizations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorized waste pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste.
	Marketing strategies for compost and other reusable/recycled products As there is less amount of compost produce from plant, the whole quantity of compost is being utilized in, Municipal parks and gardens generated from waste in EDMC area. There shall also be a provision for the households to directly deposit or sell their recyclable waste to Kabadiwala/ secondary market and deposit sales realizations in ESCROW account of EDMC and this amount of EDMC and this amount will be used for payment of collection of garbage.
	Awareness, capacity building and behavioural changes programs Annexure – IV (b)
Other information	**Key infrastructure or special projects proposed for the plan period, along with details of projects and their timelines** 2000 TPD Integrated facility waste management and Energy Generation facility will be developed at Ghonda Gujran by September 2022 as a JV between NTPC & EDMC Details of existing/ proposed processing facilities on already allotted land is attached as Annexure – IV (c)
	Future land requirement (if any) for scientific (engineered) landfill sites, provided only inert are to be dumped Land is required for Engineered/ Scientific Landfills, in future. At Sonia Vihar 100 acre of land is required for disposal of reject/ inert of capacity 200 TPD for 20 Years. This land belongs to DDA.

2. Key targets that will be included in MPD 41 Action Plan:

<table>
<tr><th>Component</th><th>Current status</th><th>Target for 2041</th><th>Phasing Plan</th></tr>
<tr><td>MSW collection efficiency</td><td>100 %</td><td>100%</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>MSW segregation efficiency</td><td>25 %</td><td>100 %</td><td>
<table>
<tr><th>Settlement Pattern</th><th>20 %
(To be accomplished)</th><th>50 %
(To be accomplished)</th><th>80 %
(To be accomplished)</th></tr>
<tr><td>CGHS and Bulk generators</td><td>September 2021</td><td>Dec, 2021</td><td>March, 2022</td></tr>
<tr><td>Planned Colonies</td><td>September 2021</td><td>Dec, 2021</td><td>March, 2022</td></tr>
<tr><td>Un-planned colonies</td><td>September 2021</td><td>Dec, 2021</td><td>March, 2022</td></tr>
<tr><td>JJ Clusters</td><td>September 2021</td><td>Dec, 2021</td><td>March, 2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Percentage of green waste processed (e.g. composted or any other processing method) locally</td><td>10 %</td><td>100 %</td><td>In first year – 10%
In the 5th year- 25%
In the 10Th year – 100%</td></tr>
<tr><td>Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/industry</td><td>-</td><td>100 %</td><td>In first year – 15%
In the 5th year- 50%
In the 10Th year – 100%</td></tr>
</table>

Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)			List of informal waste workers / Kabadiwalas prepared
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	10 %	100 %	March - 2022
Reduction in waste going to land fill sites	50 %	90 %	By September - 2022
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)			140 MT as per action plan attached

Annexure – IV (a) : ACTION PLAN FOR CLEARING LEGACY WASTE AT GHAZIPUR DUMP SITE

East Delhi Municipal Corporation in maintaining a Sanitary Land Fill (SLF) near NH-24. This SLF site is spread in about 70 acres of Land. About 2000-22090 MT fresh MSW is received daily and about 3000, MT (as an average) of legacy waste is being processed daily. About 3.00 lac MT of legacy waste has been processed at SLF Ghazipur dumpsite. Time line to clear legacy waste of 140.00 lac MT is as follows:

Sr. No.	No. of Trommels/ Equivalent Machines	Month	Daily Qty. Of processed legacy waste (MT)	Monthly Qty. Of processed legacy waste (MT)	Quarterly Qty. Of processed legacy waste (MT)	Cumulative Qty. Of processed legacy waste (MT)	Balance Qty. Of Legacy Waste (MT)
1	15 (10 no. -30mm & 5 no. – 6mm)	01.12.2020	3000	84000	0	300000	13700000
2	15 (10 no. -30mm & 5 no. – 6mm)	01.04.2021	3000	84000	336000	636000	13364000
3	27 (18 no. -30mm & 9 no. – 6mm)	01.07.2021	5400	151200	453600	1089900	12910400
4	39 (26 no. -30mm & 13 no. – 6mm)	01.10.2021	7800	218400	655200	1744800	12255200
5	42 (28 no. -30mm & 14 no. – 6mm)	01.01.2022	8400	235200	705600	2450400	11549800
6	42 (28 no. -30mm & 14 no. – 6mm)	01.04.2022	8400	235200	705600	3156000	10844000
7	42 (28 no. -30mm & 14 no. – 6mm)	01.07.2022	8400	235200	705600	3861600	10138400
8	45 (30no. -30mm & 15 no. – 6mm)	01.10.2022	9000	252000	756000	4617600	9382400
9	51 (34 no. -30mm & 17 no. – 6mm)	01.01.2023	10200	285600	856800	5474400	8525600
10	57 (38 no. -30mm & 19 no. – 6mm)	01.04.2023	11400	319200	957600	6432000	7568000
11	63 (42 no. -30mm & 21 no. – 6mm)	01.07.2023	12600	352800	1058400	7490400	6509600
12	68 (44 no. -30mm & 22 no. – 6mm)	01.10.2023	13200	369600	1108800	8599200	5400800
13	72 (48 no. -30mm & 24 no. – 6mm)	01.01.2024	14400	403200	1209600	9808800	4191200
14	78 (52 no. -30mm & 26 no. – 6mm)	01.04.2024	15600	436800	1310400	11119200	2880800
15	84 (56 no. -30mm & 28 no. – 6mm)	01.07.2024	16800	470400	1411200	12530400	1469800
16	87 (58 no. -30mm & 29 no. – 6mm)	01.10.2024	17400	487200	1461600	13992000	8000
17	87 (58 no. -30mm & 29 no. – 6mm)	31.12.2024	17400	487200	1461600	15453600	-1453600

1. 25% of legacy waste will be processed by March-2022.
2. 50% of legacy waste will be processed by March-2023.
3. 75% of legacy waste will be processed by March-2024.
4. 100% of legacy waste will be processed by December-2024.

EDMC is making all efforts to achieve all the above mentioned timeline but there are some constraints as below:

1. As the garbage at SLF site Ghazipur has attained the height of about 65 mtrs. and no space available at ground. EDMC has creating space above the garbage at certain locations for installation of trommels. The trommels are being installed after clearing/ processing a stretch of legacy waste and constructing platform over the legacy waste. Installing the trommels in this way, EDMC has been installed 15 nos. trommels of 300 TPD each at SLF site Ghazipur.
2. At SLF site Ghazipur no space is available for stacking of segregated material.
3. Monsoon period and Winter Season reduces the efficiency of processing the legacy waste.
4. Practical problems like break down of machines/ power supply also hampers the progress.
5. EDMC is densely populated and there is no space for filling of this soil like inert material in such a huge quantity. However EDMC is making all out efforts with other agencies and also signed an MoU with NHAI to use this soil like material in their road construction in 2016 but till date no headway achieved. Earlier EDMC has proposed DDA to construct a missing portion of bund between ISBT to Wazirabad Road on Eastern Bank of Yamuna River. In response to this DDA has informed that this matter will be taken up with PWD & I&FC department of GNCTD. Matter has been taken up with these departments for construction of bund on priority.
6. For disposal of RDF matter is being taken up with cement industries as per the RDF utilization policy of Govt. of India.
7. About 12 mtrs. height in certain stretches of dump has been reduced by biomining and efforts are being made to increase the number of trommels to further reduce the height of dump.

Assistance Required for achieving the target:

- NHAI may be asked to expedite their tender for utilization of processed legacy waste.
- Other agencies like this PWD, DSIDC, I&FC, DDA, Northern Railway, DMRC, NBCC, NHAI may be asked for utilization of soil like inert material in low lying area under their jurisdiction.
- PWD & I&FC may be asked to expedite the construction of missing portion of bund on the eastern side of Yamuna River.
- For transporting of the processed legacy waste environmental cess may be waived off.

Executive Engineer (SLF)

Annexure – IV (b) : AWARENESS, CAPACITY BUILDING AND THEIR TIMELINES

The objective of the Solid Waste Management project designed is to modernize the waste management process, and thus reduce the waste collected in Dhalao, Street Corner Bins and Open Sites. For this purpose, emphasis has been laid for door-to-door collection of waste/street level collection of waste and vehicle-to-vehicle transfer of waste for transportation.

To introduce 3 Rs (Reduce, Re-use and Recycle) so as to reduce the load of disposal of solid waste. For this purpose, the concept of segregation of waste (dry and wet) at household level, separate waste handling chain for different kind of waste and recycling centers at ward level have been envisaged.

The Citizen being one of the most important stakeholder in the project, due emphasis is required to have an IEC strategy for increased participation of citizens and residents.

The IEC strategy shall be prepared with an objective to create awareness among target audience and ensure public participation in the municipal solid waste management program envisaged.

This IEC strategy would provide the framework and facilitate EAST DMC to address the communication needs related to implementation of sanitation and waste management in the city.

The main objectives of developing and implementing the IEC campaign are to change the attitude and behavior of the target audience through:

- Increasing level of awareness on the concept of waste accumulation and the way it affects their lives.
- Inducing the waste generators to adopt modern waste management system introduced by EAST DMC such as segregation of waste as 'Dry & Wet Waste' at source, usage of 'door-to-door' and 'street level' collection systems, storage of segregated waste in separate bins, separation of hazardous waste from the regular wastes and safe disposal of all the segregated waste as per the designed waste management system.
- Sharing information about the waste management system placed by the municipal corporation like schedule of collection of different kinds wastes,

free and chargeable facilities, change or update in any fixed schedule/s or route/s, emergency or on-demand facilities, complaint redressal numbers, customer care centres etc.

- Promoting public participation in the successful operation and maintenance of waste management system through sensitisation of citizens, RWAs, Traders Associations, etc.
- Propagating the message that the "Clean City" is a pride of every citizen.
- Approaching Zero Waste situation in due course

1.1. IEC Strategy adopted by East DMC

a. The East DMC shall its own cost engage a-Consultant to aid and advise the East DMC for carrying out the media campaign.

b. East DMC to procure all material for providing IEC campaign its own cost

c. EDMC to implement the IEC campaign.

1.2. Roles of various Agencies

a. Communication Strategy Partner (CSP)/Consultant

- Prepare an IEC strategy for 2040 and budget estimates for the same.
- Define role of East DMC, and CSP in the IEC campaign.
- Prepare suitable strategies for various target groups such as different housing groups (LIG/HIG/MIG/JJ Clusters/ Villages/ Resettlement Colonies/Unauthorized / Commercial Area/ Markets/ daily markets/ SabziMandi/ School and College students etc.
- Establish two way communication mechanisms with stakeholders of the project such as citizens, the media, RWAs/Trade Organizations on one hand and the implementing agencies & EDMC on the other hand.
- Prepare and design Short Films, Advertisement Campaign, Posters, Brochures, Flax, Hoardings, Pamphlets, Stickers, Radio jingles, etc. for the campaign
- Monitor quality and accuracy of contents of the advertisement material
- Lay out ward wise annual plan for conducting campaign events such as: meetings, workshops, street corner plays, movies etc.Detailing number of event content, schedule, target group which are to be conducted by

the Concessionaire in association with RWAs/Trade Associations/ School and collage Managements/ NGOs and East DMC, etc.

- Train resource persons from the East DMC, RWA/ Trade Associations etc. for propagating awareness
- Conduct workshops for staff East DMC and training them by using manuals and other IEC materials
- Any other activity as may be approved by East DMC.

b. The Role of EAST DMC

- Provide all advertising and campaign material to the Concessionaire at its own cost for the IEC campaign during entire concession period
- Printing of campaign materials like brochures, posters, stickers etc., at its own cost and making them available to concessionaires as per plan provided by CSP
- Pursue with various media including cinema halls in public interest to create awareness.
- Issue of Advertisements, Films, Radio Jingles etc., to media at its own cost
- Identifying resource person from the EAST DMC / any other local organizations and training them to propagate awareness amongst staff on continuous basis
- Conducting orientation programs for line department staff.
- Attend events organized EDMC.

Annexure – IV (c) : DETAILS OF EXISTING/PROPOSED PROCESSING FACILITIES ON ALREADY ALLOTTED LAND

P a g e | 1Land requirement for various activities for solid waste management upto 2050

Name of Local Body :- East Delhi Municipal Corporation
Present solid waste generation (in MT) :- 2600
Expected solid waste generation 2025(in MT) :- 4000
Expected solid waste generation 2030(in MT) :- 5000
Expected solid waste generation 2040(in MT) :- 6000
Expected solid waste generation 2050(in MT) :- 7500
Details of existing/proposed processing facilities on already allotted land

S. No	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Details of facilities		Present Status	Remarks
					Type	Capacity (in MT)		
1.	Ghazipur	Delhi Govt.	5.6	2008	Waste to Energy	1300	Operational	PPP Facility upto 2035
2.	Shastri Park	DDA	5	2018	C&D Plant	1000	Operational	PPP upto 2030
3.	Vinod Nagar	DDA	2.88	2014	Workshop/ Parking	-	Operational	PPP upto 2029
4.	Geeta Colony	DDA	9.55	2018	Workshop/Parking	-	Operational	PPP upto 2029 not started due to public resistance/ court order
5.	Singhola (Narela)	DDA	7.2	2018	Disposal of Silt	-	Operational	Saturated
6.	Ghonda Gujran	DDA	42.5	2019	Integrated waste management facilities	2000	Under process	To be developed with NTPC and likely to be operational by 2022
	Total processing capacity of SWM present /proposed (in MT)					1300/3300		

Details of existing /proposed landfill on already allotted land

S. no	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Present Status	Remarks
1.	Ghazipur	DDA	70	1984	over saturated	Remediation work started

Details of land requirement for future activities in phases upto 2050

S. no	Location	Land Owning agency	Land Requirement (Area in Acres)	Purpose	Capacity	Time for start of operation after allotment	Remarks
1.	Sonia Vihar	DDA	100	Disposal of rejects/inert	200 TPD For 20 Years	18 Months	
2.	CBD Ground Karkardoma	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
3.	CBD ground Karkardooma	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	Accelerated
4	Near Paper Mkt. Ghazipur.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
5	Behind MC Pry. School Khichripur.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	

6	Near Karkardoom Metro Station	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
7	Infront of Chand Cinema Kalyanpuri.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
8	Behind Buland Maszid Shastri Park	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
9	Near red fox Hospital	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
10	Open Land in between Jhilmil drain and ITI Vivek Vihar Boundary	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
11	D-Block Krishna Nagar.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
12	Ambedkar Park DDA land Ghazipur Village		3	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
13	50 TPD Biomethanization with gas		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
14	Shastri Park DDA road		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
15	Sewa Dham road behind open		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
16	Safeda Park		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
17	Old Police Station Khajuri		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
18	In front of furniture centre		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
19	Behind gagan Cinema		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
20	Vacant Plot behind Suraksha Nursing Home		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	

Details of low lying area identified for disposal of inert from legacy waste

S. no	Location	Land Owning agency/ Embankment filling	Land available in Acres	Estimated Volume of filling (In CuM)	Time for filling	remarks
1.	Area behind Dayanand Vihar upto Railway Line	DDA	Over 100 acres	80000	12 months	
2.	Shastri Park District Centre & Facility Centre	DDA	Appx. 40 acres	20000	6 months	
3.	Central Business District Shashdara	DDA	Appx. 50 acres	25000	6months	
4.	Near College of Wazirabad Road:	DDA	Appx. 10 acres	50000	12 months	
5.	RPF camp, Police Line	DDA/Delhi Police	Appx. 60 acres	50000	12 months	
6.	Low lying area along Meerut Expressway towards	DDA	Appx. 2 acres	20000	3 months	

	Akshardham					
7.	Site opposite Kondli STP near Noida Border at Kondli.	DDA	App. 8 acres	70000	12 months	
8.	Mandoli Extension	DDA	Appx. 10 acres	75000	12months	
9.	Land for district Centre at Dilshad Guarden	DDA	Appx. 12 acres	50000	12 months	
10.	Mayur Vihar Ph-II facility cum shoping centre opposite Chand Cinema		Appx. 20 acres	100000	10 month	

ANNEXURE V: SERVICE PLAN - SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SDMC)

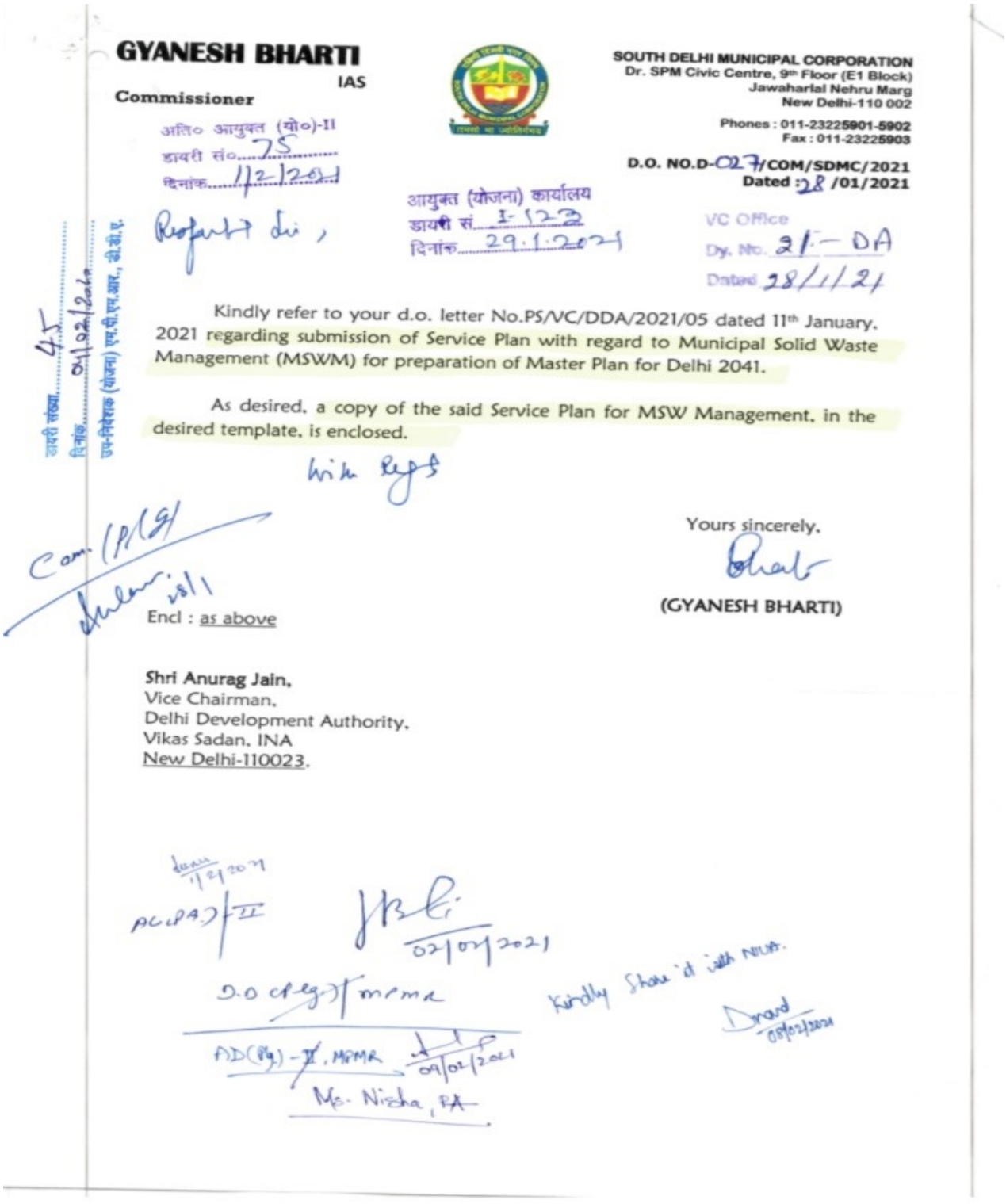

GYANESH BHARTI
IAS
Commissioner

अति० आयुक्त (यो०)-II
डायरी सं० 75
दिनांक 11/2/2021

आयुक्त (योजना) कार्यालय
डायरी सं. I-122
दिनांक 29.1.2021

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
Dr. SPM Civic Centre, 9th Floor (E1 Block)
Jawaharlal Nehru Marg
New Delhi-110 002
Phones : 011-23225901-5902
Fax : 011-23225903

D.O. NO.D-027/COM/SDMC/2021
Dated :28 /01/2021

VC Office
Dy. No. 21 - DA
Dated 28/1/21

Kindly refer to your d.o. letter No.PS/VC/DDA/2021/05 dated 11th January, 2021 regarding submission of Service Plan with regard to Municipal Solid Waste Management (MSWM) for preparation of Master Plan for Delhi 2041.

As desired, a copy of the said Service Plan for MSW Management, in the desired template, is enclosed.

With Regds

Yours sincerely,

(GYANESH BHARTI)

Encl : as above

Shri Anurag Jain,
Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA
New Delhi-110023.

02/02/2021

Kindly share it with Nisha.

AD(Plg)-II, MPMR 09/02/2021
Ms. Nisha, PA

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN SDMC:

Aspect	Information Required
Generation	Approx. 7000 TPD in 2040-41 Estimated green waste- (biodegradable waste): @36%= 2520 TPD Estimated dry waste: @34% = 2380 TPD (Reusable waste paper, textile, plastic and rubber) Inert material @30% = 2100 TPD)
Management strategy	(Collection, segregation and processing) Door to door collection, segregation of green waste (biodegradable waste) and reusable waste though concessionaires and involvement of waste pickers in all four zones of SDMC. Green waste is being processed at Compost Plant Okhla, decentralization bio-methanation plants and through home composting.
	Inert (C&D waste) is collected in two zones 8t ward level through concessionaires/private contractors and the same is being processed at Bakarwala C&D waste plant and proposed C&D waste plant. Another .C&D waste processing facility is proposed at Maidan garhi/Tehkhand for South zone and Central zone.
	(Improving collection and segregation efficiency) **RWA/ Mohalla/ Market association/ Solid waste zone/Wards etc.)** Improving collection, segregation efficiency at ward level by awareness through public notices in newspapers, distribution of pamphlets, radios, nukkad nataks, education in schools, and interaction with RWAs through concessionaries by involvement of waste pickers. Interaction with RWAs through concessionaires by involvement of waste pickers.
	Wet waste is processed through composting at Compost plant, bio-methanation plants and decentralization composting at ward level. Three, 1 TPD and 5 TPD plants are presently functioning. One, 1 TPD and 5 TPD are under construction. However, such plants are proposed subject to availability of hand. Further, ward composting has been started locally through pits.
	Material Recovery Facility (MRF) to be setup at ward level for sorting of waste material at FCTS/Dhalaos.
	Some dhalaos where is possible will be used as material recovery facilities at ward level.
	Reclamation of landfill site at Okhla (dumpsite) is being done through bio mining of legacy waste. Reuse/Recyclable of legacy waste is being utilized is as under: - Refuse Derived Fuel (RDF): - Waste to Energy plant Okhla and private industries. Inert: - NTPC Eco park and Tajpur pit. C&D waste: - At SLF Okhla to cover the dumped waste and making of approaches.

	After completion of bio-mining/remediation of legacy, waste at existing SLF Okhla (dumpsite) will be converted into Engineered/Scientific Landfill/solid Waste Management facility.
	Establishing the system to recognize organizations of waste pickers and Establish a system for integration of the various waste pickers to facilitate their participation in solid waste management including segregation and door-to-door collection of waste through concessionaires ensuring safety, hygiene and healthy working conditions for the workers.
	Marketing of compost is being done through concessionaires of composite plant. Regarding other reusable/recycled products is being done through departmental as well as contractors and private participation.
	Awareness, capacity building and behavioural changes programs is being done through concessionaire as well as sanitation officers of department.
Key infrastructure or special projects Proposed for the plan period, along with details of projects and their timelines.	1. One Compost Plant Okhla, having capacity of 200 MT of MSW per day for making compost is being operated by concessionaire, M/s IL&FS.
	2. One waste to Energy Plant at Okhla having capacity of 1950 MT of MSW per day to produce 23 MW of power is being operated by concessionaire.
	3. Another Waste to Energy Plant at Tehkhand having capacity of 2000 MT of Solid waste per day to 25 MW of power is under construction. This plant is likely to be functional in 2022.
	4. Engineered Sanitary landfill at Tehkhand is to be developed up to Dec 2022.
	5. Plant for processing of Refuse Derived Fuel (RDF) Tehkhand will be setup by Indian Oil corporation and NTPC.
	6. Plan for processing of plastic waste at Tehkhand will be setup by Indian Institute of Petroleum Research (IIPR).
	7. A 200 TPD material recovery facility is proposed at Tehkhand/Okhla under PPP model.
Future land requirement (if any) for Scientific (engineered) landfill sites, provided only inert are to be dumped.	Future land requirement has been prepared and the same is annexed herewith as annexure V (a).

2. Targets to be included in the MPD-2041:

S.no	Component	Current status	Target for 2041	Phasing plan
1	MSW collection efficiency	MSW collection in some areas is being done through concessionaires by involvement of waste pickers in all four zones of SDMC.	Door to door, collection of MSW in entire area of SDMC will be done through concessionaires by involvement of waste pickers.	90% up to 2021 and 100% up to 2025 Subject to the availability of funds and lands.

2	MSW segregation efficiency	MSW segregation in some areas is being done through concessionaires by involvement of waste pickers in all four zones of SDMC.	Segregation of MSW in entire area of SDMC will be done through concessionaires by involvement of waste pickers.	90% up to 2021 and 100% up to 2025 Subject to the availability of funds and lands.
3	Percentage of green waste biodegradable (e.g., composted or any other processing method) locally	10% of green waste is being processed at Compost Plant Okhla, bio-methanation plants, composters, compost pits etc. at ward level.	100% of green waste (biodegradable waste) will be processed at compost plants, bio-methanation plants, composters, compost pits etc. at ward level.	25% up to 2021 50% up to 2023 75% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
4	Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/industry	About 10% of recyclable waste is being sent to recycling centres/industry through waste pickers and private participation.	100% of recyclable waste will be sent to recycling centres/industry through waste Pickers and private participation.	25% up to 2022 50% up to 2023 70% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
5	Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan is being done through concessionaires in all four zones of SDMC.	100% Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW Management plan will be done through concessionaires in all four zones of SDMC.	25% up to 202 l 50% up to 20 3 75% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
6	Reduction in waste going to land fill sites	Efforts are being done in reduction of waste going landfill site through proce5sing of waste at card level and setting up of new Waste to Energy Plants, decentralized, composting.	Likely to be done in 2030.	80% up to 2023 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.

7	Reclamation of land fill sites (preening and processing of legacy wastes)	Reclamation of landfill site at Okhla (dumpsite) is being done though bio mining of legacy waste. Thereafter this land will be converted into green/used for setting up Solid Waste Management facilities.	Likely to be completed in 2030.	100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.

ANNEXURE – V (a)

REQUIREMENT OF LAND AGAINST THE 1500 ACRES AS PER PROVISION IN DELHI MASTER PLAN 2021 FOR IMPLEMENTATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT FACILITIES IN DIFFERENT LOCATIONS IN ALL FOUR ZONES OF SDMC :-

Sr. No.	**Name of facilities**	**Facilities available (In nos.)**	**Facilities required (In nos.)**	**Approx. Land required (in sqm. /acres)**	**Approx. Land available (in sqm. /acres)**	**Approx. Remaining land required (in acres)**
1	Community Bins/ Receptacles/ (FCTS/PCTS)	92	102	102x300 = 30600 sqm. Or 7.5 acres	92x 250 sq.m or 5.7 acres	1.80
2	Material Recovery Facilities (MRF)	Nil	2x4=8	8x2=16 acres	Nil	16.00
3	Facilities for Kabariwala	Nil	2x4=8	8x1=8 acres	Nil	800
4	Attendance Office for SI/ASI	30	1x74= 74	74x100 =7400 sqm or 1.82 acres	Nil	1.82
5	Training Centre facilities for waste pickers and SDMC staff	Nil	1x4=4	4x600= 2400 sqm. or 0.6 acres	Nil	0.60
6	Workshops and parking	2	4x4=16	4x4=16 acres	8.0 acres	8.00

	space for vehicles engaged in Solid Waste Management.					
7	Processing Disposal of Solid Waste, C&D waste and Residue	1	2	67+425= 492 acres	67 acres	425.00
8	Disposal of inert like soil fine fraction etc.	1	2	10+300=310 acres	10 acres	300.00
9	Processing/ disposal of Plastic waste	Nil	4	4x2=8 acres	Nil	8.00
			Total	**859.92 acres**	**90.70 acres**	**769.22 acres**

ANNEXURE VI: SERVICE PLAN – NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NORTH DMC)

Sanjay Goel, IAS
Commissioner

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
Office of the Commissioner
4th floor, Dr. SPM Civic Centre
JLN Marg, Delhi- 110 002

VC Office
Dy. No. 97-DA
Dated 8/4/21

No. D-78/CmR/NDMC/CC/2021 Dated: 7/4/21

The Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA,
New Delhi- 110023.

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) to be integrated in MPD, 2041

Reference: D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/05 dated 11.1.2021

Dear Sir,

Please find attached herewith copy of Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) & templates to be integrated in Master Plan document, 2041 pertaining to North DMC, sent earlier vide letter no. D-in-C/DEMS/North DMC/2021/D-7 dated 28.1.2021 for your kind information & perusal. The Part C & D of "Annexure-A" of the said report regarding land requirements for various activities for SWM upto 2041 have been modified for additional land requirements apart from the details/ information, already sent.

Accordingly, you are, requested, to please look into the matter and Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) pertaining to North DMC, may be integrated in Master Plan document, 2041 for effective Solid Waste Management in future.

Thanking you,

Encl.: as above

Com (PLG)

8/4

Yours sincerely,

(Sanjay Goel, IAS)

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE DIRECTOR-IN-CHIEF (DEMS)
6th Floor, Dr. SPM Civic Centre, J.L.N. Marg
NEW DELHI-110002

एक कदम स्वच्छता की ओर

No.- D-in-C DEMS/NorthDMC/2021/D-7 Dated: 28-01-2021

The Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA,
New Delhi- 110023.

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM)
Reference: D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/05 dated 11.1.2021

Sir,

Please find attached herewith Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) & templates to be integrated in Master Plan document, 2041 pertaining to North DMC. It is being forwarded with the approval of the worthy Commissioner, North DMC.

Thanking you,

Encl.: as above

Yours sincerely,
28/1/2021
Director-in-Chief (DEMS)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (SWM) IN NORTH DMC

ASPECT	INFORMATION REQUIRED
GENERATION	Total MSW: 9,000 TPD [assuming population of North DMC 1.80 crore (out of total population of Delhi: 4 crore in 2041)] Present MSW Generation is 4500 TPD
	Green (wet) waste: 3,600 TPD (Bio-degradable) Dry waste: 5,400 TPD (Non Bio-degradable)
MANAGEMENT STRATEGY	**Present status of SWM is as under:** Present population of area under the jurisdiction of North DMC is about 90 lacs having about 18 lacs residential units. At present, about 4500 TPD of Municipal Solid Waste (MSW) is generated and collected in six zones per day. Out of which, about 2300 TPD of MSW is collected from Keshav Puram, Civil Lines & Rohini Zones which is collected, processed and disposed off scientifically as per SWM Rules-2016 at Waste Processing Facility/ Waste to Energy (WTE) Plant at Bawana in Narela. The remaining 2200 TPD waste collected from City-S.P, Karol Bagh & Narela Zones is being dumped at Bhalswa landfill site without processing/ treatment. As such there a gap of 2200 TPD of MSW which needs to be addressed and processed. Per capita per day solid waste generation is 0.50 kg (500 gm). In order to ensure scientific disposal of the aforesaid remaining MSW, North DMC has planned to set up another WTE Plant either at Bhalswa SLF site or at Rani Khera in Narela. In pursuance of the matter, an MoU between Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) and North DMC has been signed on 19.1.2021 to set up an Integrated Waste to Energy Facility in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste. Accordingly, long term tender incorporating provisions of SWM Rules, 2016, for collection & transportation of MSW for remaining three zones i.e. City-S.P, Karol Bagh & Narela Zones have been invited. **Management Plan for Solid Waste Management:** 1. About 55% of solid waste generated in the jurisdiction of North DMC is being processed & inerts are also disposed off scientifically at Narela-Bawana Waste Processing Facility. Salient features of this project/ agreement are as under: • It is a long term 20 years agreement based on PPP model executed on 17.7.2009 • It is an integrated contract for end to end solution of solid waste which includes door-to-door collection (primary), transportation from secondary storage depots to the Narela-Bawana Waste Processing Facility, processing (compost &R DF), WTE Plant and disposal of inerts at engineered landfill site. • WTE Plant of 24 MW capacity is also operational. • Contract is valid upto year 2029. • Concession area comprises of 64 mpl. Wards (out of total 104 mpl. wards)

	• At present, about 2400-2500 MT of solid waste is received at this plant & by 2029, waste generation is expected to be 3500TPD. • Regular awareness programs through IEC activities etc. are carried out for reduction, re-use & recycle (3Rs) as well as emphasis is given on segregation of waste at source to improve the SWM. Ultimately, it will reduce the load on the Processing Facilities/ landfill sites. The residents are also made aware for utilising waste as wealth through household/ local composting. 2. For remaining waste (45 %), an MOU has been signed between Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) and North DMC has been signed on 19.1.2021 to set up Integrated Waste to Energy Facilities in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste at Rani Khera. Likely date of commissioning of this plant is Dec., 2022. 3. On pilot basis, decentralised bio-methanation/ compost plants of 5TPD (4 NOS.) & 1TPD (6 NOS.) are being installed under the jurisdiction cf North DMC, out of which 2 nos. 5TPD & 3 nos. 1TPD plants are operational. On the basis of success story, these plants would be replicated in all 104 municipal wards. For installation of these plants, adequate land is also required specifically meant for this purposes. Provision of land for solid waste management shall be duly earmarked in the proposed layout plans before notification. 4. 50 TPD recyclable plastic waste processing plant/ facility has also been proposed at Tikri Kalan in Narela. For which, RFP/ tender document is being prepared. 5. Land requirement for various activities for solid waste management upto the year 2041 is annexed as "Annexure – VI (a)". 6. 200 TPD Bio-methanation gas plant based on cow dung is under construction at Bhalswa Dairy and which is likely to commence operation by 31.12.2021. 7. Material Recovery Facility (MRF) having capacity of 4 TPD for sorting of recyclable materials such as paper, plastic, metal, glass etc. will be commissioned at Zakhira shortly. Similar MRFs are proposed in each ward depending upon the availability of land. Minimum land requirement is 1000 sqm for setting up of an MRF. 8. Remediation of legacy waste from SLF Bhalswa, which' is in operation since 1994, is being carried out. Out of total 80 lac MT of legacy waste, 11.90 MT has been bio-mined through trammels. Reclamation of the land is likely to be completed by June, 2022.

2. Key targets that will be included in MPD-2041 Action Plan:

Component	Current Status	Target for 2041	Phasing Plan
MSW collection efficiency	100%	100%	N.A.
MSW Segregation efficiency	55%	100%	By 31.12.2023
Percentage of green waste processed (e.g. composted or another processing method) locally	55% of 1800 TPD = 990 TPD Say 1000 TPD	100% of 6,000 TPD	By 31.12.2023

Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/ industry	50%	100%	By 31.12.2023
Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)	839 nos. of informal waste workers identified	100%	25% by Dec, 22 50% by Dec, 24 75% by Dec, 26 100% by Dec, 30
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	---	---	As above
Reduction in waste going to land fill sites	25-30%	80%	5% in every 5 years
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)	ONE no. at Bhalswa	---	By June, 2024

Annexure – VI (a)

Land requirement for various activities for solid waste management up to 2041:

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

Land requirement for various activities for solid waste management upto 2041

Name of Local Body :- North Delhi Municipal Corporation:

Present solid waste generation	:	4500 MT
Expected solid waste generation 2025	:	5350 MT
Expected solid waste generation 2030	:	6350 MT
Expected solid waste generation 2041	:	9000 MT

(A) Details of existing/proposed processing facilities on already allotted land:

S. N.	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Details of facilities		Present Status	Remarks
					Type	Capacity (in MT)		
1.	Narela-Bawana	DDA	156.28	14.6.2007	Integrated Waste Processing Facility which includes windrow composting, RDF, WtE Plant & Engineered Landfill	2300	Operational	(i) PPP Facility upto 2029. land was handed over to the concessionaire(M/s DMSWSL) in the year 2009 (ii) 100 acre: Integrated waste processing facility alongwith Engineered Landfill and is in operation since September 2011 consisting of 24 MW WTE Plant, Engineered landfill, Compost Plant & Green Belt of width 15 m (includes work up to year 2029) (iii) 14 acres:- Land handed over to DSIIDC in year 2015 for hazardous waste in terms direction dated 28.04.2015 of Hon'ble NGT. (iv) 30 acre: PPP Facility for solid waste management of Narela Zone for Workshop, Parking Facility etc. for solid waste management (650 TPD)
2	Rani Khera	DDA	55.48	22.3.2016	1. C&D Processing Facility (5.97 acre) 2. Proposed Integrated WtE Plant/ Processing Facility (49.51 acre)	1000 TPD 2500 TPD	—	PPP facility upto 2035. Plant under construction by concessionaire(ILFS) To be utilized for installation of WtE Plant in association with IOCL. The MoU with IOCL has been executed on 19.01.2021 for setting up of Integrated Waste to Energy Facilities in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste at Rani Khera.
3.	Near PVC Bazar, Tikri Kalan	DDA	4.00 Approx	16.6.2014	Proposed for Plastic Waste Processing Facility	50-100 TPD of plastic waste	Under Process	Tender document is being prepared for processing of the plastic waste

(B) Details of existing /proposed landfill on already allotted land

S. no	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Present Status	Remarks
1.	Bhalswa near Mukarba Chowk on GT Road	North DMC	70.00	1994	It is an un-engineered landfill since its inception. At present, about 2300-2500 TPD fresh MSW is received at this dumpsite. On the directions of Hon'ble NGT, bio-mining/ bio-remediation of legacy waste of about 80 lac MT has been started with the help of trommels.	Remediation work in progress. About 11 lac MTof legacy waste has been processed.

(C) Details of land requirement for future activities in phases:

S. N.	Location	Land Owning agency	Land Requirement (Area in Acres)	Purpose	Capacity in TPD	Time for start of operation after allotment	Remarks
1.	Suitable land for SWM/ Sanitary Landfill	DDA	100 (Minimum)	Waste Processing Facility & setting up of Sanitary Landfill as per Schedule –I of SWM Rules, 2016	4000-4500 TPD	12 months	The land proposed/ allocated shall be free from all encumbrances & suitable for SWM
2.	Different locations in zones (in 104 wards)	DDA	500 sqm per Mpl. Ward	Decentralized Waste Processing/ MRF	5	12 months	In the layout plans, land for SWM be earmarked and be duly notified.
3.	Different locations in zones (in 104 wards)	DDA	1000 sqm per Mpl. Ward	Transfer Stations cum Material Recovery Facility (MRF)	5-10	12 months	In the layout plans, land for SWM be earmarked and be duly notified.

(D) Details of low lying area identified for disposal of inert from legacy waste:

S. N.	Location	Land Owning agency	Land available in Acres	Estimated Volume of filling (in cum)	Time for filling (months)	Remarks
1.	Low Lying area Surroundings of Mukundpur School	North DMC	33	2,33,700	9 months	Disposal of rejects/inert
2.	Low Lying area from Bhalswa to PWD Road	North DMC	5.7	1,61,470	5 months	Disposal of rejects/inert
3.	Main Kanjhawala (Road No.3) near PWD office	DDA	2.06		Approx. 2 years time	Disposal of rejects/inert
4.	Sector-23, Rohini near DCP office 15,000 sqyd.)	DDA	3.1			Disposal of rejects/inert
5.	Road from Barat Vihar to Pansali Colony	DDA	2.06			Disposal of rejects/inert
6.	Begaumpur A-block to Barat Vihar near Begumpur Police Station	DDA	3.1			Disposal of rejects/inert
7.	Near Kali Mata Mandir Barwala Road	DDA	5.17			Disposal of rejects/inert
8.	Inert materials can be utilized by DDA for filling low lyIng areas In urban villages as well as lands pockets In Rohini, Narcla, Burari	DDA				Disposal of rejects/inert
9.	DDA land near Burari Chowk	DDA				Disposal of rejects/inert
10.	Sector 39, 40 and 41. Rohini DDA land	DDA				Disposal of rejects/inert
11.	Low lying areas in unauthorized colonies	I&FC Deptt., DSIIDC				Disposal of rejects/inert
12.	Construction of embankments of Highways	NHAI				Disposal of rejects/inert

Bio-mining of legacy waste is already in progress at Bhalswa in compliance of the directions of Hon'ble NGT. About 60 lakh MT of inert material is likely to be generated during bio-mining of legacy waste. For disposal of this inert, about **500 acre** of low lying land area is required (taking average filling of about **2.00 metre depth**). The ownership of the land will remain with the DDA. This land area requirement is in addition to the details submitted earlier.

ANNEXURE VII: SERVICE PLAN – NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)

From: "Sh Dharmendra" <chairperson@ndmc.gov.in>
To: "Manisha Gupta" <manisha.gupta2031@dda.gov.in>
Cc: "Murari Lal" <director.coordination@ndmc.gov.in>, "Ramesh Kumar" <moh@ndmc.gov.in>, "Dr. Brij Mohan Mishra" <secretary@ndmc.gov.in>
Sent: Friday, April 9, 2021 8:01:33 PM
Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Madam,

I am directed to attach herewith the write-up/status on the service plan for municipal solid waste management w.r.t. MPD 41 Action Plan.

Venkata Sastry
Head Assistant
NDMC, New Delhi
23743579
23742269

Chairman

20/1/2021

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)

Consider the following approximate population projections for New Delhi Municipal Council:

At present, the fixed population of New Delhi Municipal Council is 2.67 Lakh as per 2011 census.

Low Growth Scenario	Medium Growth Scenario	High Growth Scenario
3 lakhs	3.2 lakhs	3.5 lakhs

The service action plan for master plan of management of Solid Waste of New Delhi Municipal Council for 2041 is as under:

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (SWM) IN NORTH DMC

ASPECT	INFORMATION REQUIRED	
GENERATION	Total MSW likely to be generated	350 – 400 MT
	Estimates of green waste, dry waste (reusable waste and inert material)	100 MT Wet waste 250 -300 MT Dry waste
MANAGEMENT STRATEGY	**Separate management plans (collection, segregation and processing) for;**	
	Green Waste	Green waste — Organic waste convertors, Home Composting, compost pits, Biogas Plant and compost plant Okhla (for 100 MT Wet Waste}
	Reusable Waste	Reusable Waste — 25 MT for recycling (NGOs and recyclers)
	Inerts	Inert — Sent to SDMC landfill site from Waste to Energy Plant, Okhla
	Management plans to include information regarding the following aspects;	
	Improving collection, segregation efficiency at local level (RWA/Mohalla / Market Association / Solid Waste Zone/ wards etc.)	Door to door collection of waste and its segregation as per the Solid Waste management Rules 2016 i.e., Wet Waste, Dry Waste and Domestic Hazardous Waste.
	Maximizing wet waste processing (e.g., Composting, bio-methanation etc.) locally	Already explained above.
	Improving sorting and material recovery (MPD will recommend repurposing of dhalaos as material recovery facilities at the decentralized level) etc.	Segregation of waste in situ and also construction of Material Recovery facility for micro segregation of dry waste.
	Reclamation of landfill sites and reuse/ recycle of legacy waste	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
	Conversion of existing landfills to engineered / scientific landfills	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
	Special plans for; Integration of informal sector in core SWM system (for improved management vis-a-vis ensuring safety, hygiene and healthy work conditions for the workers.	Already integrated and providing the mentioned conditions.
	Marketing strategies for compost and other reusable / recycled products).	The compost produced shall he used in horticulture department of NDMC itself.

		The reusable / recyclables shall he handed over to authorized recyclers.
	Awareness, capacity building and behavioral changes programs.	Already are being run by NDMC in full swing. The capacity and behaviors changes are being evaluated from time to time.

2. Key targets that will be included in MPD-2041 Action Plan:

Component	Current Status	Target for 2041	Phasing Plan
MSW collection efficiency	100%	100%	N.A.
MSW Segregation efficiency	100%	100%	100%
Percentage of green waste processed (e.g., composted or another processing method) locally	100%	100%	100%
Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/ industry	20%	100%	Increase by 10% per year
Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)	100% (already done)	100%	100% done
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	100%	100%	100% done
Reduction in waste going to land fill sites	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council

ANNEXURE VIII: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE (DPCC)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
6TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
PH: 23392029

F 10 (1)/Env/2019/169-172 **Dated:** 09.04.202

To,

Additional Chief Architect,
Office of Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, I.N.A,
New Delhi-110023

Subject: Services Plan for Management of Non-Municipal Solid Waste Management in reference to Draft MPD 2041.

Sir,

This is in reference to the D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/39 dated 06.04.2021 of the Vice Chairman, DDA with respect to subject mentioned above.

Kindly find enclosed Service Plan for Non-Municipal Solid Waste Management in Delhi, in reference to Draft MPD 2041, from Department of Environment, GNCTD and DPCC, for your information and further necessary action please.

This is being issued with approval of the Competent Authority.

Yours Faithfully

Encl. as above

Chetna

(Dr Chetna Anand)
Senior Scientific Officer (Environment)

Copy to

1. PPS to Pr. Secretary (Environment), GNCTD
2. PS to Addl. Chief Secretary (Environment & Forest), GNCTD
3. PS to Special Secretary (Environment), GNCTD

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE

1. SERVICE PLAN FOR NON-MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN DELHI FROM DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND DPCC:

Aspect	Information required
Generation	**Estimates of C& D Waste:** **Current Status FY 2020-21 (Million MT) :** 1.38* (3781 TPD) **Target for 2041 (Million MT):** 3.66** (10,027 TPD) *Estimation of C&D waste generation in Delhi, as per NITI Aayog Report Jan 2019 "Strategy on Resource Efficiency in Construction & Demolition Sector" – 4,600 MT/day (1.38 million ton per annum) ** Considering 5% annual growth of C&D waste generation in NCT of Delhi **Bio-Medical Waste:** As per gap analysis study got done in 2020 for requirement of numbers & capacities of additional Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facilities (CBWTFs) in Delhi estimated total future biomedical waste generation in 2031 = 80000 kg/day. As per Central Pollution Control Guidelines dated 21.12.2016, prior to allowing any new CBWTF, prescribed authority {Delhi Pollution Control Committee (DPCC) in case of Delhi} is required to prepare an inventory or review with regard to the bio-medical waste generation at least once in 5 years in the coverage areas of the existing bio-medical waste treatment and disposal facility. Prescribed authority is also required to extrapolate the coverage area wise bio-medical waste generation for the next 10 years. **E- Waste: No concrete data available. E-Waste Inventorisation exercise is proposed.** **Plastic Waste generation :** 1500 MT/D
Management Strategy	**Management plan for C& D Waste:** Processing Capacity of Operational C&D Plants in Delhi (4150 TPD) • Jahangir Puri (Burari) – 2000 TPD • Shastri Park – 1000 TPD • Rani Khera (Mundka) – 150 TPD • Bakkarwala – 1000 TPD (C&D Waste received at 4 processing facilities in Delhi : 3151 TPD)

Proposed C&D Waste Processing Facilities in Delhi (2500 TPD)

- Ranikhera – 1000 TPD (Under Construction)
- Maidangarhi - 1000 TPD
- Libaspur - 500 TPD (Land use to be changed by DDA)

NCT of Delhi will require creation of additional annual processing capacity of 2 Million MT (5479 TPD) by 2041 as below:

By 2026 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2031 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2036 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2041 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

Bio-Medical Waste:

For obtaining the authorization mandatory under Bio-Medical waste Management Rules, 2016, every health care facility is required to enter into an agreement with the concerned CBWTF for collection, transportation, treatment and disposal of the waste generated by it. Biomedical waste is collected, transported and treated by two Common Biomedical Waste Management Facilities (CBWTFs) operating in Delhi. In view of expiry of lease of one of the CBWTFs presently operation on land provided by Directorate of Health Services, Govt of NCT of Delhi, the DPCC has called Expression of Interests for bringing up two new CBWTFs on privately owned land for catering to the BMW generation in two regions to cater future generation of biomedical waste in next 10 years i.e. year 2031 **Region 1: Shahdara, East and North East Delhi (fall in the trans Yamuna belt). Region 2: West, South West, Central Districts.**

E- Waste:

- Delhi consisting of 11 districts, so each district should possess at least one collection centre to ease the drop of E-waste.
- Atleast 3 nos. of E-waste ECO-Park (not less than 5 acres in area), one in each North, South and East regions of Delhi should be created where proper dismantling, refurbishing can be done.
- Atleast two recycling units should be created in Delhi for efficient work and state board can easily verify the authenticity of dealers, refurbishers, dismantlers whether they are legally tied with recycler.
- ATM can be installed where in return of every electronic equipment, cash back can be provided.
- ULBs can provide toll-free number and door to door services to dispose-off E-waste.

Service Plan for NCT of Delhi for Plastic Waste Management is Annexure VIII (a).

Other information • Key infrastructure or special projects identified during the plan period, along with details of projects and their timelines • Estimated land requirements for projects.	**Bio-Medical Waste:** *Under the provisions of Bio Medical Rules 2016, the department in the business allocation of land assignment shall be responsible for providing suitable site for setting up of common biomedical waste treatment and disposal facility in the State Government or Union territory Administration and the selection of site for setting up of such facility shall be made in consultation with the prescribed authority, other stakeholders and in accordance with guidelines published by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Central Pollution Control Board.* The CPCB guidelines dated 21.12.2016 provides that alternately **a CBWTF may also be allowed to establish on a land procured** by an entrepreneur in accordance with the location criteria suggested under these guidelines. The DPCC is in process of calling the expression of interests for 2 CBWTFs on privately owned land to cater the need for next 10 years (up to 2031) and project is likely to be completed by end 2022.However looking in to the present and future scenario there is a need to identify 3 plots of lands of **size not less than one acre** in three geographically distributed areas of Delhi (one in trans Yamuna for East, North East & Shahdara, second in South East, South, South West & New Delhi and third in Central, North, West & North West districts) so that CBWTFs can be made operational on Govt Land post 2031. As per CPCB guidelines, CBWTF shall preferably be developed in a notified industrial area without any requirement of buffer zone **(or)** a CBWTF can be located at a place reasonably far away from notified residential and sensitive areas and should have a buffer distance of preferably 500 m so that it shall have minimal impact on these areas. **E- Waste:** • Public Awareness sessions should be organized on regular basis. • Awareness programme for refurbishers, dismantlers, recyclers and dealers should be organized twice in a year.

2. Key targets that will be included in MPD 41 Action Plan:

Component	Current status	Target for 2041	Phasing Plan
Percentage of C&D Waste Processed (Fresh + Legacy)	88.4 % [1.22 (3342 TPD)]	100 % 3.66 (10,027 TPD)	NCT of Delhi will require creation of additional annual processing capacity of 2 Million MT (5479 TPD) by 2041 as below: By 2026 – 0.5 Million MT (1370 TPD)
Percentage of Recycled C&D Waste Products (Tiles, Blocks, Reinforcements, filling materials etc.) used.	107.4 % [1.31 (3589 TPD) including Legacy C&D waste products] [Offtake by Govt. Departments - 0.70 (1917 TPD) And Offtake by Private Parties - 0.61 (1671	100 %	

	TPD)]		By 2031 – 0.5 Million MT (1370 TPD) By 2036 – 0.5 Million MT (1370 TPD) By 2041 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

Annexure VIII (a): Service Plan for NCT of Delhi for Plastic Waste Management in respect of Draft MPD 41

1. Application:

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India has notified the Plastic Waste Management (PWM) Rules, 2016 as amended by 2018.

(i) These rules are applicable to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, Importers and producer.

(ii) The rule 4 shall not apply to the export-oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provide this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan-masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.

2. Salient features of (PWM) Rules, 2016, as amended to date

The salient features of (PWM) Rules, 2016 are described below:

S. No.	Items	Description
1	**Purpose**	Plastic waste minimization; Source segregation; Recycling; Collection of plastic waste fraction; Adoption of polluter's pay principle;
2	**Application**	To Every: Waste generator; Local body; Gram Panchayat;

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Manufacturer;
Importers and
Producer.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Conditions for Carry bags</td><td colspan="3">Shade of Carry Bag should be natural as per IS: 9833:1981;
Provision of thickness for carry bags made of virgin or recycled plastic is, thickness>= 50 microns (made up of recycled or virgin plastic). Thickness of carry bags is not applicable to carry bags made up of compostable plastic;
The carry bags made from compostable plastics shall confirm to the Indian Standard: IS17088:2008. The manufacturers or seller
of compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling;
Plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impairs the functionality of the product;
Recycling of plastic waste shall confirm IS 14534:1998.
Carry bags made of recycled plastics shall not be used for Packaging food stuff;
Sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling Gutkha, tobacco and pan masala;
Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging Gutkha, pan masala and tobacco in all forms.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Responsible Stake-holders</td><td colspan="3">Local body;
Gram Panchayat;
Waste Generators;
Producers, Importers and Brand Owners.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Marking or Labeling</td><td>
</td><td>PET
HDPE
V
LDPE
PP
PS
Others</td><td>Polyethylene Terephthalate,
High Density Polyethylene
Vinyl (PVC),
Low Density Polyethylene
Polypropylene
Polystyrene
ABS - (Acrylonitrile butadienestyrene),
PPO- (Poly phenylene oxide),PC- (Polycarbonate),
PBT- (Poly butylenes terephalate)</td></tr>
</table>

6	**Prescribed Authority** for enforcement of the provisions of these rules;	The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory; The concerned Secretary-in-charge of Urban Development ofthe State or a Union Territory; The concerned Gram Panchayat shall be the authority; District Magistrate or the Deputy Commissioner.
7	**Responsibility of retailers andstreet vendors**	Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in carry bags or plastic sheet or multi-layered packaging, which are not manufactured and labeled or marked, as per prescribed under these rules; Retailers or street vendors if providing commodities in above mentioned packaging shall be liable to pay fines.
8	**State Level Monitoring Committee(SLMC)**	State Government or the union Territory shall constitute SLMC for the effective monitoring of implementation of these rules; The State Level Advisory Body shall meet at least once in **Six Month** and may invite experts, if it considers necessary.
9	**Annual Reports** a) Concerned persons/ Departments	Every person engaged in processing or recycling of plastic wasteshall submit annual report in **Form-IV** to local body by **30th April**(Every year); Every local body shall submit annual reports in **Form-V** to concerned Secretary-in-charge of the Urban Development Department by **30th June**, every year; Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit annual reports in **Form-VI** to CPCB by **31st July**, every year; The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the **Central Government** along with its recommendations before the **31st August** of every year.
	b) Flow of Information	**Recycler** → (Form IV) **(By 30th April)** → **Local Body** (Form V) **(By 30th June)** → **SPCB/SPCC** (Form VI) **(By 31st July)** → **CPCB** Consolidated Annual Report **(Before 31st August)** → **Central Govt.**

3. Plastic Waste (PW) Generation:

Estimated PW Generation in Delhi: 1500 MT/D

4. Constraints in implementation of PWM Rules 2016, as amended 2018:

4.1. There are a number of constraints in implementation of PWM rules 2016, few of them are given below:

a) Annual Reports are not submitted on-time by Responsible Agencies/Authorities by 30th June each year;

b) Monitoring of implementation of PWM Rules by Urban Development Departments & Municipal Bodies is inadequate;

c) Non-recyclable plastic wastes such as multi layered and metalized pouches and other thermoset plastic poses disposal problems;

d) Use of sub-standard (<50µm) plastic carry bags, packaging films etc. pose problem in collection and recycling, thus, ultimately dumped on land, drains, rivers,

e) Co-ordination of DPCC with Local Bodies in enforcement of use of sub-standard (<50µm) plastic carry bags & actions taken by ULBs.

4.2. Recommendations of SLMC:

a) All departments including ULBs, SDMs and DPCC were advised to adhere to the directions of Hon'ble NGT dated 02.12.16 and 10.08.17 regarding complete prohibition on the use of plastic carrybags made of plastic less than 50 microns and are non-compostable in entire NCT Delhi a prohibition of use of disposable plastic glasses in entire NCT Delhi at hotels, restaurants and public as well as environmental compensation of Rs 5000/- per default. All agencies were directed to expedite the actions of seizure of plastic and imposition of fines.

b) Further, all ULBs and DPCC were directed to design programmes for creating awareness among general public regarding prohibition on the use of plastic carrybags made of plastic less than 50 microns and are non-compostable in entire NCT Delhi a prohibition of use of disposable plastic glasses of the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018.

c) The representative of plastic traders and manufacturing industry were also advised to educated and guide the trades/manufacturers to adhere to the provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018. The concept of Extended producer's responsibility was also discussed and it was desired that plastic trades/manufacturers association shall give their full cooperation this regard to the ULBs in framing the bye-laws.

5. Environmental issues of PWM in Delhi:

a) Littering of Plastic Waste in open lands, drains, bus stations, railway tracks, dustbins/dhalaos, roadsides, commercial areas, etc.

b) Open Burning of plastic waste emit toxic gases, polluting ambient air.

c) Unscientific/ unregistered plastic waste recycling/manufacturing poses threat to environment specially in residential areas;

d) Eating/engulfing plastic waste along with food residues by cattles, birds etc.

6. Information, Education & Communication (IEC) Programme

a) What is IEC:

1. To develop communication strategies to promote positive behaviour.
2. Create awareness among various stakeholders.
3. To make development participatory through advocacy.
4. To transfer knowledge, skill and technique to people.
5. To bring transparency in program implementation at field level.
6. To promote the concept of accountability and social audit.

b) Role of IEC in Waste Management:

1. To inform, educate and inspire people to realize their roles and responsibilities and benefits of adopting right waste management practices.
2. To bring motivation, awareness and empowerment.
3. To bring transformational shift in waste management barriers:
4. Practice level barrier
5. Attitude level barrier
6. Knowledge level barrier
7. To reach all communities and to reach out to all kind including children, women, men, youth and elderly people.
8. To create awareness, sensitization and motivation of people to follow right hygiene, sanitation and waste handling practices.

c) **Types of Communication:**

1. Mass Communication
2. Person to Person Communication

d) **Key ways of Communication:**

1. At national or mass level TV commercials and advertisement can play role.
2. Handbook, leaflet and brochures.
3. Motivational hoardings catering to Swachh Bharat and posters at critical locations of city.
4. One to one meeting could be held at family and community level, since PWM involves attitudinal change.
5. A city centric waste management book.

e) **Funding pattern of IEC Programme:**

1. IEC has 15% funds of total central allocation.
2. Out of this **12% is for States to conduct campaigns** on public awareness for different issues of public health, hygiene and environment.
3. Campaign using different means, like short films, radio, plays, workshops, social media and radio. Newspaper and TV are excluded from this.
4. Remaining 3% is for MoHUA to run a national media campaign and to develop standardized methods for campaigning.
5. The **IEC plan made by States should approve by HPC of States**. 50% of the approved fund should be given to ULBs.
6. ULBs have to spend minimum 50% of the ULB funds for IEC. This fund cannot be used for any other purpose, like buying vehicles, construction or maintenance.

7. Technologies for Disposal of Plastic Waste:

i. Mechanical Recycling.

ii. Utilization of Plastic Waste in Road Construction.

iii. Co-processing of Plastic Waste in Cement Kilns & Co-incineration in waste to energy plants.

iv. Conversion of Plastic Waste into Fuel-oil (Chemical Recycling).

v. Disposal of plastic waste through Plasma Pyrolysis Technology (PPT).

(i) Mechanical Recycling:

Mechanical recycling involves processing of waste into a product which characteristics similar to those of original product. This process involves the following steps:

a) **Collection and Segregation:** The plastics materials have varying density; hence they are segregated/separated by floatation process.

b) **Cleaning, Drying and Sizing:** The post-consumer plastics waste requires proper cleaning and drying. The cleaned plastics waste products should be sized; the dried flakes are fed into an extruder where they are heated to melting state and forced through the die converting into a continuous polymer product or strands.

c) **Pelletizing:** The strands are cooled by water and cut into pellets, which produces reprocess granules.

d) **Fabrication into end product:** Reprocessed granules used as raw materials for producing end products.

(ii) Utilization of Plastic Waste in Road Construction:

The process of road laying using waste plastics is designed and the technique is being implemented successfully for the construction of flexible roads at various places in India.

Table1: Protocol for description of road laying process

S.No.	Description	Executing Agency
1.	Collection and segregation of plastic waste (Except chlorinated/ brominated plastic waste)	Municipal Corporation, Nagar Nigam, Nagar Parishad & Nagar and Gram Panchayat
2.	Transportation and storage of plastic waste	Municipal Corporation, Nagar Nigam, Nagar Parishad & Nagar and Gram Panchayat
3.	Cleaning and sun drying of plastic waste	Municipal Body or PWD
4.	Shredding of plastic waste (2 to 4 MM size)	Municipal Body or PWD
5.	Heating of stone aggregate (160 °C - 170 °C)	Municipal Body or PWD
6.	Adding of shredded plastic waste (5 to10% w/w for 30 to 40 seconds)	Municipal Body or PWD
7.	Coated aggregate is mixed with hot bitumen (Temp155 °Cto163 °C)	Municipal Body or PWD

8.	The mix-plastic aggregate Bitumen-mix (130-140 °C) The mix can be used for road laying.	Municipal Body or PWD Construction of polymer (plastics) Coated Bitumen Road

Action Points:

a) Utilization of Plastic Waste in Road Construction in Delhi Should be promoted;

b) Promotion and awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

(iii) Co-processing of plastic waste as Alternative Fuel and Raw Material (AFR) in cement kilns and waste to energy plants:

Co-processing refers to the use of waste materials in industry process such as cement and power stations or any other large combustion plants. Co-processing indicates substitution of primary fuel and raw material by waste, recovering industry and material from waste. Waste material such as plastic waste used for co-processing are referred to as alternative fuels and raw material (AFR). Co-processing of plastic waste offers advantages for cement industry as well as for the Municipal Authorities responsible for waste management. On the other hand, cement producers or power plants can save fossil fuel and raw material consumption, contributing more eco-efficient production. In addition, one of the advantage recovery method used in existing facility, eliminating the need to invest on other plastic waste practices and to secure landfilling.

Action Points:

Development of technology for Co-processing of plastic waste as Alternative Fuel and Raw Material (AFR) in waste to energy plants, in Delhi.

(iv) Conversion of plastic waste into liquid RDF (Oil):

Steps involved in conversion of plastic waste into liquid fuel RDF (Fuel) are given below:

- Mechanical segregation of plastic waste from mixed MSW dump yard/storage.
- Transportation of segregated plastic waste through conveyor belt for optical segregation.
- Optical segregation of plastic waste (only HD, LD, PP and multilayer packaging except PVC;
- Shredding of plastic waste and dislodging dust and impurities.
- Transportation of segregated (100%plasticwaste) into feeding hopper(reactor).

- Feeding of plastic waste into reactor for random depolymerization in presence of additives.
- Collection of liquid RDFs (Fuel).
- Collection of rejects and solid waste (charcoal).

Action Points:

Development of technology for conversion of plastic waste into liquid fuel RDF (Fuel)in Delhi from concept to commercialization and promotes awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

(v) Plasma Pyrolysis Technology (PPT)

Introduction:

Plasma pyrolysis is one of the technologies which could be opted for disposal of plastic waste. In Plasma Pyrolysis, high temperature is produced using plasma torch in oxygen starved environment to destroy plastic waste efficiently and in an eco-friendly manner. To find out its performance, Central Pollution Control Board (CPCB) sponsored a project titled "Plastic Waste Disposal using Plasma Pyrolysis Technology" to Facilitation Centre for Industrial Plasma Technology (FCIPT), Institute for Plasma Research, Gandhi Nagar (Gujarat). The experiment has been conducted using different categories of plastic waste such as thin carry bags, metalized and multilayer pouches etc. During the experiment, emission of pollutants i.e. particular matter (PM), Oxides of Nitrogen (NO2), Carbon Monoxide (CO), Dioxins and Furans were also monitored. The analytical data indicates that the emission of toxic pollutants including dioxins and furans are lower than the prescribed standards for hazardous waste incinerators. Pyrolysis of plastic (polyethylene) provides 90% combustible gases.

Description:

Plasma pyrolysis technology is the disintegration of organic/inorganic compounds into gases and non- leachable solid residues in an oxygen-starved environment. Plasma pyrolysis utilizes large fraction of electrons, ions and excited molecules together with the high energy radiation for decomposing chemicals. In this process the fourth state of matter i.e. plasmas (core temperature is around 20,000°K) is used for dissociating molecular bonds. Different types of plastic waste such as polyethylene bags, soiled plastic, metalized plastic, multi-layer plastic and PVC plastic can be disposed through PPT.

In Plasma Pyrolysis, firstly the plastics waste is fed into the primary chamber at 850oC through a feeder. The waste material dissociates into carbon monoxide, hydrogen, methane, higher hydrocarbons etc. Induced draft fan drains the pyrolysis gases as well as plastics waste into the

secondary chamber where these gases are combusted in the presence of excess air. The inflammable gases are ignited with high voltage spark. The secondary chamber temperature is maintained at 105ºC. The hydrocarbon, CO and hydrogen are combusted into safe carbon dioxide and water. The process conditions are maintained such that it eliminates the possibility of formation of toxic dioxins and furans molecules (in case of chlorinated waste). This process is used by few Municipalities and hospitals; however, this can be useful for tourist place, hill stations, pilgrimage, coasts and other remote places.

Cost of plasma pyrolysis plant for the disposal of plastic waste:

Approximately plant cost of capacity 1 Ton/day is 1.7 Crore and 6.5 Crore for capacity of 10 Tons/day plant, excluding operational cost. Payback period of plasma pyrolysis plant of higher capacity (>1Ton/day) is around 4 to 5 years. With energy recovery system, plasma pyrolysis plant will be profitable.

Merits of Plasma Pyrolysis Technology:

- The plasma pyrolysis system can resolve the problems associated with particularly non-recyclable and low-grade plastic waste.
- Generation of extremely high temperature in oxygen starved environment makes this technology useful for the safe destruction of plastic wastes.
- This technology (PPT) can safely destroy chlorinated as well as multi-layer plastic wastes.
- The plasma pyrolysis system can be installed in tourist/hilly locations.
- PPT for the disposal of plastic waste along in conjunction with energy recovery makes it economically viable in higher capacity systems.

Action Points:

Development of plasma processing technologies in Delhi from concept to commercialization and promotes awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

Way Forward for PWM:

1. Door to Door collection of MSW in 2 bins (dry& wet) shall enforced by Municipal Authorities;
2. Segregation and recycling of plastic waste should be carried out at Material Recovery Facility (MRF) to be set by each Local Body in Delhi.
3. Organize mass-awareness programme in various districts involving Municipalities & Stake-holders for not using less than **fifty microns** carry bags and anti-littering.
4. Setting up of squads for preventing open burning of PW shall be strictly prohibited.

5. Plastics should be used as a **resource** for recycling, utilized in road construction, energy recovery (such as WtE Co- processing), PW into Oil etc.

6. **Stopping use of single use plastic products** such as carry bags, cups, plates, straw, thermocol products etc.

7. Promote use of compostable products certified by CPCB such as carry bags, cups, straws, etc. as an alternate to conventional plastics.

8. Utilization of plastic waste in different technologies.

Summary of PWM:

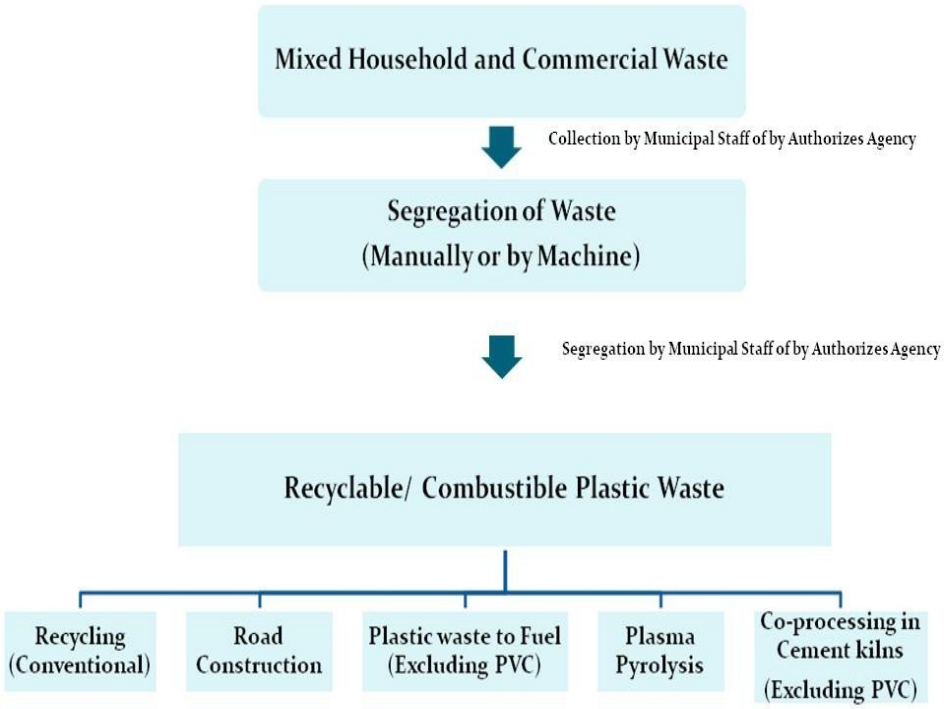

- Draft notification was also issued by the Central Government on 11th March, 2021, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016, for information of the public for making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification in writing within sixty days w.r.t. thickness of Plastic Bags, Sheets and like shall not be less than 120 microns and non-woven Plastic Carry Bags shall not be less than 240 microns in thickness w.e.f. 30.09.2021. Further, complete ban on single use plastic since 01.01.2022 (single use plasticitems: Plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping/ packing films around sweet boxes; invitation cards; and cigarette packets, plastic/ PVC banners less than 100 microns, stirrers. However, above provisions shallnot apply to commodities (including carry bags) made of compostable plastic materials (copy enclosed).

Key Targets for Plastic Waste in r/o MPD 41 Action Plan:

Current Status of Plastic Waste:	Approx. 1500 M.T. Per day
Target for 2041:	100 % disposal/ recycling as per PWM Rules

7.

ANNEXURE IX: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF POWER, GNCTD

GOVT. OF NCT OF DELHI

DEPARTMENT OF POWER

8TH LEVEL, 'B' WING, DELHI SECRETARIAT,

I.P. ESTATE NEW DELHI.

From: **Power Department** <departmentpower@gmail.com>
Date: Wed, Apr 7, 2021 at 11:10 AM
Subject: Vision Document - Power Department - Master Plan - 2041
To: <lsharma@niua.org>, <bjohn@niua.org>
Cc: ASHOK KUMAR JHA <akjhavasundhara@gmail.com>, <ramakant.ece@gmail.com>

Sir

With reference to our discussion yesterday regarding the Vision document of the Power Department regarding Master PLan-2041, may please find enclosed soft copy of the draft document and annexures as desired.

May please see please.

Regards

Power Department, GNCTD

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DEPARTMENT OF POWER, GNCTD

1. Projections for 2041:

As per the projections, the peak load in Delhi will reach 19000 MW by year 2041. To meet such load, provision in Master Plan have to made for space for power infrastructure that will be required to establish sub stations, distribution transformers and right of way for electric poles and cables to meet future power demands.

Year	Population (in Millions)	Power consumption (in MUs)	Peak Demand (in MW)	Overall installed capacity (MW)
2019	19	33082	7409	7901
2031	24.7	47167*	12269**	14110#
2041	29.1	63389*	19070**	21930#

*assuming power consumption growth rate as 3%

** As per projections of Delhi Transco Limited

#15% over and above the estimated peak demand

2. Land Requirement for Power Infrastructure in 2041:

The land requirement has been worked out by Delhi Transco Limited and Delhi DISCOMs broadly in line with norms issued by DDA & Delhi Govt. and as per their experience at ground conditions.

i. Delhi Transco Limited (DTL):

The summary of perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) as under:

Voltage Level	Tentative Land Reqd. (sq. m.)	No. of Existing substations	No. of proposed substations (under pipeline or execution)	No. of proposed substations (MPD-2041)	Total
765kV	1,60,000	01	01	02	04
400kV	40,000	07 (including Mandola)	03	09	19
220kV	7000	41	04	36	81

- Total Grid Land: 2 x 160000 + 9 x 40000 + 36 x 7000sqm = 9,32,000 sqm

ii. Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL)

TPDDL majorly serves Northern part of Delhi. The current load in TPDDL area is served by 78 nos. of grid substations which is a mix of 66/11 kV and 33/11 KV. For the 33 kV belt, which is densely populated, it is assumed that the new land would be in smaller sizes and thus it has been considered that a 2 transformer grids (2 x 31.5 MVA, usable 44 MVA). For the 66 kV belt, 3 transformer grids (3 x 31.5 MVA, usable 66 MVA) is considered. Considering a diversity factor for power transformer loading, it is estimated that additional 70 nos. new grid substations will be required to meet normal load growth and an additional 20 grid substations to meet EV charging load. Thus a total of 90 new grid substations would be required. Space required for grids is 1250 sq meters. (50 x 25 sq. mtrs., min. two sides open)

Considering diversity factor between power transformers, feeder and distribution transformers and accounting for bulk consumers, an additional 6850 MW or 7850 MVA of peak load has to be served by distribution transformers. Assuming 50-50 mix of dual and single transformer substation (32sqm), approximately additional 3750 dual transformer (80sqm) and 3750 single transformer substations (total 7500) would be required.

- Total Grid Land: 90 x 1250 sqm = 1,12,500 sqm
- Total Distribution Transformer land requirement = 3750 x 80 + 3750 x 32 = 4,20,000 sqm

iii. BSES Yamuna Power Limited (BYPL)

BYPL majorly serves the Eastern part of Delhi. Based on CAGR of 3%, BYPL load will increase from the present 1653MW to 3075MW in 2041. After including demand on account of EV and go electric drive, peak load is expected to increase further to 3600MW (approx). Based on peak load of 3075MVA, total grids required to meet the load is 88 nos. (approx). Considering the present 54 nos grids, land will be required for establishment of 52 new grids. Requirement for EV load will be additional. Land required for each grid will be 2000 Sqm (50 X 40 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

To meet 3600 MVA, desired capacity is 7200 MVA considering diversity factor. Based on the same, at least 1873 Nos new 11/0.433kV Substations will be needed. Requirement for EV load will be additional. Land required for each substation is 80Sqm (8 X 10 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

- Total Grid Land: 52 x 2000 sqm = 104,000 sqm
- Total Distribution Transformer land requirement = 1873 x 80 = 149,840 sqm

iv. BSES Rajdhani Power Limited (BRPL)

BRPL majorly serves the Southern and South-West parts of Delhi. BRPL serves a geographical area of 750 sq kms with current annual peak load growth of about 5.88%. In FY 19-20, BRPL recorded peak load of 3211 MW which is 43.33% of Delhi peak (7409 MW). Assuming same share in 2041, the peak load of BRPL would be about 8263 MW (5052 MW additional) out of Delhi's projected peak demand of 19070 MW.

Key upcoming loads in BRPL area includes, DIAL, DMICDC, RRTS by NCRTC, ITPO, DMRC, redevelopment projects by CPWD (Sri Niwaspuri, Kasturba Nagar, Tyagraj Nagar, Mohammadpur), urban extension in 4 zones (J, K1, K2, L).

Presently, the load in BRPL area is being served by 99 nos. of grid substations which is a mix of 66/11 kV and 33/11 kV voltage levels. Considering a diversity factor for power transformer loading, 115 new grid substations will be required to meet normal load growth. Required space for a grid substation is 50x60 sqm. Each Substation area will accommodate 3 Power Transformers, GIS and 11 kV Panels, SCADA, Shunt Reactors, Batteries, Solar Systems, possible expansion in capacity and possibility to accommodate substation of voltage higher than 66 kV.

Considering diversity factor between power transformers, feeder and distribution transformers and accounting for bulk consumers, an additional capacity of 11788 MVA at distribution transformers level would be required. For each 11/0.4 kV substation with two Distribution transformers of 1 MVA each, there will be space requirement of about 80 sqm.

Space requirement for BRPL:

a. Total Space requirement for 66/11 kV and 33/11 kV Grid Substation: 115 x 3000 sqm = 3,45,000 sqm.

b. Total space requirement for 11/0.4 kV substation = (11788/2) x 80 sqm = 4,71,520 sqm

c. Apart from above (a and b) land requirement for normal load growth, there will be additional requirement of land 57,000 sqm for 19 nos. grid substations and 77,120 sqm for 964 nos. of 11/0.4 kV substation in BRPL area, assuming 10% of normal load demand will be on account of EV charging load in 2041. Upcoming EV charging load includes DTC Bus, ESSL load on SDMC parking and other EV charging stations

With above loading conditions and space provisions, on an average, there would be one grid substation in every 3 sq km and one DT substation in every 50,000 sqm area of BRPL.

v. Gas insulated sub-stations

Gas Insulated Substation (GIS) shall be promoted by DISCOMS that will have lesser space requirement. Provision must be kept in Master Plan-2041 for designated spaces in all new development projects and redevelopment projects for establishment of sub-stations, installation of distribution transformers and laying of power cables.

Space for power infrastructure must be provided at right places (near to load centre). Technically feasible space for substations must be allocated for DTL/ DISCOM and proper “Right of way” to be ensured for power poles/ laying underground cable for present and future requirements. The Standard norms for Grid/Substation sizes is annexed as Annexure – IX (a).

3. UTILITY DUCT

Utility Ducts (along and across the roads) are critically required to ensure proper laying of city infrastructure and also to maintain the laid infrastructure. The importance of same is acknowledged by all. Ministry of Road & transport issued circular vide F. No. RW/NH33044/29/2015/S&R(R) Dated 22.11.2016 regarding policy guidelines for accommodation of Public and Industrial utility services along and across National Highways.

New main road development plan shall include the provision for subsurface space allocation among various utilities. That is dedicated corridors for power, telecom, gas, water and sewer need to be developed during the development of roads so that damage to other utilities can be minimized and systematic planning can be made for future growth. This will have a positive impact on the speed utilities can provide new power supply connections as well maintain existing ones. As one of the major reasons for faults in the underground network is damage by 3rd party, utility ducts would result in a near fault free network. This will help to increased ranking in Ease of Doing Business (EODB). Indicative arrangement as below.

Figure 1 Indicative arrangement for Utility Duct

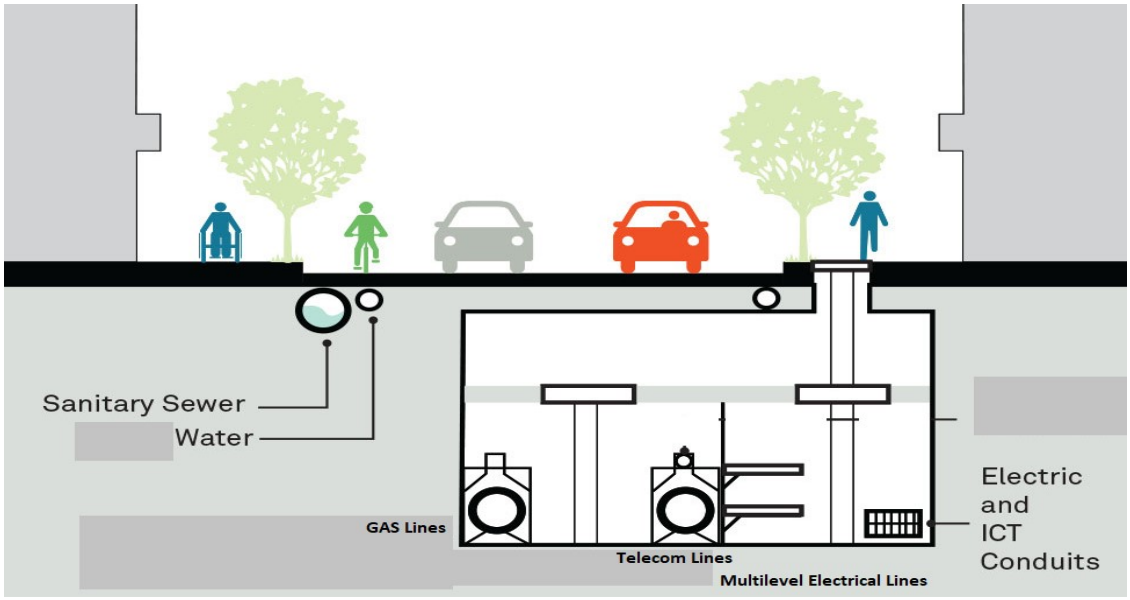

The utility corridor requirement details as below:

a. Subsurface utilities:

Type	Capacity	Corridor Width
66 kV/33kV/ 11kV UG cables for main roads	Around 100 MVA	Min. 1.2m
11 kV & LT U/G cables for interconnecting internal roads	Around 5 MVA	Min. 0.7m

b. Overhead network requirements:

Type	Capacity	Corridor Width
66 kV O/H Double Circuit OH Line	110 MVA	Min. 6m and 2.3m each side
33 kV O/H Double Circuit OH Line	60 MVA	Min. 6m and 2.0m each side
11 kV O/H Line	5 MVA	Min. 1.1m and 1.2m each side
LT O/H Line	0.18 MVA	Min. 1.0m and 1.2m each side

There is a need to ensure constructing utility duct in all newly constructed roads and also explore possibilities to implement same in existing road also.

4. Cost estimates (in Rs. Crore) given by DISCOMs for converting 100% 11kV power cables to underground (without ducting):

	BRPL	BYPL	TPDDL
11kV network	729	27	2369
HVDS network	2574	726	790
Total (in crores)	3331	753	3159
Total Cost	Rs. 7243 Crores		

Under Jagmagati Delhi, initial budget of 50 crores has been kept for FY 2021-22, for conversion of 11kV bare conductor to insulated conductor.

5. Vehicle switching from Fossil fuel to electricity

The Delhi EV Policy, 2020 envisaged “accessible public charging facilities within 3 km travel from anywhere in Delhi” (Clause: 6.2.1) and the Ministry of Power, GoI vide guidelines and standards notified for Charging Infrastructure for EVs has also envisaged for “At least 1 Public Charging Station is to be available within a grid of 3Km. x 3Km.” DDA should include land planning for creation of Charging Infrastructure for EVs in Master Plan of Delhi 2041.

6. Land/ Space Constraints:

a) DISCOMs face severe space constraints for substations, feeders and other associated equipment despite taking several measures to reduce footprint of substations (like GIS, E-House, Package Station, etc.). There is rampant encroachment on power infrastructure in many areas leading to reliability, safety and power theft issues.

b) A clear land policy is required for space allocation for substations, feeders and associated network equipment (like feeder pillars, distribution boxes etc.) in all existing areas based on present load density and future load growth. Land policy should specify land requirement for substations and associated network equipment in new developments including electrification of new areas, private development, EV charging stations and all new infrastructure development projects.

c) Land Policy needs to incorporate measures to prevent encroachment of power infrastructure.

d) Key Considerations for land allocation for 66/11kV & 33/11kV Grids:

   i. 66/11kV or 33/11kV grid is required for serving a load of 35MVA.

   ii. Based on projected peak load, total grids will be required to meet the load.

   iii. Considering the present numbers of grids, additional land will be required for establishment of new grids. Requirement for EV load will be additional.

   iv. Land required for each DISCOM grid will be 2000 Sqm (50 X 40 m). However, with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

e) Key Considerations for land allocation for 11/0.4kV Substations:

   i. Considering 1484 sq. Km area of Delhi and projected population of 29.1 million in 2041, the load density will increase which will probably highest in India.

   ii. Typically, 1 Nos substation is required for each MW and thus considering demand density in Delhi, around 15,000 substations/Distribution transformers will be required of different voltage levels.

   iii. Requirement will be higher for areas with higher load density.

   iv. Land required for each substation is 60Sqm (12 X 5 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

f) Land allocation to the concerned DISCOM need to be ensured in a time bound manner to maintain the reliability and quality of power.

7. Major reforms undertaken in Delhi

- **The nos. of procedure have been reduced from 3 to 2:** DERC vide order dt.18.12.2020 i.e. called Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Relaxation) Third order 2020, reduce the number of procedures from three to two for release of Electricity connection the details are as follows:
    - Procedure 1: Submission of application along with all documents
    - Procedure 2: Field inspection & Energisation of connection
- **Time:** For the period to be consider for DBR 2021 (i.e. May 2019 to April 2020), the electricity connections have been provided within 7 days where RoW permission is not required & within 14 days where RoW permission is required by Delhi DISCOMs.
- **The cost of getting electricity connection:** DERC vide order dt.23.10.2019 has reduced the cost for electricity connection for 150kVA consumers from Rs. 25,000/- to Rs. 15,000/-. For sanctioned load More than 5kW and up to 150kW the cost is (Rs. 3000 + Rs. 500 per kW or per kVA as the case may be for the load beyond 5kW), limited to a maximum of Rs. 15000/-.
- **Reliability of Supply:** Following steps are required for improvement of reliability of supply (SAIFI & SAIDI) in long term: Conversion from Overhead to Underground System, Dedicated corridors for laying Electrical network.
- **Steps taken by DISCOM's to improve SAIFI & SAIDI:** Upgraded from the conventional SCADA to Advanced Distribution Management System (ADMS). ADMS is an integrated platform with one user interface for SCADA, DMS, OMS, GIS, ERP, CRM, FFA and Meter Data Management System (MDMS). SAIFI - System Average Interruption Frequency Index, SAIDI- System Average Interruption Duration Index.
- **Formulation of Dig and Restore Policy:** Dig and Restore Policy has been formulated by PWD Department for granting Online Right of Way permission by boarding all the Road owing agency on the single portal i.e. PDM (Plan, Dig & Monitor) software by Delhi Govt.
- Government of the NCT of Delhi has notified self-certification for DISCOM's installations up to 33 kV in place of 650 V vide notification dated 04.01.2017
- Pole mounted transformers capacity enhanced from 250KVA to 500KVA as per CEA gazette notification dated 06.04.2015.
- **Simplification of Documentation for Getting New Electricity connection:** Only 2 documents required i.e. ID proof and ownership proof vide DERC order dated 12.05.2016.

- Revision of application form for Getting New Electricity connection by removing certificate details of Electrical contractor, Lift inspector & Fire services by DERC order dated 24.04.2017.
- New Connections up to 200 KW sanctioned load to be released at LT voltage level in place of 100KW only previously –Guidelines issued by DERC vide order dated 31.08.2017.
- Payment of Demand note for release of electricity connection in first bill for applicants taking supply at LT level vide DERC order dated 31.05.2019.
- Mandatory online applications in lieu of offline option for load above 50KVA as per DERC (Supply code and performance standards) Regulations 2017.

8. Reducing regulatory compliance burden:

Dept. of promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Govt. of India is Nodal Department for coordinating exercise of minimizing compliance burden on Industries/ business and on citizens. Department of Industries, GNCTD, is nodal agency on behalf of GNCTD. It is to identify further that which regulatory compliances, acts and rules can be repealed, simplified or made online. Thirteen services in consultation with DISCOMs were identified which required compliances from citizens of Delhi and referred to DERC for examining to reduce compliance burden on citizens.

Presently only one compliance has been identified for making it online. The reform is as under:

Dept.	Burdensome Act/Rule & Provision	Short Description	Compliance type	Action to be taken Renewals	Timeline
Delhi Electricity Regulatory Commission	Filing of Petitions under Section 142 of Electricity Act 2003 and other than section 142 of Electricity 2003 before the Hon'ble Delhi Electricity Regulatory Commission	DERC adjudicates on Petitions filed under Section 142 and matters other than under Section 142 of Electricity Act 2003	Filing of Petition	Implement e- filing petitions	31.03.2021

9. Renewable Energy and Sustainable Power Consumption

Various efforts are being made within Delhi towards harnessing renewable energy. The overarching national policy through the assigned Renewable Purchase Obligation (RPO) as well as the state level solar policy 2016 sets out clear targets for enabling the transition towards renewable energy. As per the RPO targets for Delhi, it needs to meet about 19% of its consumption from renewable by 2022. The Solar Policy 2016 estimates a solar energy potential of 2500 MW for Delhi and target implementation of 1995MW to be installed by 2025.

The Government of NCT of Delhi launched **"Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna"** to install Solar Panels in such a way that farmer(s) can do farming (s) beneath the solar panels. This scheme was devised to facilitate land owners to utilise their lands for economic uses by installing solar panels, thereby minimising misuse, unauthorised constructions and ensuring balanced development and retaining the green character of these areas. The farmer(s) of Delhi can get additional fixed income by installation of solar power plants. The salient features of "Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna" is as under:

- Solar Panels at raised structure of 3.5 meters to allow farming on agriculture land of peripheral Green Belt villages.
- No change of land use, farmer(s) to continue farming.
- No investment required from farmer(s), investment to be done by Solar Power Developer.
- Farmer(s) to get ₹ 8333/- per month per acre of land with an increment of 6% per annum upto 25 year, additionally, 6000 units electricity per annum per MW of plant
- Minimum capacity of Solar plant 1 MW, to be installed on 06 acres of land (approximately 1/3rd of the land to be covered by solar plant)
- Evacuation of power to be facilitated by DISCOMs.

Under "Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna" the Government Departments were envisaged as the power purchaser, assuming costly power generated through this scheme as solar power plants are to be installed at raised structure.

Further, Government of India launched a scheme named as **"Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan" or PM KUSUM scheme** under which solar power plants can be installed on agriculture land, barren land, pasturelands and marshlands of farmers. This scheme mandates power generated shall be purchased by DISCOMs at pre-fixed levelised tariff or tariff discovered through bidding. The salient features of PM KUSUM are as follows:

- PM KUSUM to be implemented through DISCOMs and DISCOMs are entitled for to get Performance Based Incentive @ 40 paise per unit purchased or Rs. 6.6 lakhs per MW of capacity installed, whichever is less, for a period of five years from the COD.
- Solar plant of capacity 500 KWp to 2 MW. In specific cases based on Techno-Commercial Feasibility smaller than 500 KWp are allowed.
- Power shall be purchased by DISCOMs. Furthermore, Power Department has envisaged merging both schemes for smooth implementation and benefit to stakeholders' viz. DISCOMs and Farmer(s).
- Delhi DISCOMs have been allocated 62 MW by MNRE, GoI under PM KUSUM scheme.
- Draft documents prepared and letters sent to DERC and Delhi DISCOMs for comments on mode of scheme execution, levelized ceiling tariff and draft PPA.

10. In respect of installation of Solar PVs on rooftop of group housing societies, only 59 societies have installed SPVs. There is a huge scope of installing SPVs in the remaining 1841 societies in NCT of Delhi. It is therefore proposed that all the remaining CGHS societies and other multi storied societies should be mandated to install solar rooftop plants. With Solar installation on government land, buildings, all private buildings, Delhi can generate about more than 2000MW of solar power. Further, SPVs can also be installed on canals and highways which would enable Delhi to meet 40% of peak demand of power through solar energy. Together with the renewable energy purchases, Delhi can meet more than 50% demand from renewable energy. To sum up, DDA requires to consider the following:
    - Making mandatory provision for Solar PV installation in existing buildings also.
    - Promote Solar PV installation on vacant land available with government agencies. This can also help in mitigating/eliminating encroachment problems.

11. **Building design and layout considerations for reduced demand of HVAC:**
    - Provision of HVAC to reduce peak load is there in ECBC – 2017 notified by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power, GoI.
    - Energy Conservation Building Code (ECBC) for commercial buildings was notified by BEE, GoI in 2007 and updated version was notified in 2017.
    - The Energy Conservation Building Code (ECBC), is a document that specifies the energy performance requirements for commercial buildings that have a connected load of 100 kW or greater or a contract demand of 120 KVA or greater that are to be constructed in India and is mandated by the Energy Conservation (EC) Act, 2001.

- ECBC encourages energy efficient design or retrofit of lightning & control fixtures in the existing buildings so that it does not constrain the building functions, comfort, health, or the productivity of the occupants and also have appropriate regard for economic considerations (life cycle costs i.e. construction + energy costs are minimized). ECBC defines the norms of energy efficiency of building equipments and takes into consideration the climatic region of the country, where the building is located. Norms have been developed to cater different climatic zones in India such as: Composite, Hot & Dry, Warm & Humid, Moderate and Cold.
- ECBC provides design norms for:
    - Building Envelop: It includes Thermal performance requirements for walls, roofs and windows except for unconditioned storage spaces or warehouses.
    - Comfort Systems & Controls: It includes the energy performance of heating, ventilating, air conditioning and service hot water & pumping and their controls.
    - Lighting & Controls: It includes interior and exterior lighting, day lighting and lamps & luminaries performance requirements.
    - Electrical and Renewable Energy Systems: It includes the energy performance of motors, transformers, DG sets, UPS and energy metering.
- ECBC can effectively be implemented by participation of various stakeholders such as DDA, PWD, MCDs, Council of Architecture, NBCC, DISCOMs, and Private Builders/Engineers/Architects etc.
- In Delhi, DDA prepares and notifies the Building Bye-Laws and provisions of ECBC-2007 have already been included in the bye-laws for some building types by DDA. So far DDA has included the provisions of ECBC in UBBL 2016:
- UBBL 2016 U/s 3.2, table 3.5 (4e), has made mandatory compliance measures (for all buildings having plot area from 50,000 m² to 1, 50,000 m²) as recommended in the Energy Conservation Building Code (ECBC) 2007 of the Bureau of Energy Efficiency, Government of India. However, there are no provisions for making ECBC mandatory (as a whole) for buildings except the area mentioned above, only few components of ECBC incorporated.
- Comprehensive mandatory provision is required to be included in the Delhi's Unified Building Bye-Laws (UBBL) 2016 which comes under purview of DDA. Previously, DDA was requested to incorporate provisions ECBC in Delhi's UBBL by DDA vide Secretary (Power) DO letter dtd: 01.09.2020. (copy attached)

- Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), GoI has also directed DDA vide OM dtd: 21.09.2020 to consider necessary amendments to include the provisions of ECBC guidelines in Unified Building Bye-Laws (UBBL).
- Further, Bureau of Energy Efficiency (BEE), GoI has also launched Eco-Niwas Samhita (ENS) for residential buildings and residential part of mixed land used projects build on plot area ≥ 500 square meters in 2018. In the first phase minimum standards for the building envelop was launched to limit heat gain or heat loss of the residential building comprising adequate day lighting potential and ventilation. BEE, GoI is developing Eco-Niwas Samhita part–II for setting up minimum standards for the Electromechanical Equipments for efficient use of energy in residential buildings, which may be released shortly. The provisions of ENS have to be incorporated in Unified Building Bye-Laws (UBBL).
- DDA is being continuously followed up by Power Department for making requisite amendments in UBBL to incorporate provisions of ECBC for commercial & residential buildings.
- It is proposed that DDA should urgently amend UBBL & incorporate the provisions of ECBC for commercial and residential buildings. It is also proposed to promote adoption of Energy Efficiency measures in electricity usage.

12. Installation of smart meters (by DISCOMS)

The planning for installation of smart meter by respective DISCOMs is as under:

S.No	DISCOM	Total Consumers (in lacs)	Total Smart meters installed (in lacs)	DERC approval taken (Nos. in lacs)
1	BRPL	27.3	(4881 numbers)	3
2	BYPL	17.7	(147 numbers)	1.7
3	TPDDL	18.2	2.1	7
4	NDMC	0.7	0.6	-
	Total	63.9	2.7	11.7

- Total Consumer base of Delhi : 63.9 Lacs
- Total Smart Meters installed : 2.7 Lacs
- Balance Smart Meters to be installed : 61.7 Lacs

- Each smart meter costs around Rs. 3000 and approx Rs 6000-7000 including overall logistics. Replacing all balance 61.7 lacs meters with smart meters under CAPEX model, the cost will be around Rs. 3700-4300 crores
- Under OPEX model of EESL, NDMC has installed 60000 meters for project cost of Rs. 61.68 crores for 8 years i.e. Rs. 10280 / consumer for 8 years.
- For balance 61.7 lacs consumers under OPEX Model based on NDMC estimation, the overall cost will be Rs. 6342 Crores for 8 years.
- For targeting all the consumers, DERC will be requested for an early order for approving CAPEX / OPEX model.
- Delhi DISCOMs shall also be asked to go for installation of smart meters for all consumers in NCT of Delhi in time bound manner.

Annexure – IX (a)

Norms for Land Size for different Grids / Substations:

I. GIS (66kV / 33kV)

The guidelines for plot size of GIS substations were framed vide minutes of meeting dated 12.09.2016. The guidelines are as under:

- 50m x 30m (Two side open and rectangular plot. Right of Way of 6m required)
- 55m x 30m (One side open (longer side of plot). Rectangular plot. Right of Way of 12m required)
- 40m x 50m (One side open (Shorter side of plot). Rectangular plot. Right of Way of 12m required)
- In case of irregular shaped plot or no parallel road to plot, the plot size will be decided on the basis of joint inspection of officials of DDA & DISCOMs.

II. DDA order dated 09.09.2003 for Air insulated Sub Stations:

- 185m x 160m: Plot size for 220kV sub stations. Size can be further reduced if 33kV / 11kV not required.
- 95m x 90m: Plot size for 66kV sub stations.
- 60m x 45m: Plot size for 33kV sub stations.
- 10m x 8m: Plot size for 11kV sub stations.

III. Reference for 11/0.4 kV DT Substation space requirement

- Clause 6(4) of Chapter on schedule of charges of DERC Supply Code 2017 read with amendments.
- SDMC Circular dated 30.03.2017 regarding provision of substation space.

Annexure – IX (b)

Clause 6(4) of Chapter on schedule of charges of DERC Supply Code 2017:

(4) The developer/applicant taking supply at Low Tension level for any premises or for re-constructed premises, requiring LT Service connections whose:

i. total cumulative demand of all floors in the plot/ building for LT service connection exceeds 100 kW/108 kVA; or

ii. total cumulative built up area of the premises in the plot/building exceeds 1000 sqm; or

iii. plot of size above 300 sqm or above; shall provide the space for installation of distribution transformers, as per the required load.

Provided that the minimum space required to be provided by the developer/applicant for installation of distribution transformers/ equipment shall be as per circular no. South DMC/0148/SE(B)HQ/Addl. ComI/17 dated 30.03.2017 notified by South Delhi Municipal Corporation or as amended from time to time, annexed at annexure IX (c):

Provided further that the existing consumer shall also be required to provide the space as above, in the event of:

i. enhancement of existing load on account of additional construction in the premises and consequently the total built up area exceeds 1000 sqm of the plot/building or their total LT Service connections demand exceeds 100 kW/108 kVA; or

ii. enhancement of load based on maximum demand readings for the electricity connections energized on or after 1.9.2017 and the total LT Service connections demand exceeds 100 kW/108 kVA;

Provided also that if the required space is not provided by the applicant or the developer, the distribution Licensee may refuse the grant of additional load:

Provided also that the consumer taking supply at LT voltage level, irrespective of its sanctioned load or the contract demand as the case may be, shall also provide the space to the licensee for installation of meter, and part of service line up to the point of supply, to the extent that would fall within his premises.

[Explanation: For the purpose of this sub-clause, the built-up area shall be as specified in the plan approved by the authorized agencies. In case, built-up area is not specified in the approved plan, the built-up area shall be taken as the carpet area plus the thickness of outer walls and the balcony]

Annexure – IX (c)

SDMC Circular on Provision of Spaces for Substation

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER-I
6TH FLOOR, DR. SHYAMA PARSHAD MUKHERJEE CIVIC CENTRE
JAWAHARLAL NEHRU MARG : NEW DELHI – 110002.

No.South DMC/Ø/48/SE(BMS)/Addl Comm/17 Dated: 30.03.2017

CIRCULAR

Subject : No requirement of NOC from Delhi Jal Board & DISCOM at the time of sanction of building plans under the Online System – EODB.

Under the "Ease of Doing Business" relating to construction permits, the requirement of NOC from Delhi Jal Board is not required as already communicated by the Chief Engineer (Plg.)W, D.J.B. vide letter No.DJB/CE(Plg)W/2016/138 dated 29.04.2016, stating therein that "*Since Delhi Jal Board is a service provider and provides water to the constructed buildings, issue of NOC from DJB for approval of plans / construction permits is not required*".

With regard to NOC from DISCOM, there is no need to submit the NOC for sanction of building plans. The built up space for transformer / equipments is to be provided in the plot as per Annexure "A", copy enclosed.

To have the uniformity in the process of Online Sanction of Building Plan, this may be applicable in all the three Municipal Corporations.

This is for necessary compliance by all concerned.

Additional Commissioner-I
South Delhi Municipal Corporation

Distribution:
1 Additional Commissioner(Engg.) – North & East DMCs
2 All Zonal Deputy Commissioners–South, North & East DMCs
3 Chief Town Planners –South, North & East DMCs
4 Chief Law Officers –South, North & East DMCs
5 Director (IT) – with the request to upload the above circular on the website and a copy of the circular be forwarded through e-mail to all empanelled Architects / Engineers / Supervisors.
6 All SEs(Bldg.)HQ –South, North & East DMCs
7 All EEs(Bldg.)HQ & Zonal EEs(Bldg.) –South, North & East DMCs
8 EE(OBPS), I.T. Deptt.
9 AE(OBPS) – to upload the same on Facebook page of EODB.

Copy to:
1 PS to Commissioner, South DMC – for kind information of the Commissioner.
2 Director (DIPP), Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi.
3 Special Commissioner of Industries, O/O the Commissioner of Industries, Govt. of NCT of Delhi, Udyog Sadan, Patpargang, New Delhi – for kind information.

Space for Electrical Installations

1.1 **Electric Sub-station** – The norms given in 1.1.1 and 1.1.2 shall be adopted for provision of space for sub-station.

1.1.1 Load calculation criteria based on construction area and applicable load norms

Category/Usage of premises	Applied/approved construction area* per 1000 Sq ft.	Load requirement as per applicable load norms
Domestic	1000 Sq. ft.	15 KW
Non Domestic	1000 Sq. ft.	25 KW
Industrial	1000 Sq. ft.	40 KW

** Construction Area = (Plot Area) * (FAR) else construction area as per building plan, whichever is maximum*

1.1.2 Space Requirements for Electrical Sub-Station

Sl No	Total Construction area (in Sq. m)	Calculated load as per construction area in KW	Space requirement for Utility (LXW)	Minimum space requirement for applicant (LXW) in casse of HT/ Utility in case of electrification	Total Space for Electrical Services in Bldg plan (Sq M)
1	Construction area is as per applied/approved bldg plan.	100 -200	4 M X 5.3 M		21
2		201-800	6 M X 3 M	4 M X 5.3 M	39
3		801-1500	6 M X 3 M	2* (4 M X 5.3 M)	60
4		1501-2200	6 M X 3 M	3* (4 M X 5.3 M)	82
5		2201-2900	6 M X 3 M	4* (4 M X 5.3 M)	103
6		2901-3500	6 M X 3 M	5* (4 M X 5.3 M)	124
7		>3500	Applicant shall approach utility for approval of space and layout		

Notes:

1. *In case of special/additional requirements of applicants such as double metering arrangement, N-1 contingency up to distribution transformers, automation etc. then the space requirement may vary. The same shall be considered with the approval of Utility/Licensee.*
2. *The floor of the sub-station shall have cable trenches of 0.6 m X 0.9 m (WXD), the layout for which will be given at the time of actual construction. This floor shall be capable to withstand minimum load of 10 tones of each transformer/switchgear/metering panel mounted.*
3. *Please refer enclosed ANNEXURE-I for additional specifications/requirement of electrical substation*

ANNEXURE-I

1. **Distance from Electrical lines / Structure :** Substation space shall taken care the minimum clearances as per below table

Description	Vertically	Horizontally
Low and Medium Voltage up to 650 V	2.5 M from the highest point	1.2 M from the nearest point
High Voltage lines up to 33 kV	3.7 M	2.0 M
Extra High Voltage lines beyond 33kV	3.7 M Plus 0.3 M for every additional 33kV or part thereof	2.0 M Plus 0.3 M for every additional 33kV or part thereof

2. **Specifications and location of Substation**

a. The substation should preferably be located in separate building within the plot and could be adjacent to the generator room, if any. Location of substation in the basement floors should be avoided, as far as possible.

b. The ideal location for an electrical substation for a building or a group of buildings would be at the electrical load centre on the ground floor. The floor level of the substation or switch room shall be above the highest flood level of the locality. Generally the load centre would be somewhere between the geometrical centre and the air conditioning plant room, as air conditioning plant room would normally be the largest chunk of load, if the building is air conditioned.

c. The gate shall open towards outside of the room and shall be painted black.

d. The approach road shall be minimum 4 meter wide up to substation from the entry gate and height should not be less than 4 meter.

e. No service such as sewer, air conditioning, water, gas pipes etc. should pass the Electrical Substation (ESS) or the cable trench provided in/outside of ESS.

f. There should not be any basement/underground water tank or any construction beneath the ESS proposed but relaxation may be accepted subject to submission of certificate from license structure engineer, clearly mentioning that the floor above the basement or water tank can withstand the load of BRPL equipments to be installed inside the substation.

g. The structure provided for ESS should be weather and fire proof of above referred dimension and should be free of any kind of seepage/leakage. There should be no combustible material kept in side or in the vicinity of ESS.

h. The above mentioned space requirement does not cover the installation of consumer part.

i. Substations with oil filled equipment will require great consideration for the fire detection, protection and suppression. Oil cooled transformers require a suitable soak pit with gravity flow to contain the oil in the event of the possibility of oil spillage from the transformer on its failure. Substations with oil filled equipment shall be located at ground floor only. Such substations with high oil content may be housed in a separate service building or a substation building, which is not the part of multi-storied building.

j. **In case electric substation has to be located within the main multi-storied building itself for unavoidable reasons, then it should be located on the floor close to ground level, but shall have direct access from the street for operation of the equipments.** The provision for installation and removal of substation equipments may be provided from inside the building.

ANNEXURE X: SERVICE PLAN - DELHI TRANSCO LIMITED (DTL)

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
पंजीकृतकार्यालय: शक्तिसदन, कोटलारोड, नईदिल्ली -110002

DELHI TRANSCO LIMITED
(A Govt of NCT of Delhi Undertaking)
Regd office : Shakti Sadan, Kotla Road, New Delhi – 110 002
CIN: U40103DL2001SGC111529

No. F.DTL/202/Oprns.plg/DGM(Planning)/20-21/F-18/46 Dated: 16.12.2020

Vice Chairman
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, INA
New Delhi-110023
Email:- vcdda@dda.org.in

Subject: Perspective Plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041).

Respected Sir,

This is in reference to your letter no. F.18 (7)2018-MPD-159 dt. 16.07.2020, regarding preparation of perspective Plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041.

In this context, DTL has attended various meeting earlier for "POWER" Base lining Group for MPD-2041 organized by DDA. During these meeting, DTL has presented "Norms/infrastructure/challenges etc. of Transmission Network.

For the preparation of perspective plan for Delhi power transmission network, a load growth around 4% for developed area, 2% for NDMC area and 7% developing area like Dwarka has been considered. Further, the areas which are going to be developed under DDA land pooling policy, a thumb rule being practices in Power sector, for catering power requirement for 16-20L urban population, 1 no. 400k220kV substation and 3 nos. 220kV substation has been considered for ensuring the system reliability.

Accordingly, a DDA zone wise perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) has been prepared and enclosed herewith. The downstream network (66kV, 33kV, 11kV) as Power Distribution Services for Delhi is required to be provided by the concerned DISCOMs of Delhi.

Pankaj

JAS-ANZ BSCIC ISO 9001 REGISTERED

Office: Dy. General Manager (Planning)
First Floor, Shakti Deep Building, Anarkali Market Complex, Jhandewalan, New Delhi – 110055
Ph: 23520106 Fax: 23622707 Email: dgmplanning.dtl2016@gmail.com
Visit us at www.dtl.gov.in, www.delhisldc.org

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
पंजीकृतकार्यालय: शक्तिसदन, कोटलारोड, नईदिल्ली -110002

DELHI TRANSCO LIMITED
(A Govt of NCT of Delhi Undertaking)
Regd office : Shakti Sadan, Kotla Road, New Delhi – 110 002
CIN: U40103DL2001SGC111529

The summary of perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) as under:-

Voltage Level	No. of Existing substations	No. of proposed substations (under pipeline or execution)	No. of proposed substations (MPD-2041)	Associated ROW requirement
765kV	01	01	02	67m ROW for overhead (O/H) Transmission line (T/L)
400kV	07 (including Mandola)	03	09	52m ROW for overhead (O/H) Transmission line (T/L)
220kV	41	04	37	35m ROW for O/H T/L or 2x2 mtr for U/G Cable.

In view of the above, it is requested to earmark/allocate land/ROW in Master Plan of Delhi-2041 as per DTL perspective plan for establishment of Power transmission infrastructure (enclosed).

Thanking you.

Enclosures:- as above

Pankaj 16/12/2020

(Pankaj Kumar Vijay)
Dy. General Manager (Planning)

JAS-ANZ BSCIC ISO 9001 REGISTERED

Office: Dy. General Manager (Planning)
First Floor, Shakti Deep Building, Anarkali Market Complex, Jhandewalan, New Delhi – 110055
Ph: 23520106 Fax: 23622707 Email: dgmplanning.dtl2016@gmail.com
Visit us at www.dtl.gov.in, www.delhisldc.org

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DELHI TRANSCO LIMTED (A Govt. of NCT of Delhi undertaking)

1. PROJECTED POWER DEMAND – 2041

As per the trends indicated by Department of Power, GNCTD, the power demand by 2041, is projected to reach 63,389 MU. Peak demand is likely to increase to 19,070 MW. Based on this it is estimated that the total installed capacity would also need to be increased threefold up to 21,930 MW (15% over and above the estimated peak demand). The current installed capacity for Delhi is 7,901 MW thus an additional installed capacity of 14,029 MW needs to be added in the coming plan period. The following Renewable Purchase Obligation targets have been set by MNRE for Delhi- 19% by 2022, 38.5% by 2031 (based on 450GW national target by 2030) and 50.5% by 2041 (further projection of 2030 targets). The total power consumption needs to be met from renewable energy based on these targets. Strategies shall be developed and efforts shall be made along with DISCOMs to meet the set targets.

Areas that are going to be developed under land pooling policy, a thumb rule being practiced in the power sector for catering power requirement for 16-20L urban population, 1 no. 400-220kV substation and 3 nos. of 220kV substation has been considered for ensuring the system reliability. Downstream network (66kV, 33kV and 11 kV) as Power Distribution services for Delhi is required to be provided by the concerned DISCOMs in Delhi.

Table 7: Abstract of total Substation requirements (765/400/220kV)

Sl. No.	Voltage Level	No. of Existing Sub-Stations	No. of Proposed Substations (under execution)	No. of Proposed Sub-Stations	Associated RoW Requirement
1.	765 kV	1	1	2	67m RoW for overhead transmission line
2.	400 kV	7 (Including Mandola)	3	9	52m RoW for overhead transmission line
3.	220 kV	4	4	37	35m RoW for overhead transmission line or 2X2 mtr for UG cable

Table 8: Zone-wise-Perspective Plan for Power Transmission Services (765/400/220 kV) for Delhi MPD 2041

ZONES	Existing 400/220 kV substation	Voltage Level	Requirement for MPD 2041	Tentative area required (in sqm)	Requirement by the Year	Remarks
Zone - A	NIL No ESS in this zone	-	-	-		
		220/33 kV Installed capacity 400 MVA	Asaf Ali Road (Wall city)	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2027	This will provide power to New Delhi railway station, Delhi Metro Rail and upcoming multi story development.
Zone - B	Dev Nagar (Karol Bagh)	220/33 kV	Under construction			
		400/220/33 kV	IARI Pusa/ Dev Nagar	200 x 200 sqm (40000 sqm)	2025	All the existing 400 KV station in Delhi are at the outer part of Delhi. Due to non-availability overhead corridor, power is being transmitted through underground cables. The 220kV underground cables have the limitations of shorter length and power carrying capacity.

						Therefore, a strong source of 400 kV level has become the urgent requirement in central part of Delhi. IARI PUSA are seems that 400 KV substation can be established for power requirement of central Delhi.
Zone-C	Sabji Mandi	220/33 kV	Existing			
	Sanjay Gandhi Transport Nagar (SGTN)	220/66 kV				
	Gopal Pur	220/66 kV-33kV				
	Timar Pur	220/33 kV	Under construction			
	Gopal Pur	400 kV	Up-gradation in under tendering			
	New proposal to be included in MPD-2041					
		220/33 kV (400 MVA)	Azad pur	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm	2031	This substation will be required to cater the natural growth of nearby area and will provide the relief to existing Gopal Pur (33 kV level) and sabji Mandi area
Zone-D	Electric Lane (Harish Chandra	220/33 kV		-	-	

	Mathur Lane)					
	Lodhi Road	220/33 kV				
	Park street	220/66-33 kV				
			Sarojini Nagar	10000 sq.mt	2023	NDMC is in process of Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Neetajee Naga, Nauroji Nagar & Sarojini Nagar through NBCC. NBCC has earmarked a piece of land for establishment of 220 kV substations.
Zone-E	Harsh Vihar (East of Loni Road)	400/220/66 kV	**Existing Substation**			
	Patparganj	220/66-33 kV				
	Gazipur	220/66 kV				
	Preet Vihar	220/33 kV				
	Geeta Colony	220/33 kV				
	New proposal to be included in MPD-2041					
		220/33 kV	Dwarka Puri/ Shahdara/ Welcome colony	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	Immediate	This proposed substation has been planned for future development to meet the industrial; and residential load growth around

						Shahdara, Welcome Colony, Seelampur, Jafrabad etc.
		220/66 kV	GTB Hospital/ Dilshad Garden/ Nand Nagari	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2025	This proposed substation has been planned for future development to meet the industrial and residential load growth around Jhilmil, Dilshad garden, Nand Nagri etc.
		400/220 kV	Geeta Colony	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2025	DDA may allot an area near existing 220 kV DTL Geeta Colony substation from where 440 kV Transmission line can easily be connected. Therefore, no separate corridor for 400kV transmission line is required.
		220/33 kV	Mayur Vihar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2027	This proposed sub-station is for future development to meet the industrial and residential load growth around Mayur Vihar area.
		220/66 kV	Yamuna	Being the	2038	This proposed

			Vihar/ Loni Road	land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.		sub-station is for future development to meet the industrial and residential load growth around Yamuna Vihar area.
Zone-F	Masjid moth	220/33 kV	Existing			
	AIIMS	220/33 kV				
	Sarita Vihar	220/66 kV				
	R K Puram	220/66-33 kV				
	Vasant Kunj	220/66 kV				
	Okhla	220/66-33 kV				
	Tughlakabad	400/220/66 kV				
	Ridge Valley	220 kV				
	BTPS	220/66 kV (480 MVA)	Under tendering (65 kV level)			
	New proposal to be included in MPD-2041					
		400/220 kV	Near Sarita Vihar/ BTPS	200 x 200 sqm (40,000sqm)	2032	To meet the long-term load requirement of south Delhi area.
		220/ 33 KV (300 MVA)	Nehru Place	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	Immediate	The location has already been earmarked by DDA for establishment of 220/33kV ESS but land has not been handed- over to Power Dept. / DTL yet.
		220/ 33 KV	Malviya Nagar	Being the land scarcity	2027	During recent communication

		(300 MVA)		in the area, minimum area required 7000 Sqm		with DDA has informed that there is earmarked plot for ESS of area of about 3100 sqm in Malviya Nagar. After going through the DDA offer, the plot size is not sufficient. Therefore, it is requested to increase the plot size or earmarked sufficient area for 220 kV ESS at nearby area.
		220/66KV (480 MVA)	West of JNU	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2036	This ESS will provide relief to existing 220 KV ESS (Vasant kunj) and will help to manage the load growth. DDA may kindly earmark an area near Priya PVR area, for easy evacuation of power.
		220/66KV (480 MVA)	Jasola	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2038	The ESS that will provide relief to existing 220 KV ESS (Sarita Vihar and Okhala) and upcoming BTPS and will help to manage the load growth.

						DDA may kindly earmark an area near Okhla waste to power generation plant
ZONE-G	Peeragarhi	220/ 33 KV	Existing			
	DIAL	220/ 66 KV				
	Naraina	220/ 33 KV				
	Budella	220/ 66 KV	Under tendering			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/33KV (400 MVA)	Punjabi Bagh	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	Immediate	This ESS is top priority to meet the load growth of the area, a 220 KV ESS implementation is must. DDA may kindly earmarked an area near the road crossing of MG road and Vashisht Kumar Gulla marg (Vacant land) for easy evacuation of power.
		220/ 66 KV	Aero City	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2025	To cater the load growth of commercial hub ground airport
		220/33 KV (400 MVA)	Janakpuri (Pankha road)	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2029	This will provide relief to existing Panjabi Bagh & Naraina ESS and will help to manage load growth. DDA may kindly

						earmark an area between C3 road and C2 park (vacant land) for easy evacuation of power.
		220/33 KV (400 MVA)	Hari Nagar/ Pratap Nagar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2041	This will provide relief to existing Papankalan-I & Naraina ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. DDA may kindly earmark an area near bus depot at Pratap nagar (vacant land) for easy evacuation of power.
		220/33 KV (400 MVA)	Kirti Nagar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2032	This ESS is required to meet the load growth of existing area.
ZONE-H	Rohini-I	220/ 66 KV	Existing			
	Wazirpur	220/ 33 KV				
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/66 KV (520 MVA)	Rohini Sector-1	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2038	This will provide relief to existing Rohini ESS and will help to manage load growth up to 2041 & beyond. DDA may kindly earmark an area near the

						existing NDPL grid in this sector.
		220/33 KV (400 MVA)	Ashoka Vihar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2029	This will provide relief to existing Shalimar Bagh and Wazirpur ESS and will help to manage load growth up to 2041 & beyond.
ZONE-J	Mehrauli	220/66 KV	Existing			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		765/400 (220 kV)	Mandi Village	400x 400 Sqm. (160,000 Sqm.)	2030	One 765 kV is required to meet the load growth of south Delhi, will provide grid power to existing and proposed 400 KV ESS. This proposed substation is planned at Mandi Village. This substation is required for major source of power supply to new developing as well as existing area at the south boundary of Delhi. DDA is also requested to provide RIGHT

						of Way for 765 KV ESS from existing Agra-Jhatikara 765 KV transmission Line.
		420/220 kV/ 66kV	Rang Puri	200x 200 Sqm. (20,000 Sqm.)	2027	To provide the 220 KV source to Vasant Kunj and future load growth of nearby area.
		220 KV	Maidan Garhi	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2024	This will provide relief to existing Mehrauli & Okhla ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. The location may be earmarked by DDA near/ beneath DTL 220 KV Mehrauli-Tughlakabad overhead Line.
		220 KV	Aya Nagar	10000 Sqm.	2028	This will provide relief to existing Mehrauli ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. Further DTL has no 220 KV ESS in this south area to cater to the future load growth.

		220 KV	Fatehpur beri/ Asola	10000 Sqm.	2032	This will provide relief to existing Sarita Vihar & Okhla ESS load growth up to 2021 & beyond will be very difficult to meet without this proposed substation. DDA may kindly earmark an area near Tughlakabad industrial area.
		220 KV	Bhati Mines	10000 Sqm.	2038	This will provide transformation capacity to meet the load growth of this extreme south corner of Delhi.
ZONE-K-1	Najafgarh	220/66 KV	Existing			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220 KV	Bakkarwala	10000 Sqm.	2027	DDA may earmarked an area to meet the load growth due to new residential colonies like Lok Nayak Puram and other industrial developments are also proposed in this rea. It will much better, if an area may kindly

						be earmarked near pocket-c of Lok Nayak Puram (vacant land), for easy evacuation of power as the rea is closer to existing 220 kV EHV overhead line
		220 KV	Dichoan Kalan	10000 Sqm.	2036	This 220 KV ESS will be required for long-term load requirement.
ZONE-K-II	Bamnauli	400/220 kV	Existing			
	Papankalan-I	220 KV				
	Papankalan-II	220 KV				
	Papankalan-III	220 KV				
	Dwarka sector-5	400/220 kV	Under Execution (400 kV level)			
	Bharthal	220/66 KV	Under tendering			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/66 KV	Dwarka Sector- 23	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2034	The load growth is very in this zone. Therefore, this ESS will be required to cater the load in long term.
ZONE-L	Jhatikara	765/400 KV	Existing			
	Tikri kalan	400/220 kV/ 66kV				

	New Proposal to be included in MPD-2041					
		400/220 kV/ 66kV	Jhatikara	200x 200 Sqm.	2023	This zone has been notified to develop under DDA land pooling scheme. These substations are required to cater the load of proposed to be developed under land pooling scheme. Further, DDA is requested earmarked the ROW for 400 KV and 220 KV overhead transmission lines.
		400 KV	Mitraon	200x 200 Sqm.	2036	
		220 kV	Mundela Khurd	10000 Sqm.	2040	
		220 kV	Chawala/ Tejpur	10000 Sqm.	2030	
		220 kV	Dhansa	10000 Sqm.	2030	
ZONE-M	Rohini-2	220/66 kV	Existing			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		400/220 kV/ 66kV	Barwala Sector- 37	200x 200 Sqm. (40,000 Sqm.)	2026	This will meet the demand of land pooling area of zone- N and growing demand of Rohini area
		220 kV	Begampur	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2034	No area has been earmarked at this area, but the load growth of residential colonies of sector-21, 22, 41 Begaumpur, Pratap vihar and other

						developments are also to be met through this proposed ESS. So, DDA may kindly be requested to allot an area in this zone, positively to meet the load. It will much better, if an area may kindly be earmarked near existing 66 KV ESS at sector-22 Rohini (vacant land) for easy evacuation of power, as the rea is closer to existing 220 KV EHV overhead line.
ZONE-N	Kanjawala	220/ 66 KV	Existing			
	765 KV Narela	Under planning ISTS				
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		400 KV	Chandpur	200x 200 Sqm.	2033	Already earmarked in MPD-2021
		220 kV	Nizampur	10000 Sqm.	2036	DDA may allot an area near Daryapur/ Bazidpur to cater to the proposed kanjhaala industrial area.
		220 kV	Qutub Garh	10000 Sqm.	2041	DDA may allot an area near

						nizampur to cater to the proposed kanjhaala industrial area also DTL do not has any 220 KV ESS at this western area to cater to the load growth.
ZONE-O	Wazirabad	220/ 66 KV	Existing			
	Kashmiri Gate	220/ 33KV				
	Rajghat	220/ 33KV				
	IP power	220/ 33KV				
	Pragati Power	220/ 66 KV				
	Maharani Bagh	400/220 kV/ 66-33kV	400/220 KV is existing and creation of 66 KV 33 KV Level is under tendering.			
	IP Power	400 KV	Upgradation of existing 220 KV will be done in due course of time.			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/66 KV	Karawal Nagar/ Sabha Pur (beneath of existing DTL 220 KV overhead transmission line)	10000 Sqm.	2028	DTL do not has any ESS on this North Part of Delhi, only one distribution substation of BYPL is there. To meet the load growth of soniya vihar, Karawal Nagar, Sabha pur, shiv Vihar etc. area, an area may be earmarked for future developments along the Pusta & Beneath of

						existing DTL 220 KV overhead transmission line (Mandola-Wazirabad- two lines). So that, no separate corridor could be required of connectivity to this.
ZONE-P-I	Bawana	400/220 kV/ 66 kV	Existing			
	Narela	220/ 66 kV				
	DSIIDC Bawana	220/ 66 kV				
	Tikri kurd	400/220 kV/ 66 kV	The project is proposed to be commissioned by year 2023 on land allocated by DDA.			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/ 66 kV (480 MVA)	Holambi Kalan	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Holambi Kalan to cater to the industrial area also with 35 m ROW corridor for overhead transmission line as this area has under development.
		220/ 66 kV (480 MVA)	Budhpur	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Budhpur to cater to the industrial area around around siraspur, budhpur, Chandpur etc. to cater to the load growth.

		220/ 66 kV (480 MVA)	Bankner Village	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Banker to cater to the industrial area around DSIIDC Bawana and Narela etc. to cater to the load growth of residential areas around this location. If possible, DDA may allocate a land near Bankner village area, just beside the existing 220 KV EHV line.
ZONE-P-II	**New Proposal to be included in MPD-2041**					
		765/400 kV/ 220 kV	Palla Village	400 m X 400 m (160,000 Sqm.)	2041	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. This sub-station is required for major source of power supply to new developing as well as existing area at the North boundary of Delhi. DDA may allot the land near to the Yamuna Bank and border of Delhi.

		220 kV	Burari	10000 Sqm.	2026	Load demand of nthhu Pura, Burari, Sant Nagar is growing in rapid rate. This substation will provide the relief to existing Gopal pur substation. DDA may allot the land near DTL existing lines. Note: Although the location has been earmarked in MPD-2021.
		220 kV	Mukhmel pur Village	10000 Sqm.	2032	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. DDA may allot the land near DTL existing lines. Note: Although the location has been earmarked in MPD-2021.
		220 kV	Mohmadpur Village		2041	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. DDA may allot the land near DTL existing lines.

ANNEXURE XI: SERVICE PLAN - INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED, NEW DELHI.

From: **kumar, Sushil (सुशील कुमार)** <sushil.kumar@igl.co.in>
Date: Fri, Apr 9, 2021 at 4:42 PM
Subject: Proposed Data for MPD 2041
To: leenu.sahgal91@dda.gov.in <leenu.sahgal91@dda.gov.in>
Cc: Manisha Gupta <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, hitender.bharti98@dda.gov.in <hitender.bharti98@dda.gov.in>, ktiwari@niua.org <ktiwari@niua.org>, nrajadhyaksha@niua.org <nrajadhyaksha@niua.org>, lsharma@niua.org <lsharma@niua.org>, bjohn@niua.org <bjohn@niua.org>, Batra Ashim (अशीम बत्रा) <ashim.batra@igl.co.in>, Bhatia, Sanjeev Kumar (संजीव कुमार भाटिया) <sanjeevk.bhatia@igl.co.in>

Dear Madam,

Please find attached Service Plan of IGL for Gas infrastructure in Delhi. Requesting you to please incorporate the same within the service plans of MPD 2041.

Regards,

Sushil Kumar

DGM (CNG Marketing)

9871659933

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)

Government of India is keen on making India a Gas based Economy – Aiming to push share of natural gas in energy basket from present 6% to 15% by 2030. Going ahead there is a need to lay greater emphasis on using cleaner fuels such as PNG & CNG and discouraging the use of polluting fuels such as FO, LSHS, Coal etc. The growing prices of diesel is resulting into decline in production of diesel variants & launching of more and more CNG variants by vehicle OEM's.

There are opportunities of expanding existing LNG infrastructure. There is also a huge potential for converting in-use diesel trucks/buses to LNG in Delhi. IGL may cash-in the opportunity to create EV infrastructure at existing CNG stations. New Segments such as E-Rickshaws/Two Wheelers can be tapped under battery swapping facilities, being planned by IGL.

Below is the projected growth in CNG, Industrial, Commercial and Domestic sales volumes for the next 5 years. Considering the growth dynamics in the sector, IGL shall update its service plan once every 5 years.

Table 9: Segment wise projected growth in sales volume (MMSCMD)

Sl. No.	Segment/FY	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	CAGR
1	CNG	4.06	4.51	5.01	5.56	6.17	11%
2	Industrial	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	14%
3	Commercial	0.11	0.12	0.14	0.15	0.17	13%
4	Domestic	0.32	0.40	0.49	0.61	0.76	24%
Total		4.62	5.18	5.81	6.51	7.32	
MMSCMD: Metric Million Standard Cubic Meter per Day							

Table Source: IGL

CNG: At present there is a shortfall of 35 CNG Stations in Delhi (area required for each station is approx. 1080 sqm); refer Annexure XI (a) for details of area wise requirements. In the next 5 years, 110 new CNG Stations are planned (excluding land pooling zones) and about 20 Nos. of Field Regulatory Station is required in the next 5 years (area required for each station is approx. 100 sqm). The area requirements for a Mother Station is 3000 sqm and for an Online Station is 1080 sqm. Below is the zone wise CNG station requirements for land pooling areas:

Table 10: No. of new CNG stations required for each zone

Sl. No.	Zone name	No. of CNG stations proposed
1.	K1	5
2.	L	10
3.	N	5
4.	P2	4
Total		**24**

Table Source: IGL

PNG: IGL currently has 9, 66,098 households connected with PNG in Delhi (up to 31.10.2020). 9 lakh households are planned to be connected to PNG in the next 3 years.

Annexure XI (a): Land Requirement for CNG Stations

S.No.	Particular area	Stretch Route Description
1	Ring road Bypass	From Pragati Maidan CNG station to ISBT Kasmiri gate
2	Ring road Bypass	From ISBT to Dheerpur CNG Station
3	Inner Ring road	From Burari Chowk to IGL Shakurpur CNG Station
4	Outer Ring road	From Dheerpur CNG station to Jahangirpuri CNG station
5	Outer ring road	From Janakpuri District Centre to Madhuban Chowk
6	North Central Delhi	Rajouri to Connaught Place (both sides)-1
7	North Central Delhi	Rajouri to Connaught Place (both sides)-2
8	South Delhi	From Hari Nagar Ashram to RKP 12
9	Outer Ring Road	From Rohini Sector 19 CNG Station to Metcalfe House CNG Station
10	Ring Road area	Mayapuri Metro Station to IGL Sarojini Nagar Station
11	Badarpur Border	From Faridabad Delhi Border to CRRI (towards Delhi)
12	South Delhi	RKP 3 to Nehru place (Both sides of the road)
13	South Delhi	Kalkaji to Andrews Ganj Via Chirag Delhi (Both Sides)
14	South Delhi	Sri Aurobindo Marg to Lado Sarai Hybrid(Both Sides)
15	South Delhi	RKP 12 to Brar Square (Both sides of the road)
16	Mehrauli Badarpur road	Mehrauli to Sarvodaya Enclave (Both Sides)
17	Main Chattarpur road	KR Hospital to Satbari
18	Mehrauli Gurugram road	Mehrauli to Indian Oil Janta Filling Station (Both sides)
19	Lajpat Nagar/Defence Colony	From The Oberoi to Moolchand Flyover Via Lala Lajpat Rai Road
20	South Delhi	August Kranti Marg (Both sides)
21	South Delhi (SDMC)	Kalkaji to Andrews Ganj via Greater Kailash
22	Defence Colony, SDMC, Delhi	Bhisma Pitamah Marg(Both Sides)
23	South East Delhi(SDMC)	Batla House Market, Near By Area
24	South Delhi	Moolchand to Pushpabhawan(Both sides of the road)
25	NH-8	NH8 (Dhaula Kuan to Rajokri), Both Sides
26	South Delhi	AIIMS to Ashram on Ring Road (Both Side)

ANNEXURE XII: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY, GNCTD

GOVT. OF NCT OF DELHI

DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY

9TH LEVEL, 'B' WING, DELHI SECRETARIAT,

NEW DELHI – 110002.

From: **munish** <munish.sharma@semt.gov.in>
Date: Fri, Apr 9, 2021 at 3:47 PM
Subject: MPD - 2041 - Draft Report
To: <leenu.sahgal91@dda.gov.in>, <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, <hitender.bharti98@dda.gov.in>, <lsharma@niua.org>
Cc: PRINCE DHAWAN IAS <prince.dhawan@ias.nic.in>, Santulan Chaubey <santulan@gov.in>, <secyit@nic.in>

Dear Sir / Ma'am,

Please find attached the draft report from IT department on MPD 2041. The proposal has gone to Hon'ble Minister for seeking approval.

Regards

Munish Sharma

IT Department, GNCTD, SeMT.

MPD 2041_final 9.4.2021-SS_ver3.pdf
394K

From: **munish** <munish.sharma@semt.gov.in>
Date: Fri, 9 Apr, 2021, 21:59
Subject: RE: MPD - 2041 - Draft Report
To: <lsharma@niua.org>
Cc: leenu sahgal <leenu.sahgal91@dda.gov.in>, Manisha Gupta <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, hitender kumar bharti <hitender.bharti98@dda.gov.in>, PRINCE DHAWAN IAS <prince.dhawan@ias.nic.in>, Santulan Chaubey <santulan@gov.in>, Amit Singla <secyit@nic.in>, <bjohn@niua.org>, <ktiwari@niua.org>, <nrajadhyaksha@niua.org>

Dear Lovesh ,

We got the approval from Hon'ble Minister , no change. For your info please.

Regards

Munish

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY, GNCTD

Perspective plan for making Delhi digitally enabled as per National Digital Policy:

1. Creating a Robust Digital Communication Infrastructure

- Provide Universal broadband connectivity at 1Gbps to every citizen
- Enable fixed line broadband access to 100% of households
- Achieve 'unique mobile subscriber density' of 100% by 2041
- Enable deployment of public Wi-Fi Hotspots; to reach
- Ensure connectivity to all uncovered areas

2. Implementing a 'Fibre First Initiative' to take fibre to the home, to enterprises and to key development institutions e.g. schools, colleges, hospitals.

- Promoting collaboration models involving state, local bodies and private sector as necessary for provision of shared duct infrastructure in municipalities, rural areas and national highways.
- Facilitating Fibre-to-the-tower programme to enable fiberisation of 100% of telecom towers thereby accelerating migration to 4GB/5GB.
- Incentivising and promoting fibre connectivity for all new development construction.

3. Establishment of a GNCTD Digital Grid:

- Establishing Common service ducts and utility corridors in GNCTD and highway road projects, and related elements.
- Facilitating development of Open Access Next Generation Networks

4. Ensuring a holistic and harmonised approach for harnessing Emerging Technologies

- Synergising deployment and adoption of new and emerging technologies by:
  - i. Creating a roadmap for emerging technologies and its use in the communications sector, such as 5G, Artificial Intelligence, Robotics, Internet of Things, Cloud Computing and M2M.
  - ii. Simplifying licensing and regulatory frameworks whilst ensuring appropriate security frameworks for IoT/M2M/future services and network elements incorporating international best practices.
  - iii. Earmarking adequate licensed and unlicensed spectrum for IoT / M2M services
- Enabling Hi-speed internet, Internet of Things and M2M by rollout of 5G technologies.
- Establishing GNCTD as a hub for cloud computing, content hosting and delivery, and data communication systems and services.
- Leveraging Artificial Intelligence and Big Data in a synchronized and effective manner to enhance the overall quality of service, spectrum management, network security and reliability.
- Information provided in the plan enclosed Establishing Centres of Excellence including in Spectrum Management, Telecom Security and Next Generation Access Technologies.

5. **Promoting Start-ups and SMEs:**

- Supporting Start-ups with various fiscal and non-fiscal benefits, including:
- Academic collaborations, permissions for pilots and testing, concessions on imported software, mentoring support etc.
- Promoting participation of Start-ups and SMEs in government procurement
- Funding pilot deployments through USOF

6. **Setting up of virtual schools:** Govt. of NCT of Delhi will set up virtual schools to provide another channel to the public to pursue with getting education and skills in a formal virtual schooling.

7. **Digital Delivery of Government Services:** Government of NCT of Delhi will provide all its Government services to the citizens online as well as through mobile. The delivery of these services will be through secured Digi-Locker system. The citizen will use either web portal or UMANG platform to get the Government services.

8. **Promotion of IT/ITES:** Government of NCT of Delhi has already announced its policy to remove polluting industries from Delhi. Delhi Government will promote clean environment industries like IT and IT enabled services in Delhi.

9. **Plans for provision of Public Wi Fi:** In the current Wi Fi schemes of providing free wi-fi to the citizens of Delhi rental model is adopted. In this scheme all the bus stops (about 4000 in Nos) are covered. The data limit per user is 15 GB per month. By 2041, GNCTD, Delhi can plan to cover all the area with Wi Fi. This includes the Wi Fi access in all public vehicle and public place including schools, colleges, hospitals etc. The bandwidth at WiFi, Hotspots can go up to the speed of 1 GBPS per user. All the security concern should be taken care while planning the complete Wi Fi network for GNCTD. Smart Poles is the way forward to accelerate the growth.

10. Key infrastructure or special projects identified during the plan period, along with details of projects and their timelines:

- **A digitally enabled and connected city:** Delhi shall need adequate infrastructure provisions to support the advent of higher service levels like network of 5G and above, full city fibre coverage, further integration of city's digital systems with loTs (Internet of Things), Artificial Intelligence (Al), Cloud Computing and Big Data etc. The highly equipped and digitally smart unified command and control centres set up by the local bodies can be the key drivers for effective urban management of Delhi.
- With increased level of digitalization, data centres may be setup to meet the need for data storage, server management, etc. Such data centres may be developed by public and/or private agencies and can come up in industrial land use as per provisioned
- Connectivity through fibre-optics is considered to be more efficient in terms of internet speed and reliability of services, "Fibre First Initiative" of NDCP 2018 and regulations of ROW Policy 2016 will facilitate augmentation of telecom infrastructure. Implementation of optic fibre shall be through collaborative models involving state government, local bodies and private sector as required for provision of shared telecommunication infrastructure.

- Smart poles may be installed in public areas, comprising of CCTV cameras, air pollution monitoring sensors, telecom antenna, Wi-Fi hotspots/ microcells, solar lighting, public address and messaging systems, emergency call box etc., which in turn shall be connected to the digital systems of various city agencies.

11. Back-up plan for connectivity during emergencies/ disasters

Developing a comprehensive plan for network preparedness, disaster response relief restoration and reconstruction

- Strengthening network resilience by:

  i. Framing and enforcing standard operating procedures to be followed during disasters and natural calamities, including sectoral guidelines for disaster response and recovery applicable to various service providers.

- Developing a Unified Emergency Response Mechanism by:

  ii. Creating an institutional framework with clearly defined roles and responsibilities,

  Standard Operating Procedures and technical guidelines

  iii. Enforcing obligations of service providers to share infrastructure, and ensure interoperability in emergency situations in a network-agnostic, operator – agnostic and technology-agnostic manner.

दिल्ली मुख्य योजना-2041 का ड्राफ्ट पाठ दस्तावेज और भूमि उपयोग प्लान उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में रिसेप्शन डेस्क विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 पर उपलब्ध रहेगा। यह निम्नलिखित लिंक अर्थात् https://dda.org.in/hotlinks.aspx पर भी उपलब्ध रहेगा।

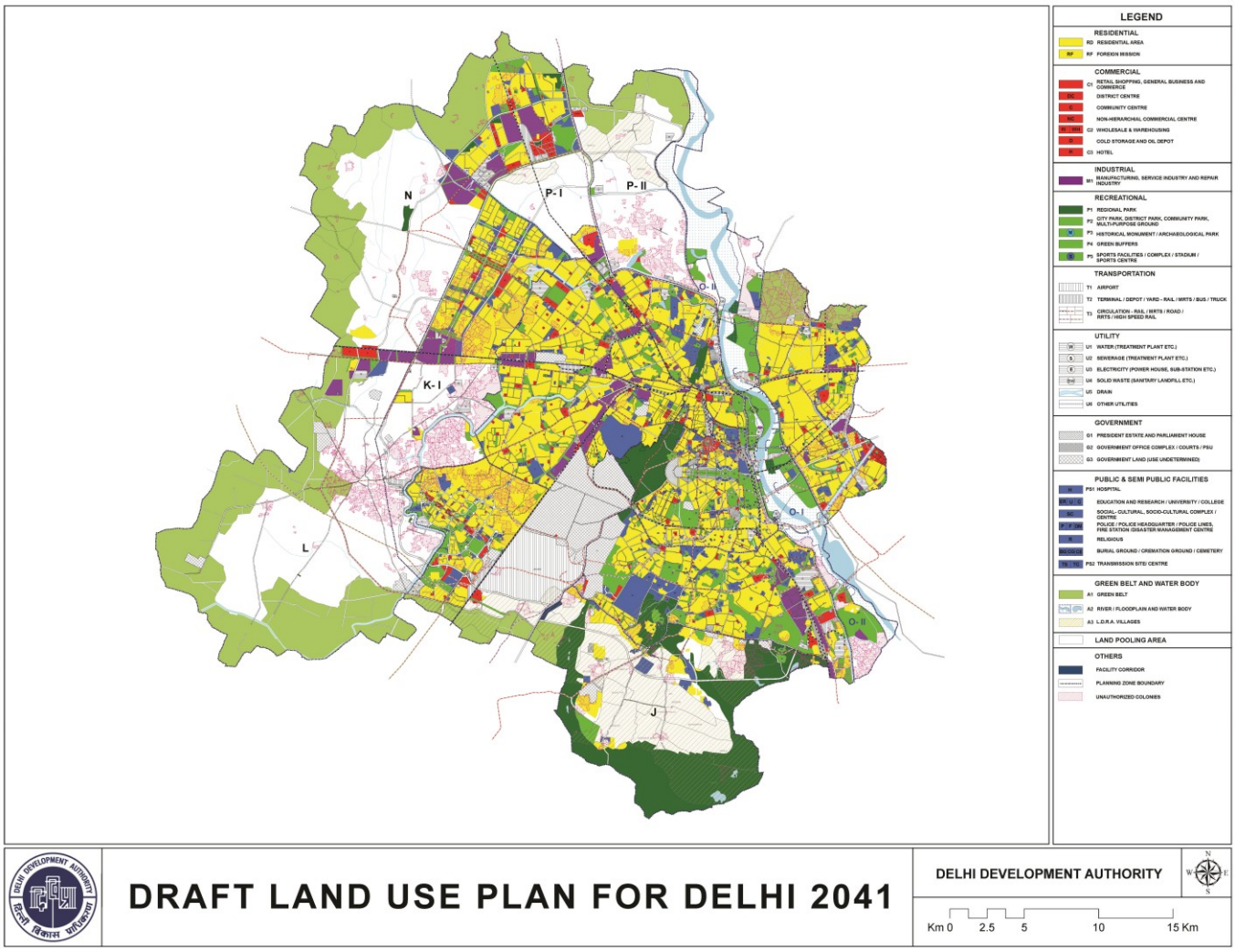

ploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.06.09 23:42:40 +05'30'